मुस्तनद-मुदल्लल-मुकम्मल हिन्दी एडिशन

1

तफ़सीर इब्ने कसीर

अल्लामा हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई (रह.)
अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी (रह.)
शैख़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ महदी (रह.)
शैख़ अली अहमद अल बाक़ी (रह.)
शैख़ मुबश्शिर अहमद रब्बानी (रह.)

تفسیرِ ابنِ کثیر

तफ़सीर इब्ने कसीर

इमाम एमादुद्दीन हाफिज इब्ने कसीर (रह.)

जिल्द 1

तर्जुमा :
मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी

हिन्दी तर्जुमा :
ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट
जमीअत अहले हदीस

ज़ेरे एहतिमाम : अन्जूमन खुद्दामुल कुरआन

शो'बा नश्रो इशाअत
शहरी जमीअत अहले हदीस
जोधपुर
सूबाई जमीअत अहले हदीस
राजस्थान

नाशिरान - ناشران

شعبہ نشرواشاعت
شہری جمعیت اہل حدیث
جودھپور
صوبائی جمعیت اہل حدیث
راجستھان

بِسْــــــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुहू

बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व-करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए-मुस्लिमा के ख़िदमात में PDF की शकल में पेश है।

तफसीर ईब्ने क़सीर (8 जिल्द)

1. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द)
2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द)
3. सुनन अबु दाऊद (6 जिल्द)
4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द)
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द)
6. सुनन इब्ने माजह (1 जिल्द)

इन PDF बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे।

अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की PDF बनाने में और इसमे ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए हिदायत का सबब बनाए।

शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) M.: +91 9825 696 131

मुस्तनद-मुदलल्ल-मुकम्मल हिन्दी एडिशन

अल्लामा हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई (रह.)
अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी (रह.)
शैख़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ महदी (रह.)
शैख़ अली अहमद अल बाक़ी (रह.)
शैख़ मुबश्शिर अहमद रब्बानी (रह.)

تَفسِیرِ اِبنِ کثیر

तफ़सीर इब्ने कसीर

इमाम एमादुद्दीन हाफिज इब्ने कसीर (रह.)

जिल्द 1

तर्जुमा :
मौलाना मुहम्मद जूनागढ़ी

हिन्दी तर्जुमा :
ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट
जमीअत अहले हदीस

ज़ेरे एहतिमाम : अन्जुमन खुद्दामुल कुरआन

शो'बा नश्रो इशाअत
शहरी जमीअत अहले हदीस
जोधपुर
सूबाई जमीअत अहले हदीस
राजस्थान

नाशिर-ناشر

شعبہ نشرواشاعت
شہری جمعیت اہل حدیث
جودھپور
صوبائی جمعیت اہل حدیث
راجستھان

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज —ख़र्च के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताबः **तफ़सीर इब्ने कसीर**

मुरत्तिब (अ़रबी): **एमामुद्दीन इब्ने कसीर (रह.)**

उर्दू तर्जुमाः **मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी (रह.)**

हिन्दी तर्जुमाः **दारूत—तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त**
जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

तस्हीह व नज़्रे सानी: **मौलाना जमशेद आ़लम सल्फ़ी**

लेज़र टाइपसेटिंगः **मोहम्मद शकील**

कवर डिज़ाईन: **प्रिण्टिंग पाइन्ट, जोधपुर**

प्रिण्टिंग: **अनमोल प्रिण्टर्स, जोधपुर (राज.)**

तादाद पेज: 576

प्रकाशन (प्रथम संस्करण) शव्वाल 1437 हिजरी (जुलाई 2016 इस्वी)

ता'दादः 1000 कॉपी क़ीमतः 500/— रुपये

प्रकाशक

शहरी जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर

सूबाई जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान

अधिकृत विक्रेता

अलकिताब इन्टरनेशनल जामिया नगर, नई दिल्ली	011-26986973
मकतबा तर्जुमान 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली	011-23273407
अल हीरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू मार्केट, मटिया महल,जामा मस्जिद, दिल्ली	09015382970
माबूदी पब्लिकेशन दरियागंज, नई दिल्ली	09582340921
मकतबा अस्सुन्नह मुम्बई	08097444448
दारूल इल्म नागपाड़ा, मुम्बई	022-23088989 022-23082231
उमरी बुक डिपो, मुम्बई	09819961879
मकतबा अलफहीम मऊनाथ, भंजन, यू.पी.	0547-2222013
मौलाना खुर्शीद मुहम्मदी मिर्जापुर, यू.पी.	09919737053
शैख़ सुहैल सल्फ़ी, मकतबा सलफ़िया वाराणासी	09451915874
तौहीद किताब सेन्टर, सीकर	08003972503
अल कौसर टेड्रर्स	09414920119

फ़ेहरिस्त - मज़ामीन

रूमूज़े औक़ाफ़ (ठहरने की अलामत)	15
मुअद्दिबाना इल्तिजा	16
एहतियात कीजिए	16
अर्ज़े नाशिर	17
हालाते ज़िन्दगी इमाम इब्ने कसीर (रह.)	19
हालाते ज़िन्दगी मौलाना मुहम्मद जूनागढ़ी (रह.)	23
मुक़द्दमा	25
दुनिया के तालिब उलमा का अन्जाम	27
तफ़सीर का सहीह तरीक़ा क्या है?	28
हदीस की अहमियत	28
कुरआने करीम की तफ़सीर में अक़्वाले सहाबा की अहमियत	29
तफ़सीरे कुरआन में इस्राईली रिवायात की हैसियत	30
तफ़सीर और ताबेइन्न के अक़्वाल	32
तफ़सीर बिर् राय की शरई हैसियत	33
तफ़सीरे कुरआन में अस्लाफ़ का तरीक़ेकार	33
तफ़सीर की इक़साम	35
कुरआन करीम के मुतअल्लिक़ चन्द मालूमात	36
सूरत के लग़्वी मअ़नी	37
आयत के लग़्वी मअ़नी	38
कलिमा की तशरीह़	38
ख़ुलासा सूरह फ़ातिहा	40
नक्शा सूरह फ़ातिहा	41
तफ़सीर सूरह फ़ातिहा	43
सूरह फ़ातिहा के फ़ज़ाइल	45
तिलावते कुरआन से पहले अऊज़ुबिल्लाहि पढ़ना	51
अऊज़ुबिल्लाह पढ़ने के वजूब या इस्तिहबाब के बारे में उलमा के अक़्वाल	53
अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर् रजीम के लग़्वी मअ़नी	54
तफ़सीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम	56
इमाम जहरी नमाज़ों में बिस्मिल्लाह बुलन्द आवाज़ से पढ़े या आहिस्ता से	57
रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़िराअत का अंदाज़	58
बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल	59
हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना	60
लफ़्ज़ 'अल्लाह' का मअ़नी और इश्तिक़ाक़	63
अर् रहमान अर् रहीम की तफ़सीर	66
अल्हम्दुलिल्लाह के मअ़नी	69
ह़म्द की तफ़सीर में उलमा-ए-सलफ़ के अक़्वाल	70
रब के मअ़नी	72
आलमीन की तशरीह़	72
अर् रहमानिर् रहीम	74
हक़ीक़ी मालिक अल्लाह तआ़ला है	74
अद् दीन की तशरीह़	76

इबादत का लग़वी और शरई मआनी	77
इबादत और मदद मांगने के लायक़ कौन	78
अल्लाह से मांगने का तरीक़ा	80
सिराते मुस्तक़ीम से क्या मुराद है?	80
इनआम याफ़्ता से कौन मुराद हैं?	83
ज़ॉद और ज़ॉ की क़िराअत में फ़र्क़	86
सूरह फ़ातिहा का ख़ुलासा	86
आमीन कहने की फ़ज़ीलत और इमाम के पीछे बुलंद आवाज़ से आमीन कहना	87
नक्शे सूरह बकरह्	92
खुलासा सूरह बकरह्	97
तफ़्सीर सूरह बक़रह्	99
सूरह बक़रह् के फ़ज़ाइल	99
सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान की फ़ज़ीलत	101
सात बड़ी सूरतों की फ़ज़ीलत	103
मक़ामे नुज़ूल और मज़ीद मालूमात	103
हुरूफ़े मुक़त्तआत और उनकी तफ़्सीर में मुफ़स्सिरीन का इख़्तिलाफ़	105
हुरूफ़े मुकत्तआत और ऐजाज़े क़ुरआन	108
क़ुरआन मजीद बिला शक कलामे इलाही है	111
मुत्तक़ी कौन लोग हैं?	112
ईमान के मआनी और मफ़्हूम	114
इक़ामतिस् सलात और इन्फ़ाक़ से क्या मुराद है?	117
सलात के लुग़्वी व शरई मआनी	117
मो'मिनीन की चंद दीगर सिफ़ात	118
हिदायत पाने वाले ख़ुशनसीब कौन हैं?	120
बदनसीब लोग	121
दिलों और कानों पर मुहर लगाने का मतलब	122
मुनाफ़िक़त की इब्तिदा और उसकी अक़्साम	125
बीमारी से क्या मुराद है?	127
फसाद के बानी मुनाफ़िक़ीन	130
हक़ीक़ी बेवक़ूफ़ कौन?	132
मुनाफ़िक़ाना रवय्या	133
हिदायत के बदले में गुमराही	135
मुनाफ़िक़ीन की मिसाल	136
मो'मिन काफ़िर और मुनाफ़िक़	139
तौहीदे-उलूहियत	143
यह कहना शिर्क है कि जो अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे	143
अल्लाह तआला के नाज़िलकर्दा पाँच अह्काम	145
वजूदे बारी तआला के दलाइल	146
मुहम्मद (ﷺ) की नबुव्वत का इस्बात	149
क़ुरआने-करीम का ऐजाज़	149
क़ुरआन नबी (ﷺ) के लिए सबसे बड़ा मुअजिज़ा है	152
वक़ूद और हिजारत से क्या मुराद है?	153
जहन्नम अब भी मौजूद है	154
फ़ातू बिसूरतिन् से कौनसी सूरत मुराद है?	155

ईमानवालों के लिए ख़ुशख़बरी और जन्नत की चंद नेअ़मतों का तज़्किरा 156
मुतशाबेह से क्या मुराद है? 157
दुनिया की औक़ात मच्छर के पर के बराबर भी नहीं 158
अल्लाह तआ़ला के वादों को तोड़ने वाले कौन हैं? 160
अ़दम से वजूद में लाने वाला कौन? 163
ज़मीन व आसमान वग़ैरह की तख़्लीक़ 164
ख़लीफ़ा के मआ़नी और मक़ासिद 167
ख़लीफ़ा का इंतिख़ाब और उसके वजूब की शरई हैसियत 170
फ़रिश्तों पर आदम (अलैहि) की फ़ज़ीलत की वजह 172
ग़ैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही को है 174
फरिश्तों का आदम (अलैहि) को सज्दा 176
इब्लीस का तआ़रुफ़ और उसका सज्दा करने से इंकार करना 176
हज़रत आदम (अलैहि) पर अल्लाह तआ़ला के एहसानात 177
हज़रत आदम (अलैहि) का ऐज़ाज़ और पैदाईशे हव्वा (अलैहि) 180
ज़मीन पर इंसानी ज़िन्दगी का आग़ाज़ 181
मुआ़फ़ी के कलिमात 183
अम्बिया की पैरवी से ही जन्नत मिलेगी 185
बनी इसाईल से ख़िताब कि काफ़िर न बनो 185
दीनी ता'लीम पर उजरत लेना कैसाहै? 187
सिर्फ़ अल्लाह से डरने का क्या मक़्सद? 188
हक़ को छुपाना यहूद की ख़स्लत 188
वा'इज़ीन और मुबल्लिग़ीन के लिए हिदायत 189
सब्र क्या है? 192
बनी इसाईल और उनके आबा अज्दाद पर इन्आमात 194
हश्र में कोई सिफ़ारिश और फ़िदया वग़ैरह क़बूल न किया जाएगा 195
बनी इस्राईल पर मज़ीद इन्आमात का तज़्किरा 196
चालीस रातों का वा'दा और बछड़े की पूजा 199
अल्लाह तआ़ला को देखने का अहमक़ाना सवाल और उसका अंजाम 201
बनी इसाईल पर बादलों का साया 203
अल्लाह तआ़ला की ने'मते ख़ास मन्न-सलवा 203
सहाबा-किराम का ईमान और बनी इसाईल एक मुवाज़िना 205
बनी इसाईल की नाफ़र्मानी पर अल्लाह का अ़ज़ाब 206
बनी इसाईल पर एहसानात का मज़ीद तज़्किरा 209
अच्छी चीज़ के बदले घटिया के तलबगार 210
शामते आ'माल 211
अपने नबी का ता'बेदार ईमानदार है 212
यहूद के लुग़्वी मआ़नी और वजहे तस्मिया? 213
सहाबी कौन हैं? 213
यहूद और वा'दा-ख़िलाफ़ी 215
यहूदियों का इबरतनाक अंजाम? 216
उम्मते मुहम्मदिया (ﷺ) के लिए तम्बीह 218
गाय जिब्ह करने का वाकिया 219

❁ बनी इस्राईल की सरकशी	221
❁ अल्लाह तआला की निशानियाँ	223
❁ पत्थर दिल लोग कौन हैं?	225
❁ कलामुल्लाह में तहरीफ़ यहूद का शेवा है	228
❁ लफ़्ज़ उम्मी की वज़ाहत	230
❁ वैल क्या चीज़ है?	231
❁ जहन्नम का अ़ज़ाब चालीस दिन	232
❁ जन्नती और जहन्नमी कौन?	233
❁ सिर्फ़ अल्लाह तआला ही इबादत के लायक़ है	234
❁ वालिदेन के साथ हुस्न-सुलूक का हुक्म	234
❁ हर एक के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म	235
❁ अल्लाह तआला के कुछ अह़कामात को मानना और कुछ को छोड़ना कैसा है?	236
❁ अम्बिया (अलैहि) के साथ बनी इस्राईल का सुलूक	238
❁ ग़ुल्फ़ (ग़िलाफ़) के मआनी और मफ़्हूम	240
❁ यहूद का इंकार ह़सद की वजह से था	241
❁ यहूदियोंके ह़सद और तकब्बुर की सज़ा	242
❁ ख़्वाहिश के बन्दे, नफ़्स के ग़ुलाम	243
❁ यहूद का सबसे बड़ा कुफ़्र	244
❁ यहूद को मुबाहिला की दा'वत	245
❁ यहूदियोंकी ह़ज़रत जिब्राईल (अलैहि) से दुश्मनी	247
❁ यहुदियों के नबी (ﷺ) से सवालात	247
❁ अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) का इस्लाम लाना	248
❁ पत्थर के पास नमाज़ पढ़ने पर उ़मर (रज़ि.) की नाराज़गी	250
❁ ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) का यहूदियों से मुकालिमा	250
❁ फ़रिश्तों में भी रसूल हैं	251
❁ यहूद का सुलेमान (अलैहि) को जादूगर कहना झूठ है	255
❁ जादू का वुजूद	263
❁ क्या जादू सीखना जाइज़ है?	263
❁ जादू की क़िस्में	263
❁ ग़ैर-मुस्लिमों की मुशाबिहत इख़्तियार करना कैसा है?	269
❁ नासिख़ और मंसूख़ की बहस	271
❁ बेफ़ायदा सवालात की मुमानिअ़त	274
❁ क़ौमी अ़स्बियत बदबख़्ती की वजह है	277
❁ आ'माल की क़बूलियत के लिए इत्तेबाअ़े सुन्नत शतर् है	279
❁ मसाजिद को आबाद न करने वाले सबसे बड़े ज़ालिम हैं	281
❁ कअ़बतुल्लाह को क़िब्ला बनाया जाना	284
❁ सवारी पर और तारीकी में नमाज़ पढ़ने की तफ़्सील	285
❁ ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का बयान	286
❁ अल्लाह तआला ही मुक़्तदिरे आ'ला है	287
❁ आपका काम नसीहत करना है	291
❁ रसूले अकरम (ﷺ) के वालिदेन का तज़्किरा	292
❁ तिलावत का ह़क़ क्या है?	294

ख़बरदार	295
हज़रत इब्राहीम (अलैहि) की आज़माइश और उनका इन्आम	296
कलिमात से क्या मुराद थे?	296
बैतुल्लाह अमनो-अमान की जगह	299
मक़ामे-इब्राहीम (अलैहि) का तज़्किरा	300
हज़रत उमर (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	300
अहकामे-बैतुल्लाह	302
मक्का मुकर्रमा की हुर्मत	304
सफ़ा व मरवा की सई की इब्तिदा	308
ज़मज़म का कुआँ	309
हज़रत इस्माईल (अलैहि) का पहला निकाह	310
बैतुल्लाह की ता'मीर	311
क़ुरैशे-मक्का और बैतुल्लाह की ता'मीर मेंकमी	313
हज्रे-अस्वद नसब करने का क़िस्सा	314
हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (अलैहि) की दुआऐं	318
दुआए इब्राहीमी का ज़हूर	319
दीने इब्राहीमी के दा'वेदार मुशरिकीन का ज़िक्र	320
तौहीदे उलूहियत का सबूत	322
अस्बात की तशरीह	325
नजात पाने की शर्त	325
हक़ीक़ी दीन, दीने-इस्लाम है	327
क़िब्ला की तब्दीली का हुक्म	328
उम्मते वसत का मतलब	330
अल्लाह तआला अपने बन्दों पर बहुत शफ़ीक़ व मेहरबान है	333
क़िब्ला इब्राहीमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की चाहत थी	334
मुसाफ़िर, ला इल्म और मुजाहिद का क़िब्ला रुख़ होना	336
नमाज़ की हालत में नज़र कहाँ रखें?	336
हक़ छोड़कर बातिल की पैरवी करना ज़ुल्म है	336
हक़ और यहूदी उलमा का किरदार	337
हिदायत वाला क़िब्ला	338
यहूदियों के बेजा ऐ'तिराज़ात की परवाह न कर	339
इंसानियत पर बेश बहा ने'मत का ज़िक्र	340
बेहतरीन वसीला, सब्र और नमाज़ है	342
शुहदा की ज़िन्दगी	343
अल्लाह तआला अपने बन्दों को आज़माता है	344
साबिर कौन लोग है?	344
मुसीबतज़दा की दुआ रद्द नहीं होती	345
सफ़ा और मरवा की सई और उसका तरीक़ा	346
सई के दौरान	348
हक़ बात को छुपाने वाले मल्ऊन है	349
मा'बूदे बरहक़	350
अलामाते-कुदरत से साहिबे-अक़्ल सबक़ हासिल करते हैं	351
अल्लाह तआला जैसी मुहब्बत दूसरों से?	353
रिज़्क़े-हलाल की तल्क़ीन	355
ख़ुतुवातिश्शैतान से क्या मुराद है?	356

गुमराही और जिहालत क्या है?	357
रिज़्क़े-हलाल व हराम में फ़र्क़	358
बदतरीन उलमा हक़ छुपाने वाले हैं	361
यतीमों का माल खाने वाले?	361
तीन क़िस्म के बदनसीब लोग	361
अज़ाब के मुस्तहिक़ लोग	362
भलाई, नेकी क्या है?	363
बेहतरीन सदक़ा	364
ज़विल क़ुर्बा का मतलब	364
यतामा, मसाकीन, इब्नुस्सबील, साइलीन, रिक़ाब की तशरीह	364
नमाज़ और ज़कात	365
मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ	366
क़िसास का मसला	366
क्या मुसलमान को काफ़िर के बदले क़त्ल किया जाएगा?	
वसिय्यत का मतलब और तफ़्सील	370
फ़र्ज़ियते रोज़ा और उसके मक़ासिद	373
नमाज़ की तब्दीली की तीन हालतें	374
रोज़ों की तब्दीली	375
इंतिहाई बूढ़ा, हामिला दूध पिलाने वाली के रोज़ों का हुक्म	376
रमज़ानुल मुबारक में क़ुरआन-करीम का नुज़ूल	377
बीमार और मुसाफ़िर के लिए रोज़ा की रुख़्सत	378
रोज़ा और चंद मुतफ़र्रिक़ मसाइल	380
आदाबे दुआ और क़बूलियत की शुरूत	382
रमज़ानुल मुबारक में खाने-पीने और जिमाअ के मसले का बयान	385
सेहरी व इफ़्तारी के मुतअल्लिक़ा मसाइल	386
हालते जनाबत में रोज़ा रखना	389
रोज़ा इफ़्तार करने का वक़्त और विसाल से मुमानिअत	390
ए'तिकाफ़ के चंद मसाइल	392
माल पर नाजाइज़ क़ब्ज़ा और रिश्वतख़ोरी हराम है	394
चाँद, वक़्त और माह व साल के तै करने के लिए है	395
जिहाद का हुक्म और मुतअल्लिक़ा मसाइल	397
जिहाद में मुसला (लाश की बेहुर्मती करने) की मुमानिअत	398
हरम में क़िताल की मुमानिअत	399
हुर्मत वाले महीने में लड़ाई और बे'अते रिज़्वान	402
जिहाद और अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च करना	403
हज्ज और उमरा का तज़्किरा	405
अगर साहिबे उज़्र हज्ज या उमरा पूरा न कर सके?	407
अगर उज़्र की वजह से हालते-एहराम में सर मुँडवाए तो क्या फ़िदया दे?	409
हज्जे तमत्तोअ के अहकाम	411
हज्जे तमत्तोअ किनके लिए है?	413
हज्ज का एहराम और सफ़रे ख़र्च की तल्क़ीन	414
हालते-एहराम में जिमाअ करने की मुमानिअत	416
क्या हज्ज करने वाला तिजारत भी कर सकता है?	419

मैदाने अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा में दुख़ूल	420
अरफ़ात ही से वापिस लौटो	422
इस्तिग़फ़ार और दुआए सय्यदुल इस्तिग़फ़ार	423
अरकाने हज्ज की तक्मील के बाद अल्लाह तआला का ज़िक्र कसरत से करने का हुक्म	424
अल्लाह तआला का ज़िक्र और दीनो-दुनिया की तमाम भलाईयों की हामिल दुआ	424
अय्यामे-तशरीक़ अल्लाह का ज़िक्र और खाने पीने के दिन हैं	426
मुनाफ़िक़ों का तरीक़ेकारऔर उनकी निशानियाँ	428
मो'मिन की शान	430
अल्लाह तआला के अहकाम को मानना ही इस्लाम है	431
शाफ़ेअ़े मेहशर का तज़्किरा	432
बनी इस्राईल की एहसान फ़रामोशियाँ	434
उम्मते-मुहम्मदिया की साबिक़ा उम्मतों पर फ़ज़ीलत	436
तंगी के बाद आसानी	438
ख़ैरात के हक़दार	440
जिहाद की फ़र्ज़ियत का हुक्म	440
हुर्मत वाले महीने और अम्र बिन हज़रमी का क़त्ल	441
शराब और जूए की हुर्मत	445
बचे हुए माल से अल्लाह की राह में ख़र्च करना	446
यतीम के माल को देखभाल करने का हुक्म	448
मुशरिक मर्द या मुशरिका औरत से निकाह न करो?	449
निकाह के लिए मालो-दौलत की बजाए दीनदारी देखो	451
हैज़ और जिमाअ़ के बारे में मसाइल की तफ़्सील	452
क़सम और मुतअ़ल्लिक़ा मसाइल	460
ईला की मुद्दत और उसकी तफ़्सील	463
तलाक़ और इद्दत के मसाइल	465
क़ुरूअ की वज़ाहत	466
मियाँ-बीवी के एक दूसरे पर हुक़ूक़	468
तलाक़ के मुतअ़ल्लिक़ा कुछ मसाइल	469
ख़ुला' के मसाइल	470
ख़ुला' तलाक़ है या फ़स्ख़े निकाह	473
ख़ुला' की इद्दत का बयान	473
क्या ख़ुला' वाली औरत से रुजूअ़ हो सकता है?	474
तलाक़े बत्तह और निकाहे हलाला का सहीह मफ़हूम	475
तलाक़ के बाद औरतों को हुस्ने सलूक से रुख़्सत करो	478
औरत वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं कर सकती	480
बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत का बयान	481
रज़ाअ़त के अहकाम	481
उजरतें रज़ाअ़त का बयान	483
जिसका शौहर मर जाए उसकी इद्दत का बयान	484
उम्मे वलद मुतवफ़्फ़ा अन्हा की इद्दत	485
पैग़ामे-निकाह का मस्नून तरीक़ा	487

दुख़ूल से पहले तलाक़ और मेहर के मसाइल	489
निकाह में मेहर की मज़ीद तफ़्सील	491
नमाज़ों की हिफ़ाज़त और सलाते-वुस्ता की मुकम्मल तफ़्सील	493
सलाते-ख़ौफ़ (डर) का बयान	499
बेवा औरतों के मुतअल्लिक़ा मसाइल	501
ज़िन्दगी और मौत अल्लाह तआला के हाथ मेंहै	503
एहसान फ़रामोश क़ौम पर अल्लाह तआला का एक और एहसान	507
हीलेसाज़ (बहानेबाज़) क़ौम	508
ताबूते सकीना और उसकी तफ़्सील	509
हज़रत तालूत के लश्कर का इम्तिहान	510
हज़रत दाऊद (अलैहि) के हाथों जालूत की मौत	512
अम्बिया के दरजात और मुहम्मद (ﷺ) की तमाम अम्बिया पर फ़ज़ीलत	514
शफ़ाअत के मुशरिकाना तसव्वुर का रद्द	516
आयतल कुर्सी की फ़ज़ीलत	516
आयतल कुर्सी की बरकात	518
शफ़ाअत अल्लाह तआला की इजाज़त से होगी	521
कुर्सी के बारे में मुफ़स्सिरीन का मौक़िफ़	521
अल्लाह तआला की सिफ़ात पर बग़ैर तावील और केफ़ियत जाने ईमान रखना ज़रूरी है	521
आसमानों व ज़मीन का मुहाफ़िज़ अल्लाह तआला ही है	522
इस्लाम में दाख़िल करने के लिए किसी पर जबर नहीं करना चाहिए	523
ताग़ूत का मफ़्हूम	524
उर्वतुल वुस्क़ा से मुराद	524
हक़ एक है, बातिल (झूठ) की कई क़िस्में हैं	526
हज़रत इब्राहीम (अलैहि) और नमरूद के दरम्यान मुनाज़िरा	527
हज़रत इब्राहीम (अलैहि) का मु'जिज़ा	528
नमरूद पर अज़ाबे-इलाही	528
क़ुदरते-इलाही का अजीब करिश्मा	529
परिन्दों का ज़िन्दा होना और हज़रत इब्राहीम (अलैहि) का मुशाहिदा	531
सदक़ात का अज्रो-सवाब	532
रियाकारी और एहसान जतलाने से पाक सदक़ा की फ़ज़ीलत	534
कलिमा-ख़ैर कहने की फ़ज़ीलत	535
रज़ा-ए-इलाही के लिए किए गए सदक़ा की एक ख़ूबसूरत मिसाल	536
नेकियों को बुराईयों से ज़ाया करने की मिसाल	537
पाकीज़ा और बेहतरीन चीज़ सदक़ा करो	538
बवक़्ते सदक़ा शैतान का वस्वसा डालना	540
हिक्मत का मफ़्हूम	541
सदक़ा और नज़्र का बयान	542
ग़ैर-मुस्लिम रिश्तेदारों से भी सिलह रह़मी	544
सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद सदक़ा का ज़्यादा मुस्तहिक़ है	545
दिन-रात ख़ुफ़िया ए'लानिया अल्लाह की राह में ख़र्च करना	547

सूदख़ोरों का इबरतनाक अंजाम	548
सूद की हुर्मत और उसकी मुख़्तलिफ़ शक्ल	549
जिस चीज़ में सूद या हराम का शाइबा हो, उससे बचना	550
सूद का गुनाह और अस्बाबे सूदी कारोबार	551
सूद में बेबरकती है	552
ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुमानिअ़त	552
असल माल लेने और सूद छोड़ देने का हुक्म	554
सूदख़ोरी अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) से जंग करना है	555
ग़रीब क़र्ज़दार को मुहलत देना और क़र्ज़ माफ़ करने का सवाब	555
हज़रत आदम और हज़रत दाऊद (अलैहि) का दिलचस्प वाक़िया	559
तिजारत और लेन देन के अह्काम	559
क़र्ज़ के बारे में एक अ़जीब वाक़िया	560
पढ़ा-लिखा शख़्स लिखने से इंकार न करे	561
दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है	562
गवाही के लिए आदिल होना शर्त है	562
लिखने का हुक्म इस्तिह़बाबन है न कि वजूबन	563
कोई चीज़ रहन (गिरवी) रखने का मसला	565
गवाही छुपाने वाला गुनहगार है	566
दिली वस्वसे और सहाबा (रज़ि.) की परेशानी का इज़ाला	566
नेकी का इरादा करने से सवाब लिखा जाता है जबकि गुनाह में ऐसा नहीं है	568
दिली वस्वसों पर मुहासिबा अ़ज़ाब को लाज़िम नहीं करता	568
सूरह बक़रह की आख़िरी दो आयात की फ़ज़ीलत	570
तमाम नाज़िलशुदा आसमानी किताबों पर ईमान रखना	572

रुमूज़े औक़ाफ़(ठहरने की अलामात)

रुमूज़े औक़ाफ़ (Punctuation Marks) से मुराद वह अलामात या निशानियाँ हैं जो किसी भी ज़ुबान में लिखी गई किसी भी किताब को पढ़ते वक़्त हमें बताती हैं कि कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना, कहाँ कम ठहरना है या कहाँ ज़्यादा ठहरना है। अगर इन अलामात को नज़र अंदाज़ कर दिया जाए या इन पर पूरी तरह अमल न किया जाए तो इबारत के मानी कुछ के कुछ हो जाते हैं और मतलब समझ में नहीं आता। क़ुरआनुल अज़ीम में भी ख़ास ख़ास अलामात जिन्हें रुमूज़े औक़ाफ़ कहा जाता है, मुक़र्रर की गई हैं ताकि इसकी सहीह तिलावत करने के लिए आपको मालूम हो जाए कि आपको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कम रुकना है, कहाँ पर ज़्यादा रुकना है और कहाँ पर बिलकुल नहीं रुकना। क़ुरआन की सहीह क़िरात के लिए और इसके मफ़्हूम व मतालिब को सहीह समझने के लिए इन अलामात पर सख़्ती से अमल करना चाहिए। यह अलामात दर्जे ज़ेल (नीचे लिखी गई) हैं।

○ यह अलामत आयत के मुकम्मल होने की निशानी है। दरहक़ीक़त यह आयत की गोल ता यानी ता है। यह वक़्फ़ ताम की अलामत है। यह अंग्रेजी ज़ुबान के फुल स्टॉप जैसी है। इस अलामत पर ठहरना लाज़मी है क्योंकि यहाँ पर क़ुरआन की आयत मुकम्मल हो जाती है। इस हिसाब से क़ुरआन की 6236 आयात हैं। यह आयात अल्लाह तआला ने जिब्राईल (عليه السلام) को बतलाई और उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वही के लिखने वाले को यह आयात बतलाई।

तॉ ط यह वक़्फ़े मुत्लक़ की अलामत है बल्कि लफ़्ज़ 'मुत्लक़' का मुख़फ़्फ़फ़ है। इस अलामत पर ठहरना चाहिए, यहाँ पर उमूमन जुम्ला मुकम्मल हो जाता है अगरचे मज़्मून मुकम्मल नहीं होता और कहने वाला अभी कुछ और कहना चाहता है। इस तरह की निशानियाँ क़ुरआन में 3510 हैं।

जीम ج यह वक़्फ़ जाइज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर और न ठहरना जाइज़ है। इस तरह के वक़्फ़ पूरे क़ुरआन में 1587 हैं।

मीम م यह वक़्फ़े लाज़िम की अलामत है। इस पर ज़रूर ठहरना चाहिए। इसे तर्क कर देने से मानों में ख़लल पड़ जाएगा और हो सकता है कि इबारत का मफ़्हूम कहने वाले की मुराद के ख़िलाफ़ हो जाए। क़ुरआन में यह अलामत 82 या 85 बार आई है।

ज ز यह वक़्फ़े मुजव्वज़ की अलामत है। यहाँ न ठहरना बेहतर है। अगरचे ठहरा जाना भी जाइज़ है। यह अलामत क़ुरआन में 191 बार आई है।

सॉद ص यह लफ़्ज़ "मुरख़्ख़स" का मुख़्तसर है। इस अलामत से मुराद है कि इससे पहले वाले को उसके बाद से मिलाकर पढ़ा जाए, लेकिन अगर पढ़ने वाला थक जाए या उसका सांस टूट जाए तो उसे ठहरने की इजाज़त है। इस तरह की अलामत क़ुरआन में 83 हैं।

क़ाफ़ (ق) यह क़द क़ील अलैहिल वक़्फ़ का ख़ुलासा है, यहाँ ठहरना नहीं चाहिए।

सीन या सक्ता س यह सक्ते की अलामत है। यहाँ पर किसी क़द्र ठहर जाना चाहिए मगर सांस न टूटने पाए।

वक़्फ़ा यह लम्बे वक़्फ़े की अलामत है। यहाँ सक्ते की निस्बत ज़्यादा ठहरना चाहिए, लेकिन सांस न टूटे।

स़ॉद लाम صل यह क़द यूसल (कभी-कभी मिलाकर पढ़ा जाता है) की अलामत है। यहाँ कभी ठहरा जाता है, कभी नहीं ठहरा जाता। लेकिन ठहरना बेहतर है।

वक़्फ़न्नबी (ﷺ) हुज़ूर (ﷺ) जब तिलावत फ़र्माते थे तो इस जगह पर ठहरते थे। इस पर वक़्फ़ करना इत्तिबाए रसूल (ﷺ) है।

मुअद्दिबाना इल्तिजा

हमने इस तफ़्सीर की कम्पोजिंग और प्रिन्टिंग में हत्तल मक़्दूर (हर सम्भव) कोशिश की है कि कोई ग़लत्री न होने पाए, ख़ुसूसन कुरआन के अरबी मतन और हिन्दी तर्जुमे में। ताहम इंसान ख़ता का पुतला है और ग़लती का हो जाना इंसानी फ़ित्रत है। मुम्किन है कि इस किताब में कुरआन के अरबी मतन और तर्जुमे, सूरतों के तआरुफ़, लुग़ात और आयात की वज़ाहत वग़ैरह में बार बार पढ़ने और दुरुस्तगी करने के बावजूद ग़ल्तियाँ रह गई हों। लिहाज़ा इस किताब को पढ़ने वाले से मुअद्दिबाना गुज़ारिश है कि अगर कोई ग़लती (छोटी हो या बड़ी) नज़र में आए तो पब्लिशर को बज़रिये डाक फ़ौरन ख़बर करें। इंशाअल्लाह! उसकी तस्हीह के लिए मुनासिब और फ़ौरी इक़्दामात उठाए जाएँगे। आपको यह बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई मुसलमान जान बूझकर कुरआन के मामले में ग़लती नहीं करता। इसलिए आप अफ़ु व दरगुज़र से काम लें और हमें ग़लती से फ़ौरन आगाह करें। हम इस ख़ैर के काम पर आपके बेहद मम्नून होंगे। अल्लाह आपको अज्र अता फ़र्माए और आपके घर वालों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़र्माए, आमीन!

एहतियात कीजिए

आपसे गुज़ारिश है कि अगर इस किताब में पैग़म्बरे इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नामे गिरामी आए तो पढ़ते वक़्त बड़े अदब के साथ (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहें, अगर किसी दूसरे पैग़म्बर का नामे गिरामी आए तो अलैहिस्सलाम कहें, किसी सहाबी का नाम आए तो रज़ियल्लाहु अन्हू कहें, अगर किसी उम्मुल मोमिनीन या सहाबिया का नाम आए तो रज़ियल्लाहु अन्हा कहें, और अगर किसी मुहद्दिस या फ़क़ीह या आलिमे दीन का नाम आए तो रहमतुल्लाह अलैहि कहें। हमने इस तफ़्सीर में उन मुक़द्दस, मुतबर्रक हस्तियों के नामों के साथ यह दुआइया कलिमता लिखने की हत्तल मक़्दूर कोशिश की है। ताहम अगर किसी जगह कोताही हो गई है और यह कलिमात न लिखे गए तो आप यह कमी पूरी करें, जज़ाकल्लाह!

अर्ज़े नाशिर

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَ نَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ،وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَهَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَّاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (आले इमरान 102) يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (निसा: 01)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا (सूरह अहज़ाब 70-71)

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ (ﷺ) وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ أَلضَّلَالَةُ فِي النَّارِ" وَبَعْدُ!

अम्मा बअ़द

पैरवों की ता'दाद के ऐतिबार से इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। दुनिया में मुसलमानों की ता'दाद एक अरब साठ करोड़ से ज़्यादा है और मुस्लिम मुल्कों की ता'दाद 60 के क़रीब है। दूसरे अल्फ़ाज़ में हर पांचवाँ आदमी मुसलमान है। माली वसाइल के ऐतिबार से भी मुसलमान कुछ कम नहीं। इस्लामी मुमालिक ज़रई और मअ़दनी दौलत से माममाल है लेकिन अफ़सोस वो तालीम, मईशत (Economy) साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत ही पीछे। क़ौम व इलाकाई असबियत और बैरूनी साजिशों की वजह से खानाजंगी में मुबतला है।

इस पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह अपने मजहब से बेगानगी, मजहबी किताब से गफ़लत और उसकी ता'लीमात पर अ़मल करने से गुरेज़ है। ज़रूरत है कि मुसलमानों को कुरआनी ता'लीमात से आगाह करवाया जाए और उस पर अ़मल करने के लिए आमादा किया जाए ताकि वो न सिर्फ़ दुनिया में अपना जाइज़ मुक़ाम हासिल कर सके बल्कि आख़िरत में भी क़ामयाबी व कामरानी से सरफ़राज़ हो इसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि मुसलमानों को कुरआन पढ़ाया और समझाया जाए इस सिलसिले में अहम किरदार उल्माए किराम का है। **कुरआने करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे अज़ीज़ किताब है। ये ज़मीन व आसमान और कुल कायनात के मालिक़ का क़लाम है जिसे उसने सबसे अफ़ज़ल फ़रिश्ता जिब्राइल अमीन के जरिये सबसे अफ़ज़ल ज़बान अ़रबी में , सबसे अफ़जल पैगम्बर मुहम्मद रसूलुल्लाह (सअव) पर 23 साल के अर्से में नाज़िल फ़रमाया** नबी (सअव) के ज़माने से कुरआन को समझने उसका फ़हम हासिल करने और उस पर ग़ौरो-फ़िक्र करने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसके नुज़ूल से आज तक इसकी ता'लीम व तफ़हीम व तफ़सीर का सिलसिला किसी न किसी शक्ल में जारी है।

सहाबा ए किराम ने बराहे रास्त नबी (ﷺ) से कुरआन सीखा था उन्हों ने दूसरों को कुरआन सिखाने, कुरआन पढ़ाने और उसकी तफ़ासीर लिखने का आगाज़ कर दिया था। अगरचे कुरआन मजीद की बहुत सी तफ़ासीर लिखी गई और आज तक ये सिलसिला जारी है मगर **अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह** की तफ़सीर यानी **तफ़सीर इब्ने कसीर** को जिस कद्र **मकबूलियत** हासिल हुई वो किसी और तफ़सीर के हिस्से में न आ सकी।

तफ़सीर के शुरू में एक तवील मुकद्दमा है जिसमें कुरआन मजीद से मुतअल्लिक़ इल्मी मबाहिस तहरीर किए गए हैं। ये मुकद्दमा ज़्यादातर **हाफ़िज़ इब्ने कसीर** के उस्ताद **इमाम इब्ने तैमियह (रह.)** के रिसाला **उसूलुत्तफ़सीर** से लिया गया है। **इब्ने कसीर (रह.)** आसान और मुख़्तसर इबारत में आयत की तफ़सीर करते हैं और किसी दूसरी कुरआनी आयत से उसके मफ़हुम तक को वाज़ेह करते हैं। मुफ़स्सिरीन की इस्लाह में इसे **तफ़सीरे कुरआन बिल कुरआन** कहा जाता है यानी कुरआन की तफ़सीर कुरआन से। **इब्ने कसीर (रह.)** ने इसका ख़ुसूसी एहतिमाम किया है। इस तशरीह के बाद **हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.)** इसके मुतअल्लिक़ अहादीसे मरफ़ुआ बयान करते हैं। और साथ-साथ निशानदेही करते जाते हैं कि इनमें से कौनसी अहादीस क़ाबिले एहतिजाज है और कौनसी नहीं इसके बाद इसकी ताईद में सहाबा (रजि.), ताबेइन ओर दीगर उल्माए सल्फ़ के अक़्वाल तहरीर करते और कुछ अक़्वाल के मुकाबले में कुछ को तरजीह देते हैं कुछ रिवायत को सहीह व कुछ को ज़ईफ़ क़रार देते हैं और साथ-साथ रूवात व रिजाल पर नक्द और ज़िरह भी करते जाते हैं इससे ये मालूम होता है कि फ़ुनूने हदीस और अहवाले रिजाल के सिलसिले में **इब्ने कसीर (रह.)** किस कद्र गहरी बसीरत रखते थे। **तफ़सीर इब्ने कसीर की नुमायाँ ख़ुसूसियत ये है कि तफ़सीर मासूर में दी गई इस्राईली वाक़ियात दर्ज है उन पर नक्द व ज़िरह की गई है।** इन तमाम बातों की तफ़सील आप उस मुकद्मे में देख सकते हैं जो तफ़सीर के शुरू में दिया गया है।

तफ़सीर की इन्हीं ख़ुसुसियात की वज़ह से **शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमियह (रह.), इमाम जहबी (रह.) इमाम सियुती (रह.) इमाम शैकानी (रह.) और मौलाना आजाद (रह.)** जैसे अहले इल्म **अहसनुत्तफ़सीर** करार देते हैं।

इस अज़ीमुश्शान तफ़सीर का उर्दू तर्जुमा हिन्दुस्तान के मशहूर आलिमे दीन **मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी (रह.)** ने किया था और इसको हिन्दी ज़बान में मुन्तकिल करने का काम **शोबा नश्रो इशाअत, शहरी जमीअत अहले हदीस, जोधपुर के दारूत् तर्जुमा के कारकुनान** ने अंजाम दिया है। ये वक़्त की एक बड़ी जरूरत थी और हिन्दुस्तान के अहले जमाअत हज़रात और दीगर बड़े नाशिरीन का इसरार था कि हिन्दी में ये काम शहरी जमीअत अंजाम दे। हम अल्लाह के हकीर, कमज़ोर और नातवाँ बन्दे हैं हमें अपनी बेबजाअती, कम माएगी, जईफ़ी और कम इल्मी का एहसास है। सिर्फ़ अल्लाह के तवक्कल पर इस अज़ीम काम का बेड़ा उठाया है। ये एक देरीना ख़्वाब की ताबीर है जो किसी वजह से ताख़ीर का सबब हो गई है। अल्लाह तआला से उम्मीद है ये काम जल्द पाए तकमील तक पहुंच जाएगा।

अहम नुक़ात:

- मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी वाले उर्दू तर्जुमे को हिन्दी ज़बान में नकल किया गया है
- तख़रीज़ का कठिन और मुश्किल काम मजलिसे तहक़ीक़ इस्लामी के उल्माए किराम ने पूरी मेहनत व ख़ुश उस्लूबी से अंजाम दिया है। तख़रीज़ में अल्लामा अल्बानी (रह.), शैख़ जुबैर अली जई, शैख़ अब्दुर्रज़्ज़ाक महदी (रह.) शैख़ अली अहमद बाक़ी (रह.) और शैख़ मुबश्शिर अहमद रब्बानी (रह.) की तख़रीज़ात व तहक़ीक़ात से भरपूर इस्तेफ़ादा किया गया है।

नजरेसानी और तहक़ीक़ का अहम फ़रीज़ा हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई (रह.) ने पूरी दयानतदारी से सरअंज़ाम दिया है।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

''शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।''

हालाते ज़िन्दगी इमाम इब्ने कसीर (रह.)

नाम व नसब: इमाम, मुहद्दिस, हाफ़िज़ इस्माईल बिन उमर बिन कसीर बिन ज़ौअ बिन दरअ अल्कुरैशी अल् बस्रवी अद् दमिश्क़ी (रह.)

कुन्नियत व लक़ब: आपकी कुन्नियत अबुल फ़िदा और लक़ब इमादुद्दीन था।

सने विलादत व जाये पैदाईश: आपकी विलादत 700 हिज्री को मज्दल नामी बस्ती में हुई यह बस्ती बसरा शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ेअ है। कुछ रिवायात के मुताबिक़ आपकी विलादत 701 हिज्री को हुई। मुल्के शाम की उस बस्ती में आँख खोलने वाले इब्ने कसीर (रह.) एक इल्मी ख़ानदान के चश्मो–चराग़ थे।

शैख़ अब्दुल क़ादिर अरनावूत हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) के हालात क़लमबन्द करते हुए लिखते हैं कि आपके वालिद उसी बस्ती में ख़तीब थे।

वालिदे गिरामी की वफ़ात: हाफ़िज़ इब्ने कसीर(रह.) की उम्र अभी चार साल थी कि बाप का साया सर से उठ गया। आपकी परवरिश आपके बड़े भाई अब्दुल वह्हाब ने की जो कि एक मुम्ताज़ आलिमे दीन थे।

तअलीम व तर्बियत: आपने इब्तिदाई तअलीम अपने बड़े भाई से हासिल की। 706 हिज्री में आप उन्हीं के साथ दमिश्क़ चले आये। उनसे इस्तिफ़ादा करने के साथ–साथ आपने वहाँ के उलमा-ए-किराम से इल्मी फ़ैज़ समेटना शुरू किया।

असातिज़ा–ए–किराम: आपने जिन फ़ुज़ला के सामने ज़ानूए तलम्मुज़ तै किया उनका मुख़्तसर ज़िक्र मुलाहिज़ा हो।

फ़न्ने हदीस की तअलीम आपने उस वक़्त के मशहूर व मअरूफ़ मुहद्दिस अबुल अब्बास अहमद बिन हिजार से हासिल की, उसके अलावा आपने हदीस का इल्म ईसा बिन अल्मुत्इम, अफ़ीफ़ुद्दीन इस्हाक़ बिन यह्या अल आमदी से हासिल किया। उसके अलावा बद्रुद्दीन मुहम्मद बिन इब्राहीम मअरूफ़ बाबिन सुवैदी, हाफ़िज़ मिज़्ज़ी, शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया, मुहम्मद बिन अश्शीराज़ी, बहाउद्दीन क़ासिम बिन असाकिर और हाफ़िज़ ज़हबी से इल्मे हदीस हासिल किया।

आपने फ़िक़्ह की तअलीम, अब्दुल वह्हाब (बिरादरे अकबर) शैख़ बुरहानुद्दीन इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान फ़ुज़ारी (729हिज्री) और शैख़ कमालुद्दीन इब्ने क़ाज़ी शुह्बा से हासिल की। उस वक़्त के दस्तूर के मुताबिक़ आपने शाफ़ई फ़िक़्ह की किताबुत् तम्बीह मुकम्मल याद करके अपने असातिज़ा किराम को सुना दी। आपने उसूले फ़िक़्ह की तअलीम अल्लामा शम्सुद्दीन महमूद बिन अब्दुर्रहमान अस्फ़हानी से हासिल की।

हाफ़िज़ मिज़्ज़ी (रह.) से आपका ख़ास तअल्लुक़: आप एक लम्बे अर्से तक हाफ़िज़ मिज़्ज़ी की ख़िदमत में रहे। आपको अपने शैख़ से एक ख़ास क़िस्म का लगाव था। आप हर वक़्त उनकी ख़िदमत में हाज़िर रहते। इस ख़ुसूसी तअल्लुक़ की बिना पर हाफ़िज़ मिज़्ज़ी ने अपनी प्यारी साहबज़ादी की शादी इब्ने कसीर (रह.) से कर दी। आपने भी इस तअल्लुक़ को ख़ूब निभाया। आप शादी के बाद भी लम्बी मुद्दत तक अपने उस्तादे मुहतरम की ख़िदमत में हाज़िर रहे और फ़न्ने हदीस व दीगर उलूम के तमाम कमालात हासिल किये।

इब्ने तैमिया (रह.) और **इब्ने कसीर** (रह.): आपको अपने उस्तादे मुहतरम शैख़ुल इस्लाम से भी ख़ुसूसी तअल्लुक़ था। आप रिवायत, दिरायत, हदीस और किताबो–सुन्नत के साथ शग़फ़ में अपने शैख़ से बहुत मुतास्सिर हुए। इस असर की झलक इब्ने कसीर (रह.) की तस्नीफ़ात में कई मक़ामात पर देखने को मिलती है।

इल्मी मक़ाम व मर्तबा: हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) आसमाने इल्म पर पूरी आब व ताब के साथ चमके। आपको बैक वक़्त तफ़्सीर, हदीस, फ़िक़्ह, तारीख़, ज़ुबान व अदब और उसूल वग़ैरह पर पूरी महारत हासिल थी।

शैख़ अब्दुल क़ादिर अरनावूत (रह.) कुतुबे रिजाल से नक़ल करते हुए लिखते हैं कि, "इब्ने कसीर (रह.) हदीस और उसके मुतअल्लिक़ा फ़ुनून के मुतालआ मे मशग़ूल रहे। वह अस्मा–ए–रिजाल के फ़न के माहिर इमाम थे। उन्होंने फ़िक़्हे शाफ़ई की किताबुत तम्बीह की तख़रीज की, मुस्नद अहमद को हुरूफ़े तहज्जी के ए'तिबार से तर्तीब देकर ज़वाइदे तबरानी और अबी यअला की अहादीस का इज़ाफ़ा किया।"

इब्ने कसीर (रह.) की ख़िदमत में उलमा का ख़िराजे–तहसीन: उलमा–ए–किराम ने इब्ने कसीर (रह.) की इल्मी ख़िदमात के पेशे नज़र उनको ज़बरदस्त ख़िराजे तहसीन पेश किया है।

मशहूर मुअर्रिख़ अबुल महासिन जमालुद्दीन युसफ़ बिन सैफुद्दीन अपनी किताब "**अल्मन्हलुस्साफ़ी वल्मुस्तौफ़ी बअदल वाफ़ी**" में रक़मतराज़ हैं:

"वह शैख़, इमाम, अल्लामा इमादुद्दीन अबुल फ़िदा हैं। उन्होंने अपने आपको तहसीले इल्म के लिए वक़्फ़ किये रखा और पूरी लगन से दीनी उलूम हासिल करते रहे। उन्होंने तस्नीफ़ व तालीफ़ में बुलन्द मक़ाम हासिल किया। वह फ़िक़्ह तफ़्सीर, हदीस के माहिर थे। उन्होंने सारी ज़िन्दगी तस्नीफ़ व तालीफ़ और दर्सो–तदरीस में गुज़ार दी। वह फ़त्वा भी देते रहे हत्ता कि इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गये।"

इमाम सुयूती (रह.) फ़र्माते हैं कि वह "**साहिबे फ़ज़ीलत मुहद्दिस और मुफ़्ती थे।**"

इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि "वह हदीस के मतून, रिजाल और इल्मे हदीस के मुतालआ में मशग़ूल रहे।"

इमाम सुयूती (रह.) ने यही बात लिखी कि "उन्होंने रिजाल, मतूने हदीस और फ़िक़्ह पर ख़ुसूसी तवज्जह दी।"

तलामिज़ा: इब्ने कसीर (रह.) से बेशुमार उलेमा, फ़ुक़्हा और तलबा ने इल्मी फ़ैज़ हासिल किया जिनमें से चन्द मशहूर शागिर्दों के नाम कुछ इस तरह हैं :–

1. इब्ने हज्जी 2. इब्नुल इमाद हम्बली 3. इब्ने हबीब।

उन्होंने अहादीस की तख़रीज की। फ़न्ने मुनाज़िरा से वाक़फ़ियत हासिल कीं, तफ़्सीर लिखी और इल्मी मैदान में आगे बढ़ते गये।

तसानीफ़ः इब्ने कसीर (रह.) ने बेमिसाल तसानीफ़ यादगार छोड़ी हैं जिनमें से चन्द का तज़्किरा दर्जे ज़ेल है।

1. **तफ़्सीर अल् कुरआनुल् करीमः** यह तफ़्सीर इनकी इन्तिहाई बुलन्द पाया तस्नीफ़ है। क़दीम व जदीद तफ़्सीरों में इसे इन्तिहाई आला मक़ाम हासिल है। कुछ उलमा ने तो इसे सहीह बुख़ारी से तश्बीह देते हुए कहा कि जिस तरह कुतुबे अहादीस में इमाम बुख़ारी (रह.) की किताब का मर्तबा है बिलकुल उसी तरह तफ़्सीर इब्ने कसीर का मक़ाम दीगर तफ़ासीर में है।
2. **अल बिदाया वन् निहायाः** तारीख़े इस्लाम के हवाला से इस किताब का नाम अव्वल दर्जा की तवारीख़े कुतुब में लिखा जाता है। इब्ने कसीर (रह.) ने इसमें इब्तिदा–ए– कायनात से लेकर अहवाले आख़िरत तक की बहसों को मौज़ूअे तहरीर बनाया है।
3. **मुस्नद अश् शैख़ैन** – इस किताब में इन्होंने हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर (रज़ि.) से मरवी अहादीस को जमा किया है।
4. तर्तीब मुस्नदे **इमाम अहमद बिन हम्बल** (रह.) इसमें इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) की किताब मुस्नद को हुरूफ़े तहज्जी के ए'तिबार से मुरत्तब किया है।
5. **सीरते नब्विया:** इमामे कायनात हज़रत मुहम्मद (स.) की सीरते मुबारिका पर मुफ़स्सल और बेहतरीन किताब है।
6. **सीरते नब्विया मुख़्तसरः** सीरते नबवी (स.) पर एक मुख़्तसर किताब है।
7. **रिसालत फ़िल् जिहादः** जिसमें तलबे जिहाद को मौज़ूअे बहस बनाया गया है।
8. **अत् तकमील फ़ी मअरिफ़तिस्सिक़ात वज़्ज़ुअफ़ा वल् मजाहिलः** इस किताब में इन्होंने फ़न्ने रिजाल को मौज़ूअ बनाया है। इसमें तहज़ीबुल कमाल और मीज़ानुल एअतिदाल दोनों किताबों को जमा कर दिया है।
9. **तब्क़ातुश् शाफ़ियाः** इसमें शाफ़ई उलमा के हालाते ज़िन्दगी पर बहस की गयी है।
10. **अल् हुदा वस् सुनन फ़ी अहादीसिल मसानीद वस् सुननः** इस किताब का मशहूर नाम **"जामेअु ल मसानीद"** है। इस किताब के अन्दर इन्होंने मुस्नदे अहमद, मुस्नदे बज़्ज़ार, मुस्नदे अबू यअला, इब्ने अबी शैबा और सिहाहे सित्ता की रिवायात को जमा करके उनको फ़िक़्ही अब्वाब पर मुरत्तब किया है।
11. **मनाक़िबे शाफ़ईः** इस किताब में इमाम शाफ़ई (रह.) के फ़ज़ाइल ज़िक्र किये गये हैं।
12. **कुरआन में रिसालत के फ़ज़ाइलः** इस किताबचे में कुरआन मजीद के फ़ज़ाइल को उन्वान बनाया गया है।

हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) और तख़रीजे अहादीसः इब्ने कसीर (रह.) ने मुन्दर्जा ज़ेल किताबों की तख़रीज भी की है।

मुख़्तसर इब्नुल हाजिब

अत्तम्बीह

वह कुतुब जो आप मुकम्मल न कर सके: आपने अपनी ज़िन्दगी में दो अहम कुतुब, सहीह बुख़ारी की शरह और इसी तरह अहादीसे अहकाम की शरह "**अल् हुक्कामुल् कबीर**" के नाम से लिखना शुरू की मगर आपकी ज़िन्दगी ने वफ़ा न की।

इब्ने कसीर (रह.) के ज़ाती औसाफ़: आप इन्तिहाई ज़हीन, बेहतरीन समझ-बूझ रखने वाले और अर्क़ रेज़ मेहनत करने वाले इंसान थे। आपकी कुव्वते हाफ़िज़ा इन्तिहाई मज़बूत, बेहतरीन मुनाज़िर और क़ाबिले ज़िक्र हाज़िर जवाब थे।

इब्ने कसीर (रह.) और शायरी: इब्ने कसीर (रह.) शायरी से भी दिलचस्पी रखते थे वह हक़ीक़त पर मब्नी बेहतरीन शेअर कहा करते थे। उनका एक शेअर बहुत मशहूर है:-

تمرّ بنا الأيام تترى وإنّما
نساق إلى الاجال والعين تنظر
فلا عائد ذاك الشباب الذى مضى
ولا زائل هذا المشيب المكدّر

"अय्यामे ज़िन्दगी गुज़रते जा रहे हैं और हम अपनी आँखों से मौत की तरफ़ जाते हुए (अपने आपको) देख रहे हैं। अब न ही तो जवानी लौटकर आ सकती है और ये नापसन्दीदा बुढ़ापा ज़ाइल होने का नाम नहीं लेता।"

फ़त्वा नवेसी: उलमा-ए-सियर ने लिखा है कि इब्ने कसीर (रह.) ने तहसीले इल्म के बाद फ़त्वा नवेसी का काम शुरू किया और वह बाक़ायदगी के साथ यह फ़रीज़ा सर अंजाम देते रहे हत्ताकि ख़ालिक़े हक़ीक़ी से जा मिले।

वफ़ात: 774 हिज्री को इल्म व अमल का यह आफ़ताब पूरी आबो-ताब के साथ दमिश्क़ में गुरूब हुआ। उनको उनके उस्ताद मुहतरम शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (रह.) के पहलू में सुपुर्दे ख़ाक कर दिया गया। अल्लाह तआला उनकी क़ब्र पर रहमतों का नुज़ूल फ़र्माये और उनको जन्नतुल- फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फ़र्माये। आमीन!

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हालाते ज़िन्दगी मौलाना मुहम्मद जूनागढ़ी (रह.)

नामः आपका नाम मुहम्मद बिन इब्राहीम था।

विलादतः आप 1890 ईस्वी को जिला काठियावाड़ के शहर जूनागढ़ में पैदा हुए। आपके वालिद माजिद ग़ल्ला के मशहूर ताजिर थे। आपके वालिद शुरू से ही किताबो-सुन्नत पर अमल करने की तर्ग़ीब देते और उसकी अहमियत से ख़ूब वाक़िफ़ थे।

तअ़लीम व तर्बियतः आपने इब्तिदाई तअ़लीम अपने आबाई वतन में ही मौलाना अ़ब्दुल्लाह जूनागढ़ी से हासिल की और उसके बाद तअ़लीम व तअ़ल्लुम की तरफ़ मुतवज्जह होने की बजाए आप कुछ अ़र्सा कारोबार में मशग़ूल रहे।
आला तअ़लीम का हुसूलः मौलाना अपनी जवाँ साल बीवी की वफ़ात के बाद अपना आबाई वतन छोड़कर तअ़लीम के लिए देहली मुंतक़िल हो गये। यह वह दौर था जब देहली तहज़ीब व तमद्दुन और इस्लामी तअ़लीम का अज़ीम मर्कज़ था। आपने इस शहर में शोहरह आफ़ाक़ उलेमा के सामने ज़ानू तलम्मुज़ तै किया।

मौलाना जूनागढ़ी और मदरसा अमीनीयाः मौलाना ने हुसूले तअ़लीम के लिए मदरसा अमीनीया में दाख़िला लिया कुछ अ़र्से बाद आप मदरसा अमीनीया छोड़कर मदरसा दारुल किताब वस् सुन्नह सदर बाज़ार देहली में तशरीफ़ ले गये। वहाँ आपने किताबो- सुन्नत की ख़ालिस तअ़लीम हासिल करने के साथ फ़िक़्ह, मन्तिक़, फ़ल्सफ़ा पर भी उबूर हासिल किया।

इसके बाद मौलाना फाटक हब्श ख़ाँ देहली में मशहूर मुहद्दिस **मौलाना अ़ब्दुर् रहीम ग़ज़नवी (रह.)** और **मौलाना अ़ब्दुर् रशीद (रह.)** के तअ़लीमी इदारे में दाख़िल हुए। यह दोनों बुज़ुर्ग हज़रत **मौलाना सय्यद नज़ीर हुसैन देहलवी (रह.)** के शागिर्द रशीद थे।

मुहम्मद जूनागढ़ी (रह.) असातिज़ा की नज़र मेंः तहसीले इल्म में इन्होंने इन्तिहाई जाँ फ़शानी और अ़र्क़ रेज़ मेहनत की वजह से असातिज़ा किराम की नज़रों में बहुत ऊँचा मक़ाम हासिल कर लिया। मज़हबी उलूम में इनकी बारीक बीनी देखकर असातिज़ा और तलबा भी तअ़ज्जुब किया करते थे।
मौलाना के ज़ाती औसाफ़ः मौलाना के जाती औसाफ़ पर तब्सिरा करते हुए डॉक्टर मुजीबुर्रहमान साहब लिखते हैं :

''मरहूम एक जामेअ़ उलूम और यगानारोज़गार शख़्सियत थे। अपने कारनामों, ख़िदमात, मुसलसल तअ़लीम व तब्लीग़, इज़्हारे हक़ और रास्तगोई के लिहाज़ से वह ऊँचे मर्तबे पर फ़ाइज़ थे। बर्रे-सग़ीर के तअ़लीम याफ़्ता हल्क़ों में उनका नाम बड़ी शोहरत रखता है।''

नामवर मुअर्रिख़ जनाब इस्हाक़ भट्टी साहब रक़मतराज़ हैंः ''वह ख़तीब भी थे और मुनाज़िर भी, मुसन्निफ़ भी थे और मुतर्जिम भी, मुअ़ल्लिम भी थे और मुहक़्क़िक़ भी, ख़ुश गुफ़्तार भी थे और आ़बिद शब-बेदार भी, वह कसीरुल मुतालआ़ बुज़ुर्ग थे बल्कि कहना चाहिए कि चलता-फिरता कुतुबख़ाना थे, उनका अंदाजे-ख़िताबत और उस्लूबे- तक़रीर निहायत पुरतासीर था और वह ख़ास जोश और जज़्बे के साथ अपने नुक़्ता-ए-नज़र की वज़ाहत करते थे, हर मामले में किताबो-सुन्नत के दायरे में रहते थे और उसको उन्होंने अपना मक़सदे हयात क़रार दे रखा था। इज़्हारे हक़ में बेख़ौफ़ और आ'ला-ए- कलिमतुल्लाह में बेधड़क।'' (देखिए – मौलाना मुहम्मद जूनागढ़ी हयात व ख़िदमात)

हज़रत मौलाना जूनागढ़ी (रह.) की मक़्बूलियतः मौलाना जूनागढ़ी (रह.) बहुत ही क़लील अर्से में लोगों में इतने मक़्बूल हुए कि दूर–दराज़ से लोग उनकी तक़रीर सुनने के लिए हाज़िर होते और उनके जलसा की रौनक़ क़ाबिलेदीद होती थी।

असातिज़ा किरामः मौलाना जूनागढ़ी (रह.) ने जिन क़दआवर इल्मी शख़्सियात से इस्तिफ़ादा किया उनमें से चंद मअ़रूफ़ शख़्सियात के नाम दर्जे ज़ेल हैं :–

1. मौलाना मुहम्मद इस्हाक़ देहलवी (रह.)
2. मुहम्मद अय्यूब पारचा (रह.)
3. अ़ब्दुर्रहीम ग़ज़नवी (रह.)
4. मौलाना अ़ब्दुर्रशीद (रह.)

मदरसा मुहम्मदिया का क़यामः मौलाना जूनागढ़ी (रह.) ने किताबो-सुन्नत के मन्हज को उजागर करने के लिए मदरसा मुहम्मदिया का संगे-बुनियाद रखा। इसमें दीगर असातिज़ा के साथ आप ख़ुद भी तदरीस के फ़राइज़ को सरअंजाम देते थे।

तसानीफ़ः मौलाना ने अपनी ज़िन्दगी में बेशुमार यादगार किताबें तस्नीफ़ की। उनकी कुतुब की फ़ेहरिस्त तक़रीबन पचहत्तर(75) के हिन्दसे को तजावुज कर जाती है।

तराजिमः आपने मुख़्तलिफ़ अ़रबी कुतुब के तर्जुमे भी किये जिनको कुछ ही अ़र्सा में क़बूले आ़म हासिल हुआ और वह देखते ही देखते लोगों के हाथों में गर्दिश करने लगे। चन्द का तज़्किरा दर्जे ज़ेल है –

1.तर्जुमा तफ़्सीर इब्ने कसीरः आपने तफ्सीर इब्ने कसीर का उर्दू तर्जुमा करके उम्मते इस्लामिया पर अ़ज़ीम एहसान किया क्योंकि इमाम इब्ने कसीर (रह.) की यह तफ़्सीर जामेअ़ ख़लाइक़ है। यह किताब मुहताजे तआ़रुफ़ नहीं है।

2.एलामुल मूक़िईनः इब्ने क़य्यिम (रह.) की यह किताब अपनी मिसाल आप है। जूनागढ़ी (रह.) ने इसका तर्जुमा करके लोगों को तहक़ीक़ और दीने इस्लाम की हक़ीक़ी सूरत से आगाह किया और लोगों पर शरीअ़त के असरार व रूमूज़ खुलते चले गये। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (रह.) ने इस तर्जुमा की वजह से जूनागढ़ी को तअ़रीफ़ी ख़ुतूत भी लिखे।

सहाफ़तः आपने सहाफ़त के मैदान में भी ख़ूब नाम हासिल किया। अख़बारे मुहम्मदी के उ़न्वान से अख़बार निकाला, और गुलदस्त-ए-मुहम्मदिया के नाम से एक माहनामा का इज्रा भी किया।

वफ़ातः मौलाना जूनागढ़ी (रह.) ने जुम्आ के ख़ुत्बे में ''मौत और यतीम'' के उ़न्वान पर ख़ुत्बा देते हुए फ़र्माया, ''आज मैं आपके सामने बआफ़ियत ज़िन्दा हूँ। मुम्किन है आइन्दा जुम्अे न रहूँ। पूरी दुनिया में उ़मूमन मुस्लिम मुआ़शरे में ख़ुसूसन यतीमों और बेवाओं की तअ़दाद ज़्यादा है। उनका ख़्याल रखें। उनके रोने और बिलकने से आसमान फट जाता है। आइन्दा जुम्अे को मेरी बीवियाँ और औलादें यतीम हो सकती हैं।''

उनकी यह बात सच साबित हुई और अगले जुम्अे की रात अचानक उनका सुख़न ख़ामोश हो गया और वह मौला-ए-हक़ीक़ी से जा मिले। क़ातिअ़े शिर्क व बिदअ़त अपने चाहने वालों को दाग़े मुफ़ारिक़त दे गये।

1941 ईस्वी को सिर्फ़ इक्यावन बरस की उ़म्र में वह इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गये मगर बेशुमार तसानीफ़ और इल्मी ख़िदमात हमारे लिए छोड़ गये। अल्लाह तआ़ला उनकी कोशिशों को क़बूल फ़र्माए और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, आमीन या रब्बल आ़लमीन!

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मुक़द्दमा

तमाम तअरीफ़ें उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं जिसने अपनी किताब को अपनी हम्द के साथ शुरू किया और फ़र्माया اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ (अल् फ़ातिहाः 2, 4) दूसरी जगह फ़र्माया, (18) (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ/अल कहफ़ः 1) यानी "सब तअरीफ़ अल्लाह तआला के लिए ही है जिसने अपने बन्दे पर कुरआने करीम नाज़िल किया। जिसमें कोई कजी नहीं। जो हमेशा दीन को क़ायम रखने वाला है, ताकि अल्लाह तआला के सख़्त अ़ज़ाब से अल्लाह का पैग़म्बर लोगों को ख़बरदार कर दे, और जो लोग ईमान लाकर नेक आमाल करते हैं उन्हें उनके बे हतरीन और हमेशगी वाले बदले की ख़ुशख़बरी सुना दे, और जो लोग अपने जाहिल बाप दादा की सुनी सुनाई बातों पर अल्लाह की औलाद मानते हैं उन्हें भी चौकन्ना कर दे, कि यह बहुत बड़ी जसारत और महज़ झूठी बात है जो उनकी ज़ुबान से निकल रही है। ऐ नबी (स.) तुम इनके पीछे अपनी जान में घुन न लगाओ।"

जिस तरह उस परवरदिगार ने अपनी किताब को हम्द से शुरू किया उसी तरह उसने अपनी मख़्लूक़ को भी अपनी हम्द से शुरू किया। इर्शाद होता है,

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ)

(6/अन्आमः 1) या'नी "**सब तअरीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमान और ज़मीन को और अंधेरे व उजाले को पैदा किया। लेकिन कुफ़्फ़ार बावजूद इसके भी अल्लाह का शरीक ठहराते हैं।**" इसी तरह मख़्लूक़ का ख़ात्मा भी अपनी हम्दो-सना पर किया। अहले जन्नत और अहले जहन्नम के अंजाम का बयान करके इर्शाद होता है,

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(39/अज़् ज़ुमरः 75) या'नी "**तू देखेगा कि फ़रिश्ते अल्लाह तआला के अर्श को चारों तरफ़ से घेरे हुए होंगे। और अपने रब की हम्दो-सना, तस्बीह व तक़्दीस बयान करते होंगे। फ़ैसले हक़ के साथ हो चुके होंगे और कह दिया गया होगा कि तमाम तअरीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हैं।**" इसीलिए अल्लाह तआला का फ़र्मान है,

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(जअह) (28/अल् क़सस: 70) या'नी "**वही अल्लाह है उसके सिवा कोई मअबूद नहीं है और उसी की तरफ़ तुम लौटाये जाओगे।**" दूसरी जगह इर्शाद होता है,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

(34/सबाः1) या'नी "**सब तअरीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ें उसी की मिल्कियत हैं। आख़िरत में भी हम्द उसी के लिए है वही हिक्मत वाला और ख़बरदार है।**"

अव्वल व आख़िर उसी की तअ़रीफ़ है यानी जो कुछ उसने पैदा किया और जो कुछ पैदा करेगा। वह उन सब में तअ़रीफ़ों वाला है। जैसा कि नमाज़ (समिअ़ल्लाह) के बाद कहता है **''ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरे ही लिए सब तअ़रीफ़ें हैं। आसमान व ज़मीन में भर जाने के बराबर और उनके बाद भी जिस चीज़ को तू भर देना चाहे।''** (सहीह़ मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब एअ़तिदाल अरकाने सलात व तख़्फ़ीफ़िहा, 471) इसीलिए जन्नती लोग भी ह़म्दो–सना का इल्हाम किये जायेंगे और उनके सांस के साथ ही बिला तकल्लुफ़ अल्लाह तआ़ला की तअ़रीफ़ और उसकी तस्बीह़ अदा होती रहेगी। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल् जन्नह, बाब फ़ी सिफ़ातिल जन्नति व अह्लुहा व तस्बीहिहिम फ़ीहा बुक्रतव्वं व अ़शिय्या, 2835)

क्योंकि अल्लाह तआ़ला की अ़ज़ीमुश्शान नेअ़मतें और उसकी क़ुदरते कामिला और उसकी ज़बरदस्त सल्तनत और उसकी मुसलसल रह़मतें और उसके हमेशगी वाले एह़सानात उनके पेशेनज़र होंगे। उसी को क़ुरआने करीम ने बयान फ़र्माया,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

(10/यूनुस: 9–10) या'नी **''ईमान के साथ नेक अ़मल करने वालों को उनका रब उनके ईमान के ज़रिये उन नेअ़मतों वाले बाग़ों की राह दिखायेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उनकी आवाज़ (सुब्ह़ानकल्लाहुम्म) और आपस में सलाम का तोह़फ़ा होगा और आख़िरी पुकार उनकी यही होगी कि सब तअ़रीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहान वालों का रब है।''** अल्लाह ही के लिए तअ़रीफ़ है, (4) (رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ/निसाः 165) या'नी **''जिसने अपने रसूलों को ख़ुशख़बरियाँ देने वाले और ख़बरदार करने वाले बनाकर भेजा। ताकि रसूलों के आ जाने के बाद लोगों की कोई हुजत अल्लाह तआ़ला पर बाक़ी न रहे।''** उन रसूलों का सिलसिला नबी उम्मी अ़रबी मक्की मदनी (स.) पर ख़त्म किया। जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह़ राह की हिदायत करने वाले हैं।

आप (स.) के ज़माना से लेकर क़यामत तक जितने जिन्नात व इंसान हैं उन सबकी त़रफ़ आपकी रिसालत है जैसेकि क़ुरआने करीम में है,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

(7/अअ़राफ़: 158) या'नी ''ऐ नबी! तुम कह दो कि ऐ लोगों! मैं तुम सबकी त़रफ अल्लाह तआ़ला का रसूल हूँ वह अल्लाह जो आसमान और ज़मीन का मालिक है जिसके सिवा कोई मअ़बूद नहीं। जो पैदा करता है और मारता है। पस ऐ लोगो! तुम सब ईमान लाओ अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल पर जो नबी हैं, उम्मी हैं जो अल्लाह तआ़ला पर और उसकी बातों पर ईमान रखते हैं। लोगों! उन ही की पैरवी में तुम्हारी हिदायत मुज़्मर (पोशीदा) है।'' दूसरी जगह अल्लाह का इर्शाद है, (6) (لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ/अन्आमः 19) या'नी ''ताकि

मैं तुम्हें भी डराऊँ और उन्हें भी जिन्हें कलामुल्लाह पहुँचे।'' पस जिस अरबी, अज्मी, काले, गोरे इंसान को यह कुरआन पहुँचा आँहज़रत (स.) उसके लिए डराने वाले हैं। इसलिए अल्लाह तआला ने फ़र्माया, (وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ) (11/हूदः 17) या'नी **''इसके साथ कुफ़्र करने वाला जहन्नमी है''** पस जो कोई कुरआन के साथ कुफ़्र करे वह बहुक्मे कुरआन जहन्नमी है। दूसरी जगह कुरआने करीम का इर्शाद होता है,

فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ

(68/अल् क़लमः 44) या'नी **''तुम इन झुठलाने वालों को और मुझको छोड़ दो। मैं इन्हें इस तरह बतदरीज पकड़ूँगा कि इन्हें मालूम भी न होगा।''**

रसूलुल्लाह (स.) फ़र्माते हैं, **''मेरी पेग़म्बरी आम है, मैं हर सुर्ख़ व स्याह की तरफ़ पैग़म्बर बना कर भेजा गया हूँ।''** (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अल मसाजिद व मवाज़िउस्सलातः 521) मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं: या'नी कुल जिन्न व इन्स की तरफ़, पस आँहज़रत (स.) तमाम इंसानों और जिन्नात की तरफ़ अल्लाह तआला के रसूल हैं। सबको अल्लाह करीम की वह्य और इज़्ज़त वाले कुरआन को आप (स.) पहुँचाने वाले हैं जिस पाक किताब के पास किसी तरफ़ से बातिल फटक ही नहीं सकता जो हिक्मतों और तअरीफ़ों वाले अल्लाह का नाज़िल किया हुआ है।

दअवते ग़ौरो-फ़िक्र

अल्लाह तआला ने अपने इस कलाम को समझने की ताकीद भी इसी में कर दी है, फ़र्माया कि, **''तुम क्यूँ कुरआन में तदब्बुर और ग़ौरो-फ़िक्र नही करते। अगर यह अल्लाह के सिवा और किसी की तरफ़ से होता तो तुम इसमें बहुत कुछ इख़्तिलाफ़ पाते।''** दूसरी जगह फ़र्माया, **''इस मुबारक किताब को हमने तेरी तरफ़ उतारा ताकि लोग इसमें ग़ौरो-ख़ौज़ करें और अक़्लमन्द लोग नसीहत हासिल करें।''** तीसरी जगह फ़र्माया, **''यह लोग कुरआन के समझने की कोशिश क्यूँ नहीं करते, क्या इनके दिलों पर क़ुफ़्ल (ताला) लग गये हैं ?''**

दुनिया के तालिब उलमा का अंजाम:

पस उलमा पर वाजिब है कि कलामुल्लाह का मतलब वाज़ेह करें और सीखें और सिखायें और लोगों को सहीह रहनुमाई करें। अल्लाह तआला फ़र्माता है, **'' हमने किताब वालों से अहद लिया है कि वह इसे बयान करते रहें छुपायें नहीं लेकिन इन लोगों ने इसे पीठ पीछे डाल दिया और इसके बदले दुनिया तलब करने लगे। इनका यह व्यापार निहायत ही बुरा है।''** दूसरी जगह फ़र्माया, **''जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी क़समों को थोड़ी सी रक़म के बदले बेचते फिरें उनके लिए आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। उनसे अल्लाह तआला क़यामत के दिन बात तक न करेगा। न उनकी तरफ़ नज़रे–रहमत से देखेगा, न उन्हें पाक करेगा बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।''** पस जो लोग हमसे पहले किताब दिये गये थे और उन्होंने उससे मुँह मोड़ लिया और दुनिया के हासिल करने और उसके इकट्ठा करने मे मशग़ूल हो गये और अल्लाह तआला की मना की हुई चीज़ों के पीछे पड़कर अल्लह की पाक किताब को छोड़ दिया परवरदिगार ने उनकी मजम्मत बयान की। मुसलमानों को चाहिए कि वह ऐसा काम न करें जो मज़म्मत का सबब

बने। बल्कि उन्हें चाहिए कि अह़्कामे अल्लाह की तअ़मील में दिलो–जान से लगे रहें और क़ुरआन पाक के सीखने, सिखाने और समझाने में मशग़ूल रहा करें।

अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है, **"क्या अब तक वह वक़्त नहीं आया कि मुसलमानों के दिल अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र (और जो उनकी तरफ़ ह़क़ आया है उससे) काँप उठें और उनकी तरह़ न हो जायें जिन्हें उनसे पहले किताब दी गयी लेकिन कुछ ज़माना गुज़रते ही उनके दिल सख़्त हो गये और अक्सर लोग नाफ़र्मान हो गये। जान लो कि मुर्दा ज़मीन को नई ज़िन्दगी देना अल्लाह ही का काम है। हमने तो तुम्हारी समझ बूझ के लिए अपनी आयात बयान कर दी।"** इन दोनों आयात के तर्जुमे में ग़ौर करो किस लताफ़त के साथ बयान हुआ है कि जिस तरह़ बारिश से ख़ुश्क ज़मीन लहलहाने लगती है उसी तरह़ ईमान व हिदायत से वह दिल जो नाफ़र्मानियों और गुनाहों के बाइस सख़्त हो गये हों नर्म पड़ जाया करते हैं। अल्लाह तआ़ला बुज़ुर्ग व बरतर, जव्वाद व सख़ी से क़बूलियत की उम्मीद पर हम भी दुआ़ करते हैं कि वह मालिक हमारे दिलों को भी नर्म कर दे। आमीन!

तफ़्सीर का स़ह़ीह़ तरीक़ा क्या है? सुनो! तफ़्सीर का बेहतरीन और स़ह़ीह़ तरीक़ा यह है कि अव्वल तो क़ुरआन की तफ़्सीर क़ुरआन ही से हो, इसलिए कि एक बयान कहीं मुख़्तस़र है तो कहीं उसकी तफ़्स़ील भी है। इसके बाद क़ुरआन की तफ़्सीर ह़दीस़ से होती है। इसलिए कि ह़दीस़ क़ुरआने करीम की तब्यीन और तफ़्सीर है। बल्कि ह़ज़रत इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह मुह़म्मद बिन इदरीस शाफ़ई (रह़.) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के तमाम अह़्काम क़ुरआन ही से समझे हुए हैं। अल्लाह का फ़र्मान है, "हमने तुम पर यह किताब ह़क़ के साथ नाज़िल फ़र्माई है ताकि तुम लोगों के दरम्यान अल्लाह के बताये हुए अह़्काम के मुताबिक़ फ़ैसले कर सको, ख़बरदार! तुम ख़यानत करने वालों के तरफ़दार मत बनना।" दूसरी जगह इर्शाद फ़र्माता है, "हमने तो तुम पर इसीलिए यह किताब उतारी है कि लोगों के इख़्तिलाफ़ का फ़ैसला कर दिया करो। यह किताब ईमानदारों के लिए हिदायत व रह़मत (का बाइस़) है।" एक और मक़ाम पर फ़र्माता है, "हमने इसके ज़िक्र को तेरी तरफ़ इसलिए उतारा है कि तुम इसे लोगों को खोल–खोलकर बयान कर दो ताकि वह ग़ौर कर सकें।"

ह़दीस़ की अहमियतः रसूलुल्लाह (स.) फ़र्माते हैं, "मैं क़ुरआन भी दिया गया हूँ और इसकी मिस़्ल एक और चीज़ भी इसी के साथ दिया गया हूँ।" (**अबू दाऊद,** किताबुस्सुन्नहः बाब लुज़ूमुस् सुन्नहः 4604; व सनदहू स़ह़ीह़; तिर्मिज़ीः 2664 व सनदहू ह़सन) इससे मुराद सुन्नत है। यह याद रहे कि अह़ादीस़ भी अल्लाह की वह़्य हैं जिस तरह़ क़ुरआन बज़रिया वह़्य इलाही उतरा उसी तरह़ ह़दीसे रसूल भी वह़्ये इलाही है मगर क़ुरआन वह़्ये मत्लू है (यानी तिलावत की जाने वाली वही) और हदीस वह़्ये ग़ैर मत्लू है। **इमाम शाफ़ई** और दूसरे बड़े बड़े अइम्मा (रह़.) ने इसे दलाइल से ख़ूब स़ाबित कर दिया है लेकिन यहाँ उसके बयान करने का मौक़ा नहीं। मक़्सद यह है कि क़ुरआन की तफ़्सीर पहले ख़ुद क़ुरआन और फिर ह़दीस़ से करनी चाहिए। **रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब ह़ज़रत मुआ़ज़ (रज़ि.) को यमन की जानिब भेजा तो आँह़ज़रत (ﷺ) ने दरयाफ़्त किया, "कि किस चीज़ से फ़ैसला करोगे?" उन्होंने जवाब दिया, किताबुल्लाह से। फ़र्माया, "अगर उसमें न पाओ तो" कहा सुन्नते रसूलुल्लाह से। कहा "अगर उसमे न पाओ तो" कहा अब इज्तिहाद करूँगा। ह़ुज़ूर (ﷺ) ने यह जवाब सुनकर उनके सीने पर हाथ रखकर फ़र्माया, " अल्लाह का शुक्र है कि उसने अपने नबी के क़ास़िद को उस चीज़ की तौफ़ीक़ दी जो उसके नबी को पसन्द है।"** (अबू दाऊद,

किताबुल क़ज़ाअ, बाब इज्तिहादुर्राय फ़िल् क़ज़ाः 3599; **तिर्मिज़ीः** अब्वाबुल अह़काम, बाब मा जाअ फ़िल् क़ाज़ी कैफ़ यक़्ज़ाः 1327; और फ़र्माया: यह ह़दीस़ ग़रीब और इसकी सनद ग़ैर मुत्तसिल है। यह रिवायत ह़ारिस़ बिन अम्र और अस्ह़ाबे मुआज़ के मज्हूल होने की वजह से ज़ईफ़ है।) यह ह़दीस़ मुस्नद में भी है और सुनन में भी और सनद भी इसकी बहुत उम्दह है। जैसाकि अपनी जगह इसका सबूत मौजूद है।

क़ुरआने करीम की तफ़्सीर में अक़्वाले स़ह़ाबा की अहमियत

इसी बिना पर जब किसी आयत की तफ़्सीर क़ुरआन व ह़दीस दोनों में न मिले तो अक़्वाले स़ह़ाबा (रज़ि.) की त़रफ़ रुजूअ करना चाहिए। वह तफ़्सीरे क़ुरआन को बहुत ज़्यादा जानते थे इसलिए कि जो क़रीने और अह़वाल उस वक़्त थे उनका इल्म उन ही को हो सकता है। वह उस वक़्त मौजूद और ह़ाज़िर थे। इसके अलावा कामिल समझ बूझ स़ह़ीह़ इल्म और नेक अमल उन्हें ही ह़ासिल था। बिल ख़ुसूस़ उन बुज़ुर्गों को जो उनमें भी बड़े मर्तबे वाले और ज़बरदस्त आलिम थे जैसे चारों इमाम जो ख़ुलफ़ा थे जो रुश्दो–हिदायत वाले थे या'नी ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.), ह़ज़रत उमर (रज़ि.), ह़ज़रत उस्मान ग़नी (रज़ि.), ह़ज़रत अली (रज़ि.) और जैसे ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से मरवी है, फ़र्माते हैं, " उस अल्लाह की क़सम! जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं किताबुल्लाह की कोई आयत ऐसी नहीं कि मैं न जानता हूँ कि यह किसके बारे में नाज़िल हुई और कहाँ नाज़िल हुई। मैं अगर जानता कि किताबुल्लाह के इल्म में कोई मुझसे ज़्यादा है और वहाँ तक मैं किसी त़रह पहुँच भी सकता हूँ तो ज़रूर उसकी शागिर्दी में अपने आपको पेश करता।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब अल् क़ुर्राअ मिन अस्ह़ाबि रसूलिल्लाह (ﷺ) रक़मः 5008; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 2463) आप यह भी फ़र्माते हैं कि, " हममें से हर शख़्स़ जब तक दस आयतों का पूरा मत़लब न जान लेता और उन पर अमल न कर लेता ग्यारहवीं आयत नहीं पढ़ता था।" ह़ज़रत अब्दुर्रह़मान सुलमी ताबेई (रह़.) फ़र्माते हैं कि, "हमने जिनसे क़ुरआन सीखा वह हमसे फ़र्माया करते थे कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पढ़ा। जब तक हम दस आयतों का इल्म व अमल ह़ुज़ूर (ﷺ) से न सीख लेते आगे नहीं बढ़ते थे।"

ग़र्ज़ क़ुरआन का इल्म और क़ुरआन पर अमल दोनों ही को सीखा। उन ही में से ह़िब्रुल बह़्र ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) हैं। रसूलुलल्लाह (स.) के चचाज़ाद भाई और तर्जुमानुल क़ुरआन हैं। ह़ुज़ूर (ﷺ) ने उनके लिए बरकत की दुआ की थी और कहा था, **"ऐ अल्लाह! इन्हें दीन की समझ अत़ा फ़र्मा और क़ुरआन की तफ़्सीर का इल्म भी नस़ीब कर।"**(अह़मदः1/314, 1766; इब्ने ह़िब्बानः 7055; व बिलफ़्ज़ि (अल्लाहुम्म फ़क़्क़िहहू फ़िद् दीन) ; स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले स़ह़ाबा, बाब फ़ज़ाइले अब्दुल्लाह बिन अब्बासः 2477; और स़ह़ीह़ बुख़ारी में (अल्लाहुम्म अल्लिम्हुल् किताब) है देखिए ह़दीस़ नम्बरः 75, 143, 3756, 7270; अल्मुअजमुल कबीर लित्तबरानीः 10/293; ह़ 10587 व सनदुहू ह़सन बि लफ़्ज़ः'अल्लाहुम्म अल्लिमहुत् तावील व फ़क़्क़िहहू फ़िद् दीन))। ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) फ़र्माया करते थे, **"क़ुरआन के बेहतरीन तर्जुमान ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) हैं।"** (ह़ाकिमः 3/537; और इसे शर्ते शैख़ैन की बिना पर स़ह़ीह़ क़रार दिया है और इमाम ज़ह्बी (रह़.) ने इनकी मुवाफ़िक़त की है लेकिन इसकी सनद सुफ़ियान सौरी और सुलेमान अअमश की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के इस क़ौल को पेशे नज़र रखकर ख़्याल कीजिए कि उनका इंतिक़ाल 32 हिज्री में हुआ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) उनके बाद भी छत्तीस साल तक ज़िन्दा रहे तो इस मुद्दत में आपने इल्म में किस क़द्र तरक़्क़ी की होगी। हज़रत अबू वाइल (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) के ज़माना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) अमीरे हज मुक़र्रर हुए थे आपने अपने ख़ुत्बे में सूरह बक़रह की तिलावत फ़र्माई और इस उम्दगी से तफ़्सीर की कि अगर कुफ़्फ़ारे तुर्क व दैलम भी सुन लेते तो यक़ीनन मुसलमान हो जाते। कुछ रिवायात में है कि आपने अपने उस ख़ुत्बे में सूरह नूर की तफ़्सीर फ़र्माई थी। यही वजह है कि इस्माईल बिन अब्दुर्रहमान सुदी कबीर अपनी तफ़्सीर में इन ही दोनों बुज़ुर्गों की अकसर तफ़्सीर नक़्ल करते हैं लेकिन कभी कभी अहले किताब से यह बुज़ुर्ग जो रिवायत ले लिया करते हैं इसे भी वह बयान कर देते हैं।

तफ़्सीरे क़ुरआन में इस्राईली रिवायात की हैसियत

बनी इस्राईल से रिवायत लेना मुबाह है। सहीह बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "मेरी तरफ़ से पहुँचा दिया करो अगरचे एक आयत हो। बनी इस्राईल से भी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं मुझ पर क़सदन झूठ बोलने वाला क़तअन जहन्नमी है।"(सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब मा ज़ुकिरा मिम् बनी इस्राईलः 3461; तिर्मिज़ीः 2669) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) ने जंगे यरमूक में दो बोरियाँ यहूद व नसारा की किताबों की पायी थीं। उनकी बातें भी वह इस हदीस को मद्देनज़र रखकर नक़्ल कर दिया करते थे। लेकिन यह याद रहे कि बनी इस्राईल की यह रिवायात सिर्फ़ मसला की मज़बूती और उसकी गवाही के लिए लाई जाती हैं। ख़ुद उनसे मसाइल साबित नहीं हो सकते। रिवायाते बनी इस्राईल तीन क़िस्म पर हैं:–

1. जिनकी तस्दीक़ ख़ुद हमारे यहाँ मौजूद है यानी क़ुरआन की किसी आयत या हदीस के मुताबिक़ बनी इस्राईल की किताब में भी कोई रिवायत मिल जाये उसकी सेहत में तो कोई कलाम नहीं।
2. जिनकी तक्ज़ीब ख़ुद हमारे यहाँ मौजूद हो यानी किसी आयत या हदीस के ख़िलाफ़ हो, उसके ग़लत होने में कोई शुब्हा नहीं।
3. जिसकी न हम तस्दीक़ कर सकते हैं न तक्ज़ीब इसलिए कि हमारे यहाँ न तो कोई ऐसी रिवायत है जिसकी मुताबिक़त की वजह से हम उसे सहीह कह सकें न कोई ऐसी रिवायत है जो उसके मुख़ालिफ़ हो और उस बिना पर हम उसे झूठ और ग़लत कह सकें। लिहाज़ा यह तीसरी क़िस्म की रिवायात हैं जिनसे हम खामोश हैं, न उन्हें ग़लत कहें न सहीह अल्बत्ता उन्हें ज़िक्र करना जाइज़ है। और यह रिवायात हैं भी ऐसी जिनमें हमारे दीन का कोई फ़ायदा नहीं। बावजूद इसके ऐसी बातों में ख़ुद अहले किताब में भी बड़े–बड़े इख़्तिलाफ़ मौजूद हैं।

इसी वजह से इन रिवायात को लेने वाले मुफ़स्सिरीन में ऐसे ही इख़्तिलाफ़ पाये जाते हैं मस्लन अस्हाबे कहफ़ के नाम, उनके कुत्ते का रंग, उनकी गिनती, हज़रत मूसा (عليه السلام) की लकड़ी किस दरख़्त की थी? हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ने जिन परिन्दों को टुकड़े–टुकड़े कर दिया था और फिर रब तआला के हुक्म से वह जी उठे, वह परिन्दे कौन कौनसे थे? और जिस मक़्तूल को हज़रत मूसा (عليه السلام) के ज़माना में गाय ज़िब्ह करके उसके गोश्त

का एक टुकड़ा लगाया था और उससे अल्लाह तआला ने उसे ज़िन्दा कर दिया था। वह टुकड़ा कौनसा था और किस जगह का था? और वह कौनसा दरख़्त था जिस पर मूसा (अलैहि०) ने नूर देखा था और उसमें से अल्लाह तआला का कलाम सुना था? वग़ैरह वग़ैरह। पस यह वह चीज़ें हैं जिन पर अल्लाह तआला ने पर्दा डाल रखा है और हमें उनका जानना न जानना कोई नफ़ा या नुक़्सान नहीं पहुँचा सकता न उसकी तअयीन में कोई दीनी फ़ायदा है न दुनियावी। हाँ! अल्बत्ता यह बात है कि इस इख़्तिलाफ़ को नक़्ल करना जाइज़ है। या जैसा कि ख़ुद क़ुरआन ने अस्हाबे कहफ़ की गिनती का इख़्तिलाफ़ नक़्ल किया है। चुनाँचे अल्लाह फ़र्माता है, (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ) (18/कहफ़: 22) यानी "यह लोग कहते हैं कि अस्हाबे कहफ़ तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था और कहते हैं कि पाँच थे और छठा कुत्ता था। यह सब ढकोसले हैं और यह भी कहते हैं कि वह सात थे और आठवाँ उनका कुत्ता था। ऐ नबी (स.)! तुम कह दो कि उनकी गिनती को मेरा रब ही बख़ूबी जानता है। तुम उनसे इस बारे में सिर्फ़ सरसरी बातचीत करो और इस बारे में उनसे न पूछो।" यह आयत हमें बताती है कि हमें ऐसे मक़ाम पर क्या करना चाहिए। अल्लाह तआला ने यहाँ तीन क़ौल बयान किये। दो को तो ज़ईफ़ क़रार दिया और तीसरे पर ज़ुअफ़ का हुक्म नहीं लगाया। जिससे मालूम होता है कि यह सहीह है क्योंकि अगर यह भी बातिल होता तो उन दोनों की तरह उसे भी रद्द कर दिया जाता फिर साथ ही साथ यह भी इर्शाद फ़र्माया कि उनकी तअदाद का इल्म तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। फिर तुम उसकी छानबीन में क्यूँ परेशान हो, तुम यह क्यूँ नहीं कह देते कि उनकी गिनती का हक़ीक़ी इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह तआला को ही है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने उनकी सहीह तअदाद पर मुत्तलअ किया है जब यह मालूम हो चुका कि वह अटकल पच्चू बातें बना रहे हैं तो फिर उसके पीछे पड़ने से दरयाफ़्त करने की क्या ज़रूरत?

इसी तरह इन आयतों से मालूम हुआ कि किसी इख़्तिलाफ़ को नक़्ल करने का बेहतरीन तरीक़ा यही है कि तमाम इख़्तिलाफ़ी अक़्वाल बयान कर दिये जायें। सहीह ग़ैर सहीह पर तम्बीह कर दी जाये और इस इख़्तिलाफ़ का फ़ायदा भी बयान कर दिया जाए ताकि बेकार काम में पड़कर कोई शख़्स कारआमद काम से रुक न जाये। जो शख़्स इख़्तिलाफ़ नक़्ल करने में तमाम अक़्वाल बयान न करे तो यह उसका क़ुसूर है। मुम्किन है ठीक क़ौल वही हो जिसे उसने छोड़ दिया। इसी तरह जो शख़्स इख़्तिलाफ़ नक़्ल करके फ़ैसला किये बग़ैर छोड़ दे उसने भी ग़लती और तक़्सीर की। अगर ग़ैर सहीह को जान–बूझकर सहीह कह दे फिर तो वह झूठा है और अगर जिहालत से ऐसा करे तो फिर वह ख़ताकार है। इसी तरह जो शख़्स किसी ऐसी बारीक बात में जिसमें कोई बड़ा फ़ायदा न हो बहुत सारे अक़्वाले इख़्तिलाफ़ी नक़्ल कर दे या ऐसे इख़्तिलाफ़ात नक़्ल करने बैठ जाये जिनके अल्फ़ाज़ मुख़्तलिफ़ हों मगर नतीजा के ए'तिबार से या तो इख़्तिलाफ़ बिलकुल ही उठ जाता हो या यूँ ही मामूली सारा जाता हो उसने भी अपने क़ीमती वक़्त को बेकार ज़ाये किया और न करने वाला काम किया। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई शख़्स दो झूठे कपड़े पहन ले। भलाई और सीधी बात की तौफ़ीक़ तो अल्लाह तआला ही के हाथ में है।

तफ़्सीर और ताबेईन के अक़्वाल

जब किसी आयत की तफ़्सीर कुरआन, हदीस और अक़्वाले सहाबा तीनों में न मिले तो अकसर अइम्मा–ए–दीन ने कहा है कि ऐसे मौक़े पर ताबेईन की तफ़्सीर से मदद ली जाए जैसे मुजाहिद बिन जबर (रह.) (जो तफ़्सीर में बारी तआला की एक निशानी थे) जो फ़र्माते हैं कि मैंने तीन मर्तबा अव्वल से आख़िर तक हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से कुरआन सीखा और समझा। (अत् तब्रीः 1/90) एक एक आयत को पूछ पूछकर समझ–समझकर पढ़ा। इब्ने अबी मुलैका (रह.) फ़र्माते हैं ख़ुद मैंने हज़रत मुजाहिद (रह.) को देखा कि किताब क़लम दवात लेकर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि .) के पास पहुँचा करते और तफ़्सीरे कुरआन दरयाफ़्त करके तहरीर फ़र्माते। (अत् तब्रीः 1/90) पूरे कुरआने करीम की तफ़्सीर इसी तरह नक़्ल की। हज़रत सुफ़ियान सौरी (रह.) का तो फ़र्मान था कि मुजाहिद (रह.) किसी आयत की तफ्सीर कर दें तो फिर उसकी टटोल करना बेसूद है, बस उन्हीं की तफ़्सीर काफ़ी है। (अत् तब्रीः 1/90) हज़रत मुजाहिद (रह.) की तरह हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.), हज़रत इक्रिमा (रह.) जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के मौला थे, हज़रत अता बिन अबी रिबाह (रह.), हज़रत हसन बसरी (रह.), हज़रत मसरूक़ बिन अज्दअ (रह.), हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह .), हज़रत अबुल आलिया (रह.), हज़रत रबीअ बिन अनस (रह.), हज़रत क़तादा (रह.) और हज़रत ज़ह्हाक बिन मुज़ाहिम (रह.) वग़ैरह ताबेईन तबअ ताबेईन और इनके बाद वालों की तफ़्सीर मुअ्तबर मानी जायेगी।

कभी ऐसा भी होता है कि किसी आयत की तफ़्सीर में इन बुज़ुर्गों के अक़्वाल जब ज़िक्र किये जाते हैं और इनके अल्फ़ाज़ में बज़ाहिर इख़्तिलाफ़ नज़र आता है तो बेइल्म लोग इसे मअनवी इख़्तिलाफ़ समझकर कह बैठते हैं कि इस आयत की तफ़ सीर में इख़्तिलाफ़ है। हालाँकि हक़ीक़तन ऐसा नहीं होता बल्कि किसी ने एक चीज़ की तअबीर उसके लाज़िम से की, किसी ने उसकी नज़ीर से किसी ने ख़ुद उस चीज़ को ही बयान कर दिया। पस इन सूरतों में गो अल्फ़ाज़ में इख़्तिलाफ़ होता है लेकिन मअनी एक ही रहते हैं। अक़्लमन्द को चाहिए कि ऐसी जगह लग़्ज़िश न खाये वल्लाहु हादी। शुअबा बिन हज्जाज (रह.) कहते हैं कि जब ताबेईन के अक़्वाले फ़ुरूई मसाइल में हुज्जत नहीं तो तफ़्सीरे कुरआन मे कैसे हुज्जत हो जायेंगे? शुअबा (रह.) का यह क़ौल सहीह है कि उनका इख़्तिलाफ़ करने वाले पर उनके अक़्वाल हुज्जत नहीं लेकिन उनके इज्माई अक़्वाल के हुज्जत होने में कोई शक नहीं। हाँ! इख़्तिलाफ़ के वक़्त न उनका क़ौल आपस में एक–दूसरे पर हुज्जत है न ग़ैरों पर। उस वक़्त लुग़ते कुरआन और हदीस और आम लुग़ते अरब और अक़ वाले सहाबा की तरफ़ रुजूअ किया जायेगा।

तफ़्सीर बिर् राय की शरई हैसियत

हाँ! सिर्फ़ राय से तफ़्सीर करना तो महज़ हराम है। **रसूलुल्लाह (स.)** फ़र्माते हैं, **''जिसने कुरआन में अपनी राय को दख़ल दिया या जिहालत से कुछ कह दिया उसने अपनी जगह जहन्नम में बना ली।** (**तिर्मिज़ी**, अब्वाब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब मा जाअ फ़िल् लज़ी युफ़स्सिरुल कुरआन बिरायिहीः 2950; **सुननुल कुब्राः** 8085; यह रिवायत ज़ईफ़ है क्योंकि इसका मदार अब्दुल आला बिन आमिर अस्सअल्बी पर है जिसे इमाम अहमद, अबू ज़रआ वग़ैरह ने ज़ईफ़ुल हदीस क़रार दिया है। (**तह्ज़ीबुल कमालः** 4/335; रक़मः 3672) यह हदीस **इब्ने जरीर, तिर्मिज़ी** और **अबू दाऊद** में है और **इमाम तिर्मिज़ी** (रह.) ने इसे हसन कहा है। यही अल्फ़ाज़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से भी मन्कूल हैं। हज़रत जुन्दुब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.) ने फ़र्माया, ''जिसने कुरआने करीम में अपनी राय से कुछ कहा उसने ख़ता की।'' (अबूदाऊद, किताबुल इल्म, बाब अत् तशदीद फ़िल किज़्ब अला रसूलिल्लाहि (स.): 3652; तिर्मिज़ीः 6952; सुननुल कुब्रा लिन् नसाई ' 8086; इस हदीस का मदार सुहैल बिन अबी हज़म मिह्रान अल् क़त्ई पर है। जिस पर इमाम बुख़ारी, नसाई और अबू हातिम वग़ैरह ने लैस बिल क़वी के अल्फ़ाज़ से जरह की है। (तह्ज़ीबुल कमालः 3/331; रक़मः 2611) यह रिवायत सुहैल बिन अबी हज़म की वजह से ज़ईफ़ है।) इब्ने जरीर अबूदाऊद, तिर्मिज़ी और नसाई में भी यह हदीस मौजूद है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे ग़रीब कहा है और इसके रावी सुहैल पर कुछ अहले इल्म ने कलाम भी किया है। इस हदीस में यह अल्फ़ाज़ भी मरवी है कि जिसने अपनी राय से कुरआन में कोई ठीक बात भी कह दी तो फिर भी वह ख़ताकार है। (अयज़न यह रिवायत सुहैल बिन अबी हज़म की वजह से ज़ईफ़ है।) इसलिए कि उसने उस चीज़ का तकल्लुफ़ किया जिसका उसे इल्म न था और वह चाल चला जिस चाल के चलने का उसे हुक्म न था। पस अगरचे उसके मुँह से ठीक बात निकल गयी फिर भी वह ख़ताकार है इसलिए कि काम को काम के तरीक़े पर उसने नहीं किया। उसकी ऐसी ही मिसाल है जैसे कोई शख़्स बेइल्म हो फिर फ़ैसले करने बैठ जाये, उसे जहन्नमी कहा गया है। यह और बात है कि ऐसे शख़्स की सहीह बात पर मुवाख़िज़ा कम हो लेकिन है ख़ताकार। वल्लाहु आलम। देखिए तोह्मत लगाकर गवाह न पेश करने वाले को अल्लाह तआला ने कुरआन में काज़िब यानी झूठा फ़र्माया, गो हक़ीक़त मे वह सच्चा ही हो और जिसकी निस्बत वह ज़िना का इल्ज़ाम लगा रहा है वह वाक़ई ज़ानी हो लेकिन चूँकि उसे इस ख़बर को बिला शहादत फैलाना हलाल न था और उसने फैलाई तो झूठा ठहरा, वल्लाहु आलम।

तफ़्सीरे कुरआन में अस्लाफ़ का तरीक़ेकार

यही वजह थी कि सलफ़ की एक बड़ी जमाअत बिला इल्म तफ़्सीर करने से बहुत डरती थी। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) का फ़र्मान है मुझे कौनसी ज़मीन उठायेगी और कौनसा आसमान साया देगा अगर मैं कुरआन में वह कहूँ जो नहीं जानता। (फ़ज़ाइलुल कुरआन लि अबी उबैद, पेज 227; बाब 58; व सनदुहू ज़ईफ़ुन लि इन्तिक़ाअहू।) आपसे एक मर्तबा अल्लाह तआला के फ़र्मान ((وَ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا ﴿۳۱﴾ 80)/अबसः 31) की तफ़्सीर पूछी जाती है तो फ़र्माते हैं मुझे कौनसा आसमान साया देगा और कौनसी ज़मीन उठायेगी जबकि मैं कुरआन में वह कहूँ जो नहीं जानता। यह रिवायत मुन्क़तअ है। एक मर्तबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) मिम्बर पर इसी आयत की तिलावत करते हैं फिर फ़र्माते हैं (وَ فَاكِهَةً) को तो हम

जानते हैं लेकिन यह (ابًّا) क्या चीज़ है? फिर ख़ुद ही फ़र्माते हैं कि ऐ उ़मर! इस तकल्लुफ़ में क्यूँ पड़ो? (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल एअतिस़ाम, बाब मा यकरहू मिन कसरतिस् सवाल....: 7293; मुख़्तस़र बिलफ़्ज़ (नुहैना अ़नित् तकल्लुफ़) ह़ज़रत अनस (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि हम ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त़्त़ाब (रज़ि.) के पास थे आपके क़मीस़ के पीछे चार पेवन्द लगे हुए थे। आपने इस आयत ((وَّ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا 80)((ﱞ/अ़बसः 31) की तिलावत की और कहा कि (अब्ब) क्या चीज़ है? फिर फ़र्माने लगे इस तकल्लुफ़ की तुम्हें क्या ज़रूरत? उसके न जानने में क्या ह़र्ज? मत़लब यह है कि अब्ब का मअ़नी तो मालूम है यानी चारा ज़मीन की पैदावार लेकिन इसकी कैफ़ियत का खुला हुआ इ़ल्म नहीं। इसी आयत में मौजूद है (80) (فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﱛ وَّعِنَبًا/अ़बसः 27) यानी ''हमने ज़मीन में अनाज और अंगूर उगा दिये हैं।''

इब्ने जरीर में स़ह़ीह़ सनद के साथ मरवी है कि इब्ने अबी मुलैका (रह़.) फ़र्माते हैं ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से किसी शख़्स़ ने एक आयत की तफ़सीर पूछी तो आपने कुछ बयान न फ़र्माया ह़ालाँकि अगर उसकी तफ़्सीर तुममें से किसी से पूछी जाती तो फ़ौरन जवाब दे देते। दूसरी रिवायत में है कि एक शख़्स़ ने आपसे पूछा कि क़ुरआन में जो एक ह़ज़ार साल के बराबर एक दिन का ज़िक्र है यह क्या? आपने फ़र्माया, और पचास ह़ज़ार साल के बराबर के दिन का ज़िक्र है वह क्या? उसने कहा मैं तो आपसे समझना चाहता हूँ। आपने फ़र्माया, यह दो दिन हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब में किया है। उनका ह़क़ीक़ी इ़ल्म अल्लाह तआ़ला ही को है। ख़्याल रहे कि इतने बड़े मुफ़स्सिर ने क़ुरआन की तफ़्सीर में किस क़द्र एह़तियात़ से काम लिया कि जिस बात का इ़ल्म न था उसके बयान से स़ाफ़ इंकार कर दिया। तफ़्सीर इब्ने जरीर में है कि ह़ज़रत जुन्दुब बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से एक मर्तबा त़लक़ बिन ह़बीब (रह़.) ने एक आयत की तफ़्सीर पूछी तो फ़र्माने लगे कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हें क़सम है अगर तुम यहाँ से चले जाओ या फ़र्माया यहाँ बैठे रहो। ह़ज़रत सई़द बिन मुसय्यिब (रह़.) से क़ुरआन की आयत की तफ़्सीर पूछी जाती तो फ़र्माते, हम क़ुरआन में कुछ नहीं कहते। आपकी यह आ़दते मुबारिका थी कि जो कुछ मालूम होता उसी को क़ुरआन की तफ़्सीर में बयान करते। एक मर्तबा एक शख़्स़ के सवाल पर आपने फ़र्माया, मुझसे क़ुरआन की तफ़्सीर न पूछो। क़ुरआन की तफ़्सीर उससे पूछो जो कहता है कि मुझ पर क़ुरआन की कोई आयत मख़्फ़ी नहीं। यानी ह़ज़रत इ़क्रिमा, यज़ीद बिन अबू जैद कहते हैं, हम ह़ज़रत सई़द बिन मुसय्यिब (रह़.) से ह़लाल व ह़राम के मसाइल पूछते थे। आप उनमें सबसे ज़्यादा आ़लिम नज़र आते लेकिन जब क़ुरआन की किसी आयत की तफ़्सीर पूछते तो ऐसे ख़ामोश हो जाते गोया सुना ही नहीं। ह़ज़रत उ़बैदुल्लाह बिन उ़मर फ़र्माते हैं मैंने मदीना के बड़े–बड़े फ़क़ीहों को देखा कि क़ुरआन की तफ़्सीर करते हुए झिझकते थे, जैसे ह़ज़रत सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह, क़ासिम बिन मुह़म्मद, स़ई़द बिन मुसय्यिब, नाफ़ेअ़ (रह़.) वग़ैरहुम। ह़ज़रत हिशाम (रह़.) फ़र्माते हैं मैंने अपने वालिद उ़र्वा (रह़.) को कभी किसी आयत की तफ़्सीर करते हुए नहीं सुना।

उ़बेदह सलमानी (रह़.) से क़ुरआन की एक आयत की तफ़्सीर पूछी जाती है तो फ़र्माते हैं जो लोग क़ुरआन की आयतों को जानते थे कि किस बारे में नाज़िल हुई वह तो इस दुनिया को खाली कर गये अब तुम ठीक–ठाक और सीधे–साधे रहो। ह़ज़रत मुस्लिम बिन यसार (रह़.) फ़र्माते हैं जब तुम किताबुल्लाह की तफ़्सीर में कुछ कहना चाहो तो आगे पीछे देख लो क्योंकि यह अल्लाह तआ़ला की त़रफ़ निस्बत करके बात कहनी है। ह़ज़रत इब्राहीम (रह़.) फ़र्माते हैं हमारे सब साथी क़ुरआन की तफ़्सीर को बड़ी चीज़ जानते थे और

उसमें सख़्त एहतियात़ करते थे। शअबी (रह़.) फ़र्माते हैं गो मैंने कुरआने करीम की एक आयत का इल्म ह़ासिल कर लिया है ताहम मैं यह कहते हुए झिझकता हूँ इसलिए कि यह अल्लाह तआला से रिवायत करना है। ह़ज़रत मसरूक़ (रह़.) का क़ौल है कि तफ़्सीर में बेह़द एह़तियात़ करो। तफ़्सीर तो अल्लाह तआला से रिवायत करना है। इन तमाम और इन जैसे और आसारे स़ह़ीह़ा जो अइम्मा-सलफ़ से मन्क़ूल हैं यह मत़लब है कि यह उ़लेम-ए-किराम हर्गिज़-हर्गिज़ बग़ैर इल्म के कुरआन के मअनी मत़लब में लबकुशाई नहीं करते थे। हाँ! लुग़त की रू से या शरीअ़त की रू से जो तफ़्सीर मालूम हो उसको बयान करने में कोई ह़र्ज नहीं। इसीलिए ख़ुद इन बुज़ुर्गों के पाकीज़ा अक़्वाल कुरआने करीम की तफ़्सीर में बकसरत मरवी हैं। कोई यह न कहे कि जब यह बुज़ुर्ग इस त़रह़ काँपते रहा करते थे और तफ़्सीर बयान नहीं फ़र्माते थे फिर इनसे तफ़्सीर मन्क़ूल क्यूँ है? जवाब इसका यह है कि चुप वहाँ रहते थे जहाँ नहीं जानते थे और कहते उस जगह थे जहाँ का इल्म होता था। और यह दोनों ही बातें हर एक पर वाजिब हैं। चुनाँचे बेइल्मी के वक़्त चुप रहने और इल्म को बयान करने के बारे में। कुरआन फ़र्माता है, (لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُمُونَهُ) (3/आले इमरानः 187) या'नी " इसे लोगों के सामने बयाने करते रहो और छुपाओ नहीं।"

ह़दीस़ शरीफ़ में हैः "**जिससे कोई मसला पूछा जाए और वह बावजूद जानने के उसे छुपाए, क़यामत के दिन उसे आग की लगाम चढ़ाई जाएगी।**" (अबू दाऊद, किताबुल इल्म, बाब कराहयतु मनइल इल्मः 3658; तिर्मिज़ीः 2649; इब्ने माजाः 761, 266; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे स़ह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (स़ह़ीह़ अत् तर्ग़ीबः 120) इसकी सनद ह़सन है।) इब्ने जरीर मे ह़दीस है कि रसूलुल्लाह (स.) कुरआन की उन ही आयात की तफ़्सीर फ़र्माया करते थे जिनकी तफ़्सीर जिब्रईल (अ़.) समझा जाते लेकिन यह ह़दीस़ मुंकर और ग़रीब है और इसके रावी जअफ़र (जो मुह़म्मद बिन ख़ालिद बिन ज़ुबैर बिन अ़व्वाम क़ुरैशी के लड़के हैं) इनकी बाबत ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) फ़र्माते हैं कि इनकी ह़दीस में मुताबिअ़त नहीं की जाती। ह़ाफ़िज़ अबुल फ़तह़ अज़्दी (रह़.) फ़र्माते हैं यह मुंकरुल ह़दीस हैं। अगर यह ह़दीस स़ह़ीह़ हो तो भी इसका स़ह़ीह़ मत़लब यह हो सकता है कि इससे मुराद वह आयतें हैं जिनके मअ़नी अल्लाह तआला के बताए बग़ैर मालूम नहीं हो सकते। ऐसी आयात के मत़लब ह़ुज़ूर (स.) को बज़रिये जिब्रईल (अ़.) मालूम करा दिये जाते थे। इमाम जअ़फ़र (रह़.) ने इस रिवायत के जो मअ़नी बयान किये हैं उसका माह़स़ल भी यही है और यही मअ़नी स़ह़ीह़ भी बैठ सकते हैं। इसलिए कि कुरआन में ऐसी आयतें भी हैं जिनका इल्म मह़ज़ अल्लाह तआला ही को है। और ऐसी आयतें भी हैं जिनका इल्म उ़लेमा को है और ऐसी आयतें भी हैं कि जिनके मअ़नी और मत़लब इस त़रह़ वाज़ेह़ हैं कि किसी का कोई उ़ज़्र बाक़ी नहीं रहता।

तफ़्सीर की अक़्साम

ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, "तफ़्सीर की चार क़िस्में हैं –

1.कलामे अ़रब से मालूम हो जाती है।
2.जिसकी जिहालत में कोई मअ़ज़ूर नहीं।
3.जिसे ज़ी इल्म लोग जान सकते हैं।
4.जिसे अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता।"

एक मरफ़ूअ हदीस भी इस बारे में मरवी है लेकिन इसकी इस्नाद में कलाम है। इसमें है कि हुज़ूर (स.) ने फ़र्माया कि, "क़ुरआन का नुज़ूल चार तरीक़ पर हुआ है। (1) हलाल व हराम की आयात जिनसे अगर कोई नावाक़िफ़ रहा तो उसका कोई उज़्र क़यामत के दिन काम न आयेगा। (2) जिसे अरब बयान करें। (3) जो ज़ी इल्म जान सके। (4) मुतशाबेह आयात जिनका हक़ीक़ी इल्म बजुज़ ज़ाते बारी तआला के किसी और को हासिल नहीं जो लोग उसके जानने का दावा करते हैं वह झूठे हैं।" इस हदीस की सनद में मुहम्मद बिन साइब कल्बी हैं वह मत्रूकुल हदीस हैं, हो सकता है कि उन्होंने मौक़ूफ़ रिवायत यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के क़ौल को मरफ़ूअ हदीस समझ लिया हो। वल्लाहु आलम!

कुरआने करीम के बारे में चंद मालूमात

हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं: सूरह बक़रह, सूरह आले इमरान, सूरह निसाअ, सूरह माइदह, सूरह बराअत, सूरह रअद, सूरह नहल, सूरह हज्ज, सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, सूरह मुहम्मद, सूरह हुजुरात, सूरह रहमान, सूरह हदीद, सूरह मुजादला, सुरह हश्र, सूरह मुम्तहिना, सूरह सफ़्फ़, सूरह जुमुआ, सूरह मुनाफ़िक़ून, सूरह तग़ाबुन, सूरह तलाक़, सूरह तहरीम, सूरह ज़िलज़ाल और सूरह नस्र, यह सब सूरतें तो मदीना मुनव्वरह में नाज़िल हुईं और बाक़ी तमाम सूरतें मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुईं। कुरआने करीम की आयतें छः हज़ार हैं। इससे ऊपर इख़्तिलाफ़ है। कुछ तो इस पर ज़्यादा नहीं बताते। कुछ दो सौ चार आयतें छः हज़ार से ज़ाइद बताते हैं। कुछ दो सौ चौदह आयतें। कुछ दो सौ उन्नीस। कुछ दो सौ पच्चीस। कुछ दो सौ छब्बीस।

कुरआन शरीफ़ के कलिमात की निस्बत हज़रत अता बिन यसार (रह.) फ़र्माते हैं कि सत्तर हज़ार चार सौ उन्तालीस कलिमात हैं। हुरूफ़ की गिनती की निस्बत हज़रत मुजाहिद (रह.) से मरवी है कि कुल कुरआन शरीफ़ के हुरूफ़ तीन लाख इक्कीस हज़ार एक सौ अस्सी हैं। फ़ज़्ल बिन अता बिन यसार (रह.) फ़र्माते हैं कि कुल हुरूफ़ तीन लाख तैंतीस हज़ार पन्द्रह हैं। हज्जाज ने अपने ज़माने में क़ारियों, हाफ़िज़ों और कातिबों को जमा करके पूछा कि कुरआने करीम के हुरूफ़ की गिनती करके मुझे बताओ तो सबने हिसाब करके बिल इत्तिफ़ाक़ कहा कि तीन लाख चालीस हज़ार सात सौ चालीस हुरूफ़ हैं। फिर हज्जाज ने कहा अच्छा हुरूफ़ के ए'तिबार से आधा कुरआन शरीफ़ कहाँ होता है? तो हिसाब से मालूम हुआ कि सूरह कहफ़ के (वल् यतलत्तफ़) (18/कहफ़: 19) की 'फ़' पर ठीक आधा कुरआन होता है।

और सूरह बराअत की सौ आयतों पर कुरआने-करीम का पहला तिहाई हिस्सा हुरूफ़ के ए'तिबार से ख़त्म होता है। और दूसरी तिहाई सूरह शुअरा की सौ आयत के सिरे पर या एक सौ एक आयत के सिरे पर खत्म होती है और तीसरी तिहाई आख़िर तक और अगर मंज़िलों का शुमार किया जाए यानी कुरआन करीम को सात मंज़िलों पर तक़्सीम किया जाए तो पहली मंजिल (صَدَّ) की 'द' पर ख़त्म होती है जो इस आयत में है (فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ/निसाअ: 55) और दूसरी मंज़िल (हबित्तत) की 'त' पर ख़त्म होती है जो सूरह अअराफ़ की आयत (उलाएका हबित्तत) में है और तीसरी मंज़िल (उकुलुहा) के आख़िरी 'अलिफ़' पर जो सूरह रअद में है और चौथी मंज़िल (जहलना) के 'अलिफ़' पर जो सूरह हज्ज की आयत (जअलना मनसका) में है और पाँचवीं मंज़िल (مُؤْمِنَةٍ) की 'ह' पर जो सूरह अहज़ाब में आयत (وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ

33) (لَا مُؤْمِنَةٍ/अहज़ाब: 36) में है और छठी मंज़िल (السُّوْءِ) की 'व' पर जो सूरह फ़तह की आयत (48) (الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ/फ़तह: 6) में है और सातवीं मंज़िल क़ुरआन के इख़्तिताम पर है।

अबू मुहम्मद सलाम हिमानी (रह.) का बयान है कि हमने चारमहीने की मुतवातिर मेहनत से यह सब बातें मालूम करके हज्जाज को बताईं। हज्जाज का मअमूल था कि हर रात पाव क़ुरआन शरीफ़ पढ़ा करता था। इस लिहाज़ से पाव क़ुरआन सूरह अन्आम के ख़ात्मे पर होता है और आधा सूरह कहफ़ के लफ़्ज़ (वल् यतलत्तफ़) के 'त' पर और पौन सूरह ज़ुमर के ख़ात्मे पर और पूरा इख़्तिताम क़ुरआन पर। शैख़ अबू अम्र दानी ने अपनी किताबुल बयान में इन बातों में भी इख़्तिलाफ़ नक़्ल किया है। रहे क़ुरआन शरीफ़ के पढ़ने के ए'तिबार से हिस्से और अजज़ा तो मशहूर तो तीस पारे हैं और एक हदीस में सहाबा किराम (रज़ि.) का क़ुरआने-करीम को सात मंज़िलें करके पढ़ने का बयान है।

मुस्नद अहमद, सुनन अबू दाऊद और इब्ने माजा में है कि हुज़ूर (स.) की हयात में सहाबा (रज़ि.) से पूछा गया कि आप क़ुरआन के वज़ीफ़े किस तरह करते हैं? तो फ़र्माया कि पहली तीन सूरतों की पहली मंज़िल। फिर उनके बाद की पाँच सूरतों की दूसरी मंज़िल। फिर उनके बाद की सात सूरतों की तीसरी मंज़िल। फिर उनके बाद की नौ सूरतों की चौथी मंज़िल। फिर उनके बाद की ग्यारह सूरतों की पाँचवीं मंज़िल। फिर उनके बाद की तैरह सूरतों की छठी मंज़िल। और मुफ़स्सल की यानी सूरह (क़ाफ़) से लेकर आख़िर तक की एकए (यानी सातवीं) मंज़िल। (अबू दाऊद, किताब शहरु रमज़ान, बाब तहज़ीबुल क़ुरआन: 1393; इब्ने माजा: 1345; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अबू दाऊद: 297) यह रिवायत इस वजह से ज़ईफ़ है कि उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन औस की अपने दादा से मुलाक़ात में नज़र है लिहाज़ा सनद मुन्क़तअ है।)

सूरत के लग़वी मआनी:

सूरत की लफ़्ज़ी बहस के बयान मे कुछ तो कहते हैं कि इसके मअनी अलेहिदगी व बुलंदी के हैं। चुनाँचे नाबिग़ा के एक शेर में सूरत का लफ़्ज़ इस मअनी में आया है तो इसका मअनी क़ुरआन की सूरतों के साथ इस तरह होगा कि गोया क़ुरआन का पढ़ने वाला एक मंज़िल से दूसरी मंज़िल की तरफ़ जाता रहता है और यह भी कहा गया है कि यह शराफ़त और ऊँचाई के मअनी मे है। इसीलिए शहरे पनाह को अरबी में (सूर) कहते हैं। और कुछ कहते हैं कि बर्तन में जो हिस्सा बाक़ी रह जाए उसे अरबी में (इसारत) कहते हैं और सूरत का लफ़्ज़ उसी से लिया गया है चूँकि सूरत भी क़ुरआन का एक हिस्सा और टुकड़ा होती है। हम्ज़ा की तख़्फ़ीफ़ कर दी गयी, फिर हम्ज़ा को 'व' से बदल दिया गया। एक क़ौल यह भी है कि सूरत के मअनी तमाम व कमाल के हैं। पूरी ऊँटनी को अरबी ज़ुबान में (सूरत) कहते हैं। और यह भी मुम्किन है कि जिस तरह क़िला को अरबी में इसलिए सूर कहते हैं कि महलो और घरों का एहाता कर लेता है और उन्हें जमा कर लेता है। उसी तरह चूँकि आयतों को सूरत जमा कर लेती है और उनका एहाता कर लेती है उसको भी सूरह कहते हैं। सूरत की जमा (सुवर) आती है और कभी (सूरातुन) और (सुवारातुन) भी आती है।

आयत के लग़्वी मअ़नी

आयत को आयत इस वजह से कहते हैं कि आयत के लफ़्ज़ी मअ़नी अ़लामत और निशानी के हैं। चूँकि आयत पर कलाम ख़त्म होता है और अव्वल, आख़िर से जुदा हो जाता है इसलिए इसे आयत कहते हैं। क़ुरआन में भी आयत अ़लामत और निशान के मअ़नी में है। इर्शाद है "**उसके बादशाह होने की निशानी और अ़लामत।**" इसी त़रह़ नाबिग़ा के शेअ़र में भी आयत इसी मअ़नी में है और आयत के मअ़नी जमाअ़त और गिरोह के भी आते हैं। अ़रब के शेअ़रों में यह लफ़्ज़ इस मअ़नी मे भी आया है चूँकि आयत भी हुरूफ़ की एक जमाअ़त और गिरोह है इस रिआ़यत से इसे भी आयत कहते हैं और आयत के मअ़नी अ़जब के भी हैं। चूँकि यह अ़जीब चीज़ है, मुअ़जिज़ा है, तमाम इंसान इस जैसी बात नहीं कह सकते। इसलिए भी इसे आयत कहते हैं। सीबवेह कहते हैं कि अस़ल मे यह (अ य यतुन) था जैसे (अकमतुन) और (शजरतुन पहली 'य' अ़रबी के क़ायदे के मुत़ाबिक़ अलिफ़ बन गयी। कुसाई का क़ौल है कि आयत की अस़ल (आयियतुन) थी जैसे (आमिनतुन) य अलिफ़ हो गयी और इल्तिबास की वजह से गिर गयी। फ़ुराअ कहते हैं कि यह अस़ल में (अय्यतुन) था फिर तशदीद की वजह से अलिफ़ बदल दिया गया (आयतुन) हो गया। आयत की जमा (अय्युन, अयायुन और आयातुन) आती है।

कलिमा की तशरीह़: कलिमा कहते हैं एक लफ़्ज़ को, कभी तो इसके दो ही हुरूफ़ होते हैं जैसे (मा) और (ला) और (लहू) वग़ैरह और कभी ज़्यादा भी होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दस हुरूफ़ एक कलिमा में होते हैं जैसे (लयस्तख़्लिफ़न्नहुम्) और (अनुल्ज़िमुकुमुहा) और (फ़अस्क़ैनाकुमूहु) और कभी एक ही कलिमा की एक आयत होती है जैसे (वल् फ़ज्र) और (वज़् ज़ुह़ा) और (वल् अ़स्र) और इसी त़रह़ (अलिफ़ लाम मीम) और (त़ाहा) और (यासीन) और (ह़ामीम) कूफ़ियों के क़ौल हैं और (ह़ामीम एन सीन क़ाफ़) उनके नज़दीक दो हैं और उनके सिवा और लोग कहते हैं कि यह कलिमे नहीं बल्कि सूरतों के शुरू हैं। अबू अ़म्र दानी फ़र्माते हैं कि एक कलिमा की आयत क़ुरआने करीम में सिवाए (मुद्हाम्मतान) के जो सूरह रह़मान में है और कोई नहीं।

क़ुर्तुबी (रह़.) फ़र्माते हैं कि अ़रबी ज़ुबान के सिवा अ़ज्मी तर्कीब तो क़ुरआन में है ही नहीं अल्बत्ता कुछ अ़ज्मी नाम हैं जैसे इब्राहीम, नूह़, लूत़, और इख़्तिलाफ़ किया है कि क्या क़ुरआन में इसके सिवा भी कुछ अ़ज्मी है? तो बाक़लानी और त़िब्री ने तो स़ाफ़ इंकार कर दिया है और कह दिया है कि अ़ज्मियत के मुत़ाबिक़ जो है वह ह़क़ीक़त में अ़रबी ही है लेकिन मुवाफ़िक़त है।

सूरह फ़ातिहा

سُورَةُ الفَاتِحَةِ

ख़ुलासा सूरह फ़ातिहा

क़ाबिले तारीफ़ तू है मेरे रब्बुल आलमीन।
तू है रहमानो रहीम मालिके यौमे जज़ा।।
हम तुझ ही को पूजते हैं, तू ही एक माबूद है।
हम मदद चाहते नहीं हर्गिज़ कभी तेरे सिवा।।
रास्ता सीधा दिखा, इन्आम कर हम पर मदाम।
उम्मते अहमद (ﷺ) में दे हमको बहुत दर्जा बड़ा।।

FLOW CHART
तरतीबी नक्श-ए- रब्त

MACRO-STRUCTURE
नज़्मे जली

सूरह फ़ातिहा

मक्की

आयात :7 पैराग्राफ़ :4

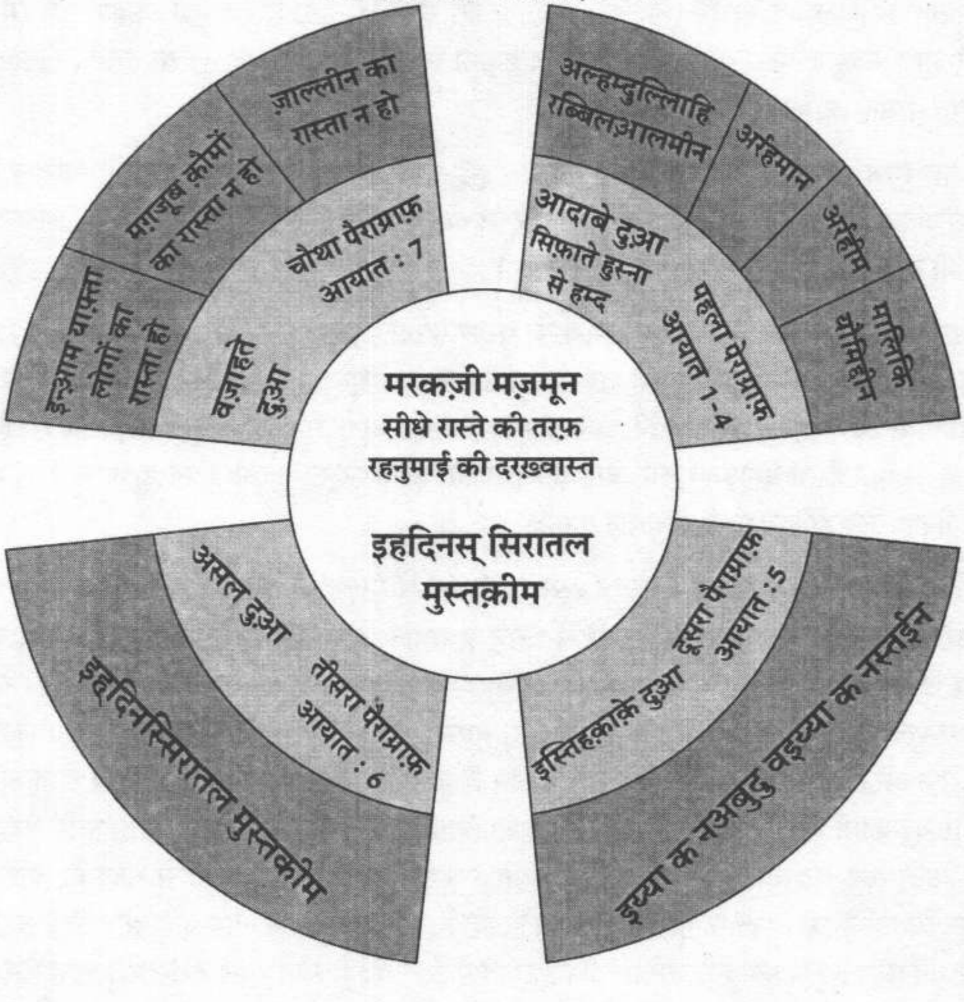

ज़मानए नुज़ूलः

सूरह (फ़ातिहा) पहली मुकम्मल सूरह है जो रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम) पर मक्का मुकर्रमा में दावत के इब्तिदाई ख़ुफ़िया दौर में नाज़िल की गई है। इससे पहले सूरह (अल अलक़, सूरह मुद्दस्सिर और सूरह मुज़म्मिल) की चन्द इब्तिदाई आयात नाज़िल हुई थी।

फातिहा

फातिहा : फ़ातिहा आग़ाज़ या शुरुआत करने वाली को कहते हैं। जो चीज़ किसी मज़्मून या किताब की शुरुआत या आग़ाज़ या इफ़्तिताह करती है उसे फ़ातिहा कहते हैं। चूँकि सूरह क़ुरआन मजीद की पहली सूरत है और क़ुरआन की तिलावत या किताबत का आग़ाज़ इस सूरत से होता है लिहाज़ा इसका नाम रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूरह फ़ातिहा रखा। यह सूरत क़ुरआनुल हकीम का दीबाचा (Preface) या तम्हीद (Preamble) है। इस सूरत में सात आयात हैं।

यह सूरत मक्की है और बिअसते नबवी (ﷺ) के बिलकुल इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई। यह क़ुरआन मजीद की पहली सूरत थी जो मुकम्मल तौर पर एक ही बार नाज़िल की गई। यह सूरत इस्लाम के शुरू ज़माने से ही नमाज़ का हिस्सा रही है।

यह सूरतुस्सलात इसलिए है कि नमाज़ में इसका पढ़ना फ़र्ज़ है। उबादा बिन सामित (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपनी नमाज़ में सूरतुल फ़ातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज़ ही नहीं होती। गोया कि नमाज़ के सहीह होने की शर्त सूरह फ़ातिहा का पढ़ना है। यह सूरत सब्अे मसानी है क्योंकि इसकी सात आयात हैं जो नमाज़ में बार-बार दोहराई जाती है। यह सूरत क़ुरआन का ख़ुलासा है। क़ुरआन के सब मज़ामीन इसमें बड़ी ख़ुबसूरती से बयान कर दिए गए हैं।

मतन और मौज़ूअ : इस सूरत के पच्चीस (25) कलिमात और एक सौ तेरह (113) हुरूफ़ हैं। इसकी कुल सात आयात हैं। इतनी मुख़्तसर सूरत में इतने बड़े बड़े मज़ामीन, बहुत ख़ूबसूरती के साथ ही प्यारी ज़ुबान में बयान कर दिया गया है। इस सूरत की पहली दो आयात में अल्लाह तआला की तारीफ़ बयान की गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वह रहमानो रहीम है। तीसरी आयत में इसका ऐतिराफ़ है कि रोज़े जज़ा का मालिक सिर्फ़ अल्लाह तआला ही है। क़यामत के दिन सिर्फ़ वही अकेला इंसानों का हिसाब लेगा और उनके अच्छे और बुरे कामों के मुताबिक़ उन्हें जज़ा या सज़ा देगा। चौथी आयत में लोगों की तरफ़ से इस एहद का ऐलान है कि ऐ रब्बुल इज़्ज़त! हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से मदद के तलबगार हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ही एक अकेला इलाह है। वही इबादत के लायक़ है और सिर्फ़ वही क़ादिर है। हर एक की मदद कर सकता है। आख़िरी तीन आयात में अल्लाह से सीधे रास्ते के लिए दुआ है जिसके लिए अल्लाह ने अम्बिया (عليهم السلام) और किताबें भेजीं।

बिस्मिल्लाहिर्रह मानिर्रहीम

''शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।''

तफ़्सीर सूरह फ़ातिहा

सूरह फ़ातिहा के दीगर नाम

इस सूरत का नाम सूरह फ़ातिहा है। फ़ातिहा कहते हैं शुरू करने को चूँकि क़ुरआने करीम में सबसे पहले यही सूरत लिखी है इसलिए इसे सूरह फ़ातिहा कहते हैं और इसलिए भी कि नमाज़ में क़िराअत भी इसी से शुरू होती है। इसी का नाम (उम्मुल किताब) भी है। जुम्हूर यही कहते हैं अल्बत्ता हसन और इब्ने सीरीन (रह.) इसके क़ाइल नहीं। वह कहते हैं कि लौहे महफ़ूज़ का नाम 'उम्मुल किताब' है और हसन (रह.) का क़ौल है कि आयात को 'उम्मुल किताब' कहते हैं। तिर्मिज़ी की एक सहीह हदीस में है कि रसूलुल्लाह (स.) ने फ़र्माया, (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۝) पूरी सूरत तक, यही सूरत 'उम्मुल क़ुरआन' है **'उम्मुल किताब'** है, **'सब्अे मसानी'** है और **'क़ुरआने अज़ीम'** है। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब फ़ातिहतुल किताबः 1457; तिर्मिज़ीः 3124; सहीह बुख़ारी बलफ़्ज़ (उम्मुल क़ुरआन हियस् सब्उल मसानी वल् क़ुरआनुल अज़ीम) किताबुत् तफ़्सीर तफ़्सीर सूरतुल हिज्रः 4704; देखिए (सहीह तिर्मिज़ीः 2498) इस सूरत का नाम 'सूरह अल्हम्द' और 'सूरतुस्सलात' भी है। आँहज़रत (स.) फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है, मैंने सलात को (यानी सूरह फ़ातिहा को) अपने और अपने बन्दे के दरम्यान आधा-आध तक़्सीम कर दिया है। जब बन्दा कहता है (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۝) तो अल्लाह तआला फ़र्माता है कि मेरे बन्दे ने मेरी तअरीफ़ की पूरी हदीस तक। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब वुजूबु क़िराअतिल फ़ातिहा.....: 395; अबू दाऊदः 821; तिर्मिज़ीः 2953; नसाईः 910; इब्ने माजाः 838) इस हदीस से मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा का नाम सूरतुस्सलात भी है। इसलिए कि इस सूरत का नमाज़ में पढ़ना शर्त है। इस सूरत का नाम सूरतुश् शिफ़ा भी है। दारमी में हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से मरफ़ूअन रिवायत है कि सूरह फ़ातिहा हर ज़हर के लिए शिफ़ा है और इसका नाम 'सूरतुर् रुक़्या' भी है। (इमाम दारमी ने इसे मुस्नदन बयान नहीं किया इसमें रिवायतः 3370((फ़ातिहतुल किताब शिफ़ाउम मिन कुल्लि दाइन) अब्दुल मलिक बिन उमैर से मुर्सल है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने ज़ईफ़ुल जामेअ 4/88 में इसे नक़्ल किया है। मुसन्नफ़ के सियाक़ के मुवाफ़िक़ रिवायत बैहक़ी की शुअबुल ईमानः2368 मे मन्क़ूल है। जिसमे ज़ैदुल उम्मी रावी कमज़ोर है इसके शवाहिद के लिए देखिए अद् दुर्रुल मन्सूरः 1/22–23; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे मौज़ूअ क़रार दिया है। देखिए (अस्सिल्सिलतुज़् ज़ईफ़हः 3997) और यही राजेह है।)

हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने जब साँप के काटे हुए शख़्स पर इस सूरत को पढ़कर दम किया और वह अच्छा हो गया तो हुज़ूर (स.) ने फ़र्माया था तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि यह रुक़्या है यानी पढ़कर फूँकने की सूरत है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इजारह, बाब मा यअ्ती फ़िर् रुक़्या.....: 2276; सहीह मुस्लिमः 2201) इब्ने अब्बास (रज़ि.) इसे 'असासुल क़ुरआन' कहते थे यानी क़ुरआन की जड़, और इस सूरत की पहली आयत (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) है। सुफ़ियान बिन उयेयना (रह.) फ़र्माते हैं इसका नाम **'रुक़्या'** है। यहया बिन कसीर (रह.) कहते हैं कि इसका नाम 'काफ़िया' भी है इसलिए कि यह अपने मासिवा से किफ़ायत करती है और

दूसरी कोई सूरत इस सूरत से किफ़ायत नहीं करती। (हाफ़िज़ ज़हबी ने मुहम्मद बिन ख़ल्लाद इस्कन्दरानी के तर्जुमा मे नक़्ल किया है। और फ़र्माया यह उबादह से बयान करने में मुंफ़रिद और ग़ैर मअ़रूफ़ है। इमाम दारे कुत्नी फ़र्माते हैं, कि इब्ने ख़ल्लाद का यह तफ़र्रुद है इमाम जुहरी से महफ़ूज़ सनद से हदीस इस तरह है (ला तज्ज़ी सलातु ला युक़रउ फ़ीहा बिउम्मिल कुरआन) मुहद्दिस अबू सईद बिन यूनुस फ़र्माते हैं, कि इब्ने ख़ल्लाद मनाकीर बयान करने वाला है। और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (इरवाउल ग़लीलः 2/11) कुछ मुर्सल अहादीस में भी यह मज़्मून आया है कि इसे सूरतुस् सलात और सूरतुल कंज़ भी कहा गया है, ज़मख़्शरी (रह.) की तफ़्सीर कश्शाफ़ देखिए। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) क़तादा और अबुल आ़लिया (रह.) फ़र्माते हैं कि यह सूरत मक्की है। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.), मुजाहिद, अ़ता बिन यसार और ज़ुहरी (रह.) फ़र्माते हैं, यह सूरत मदनी है। और यह भी एक क़ौल है कि यह सूरत दो मर्तबा नाज़िल हुई। एक मर्तबा मक्का में और दोबारा मदीना में। लेकिन पहला क़ौल ही ज़्यादा ठीक है इसलिए दूसरी आयत में है (وَ لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ/अल हिज्रः 87) 15) यानी हमने तुम्हे सब्अ़े मसानी सात आयतें दुहराई जाने वाली दी हैं, वल्लाहु आ़लम!

अबुल लैस समरक़न्दी (रह.) का एक क़ौल कुर्तुबी (रह) ने यह भी नक़्ल किया है कि इस सूरत का आधा तो मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुआ और आख़िरी आधा हिस्सा मदीना मुनव्वरह में नाज़िल हुआ, लेकिन यह क़ौल बिलकुल ग़रीब है। इसकी आयात के बारे में इत्तिफ़ाक़ है कि सात हैं। लेकिन अ़म्र बिन उ़बैद ने आठ और हुसैन जअ़फ़री ने छः भी कही हैं, और यह दोनों क़ौल शाज़ हैं।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस सूरत की मुस्तक़िल आयत है या नहीं इसमें इख़्तिलाफ़ है। तमाम कूफ़ी क़ारी और सहाबा (रज़ि.) और ताबेईन (रह.) की एक जमाअ़त और साबिक़ा बहुत सारे बुज़ुर्ग तो इसे सूरह फ़ातिहा की एक पूरी और मुस्तक़िल आयत कहते हैं। कुछ इसे इसका जुज़ मानते हैं और कुछ सिरे से इस आयत को इसके शुरू में मानते ही नहीं। जैसे कि मदीना के क़ारियों और फ़क़ीहों के यह तीनों क़ौल हैं। इसकी तफ़सील इंशाअल्लाह आगे आयेगी।

इस सूरत के कलिमात पच्चीस हैं और हुरूफ़ एक सौ तेरह हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) किताबुत् तफ़्सीर के शुरू में सहीह बुख़ारी में लिखते हैं उम्मुल किताब इस सूरत का नाम इसलिए है कि कुरआने करीम की किताबत इसी से शुरू होती है और नमाज़ की क़िराअत भी इसी से शुरू होती है। एक क़ौल यह भी है कि चूँकि तमाम कुरआन के मज़ामीन इज्माली तौर पर इसमें हैं इसलिए इसका नाम उम्मुल किताब है और अ़रब की आ़दत है कि हर एक जामेअ़ काम और काम की जड़ को जिसकी शाख़ें और हिस्से उसी के ताबेअ़ हों उम्म कहते हैं। देखिए उम्मुर्रास वह उस जिल्द को कहते हैं जो दिमाग़ की जामेअ़ है। और लश्करी झण्डे और निशान को भी जिसके नीचे लोग जमा होते हैं उम्म कहते हैं। शायरों के शेअ़रों में भी इसका सबूत पाया जाता है। मक्का को उम्मुल कुरा कहने की भी यही वजह है कि वह सबसे पहले है और सबका जामेअ़ है। ज़मीन वहीं से फैलायी गयी है चूँकि इससे नमाज़ की क़िराअत शुरू होती है और कुरआन के लिखने के वक़्त भी सहाबा ने इसी को पहले लिखा इसलिए इसे फ़ातिहा भी कहते हैं। इसका एक सहीह नाम 'सब्उ़ल मसानी' भी है। इसलिए कि वह बार-बार नमाज़ मे पढ़ी जाती है हर रकअ़त में इसे पढ़ा जाता है। और मसानी के मअ़नी और भी हैं जो इंशाअल्लाह तआ़ला अपनी जगह बयान होंगे। वल्लाहु आ़लम!

मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.) ने उम्मुल क़ुरआन के बारे में फ़र्माया, "यह उम्मुल क़ुरआन है यही सब्उल मसानी है और यही क़ुरआने अज़ीम है।" (अहमदः 2/448; व सनदुहू सहीह, इसकी असल सहीह बुख़ारी 4704 में मौजूद है।) एक और हदीस में है, "यही उम्मुल क़ुरआन है यही फ़ातिहतुल किताब है और यही सब्उल मसानी है।" (अत् तब्रीः 134) तफ़्सीर मर्दवे में है कि हुज़ूर (स.) ने फ़र्माया, (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝) की सात आयात हैं (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) भी इनमे से एक आयत है इसी का नाम **सब्उल मसानी** है यही क़ुरआने अज़ीम है यही उम्मुल किताब है, यही फ़ातिहतुल किताब है।" (दारे क़ुत्नी बाब वजूबु क़िराअत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़िस्सलाति....... 1/312; हः 1177; वहुव सहीह और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस सनद को मरफ़ूअन सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् सहीहः 1183) दारे क़ुत्नी में भी इसी तरह की एक हदीस है और बक़ौले इमाम दारे क़ुत्नी (रह.) इसके सब रावी सिक़ह हैं। बैहक़ी में है कि हज़रत अली, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने सब्उल मसानी की तफ़्सीर में यही कहा कि वह सूरह फ़ातिहा है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी सातवीं आयत है और बिस्मिल्लाह की बहस में यह बयान पूरा आयेगा। इंशाअल्लाह तआला।

हजरत इब्ने मसऊद (रज़ि.) से कहा गया कि आपने सूरह फ़ातिहा को अपने लिखे हुए क़ुरआन शरीफ़ के शुरू में क्यूँ नहीं लिखा? तो कहा अगर मैं लिखता तो फिर हर सूरत के पहले इसको लिखता। अबूबक्र बिन अबू दाऊद (रह.) फ़र्माते हैं इस क़ौल का मतलब यह है कि नमाज़ मे पढ़े जाने की हैसियत से और चूँकि तमाम मुसलमानों को हिफ़्ज़ है इसलिए लिखने की चंदाँ ज़रूरत नहीं। दलाइलुन्नबुव्वा में इमाम बैहक़ी (रह.) ने एक हदीस वारिद की है जिसमे है कि यह सूरत सबसे पहले नाज़िल हुई। बाक़लानी (रह.) ने नक़्ल किया है कि एक क़ौल यह है कि सूरह फ़ातिहा सबसे पहले नाज़िल हुई। दूसरा क़ौल यह है कि (जअह) सबसे पहले नाज़िल हुई जैसाकि सहीह हदीस में हज़रत जाबिर (रज़ि.) से मरवी है और तीसरा क़ौल यह है कि सबसे पहले (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) नाज़िल हुई और यही सहीह है। इसकी तफ़्सील आगे आयेगी, इंशाअल्लाह!

सूरह फ़ातिहा के फ़ज़ाइलः मुस्नद अहमद में हज़रत अबू सईद बिन मुअला (रज़ि.) से मरवी है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था और रसूलुल्लाह (स.) ने मुझे बुलाया, मैंने कोई जवाब न दिया। जब नमाज़ से फ़ारिग़ होकर मैं हुज़ूर (स.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (स.) ने फ़र्माया, "अब तक किस काम में थे?" मैंने कहा, हुज़ूर (स.)! मैं नमाज़ में था। आप (स.) ने फ़र्माया, "क्या अल्लाह तआला का यह फ़र्मान तुमने नहीं सुना? (8) (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ/अन्फ़ालः 24) "ऐ ईमानवालो! अल्लाह के रसूल जब तुम्हें पुकारें तुम जवाब दो...." अच्छा सुनो! मैं तुम्हें मस्जिद से जाने से पहले ही बतला दूँगा कि क़ुरआन मजीद मे सबसे बड़ी सूरत कौनसी है? फिर मेरा हाथ पकड़े हुए जब आप (स.) ने मस्जिद से जाने का इरादा किया तो मैंने आप (स.) को वादा याद दिलाया। आप (स.) ने फ़र्माया, वह सूरत (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝) है, यही सब्उल मसानी है और यही वह क़ुरआने अज़ीम है जो मैं दिया गया हूँ।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तफ़्सीर, बाब मा जाअ फ़ी फ़ातिहतिल किताबः 4703–4474; अबूदाऊदः 1458; नसाईः 914; इब्ने माजाः 3785; मौता इमाम मालिकः 37) इसी तरह यह रिवायत सहीह बुख़ारी, अबूदाऊद, नसाई और इब्ने माजा में भी दूसरी सनदों के साथ है।

वाक़दी ने यह वाक़िया हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) का बयान किया हैं। मौता इमाम मालिक में है कि रसूलुल्लाह (स.) ने हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) को आवाज़ दी। वह नमाज़ में थे। फ़ारिग़ होकर आपसे मिले। फ़र्माते हैं कि आप (स.) ने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा। मस्जिद से बाहर निकल ही रहे थे तो फ़र्माया, ''मैं चाहता हूँ कि मस्जिद से निकलने से पहले मैं तुम्हे ऐसी सूरत बताऊँ कि तौरात, इंजील और क़ुरआन में इसके मिस्ल नहीं।'' अब मैंने इस उम्मीद पर चाल नर्म कर दी और पूछा, हुज़ूर (स.)! वह सूरत क्या है? आप (स.) ने फ़र्माया, ''नमाज़ के शुरू में तुम क्या पढ़ते हो?'' मैंने कहा (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝) पूरी सूरत तक। आप (स.) ने फ़र्माया, ''यही वह सूरत है। सब्ऽल मसानी और क़ुरआने अ़ज़ीम जो मुझे दिया गया है वह भी यही है।'' (अल मौता: 1/83; ह: 183; व हुव सहीह; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीहुत् तर्ग़ीब: 1453) इस हदीस के आख़िरी रावी अबू सईद (रह.) हैं।

इस बिना पर इब्ने असीर (रह.) और उनके साथ वाले यहाँ धोखा खा गये हैं वह इन्हें अबू सईद बिन मुअ़ला समझ बैठे हैं। यह अबू सईद दूसरे हैं यह मौला ख़ुज़ाई हैं और ताबेईन में से हैं और वह अबू सईद अंसारी सहाबी (रज़ि.) हैं, इनकी हदीस मुत्तसिल और सहीह है और यह हदीस ज़ाहिर में मुन्क़तअ़ मालूम होती है अगर अबू सईद ताबेई का हज़रत उबय (रज़ि.) से सुनना साबित न हो, और अगर सुना हो तो यह हदीस मुस्लिम की शर्त पर है, वल्लाहु आलम!

इस हदीस के और भी बहुत से तुरूक़ हैं। मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर (स.) ने जब उन्हें पुकारा तो यह नमाज़ में थे। इल्तिफ़ात किया मगर जवाब न दिया। आप (स.) ने फिर पुकारा। हज़रत उबय (रज़ि.) ने नमाज़ हल्की कर दी और फ़ारिग़ होकर जल्दी से हाज़िरे ख़िदमत हुए, अस्सलामु अ़लयकुम अ़र्ज़ किया। आप (स.) ने जवाब देकर फ़र्माया, ''उबय तुमने मुझे जवाब क्यूँ न दिया?'' कहा, हुज़ूर! मैं नमाज़ मे था। आप (स.) ने वही आयत पढ़कर फ़र्माया, ''क्या तुमने यह आयत नहीं सुनी?'' कहा, हुज़ूर (स.)! क़ुसूर हुआ अब ऐसा न करूँगा। आप (स.) ने फ़र्माया, ''क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हे एक ऐसी सूरत बताऊँ कि तौरात, इंजील, ज़बूर और क़ुरआन में इस जैसी सूरत नहीं।'' मैंने कहा, ज़रूर इर्शाद फ़र्माइये। आप (स.) ने फ़र्माया, ''यहाँ से जाने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूँगा।'' फिर हुज़ूर (स.) मेरा हाथ थामे हुए और बातें करते रहे और मैंने अपनी चाल धीमी कर दी कि ऐसा न हो कि वह बात रह जाए और आप (स.) बाहर चले जायें। आख़िर जब दरवाज़े के पास पहुँच गये तो मैंने आप (स.) को वादा याद दिलाया। आप (स.) ने फ़र्माया, ''नमाज़ मे क्या पढ़ते हो?'' मैंने उम्मुल क़ुरआन पढ़कर सुनाई, आप (स.) ने फ़र्माया, ''अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है तौरात, इंजील, ज़बूर और क़ुरआन में इस जैसी कोई सूरत नहीं। यह सब्ऽल मसानी है।'' (अहमद:2/413; तिर्मिज़ी: 2875; व सनदुहू सहीह शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह तिर्मिज़ी: 9499)) तिर्मिज़ी में इतना इज़ाफ़ा और भी है कि ''यही वह बड़ा क़ुरआन है जो मुझे अ़ता फ़र्माया गया है।'' (तिर्मिज़ी, अब्वाब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज़्लि फ़ातिहतिल किताब: 2875; व सनदुहू सहीह) यह हदीस हसन सहीह है। हज़रत अनस (रज़ि.) से भी इस बाब में एक हदीस मरवी है। मुस्नद अहमद की एक लम्बी हदीस में भी इस तरह मरवी है। नसाई की रिवायत में यह अल्फ़ाज़ भी हैं कि ''यह सूरत अल्लाह तआ़ला और बन्दे के बीच तक़्सीम कर दी गयी है। (नसाई, किताबुल इफ़्तिताह, बाब तावील कौलुल्लाहि तआ़ला: 915 व सनदुहू सहीह) तिर्मिज़ी इसे हसन ग़रीब कहते हैं।

मुस्नद अहमद मे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं एक मर्तबा रसूलुल्लाह (स.) के पास आया, आप उस वक़्त इस्तिन्जे से फ़ारिग़ हुए ही थे। मैंने तीन मर्तबा सलाम किया लेकिन आप (स.) ने एक दफ़ा भी जवाब न दिया। अब आप (स.) तो घर में तशरीफ़ ले गये। मैं ग़म व रंज की हालत में मस्जिद में चला गया। थोड़ी देर में आप तहारत करके तशरीफ़ लाये और तीन मर्तबा मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर फ़र्माया, "ऐ अब्दुल्लाह बिन जाबिर (रज़ि.) सुनो! तमाम क़ुरआन में बेहतरीन सूरत (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝) (आखिर तक) है।" (अहमदः 4/177, यह रिवायत इब्ने अक़ील के ज़ुअफ़ की वजह से ज़ईफ़ है।) इसकी इस्नाद बहुत उम्दह है। इब्ने अक़ील जो इसका रावी है इसकी हदीस बड़े-बड़े अइम्मा रिवायत करते हैं। और अब्दुल्लाह बिन जाबिर बदरी सहाबी हैं। इब्नुल जौज़ी का यही क़ौल है। वल्लाहु आलम! हाफ़िज़ इब्ने असाकिर (रह.) का क़ौल यही है कि यह अब्दुल्लाह बिन जाबिर अंसारी बयाज़ी (रज़ि.) हैं। यह हदीस और इस जैसी और अहादीस से इस्तिदलाल करके इब्ने राहवे, अबूबक्र बिन अरबी, इब्नुल हिज़ार वग़ैरह अकसर उलमा ने कहा है कि कुछ आयात और कुछ सूरतें कुछ पर फ़ज़ीलत रखती हैं और एक दूसरी जमाअत का ख़्याल है कि अल्लाह तआला का तमाम कलाम बराबर है। एक को एक पर फ़ज़ीलत देने से यह क़बाहत होगी कि दूसरी और सूरतें उससे कम दर्जा की नज़र आयेंगी हालाँकि कलामुल्लाह सारे का सारा फ़ज़ीलत वाला है। क़ुर्तुबी (रह.) ने अशअरी और अबूबक्र बाक़लानी और अबू हातिम इब्ने हिब्बान बसती और अबू हय्यान और यहया बिन यहया (रह.) से यही नक़्ल किया है। इमाम मालिक (रह.) से भी एक रिवायत में यह मज़हब मन्कूल है। (लेकिन सहीह और मुताबिक़ हदीस पहला क़ौल है, वल्लाहु आलम! मुतर्जिम।)

सूरह फ़ातिहा के फ़ज़ाइल की मुंदर्जा बाला अहादीस के अलावा और भी हैं। सहीह बुख़ारी फ़ज़ाइलुल क़ुरआन में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है हम एक मर्तबा सफ़र मे थे। एक जगह ठहरे हुए थे कि अचानक एक लौण्डी आई और कहा कि यहाँ के क़बीले के सरदार को साँप ने काट लिया है हमारे आदमी यहाँ मौजूद नहीं। आपमें से कोई ऐसा है कि झाड़–फूँक कर दे? हममें से एक शख़्स उठकर उसके साथ हो लिया। हम नहीं जानते थे कि यह कुछ दम–झाड़ भी जानता है। उसने वहाँ जाकर कुछ पढ़कर दम कर दिया। अल्लाह के फ़ज़्ल से वह बिलकुल अच्छा हो गया। तीस बकरियाँ उसने दीं और हमारी मेहमानी के लिए बहुत सारा दूध भी भेजा। जब वह वापिस आए तो हमने कहा कि क्या तुम्हें झाड़–फूँक का इल्म है। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम किया है। हमने कहा, इस आए हुए माल को अभी न छेड़ो। पहले रसूलुल्लाह (स.) से मसला पूछ लो। मदीना में आकर हमने हुज़ूर (स.) से ज़िक्र किया, आप (स.) ने फ़र्माया, "इसे कैसे मालूम हो गया कि यह पढ़कर दम करने की सूरत है?" इस माल के हिस्से कर लो मेरा भी एक हिस्सा रखना।" सहीह मुस्लिम और अबू दाऊद में भी यह हदीस है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इजारह, बाब मा युअ़ता फ़िर् रुक़्या अला अहयाइल अरब बि फ़ातिहतिल किताबः 2276; मज़ीद देखिएः 5007–5736, 5749; सहीह मुस्लिमः 2201; अबू दाऊदः 3418; तिर्मिज़ीः 2022; इब्ने माजाः 2156; अल् यौम वल् लैलत लिन् नसाईः 1027) मुस्लिम की कुछ रिवायात में है कि दम करने वाले हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ही थे। (सहीह मुस्लिम में यह नहीं है कि दम करने वाले अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) थे बल्कि यह सुनन तिर्मिज़ी (2024) में है।)

मुस्लिम और नसाई में हदीस है कि रसूलुल्लाह (स.) के पास एक मर्तबा हज़रत जिब्रईल (अ.) बैठे हुए थे कि ऊपर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। जिब्रईल (अ.) ने ऊपर देखकर फ़र्माया, आज आसमान का

वह दरवाज़ा खुला है जो कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फ़रिश्ता हुज़ूर (स.) के पास आता है और कहता है ख़ुश हो जाईए दो नूर आपको ऐसे दिये गये हैं कि आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिये गये, सूरह फ़ातिहा और सूरह बक़रह की आख़िरी आयात, एक–एक हर्फ़ उनमें से नूर है। (सहीह मुस्लिम, किताबुस् सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब फ़ज़्लुल फ़ातिहति व ख़्वातीमि सूरतिल बक़रह: 806; नसाई: 913; इब्ने हिब्बान: 778)

सहीह मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.) ने फ़र्माया, ''जो शख़्स अपनी नमाज़ में उम्मुल क़ुरआन न पढ़े उसकी नमाज़ नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है, पूरी नहीं है।'' हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से पूछा गया कि जब हम इमाम के पीछे हों तो? फ़र्माया फिर चुपके चुपके पढ़ लिया करो। मैंने रसूलुल्लाह (स.) से सुना है आप फ़र्माया करते थे कि, ''अल्लाह तआला का फ़र्मान है कि मैंने नमाज़ (सूरह फ़ातिहा) को अपने और अपने बन्दे के बीच आधो–आध कर दिया है। और मेरा बन्दा मुझसे जो मांगता है वह मैं देता हूँ। जब बन्दा कहता है (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝)तो अल्लाह फ़र्माता है (हमिदनी अब्दी) मेरे बन्दे ने मेरी तअरीफ़ की। फिर बन्दा कहता है (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۝) अल्लाह तआला फ़र्माता है। (अस्ना अलय्या अब्दी) मेरे बन्दे ने मेरी सना बयान की। फिर बन्दा कहता है (مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۝) अल्लाह तआला फ़र्माता है (मज्जदनी अब्दी) मेरे बन्दे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। कुछ रिवायतों में है कि अल्लाह तआला उसके जवाब में फ़र्माता है (फ़व्वज़ इलय्या अब्दी) मेरे बन्दे ने ख़ुद को मेरे सुपुर्द कर दिया। फिर बन्दा कहता है (اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۝) अल्लाह तआला फ़र्माता है, यह मेरे और मेरे बन्दे के दरम्यान है और मेरा बन्दा मुझसे जो मांगेगा मैं दूँगा। फिर बन्दा आख़िर सूरत तक पढ़ता है। अल्लाह तआला फ़र्माता है, यह सब मेरे बन्दे के लिए है और यह जो मांगेगा वह उसके लिए है।'' नसाई में यह रिवायत है। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब वजूब क़िराअतुल फ़ातिहा .....: 395; नसाई: 910; मज़ीद देखिए: अबू दाऊद: 821; तिर्मिज़ी: 2953; इब्ने माजा: 737) कुछ रिवायात के अल्फ़ाज़ में कुछ तब्दीली भी है। तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है। अबू ज़रआ (रह.) ने इसे सहीह कहा है। मुस्नद अहमद में भी यह लम्बी हदीस मौजूद है। इसके रावी हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) हैं। (अहमद: 5/114; ज़वाइद अब्दुल्लाह बिन अहमद व सनदुहू सहीह) इब्ने जरीर (रह.) की एक रिवायत में इस हदीस में यह अल्फ़ाज़ भी हैं कि ''अल्लाह तआला फ़र्माता है: यह मेरे लिए है और जो बाक़ी है वह मेरे बन्दे के लिए है।'' यह हदीस ग़रीब है।

अब इस हदीस के फ़ायदों पर नज़र डालिए। इस हदीस में लफ़्ज़ सलात यानी नमाज़ का इत्लाक़ है और मुराद इससे क़िराअत है जैसाकि क़ुरआन में और जगह पर है (وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ) अल्ख़ (17/अल् इस्रा: 110) यानी अपनी नमाज़ (यानी क़िराअत) को न तो बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ो न बहुत पस्त आवाज़ से बल्कि दरम्यानी आवाज़ से पढ़ा करो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इसकी तफ़्सीर में सराहत से मरवी है कि यहाँ सलात से मुराद क़िराअत से है। और इसी तरह मुंदर्जा बाला हदीस में क़िराअत को सलात कहा है। इससे नमाज़ में क़िराअत की जो अज़्मत है वह मालूम होती है और ज़ाहिर होता है कि क़िराअत नमाज़ का आला रुक्न है, इसलिए कि इबादत का मुत्लक़ नाम लिया गया और इसके एक हिस्से यानी क़िराअत का ज़िक्र किया गया। यह भी ख़्याल रहे कि इसके बरख़िलाफ़ ऐसा भी हुआ है कि क़िराअत का इत्लाक़ किया गया और मुराद नमाज़ ली गई। फ़र्मान है (وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ) अल्ख़ (17/इस्रा: 78) यानी ''सुबह के क़ुरआन पर फ़रिश्ते हाज़िर किये जाते हैं।'' यहाँ मुराद क़ुरआन से नमाज़ है। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि ''फ़ज्र की नमाज़ के वक़्त रात के और दिन

के फ़रिश्ते जमा हो जाते हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब फ़ज़्लुस् सलातिल फ़ज्र फ़िल् जमाअतः 648; सहीह मुस्लिम ....: 649) और इन आयात व अहादीस से यह भी मालूम हुआ कि नमाज़ में क़िराअत का पढ़ना ज़रूरी है और उलेमा भी इस पर इत्तिफ़ाक़ रखते हैं।

इसमें इख़्तिलाफ़ है कि नमाज़ में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना ज़रूरी है या क़ुरआन में से जो कुछ पढ़ ले वही काफ़ी है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके साथी वग़ैरह तो कहते हैं कि इसी का पढ़ना मुतअय्यन नहीं बल्कि क़ुरआन में से जो कुछ पढ़ लेगा काफ़ी होगा। इनकी दलील आयत (فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ) 73)/अल् मुज़्ज़म्मिलः 20) है यानी क़ुरआन में से जो आसान हो पढ़ लो। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस है जिसमें है कि हुज़ूर (स.) ने एक शख़्स को जो नमाज़ को जल्दी–जल्दी पढ़ रहा था फ़र्माया, ''जब तू नमाज़ के लिए खड़ा हो तो तक्बीर कह फिर जो क़ुरआन में से तुझे आसान नज़र आए पढ़।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब वजूबुल क़िराअत लिल् इमाम वल मअमूम फ़िस्सलवाति कुल्लिहा...: 757; सहीह मुस्लिमः 397) वह कहते हैं कि हुज़ूर (स.) का उस शख़्स को यह फ़र्माना और सूरह फ़ातिहा की तअयीन न करना बता रहा है कि जो कुछ क़ुरआन पढ़ ले काफ़ी है। दूसरा क़ौल यह है कि सूरह फ़ातिहा ही का पढ़ना ज़रूरी है और उसके पढ़े बग़ैर नमाज़ न होगी। इनके अलावा और तमाम अइम्म–ए–किराम का यही क़ौल है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) और इनके सबके सब शागिर्द वग़ैरह और जुम्हूर उलेम–ए–किराम का यही क़ौल है। इनकी दलील यह हदीसे मुबारका है जो अल्लाह के रसूल (स.) ने बयान फ़र्माई है कि, ''जो शख़्स नमाज़ पढ़े ख़्वाह कोई नमाज़ हो और उसमें उम्मुल क़ुरआन न पढ़े तो वह नमाज़ नाक़िस है पूरी नहीं है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब वजूबुल क़िराअतिल फ़ातिहा ...: 878; अबू दाऊदः 822; तिर्मिज़ीः 2953; नसाईः 910; इब्ने माजाः 838) इसी तरह उन बुज़ुर्गों की दलील भी है जो बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत उबादह बिन सामित (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (स.) ने फ़र्माया, ''जो शख़्स सूरह फ़ातिहा को न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब वजूबुल क़िराअत लिल् इमाम वल मामूमः 756; सहीह मुस्लिमः 394) सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा और सहीह इब्ने हिब्बान में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.) ने फ़र्माया, ''वह नमाज़ नहीं होती जिसमें उम्मुल क़ुरआन न पढ़ी जाए।'' (इब्ने ख़ुज़ैमा 490; व सनद सहीह; इब्ने हिब्बानः 1789; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह मवारिदुज़् ज़म्आनः 384) इनके अलावा और भी बहुत सी अहादीस हैं हमें यहाँ पर मुनाज़िराना पहलू इख़्तियार करने की कोई ज़रूरत नहीं वह बहुत लम्बी बहसें हैं। हमने तो मुख़्तसरन उन बुज़ुर्गों के दलाइल बयान किये हैं। (सहीह और हदीस के मुताबिक़ दूसरा क़ौल ही है। वल्लाहु आलम, मुतर्जिम)

अब यह भी सुन लीजिए कि इमाम शाफ़ई (रह.) वग़ैरह उलमा–ए–किराम की एक बड़ी जमाअत का तो यह मज़हब है कि सूरह फ़ातिहा का हर रकअत में पढ़ना वाजिब है और कुछ लोग कहते हैं कि अकसर रकअतों में पढ़ना वाजिब है और कुछ कहते हैं कि नमाज़ों में से किसी एक रकअ त में इसका पढ़ लेना वाजिब है। इसलिए कि हदीस में नमाज़ का ज़िक्र मुत्लक़ है। अबू हनीफ़ा (रह .), इनके साथी सौरी और औज़ाई (रह.) कहते हैं कि इसका पढ़ना मुतअय्यन ही नहीं बल्कि और कुछ भी पढ़ ले तो काफ़ी है क्योंकि क़ुरआन में (मा तयस्सर) का लफ़्ज़ है वल्लाहु आलम! लेकिन यह ख़याल रहे कि इब्ने माजा की हदीस में है कि जो शख़्स फ़र्ज़ वग़ैरह नमाज़ की हर रकअत में सूरह फ़ातिहा और सूरत न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं। (इब्ने माजा, किताबुस्सलात, बाब अल

क़िराअतु ख़ल्फ़ुल इमामः 839; व सनदुहू ज़ईफ़। इसकी सनद में अबू सुफ़ियान सअदी है जिसके ज़ुअफ़ पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है। (अल् मीज़ान 2/336; रक़मः 3985) और शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ इब्ने माजाः 178) अल्बत्ता इस ह़दीस की स़ेहत में नज़र है और इन सब बातों की तफ़्सील अस्माउर रिजाल की किताबों में मौजूद है। (स़ह़ीह़ और ह़दीस के मुताबिक़ पहला क़ौल है वल्लाहु आलम। मुतर्जिम)

मुक़्तदी पर सूरह फ़ातिह़ा का वाजिब होने के मसले में उलमा के तीन क़ौल हैं। पहला क़ौल यह है कि सूरह फ़ातिह़ा का पढ़ना जिस त़रह़ इमाम पर वाजिब है उसी त़रह़ मुक़्तदी पर भी वाजिब है। इसकी दलील वह आम अह़ादीस हैं जो अभी दूसरे फ़ायदे के बयान में गुज़र चुकीं। दूसरा क़ौल यह है कि सिरे से मुक़्तदी के ज़िम्मे क़िराअत वाजिब ही नहीं, न यह सूरत न कुछ और न जहरी नमाज़ में न सिर्री नमाज़ में। इनकी दलील मुस्नद इमाम अह़मद की यह ह़दीस है जिसमें है कि हुज़ूर (स.) ने फ़र्माया, "जिसका इमाम हो तो इमाम की क़िराअत उसकी क़िराअत है।" (इब्ने माजा, किताब इक़ामतिस्सलात, बाब इज़ा क़रअल इमाम फ़न्सितूः 850; यह रिवायत अबुज़ ज़ुबैर की तदलीस और जाबिर जोअफ़ी के मजरूह़ होने की वजह से ज़ईफ़ व मरदूद है। इसकी कुछ तुरूक़ में जाबिर जोअफ़ी मतरूक और लैस बिन अबी सुलैम मुख़्तलत़ हैं। (अल् मीज़ान 1/380; रक़मः 1425; अत् तक़रीब 2/138) ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर तल्ख़ीसुल ह़बीरः 1/777 में फ़र्माते हैं कि ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) से यह ह़दीस कई सनदों से मरवी है और यह सब सनदें मअलूल यानी ज़ईफ़ हैं।) लेकिन यह रिवायत ज़ईफ़ है, और यह ख़ुद ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) के क़ौल से मरवी है गो इस मरफ़ूअ ह़दीस की सनदें भी हैं लेकिन कोई सनद स़ह़ीह़ नहीं। वल्लाहु आलम! तीसरा क़ौल यह है कि जिन नमाज़ों में इमाम आहिस्तगी से क़िराअत पढ़े उनमें तो मुक़्तदी पर क़िराअत वाजिब है। लेकिन जिन नमाज़ों में ऊँची क़िराअत पढ़ी जाती है उनमें वाजिब नहीं। इनकी दलील स़ह़ीह़ मुस्लिम वाली ह़दीस है कि "इमाम इसीलिए मुक़र्रर किया गया है कि उसकी इक़्तिदा की जाए उसकी तक्बीर सुनकर तक्बीर कहो और जब वह पढ़े तुम चुप रहो।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब अत् तशह्हुद फ़िस्सलातिः 905) सुनन में भी यह ह़दीस है। (रवाहु अबू दाऊदः 604; नसाईः 924; इब्ने माजाः 846; वहुव स़ह़ीह़, शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे स़ह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (अल इरवाअः 2/120) इमाम मुस्लिम (रह़.) ने इसकी तस्ह़ीह़ की है। इमाम शाफ़ई (रह़.) का पहला क़ौल भी यही है और इमाम अह़मद (रह़.) से भी एक रिवायत है स़ह़ीह़ और ह़दीस के मुताबिक़ पहला क़ौल है। अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई वग़ैरह में ह़दीस है कि रसूलुल्लाह (स.) ने अपने मुक़्तदियों को फ़र्माया कि, "तुम सिवाए सूरह फ़ातिह़ा के और कुछ न पढ़ो। इसके पढ़े बग़ैर नमाज़ नहीं होती।" (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मन तरकल क़िराअत फ़ी स़लातिही बिफ़ातिह़तिल् किताबः 823; तिर्मिज़ीः 311; नसाईः 921; स़ह़ीह़) (मुतर्जिम) हमारी ग़र्ज़ इन मसाइल को यहाँ बयान करने से यह है कि सूरह फ़ातिह़ा के साथ अह़काम का जिस क़द्र तअल्लुक़ है किसी और सूरत के साथ नहीं। मुस्नदे बज़्ज़ार में ह़दीस है हुज़ूर (स.) फ़र्माते हैंः "जब तुम बिस्तर पर लेटो और सूरह फ़ातिह़ा और सूरह (कुल हुवल्लाहु) पढ़ लो तो मौत के सिवा हर चीज़ से अमन में आ जाओगे।" (ह़ाफ़िज़ हैसमी ने इसे मुस्नद बज़्ज़ार के ह़वाले से मज्मउज़्ज़वाइदः1/171 में नक़ल किया है। इसकी सनद में ग़स्सान बिन उबैद मुतकल्लम फ़ीह (डाउटफुल) रावी है (अल् मीज़ान 3/335; रक़मः 6661) और यानी यह रिवायत ज़ईफ़ है। शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़ ज़ईफ़ह़ः 5062))

तिलावते क़ुरआन से पहले अऊज़ुबिल्लाहि पढ़ना

क़ुरआन करीम में है (7) (خُذِ الْعَفْوَ/अअराफ़: 199) अल्ख़ यानी "दरगुज़र करने की आदत अपनाओ, भलाई का हुक्म किया करो और जाहिलों से मुँह मोड़ लिया करो। अगर शैतान की तरफ़ से कोई वस्वसा आ जाए तो अल्लाह तआला सुनने वाले से पनाह तलब कर लिया करो।" एक मक़ाम पर फ़र्माया (اِدْفَعْ بِالَّتِیْ) "बुराई को भलाई से ख़त्म करो।" हम उनके बयानात को ख़ूब जानते हैं। कहा करो कि ऐ परवरदिगार! शैतान के वस्वसों और उनकी हाज़िरी से हम तेरी पनाह चाहते हैं। इर्शाद होता है (اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ) अल्ख़ (41/हामीम सज्दा: 34) यानी "भलाई के साथ दूर करो। तुममें और जिस दूसरे शख़्स में अदावत होगी वह ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त, यह काम सब्र करने वालों और नसीबदारों का है। जब शैतानी वस्वसा आ जाए तो अल्लाह तआला सुनने वाले जानने वाले से पनाह चाहो।" इन तीन आयात में अल्लाह तआला ने हुक्म फ़र्माया है कि इंसानों में से जो तुम्हारी दुश्मनी करे उसकी दुश्मनी का इलाज तो यह है कि उसके साथ सलूक व एहसान करो ताकि उसकी इंसाफ़ पसंद तबीयत ख़ुद उसे शर्मिन्दा करे और वह तुम्हारी दुश्मनी से न सिर्फ़ बाज़ रहे बल्कि तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाए और शयातीन की दुश्मनी से महफ़ूज़ रहने के लिए उसने अपनी पनाह पकड़नी सिखाई। क्योंकि यह पलीद दुश्मन सुलूक और एहसान से भी क़ब्ज़ा में नहीं आता। उसे तो इंसान की तबाही और बर्बादी में ही मज़ा आता है और उसकी पुरानी अदावत हज़रत आदम (अ.) के वक़्त से है। क़ुरआन फ़र्माता है, "ऐ बनी आदम! देखो कहीं शैतान तुम्हें भी बहका न दे जिस तरह तुम्हारे माँ–बाप को बहकाकर जन्नत से निकलवा दिया।" एक मक़ाम पर फ़र्माया कि, "शैतान तुम्हारा दुश्मन है उसे दुश्मन ही समझो। उसकी जमाअत की तो यही आरज़ू है कि तुम जहन्नमी हो जाओ।" एक और जगह फ़र्माया, "क्या तुम उस शैतान और उसकी ज़ुर्रियात (औलाद) से दोस्ती करते हो मुझे छोड़कर? वह तुम्हारा दुश्मन है याद रखो ज़ालिमों के लिए बुरा बदला है।" यही (वह लईन) है जिसने क़सम खाकर हमारे बाप हज़रत आदम (अ.) से कहा था कि मैं तुम्हारा ख़ैरख़्वाह हूँ। तो अब ख़्याल कर लीजिए कि हमारे साथ उसका क्या मामला होगा? हमारे लिए तो वह हलफ़ उठाकर आया है कि "अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़सम! मैं उन सबको बहकाऊँगा, हाँ! उनमें से जो मुख़्लिस बन्दे हैं वह महफ़ूज़ रह जायेंगे।" इसलिए अल्लाह तआला का फ़र्मान है (فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝ 16)/अन् नहल: 98) "जब क़ुरआन की तिलावत करो तो अल्लाह तआला से पनाह तलब कर लिया करो शैतान रान्दे हुए से। ईमानदार और अल्लाह तआला पर तवक्कल रखने वालों पर उसका कोई ज़ोर नहीं। उसका ज़ोर तो उन ही पर चलता है जो उससे दोस्ती रखें और रब तआला के साथ शिर्क करें।" क़ुर्राअ की एक जमाअत तो कहती है कि क़ुरआन पढ़ने के बाद (अऊज़ु) अल्ख़ पढ़नी चाहिए। इसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो क़ुरआन के तर्ज़े बयान पर अमल। दूसरे इबादत के बाद के ग़ुरूर का तोड़। अबू हातिम सजिस्तानी ने और इब्ने फ़लूफ़ा ने हम्ज़ा का यही मज़हब नक़्ल किया है। जैसे कि अबुल क़ासिम यूसुफ़ बिन अली बिन जुनादह ने अपनी किताब अल् इबादतुल कामिल में बयान किया है। हज़रत अबू हुरैरा से भी यही मरवी है लेकिन इस्नाद ग़रीब है। राज़ी ने अपनी तफ़्सीर में उसे नकल किया है और कहा है कि, इब्राहीम नख़ई दाऊद ज़ाहिरी (रह.) का भी यही क़ौल है। क़ुर्तुबी ने इमाम मालिक (रह.) का मज़हब भी यही बयान किया है। लेकिन इब्नुल अरबी इसे ग़रीब कहते हैं। एक मज़हब यह भी है कि अव्वल आख़िर दोनों मक़ाम पर (अऊज़ु) अल्ख़ पढ़ना चाहिए ताकि वस्वसे से दूर हो जायें। तो उन बुज़ुर्गों के नज़दीक आयत के मअ़नी "जब पढ़े तू" यानी "जब पढ़ना चाहे तू" हो जायेंगे जैसे कि

आयत (इज़ा कुमतुम) अल्ख़ (5/अल् माइदहः 6) यानी "जब तुम नमाज़ के लिए खड़े होओ।" (तो वुज़ू कर लिया करो) के मअनी जब तुम नमाज़ के लिए खड़े होने का इरादा करने के हैं। अहादीस की रू से भी यही मअनी ठीक मालूम होते हैं।

मुस्नद अहमद की हदीस में है कि जब रसूलुल्लाह (स.) रात को नमाज़ के लिए खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहकर नमाज़ शुरू करते। फिर (सुब्हानकल्लाहुम्मः वबिहम्दिक व तबारकस्मुक वला इलाहा ग़यरूक) पढ़कर तीन मर्तबा (ला इलाहा इल्लल्लाहु) पढ़ते फिर फ़र्माते (आउज़ुबिल्लाहिस्समीइलअलीम मिनश्शयतनिर्रजीम मिन् हम्ज़िहि व नफ़्सहि) "सुनन अरबआ में भी यह हदीस है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं इस बाब में सबसे ज़्यादा मशहूर यही है। हम्ज़ा के मअनी गला घोटने के और नफ़्ख़ के तकब्बुर के और नफ़्स के मअनी शेअरगोई के हैं। इब्ने माजा की एक रिवायत में यही मअनी बयान किये गये हैं और उसमें है कि हुज़ूर (स.) नमाज़ में दाख़िल होते ही तीन मर्तबा (अल्लाहु अकबर) तीन मर्तबा (अल्हम्दु लिल्लाहि कसीरन) और तीन मर्तबा (सुब्हानल्लाहि बुक्रतव्वं व असीला) पढ़ते फिर यह पढ़ते: (अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनश्शैतानि मिन् हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि) (अबू दाऊद, किताबुस्सलात, बाब मा युस्तफ़्तहु बिहिस्सलात मिनद् दुआइः 764; व सनदुहू हसन; इब्ने माजाः 807) इब्ने माजा में और सनद के साथ यह रिवायत मुख़्तसर भी आई है। (इब्ने माजा, अब्वाब इक़ामतिस्सलात, बाब अल् इस्तिआज़ा फ़िस्सलातिः 808; व सनद ज़ईफ़) मुस्नद अहमद की हदीस में है कि, "आप पहले तीन मर्तबा तक्बीर कहते फिर तीन मर्तबा (सुब्हानल्लाहि वबि हम्दिही) कहते फिर (अऊज़ु बिल्लाहि) आख़िर तक पढ़ते।" (अहमदः 5/253; इसकी सनद शैख़ मिन अहले दमिश्क़ के मज्हूल होने की वजह से ज़ईफ़ है।) मुस्नदे अबू यअला में है हुज़ूर (स.) के सामने दो शख़्स लड़ने लगे। गुस्से के मारे एक के नथुने फूल गये। आप (स.) ने फ़र्माया कि, अगर यह (अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम) कह ले तो इसका गुस्सा भी जाता रहे।" नसाई ने अपनी किताब में भी इसे रिवायत किया है। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी में भी यह हदीस है। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मा यकूल इन्दल ग़ज़बिः 4780; तिर्मिज़ी 3452; अल्यौम वल् लैलत लिन् नसाईः 393; अहमदः 5/240, 36/405 वहुव हदीसुन सहीहुन बिश् शवाहिद) इसी की एक रिवायत में इतना इज़ाफ़ा और भी है कि हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने उस शख़्स से उसके पढ़ने को कहा, लेकिन उसने न पढ़ा और उसका गुस्सा बढ़ता ही गया। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह तिर्मिज़ीः 2746) लेकिन इसकी सनद मुन्क़तअ है) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं, यह इज़ाफ़ा वाली रिवायत मुर्सल है। इसलिए कि अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला (रह.) जो हज़रत मुआज़ (रज़ि.) से इसे रिवायत करते हैं उनका हज़रत मुआज़ (रज़ि.) से मुलाक़ात करना साबित नहीं बल्कि यह बीस बरस पहले फ़ौत हो चुके थे। लेकिन यह हो सकता है कि शायद अब्दुर्रहमान (रह.) ने हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) से सुना हो। वह भी इस हदीस के रावी हैं और इसे हज़रत मुआज़ (रज़ि.) तक पहुँचाया हो। क्योंकि इस वाक़िया के वक़्त तो बहुत से सहाबा (रज़ि.) मौजूद थे। सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई में भी मुख़्तलिफ़ सनदों से मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ के साथ यह हदीस मरवी है। (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब सिफ़तु इब्लीस व जुनूदिहीः 3782, 6115 सहीह मुस्लिमः 2610; अबूदाऊदः 4781; इब्ने हिब्बानः 5692) इस्तिआज़ा के बारे में और भी बहुत सी अहादीस हैं यहाँ सबको बयान करनेसे बात लम्बी हो जाएगी। उनके बयान के लिए अज़्कार वज़ाइफ़ और फ़ज़ाइले आमाल के बयान की किताबें हैं। वल्लाहु आलम। एक रिवायत में है कि जिब्रईल (अ.)

जब सबसे पहले वह़ी लेकर हुज़ूर (स.) के पास आए तो पहले अऊज़ु पढ़ने का हुक्म दिया। तफ़्सीर इब्ने जरीर में ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि पहली मर्तबा जब ह़ज़रत जिब्राईल (अ़.) ह़ज़रत मुह़म्मद (स.) पर वह़ी लेकर आए तो फ़र्माया (अऊज़ु) पढ़िए। आप (स.) ने फ़र्माया, (अस्तईज़ु बिल्लाहिस्समीइलअ़लीम मिनश्शयतानिर् रजीम) फिर कहा, (اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝ 96)/अ़लक़: 1) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़र्माते हैं सबसे पहली सूरत जो अल्लाह तआला ने ह़ज़रत जिब्राईल (अ़.) की मअ़रिफ़त ह़ज़रत मुह़म्मद (स.) पर नाज़िल फ़र्माई यही है। लेकिन यह असर ग़रीब है और इसकी इस्नाद में ज़ुअ़फ़ और इंक़िताअ़ है। हमने इसे सिर्फ़ इ सलिए बयान किया है कि मालूम हो जाए। वल्लाहु आ़लम!

अऊज़ुबिल्लाह पढ़ने के वजूब या इस्तिह़बाब के बारे में उ़लमा के अक़्वाल

जुम्हूर उ़लमा का क़ौल है कि अऊज़ु पढ़ना मुस्तह़ब है, वाजिब नहीं कि इसके न पढ़ने से गुनाह हो। अ़ता बिन अबी रिबाह़ (रह़.) का क़ौल है कि जब कभी क़ुरआन पढ़े इस्तिआ़ज़ा का पढ़ना वाजिब है। ख़्वाह नमाज़ में हो ख़्वाह ग़ैर नमाज़ में। इमाम राज़ी (रह़.) ने यह क़ौल नक़्ल किया है। इब्ने सीरीन (रह़.) फ़र्माते हैं कि उ़म्रभर मे सिर्फ़ एक मर्तबा पढ़ लेने से वजूब साक़ित हो जाता है। ह़ज़रत अ़ता (रह़.) के क़ौल की दलील आयत के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ हैं क्योंकि इसमें (फ़स्तइज़) अम्र है और अ़रबियत के क़वाइद के लिह़ाज़ से अम्र वजूब के लिए होता है। इसी त़रह़ हुज़ूर (स.) का इस पर हमेशगी करना भी वजूब की दलील है। और इससे शैत़ान का शर दूर होता है और इसका दूर करना वाजिब है और जिस चीज़ से वाजिब पूरा होता हो वह भी वाजिब हो जाती है और इस्तिआ़ज़ा ज़्यादा एह़तियात़ वाला है और वजूब का एक त़रीक़ा यह भी है। कुछ उ़लमा का क़ौल है कि (अऊ़ज़) पढ़ना हुज़ूर (स.) पर वाजिब था। आप (स.) की उम्मत पर वाजिब नहीं। इमाम मालिक (रह़.) से यह भी रिवायत की जाती है कि फ़र्ज़ नमाज़ में (अऊ़ज़) पढ़े और रमज़ान शरीफ़ की अव्वल रात की नमाज़ में अऊ़ज़ पढ़ ले।

(अऊज़ुबिल्लाह) कब और कहाँ पढ़े

इमाम शाफ़ई (रह़.) अल् उम्म मे लिखते हैं कि अऊ़ज़ ज़ोर से पढ़े और अगर पोशीदा पढ़े तो भी कोई ह़र्ज नहीं। और उम्म में लिखते हैं कि बुलंद और आहिस्ता पढ़ने में इख़्तियार है इसलिए कि ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) से पोशीदा पढ़ना और ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से बुलन्द आवाज़ से पढ़ना साबित है। पहली रकअ़त के सिवा और रकअ़तों में (अऊ़ज़) पढ़ने में इमाम शाफ़ई (रह़.) के दो क़ौल हैं। एक मुस्तह़ब होने का और दूसरा मुस्तह़ब न होने का और तरजीह़ दूसरे क़ौल को ही है। वल्लाहु आ़लम! सिर्फ़ (अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैत़ानिर् रजीम) कह लेना इमाम शाफ़ई (रह़.) और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) के नज़दीक तो काफ़ी है। लेकिन कुछ कहते हैं (अऊज़ुबिल्लाहिस् समीअ़िल् अ़लीमि मिनश्शैत़ानिर् रजीम इन्नल्ला–ह हुवस् समीउ़ल् अ़लीम) पढ़े। सौरी और औज़ाई (रह़.) का यही मज़हब है। कुछ कहते हैं (अस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत़ानिर् रजीम) पढ़े ताकि आयत के पूरे अल्फ़ाज़ पर अ़मल हो जाए और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की ह़दीस पर भी अ़मल हो जाए जो पहले गुज़र चुकी है। लेकिन जो स़ह़ीह़ अह़ादीस पहले गुज़र चुकीं वही इत्तिबाअ़ के लिए बेहतर हैं। वल्लाहु आ़लम! नमाज़ में अऊ़ज़ का पढ़ना अबू ह़नीफ़ा (रह़.) और मुह़म्मद (रह़.) के नज़दीक तो तिलावत के लिए है और अबू यूसुफ़ (रह़.) के नज़दीक नमाज़ के लिए है। तो मुक़्तदी को भी पढ़ लेना चाहिए अगरचे वह क़िराअत नहीं पढ़ेगा और ईद की नमाज़ मे भी पहली तक्बीर के बाद पढ़ लेना चाहिए। जुम्हूर का मज़हब है कि ईद की तक्बीरें मुकम्मल करने के बाद फिर अऊ़ज़ पढ़े फिर क़िराअत पढ़े।

अऊज़ुबिल्लाह पढ़ने के फ़वाइद

अऊज़ मे अजीबो-ग़रीब फ़्वाइद हैं। वाही तबाही बातों से मुँह में जो नापाकी होती है वह इससे दूर हो जाती है। और मुँह कलामुल्लाह की तिलावत के क़ाबिल हो जाता है। इसी तरह इसमें अल्लाह तआला से इमदाद तलब करनी है और उसकी अज़ीमुश्शान क़ुदरतों का इक़रार करना है। और उस बातिनी खुले हुए दुश्मन के मुक़ाबले में अपनी कमज़ोरी और आजिज़ी का इक़रार है क्योंकि इंसानी दुश्मन का मुक़ाबला हो सकता है, एहसान और सुलूक से उसकी दुश्मनी दूर हो सकती है जैसे कि क़ुरआने करीम की उन तीन आयात में है जो पहले बयान हो चुकी हैं। दूसरी जगह अल्लाह तआला का इर्शाद है: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ) अल्ख़ (15/हिज्र: 42) यानी **"मेरे ख़ास बन्दों पर तेरा कोई ग़लबा नहीं।"** रब की वकालत काफ़ी है। अल्लाह तआला ने दुश्मनाने इस्लाम के मुक़ाबले पर अपने पाक फ़रिश्ते भेजे और उन्हें नीचा दिखा दिया। एक अहम बात याद रखिए कि जो मुसलमान काफ़िरों के हाथ से मारा जाए, वह शहीद है लेकिन जो उस बातिनी दुश्मन शैतान के हाथ मारा जाए वह राँदा दरगाह है। जिस पर कुफ़्फ़ार ग़ालिब आ जायें वह अज्र पाता है लेकिन जिस पर शैतान ग़ालिब आए वह हलाको–बर्बाद होता है। चूँकि शैतान इंसान को देख सकता है और इंसान उसे नहीं देख सकता। इसलिए क़ुरआनी तअलीम यह है कि तुम उसके शर से उसकी पनाह चाहो जो उसे देखता है और यह उसे नहीं देख सकता। फ़स्ल

अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर् रजीम के लग़वी मअनी

अऊज़ पढ़ना अल्लाह तआला की तरफ़ इल्तिजा करना है और हर बुराई वाले की बुराई से उसके दामन मे पनाह त़ लब करना है। एयाज़ा के मअनी बुराई के दूर करने के हैं। और लियाज़ा के मअनी भलाई हासिल करने के हैं। मुतनब्बी का शेअर है:

يَا مَنْ اَلُوْذُ بِهٖ فِيْ مَا اُؤَمِّلُهٗ   وَمَنْ اَعُوْذُ بِهٖ مِمَّا اُحَاذِرُهٗ
لَا يَجْبُرُ النَّاسُ عَظْمًا اَنْتَ كَاسِرُهٗ   وَلَا يَهِيْضُوْنَ عَظْمًا اَنْتَ جَابِرُهٗ

ऐ वह पाक ज़ात जिसकी ज़ात से मेरी तमाम उम्मीदें वाबस्ता हैं और ऐ वह परवरदिगार! कि तमाम बुराईयों से मैं उसकी पनाह पकड़ता हूँ, जिसे वह तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता और जिसे वह जोड़े उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अऊज़ के मअनी यह हैं कि मैं अल्लाह तआला की पनाह पकड़ता हूँ कि शैतान रजीम मुझे दीन व दुनिया में कोई ज़रर न पहुँचा सके जिन अहकाम की बजाआवरी का मुझे हु क्म है ऐसा न हो कि मैं उनसे रुक जाऊँ और जिन कामों से मैं मना किया गया हूँ ऐसा न हो कि वह बुरे काम मुझसे सरज़द हो जायें।

यह ज़ाहिर है कि शैतान से बचाने वाला सिवाए रब तआला के और कोई नहीं। इसीलिए परवरदिगारे आलम ने इंसानों के शर से महफ़ूज़ रहने की तो तर्कीब सुलूक व एहसान बताई है और शैतान के शर से बचने की सूरत यह बताई कि हम उसकी ज़ात पाक के ज़रिये पनाह तलब करें। इसलिए कि न तो उसे रिश्वत दी जाए न वह भलाई और सुलूक की वजह से अपनी शरारत से बाज़ आए। उसकी बुराई से बचाने वाला तो सिर्फ़ अल्लाह तआला ही है। गुज़िश्ता तीनों आयात में यह मज़्मून गुज़र चुका है। सूरह अअराफ़ में है: (خُذِ الْعَفْوَ) अल्ख़ और सूरह मोमिनून में है: (اِدْفَعْ بِالَّتِيْ) और सूरह सज्दा में है अल्ख़, इन तीनों आयात का मुफ़स्सल बयान और तर्जुमा पहले गुज़र चुका है। लफ़्ज़ शैतान शतन से बना है इसके लफ़्ज़ी मअनी दूरी के हैं। चूँकि यह मरदूद भी इंसानी तबीयत से दूर है बल्कि हर भलाई से दूर है इसलिए इसे शैतान कहते हैं। और यह भी कहा गया है कि यह शात

से मुश्तक़ है इसलिए कि वह आग से पैदा हुआ है और शात़ के मअ़नी यही है। कुछ कहते हैं कि मअ़नी की रू से तो दोनों ठीक हैं लेकिन अव्वल ज़्यादा सही है। अ़रब शायरों के शेअ़र भी इसकी तस्दीक़ में मिलते हैं। उमय्या बिन अबी सुल्त और नाबिग़ा के शेअ़रों में भी यह लफ़्ज़ शत़न से मुश्तक़ है और दूर होने के मअ़नी में मुस्तअ़्मल है (सीबवे) का क़ौल है कि जब कोई शैत़ानी काम करे तो अ़रब कहते हैं (तशैत़न फ़लान) यह नहीं कहते कि (तशय्यत़ फ़लान) इससे साबित होता है कि यह लफ़्ज़ शात़ से नहीं बल्कि शत़न से माख़ूज़ है और उसके स़ह़ीह़ मअ़नी भी दूरी के हैं जो जिन्न व इन्स व ह़ैवान सरकशी करे उसे शैत़ान कह देते हैं। क़ुरआने करीम में है (وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ) अल्ख़, (6/अन्आमः 112) यानी "इसी त़रह़ हमने हर नबी के दुश्मन शयात़ीन जिन्न व इन्स किये हैं जो आपस में एक–दूसरे को धोखे की बनावटी बातें पहुँचाते रहते हैं।"

मुस्नद अह़मद में ह़ज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) से ह़दीस रिवायत है कि हुज़ूर (स.) ने उन्हें फ़र्माया, "ऐ अबू ज़र! जिन्नात और इंसान के शैत़ानों से अल्लाह तआला की पनाह त़लब करो।" मैंने कहा, क्या इंसानों में भी शैत़ान होते हैं। आप (स.) ने फ़र्माया, "हाँ!" (अह़मदः 5/178, 179, 35/432; नसाई, किताबुल इस्तिआ़ज़ा बाब अल् इस्तिआज़तु मिन शर्रिश् शयात़ीनुल इंसः 5509; व सनदुहू ज़ईफ़ अबू अ़म्र दमिश्क़ी और उ़बेद बिन ख़श्ख़ाश ज़ईफ़ और मजरूह़ रावी हैं। शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसकी सनद को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ नसाई 424)) स़ह़ीह़ मुस्लिम मे इन ही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.) ने फ़र्माया, "नमाज़ को औ़रत, गधा और काला कुत्ता तोड़ देता है।" मैंने कहा, हुज़ूर (स.) सुर्ख़, ज़र्द कुत्तों में से काले कुत्ते की तख़्स़ीस़ की क्या वजह है? आप (स.) ने फ़र्माया, "काला कुत्ता शैत़ान है।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुस़्स़लात, बाब मा यस्तरूल मुस़ल्लीः 510; अबू दाऊदः702; नसाईः 751; इब्ने माजाः 957; इब्ने ह़िब्बानः 2385) ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) एक मर्तबा तुर्की घोड़े पर सवार होते हैं। वह नाज़ व ख़ुर्राम से चलता है। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) उसे मारते–पीटते भी हैं लेकिन उसका अकड़ना और भी बढ़ जाता है। आप उतर जाते हैं और फ़र्माते हैं तुम तो मेरी सवारी के लिए किसी शैत़ान को पकड़ लाए, मेरे नफ़्स मे तकब्बुर आने लगा चुनाँचे मैंने इससे उतरना ही मुनासिब समझा। रजीम फ़ईल के वज़न पर मफ़ऊ़ल के मअ़नी में है यानी वह मरजूम है यानी हर भलाई से दूर है जैसे कि अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है (وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ) अल्ख़ (67/मुल्कः 5) यानी "हमने दुनिया के आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया और उन्हें शैत़ानो के लिए रजम बनाया, (اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا) अल्ख़ (37/स़ाफ़्फ़ातः 6) यानी "हमने आसमाने दुनिया को तारों से ज़ीनत दी और हर सरकश शैत़ान से बचाव बनाया। वह आ़ला फ़रिश्तों की बातें नहीं सुन सकते और हर त़रफ़ से मारे जाते हैं, भगाने के लिए और लाज़मी अ़ज़ाब उनके लिए है। जो उनमें से कोई बात उचक कर भागता है उसके पीछे एक चमकीला शोला लगता है।" एक और जगह इर्शाद है (وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا) अल्ख़ (15/ह़िज्रः 16) यानी "हमने आसमान में बुर्ज बनाएं और उन्हें देखने वालों के लिए ज़ीनत दी और उसे हर राँदे हुए शैत़ान से हमने मह़फ़ूज़ कर लिया मगर जो किसी बात को चुरा ले जाए उसके पीछे चमकता हुआ शोला लगता है।" इसी त़रह़ की और आयात भी हैं। रजीम के एक मअ़नी राजिम के भी किये गये हैं। चूँकि शैत़ान लोगों को वस्वसों और गुमराहियों से रजम करता है इसलिए उसे रजीम यानी राजिम कहते हैं।

तफ़्सीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

''शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।''

बिस्मिल्लाह के बारे में तफ़्सीली बहसः (आयतः 1) सहाबा किराम (رضي الله عنهم) ने किताबुल्लाह को इसी के साथ शुरू किया। उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि (बिस्मिल्लाहिर् रहमानिर् रहीम) सूरह नम्ल की एक आयत है। अल्बत्ता इसमें इख़्तिलाफ़ है कि वह हर सूरत के शुरू में एक मुस्तक़िल आयत है? या हर सूरत की एक मुस्तक़िल आयत है जो उसके शुरू में लिखी गई है? या हर सूरत की कुछ आयत है? या इस तरह सूरह फ़ातिहा ही की आयत है और दूसरी सूरतों की नहीं? या सिर्फ़ एक सूरत को दूसरी सूरत से अलग करने के लिए लिखी गई है और आयत नहीं है? उलमा-ए-सलफ़ व ख़ल्फ़ का इन उमूर में इख़्तिलाफ़ चला आता है और अपनी जगह पर इसकी तफ़्सील मौजूद है।

सुनन अबू दाऊद में सहीह सनद के साथ हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सूरतों की जुदाई नहीं जानते थे जब तक कि आप (ﷺ) पर (बिस्मिल्लाहिर् रहमानिर् रहीम) नाज़िल नहीं हुई थी। (अबू दाऊद, किताबुस्सलात, बाब मन जहर बिहाः 788; वहुव सहीह, शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीहुल जामेअः 4864) मुस्तदरक हाकिम में भी यह हदीस है। एक मुर्सल हदीस में हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) से भी यह रिवायत मरवी है। सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा में हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (बिस्मिल्लाह) अल्ख़ को सूरह फ़ातिहा के शुरू में नमाज़ में पढ़ा और इसे एक आयत शुमार की। (इब्ने ख़ुज़ैमा, बाब ज़िक्रुद् दलील अला अन्न बिस्मिल्लाहिर् रहमानिर् रहीम आयतुन मिनल् फ़ातिहतिः 493; रिवायत का मदार उमर बिन हारून पर है जो इब्ने मह्दी, इमाम अहमद और इमाम नसाई के नज़दीक मतरूक, इमाम यहया के नज़दीक काज़िब हाफ़िज़ मदीनी और दारे कुत्नी के नज़दीक सख़्त ज़ईफ़ है। देखिए (अल मीज़ानः 3/228; रक़मः 6237) लिहाज़ा यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ है।) लेकिन इसके एक रावी उमर बिन हारून बलख़ी ज़ईफ़ हैं और इस तरह की एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है। (दारे कुत्नी, बाब वुजूबु क़िराअति बिस्मिल्लाहिर् रहमानिर् रहीम फ़िस्सलातिः 1/312; व हुव हदीसुन सहीह) नीज़ हज़रत अली (यह और बाद वाली रिवायत सब मौक़ूफ़ हैं।) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) वग़ैरह से भी मरवी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर, हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत अली (رضي الله عنهم) और हज़रत अता, हज़रत ताउस, हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत मक्हूल, हज़रत जुह्री (रह.) का यही मज़हब है कि (बिस्मिल्लाह) हर सूरत की एक मुस्तक़िल आयत है सिवाए सूर-ए-बराअत के। इन सहाबा (رضي الله عنهم) और ताबेईन (रह.) के अलावा हज़रत अब्दुल्लह बिन मुबारक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद के एक क़ौल में और इस्हाक़ बिन राहवे और अबू उबैद क़ासिम बिन सलाम (रह.) का भी यही मज़हब है। अल्बत्ता इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और इनके साथी कहते हैं कि (बिस्मिल्लाह) अल्ख़ न तो सूरह फ़ातिहा की आयत है न किसी और सूरत की। इमाम

शाफ़ई (रह़.) का एक क़ौल तो यह मरवी है कि यह सूर-ए-फ़ातिह़ा की तो एक आयत है लेकिन और सूरतों की नहीं। इनका एक क़ौल यह भी है कि यह हर सूरत के शुरू की आयत का हिस्सा है लेकिन यह दोनों क़ौल ग़रीब हैं। दाऊद (रह़.) कहते हैं कि यह हर सूरत के शुरू में एक मुस्तक़िल आयत है, सूरत में दाख़िल नहीं। इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह़.) से भी यही रिवायत है और अबूबक्र राज़ी (रह़.) ने अबू ह़सन (रह़.) का भी यही मज़हब बयान किया है जो इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) के बड़े पाया के साथी हैं। यह तो थी बह़स (बिस्मिल्लाह) अल्ख़ के सूरह फ़ातिह़ा की आयत होने न होने की (सह़ीह़ मज़हब यही मालूम होता है कि जहाँ क़ुरआने करीम में यह आयत मुबारका है वहाँ मुस्तक़िल आयत है। वल्लाहु आलम, मुतर्जिम!)

इमाम जहरी नमाज़ों में बिस्मिल्लाह बुलन्द आवाज़ से पढ़े या आहिस्ता से:

इख़्तिलाफ़ है कि आया इसे बाआवाज़े बुलंद पढ़ना चाहिए या पस्त आवाज़ से? जो लोग इसे सूरह फ़ातिह़ा की आयत नहीं कहते वह तो इसे बुलंद आवाज़ से पढ़ने के भी क़ाइल नहीं। इसी त़रह़ जो लोग इसे सूरह फ़ातिह़ा से अलग एक आयत मानते हैं वह इसके पस्त आवाज़ से पढ़ने के क़ाइल हैं। रहे वह लोग जो कहते हैं कि यह हर सूरत के अव्वल से है, उनमें इख़्तिलाफ़ है। इमाम शाफ़ई (रह़.) का मज़हब है कि सूरह फ़ातिह़ा और हर सूरत से पहले इसे ऊँची आवाज़ से पढ़ना चाहिए। सह़ाबा (رضی اللہ عنہم), ताबेईन (रह़.) और मुसलमानों के अगले – पिछले इमामों का यही मज़हब है। सह़ाबा में से इसे ऊँची आवाज़ से पढ़ने वाले ह़ज़रत अबू हुरैरह, ह़ज़रत इब्ने उमर, ह़ज़रत इब्ने अब्बास, ह़ज़रत मुआविया (رضی اللہ عنہم) हैं। ह़ज़रत अबूबक्र, ह़ज़रत उमर, ह़ज़रत उस्मान और ह़ज़रत अली (رضی اللہ عنہم) से भी ग़रीब सनद से इमाम ख़त़ीब (रह़.) ने नक़्ल किया है। बैहक़ी और इब्ने अब्दुल बर (रह़.) ने ह़ज़रत उमर और ह़ज़रत अली (رضی اللہ عنہما) से भी रिवायत किया है।

ताबेईन में से ह़ज़रत सईद बिन जुबैर, ह़ज़रत इक्रिमा (रह़.), ह़ज़रत अबू क़िलाबा, ह़ज़रत जुहरी, ह़ज़रत अली बिन ह़सन उनके लड़के मुह़म्मद, सईद बिन मुसय्यब, अत़ा, त़ाउस, मुजाहिद, इब्ने सीरीन, मुह़म्मद बिन मुन्कदिर (रह़.) अली बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इनके साह़बज़ादे मुह़म्मद बिन नाफ़ेअ (रह़.) इब्ने उमर के मौला ज़ैद बिन असलम, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, अज़्रक़ बिन क़ैस, ह़बीब बिन अबी साबित, अबू शअसाअ मक्ह़ूल, अब्दुल्लाह बिन मअक़िल बिन मुक़र्रिन और बरिवायत बैहक़ी अब्दुल्लाह बिन सफ़्वान मुह़म्मद बिन ह़नीफ़ा और बरिवायत इब्ने अब्दुल बर अम्र बिन दीनार (रह़.), यह उन सब नमाज़ों में जिनमें क़िराअत ऊँची आवाज़ से पढ़ी जाती है (बिस्मिल्लाहिर् रह़मानिर् रह़ीम) भी बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे। एक दलील तो इसकी यह है कि जब यह आयत सूरह फ़ातिह़ा में से है तो फिर पूरी सूरत की त़रह़ यह भी ऊँची आवाज़ से ही पढ़नी चाहिए। इसके अलावा सुनन नसाई, सह़ीह़ इब्ने ख़ुज़ैमा, सह़ीह़ इब्ने ह़िब्बान, मुस्तदरक ह़ाकिम में मरवी है कि ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) ने नमाज़ पढ़ाई और क़िराअत में ऊँची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर् रह़मानिर् रह़ीम पढ़ी और फ़ारिग़ होने के बाद फ़र्माया, मैं तुम सबसे ज़्यादा मुशाबेह हूँ रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ में। इस ह़दीस को दारे क़ुत्नी, ख़त़ीब और बैहक़ी वग़ैरह ने सह़ीह़ कहा है। (नसाई, किताबुल इफ़्तिताह़, बाब क़िराअतु बिस्मिल्लाहिर् रह़मानिर् रह़ीमः 906; इब्ने ख़ुज़ैमाः 499; इब्ने ह़िब्बानः 1797; ह़ाकिमः 1/237; इस रिवायत की सनद सह़ीह़ है। इसे ज़ईफ़ कहना ग़लत़ है।) अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को (बिस्मिल्लाहिर्

रहमानिर् रहीम) से शुरू करते थे। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं: यह हदीस ऐसी ज़्यादा सही नहीं। (तिर्मिज़ी, अब्वाबुस्सलात, बाब मन रअल जहर बिस्मिल्लाहिर् रहमानिर् रहीमः 245) मुस्तदरक हाकिम में इन ही से रिवायत है कि हुज़ूर (ﷺ) (बिस्मिल्लाहिर् रहमानिर् रहीम) को ऊँची आवाज़ से पढ़ते थे। इमाम हाकिम (रह.) ने इसे सहीह कहा है। (हाकिमः 1/208; और इसे सहीह कहा है। लेकिन ज़हबी (रह.) ने इब्ने हस्सान के मुत्तहम बिल किज़्ब होने की वजह से हाकिम की तस्हीह का रद्द किया है। देखिए (अल् मीज़ानः 2/469; रक़म 4489) लिहाज़ा यह रिवायत बातिल है।)

रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़िराअत का अंदाज़ः सहीह बुख़ारी में है कि हज़रत अनस (رضی الله عنه) से सवाल हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़िराअत किस तरह थी? फ़र्माया कि हर खड़े लफ़्ज़ को आप दराज़ करके पढ़ते थे। फिर (बिस्मिल्लाहिर् रहमानिर् रहीम) पढ़कर सुनाई। बिस्मिल्लाह पर मद किया अर् रहमान पर मद किया अर् रहीम पर मद किया। (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब मअल क़िराअतः 5046) मुस्नद अहमद, सुनन अबू दाऊद, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा और मुस्तदरक हाकिम में हज़रत उम्मे सलमा (رضی الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर–हर आयत पर रुकते थे और आप (ﷺ) की क़िराअत अलग–अलग होती थी। जैसे (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) फिर ठहर कर (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) फिर ठहरकर (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) फिर ठहरकर (مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) दारे–क़ुत्नी इसे सहीह बताते हैं। (अबू दाऊद, किताबुल हुरूफ़ वल क़िराअतः 4001; तिर्मिज़ीः 2927; अहमदः 6/302; हाकिमः 2/232; सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 493; दारे क़ुत्नीः 1/312; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (अल अरवाअः 2/60) लेकिन यह रिवायत ज़ईफ़ है। इब्ने जुरैज मुदल्लस है और इब्ने अबी मुलैका ने उम्मे सलमा (رضی الله عنها) से कुछ नहीं सुना। नैलुल मक़्सूदः 4001) इमाम शाफ़ई (रह.) इमाम हाकिम (रह.) ने हज़रत अनस (رضی الله عنه) से रिवायत किया है कि हज़रत मुआविया (رضی الله عنه) ने मदीना में नमाज़ पढ़ाई और बिस्मिल्लाह न पढ़ी तो जो मुहाजिर सहाबा उस वक़्त मौजूद थे उन्होंने टोका। चुनाँचे फिर जब नमाज़ पढ़ाने को खड़े हुए तो बिस्मिल्लाह पढ़ी। (मुस्नद शाफ़ईः 1/80; रक़मुल हदीसः 273; हाकिमः 1/233; और सनद सहीह है) ग़ालिबन इस क़द्र अहादीस व आसार इस मज़हब की हुज्जत के लिए काफ़ी हैं। बाक़ी रहे इसके ख़िलाफ़ आसार, रिवायात, उनकी सनदें, उनकी तअलील, उनका ज़ुअफ़ और उनकी तक़रीर वग़ैरह तो उनकी तफ़्सील दूसरे मक़ाम पर है। दूसरा मज़हब यह है कि नमाज़ में (बिस्मिल्लाह) बुलंद आवाज़ से न पढ़ना चाहिए। ख़ुल्फ़ा–ए–अरबआ, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (رضی الله عنه) और ताबेईन और बाद वालों की जमाअतों से यह साबित है। अबू हनीफ़ा सौरी, अहमद बिन हंबल (रह.) का यही मज़हब है। इमाम मालिक (रह.) का मज़हब है कि सिरे से (बिस्मिल्लाह) अल्ख़ पढ़े ही नहीं। न तो आहिस्ता न बुलंद। इनकी दलील एक तो सहीह मुस्लिम वाली हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (رضی الله عنها) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ को तक्बीर से और क़िराअत को (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) से शुरू किया करते थे। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब मा यज्मउ सिफ़तुस्सलात वमा यफ़्तहू बिही ....: 498; अबूदाऊदः 783; इब्ने माजाः 869) बुख़ारी व मुस्लिम में है हज़रत अनस बिन मालिक (رضی الله عنه) फ़र्माते हैं मैंने नबी (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान (رضی الله عنهم) के पीछे नमाज़ पढ़ी यह सब (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) से शुरू करते थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल् अज़ान, बाब मा यक़ूलु बअदत्

तक्बीरः 743; सहीह मुस्लिमः 399) मुस्लिम में है कि (बिस्मिल्लाह) अल्ख़ का ज़िक्र नहीं करते थे। न तो क़िराअत के शुरू में और न क़िराअत के आख़िर में। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब हुज्जतुम मन क़ाल ला यज्हरू बिल बस्मलाः 399) सुनन में हज़रत इब्ने मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से भी इसी तरह मरवी है। (तिर्मिज़ी, अब्वाबुस्सलात, बाब मा जाअ फ़ी तर्किल जहरि बिस्मिल्लाहिर् रह्मानिर् रहीम ...: 244; नसाईः 909; इब्ने माजाः 215; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ तिर्मिज़ीः 39) यह रिवायत इब्ने अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल की जिहालत की वजह से ज़ईफ़ है।) यह है दलील उन अइम्मा की (बिस्मिल्लाह) आहिस्ता पढ़ने की। यह ख़्याल रहे कि यह कोई बड़ा इख़्तिलाफ़ नहीं। हर एक फ़रीक़ दूसरे की नमाज़ की सेहत का क़ाइल है। फ़ल्हम्दु लिल्लाहि (बिस्मिल्लाह का मुत्लक़न न पढ़ना तो ठीक नहीं बुलंद व पस्त पढ़ने की अहादीस में इस तरह तत्बीक़ हो सकती है कि दोनों जाइज़ हैं। गो पस्त पढ़ने की अहादीस क़द्रे क़वी हैं। वल्लाहु आलम, मुतर्जिम)

फ़स्ल

बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइलः तफ़्सीर इब्ने अबी हातिम मे है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बिस्मिल्लाह के बारे में सवाल किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "यह अल्लाह का नाम है। अल्लाह तआला के बड़े नामोंऔर इसमें इस क़द्र नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में।"(अज़् ज़ुअफ़ाअ लिल् अक़ीलीः 2/162; सनद का मदार सलाम बिन वहब जुनदी पर है। अक़ीली फ़र्माते हैं यह सिर्फ़ इसी के हवाले से जानी जाती है। किसी दूसरे ने इसकी मुताबिअत नहीं की। ज़हबी (रह.) ने अल् मीज़ानः 2/182 में इसे मुंकर बल्कि झूठी ख़बर क़रार दिया है। यानी मौज़ूअ रिवायत है।) इब्ने मर्दवे में भी इसी तरह की रिवायत है। और यह रिवायत भी इब्ने मर्दवे में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब ईसा (ﷺ) को उनकी वालिदा ने मुअल्लिम के पास बिठाया उसने कहा, लिखिए बिस्मिल्लाह। हज़रत ईसा (ﷺ) ने कहा, बिस्मिल्लाह क्या है? उस्ताद ने जवाब दिया मैं नहीं जानता। आपने फ़र्माया, 'ब' से मुराद अल्लाह का बहा यानी बुलंदी है और 'स' से मुराद उसकी सना यानी नूर और रोशनी है और 'मीम' से मुराद उसकी 'मम्लिकत' यानी बादशाही है और (अल्लाह) कहते हैं मअबूदों के मअबूद को और रहमान कहते हैं दुनिया और आख़िरत में रहम करने वाले को और (रहीम) कहते हैं आख़िरत में रहमो-करम करने वाले को।" (इसकी सनद में इस्माईल बिन अयाश है जिसकी शामियों के अलावा दीगर से रिवायत ज़ईफ़ होती है। (अल मीज़ानः 1/241) यहाँ इसके उस्ताद मदनी हैं जबकि अतिया बिन सअद औफ़ी वाही यानी सख़्त कमज़ोर रावी है। (अत् तक़रीबः 2/24; रक़मः 216) और इस्माईल बिन यह्या मुत्तहम बिल वज़अ है। (अल मीज़ानः 1/253; रक़म 965) यानी यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ व बातिल है।) इब्ने जरीर में भी यह रिवायत है लेकिन सनद की रू से बेहद ग़रीब है। मुम्किन है कि किसी सहाबी वग़ैरह से मरवी हो और मुम्किन है कि बनी इस्राईल की रिवायात में से हो मरफ़ूअ हदीस न हो, वल्लाहु आलम!

इब्ने मर्दवे में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है कि किसी नबी पर सिवाए हज़रत सुलेमान (ﷺ) के ऐसी आयत नहीं उतरी। वह आयत (बिस्मिल्लाहिर् रह्मानिर्

रहीम) है।'' (इमाम इब्ने कसीर (रह.) सूर-ए-नम्ल आयतः 30 के तहत फ़र्माते हैं यह हदीस ग़रीब और इसकी सनद ज़ईफ़ है। यह रिवायत मरदूद है।) हज़रत जाबिर (ﷺ) फ़र्माते हैं, जब यह आयत (बिस्मिल्लाहिर् रहमानिर् रहीम) उतरी। बादल मश्रिक़ की तरफ़ छट गए, हवायें साकिन हो गईं, समुन्दर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगारे आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की क़सम खाकर फ़र्माया कि जिस चीज़ पर मेरा यह नाम लिया जाए उसमें ज़रूर बरकत होगी। हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) फ़र्माते हैं कि जहन्नम के 19 दारोग़ों से जो बचना चाहे वह (बिस्मिल्लाहिर् रहमानिर् रहीम) पढ़े। इसके भी उन्नीस हुरूफ़ हैं। हर हर्फ़ हर फ़रिश्ते से बचाव का ज़रिया बन जायेगा। इसे इब्ने अतिया ने बयान किया है और इसकी ताईद एक और हदीस से भी की है जिसमें है कि मैंने तीस से ऊपर फ़रिश्तों को देखा कि वह जल्दी कर रहे थे। यह हुज़ूर (ﷺ) ने उस वक़्त फ़र्माया था जब एक शख़्स ने (**रब्बन वलकल् हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीहि**) पढ़ा था। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब रक़मः 126; रक़मुल हदीसः 899) इसमें भी तीस से ऊपर हुरूफ़ हैं। इतने ही फ़रिश्ते उतरे। इसी तरह (बिस्मिल्लाह) अल्ख़ में भी उन्नीस हुरूफ़ हैं और वहाँ फ़रिश्तों की तअदाद भी उन्नीस है वग़ैरह वग़ैरह।

मुस्नद अहमद में है आँहज़रत (ﷺ) की सवारी पर आपके पीछे जो सहाबी सवार थे उनका बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) की ऊँटनी ज़रा फिसल गयी तो मैंने कहा शैतान का सतियानाश हो। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''यह न कहो इससे शैतान फूलता है और ख़याल करता है कि गोया उसने अपनी कुव्वत से गिराया। हाँ! बिस्मिल्लाह कहने से वह मक्खी की तरह ज़लील व पस्त हो जाता है।'' (अहमदः 5/59; और सनद सहीह है; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह अत् तर्ग़ीबः 3129) नसाई ने अपनी किताब 'अल् यौम वल् लैला' में और इब्ने मर्दवे ने अपनी तफ़्सीर में भी इसे बयान किया है और सहाबी का नाम इब्ने उसामा बिन उमैर बताया है, और इसमें है कि बिस्मिल्लाह कह यह बिस्मिल्लाह की बरकत है। (अल्यौम वल् लैला लिन् नसाईः 559; व सनदुहू ज़ईफ़ व हुव सहीह बिश् शवाहिद; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह अत् तर्ग़ीबः 3178)

हर काम के इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़नाः इसीलिए हर काम और हर बात के शुरू में बिस्मिल्लाह कह लेना मुस्तहब है। ख़ुत्बा के शुरू में भी बिस्मिल्लाह कहनी चाहिए। हदीस में है कि जिस काम को (बिस्मिल्लाहिर् रहमानिर् रहीम) से शुरू न किया जाए उसमें बरकत नहीं होती।'' (अत् तब्क़ातुश् शाफ़ियाः 1/6; इसकी सनद में अहमद बिन इमरान है जिसे ख़तीब वग़ैरह ने ज़ईफ़ कहा है। अल्मीज़ानः 1/148; रक़मः 575; और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सख़्त ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (अल इरवाअः 1) यानी यह रिवायत ज़ईफ़ है।)

बैतुल ख़ुला (लेटरीन) में जाने के वक़्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ ले। (तिर्मिज़ी, अब्वाबुल जुमुआ, बाब मा ज़िक्रु मिन् तस्मियतुम मिन दुख़ूलिल ख़लाः 606; इब्ने माजाः 297; इसकी सनद में अबू इस्हाक़ मुदलिस के सिमाअ की सराहत नहीं है। और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे बिश्शवाहिद सहीह क़रार दिया है। देखिए अल अरवाअः 50; यह रिवायत अपने तमाम शवाहिद के साथ ज़ईफ़ है।) हदीस में यह भी वारिद है कि

वुज़ू के वक़्त भी पढ़ ले। मुस्नद अहमद और सुनन में अबू हुरैरह, सईद बिन ज़ैद और अबू सईद (رضی اللہ عنہم) से मरवी है कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जो शख़्स वुज़ू में अल्लाह का नाम न ले उसका वुज़ू नहीं होता।'' यह हदीस हसन है। (अहमदः 2/418, 3/41; अबूदाऊदः किताबुत् तहारत बाब फ़ित्तस्मिया अलल् वुज़ूः 101; इब्ने माजाः 398, 399; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन क़रार दिया है। देखिए (अरवाअः 81) यह रिवायत इब्ने माजा (397) के शाहिद के साथ हसन है।) कुछ उलमा तो वुज़ू के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब बतलाते। कुछ मुत्लक़ वजूब के क़ाइल हैं।

जानवर ज़िब्ह करते वक़्त भी इसका पढ़ना मुस्तहब है। इमाम शाफ़ई (रह.) और एक जमाअत का यही ख़्याल है। कुछ ने ज़िक्र के वक़्त और कुछ ने मुत्लक़न इसे वाजिब कहा है। इसका बयान अनक़रीब आएगा। इंशाअल्लाह तआला!

इमाम राज़ी (रह.) ने अपनी किताब में इस आयत की फ़ज़ीलत मे बहुत सी अहादीस वारिद की है। एक में है कि, ''जब तू अपनी बीवी के पास जाए और बिस्मिल्लाह पढ़ ले और उसी से अल्लाह तआला कोई औलाद बख़्शे तो उसके और उसकी औलाद के सांस की गिनती के बराबर तेरे नामा–ए–आमाल में नेकियाँ लिखी जाएगी।'' लेकिन यह रिवायत बिलकुल बेअसल है। मैंने तो यह कहीं नहीं पायी। खाना वग़ैरह खाते वक़्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। सहीह मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत उमर बिन अबू सलमा (رضی اللہ عنہ) से फ़र्माया (जो आपके घर में हज़रत उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہا) के पहले शौहर थे) कि ''बिस्मिल्लाह कहो और अपने दाहिने हाथ से खाया करो और अपने सामने से निवाला उठाया करो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अत्इमा, बाब अत् तस्मिया अलत् तआम ..: 5376; सहीह मुस्लिमः 2022) कुछ उलेमा उस वक़्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब बताते हैं।

बीवी से मिलने (जिमाअ) के वक़्त भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब तुममें से कोई अपनी बीवी से मिलने का इरादा करे तो यह पढ़े (بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) यानी ''ऐ अल्लाह! हमें और जो हमें तू दे उसे शैतान से बचा। फ़र्माते हैं अगर उस जिमाअ से हमल ठहर गया तो उस बच्चे को शैतान कभी नुक़्सान न पहुँचा सकेगा।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाब अत् तस्मिया अला कुल्लि हाल व इन्दल विक़ाअः 141; वन्जुरः 3271, 3283, 5165, 6388, 7396; सहीह मुस्लिमः 1434; अबू दाऊदः 2161; तिर्मिज़ीः 1097; इब्ने माजाः 1919)

यहाँ से यह भी मालूम हुआ कि (बिस्मिल्लाह) की 'ब' का तअल्लुक़ किससे है। नहवियों के इसमे दो क़ौल हैं और दोनों क़रीब–क़रीब हैं। कुछ इस्म बताते हैं और कुछ फ़ेअल। हर एक की दलील क़ुरआन में मिलती है। जो लोग इस्म के साथ मुतअल्लिक़ बतलाते हैं वह तो कहते हैं, बिस्मिल्लाह इब्तिदाई यानी अल्लाह के नाम से मेरी इब्तिदा है। क़ुरआन में है (ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَ مُرْسٰهَا) अल्ख़ (11/हूदः 41) इसमें इस्म यानी मस्दर ज़ाहिर कर दिया गया है और जो लोग फ़ेअल के साथ मुक़द्दर बतलाते हैं चाहे वह अम्र हो या ख़बर हो जैसे (अबदा बिस्मिल्लाह) और (इब्तदातु बिस्मिल्लाह) उनकी

दलील आयत (इक़रा बिस्मि) अल्ख़ है। दरअसल दोनों ही सहीह हैं इसलिए कि फ़ेअल के लिए भी मस्दर का होना ज़रूरी है तो इख़्तियार है कि फ़ेअल को मुक़द्दर माना जाए और इसके मस्दर को मुताबिक़ उस फ़ेअल के जिसका नाम पहले लिया गया है खड़ा होना हो, बैठना हो, खाना हो, पीना हो, कुरआन पढ़ना हो, या वुज़ू और नमाज़ वग़ैरह हो इन सबके शुरू में बरकत हासिल करने के लिए इमदाद चाहने के लिए और क़बूलियत के लिए अल्लाह तआला का नाम लेना मशरूअ है। वल्लाहु आलम!

इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम में रिवायत है हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं कि सबसे पहले जिब्रईल (ﷺ) मुहम्मद (ﷺ) पर जब वही लेकर आए तो फ़र्माया, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! कहिए (असतअयिज़ु बिल्लाहि समीइलअलीम मिनश्शैयानिर्रजीम) फिर कहिए (बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहिम) मक़सूद यह था कि उठना, बैठना, पढ़ना सब अल्लाह के नाम से शुरू हो। (अत् तब्रीः 1/50–51; इसकी सनद में बिश्र बिन अम्मारा है जिसे नसाई वग़ैरह ने ज़ईफ़ कहा है (अल्मीज़ानः 1/321; रक़मः 1209) और ज़ह्हाक का इब्ने अब्बास (ﷺ) से मुलाक़ात साबित नहीं। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ व मरदूद है।)

बेकार बहसः इस्म यानी नाम ही मुसम्मा यानी नाम वाला है या कुछ और इसमें अहले इल्म के तीन क़ौल हैं। एक तो यह कि इस्म ही मुसम्मा है, अबू उबेद और सीबवे का यही क़ौल है। बाक़लानी और इब्ने फ़ौरक भी इसी को पसंद करते हैं। इब्ने ख़तीब राज़ी (रह.) अपनी तफ़्सीर के मुक़द्दमात में लिखते हैं हश्विया और करामिया और अश्अरिया तो कहते हैं इस्म नफ़्से मुसम्मा है और नफ़्से तस्मिया का ग़ैर है और मुअतज़िला कहते हैं कि इस्म मुसम्मा का ग़ैर है और नफ़्स तस्मिया है। हमारे नज़दीक इस्म मुसम्मा का भी ग़ैर है और तस्मिया का भी। हम कहते हैं कि अगर इस्म से मुराद लफ़्ज़ है जो आवाज़ों के टुकड़ों और हुरूफ़ का मज्मूआ है तो क़तई तौर पर साबित है कि यह मुसम्मा का ग़ैर है अगर इस्म से मुराद ज़ाते मुसम्मा है तो यह तो वज़ाहत को वाज़ेह करता है जो महज़ बेकार है तो ज़ाहिर है कि इस बेकार बहस में पड़ना ही फ़िज़ूल है। इसके बाद इस्मे मुसम्मा के फ़र्क़ पर अपने दलाइल लाए हैं कि कभी इस्म होता है और मुसम्मा नहीं होता जैसे मअदूम का लफ़्ज़ कभी एक मुसम्मा के कई इस्म होते हैं जैसे मुतरादिफ़। कभी इस्म एक होता है मुसम्मा के कई इस्म होते हैं जैसे मुश्तरक। इससे मालूम होता है कि इस्म और चीज़ है और मुसम्मा और चीज़ है यानी नाम अलग और नाम वाला अलग है और दलील सुनिए। कहते हैं कि इस्म तो लफ़्ज़ है और वह अर्ज़, और कभी तो ज़ात होती है मुम्किन या वाजिब। और सुनिए कि अगर इस्म ही को मुसम्मा माना जाए तो आग का नाम लेते ही तपिश महसूस हो और बर्फ़ का नाम लेते ही ठण्डक, हालाँकि कोई अक़्लमंद ऐसा नहीं कह सकता।

और दलील सुनिए कि अल्लाह तआला का फ़र्मान है कि, ''अल्लाह तआला के बहुत से बेहतरीन नाम हैं तुम उन नामों से उसे पुकारो।'' हदीस शरीफ़ में है कि ''अल्लाह तआला के निन्नान्वे (99) नाम हैं।'' तो ख़्याल कीजिए किस क़द्र बकसरत हैं हालाँकि मुसम्मा एक ही है और वह अल्लाह तआला वहदहू ला शरीक लहू है। इसी तरह अस्मा को अल्लाह की तरफ़ इस आयत में मुज़ाफ़ करना और जगह फ़र्माना (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (69/अल् हाक़्क़ाः 52) वग़ैरह यह इज़ाफ़त भी उसी का तक़ाज़ा करती है कि इस्म और हो और मुसम्मा और क्योंकि इज़ाफ़त का मुक़्तज़ा मुग़ायिरत का है। इसी तरह यह हुक्म फ़र्माना है कि

(فَادْعُوْهُ بِهَا) (7/अअ़राफ़ः 180) यानी ''अल्लाह तआ़ला को उसके नामों के साथ पुकारो।'' यह भी इस अम्र की दलील है कि नाम और है और नाम वाला और। अब उनके दलाइल सुनिए जो इस्म और मुसम्मा को एक ही बतलाते हैं। अल्लाह तआ़ला का फ़र्मान है (تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ) अल्ख़ (55/अर् रह़मानः 78) यानी ''हलाल व इकराम वाले तेरे रब का बाबरकत नाम है।'' तो नाम को बरकतों वाला फ़र्माया ह़ालाँकि ख़ुद अल्लाह तआ़ला बरकतों वाला है। इसका आसान जवाब यह है कि उस मुक़द्दस ज़ात की वजह से उसका नाम भी बड़ाईयों वाला है। दूसरी दलील इनकी यह है कि जब कोई शख़्स कहे कि ज़ैनब पर त़लाक़ है तो त़लाक़ उसकी बीवी पर जिसका नाम ज़ैनब है पड़ जाती है। अगर नाम और नाम वाले में फ़र्क़ होता तो नाम पर त़लाक़ पड़ती। नाम वाले पर कैसे पड़ जाती? इसका जवाब यह है कि इससे मुराद यही होती है कि उस ज़ात पर त़लाक़ है जिसका नाम ज़ैनब है तस्मिया से अलग होना इस दलील की बिना पर है कि तस्मिया कहते हैं किसी नाम मुक़र्रर करने को और ज़ाहिर है कि यह और चीज़ है और नाम वाला और चीज़ है। राज़ी (रह़.) का क़ौल यही है कि यह सब कुछ तो लफ़्ज़ बिस्म के बारे में था।

लफ़्ज़ 'अल्लाह' का मअ़नी और इश्तिक़ाक़ः अब लफ़्ज़ 'अल्लाह' के बारे में सुनिए, 'अल्लाह' ख़ास़ नाम है रब तबारक व तआ़ला का। कहा जाता है कि इस्मे आ'ज़म यही है। इसलिए कि तमाम उ़म्दह स़िफ़तों के साथ यही मौसूफ़ होता है जैसे कि कुरआने करीम में है (هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ) अल्ख़ (59/ह़श्रः 22) यानी ''वह अल्लाह है जिसके सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो छुपे–खुले का जानने वाला है जो रह़म करने वाला मेहरबान है। वह अल्लाह जिसके सिवा कोई इ़बादत के लायक़ नहीं जो बादशाह है। पाक है, सलामती वाला है, अमन देने वाला है, मुह़ाफ़िज़ है, ग़ल्बा वाला है, ज़बरदस्त है, बड़ाई वाला है। वह हर शिर्क से और शिर्क की चीज़ से पाक है, वह अल्लाह पैदा करने वाला, बनाने वाला, सूरत बख़्शने वाला है, उसके लिए बेहतरीन पाकीज़ा नाम हैं, आसमान व ज़मीन की तमाम चीज़ें उसकी तस्बीह़ बयान करती हैं वह इ़ज़्ज़तों और ह़िक्मतों वाला है।'' इन आयात में बाक़ी तमाम नाम स़िफ़ाती हैं और लफ़्ज़ अल्लाह की स़िफ़त हैं। पस अस़ली नाम अल्लाह है जैसाकि एक मक़ाम पर फ़र्माया, ''अल्लाह ही के लिए हैं पाकीज़ा और उ़म्दह नाम पस तुम उसको उन नामों से पुकारो।'' और फ़र्माता है अल्लाह को पुकारो या रह़मान को पुकारो जिस नाम से पुकारो उसी के प्यारे–प्यारे, अच्छे–अच्छे नाम हैं।'' बुख़ारी व मुस्लिम में ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह तआ़ला के निन्नान्वे नाम हैं, एक कम सौ, जो इन्हें याद कर ले जन्नती है।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुश् शुरूत़, बाब मा यजूज़ु फ़िल् इश्तिरात़ः 2736; व उंज़ुरः 6410–7392; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 2677) तिर्मिज़ी और इब्ने माजा की रिवायत में इन नामों की तफ़्स़ील भी आई है और दोनों की रिवायात में अल्फ़ाज़ का कुछ हेर–फेर कुछ कमी–ज़्यादती भी है। (तिर्मिज़ी, अब्वाबुद् दअ़वात, बाब ह़दीस फ़ी अस्माइल्लाहिल् ह़ुस्नाः 3507; इब्ने माजाः 3861; व सनदुहू ज़ईफ़ और शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ तिर्मिज़ीः 696) वलीद बिन मुस्लिम ने सिमाअ़ मुसलसल की तस़रीह़ नहीं की लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) राज़ी (रह़.) ने अपनी तफ़्सीर में कुछ लोगों से रिवायत किया है कि अल्लाह तआ़ला के पाँच हज़ार नाम हैं। एक हज़ार तो कुरआन शरीफ़ और स़ह़ीह़ अह़ादीस में हैं और एक हज़ार तौरात में और एक हज़ार इंजील में और एक हज़ार ज़बूर में और एक हज़ार लौह़े मह़फ़ूज़ में है।

अल्लाह ही वह नाम है जो सिवाए अल्लाह तबारक व तआला के किसी और का नहीं। यही वजह है कि आज तक अरब को यह भी मालूम नहीं कि इसका इश्तिक़ाक़ क्या है? इसका बाब क्या है? बल्कि एक बड़ी नहृवियों की जमाअत का ख़्याल है कि यह इस्म जामिद है और इसका कोई इश्तिक़ाक़ है ही नहीं। क़ुर्तुबी (रह.) ने उलमा की एक बड़ी जमाअत का यह मज़हब नक़्ल किया है जिनमें से इमाम शाफ़ई, इमाम ख़त्ताबी और इमामुल हरमैन इमाम ग़ज़ाली (रह.) वग़ैरह हैं। ख़लील और सीबवे से रिवायत है कि अलिफ़ लाम इसमें लाज़िम है। इमाम ख़त्ताबी (रह.) ने इसकी एक दलील यह भी दी है कि या अल्लाह तो कह सकते हैं, मगर या रहमान कहते हुए किसी को नहीं सुना। अगर लफ़्ज़ अल्लाह में अलिफ़ लाम असल कलिमा का न होता तो इस पर निदा का लफ़्ज़ या दाख़िल न हो सकता क्योंकि क़वाइदे अरबी के लिहाज़ से हर्फ़े निदा का अलिफ़ लाम वाले इस्म पर दाख़िल होना जाइज़ नहीं।

कुछ लोगों का यह क़ौल भी है कि यह मुश्तक़ है और इस पर रूबा का एक शेअर बतौरे दलील लाते हैं जिसमें मस्दर तअल्लुहू का बयान है जिसका माज़ी मुज़ारेअ अलिह यालहू इलाहतन और तअल्लुहन जैसे कि इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि वह यज़रक व आलिहतक पढ़ते थे। मुराद इससे इबादत है यानी उसकी इबादत की जाती है और वह किसी की इबादत नहीं करता। मुजाहिद (रह.) वग़ैरह कहते हैं कुछ ने इस पर इस आयत से दलील पकड़ी है कि (هُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ فِى الْاَرْضِ) (6/अन्आमः 3) और आयत में है (هُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّ فِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ) (43/अज़् ज़ुख़रुफ़ः 84) यानी "वही अल्लाह है आसमानों में और ज़मीन में वही है जो आसमान में मअबूद है और ज़मीन में मअबूद है।" सीबवे ख़लील से नक़्ल करते हैं कि असल में इलाहुन था जैसे फ़िआलुन फिर हम्ज़ा के बदले अलिफ़ व लाम लाया गया जैसे अन् नास कि असल उनास है। कुछ ने कहा है कि लफ़्ज़ अल्लाह की असल लाहून है अलिफ़ लाम हर्फ़े तअज़ीम के तौर पर लाया गया है। सीबवे का भी पसंदीदा क़ौल यही है। अरब शायरों के शेअरों में भी यह लफ़्ज़ मिलता है। कुसाई और फ़र्रा कहते हैं इसकी असल इलालहू थी, हम्म को हज़फ़ किया और पहले लाम को दूसरे में इदग़ाम किया। जैसे कि लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी में लाकिन्ना इन्ना का ला किन्ना हुआ है चुनाँचे हसन (रह.) की क़िराअत में ला किन्न इन्ना ही है और इसका इश्तिक़ाक़ वलिह से है और इसके मअनी तहय्यर हैं व लहुन अक़्ल के चले जाने को कहते हैं। अरबी में रजुलुन् वालिहुन और इम्रातुन वल्हा और मौलूहतुन उस वक़्त कहते हैं जब वह जंगल में भेज दिया जाए। चूँकि ज़ाते बारी तआला में और उसकी सिफ़तों की तहक़ीक़ में अक़्ल हैरान व परेशान हो जाती है इसलिए उस ज़ात पाक को अल्लाह कहा जाता है। इस बिना पर असल में यह लफ़्ज़ विलाहुन था वाव को हमज़ा से बदल दिया गया जैसे कि विशाहुन और विसादतुन इशाह और इसादा कहते हैं।

राज़ी (रह.) का क़ौल है कि यह लफ़्ज़ अलिह्तु इला फ़ुलान से मुश्तक़ है जो कि मअनी में सकन्तु के है यानी मैंने फ़लाँ से सकूनत और राहत हासिल की। चूँकि अक़्ल का सकून सिर्फ़ ज़ाते बारी तआला के ज़िक्र की तरफ़ है और रूह की हक़ीक़ी ख़ुशी उसी की मअरिफ़त में है इसलिए कि अलल् इत्लाक़ कामिल वही है उसके सिवा कोई और नहीं। इसी वजह से अल्लाह कहा जाता है। क़ुरआन में है (اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ) अल्ख़ (13/रअदः 28) यानी "ईमानदारों के दिल सिर्फ़ अल्लाह तआला के ज़िक्र से ही इत्मीनान हासिल करते हैं।"

एक क़ौल यह भी है कि यह लाह यलूहु से माख़ूज़ है जिसके मअ़नी छुप जाने और हिजाब करने के हैं। और यह भी कहा गया है कि यह अलहल् फ़सीलु से है चूँकि बन्दे उसी की तरफ़ तज़र्रुअ और ज़ारी से झुकते हैं। उसी के दामने रहमत का पल्ला हर हाल में थामते हैं, इसलिए उसे अल्लाह कहा गया है। एक क़ौल यह भी है कि अरब अलहर रजुलु यअलुहु उस वक़्त कहते हैं जब किसी अचानक अम्र से कोई घबरा उठे और दूसरा उसे पनाह दे और बचा ले चूँकि तमाम मख़्लूक़ को हर मुसीबत से नजात देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है इसलिए उसे अल्लाह कहते हैं जैसाकि कुरआने करीम में है (وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ) (23/अल् मोमिनून: 88) यानी वही बचाता है और उस पर कोई नहीं बचाया जाता। (وَهُوَ مُنْعِمٌ) हक़ीक़ी मुन्इम वही है। फ़र्माता है, ''तुम्हारे पास जितनी नेअ़मतें हैं वह सब अल्लाह तआला की दी हुई हैं'' वही (مُطْعِمٌ) है वह खिलाता है और उसे कोई नहीं खिलाता। वही मूजिद है। फ़र्माता है हर चीज़ का वजूद अल्लाह तआला की तरफ़ से है। राज़ी (रह.) का मुख़्तार मज़हब यही है कि लफ़्ज़े अल्लाह मुश्तक़ नहीं है। ख़लील, सीबवे, अकसर उसूली और फ़ुक़्हा का यही क़ौल है इसकी बहुत सी दलीलें भी हैं अगर यह मुश्तक़ होता तो इसके मअ़नी में बहुत से अफ़राद की शिर्कत होती हालाँकि ऐसा नहीं।

फिर इस लफ़्ज़ को मौसूफ़ बनाया जाता है और इसकी बहुत सारी सिफ़तें आती हैं, जैसे रहमान, रहीम, मालिक, कुद्दूस, वग़ैरह तो मालूम हुआ कि यह मुश्तक़ नहीं। कुरआन में एक जगह (عَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ اللّٰهِ) (14/इब्राहीम: 1,2) जो आया है वहाँ यह अ़त्फ़े बयान है। एक दलील इसके मुश्तक़ न होने की यह भी है (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝) (19/मरयम: 65) यानी ''क्या उसका हमनाम भी कोई जानते हो?'' बयान की जाती है लेकिन यह ग़ौरतलब है वल्लाहु आलम!

कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यह लफ़्ज़ इबरानी है लेकिन राज़ी (रह.) फ़र्माते हैं कि मख़्लूक़ की दो क़िस्में हैं एक तो वह जो मअ़रिफ़ते इलाही के किनारे पर पहुँच गये। दूसरे वह जो इससे महरूम हैं जो हैरत की अंधेरियों में और जिहालत की पुरख़ार वादियों में पड़े हुए हैं। वह तो अ़क़्ल को रो बैठे हैं और रूहानी कमालात को खो बैठे हैंलेकिन जो साहिल मअ़रिफ़त पर पहुँच चुके हैं जो नूरानियत के वसीअ बाग़ों मे जा ठहरे हैं, जो किब्रियाई और हलाल की वुस्अत का अंदाज़ा कर चुके हैं वह भी यहाँ तक पहुँचकर हैरान व शशदर रह गये हैं और बारगाह फ़र्दानियत और दरबारे समदियत मे मब्हूत खड़े रह गये हैं।

ग़र्ज़ सारी मख़्लूक़ उसकी पूरी मअ़रिफ़त से आजिज़ और सरगश्ता व हैरान हैं पस यह उन मअ़नी की बिना पर उस पाक ज़ात का नाम अल्लाह है। सारी मख़्लूक़ उसकी मुहताज उसके सामने झुकने वाली और उसकी तलाश करने वाली है। इस मअ़नी में उसे अल्लाह कहते हैं जैसाकि ख़लील का क़ौल है अ़रब मुहावरे में हर ऊँची और बुलंद चीज़ को लाह कहते हैं। सूरज जब तुलूअ होता है तब भी वह कहते हैं लाहतिश् शम्स चूँकि परवरदिगारे आ़लम भी सबसे बुलंद व बाला है उसको भी अल्लाह कहते हैं और अलह के मअ़नी इबादत करने के और तालह के मअ़नी हुक्मबरदारी और कुर्बानी करने के हैं और अल्लाह आ़लिम की इबादत की जाती है और उसके नाम पर कुर्बानियाँ की जाती है इसलिए उसे अल्लाह कहते हैं। इब्ने अ़ब्बास (رضی) की क़िराअत में है (وَ يَذَرَكَ وَ اٰلِهَتَكَ) (7/अअ़राफ़: 127) इसकी अस़ल इलालहू है पस 'फ़' कलिमा की जगह पर जो

हम्ज़ा है वह ह़ज़फ़ किया गया फिर नफ़्से कलिमा का लाम ज़ाइद लाम से जो तअ़रीफ़ के लिए लाया गया है उससे मिला दिया गया और एक को दूसरे में इदग़ाम किया गया तो एक लाम मुशद्द रह गया और तअ़ज़ीमन अल्लाह कहा गया है। यह तो है लफ़्ज़ अल्लाह की तफ़्सीर।

अर् रह़मान अर् रह़ीम की तफ़्सीरः (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) यह दोनों नाम रह़मत से मुश्तक़ हैं। दोनों में मुबालग़ा है। रह़मान में रह़ीम से ज़्यादा मुबालग़ा है। अ़ल्लामा इब्ने जरीर (रह़.) के क़ौल से तो मालूम होता है कि गोया इस पर इत्तिफ़ाक़ है। कछ सलफ़ की तफ़्सीरों से भी यह मालूम होता है ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) का क़ौल भी इसी मअ़नी का पहले गुज़र चुका है कि रह़मान से मुराद दुनिया और आख़िरत में रह़म करने वाला और रह़ीम से मुराद आख़िरत में रह़म करने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि रह़मान मुश्तक़ नहीं है। अगर यह इस त़रह़ होता तो मरह़ूम के साथ न मिलता ह़ालाँकि कुरआन में (بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا) (33/अह़ज़ाबः 43) आया है। मुबर्रिद कहते हैं कि रह़मान इब्रानी नाम है अ़रबी नहीं। अबू इस्ह़ाक़ ज़ुजाज मअ़ानियुल् कुरआन में लिखते हैं कि अह़मद बिन यह़्या का क़ौल है कि रह़ीम अ़रबी लफ़्ज़ है और रह़मान इब्रानी है दोनों को जमा कर दिया गया है। लेकिन अबू इस्ह़ाक़ (रह़.) फ़र्माते हैं कि इस क़ौल की त़रफ़ दिल माइल नहीं होता। क़ुर्तुबी इस लफ़्ज़ के मुश्तक़ होने की यह दलील लाए हैं कि तिर्मिज़ी की स़ह़ीह़ ह़दीस में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि, "अल्लाह तआ़ला का फ़र्मान है कि मैं रह़मान हूँ। मैंने रह़म को पैदा किया और अपने नामों में से ही उसका नाम मुश्तक़ किया। इसके मिलाने वाले को मैं मिलाऊँगा और इसके तोड़ने वाले को मैं काट दूँगा।" (अबू दाऊद, किताबुज़् ज़कात, बाब फ़ी स़िलतिर् रिह़मः 1694; तिर्मिज़ीः 1907; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे बिश्शवाहिद स़ह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् स़ह़ीह़ाः 570) यह रिवायत ह़दीसे अबू दाऊद (1695) के साथ स़ह़ीह़ है।)

अब इस स़रीह़ ह़दीस के होते हुए मुख़ालिफ़त और इंकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। रहा कुफ़्फ़ारे अ़रब का इस नाम से इंकार करना यह मह़ज़ उनकी जिहालत का एक करिश्मा था। क़ुर्तुबी (रह़.) कहते हैं कि रह़मान और रह़ीम के एक ही मअ़नी हैं जैसे नदमानुन और नदीमुन, अबू उ़बेद (रह़.) का यही क़ौल है। एक क़ौल यह भी है कि फ़उ़लानुन फ़ईलुन की त़रह़ नहीं। फ़उ़लानुन में मुबालग़ा ज़रूरी होता है। जैसे ग़ज़्बान उसी शख़्स को कह सकते हैं जो बहुत ही गुस्सा वाला हो और फ़ईलुन कभी फ़ाइल और कभी मफ़ऊल के लिए भी आता है जो मुबालग़ा से ख़ाली होता है। अबू अ़ली फ़ारसी (रह़.) कहते हैं कि रह़मान आ़म इस्म है जो हर क़िस्म की रह़मतों को शामिल है और स़िर्फ़ अल्लाह तआ़ला के साथ मख़्सूस है और रह़ीम बए'तिबार मोमिनों के है। फ़र्माता है (وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا) (33/अह़ज़ाबः 43) मोमिनों के साथ रह़ीम है। इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं यह दोनों नाम रह़मत व रह़म वाले हैं एक में दूसरे से ज़्यादा रह़मत व रह़म है।

ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) की इस रिवायत में लफ़्ज़ अरक़्क़ु है इसके मअ़नी ख़त्ताबी (रह़.) वग़ैरह अरफ़क़ु करते हैं जैसे कि ह़दीस में है कि अल्लाह तआ़ला रिफ़्क़ यानी नर्मी और मेहरबानी वाला है। वह हर काम में नर्मी और आसानी को पसंद करता है। वह नर्मी और आसानी पर वह नेअ़मतें मरह़्मत फ़र्माता है जो सख़्ती पर अ़त़ा नहीं फ़र्माता। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस् स़िलति, बाब फ़ज़्लु रिफ़्क़ः 2593) इब्नुल

मुबारक (रह.) फ़र्माते हैं रहमान उसे कहते हैं कि जब उससे जो मांगा जाए अता करे और रहीम वह है कि जब उससे न मांगा जाए वह ग़ज़बनाक हो। तिर्मिज़ी की हदीस में है, ''जो शख़्स अल्लाह तआला से न मांगे अल्लाह तआला उस पर ग़ज़बनाक होता है।'' (तिर्मिज़ी, किताबुद् दअवात बाब मल् लम् यस्अलुल्लाह ....: 3373; इब्ने माजाः 3827; तहक़ीक़े राजेह में यह ज़ईफ़ रिवायत है क्योंकि इसकी सनद में अबू सालेह ख़ूज़ी लीनुल हदीस रावी हैं।) कुछ शायरों का क़ौल हैः–

اللہ یغضب ان ترکت سوالہ　　وبنی ادم حین یسال یغضب

अल्लाहु यग़्ज़बु इन् तरक्त सुआलहू　　व बनी आदम हीन युस्अलु यग़्ज़बु

यानी अल्लाह तआला से न मांगो तो वह नाराज़ होता है और बनी आदम से मांगो तो वह बिगड़ते हैं। अज़्रमी (रह.) फ़र्माते हैं कि रहमान के मअनी तमाम मख़्लूक़ पर रहम करने वाला और रहीम के मअनी मोमिनों पर रहम करने वाला है। देखिए क़ुरआने करीम की दो आयात (सुम्म अस्तवा अलल अरशिअ) (13/रअदः 2) और (اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى) (20/ताहाः 5) में (اسْتَوٰى) के साथ रहमान का लफ़्ज़ ज़िक्र किया ताकि तमाम मख़्लूक़ को यह लफ़्ज़ अपने आम रहमो–करम के मअनी से शामिल हो सके और मोमिनों के ज़िक्र के साथ लफ़्ज़े रहीम फ़र्माया (وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿﴾)। पस मालूम हुआ कि रहमान में मुबालग़ा बनिस्बत रहीम के बहुत ज़्यादा है लेकिन हदीस की एक दुआ में ("يا رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما" या रहमान अद्दुनया वलआख़िरति वरहीमहुमा) भी आया है। (मुस्तदरक हाकिमः 1/515; यह रिवायत हकम बिन अब्दुल्लाह अद् दैली की वजह से मौज़ूअ है और शैख़ अल्बानी ने भी इसे मौज़ूअ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अत् तर्ग़ीबः 1143) रहमान यह नाम भी अल्लाह तआला के साथ मख़्सूस है इसके सिवा दूसरे का नाम नहीं, जैसाकि फ़र्माने इलाही है कि ''अल्लाह को पुकारो या रहमान को जिस नाम से चाहो उसे पुकारो, उसके बहुत अच्छे–अच्छे नाम हैं।'' एक और आयत में है (وَ سْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا) अल्ख़ (43/ज़ुख़रुफ़ः 45) यानी ''अपने से पहले के रसूलों को पूछ लो क्या उनके लिए रहमान के सिवा कोई और मअबूद था जिसकी इबादत वह करते हों।'' जब मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने बड़े–बड़े दावे करने शुरू किये और अपना नाम रहमानुल यमामा रखा तो परवरदिगार ने उसे बेइन्तिहा रुस्वा और बर्बाद किया और झूठ और किज़्ब के साथ वह मशहूर हो गया। आज उसे मुसैलिमा कज़्ज़ाब कहा जाता है और हर झूठे दावेदार को उसके साथ तश्बीह दी जाती है। हर देहाती और हर शहरी, हर कच्चे–पक्के घर वाला उसे बख़ूबी जानता है। कुछ कहते हैं कि रहीम में रहमान से ज़्यादा मुबालग़ा है इसलिए कि इस लफ़्ज़ के साथ अगले लफ़्ज़ की ताकीद की गई है और ताकीद बनिस्बत उसके कि जिसकी ताकीद की जाए ज़्यादा क़वी होती है। इसका जवाब यह है कि यहाँ ताकीद है ही नहीं बल्कि यह तो सिफ़त है और सिफ़त में यह क़ायदा नहीं पस अल्लाह तआला का नाम लिया गया, उस नाम में भी उसका कोई शरीक नहीं और उसकी सिफ़त सबसे पहले रहमान बयान की गई कि यह नाम रखना भी दूसरों को मम्नूअ है जैसे फ़र्मा दिया कि ''अल्लाह को या रहमान को पुकारो जिस नाम से चाहो पुकारो उसके लिए अस्मा–ए–हुस्ना बहुत सारे हैं।'' मुसैलिमा ने तो यह बदतरीन जुर्अत (हिम्मत) की लेकिन बर्बाद हुआ और उसके गुमराह साथियों के सिवा उसकी यह बात औरों पर न चल सकी।

रहीम के वस्फ़ के साथ अल्लाह तआला ने दूसरों को भी मौसूफ़ किया है। फ़र्माता है (لقد جاءكم) अल्ख़ (9/तौबाः 128) इस आयत में अपने नबी (ﷺ) को रहीम कहा। इसी तरह अपने कुछ नामो से दूसरों को भी उसने याद किया है। जैसे कि आयत (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ) अल्ख़ (76/दहरः 2) मे इंसान को समीअ और बसीर कहा है। हासिल यह है कि अल्लाह तआला के कुछ नाम तो ऐसे हैं कि दूसरों पर भी दूसरे मअनी में इनका इत्लाक़ हो सकता है और कुछ ऐसे हैं कि नहीं हो सकता जैसे अल्लाह और रहमान और ख़ालिक़ और रज़्ज़ाक़ वग़ैरह। इसीलिए अल्लह तआला ने अपना पहला नाम अल्लाह लिया फिर उसकी सिफ़त रहमान से की इसलिए कि रहीम की निस्बत यह ज़्यादा ख़ास है और ज़्यादा मशहूर है। क़ायदा है कि पहले सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग नाम से नाम लिया जाता इसलिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ख़ास नाम के साथ लिया फिर उससे कम, फिर उससे कम, अगर कहा जाए कि जब रहमान में रहीम से ज़्यादा मुबालग़ा मौजूद है तो फिर उसी पर इक्तिफ़ा क्यूँ न किया? तो इसके जवाब में हज़रत अता ख़ुरासानी (रह.) का यह क़ौल पेश किया जा सकता है कि चूँकि काफ़िरों ने रहमान नाम भी ग़ैरों का रख लिया था इसलिए रहीम का लफ़्ज़ भी लाए ताकि किसी क़िस्म का वहम ही न रहे। रहमान व रहीम सिर्फ़ अल्लाह तआला ही के नाम हैं। इब्ने जरीर (रह .) ने इस क़ौल को नक़्ल किया है। कुछ लोग कहते हैं कि जाहिलियत के ज़माने के अरब रहमान से वाक़िफ़ ही न थे। यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने कुरआने पाक की आयत (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ) अल्ख़ (17/इस्राः 110) नाज़िल फ़र्माकर इनकी तर्दीद की। कुफ़्फ़ारे कुरैश ने हुदेबिया वाले साल भी जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अली (رضي الله عنه) से फ़र्माया था कि (بسم الله الرحمن الرحيم) लिखो, कहा था कि हम रहमान और रहीम को नहीं जानते। बुख़ारी में यह रिवायत मौजूद है। (सहीह बुख़ारी, किताबुश् शुरूत बाब अश्शुरूतफ़िल् जिहादः 2731, 2732) कुछ रिवायात में है कि उन्होंने कहा था कि हम रहमाने यमामा को जानते हैं किसी और रहमान को नहीं जानते। इसी तरह और जगह कुरआने करीम में है (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ) अल्ख़ (25/अल् फ़ुरक़ान : 60) यानी ''जब इनसे कहा जाता है कि रहमान के सामने सज्दा करो तो वह वहशत करने लगते हैं और जवाब देते हैं कि रहमान कौन है जिसे हम तेरे क़ौल की वजह से सज्दा करें।'' इन सबका सहीह मतलब यह है कि बदकार लोग सिर्फ़ इनाद और तकब्बुर, सरकशी और दुश्मनी की बिना पर रहमान का इंकार करते थे न कि वह इस नाम से अंजान थे। इसलिए कि जाहिलियत के ज़माने के पुराने अश्आर में भी अल्लाह तआला का नाम रहीम मौजूद है जो इन ही शायरों के शेअर हैं। सलामा के शेअर और दीगर अश्आर मुलाहिज़ा हों। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से तफ़्सीर इब्ने जरीर में है कि रहमान फ़अलान के वज़न पर रहमत से माख़ूज़ है और कलामे अरब मे से है। वह अल्लाह रफ़ीक़ और रक़ीक़ जिस पर रहम करना चाहे और जिससे गुस्से हो उससे बहुत दूर और उस पर बहुत सख़्तगीर भी है इसी तरह उसके तमाम नाम हैं। हसन (रह.) फ़र्माते हैं कि रहमान का नाम दूसरों के लिए मना है क्योंकि ख़ुद अल्लाह तआला का नाम है। लोगों को इस नाम पर कोई हक़ नहीं। उम्मे सलमा (رضي الله عنها) वाली हदीस जिसमें है कि हर आयत पर हुज़ूर (ﷺ) ठहरा करते थे पहले गुज़र चुकी है। (अबूदाऊद, किताबुल हुरूफ़ वल् क़िराअतः 4001; तिर्मिज़ीः 2927; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (अल इरवाः 343) यह रिवायत बलिहाज़े सनद ज़ईफ़ है लेकिन मुस्नद अहमदः 6/488; हः 27003 की सहीह रिवायत इससे बेनियाज़ कर देती है।

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ②

तर्जुमाः "तमाम तअ़रीफ़ अल्लाह तआ़ला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है।"

और एक जमाअ़त इसी तरह बिस्मिल्लाह अल्ख़ को आयत क़रार देकर अल्हम्दु लिल्लाह को अलग पढ़ती है और कुछ मिलाकर पढ़ते हैं। मीम को दो साकिन जमा हो जाने की वजह से ज़ेर देते हैं। जुम्हूर का यही क़ौल है। कूफ़ी कहते हैं कि कुछ अरब मीम पर ज़बर पढ़ते हैं, हमज़ा की हरकते ज़बर मीम को देते हैं जैसे (الٓمٓ ۚ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) (3/आले इमरानः 1–2) इब्ने अ़तिया (रह़) कहते हैं कि ज़बर की क़िराअत किसी से भी मेरे ख़्याल में मरवी नहीं। (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। अब आगे सुनिए।

अल्हम्दुलिल्लाह के मआ़नीः (आयतः 2) सातों क़ारी (अल्हम्दु) को दाल के पेश से पढ़ते हैं और (अल्हम्दु लिल्लाहि) को मुब्तदा और ख़बर मानते हैं। सुफ़ियान बिन उ़येयना और रूबा बिन उ़जाज का क़ौल है कि दाल के ज़बर के साथ है और फ़ेअ़ल यहाँ मुक़द्दर है। इब्ने अबी अ़ब्ला (अल्हम्दु) की दाल को और (लिल्लाह) के पहले लाम को दोनों को पेश के साथ पढ़ते हैं और इस लाम को पहले के ताबेअ़ करते हैं। गो इसकी शहादत ज़ुबाने अ़रब से मिलती है लेकिन शाज़ है। हसन और ज़ैद बिन अ़ली इन दोनों हर्फ़ों को ज़ेर से पढ़ते हैं और लाम के ताबेअ़ दाल को करते हैं। इब्ने जरीर (रह़.) फ़र्माते हैं (अल्हम्दु लिल्लाहि) के मअ़नी यह हैं कि सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला का शुक्र है उसके सिवा कोई उसके लायक़ नहीं ख़्वाह वह मख़्लूक़ में से कोई भी हो। क्योंकि तमाम नेअ़मतें, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते और सिवा उस मालिक के और कोई उनकी तअ़दाद को नहीं जानता, उसी की तरफ़ से हैं। उसी ने अपनी इताअ़त करने के तमाम अस्बाब हमें अ़ता फ़र्माए उसी ने अपने फ़राइज़ पूरे करने के लिए जिस्मानी नेअ़मतें हमें अ़ता कीं। फिर दुनियावी बेशुमार नेअ़मतें और ज़िन्दगी की तमाम ज़रूरियात हमारे किसी ह़क़ के बग़ैर हमे उसने हिबा कीं। उसकी हमेशगी वाली नेअ़मतें उसके तैयारकर्दा पाकीज़ा मक़ाम जन्नत में हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? यह भी उसने हमें सिखा दिया। पस हम तो कहते हैं कि अव्वल आख़िर उसी मालिक की पाक ज़ात हर तरह की तअ़रीफ़ और हम्दो-शुक्र के लायक़ है। (अत् तब्रीः 1/135)

(अल्हम्दु लिल्लाहि) यह सना का कलिमा है। अल्लाह तआ़ला ने अपनी सना ख़ुद आप की है और इसी ज़िम्न मे गोया यह फ़र्मा दिया है कि कहो (अल्हम्दु लिल्लाहि) कुछ ने कहा कि (अल्हम्दु लिल्लाहि) कहना यह अल्लाह तआ़ला के पाकीज़ा नामों और उसकी बुलंद व बाला सिफ़तों से उसकी सना करना है और (अश्शुक्रु लिल्लाहि) कहना यह अल्लाह तआ़ला की नेअ़मतों और उसके एह़सान का शुक्रिया अदा करना है। (अत् तब्रीः 1/137) लेकिन यह क़ौल ठीक नहीं इसलिए कि ज़ुबाने अ़रब को जानने वाले उ़लमा को इत्तिफ़ाक़ है कि शुक्र की जगह हम्द का लफ़्ज़ और हम्द की जगह शुक्र का लफ़्ज़ बोलते हैं। जा'फ़र सादिक़ और इब्ने अ़ता सूफ़ी (रह़.) भी यही फ़र्माते हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि हर शुक्र करने वाले का कलिमा (अल्हम्दु लिल्लाहि) है। क़ुर्तुबी (रह़.) ने इब्ने जरीर (रह़.) के क़ौल को मो'तबर करने के लिए यह दलील भी बयान की है कि अगर कोई (अल्हम्दु लिल्लाहि शुक्रन) कहे तो जाइज़ है। दरअसल अ़ल्लामा

इब्ने जरीर (रह़ .) के इस दावे में कलाम है। साबिक़ा उ़लमा में मशहूर है कि (ह़म्द) कहते हैं ज़ुबानी तअ़रीफ़ बयान करने को ख़्वाह जिसकी ह़म्द की जाती हो उसकी लाज़मी सिफ़तों पर हो या मुतअ़द्दी सिफ़तों पर। और शुक्र सिर्फ़ मुतअ़द्दी सिफ़तों पर होता है और वह दिल ज़ुबान और ज़ुम्ल-ए-अरकान से होता है। अ़रब शायरों के अश्आ़र भी इस पर दलील हैं।

हाँ! इसमे इख़्तिलाफ़ है कि ह़म्द का लफ़्ज़ आ़म है या शुक्र का। और सह़ीह़ बात यह है कि इनके बीच उ़मूम व ख़ुसूस़ है कि ह़म्द का लफ़्ज़ जिस पर वाक़ेअ़ हो वह आ़म त़ौर पर शुक्र के मअ़नी में आता है। इसलिए कि वह लाज़िम और मुतअ़द्दी दोनों औस़ाफ़ पर आता है। क़ुद्दूसियत और करम दोनों पर ह़मिद्तुहू कह सकते हैं लेकिन इस ह़ैसियत से कि वह सिर्फ़ ज़ुबान से ही अदा हो सकता है। यह लफ़्ज़ ख़ास़ है और शुक्र का लफ़्ज़ आ़म है क्योंकि वह क़ौल, फ़ेअ़ल, निय्यत तीनों पर बोला जाता है और सिर्फ़ मुतअ़द्दी सिफ़तों पर बोले जाने के ए'तिबार से शुक्र का लफ़्ज़ ख़ास़ है। क़ुद्दूसियत पर शकर्तुहू नहीं कह सकते अल्बत्ता शकर्तुहू अ़ला करमिही व इह़्सानिही इलय्य कह सकते हैं। यह था ख़ुलास़ा मुताख़्ख़िरीन के क़ौल का, वल्लाहु आ़लम!

अबू नस़्र इस्माईल बिन ह़म्माद जुहरी (रह़.) कहते हैं कि ह़म्द मुक़ाबिल है ज़म के लिहाज़ा यूँ कहते हैं (حمدت الرجل احمده حمداو و محمدة فهو حميد و محمود) तह़मीद में ह़म्द से भी ज़्यादा मुबालग़ा है। ह़म्द शुक्र से आ़म है। शुक्र कहते हैं किसी मुह़सिन की दी हुई नेअ़मतों पर उसकी सना करने को। अ़रबी ज़ुबान में (शकर्तुहू) और (शकर्तु लहू) दोनो त़रह़ कहते हैं लेकिन लाम के साथ कहना ज़्यादा फ़स़ीह़ है। मदह़ का लफ़्ज़ ह़म्द से भी ज़्यादा आ़म है इसलिए कि ज़िन्दा, मुर्दा, बल्कि जमादात पर भी मदह़ का लफ़्ज़ बोल सकते हैं। खाने की और मकान की और ऐसी ही और चीज़ों की मदह़ की जाती है, एह़सान से पहले एह़सान के बाद, लाज़िम सिफ़तों पर मुतअ़द्दी सिफ़तों पर भी इसका इत़्लाक़ हो सकता है तो इसका आ़म होना साबित हुआ, वल्लाहु आ़लम!

ह़म्द की तफ़्सीर में उ़लमा-ए-सलफ़ के अक़्वाल: ह़ज़रत उ़मर (ﷺ) ने एक मर्तबा फ़र्माया कि (सुब्ह़ानल्लाहि) और (ला इलाह इल्लल्लाहु) और कुछ रिवायात में है कि (अल्लाहु अकबर) को तो हम जानते हैं लेकिन यह (अल्ह़म्दु लिल्लाहि) का क्या मत़लब? ह़ज़रत अ़ली (ﷺ) ने जवाब दिया कि इस कलिमा को अल्लाह तआ़ला ने अपने लिए पसंद फ़र्मा लिया है और कुछ रिवायात में है कि इसका कहना अल्लाह तआ़ला को अच्छा लगता है। (इब्ने अबी ह़ातिम, रक़्मः 1/15; इसकी सनद में ह़ज्जाज बिन अरत़ात मुदल्लस रावी है। (अल्मीज़ानः 4/422; रक़्मः 9688) यानी यह सनद ज़ईफ़ है।) इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं कि यह कलिमा शुक्र का है इसके जवाब में अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि मेरे बन्दे ने मेरा शुक्र किया। पस इस कलिमा में शुक्र के अ़लावा उसकी नेअ़मतों, हिदायतों और एह़सान वग़ैरह का इक़रार भी है। कअ़ब अह़बार (रह़.) का क़ौल है कि यह कलिमा अल्लाह तआ़ला की सना है। ज़ह़्ह़ाक (रह़.) कहते हैं कि यह अल्लाह की चादर है। एक ह़दीस में भी ऐसा ही है। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "जब तुमने (अल्ह़म्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन) कह लिया तो तुमने अल्लाह तआ़ला का शुक्रिया अदा कर लिया। अब अल्लाह तआ़ला तुम्हे बरकत देगा।" (अत् त़ब्रीः 1/60; इसकी सनद में ईसा बिन इब्राहीम अल् हाशिमी मतरूक रावी है। (अल्मीज़ानः 3/308; रक़्मः

6546) यानी यह सनद सख़्त ज़ईफ़ व मरदूद है।) अस्वद बिन सरीअ (ﷺ) एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ करते हैं कि मैंने ज़ाते बारी तआला की ह़म्द में चंद अश्आर कहे हैं अगर इजाज़त हो तो सुनाऊँ। फ़र्माया, ''अल्लाह तआला को अपनी ह़म्द बहुत पसंद है।'' (सुननुल कुब्रा लिन् नसाईः 7745; अह़मदः 3/435; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे स़ह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् स़ह़ीह़ाः 3179) लेकिन यह रिवायत अपनी तमाम सनदों के साथ ज़ईफ़ है। स़ह़ीह़ मुस्लिम (2760) में आया है कि अल्लाह से ज़्यादा कोई भी मदह़ पसंद नहीं करता। और यही रिवायत काफ़ी है।)

तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा में ह़ज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''अफ़ज़ल ज़िक्र (ला इलाह इल्लल्लाह) है और अफ़ज़ल दुआ (अल्ह़म्दु लिल्लाहि) है।'' (तिर्मिज़ी, अब्वाबुद्दअवात बाबो मा जाअ अन्ना दअवतल मुस्लिम मुस्ताबतुन, रक़मः 3383; इब्ने माजाः 3800; अल् यौम वल् लैला लिन् नसाईः 831; इब्ने ह़िब्बानः 846; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे ह़सन क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् स़ह़ीह़ा, रक़मः 1497) इस रिवायत की सनद ह़सन है।) इब्ने माजा की ह़दीस मे है कि, ''जिस बन्दे को अल्लाह तआला कोई नेअमत दे और वह उस पर अल्ह़म्दु लिल्लाहि कहे तो दी हुई नेअमत ले ली हुई से अफ़ज़ल है।'' (इब्नेमाजा, किताबुल अदब, बाब फ़ज़्लुल् ह़ामिदीनः 3805; व सनदुहू ह़सन शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे ह़सन क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़् ज़ईफ़ह़ः 5/24) कुर्तुबी (रह़.) फ़र्माते हैं मतलब यह है कि सारी दुनिया दे देना इतनी बड़ी नेअमत नहीं जितनी अल्ह़म्दु लिल्लाहि कहने की तौफ़ीक़ देना है इसलिए कि दुनिया तो फ़ानी है और इस कलिमा का सवाब बाक़ी ही बाक़ी है जैसे कि कुरआन में है (अल् मालु वल् बनून) अल्ख़ (18/अल् कहफ़ः 46) यानी ''माल और औलाद दुनिया की ज़ीनत है और नेक आमाल हमेशा बाक़ी रहने वाले सवाब वाले और नेक उम्मीद वाले हैं।'' इब्ने माजा में इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''एक शख़्स ने एक मर्तबा कहाः (يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ) फ़रिश्ते घबरा गये कि हम उसका कितना अज्र लिखें। आख़िर अल्लाह तआला से उन्होंने अर्ज़ किया कि तेरे एक बन्दे ने एक ऐसा कलिमा कहा है कि हम नहीं जानते कि उसे किस तरह़ लिखें? परवरदिगार ने बावजूद जानने के उनसे पूछा कि उसने क्या कहा है? उन्होंने बयान किया कि उसने यह कलिमा कहा है। फ़र्माया, ''तुम यूँ ही इसे लिख लो। मैं उसे अपनी मुलाक़ात के वक़्त इसका अज्र दे दूँगा।'' (इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाब फ़ज़्लुल ह़ामिदीनः 3801; स सनदुहू ज़ईफ़; स़दक़ा बिन बशीर मज्हूलुल ह़ाल रावी है। शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अत् तर्ग़ीबः 91)

कुर्तुबी (रह़.) उलमा की एक जमाअत से नक़्ल करते हैं कि ला इलाह इल्लल्लाहु) से भी (अल्ह़म्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन) अफ़ज़ल है। क्योंकि इसमे तौह़ीद और ह़म्द दोनों हैं। और उलमा का ख़्याल है कि (ला इलाह इल्लल्लाहु) अफ़ज़ल है इसलिए कि ईमान व कुफ़्र में यही फ़र्क़ करता है। इसी के कहलवाने के लिए कुफ़्फ़ार से लड़ाईयाँ की जाती हैं। जैसे कि स़ह़ीह़ बुख़ारी और स़ह़ीह़ मुस्लिम की ह़दीस में है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुज़् ज़कात, बाब वजूबुज़ ज़कातः 1399; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 204) एक और मरफ़ूअ ह़दीस में है कि ''जो कुछ मैंने और मुझसे पहले के तमाम अम्बिय-ए-किराम ने कहा है उनमें सबसे अफ़ज़ल (لَا اِلٰهَ اِلَّا

(اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ) है।" (तिर्मिज़ी, अब्वाबुद् दअवात, बाब फ़ी दुआइ यौमि अरफ़ाः 3585; अहमदः 2/210; बैहक़ीः 5/117; मुअत्ता इमाम मालिकः 1/214; तख़रीज फ़त्हुल मजीद लि अब्दिर् रज़्ज़ाक़ अल महदीः 40; यह रिवायत अपने तमाम शवाहिद के साथ ज़ईफ़ ही है।) ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) की एक मरफ़ूअ ह़दीस पहले गुज़र चुकी है कि "अफ़ज़ल ज़िक्र (ला इलाह इल्लल्लाहु) है और अफ़ज़ल दुआ (अल्ह़म्दु लिल्लाहि) है।" तिर्मिज़ी ने इस ह़दीस को ह़सन कहा है। (तिर्मिज़ी, अब्वाबुद् दअवात, बाब मा जाअ अन्न दअ्वतल मुस्लिम मुस्तजाबतुनः 3383; व सनदुहू ह़सन इब्ने माजाः 3800; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे ह़सन क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् सह़ीह़ाः 1497)

अल्ह़म्दु में अलिफ़ लाम इस्तिग़राक़ का है यानी ह़म्द की तमाम क़िस्में और जिन्सें सबकी सब सिर्फ़ अल्लाह तआला ही के लिए साबित हैं जैसाकि ह़दीस मे है कि बारी तआला तेरे ही लिए तमाम तअ़रीफ़ें हैं और तमाम मुल्क है तेरे ही हाथ तमाम भलाईयाँ हैं और तमाम काम तेरी ही त़रफ़ लौटते हैं। (अह़मदः 5/346; व सनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में ह़ज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत करने वाला रावी मुब्हम है। और शैख़ अल्बानी (रह़.) ने उसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अत् तर्ग़ीबः 943)

रब के मआनीः रब कहते हैं मालिक और मुतसर्रिफ़ को। लुग़त में इसका इत्लाक़ सरदार और इस्लाह के लिए हेर–फेर करने वाले पर भी होता है और इन सब मआनी के ए'तिबार से ज़ाते बारी तआला के लिए यह पाक नाम सजता भी है। रब का लफ़्ज़ भी सिवाए अल्लाह तआला के दूसरे पर नहीं कहा जा सकता। हाँ! इज़ाफ़त के साथ हो तो और बात है जैसे (रब्बुद् दार) यानी घर वाला वग़ैरह। कुछ का तो क़ौल है कि इस्मे आज़म यही है।

आलमीन की तशरीह़ः आलमीन जमा है आलम की। अल्लाह तआला के सिवा तमाम मख़्लूक़ को आलम कहते हैं। लफ़्ज़ आलम भी जमा है और इसका वाहिद लफ़्ज़ है ही नहीं। आसमान की मख़्लूक़ ख़ुश्की और तरी की मख़्लूक़ात को भी अवालिम यानी कई आलम कहते हैं। इसी त़रह़ एक-एक ज़माना और एक-एक वक़्त को भी आलम कहा जाता है। इब्ने अब्बास (ﷺ) से इस आयत की तफ़्सीर मे मरवी है कि इससे मुराद तमाम मख़्लूक़ है ख़्वाह आसमानों की हो या ज़मीनों की या इनके दरम्यान की, ख़्वाह हमें उसका इल्म हो या न हो। इसी त़रह़ इससे जिन्नात और इंसान भी मुराद लिए गए हैं। सईद बिन जुबैर, मुजाहिद और इब्ने जुरैज (रह़.) से भी यही मरवी है। ह़ज़रत अली (ﷺ) से भी ग़ैर-मुअतबर सनद से यही मन्क़ूल है। इस क़ौल की दलील कुरआन की आयत (لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا) (25/फ़ुरक़ानः 1) भी बयान की जाती है यानी "ताकि वह अल् आलमीन यानी जिन्न और इन्स के लिए डराने वाला हो जाए।" फ़र्रा और अबू उबेद का क़ौल है कि समझदार को आलम कहा जाता है। इंसान, जिन्नात, फ़रिश्ते, शयात़ीन इन्हें आलम कहा जाएगा, जानवरों को नहीं कहा जाएगा। ज़ैद बिन असलम और अबू मुहैसिन (रह़.) फ़र्माते हैं कि हर रूह़ वाली चीज़ को आलम कहा जाता है। क़तादा (रह़.) कहते हैं हर क़िस्म को एक आलम कहते हैं। मरवान बिन ह़कम उर्फ़ जअद जिनका लक़ब ह़िमार था जो बनू उमय्या में से हैं और अपने ज़माने के ख़लीफ़ा थे कहते हैं कि अल्लाह तआला ने सत्तर हज़ार आलम पैदा किये हैं। आसमानों वाले एक आलम ज़मीनों वाले सब एक आलम और बाक़ी को अल्लाह ही जानता है मख़्लूक़ को उनका

इल्म नहीं। अबुल आलिया (रह.) फ़र्माते हैं तमाम इंसान एक आलम हैं। सारे जिन्नात का एक आलम है और उनके सिवा अठारह हज़ार या चौदह हज़ार आलम और हैं। फ़रिश्ते ज़मीन पर हैं और ज़मीन के चार कोने हैं। हर कोने मे साढ़े तीन हज़ार आलम हैं। जिन्हे अल्लाह तआला ने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यह क़ौल बिलकुल ग़रीब है और ऐसी बातें जब तक किसी सहीह दलील से साबित न हों, मानने के क़ाबिल नहीं होतीं। हिम्यरी कहते हैं कि एक हज़ार उम्मतें हैं। छः सौ तरी मे और चार सौ ख़ुश्की में। सईद बिन मुसय्यब (रह.) से भी यही मरवी है। एक ज़ईफ़ रिवायत में है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ (﵁) की ख़िलाफ़त के ज़माने में एक साल टिड्डियाँ न नज़र आईं बल्कि दरयाफ़्त करने पर भी पता न चला। आप ग़मगीन हो गये, यमन, शाम और इराक़ की तरफ़ सवार दौड़ाए कि कहीं भी टिड्डियाँ नज़र आती हैं या नहीं तो यमन वाले सवार थोड़ी सी टिड्डियाँ लेकर आए और अमीरुल मोमिनीन (रज़ि.) के सामने पेश कीं। आपने उन्हें देखकर तक्बीर कही और फ़र्माया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप (ﷺ) फ़र्माते थे, ''अल्लाह तआला ने एक हज़ार उम्मतें पैदा की हैं जिनमे से छः सौ तो तरी में हैं और चार सौ ख़ुश्की में। उनमे से सबसे पहले जो उम्मत हलाक होगी वह टिड्डियाँ होंगी। बस उनकी हलाकत के बाद पे-दर-पे और सब उम्मतें हलाक हो जाएँगी जिस तरह कि तस्बीह का धागा टूट जाए और एक के बाद एक करके सब मोती झड़ जाते हैं।'' (मज्मउज़्ज़वाइद लिल हैसमीः 7/322; इसकी सनद में उबेद बिन वाक़िद अल् क़ैसी मजरूह रावी है। देखिए (अल्मीज़ानः 3/24; रक़मः 5448) मुहम्मद बिन ईसा बिन केसान अल हलाली जिसे बुख़ारी और फ़लास ने मुंकरुल हदीस कहा है। (अल्मीज़ानः 3/677; रक़मः 8032) यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ है।) इसके रावी मुहम्मद बिन ईसा हिलाली ज़ईफ़ हैं। सईद बिन मुसय्यब (रह.) से भी यह क़ौल मरवी है।

वहब बिन मुनब्बा (रह.) फ़र्माते हैं अठारह हज़ार आलम हैं। दुनिया सारी की सारी उनमें से एक आलम है। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (﵁) फ़र्माते हैं, ''चालीस हज़ार आलम हैं। सारी दुनिया उनमे से एक आलम है। ज़ुजाज (रह.) कहते हैं अल्लाह तआला ने दुनिया व आख़िरत में जो कुछ पैदा किया है वह सब आलम है। क़ुर्तुबी (रह.) ने इस क़ौल को सहीह कहा है। इसलिए कि यह तमाम आलमीन को शामिल है। जैसे फ़िरऔन के उस सवाल के जवाब में कि रब्बुल आलमीन कौन है? मूसा (عليه السلام) ने फ़र्माया था कि आसमानों और ज़मीनों और इन दोनों के बीच जो कुछ है उन सबका यह रब। आलम का लफ़्ज़ अलामत से मुश्तक़ है इसलिए कि आलम यानी मख़्लूक़ अपने पैदा करने वाले और बनाने वाले पर निशान और उसकी वहदानियत पर अलामत है। जैसे कि इब्ने मुअतज़ शायर का क़ौल हैः

فَيَاعَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْاِلٰه ... اَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِد
وَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ اٰيَةٌ ... تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ وَاحِد

यानी तअज्जुब है किस तरह अल्लाह की नाफ़र्मानी की जाती है? और किस तरह उससे इंकार किया जाता है। हालाँकि हर चीज़ मे निशानी है जो उसकी वहदानियत पर दलालत करती है। अल्हम्दु अल्ख़ के बाद (अर् रहमानिर् रहीम) की तफ़्सीर पढ़िए।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣

तर्जुमाः बहुत बख़्शिश करने वाला बड़ा मेहरबान।

अर् रह़मानिर् रह़ीमः (आयत 3) इसकी मुकम्मल तफ़्सीर पहले गुज़र चुकी है अब एआदा की ज़रूरत नहीं। क़ुर्तुबी (रह़.) फ़र्माते हैं: (रब्बिल आलमीन) के वस्फ़ के बाद (अर् रह़मानिर् रह़ीम) का वस्फ़ तरहीब यानी डरावे के बाद तर्ग़ीब यानी उम्मीद है जैसे फ़र्माया (नब्बिअ इबादी) (15/ह़िज्रः 49) यानी ''मेरे बन्दों को ख़बर कर दो कि मैं बख़्शने वाला मेहरबान भी हूँ और मेरे अ़ज़ाब भी दर्दनाक अ़ज़ाब हैं।'' और फ़र्माया, ''तेरा रब जल्द सज़ा करने वाला और मेहरबानी और बख़्शिश करने वाला है।'' (क़ुर्तुबी, रक़मः 1/139) रब के लफ़्ज़ मे डरावा है और रह़मान और रह़ीम के लफ़्ज़ में उम्मीद है। सह़ीह़ मुस्लिम में बरिवायत ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अगर ईमानदार बारी तआला के ग़ज़ब व ग़ुस्से से और उसके सख़्त अ़ज़ाबों से पूरा वाक़िफ़ होता तो उस वक़्त उसके दिल से जन्नत की त़मअ़ (लालच) हट जाती और अगर काफ़िर अल्लाह तआला की नेअ़मतों और उसकी रह़मतों को पूरी त़रह़ जान लेता तो कभी नाउम्मीद न होता।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुर् रिक़ाक़, बाब अर् रिजाउ मअ़ल् ख़ौफ़ः 6469; वन्जुरः 6000; सह़ीह़ मुस्लिमः 2755; तिर्मिज़ीः 3542)

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤

तर्जुमाः बदले के दिन (यानी क़यामत) का मालिक।

ह़क़ीक़ी मालिक अल्लाह तआला हैः (आयत 4) कुछ क़ारियों ने (मलिक) पढ़ा है। और बाक़ी सबने (मालिकि) और दोनों क़िराअतें सह़ीह़ और मुतवातिर हैं और सात क़िराअतों में से हैं, और मालिक ने लाम के ज़ेर और उसके सुकून के साथ और (मलीकि) और (मलिकी) भी पढ़ा गया है। पहले की दोनों क़िराअतें मआनी की रू से तर्जीह़ वाली और दोनों सह़ीह़ हैं और अच्छी हैं। ज़मख़्शरी (रह़.) ने (मलिकि) को तर्जीह़ दी है इसलिए कि ह़रमैन वालो की यह क़िराअत है और क़ुरआन में भी (लिमनिल् मुल्कुल् यौम) (40/ग़ाफ़िरः 16) और (क़ौलुहुल् ह़क़्क़ु व लहुल् मुल्क) (6/अन्आमः 73) है। इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) से भी रिवायत किया गया है कि उन्होंने (मलिकि) पढ़ा इस बिना पर कि फ़ेअ़ल और फ़ाइल और मफ़ऊल आता है। लेकिन यह शाज़ है और बेह़द ग़रीब है। अबूबक्र बिन अबू दाऊद ने इसमें एक ग़रीब रिवायत नक़्ल की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके तीनों ख़ुल्फ़ा और ह़ज़रत मुआविया (رضي الله عنه) और उनके लड़के मालिक पढ़ते थे। इब्ने शिहाब (रह़.) कहते हैं कि सबसे पहले मरवान ने (मलिकि) (19/मरयमः 40) पढ़ा। मैं कहता हूँ मरवान को अपनी इस क़िराअत की सिह़त पर इत्तिलाअ़ थी जो रावी ह़दीस इब्ने शिहाब को न थी, वल्लाहु आलम। इब्ने मर्दवे ने कई सनदों से इसे बयान किया है कि आँह़ज़रत (ﷺ) मालिकि पढ़ते थे। मालिकि का

लफ़्ज़ मलिक से माख़ूज़ है। जैसे कि क़ुरआन मे है (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ) (यह इमाम ज़ुहरी (रह़.) की मरासील से है। और उनकी मरासील ज़ईफ़ हैं जबकि (मलिकि यौमिद् दीन) पढ़ना सह़ीह़ अह़ादीस से साबित है। देखिए सुनन अबी दाऊद (1173) व सनद ह़सन। और अहले मदीना की क़िराअत भी यही है।) यानी ''ज़मीन और उसके ऊपर की तमाम मख़्लूक़ के मालिक हम ही हैं और हमारी ही त़रफ़ सब लौटाए जायेंगे।'' और फ़र्माया, (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۝ مَلِكِ النَّاسِ) (114/नासः 102) यानी ''कह कि मैं पनाह पकड़ता हूँ लोगों के रब और लोगों के मालिक की।'' और मलिक का लफ़्ज़ मुल्क से माख़ूज़ है जैसे फ़र्माया (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) अल्ख़ यानी ''आज मुल्क किसका है? सिर्फ़ अल्लाह वाह़िद ग़ल्बा वाले का।'' और फ़र्माया, (जअह) अल्ख़ (قَوْلُهُ الْحَقُّ) यानी ''उसी का फ़र्मान ह़क़, और उसी का सब मल्क है।'' और फ़र्माया, ''आज के दिन मुल्क रह़मान ही का ह़क़ है और आज का दिन काफ़िरों पर बहुत सख़्त है।'' इस फ़र्माने में क़यामत के दिन के साथ मिल्कियत की तख़्सीस़ करने से यह न समझना चाहिए कि इसके सिवा से इंकार है। इसलिए कि पहले अपना वुस्फ़ (रब्बिल आलमीन) होना बयान कर चुका है जो दुनिया और आख़िरत को शामिल है। क़यामत के दिन के साथ इसकी तख़्सीस़ की वजह यह है कि उस दिन तो कोई मिल्कियत का दावेदार भी न होगा बल्कि बग़ैर उस ह़क़ीक़ी मालिक की इजाज़त के कोई ज़ुबान तक न हिला सकेगा जैसाकि फ़र्माया ''जिस दिन रूह़ और फ़रिश्ते स़फ़बस्ता खड़े होंगे और कोई कलाम न कर सकेगा यहाँ तक कि रह़मान उसे इजाज़त दे और वह ठीक बात कहे।'' एक और जगह इर्शाद है ''सब आवाज़ें रह़मान के सामने पस्त होंगी और सिवाए गुनगुनाहट के कुछ न सुनाई देगा और फ़र्माया, ''जब क़यामत आएगी उस दिन रब तआला की इजाज़त के बग़ैर कोई शख़्स़ बोल न सकेगा। कुछ उनमे से बदबख़्त होंगे और कुछ सआदतमंद।''

इब्ने अब्बास (رضی) फ़र्माते हैं उस दिन उसकी बादशाहत में उसके सिवा कोई न होगा जैसे कि दुनिया में मिजाज़न थे। (यौमिद् दीन) से मुराद मख़्लूक़ के ह़िसाब का यानी क़यामत का दिन है जिस दिन तमाम अच्छे बुरे आ'माल का बदला दिया जाएगा, हाँ! अगर रब किसी बुराई से दरगुज़र कर ले तो यह उसका इख़्तियारी अम्र है। स़ह़ाबा (رضی), ताबेईन और सल्फ़े स़ालिह़ीन (रह़.) से भी यही मरवी है। कुछ से ये भी मन्क़ूल है, कहा कि इससे मुराद यह है कि अल्लाह तआला क़यामत के क़ायम करने पर क़ादिर है। इब्ने जरीर (रह़.) ने इस क़ौल को ज़ईफ़ क़रार दिया है लेकिन बज़ाहिर इन दोनों अक़्वाल में कोई मुख़ालिफ़त नहीं। हर एक क़ौल का क़ाइल दूसरे के क़ौल की तस्दीक़ करता है। हाँ! पहला क़ौल मत़लब पर ज़्यादा दलालत करता है। जैसे कि फ़र्मान है (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ)अल्ख़ (22/ह़ज्जः 56) और दूसरा क़ौल इस आयत के मुशाबेह है जो फ़र्माया (وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ) (6/अन्आमः 73) यानी ''जिस दिन कहेगा हो जा बस उसी वक़्त हो जाएगी।'' वल्लाहु आलम!

ह़क़ीक़ी मालिक अल्लाह तआला ही है जैसे फ़र्माया (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ) अल्ख़ (59/ह़श्रः 23) बुख़ारी व मुस्लिम में ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضی) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया,

''बदतरीन नाम अल्लाह तआला के नज़दीक उस शख़्स का है जो शहनशाह कहलाए, हक़ीक़ी मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल अदब, बाब तहरीमु तुसम्मा बिमलिकिल् अम्लाकः 2143; अबूदाऊदः 4961; तिर्मिज़ीः 837) एक हदीस मे है कि ''अल्लाह तआला ज़मीन को क़ब्ज़ा मे ले लेगा और आसमान उसके दाएँ हाथ में लिपटे हुए होंगे फिर फ़र्माएगा, मैं बादशाह हूँ, कहाँ गए ज़मीन के बादशाह? कहाँ हैं तकब्बुर वाले?'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तफ़्सीर, तफ़्सीर सूरतुज़् ज़ुमरः 4812; सहीह मुस्लिमः 2787, 2788; इब्ने माजाः 192) क़ुरआने अज़ीम में है, ''आज बादशाहत किसकी है? फ़क़त अल्लाह अकेले ग़लबा वाले की।'' और किसी को मुल्क का देना यह सिर्फ़ मजाज़न है। क़ुरआने करीम मे तालूत को मलिक कहा गया और (وَ كَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ) (18/कहफ़ः 79) का लफ़्ज़ आया और बुख़ारी व मुस्लिम मे मुलूक का लफ़्ज़ आया है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब फ़ज़्लु मा युसर्रउ फ़ी सबीलिल्लाहि ... फ़हुव मिन्हुम, रक़मः 2799; सहीह मुस्लिमः 1912) और क़ुरआन की आयत में (اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا) (5/अल् माइदाः 20) यानी ''तुममें अम्बिया किये और तुम्हे बादशाह बनाया है।''

अद् दीन की तशरीहः दीन के मअनी बदले और जज़ा और हिसाब के हैं जैसाकि क़ुरआने करीम में है, ''उस दिन अल्लाह तआला उन्हें पूरा-पूरा बदला देगा और वह जान लेंगे।'' और जगह है ''क्या हम बदला दिये जायेंगे'' हदीस मे है दाना वह है जो अपने नफ़्स से ख़ुद बदला ले और मौत के बाद काम आने वाले आ'माल करे।'' (तिर्मिज़ी, अब्वाब सिफ़तुल क़ियामत बाब हदीस अल्कीसु मन दाना नफ़्सहूः 2459; व सनदुहू ज़ईफ़; इब्ने माजाः 4260; इसकी सनद में अबूबक्र बिन अबी मरयम ज़ईफ़ रावी है (अल्मीज़ानः 4/498; रक़मः 1006) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़ ज़ईफ़ाः 5319)) यानी अपने नफ़्स से ख़ुद हिसाब ले जैसा कि हज़रत उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) का क़ौल है कि तुम ख़ुद अपनी जानों से हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए और अपने आ'माल का ख़ुद वज़न कर लो इससे पहले कि वह तराज़ू में रखे जाएँ और उस बड़ी पेशी के लिए तैयार रहो जब तुम उस अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे जिस पर तुम्हारा कोई अमल पोशीदा नहीं। जैसे ख़ुद रब्बे आलम ने फ़र्मा दिया, ''जिस दिन तुम पेश किये जाओगे कोई बात छुपी नहीं रहेगी।'' (हिल्यतुल औलियाः 1/52; शैख़ अल्बानी (रह.) ने सिलसिलतुज़् ज़ईफ़ः 1201 में इसकी सनद को साबित बिन हज्जाज के उमर (رضي الله عنه) से सिमाअ की शर्त के साथ जय्यद क़रार दिया है। यह रिवायत मुन्क़तअ होने की वजह से ज़ईफ़ है।)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

तर्जुमाः "सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से मदद चाहते हैं।"

इबादत का लग़वी और शरई मअनीः (आयत 5) सातों क़ुर्रा और जुम्हूर ने इसे (इय्याक) पढ़ा है। अम्र बिन फ़ाइद ने (इयाक) पढ़ा है। लेकिन यह क़िराअत शाज़ और मर्दूद है इसलिए कि इया के मअनी सूरज की रोशनी के हैं। और कुछ ने (अय्याक) पढ़ा है और कुछ ने (हय्याक) पढ़ा है। अरब शायरों के शेअर में भी हय्याक है (नस्तईन) की यही क़िराअत तमाम क़ुर्रा की है सिवाए यह्या बिन वहाब और आमश (रह.) के। यह दोनों पहले नून को ज़ेर से पढ़ते हैं। क़बीला बनू असद, रबीआ, बनू तमीम की लुग़त इसी तरह पर है। लुग़त में इबादत कहते हैं ज़िल्लत और पस्ती को। तरीक़ुन मुअब्बदुन उस रास्ते को कहते हैं जो ज़लील हो। इसी तरह बओरुन मुअब्बदुन उस ऊँट को कहते हैं जो ज़लील हो। और शरीअत में इबादत नाम है मह्ब्बत, ख़ुशूअ, ख़ुज़ूअ और डर के मज्मूए का। लफ़्ज़ (इय्याक) को जो मफ़ऊल है पहले लाए और फिर उसी को दोहराया ताकि उसकी अहमियत हो जाए और इबादत और तलबे मदद अल्लाह तआला ही के लिए मख़्सूस हो जाए। तो इस जुम्ला के मअनी यह हुए कि हम तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते और तेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं करते। कामिल इताअत और पूरे दीन का हासिल सिर्फ़ य ही दो चीज़ें हैं।

कुछ सलफ़ का फ़र्मान है कि सारे क़ुरआन का राज़ सूरह फ़ातिहा में है और पूरी सूरत का राज़ इस आयत (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) में है। आयत के पहले हिस्से में शिर्क से बेज़ारी का ऐ'लान है और दूसरे जुम्ले में अपनी ताक़तों और क़ुव्वतों का इंकार है और अल्लाह अज़्ज़ुवजल की तरफ़ अपने तमाम कामों को सुपुर्द करना है। इस मज़्मून की और भी बहुत सी आयात क़ुरआने करीम में मौजूद हैं। जैसे फ़र्माया, (فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ) अल्ख़ (11/हूदः 123) "यानी अल्लाह ही की इबादत कर और उसी पर भरोसा कर। तेरा रब तुम्हारे आ'माल से ग़ाफ़िल नहीं।" फ़र्माया (قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ) अल्ख़ (67/अल् मुल्कः 29) "कह दे कि वही रह्मान है, हम उस पर ईमान ले आए और उस पर हमने तवक्कल किया।" और फ़र्माया (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا) (73/मुज़म्मिलः 9) यानी "मश्रिक़ और मग़्रिब का रब वही है, उसके सिवा कोई मअबूद नहीं, तू उसी को अपना कारसाज़ समझ।" यही मज़्मून इस आयते करीमा में है इससे पहले की आयात में तो ख़िताब न था लेकिन इस आयत में अल्लाह तआला से ख़िताब किया गया जो निहायत लताफ़त और मुनासिबत रखता है। इसलिए कि जब बन्दे ने अल्लाह तआला की सिफ़त व सना बयान की तो गोया क़ुर्बे-इलाही में हाज़िर हो गया और अल्लाह जलालुहू के हुज़ूर में पहुँच गया, अब उस मालिक को ख़िताब करके अपनी ज़िल्लत और मिस्कीनी का इज़्हार करने लगा और कहने लगा कि या रब! हम तो तेरे ज़लील ग़ुलाम हैं और अपने तमाम कामों में तेरे ही मुहताज हैं। इस आयत में इस बात की भी दलील है कि इससे पहले के तमाम जुम्लों में ख़बर थी।

अल्लाह तआ़ला ने अपनी बेहतरीन सिफ़ात पर अपनी सना आप की थी और बन्दों को अपनी सना उन ही अल्फ़ाज़ के साथ बयान करने का इर्शाद फ़र्माया था। इसीलिए उस शख़्स की नमाज़ सह़ीह़ नहीं जो इस सूरत को पढ़ना जानता हो और फिर न पढ़े जैसे कि बुख़ारी व मुस्लिम की ह़दीस में ह़ज़रत उ़बादह बिन सामित (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "उस शख़्स की नमाज़ नहीं, जो सूरह फ़ातिह़ा न पढ़े।" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब वजूबुल क़िराअत अलल् इमाम वल मअमूमः 756; सह़ीह़ मुस्लिमः 394) सह़ीह़ मुस्लिम शरीफ़ में ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "अल्लाह तआ़ला का फ़र्मान है कि मैंने नमाज़ को अपने और अपने बन्दे के बीच आधा–आधा बांट लिया है। इसका आधा ह़िस्सा मेरा है और आधा ह़िस्सा मेरे बन्दे के लिए है और मेरे बन्दे के लिए वह है जो वह त़लब करे। जब बन्दा (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) कहता है तो अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है, "मेरे बन्दे ने मेरी ह़म्द बयान की।"

जब कहता है (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) तो अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि मेरे बन्दे ने मेरी सना की। जब वह कहता है (مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है मेरे बन्दे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। जब वह (اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ) कहता है तो अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि यह मेरे और मेरे बन्दे के दरम्यान है और मेरे बन्दे के लिए वह है जो मांगे फिर वह आख़िर सूरत तक पढ़ता है। अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है, यह मेरे बन्दे के लिए है और मेरा बन्दा जो मुझसे मांगे उसके लिए है।" (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब वजूबु क़िराअति फ़ातिह़ा फ़ी कुल्लि रकअ़तः 395)

इबादत और मदद मांगने के लायक़ कौनः ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं (اِيَّاكَ نَعْبُدُ) के मअ़नी यह है कि, "ऐ हमारे रब! हम ख़ास़ तेरी ही तौह़ीद मानते हैं और तुझ ही से डरते हैं और तेरी ही ज़ात से उम्मीद रखते हैं तेरे सिवा किसी और की न तो हम इबादत करें न डरें न उम्मीद रखें, और (وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ) से यह मुराद है कि हम तेरी तमाम इत़ाअ़त पर और अपने तमाम कामों में तुझ ही से मदद मांगते हैं। क़तादा (रह़.) फ़र्माते हैं, मत़लब यह है कि अल्लाह तबारक व तआ़ला का हुक्म है कि तुम सब उसी की ख़ालिस़ इबादत करो और अपने तमाम कामों में उसी से मदद मांगो (اِيَّاكَ نَعْبُدُ) को पहले लाना इसलिए है कि अस़ल मक़्सूद अल्लाह तआ़ला की इबादत ही है और मदद त़लब करना यह इबादत का वसीला और एहतिमाम और उस पर पुख़्तगी है और यह ज़ाहिर है कि ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ को पहले लाया जाता है और उससे कम अहमियत वाली को उसके बाद लाया जाता है। वल्लाहु आ़लम!

अगर यह कहा जाए कि यहाँ जमा के सैग़ा को लाने की यानी हम कहने की क्या ज़रूरत है? अगर यह जमा के लिए है तो कहने वाला तो एक है और अगर तअ़ज़ीम के लिए है तो उस मक़ाम पर यह निहायत नामुनासिब है क्योंकि यहाँ तो मिस्कीनी और आ़जिज़ी ज़ाहिर करना मक़्सूद है। इसका जवाब यह है कि गोया एक बन्दा तमाम बन्दों की त़रफ़ से ख़बर दे रहा है, बिलख़ुसूस़ जबकि वह इबादत में खड़ा हो या इमाम बना हुआ हो, पस गोया वह अपनी और अपने सब मोमिन भाईयों की त़रफ़ से इक़रार कर रहा है कि वह सब उसके बन्दे हैं और उसी की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं और यह उनकी त़रफ़ से भलाई के लिए आगे बढ़ा हुआ है। कुछ ने कहा है कि यह तअ़ज़ीम के लिए है गोया कि बन्दा जब इबादत में दाख़िल होता है तो उसी को कहा

जाता है कि तू शरीफ़ है और तेरी इज़्ज़त हमारे दरबार में बहुत ज़्यादा है सवाब (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) कह अपने तईं इज़्ज़त से याद कर। हाँ! अगर इबादत से अलग हो तो उस वक़्त हम न कह गो हज़ारों लाखों में हो क्योंकि सबके सब अल्लाह तआला के मुहताज और उसके दरबार के फ़क़ीर हैं। कुछ का क़ौल है कि (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) में जो तवाज़ोअ और आजिज़ी है वह इय्याक अबद–ना में नहीं इसलिए कि उसमें अपने नफ़्स की बड़ाई और अपनी इबादत की अहलियत पायी जाती है। हालाँकि कोई बन्दा अल्लाह तआला की पूरी इबादत और जैसी चाहिए वैसी सना व सिफ़त बयान करने पर कुदरत ही नहीं रखता। किसी शायर का क़ौल है कि मुझे उसका गुलाम कहकर ही पुकारो क्योंकि मेरा सबसे अच्छा नाम यही है।

अल्लाह तआला ने अपने रसूलुल्लाह (ﷺ) का नाम अब्द यानी गुलाम उन जगहों पर लिया है जहाँ अपनी बड़ी–बड़ी नेअमतों का ज़िक्र किया है। जैसे कुरआन नाज़िल करना, नमाज़ में खड़े होना, मेअराज कराना वग़ैरह। (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ) अल्ख़ (18/कहफ़: 1) फ़र्माया,(وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ) अल्ख़ (72/जिन्न) (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ) अल्ख़ (17/इस्रा: 1) साथ ही कुरआने करीम ने यह तअलीम दी कि, "ऐ नबी! जिस वक़्त तुम्हारा दिल मुख़ालिफ़ीन के झुठलाने की वजह से तंग हो तो तुम मेरी इबादत में मशग़ूल हो जाओ।" फ़र्मान है (وَلَقَدْ نَعْلَمُ) अल्ख़ (15/हिज्र: 97) यानी हम जानते हैं कि मुख़ालिफ़ीन की बातें तेरा दिल दुखाती हैं तो ऐसे वक़्त अपने रब की तस्बीह और हम्द बयान कर और सज्दा कर और मौत के वक़्त तक अपने रब की इबादत में लगा रह। राज़ी (रह.) ने अपनी तफ़्सीर में कुछ लोगों से नक़्ल किया है कि उबूदियत का मक़ाम रिसालत के मक़ाम से अफ़ज़ल है क्योंकि इबादत का तअल्लुक़ मख़्लूक़ से ख़ालिक़ की तरफ़ होता है और रिसालत का तअल्लुक़ हक़ से ख़ल्क़ की तरफ़ होता है और इस दलील से भी कि अब्द के तमाम इस्लाह के कामों का मुतवल्ली ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला होता है और रसूल अपनी उम्मत की मस्लिहतों का वाली होता है। लेकिन यह क़ौल ग़लत है और इसकी दोनों दलीलें भी बोगस और लाहासिल हैं। अफ़सोस राज़ी (रह.) ने न तो इसको ज़ईफ़ कहा, न इसे रद्द किया। कुछ सूफ़िया का क़ौल है कि इबादत या तो सवाब हासिल करने के लिए होती है या अज़ाब दूर करने के लिए। वह कहते हैं कि यह कोई फ़ायदे की बात नहीं, इसलिए कि उस वक़्त मक़्सूद ख़ुद अपनी मुराद का हासिल करना ठहरा। उसकी तकालीफ़ के लिए आमादगी करना यह भी ज़ईफ़ है। आला मर्तबा इबादत का यह है कि इंसान उस मुक़द्दस ज़ात की जो तमाम कामिल सिफ़ात से मौसूफ़ है। महज़ उसकी ज़ात के लिए ही इबादत करे और मक़्सूद कुछ न हो। इसीलिए नमाज़ सिर्फ़ अल्लाह तआला के लिए नमाज़ पढ़ने की होती है, अगर वह सवाब पाने और अज़ाब से बचने के लिए हो तो बातिल है। दूसरा गिरोह इनकी तर्दीद करता है और कहता है कि इबादत का अल्लाह तआला के लिए होना कुछ इसके ख़िलाफ़ नहीं कि सवाब की तलब और अज़ाब का बचाव मतलूब न हो। इसकी दलील यह है कि एक आ'राबी ने हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहा कि हुज़ूर (ﷺ)! मैं न तो आप जैसा पढ़ना जानता हूँ न हज़रत मुआज़ (رضي الله عنه) जैसा। मैं तो अल्लाह तआला से जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नम से नजात चाहता हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "इसी के क़रीब–क़रीब हम भी पढ़ते हैं।" (अबू दाऊद, किताबुस्सलात, बाब तख़्फ़ीफ़ुस्सलात: 792 इब्ने माजा: 910; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीहुल जामेअ: 3163) लेकिन यह रिवायत आ'मश की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।)

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۝٦

तर्जुमाः हमें सीधी (और सच्ची) राह दिखा। (6)

अल्लाह से मांगने का तरीक़ाः (आयत 6) जुम्हूर ने (सिरात) पढ़ा है। कुछ ने (सिरात) सीन से कहा है और ज़े की भी एक क़िराअत है। फ़र्रा कहते हैं बनी अज़्रह और बनी कल्ब की क़िराअत यही है। चूँकि पहले सना व सिफ़त बयान की तो अब मुनासिब था कि अपनी हाजत तलब करे जैसे कि पहले हदीस में गुज़र चुका है कि इसका आधा हिस्सा मेरे लिए है और आधा मेरे बन्दे के लिए और मेरे बन्दे के लिए वह है जो वह तलब करे। ख़्याल कीजिए कि इसमे किस क़द्र लताफ़त और उम्दगी है कि पहले परवरदिगारे आलम की तअरीफ़ व तौसीफ़ की फिर अपनी और अपने भाईयों की हाजत तलब की। यह वह लतीफ़ पैराया है जो मक़्सूद को हासिल करने और मुराद को पा लेने के लिए तीर बहदफ़ (टू दी प्वाइंट) है। इस कामिल तरीक़ा को पसंद करके अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिदायत की।

कभी सवाल इस तरह होता है कि साइल अपनी हालत और हाजत को ज़ाहिर कर देता है जैसे मूसा (अ.) ने कहा था (اَنۡزَلۡتَ اِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٍ فَقِيۡرٌ) (28/क़सस: 24) "परवरदिगार! जो भलाईयाँ तूने मेरी तरफ़ नाज़िल फ़र्माई हैं मैं उनका मुहताज हूँ।" हज़रत यूनुस (अ.) ने भी अपनी दुआ में कहा (لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَكَ اِنِّيۡ كُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ) (21/अम्बियाः 87) "ऐ अल्लाह! तेरे सिवा कोई मअबूद नहीं, तू पाक है मैं ज़ालिमों में से हूँ।" कभी सवाल इस तरह भी होता है कि साइल सिर्फ़ तअरीफ़ और बुज़ुर्गी बयान करके चुप हो जाता है। जैसे कि शायर का क़ौल है कि मुझे अपनी हाजत के बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं। तेरी मेहरबानियों भरी बख़्शिश मुझे काफ़ी है। मैं जानता हूँ कि दाद व दहिश तेरी पाक आदतों मे दाख़िल है। सिर्फ़ तेरी पाकीज़गी बयान कर देना तेरी हम्दो-सना करना ही मुझे अपनी हाजत पूरी करने के लिए काफ़ी है। हिदायत के मअनी यहाँ पर इर्शाद और तौफ़ीक़ के हैं।

कभी तो हिदायत बिनफ़्सिही मुतअद्दी होती है जैसे यहाँ है तो मअनी अल् हिम्ना वफ़्फ़िक़्ना उर्ज़ुक़्ना और अअ्तिना यानी हमें अता फ़र्मा के होंगे। दूसरी जगह है (وَهَدَيۡنٰهُ النَّجۡدَيۡنِ) (90/अल् बलदः 10) यानी "हमने इसे दोनों रास्ते दिखा दिए भलाई और बुराई दोनों के।" और कभी हिदायत इला के साथ मुतअद्दी होती है जैसे फ़र्माया (اِجۡتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ) (16/नहलः 121) और फ़र्माया (فَاهۡدُوۡهُمۡ اِلٰى صِرَاطِ الۡجَحِيۡمِ) (37/साफ़्फ़ातः 23) यहाँ हिदायत इर्शाद और दलालत के मअनी में है। इसी तरह फ़र्मान है (وَ اِنَّكَ لَتَهۡدِيۡۤ) अल्ख़ (42/शूराः 52) यानी तू अल्बत्ता सीधी राह दिखाता है। और कभी हिदायत लाम के साथ मुतअद्दी होती है जैसे जन्नतियों का क़ौल कुरआन करीम में है (اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِيۡ هَدٰٮنَا لِهٰذَا) 7/अअराफ़: 43) यानी "अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमे इसकी राह दिखाई" यानी तौफ़ीक़ दी और हिदायत वाला बनाया।

सिराते मुस्तक़ीम से क्या मुराद है? इमाम अबू जअफ़र इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं मुराद इससे वाज़ेह और साफ़ रास्ता है जो कहीं से टेढ़ा न हो। अरब की लुग़त में और शायरों के शेअर में यह मअनी साफ़ तौर पर पाये जाते हैं और इस पर बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं। सिरात का इस्तेमाल बतौर इस्तिआरा के क़ौल और फ़ेअल पर भी आता है और फिर इसका वस्फ़ इस्तिक़ामत और टेढ़पन के साथ आता है। सलफ़ और ख़लफ़ मुफ़स्सिरीन से इसकी बहुत सी

तफ़्सीरें मन्कूल हैं और इन सबका ख़ुलासा एक है और वह अल्लाह व रसूल (ﷺ) की पैरवी और ताबेदारी है। एक मरफ़ूअ ह़दीस में है कि, ''सिराते मुस्तक़ीम किताबुल्लाह है।'' इब्ने अबी ह़ातिम और इब्ने जरीर (रह़.) ने भी यही रिवायत की है। फ़ज़ाइले क़ुरआन के बारे में पहले ह़दीस गुज़र चुकी है कि ''अल्लाह तआला की मज़बूत रस्सी, ह़िक्मतों वाला ज़िक्र और सीधी राह यानी सिराते मुस्तक़ीम यही अल्लाह की किताब क़ुरआने करीम है।'' (अह़मदः 1/91; 2/111; तिर्मिज़ी, अब्वाबुल फ़ज़ाइल बाब मा जाअ फ़ी फ़ज़्लिल क़ुरआनः 2906; मरफ़ूअनः व सनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में ह़ारिस आ'वर सख़्त ज़ईफ़ है। शअबी ने इसकी तक्ज़ीब की है और शैख़ अल्बानी (रह़.) ने भी इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ तिर्मिज़ीः 554) ह़ज़रत अली (रज़ि) का क़ौल भी यही है और मरफ़ूअ ह़दीस का भी मौक़ूफ़ होना ही ज़्यादा मुशाबेह है। वल्लाहु आलम! ह़ज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से भी यही रिवायत है।

इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का क़ौल है कि जिब्राईल (عليه السلام) ने कहा कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ) कहिए यानी हमें हिदायत वाले रास्ते का इल्हाम कर और उस दीने इलाही की समझ दे जिसमें कोई कजी नहीं। आप (رضي الله عنه) से यह क़ौल भी मरवी है कि इससे मुराद इस्लाम है। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه), इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) और बहुत से सह़ाबा (رضي الله عنهم) से भी यही तफ़्सीर मन्कूल है। ह़ज़रत जाबिर (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, सिराते मुस्तक़ीम से मुराद इस्लाम दीन है जिसके सिवा कोई और दीन मक़्बूल नहीं। अब्दुर्रह़मान बिन ज़ैद बिन असलम का क़ौल है कि सिराते मुस्तक़ीम इस्लाम है।

मुस्नद अह़मद की एक ह़दीस मे मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''अल्लाह तआला ने एक मिसाल बयान की, सिराते मुस्तक़ीम की कि इसके दोनों त़रफ़ दो दीवारें हैं उनमें कई एक खुले हुए दरवाज़े हैं और दरवाज़ों पर पर्दे लटक रहे हैं। सिराते मुस्तक़ीम के दरवाज़े पर एक पुकारने वाला मुक़र्रर है जो कहता है कि ऐ लोगो! तुम सबके सब इसी सीधी राह पर चले जाओ, टेढ़ी तिरछी, इधर-उधर की राहों पर न जाओ, एक पुकारने वाला उस रास्ते के ऊपर है। जब कोई शख़्स उन दरवाजों में से किसी को खोलना चाहता है तो वह कहता है कि ख़बरदार! इसे न खोलना। अगर खोला तो इस राह लग जाएगा और सिराते मुस्तक़ीम से हट जाएगा। पस सिराते-मुस्तक़ीम तो इस्लाम है और दीवारें अल्लाह की ह़दें हैं और खुले हुए दरवाज़े अल्लाह तआला की ह़रामकर्दा चीज़ें हैं और दरवाज़े पर पुकारने वाला क़ुरआन करीम है और रास्ते के ऊपर से पुकारने वाला वह खटका है जो हर ईमानदार के दिल में अल्लाह तआला की त़रफ़ से बत़ौर वाइज़ के होता है।'' (अह़मदः 4/182; तिर्मिज़ी, अब्वाबुल अम्साल, बाब मा जाअ फ़ी मसलिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल लि इबादिही, रक़मः 285; वहुव सह़ीह़; सुननुल कुब्रा लिन् नसाईः 11233; शैख़अल्बानी (रह़.) ने इसे सह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (''ज़िलालुल जन्नत'' रक़मः 18) यह ह़दीस इब्ने अबी ह़ातिम, इब्ने जरीर, तिर्मिज़ी और नसाई में भी है और इसकी इस्नाद ह़सन सह़ीह़ है। वल्लाहु आलम!

मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं इससे मुराद ह़क़ है। इनका यह क़ौल सबसे ज़्यादा मक़्बूल है और इन सब अक़्वाल में कोई मुख़ालिफ़त नहीं। अबुल आलिया (रह़.) फ़र्माते हैं इससे मुराद नबी (ﷺ) और आपके बाद आपके दोनों ख़ुल्फ़ा हैं। अबुल आलिया (रह़.) इस क़ौल की तस्दीक़ और तह़सीन करते हैं। दरअसल यह सब अक़्वाल सह़ीह़ हैं और एक दूसरे की तस्दीक़ करते हैं।

नबी करीम (ﷺ) और आपके दोनों ख़ुल्फ़ा सिद्दीक़ व फ़ारूक़ (رضي الله عنهما) का ताबेदार ह़क़ का ताबेअ है और ह़क़ का ताबेअ और इस्लाम का ताबेअ क़ुरआन का मुतीअ है और क़ुरआन अल्लाह की किताब उसकी त़रफ़

की मज़बूत रस्सी और उसकी सीधी राह है। फिर सिराते मुस्तक़ीम की तफ़्सीर में यह तमाम अक़्वाल सहीह हैं और एक दूसरे की तस्दीक़ करते हैं, फ़ल्हम्दु लिल्लाह!

हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं सिराते मुस्तक़ीम वह है जिस पर हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने छोड़ा। इमाम अबू जअफ़र इब्ने जरीर (रह.) का फ़ैसला है कि मेरे नज़दीक इस आयत की सबसे बेहतरीन तफ़्सीर यह है कि उन्होंने कहा कि हम तौफ़ीक़ दिए जाएँ उस चीज़ की जो बारी तआला की मर्ज़ी की चीज़ हो और जिस पर चलने की वजह से रब तआला अपने बन्दों से राज़ी हुआ हो और उन पर इन्आम किया हो, सिराते मुस्तक़ीम यही है इसलिए कि जो शख़्स उस चीज़ की तौफ़ीक़ दिया गया जिसकी तौफ़ीक़ अल्लाह के नेक बन्दों को थी जिन पर अल्लाह तआला का इन्आम हुआ था और जो नबी और सिद्दीक़ और शहीद और सालेह लोग थे वह इस्लाम की और रसूलों की तस्दीक़ की और किताबुल्लाह को मज़बूत थाम रखने की और अल्लाह तआला के अहकाम को बजा लाने की और उसके मना किए हुए कामों से रुक जाने की और नबी करीम (ﷺ) और आप (ﷺ) के चारों ख़लीफ़ा और तमाम नेक बन्दों की राह की तौफ़ीक़ दिया गया तो यही सिराते मुस्तक़ीम है।

अगर यह कहा जाए कि मोमिन को तो अल्लाह तआला की तरफ़ से हिदायत हासिल हो चुकी है फिर नमाज़ और ग़ैर नमाज़ में हाजत मांगने की क्या ज़रूरत? तो इसका जवाब यह है कि मुराद इससे हिदायत पर साबित क़दमी, बीनाई और हमेशा के लिए तलब है। इसलिए कि बन्दा हर साअत (घड़ी) और हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला का मुहताज है वह ख़ुद अपनी जान के नफ़ा–नुक़्सान का मालिक नहीं , बल्कि दिन–रात अपने अल्लाह तआला की तरफ़ मुहताज है इसलिए अल्लाह ने उसे सिखाया कि हर वक़्त वह अल्लाह तआला से हिदायत तलब करता रहे और साबित-क़दमी और तौफ़ीक़ चाहता रहे। अच्छा और नेकबख़्त इंसान वह है जिसे अल्लाह तआला अपने दर का भिखारी बना ले। वह अल्लाह तआला हर पुकारने वाले की पुकार के क़बूल करने का कफ़ील है बिल ख़ुसूस बेक़रार मुहताज और उसकी तरफ़ अपनी हाजत दिन–रात पेश करने वाले की हर पुकार को क़बूल करने का वह ज़ामिन है। और जगह क़ुरआने करीम मे हैं (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ) अल्ख़ (4/निसाअः 136) यानी "ऐ ईमानवालों! अल्लाह पर उसके रसूलों पर, उसकी किताब पर, जो उसने अपने रसूल (ﷺ) की तरफ़ नाज़िल फ़र्माई और जो किताबें उससे पहले नाज़िल हुईं, सब पर ईमान लाओ।"

इस आयत में ईमानवालों को ईमान लाने का हुक्म देना ऐसा ही है जैसे यहाँ हिदायत वालोंको हिदायत की तलब का हुक्म देना। मुराद दोनों जगह साबित क़दमी और इस्तिम्रार है और ऐसे आमाल पर हमेशगी करना जो इस मक़्सद के हासिल करने में मदद पहुँचायें। उस पर यह ए'तिराज़ वारिद हो भी नहीं सकता कि यह हासिलशुदा चीज़ का हासिल करना है, वल्लाहु आलम! और देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ईमानदार बन्दों को हुक्म दिया है कि वह कहीं

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ) (3/आले इमरानः 8) यानी "ऐ हमारे रब! हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा न कर और हमें अपने पास की रहमत अता फ़र्मा, तू बहुत बड़ा देने वाला और अता करने वाला है।" यह भी रिवायत कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) मग़्रिब की तीसरी रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद इस आयत को पोशीदगी से पढ़ा करते थे। पस (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ) के मअनी यह हुए कि या अल्लाह! हमें सिराते मुस्तक़ीम पर साबित क़दम रख और इससे हमें न हटा।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

तर्जुमा: ''राह उन लोगों की जिन पर तूने इन्आम किया। न उनकी जिन पर ग़ज़ब किया गया और न गुमराहों की।'' (7)

इन्आम याफ़्ता से कौन मुराद है? (आयत 7) इसका बयान पहले गुज़र चुका है कि बन्दे के इस क़ौल पर अल्लाह करीम फ़र्माते हैं यह मेरे बन्दे के लिए है और अत्फ़े बयान भी हो सकती है। वल्लाहु आलम! यह आयत तफ़्सीर है सिराते-मुस्तक़ीम की। और नह्वियों के नज़दीक यह इससे बदल है और अत्फ़ेबयान भी हो सकती है, वल्लाहु आलम! और जिन पर बारी तआला का इन्आम हुआ, उनका बयान सूरह निसाअ में है। फ़र्मान है (وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا) अलख़ (4/निसाअ: 69) यानी ''रब तआला और रसूल के मानने वाले उनके साथ होंगे जिन पर रब तआला का इन्आम है जो नबी और सिद्दीक़ और शहीद और सालेह लोग हैं। यह बेहतरीन साथी और अच्छे रफ़ीक़ हैं। यह फ़ज़्ले-इलाही है और अल्लाह का जानने वाला होना काफ़ी है।'' हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं मतलब यह है कि या अल्लाह! तू मुझे उन फ़रिश्तों, नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों और सालिहीन की राह पर चला जिन पर तूने अपनी इताअत व इबादत की वजह से इन्आम नाज़िल फ़र्माया। यह आयत ठीक **(व मन् युतिइल्लाह)** अलख़ की तरह है। रबीअ बिन अनस (रह. कहते हैं इससे मुराद अम्बिया हैं। इब्ने अब्बास (ﷺ) और मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके सहाबा (ﷺ) मुराद हैं। इब्ने अब्बास (ﷺ) का क़ौल ज़्यादा क़वी और मअक़ूल है, वल्लाहु आलम!

जुम्हूर की क़िराअत में (ग़ैर) ''र'' की ज़ेर के साथ है और सिफ़त है। ज़मख़्शरी (रह.) कहते हैं 'र' की ज़बर के साथ पढ़ा गया है और हाल है। रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) की क़िराअत यही है। और इब्ने कसीर (रह.) से भी यही रिवायत की गयी है (अलैहिम) में जो ज़मीर है वह इसका जुल हाल है और **(अन्अम्त)** आमिल है। मअनी यह हुए कि या रब! तू हमें सीधा रास्ता दिखा उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इन्आम किया जो हिदायत और इस्तिक़ामत वाले थे और अल्लाह के रसूल के इताअत गुज़ार, उसके हुक्मों पर अमल करने वाले, उसके मना किये हुए कामों से रुक जाने वाले थे।

मग़ज़ूबि अलयहिम से कौन लोग मुराद हैं? उनकी राह से बचा जिन पर ग़ज़ब व गुस्सा किया गया। जिनके इरादे फ़ासिद हो गए। हक़ जानकर फिर उससे हट गए और गुमराह लोगों के तरीक़े से भी हमें बचा ले जो सिरे से इल्म ही नहीं रखते। मारे-मारे फिरते हैं। राह से भटकते हुए हैरान व सरगर्दां हैं और राहे हक़ की तरफ़ रहनुमाई नहीं किए जाते। (ला) को दोबारा लाकर कलाम की ताकीद करना इसलिए है कि मालूम हो जाए कि यहाँ दो ग़लत रास्ते हैं, एक यहूद का दूसरा नसारा का। कुछ नह्वी कहते हैं कि ग़ैरि का लफ़्ज़ यहाँ पर इस्तिस्ना के लिए है तो इस्तिस्ना मुन्क़तअ हो सकता है क्योंकि जिन पर इन्आम किया गया है उनमें से

इस्तिस्ना होता है और यह लोग इन्आम वालों में दाख़िल ही न थे लेकिन हमने जो तफ़्सीर की है यह बहुत अच्छी है। अरब शायरों के शेअर में ऐसा पाया जाता है कि वह मौसूफ़ को हज़फ़ कर देते हैं और सिर्फ़ सिफ़त बयान कर दिया करते हैं। इसी तरह इस आयत में भी सिफ़त का बयान है और मौसूफ़ महज़ूफ़ है। (ग़ैरिल् मग़ज़ूब) से मुराद ग़ैरिस् सिरातिल् मग़ज़ूब है। मुज़ाफ़ इलैहि के ज़िक्र से किफ़ायत की गई है और मुज़ाफ़ बयान न किया गया इसलिए कि नशिस्त अल्फ़ाज़ ही इस पर दलालत कर रही है। पहले दो मर्तबा यह लफ़्ज़ आ चुका है। कुछ कहते हैं (वलज़्ज़ॉल्लीन) में ला ज़ाइद है और उनके नज़दीक तक़्दीरे कलाम इस तरह है ग़ैरिल् मग़ज़ूबि अलयहिम वज़्ज़ॉल्लीन और इसकी शहादत अरब शायरों के शेअर से भी मिलती है लेकिन सहीह बात वही है जो हम पहले लिख चुके।

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) से ग़ैरिल् मग़ज़ूबि अलयहिम् व ग़ैरिज़् ज़ाल्लीन पढ़ना सहीह सनद से मरवी है। और इसी तरह हज़रत उबय बिन कअब (رضي الله عنه) से भी रिवायत है और यह महमूल है इस पर कि उन बुज़ुर्गों से यह बतौर तफ़्सीर सादिर हुआ तो हमारे क़ौल की ताईद हुई कि ला नफ़ी की ताकीद के लिए ही लाया गया है ताकि यह वहम ही न हो कि **(अन्अम्त अलयहिम)** पर अत्फ़ है और इसलिए भी कि दोनों राहों का फ़र्क़ मालूम हो जाए ताकि हर शख़्स इन दोनों से बचता रहे। अहले ईमान का तो तरीक़ा यह है कि हक़ का इल्म भी हो और हक़ पर अमल भी हो। यहूदियों के यहाँ इल्म नहीं और नसारा के यहाँ अमल नहीं। इसीलिए कि बावजूद अमल के इल्म को छोड़ना सबब है ग़ज़ब का। गो एक चीज़ का क़सद तो करते हैं लेकिन उसके सहीह रास्ते को नहीं पा सकते इसलिए कि उनका तरीक़ाकार ग़लत है वह इत्तिबा-ए-हक़ से हटे हुए हैं। यूँ तो ग़ज़ब और गुमराही इन दोनों जमाअतों के हिस्से में है लेकिन यहूदी ग़ज़ब के हिस्से में पेश–पेश हैं। जैसाकि क़ुरआने करीम में है (مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ) (5/माइदाः 60) और नसरानी ज़लालत मे बढ़े हुए हैं, फ़र्माने इलाही है (قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ) (5/माइदाः 77) यानी "यह पहले ही से गुमराह हैं और बहुत से लोगों को गुमराह कर भी चुके हैं और सीधी राह से भटके हुए हैं।" इसकी ताईद में बहुत सी अहादीस और रिवायात पेश की जा सकती है।

मुस्नद अहमद में है हज़रत अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के लश्कर ने मेरी फूफी और चंद लोगों को गिरफ़्तार करके हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किया तो मेरी फूफी ने कहा कि मेरी ख़बरगिरी करने वाला दूर है और मैं उम्र-रसीदा बुढ़िया हूँ जो किसी ख़िदमत के लायक़ नहीं। आप (ﷺ) मुझ पर एहसान कीजिए और मुझे रिहाई दीजिए, अल्लाह तआला आप (ﷺ) पर भी एहसान करेगा। आपने पूछा कि तेरी ख़बर लेने वाला कौन है? उसने कहा, अदी बिन हातिम। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "वही जो अल्लाह और रसूल से भागता फिरता है?" फिर आपने उसे आज़ाद कर दिया। जब लौटकर आए तो आपके साथ एक शख़्स थे ग़ालिबन वह हज़रत अली (رضي الله عنه) थे। उन्होंने फ़र्माया, लो इनसे सवारी मांग लो। मेरी फूफी ने आपसे दरख़्वास्त की जो मंज़ूर हुई और सवारी मिल गई। वह यहाँ से आज़ाद होकर मेरे पास आई और कहने लगीं कि हुज़ूर (ﷺ) की सख़ावत ने तो तेरे बाप हातिम की सख़ावत को भी माँद कर दिया। आपके पास जो आता है वह ख़ाली हाथ वापिस नहीं जाता। यह सुनकर मैं भी हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में

हाज़िर हुआ। मैंने देखा कि छोटे बच्चे और बुढ़िया औरतें भी आप (ﷺ) की ख़िदमत में आती जाती हैं और आप उनसे भी बेतकल्लुफ़ी के साथ बोलते हैं। इस बात ने मुझे यक़ीन दिला दिया कि क़ैसर –किसरा की तरह बादशाहत और वजाहत के तलब करने वाले नहीं। आप (ﷺ) ने मुझे देखकर फ़र्माया, "अदी! ला इलाह इल्लल्लाहु कहने से क्यूँ भागते हो? क्या अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक़ है? अल्लाहु अकबर कहने से क्यूँ चेहरा मोड़ते हो? क्या अल्लाह से भी बड़ा कोई है?" मुझ पर उन कलिमात ने और आप (ﷺ) की सादगी और बेतकल्लुफ़ी ने ऐसा असर किया कि फ़ौरन कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया जिससे आप (ﷺ) बहुत ख़ुश हुए और फ़र्माने लगे (मग़ज़ूबि अलयहिम) से मुराद यहूद हैं और (ज़ॉल्लीन) से मुराद नसारा हैं।" (अहमदः 4/378, 379; तिर्मिज़ी, अब्वाबुत् तफ़्सीर, बाब वमिन सूरति फ़ातिहतिल किताबः 2953; व सनदुहू हसन) एक और हदीस में है कि हज़रत अदी (رضی الله عنه) के सवाल पर हुज़ूर (ﷺ) ने यह तफ़्सीर इर्शाद फ़र्मायी थी। इस हदीस की बहुत सी सनदें हैं और मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से मरवी है। बनू क़ीन के एक शख़्स ने वादी-ए-कुरा में हुज़ूर (ﷺ) से यही सवाल किया, आप (ﷺ) ने जवाब में यही फ़र्माया। कुछ रिवायात में उनका नाम अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضی الله عنه) है। वल्लाहु आलम!

इब्ने मर्दवे में अबू ज़र (رضی الله عنه) से भी यही रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद (رضی الله عنه) बहुत से सहाबा (رضی الله عنه) से भी यही तफ़्सीर मन्क़ूल है। रबीअ बिन अनस, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम (رضی الله عنه) वग़ैरह भी यही फ़र्माते हैं। बल्कि इब्ने अबी हातिम (रह.) तो फ़र्माते हैं मुफ़स्सिरीन में इस बारे में इख़्तिलाफ़ ही नहीं। इन अइम्मा की इस तफ़्सीर की दलील एक तो वह हदीस है जो पहले गुज़री, दूसरी सूरह बक़रह की आयत जिसमें बनी इस्राईल को ख़िताब करके कहा गया है (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ) अल्ख़ (2/बक़रहः 90) इस आयत में है कि उन पर ग़ज़ब पर ग़ज़ब नाज़िल हुआ। और सूरह माइदा की आयत (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ) अल्ख़ (5/माइदाः 60) में भी है कि उन पर ग़ज़बे इलाही नाज़िल हुआ। एक जगह फ़र्माने इलाही है (لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) अल्ख़ (5/माइदाः 78) यानी "बनी इस्राईल में से जिन लोगों ने कुफ़्र किया उन पर लअनत की गई। दाऊद और ईसा बिन मरयम (عليهما السلام) की ज़ुबानी। यह बेवजह उनकी नाफ़र्मानी और हद से गुज़र जाने के है। यह लोग किसी बुराई के काम से आपस में रोक-टोक नहीं करते थे। यक़ीनन उनकेकाम बहुत बुरे थे।" और तारीख़ की किताबों में है कि ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल जबकि दीने ख़ालिस की तलाश मे अपने साथियों समेत निकले और मुल्के शाम में आए तो उनसे यहूदियों ने कहा कि आप हमारे दीन में तब तक दाख़िल नहीं हो सकते जब तक कि ग़ज़बे-इलाही का एक हिस्सा न पा लें। उन्होंने जवाब दिया कि इससे बचने के लिए तो दीने हक़ की तलाश में निकले हैं फिर इसे कैसे क़बूल कर लें ? नस्रानियों से मिले उन्होंने कहा, जब तक बारी तआला की नाराज़गी का हिस्सा न लें तब तक आप हमारे दीन में नहीं आ सकते उन्होंने कहा हम यह भी नहीं कर सकते, चुनाँचे वह अपनी फ़ितरत पर ही रहे। बुतों की इबादत और क़ौम का दीन छोड़ दिया लेकिन यहूदियत या ईसाईयत इख़्तियार न की। (सहीह बुख़ारी, किताब मनाक़िबुल अंसार, बाब हदीस ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल : 3827) अल्बत्ता ज़ैद के साथियों ने ईसाई मज़हब क़बूल कर लिया, इसलिए कि यहूदियों के मज़हब से यह मिलता-जुलता था। इन ही में हज़रत वरक़ा बिन नौफ़िल थे। इन्हें नबी करीम (ﷺ) की

नबुव्वत का ज़माना मिला और हिदायते इलाहिया ने इनकी रहबरी की और यह हुज़ूर (ﷺ) पर ईमान लाए और जो वह़ी उस वक़्त तक उतरी थी उसकी तस्दीक़ की।

मसला: ज़ॉद और ज़ॉ की क़िराअत मे फ़र्क़: ''ज़ाद'' और ''ज़ॉ'' की क़िराअत में बहुत बारीक फ़र्क़ है और यह फ़र्क़ हर एक के बस में नहीं। इसलिए उ़लम-ए-किराम का स़ह़ीह़ मज़हब यह है कि यह फ़र्क़ मुआ़फ़ है। ज़ॉद का स़ह़ीह़ मख़रज तो यह है कि ज़ुबान के अव्वल किनारे और उसके पास की दाढ़ें। और ''ज़ॉ'' का मख़रज ज़ुबान का एक त़रफ़ और सामने वाले ऊपर के दो दाँत के किनारे। दूसरे यह कि यह दोनों ह़र्फ़ मज्हूरा और रख़वा और मुत्बिक़ा हैं। पस उस शख़्स़ को जिसे इन दोनों में तमीज़ करना मुश्किल मालूम हो उसे मुआ़फ़ है कि ज़ॉद को 'ज़ॉ' की त़रह़ पढ़ ले। एक ह़दीस में है कि 'ज़ॉद' को सबसे ज़्यादा स़ह़ीह़ पढ़ने वाला मैं हूँ, लेकिन यह ह़दीस बिलकुल बेअस़ल और लापता है।

फ़स़्ल:

सूरह फ़ातिह़ा का ख़ुलास़ा: यह मुबारक सूरत निहायत कारआमद मज़ामीन का मज्मूआ है। इन सात आयात में अल्लाह तआ़ला की ह़म्द, उसकी बुज़ुर्गी, उसकी सना व सिफ़त और उसके पाकीज़ा नामों का और उसकी बुलंद व बाला सिफ़तों का बयान है। साथ ही क़यामत के दिन का ज़िक्र है और बन्दों को इर्शाद है कि वह उस मालिक से सवाल करें, उसकी त़रफ़ गिरया-वज़ारी करें, अपनी मिस्कीनी और बेकसी का इक़रार करे और उसकी इ़बादत ख़ुलूस़ के साथ करें और उसकी तौह़ीदे-उलूहियत का इक़रार करें और उसे शरीक, नज़ीर और मिस्ल से पाक और बरतर जानें। स़िरात़े मुस्तक़ीम की और उस पर साबित-क़दमी की उससे मदद त़लब करें और यही हिदायत उन्हें क़यामत वाले दिन पुल-स़िरात़ से भी पार उतारे और नबियों, स़िद्दीक़ों, और अच्छे लोगों के पड़ोस में जन्नतुल-फ़िरदौस में जगह दिलवाए। साथ ही इस सूरत में नेक आ'माल की तर्ग़ीब है ताकि क़यामत के दिन नेकों का साथ मिले और बात़िल राहों पर चलने से डरावा है ताकि क़यामत के दिन भी उनकी जमाअ़तों से दूरी हो। यह बात़िल-परस्त यहूद व नस़ारा हैं।

इस बारीक नुक्ता पर भी ग़ौर कीजिए कि इन्आ़म की इस्नाद तो अल्लाह तआ़ला की त़रफ़ की गयी और (**अन्अ़म्त**) कहा गया और ग़ज़ब की इस्नाद नहीं की गई। यहाँ फ़ाइल ह़ज़फ़ कर दिया और (**मग़ज़ूबि अ़लयहिम**) कहा गया, इसमें परवरदिगारे आ़लम की जनाब मे अदब किया गया है। दरअस़ल ह़क़ीक़ी फ़ाइल अल्लह तआ़ला ही है जैसे और जगह है (**ग़ज़िबल्लाहु अ़लयहिम**) (48/फ़तह़: 6) और इसी त़रह़ ज़लालत की इस्नाद भी उनकी त़रफ़ की गई जो गुमराह हैं। ह़ालाँकि और जगह है (وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُّضْلِلْ) अल्ख़ (17/इस्रा: 97) यानी ''जिसको अल्लाह तआ़ला राह दिखा दे वह राह-याफ़्ता है और जिसे गुमराह कर दे उसका वली और मुर्शिद कोई नहीं।'' और जगह फ़र्माया (مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ) अल्ख़ (7/अ़अराफ़: 186) यानी ''अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसका ह़ादी कोई नहीं वह तो अपनी सरकशी में बहके रहते हैं।'' इस त़रह़ और भी बहुत सी आयात हैं जिनसे साबित होता है कि राह दिखाने वाला और गुमराह करने वाला सिर्फ़ अल्लाह सुब्ह़ानहू व तआ़ला ही है।

क़दरिया फ़िर्क़ा जो इधर-उधर की मुतशाबेह आयात को दलील बनाकर कहता है कि बन्दे ख़ुद मुख़्तार हैं वह ख़ुद पसंद करते हैं, ग़लत़ है। स़रीह़ और स़ाफ़-स़ाफ़ आयात उनके रद्द की मौजूद हैं लेकिन बात़िल-परस्त का यही क़ायदा है कि स़राह़त को छोड़कर मुतशाबेह के पीछे लगा करते हैं। स़ह़ीह़ ह़दीस में है कि जब तुम उन लोगों को देखो जो मुतशाबेह आयात के पीछे लगते हैं तो समझ लो कि उन ही लोगों का अल्लाह तआ़ला ने नाम लिया है तुम उनको छोड़ दो। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत् तफ़्सीर, बाब तफ़्सीर सूरह आले इमरानः 4547; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 2665) हुज़ूर (ﷺ) का इशारा इस फ़र्मान में इस आयते मुबारका की तरफ़ है (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) (3/आले इमरानः 7) यानी जिन लोगों के दिल में कजी है वह मुतशाबेह के पीछे लगते हैं। फ़ित्नों और तावील को ढूँढ़ने के लिए। पस अल्ह़म्दु लिल्लाह! बिदअ़तियों के लिए क़ुरआन-करीम में स़ह़ीह़ दलील कोई नहीं, क़ुरआन-करीम तो ह़क़ व बात़िल, हिदायत व ज़लालत में फ़र्क़ करने के लिए आया है। इसमें तनाक़ुज़ (मतभेद) और इख़्तिलाफ़ नहीं। यह तो ह़कीम व ह़मीद अल्लाह का नाज़िलकर्दा है।

फ़स्लः

आमीन कहने की फ़ज़ीलत और इमाम के पीछे बुलंद आवाज़ से आमीन कहनाः सूरह फ़ातिह़ा को ख़त्म करके आमीन कहना मुस्तह़ब है। आमीन मिस्ल यासीन के हैं और अमीन भी कहा गया है और उसके मअ़नी यह हैं कि ऐ अल्लाह! तू क़बूल फ़र्मा। आमीन कहने के मुस्तह़ब होने की दलील वह ह़दीस है जो मुस्नद अह़मद, अबू दाऊद, और तिर्मिज़ी में वाइल बिन हुज्र (रह़.) से मरवी है। वह कहते हैं मैंने सुना "रसूलुल्लाह (ﷺ) से कि (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ) कहकर आमीन कहते थे और आवाज़ दराज़ करते थे।" अबूदाऊद में है "और बुलंद करते थे" इमाम तिर्मिज़ी इस ह़दीस को ह़सन कहते हैं। (अह़मदः 4/318; अबूदाऊद, किताबुस्स़लात, बाब अत् तामीन वराउल इमामः 932; वहुव स़ह़ीह़। तिर्मिज़ीः248; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसकी सनद को जय्यद क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् स़ह़ीह़ा, रक़मः 833)) ह़ज़रत अ़ली, ह़ज़रत इब्ने मसऊ़द, ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) वग़ैरह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की आमीन पहली स़फ़ वाले लोग जो आप (ﷺ) के क़रीब होते सुन लेते। अबूदाऊद और इब्ने माजा में यह ह़दीस है। इब्ने माजा में यह भी है कि आमीन की आवाज़ से मस्जिद गूँज उठती थी। (अबूदाऊद, किताबुस्स़लात, बाब अत् तअमीन वराउल इमामः 934; व सनद ज़ईफ़ व इब्ने माजाः 853; इसकी सनद में बिश्र बिन राफ़ेअ़ ज़ईफ़ (अल्मीज़ानः 1/317; रक़मः 1194) और अ़म्मे अबी हुरैरा मज्हूल है और शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलातुस् स़ह़ीह़ाः रक़मः 1/832)) दारे क़ुत्नी में भी यह ह़दीस है और दारे क़ुत्नी इसे ह़सन बताते हैं। ह़ज़रत बिलाल (رضي الله عنه) से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहते थे मुझसे पहले आमीन कहा कीजिए। (अबूदाऊद, किताबुस्स़लात, बाब अत् तामीन वराउल इमामः 937; अह़मदः 6/12, 15; वहुव स़ह़ीह़; देखिए नैलुल मक़्स़ूदः937) ह़सन बस़री और जअ़फ़र स़ादिक़ (रह़.) से आमीन कहना मरवी है जैसे कि (आम्मीनल् बैतल ह़राम) (5/माइदाः 2) क़ुरआने-करीम में है।

हमारे अस्हाब वग़ैरह कहते हैं जो नमाज़ में न हो उसे भी आमीन कहना चाहिए। हाँ! जो नमाज़ में हो उस पर ताकीद ज़्यादा है। नमाज़ी ख़्वाह अकेला हो ख़्वाह मुक़्तदी हो ख़्वाह इमाम हो हर हालत में आमीन कहे। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाए उसके तमाम अगले-पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल् अज़ान, बाब जहरुल इमाम बित् तअमीनः 780, 787, 782 व उन्ज़ुरः 6402; अबूदाऊद, रक़मः 935; नसाईः 926) मुस्लिम में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब तुममें से कोई अपनी नमाज़ में आमीन कहता है और फ़रिश्ते आसमान मे आमीन कहते हैं और एक की आमीन दूसरे की आमीन से मुवाफ़िक़त कर जाती है तो उसके तमाम अगले-पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं।" (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब अत् तस्मीअ वत् तहमीद वत् तअमीन, रक़मः 409) मतलब यह है कि उसकी आमीन का और फ़रिश्तों की आमीन का वक़्त एक ही हो जाए या मुवाफ़िक़त से मुराद क़बूलियत में मुवाफ़िक़ होना है या इख़्लास में। सहीह मुस्लिम में हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से मरफ़ूअन रिवायत है कि जब इमाम (वलज़् ज़ॉल्लीन) कहे तो आमीन कहो, अल्लाह तआला क़बूल फ़र्माएगा। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब अत् तशह्हुद फ़िस्सलातिः 404; अबूदाऊदः 972)

इब्ने अब्बास (ﷺ) ने हुज़ूर (ﷺ) से पूछा कि आमीन के क्या मअनी हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "ऐ अल्लाह! क़बूल कर।" (इसकी सनद में जुवैबिर बिन सईद मतरूक (अल्मीज़ानः 1/427; रक़मः 1593) और ज़ह्हाक की इब्ने अब्बास (ﷺ) से मुलाक़ात साबित नहीं। यानी यह रिवायत सख़्त मर्दूद है।) जुहरी (रह.) कहते हैं इसका मअनी है "इसी तरह हो" तिर्मिज़ी कहते हैं इसके म अनी हैं कि "हमारी उम्मीदों को न तोड़" अकसर उलमा फ़र्माते हैं इसके मअनी "ऐ अल्लाह! तू हमारी दुआ को क़बूल कर" के हैं। मुजाहिद, जअफ़र सादिक़, हिलाल बिन सियाफ़ (रह.) फ़र्माते हैं कि आमीन अल्लाह तआला के नामों में से एक नाम है। इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरफ़ूअन भी यह मरवी है लेकिन सहीह नहीं। इमाम मालिक (रह.) के अस्हाब का मज़हब है कि इमाम आमीन न कहे मुक़्तदी आमीन कहें क्योंकि मुअत्ता इमाम मालिक (रह.) की हदीस में है कि जब (वलज़् ज़ॉल्लीन) कहते तुम आमीन कहो। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुस्सलात, बाब मा जाअ फ़ित् तअमीन ख़ल्फ़ुल इमामः 45; व हुव सहीह) इसी तरह इनकी दलील की ताईद में सहीह मुस्लिम वाली अबू मूसा अशअरी (ﷺ) की यह रिवायत भी आती है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब इमाम (वलज़्ज़ॉल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो।" (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब अत् तशह्हुद फ़िस्सलातिः 904) लेकिन बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस पहले बयान हो चुकी कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब जहरुल इमाम बित् तअमीन, रक़मः 780, 781, 782; सहीह मुस्लिमः 404) और यह भी हदीस में है कि आँहज़रत (ﷺ) (वलज़्ज़ॉल्लीन) पढ़कर आमीन कहते थे। जहरी नमाज़ों में आमीन बुलंद आवाज़ से जहरी नमाज़ों में मुक़्तदी ऊँची आवाज़ से आमीन कहे या न कहे इसमें हमारे साथियो में इख़्तिलाफ़ है जिसका ख़ुलासा यह है कि अगर इमाम आमीन कहनी भूल गया हो तो मुक़्तदी बाआवाज़े बुलंद आमीन कहे या न कहें। अगर इमाम ने ख़ुद ऊँची आवाज़ से आमीन कही

तो नया क़ौल यह है कि मुक़्तदी बाआवाज़े बुलंद न कहें। इमाम अबू ह़नीफ़ा (رحمه الله) का यही मज़हब है। और एक रिवायत में इमाम मालिक (रह़.) से भी मरवी है इसलिए कि नमाज़ के और अज़्कार की तरह़ यह भी एक ज़िक्र है तो न वह बुलंद आवाज़ से पढ़े जाते हैं न यह बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए। लेकिन पहला क़ौल यह है कि आमीन बुलंद आवाज़ से कही जाए। ह़ज़रत इमाम अह़मद बिन हंबल (रह़.) का भी यही मज़हब है और ह़ज़रत इमाम मालिक (रह़.) का भी दूसरी रिवायत के एतिबार से यही मज़हब है और इसकी दलील वही ह़दीस है जो पहले बयान हो चुकी कि "आमीन की आवाज़ से मस्जिद गूँज उठती थी।"(अबूदाऊद, किताबुस् सलात, बाब अत् तअमीन वराउल इमाम, रक़मः 934; इब्ने माजाः 853; सनदुहू ज़ईफ़; बिश्र बिन राफ़ेअ ज़ईफ़ और अबू अब्दुल्लाह बिन अम्मे अबी हुरैरा मज्हूल है।) हमारे यहाँ एक तीसरा क़ौल भी है कि अगर मस्जिद छोटी हो तो मुक़्तदी बाआवाज़े बुलंद आमीन न कहें इसलिए कि वह इमाम कि क़िराअत सुनते हैं, और अगर बड़ी हो तो ऊँची आवाज़ से आमीन कहें ताकि मस्जिद के कोने-कोने में आमीन पहुँच जाए, वल्लाहु आलम! (सह़ीह़ मसला यह है कि जिन नमाज़ों में ऊँची आवाज़ से क़िराअत की जाती है उनमें ऊँची आवाज़ से ही आमीन कहनी चाहिए ख़्वाह मुक़्तदी हो ख़्वाह इमाम हो, ख़्वाह मुंफ़रिद, मुतर्जिम)

मुस्नद अह़मद में ह़ज़रत आइशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास यहूदियों का ज़िक्र हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "हमारी तीन चीज़ों पर यहूदियों को इतना बड़ा ह़सद है कि किसी और चीज़ पर नहीं। एक तो जुम्आ कि बारी तआला ने हमें इसकी हिदायत की और यह बहक गये, दूसरे क़िब्ला, तीसरे हमारा इमाम के पीछे आमीन कहना।" इब्ने माजा की ह़दीस में यू. है कि "यहूदियों को सलाम पर और आमीन पर जितनी चिड़ है उतनी किसी और चीज़ पर नहीं।" (अह़मदः 6/134, 135; इब्ने माजा, किताब इक़ामतिस्सलात, बाब अल् जहरु बिआमीनः856; व सनदुहू सह़ीह़ इब्ने ख़ुज़ैमाः 1585; अत् तर्ग़ीबः 719; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे सह़ीह़ लिग़ैरिही क़रार दिया है। देखिए (सह़ीह़ तर्ग़ीबः 515) और ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) की रिवायत में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "यहूदी जितना ह़सद तुम्हारे आमीन कहने पर करते हैं उतना ह़सद किसी और काम पर नहीं करते, तुम भी बकसरत आमीन कहा करो।" इसकी इस्नाद में अबू त़लह़ा बिन अम्र रावी ज़ईफ़ हैं। (इब्ने माजा, किताबुस्सलात, बाब अल जहर बि आमीनः 857; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा; ह़दीस का अवाइल हिस्सा साबिक़ा शवाहिद से सह़ीह़ है और आख़िरी हिस्से में कलाम है। इसकी सनद में त़लह़ा बिन अम्र ज़ईफ़ रावी है। जिसके जुअफ़ पर मुह़द्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है। (अल्मीज़ानः 2/340; रक़मः 4008) शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे सख़्त ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अत् तर्ग़ीबः 270)) इब्ने मर्दवे में बरिवायत ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) मरवी है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "आमीन अल्लाह तआला की मेहर है अपने मोमिन बन्दों पर।" (अद् दुआउ लित् त़बरानीः 219; व सनदुहू ज़ईफ़ अद् दुर्रुल मंसूरः 1/44; इसकी सनद में मौमिल बिन अब्दुर्रह़मान सक़फ़ी और इस्माईल बिन यअला सक़फ़ी दोनों ज़ईफ़ हैं। (अल्मीज़ानः 4/229; रक़मः 8953, 1/254; रक़मः 971) शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है देखिए (सिलसिलतुज़् ज़ईफ़ः 1487)) ह़ज़रत अनस (رضي الله عنه) वाली ह़दीस में है कि, "नमाज़ में आमीन कहनी और दुआ पर आमीन कहनी रब तआला की तरफ़ से मुझे अता की गयी है जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गयी। हाँ! इतना है कि मूसा (عليه السلام) की ख़ास दुआ पर

हज़रत हारून (अ.) आमीन कहते थे तुम अपनी दुआओं को आमीन पर ख़त्म किया करो। अल्लाह तआला उन्हें तुम्हारे हक़ में क़बूल फ़र्माया करेगा।'' (इब्ने ख़ुज़ैमा, रक़मः 1586; व सनदुहू ज़ईफ़; अज़् ज़ुअफ़ा लि इब्ने अदीः 3/240; इस हदीस का मदार ज़ुबी बिन अब्दुल्लाह ज़ईफ़ पर है जो साहिबे मनाकीर है। (अल्मीज़ानः 1/69; रक़मः 2852) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अत् तर्ग़ीबः 267))

इस हदीस को पेशे-नज़र रखकर क़ुरआने-करीम के उन अल्फ़ाज़ को देखिए जिनमें हज़रत मूसा (ﷺ) की दुआ (رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ) अल्ख़ है यानी ''ऐ अल्लाह! तूने फ़िरऔन और फ़िरओनियों को दुनिया की ज़ीनत और माल दुनिया की ज़िन्दगानी में अता फ़र्माया है जिससे वह तेरी राह से दूसरों को बहका रहे हैं। या रब! उनके माल बर्बाद कर और उनके दिल सख़्त कर, यह न ईमान लाएँ जब तक कि दर्दनाक अज़ाब न देख लें।'' हज़रत मूसा (ﷺ) की इस दुआ की क़बूलियत का ऐलान इन अल्फ़ाज़ में होता है (قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا) अल्ख़ (10/यूनुसः 89) यानी ''तुम दोनों की दुआ क़बूल की गई। तुम मज़बूत रहो और बेइल्मों की राह न जाओ।'' दुआ सिर्फ़ हज़रत मूसा (ﷺ) करते थे और हज़रत हारून (ﷺ) सिर्फ़ आमीन कहते थे लेकिन क़ुरआन ने दुआ की निस्बत दोनों की तरफ़ की। इससे कुछ लोगों ने इस्तिदलाल किया है कि जो शख़्स किसी दुआ पर आमीन कहे उसने गोया ख़ुद दुआ की। अब इस इस्तिदलाल को सामने रखकर फिर वह क़यास करते हैं कि मुक़्तदी क़िराअत न करे इसलिए कि उसका सूरह फ़ातिहा पर आमीन कहना क़ायम मक़ाम पढ़ने के है। इस हदीस को भी दलील में लाते हैं कि जिसका इमाम हो तो इमाम की क़िराअत उसकी क़िराअत है। (अहमदः 3/339; इब्ने माजा, किताब इक़ामतिस्सलातः बाब इज़ा क़रअल इमाम फ़न्सितू .... ' 850; सनद में हसन बिन सालेह है जिसका अबू ज़ुबैर से सिमाअ साबित नहीं। और मुत्तसिल सनद में जाबिर, जअफ़र और लैस बिन अबी सुलैम ज़ईफ़ हैं। यह रिवायत अपने तमाम शवाहिद के साथ ज़ईफ़ ही है।) हज़रत बिलाल (ﷺ) कहा करते थे कि हुज़ूर (ﷺ)! आमीन में मुझसे सब्क़त न किया कीजिए। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब अत् तअमीन वराउल इमामः 937; यह रिवायत सहीह है।) इस खींचातानी से मुक़्तदी पर जहरी नमाज़ों में अल्हम्दु का न पढ़ना साबित करना चाहते हैं। वल्लाहु आलम! (यह याद रहे कि इसकी मुफ़स्सल बहस पहले गुज़र चुकी है) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब इमाम (ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलयहिम वलज़् ज़ॉल्लीन) (1/फ़ातिहाः 7) कहकर आमीन कहता है और आसमान वालों की आमीन ज़मीन वालों की आमीन से मिल जाती है तो अल्लाह तआला बन्दे के तमाम पहले गुनाह मुआफ़ कर देता है। (मुस्नद अबू यअलाः 6411; व सनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद ज़ईफ़ में लैस बिन अबी सुलैम मुख़्तलत (अत् तक़रीबः 2/138) और कअब अल मदनी मज्हूल रावी है और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अत् तर्ग़ीबः 269) आमीन न कहने की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख़्स ने एक क़ौम के साथ मिलकर ग़ज़्वा किया। ग़ालिब आए, माले ग़नीमत जमा किया। अब क़ुरआ डालकर हिस्सा लेने लगे तो उस शख़्स के नाम का क़ुरआ निकला ही नहीं और कोई हिस्सा न मिले वह कहे यह क्यूँ? तो जवाब मिले कि तेरे आमीन न कहने की वजह से।''

सूरह बक़रह

سُورَةُ البَقَرَةِ

FLOW CHART
तरतीबी नक्श-ए-रब्त

MACRO-STRUCTURE
नज़्मे जली

02

सूरह बक़रह

मदनी

आयात 286 पैराग्राफ़ 4

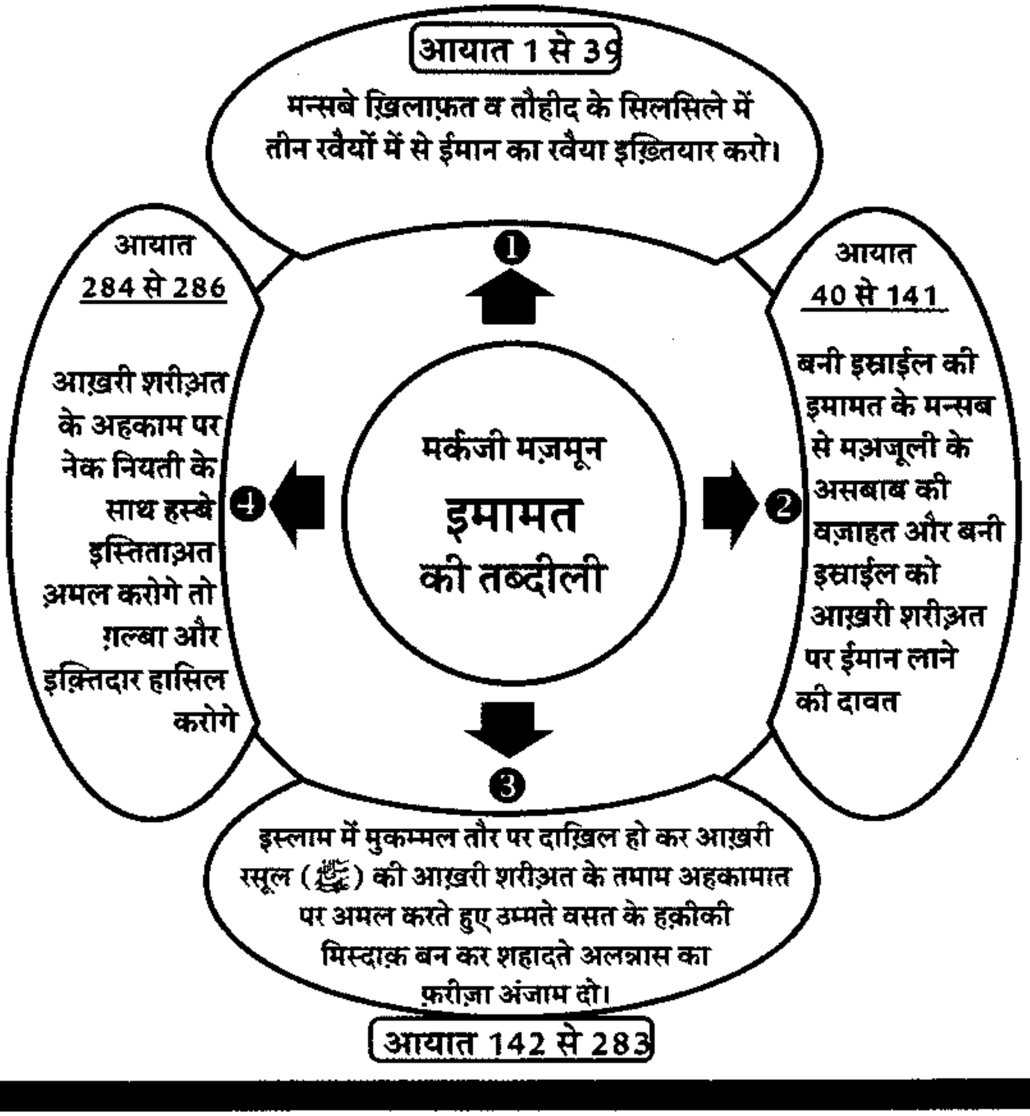

FLOW CHART
तरतीबी नक्शा-ए- रब्त

MACRO-STRUCTURE
नज़्मे जली

सूरह अल बक़रह का पहला तम्हीदी हिस्सा

आयात 1 से 39 पैराग्राफ़ 3

अहम अल्फ़ाज़ व मज़ामीन

मन्सबे ख़िलाफ़त का लाज़मी तक़ाज़ा है कि आदमी ख़ैरो-शर के इख़्तियार में से, सिर्फ़ ख़ैर को अपना ले कुफ़्रो-निफ़ाक़ से बच कर, सच्चा मोमिने सालेह बन जाए और अल्लाह के नाइब और ख़लीफ़ा की हैसियत से, उसके अहकाम पर हुस्ने नियत के साथ अमल करे।

FLOW CHART
तरतीबी नक्श-ए- रब्त

MACRO-STRUCTURE
नज़्मे जली

सूरह बक़रह का दूसरा हिस्सा

बनी इस्राईल की माज़ूली के असबाब

आयात 40 से 141 पैराग्राफ़ 6

मर्कज़ी मज़मून
बनी इस्राईल को आख़री शरीअत पर ईमान लाने की दावत और इमामत की फ़ज़ीलत से माज़ूल किए जाने के असबाब की वज़ाहत

1. **पहला पैराग्राफ़**
आयात 40 से 46
बनी इस्राईल को इस्लाम की दावत

2. **दूसरा पैराग्राफ़**
आयात 47 से 48
बनी इस्राईल को तख़्वीफ़े क़यामत

3. **तीसरा पैराग्राफ़**
आयात 49 से 79
बनी इस्राईल पर एहसानात और उनकी नाफ़रमानियाँ और जराइम

4. **चौथा पैराग्राफ़**
आयात 80 से 89
- आयात 80 से 82 बनी इस्राईल का नस्ली तअस्सुब व तफ़ाख़ुर
- आयात 83 मीसाक़े बनी इस्राईल
- आयात 84 से 89 बनी इस्राईल का इस्म व उदवान और जुज़्वी पैरवी

5. **पांचवाँ पैराग्राफ़**
आयात 90 से 123
- आयात 90 से 91 बनी इस्राईल का नस्ली तअस्सुब और बग़ी
- आयात 92 से 105 बनी इस्राईल के जराइम
- आयात 106 से 109 शरीअत की तब्दीली की वजह और बनी इस्राईल का हसद
- आयात 110 से 115 इस्लाम की दावत और उन की नस्ल परस्ती
- आयात 116 से 123 शिर्क ऐतराज़ात और अहवाले-तख़्वीफ़े क़यामत

6. **छठा पैराग्राफ़**
आयात 124 से 141
जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम व याकूब अलैहिस्सलाम का रास्ता इख़्तियार करने की दावत

FLOW CHART
तरतीबी नक्श-ए- रब्त

MACRO-STRUCTURE
नज़्मे जली

सूरह बकरह का तीसरा हिस्सा

आख़िरी शरीअत के अहकाम
आयात 141-283 पैराग्राफ़ 12

बारहवाँ पैराग्राफ़ (आयात 275-283) मुआमलात के अहकाम		
आयात 281 से 275 सूद	आयात 282 क़र्ज़	आयात 283 रहन

ग्यारवाँ पैराग्राफ़ आयात (243-274) जिहाद व इन्फ़ाक के अहकाम	
आयात 243 जिहाद	आयात 254 इन्फ़ाक़
आयात 244-245 इन्फ़ाक़	आयात 255 259 जिहाद की दो क़िस्मे
आयात 246-250 बनी इस्राईल का जिहाद	आयात 260 दलाइले आख़िरत
आयात 252-253 मक़सदे जिहाद	आयात 261-274 इन्फ़ाक़

दसवाँ पैराग्राफ़

आयात 217-242 मुआशरती अहकाम	आयात 226 ईलाअ
आयात 217-218 इरतिदाद और ईमान	आयात 232-227 तलाक़
आयात 219 शराब व जुआ	आयात 233 रज़ाअत
आयात 220 यतामा	आयात 234-235 बेवा की इद्दत
आयात 221 निकाह	आयात 236-237 मेहर
आयात 222-223 हैज़	आयात 238 नमाज़े ख़ौफ़ व अमन
आयात 224-225 क़सम के अहकाम	आयात 239-242 मेहर

नवाँ पैराग्राफ़ आयात 215 से 218
इन्फ़ाक़ व जिहाद के अहकाम

आयात 215 इन्फ़ाक़	आयात 216-218 जिहाद

आयात 143 उम्मते वसत का फ़रीज़ा शहादते हक़ है	आयात 144 से 150 तहवीले क़िब्ला	आयात 150 अहले किताब से न डरो।	आयात 151 मक़सदे रिसालत	आयात 152 मशरूते वादा

शहादत अलन्नास का फ़रीज़ा अदा करो।
पहला पैराग्राफ़ (आयात 141 से 152)

मर्कज़ी मज़मून
इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाख़िल हो कर आख़री रसूल (ﷺ) की आख़री शरीअत के अहकाम पर अमल करते हुए उम्मते वसत के हक़ीक़ी मसदाक़ बन कर शहादत अलन्नास का फ़रीज़ा अदा करो।

दूसरा पैराग्राफ़ आयात 153 से 158 नमाज़, सब्र, जिहाद और हज व उमरह के अहकाम	
	आयात 157 से 153 नमाज़, सब्र व जिहाद
	आयत 158 हज व उमरह

तीसरा पैराग्राफ़ आयात 159 से 167 अक़ीदए तौहीद	
	आयात 159 से 162 कितमाने तौहीद की सज़ा
	आयात 163 तौहीदे उलुहियत
	आयात 164 तौहीदे रूबुबियत
	आयात 165 से 167 तौहीद व शिर्क

चौथा पैराग्राफ़ आयात 68 से 176 रिज़्के हलाल व हराम के अहकाम	
	आयात 168 से 172 रिज़्के हलाल
	आयात 173 रिज़्के हराम
	आयात 174 से 176 कितमाने अहकाम

पांचवा पैराग्राफ़
आयात 177
अहकाम की रूह

छठा पैराग्राफ़ (आयात 178 से 189) अहकाम				
आयात 178-179 क़िसास	आयात 180-182 वसीयत	आयात 183-187 रोज़े	आयात 188 रिशवत	आयात 189 क़मरी कैलेण्डर

सातवाँ पैराग्राफ़ (आयात 190 से 207) जिहाद व इफ़ाक व हज के अहकाम			
आयात 190-194 क़िताल व जिहाद	आयात 195 इन्फ़ाक़	आयात 196-203 हज व उमरह	आयात 204-207 तागूत

आठवाँ पैराग्राफ़ आयात 208-213 उदख़ुलू फिस्सिल्मे काफ़्फह	
आयात 208-212 मुकम्मल इस्लाम का मुतालबा	आयात 213 बनी इस्राईल का अख़लाक़ बग़ी

FLOW CHART
तरतीबी नक्श-ए- रब्त

MACRO-STRUCTURE
नज़्मे जली

सूरह अल बक़रह का चौथा इख़्तितामी हिस्सा

आयात 284 से 286 पैराग्राफ़ तीन

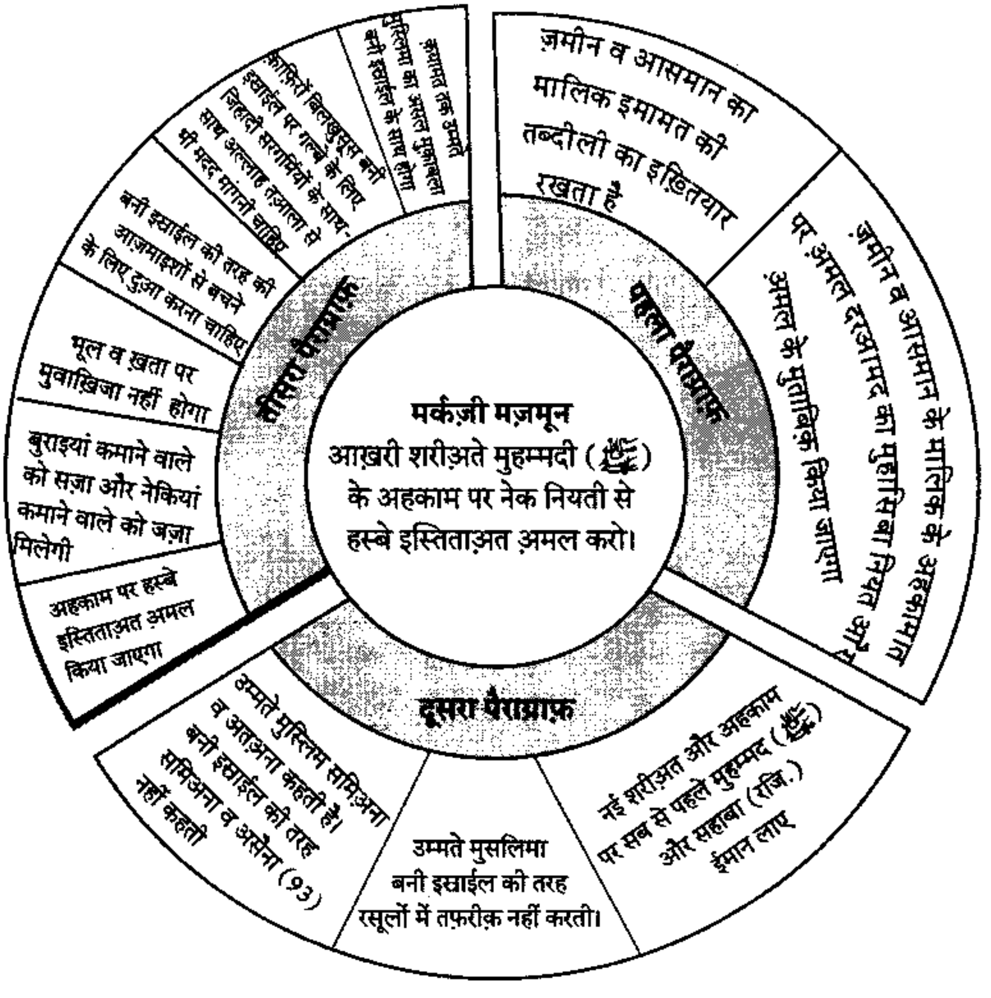

अहम अल्फ़ाज़:

आयत नम्बर 93 का जवाब, आयत 285 में दिया है।

(अल्लजीना मिन क़बलिहिम) से बिलख़ुसूस बनी इस्राईल मक़सूद हैं।

खुलासा सूरह बक़रह

यह क़ुरआन करीम की दूसरी सूरत है। यह मदनी सूरह है जो पूरी की पूरी मदीना में मुख़्तलिफ़ औक़ात में नाज़िल हुई। हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की 622 ईस्वी में हिज्रते मदीना के बाद यह पहली सूरत है जो अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) पर नाज़िल की। इसका बेशतर हिस्सा ग़ज़्वा बद्र से पहले 1 और 2 हिज्री में नाज़िल हुआ। मगर कुछ आयात जैसे 275 से 281 तक आप (ﷺ) की ज़िन्दगी के आख़िरी दो तीन माह में नाज़िल हुईं। यह क़ुरआन मजीद की सबसे लम्बी सूरत है जो 286 आयात और 40 रुकूओं पर मुश्तमिल है। यानी क़ुरआन के तक़रीबन बारहवें हिस्से या ढाई पारों के बराबर है। अक़ाइद व आमाल और इंसानी ज़िन्दगी के मुख़्तलिफ़ पहलूओं पर अहकाम के बयान के लिहाज़ से यह क़ुरआन हकीम की अहमतरीन सूरह है।

1. सूरह बक़रह क़ुरआन मजीद की कोहान और इसकी बुलंदी है। (मुस्नद अहमद)
2. हर चीज़ की बुलंदी होती है और क़ुरआन मजीद की बुलंदी सूरह बक़रह है। इस सूरह में एक आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है और वह आयत है आयतल कुर्सी। (तिर्मिज़ी)
3. अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ। जिस घर में सूरह बक़रह पढ़ी जाए वहाँ शैतान दाख़िल नहीं हो सकता। (मुस्नद अहमद, मुस्लिम, तिर्मिज़ी)
4. सूरह बक़रह सीखो, इसका लेना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत है। जादूगर इसकी ताक़त नहीं रखते।
5. आप (ﷺ) के सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का क़ौल है कि जो शख़्स सूरह बक़रह की पहली चार आयात और आयतल कुर्सी और उसके बाद की आयात और आख़िरी आयात रात के वक़्त पढ़ ले उस घर में रातभर शैतान दाख़िल नहीं हो सकता।

इस सूरह में दी गयी तालीमात का ख़ुलासा

1. इस बात में कोई शक नहीं कि क़ुरआन को अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किया है। यह ऐलान इस सूरह की पहली आयत में किया गया है। आयत नम्बर 23 और 24 में उन लोगों को चैलेंज दिया गया है जो क़ुरआन के मिन्जानिब अल्लाह होने मे शक करते हैं कि वह भी इस तरह की एक सूरत बना लाएँ अगर वह अपने दावे में सच्चे हैं।
2. अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। उसी अल्लाह वाहिद ने इंसानों को और पूरी कायनात को पैदा किया है। लिहाज़ा सिर्फ़ उसी की इबादत करो।
3. अल्लाह से डरने वालों (यानी मोमिनों), काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों के ख़साइल इस सूरह की आयात नम्बर 1 से 20 में बयान किए गए हैं।
4. आदम (عليه السلام) और शैतान का क़िस्सा मुख़्तसर तौर पर आयात नम्बर 30 से 39 में बयान किया गया है इसमें बताया गया है कि शैतान इंसान का अज़्ली (पुराना) दुश्मन है उसने अल्लाह के हुक्म के बावजूद आदम (عليه السلام) को सज्दा करने से इंकार कर दिया और बाद में आदम (عليه السلام) और हव्वा (عليها السلام) को बहकाकर अल्लाह की नाफ़र्मानी करवाई और उन्हें जन्नत से निकलवा दिया। अल्लाह ने यह वादा किया कि आदम (عليه السلام) को शैतान के शर से बचाने और उनको सीधी राह की हिदायत करने के लिए अपने रसूल भेजता रहेगा।
5. बनी इस्राईल या यहूद की तारीख़ इस सूरह की आयात नम्बर 40 से 141 और 246 से 253 में बयान की गई है। इन आयात में बनी इस्राईल पर फ़िरऔने मिस्र के ज़ुल्मो-सितम, बनी इस्राईल की मज़हबी अक़दार से बग़ावत, पैग़म्बरों से सरकशी, अल्लाह के अहकाम से इंहिराफ़, हज़रत मूसा (عليه السلام) की हुक्म अदूली, बछड़े की पूजा वग़ैरह का बयान है। यहूदियों पर यह बात वाज़ेह कर दी गई है कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के पैग़म्बर हैं जिनको (क़ुरआन की शक्ल में) किताब दी गई है। उनको वही पैग़ाम दिया गया है जो उनसे पहले पैग़म्बरों यानी हज़रत इब्राहीम (عليه السلام), हज़रत इस्हाक़ (عليه السلام), हज़रत याक़ूब (عليه السلام), हज़रत मूसा (عليه السلام) और हज़रत ईसा (عليه السلام) को मिला था। इसलिए वह हज़रत

मुहम्मद (ﷺ) पर ईमान लाएँ और उनकी पैरवी करें। मदीना के यहूदियों को याद दिलाया गया है कि वह ख़ुद मदीना और गर्दो नवाह़ के मुश्रिकों को बताया करते थे कि एक नबी तशरीफ़ लाने वाले हैं जिनकी मदद से वह मुश्रिकों पर फ़तह़ ह़ासिल करेंगे, मगर जब वह नबी आ गए हैं और उसे इन्होंने पहचान भी लिया है तो वह उसकी मुख़ालिफ़त में पेश पेश क्यूँ हैं?

6. ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) जो यहूदियों और अरबों के जद्दे अमजद हैं और जिन पर यहूद ईमान रखते हैं, अल्लाह के पैग़म्बर (अ़लैहिस्सलाम) थे। वह न यहूदी थे, न ईसाई, न मुश्रिक बल्कि ख़ालिस़ तौह़ीद परस्त थे। एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले और स़िर्फ़ उसी की इबादत करने वाले सच्चे मुसलमान थे। उनका मज़हब इस्लाम (यानी अल्लाह, रब्बे कायनात के आगे पूरी त़रह़ सरे तस्लीम ख़म कर देना) था। उन ही ने मक्का में अपने बेटे इस्माईल (अ़लैहिस्सलाम) की मदद से बैतुल्लाह (कअ़बा) तामीर किया था। उन ही ने अपने बेटे इस्माईल (अ.) की औलाद में एक रसूल भेजने की अल्लाह से इल्तिजा की थी। मुह़म्मद (ﷺ) उन ही की दुआओं के नतीजे में रसूल बनाकर भेजे गए हैं। लिहाज़ा यहूदियों पर यह फ़र्ज़ है कि वह मुह़म्मद (ﷺ) पर ईमान लाएँ (आयात नम्बर 124 से 134)
7. मुह़म्मद (ﷺ) की उम्मत यानी मुसलमान उम्मते वुस्त़ा (एक मुअ़तदिल उम्मत) हैं। इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) का मक्का में तामीर किया हुआ कअ़बा अहले इस्लाम के लिए क़िब्ला मुक़र्रर किया गया है। बैतुल मक़्दिस की ह़ैसियत बत़ौर क़िब्ला ख़त्म कर दी गयी है। अब लोग बनी इस्राईल को मज़हबी रहबरी के लिए देखने की बजाए ह़ज़रत मुह़म्मद (ﷺ) और इस्लाम को देखेंगे। (आयात नम्बर 142 से 150)
8. ख़ूराक के ह़लालो ह़राम होने के बारे में अह़काम आयात नम्बर 172 और 173 में दिए गए हैं। क़िस़ास़ का क़ानून आयत नम्बर 178 और 179 में बयान किया गया है। जबकि वस़िय्यत के बारे में अह़काम आयात नम्बर 180 से 182 में दिए गए हैं।
9. इस्लाम के पाँचों बुनियादी अरकान के बारे में इस सूरत में वाज़ेह़ हिदायात दी गई हैं। ईमान के बारे में (आयत नम्बर 136, 177 और 285 में), नमाज़ के बारे में (आयत नम्बर 110 और 177 में), ज़कात के बारे में (आयत नम्बर 110, 177 और 277 में), रोज़ा के बारे में (आयत नम्बर 183 से 187 में) और ह़ज्ज के बारे में (आयत नम्बर 189 और 196 से 203 में) मुख़्तस़र अह़काम मौजूद हैं।
10. मुआशरती बुराईयों के बारे में भी इस सूरह में अह़काम दिये गए हैं जैसे शराबनोशी और जूआ (आयत नम्बर 219), रिश्वत (आयत नम्बर 188)
11. जिहाद के बारे में अह़काम आयात नम्बर 190 से 194 और 216 से 218 में दिए गए हैं।
12. आइली क़वानीन जैसे शादी, मुहर, त़लाक़, इद्दत, रज़ाअ़त और मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात के बारे में वाज़ेह़ उसूल आयात नम्बर 242 में बयान किए गए हैं।
13. स़दक़ात व ख़ैरात के फ़ज़ाइल और उनके बारे में हिदायात आयात नम्बर 215, 219, 254 और 261 से 274 में दी गई है।
14. रिबा या सूद को आयत नम्बर 275 से 279 में ह़राम क़रार दिया गया है और इसका तक़ाबुल तिजारत और ज़कात से किया गया है।
15. अल्लाह की वह़दानियत और स़िफ़ात का ऐलान आयत नम्बर 255 में किया गया है जिसे आयतल कुर्सी कहा जाता है।
16. आयत नम्बर 256 में ऐलान है कि मज़हब में कोई जबर नहीं, लिहाज़ा किसी को तलवार के ज़रिये मजबूर करके मज़हब बदलने पर जोर देना मना है, क़र्ज़ के लेन-देन, शहादत और रहन के बारे में क़वानीन आयत नम्बर 282 और 283 में बयान किए गए हैं।
17. आयत नम्बर 286 में सूरत का ख़ात्मा एक मुफ़स्स़ल (लम्बी) दुआ से किया गया है।

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

''शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।''

तफ़्सीर सूरह बक़रह

सूरह बक़रह के फ़ज़ाइलः हज़रत मअक़िल बिन यसार (ﷻ) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''सूरह बक़रह क़ुरआन की कोहान है और इसकी बुलंदी है कि इसकी एक-एक आयत के साथ अस्सी फ़रिश्ते नाज़िल होते थे और बिल-ख़ुसूस आयतल कुर्सी तो ख़ास अर्श तले से नाज़िल हुई और इस सूरत के साथ मिलाई गयी। सूरह यासीन क़ुरआन का दिल है। जो शख़्स इसे अल्लाह तआला की रज़ाजूई और आख़िरत तलबी के लिए पढ़े उसे बख़्श दिया जाता है। इस सूरत को मरने वालों के सामने पढ़ा करो।'' (अहमदः 5/26; व सनद ज़ईफ़; इसकी सनद में अबू उस्मान और इसके वालिद ग़ैर-मअरूफ़ हैं और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अत् तर्ग़ीबः 878)) इस हदीस की सनद में एक जगह अनिर् रजुल है तो यह नहीं मालूम होता था कि इससे मुराद कौन हैं? लेकिन मुस्नद अहमद ही की दूसरी रिवायत में उनका नाम अबू उस्मान आ गया है। यह हदीस इसी तरह अबूदाऊद, नसाई और इब्ने माजा में भी है। (अबूदाऊद, किताबुल जनाइज़, बाब अल क़िराअतु इन्दल मय्यितः 3121 व सनदुहू ज़ईफ़; अबू उस्मान मज्हूलुल हाल और उसका वालिद मज्हूल व ग़ैर-मअरूफ़ रावी है। व इब्ने माजाः 1448; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है ।(देखिए (अल इर्वाः 688) तिर्मिज़ी की एकज़ई फ़ सनद वाली हदीस मे है कि हर चीज़ की एक बुलंदी होती है और क़ुरआन करीम की बुलंदी सूरह बक़रह है। इस सूरत में एक आयत है जो तमाम आयात की सरदार है और वह आयतल कुर्सी है।'' (तिर्मिज़ी, अब्वाब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब मा जाअ फ़ी सूरतिल बक़रह व आयतल कुर्सी ' 2878 व सनद ज़ईफ़ः हकीम बिन जुबैर रावी ज़ईफ़ हैं।) मुस्नद अहमद, सहीह मुस्लिम, तिर्मिज़ी और नसाई में हदीस है कि, ''अपने घरों को क़ब्रें न बनाओ जिस घर में सूरह बक़रह पढ़ी जाए वहाँ शैतान दाख़िल नहीं हो सकता।'' (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन बाब इस्तिहबाब सलातुन् नाफ़िलह फ़ी बैतिही...: 780; अहमदः 7/378; तिर्मिज़ीः 2877; सुननुल कुब्रा लिन् नसाईः 10801) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन सहीह बतलाते हैं। एक और हदीस में है कि, ''जिस घर में सूरह बक़रह पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है।'' (फ़ज़ाइलुल क़ुरआन लि अबी उबैदः 9/34; इसकी सनद में इब्ने लहीआ मुख़्तलत रावी है। (अत् तक़रीबः 1/144; रक़म 574) लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।) इस हदीस के एक रावी को इमाम यहया बिन मुईन तो सिक़ह बतलाते हैं लेकिन अहमद (रह.) वग़ैरह इनकी हदीस को मुंकर कहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷻ) से भी इसी तरह का क़ौल मन्क़ूल हैं। इसे नसाई ने ''अमलुल यौम वल् लैल'' में और हाकिम ने 'मुस्तदरक' मे रिवायत किया है और इसकी सनद को सहीह कहा है। (सुननुल कुब्रा लिन् नसाई, किताब अमलुल यौम वल् लैलाः 964; व सनदुहू सहीह हाकिमः 2/209, 260; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। सिलसिलतुस् सहीहाः 4/26)

इब्ने मर्दवे में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मैं तुम में से किसी को ऐसा न पाऊँ कि वह पैर पर पैर चढ़ाए चला जाए लेकिन सूरह बक़रह न पढ़े। सुनो! जिस घर में यह मुबारक सूरत पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग खड़ा होता है। सब घरों में बदतरीन और ज़लीलतरीन घर वह है जिसमें किताबुल्लाह की तिलावत न की

जाए।" इमाम नसाई (रह़.) ने "अमलुल यौम वल लैला" में भी इसे नक़्ल किया है। (सुननुल कुब्रा लिन् नसाई, किताब अमलुल यौम वल लैलाः 963; हैसमी मज्मउ ज़वाइदः 6/313 में फ़र्माते हैं कि तबरानी ने इसे अल् औसत में बयान किया है। और इसमें ऐसे रूवात हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। इसकी सनद अबू इस्हाक़ और मुहम्मद बिन अज्लान की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) मुस्नद दारमी में ह़ज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि, "जिस घर में सूरह बक़रह पढ़ी जाए उस घर से शैतान गोज़ मारता हुआ भाग जाता है। हर चीज़ की ऊँचाई होती है और क़ुरआन की ऊँचाई सूरह बक़रह है। हर चीज़ का लुबाब होता है और क़ुरआन का लुबाब मुफ़स्सल की सूरतें हैं।" (मुस्नद दारमीः 3418; यह रिवायत अबू इस्हाक़ की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) का फ़र्मान है कि जो शख़्स सूरह बक़रह की चार पहली आयात और आयतल कुर्सी और दो आयात उसके बाद की और तीन आयात सबसे आख़िर की यह सब दस आयात रात के वक़्त पढ़ ले उस घर में शैतान उस रात नहीं जा सकता और उसे उसके घर वालों को उस दिन शैतान या कोई और बुरी चीज़ सता नहीं सकती। यह आयात मज्नून पर पढ़ी जाऐं तो उसका दीवानापन भी दूर हो जाता है। (दारमी, किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब फ़ी फ़ज़्लि सूरतिल बक़रहः 3375, 3377, 3382, 3383 ज़ईफ़ है।) हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, "जिस तरह हर चीज़ की बुलंदी होती है क़ुरआन की बुलंदी सूरह बक़रह है। जो शख़्स रात के वक़्त इसे अपने घर में पढ़ ले तो तीन दिन तक शैतान उस घर में क़दम नहीं रख सकता।" (मुस्नद अबू यअलाः 7554; व सनदुहू ज़ईफ़ तबरानीः 5864; इब्ने ह़िबानः 780; इसकी सनद में ख़ालिद बिन सईद मदनी है। अक़ीली कहते हैं ला युताबिउ अला ह़दीसिही (अल्मीज़ानः 1/6301; रक़मः 2425) (तबरानी-इब्ने ह़िब्बान- इब्ने मर्दवे) तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक छोटा सा लश्कर एक जगह भेजा और उसकी सरदारी आप (ﷺ) ने उस शख़्स को दी जिसने कहा था कि मुझे सूरह बक़रह याद है। उस वक़्त एक शरीफ़ शख़्स ने कहा, मैं भी इसे याद कर लेता लेकिन मुझे डर लगा कि ऐसा न हो मैं इस पर अमल न कर सकूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "क़ुरआन सीखो, क़ुरआन को पढ़ो। जो शख़्स इसे सीखता है, पढ़ता है फिर इस पर अमल भी करता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मश्क भरा हुआ बर्तन जिसकी ख़ुश्बू हर तरफ़ महक रही हो। इसे सीखकर सो जाने वाले की मिसाल उस बर्तन की सी है जिसमें मश्क तो भरा हुआ है लेकिन ऊपर से मुँह बन्द कर दिया गया। इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) इसे ह़सन कहते हैं और मुर्सल रिवायत भी है। (तिर्मिज़ी, अब्वाब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब मा जाअ फ़ी सूरतिल् बक़रह व आयतल कुर्सी : 2876; इब्ने माजाः 217; इब्ने ह़िब्बानः 7176; इब्ने ख़ुज़ैमाः 1509; व सनदुहू ह़सन) वल्लाहु आलम!

सह़ीह़ बुख़ारी में है कि ह़ज़रत उसैद बिन हुज़ैर (ﷺ) ने एक मर्तबा रात को सूरह बक़रह की तिलावत शुरू की। उनका घोड़ा जो उनके पास ही बंधा हुआ था उसने उछलना-कूदना-बिदकना शुरु कर दिया। उन्होंने क़िराअत छोड़ दी घोड़ा भी सीधा हो गया। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। चूँकि उनके साह़बज़ादे यह़्या घोड़े के पास ही लेटे हुए थे, इसलिए डर मह़सूस हुआ कि कहीं बच्चे को चोट न आ जाए, क़ुरआन पढ़ना बंद करके उसे उठा लिया। आसमान की तरफ़ देखा कि जानवर के बिदकने की क्या वजह है? सुबह़ हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में आकर वाक़िया बयान करने लगे। आप सुनते जाते हैं और फ़र्माते जाते हैं, उसैद पढ़ते चले जाओ। ह़ज़रत उसैद (रज़ि.) ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! तीसरी मर्तबा के बाद तो यह़्या की वजह से मैंने पढ़ना बिलकुल

बंद कर दिया। अब जो निगाह उठी तो क्या देखता हूँ कि एक नूरानी चीज़ सायादार बादल की तरह की है और उसमें चराग़ों की तरह की रोशनी है। बस मेरे देखते ही देखते वह ऊपर को उठ गई। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "जानते हो यह क्या चीज़ थी? यह फ़रिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज़ को सुनकर क़रीब आ गये थे। अगर तुम पढ़ना मौक़ूफ़ न करते तो वह सुबह तक यूँ ही रहते और हर शख़्स उन्हें देख लेता, किसी से न छुपते।" (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब नुज़ूलुस् सकीनत वल मलाइका ....: 5018; तअलीक़न; सहीह मुस्लिमः 796) यह हदीस कई किताबों में कई सनदों के साथ मौजूद है, वल्लाहु आलम!

उसके क़रीब-क़रीब वाक़िया हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शिमास (رضي الله عنه) का है कि एक मर्तबा लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से कहा कि गुज़िश्ता रात हमने देखा कि सारी रात हज़रत साबित (رضي الله عنه) का घर नूर का बुक़्आ बना रहा और चमकदार रोशन चराग़ों से जगमगाता रहा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "शायद उन्होंने रात को सूरह बक़रह पढ़ी होगी।" जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, सच है रात को मैं सूरह बक़रह की तिलावत में मशग़ूल था। इसकी इस्नाद तो बहुत उम्दह है मगर इसमें इब्हाम है और यह मुर्सल भी है। (फ़ज़ाइलुल क़ुरआन लि अबी उबेदः 12/34; (व सनदुहू ज़ईफ़) अन जरीर बिन ज़ैद अन अश्याख़े अहलिल मदीना; सनद में शुयूख़े मदीना मज्हूल, और यह सनद मुर्सल है क्योंकि जरीर की सहाबा से रिवायत साबित नहीं है लिहाज़ा यह वाक़िया उसैद बिन हुज़ैर (رضي الله عنه) ही का है। जैसाकि गुज़र चुका है।) वल्लाहु आलम!

सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान की फ़ज़ीलतः नबी करीम (ﷺ) फ़र्माते हैं, "सूरह बक़रह सीखो और इसका हासिल करना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत है। जादूगर इसकी ताक़त नहीं रखते।" फिर कुछ देर चुप रहने के बाद फ़र्माया, "सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान सीखो। यह दोनों नूरानी सूरतें हैं अपने पढ़ने वाले पर सायबान या बादल या परिन्दों के झुण्ड की तरह क़यामत के दिन साया करेंगी। क़ुरआन पढ़ने वाला जब क़ब्र से उठेगा तो देखेगा कि एक नौजवान नूरानी चेहरे वाला शख़्स उसके पास खड़ा हुआ कहता है कि क्या आप मुझे पहचानते हैं? यह कहेगा, नहीं! तो वह जवाब देगा कि मैं क़ुरआन हूँ जिसने दिनों को तुझे भूखा-प्यासा रखा था और रातों को बिस्तर से दूर बेदार रखा था। हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे है लेकिन आज सब तिजारतें तेरे पीछे हैं। अब उसे मुल्क दाहिने हाथ में दिया जाएगा और हमेशगी बायें हाथ में उसके सर पर वक़ार व इज़्ज़त का ताज रखा जाएगा। उसके माँ-बाप को दो ऐसे उम्दह क़ीमती जोड़े पहनाए जायेंगे कि सारी दुनिया भी उसकी क़ीमत के सामने हैच हो। वह हैरान होकर कहेंगे कि आख़िर इस रहमो-करम की इस इन्आम व इकराम की क्या वजह है? तो उन्हें जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे बच्चे की क़ुरआन पढ़ने की वजह से तुम पर यह नेअमत इन्आम की गई। फिर उसे कहा जाएगा पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। चुनाँचे वह पढ़ता जाएगा और दर्जे चढ़ता जाएगा। ख़्वाह तर्तील से पढ़े या ख़्वाह बेतर्तील के।" (अहमदः 5/348; दारमी, किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब फ़ी फ़ज़्लि सूरतिल बक़रह व आले इमरानः 3394; व सनदुहू हसन)

इब्ने माजा में भी इस हदीस का कुछ हिस्सा मरवी है। (इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाब सवाबु क़िराअतिल क़ुरआन, रक़मः 3781; व सनद हसन) इसकी इस्नाद हसन है और शर्ते मुस्लिम पर है। इसके रावी बिश्र इब्ने माजा से इमाम मुस्लिम (रह.) भी रिवायत लेते हैं और इमाम इब्ने मुईन (रह.) इसे सिक़ह कहते हैं। नसाई (रह.) का क़ौल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ! इमाम अहमद (रह.) इसे मुंकरुल हदीस

बतलाते हैं और फ़र्माते हैं, मैंने तलाश की तो देखा कि वह अ़जीब-अ़जीब अह़ादीस लाता है। इमाम बुख़ारी (रह़.) का फ़ैसला है कि इसकी अहादीस लिखी जाती हैं लेकिन दलील नहीं पकड़ी जा सकती। इब्ने अ़दी (रह़.) का क़ौल है कि इनकी ऐसी रिवायतें भी हैं जिनकी मुताबिअ़त नहीं की जाती। दारे कुत्नी (रह़.) फ़र्माते हैं यह क़वी नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि इसकी इस रिवायत में कुछ मज़्मून दूसरी सनदों से भी आए हैं।

मुस्नद अह़मद में है, ''क़ुरआन पढ़ा करो यह अपने पढ़ने वालों की क़यामत के दिन सिफ़ारिश करेगा। दो नूरानी सूरतों बक़रह और आले इमरान को पढ़ते रहा करो। यह दोनों क़यामत के दिन इस त़रह़ आयेंगी कि गोया दो सायबान हैं या दो बादल हैं या पर खोले परिन्दों की दो जमाअ़तें हैं। अपने पढ़ने वालों की त़रफ़ से रब तआ़ला से सिफ़ारिश करेंगी।'' फिर ह़ुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''सूरह बक़रह पढ़ा करो, इसका लेना बरकत है और छोड़ना ह़सरत है। इसकी त़ाक़त बात़िल वालों को नहीं। स़ह़ीह़ मुस्लिम में भी ह़दीस है। (अह़मदः 5/249-36/464; स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब फ़ज़्लु क़िराअतिल क़ुरआन व सूरतुल बक़रहः 804) मुस्नद अह़मद की एक और ह़दीस में है, ''क़ुरआन और क़ुरआन पढ़ने वालोंको क़यामत के दिन बुलवाया जाएगा। आगे-आगे सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान होंगी। बादल की त़रह़ या साये और सायबान की त़रह़ या पर खोले परिन्दों के झुर्मुट की त़रह़ यह दोनों परवरदिगार से डटकर सिफ़ारिश करेंगी।'' मुस्लिम और तिर्मिज़ी में भी यह ह़दीस है। (अह़मदः 4/183-186; स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताब स़लातुल् मुसाफ़िरीन, बाब फ़ज़्लु क़िराअतिल क़ुरआन व सूरतिल बक़रहः 805; तिर्मिज़ीः 2883) इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) इसे ह़सन ग़रीब कहते हैं।

एक शख़्स़ ने अपनी नमाज़ में सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान पढ़ी। इसके फ़ारिग़ होने के बाद ह़ज़रत कअ़ब (रह़.) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है इनमें अल्लाह का वह नाम है कि उस नाम के साथ जब कभी उसे पुकारा जाए वह क़बूल करता है। अब उस शख़्स़ ने ह़ज़रत कअ़ब (रह़.) से अ़र्ज़ की कि मुझे बताइए कि वह नाम कौनसा है? ह़ज़रत कअ़ब (रह़.) ने इससे इंकार किया और फ़र्माया, अगर मैं बता दूँ तो डर है कि कहीं तू उस नाम की बरकत से ऐसी दुआ़ न मांग ले जो मेरी और तेरी हलाकत का सबब बन जाए। ह़ज़रत अबू उमामा (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं तुम्हारे भाई को ख़्वाब में दिखाया गया कि गोया लोग एक बुलंद व बाला पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ की चोटी पर दो सरसब्ज़ दरख़्त हैं और उनमें से आवाज़ें आ रही हैं कि क्या तुममें से कोई सूरह बक़रह का पढ़ने वाला है? क्या तुममें से कोई सूरह आले इमरान पढ़ने वाला है? जब कोई कहता है कि हाँ! तो वह दोनों दरख़्त अपने फलों समेत उसकी त़रफ़ झुक आते हैं और यह उसकी शाख़ों पर बैठ जाता है और वह उसे ऊपर उठा लेते हैं।

ह़ज़रत उम्मे दर्दा (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं कि एक क़ुरआन पढ़े हुए शख़्स़ ने अपने पड़ोसी को मार डाला फिर क़िस़ास़ में वह भी मारा गया। पस क़ुरआने करीम एक-एक सूरत हो होकर अलग होना शुरू हुआ यहाँ तक कि उसके पास सूरह आले इमरान और सूरह बक़रह गयीं। एक जुम्अ़ा के बाद सूरह आले इमरान भी चली गई। फिर एक जुम्अ़ा और गुज़रा तो आवाज़ आई कि, ''मेरी बातें नहीं बदला करतीं और मैं अपने बन्दों पर ज़ुल्म नहीं करता।'' चुनाँचे यह मुबारक सूरत यानी सूरह बक़रह भी उससे अलग हो गई। मत़लब यह है कि यह दोनों सूरतें उसकी त़रफ़ से बलाओं और अ़ज़ाबों की आड़ बनी रहीं और उसकी क़ब्र में उसकी दिलजोई करती रहीं

और सबसे आख़िर बवजह उसकी गुनाहों की ज़्यादती के उनकी सिफ़ारिश भी न चली। यज़ीद बिन अस्वद (रह.) कहते हैं कि इन दोनों सूरतों को दिन मे पढ़ने वाला दिन भर निफ़ाक़ से बरी रहता है और रात को पढ़ने वाला सारी रात निफ़ाक़ से बरी रहता है। ख़ुद हज़रत यज़ीद (रह.) अपने मअमूल के वज़ीफ़े कुरआन के अलावा इन दोनों सूरतों को हर सुबह व शाम पढ़ा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं जो शख़्स इन दोनों सूरतों को रात को पढ़ता रहेगा अल्लाह तआला के नज़दीक वह फ़र्मांबरदारों में शुमार होगा। इसकी सनद मुन्क़तअ है। बुख़ारी व मुस्लिम में है, ''रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इन दोनों सूरतों को एक रकअत में पढ़ा।'' (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल् मुसाफ़िरीन, बाब इस्तिहबाब तत्वीलु क़िराअति फ़ी सलातिल लैलः 772; अबू दाऊदः 781; तिर्मिज़ीः 262)

सात बड़ी सूरतों की फ़ज़ीलतः रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''मैं सात लम्बी सूरतों को तौरात की जगह दिया गया हूँ और इंजील की जगह मुझको दो सौ आयात वाली सूरतें मिली हैं और ज़बूर के क़ायम मक़ाम में दो सौ से कम वाली सूरतें दिया गया हूँ और फिर मुझे फ़ज़ीलत में ख़ास सूरह क़ाफ़ से लेकर आख़िर तक की सूरतें मिली हैं।'' (फ़ज़ाइलुल कुरआन लि अबी उबेदः 1/34; इसकी सनद में सईद बिन बशीर अल् अज़दी मुतकल्लम फ़ीह (डाउटफुल) रावी है। (अल्मीज़ानः 2/128; रक़मः 3143) और अबू उबेद ने इसे मुर्सलन भी रिवायत किया है, 2/34 लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) यह हदीस ग़रीब है और इसके एक रावी सईद बिन अबू बशीर मे कुछ कलाम है। अबू उबेद (रह.) ने इसे दूसरी सनद से भी वारिद किया है। वल्लाहु आलम! एक और हदीस में है, ''जो शख़्स इन सात सूरतों को हासिल कर ले वह बहुत बड़ा आलिम है।'' (अहमदः 6/72, 73; देखिए मुश्किलुल आसारः 2/153; हाकिमः 1/564; व सनदुहू हसन और हाकिम ने सहीह कहा है और ज़हबी ने उसकी मुवाफ़िक़त की है) यह रिवायत भी ग़रीब है। मुस्नद अहमद में भी यह रिवायत है। ''एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) ने एक लश्कर भेजा और उनका अमीर उन्हें बनाया जिन्हें सूरह बक़रह याद थी हालाँकि वह उन सबसे छोटी उम्र के थे।'' (तिर्मिज़ी,अब्वाब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी सूरतिल बक़रहः 2876; व सनदुहू हसन फ़क़ाल तिर्मिज़ी हसन; व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमाः 1509; इब्ने हिब्बानः 1789; वल हाकिम अला शर्तिश् शैख़ैनः 1/443; व वाफ़क़हुज़् ज़हबी) हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) तो (وَ لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ) (15/हिज्रः 87) की तफ्सीर में भी फ़र्माते हैं कि इससे मुराद यही सात सूरतें हैं, सूरह बक़रह, सूरह आले इमरान, सूरह निसाअ, सूरह माइदा, सूरह अन्आम, सूरह अअराफ़ और सूरह यूनुस। हज़रत मुजाहिद, मक्हूल, अतिया बिन क़ैस, अबू मुहम्मद फ़ारसी, शद्दाद बिन औस, यह्या बिन हारिस ज़िमारी से भी यही मन्क़ूल है।

फ़स्लः

मक़ामे नुज़ूल और मज़ीद मालूमातः सूरह बक़रह सारी की सारी मदीना मुनव्वरह में नाज़िल हुई है और शुरू-शुरू में जो सूरतें नाज़िल हुईं उनमें से एक यह भी है अल्बत्ता इसकी एक आयत (وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ) अल्ख़ (2/बक़रहः 281) सबसे आख़िर में नाज़िल होने वाली है यानी कुरआने करीम में सबसे आख़िर यह आयत नाज़िल हुई। मुम्किन है कि नाज़िल बाद में हुई हो लेकिन है इसी में से और इसी तरह सूद की हुर्मत की आयात भी सबसे आख़िर में नाज़िल हुई हैं। हज़रत ख़ालिद बिन मअदान (رضي الله عنه) सूरह बक़रह

को फ़िस्तातुल् क़ुरआन यानी क़ुरआन का ख़ैमा कहा करते थे। कुछ उलमा का फ़र्मान है कि इसमें एक हज़ार ख़बरें हैं और एक हज़ार अह़काम हैं और एक हज़ार कामों से मुमानिअत है। इसकी आयात दो सौ सतासी हैं। इसके कलि मात छः हज़ार दो सौ इक्कीस हैं। इसके हुरूफ़ साढ़े पच्चीस हज़ार हैं, वल्लाहु आलम!

इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं यह सूरत मदनी है। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) और ह़ज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) और बहुत से उलमा और मुफ़स्सिरीन से भी बिला इख़्तिलाफ़ यही मरवी है। इब्ने मर्दवे की एक ह़दीस में है कि सूरह बक़रह, सूरह आले इमरान और सूरह निसाअ वग़ैरह न कहा करो बल्कि यूँ कहो कि वह सूरत जिसमें बक़रह का ज़िक्र है वह सूरह जिसमें आले इमरान का बयान है और इसी त़रह़ क़ुरआन की तमाम सूरतों का नाम लिया करो। (मज्मउ़ज़्ज़वाइदः 7/157; इब्नुल जौज़ी फ़िल् मौज़ूआतः 1/250, 251; इसकी सनद में ईसा बिन मैमून मजरूह़ है। (अल्मीज़ानः 3/326; रक़मः 6618) लेकिन यह ह़दीस ग़रीब है बल्कि इसका फ़र्माने रसूल होना ही स़ह़ीह़ नहीं है। इसके रावी ईसा बिन मैमून अबूसलमा ख़्वास़ ज़ईफ़ हैं। इनकी रिवायत से सनद नहीं ली जा सकती। इसके बरख़िलाफ़ बुख़ारी व मुस्लिम में ह़ज़रत इब्ने मसऊ़द (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने बत़ने वादी से शैतान पर कंकर फेंके। बैतुल्लाह उनकी बाईं जानिब था और मिना दाईं त़रफ़ और फ़र्माया, इसी जगह से कंकर फेंके थे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिन पर सूरह बक़रह उतरी है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ह़ज्ज, बाब रम्युल जिमार मिन बत़निल् वादीः 1747; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 1296) गो इस ह़दीस से स़ाफ़ साबित हो गया कि सूरह बक़रह वग़ैरह कहना जाइज़ है। लेकिन मज़ीद सुनिए इब्ने मर्दवे में है कि जब आँह़ज़रत (ﷺ) ने अपने अस़्ह़ाब में कुछ सुस्ती देखी तो उन्हें (يا اصحاب سورة بقره) कहकर पुकारा। ग़ालिबन यह हुनैन वाले दिन का ज़िक्र है जब लश्कर के क़दम उखड़ गये थे तो हुज़ूर (ﷺ) के हुक्म से ह़ज़रत अ़ब्बास (ﷺ) ने ऐ दरख़्त वालों यानी ऐ बैअ़ते-रिज़्वान करने वालो और ऐ सूरह बक़रह वालो कहकर पुकारा था ताकि उन्हें ख़ुशी और दिलैरी पैदा हो। चुनाँचे इस आवाज़ के साथ ही स़ह़ाबा (ﷺ) हर त़रफ़ से जमा हो गए। मुसैलिमा जिसने नबुव्वत का झूठा दावा किया था उसके साथ लड़ने के वक़्त भी जब क़बीला बनू ह़नीफ़ा की चीरह् दस्तियों ने परेशान कर दिया और क़दम डगमगा गए। स़ह़ाबा ने उसी त़रह़ लोगों को (जअह) यानी ऐ सूरह बक़रह वालों कहकर पुकारा। और इस आवाज़ पर सबके सब जमा हो गए और जमकर लड़े यहाँ तक कि उन मुर्तदों पर अल्लाह तआला ने अपने लश्कर को फ़तह़ दी। (त़बरानीः 17/133; इसकी सनद में अ़ली बिन क़ुतैबा ज़ईफ़ रावी है। देखिए (मज्मउ़ज़्ज़वाइदः 5/327) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) अल्लाह तआला अपने रसूल (ﷺ) के तमाम स़ह़ाबा (ﷺ) से ख़ुश हो।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

الٓمٓ ①

तर्जुमाः अलिफ़ लाम मीम। (1)

हुरूफ़े मुक़त्तआत और उनकी तफ़्सीर में मुफ़स्सिरीन का इख़्तिलाफ़ः (आयतः 1) (अलिफ़ लाम मीम) जैसे हुरूफ़े मुक़त्तआत जो सूरतों के शुरू में आते हैं इनकी तफ़्सीर में मुफ़स्सिरीन का इख़्तिलाफ़ है। कुछ तो कहते हैं कि इनके मअ़नी सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही को मालूम हैं किसी और को मालूम नहीं इसलिए वह इन हुरूफ़ की कोई तफ़्सीर नहीं करते। कुर्तुबी (रह़.) ने ह़ज़रत अबूबक्र, ह़ज़रत, उ़मर, ह़ज़रत उ़स्मान, ह़ज़रत अ़ली, ह़ज़रत इब्ने मसऊ़द (ﷺ) से यही नक़्ल किया है। आ़मिर शअ़बी, सुफ़ियान सौरी, रबीअ़ बिन ख़ुस्अ़म (रह़.) भी यही कहते हैं। अबू ह़ातिम, इब्ने ह़िब्बान (रह़.) भी इसी को पसंद करते हैं। कुछ लोग इन हुरूफ़ की तफ़्सीर भी करते हैं लेकिन इनकी तफ़्सीर में बहुत कुछ इख़्तिलाफ़ है। अ़ब्दुर्रह़मान बिन ज़ैद बिन असलम (रह़.) फ़र्माते हैं यह सूरतों के नाम हैं। अ़ल्लामा अबुल क़ासिम महमूद बिन अ़म्र ज़मख़्शरी (रह़.) अपनी तफ़्सीर में लिखते हैं अकसर लोगों का इसी पर इत्तिफ़ाक़ है। सीबवे ने भी यही कहा है। इसकी दलील बुख़ारी व मुस्लिम की वह ह़दीस है जिसमें है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्आ के दिन सुबह़ की नमाज़ में **(अलिफ़ लाम मीम सज्दह)** और **(हल अता अलल् इन्सानि)** पढ़ते थे। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल् जुम्आ़, बाब मा युक़्रउ फ़ी स़लातिल फ़ज्रि यौमल जुम्आः 891; स़ह़ीह़ मुस्लिमः 879) ह़ज़रत मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं कि **(अलिफ़ लाम मीम)** और **(ह़ामीम)** और **(अलिफ़ लाम मीम स़ॉद)** और **(स़ॉद)** यह सब सूरतों की इब्तिदा है जिनसे यह सूरतें शुरू होती हैं। इन ही से यह भी मन्क़ूल है कि **(अलिफ़ लाम मीम)** क़ुरआन के नामों से एक नाम है। ह़ज़रत क़तादा और ह़ज़रत ज़ैद बिन असलम (रह़.) का भी यही क़ौल है और शायद इस क़ौल का मतलब भी वही है जो ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान बिन ज़ैद बिन असलम (रह़.) फ़र्माते हैं कि यह सूरतों के नाम हैं। इसलिए कि हर सूरत को क़ुरआन कह सकते हैं और यह नहीं हो सकता कि सारे क़ुरआन का नाम **(अलिफ़ लाम मीम स़ॉद)** हो क्योंकि जब कोई शख़्स़ कहे कि मैंने सूरह **(अलिफ़ लाम मीम स़ॉद)** पढ़ी तो ज़ाहिर यही समझा जाता है कि उसने सूरह अअ़राफ़ पढ़ी न कि पूरा क़ुरआन, वल्लाहु आ़लम

कुछ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि यह अल्लाह तआ़ला के नाम हैं। ह़ज़रत शअ़बी, सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह, इस्माईल बिन अ़ब्दुर्रह़मान, सुदी कबीर (रह़.) यही कहते हैं। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि अलिफ़ लाम मीम अल्लाह का बड़ा नाम है। एक और रिवायत में है कि **(ह़ामीम)** **(त़ॉ सीन)** और **(अलिफ़ लाम मीम)** यह सब अल्लाह तआ़ला के बड़े नाम हैं। ह़ज़रत अ़ली और ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) दोनों से यह मरवी है। एक और रिवायत मे है कि यह अल्लाह तआ़ला की क़सम है और उसका नाम भी है। ह़ज़रत इक्रिमा (रह़ .) फ़र्माते हैं कि यह क़सम है। इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से यह भी मरवी है कि इसके मअ़नी अनल्लाह आ'लम हैं यानी मैं हूँ अल्लाह ज़्यादा जानने वाला। ह़ज़रत सईद बिन जुबैर (रह़.) से भी यही मरवी है।

इब्ने अब्बास (رضي الله عنه), इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) और कुछ दीगर सहाबा से रिवायत है कि अल्लाह तआला के नामों के अलग-अलग हुरूफ़ हैं। (तब्रीः 1/88; यह रिवायत बाज़ाम अबू सालेह के ज़ुअफ़ की वजह से ज़ईफ़ है।) अबुल् आलिया (रह.) फ़र्माते हैं कि यह तीन हुरूफ़ अलिफ़ और लाम और मीम उनत्तीस हुरूफ़ में से हैं जो तमाम ज़ुबानों में आते हैं। उनमें से हर हर्फ़ अल्लाह तआला के एक-एक नाम के शुरू का हर्फ़ है। और अल्लाह तआला की नेअमत और उसकी बला का है और उसमें क़ौमों की मुद्दत और उनके वक़्त का बयान है। हज़रत ईसा (عليه السلام) ने तअज्जुब करते हुए कहा था कि वह लोग कैसे कुफ़्र करेंगे उनकी ज़ुबानों पर अल्लाह तआला के नाम हैं, उसकी रोज़ियों पर पलते हैं। अलिफ़ से अल्लाह का नाम अल्लाह शुरू होता है और लाम से उसका नाम लतीफ़ शुरू होता है और मीम से उसका नाम मजीद शुरू होता है और अलिफ़ से मुराद अलाउन यानी नेअमतें हैं और लाम से मुराद अल्लाह तआला का लुत्फ़ है और मीम से मुराद अल्लाह तआला का मजद यानी बुज़ुर्गी है। अलिफ़ से मुराद एक साल है और लाम से तीस साल है और मीम से चालीस साल। (तब्रीः 1/88; अन अबिल आलिया व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा यह सनद मुसलसल बिज़् ज़ुअफ़ा है।)

इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने इन सब मुख़्तलिफ़ अक़्वाल में तत्बीक़ दी है यानी साबित किया है कि इनमें ऐसा इख़्तिलाफ़ नहीं जो एक-दूसरे के ख़िलाफ़ हो। हो सकता है कि यह सूरतों के नाम भी हों और अल्लाह तआला के नाम भी हों और सूरतों के शुरू के अल्फ़ाज़ भी हों और इनमें से हर-हर हर्फ़ से अल्लाह तआला के एक-एक नाम की तरफ़ इशारा भी हो और उसकी सिफ़तों की तरफ़ भी और मुद्दत वग़ैरह की तरफ़ भी। एक-एक लफ़्ज़ कई-कई मअनी में आता है जैसे लफ़्ज़ उम्मत कि इसके एक मअनी हैं दीन जैसे क़ुरआन में है (إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ) (43/ज़ुख़रुफ़ः 22) यानी "हमने अपने बाप-दादों को इसी दीन पर पाया।" (दूसरे मअनी हैं अल्लाह का इताअतगुज़ार बन्दा, जैसे फ़र्माया إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً) (16/नहलः 120) यानी "हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) अल्लाह तआला के मुतीअ और फ़र्मांबरदार और मुख़्लिस बन्दे थे और मुश्रिकों में से न थे।" तीसरे मअनी है जमाअत जैसे फ़र्माया (وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً) अल्ख़ (28/क़सस़ः 23) यानी "एक जमाअत को उस कुएँ पर पानी पिलाते हुए पाया।" दूसरी जगह है (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا) (16/नहलः 36) यानी "हमने हर जमाअत में रसूल भेजा।" चौथे मआनी हैं मुद्दत और फ़र्माया (وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) (12/यूसुफ़ः 45) यानी "एक मुद्दत के बाद उसे याद आया।" पस जिस तरह यहाँ एक लफ़्ज़ के कई मआनी हुए उसी तरह मुम्किन है कि इन हुरूफ़े मुक़त्तआत के भी कई मआनी हों।

इमाम इब्ने जरीर (रह.) के इस फ़र्मान पर हम कह सकते हैं कि अबुल आलिया ने जो तफ़्सीर की है उसका मतलब तो यह है कि यह एक लफ़्ज़ एक साथ एक ही जगह इन सब मआनी में है और लफ़्ज़े उम्मत वग़ैरह जो कई कई मअनी में आते हैं जिन्हें इस्तिलाह में अल्फ़ाज़े मुश्तर्का कहते हैं उनके मअनी हर जगह जुदा जुदा तो ज़रूर होते हैं लेकिन हर जगह एक ही मअनी होते हैं, जो इबारत के क़रीने से मालूम हो जाते हैं एक ही

जगह सबके सब मअ़नी मुराद नहीं होते और सब पर एक जगह महमूल करने के मसला में इ़लम-ए-उसूल का बड़ा इख़्तिलाफ़ है और हमारे तफ़्सीरी मौज़ूअ़ से इसका बयान ख़ारिज है, वल्लाहु आलम!

दूसरे यह कि उम्मत वग़ैरह अल्फ़ाज़ के जो मअ़ानी हैं वह बहुत सारे हैं और यह अल्फ़ाज़ इसीलिए बनाए गए हैं। और बंदिशे-कलाम और नशिस्ते-अल्फ़ाज़ से एक मअ़नी ठीक बैठ जाते हैं लेकिन एक ह़र्फ़ की दलालत एक ऐसे नाम पर मुम्किन है कि वह दूसरे ऐसे नाम पर भी दलालत करता हो और एक को दूसरे पर कोई फ़ज़ीलत न हो तो मुक़द्दर मानने से न ज़मीर देने से न वज़अ़ के एतिबार से और न और एतिबार से तो ऐसी बात इल्मी तौर पर नहीं समझी जा सकती, हाँ! अगर मन्क़ूल हो तो और बात है लेकिन यहाँ तो इख़्तिलाफ़ है और इज्माअ़ नहीं, इसलिए ये फ़ैसला क़ाबिले ग़ौर है, अश्आर अ़रब के जो इस बात की दलील में पेश किए जाते हैं कि कलिमा को बयान करने के लिए सिर्फ़ इसका पहला ह़र्फ़ बोल देते हैं यह ठीक है लेकिन इन शेअ़रों में ख़ुद इबारत ऐसी होती है जो इस पर दलालत करती है। एक ह़र्फ़ के बोलते ही पूरा कलिमा समझ आ जाता है लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं। वल्लाहु आलम!

क़ुर्तुबी (रह़.) कहते हैं एक ह़दीस में है कि जो मुसलमान के क़त्ल पर आधे कलिमा से भी मदद करे। (इब्ने माजा, अब्वाबुद् दियात, बाब अत्तग़लीज़ फ़ी क़त्लि मुस्लिमिन ज़ुल्मनः 2620; इसकी सनद में यज़ीद बिन अबी ज़ियाद है। जिसे बुख़ारी ने मुंकरुल ह़दीस और नसाई ने मतरूकुल ह़दीस कहा है। (अल्मीज़ानः 4/425; रक़मः 9696) इस रिवायत के ज़ईफ़ शवाहिद भी हैं जिनके साथ यह ज़ईफ़ ही है।) मत़लब यह है कि उक़्तुल पूरा न कहे बल्कि सिर्फ़ उक़् कहे।

मुजाहिद (रह़.) कहते हैं कि सूरतों के शुरू में जो यह ह़रूफ़ हैं जैसे (**क़ाफ, स़ॉद, ह़ामीम, त़ॉ सीन मीम, अलिफ़ लाम रा**) वग़ैरह सब ह़ुरूफ़े हिज्जा हैं। कुछ अ़रबीदान कहते हैं कि यह ह़ुरूफ़ अलग-अलग जो अट्ठाइस हैं उनमें से चंद ज़िक्र करके बाक़ी को छोड़ दिया गया है जैसे कोई कहे कि मेरा बेटा अ ब त स लिखता है तो मत़लब यह होता है कि यह तमाम अट्ठाइस ह़ुरूफ़ लिखता है लेकिन इब्तिदा के चंद ह़ुरूफ़ ज़िक्र कर दिए, बाक़ी को छोड़ दिया। सूरतोंके शुरू में इस त़रह़ के कुल चौदह ह़र्फ़ आए हैं। अलिफ़ लाम मीम स़ॉद र क ह य अ़ त़ॅ सीन ह़ क़ न इन सबको अगर मिला लिया जाए तो यह इबारत बनती है। नस़्स ह़कीमुन क़ात़िइ़ल् लहू सिर्र तअ़दाद के लिह़ाज़ से यह ह़ुरूफ़ चौदह हैं और जुम्ला ह़ुरूफ़ चूँकि अट्ठाइस हैं इसलिए यह पूरे आधे हुए। जो ह़ुरूफ़ बयान किए गए यह उन ह़ुरूफ़ से जो नहीं लाए गए ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले हैं और यह स़नाअ़ते तस्रीफ़ है। एक ह़िक्मत इसमें यह भी है कि जितनी क़िस्म के ह़र्फ़ थे उतनी क़िस्में बएतिबार अक्सरियत के इनमें आ गईं। यानी महमूसा मज्हूरा वग़ैरह। सुब्ह़ानल्लाह! हर चीज़ में उस मालिक की ह़िक्मत नज़र आती है। यह यक़ीनी बात है कि अल्लाह का कलाम लग़्व, बेहूदा, बेकार और बेमअ़नी अल्फ़ाज़ से पाक है। जो जाहिल लोग कहते हैं कि सिरे से इन ह़ुरूफ़ के कुछ मअ़ नी ही नहीं। वह बिलकुल ख़त़ा पर हैं। इसके कुछ न कुछ मअ़नी यक़ीनन हैं।

अगर नबी मअ़सूम (ﷺ) से इसके मअ़नी कुछ साबित हों तो हम वह मअ़नी करेंगे और समझेंगे वरना जहाँ कहीं हुज़ूर(ﷺ) ने कुछ मअ़नी बयान नहीं किए हम भी न करेंगे और ईमान लाएँगे कि यह अल्लाह करीम की तरफ़ से है। हुज़ूर (ﷺ) से तो इसमें हमें कुछ नहीं मिला।

उ़लमा का इसमें बेहद इख़्तिलाफ़ है। अगर किसी पर किसी क़ौल की दलील खुल जाए तो ख़ैर वह उसे मान ले वरना बेहतर यह है कि इन हुरूफ़ के कलामे इलाही होने पर ईमान लाए और यह जाने कि इसके मअ़नी ज़रूर हैं जो रब्बे अ़लीम ही को मालूम हैं और हम पर ज़ाहिर नहीं हुए, दूसरी हिक्मत इन हुरूफ़ के लाने में यह भी है कि इनसे सूरतों की इब्तिदा मालूम हो जाए, लेकिन यह वजह ज़ईफ़ है इसलिए कि इसके बग़ैर ही सूरतों की जुदाई मालूम हो जाती है। जिन सूरतों में ऐसे हुरूफ़ ही नहीं, क्या उनकी इब्तिदा इन्तिहा मालूम नहीं? फिर सूरतों से पहले (बिस्मिल्लाह) अल्ख़ का पढ़ने और लिखने के एतिबार से मौजूद होना क्या एक सूरत को दूसरी से जुदा नहीं करता? इब्ने जरीर (रह़.) ने इसकी एक हिक्मत यह भी बयान की है कि चूँकि मुश्रिकीन किताबुल्लाह को सुनते ही न थे इसलिए उन्हें सुनाने के लिए ऐसे ह़र्फ़ लाए गए ताकि जब वह मुतवज्जह हो जाएँ तब बाक़ायदा तिलावत शुरू हो। लेकिन यह वजह भी नाक़िस है इसलिए कि अगर ऐसा होता तो तमाम सूरतों की इब्तिदा इन ही हुरूफ़ से की जाती ह़ालाँकि ऐसा नहीं हुआ बल्कि अकसर सूरतें इससे ख़ाली हैं। फिर जब कभी मुश्रिकीन से कलाम शुरू हो तो यही हुरूफ़ होने चाहिए न कि सिर्फ़ सूरतों के शुरू में ही यह हुरूफ़ हों। फिर इस पर भी ग़ौर कर लीजिए कि यह सूरत यानी सूरह बक़रह और इसके बाद की सूरत यानी सूरह आले इमरान यह तो मदीना में नाज़िल हुई हैं और मुश्रिकीने मक्का इनके उतरने के वक़्त वहाँ थे ही नहीं फिर इनमें यह हुरूफ़ क्यूँ आए?

हुरूफ़े मुक़त्तआत और ऐजाज़े क़ुरआन: हाँ! यहाँ पर एक और ह़िक्मत भी बयान की गई है कि इन हुरूफ़ के लाने में क़ुरआने करीम का एक मुअजिज़ा है जिससे तमाम मख़्लूक़ आ़जिज़ हैं बावजूद यह कि यह हुरूफ़ भी रोज़मर्रा के इस्तेमाली हुरूफ़ हैं। ज़मख़्शरी (रह़.) ने कश्शाफ़ में इस क़ौल को नक़्ल करके इसकी बहुत ताईद की है। ज़मख़्शरी, इब्ने तैमिया और ह़ाफ़िज़ मुज़्ज़ी (रह़.) ने भी यही ह़िक्मत बयान की है। ज़मख़्शरी (रह़.) फ़र्माते हैं कि यही वजह है कि तमाम हुरूफ़ इकट्ठे नहीं आए।

हाँ! इन हुरूफ़ को मुकर्रर लाने की यह वजह है कि बार-बार मुश्रिकीन को आ़जिज़ और ला जवाब किया जाए और उन्हें डांटा और धमकाया जाए जिस तरह़ क़ुरआने-करीम में अकसर क़िस्से कई कई मर्तबा लाए गए हैं और बार-बार खुले अल्फ़ाज़ में भी क़ुरआन के मिस्ल लाने में इनकी आ़जिज़ी का बयान किया गया है। कुछ जगह तो सिर्फ़ एक एक ह़र्फ़ आया है जैसे **(स़ॉद)** **(नून)** **(क़ाफ़)** कहीं दो हुरूफ़ आए हैं जैसे **(ह़ा-मीम)** कहीं तीन हुरूफ़ आए हैं जैसे **(अलिफ़ लाम मीम)** कहीं चार आए हैं जैसे **(अलिफ़ लाम मीम रॉ)** और कहीं पाँच आए हैं जैसे **(काफ़ हा या ऐ़न स़ॉद)** और **(ह़ा-मीम ऐ़न सीन क़ाफ़)** इसलिए कि कलिमाते अ़रब तमाम के तमाम इसी तरह़ पर हैं या तो इनमें एक ह़र्फ़ी लफ़्ज़ या सेह (तीन) ह़र्फ़ी या चार ह़र्फ़ी या पाँच ह़र्फ़ी से ज़्यादा के कलिमात नहीं। जब यह बात है कि यह हुरूफ़

क़ुरआन शरीफ़ में बतौरे मुअज़िज़े के आए हैं तो ज़रूरी था कि जिन सूरतों के शुरू में यह हुरूफ़ आए हैं वहाँ ज़िक्र भी क़ुरआने-करीम का हो और क़ुरआन की बुज़ुर्गी व बड़ाई का बयान हो चुनाँचे उनत्तीस सूरतों में ऐसा ही हुआ है। अल्लाह तआ़ला का फ़र्मान है (الٓمّٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ) (2/बक़रहः 1, 2) यहाँ भी इन हुरूफ़ के बाद ज़िक्र है कि इस क़ुरआन के बारी तआ़ला का कलाम होने में कोई शक नहीं। और जगह फ़र्माया

الٓمّٓ ۙ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۙ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

(3/आले इमरानः 1-3) ''वह अल्लाह जिसके सिवा कोई मअ़बूद नहीं, जो ज़िन्दा और दवाम वाला है जिसने तुम पर हक़ के साथ किताब थोड़ी-थोड़ी नाज़िल फ़र्माई है जो किताब पहली किताबों की भी तस्दीक़ करती है।'' यहाँ भी इन हुरूफ़ के बाद क़ुरआने-करीम की अ़ज़्मत का इज़्हार किया गया। और जगह फ़र्माया (الٓمّٓصٓ ۚ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ) अल्ख़ (7/अअ़राफ़ः 1,2) यानी ''यह किताब तेरी तरफ़ उतारी गई है तू अपना दिल तंग न रख।'' और जगह फ़र्माया (الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ) अल्ख़ (14/इब्राहीमः 1) ''इस किताब को हमने तेरी तरफ़ नाज़िल किया ताकि तू लोगों को अपने रब के हुक्म से अंधेरों से निकालकर उजाले में लाए।''

इर्शाद होता है (الٓمّٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ) (32/सज्दाः 1, 2) ''इस किताब के रब्बुल आ़लमीन की तरफ़ से नाज़िलशुदा होने में कोई शक व शुबह् नहीं।'' फ़र्माता है حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ (41/हा मीम अस्सज्दाः 1,2) ''बख़्शिशों और मेहरबानियों वाले मालिक ने इसे नाज़िल फ़र्माया है।'' (حٰمٓ ۚ عٓسٓقٓ ۚ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ) अल्ख़ (42/शूराः 1-3) यानी ''इस तरह वह्य करता है अल्लाह तआ़ला ग़ालिब हिक्मतों वाला तेरी तरफ़ और उन नबियों की तरफ़ जो तुझसे पहले थे।'' इसी तरह और ऐसी सूरतों के शुरू को बग़ौर देखिए तो मालूम होता है कि इन हुरूफ़ के बाद कलामुल्लाह की अ़ज़्मत और इ़ज़्ज़त का ज़िक्र है जिससे यह बात क़वी मालूम होती है कि यह हुरूफ़ इसलिए लाए गए हैं कि लोग इसके मुआ़रज़े और मुक़ाबले से आ़जिज़ हैं , वल्लाहु आ़लम!

कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि इन हुरूफ़ से मुद्दत मालूम करायी गयी है और फ़ित्नों लड़ाईयों और दूसरे ऐसे ही कामों के औक़ात बताए गए हैं। लेकिन यह क़ौल भी ज़ईफ़ मालूम होता है। इसकी दलील में एक ह़दीस भी बयान की जाती है लेकिन अव्वल तो वह ज़ईफ़ है दूसरे इस ह़दीस और इस क़ौल की पुख़्तगी तो एक तरफ़ इसका बातिल होना ज़्यादा साबित होता है। वह ह़दीस मुहम्मद बिन इस्ह़ाक़ बिन यसार ने नक़्ल की है जो तारीख़ के मुसन्निफ़ हैं। इस ह़दीस में है कि अबू यासिर बिन अख़्तब यहूदी अपने चंद साथियों को लेकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप उस वक़्त सूरह बक़रह की शुरू आयत الٓمّٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ (2/बक़रहः 1, 2) तिलावत कर रहे थे वह उसे सुनकर अपने भाई हुय्य बिन अख़्तब के पास आता है और कहता है कि मैंने आज हुज़ूर (ﷺ) को इस आयत की तिलावत करते हुए सुना है। वह पूछता है

तूने ख़ुद सुना? उसने कहा, हाँ! मैंने ख़ुद सुना है। हुय्य उन सब यहूदियों को लेकर फिर हुज़ूर (ﷺ) के पास आता है और कहता है कि हुज़ूर (ﷺ)! क्या यह सच है कि आप इस आयत को पढ़ रहे थे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! सच है।'' उसने कहा, सुनिए! आपसे पहले जितने नबी आए किसी को भी नहीं बताया गया था कि उसका मुल्क और मज़हब कब तक रहेगा लेकिन आप (ﷺ) को बता दिया गया। फिर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, सुनो! अलिफ़ का अ़दद हुआ एक, लाम के तीस, मीम के चालीस जुम्ला इकहत्तर हुए, क्या तुम उस नबी (ﷺ) की इताअ़त करना चाहते हो जिसके मुल्क और उम्मत की मुद्दत कुल इकहत्तर साल हो? फिर हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ मुतवज्जह होकर दरयाफ़्त किया कि क्या कोई और आयत भी ऐसी है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! (अलिफ़ लाम मीम स़ॉद) कहने लगा, यह बड़ी भारी और बहुत लम्बी है अलिफ़ का एक, लाम के तीस, मीम के चालीस, स़ॉद के नव्वे। यह सब एक सौ इकसठ साल हुए। कहा और कोई भी ऐसी आयत है? आपने फ़र्माया, हाँ! (अलिफ़ लाम रॉ) कहने लगा यह भी बहुत भारी और लम्बी है। अलिफ़ का एक, लाम के तीस और रा के दो सौ। जुम्ला दो सौ इकत्तीस बरस हुए। क्या इसके साथ कोई और ऐसी आयत भी है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! (अलिफ़ लाम मीम रा) कहा यह बहुत ही भारी है। अलिफ़ का एक, लाम के तीस, मीम के चालीस, र के दो सौ। सब मिलकर दो सौ इकहत्तर हो गए। अब तो काम मुश्किल हो पड़ा और बात ख़लत़-मलत़ हो गई लोगों! चलो उठ चलो।

अबू यासिर ने अपने भाई से और दूसरे उ़लमा-ए-यहूद से कहा, क्या तअ़ज्जुब कि इन सब हुरूफ़ का मज्मूआ। (ह़ज़रत) मुह़म्मद (ﷺ) हो। इकहत्तर एक, एक सौ इकत्तीस एक, दो सौ इकत्तीस एक, दो सौ इकहत्तर एक, यह सब मिलकर सात सौ चार हुए। उन्होंने कहा, अब काम ख़लत़-मलत़ हो गया। कुछ लोगों का ख़्याल है कि यह आयात उन ही लोगों के ह़क़ में नाज़िल हुईं। (هُوَ الَّذِیٓ اَنۡزَلَ عَلَیۡكَ الۡكِتٰبَ مِنۡهُ اٰیٰتٌ مُّحۡكَمٰتٌ) अल्ख़ (3/आले इमरानः 7) यानी ''वह अल्लाह तआ़ला जिसने तुझपर किताब नाज़िल फ़र्माई जिसमें मुह़कम आयात हैं जो अस़ल किताब हैं और दूसरी आयात मुशाबिहत वाली भी हैं।''

इस ह़दीस का दारोमदार मुह़म्मद बिन साइब कलबी पर है और जिस ह़दीस का अकेला रावी हो मुह़द्दिसीन उससे हुज्जत नहीं पकड़ते और फिर इस त़रह़ अगर मान लिया जाए और हर ऐसे ह़र्फ़ के अ़दद निकाले जाएँ तो जिन चौदह हुरूफ़ को हमने बयान किया, उनके अ़दद बहुत सारे हो जाएँगे और जो हुरूफ़ उनमें से कई-कई बार आए हैं अगर उनके अ़दद का शुमार भी कई कई बार लगाया जाए तब तो बहुत बड़ी गिनती हो जाएगी, वल्लाहु आ़लम!

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢

तर्जुमाः "इस किताब (के अल्लाह तआला की किताब होने) में कोई शक नहीं, परहेज़गारों को राह दिखाने वाली है।" (आयत 2)

कुरआन मजीद बिला शक कलामे इलाही हैः (आयत 2) इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं यहाँ (ज़ालिक) मअ़नी में हाज़ा के है। मुजाहिद, इक्रिमा, सईद बिन जुबैर, सुदी, मुक़ातिल बिन ह़य्यान, ज़ैद बिन असलम और इब्ने जुरैज (रह़.) का भी यही क़ौल है, यह दोनों लफ़्ज़ एक-दूसरे के क़ायम मक़ाम अ़रबी ज़ुबान में अकसर आते रहते हैं। इमाम बुख़ारी (रह़.) ने अबू उ़बेदह (रह़.) से भी यही नक़्ल किया है। मत़लब यह है कि (ज़ालिक) अस़ल में है तो दूर के इशारे के लिए जिसके मअ़नी हैं 'वह' लेकिन कभी नज़दीक के लिए भी लाते हैं उस वक़्त इसके मअ़नी होते हैं 'यह'। यहाँ भी इसी मअ़नी में है। ज़मख़्शरी (रह़.) कहते हैं कि इससे इशारा (अलिफ़ लाम मीम) की त़रफ़ है। जैसे इस आयत में है (لَّا فَارِضٌ وَّ لَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ) (2/बक़रहः 68) यानी "न तो वह गाए बुढ़िया है न बच्ची है बल्कि इसके दरम्यानी उ़म्र की जवान है।" और जगह फ़र्माया (ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) (60/मुम्तह़िनाः 10) "यह है अल्लाह का हुक्म जो तुम्हारे दरम्यान हुक्म करता है।" और जगह फ़र्माया (**जालिकुमुल्लाह**) "यह है अल्लाह तआ़ला।" और इसकी मिसाल और मवाक़ेअ़ पहले गुज़र चुके। कुछ मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि इससे इशारा है कुरआने करीम की त़रफ़ जिसके उतारने का वादा रसूलुल्लाह (ﷺ) से हुआ था। कुछ ने तौरात की त़रफ़, किसी ने इंजील की त़रफ़ भी इशारा बताया है और इसी त़रह़ के दस क़ौल हैं लेकिन इनको अकसर मुफ़स्सिरीन ने ज़ईफ़ कहा है, वल्लाहु अ़आलम!

किताब से मुराद कुरआने करीम है। जिन लोगों ने कहा है कि (**ज़ालिकल् किताब**) का इशारा तौरात और इंजील की त़रफ़ है उन्होंने निहायत दूर का रास्ता किया और बड़ी तक्लीफ़ उठाई और ख़्वाह-मख़्वाह बिला वजह वह बात कही जिसका उन्हें इल्म नहीं (**रय्—ब**) के मअ़नी हैं शक और शुबहा। इब्ने अ़ब्बास, इब्ने मसऊ़द और कई एक स़ह़ाबा (رضي الله عنهم) से यही मअ़नी मरवी हैं। अबूदर्दा, इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنهم), मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, अबू मालिक नाफ़ेअ़ (रह़.) जो इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) के मौला हैं, अ़त़ा, अबू आ़लिया, रबीअ़ बिन अनस, मुक़ातिल बिन ह़य्यान, सुदी, क़तादा, इस्माईल बिन अबू ख़ालिद (रह़.) से भी यही मरवी है। इब्ने अबी ह़ातिम (रह़.) फ़र्माते हैं मुफ़स्सिरीन का इसमें इख़्तिलाफ़ नहीं। (**रय्—ब**) का लफ़्ज़ अ़रब शायरों के शेअ़रों में तोह्मत के मअ़नी में भी आया है और ह़ाजत के मअ़नी में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। इस जुम्ला के मअ़नी यह हुए कि इस कुरआन के अल्लाह तआ़ला की त़रफ़ से नाज़िल होने में कुछ शक नहीं। जैसे सूरह सज्दा में है (जअह) (32/सज्दाः 1, 2) यानी "बेशक यह कुरआन-करीम तमाम जहानों के पालने वाले परवरदिगार की त़रफ़ से उतरा है।" कुछ ने कहा है, गोया ख़बर है मगर मअ़नी में नहीं के है यानी इसमें शक न करो।

कुछ क़ारी (**ला रय्—ब**) पर वक़्फ़ करते हैं (فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ) को अलग जुम्ला पढ़ते हैं लेकिन (لَا رَيْبَ فِيْهِ) पर ठहरना बहुत बेहतर है क्योंकि यही मज़्मून इसी त़रह़ सूरह सज्दा की आयत में

गुज़र चुका है और इसमें बनिस्बत (فِيْهِ هُدًى) के ज़्यादा मुबालग़ा है (हुदन) नह्वी एतिबार से सिफ़त होकर मरफ़ूअ हो सकता है और हाल की बिना पर मन्सूब भी हो सकता है इस जगह हिदायत को मुत्तक़ीन के साथ ख़ास किया। जैसे दूसरी जगह फ़र्माया (قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاۤءٌ) अल्ख़ (41/फ़ुस्सिलतः 44) यानी ''यह क़ुरआन हिदायत व शिफ़ा है ईमानवालों के लिए और बेईमानों के कान बोझल हैं और आँखें अंधी हैं, यह बहुत दूर की जगह से पुकारे जाते हैं।'' وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ अल्ख़ (17/इस्राः 82) यानी ''यह क़ुरआन ईमान वालों के लिए शिफ़ा और रहमत है और ज़ालिम लोग तो अपने ख़सारे में ही बढ़ते जाते हैं।'' इस मज़्मून की और आयात भी हैं और इन सबका मतलब यह है कि गो क़ुरआने-करीम ख़ुद हिदायत और महज़ हिदायत है और सबके लिए है लेकिन इस हिदायत से नफ़ा उठाने वाले सिर्फ़ नेकबख़्त लोग हैं जैसे फ़र्माया (يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ) अल्ख़ (10/यूनुसः 57) यानी ''लोगों! तुम्हारे पास रब तआला की नसीहत और सीने की बीमारियों की शिफ़ा आ चुकी है जो मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत है।'' इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ), इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) और दीगर सहाबा (رضی اللہ عنہم) से मरवी है कि हिदायत से मुराद नूर है।

मुत्तक़ी कौन लोग हैं? इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं मुत्तक़ीन वह हैं जो ईमान लाकर शिर्क से दूर रहकर, अल्लाह तआला के अहकाम बजा लाएँ। एक और रिवायत में है मुत्तक़ी वह लोग हैं जो अल्लाह तआला के अज़ाबों से डरकर हिदायत को नहीं छोड़ते और उसकी रहमत की उम्मीद रखकर उसकी तरफ़ से जो नाज़िल हुआ है उसे सच्चा जानते हैं। हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं मुत्तक़ी वह है जो हराम से बचे और फ़राइज़ बजा लाए। आ'मश हज़रत अबूबक्र बिन अयाश (रह.) से सवाल करते हैं कि मुत्तक़ी कौन है? आप यही जवाब देते हैं। फिर मैंने कहा, ज़रा हज़रत कलबी से तो पूछ लो, वह कहते हैं मुत्तक़ी वह हैं जो कबीरा गुनाहों से बचें। इस पर दोनों का इत्तिफ़ाक़ होता है। क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं मुत्तक़ी वह है जिसका वस्फ़ अल्लाह तआला ने ख़ुद इस आयत के बाद बयान फ़र्माया कि (اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ) अल्ख़। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि यह सब औसाफ़ मुत्तक़ीन में जमा होते हैं। तिर्मिज़ी और इब्ने माजा की हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''बन्दा हक़ीक़ी मुत्तक़ी नहीं हो सकता जब तक कि उन चीज़ों को न छोड़ दे जिनमें हर्ज नहीं इस डर से कि कहीं वह हर्ज में गिरफ़्तार न हो जाए।'' तिर्मिज़ी इसे हसन ग़रीब कहते हैं। (तिर्मिज़ी, अब्वाब सिफ़तुल क़यामत, बाब अलामतुत् तक़्वाः 2451; इब्ने माजाः 4215; व सनदुहू हसन व हस्सनहुत् तिर्मिज़ी व सह्हहुल हाकिम वज़् ज़हबी अब्दुल्लाह बिन यज़ीद दमिश्क़ी हसनुल हदीस व सक़्क़हुल जुम्हूर।) इब्ने अबी हातिम में है हज़रत मुआज़ (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि जब लोग एक मैदान में क़यामत के दिन रोक लिए जाएँगे उस वक़्त एक पुकारने वाला पुकारेगा कि मुत्तक़ी कहाँ हैं? उस आवाज़ पर वह खड़े होंगे और अल्लाह तआला उन्हें अपने बाज़ू में ले लेगा और बेहिजाब उन्हें अपने दीदार से मुशर्रफ़ फ़र्माएगा। अबू अफ़ीफ़ ने पूछा, हज़रत! मुत्तक़ी कौन लोग हैं? आपने फ़र्माया, जो लोग शिर्क से और बुतपरस्ती से बचें और बारी तआला की ख़ालिस इबादत करें वह इसी इज़्ज़त के साथ जन्नत में पहुँचाए जाएँगे।

हिदायत की वज़ाहतः हिदायत के मआनी कभी तो दिल में ईमान पेवस्त हो जाने के आते हैं इस हिदायत पर तो सिवाए रब तआला के और कोई क़ुदरत नहीं रखता। फ़र्मान है (اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ) (28/क़ससः 56) यानी ''ऐ नबी! जिसे तू चाहे हिदायत नहीं दे सकता।'' फ़र्माता है (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ)

(2/बक़रह: 272) यानी "तुझ पर इनकी हिदायत लाज़िम नहीं।" फ़र्माता है (مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ) (7/अअराफ़: 186) यानी "जिसे अल्लाह तआा गुमराह करे उसे कोई हिदायत पर लाने वाला नहीं।" फ़र्माया (مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ) अल्ख़ (18/कहफ़: 17) यानी "जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे वही हिदायत वाला है और जिसे वह गुमराह करे तुम हर्गिज़ उसका न कोई वली पाओगे न मुर्शिद।" इस क़िस्म की और आयात भी हैं। और हिदायत के मअनी कभी हक़ के और हक़ को वाज़ेह कर देने और हक़ पर दलालत करने और हक़ की तरफ़ राह दिखाने के भी आए हैं। चुनाँचे अल्लाह तआला फ़र्माता है (وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ) (42/शूरा: 52) यानी "तू यक़ीनन सीधी राह की रहबरी करता है।" और फ़र्माया (اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ) (13/रअद: 7) यानी "तू सिर्फ़ डराने वाला है और हर क़ौम के लिए हादी है।" और जगह फ़र्मान है (وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ) अल्ख़ (41/हा मीम अस्सज्दा: 17) यानी "हमने समूद को हिदायत दिखाई लेकिन उन्हों ने अंधेपन को हिदायत पर पसंद कर लिया।" फ़र्माता है (وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ) (90/बलद: 10) यानी "हमने उसे दोनों राहें दिखाईं यानी भलाई और बुराई की।" तक़्वा के असल मअनी बुरी चीज़ों से बचे रहने के हैं। असल में यह वक़्वी है वक़ायत से माख़ूज़ है। नाबिग़ा वग़ैरह के अश्आर मे भी आया है। हज़रत उबय बिन कअब (رضی اللہ عنہ) से हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) ने पूछा कि तक़्वा क्या है? उन्होंने कहा कभी काँटेदार रास्ते में चले हो? जैसे वहाँ कपड़ों को और जिस्म को बचाते हो, ऐसे ही गुनाहों से बाल-बाल बचने का नाम तक़्वा है। इब्नुल मुअतज़ शायर का क़ौल है:

خَلِّ الذُّنُوْبَ صَغِيْرَهَا ‌ ‌ ‌ ‌ وَكَبِيْرَهَا ذَاكَ التُّقٰى

وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ اَرْضِ ‌ ‌ ‌ ‌ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرٰى

لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً ‌ ‌ ‌ ‌ اِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصٰى

यानी "छोटे और बड़े सब गुनाहों को छोड़ दो, यही तक़्वा है। ऐसे रहो जैसे कांटों वाली राह पर चलने वाला इंसान छोटे गुनाह को भी हल्का न जानो, देखो पहाड़ कंकरों से ही बन जाते हैं।" अबूदर्दा (رضی اللہ عنہ) अपने अश्आर में फ़र्माते हैं इंसान अपनी तमन्नाओं के पूरा होने का ख़्वाहिशमन्द होता है और रब तआला के इरादों पर निगाह नहीं रखता हालाँकि होना वही है जो अल्लाह का इरादा हो। वह अपने दुनियावी फ़ायदे और माल के पीछे पड़ा हुआ है हालाँकि उसका बेहतरीन फ़ायदा और उम्दह माल अल्लाह का तक़्वा है। इब्ने माजा में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "सबसे उम्दह फ़ायदा जो इंसान हासिल कर सकता है वह अल्लाह तआला का डर है उसके बाद नेक बीवी है कि शौहर जब उसकी तरफ़ देखे वह उसे ख़ुश कर दे और जो हुक्म दे उसे बजा लाए और अगर क़सम दे दे तो पूरी कर दिखाए और जब वह मौजूद न हो तो उसके माल की और अपने नफ़्स की हिफ़ाज़त करे।" (इब्ने माजा, किताबुन् निकाह, बाब अफ़ज़लुन् निसाअः 1857; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दन; इसकी सनद में अली बिन यज़ीद मुंकरुल हदीस (अल्मीज़ानः 3/161; रक़मः 5966) और उस्मान बिन अबी आतिका मुख़्तलफ़ फ़ीही रावी है। (अल्मीज़ानः 3/40; रक़मः 5522) शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज् ज़ईफ़ः 4421)

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

तर्जुमाः जो लोग ग़ैब पर ईमान लाते हैं

ईमान के मआनी और मफ़्हूमः (आयतः3) हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, ईमान कहते हैं तस्दीक़ को। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) भी यही फ़र्माते हैं। जुहरी (रह.) फ़र्माते हैं कि ईमान कहते हैं अमल को। रबीअ बिन अनस (रह.) कहते हैं यहाँ मुराद ईमान लाने से डरना है। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं यह सब अक़्वाल मिल सकते हैं। मतलब यह है कि ज़ुबान से दिल से और अमल से ग़ैब पर ईमान लाते हैं और रब तआला का डर (अपने दिलों मे) रखते हैं। ईमान का लफ़्ज़ शामिल है अल्लाह तआला पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, ईमान लाने को और अमल के साथ इस इक़रार की तस्दीक़ के साथ करने को। मैं कहता हूँ लुग़त में ईमान कहते हैं सिर्फ़ सच्चा मान लेने को। क़ुरआने करीम मे भी इस मअनी में इस्तेमाल हुआ है जैसे फ़र्माया (يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ) (9/तौबा : 61) यानी "अल्लाह तआला को मानते हैं और ईमान वालों को सच्चा जानते हैं।" हज़रत यूसुफ़ (عليه السلام) के भाईयो ने अपने बाप से कहा था (وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ) (12/यूसुफ़ : 17) यानी "तू हमारा यक़ीन नहीं करेगा अगरचे हम सच्चे हों।" (इसी तरह ईमान यक़ीन के मअनी में आता है जब आ'माल के ज़िक्र के साथ मिला हुआ हो, जैसे फ़र्माया (اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ) (84/इंशिक़ाक़ : 25)हाँ! जिस वक़्त इसका इस्तेमाल मुत्लक़ हो तो ईमाने शरई जो अल्लाह के यहाँ मक़्बूल है वह एतिक़ाद, क़ौल और अमल के मज्मूआ का नाम है। अकसर अइम्मा का यही मज़हब है। बल्कि इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद और अबू उबेदह (रह.) वग़ैरह ने इस पर इज्माअ नक़्ल किया है कि ईमान नाम है ज़ुबान से कहने और अमल करने का और ईमान बढ़ता-घटता रहता है। और इसके सबूत में बहुत से आसार और अहादीस भी आई हैं जो हमने बुख़ारी की शरह में नक़्ल कर दी हैं। फ़ल्हम्दु लिल्लाह!

कुछ लोगों ने ईमान के मअनी अल्लाह के डर और ख़ौफ़ के भी किए हैं , जैसे फ़र्मान है, (اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) (67/मुल्क : 12) "जो लोग अपने रब से दर पर्दा डरते रहते हैं।" और जगह फ़र्माया (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ) अल्ख़ (50/क़ाफ़ : 33) यानी " जो शख़्स अल्लाह तआला से बग़ैर देखे डरे और झुकने वाला दिल लेकर आए हैं।" हक़ीक़त में बारी तआला का ख़ौफ़ ईमान का और इल्म का ख़ुलासा है जैसे फ़र्माया (اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا) (35/फ़ातिर : 28) "रब तआला से वही बन्दे डरते हैं जो ज़ी इल्म हैं।" कुछ कहते हैं वह ग़ैब पर भी ऐसा ही ईमान रखते हैं जैसा हाज़िर पर और उनका हाल मुनाफ़िक़ों जैसा नहीं कि जब ईमान वालों के सामने हों तो अपना ईमानदार होना साबित करें, लेकिन जब अपने वालों में होते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनका मज़ाक़ उड़ाते हैं। इन मुनाफ़िक़ीन का हाल सूरह मुनाफ़िक़ून में इस तरह बयान हुआ है कि (اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ) अल्ख़ (63/मुनाफ़िक़ून : 1) यानी "मुनाफ़िक़ जब तेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम तहेदिल से शहादत देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है,

अल्लाह ख़ूब जानता है कि तू उसका रसूल है लेकिन अल्लाह की गवाही है कि यह मुनाफ़िक़ तुझसे झूठ कहते हैं।'' इस मअ़नी के एतिबार से (बिल ग़ैबि) हाल ठहरेगा यानी वह ईमान लाते हैं, यहाँ तक कि लोगों से पोशीदा होते हैं।'' ग़ैब का लफ़्ज़ जो यहाँ है उसके मअ़नी में भी मुफ़स्सिरीन के बहुत से अक़्वाल हैं और वह सब सह़ीह़ हैं और जमा हो सकते हैं।

अबुल आ़लिया (रह़.) फ़र्माते हैं इससे मुराद अल्लाह तआ़ला पर फ़रिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, क़यामत पर, जन्नत और जहन्नम पर, मुलाक़ाते इलाही पर, मरने के बाद जी उठने पर ईमान लाना है। क़तादा (रह़.) का भी यही क़ौल है। इब्ने अ़ब्बास, इब्ने मसऊ़द और कुछ दीगर अस्ह़ाब (رضی اللہ عنہم) से मरवी है कि मुराद इससे वह पोशीदा चीज़ें हैं जो नज़रों से ओझल हैं जैसे जन्नत, दोज़ख़ वग़ैरह वह उमूर जो क़ुरआन में मज़्कूर हैं। इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, अल्लाह की तरफ़ से जो आया है वह सब ग़ैब में दाख़िल है। ह़ज़रत अबू ज़र (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं मुराद इससे क़ुरआन है। अ़ता (रह़.) फ़र्माते हैं, अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाने वाला ग़ैब पर ईमान लाने वाला है। इस्माईल बिन अबू ख़ालिद (रह़.) फ़र्माते हैं मुराद इस्लाम की तमाम पोशीदा चीज़ें हैं, ज़ैद बिन असलम (रह़.) कहते हैं,, मुराद तक़्दीर पर ईमान लाना है। पस यह तमाम अक़्वाल मअ़नी की रू से एक ही हैं इसलिए कि यह सब चीज़ें पोशीदा हैं और ग़ैब की तफ़्सीर इन सबको शामिल है और सब पर ईमान लाना वाजिब है।

इब्ने मसऊ़द (رضی اللہ عنہ) की मज्लिस में एक मर्तबा सह़ाबा के फ़ज़ाइल बयान होते हैं तो आप फ़र्माते हैं हुज़ूर (ﷺ) के देखने वालों ने तो आप (ﷺ) पर ईमान लाना ही था लेकिन अल्लाह की क़सम! ईमानी हैसियत से वह लोग अफ़ज़ल हैं जो बिन देखे ईमान लाते हैं। फिर आपने (अलिफ़ लाम मीम) से लेकर (मुफ़्लिहून) तक आयात पढ़ीं। (इब्ने अबी ह़ातिम, मर्दवे, मुस्तदरक ह़ाकिम) इमाम ह़ाकिम (रह़.) इस रिवायत को सह़ीह़ बताते हैं। मुस्नद अह़मद में भी इस मज़्मून की एक ह़दीस है। अबू जम्आ सह़ाबी (رضی اللہ عنہ) से इब्ने मह़रीर (रह़.) ने कहा कि कोई ऐसी ह़दीस सुनाओ जो तुमने ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हो। फ़र्माया, अच्छा! मैं तुम्हें एक बहुत ही उ़म्दा ह़दीस सुनाता हूँ। हमने हुज़ूर (ﷺ) के साथ एक मर्तबा नाश्ता किया। हमारे साथ ह़ज़रत अबू उ़बेदा बिन जर्राह़ (رضی اللہ عنہ) भी थे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह! क्या हमसे बेहतर भी कोई और है? हम आप (ﷺ) के साथ इस्लाम लाए, आपके साथ जिहाद किए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''हाँ! वह लोग जो तुम्हारे बाद आयेंगे, मुझ पर ईमान लाएँगे ह़ालाँकि उन्होंने मुझे देखा भी न होगा।'' (अह़मद : 4/106; व सनदुहू सह़ीह़; मुस्नद अबू यअ़ला : 1559; त़बरानी : 3537, 3538, 3559; ह़ाकिम : 2/260; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 10/6693; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसकी सनद को सह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् सह़ीह़ा : 7/907) तफ़्सीर इब्ने मर्दवे में है, सालेह़ बिन जुबैर (रह़.) कहते हैं कि अबू जम्आ अंसारी (رضی اللہ عنہ) हमारे पास बैतुल मक़्दिस में आए। रजाअ बिन ह़यवा (رضی اللہ عنہ) भी हमारे साथ ही थे। जब वह वापिस जाने लगे तो हम उन्हें अलविदा करने के लिए साथ चले। जब जुदा होने लगे तो फ़र्माया, तुम्हारी इन मेहरबानियों का बदला और ह़क़ मुझे अदा करना चाहिए। सुनो! मैं तुम्हें एक ह़दीस सुनाता हूँ जिसे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है। हमने कहा, अल्लाह तआ़ला तुम पर रह़म करे ज़रूर सुनाओ। उन्होंने कहा, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे, हम दस आदमी थे। उनमें ह़ज़रत मुआ़ज़ बिन

जबल (رضي الله عنه) भी थे। हमने कहा, या रसूलल्लाह! क्या हमसे बड़े अज्र का मुस्तहिक़ भी कोई होगा? हम अल्लाह तआला पर ईमान लाए और आपकी ताबे'दारी की। आपने फ़र्माया, ''तुम क्यूँ न करते? अल्लाह तआला का रसूल तुममें मौजूद है, वही इलाही आसमान से तुम्हारे सामने नाज़िल हो रही है। ईमान तो उन लोगों का है जो तुम्हारे बाद आयेंगे। दो गत्तों के दरम्यान किताब पायेंगे उस पर ईमान लायेंगे और उस पर अमल करेंगे। यह लोग अज्र में तुमसे दो गुना हैं।'' (अल् मुअजम अल् कबीर : 3540; इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन सालेह है जो रिवायात में नकारत व नुदरत की वजह से अकसर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ हैं। (अल्मीज़ान : 2/440; रक़म : 4382) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) इस हदीस में विजादा की क़बूलियत की दलील है जिसमें मुहद्दिसीन का इख़्तिलाफ़ है। मैंने इस मसले को बुख़ारी की शरह में ख़ूब वाज़ेह कर दिया, इसलिए कि बाद वालों की तअरीफ़ इसी बिना पर हो रही है और इनका बड़े अज्र वाला होना, इसी हैसियत से है वरना अलल् इत्लाक़ हर तरह से बेहतर और अफ़ज़ल तो सहाबा (رضي الله عنهم) ही हैं।

एक हदीस में है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक मर्तबा सहाबा (رضي الله عنهم) से पूछा, ''तुम्हारे नज़दीक ईमान लाने में कौन ज़्यादा अफ़ज़ल हैं? उन्होंने कहा, फ़रिश्ते, फ़र्माया, वह ईमान क्यूँ न लाते वह तो अपने रब के पास ही हैं। सहाबा ने कहा, फिर अम्बिया। फ़र्माया, अम्बिया ईमान क्यूँ न लाएँ उन पर तो वही नाज़िल होती है। कहा फिर हम। फ़र्माया, तुम ईमान क़बूल क्यूँ न करते, क्योंकि मैं तुममें मौजूद हूँ। सुनो! मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल ईमान वाले वह लोग होंगे जो तुम्हारे बाद आयेंगे। सहीफ़ों में किताब लिखी पायेंगे उस पर ईमान ले आयेंगे।'' (अल्लामा इब्ने कसीर की बयानकर्दा इल्लत के अलावा इसकी सनद में इस्माईल बिन अयाश है जिसकी ग़ैर शामियों से रिवायत ज़ईफ़ होती है (अल्मीज़ान : 1/24; रक़म : 933) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) इसकी सनद में मुग़ीरह बिन क़ैस हैं। अबू हातिम राज़ी (रह.) ने इन्हें मुंकरुल हदीस बताया है लेकिन इसी मज़्मून की एक और हदीस ज़ईफ़ सनद से मुस्नद अबू यअला, तफ़्सीर इब्ने मर्दवे, मुस्तदरक हाकिम में मरवी है। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सख़्त ज़ईफ़ कहा है। देखिए (सिलसिलतुज़् ज़ईफ़ : 648) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से भी इसी के मिस्ल मरफ़ूअन मरवी है। (मुस्नद बज़्ज़ार अल् कश्फ़ : 2840; व सनदुहू ज़ईफ़; सईद बिन बशीर ज़ईफ़ क़तादा मुदल्लस व अनअन अन् सहहस् सनदु इलैहि) वल्लाहु आलम! इब्ने अबी हातिम (रह.) (की रिवायत) मे है हज़रत बुदैला बिन्ते असलम (रह.) फ़र्माते हैं कि बनू हारिसा की मस्जिद में हम जुहर या अस्र की नमाज़ में थे और बैतुल मक़्दिस की तरफ़ हमारा चेहरा था। दो रकअत अदा कर चुके थे कि किसी ने आकर ख़बर दी कि नबी (ﷺ) ने बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ चेहरा कर लिया है। हम सुनते ही घूम गये। औरतें मर्दों की जगह आ गईं और मर्द औरतों की जगह चले गये और बाक़ी दो रकअतें हमने बैतुल्लाह की तरफ़ चेहरा करके अदा कीं। जब हुज़ूर (ﷺ) को यह ख़बर पहुँची तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''यह लोग हैं जो ग़ैब पर ईमान रखते हैं।'' यह हदीस इस इस्नाद से ग़रीब है। (इब्ने अबी हातिम वत् तबरानी फ़िल् कबीर : 24/207; ह : 530; एक सनद में इस्हाक़ बिन इदरीस दूसरी सनद में मुस्अब बिन इब्राहीम जुबैरी हैं लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।)

وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ③

तर्जुमा : "और क़ायम रखते हैं नमाज़ को और हमारे दिये हुए में से देते रहते हैं।" (3)

इक़ामतिस् सलात और इन्फ़ाक़ से क्या मुराद है? (आयत 3) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं फ़राइज़े नमाज़ बजा लाते हैं, रुकूअ, सज्दा, तिलावत, ख़ुशूअ और तवज्जह को क़ायम करते हैं। क़तादा (रह.) कहते हैं वक़्तों का ख़्याल रखना, वुज़ू अच्छी तरह करना, रुकूअ-सुजूद पूरी तरह करना इक़ामते सलात है। मुक़ातिल (रह.) कहते हैं कि वक़्त का ख़्याल करना, कामिल तहारत करना, रुकूअ सज्दा पूरा करना, तिलावत अच्छी तरह करना, अत् तहिय्यात और दुरूद शरीफ़ पढ़ना इक़ामते सलात है। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं (مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ) (2/बक़रह : 3) के मअनी ज़कात अदा करने के हैं। इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद और कुछ सहाबा (رضي الله عنهم) ने कहा है कि इससे मुराद आदमी का अपने बाल-बच्चों को खिलाना-पिलाना है। यह ज़कात के हुक्म से पहले की आयत है। हज़रत ज़ह्हाक (रह.) फ़र्माते हैं कि ज़कात की सात आयात जो सूरह बरा'त में हैं, उनके नाज़िल होने से पहले यह हुक्म था कि अपनी-अपनी ताक़त के मुताबिक़ थोड़ा बहुत जो मयस्सर हो देते रहो।

क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं यह माल तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है अन्क़रीब तुमसे जुदा हो जाएगा, अपनी ज़िन्दगी में इसे अल्लाह की राह में लगा दो। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं यह आयत आम है ज़कात को, अहलो-अयाल के ख़र्च को, और जिन लोगों को देना ज़रूरी हो उन सबके देने को शामिल है इसलिए परवरदिगार ने एक आम वस्फ़ बयान किया है और आम तअरीफ़ की है तो हर तरह के ख़र्च को शामिल हो गई। मैं कहता हूँ कुरआने करीम में अकसर जगह नमाज़ का और माल ख़र्च करने का ज़िक्र मिला-जुला आता है इसलिए नमाज़ अल्लाह का हक़ और उसकी इबादत है जो उसकी तौहीद और उसकी सना उसकी बुज़ुर्गी, उसकी तरफ़ झुकने, उस पर तवक्कल करने, उससे दुआ करने का नाम है और ख़र्च करना मख़्लूक़ की तरफ़ एहसान करना है जिससे उन्हें नफ़ा पहुँचे। उसके ज़्यादा हक़दार अहलो-अयाल और गुलाम हैं, फिर दूर वाले, अजनबी, पस तमाम वाजिब ख़र्च अख़्राजात और फ़र्ज़ ज़कात इसमें दाख़िल हैं। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "इस्लाम की बुनियाद पाँच हैं। अल्लाह तआला की तौहीद और मुहम्मद (ﷺ) की रिसालत की गवाही देना, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज्ज करना।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब दुआउकुम इमानुकुम : 8; सहीह मुस्लिम : 11) इस बारे में और बहुत सी अहादीस हैं।

सलात के लुग़वी व शरई मआनी (आयत : 4) : अरबी लुग़त में सलात के मअनी दुआ के हैं। अरब शायरों के शेअर इस पर शाहिद हैं। फिर शरीअत में इसका इस्तेमाल नमाज़ पर है जो रुकूअ, सुजूद और दूसरे

ख़ास अफ़आल का नाम है, जो मख़्सूस औक़ात में जुम्ला (तमाम) शराइत और सिफ़ात और अक़्साम के साथ बजा लाई जाती है। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि नमाज़ को सलात इसलिए कहा जाता है कि नमाज़ी अल्लाह तआला से अपने अमल का सवाब तलब करता है और अपनी हाजतें अल्लाह तआला से मांगता है। कुछ ने कहा है कि जो दो रगें पीठ से लेकर रीढ की हड्डी की दोनों तरफ़ आती हैं उन्हें अरबी में सल्वीन कहते हैं चूँकि नमाज़ में यह हिलती हैं इसलिए नमाज़ को सलात कहा गया है। लेकिन यह क़ौल ठीक नहीं। कुछ ने कहा यह माख़ूज़ है सल्ला से जिसके मअनी हैं चिपक जाना और लाज़िम हो जाना, जैसे क़ुरआन में है (لَا يَصْلٰـهَآ) अल्ख़ (92/लैल : 15) यानी "जहन्नम में हमेशा न रहेगा मगर बदबख़्त।" कुछ उलमा का क़ौल है कि जब लकड़ी को दुरुस्त करने के लिए आग पर रखते हैं तो अरब तस्लियत कहते हैं। चूँकि नमाज़ी भी अपने नफ़्स की कजी को नमाज़ से दुरुस्त करता है इसलिए इसे सलात कहते हैं जैसे क़ुरआन में है (اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ) अल्ख़ (29/अन्कबूत : 45) यानी "नमाज़ हर बेहयाई और बुराई से रोकती है।" लेकिन इसका दुआ के मअनी में होना ही ज़्यादा सहीह और ज़्यादा मशहूर है, वल्लाहु आलम! लफ़्ज़ ज़कात की बहस इंशाअल्लाह और जगह आएगी।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝۴

तर्जुमा : "और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो तेरी तरफ़ उतारा गया और जो तुझसे पहले उतारा गया और आख़िरत पर भी यक़ीन रखते हैं।" (4)

मो'मिनीन की चंद दीगर सिफ़ात (आयत : 4) : इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं मतलब यह है कि जो कुछ अल्लाह तआला की तरफ़ से तुम पर नाज़िल हुआ और तुमसे पहले के अम्बिया पर नाज़िल हुआ वह इन सबकी तस्दीक़ करते हैं। यह नहीं कि किसी को मानें और किसी का इंकार करें बल्कि अपने रब की सब बातों को मानते हैं और आख़िरत पर भी ईमान रखते हैं यानी बअ़स व क़यामत, जन्नत और जहन्नम, हिसाब व मीज़ान सबको मानते हैं। क़यामत चूँकि दुनिया के फ़ना होने के बाद आएगी इसलिए इसे आख़िरत कहते हैं। कुछ मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि जिनकी पहले ईमान बिल ग़ैब वग़ैरह के साथ सिफ़त बयान की गई थी, उन ही की दोबारा यह सिफ़तें बयान की गई हैं यानी ईमानदार ख़्वाह अरब मो'मिन हो ख़्वाह अहले किताब वग़ैरह। मुजाहिद, अबुल आलिया, रबीअ़ बिन अनस और क़तादा (रह.) का भी यही क़ौल है। कुछ ने कहा है कि यह दोनों हैं तो एक, मगर मुराद इससे सिर्फ़ अहले किताब ही हैं। इन दोनों सूरतों में वाव अत्फ़ का होगा और सिफ़्तों का अत्फ़ सिफ़्तों पर होगा, जैसे (سَبِّحِ اسْمَ) अल्ख़ में सिफ़्तों का अत्फ़ सिफ़्तों पर है, और शुअरा के शेअरों में भी आया है। कुछ का क़ौल यह है कि पहली सिफ़्तें तो हैं अरब मो'मिनो की और (يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ) अल्ख़ से अहले किताब के मो'मिनों की सिफ़्तें मुराद हैं।

सुदी (रह.) ने इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद, और कुछ दीगर सहाबा (رضی اللہ عنہم) से नक़्ल किया है और इब्ने जरीर (रह.) ने भी इसी को पसंद किया है और इसकी शहादत में यह आयत लाए हैं (وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ

(بِاللّٰهِ) अल्ख़ (3/आले इमरान : 199) यानी "अहले किताब में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह तआला पर और उस वह़ी पर जो इससे पहले तुम्हारी त़रफ़ नाज़िल की गई और उस वह़ी पर जो उनकी त़रफ़ नाज़िल की गई, ईमान लाते हैं और अल्लाह तआला से डरते रहते हैं।" और जगह इर्शाद है (اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ) अल्ख़ (28/क़सस़ : 52) यानी "जिन्हें इससे पहले किताब दी थी वह उसके साथ ईमान रखते हैं और जब उन पर (यह क़ुरआन) पढ़ा जाता है तो कहते हैं हम इस पर भी ईमान लाए और इसे अपने रब की त़रफ़ से ह़क़ जाना। हम तो इससे पहले ही मुसलमान थे। उन्हें उनके स़ब्र करने और बुराई के बदले भलाई करने और अल्लाह की राह में ख़र्च करने की वजह से दोहरा अज्र मिलेगा।"

बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "तीन शख़्सों को दोहरा अज्र मिलेगा। एक अहले किताब को जो अपने नबी पर ईमान लाए और मुझ पर भी ईमान रखें। दूसरा वह ग़ुलाम जो अल्लाह तआला का ह़क़ अदा करे और अपने मालिक का भी। तीसरा वह शख़्स जो अपनी लौण्डी को अच्छा अदब सिखाए फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब तअलीमुर् रजुल अमतहू व अहलहू : 97; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 154) इब्ने जरीर (रह़.) के इस फ़र्क़ की मुनासिबत इससे भी मालूम होती है कि इस सूरत के शुरू में मो'मिनों और काफ़िरों का बयान हुआ है तो जिस त़रह़ कुफ़्फ़ार की दो क़िस्में हैं, काफ़िर और मुनाफ़िक़, इसी त़रह़ मो'मिनों की भी दो क़िस्में कीं, अ़रबी मो'मिन और किताबी मो'मिन। मैं कहता हूँ ज़ाहिर यह है कि मुजाहिद (रह़.) का यह क़ौल ठीक है कि सूरह बक़रह की पहली चार आयात मो'मिनों के औस़ाफ़ के बारे मे हैं और उनके बाद की तेरह आयात मुनाफ़िक़ों के ह़क़ में हैं। अ़रबी हो या अ़ज्मी, किताब हो या ग़ैर-किताबी हो, इंसानों में से हो या जिन्नात में से, इसलिए कि इनमें से हर एक वस़्फ़ दूसरे को लाज़िम और शर्त है, एक बग़ैर दूसरे के नहीं हो सकता।

ग़ैब पर ईमान लाना, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना उस वक़्त तक स़ह़ीह़ नहीं जब तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर और साबिक़ा अम्बिया पर जो किताबें उतरी हैं उन पर ईमान न हो और साथ ही आख़िरत का यक़ीने क़ामिल न हो। जिस त़रह़ पहली तीन चीज़ें बग़ैर पिछली तीन चीज़ों के ग़ैर-मोतबर हैं। इसी त़रह़ पिछली तीनो बग़ैर पहली तीनों के स़ह़ीह़ नहीं, इसीलिए ईमान वालों को हुक्मे इलाही है (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ) अल्ख़ (4/निसाअ:136) यानी "ऐ ईमानवालों! अल्लाह पर और उसके रसूल पर और जो किताब उन पर उतरी है उस पर और जो किताबें उनसे पहले उतरी हैं उन पर ईमान लाओ।" और जगह फ़र्माया (وَلَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ) अल्ख़ (29/अ़न्कबूत:46) यानी "अहले किताब से झगड़ने में बेहतरीन त़रीक़ा इख़्तियार करो और कहो कि हम ईमान लाए हैं उस पर जो हमारी त़रफ़ नाज़िल किया गया है और जो तुम्हारी त़रफ़ उतारा गया है। हमारा और तुम्हारा मअ़बूद एक ही है।" और जगह इर्शाद है, "ऐ अहले किताब! जो हमने उतारा है उस पर ईमान लाओ यह उसको सच्चा करने वाला है जो तुम्हारे पास है।" और जगह फ़र्माया, "ऐ अहले किताब! तुम किसी चीज़ पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील को जो कुछ तुम्हारी त़रफ़ तुम्हारे रब की जानिब से उतारा गया है क़ायम न रखो।" एक और जगह तमाम ईमान वालों की त़रफ़ से ख़बर देते हुए क़ुरआने करीम ने फ़र्माया (اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ) अल्ख़ (2/बक़रह:285) यानी "रसूल ईमान लाए उस पर जो उनकी त़रफ़ उनकेरब की त़रफ़ से नाज़िल हुआ और तमाम ईमानवाले भी, हर एक ईमान लाया अल्लाह तआला पर और उसके फ़रिश्तों पर उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, हम रसूलों में फ़र्क़ और जुदाई नहीं करते।" इसी त़रह़ इर्शाद होता है कि जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं और रसूलों में से किसी मे तफ़रीक़ नहीं करते।"

इस मज़्मून की और भी बहुत सी आयात हैं जिनमें तमाम ईमानवालों को अल्लाह तआला पर और उसके तमाम रसूलों पर और सब किताबों पर ईमान लाने का ज़िक्र किया गया है।

यह और बात है कि अह्ले किताब के ईमानदारों में एक ख़ास ख़ुसूसियत है क्योंकि उनका ईमान अपने यहाँ की किताबों पर तफ़सील के साथ होता है और फिर जब हुज़ूर (ﷺ) के हाथ पर वह इस्लाम क़बूल करते हैं तो क़ुरआने-करीम पर भी तफ़सील के साथ ईमान लाते हैं इसलिए उनको दोहरा अज्र मिलता है। और इस उम्मत के लोग भी साबिक़ा किताबों पर ईमान लाते हैं लेकिन इनका ईमान इज्माली तौर पर होता है। जैसे सहीह हदीस में है कि, ''जब तुमसे अह्ले किताब कोई बयान करें तो तुम न उसे सच कहो और न झूठ बल्कि कह दिया करो कि हम तो जो कुछ हम पर उतरा उसे भी मानते हैं और जो कुछ तुम पर उतरा है उस पर भी ईमान रखते हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तफ़सीर सूरतुल् बक़रह:4485; बलफ़्ज़ (ला तुसद्दिक़ू अहलल किताब वला तुकज़्ज़िबुहुम) (वक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि) अबूदाऊद:3644; बलफ़्ज़ (मा हद्दसकुम् अहलुल् किताब फ़ला तुसद्दिक़ूहुम वला तुकज़्ज़िबूहुम) सुनन अबी दाऊद वाली रिवायत नम्ला बिन अबी नम्ला मज्हूल की वजह से ज़ईफ़ है।) कुछ मवाक़ेअ पर ऐसा भी होता है कि जो लोग हुज़ूर (ﷺ) पर ईमान लाते हैं उनका ईमान बनिस्बत अह्ले किताब के ईमान के ज़्यादा पूरा ज़्यादा कमाल वाला, ज़्यादा रासिख़ और ज़्यादा मज़बूत होता है इस हैसियत से मुम्किन है कि उन्हें अह्ले किताब से भी ज़्यादा अज्र मिलेगा वह बसबब अपने पैग़म्बर और पैग़म्बर आख़िरुज़् ज़मान पर ईमान लाने के दोहरा अज्र पाए हुए हों, लेकिन यह लोग बसबब कमाले ईमान के अज्र में उनसे भी बढ़ जाते हैं, वल्लाहु आलम!

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑤

तर्जुमा : ''यही लोग अपने रब की तरफ़ से हिदायत पर हैं और यही लोग फ़लाह और नजात पाने वाले हैं।''(5)

हिदायत पाने वाले ख़ुशनसीब कौन हैं? (आयत 5) : यानी वह लोग जिनके औसाफ पहले बयान हुए मस्लन ग़ैब पर ईमान लाना, नमाज़ क़ायम करना, अल्लाह के दिए हुए में से ख़र्च करना, हुज़ूर (ﷺ) पर जो उतरा है उस पर ईमान लाना, आप (ﷺ) से पहले जो किताबें उतरी उनको मानना, दारे आख़िरत पर यक़ीन रखकर वहाँ काम आने वाले नेक अमल करना, बुराईयों और हराम कारियों से बचना। यही लोग हिदायत याफ़्ता हैं जिन्हें अल्लाह तआला की तरफ़ से नूर मिला है और बयान व बसीरत हासिल हुआ है और इन ही लोगों के लिए दुनिया और आख़िरत में फ़लाह और नजात है। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने हिदायत की तफ़सीर नूर और इस्तिक़ामत से की है और फ़लाह की तफ़सीर अपनी चाहत को पा लेने और बुराईयों से बच जाने से की है। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि यह लोग अपने रब की तरफ़ से नूर और दलील और साबित-क़दमी और सच्चाई और तौफ़ीक़े हक़ पर हैं और यही लोग अपने पाकीज़ा आ'माल की वजह से नजात, सवाब और जन्नत की हमेशगी को पाने के मुस्तहिक़ हैं और अज़ाबों से दूर हैं। इब्ने जरीर (रह.) यह भी फ़र्माते हैं कि दूसरे (उलाइक) का इशारा अह्ले किताब की तरफ़ है जिनकी सिफ़त इससे पहले बयान हो चुकी है जैसे पहले गुज़र चुका इस एतिबार से (وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ) अल्ख़ (2/बक़रह : 4) पहले की आयत से जुदा होगा और मुब्तदा बनकर

मरफ़ूअ होगा और उसकी ख़बर (أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) होगी, लेकिन पसंदीदा क़ौल यही है कि इसका इशारा पहले के सब औसाफ़ वालों की तरफ़ है अहले किताब हों या अरब हों। इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद और कुछ सहाबा (رضی اللہ عنہم) से मरवी है कि (يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) से मुराद अरब ईमानदार हैं और उसके बाद के जुम्ला से मुराद अहले किताब ईमानदार हैं फिर दोनों के लिए यह बशारत है कि यह लोग हिदायत और फ़लाह वाले हैं और यह पहले बयान हो चुका है कि यह आयात आम हैं और यह इशारा भी आम है वल्लाहु आलम! मुजाहिद, अबुल आलिया, रबीअ बिन अनस और क़तादा (रह.) से यही मरवी है।

एक मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल होता है कि हुज़ूर कुरआने-करीम की कुछ आयात तो हमें ढारस देती हैं और उम्मीद क़ायम करा देती हैं और कुछ आयात कमर तोड़ देती हैं और क़रीब होता है कि हम नाउम्मीद हो जाएँ। आपने फ़र्माया, लो! मैं तुम्हें जन्नती और जहन्नमी की पहचान साफ़-साफ़ बतला दूँ, फिर आपने (अलिफ़ लाम मीम) से (मुफ़्लिहून) तक पढ़कर फ़र्माया, "यह तो जन्नती हैं।" सहाबा (رضی اللہ عنہم) ने ख़ुश होकर फ़र्माया, अल्हम्दु लिल्लाह! हमें उम्मीद है कि हम इन ही में से हों। फिर (ان الذين كفروا) से (अज़ीम) तक तिलावत की और फ़र्माया, "यह जहन्नमी हैं।" सहाबा ने कहा, हम ऐसे नहीं, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "हाँ!"। (इब्ने अबी हातिम) (इसकी सनद में इब्ने लहीआ मुख़्तलत (अत् तक़रीब : 1/444; रक़म : 574) और उस्मान बिन सालेह लीन रावी है। (अल्मीज़ान : 3/39; रक़म : 5519) लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥

तर्जुमा : "काफ़िरों को आपका डराना न डराना बराबर है यह लोग ईमान न लायेंगे।" (6)

बदनसीब लोग (आयत 6) : यानी जो लोग हक़ को पोशीदा करने या छुपा लेने के आदी हैं और उनकी क़िस्मत में यही है न तो उन्हें आप (ﷺ) का डराना सूदमंद हो और न ही न डराना। यह कभी अल्लाह तआला की इस वही की तस्दीक़ न करेंगे जो आप (ﷺ) पर नाज़िल हुई है। जैसे और जगह फ़र्माया (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ) अल्ख़ (10/यूनुस : 96) यानी "जिन लोगों पर अल्लाह की बात साबित हो चुकी है वह ईमान न लायेंगे अगरचे तमाम आयात देख लें यहाँ तक कि दर्दनाक अज़ाब देखें।" और ऐसे ही सरकश अहले-किताब की निस्बत फ़र्माया (وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ) अल्ख़ (2/बक़रह : 145) यानी "इन अहले किताब के पास अगरचे तमाम दलाइल ले आओ ताहम वह तुम्हारे क़िब्ले को नहीं मानेंगे" यानी इन बदनसीबों को सआदत हासिल ही नहीं होने की, इन गुमराहों को हिदायत कहाँ? "तू ऐ नबी (ﷺ)! इन पर अफ़सोस न कर तेरा काम सिर्फ़ रिसालत का हक़ अदा कर देना और पहुँचा देना है। मानने वाले नसीबदार हैं वह मालामाल हो जायेंगे और अगर कोई न माने तो न सही तेरा फ़र्ज़ अदा हो गया। हम ख़ुद इनसे हिसाब ले लेंगे। तू सिर्फ़ डराने वाला है और हर चीज़ पर अल्लाह तआला ही वकील है।"

हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) को इस बात की बड़ी ही हिर्स थी कि तमाम लोग ईमान वाले हो जाएँ और हिदायत को क़बूल कर लें, लेकिन परवरदिगार ने फ़र्मा दिया कि यह सआदत हर एक के

हिस़्से की नहीं। यह नेअमत बट चुकी है जिसके हिस़्से में आई है वह आपकी मानेगा और जो बदक़िस्मत हैं वह हर्गिज़-हर्गिज़ आप (ﷺ) की इताअत की तरफ़ न झुकेंगे। पस मतलब यह है कि जो क़ुरआन से इंकारी हैं और कहते हैं कि हम अगली किताबों को मानते हैं, उन्हें डरावे का कोई फ़ायदा नहीं इसलिए कि वह तो ख़ुद अपनी किताब को भी हक़ीक़तन नहीं मानते क्योंकि उसमें तेरे मानने का अ़हद मौजूद है, तो जब वह इस किताब को और उस नबी (ﷺ) की नसीहत को नहीं मानते जिसके मानने के इक़रारी हैं तो भला वह ऐ नबी! तुम्हारी बातों को क्या मानेंगे? अबुल आ़लिया (रह़.) का क़ौल है कि यह आयत जंगे-अहज़ाब के उन सरदारों के बारे में उतरी है जिनकी निस्बत फ़र्माने बारी तआ़ला है। (اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ) अल्ख़ (14/इब्राहीम : 28) लेकिन जो मअ़नी हमने पहले बयान किए हैं वह ज़्यादा ज़ाहिर हैं और दूसरी आयात के मुताबिक़ हैं, वल्लाहु आ़लम! इस ह़दीस पर जो इब्ने अबी ह़ातिम (रह़.) के ह़वाले से अभी बयान हुई है दोबारा नज़र डालिए। (ला यु'मिनून) पहले जुम्ले की ताकीद है उनका कुफ़्र न टूटेगा। यह भी मुम्किन है कि (ला यु'मिनून) ख़बर हो इसलिए कि तक़्दीरे कलाम इन्नल्लज़ी-न कफ़रू ला यु'मिनून है और (सवाउन अ़लयहिम) जुम्ला मुअ़तर्ज़ा हो जाएगा, वल्लाहु आ़लम!

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ؗ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

तर्जुमा : "अल्लाह तआ़ला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मुहर कर दी है और इनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अ़ज़ाब है।" (7)

दिलों और कानों पर मुहर लगाने का मतलब (आयत 7) : ह़ज़रत सुदी (रह़.) फ़र्माते हैं ख़तम से मुराद तबअ़ है यानी मुहर लगा देना। क़तादा (रह़.) फ़र्माते हैं यानी इन पर शैतान ग़ालिब आ गया है यह उसी की मातह़ती में लग गये, यहाँ तक कि मुहरे इलाही इनके दिलों पर और इनके कानों पर लग गई और आँखों पर पर्दा पड़ गया। हिदायत को न देख सकते हैं न सुन सकते हैं न समझ सकते हैं।

ह़ज़रत मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं कि गुनाह लोगों के दिलों पर चढ़ते जाते और उसे हर तरफ़ से घेर लेते हैं, बस यही तबअ़ और ख़तम यानी मुहर है। दिल और कान के लिए मुहावरा में मुहर आती है। मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं क़ुरआन में (रान) का लफ़्ज़ है (तबअ़) का लफ़्ज़ है और (अक़्फ़ाल) का लफ़्ज़ है, रान, तबअ़ से कम है और तबअ़ अक़्फ़ाल से कम है, अक़्फ़ाल सबसे ज़्यादा है। मुजाहिद (रह़.) ने अपना हाथ दिखाकर कहा कि दिल हथेली की तरह़ है और बन्दे के गुनाहों की वजह से वह सिमट जाता है और बन्द हो जाता है इस तरह़ कि एक गुनाह किया तो गोया छंगलिया बंद हो गई, फिर दूसरा गुनाह किया, दूसरी उँगली बंद हो गई। यहाँ तक कि तमाम उँगलियाँ बंद हो गयीं और अब मुट्ठी बिलकुल बंद हो गयी जिसमें कोई चीज़ दाख़िल नहीं हो सकती। इस तरह़ गुनाहों से दिल पर पर्दे पड़ जाते हैं मुहर लग जाती है फिर उस पर ह़क़ असर नहीं करता, इसे ज़ीन भी कहते हैं। मतलब यह हुआ कि इनका तकब्बुर इनका ह़क़ से मुँह फेर लेना बयान हो

रहा है। जैसे कहा जाता है कि फ़लाँ शख़्स इस बात के सुनने से बहरा बन गया। मतलब यह होता है कि तकब्बुर और बेपरवाही करके उसने इस बात की तरफ़ कान न लगाया।

इमाम इब्ने जरीर (रह़.) फ़र्माते हैं लेकिन यह मतलब ठीक नहीं हो सकता इसलिए कि यहाँ तो ख़ुद अल्लाह तआला फ़र्माता है कि उसने उनके दिलों पर मुहर कर दी।

ज़मख़्शरी (रह़.) ने इसकी तर्दीद की है और पाँच तावीलें की हैं लेकिन सबकी सब बिलकुल बोदी और वाही हैं और सिर्फ़ अपने मुअतज़ला होने की वजह से इसे यह तकल्लुफ़ात करने पड़े क्योंकि इनके नज़दीक यह बात बहुत बुरी है कि किसी के दिल पर अल्लाह तआला मुहर कर दे, लेकिन अफ़सोस! इन्होंने दूसरी साफ़ और स़रीह़ आयात पर ग़ौर नहीं किया। इर्शाद बारी तआला है (فَلَمَّا زَاغُوٓا أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ) (61/स़फ़्फ़ : 5) यानी "जब वह टेढ़े हो गए तो अल्लाह तआला ने उनके दिल टेढ़े कर दिए।" और फ़र्माया (وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَٰرَهُمْ) अल्ख़ (6/अन्आम : 111) यानी "हम इनके दिलों को और इनकी निगाहों को उलट देते हैं गोया वह सिरे से ईमान ही न लाए थे, और हम इन्हें इनकी सरकशी में भटकते हुए ही छोड़ देते हैं।" इस क़िस्म की आयात भी हैं कि अल्लाह तआला ने उनके दिलों पर मुहर कर दी और हिदायत को उनसे दूर कर दिया है, उनके ह़क़ को तर्क करने और बातिल पर जमे रहने की वजह से और यह सरासर अ़दलो-इंसाफ़ है और अ़दल अच्छी चीज़ है न कि बुरी। अगर ज़मख़्शरी भी बग़ौर इन आयात पर नज़र डालते तो तावील न करते, वल्लाहु आलम! क़ुर्तुबी (रह़.) फ़र्माते हैं, उम्मत का इज्माअ़ है कि अल्लाह तआला ने अपनी एक सिफ़त मुहर करना भी बयान की है जो कुफ़्फ़ार के कुफ़्र का बदला है। फ़र्माता है (بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ) (4/निसाअ : 155) "बल्कि इनके कुफ़्र की वजह से अल्लाह तआला ने इन पर मुहर लगा दी।" ह़दीस में भी है कि अल्लाह तआला दिलों को उलट-पलट करता है। (शैख़ अल्बानी (रह़.) ने "ज़िलालुल जन्नह" : 227 में इसे स़ह़ीह़ क़रार दिया है और इसके अल्फ़ाज़ हैं (मिस्लुल क़ल्ब मिस्लु रीशतिन युक़ल्लिबुहा....) लेकिन तह़क़ीक़ यह है यह रिवायत अपनी तमाम सनदों के साथ ज़ईफ़ ही है और इसे स़ह़ीह़ क़रार देना ग़लत़ है।) दुआ में है (يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك) यानी "ऐ दिलों के फेरने वाले! हमारे दिलों को अपने दीन पर क़ायम रख।" (इब्ने माजा, अल मुक़द्दमा, बाब फ़ीमा अन्करतिल् जहमिया : 199; व सनदुहू स़ह़ीह़; अह़मद : 3/182; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे स़ह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् स़ह़ीह़ : 2091)

ह़ज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) वाली ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "दिलों पर फ़ित्ने इस त़रह पेश होते हैं जैसे टूटे हुए बोरिये का एक-एक तिनका। जो दिल उन्हें क़बूल कर लेता है उसमें एक स्याह नुक़्ता हो जाता है और जिस दिल में यह फ़ित्ने असर नहीं करते उसमें एक सफ़ेद नुक़्ता हो जाता है। जिसकी सफ़ेदी बढ़ते - बढ़ते बिलकुल स़ाफ़-सफ़ेद होकर सारे दिल को मुनव्वर (रोशन) कर देती है फिर उसे कभी कोई फ़ित्ना नुक़्सान नहीं पहुँचा सकता। और इस दूसरे दिल की स्याही भी फैलती जाती है यहाँ तक कि सारा दिल

स्याह हो जाता है। अब वह उल्टे कूज़े की तरह हो जाता है, न अच्छी बात उसे अच्छी लगती है, न बुराई बुरी मालूम होती है। अल्ख़ (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब रफ़उल अमानत वल ईमान मिम् बअ़ज़िल् क़ुलूब : 144; तिर्मिज़ी : 2179; इब्ने माजा : 4053) इब्ने जरीर (रह़.) का फ़ैसला यह है कि ह़दीस में आ चुका है कि मो'मिन जब गुनाह करता है उसके दिल में एक स्याह नुक़्ता हो जाता है। अगर वह बाज़ आ गया तौबा कर ली तो वह नुक़्ता हट जाता है और उसका दिल साफ़ हो जाता है और अगर वह गुनाह में बढ़ गया तो वह स्याही भी फैलती जाती है यहाँ तक कि सारे दिल पर छा जाती है। यही वह रान है जिसका ज़िक्र इस आयत में है (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ) अल्ख़ (83/मुतफ़्फ़िफ़ीन : 14) यानी ''यक़ीनन उनके दिलों पर 'रान' है उनकी बद-आ'मालियों की वजह से।'' (तिर्मिज़ी, अब्वाबुत् तफ़्सीर, बाब वमिन सूरति वैलुल लिल् मुतफ़्फ़िफ़ीन : 3334; वहुव ह़सन, अल यौम वल् लैला लिन् नसाई : 418; इब्ने माजा : 4244; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे ह़सन क़रार दिया है। (सह़ीह़ अत् तर्ग़ीब : 3141) इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) ने इस ह़दीस को ह़सन कहा है। तो मालूम हुआ कि गुनाहों की ज़्यादती दिलों पर ग़िलाफ़ (पर्दा) डाल देती है और उसके बाद मुहरे इलाही हो जाती है जिसे ख़तम और तबअ़ कहा जाता है। अब इस दिल में ईमान के जाने और कुफ़्र के निकलने की कोई राह बाक़ी नहीं रहती।

इसी मुहर का ज़िक्र इस आयत (ख़तमल्लाहु) अल्ख़ में है यह नज़ीर है। हमारी आँखों देखी चीज़ों की कि जब किसी चीज़ का मुँह बन्द करके उस पर मुहर लगा दें तो जब तक वह मुहर न टूटेगी न उसमें कोई चीज़ दाख़िल हो सकती है न उसमें से कोई चीज़ निकल सकती है। इसी तरह जिन कुफ़्फ़ार के दिलों और कानों पर मुहरे इलाही लग चुकी है उनमें भी बग़ैर उसके हटने या टूटने के न हिदायत जाए, न कुफ़्र बाहर निकले। (सम्इहिम) पर पूरा वक़्फ़ है ग़िशात का मअ़नी और ऐराब और (अ़ला अब्सारिहिम गिशावतुन) अलग पूरा जुम्ला है, ख़तम और तबअ़ दिलों और कानों पर होती है और गिशावत यानी पर्दा आँखों पर पड़ता है जैसे कि ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास, ह़ज़रत इब्ने मसऊ़द और दूसरे सह़ाबा (رضي الله عنهم) से मरवी है। क़ुरआन में है (فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ) (42/शूरा : 24) दूसरी जगह है (وَ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً) (45/जासिया : 23) इन आयात में दिल और कान पर ख़तम (मुहर) का ज़िक्र है और आँख पर पर्दे का। कुछ ने यहाँ (ग़िशावतन) ज़बर के साथ भी पढ़ा है तो मुम्किन है कि उनके नज़दीक फ़ेअल (जअ़ल) मुक़द्दर हो और मुम्किन है कि नसब महल्ल की इत्तिबाअ़ से हो जैसे (व हूरुन ईन) (56/वाक़िआ : 22) में शुरू सूरत की चार आयात में मो'मिनीन के औसाफ़ बयान हुए फिर इन दो आयात में कुफ़्फ़ार का ह़ाल बयान हुआ। अब मुनाफ़िक़ों का ज़िक्र होता है जो बज़ाहिर ईमान वाले बनते हैं लेकिन ह़क़ीक़त में कुफ़्फ़ार हैं। चूँकि इन लोगों की चालाकियाँ उ़मूमन पोशीदा रह जाया करती है इसलिए उनका बयान ज़रा तफ़्सील से हुआ और बहुत कुछ उनकी निशानियाँ बयान की गईं। इन ही के बारे में सूरह बराअत उतरी और उन ही का ज़िक्र सूरह नूर वग़ैरह में किया गया ताकि उनसे पूरा बचाव हो और इन मज़्मूम ख़स्लतों से मुसलमान दूर रहें, पस फ़र्माया।

وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ يَّقُوۡلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَمَا هُمۡ بِمُؤۡمِنِيۡنَ ۘ‏ ﴿۸﴾
يُخٰدِعُوۡنَ اللّٰهَ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ۚ وَمَا يَخۡدَعُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُوۡنَ ؕ‏ ﴿۹﴾

तर्जुमा : ''कुछ लोग कहते तो हैं हम अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं लेकिन दरहक़ीक़त वह ईमान वाले नहीं होते। (8) वह अल्लाह तआला को और ईमान वालो को धोखा देना चाहते हैं लेकिन दरअसल ख़ुद अपने आपके लिए धोखा दे रहे हैं मगर समझते नहीं।'' (9)

मुनाफ़िक़त की इब्तिदा और उसकी अक़्साम (आयत 8, 9) : दरअसल निफ़ाक़ कहते हैं भलाई के ज़ाहिर करने और बुराई के पोशीदा रखने को। निफ़ाक़ की दो क़िस्में हैं एतिक़ादी और अमली। पहली क़िस्म के मुनाफ़िक़ तो अब्दी जहन्नमी हैं और दूसरी क़िस्म के बदतर मुज्रिम हैं। इसका बयान तफ़सील के साथ इंशाअल्लाह किसी मुनासिब जगह होगा। इब्ने जुरैज (रह.) फ़र्माते हैं मुनाफ़िक़ का क़ौल इसके फ़ेअल के ख़िलाफ़ इसका बातिन, ज़ाहिर के ख़िलाफ़। इसका आना-जाने के ख़िलाफ़ उसकी मौजूदगी अदमे मौजूदगी के ख़िलाफ़ हुआ करती है। निफ़ाक़ मक्का में तो था ही नहीं बल्कि उसका ख़िलाफ़ था। कुछ लोग ऐसे थे जो ज़बरदस्ती से बज़ाहिर काफ़िरों का साथ देते थे मगर दिल में मुसलमान होते थे। जब आँहज़रत (ﷺ) हिज्रत करके मक्का छोड़कर मदीना में तशरीफ़ लाए और यहाँ औस और ख़ज़रज के क़बाइल ने अंसार बनकर आप (ﷺ) का साथ दिया और जाहिलियत के ज़माने की मुश्रिकाना बुतपरस्ती छोड़कर के दोनों क़बीलों में से ख़ुशनसीब मुशर्रफ़-ब-इस्लाम हो गए, लेकिन यहूदी अब तक अल्लाह तआला की इस नेअमत से महरूम थे। उनमें से सिर्फ़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (رضی اللہ عنہ) ने इस सच्चे दीन को क़बूल किया था। तब तक भी मुनाफ़िक़ों का ख़बीस गिरोह क़ायम न हुआ था और हुज़ूर (ﷺ) ने उन यहूदियों से और अरब के बाद कुछ और क़बाइल से सुलह कर ली थी।

ग़र्ज़ इस जमाअत के क़याम की इब्तिदा यूँ हुई कि मदीना के यहूदियों के तीन क़बीले थे, बनू क़ेनुक़ाअ, बनू नज़ीर और बनू क़ुरैज़ा। बनू क़ैनुक़ाअ तो ख़ज़रज के हलीफ़ और भाईबन्द बने हुए थे और बाक़ी दो क़बीलों का भाईचारा ओस से था। जब जंगे-बद्र हो गई और उसमें परवरदिगार ने अपने दीन वालों को ग़ालिब किया और इस्लाम की शानो-शौकत ज़ाहिर हुई, मुसलमानों का सिक्का जम गया और कुफ़्र का ज़ोर टूट गया तो उस वक़्त यह नापाक गिरोह क़ायम हुआ। अब्दुल्लाह बिन उबय इब्ने सलूल था तो ख़ज़रज के क़बीले में से, लेकिन ओस और ख़ज़रज दोनों उसे अपना बड़ा मानते थे बल्कि उसकी बाक़ायदा सरदारी और बादशाहत के ऐलान का पुख़्ता इरादा हो चुका था कि इन दोनों क़बीलों का रुख़ इस्लाम की तरफ़ हो गया और उसकी सरदारी यूँ ही रह गयी। (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तफ़्सीर, तफ़्सीर सूरह आले-इमरान, बाब लतस्मउन्न

मिनल् लज़ीन.......: 4566; सहीह मुस्लिम : 1798) यह ख़ार तो उसके दिल में था ही, इधर इस्लाम की रोज़-रोज़ तरक़्क़ी, इधर लड़ाई में कामयाबी ने इसे मख़्बूतुल् हवास कर दिया। अब उसने देखा कि यूँ काम नहीं चलेगा। फ़ौरन बज़ाहिर(दिखावे में) इस्लाम क़बूल कर लेने और ब बातिन (दिल से) काफ़िर रहने की ठान ली और जिस क़द्र जमाअत उसके ज़ेरे-असर थी सबको यही हिदायत की और इस तरह मुनाफ़िक़ीन की एक जमीअत मदीना में और मदीना के आसपास क़ायम हो गई। उन मुनाफ़िक़ीन में बिहम्दिल्लाह मक्की मुहाजिर एक भी न था बल्कि यह बुज़ुर्ग तो अपने अहलो-अयाल, मालो-मताअ को अल्लाह के नाम पर क़ुर्बान करके अल्लाह के रसूल (ﷺ) का साथ देकर आए थे, फ़रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, यह मुनाफ़िक़ ओस और ख़ज़रज के क़बीलों में से थे और यहूदी भी जो इनके तरीक़े पर थे। क़बीला ओस और ख़ज़रज के मुनाफ़िक़ीन का इन आयात में बयान है। अबुल आलिया, हसन, क़तादा और सुद्दी (रह.) ने भी यही बयान किया है।

परवरदिगारे आलम ने मुनाफ़िक़ों की बहुत सी बद-ख़स्लतों का यहाँ ज़िक्र फ़र्माया ताकि उनके ज़ाहिर हाल से मुसलमान धोखा न खा जाएँ और उन्हें मुसलमान ख़्याल करके अपना न समझ बैठें जिसकी वजह से कोई बड़ा फ़साद फैल जाए। यह याद रहे कि बदकारों को नेक समझना भी बजाए ख़ुद बहुत बुरा और निहायत ख़ौफ़नाक अम्र है जिस तरह इस आयत में फ़र्माया है कि, ''यह लोग ज़ुबानी इक़रार तो ज़रूर करते हैं मगर दिल में इनके ईमान नहीं।'' इसी तरह सूरह मुनाफ़िक़ून में भी कहा गया है कि (إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ) (63/मुनाफ़िक़ून : 1) यानी ''मुनाफ़िक़ तेरे पास आकर कहते हैं कि हमारी गवाही है कि आप (ﷺ) रसूलुल्लाह हैं। और अल्लाह जानता है कि तू उसका रसूल है'' लेकिन चूँकि हक़ीक़त में मुनाफ़िक़ों का क़ौल उनके अक़ीदे के मुताबिक़ न था इसलिए बावजूद इन लोगों के शानदार और ताकीदी अल्फ़ाज़ के अल्लाह तआला ने इन्हें झुठला दिया और फ़र्माया (وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ) (63/मुनाफ़िक़ून : 1) यानी ''अल्लाह तआला गवाही देता है कि बिलयक़ीन मुनाफ़िक़ झूठे हैं।''

और यहाँ भी फ़र्माया (وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ) यानी ''दरअसल वह ईमानवाले नहीं।'' वह अपने ईमान को ज़ाहिर करके और अपने कुफ़्र को छुपाकर अपनी जिहालत से अल्लाह तआला को धोखा देते हैं और उसे नफ़ा देने वाली और अल्लाह तआला को धोखा देने वाली, कारीगरी ख़्याल करते हैं। जैसे कि कुछ मो'मिनों पर उनका यह मकर चल जाता है। कुरआन में है (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ) (58/मुजादिला : 18) यानी ''क़यामत वाले दिन जबकि अल्लाह तआला उन सबको खड़ा करेगा तो जिस तरह वह यहाँ ईमानवालों के सामने क़समें खाते हैं अल्लाह तआला के सामने भी क़समें खायेंगे और समझते हैं कि वह भी कुछ हैं। ख़बरदार! यक़ीनन वह झूठे हैं।'' यहाँ भी उनके इस ग़लत अक़ीदे के मुक़ाबले में फ़र्माया कि दरअसल वह अपने इस काम की बुराई को जानते ही नहीं। यह धोखा ख़ुद अपनी जानों को दे रहे हैं जैसे कि और जगह इर्शाद हुआ (إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ) (4/निसाअ : 142) यानी ''मुनाफ़िक़

अल्लाह को धेखा देते हैं और वह उन्हें दे रहा है।'' कुछ क़ारियों ने (यख़्दऊन) पढ़ा है और कुछ ने (युख़ादिऊन) और दोनों क़िराआतों के मअनी का मत़लब एक हो जाता है। अगर कोई कहे कि अल्लाह तआला को और ईमान वालों को मुनाफ़िक़ धोखा कैसे देंगे? वह जो अपने दिल के ख़िलाफ़ ज़ाहिर करते हैं वह तो सिर्फ़ बचाव के लिए होता है तो जवाबन कहा जाएगा कि इस त़रह़ की बात करने वाले को भी जो किसी डर से बचना चाहता है अ़रबी ज़ुबान में मुख़ादिअ कहा जाता है चूँकि मुनाफ़िक़ भी क़त्ल, क़ैद और दुनियावी अ़ज़ाबों से महफ़ूज़ रहने के लिए यह चाल चलते थे और बातिन के ख़िलाफ़ ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ कहते थे इसलिए उन्हें धोखेबाज़ कहा गया।

इनका यह फ़ेअल गो किसी को दुनिया में कुछ धोखा भी दे। लेकिन दरह़क़ीक़त ख़ुद वह अपने आपको धोखा दे रहे हैं। इसलिए कि वह इसमें भलाई और कामयाबी समझते हैं और दरअसल यह सबब होगा उनके लिए अ़ज़ाब और ग़ज़बे इलाही का जिसके सहने की उनमें त़ाक़त नहीं। पस यह धोखा ह़क़ीक़तन उन पर ख़ुद वबाले-जान होगा। वह जिस काम को अंजाम का अच्छा समझते हैं वह उनके ह़क़ में बुरा और बहुत बुरा होगा। उनके कुफ़्र, शक और तक्ज़ीब की वजह से उनका रब उन पर नाराज़ होगा लेकिन अफ़सोस! उन्हें इसका शऊर नहीं और यह अपने अंधेपन में ही मस्त हैं। इब्ने जुरैज (रह़.) इसकी तफ़्सीर में फ़र्माते हैं कि (ला इलाह इल्लल्लाह) का इज़्हार करके वह अपनी जान माल का बचाव करना चाहते हैं यह कलिमा उनके दिलों में पेवस्त नहीं होता। क़तादा (रह़.) फ़र्माते हैं कि मुनाफ़िक़ों की यही ह़ालत है कि ज़ुबान पर कुछ, दिल में कुछ, अ़मल कुछ, अ़क़ीदा कुछ, सुबह़ कुछ, शाम कुछ। कश्ती की त़रह़ जो हवा के झोंके से कभी इधर जाती है, कभी उधर।

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ ۙ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾

तर्जुमा : ''उनके दिलों में बीमारी थी अल्लाह तआला ने उन्हें बीमारी में बढ़ा दिया और उनके झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब है।'' (10)

बीमारी से क्या मुराद है? (आयत 10) बीमारी से मुराद यहाँ शक व शुबा है। इब्ने अ़ब्बास, इब्ने मसऊ़द और चंद सह़ाबा (ﷺ) से यही मरवी है। ह़ज़रत मुजाहिद, इक्रिमा, ह़सन बसरी, अबुल आ़लिया, रबीअ़ बिन अनस, और क़तादा (रह़.) का भी यही क़ौल है। इक्रिमा और त़ाउस (रह़.) ने इसकी तफ़्सीर रिया से की है और इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से इसकी तफ़्सीर निफ़ाक़ भी मरवी है। ज़ैद बिन असलम (रह़.) फ़र्माते हैं यहाँ दीनी बीमारी मुराद है न कि जिस्मानी। उन्हें इस्लाम में शक की बीमारी थी और उनकी नापाकी में अल्लाह ने और इज़ाफ़ा कर दिया जैसे क़ुरआन में और जगह है

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ

(9/तौबा : 124, 125) यानी "ईमानवालों को ईमान में ज़्यादा करती है और वह ख़ुशियाँ मनाते हैं लेकिन बीमारी वालों की नापाकी और पलीदी को और ज़्यादा कर देती है।" यानी उनकी बदी और गुमराही बढ़ जाती है। यह बदला बिलकुल उनके अमल के मुशाबेह है। यह तफ़्सीर अच्छी है। ठीक इसी के मिस्ल यह फ़र्मान भी है (وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ) (47/मुहम्मद : 17) यानी "हिदायत वालों को हिदायत में बढ़ा देता है और उनको तक़्वा अता फ़र्माता है।" (यक्ज़िबून) को (युकज़्ज़िबून) भी क़ारियों ने पढ़ा है। यह दोनों बदख़स्लतें उनमें थीं झुठलाते भी थे और झूठे भी थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) कुछ मुनाफ़िक़ों को अच्छी तरह जानने के बावजूद फिर भी क़त्ल न करने की वजह वह है जो बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत उमर (رضي الله عنه) से फ़र्माया, "मैं इस बात को नापसंद करता हूँ कि लोगों में यह चर्चे हों कि मुहम्मद (ﷺ) अपने साथियों को क़त्ल कर डालते हैं।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब मा यन्हा मिन दा'वल जाहिलिय्य : 3518; सहीह मुस्लिम : 2584) मतलब यह है कि जो आराबी आसपास हैं उन्हें यह तो मालूम न होगा कि इन मुनाफ़िक़ों के पोशीदा कुफ़्र की बिना पर उन्हें क़त्ल किया गया उनकी नज़रें तो सिर्फ़ ज़ाहिरदारी पर होंगी। जब उनमें यह बात मशहूर हो जाएगी कि हुज़ूर (ﷺ) अपने साथियों को क़त्ल कर डालते हैं तो डर है कि कहीं वह इस्लाम के क़बूल करने से रुक न जाएँ। क़ुर्तुबी (रह.) फ़र्माते हैं हमारे उलमा वग़ैरह का भी यही क़ौल है। ठीक इसी तरह आँहज़रत (ﷺ) मुअल्लिफ़तुल् क़ुलूब को जिनके दिल इस्लाम की जानिब माइल हो जाते थे उनको माल अता फ़र्माया करते थे जबकि आप (ﷺ) जानते थे कि उनके एतिक़ाद बद हैं। इमाम मालिक (रह.) से बक़ौल इब्ने माजिशून एक वजह यह भी नक़्ल की गई है कि यह इसलिए था कि आप (ﷺ) की उम्मत को मालूम हो जाए कि हाकिम अपने इल्म पर फ़ैसला नहीं कर सकता। क़ुर्तुबी (रह.) फ़र्माते हैं, गो उलमा में तमाम मसाइल में इख़्तिलाफ़ हो लेकिन इस मसला में सबका इत्तिफ़ाक़ है कि क़ाज़ी सिर्फ़ अपनी ज़ाती मालूमात की बिना पर किसी को क़त्ल नहीं कर सकता। इमाम शाफ़ई (रह.) ने एक और वजह बयान की है, आप फ़र्माते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) का मुनाफ़िक़ीन को क़त्ल करने से बाज़ रहने का सबब उनका अपने ईमान को अपनी ज़ुबान से ज़ाहिर करना था गो इसका इल्म था कि उनके दिल इसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ज़ाहिरी कलिमा इस पहली बात को हटा देता था। इसकी ताईद में बुख़ारी, मुस्लिम वग़ैरह की यह हदीस भी पेश की जाती है जिसमें है कि, "मुझे हुक्म किया गया है कि मैं लोगों से लड़ूँ यहाँ तक कि वह "ला इला-ह-इल्लल्लाह" कहें। जब वह इसे कह दें तो उन्होंने मुझसे अपनी जानें और माल बचा लिये और उनका हिसाब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब (फ़इन ताबू......) : 25; सहीह मुस्लिम : ..... : 21) मतलब यह है कि इस कलिमा के कहते ही ज़ाहिरी अहकामे इस्लाम उन पर जारी हो जायेंगे। अब अगर उनका अक़ीदा भी इसके मुताबिक़ है तो आख़िरत वाले दिन नजात का सबब होगा वरना वहाँ कुछ भी नफ़ा न होगा। लेकिन दुनिया में तो मुसलमान के अहकाम उन पर जारी रहेंगे गोया लोग यहाँ मुसलमानों की सफ़ों में और उनकी फ़ेहरिस्त में नज़र आयें लेकिन आख़िरत में ऐन पुलसिरात पर उनसे दूर कर दिए जाएँगे और अंधेरों में हैरान व परेशान होते हुए बआवाज़े बुलंद मुसलमानों को पुकारकर कहेंगे

कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे? लेकिन वहाँ से जवाब मिलेगा कि थे तो सही मगर तुम फ़ित्नों में पड़ गए और इंतिज़ार ही में रह गए और अपनी मनमानी ख़्वाहिशों के फेर में पड़ गए यहाँ तक कि अम्रे इलाही आ पहुँचा।

ग़र्ज़ दारे-आख़िरत में भी मुसलमानों के पीछे लगे लिपटे रहेंगे लेकिन बिलआख़िर उनसे अलग कर दिए जाएँगे और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। वह चाहेंगे कि मुसलमानों के साथ सज्दे में गिर पड़ें लेकिन सज्दा नहीं कर सकेंगे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल् अज़ान, बाब फ़ज़्लुस्सुजूद : 806; किताबुत् तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (वुजूहुय्यं यौम इज़िन् नाज़िरा...) : 7439; सहीह मुस्लिम : 182, 183) जैसे कि अहादीस में मुफ़स्सल बयान आ चुका है। कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने कहा है कि उनके क़त्ल न किए जाने की यह वजह थी कि अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में उनकी शरारतें नहीं चल सकती थीं। अल्लाह तआला मुसलमानों को अपनी वही के ज़ रिए उनकी बुराईयों से महफ़ूज़ रख लेता था लेकिन हुज़ूर(ﷺ) के बाद अगर अल्लाह न करे ऐसे लोग हों कि उनका निफ़ाक़ खुल जाए और मुसलमान बख़ूबी मालूम कर लें तो क़त्ल कर दिए जाएँगे। इमाम मालिक (रह.) का फ़त्वा है कि निफ़ाक़ हुज़ूर (ﷺ) के ज़माने में था लेकिन आजकल तो वह बेदीनी और ज़िन्दीक़ियत है। यह भी याद रहे कि ज़िन्दीक़ के बारे में भी उलमा का इख़्तिलाफ़ है कि जब वह कुफ़्र ज़ाहिर करे तो उसके क़त्ल से पहले उस पर तौबा पेश की जाए या नहीं ? और वह ज़िन्दीक़ जो लोगों को भी इसकी तअलीम देता हो और वह ज़िन्दीक़ जो मुअल्लिम न हो, इन दोनों में फ़र्क़ किया जाएगा या नहीं? और यह इर्तिदाद कई-कई मर्तबा हुआ हो तब यह हुक्म है या सिर्फ़ एक मर्तबा होने पर भी? फिर इसमे भी इख़्तिलाफ़ है कि यह इस्लाम लाना और यह रुजूअ करना ख़ुद उसकी अपनी तरफ़ से हो या उस पर ग़ल्बा पा लेने के बाद भी यही हुक्म है? ग़र्ज़ इन सब बातों में इख़्तिलाफ़ है लेकिन इसके बयान की जगह अहकाम की किताबें हैं न कि तफ़ासीर।

चौदह आदमियों के निफ़ाक़ का तो आप (ﷺ) को क़तई इल्म था। (सहीह मुस्लिम, किताब सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन व अहकामुहुम, बाब सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन : 2779) यह वह बद बातिन लोग थे जिन्होंने ग़ज़्वा तबूक में मश्वरा करके यह अम्र (साज़िश) तै कर लिया था कि हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) के साथ दग़ाबाज़ी करें। आप (ﷺ) के क़त्ल की पूरी साज़िश कर चुके थे कि रात के अंधेरे में जब हुज़ूर अकरम (ﷺ) फ़लाँ घाटी के क़रीब पहुँचें तो आप (ﷺ) की ऊँटनी को बिदका दें, वह भड़क कर भागेगी और हुज़ूर (ﷺ) घाटी में गिर पड़ेंगे। अल्लाह तआला ने नबी (ﷺ) की तरफ़ उसी वक़्त वही भेजकर उनकी उस नापाक साज़िश को बेनक़ाब कर दिया। हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) को बुलाकर इस वाक़िया की ख़बर दी और उन ग़द्दारों के नाम भी बता दिए फिर भी आप (ﷺ) ने उनके क़त्ल के अहकाम सादिर न फ़र्माए। (सहीह मुस्लिम, किताब सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन व अहकामहुम, बाब सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन : 2779) इनके सिवा और मुनाफ़िक़ों के नामों का आप (ﷺ) को इल्म न था। चुनाँचे कुरआन कहता है (وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ) (9/तौबा : 101) यानी "तुम्हारे आसपास के कुछ आराबी मुनाफ़िक़ हैं और कुछ सरकश मुनाफ़िक़ मदीना में भी हैं तुम उन्हें नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं।" और जगह फ़र्माया (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ) (33/अहज़ाब : 60) यानी " अगर यह मुनाफ़िक़ गंदे दिल वाले और फ़साद व तकब्बुर वाले अपनी शरारतों से बाज़ न आए तो हम भी इन्हें न

छोड़ेंगे और मदीना में बहुत कम बाक़ी रह सकेंगे बल्कि इन पर लअनत की जाएगी जहाँ पाए जाएँगे पकड़े जाएँगे और टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएँगे।''

इन आयात से मालूम हुआ कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को उन मुनाफ़िक़ों का इल्म न था कि कौन कौन हैं? हाँ! उनकी मज़्मूम (बुरी) ख़स्लतें जो बयान हुई थीं, यह जिसमें पायी जाती थीं उस पर निफ़ाक़ सादिक़ आता था। जैसे और जगह इर्शाद फ़र्माया (وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ) (47/मुहम्मद : 30) यानी ''अगर हम चाहें तो हम तुम्हें उनको दिखा दें लेकिन तुम उनकी निशानियों और उनके अंदाज़े गुफ़्तगू से ही उनको पहचान लोगे।'' उन मुनाफ़िक़ों में सबसे ज़्यादा मशहूर अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल था। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) ने उसकी मुनाफ़िक़ाना ख़स्लतों पर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के सामने गवाही भी दी थी। (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तफ़्सीर सूरतुल मुनाफ़िक़ीन : 4900; सहीह मुस्लिम : 2772) बावजूद इसके जब यह मरता है तो हुज़ूर (ﷺ) इसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ाते हैं और इसके दफ़्न में उसी तरह शिर्कत करते हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल् जनाइज़, बाब अल् कफ़नुल क़मीस...... : 1269; सहीह मुस्लिम : 2773, 2774) जिस तरह और मुसलमान सहाबियों के जनाज़ा में शिर्कत करते थे। बल्कि हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने जब हुज़ूर (ﷺ) को ज़रा ज़ोर से याद दिलाया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मैं नहीं चाहता कि लोग चे मी गोइयाँ (कानाफूसी) करें कि मुहम्मद (ﷺ) अपने सहाबियों को मार डाला करते हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब मा यन्हा मिन दा'वल जाहिलिय्य : 3518; सहीह मुस्लिम : 2584) एक सहीह रिवायत में है कि, ''मुझे इख़्तियार दिया गया इस्तिग़्फ़ार करने न करने का तो मैंने करने को पसंद फ़र्माया।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब मा यक्रहू मिनस् सलाति अलल् मुनाफ़िक़ीन : 1366) एक और रिवायत में है कि, ''अगर सत्तर मर्तबा से ज़्यादा इस्तिग़्फ़ार करने में भी उसकी बख़्शिश जानता तो यक़ीनन उससे ज़्यादा इस्तिग़्फ़ार करता।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब मा यक्रहू मिनस् सलाति अलल् मुनाफ़िक़ीन : 1366)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ⑪ اَلَآ اِنَّهُمْ
هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ⑫

तर्जुमा : ''और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद न करो तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ़ इस्लाह करने वाले हैं (11) ख़बरदार! यक़ीनन यही लोग फ़साद करने वाले हैं लेकिन शऊर समझ नहीं (रखते)।''(12)

फ़साद के बानी मुनाफ़िक़ीन (आयत 11-12) : हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه), हज़रत इब्ने मसऊद (رضي الله عنه), और नबी (ﷺ) के कुछ सहाबा (رضي الله عنهم) से मरवी है कि यह बयान भी मुनाफ़िक़ों का ही है। उनका फ़साद कुफ़्र और मअ़सियते इलाही थी। (तब्री : 1/288) मतलब यह है कि ज़मीन में अल्लाह की नाफ़र्मानी करना या नाफ़र्मानी करने का हुक्म देना ज़मीन में फ़साद करना है और ज़मीन व आसमान की इस्लाह इताअ़ते इलाही में है। (इब्ने

अबी हातिम : 1/50) मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि इन्हें जब अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी से रोका जाता है तो कहते हैं कि हम तो हिदायत और इस्लाह पर हैं।

हज़रत सलमान फ़ारसी (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं इस ख़स्लत के लोग अब तक नहीं आए। मतलब यह है कि हुज़ूर (ﷺ) के ज़माने में यह बदख़स्लत लोग थे तो सही लेकिन अब जो आयेंगे वह इनसे भी बदतर होंगे यह न समझना चाहिए कि वह यह कहते हैं कि इस वस्फ़ (सिफ़त) का कोई हुज़ूर (ﷺ) के ज़माने में था ही नहीं। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि इन मुनाफ़िक़ों का फ़साद बरपा करना यह था कि अल्लाह तआला की नाफ़र्मानियाँ करते थे। जिस काम से अल्लाह तआला मना फ़र्माया करते थे उसे करते थे फ़राइज़े इलाही ज़ाया करते थे, अल्लाह तआला के सच्चे दीन में शक व शुबा करते, उसकी हक़ीक़त और सदाक़त पर यक़ीने कामिल नहीं रखते थे, मो'मिनों के पास आकर अपनी ईमानदारी की डींगे मारा करते थे हालाँकि दिल में तरह-तरह के वसाविस होते थे। मौक़ा पाकर अल्लाह तआला के दुश्मनों की इमदाद व इआनत करते थे और अल्लाह तआला के नेक बन्दों के मुक़ाबले में उनकी पासदारी करते थे और बावजूद इस मक्कारी और मुफ़्सिदाना चाल के अपने आपको मुस्लेह और सुलह जू (अच्छे और अच्छाई की तब्लीग़ करने वाले) क़रार देते थे। (तब्री : 1/289)

क़ुरआने-करीम ने कुफ़्फ़ार से मवालात और दोस्ती रखने से भी ज़मीन में फ़साद बरपा करने से तअबीर किया है। इर्शाद होता है (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) (8/अन्फ़ाल : 73) यानी "कुफ़्फ़ार आपस में एक-दूसरे के दोस्त हैं अगर तुमने ऐसा किया, यानी इन कुफ़्फ़ार से दोस्ती की तो ज़मीन में भारी फ़ित्ना और बड़ा फ़साद फैल जाएगा।" इस आयत ने मुसलमान और कुफ़्फ़ार के दोस्ताना तअल्लुक़ात मुन्क़तअ कर दिए। और जगह फ़र्माया, "ऐ ईमानवालो! मो'मिनों को छोड़कर काफ़िरों को दोस्त न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तआला की तुम पर वाज़ेह हुज्जत हो जाए" यानी तुम्हारी दलीले नजात कट जाए। फिर फ़र्माया, "मुनाफ़िक़ लोग तो जहन्नम के निचले तब्क़े में होंगे और हर्गिज़ तुम उनके लिए कोई मददगार न पाओगे।"

चूँकि मुनाफ़िक़ों का ज़ाहिर अच्छा होता है इसलिए मुसलमानों पर हक़ीक़त पोशीदा रह जाती है। वह ईमानदारों को अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से धोखा दे देते हैं और उनके बे हक़ीक़त कलिमात से और उनकी और कुफ़्फ़ार की पोशीदा दोस्तियों से मुसलमानों को ख़तरनाक मसाइब झेलने पड़ते हैं। पस यह मुनाफ़िक़ीन फ़साद के बानी हुए। अगर यह अपने कुफ़्र पर ही रहते, तो इनकी ख़ौफ़नाक साज़िशों और गहरी चालों का मुसलमानों को इतना नुक़्सान हर्गिज़ न पहुँचता और अगर मुकम्मल तौर पर मुसलमान हो जाते और ज़ाहिर बातिन यक्साँ कर लेते, तब तो दुनिया के अमन व अमान के साथ आख़िरत की नजात व फ़लाह भी लेते। बावजूद इस ख़तरनाक पॉलिसी के जब उन्हें यक्सूई की नसीहत की जाती तो झट बोलते कि हम तो सुलह करने वाले हैं, हम किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते हम फ़रीक़ैन के साथ इत्तिफ़ाक़ रखते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि वह कहते थे कि हम इन दोनों जमाअतों यानी मो'मिनों और अहले किताब के दरम्यान सुलह करने वाले हैं। (इब्ने अबी हातिम : 1/52) लेकिन अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि यह सरासर इनकी जिहालत है जिसे यह सुलह जानते हैं वह ऐन फ़साद है लेकिन इन्हें शऊर नहीं।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

तर्जुमा : ''और जब इनसे कहा जाता है कि इन लोगों (यानी सहाबा) की तरह तुम भी ईमान लाओ तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएँ जैसा बेवक़ूफ़ लाते हैं। ख़बरदार हो जाओ! यक़ीनन यही बेवक़ूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं।'' (आयत 13)

हक़ीक़ी बेवक़ूफ़ कौन? (आयत 13) : मतलब यह है कि जब इन मुनाफ़िक़ों को सहाबा (رضی اللہ عنہم) की तरह अल्लाह तआला पर, उसके फ़रिश्तों पर, किताबों और रसूलों पर ईमान लाने को मौत के बाद जी उठने और जन्नत और जहन्नम की हक़्क़ानियत के तस्लीम करने को, अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की ताबेदारी करके नेक आ'माल बजा लाने और बुराईयों से बाज़ रहने को कहा जाता है तो यह मल्ऊन फ़िर्क़ा ऐसे ईमान को बेवक़ूफ़ का ईमान बताता है। इब्ने मसऊद और कुछ दीगर सहाबा (رضی اللہ عنہم) और रबीअ बिन अनस, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद (رحمہم اللہ) वग़ैरह ने यही तफ़्सीर बयान की है। (तब्री : 1/293, 294) सुफ़हाउ सफ़ीह की जमा है जैसे हुकमा, हकीम की और हुलमा हलीम की, जाहिल कम-अक़्ल और नफ़ा-नुक़सान के पूरी तरह न जानने वाले को सफ़ीह कहते हैं। क़ुरआने करीम में और जगह है (वला तु'तुस् सुफ़हाउ) (4/निसाअ : 5) ''बेवक़ूफ़ों को अपने वह माल न दे बैठो जो तुम्हारे क़याम का सबब हैं।'' आम मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि इस आयत में सुफ़हाउ से मुराद औरतें और बच्चे हैं, उन मुनाफ़िक़ों के जवाब में यहाँ भी ख़ुद परवरदिगारे आलम ने जवाब दिया और ताकीदन हस्र के साथ फ़र्माया, बेवक़ूफ़ तो यही हैं लेकिन साथ ही जाहिल भी ऐसे हैं कि अपनी बेवक़ूफ़ी को जान भी नहीं सकते। न अपनी जिहालत व ज़लालत (गुमराही) को समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा इनकी बुराई और कमाल अंधापन और हिदायत से दूरी और क्या होगी?

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

तर्जुमा : ''और जब ईमानवालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमानवाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं हम तो उनसे सिर्फ़ मज़ाक़ करते हैं। (14) अल्लाह तआला भी इनसे मज़ाक़ करता है और इन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है।'' (15)

मुनाफ़िक़ाना रवय्या (आयत 14-15) : मतलब यह है कि यह बदबातिन मुसलमानों के पास आकर अपना ईमान और दोस्ती और ख़ैरख़्वाही ज़ाहिर करके उन्हें धोखे में डालना चाहते हैं ताकि माल व जान का बचाव भी हो जाए और भलाई और ग़नीमत के माल में हिस्सा भी क़ायम हो जाए, और जब अपनी जमाअत (शैतान की जमाअत) में होते हैं तो उनकी सी कहने लगते हैं। ख़लौ के मअ़नी यहाँ हैं इन्सरफ़ू और ज़हबू और ख़लसू और मज़ौ के यानी लौटते हैं और पहुँचते हैं और तन्हाई में होते हैं और जाते हैं। पस ख़लौ जो कि इला के साथ मुतअद्दी है यह मअ़नी में लौट जाने के है। फ़ेअ़ल मुज़्मर और मल्फ़ूज़ दोनों पर यह दलालत करता है। कुछ कहते हैं इला मअ़नी में मअ़ के मुतरादिफ़ है। मगर पहला मअ़नी ही ठीक है। इब्ने जरीर (रह़.) के कलाम का ख़ुलासा भी यही है। शयातीन से मुराद रउसा बड़े और सरदार हैं जैसे उलमा-ए-यहूद और सरदाराने कुफ़्फ़ारे कुरैश व मुनाफ़िक़ीन।

इब्ने अब्बास (رضي الله عنه), इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) और दीगर सहाबा (رضي الله عنه) का क़ौल ह कि यह शयातीन उनके अमीर, उमरा और सरदाराने कुफ़्र थे और उनके हम-अक़ीदा लोग भी। यह शयातीन यहूद भी थे पैग़म्बरी के झुठलाने और कुरआन की तक्ज़ीब करने का मश्विरा दिया करते थे। मुजाहिद (रह़.) कहते हैं शयातीन से मुराद इनके वह साथी हैं जो या तो मुश्रिक थे या मुनाफ़िक़। क़तादा (रह़.) फ़र्माते हैं मुराद इससे वह लोग हैं जो बुराईयों में और शिर्क में इनके सरदार थे। अबुल आलिया, रबीअ़ बिन अनस (रह़.) भी यही तफ़्सीर करते हैं। इब्ने जरीर (रह़.) फ़र्माते हैं कि हर बहकाने और सरकशी करने वाले को शैतान कहते हैं वह जिन्नों में से हों या इंसानों में से। क़ुरआन में भी (शयातीनल् इन्स वल् जिन्न) (6/अन्आम : 112) आया है।

क्या इंसान के शैतान भी हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''हाँ!'' (अह़मद : 5/178; नसाई, किताबुल इस्तिआज़ा, बाब अल् इस्तिआज़तु मिन शर्रि शयातीनिल इन्स : 5509; व सनदुहू ज़ईफ़; अबू अम्र मश्क़ी और उबेद बिन ख़श्ख़ाश ज़ईफ़ व मजरूह रावी हैं। शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसकी सनद को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ नसाई : 424)) जब यह मुनाफ़िक़ मुसलमानों से मिलते तो कहते, हम तुम्हारे साथ हैं यानी जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं, और अपनों से कहते हम तो उनके साथ हंसी खेल करते हैं।'' इब्ने अब्बास (رضي الله عنه), रबीअ़ बिन अनस और क़तादा (रह़.) की यही तफ्सीर है। अलह तआला इनको जवाब देते हुए इनके इस मकर व फ़ेअ़ल के मुक़ाबला में फ़र्माता है कि ''अल्लाह तआला भी इनसे ठट्ठा करेगा और इन्हें इनकी सरकशी में बहकने देगा।'' जैसे और जगह है कि ''क़यामत के दिन मुनाफ़िक़ मर्द व औरत ईमान वालों से कहेंगे, ज़रा ठहर जाओ हम भी तुम्हारे नूर से फ़ायदा उठाएँ। कहा जाएगा! अपने पीछे लौट जाओ और नूर की तलाश करो। उनके लौटते ही दरम्यान में एक ऊँची दीवार हाइल कर दी जाएगी। जिसमें दरवाज़ा होगा। उस तरफ़ तो रह़मत होगी और दूसरी तरफ़ अज़ाब होगा।'' और जगह फ़र्माने इलाही है ''काफ़िर हमारी ढील को अपने हक़ में बेहतर न जानें इस ताख़ीर में वह अपनी बद-किरदारियों में और बढ़ जाते है।'' पस क़ुरआन में जहाँ इस्तिहज़ा यानी मज़ाक़, मकर, ख़दीअ़त यानी धोखा के अल्फ़ाज़ आए हैं वहाँ यही मुराद है।

एक जमाअ़त कहती है कि यह अल्फ़ाज़ सिर्फ़ डांट-डपट और तम्बीह के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। इनकी बद-किरदारियों और इनके कुफ़्र व शिर्क पर इन्हें मलामत की गई है। और मुफ़स्सिरीन कहते हैं यह

अल्फ़ाज़ सिर्फ़ जवाब में लाए गए हैं जैसे कोई भला आदमी किसी मक्कार के फ़रेब से बचकर उस पर ग़ालिब आकर रहता है, कहो! मैंने कैसा फ़रेब दिया हालाँकि उसकी तरफ़ से फ़रेब नहीं होता। इसी तरह यह फ़र्माने इलाही है (व मकरू व मकरल्लाहु) (3/आले इमरान : 54) और (अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम) वरना अल्लाह की ज़ात मकर और मज़ाक़ से पाक है। मतलब यह है कि इनका फ़ने-फ़रेब इन ही को बर्बाद करता है। इन अल्फ़ाज़ का यह भी मतलब बयान किया गया है कि अल्लाह इनकी हंसी, धोखा, मस्ख़रा और भूल का इनको बदला देगा तो बदले में भी वही अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए। मअ़नी दोनों लफ़्ज़ों के दोनों जगह जुदा जुदा हैं। देखिए क़ुरआन-करीम में है (وَ جَزٰٓؤُا سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُهَا) (42/शूरा : 40) यानी "**बुराई का बदला वैसी ही बुराई है।**"(فَمَنِ اعْتَدٰی عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَیْهِ) (2/बक़रह : 194) "**जो तुम पर ज़्यादती करे तुम भी उस पर ज़्यादती करो।**" तो ज़ाहिर है कि बुराई का बदला लेना हक़ीक़तन बुराई नहीं। ज़्यादती के मुक़ाबले में बदला लेना ज़्यादती नहीं लेकिन लफ़्ज़ दोनों जगह एक ही है हालाँकि पहली बुराई और ज़्यादती ज़ुल्म है और दूसरी बुराई और ज़्यादती अ़द्ल है लेकिन लफ़्ज़ दोनों जगह एक है। इसी तरह जहाँ-जहाँ कलामुल्लाह में ऐसी इबारतें हैं वहाँ यही मतलब है। एक और मतलब भी सुनिए! दुनिया में यह मुनाफ़िक़ अपनी इस पलीद पॉलिसी से मुसलमानों के साथ मज़ाक़ करते थे अल्लाह ने भी इनके साथ यही किया कि दुनिया में इन्हें अमनो-अमान मिल गया अब यह मस्त बन गए हालाँकि यह आरज़ी अमन है क़यामत वाले दिन इन्हें कोई अमन नहीं। यहाँ गो इनके माल और इनकी जानें बच गईं लेकिन अल्लाह के यहाँ यह दर्दनाक अ़ज़ाबों का शिकार बनेंगे। इब्ने जरीर (रह.) ने इसी क़ौल को तर्जीह दी है और इसके बहुत कुछ ताईद की है। इसलिए कि मकर धोखा और मज़ाक़ जो बिला वजह हो उससे तो अल्लाह की ज़ात पाक है, हाँ! इंतिक़ाम, मुक़ाबले और बदले के तौर पर यह अल्फ़ाज़ अल्लाह की निस्बत कहने में कोई हर्ज नहीं। इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) भी यही फ़र्माते हैं कि यह इनसे बदला है और इनकी सज़ा है। (यमुद्दुहुम) का मतलब ढील देना और बढ़ाना बयान किया गया है। (اَیَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ) अल्ख़ (23/मो'मिनून : 55) यानी "क्या यह यूँ समझ बैठे हैं कि इनके माल, औलाद का ज़्यादा होना इनके लिए कोई भली चीज़ है? नहीं नहीं! इन्हें सहीह शऊर ही नहीं है।" और फ़र्माया (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَیْثُ لَا) (68/अल् क़लम : 44) "इस तरह हम इन्हें आहिस्ता-आहिस्ता पकड़ेंगे कि इन्हें पता न चले।" तो मतलब यह हुआ कि इधर यह गुनाह करते हैं उधर दुनियावी नेअमतें ज़्यादा होती है यह ख़ुश हो जाते हैं हालाँकि दरअसल वह अ़ज़ाबे-इलाही ही है। क़ुरआन करीम ने और जगह फ़र्माया

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَیْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَیْءٍ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿۴۴﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۴۵﴾ (6/अन्आम : 44, 45)

यानी "जब इन लोगों ने नसीहत भुला दी तो हमने इन पर तमाम चीज़ों के दरवाज़े खोल दिए यहाँ तक कि वह अपनी चीज़ों पर इतराने लगे तो हमने इन्हें अचानक पकड़ लिया। अब घबरा गए ज़ालिमों की बर्बादी हुई और कह दिया गया कि तअ़रीफ़ें रब्बुल आ़लमीन के लिए ही हैं।" इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि इन्हें ढील देने और इन्हें अपनी सरकशी और बग़ावत में बढ़ने के लिए इनको ज़्यादती दी जाती है। जैसे और जगह फ़र्माया (وَ

(نُقَلِّبُ اَفۡـِٕدَتَهُمۡ) (6/अन्आम : 110) "तुग़यान" कहते हैं किसी चीज़ में घुस जाने को जैसे फ़र्माया (तब्री : 1/307) (اِنَّا لَمَّا طَغَا الۡمَآءُ) (69/अल् हाक़्क़ा : 11) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं वह अपने कुफ़्र में गिरे जाते हैं।" अम्हुन कहते हैं गुमराही को। तो इस जुम्ला का मतलब यह हुआ कि ज़लालत व कुफ़्र में यह डूब गए और इस नापाकी ने इन्हें घेर लिया। अब यह इसी दलदल में उतरे जाते हैं और इसी नापाकी में फंसे जाते हैं और छुटकारे की तमाम राहें इन पर बंद हो गई हैं। भला ऐसे दलदल में जो हो और फिर अंधा, बहरा और बेवक़ूफ़ हो वह कैसे नजात पा सकता है। आँखों के अंधे के लिए अरबी में अम्युन का लफ़्ज़ आता है और दिल के अंधे के लिए अम्मा का लेकिन कभी दिल के अंधे के लिए अम्युन का लफ़्ज़ आता है जैसे कुरआन में है (وَلٰكِنۡ تَعۡمَى الۡقُلُوۡبُ الَّتِىۡ فِى الصُّدُوۡرِ) (22/हज्ज : 46) "लेकिन दिल अंधे हैं जो सीनों में हैं।"

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

तर्जुमा : "यह वह लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में मोल ले लिया। पस न तो इनकी तिजारत ने इनको फ़ायदा पहुँचाया और न यह हिदायत वाले हुए।" (16)

हिदायत के बदले में गुमराही (आयत 16) : इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद, और कुछ सहाबा (رضي الله عنهم) से मरवी है कि इन्होंने हिदायत छोड़ दी और गुमराही ले ली। हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं इन्होंने ईमान के बदले कुफ़्र क़बूल किया। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं ईमान लाए फिर काफ़िर हो गए। क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं हिदायत पर गुमराही को यह पसंद करते हैं जैसे समूद के बारे में इर्शाद है (وَاَمَّا ثَمُوۡدُ فَهَدَيۡنٰهُمۡ فَاسۡتَحَبُّوا الۡعَمٰى عَلَى الۡهُدٰى) (41/हामीम अस् सज्दा : 17) यानी "बावजूद यह कि हमने समूदियों को राह दिखा दी मगर फिर भी उन्होंने इस रहनुमाई पर अंधेपन को पसंद किया।" मतलब यह हुआ कि मुनाफ़िक़ीन हिदायत से हटकर गुमराही पर आ गए और हिदायत के बदले गुराही ले ली गोया हिदायत को बेचकर गुमराही ली। अब ईमान लाकर फिर काफ़िर हुए हों ख़्वाह सिरे से ईमान ही नसीब न हुआ हो और इन मुनाफ़िक़ीन में दोनों क़िस्म के लोग थे। चुनाँचे कुरआन-करीम में है (ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ اٰمَنُوۡا ثُمَّ كَفَرُوۡا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ) (63/मुनाफ़िकून : 3) "यह इसलिए है कि यह लोग ईमान लाकर फिर काफ़िर हो गए। पस इनके दिलों पर मुहर लगा दी गई।" और ऐसे भी मुनाफ़िक़ थे जिन्हें ईमान नसीब ही न हुआ पस न तो इन्हें इस सौदे में फ़ायदा हुआ न राह मिली बल्कि हिदायत के चमनिस्तान (बागीचे) से निकलकर गुमराही के ख़ारज़ार में और जमाअत के मज़बूत क़िले से निकलकर फ़ुर्क़त के तंग जेलख़ाने में और अमन के वसीअ (बड़े) मैदान से निकलकर ख़ौफ़ की अंधेर कोठरी में और सुन्नत के पाकीज़ा गुलशन से निकलकर बिदअत के सुनसान जंगल मे आ गए। (तब्री : 1/316)

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿۱۷﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۱۸﴾

तर्जुमा : ''इनकी मिसाल उस शख़्स की सी है जिसने आग जलाई। पस आसपास की चीज़ें रोशनी में आई ही थीं जो अल्लाह ने इनके नूर को ले लिया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो नहीं देखते (17) बहरे, गूँगे, अंधे हैं, पस वह नहीं लौटते।'' (18)

मुनाफ़िक़ीन की मिसाल (आयत 17-18) : मिसाल को अ़रबी में मसील भी कहते हैं। इसकी जमा अम्साल आती है जैसे क़ुरआन में है (وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ) (59/ह़श्र : 21) यानी ''यह मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं जिन्हें सिर्फ़ आ़लिम ही समझते हैं।'' आयत का मत़लब यह है कि मुनाफ़िक़ जो गुमराही को हिदायत के बदले और अंधेपन को बीनाई के बदले मोल लेते हैं उनकी मिसाल उस शख़्स जैसी है जो अंधेरे मे आग जलाए, उससे दाएँ-बायें की चीज़ें उसे नज़र आने लगीं, उसकी परेशानी दूर हो और फ़ायदे की उम्मीद बंधे कि अचानक आग बुझ जाए और एक पल अंधेरा छा जाए, न तो निगाह काम करे न रास्ता मालूम हो सके और बावजूद उसके वह शख़्स ख़ुद बहरा हो, किसी की बात को न सुन सकता हो, गूँगा हो किसी से पूछ न सकता हो, अंधा हो जो रोशनी से काम न चला सकता हो। अब भला यह कैसे राह पा सकेगा ''ठीक इसी त़रह़ यह मुनाफ़िक़ भी हैं कि हिदायत को छोड़कर यह राह गुमकर बैठे और भलाई को छोड़कर बुराई को चाहने लगे। इस मिसाल से पता चलता है कि इन लोगों ने ईमान क़ुबूल करके कुफ़्र किया था जैसे क़ुरआन-करीम में कई जगह बसराहत मौजूद है, वल्लाहु आ़लम! इमाम राज़ी (रह़.) ने अपनी तफ़्सीर में सुदी (रह़.) से यही नक़्ल किया है, फिर कहा है कि यह तश्बीह बहुत ही दुरुस्त और स़ह़ीह़ है इसलिए कि पहले तो इन मुनाफ़िक़ों को नूरे ईमान ह़ासिल हुआ फिर इनके निफ़ाक़ की वजह से बुझ गया और यह ह़ैरत मे पड़ गए और दीन की ह़ैरत से बड़ी ह़ैरत और क्या होगी?

इब्ने जरीर (रह़.) फ़र्माते हैं कि जिनकी यह मिसाल बयान की गई है उन्हें किसी वक़्त भी ईमान नस़ीब ही न हुआ था क्योंकि पहले फ़र्माने बारी तआ़ला गुज़र चुका है (وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ) (2/बक़रह : 8) यानी ''गोया ज़ुबान से अल्लाह तआ़ला पर और क़यामत पर ईमान लाने का इक़रार करते हैं मगर ह़क़ीक़तन यह ईमानवाले नहीं।'' लेकिन ठीक बात यह है कि इस आयते मुबारका में इनके कुफ़्र व निफ़ाक़ के वक़्त की ख़बर दी गई है, इससे इसका इंकार नहीं होता कि इस ह़ालते कुफ़्र व निफ़ाक़ से पहले कभी इन्हें ईमान ह़ासिल ही नहीं हुआ। मुम्किन है ईमान लाए हों फिर उससे हट गए और अब दिलों पर मुहरें लग गई हों। देखिए और जगह क़ुरआन-करीम में है (ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا) (63/मुनाफ़िक़ून : 3) यानी ''यह इसलिए है कि इन्होंने अपने ईमान के बाद कुफ़्र किया फिर इनके दिलों पर मुहर लग गई अब वह कुछ नहीं समझते।'' यही वजह है कि

इस मिसाल में रोशनी और अंधेरे का ज़िक्र है। यानी कलिम-ए-ईमान के ज़ाहिर करने की वजह से दुनिया में कुछ नूर हो गया लेकिन कुफ़्र के छुपाने की वजह से फिर आख़िरत के अंधेरों ने घेर लिया।

एक जमाअ़त की मिसाल एक शख़्स से अकसर आया करती है। कुरआने-करीम में है (رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ تَدُوْرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) (33/अहज़ाब : 19) "तू देखेगा कि वह तेरी तरफ़ आँखें फेर-फेरकर इस तरह देखते हैं जिस तरह वह शख़्स जो सकराते मौत में हो।" और इस आयत को भी देखिए (مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ) (31/लुक़्मान : 28) "तुम सबको पैदा करना और मार डालने के बाद फिर ज़िन्दा कर देना ऐसा ही है जैसे एक जान का दोबारा ज़िन्दा करना।" तीसरी जगह तौरात को सीखकर अमली अक़ीदा उसके मुताबिक़ न रखने वालों की मिसाल में कहा गया है (كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا) (62/जुम्आ : 5) "गधे की मानिन्द हैं जो किताबें लादे हुए है।" इन सब आयात में जमाअ़त की मिसाल एक से दी गई है। इसी तरह मज़्कूरा बाला आयात में मुनाफ़िक़ों की जमाअ़त की मिसाल एक शख़्स से दी गइ। कुछ कहते हैं तक़्दीर कलाम यूँ है (مثل قصتهم كمثل قصة الذين استو قدوا نارا) यानी इनके वाक़िया की मिसाल उन लोगों के वाक़िया की तरह है जो आग रोशन करें। कुछ कहते हैं कि आग जलाने वाला तो एक है लेकिन जलाता है एक जमाअ़त के लिए जो उसके साथ है। और लोग कहते हैं अल्लज़ी यहाँ मअ़नी में अल्लज़ी-न के है जैसे कि शायरों के शेअ़रों में भी आता है। मैं कहता हूँ ख़ुद मिसाल में भी वाहिद के सेग़ा के बाद ही जमा के सेग़े भी हैं, बिनूरिहिम और तरकहुम् और ला यर्जिऊ़न मुलाहिज़ा हों और इस तरह कलाम में आ'ला फ़साहत और बेहतरीन ख़ूबी आ गई है। अल्लाह तआ़ला उनकी रोशनी ले गया, इससे मतलब यह है कि जो नूर नफ़ा देने वाला था वह तो उनसे हटा लिया और जिस तरह आग के बुझ जाने के बाद तपिश और धुआँ और अंधेरा रह जाता है उसी तरह उनके पास नुक़्सान पहुँचाने वाली चीज़ यानी शक व कुफ़्र व निफ़ाक़ रह गया। न तो राहे-रास्त को ख़ुद देख सकें, न दूसरे की भली बात सुन सकें, न किसी से भलाई का सवाल कर सकें। अब फिर लौटकर हिदायत पर आना महाल हो गया। इसकी ताईद में मुफ़स्सिरीन के क़ौल सुनिए।

इब्ने अ़ब्बास, इब्ने मसऊ़द और कुछ और सहाबा (رضی اللہ عنہم) फ़र्माते हैं, हुज़ूर (ﷺ) के मदीना तशरीफ़ लाने के बाद कुछ लोग इस्लाम ले आए मगर फिर मुनाफ़िक़ बन गए, उनकी मिसाल उस शख़्स जैसी है जो अंधेरे में हो फिर आग जलाकर रोशनी हासिल करे और आसपास भलाई-बुराई देखने लगे और मालूम करे कि किस राह में क्या है? कि अचानक आग बुझ जाए, रोशनी जाती रहे, अब मालूम नहीं हो सकता कि किस राह में क्या क्या है? इसी तरह मुनाफ़िक़ शिर्क व कुफ़्र की ज़ुल्मत में थे फिर इस्लाम लाकर भलाई-बुराई यानी हलाल-हराम समझने लगे मगर फिर काफ़िर हो गए और हराम हलाल, ख़ैर व शर्र में कुछ तमीज़ न रही।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, नूर से मुराद ईमान और ज़ुल्मत से मुराद ज़लालत व कुफ़्र है। यह लोग हिदायत पर थे लेकिन फिर सरकशी करके बहक गए। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं ईमानदारी और हिदायत की तरफ़ रुख़ करने को मिसाल में आसपास की चीज़ को रोशन करने से तअ़बीर किया गया है। अ़ता

ख़ुरासानी (रह़.) का क़ौल है कि मुनाफ़िक़ कभी कभी भलाई को देख लेता है और पहचान भी लेता है लेकिन फिर उसके दिल का अंधापन उस पर ग़ालिब आ जाता है। इक्रिमा, अ़ब्दुर्रहमान, ह़सन, सुदी और बैअ़ (रह़.) से भी यही मन्क़ूल है। अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद (रह़.) फ़र्माते हैं मुनाफ़िक़ों की यही ह़ालत है कि ईमान लाते हैं और उसकी पाकीज़ा रोशनी से उनके दिल जगमगा उठते हैं जिस त़रह़ आग के जलाने से आसपास की चीज़ें रोशन हो जाती हैं लेकिन कुफ़्र फिर उस रोशनी को खो देता है जिस त़रह़ आग का बुझ जाना फिर अंधेरा कर देता है। यह सब क़ौल तो हमारी इस तफ़्सीर की ताईद में थे जिन मुनाफ़िक़ों की यह मिसाल बयान की गई है वह ईमान ला चुके थे, फिर कुफ़्र किया। अब इब्ने जरीर (रह़.) की ताईद में जो तफ़्सीर है उसे भी सुनिए।

इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं कि यह मिसाल मुनाफ़िक़ों की है कि वह इस्लाम की वजह से इ़ज़्ज़त पा लेते हैं। मुसलमानों में निकाह, वरसा और तक़्सीमे माले-ग़नीमत में शामिल होने लगता है लेकिन मरते ही यह इ़ज़्ज़त छिन जाती है जिस त़रह़ आग की रोशनी आग बुझते ही जाती रहती है। अबुल आ़लिया (रह़.) फ़र्माते हैं जब मुनाफ़िक़ ला इला-ह-इल्लल्लाहु पढ़ता है दिल में नूर पैदा होता है फिर जहाँ शक किया नूर गया जिस त़रह़ लकड़ियाँ जब तक जलती रहें रोशनी रही, जहाँ बुझ गईं तो रोशनी ख़त्म हो गई। ज़ह्ह़ाक (रह़.) फ़र्माते हैं नूर से मुराद यहाँ ईमान है जो उनकी जुबानों पर था। ज़ह्ह़ाक (रह़.) कहते हैं (ला इला-ह-इल्लल्लाह) उनके लिए रोशनी कर देता है। अमनो-अमान और खाना-पीना, बीवी-बच्चे सब मिल जाते थे लेकिन शक व निफ़ाक़ उससे यह राह़तें छीन लेता है जिस त़रह़ आग का बुझ जाना रोशनी दूर कर देता है। क़तादा (रह़.) का क़ौल है कि (ला इलाह इल्लल्लाहु) कहने से मुनाफ़िक़ को दुनियावी नफ़ा मस्लन मुसलमानों में लड़के लड़की का लेन देन, वरसा की तक़्सीम, जान माल की ह़िफ़ाज़त वग़ैरह मिल जाती है लेकिन चूँकि उसके दिल में ईमान की जड़ और उसके कामों में ह़क़ीक़त नहीं होती इसलिए मौत के वक़्त वह सब मुनाफ़ा सल्ब हो जाते हैं जैसे आग की रोशनी जो बुझ जाए। इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं, अंधेरों में छोड़ देना मरने के बाद अ़ज़ाब होना है। यह लोग ह़क़ को देखते हैं, जुबान से कहते हैं और ज़ुल्मत कुफ़्र से निकल जाते हैं लेकिन फिर अपने कुफ़्र व निफ़ाक़ की वजह से हिदायत का देखना और ह़क़ पर क़ायम रहना इनसे छिन जाता है। सुदी (रह़.) का क़ौल है कि अंधेरे से मुराद इनका निफ़ाक़ है। ह़सन बस़री (रह़.) फ़र्माते हैं, मौत के वक़्त मुनाफ़िक़ की बदआ'मालियाँ अंधेरों की त़रह़ उस पर छा जाती हैं और कोई भलाई की रोशनी उसके लिए बाक़ी नहीं रहती जिससे उसकी तौह़ीद की तस्दीक़ हो। वह बहरे हैं ह़क़ के सुनने से अंधे हैं, राहेरास्त को देखने और समझने से हिदायत की त़रफ़ लौट नहीं सकते। न तो इन्हें तौबा नस़ीब होती है न नस़ीह़त ह़ासिल कर सकते हैं।

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ
ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَٰعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌۢ بِالْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ
يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ ۙ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ
وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

तर्जुमा : ''या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियाँ और गरज और बिजली हो, मौत से डरकर कड़ाके की वजह से अपनी उँगलियाँ अपने कानों में डाल लेते हैं। और अल्लाह काफ़िरों को घेरने वाला है। (19) क़रीब है कि बिजली उनकी आँखें उचक ले जाए जब उनके लिए रोशनी करती है तो उसमें चलने-फिरने लगते हैं और जब उन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह तआला चाहे तो उनकी समाअत (सुनने की ताक़त) व बसारत (देखने की ताक़त) ले जाए। बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है।'' (20)

मो'मिन काफ़िर और मुनाफ़िक़ (आयत 19-20) : यह दूसरी मिसाल है जो दूसरी क़िस्म के मुनाफ़िक़ों के लिए बयान की गई है। यह वह क़ौम है जिन पर कभी हक़ ज़ाहिर हो जाता है और कभी फिर शक में पड़ जाते हैं। तो शक के वक़्त उनकी मिसाल बरसात की सी है। सय्यिब के मअ्नी मेंह और बारिश के हैं। कुछ ने बादल के मअ्नी भी बयान किए हैं लेकिन ज़्यादा मशहूर मअ्नी बारिश के ही हैं जो अंधेरे में बरसे। ज़ुलुमात से मुराद शक और कुफ़्र व निफ़ाक़ के हैं और रअ्द यानी गरज जो अपनी ख़ौफ़नाक आवाज़ से दिल हिला देती है। यही हाल मुनाफ़िक़ का है कि उसे हर वक़्त डर, ख़ौफ़, घबराहट और परेशानी रहती है। जैसे और जगह है (يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ) (63/मुनाफ़िक़ून : 4) यानी ''हर आवाज़ को अपने ऊपर ही समझते हैं।'' और जगह इर्शाद है कि ''यह मुनाफ़िक़ीन अल्लाह की क़समें खा-खाकर कहते हैं कि वह तुममें से हैं लेकिन दरअस्ल वह डरपोक लोग हैं। अगर वह कोई जाए पनाह या रास्ता पा लें तो यक़ीनन वह उसमें सिमटकर घुस जाएँ।'' बिजली से मिसाल दी है उस नूरे ईमान की जो इनके दिलों में किसी वक़्त चमक उठता है तो वह उस वक़्त अपनी उँगलियाँ मौत के डर से कानों में डाल लेते हैं लेकिन ऐसा करना उन्हें कोई नफ़ा न देगा। यह अल्लाह तआला की क़ुदरतों और उसके इरादा के मातहत हैं, यह बच नहीं सकते। जैसे और जगह फ़र्माया (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝١٧ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝١٨) (85/बुरूज : 17, 18) यानी ''क्या तुम्हें लश्कर की, फ़िरऔन और समूद की रिवायात नहीं पहुँचीं। पहुँची तो हैं लेकिन यह काफ़िर झुठलाने में ही हैं और अल्लाह

तआला भी इन्हें इनके पीछे से घेर रहा है।'' बिजली का आँखों को उचक लेना उसकी कुव्वत और सख़्ती का इज़्हार है। और इन मुनाफ़िक़ीन की बीनाई की कमज़ोरी और इनका ज़ुअफ़े ईमान है।

इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं मत़लब यह है कि क़ुरआन की मज़बूत आयात इन मुनाफ़िक़ों की क़लई (पोल) खोल देंगी और इनके छुपे हुए उ़यूब को ज़ाहिर कर देगी और अपनी नूरानियत से इन्हें मब्हूत कर देंगी। (त़बरी : 1/349) जब इन पर अंधेरा हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं यानी ईमान जब इन पर ज़ाहिर हो जाता है तो ज़रा रोशन दिल होकर पैरवी भी करने लगते हैं लेकिन फिर जहाँ शक व शुबा आया कि दिल में कदूरत और ज़ुल्मत भर गई और भौचक्के होकर खड़े रह गए। इसका यह मत़लब भी है कि इस्लाम को ज़रा उ़रूज मिला तो इनके दिल में क़द्रे इत्मिनान पैदा हुआ लेकिन जहाँ इसके ख़िलाफ़ नज़र आया कि यह उल्टे पैरों कुफ़्र की त़रफ़ लौटने लगे। (त़ब्री : 1/349) जैसे इर्शादे इलाही है (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ) (22/हज्ज : 11) यानी ''कुछ लोग वह भी हैं जो किनारे पर ठहरकर अल्लाह की इबादत करते हैं अगर भलाई मिली तो मुत़्मइन हुए और अगर बुराई पहुँची तो उसी वक़्त फिर गए'' अल्ख़। इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) यह भी फ़र्माते हैं कि इनका रोशनी में चलना ह़क़ को जानकर कलिम-ए-इस्लाम पढ़ना है और अंधेरे में ठहर जाना कुफ़्र की त़रफ़ लौट जाना है। और भी बहुत से मुफ़स्सिरीन का यही क़ौल है और ज़्यादा स़ह़ीह़ और ज़ाहिर भी यही क़ौल है। (इब्ने अबी ह़ातिम : 1/75) वल्लाहु अ़ालम! रोज़े-क़यामत भी इनका यही ह़ाल रहेगा कि जब लोगों को उनके ईमान के अंदाज़े के मुत़ाबिक़ नूर मिलेगा। कुछ को कई-कई मीलों तक का, कुछ को उससे ज़्यादा, किसी को उससे कम, यहाँ तक कि किसी को इतना नूर मिलेगा कि कभी रोशन हुआ और कभी अंधेरा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज़रा सी दूर चल सकेंगे फिर ठहर जायेंगे फिर ज़रा सी दूर का नूर मिलेगा फिर बुझ जाएगा और कुछ वह बेनसीब भी होंगे कि उनका नूर बिलकुल बुझ जाएगा। यह पूरे मुनाफ़िक़ होंगे जिनके बारे में फ़र्माने रब्बानी है (يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا) (57/ह़दीद : 13) यानी ''जिस दिन मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक़ औरतें ईमानवालों को पुकारेंगे और कहेंगे कि ज़रा रुको, हमें भी आ लेने दो ताकि हम भी तुम्हारे नूर से फ़ायदा उठाएँ तो कहा जाएगा कि अपने पीछे लौट जाओ और नूर ढूँढ़ लाओ'' अल्ख़। और मो'मिनों के बारे मे अल्लाह तआला फ़र्माता है (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ) (57/ह़दीद : 12) यानी ''उस दिन तू देखेगा कि मो'मिन मर्दों और औरतों के आगे-आगे और दाएँ जानिब नूर होगा और कहा जाएगा तुम्हें आज के दिन जन्नतों की ख़ुशख़बरियाँ हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं।'' और फ़र्माया ''जिस दिन न रुस्वा करेगा अल्लाह तआला नबी को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए। उनका नूर उनके आगे और दाएँ जानिब होगा। वह कह रहे होंगे ''ऐ हमारे रब! हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर और हमें बख़्श, यक़ीनन तू हर चीज़ पर क़ादिर है।'' इन आयात के बाद अब इस मज़्मून की अह़ादीस भी लीजिए।

नबी (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''कुछ मो'मिनों को मदीना से लेकर अ़दन तक नूर मिलेगा, कुछ को उससे कम यहाँ तक कि कुछ को इतना कम कि सिर्फ़ पाँव रखने की जगह ही रोशन होती होगी।'' (इब्ने जरीर) (यह ह़दीस मुर्सल (यानी ज़ईफ़) है।) ह़ज़रत इब्ने मसऊ़द (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं ईमानवालों को उनके अ़'माल के मुत़ाबिक़ नूर मिलेगा, कुछ को खजूर के दरख़्त के बराबर, किसी को क़द्दे-आदम के बराबर, किसी को सिर्फ़ इतना ही कि

उसका अंगूठा ही रोशन हो, कभी बुझ जाता हो कभी रोशन हो जाता हो। (इब्ने अबी हातिम) इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं उन्हें नूर मिलेगा उनके आ'माल के मुताबिक़ जिसकी रोशनी में वह पुलसिरात से गुज़रेंगे। कुछ लोगों का नूर पहाड़ के बराबर होगा, कुछ का खजूर के बराबर और सबसे कम नूर वाला वह होगा जिसका नूर उसकेअंगूठे पर होगा, कभी चमक उठेगा और कभी बुझ जाएगा। (इब्ने अबी हातिम) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि सब तौहीद वालों को क़यामत के दिन नूर मिलेगा जब मुनाफ़िक़ों का नूर बुझ जाएगा तो मुवह्हिद डरकर कहेंगे (رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا) (66/तहरीम : 8) "ऐ अल्लाह! हमारे नूर को पूरा कर" (इब्ने अबी हातिम) ज़ह्हाक (रह.) का भी यही क़ौल है। इन अहादीस से मालूम हुआ कि ख़ालिस मो'मिन वह जिनका बयान अगली चार आयात में हुआ। ख़ालिस कुफ़्फ़ार जिनका ज़िक्र उसके बाद की दो आयात में है और मुनाफ़िक़ जिनकी दो क़िस्में हैं, एक तो ख़ालिस मुनाफ़िक़ जिनकी मिसाल आग की रोशनी से दी गई, दूसरे वह मुनाफ़िक़ जो तरद्दुद में हैं। कभी तो ईमान चमक उठता है कभी बुझ जाता है। इन ही की मिसाल बारिश से दी गई है। यह पहली क़िस्म के मुनाफ़िक़ों से कुछ कम हैं।

इसी तरह सूरह नूर में भी अल्लाह तआला ने मो'मिन की और उसके दिल के नूर की मिसाल उस मुनव्वर चराग़ से दी है जो रोशन फ़ानूस में हो और ख़ुद फ़ानूस भी चमकते हुए तारे की तरह हो। चुनाँचे ईमान वाले का एक तो ख़ुद दिल रोशन दूसरे ख़ालिस शरीअत की उसे इमदाद, पस रोशनी पर रोशनी नूर पर नूर हो जाता है। इसी तरह दूसरी जगह काफ़िरों की मिसाल भी बयान की जो अपनी नादानी की वजह से अपने आपको कुछ समझते हैं और हक़ीक़त में वह कुछ नहीं होते। फ़र्माया, काफ़िरों के आ'माल की मिसाल रेत के चमकीले टीलों की तरह है जिन्हें प्यासा पानी समझता है यहाँ तक कि पास आकर देखता है लेकिन कुछ भी नहीं पाता। फिर और मौक़े पर इन जाहिल काफ़िरों की मिसाल बयान की जो सख़्त जिहालत में गिरफ़्तार हैं, इनकी मिसाल में फ़र्माया, मानिन्द सख़्त अंधेरों के जो गहरे समंदर में हों जो मौजों पर मौजें मार रहा हो, फिर अब्र से ढका हुआ हो और अंधेरों पर अंधेरे छाए हों, हाथ निकाले तो देख भी नहीं सकता। हक़ीक़त यह है कि जिसके लिए अल्लाह की तरफ़ से नूर न हो, उसके पास नूर कहाँ से आए? पस कुफ़्फ़ार की भी दो क़िस्में कीं। एक तो दूसरों को कुफ़्र की तरफ़ बुलाने वाले, दूसरे उनकी तक़्लीद करने वाले जैसे सूरह हज्ज के शुरू मे है (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ) (22/हज्ज :3) "कुछ वह लोग हैं जो अल्लाह के बारे में इल्म के बग़ैर झगड़ते हैं और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं" और जगह फ़र्माया (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ) (22/हज्ज : 8) "कुछ लोग इल्म और हिदायत और रोशन किताब के बग़ैर अल्लाह के बारे में लड़ते-झगड़ते हैं।" सूरह वाक़िआ के शुरू में और आख़िर में सूरह निसाअ में मो'मिनों की भी दो क़िस्में बयान की हैं, साबिक़ीन और अस्हाबे यमीन यानी मुक़र्रब बारगाहे इलाही और परहेज़गार व नेकोकार लोग। पस इन आयात से मालूम हुआ कि मो'मिनों की दो जमाअतें हैं, मुक़र्रब और अबरार (नेक)। और काफ़िरों की भी दो क़िस्में हैं, कुफ़्र की तरफ़ बुलाने वाले और उनकी तक़्लीद करने वाले। और मुनाफ़िक़ों की भी दो क़िस्में हैं, ख़ालिस और पक्के मुनाफ़िक़ और वह मुनाफ़िक़ जिन में निफ़ाक़ की एक आध शाख़ है।

बुख़ारी व मुस्लिम में हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) फ़र्माते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "तीन ख़स्लतें हैं जिसमें तीनों हों वह पुख़्ता मुनाफ़िक़ है और जिसमें एक हो उसमें एक ख़स्लत निफ़ाक़ की है जब तक उसे न छोड़े, बात करने में झूठ बोलना, वा'दाख़िलाफ़ी करना, अमानत में ख़यानत करना।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब अलामातुल मुनाफ़िक़ीन : 34; सहीह मुस्लिम : 58) इससे साबित हुआ कि इंसान में कभी निफ़ाक़ का कुछ हिस्सा होता है ख़्वाह वह मुनाफ़िक़ अमली हो या एतिक़ादी। जैसे कि आयत व हदीस से मालूम होता है। सलफ़ की एक जमाअत और उलम-ए-किराम के एक गिरोह का यही मज़हब है। इसका बयान पहले भी गुज़र चुका है। और आईन्दा भी आएगा, इंशाअल्लाह तआला। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "दिल चार क़िस्म के हैं, एक तो साफ़ दिल जो रोशन चराग़ की तरह चमक रहा हो, दूसरे वह दिल जो ग़िलाफ़ आलूद हैं, तीसरे वह दिल जो उल्टे हैं, चौथे वह दिल जो मख़्लूत हैं। पहला दिल तो मो'मिन का है जो पूरी तरह नूरानी है। दूसरा काफ़िर का दिल है जिस पर पर्दे पड़े हुए हैं। तीसरा दिल ख़ालिस मुनाफ़िक़ का है जो जानता है और इंकार करता है। चौथा दिल उस मुनाफ़िक़ का है जिसमें ईमान व निफ़ाक़ दोनों जमा हैं। ईमान की मिसाल उस सब्ज़े की तरह है जो पाकीज़ा पानी से बढ़ रहा हो और मुनाफ़िक़ की मिसाल उस फोड़े की तरह है जिसमें पीप और ख़ून बढ़ता ही जाता हो। अब जो मादा बढ़ जाए वह दूसरे पर ग़ालिब आ जाता है।" (अहमद : 3/17; व सनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में लैस बिन अबी सुलैम मुख़्तलत (अत् तक़रीब : 2/138) और अबुल बख़्तरी ताई का हज़रत अबू सईद (ﷺ) से सिमाअ साबित नहीं है और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। (सिलसिलतुज़् ज़ईफ़ : 5158) इस हदीस की इस्नाद बहुत ही उम्दह है।

इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं, "अगर अल्लाह चाहे तो इनके कान और आँखें बर्बाद कर दे।" मतलब यह है कि जब इन्होंने हक़ को जानकर उसे छोड़ दिया तो अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है यानी अगर चाहे तो अज़ाब व सज़ा करे अगर चाहे तो मुआफ़ कर दे। (इब्ने अबी हातिम : 1/76) यहाँ क़ुदरत का बयान इसलिए किया कि पहले मुनाफ़िक़ों को अपने अज़ाब और अपनी जबरूत से डराया है और कह दिया कि वह इन्हें घेर लेने और इनके कानों को बहरा और आँखों को अंधा करने पर क़ादिर है। (तब्री : 1/361) क़दीर के मअनी क़ादिर के हैं जैसे अलीम के मअनी आलिम के हैं। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं यह दो मिसालें एक ही क़िस्म के मुनाफ़िक़ों की हैं। 'अव' मअनी में 'व' के है यानी और जैसे फ़र्माया (وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا) (76/दहर : 24) या लफ़्ज़ 'अव' इख़्तियार के लिए है यानी ख़्वाह यह मिसाल बयान करो ख़्वाह वह मिसाल बयान करो, इख़्तियार है। क़ुर्तुबी (रह.) फ़र्माते हैं अव यहाँ पर तसावी यानी बराबरी के लिए है जैसे अरबी ज़ुबान का मुहावरा है जालसल् हसन अविब्न सीरीन ज़मख़्शरी (रह.) भी यही तौजीह करते हैं तो मतलब यह होगा कि इन दोनों मिसालों में से जो मिसाल बयान करना चाहो बयान करो, दोनों इनके हाल के मुताबिक़ हैं। मैं कहता हूँ यह बऐतिबार मुनाफ़िक़ों की क़िस्मों के है। इनके अहवाल व सिफ़ात तरह तरह के हैं जैसे सूरह बरा'त में वमिन्हुम वमिन्हुम वमिन्हुम करके इनकी बहुत सी क़िस्में बहुत से अफ़आल और बहुत से अक़्वाल बयान किए हैं। तो यह दोनों मिसालें दो क़िस्म के मुनाफ़िक़ों की हैं जो इनके अहवाल और सिफ़ात से बिलकुल मुशाबेह हैं, वल्लाहु आलम! सूरह नूर में दो क़िस्म के कुफ़्फ़ार की मिसालें बयान की।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ ۝٢١ اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ
مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ
اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٢٢

तर्जुमा : ''ऐ लोगो! अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के सबको पैदा किया। यही तुम्हारा बचाव है। (21) जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी उतारकर उससे फल पैदा करके तुम्हें रोज़ी दी। ख़बरदार! बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुक़र्रर न करो।'' (22)

तौहीदे-उलूहियत (आयत 21-22) : यहाँ से अल्लाह तआला की तौहीद और उसकी उलूहियत का बयान शुरू होता है। वही अपने बन्दों को अदम से वजूद में लाया। उसी ने हर तरह की ज़ाहिरी और बातिनी नेअमतें अता फ़र्माईं। उसी ने ज़मीन का फ़र्श बनाया और इसमें मज़बूत पहाड़ों की मेखें गाड़ दीं और आसमान को छत बनाया। जैसे दूसरी आयत में आया कि (وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا) (21/अम्बिया : 32) यानी ''आसमान को महफ़ूज़ छत बनाया। बावजूद इसके वह निशानियों से मुँह मोड़ लेते हैं।'' पानी आसमान से उतारने का मतलब बादल से नाज़िल फ़र्माना है उस वक़्त जबकि लोग उसके पूरे मुहताज हों। फिर उस पानी से तरह-तरह के फल-फूल पैदा करना है जिससे लोग फ़ायदा उठाएँ और उनके जानवर भी जैसे क़ुरआन मजीद में जगह-जगह इसका बयान आया है। एक जगह फ़र्मान है (اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا) (40/मो'मिन : 64) ''अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया और तुम्हें प्यारी-प्यारी सूरतें अता फ़र्माईं और पाकीज़ा रोज़ियाँ पहुँचाईं, यही अल्लाह है जो बरकतों वाला और तमाम आलम को पालने वाला है।'' पस सबका ख़ालिक़, सबका राज़िक़, सबका मालिक अल्लाह तआला ही है और इसी वजह से वही मुस्तहिक़ है हर क़िस्म की इबादात का और शरीक न किए जाने का। इसीलिए फ़र्माया, अल्लाह तआला का शरीक न ठहराओ हालाँकि तुम जानते हो।

यह कहना शिर्क है कि जो अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे : बुख़ारी व मुस्लिम में हदीस है, इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) पूछते हैं, हुज़ूर (ﷺ) सबसे बड़ा गुनाह कौनसा है? फ़र्माया, ''अल्लाह तआला के साथ जो ख़ालिक़ है, शरीक ठहराना।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब क़त्लुल वलद ख़श्यतन अन यअकुल मअहू : 6001; सहीह मुस्लिम : 86) हज़रत मुआज़ (رضی اللہ عنہ) वाली हदीस में है कि ''क्या जानते हो कि अल्लाह का हक़ बन्दों पर क्या है? यह कि उसी की इबादत करें और किसी को उसकी इबादत में शरीक न

करें।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब इस्मुल् फ़र्स वल् हिमार : 2856, 6500, 7373; सहीह मुस्लिम : 30) दूसरी हदीस में है कि ''तुममें से कोई यह न कहे कि जो अल्लाह चाहे और फ़लाँ चाहे बल्कि यूँ कहे कि जो कुछ अल्लाह अकेला चाहे।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब ला युक़ाल ख़बुस नफ़्सी : 4980; व सनदुहू सहीहुन, अल्यौम वल् लैला लिन् नसाई : 985; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् सहीह : 137)

तुफ़ैल बिन सख़्रह (رضی اللہ عنہ) (हज़रत आइशा (رضی اللہ عنہا) के सौतेले भाई) फ़र्माते हैं, मैंने ख़्वाब में चंद यहूदियों को देखा। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम यहूद हैं। मैंने कहा, अफ़सोस! तुममें बड़ी ख़राबी है कि तुम हज़रत उज़ेर (علیہ السلام) को अल्लाह का बेटा कहते हो। उन्होंने कहा, तुम भी अच्छे लोग हो लेकिन अफ़सोस! तुम कहते हो जो अल्लाह चाहे और मुहम्मद (ﷺ) चाहें। फिर मैं नसरानियों की जमाअत के पास गया और उनसे भी इसी तरह पूछा। उन्होंने भी यही जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, अफ़सोस! तुम भी मसीह (علیہ السلام) को अल्लाह का बेटा जानते हो। उन्होंने भी यही जवाब दिया। मैंने सुबह अपने इस ख़्वाब का ज़िक्र कुछ लोगों से किया। फिर दरबारे नबवी में हाज़िर होकर आप (ﷺ) से भी वाक़िया बयान किया। आप (ﷺ) ने पूछा, ''क्या किसी और से भी तुमने इसका ज़िक्र किया है? मैंने कहा, हाँ! हुज़ूरे अकरम (ﷺ) अब खड़े हो गए और अल्लाह तआला की हम्दो सना बयान की और फ़र्माया, ''तुफ़ैल ने एक ख़्वाब देखा और तुममें से कुछ से बयान भी किया। मैं चाहता था कि तुम्हें इस कलिमा के कहने से रोक दूँ लेकिन फ़लाँ फ़लाँ कामों की वजह से मैं अब तक न कह सका। याद रखो! अब हर्गिज़-हर्गिज़ ''अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे'' न कहना बल्कि यूँ कहो कि सिर्फ़ अल्लाह तआला अकेला जो चाहे।'' (इब्ने मर्दवे) (अहमद, 5/72; इब्ने माजा, किताबुल कफ़्फ़ारात, बाब नही अन् युक़ाल माशाअल्लाहु व शिअत : 2118; दारमी : 2699; यह हदीस सहीह है। देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 34/297) नीज़ शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् सहीहा : 138)

एक शख़्स ने रसूल (ﷺ) से कहा जो अल्लाह तआला चाहे और आप चाहें। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''क्या तू मुझे अल्लाह तआला का शरीक ठहराता है।'' यूँ कह ''जो अल्लाह तआला अकेला चाहे।'' (इब्ने मर्दवे) (अहमद : 1/214, 3/339; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् सहीह : 139) व सनदुहू हसन।) यह तमाम कलिमात तौहीद के सरासर ख़िलाफ़ हैं, तौहीद बारी तआला के बचाव के लिए यह सब अहादीस बयान हुई हैं, वल्लाहु आलम! तमाम कुफ़्फ़ार और मुनाफ़िक़ीन को अल्लाह तआला ने अपनी इबादत का हुक्म फ़र्माया और फ़र्माया, अल्लाह की इबादत करो यानी उसकी तौहीद के पाबन्द बन जाओ। उसके साथ किसी को शरीक न करो, जो न नफ़ा दे सके, न नुक़सान पहुँचा सके और तुम जानते हो कि उसके सिवा कोई रब नहीं, जो तुम्हें रोज़ी पहुँचा सके और तुम जानते हो कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) तुम्हें उस तौहीद की तरफ़ बुला रहे हैं जिसके हक़ और सच होने में कोई शक नहीं। शिर्क उससे भी ज़्यादा पोशीदा है। जैसे चींटी जो रात के अंधेरे में किसी साफ़ पत्थर पर चल रही हो। इंसान का

यह कहना कि, "क़सम है अल्लाह की और क़सम है आपकी ह़यात की" यह भी शिर्क है। इंसान का यह कहना कि, "अगर यह कुतिया न होती तो चोर रात को हमारे घर में घुस आते" यह भी शिर्क है। आदमी का यह क़ौल कि अगर बत़ख़ घर में न होती तो चोरी हो जाती, यह भी शिर्क का कलिमा है। किसी का यह क़ौल कि जो अल्लाह चाहे और आप, यह भी शिर्क है। किसी का यह कहना कि अगर अल्लाह न होता और फ़लाँ न होता, यह सब कलिमाते शिर्क हैं।

स़ह़ीह़ ह़दीस में है कि किसी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा "जो अल्लाह तआला चाहे और जो आप (ﷺ) चाहें" तो आपने फ़र्माया, "क्या तू मुझे अल्लाह तआला का शरीक ठहराता है?" दूसरी ह़दीस में है "तुम अच्छे लोग हो अगर तुम शिर्क न करते, तुम कहते हो जो अल्लाह चाहे और फ़लाँ चाहे।" (इब्ने माजा, किताबुल कफ़्फ़ारात, बाब अन् नही अ़न् युक़ाल माशाअल्लाह व शि'त : 2118; व सनदुहू ज़ईफ़; अह़मद : 1/394; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे स़ह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् स़ह़ीह़ा : 1/264) लेकिन यह रिवायत अ़ब्दुल मलिक बिन उ़मेर की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) अबुल आ़लिया (रह़.) फ़र्माते हैं (अन्दाद) के मअ़नी शरीक और बराबर के हैं। मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं, "तुम तौरात व इंजील पढ़ते हो और जानते हो कि अल्लाह तआला एक और ला शरीक है, फिर जानते हुए क्यूँ अल्लाह तआला का शरीक करते हो?"

अल्लाह तआला के नाज़िलकर्दा पाँच अह़काम : मुस्नद अह़मद में है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने ह़ज़रत यह़्या (عليه السلام) को पाँच चीज़ों का हुक्म दिया कि इन पर अ़मल करो और बनी इस्राईल को भी इन पर अ़मल करने का हुक्म दो। क़रीब था कि वह इसमें ढील करें तो ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) ने उन्हें याद दिलाया कि आपको परवरदिगारे आ़लम का हुक्म था कि इन पाँच चीज़ों पर ख़ुद कारबंद होकर दूसरों को भी हुक्म दो। पस या तो ख़ुद आप कह दीजिए या मैं पहुँचा दूँ। ह़ज़रत यह़्या (عليه السلام) ने फ़र्माया, मुझे डर है कि अगर आप सब्क़त कर गए तो कहीं मुझे अ़ज़ाब न किया जाए या ज़मीन में धंसा न दिया जाए। पस ह़ज़रत यह़्या (عليه السلام) ने बनी इस्राईल को बैतुल मक़्दिस की मस्जिद में जमा किया। जब मस्जिद पुर हो गई तो ऊँची जगह पर बैठ गए और अल्लाह तआला की ह़म्दो-सना बयान करके कहा कि "अल्लाह तआला ने मुझे पाँच बातों का हुक्म किया है कि ख़ुद अ़मल करके तुमसे भी उन पर अ़मल कराऊँ।"

यह कि एक अल्लाह की इ़बादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख़्स़ ख़ास़ अपने माल से किसी गुलाम को ख़रीदे। गुलाम काम-काज करे और जो कुछ पाए उसे किसी और को दे दे। क्या तुममें से कोई इस बात को पसंद करता है कि उसका गुलाम ऐसा है? ठीक इसी त़रह़ तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हें रोज़ियाँ देने वाला, तुम्हारा ह़क़ीक़ी मालिक अल्लाह तआला वह़्दहू ला शरीक लहू ही है पस तुम उसकी इ़बादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ।

यह नमाज़ को अदा करो। अल्लाह तआला का चेहरा बन्दे के चेहरे की त़रफ़ होता है जब तक कि वह नमाज़ में इधर-उधर इल्तिफ़ात न करे जब तुम नमाज़ में हो तो ख़बरदार! इधर-उधर इल्तिफ़ात न करना।

यह कि रोज़े रखा करो। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख़्स के पास मुश्क की थैली भरी हुई हो जिससे उसके तमाम साथियों के दिमाग़ मुअत्तर रहें। याद रखो! रोज़ेदार के मुँह की ख़ुश्बू अल्लाह तआला को मुश्क की ख़ुश्बू से भी ज़्यादा पसंद है।

यह कि सदक़ा देते रहा करो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख़्स को दुश्मनों ने क़ैद कर लिया और गर्दन के साथ उसके हाथ बाँध दिए और गर्दन मारने के लिए ले चले, तो वह कहने लगा कि तुम मुझसे फ़िदया ले लो और मुझे छोड़ दो, चुनाँचे जो कुछ था कम ज़्यादा दे दिलाकर अपनी जान छुड़ा ली।

और पाँचवाँ हुक्म यह है कि इसकी मिसाल उस शख़्स की तरह है जिसके पीछे तेज़ी के साथ दुश्मन दौड़ा आता है और वह एक मज़बूत क़िला में घुस जाता है और वहाँ अमनो-अमान पा लेता है, इसी तरह अल्लाह तआला के ज़िक्र के वक़्त शैतान से बचा हुआ होता है। यह फ़र्माकर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अब मैं भी तुम्हें पाँच बातों का हुक्म करता हूँ जिनका हुक्म जनाब बारी तआला ने मुझे किया है। मुसलमानों की जमाअत को लाज़िम पकड़े रहना (अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) और मुसलमान हाकिमे वक़्त के अहकाम) सुनना और मानना, हिज्रत करना और जिहाद करना। जो शख़्स जमाअत से एक बालिश्त भर निकल गया, उसने इस्लाम के पट्टे को अपने गले से उतार फेंका, हाँ! यह और बात है कि रुजूअ कर ले। जो शख़्स जाहिलियत की पुकार पुकारे, वह जहन्नम का कूड़ा-करकट है। लोगों ने कहा, ''या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगरचे वह रोज़ेदार और नमाज़ी हो। फ़र्माया, ''अगरचे नमाज़ पढ़ता हो और रोज़े रखता हो और अपने आपको मुसलमान समझता हो। मुसलमानों को उनके इन नामों के साथ पुकारते रहो जो ख़ुद अल्लाह तआला ने रखे हैं, मुस्लिमीन, मो'मिनीन और इबादल्लाह।'' यह हदीस हसन है। (अहमद : 4/130, 202; तिर्मिज़ी, अब्वाबुल् अम्साल, बाब मा जाअ फ़ी मिस्लिस् सलात वस्सौमि वस् सदक़ति : 2863, 2864; व सनदुहू सहीह; मुस्नद अबू यअला : 1571; व मुस्नद तयालिसी : 1161, 1162; इब्ने ख़ुज़ेमा : 1895; इब्ने हिब्बान : 6200; हाकिम :1/117, 118; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह अत् तर्ग़ीब : 552)

इस आयत में भी यही बयान है कि अल्लाह तआला ही ने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हें रोज़ियाँ देता है, पस इबादत भी उसी की करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो। इस आयत से साबित होता है कि इबादत में तौहीद बारी तआला का पूरा ख़्याल रखना चाहिए, किसी और की इबादत न करनी चाहिए। हर क़िस्म की इबादात के लायक़ सिर्फ़ वही ज़ात है।

वजूदे बारी तआला के दलाइल : इमाम राज़ी (रह.) वग़ैरह ने अल्लाह तआला के वजूद पर भी इस आयत से इस्तिदलाल किया है और फ़िल-वाक़ेअ यह आयत बहुत बड़ी दलील है अल्लाह तआला के वजूद पर। ज़मीन और आसमान की मुख़्तलिफ़ शक्लो सूरत, मुख़्तलिफ़ रंग, मुख़्तलिफ़ मिज़ाज और मुख़्तलिफ़ नफ़ा की मौजूदात, उनमें से हर एक का नफ़ा वाला होना और उनके ख़ालिक़ का वजूद का ख़ास हिक्मत का हासिल होना और उसकी अज़ीमुश्शान क़ुदरत और हिक्मत और ज़बरदस्त स्तवत और सल्तनत का सबूत है।

किसी बदवी से पूछा गया कि अल्लाह के होने पर क्या दलील है? तो उसने कहा

یاسبحان اللہ ان البعر لیدل علی البعیر۔ وان اثر الاقدام لیدل علی المسیر۔ فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج۔ وبحار ذات امواج الا یدل ذالک علی وجود اللطیف الخبیر۔

यानी ''मींगनी से ऊँट मालूम हो सके और पैर के निशान को ज़मीन पर देखकर मालूम हो जाए कि कोई आदमी गया है, तो क्या यह बुर्जों वाला आसमान, यह रास्तों वाली ज़मीन और मौजें मारने वाले समंदर अल्लाह तआला बारीक बीन और ख़बरदार के वजूद पर दलील नहीं बन सकते?'' (अर् राज़ी : 2/91)

इमाम मालिक (रह.) से हारून रशीद ने पूछा कि, अल्लाह तआला के व जूद पर क्या दलील है? आपने फ़र्माया, ''ज़ुबानों का मुख़्तलिफ़ होना, आवाज़ों का जुदागाना होना, नग़मों का अलग होना साबित करता है कि अल्लाह तआला है।''

इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से भी यही सवाल होता है तो आप जवाब देते हैं कि ''छोड़ो मैं अभी किसी और सोच मे हूँ, लोगों ने मुझसे कहा है कि, ''एक बहुत बड़ी कश्ती जिसमें तरह-तरह की तिजारती चीज़ें हैं, न कोई उसका निगहबान है, न चलाने वाला है, बावजूद उसके वह बराबर आ जा रही है और बड़ी-बड़ी मौजों को ख़ुद-ब-ख़ुद चीरती-फाड़ती गुज़र जाती है, ठहरने की जगह पर ठहर जाती है, चलने की जगह चलती रहती है और न कोई मल्लाह है, न मुंतज़िम'' सवाल करने वाले दहरियों ने कहा, आप कैसी बात करते हैं, कोई ऐसी बात कह सकता है कि इतनी बड़ी कश्ती, इतने साज़ो-सामान, निज़ाम के साथ मौज वाले समंदर में आए जाए और कोई उसका चलाने वाला न हो? आपने फ़र्माया, अफ़सोस! तुम्हारी अक़्लों पर, एक कश्ती तो बग़ैर चलाने वाले के न चल सके, लेकिन यह सारी दुनिया और आसमान व ज़मीन की सब चीज़ें ठीक अपने काम पर लगी रहें और उनका मालिक हाकिम ख़ालिक़ कोई न हो? यह जवाब सुनकर वह लोग लाजवाब हो गए और हक़ मालूम करके मुसलमान हो गए।

इमाम शाफ़ई (रह.) से भी यही सवाल हुआ तो आपने जवाब दिया कि तूत के पत्ते एक ही हैं , एक ही ज़ायक़ा के हैं। कीड़े और शहद की मक्खी और गाएँ, बकरियाँ, हिरन वग़ैरह सब इसको खाते और चरते-चुगते हैं, उसी को खाकर कीड़े मेंसे रेशम निकलता है, मक्खी शहद देती है, हिरन में मुश्क पैदा होता है और गाए बकरियाँ मींगनियाँ देती हैं। क्या यह इस अम्र की साफ़ दलील नहीं कि एक पत्ते में यह मुख़्तलिफ़ ख़्वास पैदा करने वाला कोई है? और उसी को हम अल्लाह तआला मानते हैं। वही मूजिद और सानेअ (बनाने वाला) है।

इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) से भी एक मर्तबा वजूदे बारी तआला पर दलील तलब की जाती है तो आप फ़र्माते हैं, ''सुनो! यहाँ एक निहायत मज़बूत क़िला है जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं, न कोई रास्ता है बल्कि सूराख़ तक नहीं, बाहर से चाँदी की तरह चमक रहा है और अंदर से सोने की तरह दमक रहा है और ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ, चारों तरफ़ से बिलकुल बंद है, हवा तक उसमें नहीं जा सकती, अचानक उसकी एक दीवार गिरती है और एक जानदार आखों, कानों वाला, बोलता-चलता, ख़ूबसूरत शक्ल और प्यारी बोली वाला, चलता-

फिरता निकल आता है। कहो! उस बंद और महफ़ूज़ मकान में उसे पैदा करने वाला कोई है या नहीं और वह हस्ती इंसानी हस्तियों से बालातर और उसकी क़ुदरत ग़ैर-महदूद है या नहीं' मतलब आपका यह था कि अण्डे को देखो, चारों तरफ़ से बन्द है फिर उसमें परवरदिगार ख़ालिक़े यक्ता जानदार बच्चा पैदा कर देता है। यही दलील है अल्लाह के वजूद पर और उसकी तौहीद पर।

अबू नवास से जब यह मसला पूछा गया तो कहा, आसमान से बारिश का बरसना और उससे दरख़्तों का पैदा होना और इन हरी-हरी शाख़ों पर ख़ुश-ज़ायक़ा मेवों का लगना ही अल्लाह तआला के वजूद और उसकी वहदानियत की काफ़ी दलील है।

इब्नुल मुअतज़ का क़ौल है, अफ़सोस! अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी और उसकी ज़ात के झुठलाने पर लोग कैसी दिलेरी कर जाते हैं हालाँकि हर-हर चीज़ उस परवरदिगार की हस्ती और ला शरीक होने पर गवाह है।

और बुज़ुर्गों का मक़ौला है कि आसमानों को देखो, उनकी बुलंदी, उनकी वुस्अत, उनके छोटे-बड़े चमकीले और रोशन सितारों पर नज़र डालो। उनके चमकने, दमकने, उनके चलने-फिरने और ठहर जाने, ज़ाहिर होने और छुप जाने का मुताअला करो। फिर समंदरों को देखो जो मौजें मारते हुए ज़मीन को घेरे हुए हैं। फिर ऊँचे-नीचे मज़बूत पहाड़ों को देखो जो ज़मीन में गड़े हुए हैं और इसे हिलने नहीं देते, जिनके रंग, जिनकी सूरतें मुख़्तलिफ़ हैं। फिर क़िस्म क़िस्म की और मख़्लूक़ात पर नज़र डालो, फिर इधर से उधर फिर जाने वाली खेतियों और बाग़ों को शादाब करने वाली ख़ुशनुमा नहरों को देखो, खेतों और बाग़ों की सब्ज़ियों और उनके तरह-तरह के फल-फूल, मज़े-मज़े के मेवों पर ग़ौर करो। ज़मीन एक, पानी एक, लेकिन शक्लें, सूरतें और ख़ुश्बू में, रंगत, ज़ायक़ा और फ़ायदा में अलग-अलग हैं। क्या यह तमाम मस्नूआत तुम्हें नहीं बतातीं कि इनका सानेअ कोई है? क्या यह तमाम मौजूदात बाआवाज़े बुलंद नहीं कह रही हैं कि इनका मूजिद कोई है? क्या यह सारी मख़्लूक़ अपने ख़ालिक़ की हस्ती, उसकी ज़ात और उसकी तौहीद पर दलालत नहीं करती? यह हैं वह ज़ोरदार दलाइल जो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने अपनी ज़ात के मनवाने के लिए हर निगाह के सामने पेश कर दिए हैं जो उसकी ज़बरदस्त क़ुदरतों, उसकी पुरज़ोर हिक्मतों, उसकी ला सानी रहमतों, उसके बेनज़ीर इन्आमों, उसके ला-ज़वाल एहसानों पर दलालत करने के लिए काफ़ी-वाफ़ी हैं।

हमारा इक़रार है कि न उसके सिवा कोई पालने, पोसने वाला, न उसके सिवा कोई पैदा करने और हिफ़ाज़त करने वाला, न उसके सिवा कोई मअबूदे बरहक़, न उसके सिवा कोई मस्जूद ला शक, हाँ! दुनिया के लोगों! सुन लो, मेरा तवक्कल और भरोसा उसी पर है, मेरी इनाबत और इल्तिजा उसी की तरफ़ है, मेरा झुकना और पस्त होना उसी के सामने हैं, मेरी तमन्नाओं का मर्कज़, मेरी उम्मीदों का आसरा, मेरा मावा और मल्जा वही एक है। उसी के दस्ते-रहमत को देखता हूँ और हर वक़्त उसी का नाम लेता हूँ।

وَاِنۡ کُنۡتُمۡ فِیۡ رَیۡبٍ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلٰی عَبۡدِنَا فَاۡتُوۡا بِسُوۡرَۃٍ مِّنۡ مِّثۡلِہٖ ۪ وَادۡعُوۡا
شُہَدَآءَکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ﴿۲۳﴾ فَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلُوۡا وَلَنۡ تَفۡعَلُوۡا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیۡ وَقُوۡدُہَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَۃُ ۚۖ اُعِدَّتۡ لِلۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۲۴﴾

तर्जुमा : ''हमने जो कुछ अपने बन्दे पर उतारा है उसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो तुम इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ! तुम्हें इख़्तियार है कि अल्लाह तआला के सिवा और अपने मददगारों को भी बुला लो।(23) पस अगर तुमने न किया और तुम हर्गिज़ न कर सकते तो इसे सच्चा मानकर उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफ़िरों के लिए तैयार की गयी है।''(24)

मुहम्मद (ﷺ) की नबुव्वत का इस्बात (आयत 23-24) : तौहीद के बयान के बाद अब नबुव्वत की तस्दीक़ हो रही है, कुफ़्फ़ार को ख़िताब करके फ़र्माया जा रहा है कि हमने जो क़ुरआन अपने बन्दे (हज़रत मुहम्मद स.) पर उतारा है उसे अगर तुम हमारा कलाम नहीं मानते तो तुम और तुम्हारे मददगार सब मिलकर पूरा क़ुरआन तो नहीं सिर्फ़ एक सूरत तो इस जैसी बना लाओ, जब तुम इसे नहीं कर सकते और इससे आजिज़ हो तो फिर इस क़ुरआन के कलामुल्लाह होने में क्यूँ शक करते हो? (शुहदाअ) से मुराद मददगार और रफ़ीक़ हैं। (तब्री : 21/376) जो इनकी मदद किया करते थे तो मतलब यह हुआ कि जिन्हें तुमने अपना मअबूद बना रखा है उन्हें भी बुला लो और उनसे भी मदद चाहो। फिर इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि तुम अपने हाकिमों और अपने ज़ुबानदान फ़सीह व बलीग़ लोगों से भी मदद ले लो।

क़ुरआने-करीम का ऐजाज़ : क़ुरआने-करीम के इस मुअजिज़े का इज़्हार और इस तर्ज़ का कलाम कई जगह है। सूरह क़सस में है (قُلۡ فَاۡتُوۡا بِکِتٰبٍ مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰہِ ہُوَ اَہۡدٰی مِنۡہُمَاۤ اَتَّبِعۡہُ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ) (28/क़सस : 49) यानी ''अगर तुम सच्चे हो तो इन दोनों से (यानी तौरात व क़ुरआन से) ज़्यादा हिदायत वाली कोई और अल्लाह की किताब लाओ तो मैं भी उसकी ताबेदारी करूँगा।'' सूरह इस्रा में फ़र्माया

قُلۡ لَّئِنِ اجۡتَمَعَتِ الۡاِنۡسُ وَالۡجِنُّ عَلٰۤی اَنۡ یَّاۡتُوۡا بِمِثۡلِ ہٰذَا الۡقُرۡاٰنِ لَا یَاۡتُوۡنَ بِمِثۡلِہٖ وَلَوۡ کَانَ بَعۡضُہُمۡ لِبَعۡضٍ ظَہِیۡرًا
(17/इस्रा : 88) यानी ''अगर तमाम जिन्न और इंसान जमा होकर और हर एक दूसरे की मदद करके यह चाहें कि इस जैसा क़ुरआन बनाएँ तो भी इनके इम्कान में नहीं।'' सूरह हूद में फ़र्माया

اَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىہُ ؕ قُلۡ فَاۡتُوۡا بِعَشۡرِ سُوَرٍ مِّثۡلِہٖ مُفۡتَرَیٰتٍ وَّادۡعُوۡا مَنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ
(11/हूद : 13) यानी ''क्या यह लोग यूँ कहते हैं कि इस क़ुरआन को ख़ुद इस पैग़म्बर (ﷺ) ने गढ़ लिया है।

तुम कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम सब मिलकर और अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम बुला सकते हो बुलाकर इस जैसी दस सूरतें बना लाओ।'' सूरह यूनुस में है

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ (10/यूनुस : 37) यानी ''यह क़ुरआन अल्लाह तआला के सिवा और की तरफ़ से गढ़ा हुआ नहीं, बल्कि यह पहली किताबों की तस्दीक़ करने वाला और किताब की तफ़्सील है जिसके अल्लाह के कलाम होने में कोई शक नहीं, जो रब्बुल आलमीन की तरफ़ से है। क्या यह लोग इसे ख़ुद साख़्ता बताते हैं? इनसे कहो कि अल्लाह के सिवा हर शख़्स को बुलाकर (इस क़ुरआन की सैंकड़ों सूरतों में से) एक छोटी सी सूरत जैसी कोई एक सूरत तो बना लाओ, ताकि तुम्हारा सच ज़ाहिर हो।''

यह तमाम आयात तो मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई और अहले -मक्का को इसके मुक़ाबले में आजिज़ साबित करके फिर मदीना मुनव्वरह में भी इस मज़्मून को दोहराया गया जैसे ऊपर की आयत में मिस्लुहू की ज़मीर को कुछ ने तो क़ुरआन की तरफ़ लौटाया है यानी कोई सूरत इस जैसी बना लाओ। कुछ ने यह ज़मीर मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ लौटाई है, यानी आप (ﷺ) जैसा कोई उम्मी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बावजूद कुछ पढ़ा हुआ न होने के वह कलाम कहे जिसका मिस्ल किसी से न बन सके। लेकिन सहीह क़ौल पहला ही है। उमर, इब्ने मसऊद, इब्ने अब्बास (رضی) मुजाहिद, क़तादा, हसन बसरी और अक्सर मुहक़्क़िक़ीन (रह.) का यही क़ौल है। इब्ने जरीर, तब्री, ज़मख़्शरी, राज़ी (रह.) ने भी इसी को पसंद किया है। इसकी तर्जीह की बहुत सी वजूहात हैं। एक तो यह कि इसमें सबको डांट-डपट है, इज्तिमाई और इंफ़िरादी तौर पर, ख़्वाह वह उम्मी और अनपढ़ हों, ख़्वाह अहले किताब और पढ़े लिखे लोग हों। फिर इसमें इस मुअजिज़े का कमाल है और बनिस्बत इसके कि सिर्फ़ अनपढ़ लोगों को आजिज़ किया जाए, इसमे ज़्यादा मुबालग़ा है। फिर दस सूरतों का मुतालबा करना, इसकी मिस्ल न ला सकने की पेशगोई करना भी इसी हक़ीक़त को साबित करता है कि इससे मुराद क़ुरआन है न कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ात। पस इस आम ऐलान से जो बार-बार किया गया और साथ ही पेशीनगोई भी कर दी गई कि यह लोग इस पर क़ादिर नहीं, मक्का में और मदीना में बारहा इसका एआदा किया गया और वह लोग जिनकी मादरी ज़ुबान अरबी थी, जिन्हें अपनी फ़साहत और बलाग़त पर नाज़ था, जो लोग आपकी और आप (ﷺ) के दीन की दुश्मनी पर आधार खाए बैठे थे, वह दरहक़ीक़त इससे आजिज़ आ गए, न पूरे क़ुरआन का जवाब दे सके, न दस सूरतों का, बल्कि न एक सूरत का।

पस एक मुअजिज़ा तो यह है कि इस जैसी एक छोटी सी सूरत भी वह न बना सके। दूसरा मुअजिज़ा यह कि यह पेशीनगोई भी सच साबित हुई कि यह हर्गिज़ इस जैसा नहीं बना सकते, गो सब जमा हो जाएँ और क़यामत तक मेहनत करें और ऐसा ही हुआ, न तो उस ज़माने में किसी की यह जुर्अत हुई, न उसके बाद से आज तक और न क़यामत तक किसी से यह हो सकेगा, और भला कैसे हो सकता है? जिस तरह अल्लाह तआला की ज़ात बेमिस्ल, इसी तरह उसका कलाम भी बेमिस्ल, हक़ीक़त भी यही है कि क़ुरआने-करीम को एक नज़र देखने से इसके ज़ाहिरी और बातिनी लफ़्ज़ी व मअनवी, वह वह कमालात ज़ाहिर होते हैं जो मख़्लूक़ के बस के नहीं। ख़ुद रब्बुल-आलमीन फ़र्माता है (الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ) (11/हूद : 1) यानी ''इस किताब की आयात

जो हिक्मत वाले, ख़बरदार अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नाज़िलशुदा है, मुहकम, मज़बूत और मुफ़स्सल अलग अलग हैं।'' पस अल्फ़ाज़ मुहकम और मआ़नी मुफ़स्सल या अल्फ़ाज़ मुफ़स्सल और मआ़नी मुहकम, पस क़ुरआन अपने अल्फ़ाज़ में और अपने मज़ामीन में बेनज़ीर है जिसके मुक़ाबले में और मुआ़रज़े से जिसकी नज़ीर और मिस्ल से दुनिया आ़जिज़ और बेबस है।

इस पाकीज़ा कलाम में साबिक़ा ख़बरें जो दुनिया से पोशीदा थीं, वह हूबहू बयान की गईं। आने वाले उमूर के तज़्किरे हुए जो लफ़्ज़-ब-लफ़्ज़ पूरे उतरे। तमाम भलाइयों के अहकाम इसमें, तमाम बुराईयों से मुमानिअ़त इसमें है। सच है (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا) (6/अन्आम : 115) यानी ''ख़बरों में सदाक़त और अहकाम में अ़दल तेरे रब के कलाम में पूरा-पूरा है।'' यह पाकीज़ा क़ुरआन सारे का सारा हक़ व सदाक़त, अ़दालत व हिदायत से पुर है। न इसमें वाही-तबाही बातें, न इसमें हंसी, मज़ाक़, किज़्ब व इफ़्तिरा है, जो शायरों के कलाम में उ़मूमन पाया जाता है बल्कि इनके अश्आर की क़द्रो-क़ीमत ही इसी पर है। मक़ौला मशहूर है कि अ'ज़बुहू अक्ज़बुहू जितना झूठ ज़्यादा, उतना ही मज़ेदार। तुम देखोगे कि लम्बे-लम्बे, पुरज़ोर क़सीदे मुबालग़ा और किज़्ब आमेज़ या तो औ़रतों की तअ़रीफ़-तौसीफ़ में होंगे, या घोड़ों की और शराब की सताइश में होंगे या किसी इंसान की बढ़ी-चढ़ी मदह व तअ़रीफ़ में होंगे या ऊँटनियों की आराइश व ज़ेबाईश या बहादुरी के पुर मुबालग़ा गीत या लड़ाईयों की चालबाज़ियों या डर ख़ौफ़ के ख़्याली मंज़रों के बयान में होंगे, जिनसे कोई फ़ायदा नहीं, न दीन का, न दुनिया का। सिर्फ़ शायर की ज़ुबानदानी और उसकी क़ुदरते-कलाम ज़ाहिर होती है और बस। न तो अख़्लाक़ पर इनसे कोई उ़म्दा असर, न आ'माल पर, फिर नफ़्से मज़्मून के भी पूरे क़सीदे में बमुश्किल दो एक शेअ़र होते हैं, बाक़ी सब भरती के और इधर-उधर की ला यानी और फ़िज़ूल बकवास के।

इसके मुक़ाबले में क़ुरआने-करीम पर नज़र डालो तो तुम देखोगे कि इसका एक एक लफ़्ज़ फ़साहत व बलाग़त, दीनो-दुनिया के नफ़ा और ख़ैरो-बरकत से पुर है। फिर कलाम की तर्तीब व तहज़ीब, अल्फ़ाज़ की बंदिश, इबारत की रवानी, मआ़नी की नूरानियत, मज़्मून की पाकीज़गी सोने पर सुहागा है। इसकी ख़बरों की हलावत, इसके बयानकर्दा वाक़ियात की सलासत मुर्दा दिलों की ज़िन्दगी है। इसका इख़्तिसार आ'ला कमाल का नमूना और इसकी तफ़्सील मुअ़जिज़े की जान है। इसका किसी चीज़ को दोहराना क़ंद मुकर्रर का मज़ा देता है। यह मालूम होता है कि, गोया खरे मोतियों की बारिश हो रही है। बार-बार पढ़ो और दिल न उक्ताये, मज़े लेते जाओ और हर वक़्त नया मज़ा पाओ, मज़ामीन समझते जाओ और ख़त्म न हों, यह क़ुरआने-करीम का ही ख़ास्सा है, इस चाशनी का ज़ायक़ा, इस मीठास का मज़ा कोई उनसे पूछे जिन्हें अक़्ल व हवास, इल्म व फ़ज़्ल का कुछ हिस्सा क़ुदरत ने अ़ता फ़र्माया हो। इसका अ़ज़ाबों से डराना और पकड़-धकड़ का बयान मज़बूत पहाड़ों को हिला दे, इंसानी दिल तो चीज़ ही क्या हैं। इसके वादे और ख़ुशख़बरियाँ, नेअ़मतों और रहमतों का बयान दिलों की पज़मुर्दा कली को खिला देने वाला शौक़ व तमन्ना के दबे-बुझे जज़्बात को उभार देने वाला, जन्नतों और राहतों के प्यारे-प्यारे मनाज़िर को आँखों के सामने कर देने वाला है। दिल खुल जाते हैं, कान लग जाते हैं और आँखें खुल जाती हैं।

रग़्बत देते हुए वह फ़र्माता है (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) (32/अस्सज्दा : 17) ''कोई क्या जाने कि उसके नेक आ'माल के बदले, उसकी आँखों की ठण्डक का क्या-क्या सामान चुपके-चुपके

तैयार किया जा रहा है।'' फ़र्माता है (وَ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ) (43/अहज़ाब : 71) यानी ''उस हमेशगी वाली जन्नत में हर वह चीज़ है जो दिल को भाए और आँखों मे उतर जाए।'' डराते और धमकाते हुए फ़र्माता है (ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ) (17/इस्रा : 68) और फ़र्माया (اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ) (بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ) (67/मुल्क : 16) ''क्या तुम अपने धंसाए जाने या आसमान से पत्थर बरसाए जाने से निडर हो गए हो? क्या आसमान वाला इस पर क़ादिर नहीं?'' इसे महज़ धमकी ही न समझो बल्कि इसकी हक़ीक़त अन्क़रीब तुम पर खुल जाएगी। ज़जर व तौबीख़ डांट-डपट करते हुए इर्शाद होता है (فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ) (29/अन्कबूत : 40) एक-एक को हमने उसकी बदकिरदारियों में पकड़ लिया। बतौर वअज़ व नसीहत बयान होता है (اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ) (26/शुअरा : 205) यानी ''और हमने कुछ साल उन्हें फ़ायदा भी दिया तो क्या हुआ? आख़िर वादे की घड़ी आ पहुँची और उस जाह व जलाल ने कोई नफ़ा न बख़्शा।'' ग़र्ज़ कोई कहाँ तक बयान करे, जिस मज़्मून को लिया, उसे कमाल तक पहुँचाकर छोड़ा है और तरह-तरह की फ़साहत व बलाग़त, हलावत व हिक्मत से मअमूर कर दिया है। हुक्म, अह्काम, रोक-टोक को देखिए, हर हुक्म अच्छाई-भलाई, नफ़ा और पाकीज़गी का जामेअ, हर मुमानिअत, क़बाहत, रज़ालत, दनायत और ख़बासत की क़ातेअ है।

इब्ने मसऊद (ﷺ) वग़ैरह अस्लाफ़े उम्मत का क़ौल है कि जब कुरआन में **(या अय्युअल् लजीना आमनू व)** सुनो तो कान लगा दो कि या तो किसी अच्छाई का हुक्म होगा, या किसी बुराई से मना किया जाएगा। ख़ुद परवरदिगारे आलम फ़र्माता है

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ

الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

(7/आ'राफ़ : 157) यानी ''भलाईयों का हुक्म देता है, बुराईयों से रोकता है, पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करता है, ख़बीस चीज़ों को हराम करता है, वह बोझल बेड़ियाँ जो पैरों में थीं, वह सख़्त तौक़ जो गले में थे, उतार फेंकता है।''अल्ख़। क़यामत के बयान की आयात वहाँ के होलनाक मंज़र, जन्नत-जहन्नम का बयान, रहमतों और ज़हमतों का पूरा-पूरा वस्फ़, औलिया अल्लाह के लिए तरह-तरह की नेअमतें, अल्लाह के दुश्मनों के लिए तरह-तरह के अज़ाब, कहीं बशारत है, कहीं डरावा है, कहीं नेकियों की तरफ़ रग़्बत है, कहीं बदकारियों से मुमानिअत है, कहीं दुनिया की तरफ़ जुहद करने की, कहीं आख़िरत की तरफ़ रग़्बत करने की तअलीम है। यही वह तमाम आयात हैं जो राहे-रास्त दिखाती, बेहतरीन रहनुमाई करती हैं और अल्लाह की पसंदीदा शरीअत की तरफ़ झुकाती हैं और दिलों को जिला (फ़रहत) देती हैं और शैतानी दरवाज़ों को बंद कर देती हैं और बुरे असरात ज़ाइल करती हैं।

कुरआन नबी (ﷺ) के लिए सबसे बड़ा मुअजिज़ा है : सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में बरिवायत हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''हर नबी को ऐसे मुअजिज़े दिए गए कि जिन्हें देखकर लोग उन पर ईमान लाए और मेरा मुअजिज़ा अल्लाह की वही यानी कुरआन पाक है।

इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे मुत्तबेईन बनिस्बत और नबियों के बहुत ज़्यादा होंगे।" (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब कैफ़ नज़लल् वही व अव्वल मा न ज़ ल : 4981, 7274; सहीह मुस्लिम : 152) (इसलिए कि और अम्बिया के मुअजिज़े उनके साथ चले गए लेकिन हुज़ूर (ﷺ) का यह मुअजिज़ा क़यामत तक बाक़ी रहेगा। लोग इसे देखते जायेंगे और इस्लाम में दाख़िल होते जाएँगे) हुज़ूर (ﷺ) का यह फ़र्मान कि "मेरा मुअजिज़ा वही है जो मैं दिया गया हूँ, से मतलब यह है कि मैं इसके लिए ख़ास किया गया हूँ" और यह क़ुरआन करीम मुझ ही को मिला है जो अपने मुआरज़े और मुक़ाबले से तमाम दुनिया को आजिज़ कर देने वाला है बख़िलाफ़ दूसरी आसमानी किताबों के कि वह अकसर उलमा के नज़दीक इस वस्फ़ से ख़ाली हैं, वल्लाहु आ'लम!

आँहज़रत (ﷺ) की नबुव्वत आप (ﷺ) की सदाक़त और दीने इस्लाम की हक़्क़ानियत पर अलावा इस मुअजिज़े के भी इस क़द्र दलाइल हैं जो गिने भी नहीं जा सकते, वलिल्लाहिल् हम्दु वल् मिनह! कुछ मुतकल्लिमीन ने क़ुरआने-करीम के ऐजाज़ को ऐसे तरीक़े पर बयान किया है जो अहले सुन्नत के और मुअतज़िला के क़ौल पर मुश्तरक है, वह कहते हैं कि या तो यह क़ुरआन फ़ी नफ़्सिही मुअजिज़ा है, इंसान के इम्कान में ही नहीं कि वह इस जैसा बना सके, इन्हें इसका मुआरज़ा करने की क़ुदरत व ताक़त ही नहीं या यह कि गो इसका मुआरज़ा मुम्किन है और इंसानी ताक़त से बाहर नहीं, लेकिन बावजूद इसके इन्हें मुआरज़ा का चैलेंज दिया जाता है। वह अदावत और दुश्मनी में बढ़े हुए हैं, वह दीने-हक़ को मिटाने के लिए हर वक़्त, हर ताक़त के ख़र्च करने और हर चीज़ के बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ताहम क़ुरआन का मुआरज़ा और मुक़ाबला इनसे नहीं किया जा सकता। यह दलील है इस बात पर कि यह क़ुरआने-करीम अल्लाह की जानिब से है कि बावजूद क़ुदरत व ताक़त होने के वह इन्हें रोक देता है और वह क़ुरआन का मिस्ल पेश करने से आजिज़ आ जाते हैं। गोया दूसरी वजह इतनी पसंदीदा नहीं, ताहम अगर इसे भी मान लिया जाए तो इससे भी क़ुरआन का मुअजिज़ा होना साबित है जो बतरीक़े तनज़्ज़ुल, हिमायते-हक़ और मुनाज़िरे की ख़ातिर सलाहियत रखता है।

इमाम राज़ी (रह.) ने भी छोटी-छोटी सूरतों के सवाल के जवाब में यही तरीक़ा इख़्तियार किया है।

वक़ूद और हिज़ारत से क्या मुराद है? (वक़ूद) के मअनी ईंधन के हैं जिससे आग जलाई जाए, जैसे लकड़ियाँ वग़ैरह। क़ुरआने-करीम में एक जगह इर्शाद है (وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) (72/जिन्न : 15) यानी "ज़ालिम लोग जहन्नम की लकड़ियाँ हैं।" और जगह फ़र्माया, "तुम और तुम्हारे वह मअबूद जो अल्लाह के सिवा हैं, जहन्नम की लकड़ियाँ हैं, तुम सब उसमें वारिद होंगे, अगर वह सच्चे मअबूद होते तो वहाँ वारिद न होते। दरअसल यह सबके सब उसमें हमेशा रहने वाले हैं।" और (हिजारत) कहते हैं पत्थर को। यहाँ मुराद गंधक के सख़्त स्याह और बड़े-बड़े और बदबूदार पत्थर हैं जिनकी आग बहुत तेज़ होती है। अल्लाह तआला हमें महफ़ूज़ रखे। आमीन! इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि उन पत्थरों की ज़मीन व आसमान की पैदाइश के साथ ही आसमाने अव्वल पर पैदा किया गया है। (मुस्तदरक : 2/261; व सनदुहू सहीहुन व सह्हहुल हाकिम वज़् ज़हबी; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह अत्तर्ग़ीब : 3675)) (इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम, मुस्तदरक) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) और चन्द सहाबा (رضي الله عنهم) से सुदी ने नक़्ल किया है कि

जहन्नम में यह स्याह गंधक के पत्थर भी हैं जिनकी सख़्त आग से काफ़िरों को अ़ज़ाब किया जाएगा। मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं कि इन पत्थरों की बदबू मुरदार की बू से भी ज़्यादा है। मुह़म्मद बिन अ़ली और इब्ने जुरैज भी कहते हैं कि मुराद गंधक के बड़े-बड़े और सख़्त पत्थर हैं। कुछ ने कहा है, मुराद वह पत्थर हैं जिनकी तस्वीरें वग़ैरह बनाई जाती थीं और फिर उनकी परसतिश की जाती थी। जैसे और जगह है (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) (21/अम्बिया : 98) "तुम और तुम्हारे वह मअ़बूद जो अल्ल्लाह के सिवा हैं जहन्नम की लकड़ियाँ हैं।" क़ुर्तुबी (रह़.) और राज़ी (रह़.) ने इसी क़ौल को तर्जीह़ दी है और कहा है कि गंधक के पत्थर को आग लगना कोई नई बात नहीं है। इसलिए मुराद यही अस्नाम व अंदाद बुत और जो पत्थर किसी शक्ल में भी अल्लाह तआ़ला के सिवा पूजे जाते हों। लेकिन यह वजह कोई क़वी वजह नहीं इसलिए कि जब आग गंधक के पत्थरों से सुलगाई जाए तो ज़ाहिर है कि उसकी तेज़ी और ह़रारत मअ़मूली आग से बहुत ज़्यादा होगी, इसका भड़कना और जलना और सौज़िश और शोले भी बहुत ज़्यादा होंगे। अलावा इसके फिर सलफ़ से भी इसकी तफ़्सीर यही मरवी है। इसी त़रह़ इन पत्थरों में आग का लगना भी ज़ाहिर है और आयत में मक़्सूद आग की तेज़ी और उसकी सोज़िश का बयान करना है और उसके बयान के लिए भी यहाँ पत्थर से मुराद गंधक के पत्थर लेना ही ज़्यादा मुनासिब है ताकि वह आग तेज़ हो और उससे भी अ़ज़ाब में सख़्ती हो। कुरआने-करीम में है (كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَٰهُمْ سَعِيرًا) (17/इस्रा : 97) "जहाँ शो'ले हल्के हुए कि हमने और भड़का दिया।" एक ह़दीस में है "हर मुज़ी आग में है।" (शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे मौज़ूअ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़् ज़ईफ़ा : 4233) तारीख़े बग़दाद : 11/299; व फ़ीही उ़स्मान बिन ख़त्ताब अल् अशजुल मअ़मर : कज़्ज़ाब) लेकिन यह ह़दीस मह़फ़ूज़ व मअ़रूफ़ नहीं। क़ुर्तुबी (रह़.) फ़र्माते हैं इसके दो मअ़नी हैं, एक यह कि हर वह शख़्स जो दूसरों को ईज़ा दे, जहन्नमी है। दूसरे यह कि हर ईज़ा देने वाली चीज़ जहन्नम की आग में मौजूद होगी जो जहन्नमियों को अ़ज़ाब देगी। (उइद्दत) यानी तैयार की गई से मुराद बज़ाहिर यही मालूम होता है कि वह आग काफ़िरों के लिए तैयार की गई है और यह भी हो सकता है कि, मुराद पत्थर हों यानी वह पत्थर जो तैयार किए गए हैं, काफ़िरों के लिए। इब्ने मसऊ़द (رضي الله عنه) का यही क़ौल है और फ़िल ह़क़ीक़त दोनों मअ़नों मे कोई इख़्तिलाफ़ नहीं, इसलिए कि पत्थरों का तैयार किया जाना आग जलाने के लिए है और आग के पत्थरों का तैयार किया जाना ज़रूरी है। लिहाज़ा एक-दूसरे के साथ लाज़िम-मल्ज़ूम हो गया। इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, हर वह शख़्स जो कुफ़्र पर हो उसके लिए वह आग तैयार है। इस आयत से इस्तिदलाल किया गया है कि जहन्नम अब मौजूद और पैदाशुदा है क्योंकि (उइद्दत) का लफ़्ज़ है और इसकी दलील में बहुत सी अह़ादीस भी हैं।

जहन्नम अब भी मौजूद है : एक लम्बी ह़दीस में है, जन्नत और दोज़ख़ में झगड़ा हुआ...."(स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत् तफ़्सीर, बाब क़ौलुहू (व तक़ूलु हल मिम् मज़ीद) : 4850; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2846) दूसरी ह़दीस में है, जहन्नम ने अल्लाह तआ़ला से दो सांस लेने की इजाज़त चाही और उसे सर्दी में एक सांस और गर्मी में दूसरा सांस लेने की इजाज़त दी गई। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस् सलात, बाब अल् इबराद बिज़् ज़ुहर फ़ी शिद्दतिल ह़र्र : 538; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 621) तीसरी ह़दीस में है कि स़ह़ाबा (رضي الله عنهم) कहते हैं हमने एक मर्तबा बड़े ज़ोर की आवाज़ सुनी। ह़ुज़ूर (ﷺ) से पूछा, यह किस चीज़ की आवाज़ है? "आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "सत्तर साल पहले एक पत्थर जहन्नम में फेंका गया था, आज वह पहुँचा।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल जन्नह, बाब जहन्नम

अआाज़नल्लाहु मिन्हा : 2844) चौथी हदीस में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने सूरज गहन की नमाज़ पढ़ते हुए जहन्नम को देखा। (सहीह बुख़ारी, किताबुल् कुसूफ़, बाब सलातुल कुसूफ़ जमाअतन : 1052; सहीह मुस्लिम : 907) पाँचवीं हदीस में है कि, आप (ﷺ) ने शबे-मेअराज में जहन्नम को और उसके अज़ाबों का मुलाहिज़ा फ़र्माया। इसी तरह की और बहुत सी सहीह मुतवातिर अहादीस मरवी हैं। मुअतज़िला अपनी जिहालत की वजह से इसे नहीं मानते और इसके ख़िलाफ़ कहते हैं और क़ाज़ी उन्दुलुस मुंज़िर बिन सईद बलौती ने भी इनकी मुवाफ़िक़त की है।

फ़ातू बिसूरतिन् से कौनसी सूरत मुराद है? याद रखना चाहिए कि यहाँ और सूरह यूनुस में जो कहा गया है कि एक ही सूरत इसके मानिन्द लाओ, यह शामिल है छोटी-बड़ी हर सूरत को, इसलिए कि अरबी के क़वाइद के मुताबिक़ जो इस्मे नक्रह हो और शर्त के तौर पर लाया गया हो वह उमूमियत का फ़ायदा देता है, जैसे कि नकेरा नफ़ी के तहत में इस्तिग़राक़ का फ़ायदा देता है। पस बड़ी और छोटी सूरतों, हर एक में ऐजाज़ है और इस बात पर सलफ़ व ख़ल्फ़ का इत्तिफ़ाक़ है।

इमाम राज़ी (रह.) अपनी तफ्सीर में लिखते हैं कि अगर कोई कहे कि सूरह का लफ़्ज़ सूरह कौसर और सूरह अस्र और सूरह काफ़िरून जैसी छोटी सूरतों को भी शामिल है, और यह भी यक़ीन हो कि इस जैसी या इसके क़रीब-क़रीब किसी सूरत को बना लेना मुम्किन है उसे इंसानी ताक़त से ख़ारिज कहना सिर्फ़ हठधर्मी और बेजा तरफ़दारी है तो हम जवाब देंगे कि हमने उसके मुअजिज़े नुमा होने के दो तरीक़े बयान करके दूसरे तरीक़े को इसीलिए पसंद किया है। हम कहते हैं , अगर यह छोटी सूरतें भी फ़साहत व बलाग़त में इसी पाया की हैं कि वह मुअजिज़ा कही जा सकें और इनका तआरुज़ मुम्किन न हो तो मक़सूद हासिल इसलिए कि बावजूद इन जैसी सूरतों के बना लाने पर इंसानी क़ुदरत होने के फिर लोगों का न बना सकना बावजूद सख़्ततर दुश्मनी और हर तरह की ज़बरदस्त कोशिश के इस बात पर दलील है कि यह क़ुरआन अपनी छोटी-छोटी सूरतों के साथ सरासर मुअजिज़ा है। यह तो है कलाम राज़ी (रह.) का। लेकिन सहीहतर क़ौल यह है कि क़ुरआने करीम की हर छोटी-बड़ी सूरत फ़िल वाक़ेअ मुअजिज़ा है और इंसान इसकी नज़ीर बनाने से महज़ आजिज़ और बिलकुल नाताक़त है। इमाम शाफ़ई (रह.) फ़र्माते हैं, अगर लोग ग़ौर व तदब्बुर और अक़्ल व होश से सिर्फ़ सूरह (अस्र) को समझ लें तो सबको काफ़ी हो जाए। हज़रत अम्र बिन आस (رضی الله عنه) जब वफ़्द में मुसैलिमा कज़्ज़ाब के पास गए और अभी यह ख़ुद भी मुसलमान न हुए तो मुसैलिमा ने इनसे पूछा कि, मक्का से तुम आ रहे हो, बताओ तो आजकल कोई ताज़ा वही भी नाज़िल हुई है? उन्होंने कहा, अभी-अभी एक मुख़्तसर सी सूरत नाज़िल हुई जो बेहद फ़सीह, बलीग़ और जामेअ और मानेअ है। फिर सूरह अस्र पढ़कर सुनाई तो मुसैलिमा ने कुछ देर सोचकर उसके मुक़ाबले में कहा कि मुझ पर भी एक ऐसी ही सूरत नाज़िल हुई है, उसने कहा, हाँ! तुम भी सुनाओ तो उसने कहा, (ياوبريا وبرانما انت اذنان وصدر وسائك حقر فقر) यानी "ऐ जंगली चूहे! ऐ जंगली चूहे! तेरा वजूद सिवा दो कानों और सीने के और कुछ भी नहीं, बाक़ी तो तू सरासर बिलकुल नाचीज़ है। फिर फ़ख़्रिया कहने लगा, कहो ऐ अम्र! कैसी कही, उन्होंने कहा, मुझसे क्या पूछते हो इसे तो तू ख़ुद जानता है कि सरासर किज़्ब और बोहतान है। भला कहाँ यह फ़िज़ूल कलाम और कहाँ वह हिक्मतों से भरपूर कलाम।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ
كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ
مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٢٥

तर्जुमा : "ईमानवालों और नेक अमल करने वालों को उन जन्नतों की ख़ुशख़बरियाँ दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी फलों की रोज़ियाँ दिए जाएँगे तो कहेंगे यह वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे और हमशक्ल लाए जाएँगे और उनके लिए बीवियाँ हैं, साफ़-सुथरी और वह उन जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं।" (25)

ईमानवालों के लिए ख़ुशख़बरी और जन्नत की चंद नेअमतों का तज़्किरा (आयत 25) : चूँकि पहले काफ़िरों और दुश्मनाने दीन की सज़ा अज़ाब और रुस्वाई का ज़िक्र हुआ था इसलिए यहाँ ईमानवालों और नेक सालेह लोगों की जज़ा-सवाब और सुरख़ुरूई का बयान किया गया है, क़ुरआन के मसानी होने के एक मअनी यह भी हैं और सहीहतर क़ौल भी यही है कि इसमें हर मज़्मून तक़ाबुली जाइज़े के साथ बयान किया गया है। इसका मुफ़स्सल बयान भी किसी मुनासिब जगह आएगा। मतलब यह है कि ईमान के साथ कुफ़्र का, कुफ़्र के साथ ईमान का, नेकों के साथ बुरों का और बुरों के साथ नेकों का ज़िक्र ज़रूर आता है। जिस चीज़ का बयान होता है, साथ ही उसके मुक़ाबला की चीज़ का भी ज़िक्र हो जाता है। किसी चीज़ को ज़िक्र करके उसकी नज़ीर को भी कहीं बयान किया गया है। यह मअनी हैं मुतशाबेह होने के और यह दोनों लफ़्ज़ क़ुरआन के औसाफ़ में वारिद हुए हैं। उसे मसानी भी कहा गया है और मुतशाबेह भी फ़र्माया गया है। जन्नतों के नीचे नहरें बहना उसके दरख़्तों और बालाख़ानों के नीचे बहना है। हदीसे मुबारका में है कि, "नहरें बहती हैं लेकिन गढ़ा नहीं" हदीस में है कि नहरे कौसर के दोनों किनारे सच्चे मोतियों के क़ुब्बे हैं।

उसकी मिट्टी मुश्के ख़ालिस है और उसकी कंकरियाँ मोती और जवाहिर हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुर् रिक़ाक़, बाब फ़िल् हौज़ : 6581) अल्लाह तआला अपने फ़ज़्लो करम से हमें भी यह नेअमतें अता फ़र्माए वह एहसान करने वाला और बड़ा रहीम है। हदीस में है जन् नत की नहरें मुश्की पहाड़ों के नीचे से जारी होती है। (इब्ने अबी हातिम) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) से भी यही मरवी है। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन क़रार दिया है। देखिए (सहीह अत् तर्ग़ीब : 3721) जबकि इसकी सनद आ'मश की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।)

मुतशाबेह से क्या मुराद है? जन्नतियों का यह क़ौल कि पहले भी हम यह दिए गए थे, इससे मुराद यह है कि दुनिया में भी यह मेवे हमें मिले थे। सहाबा (رضی اللہ عنہم) और इब्ने जरीर (रह.) भी इसकी ताईद करते हैं। कुछ कहते हैं, मतलब यह है कि हम इससे पहले यानी कल भी यही दिए गए थे। यह इसलिए कहेंगे कि ज़ाहिरी सूरत व शक्ल में वह बिलकुल मुशाबेह होंगे। यहया बिन कसीर (रह.) कहते हैं कि, एक प्याला आएगा, खायेंगे फिर दूसरा आएगा तो कहेंगे, यह तो अभी खाया है। फ़रिश्ते कहेंगे कि खाईए, अगरचे शक्ल व सूरत में यक्साँ है लेकिन मज़ा और ही है। फ़र्माते हैं, जन्नत की घास ज़ा'फ़रान है, उसके टीले मुश्क के हैं। छोटे-छोटे ख़ूबसूरत ग़िलमान (लड़के) इधर-उधर से मेवे ला लाकर पेश कर रहे हैं, वह खा रहे हैं, वह फिर पेश करते हैं तो यह कहते हैं, इसे तो अभी खाया है। वह जवाब देते हैं, हज़रत! रंग-रूप एक है लेकिन ज़ायक़ा और ही है, चखकर देखिए। खाते हैं तो और ही लुत्फ़ पाते हैं। यही मअ़नी हैं कि हमशक्ल लायेंगे। दुनिया के मेवों से भी नाम और शक्ल सूरत में मिलते-जुलते होंगे लेकिन मज़ा कुछ दूसरा ही होगा।

इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) का क़ौल है कि सिर्फ़ नाम में मुशाबिहत है वरना कहाँ दुनिया की चीज़ें और कहाँ जन्नत के ख़्वाने नेअ़मत? यहाँ तो फ़क़त नाम ही है। अ़ब्दुर्रहमान (रह.) का क़ौल है कि दुनिया के फलों जैसे फल देखकर कह देंगे कि यह तो दुनिया में खा चुके हैं मगर जब चखेंगे तो लज़्ज़त कुछ और ही होगी। वहाँ जो बीवियाँ उन्हे मिलेंगी वह गंदगी, नापाकी, हैज़ व निफ़ास पेशाब, पाख़ाना, थूक, रेंट, मनी वग़ैरह से पाक साफ़ होंगी। एक क़ौल है कि हज़रत हव्वा (علیہا السلام) भी पहले हैज़ से पाक थीं लेकिन नाफ़र्मानी सरज़द होते ही यह बला आ गई। लेकिन यह क़ौल सनदन ग़रीब है। (यह इस्राइलियात से है। अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम (ज़ईफ़) बकसरत अहले किताब से नक़्ल करते हैं।) एक ग़रीब मरफ़ूअ़ हदीस में है कि, "हैज़, पाख़ाना, थूक, रेंट से वह पाक हैं।" हाकिम इस हदीस को सहीह और शर्ते-शैख़ैन पर बताते हैं लेकिन यह दा'वा सहीह नहीं, इसके एक रावी अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिन उ़मर बज़ीई हैं जिन्हें अबू हातिम (रह.) ने हुज्जत लेने के क़ाबिल नहीं समझा। बज़ाहिर यह मालूम होता है कि यह मरफ़ूअ़ हदीस नहीं, बल्कि क़तादा (रह.) का क़ौल है, वल्लाहु अ़'लम! इन तमाम नेअ़मतों के साथ इस ज़बरदस्त नेअ़मत को देखिए कि यह न नेअ़मतें फ़ना हों, न नेअ़मतें उनसे छीनें, न यह नेअ़मतों से अलग किए जाएँ। न मौत से ख़ात्मा है, न आख़िर है, न टूटना और कम होना है। अल्लाह रब्बुल आ़लमीन जव्वाद व करीम, बर्र व रहीम से इल्तिजा है कि वह मालिक हमें भी अहले जन्नत के ज़ुमरे में शामिल करे और उन्हीं के साथ हमारा हश्र करे, आमीन! या रब्बल आ़लमीन!

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ
بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾
الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ
يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾

तर्जुमा : ''यक़ीनन अल्लाह तआला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता ख़्वाह मच्छर की हो या उससे भी हल्की चीज़ की, ईमानवाले तो इसे अपने रब की जानिब से सहीह समझते हैं। और कुफ़्फ़ार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली? इसी के साथ बहुतों को गुमराह करता है और अकसर लोगों को राहे-रास्त पर लाता है और गुमराह तो सिर्फ़ फ़ासिक़ों को ही करता है। (26) जो लोग अल्लाह तआला के मज़बूत अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह तआला ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें तोड़ते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, यही लोग नुक़्सान उठाने वाले हैं।''(27)

दुनिया की औक़ात मच्छर के पर के बराबर भी नहीं (आयत 26-27) : इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद (رضي الله عنهم) और चंद सहाबा (رضي الله عنهم) से रिवायत है कि जब ऊपर की तीन आयात में दो मिसालें मुनाफ़िक़ों की बयान हुईं यानी आग की और पानी की तो वह कहने लगे कि, ऐसी छोटी-छोटी मिसालें अल्लाह तआला हर्गिज़ बयान नहीं करता। इस पर यह दोनों आयात नाज़िल हुईं। (तबरी : 1/398) क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि, जब कुरआने-करीम में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुश्रिक कहने लगे, भला ऐसी हक़ीर चीज़ों के ब यान की कुरआन जैसी अल्लाह की किताब में क्या ज़रूरत? तो जवाबन यह आयात उतरीं। (तबरी : 1/399) और कहा गया कि हक़ के बयान से अल्लाह तआला नहीं शर्माता, ख़्वाह वह कम हो या ज़्यादा, लेकिन इससे कुछ ऐसा मालूम होता है कि गोया यह आयत मक्का में नाज़िल हुई, हालाँकि ऐसा नहीं, वल्लाहु आ'लम! और बुज़ुर्गों से भी इसी तरह का शाने-नुज़ूल मरवी है। रबीअ (रह.) फ़र्माते हैं कि यह ख़ुद एक मुस्तक़िल मिसाल है जो दुनिया की बयान की गई है। मच्छर जिस वक़्त तक भूखा होता है, ज़िन्दा रहता है, जहाँ मोटा-ताज़ा हुआ मरा। इसी तरह यह लोग हैं कि जब दुनियावी नेअमतें दिल खोलकर हासिल कर लेते हैं, वहीं अल्लाह की पकड़ आ जाती है जैसे और जगह फ़र्माया (فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ) (6/अन्आम : 24) जब यह हमारी नसीहत भूल जाते हैं हम उन पर तमाम चीज़ों के दरवाज़े खोल देते हैं, यहाँ तक कि इतरने लगते हैं। अब अचानक हम इन्हें पकड़ लेते हैं। (तबरी

: 1/398) (इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम) इब्ने जरीर (रह.) ने पहले क़ौल को पसंद किया है और मुनासिबत भी इसी की ज़्यादा अच्छी मालूम होती है, वल्लाहु आ'लम! तो मतलब यह है कि कोई सी मिसाल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बयान करने से अल्लाह तआला न रुकता है, न शर्माता है। लफ़्ज़ मा यहाँ पर कमी के मअनी बताने के लिए है, और (बऊज़तन) का ज़बर बदलियत की बिना पर अरबी के क़ायदा के मुताबिक़ है जो अदना चीज़ पर सादिक़ आ सकता है। या नकेरह मौसूफ़ा है और (बऊज़तन) सिफ़त है। इब्ने जरीर (रह.) मा का मौसूला होना और बऊज़ का इसी के ऐराब से मुअरब होना पसंद करते हैं। और कलामे अरब में यह बकसरत शाये है कि वह मा और मन के सिलह् को इन ही दोनों का ऐराब दे दिया करते हैं इसलिए कि कभी यह नकेरा होते हैं और कभी मअरिफ़ा। जैसे हस्सान बिन साबित (ﷺ) के शेअरों में है –

يكفى بنافضلا على من غيرنا   حب النبى محمد ايانا

"हमें ग़ैरों पर सिर्फ़ यही फ़ज़ीलत काफ़ी है कि हमारे दिल हुब्बे नबी (ﷺ) से पुर हैं।"

और यह भी हो सकता है कि (बऊज़तन) मन्सूब हो हर्फ़े जार की बिना पर और इससे पहले (बैन) का लफ़्ज़ मुक़द्दर माना जाए। कुसाई और फ़र्रा इसी को पसंद करते हैं। ज़ह्हाक (रह.) और इब्राहीम बिन अब्ला (बऊज़तन) पढ़ते हैं। इब्ने जुनी (रह.) कहते हैं कि यह मा का सिलह होगा और आइद हज़फ़ मानी जाएगी जैसे (تَمَامًا عَلَى الَّذِىٓ اَحْسَنَ) में (फ़मा फ़ौक़हा) के दो मअनी बयान किए हैं। एक तो यह कि इससे भी हल्की और रद्दी चीज़ जैसे किसी शख़्स की बख़ीली वग़ैरह का ज़िक्र करे और दूसरा कहे कि वह इससे भी बढ़कर है तो मुराद यह होती है कि वह इससे भी ज़्यादा गिरा हुआ है। कुसाई और अबू उबैद यही कहते हैं। एक हदीस में आता है "अगर दुनिया की क़द्र व मंज़िलत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफ़िर को एक घूँट पानी भी न पिलाता।" (तिर्मिज़ी, अब्वाबुज़् ज़ुहद, बाब मा जाअ फ़ी हवानिद् दुनिया .... : 2320; व हुव हसन; इब्ने माजा : 4110; यह हदीस बशवाहिद हसन है। देखिए (मुख़्तसर मिन्हाजुल क़ासिदीन, रक़म : 248; बतहक़ीक़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ महदी, सिलसिलतुस् सहीहा लिल अल्बानी : 943) दूसरे मअनी यह हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी इसलिए कि भला मच्छर से हल्की और छोटी चीज़ क्या होगी? क़तादा (रह.) का यही क़ौल है। इब्ने जरीर (रह.) भी इसी को पसंद करते हैं। सहीह मुस्लिम में हदीस है कि "किसी मुसलमान को कांटा चुभे या उससे ज़्यादा तो उस पर भी उसके दर्जे बढ़ते हैं और गुनाह मिटते हैं।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल् मर्ज़ा, बाब मा जाअ फ़ी कफ़्फ़ारतिल् मर्ज़ : 5640; सहीह मुस्लिम : 6561; तिर्मिज़ी : 965) इस हदीस में भी यही लफ़्ज़ फ़मा फ़ौक़हा है तो मतलब यह हुआ कि जिस तरह अल्लाह तआला इन छोटी-बड़ी चीज़ों के पैदा करने से शर्माता नहीं और न रुकता है, इसी तरह इन्हें मिसाल के तौर पर बयान करने से भी उसे कोई आर नहीं। एक जगह कुरआन में कहा गया है कि, "ऐ लोगों! एक मिसाल बयान की जाती है, कान लगाकर सुनो! जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारते हो वह सारे के सारे जमा हो जाएँ तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले जाए तो यह उससे वापिस नहीं ले सकते, आबिद और मअबूद दोनों ही बेहद कमज़ोर हैं।" दूसरी जगह

फ़र्माया, "उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह तआला के सिवा दूसरों को मददगार बनाते हैं, मकड़ी के जाले जैसे हैं जिसका घर तमाम घरों से ज़्यादा बोदा और कमज़ोर है।" और जगह फ़र्माया, "अल्लाह तआला ने कलिमा तय्यिबा की मिसाल दी। पाक दरख़्त से जिसकी जड़ मज़बूत हो और जिसकी शाख़ें आसमान में हों जो बहुक्मे अल्लाह तआला हर वक़्त फल देता हो। इन मिसालों को अल्लाह तआला लोगों के ग़ौरो-तदब्बुर के लिए बयान फ़र्माता है और नापाक कलाम की मिसाल नापाक दरख़्त जैसी है जो ज़मीन के ऊपर-ऊपर ही हो और जड़ें मज़बूत न हों। अल्लाह तआला ईमानवालों को मज़बूत बात के साथ दुनिया और आख़िरत में बरक़रार रखता है और ज़ालिमों को गुमराह करता है, अल्लाह जो चाहे करे।" और जगह फ़र्माया, अल्लाह तआला उस मम्लूक गुलाम की मिसाल पेश करता है जिसे किसी चीज़ पर इख़्तियार नहीं।" और जगह "दो शख़्सों की मिसाल अल्लाह तआला बयान फ़र्माता है जिनमें से एक तो गूँगा और बिलकुल गिरा-पड़ा, बेताक़त है जो अपने आक़ा पर बोझ है। जहाँ जाए बुराई ही लेकर आए, और दूसरा वह जो अदल व हक़ का हुक्म करे, क्या यह दोनों बराबर हो सकते हैं?" दूसरी जगह है, "अल्लाह तआला तुम्हारे लिए ख़ुद तुम्हारी मिसाल बयान फ़र्माता है। क्या तुम अपनी चीज़ों में अपने गुलामों को भी अपना शरीक और बराबर का हिस्सेदार समझते हो?" और जगह इर्शाद है "उस शख़्स की मिसाल अल्लाह तआला बयान फ़र्माता है जिसके बहुत से बराबर के शरीक हों?" और जगह इर्शादे बारी तआला है, "इन मिसालों को हम लोगों के लिए बयान करते हैं और इन्हें (पूरी तरह) सिर्फ़ इल्म वाले ही समझते हैं।" इनके अलावा और भी बहुत सी मिसालें क़ुरआने-करीम में बयान हुई हैं। कुछ सलफ़े सालिहीन (रह.) फ़र्माते हैं, जब मैं क़ुरआन में किसी मिसाल को सुनता हूँ और समझ नहीं सकता तो मुझे रोना आता है क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़र्मा दिया है कि इन मिसालों को सिर्फ़ आलिम ही समझ सकते हैं। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, मिसालें ख़्वाह छोटी हो या बड़ी, ईमान वाले इन पर ईमान लाते हैं और इन्हें हक़ जानते हैं और इनसे हिदायत हासिल करते हैं। क़तादा (रह.) का क़ौल है कि वह इन्हें अल्लाह का कलाम समझते हैं। (अन्नहू) की ज़मीर का मरजअ मिसाल है यानी मो'मिन इस मिसाल को अल्लाह की जानिब से और हक़ समझते हैं और काफ़िर बातें बनाते हैं, जैसे सूरह मुद्दस्सिर में है (وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ) (74/मुद्दस्सिर : 31) यानी "हमने आग वाले फ़रिश्तों की गिनती को कुफ़्फ़ार की आज़माईश का सबब बनाया है, अहले किताब यक़ीन करते हैं, ईमान वाले ईमान में बढ़ जाते हैं। इन दोनो जमाअतों को कोई शक नहीं रहता लेकिन बीमार दिल और कुफ़्फ़ार कह उठते हैं कि इस मिसाल से क्या मुराद है?" इसी तरह अल्लाह तआला जिसे चाहता है, गुमराह करता है और जिसे चाहता है, हिदायत देता है। तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ भी उसी हिदायत व ज़लालत को बयान किया।

अल्लाह तआला के वा'दों को तोड़ने वाले कौन हैं? सहाबा किराम (رضی اللہ عنہم) से मरवी है कि इससे गुमराह मुनाफ़िक़ होते हैं और राह मो'मिन पाते हैं, वह अपनी गुमराही में बढ़ जाते हैं क्योंकि बावजूद इस इल्म के कि मिसाल हक़ है, दुरुस्त और सहीह है फिर भी उसे झुठलाते हैं और यह (मो'मिन) इक़रार करके हिदायत व ईमान को बढ़ा लेते हैं। फ़ासिक़ीन से मुराद मुनाफ़िक़ हैं। कुछ ने कहा है, काफ़िर मुराद हैं जो पहचानते हैं और इंकार करते हैं। हज़रत सअद (رضی اللہ عنہ) कहते हैं, मुराद ख़्वारिज हैं। अगर इस क़ौल की सनद हज़रत सअद बिन अबी

वक़्क़ास (رضي الله عنه) तक सहीह हो तो मतलब यह होगा कि यह तफ़्सीर मअ़नवी है, यह नहीं कि इससे मुराद ख़्वारिज हैं बल्कि यह कि यह फ़िरक़ा भी फ़ासिक़ों में दाख़िल है, जिन्होंने नहरवान में हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) पर चढ़ाई की थी, यह लोग गो नुज़ूले आयत के वक़्त मौजूद न थे लेकिन अपने बदतरीन वस्फ़ की वजह से मअ़नवी तौर पर यह भी फ़ासिक़ों में दाख़िल हैं। इन्हें ख़ारजी इसलिए कहा गया है कि इमामे बरहक़ की इताअ़त से निकल गए थे और शरीअ़ते इस्लाम की पाबन्दी से आज़ाद हो गये थे। लुग़त में फ़िस्क़ कहते हैं, इताअ़त और फ़र्मांबरदारी से निकल जाने को। जब छिलका हटाकर ख़ोशा निकलता है तो अ़रब कहते हैं फ़सक़त चूहे को भी फ़ुवैसिक़ा कहते हैं क्योंकि वह अपने बिल से निकलकर फ़साद करता है। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''पाँच जानवर फ़ासिक़ हैं। हरम में और बाहर क़त्ल कर दिए जाएँ, कौआ, चील, बिच्छू, चूहा और काला कुत्ता।'' (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब इज़ा वक़अ़ज़् ज़ुबाब फ़ी शराबि अहदिकुम...: 3314; सहीह मुस्लिम : 1198) पस लफ़्ज़ फ़िस्क़ काफ़िर को और हर नाफ़र्मान को शामिल है लेकिन काफ़िर का फ़िस्क़ ज़्यादा सख़्त और ज़्यादा बुरा है। एक आयत में फ़ासिक़ से मुराद काफ़िर है। वल्लाहु अ़ा'लम! इसकी बड़ी दलील यह है कि, बाद में इनका वस्फ़ यह बयान फ़र्माया है कि वह अल्लाह तआ़ला का अ़हद तोड़ते हैं, उसके फ़र्मान काटते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं और यह सब औसाफ़ कुफ़्फ़ार के हैं।

मो'मिनों के औसाफ़ तो इसके बरख़िलाफ़ होते हैं, जैसे सूरह रअ़द में बयान है (اَفَمَنْ يَّعْلَمُ) (13/रअ़द : 19) ''क्या पस वह शख़्स जो जानता है कि जो कुछ तेरे रब की तरफ़ से तुझ पर उतरा, वह हक़ है, क्या उस शख़्स जैसा हो सकता है कि जो अंधा हो? नसीहत तो सिर्फ़ अ़क़्लमन्द हासिल करते हैं जो अल्लाह के वा'दों को पूरा करते हैं और मीसाक़ तोड़ते नहीं और अल्लाह तआ़ला ने जिन कामों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें जोड़ते हैं, अपने रब से डरते रहते हैं और हिसाब की बुराई से काँपते रहते हैं। आगे चलकर फ़र्माया, ''जो लोग अल्लाह के अ़हद को, उसकी मज़बूती के बाद तोड़ दें और जिस चीज़ के मिलाने का अल्लाह का हुक्म हो वह उसे न मिलाएँ और ज़मीन में फ़साद फैलाएँ, उनके लिए लअ़नतें हैं और उनके लिए बुरा घर हैं, यहाँ अ़हद से मुराद वह वसिय्यत है जो अल्लाह ने अपने बन्दों को की थी जो उसके तमाम अहकाम बजा लाने और तमाम नाफ़र्मानियों से बचने को शामिल है, इसका तोड़ देना इस पर अ़मल न करना है।

कुछ कहते हैं तोड़ने वाले अहले-किताब के काफ़िर और उनके मुनाफ़िक़ हैं और अ़हद वह है जो उनसे तौरात में लिया गया था। उसकी तमाम बातो पर अ़मल करें और मुहम्मद (ﷺ) की इत्तिबाअ़ करें जब भी आप तशरीफ़ ले आएँ, आप (ﷺ) की नबुव्वत का इक़रार करें और जो कुछ आप (ﷺ) अल्लाह की जानिब से लेकर आएँ, उसकी तस्दीक़ करें और इस अ़हद को तोड़ देना यह है कि उन्होंने आप (ﷺ) की नबुव्वत और इताअ़त से इंकार कर दिया और अ़हद का इल्म होने के बावजूद उसे छुपाया और दुनियावी मस्लिहतों की बिना पर उसके ख़िलाफ़ किया। इमाम इब्ने जरीर (रह.) इस क़ौल को पसंद करते हैं और मुक़ातिल बिन हय्यान (रह.) का भी यही क़ौल है। कुछ कहते हैं कि, इससे मुराद कोई ख़ास जमाअ़त नहीं बल्कि शिर्क व कुफ़्र व निफ़ाक़ वाले सबके सब मुराद हैं। अ़हद से मुराद अपनी तौहीद का और अपने नबी की नबुव्वत का इक़रार कराना है जिस पर

खुली हुई निशानियाँ और बड़े-बड़े मुअजिज़े मौजूद हैं, और इसका तोड़ देना तौहीद व सुन्नत से मुँह मोड़ना और इंकार करना है। यह क़ौल अच्छा है। ज़मख़्शरी (रह़.) भी इसी को पसंद करते हैं। वह कहते हैं, अ़हद से मुराद अल्लाह तआ़ला की तौह़ीद मानने का इक़रार है जो फ़ित्रते इंसान में दाख़िल होने के अ़लावा रोज़े-मीसाक़ में भी मनवाया गया है। फ़र्माया गया था कि (اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) (7/आ'राफ़ : 172) "क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?" तो सबने जवाब दिया था, बेशक तू हमारा रब है। फिर जो किताबें दी गईं, उनमें भी इक़रार कराया गया है। जैसे फ़र्माया (وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ) (2/बक़रह : 4) "मेरे अ़हद को निभाओ, मैं भी अपने वा'दे को पूरा करूँगा।" कुछ कहते हैं, मुराद वह अ़हद है जो रूहों से किया गया था, जब उन्हें ह़ज़रत आदम (ؑ) की पीठ से निकाला था। जैसे फ़र्माता है (وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ) (7/आ'राफ़ : 172) "जब तेरे रब ने औलादे आदम से वा'दा लिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ और उन सबने इक़रार किया।" और इसका तोड़ना इसका छोड़ना है। यह तमाम अक़्वाल तफ़्सीर इब्ने जरीर में मन्क़ूल हैं। अबुल आ़लिया (रह़.) फ़र्माते हैं, अ़हद अल्लाह तआ़ला को तोड़ना जो मुनाफ़िक़ों का काम था, वह यह छः ख़स्लतें हैं। बात करने में झूठ बोलना, वा'दाख़िलाफ़ी करना, अमानत में ख़यानत करना, अल्लाह के अ़हद को उसकी मज़बूती के बाद तोड़ देना, अल्लाह तआ़ला ने जिन कामोंके मिलाए जाने का हुक्म दिया है, उन्हें न मिलाना, ज़मीन में फ़साद फैलाना। यह छः ख़स्लतें इनकी उस वक़्त ज़ाहिर होती हैं जबकि इनका ग़ल्बा हो और जब वह मग़्लूब होते हैं तो पहले तीन कामों को छोड़कर बाद वाले तीन काम करते है। सुदी (रह़.) फ़र्माते हैं, क़ुरआन के अह़काम को पढ़ना, जानना, सच कहना, फिर न मानना भी अ़हद को तोड़ना था। अल्लाह तआ़ला ने जिन कामों के जोड़ने का हुक्म दिया है, उनसे मुराद सिलह-रह़्मी करना, क़राबत के हुक़ूक़ अदा करना वग़ैरह है। जैसे और जगह क़ुरआन मजीद में है (فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ) (47/मुह़म्मद : 22) "क़रीब है कि तुम अगर लौटो तो ज़मीन में फ़साद करो और रिश्ते-नाते तोड़ दो।" इब्ने जरीर (रह़.) इसी को तर्जीह़ देते हैं। और यह भी कहा गया है कि आयत आ़म है जिसके मिलाने, अदा करने का हुक्मे बारी था, उन्होंने इसे तोड़ा और न किया (ख़ासिरून) से मुराद आख़िरत में नुक़्सान उठाने वाले हैं। (इब्ने अबी ह़ातिम : 1/101) जैसे फ़र्माने बारी है (اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ) (13/रअ़द : 25) "इन लोगों पर लअ़नत है और इनके लिए बुरा घर है।"

ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (ؓ) का फ़र्मान है कि अहले-इस्लाम के अ़लावा दूसरों को जहाँ क़ुरआन ने ख़ासिर कहा है। वहाँ मुराद काफ़िर है और अहले-इस्लाम के लिए जहाँ यह लफ़्ज़ आया है वहाँ मुराद गुनहगार हैं। (त़बरी : 1/417) ख़ासिरून जमा है ख़ासिर की, चूँकि इन लोगों ने नफ़्सानी ख़्वाहिशों और दुनियावी लज़्ज़तों में पड़कर अपने आपको रह़मते-रब्बानी से दूर कर लिया, इसलिए उन्हें नुक़्सान याफ़्ता कहा गया है जैसे वह शख़्स जिसे अपनी तिजारत में नुक़्सान हो जाए, इसी त़रह़ यह काफ़िर व मुनाफ़िक़ हैं कि जब रह़मो- करम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी यानी क़यामत वाले दिन तो उस दिन रह़मते-रब्बानी से यह मह़रूम हो जाएँगे।

.....

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾

तर्जुमा : "तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ़्र करते हो हालाँकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें ज़िन्दा किया फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर ज़िन्दा करेगा, फिर उसी की तरफ़ लौटाए जाओगे।" (28)

अदम से वजूद में लाने वाला कौन? (आयत 28) : इस बात का सबूत देते हुए कि अल्लाह तआला मौजूद है, वह कुदरतों वाला है, वही पैदा करने वाला है और इख़्तियार वाला है, इस आयत में फ़र्माया, "तुम अल्लाह तआला के व जूद का कैसे इंकार कर सकते हो या उसके साथ किसी दूसरे की इबादत कैसे कर सकते हो? जबकि तुमको अदम से वजूद में लाने वाला वही एक है।" जैसे और जगह फ़र्माया "क्या यह बग़ैर किसी चीज़ के पैदा किए गए? या यह ख़ुद पैदा करने वाले हैं? या इन्होंने ज़मीन व आसमान भी पैदा किये हैं? हर्गिज़ नहीं! बल्कि यह बेयक़ीन लोग हैं।" और जगह इर्शाद होता है (هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ) (76/इंसान : 1) "यक़ीनन इंसान पर वह ज़माना भी आया है कि जिस वक़्त यह क़ाबिले-ज़िक्र चीज़ ही न था। और भी इसी तरह की बहुत सी आयात हैं।

हज़रत इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि, कुफ़्फ़ार जो कहेंगे (رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ) (40/ग़ाफ़िर : 11) "ऐ अल्लाह तआला! दो दफ़ा तूने हमें मारा, दो दफ़ा जिलाया हमें, अपने गुनाहों का इक़रार है।" इससे मुराद यही है जो इस आयत (وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا) में है। मतलब यह है कि तुम अपने बापों की पीठ में मुर्दा थे यानी कुछ भी न थे, उसने तुम्हें ज़िन्दा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा यानी मौत एक दिन ज़रूर आएगी फिर वह तुम्हें क़ब्रों से उठाएगा। पस एक हालत मुर्दापन की दुनिया में आने से पहले, फिर दूसरी दुनिया में मरने की और क़ब्रों की तरफ़ जाने की, फिर रोज़े-क़यामत में उठ खड़े होने की, दो ज़िन्दगियाँ और दो मौतें। (तबरी : 1/419) अबू सालेह (रह.) फ़र्माते हैं कि क़ब्र में इंसान को ज़िन्दा कर दिया जाता है।

अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद (रह.) का बयान है कि हज़रत आदम (عليه السلام) की पीठ में उन्हें पैदा किया, फिर उनसे अहदो-पैमान लेकर बेजान कर दिया, फिर माँ के पेट में उन्हें पैदा किया, फिर दुनियावी मौत उन पर आई, फिर क़यामत वाले दिन उन्हें ज़िन्दा करेगा। लेकिन यह क़ौल ग़रीब है, पहला क़ौल ही ठीक है। इब्ने मसऊद, इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) और ताबेईन (रह.) की एक जमाअत का भी यही क़ौल है। क़ुरआन में और जगह है (قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ) (45/जासिया : 26) "अल्लाह ही तुम्हें पैदा करता है, फिर मारता है, फिर तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा, अल्ख़। उन पत्थरों और तस्वीरों को जिन्हें मुश्रिकीन पूजते थे, क़ुरआन ने मुर्दा कहा है, फ़र्माता है (اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ) (27/नम्ल : 21) "वह सब मुर्दा हैं, ज़िन्दा नहीं।" ज़मीन के बारे में फ़र्माया (وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ) (36/यूनुस : 33) "इनके लिए मुर्दा ज़मीन भी हमारी सदाक़त की निशानी है जिसे हम ज़िन्दा करते हैं और उससे दाने निकालते हैं जिसे यह खाते हैं।"

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

तर्जुमा :"वह ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की कुल चीज़ों को पैदा किया, फिर आसमान की त़रफ़ क़स़द किया और उन सातों को ठीक-ठाक किया। और वह हर चीज़ को जानता है।"(29)

ज़मीन व आसमान वग़ैरह की तख़्लीक़ (आयत 29) : ऊपर की आयत में उन दलाइले-क़ुदरत का बयान था जो ख़ुद इंसान के अंदर है। इसलिए इस आयते मुबारका में उन दलाइल का बयान हो रहा है जो रोज़ मर्रा आँखों के सामने हैं, इस्तिवा यहाँ क़स़द करने और मुतवज्जह होने के मआनी में है इसलिए कि इसका स़िलह इला है (सव्वाहुन्न) के मअनी दुरुस्त करने और सातों आसमान बनाने के हैं (समा'उ) इस्मे जिन्स है। फिर बयान फ़र्माया कि उसका इल्म मुह़ीत़े कुल है। जैसे और जगह इर्शाद है (अला या'लमु मन् ख़लक़) (67/मुल्क : 14) "क्या वह बेइल्म हो सकता है जो ख़ालिक़ हो?" सूरह ह़ामीम सज्दा (फ़ुस्स़िलत) की आयत (क़ुल अइन्नकुम लतक्फ़ुरून) (41/ह़ामीम अस्सज्दा : 9) गोया उस आयत की तफ़्सील है जिसमें फ़र्माया है, "क्या तुम उस अल्लाह के साथ कुफ़्र करते हो जिसने ज़मीन को सिर्फ़ दो दिन में पैदा किया? तुम उसके लिए शरीक ठहराते हो, जो रब्बुल आ़लमीन है? जिसने ज़मीन में मज़बूत़ पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए हैं, जिसने इस ज़मीन में बरकतें और रोज़ियाँ रखीं और चार दिन में ज़मीन की सब चीज़ें दुरुस्त कर दीं, जिसमें दरयाफ़्त करने वालों की तशफ़्फ़ी है, फिर आसमानों की त़रफ़ मुतवज्जह होकर जो धुएँ की शक्ल में थे, फ़र्माया कि, ऐ ज़मीन व आसमानों! ख़ुशी या ना ख़ुशी से आओ तो दोनों ने कहा, बारी तआ़ला! हम तो ख़ुशी-ख़ुशी ह़ाज़िर हैं। दो दिन में इन सातों आसमानों को पूरा कर दिया और हर आसमान में उसका काम बाँट दिया और दुनिया के आसमान को सितारों के साथ मुज़य्यन कर दिया और उन्हें (शैत़ानों से) बचाव बनाया। यह है अंदाज़ा उस अल्लाह का जो बहुत बड़ा ग़ालिब और बहुत बड़े इल्म वाला है। इससे मा'लूम हुआ कि पहले ज़मीन पैदा की फिर सातों आसमानों को बनाया। और हम देखते हैं कि हर इमारत का यही क़ायदा है कि पहले नीचे का हिस़्सा बनाया जाता है फिर ऊपर का। मुफ़स्सिरीन ने भी इसकी तस्रीह़ की है जिसका बयान आगे आता है इंशाअल्लाह तआ़ला! लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि क़ुरआने-करीम में और जगह है (ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ) (79/नाज़िआ़त : 27) "तुम्हारी पैदाईश मुश्किल है या आसमानों की? अल्लाह तआ़ला ने उसकी मोटाई बुलंद करके उन्हे ठीक-ठाक किया और उनमें से रात दिन पैदा किये, फिर उसके बाद ज़मीन फैलाई, उससे पानी और चारा निकाला और पहाड़ों को गाड़ा जो सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के काम की चीज़ें हैं।" इस आयत में यह फ़र्माया है कि, ज़मीन की पैदाईश आसमान के बाद है तो कुछ बुज़ुर्गों ने तो फ़र्माया है कि मुंदर्जा बाला आयत में (सुम्म) सिर्फ़ अ़त्फ़ ख़बर के लिए है, अ़त्फ़ फ़े'ल के लिए नहीं, यानी

यह मत़लब नहीं कि ज़मीन के बाद आसमान की पैदाईश शुरू की बल्कि सिर्फ़ ख़बर देना मक़्सूद है कि आसमानों को भी पैदा किया और ज़मीनों को भी। अ़रब शायरों के शेअ़र में यह मौजूद है कि कहीं सुम्म सिर्फ़ ख़बर का ख़बर पर अ़त्फ़ डालने के लिए होता है, तक़्दीम, ताख़ीर मुराद नहीं होती। और कुछ बुज़ुर्गों ने फ़र्माया है कि आयत (अ- अन्तुम) में आसमानों की पैदाइश के बाद ज़मीन का फैलाना और बिछाना वग़ैरह बयान हुआ है, न कि पैदा करना तो ठीक है कि पहले ज़मीन को पैदा किया, फिर आसमान को फिर ज़मीन को ठीक-ठाक किया तो दोनों आयात एक दूसरे के मुख़ालिफ़ न रहीं। इस ऐ'ब से अल्लाह का कलाम बिलकुल मह़फ़ूज़ है। इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) ने यही मा'नी बयान फ़र्माए हैं (यानी पहले ज़मीन की पैदाईश फिर आसमानों की, अल्बत्ता ज़मीन की दुरुस्ती वग़ैरह यह बाद की चीज़ है) इब्ने मसऊ़द, इब्ने अ़ब्बास और कुछ दीगर स़ह़ाबा (رضي الله عنهم) से मरवी है। (इसकी सनद में अबू स़ालेह़ बाज़ाम ज़ईफ़ रावी है, लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है) कि अल्लाह तआ़ला का अ़र्श पानी पर था और किसी चीज़ को पैदा नहीं किया था। जब और मख़्लूक़ को पैदा करना चाहा तो पानी से धुआँ बुलंद किया। वह ऊँचा चढ़ा और उससे आसमान बनाए, फिर पानी ख़ुश्क हो गया और उसकी ज़मीन बनाई, फिर उसी को अलग-अलग करके सात ज़मीनें बनाईं। इतवार और सोमवार के दो दिन में यह सातों ज़मीनें बन गईं। ज़मीन मछली पर है। मछली वह है जिसका ज़िक्र क़ुरआन मजीद की इस आयत में है (नून वल् क़लम) मछली पानी में है और पानी सिफ़ात पर है और सिफ़ात फ़रिश्ते पर और फ़रिश्ता पत्थर पर और यह पत्थर वह है जिसका ज़िक्र लुक़्मान (عليه السلام) ने किया है। यह पत्थर हवा पर है, मछली के हिलने से ज़मीन काँपने लगी तो अल्लाह तआ़ला ने पहाड़ों को गाड़ दिया और ज़मीन ठहर गई। यही मा'नी हैं, अल्लाह तआ़ला के फ़र्मान (وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ) (21/अम्बिया : 31) "ज़मीन न हिले, इसलिए हमने इसमें पहाड़ जमा दिए हैं। पहाड़ ज़मीन की पैदावार दरख़्त वग़ैरह ज़मीन की कुल चीज़ें मंगल और बुध के दो दिनों में पैदा कीं, उसी का बयान (قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) (41/ह़ामीम अस् सज्दा :9) वाली आयत में है, फिर आसमान की त़रफ़ मुतवज्जह हुआ, जो धुआँ था, उसे आसमान बनाया, फिर उसी में से सात आसमान बनाए, जुमे'रात और जुम्आ़ के दो दिनों में। जुम्आ़ के दिन को इसीलिए जुम्आ़ कहा जाता है कि इसमें ज़मीन व आसमान की पैदाईश जमा हो गई। हर आसमान में उसने फ़रिश्तों को पैदा किया और उन उन चीज़ों को जिनका इ़ल्म उसके सिवा किसी को नहीं। आसमाने दुनिया को सितारों के साथ ज़ीनत दी और उन्हें शैत़ान से हिफ़ाज़त का सबब बनाया। इन तमाम चीज़ों को पैदा करके परवरदिगार ने अ़र्शे अ़ज़ीम पर क़रार पकड़ा, जैसे फ़र्माया (خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) (7/आ'राफ़ : 54) यानी "छः दिन में आसमानों और ज़मीन को पैदा करके फिर अ़र्श पर मुस्तवी हो गया।" और जगह फ़र्माया (كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا) (21/अम्बिया : 30) "यह दोनों धुआँ से थे, हमने इन्हें फाड़ा और पानी से हर चीज़ की ज़िन्दगी की।" (तफ़्सीर सुदी) (यह मौक़ूफ़ क़ौल जिसमें कई क़िस्म का एह़तिमाल है। बज़ाहिर ऐसी अहम बात मे ह़ुज्जते ता'म्मा (मुकम्मल ह़ुज्जत) नहीं हो सकता, वल्लाहु आ'लम!। इब्ने जरीर में है, ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि, इतवार से मख़्लूक़ की पैदाईश शुरू हुई। दो दिन में

ज़मीनें पैदा हुईं, दो दिन में इनकी तमाम चीज़ें पैदा कीं, और दो दिन में आसमानों को पैदा किया, जुम्आ के दिन आख़िरी वक़्त इनकी पैदाईश ख़त्म हुई और उसी वक़्त हज़रत आदम (ﷵ) को पैदा किया और उसी वक़्त में क़यामत क़ायम होगी। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि, अल्लाह तआला ने ज़मीन को आसमान से पहले पैदा किया। इससे जो धुआँ ऊपर चढ़ा, उसके आसमान बनाए जो एक पर एक इस तरह सात हैं और ज़मीनें एक के नीचे एक इस तरह सात हैं। इस आयत से साफ़ मालूम होता है कि ज़मीन की पैदाईश आसमानों से पहले है जैसे सूरह हामीम सज्दा की आयत में है। उलमा भी इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। सिर्फ़ क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि आसमान ज़मीन से पहले पैदा हुए हैं। कुर्तुबी (रह.) इसमे तवक़्क़ुफ़ (ख़ामोशी) करते हैं (वन् नाज़िआत(की आयत की वजह से यह लोग कहते हैं कि यहाँ आसमान की पैदाईश का ज़िक्र ज़मीन से पहले है। सहीह बुख़ारी में है कि हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से जब यह सवाल हुआ तो आपने जवाब दिया कि ज़मीन पैदा तो आसमानों से पहले की गई है लेकिन फैलाई बाद में गई। (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तफ़्सीर, बाब सूरह हामीम सज्दा) यही जवाब अगले-पिछले उलमा का है। सूरह वन् नाज़िआत की तफ़्सीर में भी इसका बयान आएगा, इंशाअल्लाह! हासिले अम्र यह है कि ज़मीन का फैलाना और बिछाना बाद में है और (दहाहा) का लफ़्ज़ कुरआन में है और इसके बाद जो पानी, चारा, पहाड़ वग़ैरह का ज़िक्र है, यह गोया इस लफ़्ज़ की तशरीह है। जिन-जिन चीज़ों की नशो-नुमा की कुव्वत इस ज़मीन में रखी थी उन सबको ज़ाहिर कर दिया और ज़मीन की पैदावार और तरह-तरह की मुख़्तलिफ़ शक्ल और मुख़्तलिफ़ क़िस्मों की नकल आई, इसी तरह आसमान में भी ठहरे रहने वाले, चलने वाले सितारे वग़ैरह बनाए, वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आ'लम। सहीह मुस्लिम और नसाई में हदीस है, हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरा हाथ पकड़ा और फ़र्माया, "मिट्टी को अल्लाह तआला ने हफ़्ते के दिन पैदा किया और पहाड़ों को इतवार के दिन और दरख़्तों को पीर के दिन और बुराईयों को मंगल के दिन और नूर को बुध के दिन और जानवरों को जुमे'रात के दिन और आदम (ﷵ) को जुम्आ के दिन अस्र के बाद जुम्आ की आख़िरी साअत (घड़ी) में अस्र के बाद से रात तक पैदा किया।" (सहीह मुस्लिम, किताब सिफ़ातुल् मुनाफ़िक़ीन, बाब इब्तिदाउल ख़ल्क़ व ख़ल्क़े आदम (अ.) 2789) यह हदीस ग़राइबे मुस्लिम में से है। इमाम इब्ने मदीनी, इमाम बुख़ारी (रह.) वग़ैरह ने इसमें कलाम किया है और फ़र्माया है कि कअब अहबार (रह.) का अपना क़ौल है और हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने कअब (रह.) का यह कलाम सुना है और कुछ रावियों ने इसे ग़लती से मरफ़ूअ हदीस क़रार दिया है। इमाम बैहक़ी (रह.) भी यही कहते हैं।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

तर्जुमा : ''जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में ख़लीफ़ा बनाने वाला हूँ तो उन्होंने कहा, ऐसे शख़्स को क्यूँ पैदा करता है जो ज़मीन में फ़साद करे और ख़ून बहाए और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह तआला ने फ़र्माया, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते।'' (30)

ख़लीफ़ा के मआनी और मक़ासिद (आयत 30) :अल्लाह तआला के इस एहसान को देखो कि उसने आदम (ﷺ) को पैदा करने से पहले फ़रिश्तों में उनका ज़िक्र किया, जिसका बयान इस आयत में है, फ़र्माता है कि ऐ नबी! तुम याद करो और अपनी उम्मत को यह ख़बर पहुँचाओ। अबू उबेदह (रह.) तो कहते हैं कि लफ़्ज़ इज़ यहाँ ज़ाइद है लेकिन इब्ने जरीर (रह.) वग़ैरह मुफ़स्सिरीन इसका रद्द करते हैं (ख़लीफ़ा) से मुराद यह है कि इनके कुछ-कुछ के जानशीन होंगे, यके बाद दीगरे और एक दौर के बाद दूसरे दौर में यूँ ही क़र्नों तक यह सिलसिला जारी रहेगा। जैसे और जगह इर्शाद है (هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ) (6/अन्आम : 165) और फ़र्माया (وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ) 27/नम्ल : 62) यानी ''तुम्हें उसने ज़मीन का ख़लीफ़ा बनाया।'' और जगह फ़र्माया है कि ''अगर हम चाहते तो फ़रिश्तों को इस ज़मीन में तुम्हारा ख़लीफ़ा कर देते।'' और जगह इर्शाद है कि ''इनके बाद इनके ख़लीफ़ा यानी जानशीन बुरे लोग हुए।'' एक शाज़ क़िराअत में ख़लीफ़तन भी है। कुछ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि ख़लीफ़ा से मुराद सिर्फ़ हज़रत आदम (ﷺ) हैं लेकिन इसमें ताम्मुल है। तफ़्सीर राज़ी वग़ैरह में इस इख़्तिलाफ़ को ज़िक्र किया गया है। बज़ाहिर यह मालूम होता है कि यह मतलब नहीं, इसकी दलील तो फ़रिश्तों का यह क़ौल है कि वह ज़मीन में फ़साद करेंगे और ख़ून बहाएँगे तो ज़ाहिर है कि उन्होंने औलादे-आदम की निस्बत यह फ़र्माया था, न कि ख़ास हज़रत आदम (ﷺ) की निस्बत। यह और बात है कि इसका इल्म फ़रिश्तों को किस तरह हुआ? या तो किसी ख़ास तौर से उन्हें यह मालूम होगा या बशरी तबीअत के इक़्तिज़ा को देखकर उन्होंने यह फ़ैसला किया होगा। क्योंकि यह फ़र्मा दिया गया था कि इसकी पैदाइश मिट्टी से होगी, इसकी एक वजह तो यह हो सकती है कि लफ़्ज़े ख़लीफ़ा के मफ़्हूम से उन्होंने समझ लिया होगा कि वह फ़ैसला करने वाला मज़ालिम की रोकथाम करने वाला और हराम कामों और गुनाहों की बातों से रोकने वाला होगा। और दूसरी वजह यह है कि उन्होंने चूँकि ज़मीन की पहली मख़्लूक़ को देखा था, उसी पर उसे क़यास किया होगा। यह बात याद रखनी चाहिए कि फ़रिश्तों की यह ग़र्ज़ बतौर ऐतिराज़ न थी और न ही बनी आदम के हसद के तौर पर थी लेकिन जिन लोगों का यह ख़्याल है, वह क़तई ग़लत कर रहे हैं। फ़रिश्तों की शान में क़ुरआन फ़र्माता है (لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ) (21/अम्बिया : 27) यानी ''जिस बात के दरयाफ़्त करने की उन्हें इजाज़त न हो उसमें

वह लब नहीं हिलाते।" (और यह भी ज़ाहिर है कि फ़रिश्तों की तबीअत हसद से पाक है।) बल्कि सहीह मतलब तो यह है कि यह सवाल सिर्फ़ इस हिक्मत के मालूम करने और इस राज़ के ज़ाहिर कराने के लिए था जो उनकी समझ से बालातर था। यह तो जानते थे कि इस मख़्लूक़ में फ़सादी लोग भी होंगे तो अब अदब के साथ सवाल किया कि परवरदिगार! ऐसी मख़्लूक़ के पैदा करने में कौनसी हिक्मत है? अगर इबादत मक़्सूद है तो इबादत तो हम करते ही हैं। तस्बीह व तक़्दीस व तहमीद हर वक़्त हमारी ज़ुबानों पर है, फिर फ़साद वग़ैरह से पाक हैं तो फिर और मख़्लूक़ जिनमें फ़सादी और ख़ूनी भी होंगे किस मस्लिहत पर पैदा की जा रही है? तो अल्लाह तआला ने उनके सवाल का जवाब दिया कि बावजूद इस फ़साद के फिर भी इसे जिन मस्लिहतों और हिक्मतों की बिना पर पैदा कर रहा हूँ उन्हे मैं ही जानता हूँ। तुम्हारा इल्म उन तक नहीं पहुँच सकता। मैं जानता हूँ कि इनमें अम्बिया और रसूल होंगे, इनमे सिद्दीक़ और शहीद होंगे, इनमें आबिद, ज़ाहिद, औलिया, अबरार, नेककार, मुक़र्रबे बारगाह, उलमा, सुलहा, मुत्तक़ी, परहेज़गार, ख़ौफ़े-इलाही अल्लाह तआला की मुहब्बत रखने वाले होंगे, मेरे अहकाम की बसरो-चश्म ता'मील करने वाले, मेरे नबियों के इर्शाद पर लब्बैक कहने वाले होंगे। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि, "दिन के फ़रिश्ते सुबह सादिक़ के वक़्त आते हैं और अस्र को चले जाते हैं और उस वक़्त रात के फ़रिश्ते आते हैं वह फिर सुबह को जाते हैं। आने वाले जब आते हैं उस वक़्त और जब जाते हैं सुबह की और अस्र की नमाज़ में लोगों को पाते हैं और दरबारे-इलाही में परवरदिगार के सवाल के जवाब में दोनों जमाअतें यही कहती हैं कि गए तो नमाज़ में पाया और आए तो नमाज़ में छोड़कर आए।" (सहीह बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस् सलात, बाब फ़ज़्लु सलातिल् अस्र : 555; सहीह मुस्लिम : 132) यही है वह मस्लिहते-इलाही जिसे फ़रिश्तों से फ़र्माया था कि, मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। उन फ़रिश्तों को इसी चीज़ के देखने के लिए भेजा जाता है और दिन के आ'माल रात से पहले और रात के दिन से पहले अल्लाह तआला की बारगाह मे पेश किए जाते हैं। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी क़ौलिही (अ.), इन्नल्लाह ला यनाम : 179) ग़र्ज़ तफ़्सीली हिक्मत जो पैदाइशे इंसान में थी, उसकी निस्बत फ़र्माया कि यह मेरे मख़्सूस इल्म में है, तुम्हें मालूम ही नहीं। कुछ कहते हैं यह जवाब है उनके इस क़ौल का कि हम तेरी तस्बीह वग़ैरह बयान करते रहते हैं तो उन्हें फ़र्माया गया कि मैं ही जानता हूँ यानी तुम जैसा समझ रहे हो और सबको यक्साँ कर रहे हो ऐसा नहीं बल्कि तुममें एक इब्लीस भी है। एक तीसरा क़ौल यह है कि फ़रिश्तों का यह सब कहना दरअसल यह मतलब रखता था कि, हमें ज़मीन में बसाया जाए तो जवाबन कहा गया, तुम्हारी आसमानों में रहने की मस्लिहत मैं ही जानता हूँ और मुझे इल्म है कि तुम्हारे लायक़ जगह यही है, वल्लाहु आ'लम!

हसन, क़तादा (रह.) वग़ैरह कहते हैं कि अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों को ख़बर दी। सुदी (रह.) कहते हैं कि मश्विरा लिया। लेकिन इसके मअनी भी ख़बर देने के हो सकते हैं । अगर न हों तो फिर यह बात बेवज़न हो जाती है। इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब मक्का से ज़मीन फैलाई और बिछाई गई तो बैतुल्लाह का तवाफ़ सबसे पहले फ़रिश्तों ने किया और ज़मीन में ख़लीफ़ा बनाने से मुराद मक्का में ख़लीफ़ा बनाना है। (तब्री : 1/199; अन अता बिन साइब अन इब्ने साबित मुर्सलन; इसकी सनद में अता मुख़्तलत रावी है। (अत् तक़रीब : 2/22; रक़म : 190) यह हदीस मुर्सल है फिर इसमें ज़ुअफ़ है और मुदरज है यानी ज़मीन से मुराद मक्का लेना रावी का अपना ख़्याल है, वल्लाहु आ'लम! बज़ाहिर तो यह मालूम होता है कि ज़मीन से मुराद

सारी ज़मीन मुराद है। फ़रिश्तों ने जब यह सुना तो पूछा था कि वह ख़लीफ़ा क्या होगा? और जवाब में कहा गया था कि इसकी औलाद में ऐसे लोग भी होंगे जो ज़मीन में फ़साद करेंगे, हसद, बुग़्ज़, क़त्ल व ख़ूँरेज़ी करेंगे। वह ख़लीफ़ा उनमें वह अदलो-इंसाफ़ करेगा और मेरे अहकाम जारी करेगा तो इससे मुराद हज़रत आदम (अलै.) हैं जो इनके क़ायम-मुक़ाम हैं, अल्लाह तआला की इताअत और मख़्लूक़ में अदलो-इंसाफ़ करने में, लेकिन फ़साद फैलाने और ख़ून बहाने वाले ख़लीफ़ा नहीं। लेकिन यह याद रहे कि यहाँ मुराद ख़िलाफ़त से एक ज़माना वालों को दूसरे ज़माना वालों के बाद आना है। ख़लीफ़त फ़ईलत के वज़न पर है। जब एक के बाद दूसरा इसके क़ायम मक़ाम हो तो अरब कहते हैं, ख़लफ़ फ़ुलानुन् फ़ुलाना (फ़लाँ शख़्स फ़लाँ का ख़लीफ़ा हुआ) जैसे क़ुरआने-करीम में है कि, हम उनके बाद तुम्हें ज़मीन का ख़लीफ़ा बनाकर देखते हैं कि तुम कैसे अमल करते हो। और इसीलिए सुल्ताने आ'ज़म को ख़लीफ़ा कहते हैं इसलिए कि वह अगले बादशाह का जानशीन होता है। इब्ने इस्हाक़ कहते हैं, मुराद यह है कि ज़मीन का साकिन उसकी आबादी करने वाला।

इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि, (इसकी सनद में बिश्र बिन अम्मारा ज़ईफ़ रावी है, अल्मीज़ान : 1/321; रक़्म : 1209; जबकि ज़हहाक की इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मुलाक़ात साबित नहीं। लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।) कि पहले ज़मीन में जिन्नात बसते थे। उन्होंने इसमें फ़साद किया और ख़ून बहाया और क़त्ल व ग़ारत की, फिर इब्लीस को भेजा गया, उसने और उसके साथियों ने उन्हें मार-मारकर जज़ीरों और पहाड़ों में भगा दिया, फिर हज़रत आदम (अलै.) को पैदा करके ज़मीन में बसाया तो गोया यह उन पहले वालों के ख़लीफ़ा और जानशीन हुए। पस फ़रिश्तों के क़ौल से मुराद औलादे-आदम हैं। जिस वक़्त इनसे कहा गया कि मैं ज़मीन को और इसमें बसने वाली मख़्लूक़ को पैदा करना चाहता हूँ, उस वक़्त ज़मीन तो थी लेकिन इसमें आबादी न थी। कुछ सहाबा (रज़ि.) से यह भी मरवी है कि चूँकि अल्लाह तआला ने उन्हें मालूम कराया था कि औलादे आदम ऐसे-ऐसे काम करेगी तो उन्होंने यह पूछा। और यह भी मरवी है कि जिन्नात के फ़साद पर उन्होंने बनी आदम के फ़साद को क़यास करके यह सवाल किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत है कि आदम (अलै.) से दो हज़ार साल पहले से जिन्नात ज़मीन में आबाद थे। अबुल आलिया (रह.) फ़र्माते हैं कि फ़रिश्ते बुध के दिन पैदा किए गए और जिन्नात को जुमे'रात के दिन पैदा किया और जुम्आ के दिन आदम (अलै.) पैदा हुए। हसन और क़तादा (रह.) का क़ौल है कि अल्लाह तआला ने उन्हें ख़बर दी थी कि इब्ने आदम ऐसा ऐसा करेंगे, इस बिना पर उन्होंने सवाल किया।

अबू जा'फ़र मुहम्मद बिन अली (रह.) फ़र्माते हैं कि सजल नामी एक फ़रिश्ता है जिसके साथी हारूत व मारूत थे। उसे हर रोज़ तीन मर्तबा लौहे-महफ़ूज़ पर नज़र डालने की इजाज़त थी। एक मर्तबा उसने आदम (अलै.) की पैदाइश वग़ैरह उमूर का जब मुतालआ किया तो चुपके से अपने दोनों साथियों को भी ख़बर कर दी। अब जो अल्लाह तआला ने अपना इरादा ज़ाहिर फ़र्माया तो उन दोनों ने यह सवाल किया। लेकिन यह रिवायत ग़रीब है और सहीह मान लेने पर भी मुम्किन है कि अबू जा'फ़र (रह.) ने इसे अहले किताब यहूद व नसारा से लिया हो। बहरहाल यह एक फ़िज़ूल रिवायत है और क़ाबिले तर्दीद है, वल्लाहु अ'लम! फिर उसमें है कि दो फ़रिश्तों ने यह सवाल किया, यह क़ुरआन की रवानी इबारत के भी ख़िलाफ़ है, यह रिवायत भी मरवी है कि यह कहने

वाले फ़रिश्ते दस हज़ार थे और वह सबके सब जला दिए गए। यह भी इस्राईली रिवायत है और बहुत ही ग़रीब। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि इस सवाल की उन्हें इजाज़त दी गई थी और यह भी बता दिया गया था कि यह मख़्लूक़ नाफ़र्मान भी होगी तो उन्होंने ता'ज्जुब के साथ मस्लिहते इलाही मा'लूम करने के लिए यह सवाल किया, न कि कोई मश्विरा दिया, इंकार किया या ए'तिराज़ किया हो। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जब आदम (अलैहि.) की पैदाईश शुरू हुई तो फ़रिश्तों ने कहा, नामुम्किन है कि कोई मख़्लूक़ हमसे ज़्यादा बुज़ुर्ग और आ़लिम हो तो उन पर यह इम्तिहाने-इलाही आया और कोई मख़्लूक़ इम्तिहान से नहीं छूटी। ज़मीन और आसमान का भी इम्तिहान हुआ था और उन्होंने सर ख़म करके इताअ़ते-इलाही के लिए आमादगी ज़ाहिर की। फ़रिश्तों की तस्बीह व तक़्दीस से मुराद अल्लाह तआ़ला की पाकी बयान करना, नमाज़ पढ़ना, बेअदबी से बचना, बड़ाई अ़ज़्मत वग़ैरह करना, नाफ़र्मानी न करना, (सुब्बूहुन कुद्दूसुन) वग़ैरह पढ़ना है। कुद्दूस के मआ़नी पाक के हैं, पाक ज़मीन को मुक़द्दस कहते हैं।

रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल होता है कि कौनसा कलाम अफ़ज़ल है? आप (ﷺ) जवाबन फ़र्माते हैं वह जिसे अल्लाह तआ़ला ने अपने फ़रिश्तों के लिए पसंद फ़र्माया है, सुब्हानल्लाहि वबि हम्दिही (सहीह मुस्लिम, किताबुज़् ज़िक्र वद् दुआ़, बाब फ़ज़्लु सुब्हानल्लाहि वबि हम्दिही : 2731) हुज़ूर (ﷺ) ने मे'राज वाली रात आसमानों में फ़रिश्तों की यह तस्बीह सुनी (सुब्हानल् अ़ला सुब्हानहू व तआ़ला) (मज्मउ़ज़् ज़वाइद : 1/78; हैसमी कहते हैं, मिस्कीन बिन मैमून की हदीस मुन्कर है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (किताबुल् इस्रा वल मे'राज, सॉद : 71)

ख़लीफ़ा का इंतिख़ाब और इसके वजूब की शरई हैसियत : कुर्तुबी (रह.) वग़ैरह ने इस आयत से इस्तिदलाल किया कि ख़लीफ़ा का मुक़र्रर करना वाजिब है ताकि वह लोगों के इख़्तिलाफ़ात का फ़ैसला करे, उनके झगड़े चुकाए, मज़्लूम का बदला ज़ालिम से ले, हुदूद क़ायम करे, बुराईयों के करने से लोगों को रोके, वग़ैरह-वग़ैरह वह बड़े-बड़े काम जो बग़ैर इमाम के अंजाम नहीं पा सकते। चूँकि यह काम वाजिब हैं और यह बग़ैर इमाम के पूरे नहीं हो सकते और जिस चीज़ के बग़ैर वाजिब पूरा न हो वह भी वाजिब हो जाती है इसलिए ख़लीफ़ा का मुक़र्रर करना वाजिब साबित हुआ।

इमामत या तो कुरआन हदीस के ज़ाहिरी लफ़्ज़ों से मिलेगी जैसेकि अहले सुन्नत की एक जमाअ़त का हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की निस्बत ख़्याल है कि उनका नाम हुज़ूर (ﷺ) ने ख़िलाफ़त के लिए लिया था या कुरआन व हदीस से इसकी जानिब इशारा हो, जैसे अहले सुन्नत ही की दूसरी जमाअ़त का ख़लीफ़ा अव्वल की बाबत यह ख़्याल है कि इशारतन इनका ज़िक्र हुज़ूर (ﷺ)ने अपने ख़िलाफ़त के लिए किया है, या एक ख़लीफ़ा अपने बाद दूसरे को नामज़द कर जाए जैसे हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने हज़रत उ़मर (रज़ि.) को अपना जानशीन मुक़र्रर कर दिया था। या वह सालेह लोगों की एक कमेटी बनाकर इंतिख़ाब का काम उनके सुपुर्द कर जाए जैसे हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने किया था, यह अहले हिल्ल व अ़क़्द (यानी बाअसर सरदाराने लश्कर, उ़लमा, सुलहा वग़ैरह) इसकी बे'अ़त पर इज्माअ़ कर लें। उनमें से कोई बे'अ़त कर ले तो जुम्हूर के नज़दीक इसका लाज़िम पकड़ना वाजिब हो जाएगा। इमामुल हरमैन (रह.) ने इस पर इज्माअ़ नक़्ल किया है,

वल्लाहु अ़'लम! या कोई शख़्स लोगों को ब-ज़ोरो-जबर अपनी मातहती पर बेबस कर दे तो भी वाजिब हो जाता है कि उसके हाथ पर बे'अ़त कर लें ताकि फूट और इख़्तिलाफ़ न फैले। इमाम शाफ़ई (रह़.) ने साफ़ लफ़्ज़ों में इसका फ़ैसला किया है। इस बे'अ़त के वक़्त गवाहों की मौजूदगी के वाजिब होने में इख़्तिलाफ़ है। कुछ तो कहते हैं, यह शर्त नहीं, कुछ कहते हैं, शर्त, और दो गवाह काफ़ी हैं। जुबाई का क़ौल है बे'अ़त करने वाले और जिसके हाथ पर बे'अ़त हुई है, इन दोनों के अ़लावा चार गवाह और चाहिए, जैसेकि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने शूरा के छः अरकान मुक़र्रर किए थे, फिर उन्होंने ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) को इख़्तियार दिया और आपने ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि.) के हाथ पर बाक़ी चारों की मौजूदगी में बे'अ़त की। इस इस्तिदलाल में कलाम है, वल्लाहु अ़'लम! इमाम का मर्द होना, आज़ाद होना, बालिग़ होना, अ़क़्लमंद होना, मुसलमान होना, आ़दिल होना, मुज्तहिद होना, आँखों वाला होना, स़ह़ीह़ सालिम आ'ज़ा वाला होना, फ़ुनूने जंग से और राय से ख़बरदार होना, क़ुरैशी होना वाजिब है और यही स़ह़ीह़ है। हाँ! हाशमी होना और ख़ता से मा'सूम होना शर्त नहीं। यह दोनों शर्तें कट्टर राफ़्ज़ी लगाते हैं। इमाम अगर फ़ासिक़ हो जाए तो उसे मा'ज़ूल कर देना चाहिए या नहीं, इसमें इख़्तिलाफ़ है, और स़ह़ीह़ बात यह है कि मा'ज़ूल न किया जाए। क्योंकि ह़दीस में आ चुका है कि जब तक ऐसा खुला कुफ़्र न देख लो जिसके कुफ़्र होने की ज़ाहिर दलील अल्लाह की त़रफ़ से तुम्हारे पास हो। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल् फ़ितन, बाब क़ौलन् नबी (ﷺ) सतरौना बअ़दी उमूरन तुन्किरूनहा : 7056; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1709) इसी त़रह़ इमाम ख़ुद अपने आप मा'जूल हो सकता है या नहीं? इसमें भी इख़्तिलाफ़ है। ह़ज़रत ह़सन बिन अ़ली (रज़ि.) ख़ुद-ब-ख़ुद आप ही मा'ज़ूल हो गये थे और अम्रे इमामत ह़ज़रत मुआ़विया (रज़ि.) को सौंप दिया था, लेकिन यह उ़ज़्र के सबब था, जिस पर उनकी ता'रीफ़ की गई है।

रूए ज़मीन पर एक से ज़्यादा इमाम एक वक़्त में नहीं हो सकते। आँह़ज़रत (ﷺ) का फ़र्मान है कि "जब तुम्हारा काम जमा हो और कोई आकर तुममें जुदाई डालनी चाहे तो उसे क़त्ल कर दो ख़्वाह कोई भी हो" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब हुक्म मन फ़र्रक़ा अम्रल् मुस्लिमीन : 1852; अबू दाऊद : 4762; नसाई : 4196) जुम्हूर का यही मज़हब है और बहुत से बुज़ुर्गों ने इस पर इज्माअ़ नक़्ल किया है जिनमें से एक इमामुल ह़रमैन (रह़.) हैं। करामिया (शिया) का क़ौल है कि दो और ज़्यादा भी एक वक़्त में इमाम हो सकते हैं जैसे कि ह़ज़रत अ़ली और ह़ज़रत मुआ़विया (रज़ि.) दोनों इत़ाअ़त के लायक़ थे। यह गिरोह कहता है कि जब एक वक़्त में दो-दो और ज़्यादा नबियों का होना जाइज़ है तो इमामों का होना जाइज़ क्यूँ न हो? नबुव्वत का मर्तबा इमाम के मर्तबे से बहुत ज़्यादा है (लेकिन स़ह़ीह़ मुस्लिम वाली ह़दीस आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि दूसरे को क़त्ल कर डालो। इसलिए स़ह़ीह़ मज़हब वही है जो पहले बयान हुआ) इमामुल ह़रमैन ने उस्ताज़ अबू इस्ह़ाक़ से भी ह़िकायत की है कि वह दो और ज़्यादा इमामों का मुक़र्रर करना उस वक़्त जाइज़ जानते हैं जब मुसलमानों की सल्तनत बहुत बड़ी वसीअ़ हो और चारों त़रफ़ फैली हुई हो और दो इमामों के दरम्यान कई मुल्कों का फ़ासला हो। इमामुल ह़रमैन इसमें तरद्दुद में हैं। ख़ुल्फ़ा बनी अ़ब्बास का इ़राक़ में और ख़ुलफ़ा बनी फ़ात़िमा का मिस्र में और ख़ानदान बनी उमय्या का मग़्रिब में मेरे ख़्याल से यही ह़ाल था। इसकी बस्त व तफ़्सील इंशाअल्लाह! किताबुल अह़काम की किसी मुनासिब जगह हम करेंगे।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ
هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ
الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ
اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا
كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

तर्जुमा : ''और अल्लाह तआला ने आदम (عليه السلام) को तमाम नाम सिखाकर उन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फ़र्माया, अगर तुम सच्चे हो तो उन चीज़ों के नाम बताओ। (31) उन सबने कहा, ऐ अल्लाह! तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ़ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, पूरे इल्म व हिक्मत वाला तो तू ही है। (32) अल्लाह तआला ने (हज़रत) आदम (عليه السلام) से फ़र्माया, तुम इनके नाम बताओ। जब उन्होंने बता दिए तो फ़र्माया, क्या मैंने तुम्हें (पहले ही से) न कहा था कि ज़मीन और आसमान का ग़ैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम ज़ाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपाते थे।''(33)

फ़रिश्तों पर आदम (عليه السلام) की फ़ज़ीलत की वजह (आयत 31-33) : यहाँ इस बात का बयान हो रहा है कि अल्लाह तआला ने एक ख़ास इल्म में हज़रत आदम (عليه السلام) को फ़रिश्तों पर फ़ज़ीलत दी। यह वाक़िया फ़रिश्तों के सज्दा करने के बाद का है लेकिन हिक्मते-इलाही जो आदम के पैदा करने में थी और जिसका इल्म फ़रिश्तों को न था जिसका इज्माली बयान ऊपर की आयत में गुज़रा है, उसकी मुनासिबत की वजह से इस वाक़िया को पहले बयान किया और फ़रिश्तों का सज्दा करना जो इससे पहले वाक़िया हुआ था, बाद में बयान किया ताकि ख़लीफ़ा के पैदा करने की मस्लिहत और हिक्मत ज़ाहिर हो जाए और यह मा'लूम हो जाए कि यह शराफ़त और फ़ज़ीलत हज़रत आदम (عليه السلام) को मिली कि उन्हें वह इल्म हासिल है जिससे यह फ़रिश्ते ख़ाली हैं।

फ़र्माया कि हज़रत आदम (عليه السلام) को तमाम नाम बताए यानी उनकी तमाम औलाद के सब जानवरों के ज़मीन, आसमान, पहाड़, तरी, ख़ुश्की, घोड़े, गधे, बर्तन, भाण्डे, चरिन्द, परिन्द, फ़रिश्ते, सितारे वग़ैरह तमाम छोटी-बड़ी चीज़ों के। (तबरी : 1/458) इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि, फ़रिश्तों और इंसानों के नाम मा'लूम कराये गये थे क्योंकि इसके बाद लफ़्ज़ (अरज़हुम) आता है और यह

ज़ी अक़्ल लोगों के लिए आता है लेकिन यह कोई ऐसी मा'क़ूल वजह नहीं जहाँ ज़ी अक़्ल और ग़ैर ज़ी अक़्ल जमा होते हैं, वहाँ जो लफ़्ज़ लाया जाता है वह अक़्ल व होश रखने वालों का ही लाया जाता है, जैसे क़ुरआन में है (وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ) (24/नूर : 45) "अल्लाह तआला ने तमाम जानवरों को पानी से पैदा किया है जिनमें से कुछ तो पेट के बल घिसटते हैं, कुछ दो पैरों पर चलते हैं, कुछ चार पैरों पर चलते हैं। अल्लाह तआला जो चाहता है, पैदा करता है, वह हर चीज़ पर क़ादिर है।" पस इस आयत मे ज़ाहिर है कि ग़ैर ज़ी अक़्ल भी दाख़िल हैं मगर सेग़े सब ज़ी अक़्ल के हैं।

इसके अलावा (अरज़हुन्न) भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की क़िराअत में है और हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) की क़िराअत में (अरज़हा) भी है। सहीह क़ौल यही है कि तमाम चीज़ों के नाम सिखाए थे, ज़ाती नाम भी, सिफ़ाती नाम भी और कामों के नाम भी, जैसे कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि गोज़ का नाम भी बताया गया था।

सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर में इस आयत की तफ़्सीर मे हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) यह हदीस लाए हैं कि, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि, ईमानदार क़यामत के दिन जमा होंगे और कहेंगे, क्या अच्छा होता अगर किसी को हम अपना सिफ़ारिशी बनाकर अल्लाह के पास भेजते, चुनाँचे यह सबके सब हज़रत आदम (अलैहि.) के पास आयेंगे और उनसे कहेंगे कि, आप हम सबके बाप हैं, अल्लाह तआला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, अपने फ़रिश्तों से आपको सज्दा कराया, आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, आप अल्लाह तआला के सामने हमारी सिफ़ारिश करें, ताकि हम उससे राहत पायें। हज़रत आदम (अलैहि.) यह सुनकर जवाब देंगे कि मैं इस क़ाबिल नहीं, उन्हें अपना गुनाह याद आ जाएगा। तुम नूह (अलैहि.) के पास जाओ, वह पहले रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह तआला ने ज़मीन वालों की तरफ़ भेजा। सब लोग यह जवाब सुनकर हज़रत नूह (अलैहि.) के पास आयेंगे, आप भी यही जवाब देंगे और अल्लाह तआला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने बेटे के लिए अपना दुआ मांगना याद करके शर्मा जायेंगे और फ़र्माएँगे, तुम ख़लीलुर्रहमान हज़रत इब्राहीम (अलैहि.) के पास जाओ। यह सब आपके पास आयेंगे, लेकिन यहाँ से भी यही जवाब पायेंगे। आप फ़र्मायेंगे, तुम मूसा (अलैहि.) के पास जाओ, जिनसे अल्लाह तआला ने कलाम किया और जिन्हें तौरात इनायत फ़र्माई, यह सुनकर सबके सब हज़रत मूसा (अलैहि.) के पास आयेंगे और आपसे भी यही दरख़्वास्त करेंगे लेकिन यहाँ से भी यही जवाब पायेंगे। आपको भी एक शख़्स को बग़ैर क़िसास के मार डालना याद आ जाएगा और शर्मिन्दा हो जायेंगे और फ़र्माएँगे, तुम हज़रत ईसा (अलैहि.) के पास जाओ, वह अल्लाह के बन्दे, उसके रसूल और कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह हैं। यह सब यहाँ आयेंगे, लेकिन यहाँ से भी यही जवाब मिलेगा कि मैं इस लायक़ नहीं। तुम मुहम्मद (ﷺ) के पास जाओ जिनके तमाम अगले-पिछले गुनाह बख़्श दिये गये हैं। अब वह सारे के सारे मेरे पास आयेंगे, मैं आमादा हो जाऊँगा और अपने रब से इजाज़त तलब करूँगा। मुझे इजाज़त दी जाएगी, मैं अपने रब को देखते ही सज्दे में गिर पड़ूँगा। जब तक अल्लाह को मंज़ूर होगा, सज्दे में पड़ा रहूँगा। फिर आवाज़ आएगी कि, सर उठाइये! सवाल कीजिए! पूरा किया जाएगा। कहिए! सुना जाएगा,

शफ़ाअत कीजिए, क़बूल की जाएगी। अब मैं अपना सर उठाऊँगा और अल्लाह तआला की वह वह ता'रीफ़ें बयान करूँगा जो उसी वक़्त अल्लाह तआला मुझे सिखाएगा। फिर मैं शफ़ाअत करूँगा। मेरे लिए हद मुक़र्रर कर दी जाएगी। मैं उन्हें जन्नत में पहुँचाकर फिर आऊँगा, फिर अपने रब को देखकर उसी तरह सज्दा में गिर पड़ूँगा, फिर शफ़ाअत करूँगा, फिर हद मुक़र्रर होगी। उन्हें भी जन्नत में पहुँचाकर तीसरी मर्तबा आऊँगा, फिर चौथी मर्तबा हाज़िर होऊँगा, यहाँ तक कि जहन्नम में सिर्फ़ वही रह जायेंगे जिन्हें क़ुरआन ने रोक रखा हो और जिनके लिए जहन्नम की हमेशगी वाजिब हो गई हो" (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तफ़्सीर, बाब सूरतिल् बक़रह : 4476, 6565, 7410, 7516; सहीह मुस्लिम : 193; सुननुल कुब्रा लिन् नसाई : 6/284; इब्ने माजा : 4317) (यानी शिर्क व कुफ़्र करने वाले) सहीह मुस्लिम शरीफ़, नसाई और इब्ने माजा वग़ैरह में भी यह हदीसे शफ़ाअत मौजूद है।

ग़ैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही को है : यहाँ हदीस में यह जुम्ला भी है कि लोग हज़रत आदम (عليه السلام) से कहेंगे कि अल्लाह तआला ने आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और उनसे फ़र्माया कि, लो! अगर तुम अपने इस क़ौल में कि तुम सारी मख़्लूक़ से ज़्यादा इल्म वाले हो या इस क़ौल में कि अल्लाह तआला ज़मीन में ख़लीफ़ा न बनाएगा, सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। यह भी मरवी है कि अगर अपनी इस बात में कि बनी आदम फ़साद करेंगे और ख़ून बहायेंगे, सच्चे हो तो उनके नाम बताओ, लेकिन बेहतरीन क़ौल पहला ही है। गोया इसमें उन्हें डांटा गया कि बताओ! तुम्हारा क़ौल कि तुम ही ख़िलाफ़ते-ज़मीन के लायक़ हो और इंसान नहीं, तुम ही मेरे तस्बीह करने वाले और इताअत-गुज़ार हो और इंसान नहीं, अगर सच्चे हो तो लो, यह चीज़ें जो तुम्हारे सामने मौजूद हैं, उन ही के नाम बताओ और अगर तुम नहीं बता सकते तो समझ लो कि मौजूदा चीज़ों के नाम भी तुम्हें नहीं मा'लूम, तो आइन्दा आने वाली चीज़ों की निस्बत तुम्हें इल्म कैसे होगा? फ़रिश्तों ने यह सुनते ही अल्लाह तआला की पाकीज़गी और बड़ाई और अपने इल्म की कमी बयान करनी शुरू कर दी और कह दिया कि जिसे जितना कुछ ऐ अल्लाह! तूने सिखा दिया, उतना ही उसे इल्म है। तमाम चीज़ों पर एहाता रखने वाला इल्म तो सिर्फ़ तुझ ही को है, तू हर चीज़ का जानने वाला और अपने तमाम अहकाम में हिक्मत रखने वाला है। जिसे जो कुछ सिखाए वह भी हिक्मत है और जिसे न सिखाए, वह भी हिक्मत है, तू हिक्मतों वाला और अद्ल वाला है।

इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, सुब्हानल्लाह के मआनी अल्लाह तआला की पाकीज़गी के हैं कि वह हर बुराई से मुनज़्ज़ा (पाक) है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत अली (रज़ि.) और दूसरे अस्हाब (रज़ि.) से एक मर्तबा सवाल किया कि ला इलाह इल्लल्लाहु तो हम जानते हैं लेकिन सुब्हानल्लाह क्या कलिमा है? तो हज़रत अली (रज़ि.) ने जवाब दिया कि इस कलिमा को बारी तआला ने अपने नफ़्स के लिए पसंद फ़र्माया है और इससे वह ख़ुश होता है और इसका कहना उसे महबूब है। हज़रत मैमून बिन मेहरान (रह.) फ़र्माते हैं कि इसमें अल्लाह तआला की ता'ज़ीम है और तमाम बुराईयों से पाकीज़गी का बयान है। हज़रत आदम (عليه السلام) ने नाम बता दिए कि तुम्हारा नाम जिब्राईल है, तुम्हारा नाम मीकाईल है, तुम इस्राफ़ील हो यहाँ तक कि चील,

कौओे वग़ैरह सबके नाम उनसे पूछे गए तो उन्होंने बता दिए। जब हज़रत आदम (ﷺ) की यह फ़ज़ीलत फ़रिश्तों को मालूम हुई तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया, देखो! मैंने तुमसे पहले ही न कहा था कि मैं हर खुले छुपे का जानने वाला हूँ। जैसे और जगह है (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى) (20/ताहा : 7) ''तुम बुलंद आवाज़ से कहो (या न कहो) अल्लाह तआला तो पोशीदा से पोशीदा चीज़ को जानता है।'' और जगह है (أَلَّا يَسْجُدُوا) (27/नम्ल : 25) ''क्यूँ यह लोग उस अल्लाह को सज्दा नहीं करते, जो आसमानों और ज़मीन की छुपी चीज़ों को निकालता है और जो तुम्हारी हर पोशीदगी और ज़ाहिर को जानता है। अल्लाह तआला अकेला ही मा'बूद है और वही अर्शे-अज़ीम का रब है। जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो छुपाते हो, उसे मैं जानता हूँ।'' मतलब यह है कि इब्लीस के दिल में जो तकब्बुर और गुरूर था उसे मैं जानता था।

फ़रिश्तों का क़ौल कि ज़मीन में उसे क्यूँ पैदा करता है जो फ़साद करे और ख़ून बहाए। यह तो वह क़ौल था जिसे उन्होंने ज़ाहिर किया था। इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद और कुछ दूसरे सहाबा (रज़ि.) और सईद बिन जुबैर, मुजाहिद, सुदी, ज़ह्हाक और सौरी (रह.) का भी यही क़ौल है। इब्ने जरीर (रह.) भी इसी को पसंद फ़र्माते हैं और अबुल आलिया, रबीअ बिन अनस, हसन और क़तादा (रह.) का क़ौल है कि इनकी छुपी हुई बात, उनका यह कहना था कि जिस मख़्लूक़ को भी अल्लाह पैदा करेगा, हम उससे ज़्यादा आ'लिम और ज़्यादा बुज़ुर्ग होंगे लेकिन बाद में साबित हो गया और ख़ुद उन्होंने भी जान लिया कि आदम (ﷺ) को इल्म और करम दोनों में उन पर फ़ौक़ियत हासिल है। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद (रह.) फ़र्माते हैं कि, अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों से फ़र्माया, जिस तरह तुम इन चीज़ों के नामों से बेख़बर हो, उसी तरह तुम यह भी नहीं जान सकते कि इनमें भले बुरे हर तरह के लोग होंगे, फ़र्मांबरदार भी होंगे और नाफ़र्मान भी और मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि मुझे जन्नत व दोज़ख़ दोनो को भरना है। लेकिन तुम्हें मैंने इसकी ख़बर नहीं की, अब जबकि फ़रिश्तों ने हज़रत आदम (ﷺ) को दिया हुआ इल्म देखा तो उनकी बुज़ुर्गी का इक़रार किया।

इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं सबसे औला (बेहतर) क़ौल हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का है कि आसमान व ज़मीन के ग़ैब का इल्म तुम्हारे ज़ाहिर बातिन का इल्म मुझे है। इनके ज़ाहिरी क़ौल को और इब्लीस के बातिनी अजब और गुरूर को भी अल्लाह जानता था। उसमें छुपाने वाला सिर्फ़ एक इब्लीस ही था लेकिन सेग़ा जमा का लाया गया है, इसलिए कि अरब में यह दस्तूर है और उनके कलाम में यह बात पाई जाती है कि एक के या कुछ के एक काम को सबकी तरफ़ निस्बत कर दिया करते हैं। वह कहते हैं कि, लश्कर मार डाला गया या उन्हें शिकस्त हुई, हालाँकि शिकस्त और क़त्ल एक का या कुछ का होता है और सेग़ा जमा का लाते हैं। बनू तमीम के एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (स.) को आप (ﷺ) के हुज्रे के पीछे से पुकारा था। (अहमद : 3/488; ह : 15991; व सनदुहू ज़ईफ़ लि इन्क़िताइही) लेकिन क़ुरआने-करीम में इसका बयान इन लफ़्ज़ों में है कि (إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ) (49/हुजुरात : 4) ''जो लोग तुम्हें ऐ नबी (ﷺ)! हुज्रों के पीछे से पुकारते हैं'' तो देखिए! पुकारने वाला एक था और सेग़ा जमा का लाया गया। इसी तरह (वमा कुन्तुम तक्तुमून) में भी अपने दिल में बदी को छुपाने वाला सिर्फ़ एक इब्लीस ही था लेकिन सेग़ा जमा का लाया गया।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ٭ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝۳۴

तर्जुमा : ''और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम (عليه السلام) को सज्दा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सज्दा किया। उसने इंकार किया और तकब्बुर किया और वह था ही काफ़िरों में।'' (34)

फ़रिश्तों का आदम (عليه السلام) को सज्दा (आयत : 34) हज़रत आदम (عليه السلام) की इस बहुत बड़ी बुज़ुर्गी को ज़िक्र करके अल्लाह तआला ने इंसानों पर अपना बहुत बड़ा एहसान ज़ाहिर किया और ख़बर दी कि उसने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वह हज़रत आदम (عليه السلام) को सज्दा करें। इसकी दलालत में बहुत सी अहादीस हैं। एक तो हदीसे शफ़ाअत जो अभी बयान हुई है। दूसरी हदीस में है कि, ''हज़रत मूसा (عليه السلام) ने अल्लाह तआला से दरख़्वास्त की कि ऐ अल्लाह! मेरी मुलाक़ात (हज़रत) आदम (عليه السلام) से करा दे। ख़ुद भी जन्नत से निकले और हम सबको भी निकाला। जब दोनों पैग़म्बर जमा हुए तो हज़रत मूसा (عليه السلام) ने कहा कि, तुम वह आदम हो कि अल्लाह तआला ने तुम्हें अपने हाथ से पैदा किया और अपनी रूह तुममें फूँकी और अपने फ़रिश्तों से तुम्हें सज्दा कराया।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल् क़द्र, बाब हिजाजु आदम व मूसा (عليهما السلام) : 2652; अबू दाऊद : 4702) (आख़िर तक) पूरी हदीस अन्क़रीब बयान होगी, इंशाअल्लाह तआला।

इब्लीस का तआरुफ़ और उसका सज्दा करने से इंकार करना : इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि इब्लीस फ़रिश्तों के एक क़बीले में से था, जो आग के शो'लों से पैदा हुए थे। इब्लीस का नाम हारिस था और जन्नत का ख़ाज़िन था। उस क़बीले के सिवा बाक़ी तमाम फ़रिश्ते नूरी थे। क़ुरआन ने भी जिन्नों की पैदाइश का बयान किया है और फ़र्माया है (مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ) (55/रहमान : 15) ''आग के शो'ले की जो तेज़ी बुलंद होती है, उसे मारिज कहते हैं जिससे जिन्न पैदा किए गए थे और इंसान मिट्टी से पैदा किया गया। रूए ज़मीन पर पहले जिन्न बसते थे। उन्होंने फ़साद और ख़ूँ-रेज़ी शुरू की तो अल्लाह तआला ने इब्लीस को फ़रिश्तों का लश्कर देकर भेजा, उनको जिन्न कहा जाता था। इब्लीस ने लड़-भिड़कर मारते और क़त्ल करते हुए उन्हे समुन्दरों के जज़ीरों और पहाड़ों के दामन में पहुँचा दिया। इब्लीस के दिल में यह तकब्बुर समा गया कि मैंने वह काम किया है जो किसी और से न हो सका। चूँकि दिल की इस बदी और इस पोशीदा ख़ुदी का इल्म सिर्फ़ अल्लाह तआला ही को था। जब परवरदिगार ने फ़र्माया कि, ज़मीन में मैं ख़लीफ़ा पैदा करना चाहता हूँ तो इन फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि फिर ऐसों को क्यूँ पैदा करता है जो अगली क़ौम की तरह फ़साद व ख़ूँरेज़ी करें तो उन्हें जवाब दिया गया कि मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यानी इब्लीस के दिल में जो किब्र व ग़ुरूर है उसका मुझे ही इल्म है तुम्हें ख़बर नहीं। फिर आदम (عليه السلام) की मिट्टी उठाई गई जो चिकनी और अच्छी थी। जब उसका ख़मीर उठा तब उससे हज़रत आदम (عليه السلام)को अल्लाह तआला ने अपने हाथ से पैदा किया और चालीस दिन तक वह यूँ ही पुतले की शक्ल में रहे। इब्लीस आता था और उस पर लात मारकर देखता था कि वह बजती मिट्टी थी जैसे कोई खोखली चीज़ हो, फिर मुँह के सूराख़ से घुसकर पीछे के सूराख़ से और उसके

ख़िलाफ़ आता जाता रहा और कहता रहा कि, दरहक़ीक़त यह कोई चीज़ नहीं और अगर मैं इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो इसे बर्बाद करके छोड़ूँगा और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं हर्गिज़ तस्लीम न करूँगा।

हज़रत आदम (ﷺ) पर अल्लाह तआला के एहसानात : फिर जब अल्लाह तआला ने उनमें रूह फूँकी और वह सर की तरफ़ से नीचे की तरफ़ आई तो जहाँ जहाँ तक पहुँचती रही, ख़ून गोश्त बनता गया। जब नाफ़ तक रूह पहुँची तो आदम (ﷺ) अपने जिस्म को देखकर ख़ुश हुए और झट से उठना चाहा लेकिन नीचे के धड़ में रूह नहीं पहुँची थी इसलिए उठ न सके। इसी जल्दी का बयान इस आयत में है (وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا) (17/इस्रा : 11) यानी "इंसान बेसब्रा और जल्दबाज़ है" तो न ख़ुशी में सब्र, न रंज में। जब रूह जिस्म में पहुँची और छींक आई तो कहा, "अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन" अल्लाह तआला ने जवाब दिया यरहमुकल्लाहु। फिर सिर्फ़ इब्लीस के साथी फ़रिश्तों से फ़र्माया कि, आदम (ﷺ) के सामने सज्दा करो तो उन सबने तो सज्दा किया लेकिन इब्लीस का वह ग़ुरूर व तकब्बुर ज़ाहिर हो गया। उसने न माना और सज्दा करने से इंकार कर दिया और कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ, इससे बड़ी उम्र वाला हूँ और इससे क़वी और मज़बूत हूँ, यह मिट्टी से पैदा किया गया है और मैंआग से बना हूँ और आग मिट्टी से क़वी है। इस इंकार पर अल्लाह तआला ने उसे अपनी रहमत से नाउम्मीद कर दिया और इसीलिए उसे इब्लीस कहा जाता है। उसकी नाफ़र्मानी की सज़ा में उसे रांदा दरगाह शैतान बना दिया। फिर हज़रत आदम (ﷺ) को इंसान, जानवर, ज़मीन, समुन्दर, पहाड़ वग़ैरह के नाम बताकर उनको उन फ़रिश्तों पर पेश किया जो इब्लीस के साथ थे और आग से पैदाशुदा थे और उनसे फ़र्माया कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि मैं इसको ज़मीन में ख़लीफ़ा न बनाऊँ तो ज़रा मुझे इन चीज़ों के नाम बता दो। जब उन फ़रिश्तों ने देखा कि हमारी अगली बात से अल्लाह तआला नाराज़ है तो वह कहने लगे कि, ऐ अल्लाह! तू इस बात से पाक है कि तेरे सिवा कोई और ग़ैब को जाने, हमारी तौबा है और इक़रार है कि हम ग़ैब-दाँ नहीं। हम तो सिर्फ़ वही जान सकते हैं कि जो तू हमें मा'लूम करा दे जैसे तूने इनके नाम सिर्फ़ हज़रत आदम (ﷺ) को ही सिखाए हैं। अब अल्लाह तआला ने हज़रत आदम (ﷺ) से फ़र्माया कि, तुम इन्हें उन तमाम चीज़ों के नाम बता दो। चुनाँचे उन्होंने बता दिए तो फ़र्माया, ऐ फ़रिश्तों! क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमान व ज़मीन के ग़ैब का जानने वाला सिर्फ़ मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं। मैं हर पोशीदगी को भी वैसा ही जानता हूँ जैसे हर ज़ाहिर को, यानी इब्लीस का अंदरूनी किब्र व ग़ुरूर भी मैं जानता था और तुम सब उससे बेख़बर थे लेकिन यह क़ौल भी ग़रीब है और इसमें बहुत सी ख़ामियाँ हैं। हम अगर इन्हें अलग-अलग बयान करें तो मज़्मून बहुत लम्बा हो जाएगा और इब्ने अब्बास (रज़ि.) तक इस असर की सनद भी वही है जिससे उनकी मशहूर तफ़्सीर मरवी है। एक और असर भी इसी तरह का मरवी है, उसमें कुछ कमी-ज़्यादती भी है और उसमें यह भी है कि ज़मीन की मिट्टी लेने के लिए जब हज़रत जिब्राईल (ﷺ) गए तो ज़मीन ने कहा कि मैं अल्लाह तआला की पनाह माँगती हूँ कि तू मुझमें से कुछ घटाए। वह वापिस चले गए फिर मलकुल मौत को भेजा, ज़मीन ने उनसे भी यही कहा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि, मैं भी अल्लाह तआला की पनाह में आता हूँ कि मैं अल्लाह का हुक्म पूरा किये बग़ैर चला जाऊँ। चुनाँचे उन्होंने तमाम रूए-ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी की ली। चूँकि मिट्टी का रंग कहीं सुर्ख़ था और कहीं सफ़ेद, कहीं स्याह। इसी वजह से इंसानों की रंगतें भी तरह तरह की हुईं। लेकिन यह रिवायत भी इस्राईली रिवायात में से है। ग़ालिबन इसमें बहुत सी बातें बाद के लोगों की मिलाई हुई हैं। सहाबी का बयान है ही नहीं और अगर सहाबी का क़ौल भी हो तो भी उन्होंने कुछ पहली किताबों से लिया होगा, वल्लाहु आ'लम!

इमाम हाकिम (रह.) अपनी मुस्तदरक में बहुत सी ऐसी रिवायात लाए हैं और उनकी सनद को शर्ते बुख़ारी पर कहा है। (हाकिम : 2/261; व सनदुहू सहीह सहहहुल हाकिम व वाफ़क़हुज़् ज़हबी) मक़्सद यह है कि जब अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम हज़रत आदम (عليه السلام) को सज्दा करो तो इस ख़िताब में इब्लीस भी दाख़िल था इसलिए कि गो वह उनमें से न था लेकिन उन ही जैसा और उन ही जैसे काम करने वाला था, इसलिए इस ख़िताब में दाख़िल था और फिर नाफ़र्मानी की सज़ा भुगती। इसकी तफ़्सील इंशाअल्लाह तआला (काना मिनल् जिन्न) की तफ़्सीर में आएगी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि नाफ़र्मानी से पहले वह फ़रिश्तों में था। अज़ाज़ील उसका नाम था, ज़मीन पर उसकी रिहाइश थी, इज्तिहाद और इल्म में बहुत बड़ा था और इसी वजह से दिमाग़ में रऊनत थी और उसकी जमाअत का और उसका तअल्लुक़ जिन्नों से था। (तब्री : 1/502) उसके चार पर थे। जन्नत का ख़ाज़िन था। ज़मीन और आसमाने दुनिया का सुलतान था। हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं कि इब्लीस कभी फ़रिश्ता न था, उसकी असल जिन्नात से है जैसे कि आदम (عليه السلام) की असल इन्स से है। इसकी इस्नाद सहीह है। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम और शहर बिन हौशिब (रह.) का भी यही क़ौल है। सअद बिन मसऊद (रह.) कहते हैं कि फ़रिश्तों ने जिन्नात को जब मारा तब उसे क़ैद किया था और आसमान पर ले गए थे। वहाँ इबादत की वजह से रो पड़ा। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह भी मरवी है कि पहले एक मख़्लूक़ को अल्लाह तआला ने पैदा किया। उन्हें हज़रत आदम (عليه السلام) को सज्दा करने को कहा, उन्होंने इंकार कर दिया जिस पर वह जला दिए गए, फिर दूसरी मख़्लूक़ पैदा की, उनका भी यही हश्र हुआ, फिर तीसरी मख़्लूक़ पैदा की, उन्होंने ता'मीले इर्शाद की, लेकिन यह असर भी ग़रीब है और इसकी इस्नाद भी ग़ालिबन सहीह नहीं हैं। इसमें एक रावी मुब्हम है, इस वजह से यह रिवायत क़ाबिले-हुज्जत नहीं (काफ़िरीन) से मुराद नाफ़र्मान है। इब्लीस की इब्तिदा-ए-आफ़रीनश ही कुफ़्र व ज़लालत पर थी। कुछ दिन ठीक-ठाक रहा लेकिन फिर अपनी असलियत पर आ गया। सज्दा करने का हुक्म बजा लाना अल्लाह तआला की इताअत और आदम (عليه السلام) का इकराम (इज़्ज़त) था।

कुछ लोगों का क़ौल है कि यह सज्द-ए-सलाम और इज़्ज़त व इकराम था। जैसे कि हज़रत यूसुफ़ (عليه السلام) के बारे में फ़र्मान है कि उन्होंने अपने बाप को तख़्त पर बिठा लिया और वह सबके सब सज्दा में गिर पड़े और हज़रत यूसुफ़ (عليه السلام) ने फ़र्माया, अब्बा! यही मेरे उस ख़्वाब की ता'बीर है जिसे मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। साबिक़ा उम्मतों में ता'ज़ीमी सज्दा जाइज़ था लेकिन हमारे दीन में यह मंसूख़ हो गया। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि, मैंने शामियों को अपने सरदारों और उलमा के सामने सज्दा करते हुए देखा था तो हुज़ूर (ﷺ) से गुज़ारिश की कि हुज़ूर! आप इसके ज़्यादा हक़दार हैं कि आपको सज्दा किया जाए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "अगर मैं किसी इंसान को किसी इंसान के सामने सज्दा करने की इजाज़त देने वाला होता तो औरतों को हुक्म देता कि वह अपने शौहरों को सज्दा करें क्योंकि उनका उन पर बहुत बड़ा हक़ है।" (इब्ने माजा, किताबुन् निकाह, बाब हक़्क़ुल ज़ौजि अलल् मर्अति : 1853; व सनदुहू हसन व सहीह इब्ने हिब्बान (अल् मवारिद : 1290) वल हाकिम : 4/172) व वाफ़क़हुज़् ज़हबी) इमाम राज़ी (रह.) ने इसी को तर्जीह दी है। कुछ कहते हैं कि सज्दा अल्लाह तआला ही के लिए था। हज़रत आदम (عليه السلام) बतौर क़िब्ला के साथ थे जैसे कुरआन-करीम में और जगह है (أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (17/इस्रा : 78) लेकिन इसमें नज़र है और पहले क़ौल का ही ज़्यादा ज़ाहिर होना अच्छा मा'लूम होता है। यह सज्दा हज़रत आदम (عليه السلام) के इकराम, बड़ाई, एहतिराम और सलाम के तौर पर था और अल्लाह तआला की इताअत के मातहत था

क्योंकि उसका हुक्म था जिसकी बजाआवरी ज़रूरी थी। इमाम राज़ी (रह़.) ने भी इसी क़ौल को क़वी बताया है और उसके सिवा दोनों क़ौल को ज़ईफ़ क़रार दिया है। एक तो ह़ज़रत आदम (عليه السلام) का बतौर क़िब्ला के होना जिसमें कोई बड़ा शर्फ़ ज़ाहिर नहीं होता, दूसरे सज्दे से मुराद पस्त आजिज़ होना, न कि ज़मीन पर माथा टिकाकर ह़क़ीक़ी सज्दा करना लेकिन यह दोनों तावीलें ज़ईफ़ हैं।

ह़ज़रत क़तादा (रह़.) फ़र्माते हैं कि सबसे पहला गुनाह यही तकब्बुर है जो इब्लीस से सरज़द हुआ। स़ह़ीह़ ह़दीस में है कि, "जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वह जन्नत में दाख़िल न होगा, इसी तकब्बुर कुफ़्र व इनाद की वजह से इब्लीस के गले में तौक़े ला'नत पड़ा और रह़मत से मायूस होकर जनाब बारी तआ़ला से धुत्कारा गया।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल् ईमान, बाब तह़रीमुल् किब्र व बयानुहू : 91) "यहाँ का न स़ा र के मा'नी में भी बताया गया है जैसे कि (فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ) (11/हूद : 43) और (فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ) (2/बक़रह : 35) शायरों के शेअ़रों मे भी इसका सबूत है तो मा'नी यह हुए कि वह काफ़िर हो गया। इब्ने फ़ौरक (रह़.) कहते हैं कि वह अल्लाह तआ़ला के इल्म में काफ़िरों में से था।

कुर्तुबी (रह़.) इसी को तर्जीह़ देते हैं और यहाँ एक मसला बयान करते हैं कि किसी शख़्स़ के हाथ से कुछ करामतें सरज़द हो जाना उसके वलीअल्लाह होने की दलील नहीं, गो कुछ सूफ़ी और राफ़ज़ी इसके ख़िलाफ़ भी कहते हैं, इसलिए कि हम किसी बात का किसी के लिए फ़ैसला नहीं कर सकते कि वह ईमान ही की ह़ालत में अल्लाह तआ़ला से मिलेगा। इसी शैतान को देखिए, वली क्या बल्कि फ़रिश्ता बना हुआ था लेकिन आख़िर सरदारे कुफ़्र व कुफ़्फ़ार हो गया। इसके अ़लावा ऐसी ख़िलाफ़े आ़दत व अ़क़्ल बातें जो बज़ाहिर करामात नज़र आती हैं, औलिया अल्लाह के सिवा और लोगों के हाथों भी सरज़द होती हैं बल्कि फ़ासिक़, फ़ाजिर, मुश्रिक, काफ़िर से भी ज़ाहिर हो जाती है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने दिल में (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ) (44/दुख़ान : 10) की आयत पोशीदा करके जब इब्ने स़य्याद से पूछा कि "मैंने दिल में क्या छुपा रखा है?" तो उसने कहा था दुख़। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब इज़ा असलमस् स़बिय्यु फ़मात ...: 1354; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2930) कुछ आयात में है कि, गुस़्से के वक़्त उसका जिस्म इतना फूल जाता था कि उसके जिस्म से तमाम रास्ता रुक जाता था। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने उसे मारा। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब ज़िक्र इब्ने स़य्याद : 2932) दज्जाल की तो ऐसी बहुत सी बातें अह़ादीस में वारिद हैं मस्लन उसका आसमान से बारिश बरसाना, ज़मीन से पैदावार उगाना, ज़मीन के ख़ज़ानों का उसके पीछे लगना, एक नौजवान को क़त्ल करके फिर ज़िन्दा कर देना वग़ैरह। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल फ़ितन, बाब ज़िक्रुद् दज्जाल : 7122; स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब ज़िक्रुद् दज्जाल : 2937) ह़ज़रत लैस बिन सअ़द और ह़ज़रत इमाम शाफ़ई (रह़.) फ़र्माते हैं कि, अगर तुम किसी को पानी पर चलते हुए और हवाओं में उड़ते हुए देखो तो उसे वली न समझ बैठना, जब तक कि उसके तमाम आ'माल व अफ़आ़ल कुरआन व ह़दीस के मुताबिक़ न पाओ। इस सज्दा का हुक्म ज़मीन व आसमान के तमाम फ़रिश्तों को था। गो एक जमाअ़त का क़ौल यह भी है कि सिर्फ़ ज़मीन के फ़रिश्तों को यह हुक्म था लेकिन यह ठीक नहीं। कुरआने-करीम में है (فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ○ إِلَّآ إِبْلِيْسَ) (15/ह़िज्र : 30) यानी "इब्लीस के सिवा तमाम फ़रिश्तों ने सज्दा किया।" लिहाज़ा अव्वल तो जमा का स़ेग़ा लाना फिर (कुल्लुहुम्) से ताकीद करना फिर (अज्मऊ़न) फिर सिर्फ़ इब्लीस का इस्तिस्ना करना, इन चारों वजूहात की बिना पर स़ाफ़ ज़ाहिर है कि यह हुक्म आ़म था, वल्लाहु आ'लम!

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا
هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ
وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾

तर्जुमा : "और हमने कह दिया कि, ऐ आदम! तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ कहीं से चाहो बाफ़राग़त खाओ पीयो, लेकिन उस दरख़्त के क़रीब भी न जाना, वरना ज़ालिम हो जाओगे। (35) लेकिन शैतान ने बहकाकर वहाँ से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो और एक वक़्ते मुक़र्ररह तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है।" (36)

हज़रत आदम (عليه السلام) का ऐज़ाज़ और पैदाईशे हव्वा (عليها السلام) (आयत 35-36) : हज़रत आदम (عليه السلام) की यह एक और बुज़ुर्गी बयान हो रही है कि फ़रिश्तों से सज्दा कराने के बाद उन्हें जन्नत में रखा और हर चीज़ की रुख़्सत दे दी। इब्ने मर्दवे की हदीस में है कि हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से पूछा कि, या रसूलल्लाह (ﷺ)!क्या हज़रत आदम (عليه السلام) नबी थे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! नबी भी और रसूल भी बल्कि अल्लाह तआला ने उनसे आमने सामने बातचीत की और उन्हें फ़र्माया कि, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो।" (सहीह इब्ने हिब्बान (अल्एहसान : 6157; दूसरा नुस्ख़ा : 6190) व सनदुहू सहीह) आम मुफ़स्सिरीन का ख़्याल है कि आसमानी जन नत में उन्हें बसाया गया था लेकिन मुअतज़ला और क़दरिया कहते हैं कि यह जन्नत ज़मीन पर थी। सूरह आ'राफ़ में इसका बयान आएगा, इंशाअल्लाह तआला!

इस इबारते क़ुरआनी से यह भी मा'लूम होता है कि जन्नत में रहने से पहले हज़रत हव्वा (عليها السلام) पैदा की गईं थीं। मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) फ़र्माते हैं कि अहले-किताब वग़ैरह उलमा से बरिवायत इब्ने अब्बास (रज़ि.) मरवी है कि इब्लीस की डांट-डपट के बाद हज़रत आदम (عليه السلام) का इल्म ज़ाहिर करके फिर उन पर ऊँघ डाल दी गई और उनकी बाएँ पसली से हज़रत हव्वा (عليها السلام) को पैदा किया। जब आँख खोलकर हज़रत आदम (عليه السلام) ने उन्हें देखा तो अपने ख़ून और गोश्त की वजह से उन्स व मुहब्बत दिल में पैदा हो गयी। फिर परवरदिगार ने उन्हें उनके निकाह में दिया और जन्नत में रिहाइश का हुक्म अता हुआ। कुछ कहते हैं कि आदम (عليه السلام) के जन्नत में दाख़िल हो जाने के बाद हज़रत हव्वा (عليها السلام) पैदा की गईं। इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद (रज़ि.) वग़ैरह से मरवी हैं कि इब्लीस को जन्नत से निकालने के बाद हज़रत आदम (عليه السلام) को जन्नत में जगह दी गई लेकिन तने-तंहा थे, इस वजह से उनकी नींद में हज़रत हव्वा (عليها السلام) को उनकी पसली से पैदा किया गया। जागकर उन्हें देखकर पूछने लगे कि, तुम कौन हो? और क्यूँ

पैदा की गई हो? हज़रत हव्वा (अलैहस्सलाम) ने फ़र्माया, मैं एक औरत हूँ और आपके साथ रहने और तस्कीन का सबब बनने के लिए पैदा की गई हूँ, तो झट से फ़रिश्तों ने पूछा, फ़र्माइये, इनका नाम क्या है? हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) ने कहा, हव्वा। उन्होंने कहा, इस नाम की क्या वजह? फ़र्माया, इसलिए कि यह एक ज़िन्दा से पैदा की गई हैं। वहीं अल्लाह तआला की तरफ़ से आवाज़ आई कि, ऐ आदम! अब तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में आराम व इत्मिनान से रहो और जो चाहो खाओ-पीयो।

एक ख़ास दरख़्त से रोकना यह इम्तिहान था। कुछ कहते हैं कि यह अंगूर की बेल थी। कोई कहता है कि गंदुम का दरख़्त था, किसी ने सुंबुला कहा है, किसी ने खजूर बताई है, किसी ने अंजीर कहा है। कोई कहता है, उस दरख़्त के खाने से इंसानी हाजत होती है जो जन्नत के लायक़ नहीं। कोई कहता है, उस दरख़्त का फल खाकर फ़रिश्ते हमेशगी की ज़िन्दगी वाले हो जाते थे। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं, कोई एक दरख़्त था जिससे अल्लाह तआला ने रोक दिया, न कुरआन से (नाम) ता'यीन साबित होती है, न किसी सहीह हदीस से और मुफ़स्सिरीन में इख़्तिलाफ़ है और इसके मा'लूम कर लेने से कोई अहम फ़ायदा और न मा'लूम होने से कोई नुक़्सान नहीं, लिहाज़ा हमें इसमें मेहनत की क्या ज़रूरत? अल्लाह तआला ही को इसका बेहतर इल्म है। इमाम राज़ी (रह.) वग़ैरह ने भी यही फ़ैसला किया है और ठीक बात भी यही मा'लूम होती है (अन्हा) की ज़मीर का मरजअ कुछ ने जन्नत कहा है और कुछ ने शजरा एक क़िराअत (फ़अज़ल्लहुम) भी है तो मा'नी यह हुए कि उस जन्नत से इन दोनों को यकसू और अलग कर दिया और दूसरे मा'नी यह हुए कि उसी दरख़्त की वजह से शैतान ने उन्हें बहलाया।

ज़मीन पर इंसानी ज़िन्दगी का आग़ाज़ : लफ़्ज़ अन सबब के मा'नी में भी आया है (युअफ़कु अन्हु) (51/ज़ारियात : 9) इस नाफ़र्मानी की वजह से जन्नती लिबास वह पाक मकान, वह नफ़ीस रोज़ी वग़ैरह सब छिन गए और दुनिया में उतार दिए गए और कह दिया गया कि, अब तो ज़मीन में ही तुम्हारे रिज़्क़ वग़ैरह हैं, क़यामत तक यहीं रहोगे और यहाँ का फ़ायदा हासिल करते रहोगे। साँप का और इब्लीस का क़िस्सा, इब्लीस किस तरह जन्नत में पहुँचा, किस तरह वस्वसा डाला वग़ैरह लम्बे-चौड़े क़िस्से यहाँ पर मुफ़स्सिरीन ने नक़्ल किए हैं, लेकिन वह सब इस्राईली रिवायात का ढेर हैं। ताहम हम उन्हें सूरह आ'राफ़ में बयान करेंगे क्योंकि इस वाक़िया का बयान वहाँ किसी क़द्र तफ़्सील के साथ है।

इब्ने अबी हातिम की एक हदीस में है कि दरख़्त (फल) चखते ही जन्नती लिबास उतर गया। अपने आपको नंगा देखकर इधर-उधर दौड़ने लगे, लेकिन चूँकि क़द लम्बा था और सर के बाल लम्बे थे, वह एक दरख़्त में लग गए। अल्लाह तआला ने फ़र्माया, ऐ आदम! क्या मुझसे भागते हो? अर्ज़ किया, नहीं! ऐ अल्लाह! मैं तो शर्मिन्दगी से चेहरा छुपाए फिरता हूँ।'' (इब्ने अबी हातिम : 1/139; इस रिवायत में क़तादा और हसन मुदल्लिस रावी हैं। लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है) और रिवायत में है कि अल्लाह तआला ने फ़र्माया, ऐ आदम! मेरे पास से चले जाओ। मुझे मेरी इज़्ज़त की क़सम! मेरे पास मेरे नाफ़र्मान नहीं रह सकते। अगर उतनी मख़्लूक़ में तुम जैसी पैदा करूँ कि ज़मीन भर जाए और फिर वह मेरी नाफ़र्मानी करें तो यक़ीनन मैं उन्हें भी नाफ़र्मानों के घर में पहुँचा दूँ। यह रिवायत ग़रीब है और साथ ही इसमें इंक़िताअ बल्कि मुअज़ल भी है।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि हज़रत आदम (عليه السلام) अस्र के बाद से लेकर सूरज के गुरूब होने तक की एक साअत (घड़ी) ही जन्नत में रहे। (हाकिम : 2/542; व सनदुहू हसन व सह्हहुल् हाकिम व वाफ़क़हुज़् ज़हबी) हज़रत हसन (रह़.) फ़र्माते हैं कि यह एक साअत (घड़ी) एक सौ तीस साल की थी। रबीअ बिन अनस (रह़.) फ़र्माते हैं कि नवीं या दसवीं साअत में हज़रत आदम (عليه السلام) का इख़राज हुआ, उनके साथ जन्नत की एक शाख़ थी और जन्नत के दरख़्त का एक ताज सर पर था। सुदी (रह़.) का क़ौल है कि हज़रत आदम (عليه السلام) हिन्द में उतरे, आपके साथ हज्रे अस्वद था और जन्नती दरख़्त के पत्ते थे जो हिन्द में फैला दिए और उससे ख़ुश्बूदार दरख़्त पैदा हुए। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि हिन्द के शहर वह्ना में उतरे थे। एक रिवायत में है कि मक्का और ताईफ़ के बीच उतरे थे। (इब्ने अबी हातिम : 1/131) हसन बसरी (रह़.) फ़र्माते हैं कि हज़रत आदम (عليه السلام) हिन्द में और माई हव्वा जिद्दा में उतरीं और इब्लीस बसरा से चंद मील के फ़ासले पर दस्तमीसान में फेंका गया और साँप अस्बहान में। (इब्ने अबी हातिम : 1/131) इब्ने उमर (रज़ि.) का क़ौल है कि हज़रत आदम सफ़ा पर और हज़रत हव्वा (عليه السلام) मरवा पर उतरीं उतरने के वक़्त हाथ घुटनों पर थे और सर झुका हुआ था और इब्लीस उँगलियों में उँगलियाँ डाले आसमान की तरफ़ नज़रें जमाए उतरा। हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि, अल्लाह तआला ने उन्हें तमाम तरीक़े सिखा दिए और फलों का तौशा दिया। (हदीस अबी मूसा (रज़ि.), हाकिम : 2/543; व इत्तिहाफ़ुल मह्रा : 10/111; ह : 12372; व सनदुहू हसन व सह्हहुल हाकिम व वाफ़क़हुज़् ज़हबी) एक हदीस में है कि "तमाम दिनों में बेहतर दिन जुम्अे का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम (عليه السلام) पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाख़िल किए गए और इसी दिन निकाले गए।" मुलाहिज़ा हो सहीह मुस्लिम और नसाई। (सहीह मुस्लिम, किताबुल् जुमुआ, बाब फ़ज़्लु यौमिल जुमुआ : 854; तिर्मिज़ी : 488; नसाई : 1373)

इमाम राज़ी (रह़.) फ़र्माते हैं कि इस आयत में अल्लाह की नाराज़गी की कई वजूह से डांट-डपट है। अव्वल तो यह सोचना चाहिए कि ज़रा सी लग़्ज़िश पर हज़रत आदम (عليه السلام) को किस क़द्र सज़ा हुई, किसी शायर ने क्या ख़ूब कहा कि, तुम गुनाहों पर गुनाह किए जाते हो और जन्नत के तालिब हो, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे बाप आदम (अ.) को महज़ एक हल्के से गुनाह पर जन्नत से निकाल दिया गया। हम तो यहाँ दुश्मन की क़ैद में हैं। देखें कब सेहत सलामती के साथ अपने वतन पहुँचें। फ़तह मूसली (रह़.) कहते हैं, हम जन्नती थे, इब्लीस की क़ैद में दुनिया में आ पड़े। अब सिवाए ग़म व रंज के यहाँ क्या रखा है? यह क़ैदो-बन्द उसी वक़्त टूटेगी जबकि हम वहीं पहुँच जाएँ जहाँ से निकाले गए हैं।

अगर कोई मुअतरिज़ ऐतिराज़ करे कि जब आदम (عليه السلام) आसमानी जन्नत में थे और इब्लीस रांदा हो चुका था तो फिर वह वहाँ कैसे पहुँचा? तो इसके जवाब में एक क़ौल यह भी है कि वह जन्नत ज़मीन में थी लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से जवाब हैं कि बतौर इकराम के उसका दाख़िल होना मना था, न कि बतौर एहानत और चोरी के। चुनाँचे तौरात में है कि वह साँप के मुँह में बैठकर जन्नत में गया और यह भी जवाब है कि वह जन्नत में नहीं गया था बल्कि बाहर ही से उसने वस्वसा डाला था और कुछ ने कहा है कि ज़मीन से ही वस्वसा उनके दिल में डाला। क़ुर्तुबी (रह़.) ने यहाँ पर साँपों के बारे में और उनको मार डालने की अहादीस भी नक़्ल की हैं जो बहुत मुफ़ीद और बा मौक़ा हैं।

فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

तर्जुमा : "(हज़रत) आदम (عليه السلام) ने अपने रब से चंद बातें सीख लीं और अल्लाह तआला ने उनकी तौबा क़बूल फ़र्माई। वह तौबा क़बूल करने वाला और रह्म करने वाला है।" (37)

मुआफ़ी के कलिमात (आयत 37) : जो कलिमात हज़रत आदम (عليه السلام) ने सीखे थे उनका बयान ख़ुद कुरआन में मौजूद है (قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ) (7/आ'राफ़ : 23) यानी "उन दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब! हमने अपने जानों पर ज़ुल्म किया, अगर तू हमें न बख़्शेगा और हम पर रह्म न करेगा तो यक़ीनन हम नुक़्सान वाले हो जायेंगे।" अकसर बुज़ुर्गों का यही क़ौल है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से अह्कामे-हज सीखना भी मरवी है। (यह इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से साबित नहीं) उ़बेद बिन उ़मेर (रह़.) कहते हैं कि वह कलिमात यह थे कि उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह! जो ख़ता मैंने की, क्या वह मेरे पैदा करने से पहले मेरी तक़्दीर में लिख दी गई थी, या मैंने ख़ुद उसकी ईजाद की? जवाब मिला कि ईजाद नहीं की बल्कि पहले ही लिख रखी थी। इसे सुनकर आदम (अ़.) ने कहा, ऐ अल्लाह! फिर मुझे बख़्शिश और मुआफ़ी मिल जाए। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से यह भी रिवायत है कि हज़रत आदम (عليه السلام) ने कहा, ऐ अल्लाह! क्या तूने मुझे अपने हाथ से पैदा नहीं किया और मुझ में अपनी रूह नहीं फूँकी? मेरे छींकने पर यरह़मुकल्लाह नहीं कहा? क्या तेरी रहमत ग़ज़ब पर सब्क़त नहीं ले गई? क्या मेरी पैदाईश से पहले यह ख़ता मेरी तक़्दीर में नहीं थी? जवाब मिला कि, हाँ! यह सब मैंने किया है तो कहा, फिर ऐ अल्लाह! मेरी तौबा क़बूल करके मुझे फिर जन्नत मिल सकती है या नहीं? जवाब मिला कि हाँ! (त़ब्री : 1/543) यही वह कलिमात यानी चंद बातें थीं जो आप (عليه السلام) ने अल्लाह से सीख लीं। इब्ने अबी ह़ातिम की एक और मरफ़ूअ़ रिवायत में है कि हज़रत आदम (عليه السلام) ने कहा, ऐ अल्लाह! अगर मैं तौबा करूँ और रुजूअ़ करूँ तो क्या जन्नत में फिर जा सकता हूँ? जवाब मिला कि, हाँ! यही मा'नी हैं अल्लाह से कलिमात की तल्क़ीन ह़ासिल करने के। लेकिन यह ह़दीस अ़लावा ग़रीब होने के मुंक़तअ़ भी है। कुछ बुज़ुर्गों से मरवी है कि कलिमात की तफ़्सीर (रब्बना ज़लम्ना) अल्ख़ को और इन सब बातों को शामिल है। हज़रत मुजाहिद (रह़.) से मरवी है कि वह कलिमात यह हैं

اللهم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی انک خیر الغافرین اللهم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فارحمنی انک خیرالراحمین اللهم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم

कुरआने-करीम में और फ़र्माया, "कि क्या यह लोग नहीं जानते कि अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों की तौबा क़बूल फ़र्माता है?" और जगह है "जो शख़्स कोई बुरा काम कर गुज़रे या अपनी जान पर ज़ुल्म कर बैठे फिर

तौबा इस्तिग़फ़ार करे तो वह देख लेगा कि अल्लाह उसकी तौबा को क़बूल करेगा और उसे अपने रहमो-करम में ले लेगा।'' और एक मक़ाम पर फ़र्माया (وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا) (25/फ़ुरक़ान : 71) इन सब आयात में बयान है कि अल्लाह तआला बन्दों की तौबा क़बूल करता है। इसी तरह यहाँ भी फ़र्मान है कि वह अल्लाह तौबा करने वालों की तौबा क़बूल करने वाला और बहुत बड़े रहमो-करम वाला है।'' अल्लाह तआला के इस आम लुत्फ़ व करम। उसके इस फ़ज़्ल व रहम को देखो कि वह अपने गुनहगार बन्दों को भी अपने दर से महरूम नहीं करता। सच है, उसके सिवा कोई मा'बूदे बरहक़ नहीं। न उससे ज़्यादा कोई मेहरबान करम करने वाला, न उससे ज़्यादा कोई ख़ता बख़्शने वाला और रहम व बख़्शिश अता फ़र्माने वाला है।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ
عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَآ
اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا
قَلِيْلًا وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾

तर्जुमा : ''हमने कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुँचे, उसकी ता'बेदारी करने वालों पर कोई ख़ौफ़ व ग़म नहीं होगा। (38) और जो इंकार करके हमारी आयात को झुठलाएँ वह जहन्नमी हैं और हमेशा उसी में रहेंगे।(39) ऐ बनी इस्राईल! मेरी उस ने'मत को याद करो जो मैंने तुम पर इन्आम की और मेरे अ़हद (वा'दा) को पूरा करो, मैं तुम्हारे अ़हद (वा'दा) को पूरा करूँगा, मुझ ही से डरो।(40) और उस किताब पर ईमान लाओ जिसे मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक़ में नाज़िल फ़र्मायी है और उसके साथ तुम ही पहले काफ़िर न बनो और मेरी आयात को थोड़ी-थोड़ी क़ीमत पर न बेचो, और सिर्फ़ मुझसे डरते रहा करो।(41)

अम्बिया की पैरवी से ही जन्नत मिलेगी (आयत 38-41) : जन्नत से निकालते हुए जो हिदायत हज़रत आदम (ﷺ) हज़रत हव्वा (ﷺ) और इब्लीस को दी गई, उसका बयान यहाँ हो रहा है कि किताबें, अम्बिया और रसूल भेजे जायेंगे, मु'जिज़ात ज़ाहिर किए जायेंगे, दलाइल बयान फ़र्माए जाएँगे, राहे ह़क़ वाज़ेह़ कर दी जाएगी। आँह़ज़रत मुह़म्मद (ﷺ) भी आयेंगे, आप (ﷺ) पर क़ुरआने करीम भी नाज़िल किया जाएगा और जो अपने ज़माने की किताबों और नबी की ता'बेदारी करेगा, उसे आख़िरत के मैदान में कोई डर न होगा और न दुनिया के माल व मताअ़ न होने पर कोई ग़म होगा। सूरह त़ाहा में भी यही फ़र्माया गया है कि मेरी हिदायत की पैरवी करने वाले न गुमराह होंगे, न बदबख़्त व बेनसीब और मेरी याद से मुँह मोड़ने वाले दुनिया की तंगी और आख़िरत के अंधेपन के अ़ज़ाब में गिरफ़्तार होंगे। यहाँ भी फ़र्माया कि, इंकार और तक्ज़ीब करने वाले हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इब्ने जरीर (रह़.) की ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "जो अस़ली जहन्नमी हैं उन्हें तो जहन्नम में न मौत आएगी और न ही ज़िन्दगी मिलेगी।" हाँ! जिन मुवह़्ह़िद, सुन्नत की इत्तिबाअ़ करने वाले लोगों को उनकी कुछ ख़त़ाओं पर जहन्नम में डाला जाएगा, यह जलकर कोयला होकर मर जायेंगे और फिर शफ़ाअ़त से निकाल लिए जायेंगे। स़ह़ीह़ मुस्लिम में भी यह ह़दीस है। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब इस्बातुश् शफ़ाअ़त : 185; इब्ने माजा : 4309) दूसरी दफ़ा जो जन्नत से निकल जाने के हुक्म का ज़िक्र किया गया तो यह इसलिए कि यहाँ दूसरा अह़काम बयान करने थे और कुछ कहते हैं, पहली मर्तबा जन्नत से आसमाने अव्वल पर उतार दिया गया था, दोबारा आसमाने अव्वल से ज़मीन की त़रफ़ उतारा गया लेकिन स़ह़ीह़ क़ौल पहला ही है, वल्लाहु आ'लम!

बनी इस्राईल से ख़ित़ाब कि काफ़िर न बनो : इन आयात में बनी इस्राईल को इस्लाम क़बूल करने और हुज़ूर (ﷺ) की ता'बेदारी करने का हुक्म हो रहा है और किस लत़ीफ़ पैराये में इन्हें समझाया जाता है कि तुम एक पैग़म्बर की औलाद में से हो और तुम्हारे हाथों में किताबुल्लाह मौजूद है और क़ुरआन उसकी तस्दीक़ कर रहा है फिर तुम्हें न चाहिए कि सबसे पहले इंकार तुम ही से शुरू हो। इस्राईल नाम था ह़ज़रत या'क़ूब (ﷺ) का तो गोया उनसे कहा जाता है कि तुम मेरे स़ालेह़ और फ़र्मांबरदार बन्दे की औलाद हो। तुम्हें चाहिए कि अपने जद्दे-अमजद की त़रह़ ह़क़ की ता'बेदारी में लग जाओ। जैसे कहा जाता है कि तुम सख़ी के लड़के हो, सख़ावत में आगे बढ़ो, तुम पहलवान की औलाद हो, दादे-शुजाअ़त दो, तुम आ़लिम के बच्चे हो, इल्म में कमाल पैदा करो। दूसरी जगह इस त़र्ज़े कलाम को इसी त़रह़ अदा किया गया है (ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا) (17/इस्रा : 3) यानी "हमारे शुक्रगुज़ार बन्दे (ह़ज़रत) नूह़ (ﷺ) के साथ जिन्हें हमने एक आ़लमगीर तूफ़ान से बचाया था, उनकी औलाद है।"

एक ह़दीस में है कि यहूदियों की एक जमाअ़त से हुज़ूर (ﷺ) ने पूछा कि, "तुम नहीं जानते कि इस्राईल नाम था (ह़ज़रत) या'क़ूब (ﷺ) का?" वह सब क़सम खाकर कहते हैं कि वल्लाह! यह सच है तो हुज़ूर (ﷺ) ने कहा, "ऐ अल्लाह! तू गवाह रह।" (मुस्नद त़यालिसी : 2731; दूसरा नुस्ख़ा : 2854; व सनदुहू ह़सन) इस्राईल के लफ़्ज़ी मा'नी अ़ब्दुल्लाह के हैं।" (त़िब्री : 1/553) इन ने'मतों को याद दिलाया

जा रहा है जो कुदरते कामिला की बड़ी-बड़ी निशानियाँ थीं, मस्लन पत्थर में से नहरों का जारी करना, मन्न व सलवा उतारना, फ़िरऔनियों से आज़ाद कराना, (तब्री : 1/556) उन हीं में से अम्बिया और रसूलों को मब्ऊस करना, उनमें सल्तनत और बादशाही अ़ता फ़र्माना वग़ैरह मेरे वा'दों को पूरा करो, यानी जो अ़हद मैंने तुमसे लिया था कि जब मुहम्मद (ﷺ) आएँ और आप (ﷺ) पर मेरी किताब कुरआने करीम उतरे तो तुम उस पर और आप (ﷺ) की ज़ात पर ईमान लाना, वह तुम्हारे बोझ हल्के करेंगे और तुम्हारी ज़ंजीरें तोड़ देंगे और तुम्हारे तौक़ उतार देंगे और मेरा वा'दा भी पूरा हो जाएगा कि मैं इस दीन के सख़्त अहकाम के बदले में तुम्हें उस आख़िरुज़् ज़मान पैग़म्बर (ﷺ) के ज़रिये तुम्हें एक आसान दीन दूँगा। दूसरी जगह इसका बयान इस तरह होता है (وَقَالَ اللّٰهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ) (5/माइदा : 12) यानी "अगर तुम नमाज़ों को क़ायम करोगे, ज़कात देते रहोगे, मुझे अच्छा क़र्ज़ा देते रहोगे तो मैं तुम्हारी बुराईयाँ दूर करूँगा और तुम्हें बहती हुई नहरों वाली जन्नत में दाख़िल करूँगा।" यह मतलब भी बयान किया गया है कि तौरात में वा'दा किया गया था कि हज़रत इस्माईल (अ.) की औलाद में से एक ऐसा अज़ीमुश्शान पैग़म्बर पैदा करूँगा जिसकी ता'बेदारी तमाम मख़्लूक़ पर फ़र्ज़ करूँगा और उनके ता'बेदारों को बख़्शूँगा। उन्हें जन्नत में दाख़िल करूँगा और बड़ा अज्र दूँगा। इमाम राज़ी (रह.) ने अपनी तफ़्सीर में बड़े-बड़े अम्बिया (عليهم السلام) से आप (ﷺ) के बारे में पेशीनगोई नक़्ल की है। यह भी मरवी है कि बन्दों का अ़हद इस्लाम को मानना और उस पर अ़मल करना था। (तब्री : 1/558) अल्लाह तआला का अपने अ़हद को पूरा करना, उनसे ख़ुश होना और जन्नत अ़ता करना है। (इब्ने अबी हातिम : 1/143) और मुझसे डरो कि ऐसा न हो जो अ़ज़ाब तुमसे पहले लोगों पर नाज़िल हुए, कहीं तुम पर भी न आ जाए। इस लतीफ़ पैराये को भी मुलाहिज़ा फ़र्माइये कि तर्ग़ीब के बयान के साथ ही किस तरह तर्हीब के बयान को मिला दिया। रग़बत दिलाना और डराना दोनो को जमा करके इत्तिबाअ़े हक़ और नबुव्वते मुहम्मद (ﷺ) की दा'वत दी गई, कुरआने करीम के साथ नसीहत हासिल करने, उसके बताए हुए अहकाम को मानने और उसके मना कर्दा कामों से रुक जाने की हिदायत की गई।

इसीलिए उसके बाद ही फ़र्माया कि तुम उस कुरआन पर ईमान लाओ जो तुम्हारी अपनी किताब की भी तस्दीक़ और ताईद करता है, जिसे लेकर वह नबी आए हैं जो उम्मी हैं, जो अ़रबी हैं, जो बशीर हैं, जो नज़ीर हैं, सिराजम मुनीर हैं, जिनका इस्मे मुबारक मुहम्मद (ﷺ) है। जो तौरात व इंजील की तस्दीक़ करने वाले और हक़ को फैलाने वाले हैं। चूँकि तौरात व इंजील में भी आप (ﷺ) का ज़िक्र था तो आप (ﷺ) का तशरीफ़ लाना तौरात की सच्चाई की दलील थी, इसलिए कहा गया कि वह तुम्हारे हाथों की चीज़ों की तस्दीक़ करते हैं। बावजूद यह कि तुम्हें इल्म है फिर तुम ही उसके पहले मुंकिर न बनो। कुछ कहते हैं (बिही) की ज़मीर का मरजअ कुरआन है और पहले आ भी चुका है (बिमा उंज़िलत) और दोनों क़ौल दरहक़ीक़त सच्चे और एक ही हैं। कुरआन को मानना रसूल को मानना है और रसूल की तस्दीक़ कुरआन की तस्दीक़ है। पहले काफ़िर का मतलब बनी इस्राईल के पहले काफ़िर हैं। क्योंकि कुफ़्फ़ारे कुरैश भी इंकार और कुफ़्र कर चुकेथे तो अब बनी इस्राईल का इंकार अहले किताब में से पहली जमाअत का इंकार था, इसलिए उन्हें अव्वल काफ़िर कहा गया, उनके पास वह इल्म था जो दूसरों के पास न था। मेरी आयात के बदले थोड़ा मोल न लो, यानी दुनिया के बदले

जो क़लील (बहुत कम) और फ़ानी है, मेरी आयात पर ईमान लाना और मेरे रसूल (ﷺ) की तस्दीक़ करना न छोड़ो, अगरचे सारी की सारी दुनिया भी मिल जाए फिर भी वह आख़िरत के मुक़ाबला में थोड़ी और बहुत थोड़ी है और यह ख़ुद इनकी किताबों में भी मौजूद हैं।

दीनी ता'लीम पर उज्रत लेना कैसा है? सुनन अबू दाऊद में है किरसूलल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''जो शख़्स इस इल्म को जिससे अल्लाह की रज़ामन्दी ह़ासिल होती है इसलिए सीखे कि इससे दुनिया कमाए वह क़यामत के दिन जन्नत की ख़ुश्बू तक न पाएगा।'' (अबूदाऊद, किताबुल इल्म, बाब फ़ी त़लबिल इल्म लिग़ैरिल्लाह : 3664; इब्ने माजा : 252; व सनदुहू ह़सन व स़ह़ह़हु इब्ने ह़िब्बान : (89) वल ह़ाकिम : 1/85) वज़् ज़हबी) इल्म सिखाने की उज्रत बग़ैर मुक़र्रर किए हुए लेना जाइज़ है। इस त़रह़ इल्म सिखाने वाले उ़लमा को बैतुलमाल से लेना भी जाइज़ है ताकि वह ख़ुशह़ाल रह सकें और अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। अगर बैतुलमाल से कुछ माल न मिलता हो और इल्म सिखाने की वजह से कोई काम धंधा भी न कर सकते हों तो फिर उज्रत मुक़र्रर करके लेना भी जाइज़ है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अह़मद, और जुम्हूर उ़लमा (रह़.) का यही मज़हब है। इसकी दलील वह ह़दीस भी है, जो स़ह़ीह़ बुख़ारी में ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से मरवी है कि, उन्होंने उज्रत मुक़र्रर करके ली और एक साँप के काटे हुए शख़्स पर क़ुरआन पढ़कर दम किया। जब ह़ुज़ूर (ﷺ) के सामने यह क़िस्सा पेश हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللّٰهِ) यानी ''जिन चीज़ों पर तुम उज्रत लो उन सबमें ज़्यादा ह़क़दार चीज़ किताबुल्लाह है।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत् त़िब्ब, बाब अश्शुरूत़ फ़िर् रुक़यत बिफ़ातिह़तिल किताब : 5737) दूसरी लम्बी ह़दीस में है कि एक शख़्स का निकाह़ एक औरत से आप (ﷺ) कर देते हैं और फ़र्माते हैं (زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) ''मैंने इसको तेरी ज़ोजियत में दिया, इस मेहर पर कि जो क़ुरआन तुझे याद है तू इसे याद करा दे।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुन् निकाह़, बाब अस् स़दाक़ व जवाज़ु कौनिही ता'लीमुल् क़ुरआन : 5149; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1425)

अबूदाऊद (रह़.) की एक ह़दीस में है कि एक शख़्स ने अहले सुफ़्फ़ा में से किसी को कुछ क़ुरआन सिखाया। उसने उसे एक कमान बत़ौरे हदिया के दी। उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मसला पूछा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अगर तुझे आग की कमान लेनी है तो उसे ले, चुनाँचे उसने उसे छोड़ दिया।'' (अबूदाऊद, किताबुल बुयूअ, बाब फ़ी कसबिल् मुअ़ल्लिम : 3416; व सनदुहू ह़सन; बैहक़ी : 6/175; ह़ाकिम : 2/41,42) ह़ज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से भी ऐसी ही एक मरफ़ूअ ह़दीस मरवी है। (इब्ने माजा : 2158; व सनदुहू ज़ईफ़) इन दोनों अह़ादीस का मत़लब यह है कि जब उसने ख़ालिस़ अल्लाह के वास्ते की निय्यत से सिखाया फिर उस पर तौह़फ़ा हदिया लेकर अपने सवाब को खत़्म करने की क्या ज़रूरत है और जबकि शुरू ही से उज्रत पर ता'लीम दी है तो फिर बिला शक व शुबा जाइज़ है जैसे ऊपर की दोनों अह़ादीस में बयान हो चुका है, वल्लाहु आ'लम!

सिर्फ़ अल्लाह से डरने का क्या मक़्सद? (आयत 42-43) :सिर्फ़ अल्लाह ही से डरने के यह मा'नी हैं कि अल्लाह की रह़मत की उम्मीद पर उसकी इ़बादत व इत़ाअ़त में लगा रहे और उसके अ़ज़ाबों से डरकर उसकी नाफ़र्मानियों को छोड़ दे और दोनों ह़ालतों में अपने रब की त़रफ़ से दिए गए नूर पर गामज़न रहे। ग़र्ज़ इस जुम्ला से उन्हें ख़ौफ़ दिलाया गया कि वह दुनियावी लालच में आकर ह़ुज़ूर (ﷺ) की नबुव्वत की तस्दीक़ को जो उनकी किताबों मे है, न छुपाएँ और दुनियावी रियासत के त़मअ़ (लालच) पर आप (ﷺ) की मुख़ालिफ़त पर आमादा न हों बल्कि रब से डरकर ह़क़ का इज़्हार करते रहें।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

तर्जुमा : "ह़क़ को बात़िल के साथ ख़लत़-मलत़ न किया करो और न ह़क़ को छुपाओ, तुम्हें तो ख़ुद इसका इ़ल्म है।(42) और नमाज़ों को क़ायम रखा करो और ज़कात देते रहा करो और रुकूअ़ करने वालों के साथ रुकूअ़ किया करो।"(43)

ह़क़ को छुपाना यहूद की ख़स्लत (आयत 42, 43) : यहूदियों की इस बदख़स्लत पर उनको तम्बीह हो रही है कि वह बावजूद जानने के कभी तो ह़क़ व बात़िल को गुडमुड कर दिया करते थे, कभी ह़क़ को छुपा लिया करते थे, कभी बात़िल को ज़ाहिर किया करते थे तो उन्हे उनकी इन नापाक आ़दतोंको छोड़ने को कहा गया है और ह़क़ को ज़ाहिर करने और उसे खोल-खोलकर बयान करने की हिदायत की जाती है कि ह़क़ व बात़िल और सच और झूठ को आपस में न मिलाओ और अल्लाह के बन्दों की ख़ैरख़्वाही करो। यहूदियत व नस़रानियत की बिदआ़त को इस्लाम की ता'लीम के साथ न मिलाओ। रसूलुल्लाह (ﷺ) के पेशगोईयाँ जो तुम अपनी किताबों में पाते हो, उन्हें अ़वामुन् नास से न छुपाओ। (तक्तुमू) मजज़ूम भी हो सकता है और मंसूब भी, यानी इसे और उसे जमा न करो। इब्ने मसऊद (रज़ि.) की क़िराअत में तक्तुमून भी है, यह ह़ाल होगा और इसके बाद का जुम्ला भी ह़ाल है। मा'नी यह हुए कि ह़क़ को ह़क़ जानते हुए ऐसी बेह़याई न करो। और यह भी मा'नी हैं कि बावजूद इ़ल्म के कि उसको छुपाने और बात़िल के साथ मिलाने का कैसा अ़ज़ाब होगा फिर भी अफ़सोस! कि तुम इस बदकिरदारी पर आमादा नज़र आते हो। फिर उन्हें हुक्म दिया जाता है कि ह़ुज़ूर (ﷺ) के साथ नमाज़ें पढ़ो, और आप (ﷺ) को ज़कात भी दिया करो और उम्मते मुह़म्मद (ﷺ) के साथ रुकूअ़ व सुजूद में शामिल रहा करो, इन ही में मिल जाओ और ख़ुद भी आप (ﷺ) ही की उम्मत बन जाओ। (अल् कश्शाफ़ : 1/133) इत़ाअ़त व इख़्लास़ को भी ज़कात कहते हैं। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) इस आयत की तफ़्सीर में यही फ़र्माते हैं। ज़कात दो सौ दिरहम पर फिर उससे ज़्यादा रक़म पर वाजिब होती है। नमाज़ व ज़कात फ़र्ज़ व वाजिब हैं, उनके बग़ैर आ'माल ग़ारत हैं। ज़कात से कुछ लोगों ने फ़ित़रा भी मुराद लिया है। रुकूअ़ करने वालों के साथ रुकूअ़ करो, से मुराद यह है कि अच्छे आ'माल में ईमानवालों का साथ दो, और उनमें बेहतरीन चीज़ नमाज़ है। इस आयत से अकसर उ़लमा ने नमाज़ बा जमाअ़त के फ़र्ज़ होने पर भी इस्तिदलाल किया है और यहाँ पर इमाम क़ुर्तुबी (रह़.) ने मसाइले जमाअ़त को बस्त़ (विस्तार) से बयान फ़र्माया है।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۴۴﴾

तर्जुमा : "क्या लोगों को भलाईयों का हुक्म करते हो? और ख़ुद अपने तईं (लिए) भूल जाते हो, बावजूद यह कि तुम किताब को पढ़ते हो, क्या इतनी भी तुममें समझ नहीं?" (44)

दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फ़ज़ीहत (आयत 44) : यानी ऐ अहले किताब! बावजूद इस इल्म के जो "कहे और न करे" उस पर कितना अ़ज़ाब है, फिर तुम ख़ुद ऐसा क्यूँ करने लगे हो? जैसा दूसरों को तक़्वा त़हारत और पाकीज़गी सिखाते हो, ख़ुद भी तो इसके अ़ा'मिल बन जाओ। लोगों को रोज़े, नमाज़ का हुक्म देना और ख़ुद उसके पाबन्द न होना, यह तो बड़ी शर्म की बात है। दूसरों को कहने से पहले इंसान को ख़ुद अ़ामिल हो जाना चाहिए। यह भी मा'नी हैं कि तुम दूसरों को तो अपनी किताब के साथ कुफ़्र करने से रोकते हो लेकिन अल्लाह तआ़ला के उस नबी (ﷺ) को झुठलाकर तुम ख़ुद अपनी किताब के साथ कुफ़्र क्यूँ करते हो? यह भी मत़लब है कि दूसरों को इस दीने-इस्लाम के क़बूल करने के लिए कहते हो मगर दुनियावी डर और ख़ौफ़ से ख़ुद क़बूल नहीं करते।

वा'इज़ीन और मुबल्लिग़ीन के लिए हिदायत : हज़रत अबुद् दर्दा (रज़ि.) फ़र्माते हैं, इंसान पूरा समझदार नहीं हो सकता जब तक कि लोगों को अल्लाह के ख़िलाफ़ करते हुए देखकर उनका दुश्मन न बन जाए और अपने नफ़्स का उनसे भी ज़्यादा। इन लोगों को अगर रिश्वत वग़ैरह न मिलती तो ह़क़ बता देते लेकिन ख़ुद अ़ामिल न थे जिसकी वजह से अल्लाह तआ़ला ने इनकी मज़म्मत की। यहाँ पर यह बात याद रखनी चाहिए कि अच्छी चीज़ का हुक्म देने पर इनकी बुराई नहीं की, बल्कि ख़ुद न करने पर बुराई बयान की गई है।

अच्छी बात को कहना तो ख़ुद अच्छाई बल्कि यह तो वाजिब है लेकिन उसके साथ ही साथ इंसान को ख़ुद भी उस पर अ़मल करना चाहिए। जैसे हज़रत शुऐ़ब (عليه السلام) ने फ़र्माया था (وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ) (11/हूद : 88) यानी "मैं ऐसा नहीं हूँ कि तुम्हें रोकूँ और ख़ुद करूँ। मेरा इरादा तो अपनी त़ाक़त के मुत़ाबिक़ इस्लाह़ का है, मेरी तौफ़ीक़ अल्लाह तआ़ला की मदद से है, मेरा भरोसा उसी पर है और मेरी रग़्बत व रुजूअ़ भी उसी की त़रफ़ है।" पस नेक कामों का हुक्म करना भी वाजिब और ख़ुद करना भी वाजिब है, एक वाजिब न करने से दूसरा वाजिब छोड़ना नहीं चाहिए। उ़लम-ए-सलफ़ व ख़लफ़ का भी क़ौल यही है गो कुछ लोगों का एक क़ौल यह भी है कि बुराईयाँ करने वाला दूसरों को अच्छाईयों का हुक्म न दे, लेकिन यह क़ौल सह़ीह़ नहीं, फिर उन ह़ज़रात का इस आयत से दलील पकड़ना तो बिलकुल सही नहीं बल्कि सह़ीह़ यही है कि भलाई का हुक्म करे, बुराई से रोके, और ख़ुद भी करे और रुके। अगर दोनों छोड़ेगा तो दोहरा गुनहगार होगा और एक के तर्क (छोड़ने) पर इकहरा।

तबरानी की मुअजम कबीर में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जो आलिम लोगों को भलाई सिखाए और ख़ुद अमल न करे, उसकी मिसाल चराग़ जैसी है कि लोग उसकी रोशनी से फ़ायदा उठा रहे हैं लेकिन वह ख़ुद जल रहा है।'' (अल मुअजम कबीर लित् तबरानी : 1/166, 1681; मज्मउज़्ज़वाइद : 1/184; अत् तर्ग़ीब : 1/103, 718; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसकी सनद को जय्यद क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् सहीह़ : 7/1133) इसकी सनद आ'मश की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है और इसके ज़ईफ़ शवाहिद भी हैं।) यह ह़दीस ग़रीब है। मुस्नद अह़मद की ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''मे'राज वाली रात मैंने देखा कि कुछ लोगों के होंठ आग की क़ैंचियों से काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा, यह कौन लोग हैं? तो कहा गया कि यह आप (ﷺ) की उम्मत के ख़तीब और वाइज़ व आलिम हैं जो लोगों को भलाई सिखाते थे मगर ख़ुद नहीं करते थे, बावजूद इल्म के समझ नहीं रखते थे।'' दूसरी ह़दीस में है कि ''इनकी ज़ुबानें और होंठ दोनों काटे जा रहे थे।'' (अह़मद : 3/120; व सनदुहू ज़ईफ़ वलिल् ह़दीस शवाहिद) यह ह़दीस सहीह़ है। इब्ने हिब्बान, इब्ने अबी ह़ातिम, इब्ने मर्दवे वग़ैरह में यह ह़दीस मौजूद है।

अबू वाइल (रह़.) फ़र्माते हैं कि एक मर्तबा ह़ज़रत उसामा (रज़ि.) से कहा गया कि आप ह़ज़रत उस्मान (रज़ि.) से कुछ कहते नहीं। आपने जवाब दिया कि क्या मैं उनको लोगों के सामने अलल् ए'लान कहूँ तब ही कहना होगा, मैं तो उन्हें पोशीदा तौर पर हर वक़्त कहता रहता हूँ लेकिन मैं किसी काम को फैलाना नहीं चाहता। अल्लाह की क़सम! मैं किसी शख़्स को सबसे अफ़ज़ल नहीं कहूँगा इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि ''एक शख़्स को क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसे जहन्नम में डाला जाएगा, उसकी आँतें निकल आएँगी और वह उसके इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहा होगा और जहन्नमी जमा होकर उससे पूछेंगे कि ह़ज़रत! आप तो हमें अच्छी बातों का हुक्म करने वाले और बुराईयों से रोकने वाले थे, यह आपकी क्या ह़ालत है? वह कहेगा, अफ़सोस! मैं तुम्हें कहता था और ख़ुद नहीं करता था, मैं तुम्हें रोकता था औ ख़ुद नहीं रुकता था।'' (मुस्नद अह़मद : 5/205; व हुव सह़ीह़) बुख़ारी व मुस्लिम में भी यह रिवायत है। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब सिफ़तुन् नार व अन्नहा मख़्लूक़तुन : 3267; सह़ीह़ मुस्लिम : 2989)

मुस्नद अहमद की एक और ह़दीस है कि ''अल्लाह तआला अनपढ़ लोगों से इतना दरगुज़र करेगा जितना अहले इल्म से नहीं करेगा।'' (ह़िल्यतुल औलिया : 9/222; व सनद ज़ाहिरहुस् सिहत वला किन्नहू मुन्कर क़ालल् इमाम अह़मद; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे मुंकर रिवायत क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़् ज़ईफ़ : 3154) कुछ आसार में यह भी वारिद है कि ''आलिम को एक दफ़ा बख़्शा जाए तो आमी को सत्तर दफ़ा बख़्शा जाता है।'' (मरफ़ूआत में इसकी कोई अस़ल नहीं, बेअस़ल है।) आलिम जाहिल एक जैसे नहीं हो सकते। क़ुरआन करीम में है (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ) (39/ज़ुमर : 9) ''जानने वाले और अंजान बराबर नहीं, नसीह़त सिर्फ़ अक़्लमन्द लोग ही ह़ासिल कर सकते हैं।'' इब्ने असाकिर में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जन्नती लोग जहन्नमियों को देखकर कहेंगे कि तुम्हारी नसीह़तें सुन-सुनकर हम

तो जन्नती हो गए। यह तुम जहन्नम में क्यूँ आ पड़े? वह कहेंगे, अफ़सोस! हम तुम्हें कहते थे लेकिन ख़ुद नहीं करते थे।'' (तबरानी : 22/150; इसकी सनद में अ़ब्दुल्लाह बिन हकीम अद् दाहिरी ज़ईफ़ (अल्मीज़ान : 2/410; रक़म : 4276) जबकि शअ़बी और वलीद के दरम्यान इंक़िताअ़ है और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ तर्ग़ीब : 1396) लिहाज़ा यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ है।)

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से एक शख़्स ने कहा कि, हज़रत! मैं लोगों को भलाईयों का हुक्म करना और बुराईयों से रोकना चाहता हूँ। आपने फ़र्माया, क्या तुम इस दर्जा तक पहुँच गए हो? उसने कहा, हाँ! आपने फ़र्माया, अगर तुम इन तीन आयात की फ़ज़ीहत से निडर हो गए हो तो शौक़ से वा'ज़ शुरू करो। उसने पूछा, वह तीन आयात क्या हैं? आपने फ़र्माया एक तो (اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ) क्या तुम लोगों को भलाईयों का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने आपको भूले जा रहे हो? दूसरी आयत (لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ) (61/सफ़्फ़ : 2, 3) ''क्यूँ तुम वह कहते हो जो ख़ुद नहीं करते? अल्लाह के नज़दीक यह बड़ी नापसंदीदा बात है कि तुम वह कहो जो ख़ुद न करो।'' तीसरी आयत हज़रत शुऐब (عليه السلام) का फ़र्मान (وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ۭ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ) (11/हूद : 88) यानी ''मैं जिन कामों से तुम्हें मना करता हूँ उनमें तुम्हारी मुख़ालिफ़त करना नहीं चाहता, मेरा इरादा सिर्फ़ अपनी ताक़तभर इस्लाह करना है।'' कहो तुम इन तीनों आयात से बेख़ौफ़ हो? उसने कहा, नहीं! फ़र्माया, फिर तुम अपने नफ़्स से शुरू करो (तफ़्सीर इब्ने मर्दवे) एक ज़ईफ़ हदीस तबरानी में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जो लोगों को किसी क़ौल व फ़े'ल की तरफ़ बुलाए और ख़ुद न करे तो अल्लाह तआ़ला के ग़ज़ब व गुस्से में रहता है, यहाँ तक कि वह ख़ुद भी अ़मल करने लग जाए।'' (मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 7/276; वहुव ज़ईफ़; इसकी सनद में अ़ब्दुल्लाह बिन ख़र्राश जुम्हूर के नज़दीक ज़ईफ़ है। देखिए (अल्मीज़ान : 2/413; रक़म : 4287) इब्राहीम नख़ई (रह.) ने भी इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) वाली इन तीनों आयात को पेश करके फ़र्माया है कि मैं इनकी वजह से क़िस्सागोई पसंद नहीं करता।

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾

तर्जुमा : ''और सब्र और नमाज़ के साथ मदद तलब करो, यह बड़ी चीज़ है मगर डर रखने वालों पर। (45) जो जानते हैं कि वह अपने रब से मुलाक़ात करने वाले और उसकी तरफ़ लौटकर जाने वाले हैं।

सब्र क्या है? (आयत 45-46) : इस आयत में हुक्म फ़र्माया जाता है कि तुम दुनिया और आख़िरत के कामों पर नमाज़ और सब्र के साथ मदद तलब किया करो, फ़राइज़ को बजा लाओ और नमाज़ को अदा करते रहो। रोज़ा रखना भी सब्र करना है और इसीलिए रमज़ान को सब्र का महीना कहा गया है। हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''रोज़ा आधा सब्र है।'' (तिर्मिज़ी, किताबुद् दअ़वात, बाब तस्बीह निस्फ़ अल्मीज़ान : 3519; अहमद : 4/260; इब्ने माजा : 1745; व सनद ज़ईफ़; इसकी सनद में मूसा बिन उ़बेदा रब्ज़ी ज़ईफ़ रावी हैं (अल्मीज़ान : 4/213; रक़म : 8895) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ तर्ग़ीब : 944) सब्र से मुराद गुनाहों से रुक जाना भी है। इस आयत में अगर सब्र से यह मुराद ली जाए तो बुराईयों से रुकना और नेकियाँ करना दोनों का बयान हो गया, नेकियों में सबसे आ'ला चीज़ नमाज़ है। हज़रत उ़मर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि सब्र की दो क़िस्में हैं, मुसीबत के वक़्त सब्र और गुनाहों के करने से सब्र और यह सब्र पहले सब्र से ज़्यादा अच्छा है। सईद बिन जुबैर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि इंसान का हर चीज़ को अल्लाह की तरफ़ से होने का इक़रार करना, सवाब की तलब करना, अल्लाह तआ़ला के पास मुसीबतों के अज्र का ज़ख़ीरा समझना, यह सब्र है। अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी के काम पर सब्र करो और इसे भी अल्लाह तआ़ला की इताअ़त समझो। नेकियों के कामों पर नमाज़ से बड़ी मदद मिलती है। ख़ुद क़ुरआन में है (الصَّلٰوةَ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ) (29/अ़न्कबूत : 45) ''नमाज़ को क़ायम रख, यह तमाम बुराईयों और बदियों से रोकने वाली है और यक़ीनन अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है।''

हज़रत हुज़ैफ़ह (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को कोई काम मुश्किल और ग़म में डाल देता तो आप (ﷺ) नमाज़ पढ़ा करते, फ़ौरन नमाज़ में लग जाते। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब वक़्ते क़यामिन् नबी (ﷺ) मिनल् लैल : 1319; व सनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह मज्हूलुल हाल है मगर इसका शाहिद सुहैब बिन सिनान (रज़ि.) की सहीह सनद वाली हदीस मुस्नद अहमद 31/768; अमलुल यौम वल् लैला लिन् नसाई : 614; इब्ने हिब्बान : 1985 में मौजूद है और इससे बेनियाज़ कर देती है।) चुनाँचे ख़ंदक़ के मौक़े पर रात के वक़्त जब हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ख़िदमते नबवी (ﷺ) में हाज़िर होते हैं तो आप (ﷺ) को नमाज़ में पाते हैं। हज़रत अ़ली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि ग़ज़्व-ए-बद्र की रात मैंने देखा कि हम सब सो गए थे, मगर अल्लाह के रसूल (ﷺ) अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अ़लैहि सारी रात नमाज़ में मशग़ूल रहे और सुबह तक नमाज़ और दुआ़ में लगे रहे। (अहमद : 1/125; व सनदुहू सहीह : 138; इब्ने हिब्बान : 1408; इब्ने ख़ुज़ैमा : 899) तफ़्सीर इब्ने जरीर में है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को देखा कि भूख के मारे पेट के दर्द से बेताब हो रहे हैं। आप (ﷺ) ने उनसे (फ़ारसी ज़ुबान में) दरयाफ़्त फ़र्माया कि, ''दर्दे शिकमदारी'' क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? उन्होंने कहा, हाँ! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''उठो! नमाज़ शुरू कर दो, इसमें शिफ़ा है।'' (अहमद : 2/403; इब्ने माजा : 3458; व सनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में ज़वाद बिन अ़लिया ज़ईफ़ (अल्मीज़ान : 2/32; रक़म : 2697) और लैस बिन अबी सुलैम मुख़्तलत़ रावी है। (अत् तक़रीब : 2/138) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को सफ़र में अपने

भाई ह़ज़रत कुसम (रज़ि.) के इंतिक़ाल की ख़बर मिलती है तो आप इन्नालिल्लाहि पढ़कर रास्ते से एक त़रफ़ हटकर ऊँट बिठाकर नमाज़ शुरू कर देते हैं और बहुत लम्बी नमाज़ अदा करते हैं फिर अपनी सवारी की त़रफ़ जाते हैं और इस आयत को पढ़ते हैं। ग़र्ज़ इन दोनों चीज़ों स़ब्र व स़लात से अल्लाह की रह़मत मयस्सर होती है।

(अन्नहा) की ज़मीर का मरजअ़ कुछ लोगों ने स़लात यानी नमाज़ को कहा है, कुछ कहते हैं कि मदलूले कलाम यानी वसिय्यत इसका मरजअ़ है जैसे क़ारून के क़िस्से में (वला युलक़्क़ाहा) की ज़मीर और बुराई के बदले भलाई करने के हुक्म में (वमा युलक़्क़ाहा) की ज़मीर। मत़लब यह है कि यह काम स़ब्र व स़लात हर शख़्स़ के बस की चीज़ नहीं। यह हिस़्सा डर और ख़ौफ़ रखने वाली जमाअ़त का है, यानी क़ुरआन के मानने वाले सच्चे मो'मिन काँपने वाले मुतवाज़ेअ़ इत़ाअ़त की त़रफ़ झुकने वाले वा'दे वईद को सच्चा मानने वाले ही इस वस़्फ़ से मौस़ूफ़ होते हैं, जैसे ह़दीस में एक साइल के सवाल पर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया था, ''यह बड़ी चीज़ है लेकिन जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो आसान है।'' (तिर्मिज़ी, अब्वाबुल ईमान, बाब मा जाअ फ़ी हुर्मतिस़् स़लात : 2616; इब्ने माजा : 3973; वहुव ह़सन वक़ालत् तिर्मिज़ी; ह़सन स़ह़ीह़; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे स़ह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (स़ह़ीह़ तिर्मिज़ी : 2110) इब्ने जरीर (रह़.) ने आयत के मा'नी करते हुए उसे भी यहूदियों के ख़ित़ाब में रखा है। लेकिन ज़ाहिर बात यह है कि गोया बयान में उन ही के है लेकिन हुक्म में ए'तिबार से आ़म है, वल्लाहु आ'लम! आगे चलकर (ख़ाशिईन) की स़िफ़त है इसमें ज़न शक के मा'नी में भी आता है जैसे कि सदफ़ा अंधेरे के मा'नी में भी आता है और रोशनी के मा'नी में भी। और स़ारिख़ का लफ़्ज़ फ़रियादरस और फ़रियादकुन दोनों पर बोला जाता है। और इसी त़रह़ के बहुत से नाम हैं जो ऐसी दो मुख़्तलिफ़ चीज़ों पर बोले जाते हैं। ज़न यक़ीन के मा'नी में अ़रब शुअ़रा के शेअ़रों में भी आया है। ख़ुद क़ुरआने-करीम में और जगह है (وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا) (18/कहफ़ : 53) यानी ''गुनहगार जहन्नम को देखकर यक़ीन कर लेंगे कि अब हम इसमें झोंक दिए जाएँगे'' यहाँ भी ज़न यक़ीन के मा'नी मे है बल्कि ह़ज़रत मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं कि क़ुरआन में ऐसी हर जगह ज़न का लफ़्ज़ यक़ीन और इ़ल्म के मा'नी में है। अबुल आ़लिया (रह़.) भी यहाँ ज़न के मा'नी यक़ीन के करते हैं। ह़ज़रत मुजाहिद, सुदी, रबीअ़ बिन अनस, क़तादा, इब्ने जुरैज (रह़.) का भी यही क़ौल है। क़ुरआन में और जगह (اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ) (69/ह़ाक़्क़ा :20) यानी ''मुझे यक़ीन था कि मुझे ह़िसाब से दो-चार होना है।''

एक स़ह़ीह़ ह़दीस में है कि, ''क़यामत के दिन एक गुनहगार बन्दे से अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा, क्या मैंने तुझे बीवी बच्चे नहीं दिए थे? क्या तुझ पर त़रह़-त़रह़ के इन्आ़मात नहीं किए थे? क्या तेरे लिए घोड़े और ऊँट मयस्सर नहीं किए थे? क्या तुझे राह़त व आराम, खाना-पीना मैंने नहीं दिया था? यह कहेगा, हाँ! परवरदिगार! यह सब कुछ था। फिर अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा, क्या तेरा इ़ल्म व यक़ीन इस बात पर न था कि तू मुझसे मिलने वाला है? यह कहेगा, हाँ! ऐ अल्लाह! मैं इसे नहीं मानता था। अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा कि, बस तू जैसा मुझे भूल गया था ऐसा ही आज मैं तुझे भुला दूँगा।'' (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुज़् ज़ुहद, बाब अद् दुनिया सिज्नुल मो'मिन....: 7438) इस ह़दीस में भी लफ़्ज़ ज़न का है और मा'नी में यक़ीन के हैं। इसकी

मज़ीद तहक़ीक़ व तफ़्सील इंशाअल्लाह तआला (نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰـهُمْ اَنْفُسَهُمْ) (59/हश्र : 19) की तफ़्सीर में आएगी।

يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

तर्जुमा : ''ऐ औलादे या'क़ूब! मेरी उस नेअमत को याद करो जो मैंने तुम पर इन्आम की और मैंने तुम्हें तमाम जहानो पर फ़ज़ीलत दी। (47) उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफ़ा न दे सकेगा और न शफ़ाअत और सिफ़ारिश क़बूल होगी और न कोई बदला और फ़िदया लिया जाएगा और न वह मदद किए जायेंगे।(48)

बनी इस्राईल और उनके आबा अज्दाद पर इन्आमात (आयत 47, 48) : बनी इस्राईल के आबा व अज्दाद (पूर्वज) को जो ने'मतें दी गई थीं। उसका ज़िक्र हो रहा है कि, उनमें से रसूल हुए, उन पर किताबें उतरीं और उनके ज़माने के और लोगों पर उन्हें मर्तबा दिया जैसे फ़र्माया (وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ) (44/दुख़ान : 32) यानी ''उन्हें उनके ज़माने के (और लोगों पर) हमने इल्म में फ़ज़ीलत दी।'' (इब्ने अबी हातिम : 1/158) और जगह फ़र्माया (وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ) (5/माइदा : 20) यानी ''मूसा (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ मेरी क़ौम! तुम अल्लाह तआला की उस नेअमत को याद करो जो तुम पर इन्आम की गई है। तुममें उसने पैग़म्बर बनाए, तुम्हें बादशाह बनाया और वह दिया जो तमाम ज़माने को नहीं दिया।'' तमाम लोगों पर फ़ज़ीलत मिलने से मुराद उनके ज़माने के तमाम दूसरे लोग हैं, इसलिए कि उम्मते-मुहम्मदिया उनसे यक़ीनन अफ़ज़ल है। इस उम्मत की निस्बत फ़र्माया गया है (**कुन्तुम ख़ैर उम्मतिन**) (3/आले इमरान : 110) तुम बेहतर उम्मत हो जो लोगों के लिए बनाई गई हो, तुम भलाईयों का हुक्म करने वाले और बुराईयों से रोकने वाले हो और अल्लाह तआला पर ईमान रखते हो।'' अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर होता। मसानीद और सुनन में मरवी है, हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''**तुम सत्तरवीं उम्मत हो और सबसे बेहतर और बुज़ुर्ग हो।**'' (अहमद : 4/447; तिर्मिज़ी, अब्वाबुत् तफ़्सीर, बाब वमिन सूरति आले इमरान : 3001; इब्ने माजा : 4288; वहुव हदीसुन हसन व हसनहुत् तिर्मिज़; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन क़रार दिया है। देखिए (सहीह तिर्मिज़ी : 2399) इस क़िस्म की और बहुत सी अहादीस का ज़िक्र इंशाअल्लाह (**कुन्तुम ख़ैर उम्मतिन**) (3/आले इमरान : 110) की तफ़्सीर में आएगा

और कहा गया है कि तमाम लोगों पर एक ख़ास क़िस्म की फ़ज़ीलत मुराद है जिससे हर क़िस्म की फ़ज़ीलत लाज़िम नहीं आती। राज़ी (रह.) ने यही कहा है, मगर यह ग़ौरतलब बात है और यह भी कहा गया है कि इनकी फ़ज़ीलत और तमाम उम्मतों पर है, इसलिए कि अम्बिय-ए-किराम उन ही में से होते चले आए। लेकिन इसमें भी ग़ौरो-ख़ौज़ की ज़रूरत है, इसलिए कि इस तरह का उमूम इनसे अगले लोगों को भी शामिल है और हक़ीक़त में पहले अम्बिया उनमें से न थे जैसे हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह और आँहज़रत मुहम्मद (ﷺ) जो इन सबके बाद थे जो तमाम मख़्लूक़ से अफ़ज़ल थे और जो तमाम औलादे आदम के सरदार हैं, दुनिया में भी और आख़िरत में भी, सलातल्लाहि व सलामुहू अलैहि!

हश्र में कोई सिफ़ारिश और फ़िदया वग़ैरह क़बूल न किया जाएगा : ने'मतों को बयान करके अब अज़ाबों से डराया जाता है कि कोई किसी को कुछ भी फ़ायदा न देगा। जैसे फ़र्माया (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى) (53/नज्म : 38) यानी ''किसी का बोझ किसी पर न पड़ेगा।'' एक मक़ाम पर है (لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ) (80/अबस : 38) यानी ''उस दिन हर शख़्स अपनी फ़िक्र में पड़ा हुआ होगा।'' फ़र्माया, ''ऐ लोगो! अपने रब का डर खाओ और उस दिन से डरो जिस दिन बाप बेटे को और बेटा बाप को कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगा।'' (وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ) (2/बक़रह : 48) यानी ''किसी काफ़िर की न कोई सिफ़ारिश करे, न उसकी सिफ़ारिश क़बूल हो, इन कुफ़्फ़ार को सिफ़ारिश करने वालों की शफ़ाअत फ़ायदा न देगी।'' और जगह अहले-जहन्नम का यह मक़ौला नक़्ल किया गया है कि अफ़सोस! आज हमारा न कोई सिफ़ारिशी है और न कोई दोस्त। एक और मक़ाम पर है, फ़िदया भी न लिया जाएगा। एक और मक़ाम पर है कि जो लोग कुफ़्र पर मर जाते हैं वह अगर ज़मीन भरकर सोना दें और हमारे अज़ाबों से छूटना चाहें तो यह भी नहीं हो सकता। एक और मक़ाम पर है, काफ़िरों के पास अगर तमाम ज़मीन की चीज़ें और उसके मिस्ल और भी हों और क़यामत के दिन वह उसे फ़िदया देकर अज़ाबों से बचना चाहें तो भी क़बूल न होगा और दर्दनाक अज़ाबों में मुब्तला रहेंगे। और जगह है, वह ज़बरदस्त फ़िदया दें फिर भी क़बूल नहीं'' एक और मक़ाम पर है, आज न तुमसे बदला लिया जाए न काफ़िरों से। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, उसी की आग तुम्हारी वारिस है।

मतलब यह है कि ईमान बग़ैर सिर्फ़ सिफ़ारिश और शफ़ाअत का आसरा बेकार है। क़ुरआने करीम में है, ''उस दिन से पहले नेकियाँ कर लो, जिस दिन न ख़रीदो-फ़रोख़्त होगी, न दोस्ती और शफ़ाअत।'' और जगह है (يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ) (14/इब्राहीम : 31) ''उस दिन न बे'अ है, न दोस्ती।'' अदल के मा'नी यहाँ बदले के हैं और बदला और फ़िदया एक है। हज़रत अली (रज़ि.) वाली रिवायत में शफ़ाअत के मा'नी नफ़्ल और अदल के मा'नी फ़रीज़ा मरवी हैं लेकिन यह क़ौल यहाँ ग़रीब है और सही क़ौल पहला ही है। एक और रिवायत में है, हुज़ूर (ﷺ) से पूछा गया कि, ''या रसूलल्लाह (ﷺ)! अदल के क्या मा'नी हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''फ़िदया''। (तबरी : 1/769; इसकी सनद मुर्सल या मुअज़ल है यानी ज़ईफ़ है।) ''इनकी मदद भी न की जाएगी यानी कोई हिमायती न होगा।'' क़राबतें कट जायेंगी, जाह व चश्म जाता रहेगा, किसी के

दिल में उनकी तरफ़ से रहम न रहेगा, न ख़ुद उनमें कोई क़ुदरत व क़ुव्वत रहेगी।'' एक और मक़ाम पर है (وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ) (23/मो'मिनून : 88) ''वह पनाह देता है और उसकी पकड़ से नजात देने वला कोई नहीं।'' और जगह है ''आज के दिन न अल्लाह का सा कोई अज़ाब कर सके, न उसकी सी क़ैदो बन्द।'' और जगह है (مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿٢٦﴾) (37/साफ़्फ़ात : 25, 26) ''तुम आज क्यूँ एक-दूसरे की मदद नहीं करते? बल्कि वह सबके सब आज गर्दन झुकाए ताबे' फ़र्मान बने खड़े हैं।'' आयत में है (فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً) अल्ख़ (46/अह़क़ाफ़ : 28) ''जिनकी वह अल्लाह के सिवा अल्लाह की नज़दीकी के लिए पूजा-पाठ करते थे, आज वह मा'बूदन आबिदों की मदद क्यूँ नहीं करते बल्कि वह तो गुम हो गए।''

मत लब यह है कि मुहब्बतें फ़ना हो गईं, रिश्वतें कट गईं, शफ़ाअतें मिट गईं, आपस की इमदाद व नुसरत हट गई। मा'मला उस आदिल व हाकिम, जब्बार व क़ह्हार अल्लाह तआला, मालिकुल मुल्क से पड़ा है, जिसके यहाँ सिफ़ारिशियों की सिफ़ारिशें और मददगारों की मदद कुछ काम न आए बल्कि अपनी तमाम बुराईयों का बदला भुगतना पड़े, हाँ! यह उसकी कमाल बन्दा-परवरी और रहमो-करम, इन्आम व इकराम है कि गुनाह का बदला बराबर दे और नेकी का बदला कम-अज़्कम दस गुना बढ़ा दे। क़ुरआने-करीम में एक मक़ाम पर इर्शाद फ़र्माया है कि इन्हें ज़रा ठहरा ताकि इनसे एक सवाल कर लिया जाए कि आज यह एक-दूसरे की मदद से हटकर अपनी फ़िक्र में क्यूँ मशग़ूल हैं? बल्कि हमारे सामने गर्दन झुकाए और ताबे' फ़र्मान बनकर खड़े हैं।'' (तब्री : 1/35)

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

तर्जुमा : ''और जब हमने तुम्हें फ़िरओनों से नजात दी जो तुम्हें बदतरीन अज़ाब करते थे, जो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे। उस नजात देने में तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी थी।(49) और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीर दिया और तुम्हें उससे पार कर दिया और फ़िरओनियों को तुम्हारी नज़रों के सामने उसमें डुबो दिया।'' (50)

बनी इस्राईल पर मज़ीद इन्आमात का तज़्किरा (आयत 49, 50) : इन आयात में फ़र्माने बारी तआला है कि ऐ औलादे या'क़ूब! मेरी उस मेहरबानी को भी याद रखो कि मैंने तुम्हें फ़िरओनियों के बदतरीन अज़ाबों से छुटकारा दिया। फ़िरओन ने एक ख़्वाब देखा था कि बैतुल मक़्दिस की तरफ़ से एक आग भड़की जो मिस्र के हर क़िब्ती के घर में घुस गई और बनी इस्राईल के मकानात में वह नहीं गई, जिसकी ता'बीर यह थी कि बनी

इस्राईल में एक शख़्स पैदा होगा, जिसके हाथों फ़िरऔन का गुरूर टूटेगा और उसे ख़ुदाई दा'वे की बदतरीन सज़ा मिलेगी, इसलिए उस मल्ऊन ने चारों तरफ़ अह्काम जारी कर दिए कि बनी इस्राईल में जो बच्चा हो, सरकारी तौर से इस बात का ख़्याल रखा जाए अगर लड़का हो तो फ़ौरन मार डाला जाए और अगर लड़की हो तो छोड़ दी जाए और बनी इस्राईल से सख़्त बेगार ली जाए और मुशक़्क़त के कामों का बोझ उन पर डाल दिया जाए।

यहाँ अ़ज़ाब की तफ़्सीर लड़कों को मार डालने से की गई और सूरह इब्राहीम में एक का दूसरे पर अ़त्फ़ डाला जिसकी पूरी तशरीह़ इंशाअल्लाह तआ़ला सूरह क़ाफ़ के शुरू में बयान की जाएगी, अल्लाह तआ़ला मज़बूती दे हमारी मदद फ़र्माए और ताईद करे, आमीन। (यसूमूनकुम) के मा'नी लगा देने और हमेशगी करने के आते हैं, यानी वह बराबर दुख देते जाते हैं। चूँकि इस आयत में पहले यह फ़र्माया था, मेरी इन्आ़म की हुई ने'मत को याद करो, इसलिए फ़िरऔनियों के अ ज़ाब की तफ़्सीर के तौ र पर लड़कों के क़त्ल करने से बयान फ़र्माया। और सूरह इब्राहीम के शुरू में फ़र्माया था कि तुम अल्लाह तआ़ला की ने'मतों को याद करो, इसलिए वहाँ अ़त्फ़ के साथ बयान फ़र्माता ताकि ने'मतों की ता'दाद ज़्यादा हो। या'नी तरह़ तरह़ के अ़ज़ाबों से और बच्चों के क़त्ल होने से तुम्हें ह़ज़रत मूसा(عليه السلام) के हाथों नजात दिलवाई। मिस्र के जितने बादशाह अ़मालीक़ वग़ैरह कुफ़्फ़ार में से हुए थे, उन सबको फ़िरऔन कहा जाता था। जैसे रूम के काफ़िर बादशाह को क़ैसर और फ़ारस के काफ़िर बादशाह को किसरा और यमन के काफ़िर बादशाह को तब्अ और ह़ब्शा के काफ़िर बादशाह को नज्जाशी और हिन्द के काफ़िर बादशाह को बत्लिमूस। उस फ़िरऔन का नाम वलीद बिन मुस्अब बिन रय्यान था। कुछ ने मुस्अब बिन रय्यान भी कहा है। यह अ़म्लीक़ बिन ऊद बिन इरम बिन साम बिन नूह़ की औलाद में से था। इसकी कुन्नियत अबू मुर्रह थी। अस़ल में अस्तख़र के फ़ारसियों की नस्ल में से था, अल्लाह की फटकार और ला'नत उस पर नाज़िल हो।

फिर फ़र्माया, उस नजात देने में हमारी तरफ़ से एक बड़ी भारी ने'मत थी। बलाउन के अस़ल मा'नी आज़माइश के हैं लेकिन यहाँ पर इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.), मुजाहिद, अबुल आ़लिया, सुद्दी (रह़.) वग़ैरह से ने'मत के मा'नी मन्कूल हैं। (त़ब्री : 1/48) इम्तिहान और आज़माइश, भलाई बुराई दोनों के साथ होती है लेकिन बलौतुहू बलाअ का लफ़्ज़ उमूमन बुराई की आज़माइश के लिए (त़ब्री : 1/49) और उब्लीहि इब्लाअन् व बलाअन लफ़्ज़ भलाई के साथ आज़माइश के लिए आता है। यह कहा गया है कि, उसमें तुम्हारी आज़माइश थी यानी उस अ़ज़ाब में और उस बच्चों के क़त्ल होने में।

कुर्तुबी (रह़.) इस दूसरे मत़लब को जुम्हूर का क़ौल कहते हैं, तो इसमें इशारा ज़िब्ह़ वग़ैरह की तरफ़ होगा और (वबलाअन) के मा'नी बुराई के होंगे। फिर फ़र्माया कि हमने फ़िरऔनियों से बचा लिया, तुम मूसा (عليه السلام) के साथ निकल खड़े हुए और फ़िरऔन तुम्हें पकड़ने को निकला तो हमने तुम्हारे लिए पानी खड़ा कर दिया और तुम्हें उसमें से पार उतारकर तुम्हारे सामने फ़िरऔन को उसके लश्करों समेत डुबो दिया। इसकी पूरी तफ़्सील सूरह शुअ़रा' में आएगी, इंशाअल्लाह तआ़ला!

अम्र बिन मैमून ऊदी (रह.) फ़र्माते हैं कि जब हज़रत मूसा (ﷺ) बनी इस्राईल को लेकर निकले और फ़िरऔन को ख़बर हुई तो उसने कहा कि, मुर्ग़ जब बोले तब सब निकलो और उन्हें पकड़कर क़त्ल कर डालो। लेकिन उस रात कुदरते-इलाही से सुबह तक मुर्ग़ न बोला, मुर्ग़ की आवाज़ सुनते ही फ़िरऔन ने एक बकरी ज़िब्ह की और कहा कि इससे पहले कि इसकी कलेजी से मैं फ़ारिग़ हो लूँ, उससे पहले छः लाख क़िब्तियों का लश्करे-जर्रार मेरे पास हाज़िर हो जाना चाहिए। चुनाँचे हाज़िर हो गया, और यह मलऊन इतनी बड़ी जमी'अत को लेकर बनी इस्राईल की हलाकत के लिए बड़े घमण्ड से निकला और दरिया के किनारे उन्हें पा लिया। अब बनी इस्राईल पर दुनिया तंग हो गई, पीछे हटें तो फ़िरऔनियों की तलवारों की भेंट चढ़ें, आगे बढ़ें तो मछलियों का लुक़्मा बनें। उस वक़्त हज़रत युशअ (ﷺ) ने कहा कि, ''ऐ अल्लाह के नबी! अब क्या किया जाए? आपने फ़र्माया, अम्रे रब आगे आगे है। यह सुनते ही उन्होंने अपना घोड़ा पानी में डाल दिया लेकिन गहरे पानी में जब ग़ौते खाने लगा तो फिर किनारे की तरफ़ लौट आए और पूछा, ऐ मूसा! रब की मदद कहाँ है? हम न आपको झूठा जानते हैं, न रब तआला को। तीन मर्तबा ऐसा ही किया या कहा। अब हज़रत मूसा (ﷺ) की तरफ़ वही आई कि अपनी लकड़ी दरिया पर मार। लकड़ी लगते ही पानी ने रास्ता दे दिया और पहाड़ों की तरह सख़्त हो गया।

हज़रत मूसा (ﷺ) और आपके मानने वाले उन रास्तों से गुज़र गए। उन्हें इस तरह पार करते देखकर फ़िरऔन और फ़िरऔनियों ने भी अपने घोड़े उसी रास्ते पर डाल दिए। जब फ़िरऔन का सारा लश्कर दरिया मे उतर गया तो पानी को मिल जाने का हुक्म हुआ और चारों तरफ़ रेल-पेल हो गई और सारे के सारे डूब मरे। बनी इस्राईल ने कुदरते इलाही का यह नज़ारा अपनी आँखों किनारे पर खड़े-खड़े देखा जिससे वह बहुत ही ख़ुश हुए, अपनी आज़ादी और फ़िरऔन की बर्बादी उनके लिए ख़ुशी का सबब बनी। यह भी मरवी है कि यह दिन आशूरा का था यानी मुहर्रम की दसवीं तारीख़।

मुस्नद अहमद में हदीस है कि जब हुज़ूर (ﷺ) मदीना में तशरीफ़ लाए तो देखा कि यहूदी आशूरा का रोज़ा रखते हैं। पूछा कि ''तुम इस दिन का रोज़ा क्यूँ रखते हो?'' उन्होंने कहा, इसलिए कि इस मुबारक दिन में बनी इस्राईल फ़िरऔन के हाथों से आज़ाद हुए और उनका दुश्मन ग़र्क़ हुआ, जिसके शुक्रिया में हज़रत मूसा (ﷺ) ने यह रोज़ा रखा।'' आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तुममें से बहुत ज़्यादा हक़दार मूसा (ﷺ) का मैं हूँ। पस हुज़ूर (ﷺ) ने ख़ुद भी उस दिन रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। (अहमद : 1/291, 4/393; इसकी सनद बुख़ारी व मुस्लिम की शर्त पर सहीह है। नीज़ देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 4/393) बुख़ारी व मुस्लिम, नसाई, इब्ने माजा वग़ैरह में भी यह हदीस मौजूद है।(सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब सौमु यौमे आशूरा : 2004; सहीह मुस्लिम : 1130; अबू दाऊद : 2444; इब्ने माजा : 1734)

एक और ज़ईफ़ हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''उस दिन अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल के लिए पानी को खड़ा कर दिया था। इस हदीस के रावी ज़ैद उम्मी ज़ईफ़ हैं और उनके शैख़ यज़ीद रक़्क़ाशी इनसे भी ज़्यादा ज़ईफ़ हैं। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे मौज़ूअ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़् ज़ईफ़ : 1499) और यह सख़्त ज़ईफ़ रिवायत है।)

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰۤى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝٥١ ثُمَّ
عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٥٢ وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝٥٣ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ
اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْۤا اِلٰى بَارِىِٕكُمْ فَاقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ عِنْدَ بَارِىِٕكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝٥٤

तर्जुमा : ''हमने (हज़रत) मूसा(عليه السلام) से चालीस रातों का वा'दा किया फिर तुमने उसके बाद बछड़ा पूजना शुरू कर दिया और ज़ालिम बन गए।(51) लेकिन हमने बावजूद उसके फिर भी तुम्हें मुआफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। (52) और हमने (हज़रत) मूसा (عليه السلام) को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मौ'जिज़े अता किए। (53) जब (हज़रत) मूसा (عليه السلام) ने अपनी क़ौम से कहा कि, ऐ मेरी क़ौम! बछड़े को मा'बूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ़ रुजूअ करो, अपने आपस में क़त्ल करो। तुम्हारी बेहतरी अल्लाह के नज़दीक इसी में है वह तुम्हारी तौबा क़बूल करेगा। वह तौबा क़बूल करने वाला और रहमो करम करने वाला है।(54)

चालीस रातों का वा'दा और बछड़े की पूजा (आयत 51-54) : यहाँ भी अल्लाह तआला अपने एहसानात याद दिला रहा हैं कि जब तुम्हारे नबी हज़रत मूसा (عليه السلام) चालीस दिन के वा'दे पर तुम्हारे पास से गए और पीछे से तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी फिर उनके आने पर तुमने इस शिर्क से तौबा की तो हमने तुम्हारे इतने बड़े कुफ़्र के बावजूद भी बख़्श दिया। और जगह कुरआन में है (وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً) (وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ) (7/आ'राफ़ : 142) यानी ''हमने (हज़रत) मूसा (عليه السلام) से तीस रातों का वा'दा किया और दस बढ़ाकर पूरी चालीस रातों का किया।'' कहा जाता है कि यह वा'दे का ज़माना ज़ुल क़अदा का पूरा महीना और दस दिन ज़ुलहिज्ज के थे। यह वाक़िया फ़िरओनियों से नजात पाकर दरिया से बचकर निकल जाने के बाद पेश आया था। किताब से मुराद तौरात है और फ़ुरक़ान हर उस चीज़ को कहते हैं जो हक़ व बातिल, हिदायत व ज़लालत में फ़र्क़ करने वाली हो। यह किताब भी इस वाक़िया के बाद मिली जैसे कि सूरह आ'राफ़ के इस वाक़िया के तर्ज़े बयान से ज़ाहिर होता है। दूसरी जगह (مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى) (28/क़सस : 43) भी आया है, यानी ''हमने साबिक़ा लोगों को हलाक करने के बाद हज़रत मूसा (عليه السلام)

को वह किताब दी जो सब लोगों के लिए बसीरत अफ़ज़ा और हिदायत व रहमत है ताकि वह नसीहत हासिल करें।'' यह भी कहा गया है कि वाव ज़ाइद है और ख़ुद किताब को फ़ुरक़ान कहा गया है लेकिन यह ग़रीब है। कुछ ने कहा है कि किताब पर फ़ुरक़ान का अत्फ़ है यानी किताब भी दी और मु'जिज़ा भी दिया। दरअसल मा'नी के ए'तिबार से दोनों का मफ़्हूम एक ही है और ऐसी एक चीज़ दो नामों से बतौर अत्फ़ कलामे अरब में आया करती है। शुअरा-ए-अरब के बहुत से अश्आर इसके शाहिद हैं।

यहाँ उनकी तौबा का तरीक़ा बयान हो रहा है। उन्होंने बछड़े को पूजा और उसकी मुहब्बत ने उनके दिलों में घर कर लिया फिर हज़रत मूसा (عليه السلام) के समझाने से होश आया और नादिम (शर्मिन्दा) हुए और अपनी गुमराही का यक़ीन करके तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगे, तब उन्हें हुक्म हुआ कि तुम आपस में क़त्ल करो। चुनाँचे उन्होंने यह किया और अल्लाह तआला ने उनकी तौबा क़बूल की और क़ातिल व मक़्तूल दोनों को बख़्श दिया। इसका पूरा बयान सूरह ताहा की तफ़सीर में आएगा, इंशाअल्लाह तआला। हज़रत मूसा (عليه السلام) का यह फ़र्मान है कि, अपने ख़ालिक़ से तौबा करो, बता रहा है कि उससे बढ़कर ज़ुल्म क्या होगा कि तुम्हें पैदा अल्लाह तआला करे और तुम पूजा ग़ैरों की करो। एक रिवायत में है कि मूसा (عليه السلام) ने उन्हें हुक्मे-इलाही सुनाये और जिन-जिन लोगों ने बछड़े को पूजा था, उन्हें बिठा दिया और दूसरे लोग खड़े हो गए और क़त्ल करना शुरू किया। क़ुदरती तौर पर अंधेरा छाया हुआ था जब अंधेरा हटा, उन्हें रोक दिया गया। शुमार करने पर मा'लूम हुआ कि सत्तर हज़ार आदमी क़त्ल हो चुके हैं और सारी क़ौम की तौबा क़बूल हुई। (इब्ने अबी हातिम : 1/127, 128; तबरी : 18/306)

यह एक सख़्त फ़र्मान था जिसे उन लोगों ने पूरा किया और अपनों और ग़ैरों को यक्साँ तहे तैग़ किया, यहाँ तक कि रहमते-इलाही ने उन्हें बख़्शा और मूसा (عليه السلام) से फ़र्मा दिया कि अब बस करो। मक़्तूल को शहीद का अज्र दिया, क़ातिल की और बाक़ी मांदा तमाम लोगों की तौबा क़बूल की और उन्हें जिहाद का सवाब अता फ़र्माया। मूसा (عليه السلام) और हज़रत हारून (عليه السلام) ने जब इस तरह अपनी क़ौम का क़त्ल देखा तो दुआ करना शुरू की कि, ऐ अल्लाह! अब तो बनी इस्राईल मिट जाएँगे, चुनाँचे उन्हें माफ़ फ़र्मा दिया गया और परवरदिगारे आलम ने फ़र्माया कि, ऐ मेरे पैग़म्बर! मक़्तूलों का ग़म न करो, वह हमारे पास शहीदों के दर्जे में हैं, वह यहाँ ज़िन्दा हैं और रोज़ियाँ पा रहे हैं। अब मूसा (عليه السلام) को और उनकी क़ौम को सब्र आया और औरतों और बच्चों की गिरया-वज़ारी मौक़ूफ़ हुई, तलवारें, नेज़े, छुरे और छुरियाँ चलनी बन्द हुईं, आपस में बाप बेटों, भाईयों, भाईयों का क़त्ल व ख़ून मौक़ूफ़ हुआ और रब तव्वाब व रहीम ने उनकी तौबा क़बूल फ़र्माई।

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ
تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

तर्जुमा : ''(तुम उसे भी याद करो कि) तुमने (हज़रत) मूसा (ﷺ) से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने न देख लें, हर्गिज़ ईमान न लायेंगे। (जिस गुस्ताख़ी की सज़ा में) तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी।(55) लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुज़ारी करो, उस मौत के बाद भी हमने तुम्हें ज़िन्दा कर दिया।''(56)

(आयत 55-56) : मूसा (ﷺ) जब अपने साथ बनी इस्राईल के सत्तर आदमियों को लेकर अल्लाह के वा'दे के मुताबिक़ तूर पहाड़ा पर गए और उन लोगों ने कलामे-इलाही सुना तो हज़रत मूसा (ﷺ) से कहने लगे, हम तो जब मानें जब अल्लाह तआला को अपने सामने न देख लें।

इस गुस्ताख़ाना सवाल पर उन पर आसमान से उनके देखते हुए बिजली गिरी और एक सख़्त होलनाक आवाज़ बुलंद हुई जिससे सबके सब मर गए। मूसा (ﷺ) यह देखकर गिरया-वज़ारी करने लगे और रो-रोकर जनाब बारी तआला में अ़र्ज़ करने लगे कि, ऐ अल्लाह! बनी इस्राईल को मैं क्या जवाब दूँगा। यह जमाअ़त तो इनके सरदारों और बेहतरीन लोगों की थी। परवरदिगार! अगर यही चाहत थी तो इन्हें और मुझे इससे पहले ही मार डालता। ऐ अल्लाह! बेवक़ूफ़ों की बेवक़ूफ़ी के काम पर हमें न पकड़। यह दुआ मक़्बूल हुई और आपको बताया गया कि यह भी दरअसल बछड़ा पूजने वालों में से थे। इन्हें सज़ा मिल गई, फिर उन्हें ज़िन्दा कर दिया और एक के बाद एक करके सब ज़िन्दा किए गए। (इब्ने अबी हातिम : 1/173) एक दूसरे के ज़िन्दा होने को एक दूसरे को देखता रहा।

अल्लाह तआला को देखने का अहमक़ाना सवाल और उसका अंजाम : मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) फ़र्माते हैं कि, जब मूसा (ﷺ) अपनी क़ौम के पास आए और उन्हें बछड़ा पूजते हुए देखा और अपने भाई को और सामरी को तम्बीह की, बछड़े को जला दिया और उसकी राख दरिया मे बहा दी। उसके बाद उनमें से बेहतरीन लोगों को चुनकर अपने साथ लिया, जिनकी ता'दाद सत्तर थी और कोहे तूर पर तौबा करने के लिए चले। उनसे कहा कि, तुम तौबा करो और रोज़ा रखो, पाक-साफ़ हो जाओ, कपड़ों को पाक कर लो। जब बहुक्मे-इलाही तूरे सीना पहुँचे तो उन लोगों ने कहा कि, ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि वह अपना कलाम हमें भी सुनाए। जब मूसा (ﷺ) पहाड़ के पास पहुँचे तो एक बादल ने आकर सारे पहाड़ को ढक लिया और आप उसी के अंदर-अंदर अल्लाह तआला के क़रीब हो गए। जब कलामे-इलाही शुरू हुआ, तब मूसा (ﷺ) की पेशानी नूर से चमकने लगी, इस तरह की कोई उस तरफ़ नज़र उठाने की ताब नहीं रखता था। बादल की ओट हो गई और सब लोग सज्दे में गिर पड़े और हज़रत मूसा (ﷺ) की दुआ से आपके साथ आने वाले भी अल्लाह का कलाम सुनने लगे कि उन्हें हुक्म-अह़काम हो रहे हैं। जब कलामे-इलाही ख़त्म हुआ तो अब्र हट गया और मूसा (ﷺ) उन लोगों के पास आए तो यह लोग कहने लगे कि मूसा (ﷺ)! हम तो ईमान न लायेंगे जब तक अपने रब को अपने सामने न देख लें। इस गुस्ताख़ी की वजह से उन पर एक ज़लज़ला आया और सब के सब हलाक हो गए।

अब मूसा (عليه السلام) ने ख़ुलूस दिल के साथ दुआएँ शुरू कीं और कहने लगे कि इससे तो यही अच्छा था कि हम सब इससे पहले हलाक हो जाते। बेवक़ूफ़ों के कामों पर हमें हलाक न कर, यक लोग इनके चुनिन्दा और पसंदीदा लोग थे, जब मैं तंहा बनी इस्राईल के पास जाऊँगा तो उन्हें क्या जवाब दूँगा, कौन मेरी इस बात को सच्चा समझेगा और उसके बाद कौन मुझ पर ईमान लाएगा? ऐ अल्लाह! हमारी तौबा है, तू क़बूल फ़र्मा और हम पर फ़ज़्लो-करम कर। हज़रत मूसा (عليه السلام) यूँ ही ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ से दुआ मांगते रहे यहाँ तक कि परवरदिगार ने उनकी इस दुआ को क़बूल फ़र्मा लिया और उन मुर्दों को ज़िन्दा कर दिया। अब सबने यक ज़ुबान होकर बनी इस्राईल की तरफ़ से तौबा शुरू की। उनसे फ़र्माया गया कि जब तक वह अपनी जानों को हलाक न करें और एक दूसरे को क़त्ल न करें, मैं इनकी तौबा क़बूल न फ़र्माऊँगा। सुदी (रह.) वग़ैरह कहते हैं कि यह वाक़िया बनी इस्राईल के आपस में लड़ चुकने के बाद का है। इससे यह भी मा'लूम हो गया कि यह ख़िताब भले आम है लेकिन हक़ीक़त में इससे मुराद यही सत्तर शख़्स हैं।

राज़ी (रह.) ने अपनी तफ़्सीर में उन सत्तर शख़्सों के क़िस्से में लिखा है कि उन्होंने अपने जीने के बाद कहा कि ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि वह हमें नबी बना दे। आपने दुआ की और वह क़बूल हुई लेकिन यह क़ौल ग़रीब है। मूसा (عليه السلام) के ज़माने में सिवाए हज़रत हारून (عليه السلام) के और उनके बाद हज़रत युशअ बिन नून (عليه السلام) के और की नबुव्वत साबित नहीं। अहले किताब का यह भी दा'वा है कि उन लोगों ने अपनी दुआ के मुताबिक़ अल्लाह को अपनी आँखों से उसी जगह देखा, यह भी ग़लत है इसलिए कि ख़ुद हज़रत मूसा (عليه السلام) ने जब दीदारे बारी तआला का सवाल किया तो उन्हें मना कर दिया गया। फिर भला यह सत्तर शख़्स दीदारे बारी तआला की ताब कैसे लाते? इस आयत की तफ़्सीर में एक दूसरा क़ौल भी है कि मूसा (عليه السلام) तौरात लेकर आए जो अहकाम का मज्मूआ थी और उनसे कहा कि यह अल्लाह की किताब है, इस पर अमल करो और मज़बूती के साथ इसके पाबन्द हो जाओ तो वह कहने लगे कि हज़रत! हमें क्या ख़बर, अल्लाह तआला ख़ुद आकर ज़ाहिर होकर हमसे क्यूँ नहीं कहता? क्या वजह है कि वह आपसे बातें करे और हमसे न करे। जब तक हम अल्लाह को ख़ुद न देख लें, हर्गिज़ ईमान न लाएँगे। इस क़ौल पर उनके ऊपर ग़ज़बे-इलाही नाज़िल हुआ और हलाक कर दिए गए। फिर ज़िन्दा किए गए, फिर हज़रत मूसा (عليه السلام) ने उन्हें कहा कि अब तो इस तौरात को थाम लो। उन्होंने फिर इंकार किया, अब की मर्तबा फ़रिश्ते पहाड़ उठाकर लाए और उनके सरों के ऊपर मुअल्लक़ कर दिया कि अगर न मानोगे तो यह पहाड़ गिरा दिया जाएगा और तुम सब पीस डाले जाओगे। (तब्री : 2/88) इससे यह भी मा'लूम हुआ कि मरने के बाद यह जी उठे और फिर भी मुकल्लफ़ रहे, यानी अहकामे इलाही उन पर फिर भी जारी रहे।

मावर्दी (रह.) ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जब उन्होंने अल्लाह तआला की यह ज़बरदस्त निशानी देख ली, मरने के बाद ज़िन्दा हुए तो फिर तक्लीफ़े शरई उन पर से हट गई। इसलिए कि अब तो यह मजबूर थे कि सब कुछ मान लें। ख़ुद उन पर यह वारदात पेश आई, अब तस्दीक़ एक बेइख़्तियार अम्र हो

गया। दूसरी जमाअत कहती है कि नहीं! बल्कि बावजूद इसके वह अहकामे-शरअ के मुकल्लफ़ रहे क्योंकि हर आक़िल मुकल्लफ़ है।

कुर्तुबी (रह.) कहते हैं कि ठीक क़ौल यही है। यह उमूर उन पर कुदरती तौर से आए थे जो उन्हें शरीअत की पाबन्दी से आज़ाद नहीं कर सकते। ख़ुद बनी इस्राईल ने भी बड़े बड़े मु'जिज़ात देखे ख़ुद उनके साथ ऐसे ऐसे काम हुए कि जो बिलकुल नादिर ख़िलाफ़े-क़यास और ज़बरदस्त मु'जिज़ात थे बावजूद उसके वह भी मुकल्लफ़ रहे, इसी तरह यह भी। ठीक क़ौल यही है और वाज़ेह अम्र भी यही है, वल्लाहु आ'लम!

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾

तर्जुमा : ''हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन्न व सलवा उतारा (और कह दिया) कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाते रहो और उन्होंने हम पर तो ज़ुल्म नहीं किया अल्बत्ता वह ख़ुद अपनी जानों पर ज़ुल्म किया करते थे।'' (57)

बनी इस्राईल पर बादलों का साया (आयत 57) : ऊपर बयान हुआ था कि फ़लाँ बलाएँ हमने तुम पर से दूर कर दीं। अब बयान हो रहा है कि फ़लाँ-फ़लाँ ने'मतें भी हमने तुम्हें अता फ़र्माईं। ग़मामुन ग़मामतुन की जमा है। चूँकि यह आसमान को छुपा लेता है, इसलिए उसे ग़मामा कहते हैं। यह एक सफ़ेद रंग का बादल था, जो वादी तीह में उनके सरों पर साया किए रहता था जैसे नसाई वग़ैरह में इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से एक लम्बी हदीस में मरवी है। इब्ने अबी हातिम (रह.) कहते हैं कि इब्ने उमर, रबीअ बिन अनस, अबू मिज्लज़, ज़ह्हाक और सुद्दी ने भी यही कहा है। हसन और क़तादा (रह.) ने भी इसकी ताईद की है। कुछ लोग कहते हैं कि, यह बादल मा'मूल के बादलों से ज़्यादा ठण्डक वाला और ज़्यादा उम्दा था। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, यह वही बादल था जिसमें अल्लाह तआला क़यामत के दिन आएगा। अबू हुज़ैफ़ा का क़ौल भी यही है (هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ) अल्ख़ (2/बक़रह : 210)। इस आयत में इसका ज़िक्र है कि, ''क्या इन लोगों को उसका इंतिज़ार है कि अल्लाह तआला बादल में आए और उसके फ़रिश्ते।' यही वह बादल है जिसमें बद्र वाले दिन फ़रिश्ते नाज़िल हुए थे।

अल्लाह तआला की ने'मते ख़ास मन्न-सलवा : जो मन्न उन पर उतरा, वह दरख़्तों पर उतरा था। यह सुबह जाते थे और जमा करके खा लिया करते थे। वह गूँद की क़िस्म का था, कोई कहता है शबनम की तरह का था। क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं, औलों की तरह मन्न उनके घरों में उतरता था, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा था। सुबह सादिक़ से लेकर सूरज निकलने तक उतरता रहता था, हर शख़्स अपने

घरबार के लिए उतनी मिक़्दार में ले लेता था जितना उस दिन काफ़ी हो जाए। अगर कोई ज़्यादा ले तो ख़राब हो जाता था। जुम्आ के दिन वह दो दिन का ले लेते थे। जुम्आ और हफ़्ता का इसलिए कि हफ़्ता उनका बड़ा दिन था। रबीअ बिन अनस (रह़.) कहते हैं, मन्न शहद जैसी चीज़ थी जिसमें पानी मिलाकर पीते थे। शअबी (रह़.) कहते हैं, तुम्हारा यह शहद उस मन्न का सत्तरवाँ ह़िस्सा है। शेअरों में भी मन्न शहद के मा'नी में आया है, यह सब क़ौल क़रीब-क़रीब हैं। ग़र्ज़ यह कि एक चीज़ थी, उन्हें बिला तक्लीफ़ व तकल्लुफ़ मिलती थी, अगर सिर्फ़ उसे खाया जाए तो वह खाने की चीज़ थी और अगर पानी में मिला ली जाए तो पीने की चीज़ थी और अगर दूसरी चीज़ों के साथ मुरक्कब कर दिया जाए तो और चीज़ हो जाती थी लेकिन यहाँ मन्न से मुराद यही मन्न मशहूर नहीं।

सह़ीह़ बुख़ारी की ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''कुम्भी मन्न में से है और इसका पानी आँख के लिए शिफ़ा है।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत् तफ़्सीर, बाब (व ज़ल्लल्ना अलयकुमुल ग़मामा...) : 4478; व उंज़ुर : 4639, 5708; सह़ीह़ मुस्लिम : 2049; तिर्मिज़ी : 2067; नसाई : 10988; इब्ने माजा : 3454) तिर्मिज़ी (रह़.) इसे सह़ीह़ कहते हैं। तिर्मिज़ी में है कि ''अज्वा जो मदीना की खजूर की एक क़िस्म है, वह जन्नती चीज़ है और इसमें ज़हर का तर्याक़ है और कुम्भी मन्न में से है और इसका पानी आँख के दर्द की दवा है।'' (तिर्मिज़ी, किताबुत् तिब्ब, बाब मा जाअ फ़िल कम्आ...... :2066; व सनदुहू ह़सन। शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे ह़सन सह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (सह़ीह़ ह़सन तिर्मिज़ी : 1687) यह ह़दीस ह़सन ग़रीब है। दूसरे बहुत से त़रीक़ों से भी मरवी है। इब्ने मर्दवे की ह़दीस में है कि सह़ाबा (रज़ि.) ने उस दरख़्त के बारे में इख़्तिलाफ़ किया जो ज़मीन के ऊपर होता है जिसकी जड़ें मज़बूत नहीं होतीं। कुछ कहने लगे, कुंभी का दरख़्त है। आपने फ़र्माया, कुंभी तो मन्न में से है और इसका पानी आँख के दर्द के लिए शिफ़ा है।'' (इसकी सनद बिश् शवाहिद ह़सन है।) सलवा एक क़िस्म का परिन्दा है, चिड़िया से कुछ बड़ा होता है, सुर्ख़ी माइल रंग का। जुनूबी हवाएँ चलती थीं और उन परिन्दों को वहाँ लाकर जमा कर देती थीं। बनी इस्राईल अपनी ज़रूरत के मुत़ाबिक़ उन्हें पकड़ लेते थे और ज़िब्ह़ करके खाते थे और अगर दूसरे दिन के लिए रखते तो ख़राब हो जाता और जुम्आ के दिन दो दिन के लिए जमा कर लेते थे, क्योंकि हफ़्ता का दिन उनके लिए ईद का दिन था। उस दिन इ़बादात में मशग़ूल रहने का और शिकार वग़ैरह से बचने का हुक्म था। कुछ लोगों ने कहा है कि यह परिन्दा कबूतर के बराबर होते थे। एक मील की लम्बाई-चौड़ाई में एक नेज़े के बराबर ऊँचा ढेर इन परिन्दों का हो जाता था। यह दोनों चीज़ें उन पर वादी तीह में उतरी थीं जहाँ उन्होंने अपने पैग़म्बर से कहा था कि इस जंगल में हमारे खाने का बंदोबस्त कैसे होगा? तब उन पर मन्न व सलवा उतारा गया।

और जब ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) ने पानी के लिए दरख़्वास्त की तो परवरदिगारे आ'लम ने फ़र्माया कि, उस पत्थर पर अपनी लकड़ी मारो, लकड़ी लगते ही उससे बारह चश्मे जारी हो गए और बनी इस्राईल के बारह ही क़बीले थे। हर क़बीला ने एक एक चश्मा अपने लिए बांट लिया। फिर साया के त़ालिब हुए कि इस चटयल

मैदान में साया के बग़ैर गुज़र मुश्किल है तो अल्लाह तआ़ला ने तूर पहाड़ का उन पर साया कर दिया। रह गया लिबास, वह क़ुदरते-इलाही से जो लिबास वह पहने हुए थे, वह उनके क़द के बढ़ने के साथ बढ़ता रहता था। एक साल के बच्चे का लिबास ज्यों-ज्यों उसका क़द व क़ामत बढ़ता जाता, न वह फटता, न ख़राब होता, न मैला होता। इन तमाम ने'मतों का ज़िक्र मुख़्तलिफ़ जगह क़ुरआने-करीम में मौजूद है। जैसे यह आयत और (इज़िस् तस्क़ा) वाली आयत वग़ैरह।

हुज़्ली (रह़.) कहते हैं, सलवा शहद को कहते हैं लेकिन इनका यह क़ौल ग़लत है। मौ'रिज ने और जौहरी ने भी यही कहा है और इसकी शहादत में अ़रब शायरों के शेअ़र और कुछ लग्वी मुहावरे भी पेश किए हैं। कुछ ने कहा है कि, एक दवा का नाम है। नसाई या कुसाई (रह़.) कहते हैं, सलवा वाहि़द का लफ़्ज़ है और इसकी जमा सलावा आती है और कुछ कहते हैं कि जमा में और मुफ़रद में यही सेग़ा रहता है यानी लफ़्ज़ सलवा। अल्ग़र्ज़ अल्लाह तआ़ला की दो ने'मतें थीं जिनका खाना उनके लिए मुबाह़ किया गया लेकिन उन लोगों ने अल्लाह तआ़ला की उन ने'मतों की नाशुक्री की और यही उनका अपनी जानों पर ज़ुल्म करना था। बावजूद यह कि उससे पहले भी बहुत सारी अल्लाह की ने'मतें उन पर नाज़िल हो चुकी थीं।

स़हाबा-किराम का ईमान और बनी इस्राईल एक मुवाज़िना : बनी इस्राईल की ह़ालत का यह नक़्शा आँखों के सामने रखकर फिर अस्ह़ाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) की ह़ालत पर नज़र डालो कि बावजूद सख़्त से सख़्त मुसीबतें झेलने के और बेइंतिहा तक्लीफ़ें बर्दाश्त करने के वह इत्तिबाअ़े रसूल पर और इ़बादते-इलाही पर जमे रहे। न मु'जिज़ात (वह चमत्कार जो अल्लाह की त़रफ़ से नबी(عليه السلام) को मिलते थे) त़लब किए, न दुनिया की राह़तें मांगीं, न अपने ऐश के लिए कोई नई चीज़ पैदा करने की ख़्वाहिश की। जंगे तबूक में जबकि भूख के मारे बेताब हो गए और मौत की बू आने लगी, तब स़ह़ाबा (रज़ि.) ने आपसे कहा कि, या रसूलल्लाह (ﷺ) इस खाने में बरकत की दुआ़ कीजिए और जिसके पास जो कुछ बचा खुचा था, जमा करके ह़ाज़िर कर दिया, जो सब मिलकर भी न होने के बराबर ही था। हुज़ूर (ﷺ) ने दुआ़ की और अल्लाह तबारक व तआ़ला ने क़बूल फ़र्माकर उसमे बरकत दी, उन्होंने ख़ूब खाया भी और तमाम तौशेदान भर लिए। पानी के क़त़रे-क़त़रे से जब तरसने लगे तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) की दुआ़ से एक बादल आया और रेल-पेल कर दी, पिया पिलाया और मशक़ें और मशकीज़े सब भर लिए। पस स़ह़ाबा (रज़ि.) की इस साबित-क़दमी, ऊलुल-अ़ज़्मी, कामिल इत्तिबाअ़ और सच्ची तौहीद ने उनकी अस्ह़ाबे मूसा (عليه السلام) पर क़त़ई फ़ज़ीलत साबित कर दी।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَّقُوْلُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۭ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاۗءِ
بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾

तर्जुमा : ''हमने तुमसे कहा कि उस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो, बाफ़राग़त खाओ-पियो और दरवाज़े में से सज्दे करते हुए गुज़रो और ज़ुबान से (हित्ततुन) कहो, हम तुम्हारी ख़ताएँ मा'फ़ कर देंगे और भले लोगों को और ज़्यादा देंगे।(58) फिर उन ज़ालिमों ने इस बात को जो उनसे कही गई थी, बदल डाला। हमने भी उन ज़ालिमों पर उनके फ़िस्क़ व नाफ़र्मानी की वजह से आसमानी अ़ज़ाब नाज़िल किया।''(59)

(आयत 58-59) जब मूसा (عليه السلام) मिस्र से बनी इस्राईल को लेकर आए और उन्हें अर्ज़े-मुक़द्दस में जाने का हुक्म हुआ, जो ज़मीन उनकी मौरूसी थी, उनसे कहा गया कि यहाँ जो अ़मालीक़ हैं, उनसे जिहाद करो, तो उन लोगों ने नामर्दी दिखाई, जिसकी सज़ा में उन्हें मैदाने तीह में डाल दिया गया, जैसे कि सूरह माइदा में ज़िक्र है। क़रया से मुराद बैतुल मक़्दिस है। (इब्ने अबी ह़ातिम : 1/181) सुद्दी, रबीअ़, क़तादा, अबू मुस्लिम (रह़.) वग़ैरह ने यही कहा है। क़ुरआन में है कि मूसा (عليه السلام) ने अपनी क़ौम से कहा, ऐ मेरी क़ौम! उस पाक ज़मीन में जाओ जो तुम्हारे लिए लिख दी है। कुछ कहते हैं, इससे मुराद अरीह़ा है। कुछ ने कहा है, मिस्र मुराद है लेकिन स़ह़ीह़ क़ौल पहला ही है कि, मुराद उससे बैतुल-मक़्दिस है। यह वाक़िया तीह से निकलने के बाद का है, जुम्अ़ा के दिन शाम को अल्लाह तआ़ला ने उन्हें उस पर फ़तह़ अ़ता फ़र्माई बल्कि सूरज को उनके लिए ज़रा सी देर ठहरा दिया ताकि फ़तह़ हो जाए। फ़तह़ के बाद उन्हें यह हुक्म हुआ कि इस शहर में सज्दा करते हुए जाओ जो इस फ़तह़ की शुक्रगुज़ारी के लिए होगा।

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने सज्दा से मुराद रुकूअ़ लिया है। (त़बरी : 2/113) रावी कहते हैं कि सज्दा से मुराद यहाँ पर ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ है। क्योंकि ह़क़ीक़त पर इसे मह़मूल करना नामुम्किन है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, यह दरवाज़ा क़िब्ला की जानिब था, उसका नाम बाबुल ह़ित्ता था। राज़ी ने यह भी कहा है कि दरवाज़े से मुराद जहते क़िब्ला है। बजाए सज्दे के उस क़ौम ने अपनी रानों पर खिसकना शुरू किया। करवट के बल दाख़िल होने लगे, सरों को झुकाने के बजाए और ऊँचा कर लिया।(इब्ने अबी ह़ातिम : 1/183) ह़ित्ततुन

के मा'नी बख़्शिश के हैं। (इब्ने अबी हातिम : 1/183) कुछ ने कहा है कि यह अम्रे हक़ है। इक्रिमा (रह़.) कहते हैं कि, इससे मुराद ला इलाह इल्लल्लाहु कहना है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, इसमें गुनाहों का इक़रार है। हसन और क़तादा (रह़.) फ़र्माते हैं, ऐ अल्लाह! हमारी ख़ताओं को हमसे दूर कर दे। (इब्ने अबी हातिम : 1/185) फिर उनसे वा'दा किया जाता है कि अगर तुम इसी तरह यही कहते हुए शहर में दाख़िल हुए और इस फ़तह के वक़्त भी अपनी पस्ती और अल्लाह की ने'मत और अपने गुनाहों का इक़रार किया और मुझसे बख़्शिश तलब की तो चूँकि यह चीज़ें मुझे बहुत ही पसंद हैं, मैं भी तुम्हारी ख़ताओं से दरगुज़र कर लूँगा।

फ़तहे मक्का के मौक़े पर फ़र्माने-इलाही सूरह (اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ) आख़िर तक, नाज़िल हुई थी और उसमें भी यही हुक्म दिया गया था कि ''जब अल्लाह की मदद आ जाए। मक्का फ़तह हो और लोग दीने-रब्बानी में फ़ौज-दर-फ़ौज आ जाएँ तो ऐ नबी (ﷺ)! तुम अपने रब की तस्बीह और हम्दो-सना बयान करो, उससे इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वह तौबा क़बूल करने वाला है।'' इस सूरत में जहाँ ज़िक्र व इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र है, वहाँ हुज़ूर (ﷺ) के आख़िरी वक़्त की ख़बर भी है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) के सामने इस सूरत का एक मतलब यह भी बयान किया था जिसे आपने पसंद फ़र्माया था। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब : 52; हदीस रक़म : 4294; व उन्ज़ुर : 4980) जब मक्का फ़तह होने के बाद हुज़ूर (ﷺ) शहर में दाख़िल हुए तो इंतिहाई तवाज़ो' और मिस्कीनी के आसार आप (ﷺ) पर अयाँ (दिख रहे) थे। यहाँ तक कि सर झुकाए हुए थे कि ऊँटनी के पालान से सर लग गया था। शहर में जाते ही ग़ुस्ल करके ज़ुहा के वक़्त आठ रकअत नमाज़ अदा की। (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तफ़्सीर, बाब मन ततव्वअ फ़िस् सफ़रि : 1103; सहीह मुस्लिम : 719) जो ज़ुहा की नमाज़ भी थी और फ़तह के शुक्राने की भी, और दोनों तरह के क़ौल मुहद्दिसीन के हैं। हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) ने जब मुल्के-ईरान फ़तह किया और किसरा के शाही महल्लात में पहुँचे तो इसी सुन्नत के मुताबिक़ आठ रकअत पढ़ीं थी। दो-दो रकअत एक सलाम से पढ़ने का कुछ का मज़हब है और कुछ ने यह भी कहा है कि आठ एक साथ एक ही सलाम से पढ़ीं, वल्लाहु आ'लम! सहीह बुख़ारी में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''बनी इस्राईल को हुक्म किया गया कि वह सज्दे करते हुए और हित्ततुन कहते हुए दरवाज़े में दाख़िल हों लेकिन उन्होंने बदल दिया और अपनी रानों पर घिसटते हुए और हित्ततुन की जगह हब्बतुन फ़ी शअरतिन कहते हुए दाख़िल हुए।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तफ़्सीर, सूरतिल् बक़रह : बाब रक़म : 5; हदीस रक़म : 4479) नसाई, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, अबूदाऊद, मुस्लिम और तिर्मिज़ी में भी यह हदीस ब इख़्तिलाफ़ अल्फ़ाज़ मौजूद है और सनदन सहीह है। (सहीह मुस्लिम, किताबुत् तफ़्सीर, बाब फ़ी आयातिन् मुतफ़र्रिक़ा : 3015; तिर्मिज़ी : 2956; सुननुल कुब्रा लिन् नसाई : 10989) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जा रहे थे, ज़ातुल हंज़ल नामी घाटी के क़रीब पहुँचे तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''इस घाटी की मिसाल भी बनी इस्राईल के उस दरवाज़े जैसी है जहाँ उन्हें सज्दा करते हुए और हित्ततुन कहते हुए दाख़िल होने को कहा गया

था।'' (इसकी सनद में इब्राहीम बिन महदी मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : 1/68) लिहाज़ा यह सनद सख़्त ज़ईफ़ व मरदूद है।) और उनके गुनाहों की मा'फ़ी का वा'दा किया था।'' हज़रत बराअ (रज़ि.) फ़र्माते हैं (سيقول السفهاء) में सुफ़हा यानी बेवक़ूफ़ों से मुराद यहूद हैं, जिन्होंने अल्लाह तआला की बात को बदल दिया था।

हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) फ़र्माते हैं (हित्ततुन) के बदले उन्होंने हिन्त़तुन हब्बतुन हम्राउ फ़ीहा शईरतुन कहा था, उनकी अपनी ज़ुबान में उनके अल्फ़ाज़ यह थे, हित्तुन समिआना इज़्बुन मुज़िबा। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) भी इनकी इस तब्दीली को बयान करते हैं कि, रुकूअ करने के बदले वह रानों पर घिसटते हुए और हित्ततुन के बदले हिन्त़तुन कहते हुए दाख़िल होने लगे। हज़रत अ़ता', मुजाहिद, इक्रिमा, ज़हहाक, हसन, क़तादा, रबीअ, यहया (रह.) ने भी यही बयान किया है। मतलब यह है कि जिस क़ौल व फ़े'ल का उन्हें हुक्म दिया गया था, उन्होंने उसे मज़ाक़ में उड़ाया। जो सरीह मुख़ालिफ़त और मुआनिदत थी। इसी वजह से अल्लाह तआला ने उन पर अपना अ़ज़ाब नाज़िल फ़र्माया। फ़र्माता है कि हमने ज़ालिमों पर उनके फ़िस्क़ की वजह से आसमानी अ़ज़ाब नाज़िल फ़र्माया। रिज्ज़ से मुराद अ़ज़ाब है। कोई कहता है, ग़ज़ब है, किसी ने ताऊन कहा है। एक मरफ़ूअ हदीस में है ''ताऊन रिज्ज़ है और यह अ़ज़ाब तुमसे पहले लोगों पर उतारा गया था।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलाम, बाब अत् ताऊन वत् तीरत : 2218; सुननुल कुब्रा लिन् नसाई : 2523; अहमद : 5/213) बुख़ारी व मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''जब तुम सुनो कि फ़लाँ जगह ताऊन है तो वहाँ न जाओ, अल्ख़।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तिब्ब, बाब मा युत्करु फ़ित् ताऊन : 5728; व उन्ज़ुर : 3473, 6973; सहीह मुस्लिम : 2218) इब्ने जरीर में है कि, ''यह दुख और बीमारी रिज्ज़ है जिससे तुमसे पहले लोग अ़ज़ाब किए गए थे।''

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾

तर्जुमा : ''और जब मूसा (عليه السلام) ने अपनी क़ौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, अपनी लकड़ी पत्थर पर मारो, जिससे बारह चश्मे बह निकले, और हर गिरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया और हमने कह दिया कि अल्लाह तआला का रिज़्क़ खाते-पीते रहो और ज़मीन में फ़साद न करते फिरो।'' (60)

बनी इस्राईल पर एहसानात का मज़ीद तज़्किरा (आयत : 60) : यह एक और ने'मत याद दिलाई जा रही है कि जब तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए पानी तलब किया तो हमने उस पत्थर से चश्मे बहा दिए जो तुम्हारे साथ रहा करता था और तुम्हारे हर-हर क़बीले के लिए उसमें से एक-एक चश्मा हमने जारी कर दिया और हमने कह दिया कि मन्न व सलवा खाते रहो और इन चश्मों का पानी पीते रहो और इसे बेमेहनत की रोज़ी खा पीकर हमारी इबादत में लगे रहो, नाफ़र्मानी करके ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ, वरना यह ने'मतें छिन जायेंगी। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि यह एक चार कोनों वाला पत्थर था, जो उनके साथ ही था। हज़रत मूसा (ﷺ) ने ब-हुक्मे-इलाही उस पर लकड़ी मारी। चारों तरफ़ से तीन-तीन नहरें बह निकलीं। यह पत्थर बैल के सर जितना था, जो बैल पर लाद दिया जाता था। जहाँ उतरते, रख देते और लकड़ी लगते ही उसमें से नहरें बह निकलतीं। जब कूच करते, उठा लेते, नहरें बन्द हो जातीं और पत्थर को साथ रख लेते। यह पत्थर तूर पहाड़ का था, एक हाथ लम्बा और एक हाथ चौड़ा।

कुछ कहते हैं, यह जन्नती पत्थर था। दस-दस हाथ लम्बा-चौड़ा था, दो शाख़ें थीं, जो चमकती रहती थीं। एक और क़ौल में है कि यह पत्थर हज़रत आदम (ﷺ) के साथ जन्नत से आया था और यूँ ही हाथों-हाथ पहुँचता हुआ हज़रत शुऐ'ब (ﷺ) को मिला था। उन्होंने लकड़ी और यह पत्थर दोनों हज़रत मूसा (ﷺ) को दिए थे। कुछ कहते हैं, यह वही पत्थर है जिस पर हज़रत मूसा (ﷺ) अपने कपड़े रखकर नहा रहे थे और ब-हुक्मे-इलाही यह पत्थर आप (ﷺ) के कपड़े लेकर भागा था। उसे हज़रत मूसा (ﷺ) ने बमश्विरा हज़रत जिब्राईल (ﷺ) उठा लिया था जिससे यह मु'जिज़ा आपका ज़ाहिर हुआ।

ज़मख़शरी (रह.) कहते हैं कि हज्र पर अलिफ़ लाम जिन्स के लिए है, अहद के लिए नहीं। या'नी किसी एक पत्थर पर लकड़ी मारो, यह नहीं कि फ़लाँ पत्थर ही पर मारो। हसन (रह.) से यही मरवी है और यही मु'जिज़े का कमाल और क़ुदरत का पूरा इज़्हार है। मूसा (ﷺ) की लकड़ी लगते ही वह बहने लगता और फिर दूसरी लकड़ी लगते ही ख़ुश्क हो जाता। बनी इस्राईल आपस में कहने लगे कि, यह पत्थर गुम हो गया तो हम प्यासे मरने लगेंगे तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि, "तुम लकड़ी न मारो, सिर्फ़ ज़ुबानी कहो कि इन्हें यक़ीन आ जाए, वल्लाहु आ'लम!

हर एक क़बीला अपनी-अपनी नहर को इस तरह जान लेता कि हर क़बीला का एक एक आदमी पत्थर के पास खड़ा रह जाता और लकड़ी लगते ही उसमें से चश्में जारी हो जाते। जिस शख़्स की तरफ़ जो चश्मा जाता वह अपने क़बीले को बुलाकर कह देता कि, यह चश्मा तुम्हारा है। यह वाक़िया मैदाने तीह का है। सूरह आ'राफ़ में भी इस वाक़िये का बयान है, लेकिन चूँकि वह सूरह मक्की है, इसलिए वहाँ उनका बयान ग़ायब की ज़मीर से किया गया है और अल्लाह तआला ने जो एहसानात उन पर नाज़िल किये थे वह अपने रसूल (ﷺ) के सामने दोहराये हैं, और यह सूरत मदनी है इसलिए यहाँ ख़ुद उन्हें ख़िताब किया गया है। सूरह आ'राफ़ में (फ़म् बजसत) (7/आ'राफ़ : 160) कहा और यहाँ (फ़न्फ़जरत) कहा, इसलिए कि वहाँ पहले पहले जारी होने के मा'नी में है और यहाँ आख़िरी हाल का बयान है, वल्लाहु आ'लम! और इन दोनों जगह का बयान में दस वजह से फ़र्क़ है जो फ़र्क़ लफ़्ज़ी भी है और मअनवी भी। ज़मख़शरी (रह.) ने अपने तौर पर इन सब वजहों को बयान किया है और हक़ीक़त में इसमे क़रीब है, वल्लाहु आ'लम!

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ
الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّاۗىِٕهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۭ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ
هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ۭ اِھْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۭ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۤ وَبَاۗءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّھُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ
اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

तर्जुमा : ''और जब तुमने कहा कि, ऐ मूसा (عليه السلام)! हमसे एक ही क़िस्म के खाने पर सब्र न हो सकेगा, पस अपने रब से दुआ कीजिए कि, वह हमें ज़मीन की पैदावार, साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और प्याज़ दे। आपने फ़र्माया, बेहतर चीज़ के बदले यह अदना चीज़ क्यूँ तलब करते हो अच्छा! शहर में जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी चाहत की यह सब चीज़ें मिलेंगी। उन पर ज़िल्लत और मिस्कीनी डाली गई और अल्लाह का ग़ज़ब लेकर वह लौटे। यह इसलिए कि वह अल्लाह तआला की आयतों के साथ कुफ़्र करते थे और अम्बिया को नाहक़ क़त्ल करते थे। यह उनकी नाफ़र्मानियों और ज़्यादतियों का नतीजा है।'' (61)

अच्छी चीज़ के बदले घटिया के तलबगार (आयत : 61) : यहाँ बनी इस्राईल की बेसब्री और ने'मते-इलाही की नाक़द्री का बयान हो रहा है कि मन्न व सलवा जैसे पाकीज़ा खाने पर उनसे सब्र न हो सका और रद्दी चीज़ें मांगने लगे। एक खाना से मुराद एक क़िस्म का खाना है यानी मन्न व सलवा। फ़ूम के मा'नी में इख़्तिलाफ़ है। इब्ने मसऊद (रज़ि.) की क़िराअत में सौम है। मुजाहिद (रह़.) ने फ़ूम की तफ़्सीर सौम के साथ की है, या'नी लहसुन। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी मरवी है। (इब्ने अबी ह़ातिम : 1/193) अगली लुग़त की साबिक़ा किताबों में फ़व्विमूलना के मा'नी इख़्तबिज़ू या'नी हमारी रोटी पकाओ के हैं। इब्ने जरीर (रह़.) फ़र्माते हैं, अगर यह सह़ीह़ हो तो यह हुरूफ़े मुब्दला में से हैं। जैसे आसूर शर, आफ़ूर शर, असाफ़ी, असासी, मग़ाफ़ीर, मग़ासीर वग़ैरह जिनमें फ़ से स़ और स से फ़ बदला गया है, क्योंकि यह दोनों मख़रज के ए'तिबार से बहुत क़रीब है, वल्लाहु आ'लम! (त़बरी : 2/130) और लोग कहते हैं (फ़ूम) के मा'नी गेहूँ के हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी यही तफ़्सीर मन्क़ूल है। और अह़ीजा के शेअर में भी (फ़ूम) गेहूँ के मा'नी में आया है। बनू हाशिम की जुबान में फ़ूम गेहूँ के मा'नी में मुस्तअमिल था। फ़ूम के मा'नी रोटी के भी हैं। कुछ ने सुंबला के मा'नी किए हैं। क़तादा (रह़.) और अ़त़ा' (रह़.) फ़र्माते हैं, जिस अनाज की रोटी पकती है, उसे फ़ूम कहते हैं। कुछ कहते हैं, फ़ूम हर क़िस्म के अनाज को कहते हैं। ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) ने अपनी क़ौम को डांटा कि तुम बेहतर चीज़ को रद्दी चीज़ के बदले

क्यूँ तलब करते हो? फिर फ़र्माया, जाओ! शहर में यह सब चीज़ें पाओगे। जुम्हूर की क़िराअत (मिस्रन) ही है और तमाम क़िराअतों में यही लिखा हुआ है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि शहरों में से किसी शहर में चले जाओ। (इब्ने अबी हातिम : 1/194) उबय बिन कअब और इब्ने मसऊद (रज़ि.) से (मिस्र) की क़िराअत भी है और उसकी तफ़्सीर मिस्र शहर से की गई है और यह भी हो सकता है कि मिस्रन से भी मुराद मख़्सूस शहर मिस्र लिया जाए। और यह अलिफ़ मिस्रन का ऐसा ही है जैसो क़वारीरा क़वारीरा में है। मिस्र से मुराद आम शहर लेना ही बेहतर मा'लूम होता है तो मतलब यह हुआ कि जो चीज़ तुम तलब करते हो, यह तो आसान चीज़ है जिस शहर में जाओगे यह तमाम चीज़ें पा लोगे, मेरी दुआ की भी क्या ज़रूरत है? क्योंकि इनका यह क़ौल महज़ तकब्बुर, सरकशी और बड़ाई के तौर पर था, इसलिए उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया, वल्लाहु आ'लम!

शामते आ'माल (आयत : 61) मतलब यह है कि ज़िल्लत और मिस्कीनी उन पर मुसल्लत की गई, एहानत व पस्ती उन पर डाल दी गई। जिज़्या उनसे वसूल किया गया, मुसलमानों के क़दमों-तले उन्हें डाला गया, फ़ाक़ाकशी और भीख की नौबत पहुँची। अल्लाह का ग़ज़ब व गुस्सा उन पर उतरा (बा'ऊ) के मा'नी लौटे और रुजूअ किया के हैं, बाअ कभी भलाई के सिलह के साथ और कभी बुराई के सिलह के साथ आता है। यहाँ बुराई के सिलह के साथ है। यह तमाम अज़ाब उनके तकब्बुर, इनाद, हक़ की क़बूलियत से इंकार अल्लाह तआला की आयात कुफ़्र और अम्बिया और उनके ताबे'दारों की एहानत और उनके क़त्ल की बिना पर था इससे ज़्यादा बड़ा कुफ़्र और कौनसा होगा कि अल्लाह तआला की आयात से इंकार करते हैं और उसके अम्बिया को बिला वजह क़त्ल करते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''तकब्बुर के मा'नी हक़ को छुपाने और लोगों को ज़लील समझने के हैं।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब तहरीमुल किब्र व बयानुहू : 91)

मालिक बिन मुरारह रहावी (रज़ि.) एक रोज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ करते हैं कि, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं ख़ूबसूरत आदमी हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता कि किसी के जूते का तस्मा भी मुझसे अच्छा हो तो क्या यह तकब्बुर और सरकशी है? आपने फ़र्माया, ''नहीं! बल्कि तकब्बुर और सरकशी हक़ को रद्द करना और लोगों को हक़ीर समझना है।'' (अहमद : 1/385; हाकिम : 4/182; यह हदीस सहीह है। देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 6/155) चूँकि बनी इस्राईल का तकब्बुर कुफ़्र व क़त्ले अम्बिया (عليهم السلام) तक पहुँच गया था, इसलिए अल्लाह का ग़ज़ब उन पर लाज़िम हो गया, दुनिया में भी और आख़िरत में भी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि, बनी इस्राईल एक-एक दिन में तीन-तीन सौ अम्बिया को क़त्ल कर डालते थे। फिर बाज़ारों में जाकर अपने कारोबार में मशग़ूल हो जाते थे। (अबू दाऊद तयालिसी) (इब्ने जरीर : 3/144, 145; तफ़्सीर इब्ने अबी हातिम : 1/126; ह : 632; व सनदुहू ज़ईफ़ ; शैख़ अल्बानी (रह.) इसे मुंकर क़रार देते हैं। (सिलसिलतुज़् ज़ईफ़ : 5461) रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''सबसे ज़्यादा सख़्त अज़ाब क़यामत के दिन उस शख़्स को होगा, जिसे नबी ने क़त्ल किया हो या उसने किसी नबी को मार डाला हो और गुमराही का इमाम और तस्वीरें बनाने वाला।'' यह बदला था उनकी नाफ़र्मानियों और ज़ुल्मो ज़्यादती का। यह दूसरा सबब है कि वह मना किए हुए कामों को करते थे और हद से बढ़ जाते थे, वल्लाहु आ'लम!

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

तर्जुमा : ''मुसलमान हों, यहूदी हों, नसारा हों या साबी हों, जो कोई भी अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अ'मल करे उनके अज्र उनके रब के पास हैं और उन पर न तो कोई ख़ौफ़ है और न उदासी।'' (62)

अपने नबी का ता'बेदार ईमानदार है (आयत 62) : ऊपर चूँकि नाफ़र्मानियों के अज़ाब का ज़िक्र था तो यहाँ उनमें जो लोग नेक थे उनके सवाब का बयान हो रहा है। नबी (ﷺ) की ता'बेदारी करने वालों के लिए यह बशारत ता क़यामत है कि न मुस्तक़्बिल का डर और न यहाँ न मिलने वाली चीज़ों का अफ़सोस और न हसरत। और जगह है (أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (10/यूनुस : 62) या'नी ''अल्लाह तआला के दोस्तों पर कोई डर व ग़म नहीं।'' और वह फ़रिश्ते जो मुसलमान की रूह निकालने के वक़्त आते हैं, यही कहते हैं (أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) (41/हामीम सज्दा : 31) ''तुम डरो नहीं, तुम उदास न हो, तुम्हें हम उस जन्नत की ख़ुशख़बरी देते हैं जिसका तुमसे वा'दा किया गया था।''

हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होने से पहले जिन दीनदारों से मिला था उनकी इबादत और नमाज़, रोज़ों वग़ैरह का ज़िक्र किया तो यह आयत उतरी। (इब्ने अबी हातिम) एक और रिवायत में है कि, हज़रत सलमान (रज़ि.) ने उनका ज़िक्र करते हुए कहा कि वह नमाज़ी रोज़ेदार ईमानदार और इस बात के मुअतक़िद थे कि आप मब्ऊस होने वाले हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''वह जहन्नमी हैं।'' हज़रत सलमान (रज़ि.) को इससे बड़ा रंज हुआ'' वहीं यह आयत नाज़िल हुई लेकिन यह वाज़ेह रहे कि यहूदियों में से ईमानदार वह हैं जो तौरात को मानता हो और सुन्नते-मूसा (عليه السلام) का आमिल हो। लेकिन जब हज़रत ईसा (عليه السلام) आ जाएँ तो उनकी ता'बेदारी करे और उनकी नबुव्वत को बरहक़ समझे। अगर वह अब भी तौरात और सुन्नते मूसा (عليه السلام) पर जमा रहा और हज़रत ईसा (عليه السلام) का इंकार किया और ता'बेदारी न की तो फिर बेदीन हो जाएगा।

इसी तरह नसरानियों में से ईमानदार वह है जो इंजील को कलामुल्लाह माने, शरीअते ईसा पर अमल करे और अगर अपने ज़माने में पैग़म्बर आख़िरुज़् ज़माँ हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को पा ले तो आप (ﷺ) की ता'बेदारी और आपकी नबुव्वत की तस्दीक़ करे। अगर अब भी उसने इंजील को और इत्तिबाअे ईसा को न छोड़ा और आपके तरीक़े पर अमल न किया तो हलाक होगा। (इब्ने अबी हातिम) सुदी और सईद बिन जुबैर (रह.) यही फ़र्माते हैं। मतलब यह है कि हर नबी का ता'बेदार उसका मानने वाला ईमानदार और सालेह है

और अल्लाह के यहाँ नजात पाने वाला लेकिन जब दूसरा नबी आया और उसने उसका इंकार किया तो काफ़िर हो जाएगा। क़ुरआन की एक तो यह आयत जो आपके सामने है और दूसरी वह आयत जिसमें बयान है (وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ) (3/आले इमरान : 156) यानी "जो शख़्स इस्लाम के सिवा और दीन ढूँढ़े उससे क़बूल न किया जाएगा और आख़िरत में वह नुक़्सान उठाने वाला होगा।" इन दोनों आयात में यही तत्बीक़ है। किसी शख़्स का कोई अमल, कोई तरीक़ा मक़्बूल नहीं, यहाँ तक कि वह शरीअते-मुहम्मदिया (ﷺ) के मुताबिक़ न हो। मगर यह उस वक़्त है जबकि आप मब्ऊस होकर दुनिया में आ गए। आप (ﷺ) से पहले जिस नबी का जो ज़माना था और जो लोग उस ज़माने में थे, उनके लिए उनके ज़माने के नबी की ता'बेदारी और उसकी शरीअत के मुताबिक़ अमल करना शर्त है।

यहूद के लोग़वी मआनी और वजहे तस्मिया? लफ़्ज़ यहूद हवादत से माख़ूज़ है जिसके मा'नी मवद्दत और दोस्ती के हैं या यह माख़ूज़ है तहूद से जिसके मा'नी तौबा के हैं। जैसे क़ुरआन में है (इन्ना हुदना इलैक) (7/आ'राफ़ : 156) हज़रत मूसा (عليه السلام) फ़र्माते हैं "हम ऐ अल्लाह! तेरी तरफ़ तौबा करते हैं। पस उन्हें इन्ही दो वजूहात की बिना पर यहूद कहा गया है, तौबा की वजह से और आपस की दोस्ती की वजह से और कुछ कहते हैं कि, यह यहूदा की औलाद में से थे, इसलिए इन्हें यहूद कहा गया है। यहूदा हज़रत या'क़ूब (عليه السلام) के बड़े लड़के का नाम था। एक क़ौल यह भी है कि यह तौरात पढ़ते वक़्त हिलते थे, इस बिना पर इन्हें यहूद या'नी हरकत करने वाला कहा गया है। जब हज़रत ईसा (عليه السلام) की नबुव्वत का ज़माना आया तो बनी इस्राईल पर आपकी नबुव्वत की तस्दीक़ और आपके फ़र्मान की इत्तिबाअ वाजिब हुई और उनका नाम नसारा हुआ क्योंकि उन्होंने आपस में एक-दूसरे की नुसरत या'नी ताईद और मदद की थी। उन्हें अंसार भी कहा गया है। हज़रत ईसा (عليه السلام) का क़ौल है (مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ) (61/सफ़्फ़ : 14) यानी "अल्लाह के दीन में मेरा मददगार कौन है?" हवारियों ने कहा, हम हैं। कुछ कहते हैं कि, यह लोग जहाँ उतरे थे, उस ज़मीन का नाम नासिरा था, इसलिए इन्हें नसारा कहा गया। क़तादा और इब्ने जुरैज (रह.) का भी यही क़ौल है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी यह मरवी है, वल्लाहु आ'लम!

नसारा नसरान की जमा है जैसे नश्वान की जमा नशावा और सक्रान की जमा सुकारा। इसका मुअन्नस नस्रानतुन आता है। अब जबकि ख़ातमुन् नबिय्यीन का ज़माना आया और आप (ﷺ) तमाम दुनिया की तरफ़ रसूल व नबी बनाकर भेजे गए तो इन पर और उन पर सब पर आप (ﷺ) की तस्दीक़ व इत्तिबाअ वाजिब हुई और आप (ﷺ) की उम्मत का नाम मो'मिन रखा गया, उनके ईमान व यक़ीन की पुख़्तगी की वजह से और इसलिए भी कि उनका ईमान तमाम अगले अम्बिया (عليهم السلام) पर भी है और तमाम आने वाली बातों पर भी।

साबी कौन हैं? साबी के मा'नी एक तो बेदीन और ला मज़हब के किए गए हैं और अहले किताब के एक फ़िर्क़े का नाम भी यही था जो ज़बूर पढ़ा करते थे। इसी बिना पर अबू हनीफ़ा और इस्हाक़ (रह.) का मज़हब है कि उनके हाथ का ज़बीहा हमारे लिए हलाल है और उनकी औरतों से निकाह करना भी जाइज़ है। हज़रत हसन

और हज़रत हकम (रह.) फ़र्माते हैं कि यह गिरोह मानिन्द मजूसियों के है। यह भी मरवी है कि यह लोग फ़रिश्तों के पुजारी थे। ज़ियाद ने जब यह सुना था कि यह लोग पंज-वक़्ता नमाज़ क़िब्ला की जानिब पढ़ा करते हैं, तो इरादा किया कि उन्हें जिज़्या मा'फ़ कर दे लेकिन साथ ही मा'लूम हुआ कि वह मुश्रिक हैं तो ज़ियाद अपने इरादे से बाज़ रहे।

अबुज़् ज़िनाद (रह.) फ़र्माते हैं, यह लोग इराक़ी हैं, बकूसी के रहने वाले, सब अम्बिया को मानते हैं, हर साल में तीस रोज़े रखते हैं और यमन की तरफ़ चेहरा करके हर दिन में पाँच नमाज़ें पढ़ते हैं। वहब बिन मुनब्बा कहते हैं कि अल्लाह तआला को यह लोग जानते हैं लेकिन किसी शरीअत के पाबन्द नहीं और कुफ़्फ़ार भी नहीं। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद (रह.) का क़ौल है कि यह भी एक मज़हब है। जज़ीरा मूसल में यह लोग थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ते थे और किसी किताब या नबी को नहीं मानते थे और न कोई ख़ास शरअ के आ'मिल थे।

मुश्रिकीन इसी बिना पर आँहुज़ूर (ﷺ) और आपके सहाबा (रज़ि.) को साबी कहते थे यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने की बिना पर उनका दीन नसरानियों से मिलता जुलता था। उनका क़िब्ला जुनूब की तरफ़ था। यह लोग अपने आपको हज़रत नूह (अ.) के दीन पर बताते थे। एक क़ौल यह भी है कि यहूद मजूस के दीन का ख़लत मलत यह मज़हब था। इनका ज़बीहा खाना और इनकी औरतों से निकाह करना मम्नूअ है। मुजाहिद, हसन और इब्ने अबी नजीह (रह.) का यही फ़त्वा है। कुर्तुबी (रह.) फ़र्माते हैं, मुझे जहाँ तक मा'लूम है कि यह लोग मुवह्हिद थे लेकिन तारों की तासीर और नुजूम के मुअतक़िद थे। अबू सईद ने इन पर कुफ़्र का फ़त्वा दिया है।

राज़ी (रह.) फ़र्माते हैं, यह सितारा परस्त लोग थे, किशरानिय्यीन में से थे, जिनकी जानिब हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) भेजे गए थे। हक़ीक़ते-हाल का इल्म तो महज़ अल्लाह तआला को है। मगर बज़ाहिर यही क़ौल अच्छा मा'लूम होता है कि यह लोग न यहूदी थे, न नसरानी, न मजूसी, न मुश्रिक। बल्कि यह लोग फ़ित्रत पर थे, किसी ख़ास मज़हब के पाबन्द न थे और इसी मा'नी पर मुश्रिकीन अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) को साबी कहा करते थे या'नी उन लोगों ने तमाम मज़ाहिब तर्क कर दिए। कुछ उलमा का क़ौल है कि साबी वह हैं जिन्हें किसी नबी की दा'वत नहीं पहुँची, वल्लाहु आ'लम!

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا
مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

तर्जुमा : "और जब हमने तुमसे वा'दा लिया और तुम पर तूर पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया (और कहा) जो हमने तुम्हें दिया है उसे मज़बूती से थाम लो और जो कुछ उसमें है उसे याद करो ताकि तुम बच सको।(63) लेकिन तुम उसके बाद भी फिर गए पस अगर अल्लाह तआला का फ़ज़्ल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम नुक़्सान वाले हो जाते।" (64)

यहूद और वा'दा-ख़िलाफ़ी (आयत 63-64) : इन आयात में अल्लाह तआला बनी इस्राईल को उनके अहदो-पैमान याद दिला रहा है कि मेरी इबादत और मेरे नबी की इताअत का वा'दा मैं तुमसे ले चुका हूँ और उस वा'दे को पूरा करने और मनवाने के लिए मैंने तूर पहाड़ को तुम्हारे सरों पर ला खड़ा कर दिया था। और जगह है (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ) अल्ख (7/आ'राफ़ : 171) "जब हमने उनके सरों पर सायबान की तरह पहाड़ ला खड़ा किया और यह यक़ीन कर चुके कि वह अब गिरकर उन्हें कुचल डालेगा, उस वक़्त हमने कहा, हमारी दी हुई चीज़ को मज़बूत थाम लो और उसमें जो कुछ है उसे याद करो तो बच जाओगे।" तूर से मुराद पहाड़ है, जैसे सूरह आ'राफ़ की आयत में है और जैसे सहाबा (रज़ि.) और ता'बेईन (रह.) ने इसकी तफ़्सीर की है। (इब्ने अबी हातिम : 1/203) और यही ज़ाहिर है कि तूर उस पहाड़ को कहते हैं जिस पर रूइदगी होती हो। (अयज़न) हदीस फ़ुतून में बरिवायत इब्ने अब्बास (रज़ि.) मरवी है कि जब उन्होंने इताअत से इंकार किया उस वक़्त यह पहाड़ उनके सरों पर ला खड़ा किया कि अब तो अहकामात सुनें। सुदी (रह.) कहते हैं, उनके सज्दे से इंकार करने के सबब उनके सर पर पहाड़ आ गया लेकिन उसी वक़्त यह सब सज्दे में गिर पड़े और मारे डर के कंखियों से ऊपर को देखते रहे। अल्लाह तआला ने उन पर रहम फ़र्माया और पहाड़ को हटा लिया। इसी वजह से वह उसी सज्दे को पसंद करते हैं कि आधा धड़ सज्दे में हो और दूसरी तरफ़ से ऊँचे देख रहे हों। जो हमने दिया, उससे मुराद तो तौरात है। कुव्वत से मुराद इताअत है, या'नी तौरात पर मज़बूती से जमकर अमल करने का वा'दा करो, वरना तुम पर पहाड़ गिरा दिया जाएगा। और इसमें जो है उसे याद करो या'नी तौरात पढ़ते-पढ़ाते रहो। (अयज़न) लेकिन उन लोगों ने इतने पुख़्ता मीसाक़, इतने आ'ला अहद और इस क़द्र ज़बरदस्त वा'दे की भी कुछ परवाह न की और वा'दा-ख़िलाफ़ी की। अब अगर अल्लाह तआला की करम फ़र्माई और रहमत न होती, अगर वह तौबा क़बूल न फ़र्माता और अम्बिया के सिलसिले को बराबर जारी न रखता तो यक़ीनन तुम्हें ज़बरदस्त नुक़्सान पहुँचता, इस वा'दा को तोड़ने की बिना पर दुनिया और आख़िरत में तुम बर्बाद हो जाते।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿٦٥﴾

तर्जुमा : ''यक़ीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुममें से हफ़्ता के बारे में हद से बढ़ गए और हमने भी कह दिया कि तुम ज़लील बंदर बन जाओ। (65) उसे हमने अगलों-पिछलों (पहले और बाद के आने वालों) के लिए इबरत का सबब बनाया और परहेज़गारों के लिए वा'ज़ व नसीहत का।'' (66)

यहूदियों का इब्रतनाक अंजाम? (आयत 65-66) इस वाक़िया का बयान पूरी तफ़्सील के साथ सूरह आ'राफ़ में है। जहाँ फ़र्माया है, (وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ) अल्ख़ (7/आ'राफ़ : 163) वहीं इसकी तफ़्सीर भी पूरी बयान होगी, इंशाअल्लाह तआला! यह ईला बस्ती के बाशिन्दे थे, इन पर हफ़्ता के दिन की ता'ज़ीम ज़रूरी की गई थी, उस दिन का शिकार मना' किया गया था और हुक्मे बारी तआला से मछलियाँ उसी दिन बकसरत आया करती थीं तो उन्होंने हीला किया, गढ़े खोद लिए, रस्सियाँ और कांटे डाल दिए। हफ़्ता वाले दिन वह आ गईं। यहाँ फंस गईं, इतवार की रात को जाकर पकड़ लिया, इस जुर्म पर अल्लाह ने उनकी शक्लें बदल दीं। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, सूरतें नहीं बदली थीं बल्कि दिल मस्ख़ हो गए थे। यह सिर्फ़ बतौर मिसाल के है, जैसे अमल न करने वाले उलमा को गधों से मिसाल दी है लेकिन यह क़ौल ग़रीब है और क़ुरआने-करीम के वाज़ेह अल्फ़ाज़ के भी ख़िलाफ़ है। इस आयत पर फिर सूरह आ'राफ़ की आयत (وَسْـَٔلْهُمْ) अल्ख़ (7/आ'राफ़ : 163) पर और (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ) अल्ख़ (5/माइदा : 60) पर नज़र डालो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि, उनके जवान बंदर बन गए और बूढ़े सूअर हो गए। (इब्ने अबी हातिम : 1/210) क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं, यह तमाम मर्द व औरत दुम वाले बंदर हो गए थे। (अयज़न : 1/209) आसमानी आवाज़ आई कि तुम सब बंदर बन जाओ चुनाँचे सबके सब बंदर बन गए जो लोग उन्हें इस मकर व हीला से रोकते थे वह अब आए और कहने लगे कि देखो! हम पहले ही से तुम्हें मना' करते थे? तो वह सर हिलाते थे या'नी हाँ!

इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, थोड़ी मुद्दत में वह सब हलाक हो गए और उनकी नस्ल नहीं हुई। (इब्ने अबी हातिम : 1/209) तीन दिन से ज़्यादा कोई मस्ख़शुदा क़ौम ज़िन्दा नहीं रहती, यह सब भी तीन दिन में ही यूँ ही नाक रगड़ते-रगड़ते मर गए, खाना – पीना और नस्ल सब मुन्क़तअ हो गई। यह तो जानवर हैं जो इसी तरह पैदा किए गए थे, अल्लाह तआला जो चाहे और जिस तरह चाहे, पैदा करता है और जिसे जिस तरह का चाहे बना देता है ।(तबरी : 2/167) (अल्लाह तआला अपने ग़ज़ब व गुस्से से और अपनी पकड़ धकड़ से और अपने दुनियावी और आख़िरत के अज़ाबों से हमें नजात दे, आमीन! (ख़ासिईन) का मा'नी ज़लील और कमीना है। इनका वाक़िया तफ़्सील के साथ इब्ने अब्बास (रज़ि.) वग़ैरह ने जो बयान किया है वह भी सुन लीजिए। इन पर जुम्आ की इज़्ज़त व अदब को फ़र्ज़ किया गया लेकिन इन्होंने जुम्आ के दिन को पसंद न किया और हफ़्ता का दिन रखा, उस दिन

की इज़्ज़त के तौर पर इनका शिकार खेलना वग़ैरह उस दिन हराम कर दिया गया। इधर अल्लाह की आज़माइश की बिना पर हफ़्ता के दिन तमाम मछलियाँ ऊपर आ जाया करती थीं और उछलती-कूदती रहती थीं, बाक़ी दिनों में कोई नज़र भी नहीं आती थी। एक मुद्दत तक तो यह लोग ख़ामोश रहे और शिकार करने से रुके रहे। उसके बाद उनमें से एक शख़्स ने यह हीला निकाला कि हफ़्ता वाले दिन मछली को पकड़ लिया और फंदे मे फांसकर डोरी को किनारे पर किसी चीज़ से बाँध दिया। इतवार वाले दिन जाकर निकाल लाया और पकाकर खाई, लोगों ने ख़ुश्बू पाकर पूछा तो उसने कहा, मैंने आज इतवार को शिकार किया है। आख़िर यह राज़ खुला तो और लोगों ने भी इस हीला को पसंद किया और इस तरह वह सब मछलियों का शिकार करने लगे, फिर तो कुछ ने दरिया के आसपास गढ़े खोद लिए। हफ़्ता वाले दिन जब मछलियाँ उसमें आ जातीं तो उसे बंद कर देते और इतवार वाले दिन पकड़ लाते। कुछ लोग जो उनमें नेक दिल और सच्चे मुसलमान थे वह उन्हें रोकते और मना' करते रहे, लेकिन उनका जवाब यही होता था कि हम हफ़्ता को शिकार ही नहीं करते, हम तो इतवार वाले दिन पकड़ते हैं। उन शिकार खेलने वालों और उन मना करने वालों के सिवा एक गिरोह उनमें और हो गया जो मस्लिहते वक़्त बरतने वाले और दोनों फ़िर्क़ों को राज़ी रखने वाले थे, वह न तो उनका पूरा साथ देते, न उनका शिकार खेलते थे, न शिकारियों को रोकते थे बल्कि रोकने वालों से कहते थे कि इस क़ौम को क्यूँ वा'ज़ व नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तआला हलाक करेगा या सख़्त अज़ाब करेगा और तुम अपना फ़र्ज़ भी अदा कर चुके। इन्हें मना कर चुके, जब नहीं मानते तो अब इन्हें छोड़ दो। मना करने वाले जवाब देते कि एक तो अल्लाह के यहाँ हम मा'ज़ूर हो जाएँ इसलिए और दूसरे इसलिए भी कि शायद आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों यह मान जाएँ और अल्लाह तआला के अज़ाब से बच जाएँ।

बिलआख़िर उस मुस्लिम जमाअत ने इस हीला साज़ फ़िर्क़ा का बिलकुल बायकाट कर दिया और उनसे बिलकुल अलग हो गए। बस्ती के दरम्यान एक दीवार खींच ली और एक दरवाज़ा अपने आने-जाने का रखा और एक दरवाज़ा उन हीला-जू नाफ़र्मानों के लिए। उस पर भी एक मुद्दत गुज़र गई। एक दिन जब यह मुसलमान सोकर उठे, दिन चढ़ गया लेकिन अब तक उन लोगों ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला था और न उनकी आवाज़ें आ रही थीं। यह लोग हैरान थे कि, आज क्या बात है। आख़िर जब ज़्यादा देर गुज़र गई तो उन लोगों ने दीवार पर चढ़कर देखा तो वहाँ अजब मंज़र नज़र आया, देखा कि वह तमाम लोग औरतों और बच्चों समेत बंदर बन गए हैं, उनके घर जो रातों को बंद थे, उसी तरह बंद हैं और अंदर वह तमाम इंसान बंदर की सूरतों में हैं। जिनकी दुमें निकली हुई हैं। बच्चे छोटे बंदरों की शक्ल में, मर्द बड़े बंदरों की सूरत में, औरतें बंदरियाँ बनी हुई हैं और हर एक पहचाना जाता है कि यह फ़लाँ मर्द है, यह फ़लाँ औरत है, यह फ़लाँ बच्चा है वग़ैरह। यह भी याद रहे कि जब यह एताब (अज़ाब) आया तो न सिर्फ़ वही हलाक हुए जो शिकार खेलते थे बल्कि उनके साथ वह भी हलाक हुए जो मस्लिहत पसंद उन्हें मना न करते थे और ख़ामोश रहते थे और मेल-जोल तर्क न किया था, सिर्फ़ वही लोग बाक़ी बचे जो मना करते रहे और उनसे अलग-थलग हो गए थे। यह तमाम क़ौल और क़ुरआन करीम की कई एक आयात वग़ैरह शाहिद हैं कि, सहीह बात यही है कि उनकी सूरतें बदल दी गईं थीं। सचमुच बंदर बना दिए गए थे, न यह कि मा'नवी मस्ख़ था। यानी उनके दिल बंदरों जैसे हो गए। जैसे मुजाहिद (रह.) का क़ौल है। ठीक तफ़्सीर यही है कि अल्लाह तआला ने उन्हें सूअर और बंदर बना दिया था और ज़ाहिरी सूरतें भी उनकी उन बद जानवरों जैसी हो गईं, वल्लाहु आ'लम!

(فَجَعَلْنٰهَا) में हा की ज़मीर का मर्जअ़ क़िरदत है, या'नी हमने उन बंदरों को इब्रत का सामान बनाया, या इसका मर्जअ़ ह़ीतान है, या'नी उन मछलियों को या इसका मर्जअ़ उ़क़ूबत है, या'नी इस सज़ा को और यह भी कहा गया है कि इसका मर्जअ़ क़र्यतुन है, या'नी उस बस्ती को हमने अगले-पिछले के लिए इब्रतनाक अम्र बनाया और स़ह़ीह़ बात यही मा'लूम होती है कि क़र्या मुराद है और क़र्या से मुराद अहले क़र्या हैं।

(नकाला) कहते हैं, अ़ज़ाब व सज़ा को। जैसे और जगह है (فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى) (79/नाज़िआत : 25) ''इसको इब्रत का सबब बनाया, आगे पीछे वाली बस्तियों के लिए।'' जैसे और जगह है (وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى) अल्ख़ (46/अह़क़ाफ़ : 27) ''हमने तुम्हारे आसपास की बस्तियों को हलाक किया और अपनी निशानियाँ बयान फ़र्माई ताकि वह लोग लौट आयें'' और इर्शाद है (اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا) अल्ख़ (13/रअ़द : 41) और यह भी मतलब बयान किया गया है कि उस वक़्त के मौजूद लोगों के लिए और बाद में आने वालों के लिए इबरतनाक वाक़िया दलीले राह बन जाए। गो कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि अगलों पिछलों के लिए यह एक सबक़ है लेकिन ज़ाहिर है। गुज़रे हुए अगले लोगों के लिए यह वाक़िया गो कितना ही ज़बरदस्त इब्रतनाक हो, दलील नहीं बन सकता। इसलिए कि वह तो गुज़र चुके तो स़ह़ीह़ क़ौल यही है कि यहाँ मुराद मकान और जगह है यानी आसपास की बस्तियाँ और यही तफ़्सीर है ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) और ह़ज़रत सईद बिन जुबैर (रह़.) की, वल्लाहु आ'लम! और यह भी मा'नी बयान किए हैं कि उनके अगले गुनाह और उनके बाद आने वाले लोगों के ऐसे गुनाहों के लिए हमने इस सज़ा को इब्रत का सबब बनाया लेकिन स़ह़ीह़ क़ौल वही है जिसकी स़ेह़त हमने बयान की। आसपास की बस्तियाँ जैसाकि क़ुरआन फ़र्माता है (وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ) अल्ख़ (46/अह़क़ाफ़ : 28) और फ़र्मान है (وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) अल्ख़ (22/ह़ज्ज : 55) और फ़र्मान है (اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ) अल्ख़ (21/अम्बिया : 44)

उम्मते मुह़म्मदिया (ﷺ) के लिए तम्बीह : अल्ग़र्ज़ यह अ़ज़ाब उनके आने वालों के लिए और बाद में आने वालों के लिए एक सबक़ है और इसीलिए फ़र्माया (وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ) या'नी ''यह बाद के आने वाले परहेज़गारों के लिए इब्रत का सामान है।'' यहाँ तक कि उम्मते-मुह़म्मदिया (ﷺ) के लिए भी कि यह लोग डरते रहें कि जो अ़ज़ाब व सज़ा उन पर उनके ह़ीलों की वजह से और उनके मकर व फ़रेब से ह़राम को ह़लाल कर लेने के सबब नाज़िल हुई, अब जो ऐसा करेगा, ऐसा न हो कि वही सज़ा और वही अ़ज़ाब उन पर भी आ जाएँ। एक स़ह़ीह़ ह़दीस इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह इब्ने बत़्ह़ा (रह़.) ने वारिद की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है (لَا تَرْتَكِبُوْا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُوْدُ فَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللّٰهِ بِاَدْنَى الْحِيَلِ) या'नी ''तुम वह न करो जो यहूदियों ने किया, ह़ीलों-ह़वालों से अल्लाह के ह़राम को ह़लाल न कर लिया करो'' या'नी शरई अह़काम में ह़ीलाजूई से बचो। (शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (इरवाउल ग़लील : 5/375, 1535; ग़ायतुल मराम : 11) इस ह़दीस का बुनियादी रावी इब्ने बत़्ह बज़ाते ख़ुद सख़्त ज़ईफ़ है। लिहाज़ा यह कहना कि यह ह़दीस बिलकुल स़ह़ीह़ है और इसके सब रावी सिक़ह हैं, बिलकुल ग़लत़ है।) यह ह़दीस बिलकुल स़ह़ीह़ है और इसके सब रावी सिक़ह हैं , वल्लाहु आ'लम!

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۶۷﴾

तर्जुमा : "(हज़रत) मूसा (عليه السلام) ने जब अपनी क़ौम से कहा कि अल्लाह तआला तुम्हें एक गाय को ज़िब्ह करने का हुक्म देता है तो उन्होंने कहा, आप हमसे मज़ाक़ क्यूँ करते हो? जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह तआला की पनाह पकड़ता हूँ।" (67)

गाय ज़िब्ह करने का क़िस्सा (आयत 67) : इसका पूरा वाक़िया यह है कि, बनी इस्राईल में एक शख़्स बहुत बड़ा मालदार और तवंगर था। उसकी कोई नरीना औलाद न थी। सिर्फ़ एक लड़की थी और एक भतीजा था। भतीजे ने जब देखा कि, बूढ़ा मरता ही नहीं तो वरसा की धुन में उसे ख़्याल आया कि, क्यूँ न मैं ही इसे मार डालूँ? ताकि इसकी लड़की से निकाह भी कर लूँ और क़त्ल की तोहमत दूसरों पर रखकर दियत भी वसूल करूँ और मक़्तूल के माल का मालिक भी बन जाऊँ। इस शैतानी ख़्याल में वह पुख़्ता हो गया और एक दिन मौक़ा पाकर अपने चचा को क़त्ल कर डाला। बनी इस्राईल के भले लोग उनके झगड़ों-बखेड़ों से तंग आकर यक्सू होकर उनसे अलग एक और शहर में रहते थे। शाम को अपने क़िले का फाटक बंद कर दिया करते थे और सुबह खोलते थे। किसी मुज्रिम को अपने यहाँ घुसने भी नहीं देते थे। उस भतीजे ने अपने उस चचा की लाश को ले जाकर उस क़िले के फाटक के सामने डाल दिया और यहाँ आकर अपने चचा को ढूँढ़ने लगा। फिर दुहाई मचा दी कि मेरे चचा को किसी ने मार डाला और उन क़िला वालों पर तोहमत रखी और उनसे दियत का रुपया तलब करने लगा। उन्होंने उस क़त्ल से और उसके इल्म से बिलकुल इंकार किया। लेकिन यह सर हो गया यहाँ तक कि अपने साथियों को लेकर उनसे लड़ाई करने पर तुल गया। यह लोग आजिज़ आकर हज़रत मूसा (عليه السلام) के पास आए और वाक़िया अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! यह शख़्स ख़्वाह-मख़्वाह हम पर एक क़त्ल की तोहमत लगा रहा है हालाँकि हम बरीउज़्ज़िमा (बेगुनाह) हैं। मूसा (عليه السلام) ने अल्लाह तआला से दुआ की, वहाँ से वह्री नाज़िल हुई कि एक गाय ज़िब्ह कर लो। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह तआला के नबी! कहाँ क़ातिल की तहक़ीक़ और कहाँ आपका गाय के ज़बीहा का हुक्म? क्या आप हमसे मज़ाक़ करते हैं? मूसा (अ.) ने फ़र्माया, अऊज़ुबिल्लाह! (मसाइले शरइया के मौक़े पर) मज़ाक़ जाहिलों का काम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का हुक्म यही है। अब अगर यह लोग जाकर किसी गाय को ज़िब्ह कर देते तो काफ़ी था लेकिन उन्होंने सवालात का दरवाज़ा खोला और कहा, वह गाय कैसी होनी चाहिए? उस पर हुक्म हुआ कि वह न बहुत बुढ़िया हो न बच्ची हो, जवान उम्र की हो। उन्होंने कहा, हज़रत! ऐसी गाय तो बहुत हैं, यह बयान फ़र्माईये कि उसका रंग क्या है? वह्री उतरी कि उसका रंग बिलकुल साफ़ ज़र्दी माइल हो, हर देखने वाले की आँखों में भली लगती हो। फिर कहने लगे, हज़रत! ऐसी गायें भी बहुत हैं, कोई और मुमताज़ वस्फ़ बयान कीजिए। वह्री नाज़िल हुई कि वह कभी हल में नहीं जोती गयी, खेतों को पानी नहीं पिलाया, हर ऐ'ब से पाक हो, यक रंगी

हो, कोई दाग़ न हो। ज्यों-ज्यों वह सवालात बढ़ाते गये, हुक्म में सख़्ती आती गई। अब निकले ऐसी गाय ढूँढ़ने को वह सिर्फ़ एक लड़के के पास से मिली। यह बच्चा अपने माँ बाप का निहायत फ़र्मांबरदार था। एक मर्तबा जबकि उसका बाप सोया हुआ था और नक़दी वाली पेटी की कुँजी उसके सिराहने थी। एक सौदागर एक क़ीमती हीरा बेचता हुआ आया और कहने लगा कि, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, मैं ख़रीदूँगा। क़ीमत सत्तर हज़ार तै हुई। लड़के ने कहा, ज़रा ठहरो। जब मेरे वालिद जग जाएँगे तो मैं उनसे कुँजी (चाबी) लेकर आपको क़ीमत अदा करूँगा। उसने कहा, नहीं! अभी क़ीमत दो तो दस हज़ार कम कर देता हूँ। उसने कहा, नहीं! हज़रत मैं अपने वालिद को नहीं जगाऊँगा। आप अगर ठहर जाओ तो मैं बजाए सत्तर हज़ार के अस्सी हज़ार दूँगा। यूँ ही इधर से कमी उधर से ज़्यादती होनी शुरू होती है। यहाँ तक कि ताजिर तीस हज़ार क़ीमत लगा देता है कि अगर तुम अब जगाकर मुझे रुपया दे दो तो मैं तीस हज़ार में देता हूँ। लड़का कहता है कि अगर तुम ठहर जाओ या ठहरकर आओ जब मेरे वालिद जग जायें तो मैं तुम्हें एक लाख दूँगा। आख़िर वह नाराज़ होकर अपना हीरा वापिस लेकर चला गया। बाप की उस बुज़ुर्गी को जानने और उनकी राहत-रसानी की कोशिश करने और उनका अदबो-एहतिराम करने से परवरदिगार उस लड़के से ख़ुश हो जाता है और उसे यह गाय अ़ता फ़र्माता है। जब बनी इस्राईल उस क़िस्म की गाय ढूँढ़ने निकलते हैं तो सिवाए उस लड़के के और किसी के पास नहीं पाते। उससे कहते हैं कि इस एक गाय के बदले दो गायें ले लो। यह इंकार करता है, फिर कहते हैं कि तीन ले लो, चार ले लो, लेकिन यह राज़ी नहीं होता, दस तक कहते हैं, मगर फिर भी नहीं मानता। यह आख़िर हज़रत मूसा (عليه السلام) से शिकायत करते हैं। आप फ़र्माते हैं, जो यह मांगे, इसे राज़ी करके गाय खरीदो। आख़िर गाय के वज़न के बराबर सोना दिया गया, तब उसने अपनी गाय बेची। यह बरकत अल्लाह तआ़ला ने माँ-बाप की ख़िदमत की वजह से उसे अ़ता फ़र्माई। जबकि यह बहुत मुहताज था। उसके वालिद का इंतिक़ाल हो गया था और उसकी बेवा माँ ग़ुर्बत और तंगी के दिन बसर कर रही थी। ग़र्ज़ अब यह गाय खरीद ली गई और उसे ज़िब्ह किया गया और उसके जिस्म का एक टुकड़ा लेकर मक़्तूल के जिस्म से लगाया गया तो अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत से वह मुर्दा जी उठा, उससे पूछा गया कि तुम्हें किसने क़त्ल किया है? उसने कहा, मेरे भतीजे ने, इसलिए कि वह मेरा माल लेना चाहता है और मेरी लड़की से निकाह करना चाहता है। बस इतना कहकर वह फिर मर गया और क़ातिल का पता लग गया और बनी इस्राईल में जो जंगो-जिदाल होने वाली थी वह रुक गयी और यह फ़ित्ना दब गया। उस भतीजे को लोगों ने पकड़ लिया, उसकी अ़य्यारी और मक्कारी खुल गई और उसे उसके बदले में क़त्ल कर डाला गया। यह क़िस्सा मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से मरवी है। बज़ाहिर यह मा'लूम होता है कि, बनी इस्राईल के यहाँ का वाक़िया है जिसकी तस्दीक़ या तक्ज़ीब हम नहीं कर सकते, हाँ! रिवायत जाईज़ है तो इस आयत में यही बयान हो रहा है कि, ऐ बनी इस्राईल! मेरी उस ने'मत को भी न भूलो कि मैंने आ़दत के ख़िलाफ़ बतौर मौ'जिज़े के एक गाय के जिस्म को लगाने से एक मुर्दा को ज़िन्दा कर दिया और उस मक़्तूल ने अपने क़ातिल का पता बता दिया और एक उभरने वाला फ़ित्ना दब गया।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا
بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا
لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ
لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا
شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

तर्जुमा : ''उन्होंने कहा, ऐ मूसा (عليه السلام) दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे लिए उसकी माहियत बयान कर दे। आपने फ़र्माया, सुनो! वह गाय न तो बिलकुल बूढ़ी हो, न बच्ची। बल्कि दरम्यानी उम्र की नौजवान हो। पस अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया बजा लाओ। (68) वह फिर कहने लगे कि दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला बयान करे कि उसका रंग कैसा हो फ़र्माया, वह कहता है कि वह गाय ज़र्द रंग हो। चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला उसका रंग हो। (69) वह कहने लगे कि, अपने रब से और दुआ कीजिए कि हमें उसकी मज़ीद माहियत बताए, इस क़िस्म की गायें तो बहुत सारी हैं, पता नहीं चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएँगे। (70) आपने फ़र्माया, अल्लाह का फ़र्मान है कि वह गाय काम करने वाली, ज़मीन में हल जोतने वाली और खेतियों को पानी पिलाने वाली नहीं, वह तंदरुस्त और बेदाग़ हो। उन्होंने कहा, अब आपने हक़ वाज़ेह कर दिया। गो वह हुक्म बरदारी के क़रीब न थे लेकिन उसे माना और वह गाय ज़िब्ह कर दी।'' (71)

बनी इस्राईल की सरकशी (आयत 68-71) : बनी इस्राईल की सरकशी सरताबी और हुक्मे-इलाही में वज़ाहत का यहाँ बयान हो रहा है कि हुक्म पाते ही उस पर अमल न कर डाला, बल्कि शिक़ें (शोशे) निकालने और बार-बार सवाल करने लगे। इब्ने जुरैज (रह.) फ़र्माते हैं कि, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''हुक्म मिलते ही वह अगर किसी गाय को भी ज़िब्ह कर डालते तो काफ़ी था लेकिन उन्होंने पे-दर-पे सवालात शुरू किए और काम में सख़्ती बढ़ती गयी। यहाँ तक कि आख़िर में वह अगर इंशाअल्लाह तआला न कहते तो कभी भी यह सख़्ती न हटती और इज़्हार उन पर न होता।'' (तब्री : 1/348; यह रिवायत मुअज़ल या'नी ज़ईफ़ है) पहले सवाल के जवाब में कहा गया, न तो वह बुढ़िया हो, न बिलकुल कम उम्र हो, बल्कि दरम्यानी उम्र की हो, फिर दूसरे सवाल के जवाब में उसका रंग बयान किया गया कि वह ज़र्द रंग की हो और चमकदार रंग हो, जो देखने वाले के मन को भा जाए। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि जो ज़र्द

जूती पहने वह हर वक़्त ख़ुश व ख़ुर्रम रहेगा और इस जुम्ला से इस्तिदलाल किया है (تَسُرُّ النّٰظِرِیْنَ) (तफ़्सीर इब्ने अबी हातिम : 1/138; ह : 705; व इललुल हदीस : 2/319; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे मौज़ूअ क़रार दिया है। (सिलसिलतुज़् ज़ईफ़ : 716) और यही राजेह है।) कुछ ने कहा है कि मुराद सख़्त स्याह रंग है लेकिन अव्वल क़ौल ही सहीह है। हाँ! यह और बात है कि हम यूँ कहें कि उसकी शौख़ी और चमकीलेपन से वह मिस्ल काले रंग के लगता था। वहब बिन मुनब्बा कहते हैं, उसका रंग इस क़द्र शौख़ और गहरा था कि यह मा'लूम होता था गोया सूरज की शुआएँ उससे उठ रही हैं। तौरात में उसका रंग सुर्ख़ बयान किया गया है। लेकिन शायद यह अरबी करने वालों की ग़लती है, वल्लाहु आ'लम! चूँकि इस रंग और इस उम्र की गायें भी उन्हें बकसरत नज़र आयीं तो उन्होंने फिर कहा कि, ऐ अल्लाह के नबी! कोई और निशानी भी पूछिए ताकि शुबा मिट जाए इंशाअल्लाह! अब हमें रास्ता मिल जाएगा। अगर यह इंशाअल्लाह न कहते तो उन्हें क़यामत तक पता न चलता और अगर यह सवालात ही न करते तो इतनी सख़्ती उन पर न होती बल्कि जिस गाय को ज़िब्ह कर देते किफ़ायत हो जाती। यह मज़्मून एक मरफ़ूअ हदीस में भी है लेकिन इसकी सनद ग़रीब है। सहीह बात यही मा'लूम होती है कि यह हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का अपना कलाम है, वल्लाहु आ'लम! अब की मर्तबा उसके औसाफ़ बयान किये गये कि वह हल में नहीं जोती, पानी नहीं सींचा, उसके चमड़े पर कोई दाग़-धब्बा नहीं, यक रंगी हो, सारे बदन में कहीं दूसरा रंग नहीं, उसके हाथ-पैर और कुल आ'ज़ा बिलकुल दुरुस्त और तवाना हैं। कुछ कहते हैं कि वह गाय काम करने वाली नहीं, हाँ! खेती का काम करती है लेकिन पानी नहीं पिलाती। मगर यह क़ौल ग़लत है इसलिए कि (ज़लूल) की तफ़्सीर यह है कि वह हल नहीं जोतती और न पानी पिलाती है, न उसमें दाग़-धब्बा है। अब इतनी बड़ी कद्दो काविश (मेहनत) के बाद बड़ी मुश्किल से वह उसकी क़ुर्बानी की तरफ़ मुतवज्जह हुए। इसीलिए फ़र्माया कि, ज़िब्ह करने के क़रीब न थे और ज़िब्ह न करने के बहाने टटोलते थे, किसी ने तो कहा है इसलिए कि उन्हेंअपनी रुस्वाई का ख़याल था कि न जानें कौन क़ातिल हो। कुछ कहते हैं, उसकी क़ीमत सुनकर घबरा गये थे। लेकिन कुछ रिवायतों में आया है कि कुल तीन दीनार उसकी क़ीमत लगी थी, लेकिन यह तीन दीनार वाली और गाय के वज़न के बराबर सोने वाली दोनों रिवायतों में इस्राईली रिवायतें हैं। ठीक बात यही है कि उनका इरादा बजाआवरी हुक्म का था ही नहीं, लेकिन अब इस क़द्र वज़ाहत के बाद और क़त्ल का मुक़द्दमा होने की वजह से उन्हें यह हुक्म मानना ही पड़ा, वल्लाहु आ'लम! इस आयत से इस मसला पर भी इस्तिदलाल हो सकता है कि जानवरों को बग़ैर देखे उधार देना जाइज़ है इसलिए कि सिफ़ात का हस्र कर दिया गया कि औसाफ़ पूरे बयान कर दिए गए जैसे कि हज़रत इमाम मालिक, इमाम औज़ाई, इमाम लैस, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, और जुम्हूर उलमा (रह.) का मज़हब है, अगलों का और पिछलों का और इसकी दलील बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस भी है कि, "कोई औरत किसी और औरत के औसाफ़ इस तरह अपने शौहर के सामने बयान न करे कि, "गोया वह उसे देख रहा है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुन् निकाह, बाब ला तुबाशिरुल् मिराअतुल मिराअत...: 5240, 5241; सहीह मुस्लिम : 338 मुख़्तसर) और हदीस में नबी (ﷺ) ने दियत के ऊँटों के औसाफ़ भी बयान फ़र्माए हैं, क़त्ले ख़ता में और उस क़त्ल में जो मुशाबेह अमद के है। (अबूदाऊद, किताबुद् दियात, बाब फ़ी दियतिल ख़ता शुब्हिल् अमद : 4547; वहुव सहीह, नसाई : 4795; इब्ने माजा : 2627) हाँ! इमाम अबू हनीफ़ा और दूसरे कूफ़ी और इमाम सौरी (रह.) वग़ैरह बे'अ सलम के क़ाइल नहीं, वह कहते हैं कि जानवरों के औसाफ़ व अहवाल पूरी तरह ज़ब्त नहीं हो सकते, इसी तरह इब्ने मसऊद (رضی الله عنه), हुज़ैफ़ा बिन यमान (رضی الله عنه), और अब्दुर्रहमान बिन समुरह (رضی الله عنه) वग़ैरह से भी मन्क़ूल है।

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ۭ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝ فَقُلْنَا

اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ۭ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

तर्जुमा : ''जब तुमने एक शख़्स को क़त्ल कर डाला फिर उसमें इख़्तिलाफ़ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह तआला ज़ाहिर करने वाला था। (72) हमने कहा, उस गाय का एक टुकड़ा मक़्तूल के जिस्म पर लगा दो (वह जी उठेगा) इसी तरह अल्लाह तआला मुर्दों को ज़िन्दा करके तुम्हें तुम्हारी अक़्लमन्दी के लिए अपनी निशानियाँ दिखाता है।''(73)

(आयत 72-73) सहीह बुख़ारी में (इद्दार'तुम) के मा'नी तुमने इख़्तिलाफ़ किया के हैं। (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुहू तआला (व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही....)) मुजाहिद (रह.) वग़ैरह से भी यही मरवी है। (इब्ने अबी हातिम : 1/229) मुसय्यिब बिन राफ़ेअ (रह.) कहते हैं कि, जो शख़्स सात घरों में छुपकर भी कोई नेक अमल करेगा, अल्लाह तआला उसकी नेकी को ज़ाहिर कर देगा। इसी तरह अगर कोई सात घरों में घुसकर भी कोई बुराई करेगा, अल्लाह तआला उसे भी ज़ाहिर कर देगा। फिर यह आयत तिलावत की (وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ) यहाँ वही वाक़िया चचा-भतीजे का बयान हो रहा है जिसके सबब उन्हें ज़बीहा गाय का हुक्म हुआ था और कहा जाता है कि उसका कोई टुकड़ा लेकर मक़्तूल के जिस्म पर लगाओ, वह टुकड़ा कौनसा था? इसका बयान न तो क़ुरआन में है, न किसी सहीह हदीस में और न हमें इसके मा'लूम होने से कोई फ़ायदा है, न मा'लूम होने से कोई नुक़्सान है, सलामत रवी (भलाई) इसी में है कि जिस चीज़ का बयान नहीं, हम भी उसकी तलाश व तफ़्तीश में न पड़ें, गो कुछ ने कहा कि वह ग़ज़रूफ़ की हड्डी नर्म थी। कोई कहता है कि हड्डी नहीं, बल्कि रान का गोश्त था। कोई कहता है, दोनों शानों के दरम्यान का गोश्त था। कोई कहता है, ज़ुबान का गोश्त, कोई कहता है, दुम का गोश्त वग़ैरह। लेकिन हमारी बेहतरी इसी में है कि, जिसे अल्लाह तआला ने मुब्हम (सस्पेंस) रखा है, हम भी मुब्हम रखें। उस टुकड़े के लगते ही वह मुर्दा जी उठा और अल्लाह तआला ने उनके झगड़े का फ़ैसला भी उसी से किया और क़यामत के दिन जी उठने की दलील भी उसी को बनाया। इस सूरत में पाँच जगह मरने के बाद जीने का बयान हुआ है। एक तो आयत (ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ) (2/बक़रह : 56) में और दूसरे इस क़िस्से में और तीसरे उनके क़िस्से में, जो हज़ारों की ता'दाद में निकले थे और एक उजाड़ बस्ती पर उनका गुज़र हुआ था। चौथे हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के चार परिन्दों के मार डालने के बाद ज़िन्दा हो जाने में। पाँचवीं ज़मीन की मुर्दनी के बाद रूईदगी को मौत व ज़ीस्त से तश्बीह देने में। अबू दाऊद तयालिसी (रह.) की एक हदीस में है कि अबू रज़ीन अक़ीली (रह.) ने

आँहज़रत (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुर्दों को अल्लाह तआला किस तरह ज़िन्दा करेगा? फ़र्माया "कभी तुम उजाड़ ज़मीन पर गुजरे हो?" कहा, हाँ! फ़र्माया, "फिर कभी उसे सरसब्ज़ व शादाब भी देखा है?" कहा, हाँ! फ़र्माया "इसी तरह मौत के बाद ज़िन्दगी है।" (मुस्नद तयालिसी : 1089; व सनदुहू हसन, व अख़्ता मन ज़अ्अफ़हू) कुरआन में और जगह है (وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ) (36/यासीन : 33) यानी "उन मुंकिरीन के लिए मुर्दा ज़मीन भी एक निशानी है जिसे हम ज़िन्दा करते हैं और उसमें से दाने निकालते हैं, जिसे यह खाते हैं और जिसमें हम खजूरों और अंगूरों के बाग़ पैदा करते हैं और चारों तरफ़ नहरों की रेल-पेल कर देते हैं और वह उन फलों को मज़े-मज़े से खाते हैं, हालाँकि यह उनके हाथों का बनाया हुआ या पैदा किया हुआ नहीं। क्या फिर भी यह शुक्रगुज़ारी न करेंगे?" कोई ज़ख़्मी शख़्स अगर कहे कि फ़लाँ शख़्स ने मुझे गुस्से (बरअंगेख़्तगी) के सबब क़त्ल किया है तो उसका यह क़ौल सबूत समझा जाएगा। इस मसला पर इस आयत से इस्तिदलाल किया गया है और इमाम मालिक (रह.) केमज़हब को इससे तक़्वियत पहुँचाई गई है। इसलिए कि मक़्तूल के जी उठने के बाद उसने दरयाफ़्त करने पर जिसे क़ातिल बताया, उसे क़त्ल किया गया और मक़्तूल का क़ौल बावर किया गया।

ज़ाहिर है कि दमे आख़िर ऐसी हालत में इंसान उ़मूमन सच बोलता है और उस वक़्त उस पर तोहमत नहीं लगाई जाती। हज़रत अनस (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि, एक यहूदी ने एक लौण्डी का सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल डाला और उसके कड़े उतार ले गया, जब उसका पता नबी (ﷺ) को लगा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "उस लौण्डी से पूछो कि उसे किसने मारा है।" लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या तुझे फ़लाँ ने मारा, फ़लाँ ने मारा? वह अपने सर के इशारे से इंकार करती जाती थी यहाँ तक कि जब उसी यहूदी का नाम आया तो उसने सर के इशारे से कहा, हाँ! चुनाँचे उस यहूदी को गिरफ़्तार किया गया और उससे ब-इस़रार पूछने पर उसने इक़रार किया तो हुज़ूर (ﷺ) ने हुक्म दिया कि "इसका सर भी उसी तरह दो पत्थरों के दरम्यान कुचल दिया जाए।" (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुल ख़ुसूमात, बाब मा यज़क्करु फ़िल अश्ख़ास़ वल ख़ुसूमति बैनल मुस्लिम वल यहूद : 2413; सहीह मुस्लिम : 1672) और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक जब यह (बरअंगेख़्तगी (गुस्से) के सबब हो तो मक़्तूल के वारिसों को क़सम खिलाई जाएगी, बतौर क़सामा के लेकिन जुम्हरू इसके मुख़ालिफ़ हैं और मक़्तूल के क़ौल को इस बारे में सबूत नहीं जानते।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ
الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ
مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी सख़्त हो गए, बअ़ज़ पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बअ़ज़ फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, बअ़ज़ अल्लाह तआ़ला के डर से गिर पड़ते हैं, तुम अल्लाह तआ़ला को अपने आमाल से ग़ाफ़िल न जानो। (74)

पत्थर दिल लोग कौन हैं? (आयत : 74) : इस आयत में बनी इस्राईल को ज़जर व तौबीख़ की गई है कि इस क़द्र ज़बरदस्त मु'जिज़े और कुदरत की निशानियाँ देखकर फिर भी बहुत जल्द तुम्हारे दिल सख़्त पत्थर जैसे बन गए। इसीलिए ईमान वालों को इस तरह सख़्ती से रोका गया और कहा गया है

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (57/हदीद : 16)

यानी "क्या अब तक वह वक़्त नहीं आया कि जब ईमान वालों के दिल अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र और अल्लाह के नाज़िलकर्दा ह़क़ से काँप उठें? और अगले अहले किताब की त़रह़ न हो जाएँ जिनके दिल ज़माना गुज़रने के बाद सख़्त हो गए और उनमें के अकसर फ़ासिक़ हैं।" इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि इस मक़्तूल के भतीजे ने भी अपने चचा के दोबारा मरने के बाद उसकी तक्ज़ीब की और कहा कि उसने झूठ कहा और फिर कुछ वक़्त गुज़र जाने के बाद बनी इस्राईल के दिल भी पत्थर से भी ज़्यादा सख़्त हो गए। क्योंकि पत्थरों से तो नहरें निकलती हैं और बहने लगती हैं। कुछ पत्थर फट जाते हैं और उनसे पानी निकलता है, गो वह बहने के क़ाबिल न हो, कुछ पत्थर अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं लेकिन उनके दिल किसी वा'ज़ व नसीह़त से किसी पंद व मौइज़त से नर्म ही नहीं होते।

यहाँ से यह भी मा'लूम हुआ कि पत्थरों में इदराक और समझ है, जैसा कि इर्शादे रब्बानी है

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا
تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (17/इस्रा : 44)

यानी "सातों आसमान और ज़मीनें और उनकी तमाम मख़्लूक़ और हर-हर चीज़ अल्लाह तआ़ला की तस्बीह़ बयान करती हैं लेकिन तुम उनकी तस्बीह़ समझते नहीं, वह अल्लाह तआ़ला ह़लीम व बुर्दबारी और

बख़्शिश व अफ़ू वाला है।'' अबू अली जुबाई ने पत्थर के डर से गिर पड़ने की तावील ओलों के बरसने से की है लेकिन यह ठीक नहीं। राज़ी (रह.) भी ग़ैर दुरुस्त बताते हैं और फ़िल वाक़ेअ यह तावील सहीह भी नहीं क्योंकि इसमें दलील के बग़ैर लफ़्ज़ी मा'नी को छोड़ना लाज़िम आता है, वल्लाहु आ'लम! नहरें बह निकलना ज़्यादा रोना है, फट जाता और पानी का निकलना उससे कम रोना है, गिर पड़ना दिल से डरना है। कुछ कहते हैं, यह मजाज़न कहा गया। जैसे और जगह है (يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ) (18/कहफ़ : 77) यानी ''दीवार गिर पड़ना चाह रही थी।'' ज़ाहिर है कि यह मजाज़न है हक़ीक़तन दीवार का इरादा नही होता। राज़ी और क़ुर्तुबी (रह.) कहते हैं , ऐसी तावीलों की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह तआला जो सिफ़त जिस चीज़ में चाहे पैदा कर सकता है।

देखिए उसका फ़र्मान है (اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ) अल्ख़ (33/अहज़ाब : 72) यानी ''हमने अमानत को आसमानों ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश किया, उन्होंने उसके उठाने से मजबूरी ज़ाहिर की और डर गए।'' ऊपर आयत गुज़र चुकी कि तमाम चीज़ें अल्लाह तआला की तस्बीह बयान करती हैं। और जगह है (وَّ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ) (55/रहमान : 6) यानी ''सितारे और दरख़्त अल्लाह तआला को सज्दा करते हैं।'' और फ़र्माया (يَتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ) अल्ख़ (16/नहल : 48)। और फ़र्माया (قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ) (41/फ़ुस्सिलत : 11) यानी ''ज़मीन व आसमान ने कहा कि हम ख़ुशी-ख़ुशी हाज़िर हैं।'' और जगह है कि पहाड़ भी क़ुरआन से मुतासिर होकर डर के मारे फट जाते हैं।'' और जगह है (وَ قَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ) (41/फ़ुस्सिलत : 21) यानी ''गुनहगार लोग अपने जिस्मों से कहेंगे, तुमने हमारे ख़िलाफ़ शहादत क्यूँ दी? वह जवाब देंगे कि, हमको उस अल्लाह ने बोलने की ताक़त दी जो हर चीज़ को बोलने की ताक़त अता फ़र्माता है।'' एक सहीह हदीस में है कि उहुद पहाड़ की निस्बत रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''यह पहाड़ हमसे मुहब्बत रखता है और हम भी इससे मुहब्बत रखते हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब फ़ज़्लुल ख़िदमते फ़िल् ग़ज़्वः2889; सहीह मुस्लिम : 1392) एक और हदीस में है कि जिस खजूर के तने पर टेक लगाकर हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) जुम्आ का ख़ुत्बा पढ़ा करते थे, जब मिम्बर बना और वह तना हटा दिया गया तो वह तना फूट-फूटकर रोने लगा। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जुम्अति, बाब अल् ख़ुत्बतु अलल मिम्बर : 918) सहीह मुस्लिम की हदीस में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''मैं मक्का के उस पत्थर को पहचानता हूँ जो मेरी नबुव्वत से पहले मुझे सलाम किया करता था।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल फ़ज़ाइल, बाब फ़ज़्लु नसबिन नबी : 2277; तिर्मिज़ी : 3624) हज्रे-अस्वद के बारे में है कि जिसने इसे हक़ के साथ बोसा दिया होगा, यह उसके ईमान की गवाही क़यामत के दिन देगा। (तिर्मिज़ी, किताबुल हज्ज, बाब मा जाअ फ़िल हज्रिल् अस्वद : 961; इब्ने माजा : 2944; व हुव हसन; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह अत् तर्ग़ीब : 1144) और इस तरह की बहुत सी आयात व अहादीस हैं जिनसे साफ़ मा'लूम होता है कि इन चीज़ों में इदराक व हिस्स है और यह तमाम हक़ीक़त पर महमूल हैं न कि मजाज़न। आयत में लफ़्ज़ 'अव' के बारे में इसकी बाबत क़ुर्तुबी और राज़ी (रह.) तो कहते हैं कि यह इख़्तियार के लिए है। यानी उसके दिलों को ख़्वाह पत्थर जैसे सख़्त समझ लो, ख़्वाह उससे भी ज़्यादा सख़्त। राज़ी (रह.) ने एक वजह ये भी बयान की है कि यह इब्हाम

(सस्पेंस) के लिए है गोया मुख़ातब के सामने बावजूद एक बात का पुख़्ता इल्म होने के दो चीज़ें बतौर इब्हाम पेश की जा रही हैं। कुछ का क़ौल है कि मतलब यह है कि कुछ दिल पत्थर जैसे और कुछ उससे भी ज़्यादा सख़्त, वल्लाहु आ'लम! इस लफ़्ज़ के जो मा'नी यहाँ पर हैं, वह भी सुन लीजिए। इस पर तो इज्माअ है कि "अव शक के लिए नहीं, या तो यह मा'नी में वाव के है या'नी उनके दिल पत्थर जैसे और उससे भी ज़्यादा सख़्त हो गए। जैसे (وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا) (76/दहर : 24) में और (عُذْرًا اَوْ نُذْرًا) (77/मुर्सलात : 6) में। शायरों के अश्आर में भी 'अव' वाव के मा'नी में जमा के लिए आया है। या अव यहाँ पर मा'नी में बल या'नी बल्कि के हैं। जैसे (كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً) (4/निसाअ :77) में और (وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ) (37/साफ़्फ़ात : 147) में और (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى) (53/नज्म : 9) में कुछ का क़ौल है कि मतलब यह है कि वह पत्थर जैसे हैं या सख़्ती में तुम्हारे नज़दीक इससे भी ज़्यादा। कुछ कहते हैं, सिर्फ़ मुख़ातब पर इब्हाम डाला गया है और यह शायरों के शेअरों में भी पाया जाता है कि बावजूद पुख़्ता इल्म व यक़ीन के सिर्फ़ मुख़ातब पर इब्हाम डालने के लिए ऐसा कलाम करते हैं। कुरआने-करीम में और जगह है (وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ) (34/सबा : 24) यानी "हम या तुम साफ़ हिदायत या खुली गुमराही पर हैं" तो ज़ाहिर है कि मुसलमानों को हिदायत पर होना और कुफ़्फ़ार का गुमराही पर होना यक़ीनी चीज़ है लेकिन मुख़ातब के इब्हाम के लिए उसके सामने कलामे मुब्हम बोला गया। यह भी मतलब हो सकता है कि तुम्हारे दिल उन दो से ख़ारिज नहीं या तो वह पत्थर जैसे हैं या उससे भी ज़्यादा सख़्त, यानी कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। इस क़ौल के मुताबिक़ यह क़ौल भी है (كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا) फिर फ़र्माया (اَوْ كَصَيِّبٍ) अल्ख़ और फ़र्मान है (كَسَرَابٍ) अल्ख़। फिर फ़र्माया (اَوْ كَظُلُمٰتٍ) अल्ख़ मतलब यही है कि कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, वल्लाहु आ'लम!

तफ़्सीर इब्ने मर्दवे में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "अल्लाह तआला के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा बातें न किया करो, ऐसे कलाम की कसरत दिल को सख़्त कर देती है और सख़्त दिल वाला अल्लाह से बहुत दूर हो जाता है।" तिर्मिज़ी, किताबुज़ ज़ुहद, बाब रक़म : 61, 2411; व सनदुहू हसन; इसकी सनद में इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन हातिब सदूक़ है।) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने भी इस हदीस को बयान फ़र्माया है, इसके एक तरीक़ को ग़रीब कहा है। बज़्ज़ार में हज़रत अनस (رضی اللہ عنہ) से मरफ़ूअन रिवायत है कि चार चीज़ें बदबख़्ती और शक़ावत की हैं। अल्लाह तआला के ख़ौफ़ से आँखों से आँसू का न बहना, दिल का सख़्त होना, उम्मीदों का बढ़ जाना, लालची हो जाना। (मुस्नद बज़्ज़ार, कश्फ़ुल अस्तार : 3230; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा वलिल हदीस शवाहिद ज़ईफ़तुन; मज्मउज़्ज़वाइद : 10/226 और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। सिलसिलतुज़ ज़ईफ़ : 1522)

.....

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ
مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا
بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ
رَبِّكُمْ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۷۶﴾ اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿۷۷﴾

तर्जुमा : "(मुसलमानों!) क्या तुम्हारी ख़्वाहिश है कि यह लोग ईमानदार बन जाएँ, हालाँकि इनमें ऐसे लोग भी हैं जो कलामुल्लाह को सुनकर अक़्ल व इल्म वाले होते हुए फिर भी बदल डाला करते हैं।(75) ईमानवालों से मिलते हैं तो ईमानदारी ज़ाहिर करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि, मुसलमानों को क्यूँ वह बातें पहुँचाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाई हैं। क्या जानते नहीं कि यह तो अल्लाह के पास तुम पर उनकी हुज्जत हो जाएगी। (76) क्या यह नहीं जानते कि अल्लाह तआला इनकी पोशीदगी और ज़ाहिरदारी सबको जानता है।" (77)

कलामुल्लाह में तहरीफ़ यहूद का शेवा है (आयत 75-77) : इस गुमराह क़ौम यहूद के ईमान से अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) के सहाबा (رضی اللہ عنہم) को नाउम्मीदी दिला रहा है कि जब इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ देखते हुए अपने दिलों को सख़्त पत्थर जैसा बना लिया, अल्लाह के कलाम को सुनकर, समझकर फिर भी इसकी तहरीफ़ और तब्दीली कर डाली तो इनसे तुम क्या उम्मीद रखते हो? ठीक इस आयत की तरह और जगह फ़र्माया (فَبِمَا نَقْضِهِمْ) अल्ख़ (5/माइदा : 13) यानी "इनकी वा'दाख़िलाफ़ी की वजह से हमने इन पर ला'नत नाज़िल की और इनके दिल सख़्त कर दिए क्योंकि अल्लाह के कलाम में रद्दोबदल करते थे।" हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, यहाँ अल्लाह तआला ने कलामुल्लाह सुनने को फ़र्माया। इससे मुराद हज़रत मूसा (علیہ السلام) के सहाबियों की वह जमाअत है जिन्होंने आप (علیہ السلام) से अल्लाह तआला का कलाम अपने कानों से सुनने की दरख़्वास्त की थी और जब वह पाक-साफ़ होकर रोज़ा रखकर हज़रत मूसा (علیہ السلام) के साथ तूर पहाड़ पर जाकर सज्दा में गिर पड़े तो अल्लाह तआला ने उन्हें अपना कलाम सुनाया। जब यह वापिस आए और हज़रत मूसा (علیہ السلام) ने अल्लाह तआला का यह कलाम बनी इस्राईल में बयान करना शुरू किया तो इन लोगों ने इसकी तहरीफ़ और तब्दीली शुरू कर दी।

सुदी (रह.) फ़र्माते हैं कि इन लोगों ने तौरात में तहरीफ़ की थी, यही आम मा'नी ठीक हैं जिसमें वह लोग भी शामिल हो जाएँगे और इस बद ख़स्लत वाले दूसरे यहूदी भी। कुरआन में और जगह है (فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ) (9/तौबा : 6) या'नी "मुश्रिकों में से कोई अगर तुझसे पनाह तलब करे तो तू उसे पनाह दे यहाँ तक कि

वह कलामुल्लाह सुन ले।" तो इससे यह मुराद नहीं कि अल्लाह का कलाम अपने कानों से सुने बल्कि क़ुरआन सुने, तो यहाँ भी कलामुल्लाह से मुराद तौरात है। यह तहरीफ़ करने वाले और छुपाने वाले उनके उलमा थे। (तब्री : 2/245) आँहज़रत (ﷺ) के औसाफ़ (विशेषताएँ) उनकी किताब में थे, उन सब में उन्होंने तावीलें करके असल मतलब से दूर कर दिया था। इसी तरह हलाल को हराम, हराम को हलाल, हक़ को बातिल, बातिल को हक़ कर दिया करते थे। रिश्वतें लेने और ग़लत मसाइल बताने की आदत डाल ली थी, हाँ! कभी-कभी जब रिश्वत मिलने का इम्कान न होता, रियासत के जाने का डर न होता, मुरीदों से अलग होते तो हक़ बात भी कह दिया करते। मुसलमानों से मिलते तो कह दिया करते कि तुम्हारे नबी (ﷺ) सच्चे हैं, यह बरहक़ रसूल हैं। (ﷺ) (तब्री : 2/250) लेकिन फिर आपस में बैठकर कहते, क्यूँ अरब से यह बातें कहते हो, फिर तो यह तुम पर छा जाएँगे। अल्लाह के यहाँ भी तुम्हें ला जवाब कर देंगे। तो उनके जवाब में अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि, इन बेवक़ूफ़ों को क्या इतना इल्म नहीं कि हम तो पोशीदगी और ज़ाहिरदारी सबको जानते हैं।

एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया "मदीना में हमारे पास सिवाए ईमान वालों के और कोई न आए" तो इन काफ़िरों और यहूदियों ने कहा, जाओ! कह दो हम भी ईमान लाते हैं।" और यहाँ आए तो फिर वैसे ही रहे जैसे थे। पस यह लोग सुबह आकर ईमान का दा'वा करते थे और शाम को जाकर कुफ़्फ़ार में शामिल हो जाते थे। क़ुरआन में है (وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِیْٓ) अल्ख़ (3/आले इमरान : 72) या'नी "अहले-किताब की एक जमाअत ने कहा कि ईमानवालों पर जो उतरा है उस पर दिन के एक हिस्से में ईमान लाओ फिर दूसरे में कुफ़्र करो ताकि ख़ुद ईमान वाले भी इस दीन से फिर जाएँ।" यह लोग इस फ़रेब से यहाँ के राज़ मा'लूम करना और इन्हें अपने गिरोह को बताना चाहते थे और मुसलमानों को भी गुमराह करना चाहते थे मगर उनकी यह चालाकी न चली और यह राज़ अल्लाह तआला ने खोल दिया। जब यह यहाँ होते और अपना ईमान इस्लाम ज़ाहिर करते तो सहाबा (رضی اللہ عنہم) इनसे पूछते कि क्या तुम्हारी किताब में हुज़ूर (ﷺ) की बशारत वग़ैरह नहीं? तो वह इक़रार करते। जब अपने बड़ों के पास जाते तो वह उन्हें डाँटते और कहते, अपनी बातें इनसे कहकर क्यूँ इनके हाथों में हथियार दे रहे हो।" (तब्री : 1352; यह रिवायत मुअज़ल ज़ईफ़ है। इसकी सनद में अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद ज़ईफ़ रावी है।(अल्मीज़ान : 2/564; रक़म : 4868) मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि नबी (ﷺ) ने क़ुरैज़ा वाले दिन यहूदियों के क़िले तले खड़े होकर फ़र्माया, "ऐ बंदर और ख़िंज़ीर और ताग़ूत के आबिदों के भाईयों!" (तब्री : 1348, 1349, 1350; यह रिवायत मुर्सल (ज़ईफ़) है। देखिए (फ़िक़्हुस् सीरत, सॉद : 323) तो वह आपस में कहने लगे, यह हमारी घर की बातें उन्हें किसने बता दीं? ख़बरदार! अपनी आपस की ख़बरें उन्हें न दो वरना उन्हें अल्लाह के सामने हुज्जत हो जाएगी। अब अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि, "गो तुम छुपाओ लेकिन मुझसे तो कोई चीज़ छुप नहीं सकती, तुम यह जो चुपके-चुपके अपने गिरोह से कहते हो कि अपनी बातें उन तक न पहुँचाओ और तुम जो अपनी किताब की बातों को छुपाते हो तो तुम्हारे इस बुरे काम से मैं बख़ूबी वाक़िफ़ हूँ और तुम जो अपना ईमान ज़ाहिर करते हो, इस तुम्हारे ऐ'लान की हक़ीक़त का इल्म भी मुझे अच्छी तरह हासिल है।"

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ
لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۚ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ
ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٧٩﴾

तर्जुमा : ''इनमें से कुछ अनपढ़ ऐसे भी हैं कि जो किताब के सिर्फ़ ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ को ही जानते हैं और सिर्फ़ गुमान और अटकल ही पर हैं।(78) इन लोगों के लिए वैल (बर्बादी) है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब अल्लाह तआला की तरफ़ की कहते हैं और इस तरह दुनिया कमाते हैं। इनके हाथों की लिखाई को और इनकी कमाई को वैल और अफ़सोस है।'' (79)

लफ़्ज़ उम्मी की वज़ाहत (आयत 78,79) : उम्मी के मा'नी वह शख़्स जो अच्छी तरह लिखना न जानता हो, उम्मिय्यून इसकी जमा है। आँहज़रत (ﷺ) की सिफ़तों में से एक सिफ़त उम्मी भी आई है, इसलिए कि आप (ﷺ) भी लिखना नहीं जानते थे। क़ुरआन कहता है, (وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ) अल्ख़ (29/अनकबूत : 48) या'नी ''तू ऐ नबी! इससे पहले न तो पढ़ सकता था, न लिख सकता था, अगर ऐसा होता तो शायद इन बातिल-परस्तों के शुबा की गुंजाईश हो जाती।'' आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''हम उम्मी और अनपढ़ लोग हैं, न लिखना जानें, न हिसाब, महीना कभी इतना होता है और कभी इतना इतना।'' पहली बार तो आप (ﷺ) ने दोनों हाथों की तमाम उँगलियों को तीन बार नीचे की तरफ़ झुकाया या'नी तीस दिन का और दोबारा फिर ऐसे ही किया, लेकिन तीसरी मर्तबा में अंगूठे का हल्क़ा कर लिया या'नी उनत्तीस दिन का।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुस् सौम, बाब क़ौलुन्नबी ला नक्तुबु वला नहसिबु : 1913; सहीह मुस्लिम : 1080; अबूदाऊद, 2319; नसाई : 2142) मतलब यह है कि हमारी इबादतें और उनके वक़्त हिसाब-किताब पर मौक़ूफ़ नहीं। क़ुरआने-करीम ने और जगह फ़र्माया, ''अल्लाह तआला ने अनपढ़ों में एक रसूल उन ही में से भेजा।'' इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि इस लफ़्ज़ में अनपढ़ आदमी को माँ की तरफ़ मंसूब किया गया है। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से एक रिवायत है कि यहाँ पर उम्मी उन्हें कहा गया है जिन्होंने न तो किसी रसूल की तस्दीक़ की थी, न किसी किताब को माना था और अपनी लिखी हुई किताबों को औरों से किताबुल्लाह की तरह मनवाना चाहते थे। लेकिन अव्वल तो यह क़ौल मुहावराते अरब के ख़िलाफ़ है, दूसरा यह कि इस क़ौल की सनद ठीक नहीं। (अमानिय्य) के मा'नी बातें और अक़्वाल। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है, 'किज़्ब' 'आरज़ू' 'झूठ' बाँध लेने के मा'नी भी किए गए हैं। तिलावत और ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ के मा'नी भी मरवी हैं। जैसे क़ुरआन मजीद में और जगह है (اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰى) अल्ख़ (22/हज्ज : 52) यहाँ तिलावत के मा'नी साफ़ हैं। शुअरा के शेअरों में भी यह लफ़्ज़ तिलावत के मा'नी में है। और वह सिर्फ़ गुमान ही पर हैं यानी हक़ीक़त को नहीं जानते और नाहक़ का गुमान करते हैं और ऊट-पटांग (फ़िज़ूल) बातें बनाते हैं।

फिर यहूदियों की एक दूसरी क़िस्म का बयान हो रहा है जो पढ़े-लिखे लोग थे और अल्लाह पर झूठ बाँधते थे और मुरीदों का माल डकारते (हड़प करते) थे।

वैल क्या चीज़ है? वैल के मा'नी हलाकत और बर्बादी के हैं, और जहन्नम के गढ़े का नाम भी है जिसकी आग तेज़ है कि अगर उसमें पहाड़ डाले जाएँ तो पिघल जाएँ। इब्ने अबी ह़ातिम की एक ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जहन्नम की एक वादी का नाम वैल है जिसमें काफ़िर डाले जायेंगे, उसकी गहराई इतनी है कि मुतवातिर चालीस साल गिरते चले जाने के बाद नीचे तह तक पहुँचेंगे।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन् सूरतिल अम्बिया : 3164; इसकी सनद में दराज है जिसकी अबुल हैसम से रिवायत ज़ईफ़ होती है। देखिए (अत् तक़रीब : 1/235; रक़म : 54) लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है। और शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अत् तर्ग़ीब : 2136) लेकिन सनद के ऐ'तिबार से यह ह़दीस ग़रीब भी है, मुंकर भी और ज़ईफ़ भी। और एक ग़रीब ह़दीस में है कि ''जहन्नम के एक पहाड़ का नाम वैल है।'' यहूदियों ने तौरात की तह़रीफ़ कर दी, उसमें कमी-ज़्यादती की। आँह़ज़रत (ﷺ) का नाम निकाल डाला, इसलिए अल्लाह का ग़ज़ब उन पर नाज़िल हुआ, तौरात उठा ली गई और अल्लाह तआला ने फ़र्मा दिया कि उनके हाथों के लिखे को और उनकी कमाई को बर्बादी और हलाकत है। (त़ब्री : 1389, 1398; किनाना अ़दवी का उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान (رضي الله عنه) से लिक़ाअ (मुलाक़ात) साबित नहीं और इसके अ़लावा अ़ली बिन जरीर मज्हूल और अ़ब्दुल ह़मीद बिन जा'फ़र मुतकल्लम फ़ीह (ग़ैर भरोसेमंद) रावी है। (अल्मीज़ान : 2/539; रक़म : 4767) यह सनद ज़ईफ़ है।) वैल के मा'नी सख़्त अ़ज़ाब, सख़्त बुराई, हलाकत, अफ़सोस, दर्द, दुख, रंज व मलाल वग़ैरह के भी आते हैं। वैल, वैह़, वैस, वैह, वैक, वैब सब एक ही मा'नी में हैं, गो कुछ ने इन अल्फ़ाज़ के जुदा-जुदा मा'नी भी किए हैं। लफ़्ज़ वैल नकेरह है और नकेरह मुब्तदा नहीं बन सकता लेकिन चूँकि यह मा'नी में बद दुआ के है, इसलिए इसे मुब्तदा बना दिया गया है। कुछ लोगों ने इसे नसब देना भी जाइज़ लिखा है लेकिन वैला की क़िराअत नहीं। यहाँ पर यहूदियों के उ़लमा की मज़म्मत हो रही है कि वह अपनी बातों को अल्लाह का कलाम कहते थे और अपने गिरोह को ख़ुश करके दुनिया कमाते थे। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि तुम अहले-किताब से कुछ भी क्यूँ पूछो? अल्लाह तआला की ताज़ा किताब तुम्हारे हाथों में है, अहले-किताब ने तो किताबुल्लाह में तह़रीफ़ की। अपनी हाथ की लिखी हुई बातों को अल्लाह की त़रफ़ मंसूब करके फैलाया, फिर तुम्हें अपनी मह़फ़ूज़ किताब को छोड़कर उनकी तह़रीफ़शुदा किताब की क्या ज़रूरत? अफ़सोस! कि वह तुमसे न पूछें और तुम उनसे पूछते हो। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुश् शहादात, बाब ला युस्अलु अहलुश् शिर्क अ़निश् शहादति : 2685) थोड़े मोल से मुराद तमाम दुनिया का माल मिल जाए तो भी आख़िरत के मुक़ाबले में उसकी क़द्रो-क़ीमत कुछ नहीं। लेकिन जन्नत के मुक़ाबले में वह बेह़द ह़क़ीर चीज़ है। फिर फ़र्माया कि उनके इस काम की वजह से कि वह अपनी बातों को अल्लाह की बातों की त़रह़ लोगों से मनवाते हैं और उस पर दुनिया कमाते हैं, हलाकत और बर्बादी है।

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ
يُّخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُۥٓ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً
وَّأَحَاطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨٢﴾

तर्जुमा : ''यह लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ़ चंद रोज़ आग में रहेंगे। इनसे कहो कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह तआला का कोई परवाना है? अगर है तो यक़ीनन अल्लाह तआला अपने वा'दे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, हर्गिज़ नहीं! बल्कि तुम तो बेइल्मी से अल्लाह तआला के ज़िम्मे बातें गढ़ लिया करते हो। (80) यक़ीनन जिसने भी बुरे काम किए और उसकी नाफ़र्मानियों ने उसे घेर लिया, वह हमेशा के लिए जहन्नमी है। (81) और जो लोग ईमान लाएँ और नेक काम करें वह जन्नती हैं, जो जन्नत में हमेशा रहेंगे।'' (82)

जहन्नम का अज़ाब चालीस दिन (आयत : 80-82) : हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, यहूदी लोग कहा करते थे कि दुनिया की कुल मुद्दत सात हज़ार साल है। हर हज़ार साल के बदले एक दिन हमें अज़ाब होगा, तो सिर्फ़ सात दिन हमें जहन्नम में रहना पड़ेगा। इस क़ौल की तर्दीद में यह आयात नाज़िल हुईं। कुछ कहते हैं, यह लोग चालीस दिन अपना आग में रहना मानते थे क्योंकि यह धोखा उन्हें उससे लगा था कि वह कहते थे कि, तौरात में है कि, जहन्नम के दोनों तरफ़ ज़क़्क़ूम के दरख़्त तक चालीस साल का रास्ता है, तो वह कहते थे कि, इस मुद्दत के बाद अज़ाब उठ जाएँगे। एक रिवायत में है कि, उन्होंने हुज़ूर (ﷺ) के सामने आकर कहा कि, चालीस दिन तक तो हम जहन्नम में रहेंगे, फिर दूसरे लोग हमारी जगह आ जायेंगे, यानी आपकी उम्मत। आप (ﷺ) ने उनके सरों पर हाथ रखकर फ़र्माया, ''नहीं! बल्कि तुम ही हमेशा-हमेशा जहन्नम में पड़े रहोगे।'' इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, फ़तहे ख़ैबर के बाद हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में बतौर हदिया के बकरी का पका हुआ ज़हर-आलूद (मिला हुआ) गोश्त आया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''यहाँ के यहूदियों को जमा कर लो।'' फिर उनसे पूछा, तुम्हारा बाप कौन है?'' उन्होंने कहा, फ़लाँ है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''झूठे हो बल्कि तुम्हारा बाप फ़लाँ है?'' उन्होंने कहा, बजा इर्शाद हुआ, वही हमारा बाप है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया,

"देखो! अब मैं कुछ और पूछता हूँ, सच-सच बताना, उन्होंने कहा, ऐ अबुल-क़ासिम (ﷺ)! अगर झूठ भी कहेंगे तो आप (ﷺ) के सामने न चल सकेगा, हम तो आज़मा चुके हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "बताओ! जहन्नमी कौन हैं?" उन्होंने कहा, कुछ दिन तो हम हैं, फिर आपकी उम्मत। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "दूर हो जाओ! हर्गिज़ नहीं! फिर फ़र्माया, अच्छा बताओ, इस गोश्त में तुमने ज़हर मिलाया है?" उन्होंने कहा, हाँ! हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क्यूँ? कहा अगर सच्चे हैं तो यह ज़हर आपको हर्गिज़ नुक़्सान न देगा और अगर झूठे हैं तो हम आपसे नजात ह़ासिल कर लेंगे।(सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जिज़्या, बाब इज़ा ग़दरल मुश्रिकून बिल मुस्लिमीन : 3169, 4349, 5777) (मुस्नद अह़मद, बुख़ारी, नसाई)

जन्नती और जहन्नमी कौन? मत़लब यह है कि जिसके आ'माल सरासर बुरे हैं, जो नेकियों से ख़ाली हाथ है, वह जहन्नमी है और जो शख़्स अल्लाह और रसूल (ﷺ) पर ईमान लाए और सुन्नत के मुत़ाबिक़ अमल करे, वह जन्नती हैं। जैसे और जगह है (لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ) अल्ख़ (4/निसाअ : 123) या'नी "न तो तुम्हारे मंसूबे चल सकें और न अहले-किताब के, हर बुराई करने वाला अपनी बुराई का बदला दिया जाएगा और हर भलाई वाला अपनी नेककारी का, बुरे का कोई मददगार न होगा, और भले का कोई अमल बर्बाद न होगा, न मर्द का, न औरत का।" ह़ज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, यहाँ बुराई से मत़लब कुफ़्र है। और एक रिवायत में है कि मुराद शिर्क है। (इब्ने अबी ह़ातिम : 1/252) अबू वाइल, अबुल आलिया, मुजाहिद, इक्रिमा, ह़सन, क़तादा, रबीअ़ बिन अनस (रह़.) वग़ैरह से यही मरवी है। सुद्दी (रह़.) कहते हैं, मुराद कबीरा गुनाह हैं, जो पे-दर-पे होकर दिल को गंदा कर दें। (इब्ने अबी ह़ातिम : 1/253) ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) वग़ैरह फ़र्माते हैं, मुराद शिर्क है, जिसके दिल पर क़ाबिज़ हो जाए। रबीअ़ बिन ख़सीम का क़ौल है, जो गुनाहों पर ही मरे और तौबा नसीब न हो। मुस्नद अह़मद में हदीस है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "गुनाहों को ह़क़ीर न समझा करो, वह जमा होकर इंसान की हलाकत का सबब बन जाते हैं। देखते नहीं हो कि, अगर कई आदमी एक-एक लकड़ी ले आयें तो अंबार लग जाता है। फिर अगर उसमें आग लगाई जाए तो बड़ी-बड़ी चीज़ों को वह जलाकर राख कर देती है।" (अह़मद : 1/402, 403; ह़ : 3818; व सनदुहू ज़ईफ़, क़तादा अन्अन) फिर ईमानदारों का ह़ाल बयान फ़र्माया कि, "जो तुम ऐसे अमल नहीं करते बल्कि तुम्हारे कुफ़्र के मुक़ाबले में उनका ईमान पुख़्ता है और तुम्हारी बदआ'मालियों के मुक़ाबले में उनके पाकीज़ा आ'माल मुस्तह़कम हैं, उन्हें अब्दी राह़तें और हमेशा वाली जन्नतें मिलेंगी।" अल्लाह के अज़ाब और सवाब दोनों पायदार हैं।"

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۭ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٣﴾

तर्जुमा : ''और जब हमने बनी इस्राईल से वा'दा लिया कि तुम अल्लाह तआ़ला के सिवा दूसरे की इबादत न करना और माँ-बाप के साथ भला सुलूक करना, इसी तरह क़राबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ भी और लोगों को अच्छी बातें कहना, नमाज़ें क़ायम रखना, और ज़कात देते रहना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुँह फेर लिया।'' (83)

सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही इबादत के लायक़ है (आयत 83) : बनी इस्राईल को जो अह़काम दिए गए और उनसे जिन चीज़ों पर अ़हद लिया गया, उनका बयान हो रहा है और उनकी अ़हद-शिकनी का ज़िक्र हो रहा है। उन्हें हुक्म दिया था, वह तौहीद को तस्लीम करें, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत न करें। न सिर्फ़ बनी इस्राईल को बल्कि तमाम मख़्लूक़ को यही हुक्म हुआ है। फ़र्मान है (وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ) (21/अम्बिया : 25) या'नी ''और तमाम रसूलों को हमने यही हुक्म दिया कि वह ए'लान कर दें कि क़ाबिले इबादत मेरे सिवा और कोई नहीं, सब लोग मेरी ही इबादत किया करें।'' और फ़र्माया (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ) (16/नह़्ल : 36) या'नी ''हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि अल्लाह तआ़ला ही की इबादत करो और उसके सिवा दूसरे मा'बूदाने बात़िल से बचो।'' सबसे बड़ा ह़क़ अल्लाह तआ़ला ही का है और उसके तमाम हुक़ूक़ में बड़ा ह़क़ यही है कि उसी की इबादत की जाए और दूसरे किसी की इबादत न की जाए। फिर हुक़ूक़ुल्लाह के बाद हुक़ूक़ुल इबाद का बयान हो रहा है।

वालिदेन के साथ हुस्न-सुलूक का हुक्म : बन्दों के हुक़ूक़ में माँ-बाप का ह़क़ चूँकि बहुत बड़ा है, इसीलिए पहले उनका ह़क़ बयान हुआ। और जगह इर्शाद है (اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ) (31/लुक़्मान : 14) या'नी ''मेरा शुक्र कर और अपने माँ-बाप का भी एह़सान मान।'' और जगह फ़र्माया (وَ قَضٰى رَبُّكَ) अल्ख़ (17/इस्रा : 23) या'नी ''तेरे रब का यह फ़ैसला है कि उसके सिवा दूसरे की इबादत न करो और माँ-बाप के साथ एह़सान और अच्छा सुलूक करते रहो।'' बुख़ारी व मुस्लिम में है कि, ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضی اللہ عنہ) ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसा अ़मल सबसे अफ़ज़ल है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''नमाज़ को वक़्त पर पढ़ना'' पूछा इसके बाद? फ़र्माया ''माँ-बाप के साथ हुस्न सलूक और एह़सान करना।'' पूछा फिर कौनसा? फ़र्माया ''अल्लाह की राह में जिहाद करना।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब अल बिर्रु वस़्स़िलह् : 5970, 527, 7534; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 252; तिर्मिज़ी : 173, 1898; नसाई : 211) एक

और सहीह हदीस में है, किसी ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! मैं किसके साथ सुलूक और भलाई करूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अपनी माँ के साथ।" तो पूछा फिर किसके साथ? फ़र्माया "अपनी माँ के साथ।" पूछा फिर किसके साथ? फर्माया "अपने बाप के साथ, फिर और क़रीब वाले के साथ, फिर और क़रीब वाले के साथ।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब मन अहक़्क़ुन् नास बिहुस्निस् सुहबति : 5971; सहीह मुस्लिम : 2548)

हर एक के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म : आयत में (ला ता'बुदून) फ़र्माया, इसलिए कि इसमें बनिस्बत (ला ता'बुदू के मुबालग़ा ज़्यादा है। यह ख़बर है, मा'नी में तलब के। कुछ लोगों ने (अन् ला ता'बुदू) भी पढ़ा है। उबय और इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से भी यह मरवी है कि वह (ला ता'बुदू) पढ़ते थे। यतीम उन छोटे बच्चों को कहते हैं, जिनका सरपरस्त बाप न हो। मिस्कीन उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी और अपने बाल-बच्चों की परवरिश और दीगर ज़रूरियात पूरी तरह मुहय्या न कर सकते हों। इसकी मज़ीद तशरीह इंशाअल्लाह! सूरह निसाअ की इस मा'नी की आयत में आएगी। फिर फ़र्माया, लोगों को अच्छी बातें कहा करो। या'नी उनके साथ नर्म कलामी और कुशादा-पेशानी के साथ पेश आया करो। भली बातों का हुक्म दो, बुराई से रोको। हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, बुर्दबारी, दरगुज़र और ख़ताओं की मा'फ़ी को अपना शेवा बना लो। यही अच्छा ख़ल्क़ (व्यवहार) है, जिसे इख़्तियार करना चाहिए। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "अच्छी चीज़ को हक़ीर न समझो, अगर और कुछ न हो सके तो अपने भाईयों से हंसते हुए चेहरे से मुलाक़ात ही कर लिया करो।" (अहमद : 21008; सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिलह, बाब इस्तिहबाब तलाक़तुल वज्ह इन्दल लिक़ाइ : 2626; तिर्मिज़ी : 1833)

पस क़ुरआने-करीम में अल्लाह तआला ने पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया, फिर लोगों के साथ भलाई करने का, फिर अच्छी बातें कहने का, फिर कुछ अहम चीज़ों का ज़िक्र भी कर दिया कि नमाज़ पढ़ो, ज़कात दो। फिर ख़बर दी कि उन लोगों ने वा'दाख़िलाफ़ी की और उमूमन नाफ़र्मान बन गए, मगर थोड़े से अपने वा'दे पर क़ायम रहे। इस उम्मत को भी यही हुक्म दिया गया। फ़र्माया (وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا) अल्ख़ (4/निसाअ : 36) या'नी "अल्लाह तआला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, माँ बाप के साथ रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ, क़राबतदारों, पड़ोसियों के साथ, अजनबी पड़ोसियों के साथ, साथ वालों के साथ, मुसाफ़िरों के साथ, लौण्डी-गुलामों के साथ, हुस्न-सुलूक, एहसान और भलाई किया करो। याद रखो! तकब्बुर और फ़ख़्र करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता।" अल्हम्दु लिल्लाह! कि यह उम्मत बनिस्बत दूसरी उम्मतों के इन फ़र्मानों के मानने में और इन पर अमल करने में ज़्यादा मज़बूत साबित हुई। असद बिन वदाआ से मरवी है कि, वह यहूदियों और नसरानियों को सलाम किया करते थे और दलील यह देते थे कि फ़र्माने बारी तआला है। (وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا) (2/बक़रह : 83) लेकिन यह असर ग़रीब है और हदीस के ख़िलाफ़ है। हदीस में साफ़ मौजूद है कि यहूद व नसारा को इब्तिदाअन सलाम न किया करो। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलाम, बाब अन् नही अन इब्तिदाइ अहलिल किताब बिस्सलाम : 2167) वल्लाहु आ'लम!

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا
مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ
تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾

तर्जुमा : ''और जब हमने तुमसे वा'दा लिया कि आपस मे क़त्ल न करना और आपस वालों को जिलावतन न करना, तुमने इसका इक़रार किया और तुम इसके गवाह बने। (84) लेकिन फिर भी तुमने आपस में क़त्ल किया और आपस के एक फ़िर्क़े को जिला-वतन भी किया और गुनाह और ज़्यादती के कामों में उनके ख़िलाफ़ दूसरों की तरफ़दारी की, हाँ! जब वह क़ैदी बनकर तुम्हारे पास आए तो तुमने उनके फ़िदये दिए, लेकिन उनका निकालना जो तुम पर हराम था (इसका कुछ ख़याल न किया) क्या कुछ अहकाम पर ईमान रखते हो और कुछ के साथ इंकार करते हो? तुममें से जो भी ऐसा करेगा, उसकी सज़ा इसके सिवा क्या हो कि दुनिया में रुस्वाई और क़यामत के दिन सख़्त अ़ज़ाबों की मार और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे आ'माल से बेख़बर नहीं।(85) यह वह लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िन्दगी को आख़िरत के बदले मौल लिया है। इनसे न तो अ़ज़ाब हल्के होंगे और न इनकी मदद की जाएगी।'' (86)

अल्लाह तआ़ला के कुछ अहकामात को मानना और कुछ को छोड़ना कैसा है?(आयत 84-86): औस और ख़ज़रज, अंसारे मदीना के दो क़बीले थे। इस्लाम से पहले इन दोनों क़बीलों का आपस में कभी इत्तिफ़ाक़ न होता था। हमेशा आपस में जंगो-जिदाल रहता था। मदीना के यहूदियों के तीन क़बीले थे। बनू क़ेनुक़ाअ, बनू नज़ीर, बनू क़ुरैज़ा। बनू क़ेनुक़ाअ और बनू नज़ीर तो ख़ज़रज के तरफ़दार और उनके भाईबंद बने हुए थे और बनू क़ुरैज़ा का भाईचारा बनू औस के साथ था। औस और ख़ज़रज में जब कभी जंग होती तो यहूदियों के यह तीनों गिरोह भी अपने-अपने हलीफ़ का साथ देते और उनसे मिलकर उनके दुश्मन से लड़ते।

दोनों तरफ़ के यहूदी यहूदियों के हाथ से मारे भी जाते और मौक़ा पाकर एक दूसरे के घरों को भी उजाड़ डालते और जिलावतन भी कर दिया करते थे और माल व दौलत पर भी क़ब्ज़ा कर लिया करते थे। जब लड़ाई मौक़ूफ़ होती तो फ़रीक़े मग़्लूब के क़ैदियों को फ़िदया देकर छुड़ा लेते और कहते कि हमें अल्लाह तआला का हुक्म है कि हममें से जब कोई क़ैद हो जाए तो हम फ़िदया देकर छुड़ा लें। इस पर अल्लाह तआला फ़र्माता है कि, इसकी क्या वजह है कि मेरे इस हुक्म को तुमने मान लिया, लेकिन मैंने कहा था कि आपस में किसी को क़त्ल न करो, न घरों से निकालो, इसे क्यूँ नहीं मानते? किसी हुक्म पर तो ईमान लाना और किसी के साथ कुफ़्र करना। यह कहाँ की ईमानदारी है? आयत में फ़र्माया कि, अपने ख़ून न बहाओ और अपने आपको अपने घरों से न निकालो, यह इसलिए कि हम मज़हब सारे के सारे मानिन्द एक जान के हैं।

यह हदीस में भी है कि, "तमाम ईमानदार दोस्ती, सिलह-रहमी और रहमो-करम में मिस्ल एक ज़िस्म के हैं। किसी एक हिस्से के दर्द से तमाम जिस्म बेताब हो जाता है, बुख़ार चढ़ जाता है, रातों की नींद उचाट हो जाती है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब रहमतुन्नास वल बहाइम : 6011; सहीह मुस्लिम : 2586) इसी तरह एक अदना मुस्लिम के लिए सारे जहान के मुसलमानों को तड़प उठना चाहिए।

अब्दे ख़ैर (रह.) कहते हैं, हम सलमान बिन रबीआ (رضي الله عنه) की मातहती में बलन्जर में जिहाद कर रहे थे। मुहासिरे के बाद हमने उस शहर को फ़तह कर लिया। जिसमें बहुत से क़ैदी भी मिले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (رضي الله عنه) ने उनमें से एक यहूदिया लौण्डी को सात सौ में ख़रीदा। रा'सुल जालूत के पास जब हम पहुँचे तो अब्दुल्लाह बिन सलाम (رضي الله عنه) उसके पास गए और फ़र्माया, यह लौण्डी तेरी हम मज़हब है, मैंने इसे सात सौ में ख़रीदा है। अब तुम इसे मुझसे ख़रीद लो और आज़ाद कर दो, उसने कहा, बहुत अच्छा! मैं चौदह सौ देता हूँ। आपने फ़र्माया, मैं तो चार हज़ार से कम में नहीं बेचूँगा। उसने कहा, फिर मैं नहीं ख़रीदता। आपने कहा, सुन! या तो तू इसे ख़रीद, वरना तेरा दीन जाता रहेगा। तौरात में लिखा हुआ है कि बनी इस्राईल का कोई भी शख़्स गिरफ़्तार हो जाए तो उसे ख़रीदकर आज़ाद किया करो। अगर वह क़ैदी होकर तुम्हारे पास आएँ तो फ़िदया देकर छुड़ा लिया करो और उन्हें उनके घरों से बेघर भी न किया करो। अब या तो तौरात को मानकर तू इसे ख़रीद या तौरात का मुंकिर बन। वह समझ गया और कहने लगा, ऐसा मा'लूम होता है कि तुम शायद अब्दुल्लाह बिन सलाम हो? आपने फ़र्माया, हाँ! चुनाँचे वह चार हज़ार ले आया। आपने दो हज़ार ले लिए और दो हज़ार लौटा दिए।

कुछ रिवायात में है कि "रा'सुल जालूत कूफ़ा में था, यह उन लौण्डियों का फ़िदया नहीं देता था जो अरब से न बची हों।" इस पर हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने उसे तौरात की यह आयत सुनाई। ग़र्ज़ इस आयत में यहूदियों की मज़म्मत है कि वह अहकामे-रब्बानी को जानते हुए फिर भी पसे-पुश्त डाल दिया करते थे। अमानतदारी और ईमानदारी उनसे उठ चुकी थी। नबी (ﷺ) की सिफ़ात, आप (ﷺ) की निशानियाँ, आप (ﷺ) की नबुव्वत की तस्दीक़, आपकी जाये-पैदाइश, जाये-हिज्रत वग़ैरह सब चीज़ें उनकी किताब में मौजूद थीं लेकिन यह उन सबको छुपाए हुए थे और इतना ही नहीं, बल्कि हुज़ूर (ﷺ) की मुख़ालिफ़त करते थे। इसी सबब उन पर दुनियावी रुस्वाई आई और कम न होने वाले और हमेशगी वाले आख़िरत के अज़ाब भी।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿۸۷﴾

तर्जुमा : ''हमने (हज़रत) मूसा (عليه السلام) को किताब दी और उनके बाद और रसूल भी भेजे। और हमने (हज़रत) ईसा बिन मरयम (عليه السلام) को रोशन दलीलें दीं और रूहुल-क़ुदुस से इसकी ताईद कराई। लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वह चीज़ लाए जो तुम्हारी तबीयतों के ख़िलाफ़ थी, तुमने झट से तकब्बुर किया, कुछ को तो झुठला दिया और कुछ को क़त्ल भी कर डाला।'' (87)

अम्बिया (عليهم السلام) के साथ बनी इस्राईल का सुलूक (आयत 87) : बनी इस्राईल के इनाद व तकब्बुर और उनकी ख़्वाहिश-परस्ती का बयान हो रहा है कि तौरात की तहरीफ़ व तब्दीली की, हज़रत मूसा (عليه السلام) के बाद उन ही की शरीअत पर आने वाले अम्बिया (عليهم السلام) आए, उनकी भी मुख़ालिफ़त की। चुनाँचे फ़र्माया (اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ) अलख़ (5/माइदा : 44) या'नी ''हमने तौरात नाज़िल फ़र्माई जिसमें हिदायत थी और नूर था, जिस पर अम्बिया ख़ुद भी अमल करते और यहूदियों को हुक्म देते रहे। उनके उलमा और दरवेश भी उसके मानने का हुक्म करते थे।'' अल्ग़र्ज़ पे-दर-पे, यके-बाद-दीगरे अम्बिया-ए-किराम बनी इस्राईल में आते रहे, यहाँ तक कि हज़रत ईसा (عليه السلام) पर ख़त्म हुआ। उन्हें इंजील मिली, जिसमें कुछ अहकाम तौरात के ख़िलाफ़ भी थे, इसीलिए उन्हें नए मु'जिज़ात भी मिले, जैसे मुर्दों को अल्लाह तआला के हुक्म से ज़िन्दा कर देना, मिट्टी से परिन्द बनाकर उसमें फूँक मारकर अल्लाह तआला के हुक्म से उड़ा देना, बीमारों को अपने दम झाड़ से अल्लाह के हुक्म से अच्छा कर देना, कुछ ग़ैब की ख़बरें (अल्लाह के मा'लूम कराने से) देना वग़ैरह, फिर आपकी ताईद पर रूहुल-क़ुदुस या'नी हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) को लगा दिया।

लेकिन बनी इस्राईल अपनी तक्ज़ीब और कुफ़्र व तकब्बुर में और बढ़ गए और ज़्यादा हसद करने लगे और उन तमाम अम्बिया-ए-किराम (عليهم السلام) के साथ बुरे सुलूक से पेश आए। कहीं झुठलाते थे, कहीं मार डालते थे। महज़ इस बिना पर कि अम्बिया (عليهم السلام) की ता'लीम उनकी तबीयतों के ख़िलाफ़ हुआ करती थी। इनकी राय और इनके क़यासात और इनके बनाए हुए उसूल व अहकाम इसकी क़बूलियत से रोकने वाले होते थे। इसलिए दुश्मनी पर उतर आते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنهم), मुहम्मद बिन कअब, इस्माईल बिन ख़ालिद, सुदी, रबीअ बिन अनस, अतिया ऊफ़ी और क़तादा (रह.) वग़ैरह का क़ौल यही है कि रूहुल-क़ुदुस से मुराद हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) हैं। जैसे कुरआन-करीम में और जगह है (نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ) अलख़ (26/शुअरा : 193) या'नी ''इसे

लेकर रूह़ अमीन उतरते हैं।'' सह़ीह़ बुख़ारी में ता'लीक़न मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ह़स्सान बिन साबित (رضي الله عنه) शायर के लिए मस्जिद में मिम्बर रखवाया, वह मुश्रिकीन की हिजू का जवाब देते थे और आप (ﷺ) उनके लिए दुआ किया करते थे कि ''ऐ अल्लाह! ह़स्सान की मदद रूहुल-कुदुस सेकर, जैसे कि यह तेरे नबी (ﷺ) की त़रफ़ से जवाब देते हैं।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मा जाअ फ़िश्शेअर : 5015; व सनदुहू ह़सन तिर्मिज़ी : 2846; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने भी इसे सह़ीह़ क़रार दिया है। (सिलसिलतुस्सह़ीह़ : 1657) इस मा'नी की ह़दीस सह़ीह़ बुख़ारी:6150; सह़ीह़ मुस्लिम:2489 में मौजूद है।) सह़ीह़ की एक और ह़दीस में है कि ह़ज़रत ह़स्सान (رضي الله عنه) ख़िलाफ़ते-फ़ारूक़ी के ज़माने में एक मर्तबा मस्जिदे-नबवी (ﷺ) में कुछ अश्आर पढ़ रहे थे। ह़ज़रत उमर (رضي الله عنه) ने आपकी त़रफ़ तेज़ निगाहें उठाईं तो आप (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, मैं तो उस वक़्त भी इन शेअरों को यहाँ पढ़ता था जब यहाँ तुमसे बेहतर शख़्स मौजूद थे। फिर ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) की त़रफ़ देखकर फ़र्माया, ''अबू हुरैरह! तुम्हें अल्लाह की क़सम! क्या तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह फ़र्माते नहीं सुना कि ''ह़स्सान! तू मुश्रिकों के अश्आर का जवाब दे, ऐ अल्लाह! तू ह़स्सान की ताईद रूहुल-कुदुस से कर।'' ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, हाँ! अल्लाह की क़सम! मैंने हुज़ूर (ﷺ) से यह सुना है।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब ज़िक्रुल मलाइका सलवातुल्लाहि अ़लयहिम : 3212; व उन्ज़ुर : 453, 2152; सह़ीह़ मुस्लिम : 2485)

कुछ रिवायात में यह भी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ह़स्सान! तुम इन मुश्रिकों की हिजू करो, जिब्रईल (عليه السلام) तुम्हारे साथ हैं।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब ज़िक्रुल मलाइका सल्वातुल्लाहि अ़लयहिम : 3213; सह़ीह़ मुस्लिम : 2482) ह़ज़रत ह़स्सान (رضي الله عنه) के शेअ़र में भी जिब्रईल (عليه السلام) को रूहुल-कुदुस कहा गया है। एक और ह़दीस में है कि जब यहूदियों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से रूह़ की बाबत पूछा तो आपने फ़र्माया, ''तुम्हें अल्लाह की क़सम! अल्लाह की ने'मतों को याद करके कहो, क्या ख़ुद तुम्हें मा'लूम नहीं कि वह जिब्राईल (عليه السلام) हैं और वही मेरे पास भी वह़ी लाते हैं।'' उन सबने कहा, हाँ! बेशक। (त़ब्री : 1492; मुर्सलन ज़ईफ़ है।) (इब्ने इस्ह़ाक़)। इब्ने ह़िब्बान में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''जिब्राईल (عليه السلام) ने मेरे दिल में कहा कि कोई शख़्स अपनी रोज़ी और ज़िन्दगी पूरी किए बग़ैर नहीं मरता। अल्लाह तआ़ला से डरते रहो और दुनिया कमाने में दीन का ख़्याल रखो।'' (इब्ने माजा : 2144; व सह़ीह़ इब्ने ह़िब्बान (अल्मवारिद : 1084, 1085) व हुव सह़ीह़। कुछ ने रूहुल-कुदुस से मुराद इस्मे-आ'ज़म लिया है। कुछ ने कहा है, फ़रिश्तों का एक सरदार फ़रिश्ता। कुछ कहते हैं, कुदुस से मुराद अल्लाह तआ़ला और रूह़ से मुराद जिब्राईल (عليه السلام) है। किसी ने कहा है, कुदुस या'नी बरकत, किसी ने कहा, पाक, किसी ने कहा है, रूह़ से मुराद इंजील है। जैसे फ़र्माया (وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا) (42/शूरा : 52) या'नी ''इसी त़रह़ हमने तेरी त़रफ़ रूह़ की वह़ी अपने हुक्म से की।'' इमाम इब्ने जरीर (रह़.) का फ़ैसला यही है कि यहाँ मुराद रूहुल-कुदुस से ह़ज़रत जिब्राईल (عليه السلام) हैं। जैसे और जगह है (اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ) अल्ख़ (5/माइदा : 110) इस आयत में रूहुल-कुदुस की ताईद के ज़िक्र के साथ किताब व ह़िक्मत, तौरात व इंजील के सिखाने का बयान भी है। मा'लूम हुआ कि यह और चीज़ है और वह और चीज़ और रवानी इ़बारत भी इसकी

ताईद करती है। क़ुदुस से मुराद मुक़द्दस है, जैसे ह़ातिमुन जूदुन और रजुलुन सिदक़ुन में। रूहुल-क़ुदुस कहने में और रूहुम् मिन्हु कहने में क़ुर्बत और बुज़ुर्गी की एक ख़ुसूसियत पाई जाती है, इसलिए भी कहा गया है। कुछ मुफ़स्सिरीन ने इससे मुराद ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) की रूह़ ली है क्योंकि उनकी रूह़ इंसानी पीठ वग़ैरह से पाक-स़ाफ़ और अलग-थलग रही थी। फिर फ़र्माया कि, एक फ़िर्क़े को तुमने झुठलाया और एक फ़िर्क़ा को क़त्ल करते हो। झुठलाने में माज़ी का स़ेग़ा लाए लेकिन क़त्ल में मुस्तक़्बिल का। इसलिए कि उन लोगों की ह़ालत आयत के नुज़ूल के बाद भी यही रही। चुनाँचे हुज़ूर (ﷺ) ने अपने मर्ज़ुल मौत में फ़र्माया, ''कि उस ज़हर आलूद लुक़्मे का असर बराबर मुझ पर रहा जो मैंने ख़ैबर में खाया था और इस वक़्त तो उसने रग काट दी।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी : 4228; ता'लीक़न और शैख़ अल्बानी (रह़.) ने भी इसे स़ह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (स़ह़ीहुल जामेअ़ : 5629)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

तर्जुमा : ''यह कहते हैं कि हमारे दिल ग़िलाफ़ वाले हैं, नहीं! नहीं! बल्कि इनके कुफ़्र की वजह से इन्हें अल्लाह तआला ने मल्ऊन कर दिया है, इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है।'' (88)

गुल्फ़ (ग़िलाफ़) के मआनी और मफ़्हूम (आयत 88) : यहूदियों का एक क़ौल यह भी था कि हमारे दिलों पर ग़िलाफ़ हैं। या'नी यह इल्म से भरपूर हैं, अब हमें नए इल्म की ज़रूरत नहीं। (क़ुर्तुबी : 2/25) इसलिए जवाब मिला कि यूँ नहीं बल्कि अल्लाह की ला'नत की मुहर लग गई है, ईमान नस़ीब ही नहीं होता। गुल्फ़ुन को गुलुफ़ुन भी पढ़ा गया है, या'नी यह इल्म के बर्तन हैं। और जगह क़ुरआन-करीम में है (وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ) अल्ख़ (41/फ़ुस्सिलत : 5) या'नी ''जिस चीज़ की त़रफ़ तुम हमें बुलाते हो, उस चीज़ से हमारे दिल पर्दे और आड़ में हैं, उन पर मुहर लगी हुई है, वह इसे नहीं समझते और न इसकी त़रफ़ माइल होते हैं, न इसे याद रखते हैं।'' एक ह़दीस में भी है कि, ''कुछ दिल वाले होते हैं जिन पर ग़ज़बे-इलाही होता है, यह दिल कुफ़्फ़ार के होते हैं।'' (अह़मद : 3/17; इसकी सनद में लैस बिन अबी सुलैम मुख़्तलत़ (अत्तक़्रीब : 21/138) अबुल बख़्तरी का अबू सईद से सिमाअ़ साबित नहीं है। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) सूरह निसाअ में भी एक आयत इसी मा'नी की है (وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ) अल्ख़ (4/निसाअ : 155) थोड़ा ईमान लाने के एक मा'नी तो यह हैं कि उनमें से बहुत कम लोग ईमानदार हैं और दूसरे मा'नी यह भी है कि उनका ईमान बहुत कम है। या'नी क़यामत, सवाब, अ़ज़ाब वग़ैरह के क़ाइल। ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) पर ईमान रखने वाले, तौरात को किताबुल्लाह मानते हैं। मगर इस पैग़म्बर आख़िरुज़्ज़मान (ﷺ) को मानकर अपना ईमान पूरा नहीं करते। बल्कि आप (ﷺ) के साथ कुफ़्र करके इस थोड़े ईमान को भी ग़ारत और बर्बाद कर देते हैं। तीसरे मा'नी यह हैं कि यह सिरे से बेईमान हैं क्योंकि अ़रबी ज़ुबान में ऐसे मौक़े पर बिलकुल न होने की स़ूरत में भी ऐसे अल्फ़ाज़ बोले जाते हैं। मस्लन मैंने इस जैसा बहुत ही कम देखा, मत़लब यह है कि देखा ही नहीं, वल्लाहु अ़ा'लम!

وَلَمَّا جَآءَهُمۡ كِتَٰبٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٞ لِّمَا مَعَهُمۡ وَكَانُواْ مِن قَبۡلُ يَسۡتَفۡتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦۚ فَلَعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ۝٨٩

तर्जुमा : "इनके पास जब अल्लाह तआला की किताब उनकी किताब को सच्चा करने वाली आई जिसके पहले यह ख़ुद उसके साथ काफ़िरों पर फ़तह चाहते थे, तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के फिर कुफ़्र करने लगे, अल्लाह तआला की ला'नत हो काफ़िरों पर।" (89)

यहूद का इंकार हसद की वजह से था (आयत 89) : जब कभी यहूदियों और अ़रब के मुश्रिकीन के दरम्यान लड़ाई होती तो यहूद कहा करते थे कि अ़न्क़रीब अल्लाह की सच्ची किताब लेकर अल्लाह के अ़ज़ीमुश्शान पैग़म्बर तशरीफ़ लाने वाले हैं। हम उनके साथ होकर तुम्हें ऐसा क़त्ल व ग़ारत करेंगे कि तुम्हारा नामो-निशान मिटा देंगे। अल्लाह तआ़ला से दुआएँ किया करते थे कि, ऐ अल्लाह! तू उस नबी को जल्द भेज, जिसकी सिफ़ात हम तौरात में पाते हैं ताकि हम उन पर ईमान लाकर उनके साथ होकर अपना बाज़ू मज़बूत करके तेरे दुश्मन से इंतिक़ाम लें। मुश्रिकों से कहा करते थे कि, उस नबी का ज़माना अब बिलकुल क़रीब आ गया है। लेकिन जिस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) मब्ऊस हुए, तमाम निशानियाँ आपमें देख लीं, पहचान लिया, दिल से क़ाइल हो गए, मगर चूँकि आप अ़रब में से थे, हसद करके आपकी नबुव्वत का इंकार कर दिया और अल्लाह तआ़ला की ला'नत में आ गए। बल्कि वह मुश्रिकीने-मदीना जो उनसे यह सुनते चले आते थे, उन्हें ईमान नसीब हुआ और बिल आख़िर हुज़ूर (ﷺ) के साथ होकर वह यहूद पर ग़ालिब आ गए। (सहीह इब्ने-हिब्बान, अल-मवारिद : 2107 ; व सनद हसन। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह सीरतुन-नबविया, पेज 75)

एक मर्तबा हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत बिश्र बिन बराअ, हज़रत दाऊद बिन सलमा (رضي الله عنهم) ने उन मदीना के यहूद से कहा भी कि, तुम तो हमारी शिर्क की हालत में हमसे हुज़ूर (ﷺ) की नबुव्वत का ज़िक्र किया करते थे, बल्कि हमें डराया करते थे और जो औसाफ़ तुम आपके बयान करते थे, वह तमाम औसाफ़ आप (ﷺ) में मौजूद हैं। फिर तुम ख़ुद ईमान क्यूँ नहीं लाते? आप (ﷺ) का साथ क्यूँ नहीं देते? तो सलाम बिन मिश्कम ने जवाब दिया कि, हम इनके बारे में नहीं कहते थे। (तब्री : 2/333) इसी का ज़िक्र इस आयत में है कि, पहले से मानते थे, मुंतज़िर थे, लेकिन आने के बाद हसद और तकब्बुर से अपनी रियासत के खोए जाने के ख़याल से साफ़ इंकार कर बैठे। (इब्ने अबी हातिम : 1/276)

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ
مُّهِيْنٌ ﴿۹۰﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۤ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۭ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ
اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۹۱﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ
الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۹۲﴾

तर्जुमा : ''बहुत बुरी है वह चीज़ जिसके बदले इन्होंने अपने आपको बेच डाला, वह इनका कुफ्र करना है, अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िल-शुदा चीज़ के साथ महज़ इस बात से जलकर कि अल्लाह ने अपना फ़ज़ल अपने जिस बन्दे पर चाहा, नाज़िल फ़र्माया, इस वजह से यह लोग ग़ज़ब पर ग़ज़ब के मुस्तहिक़ हो गए, और इन काफ़िरों के लिए रुस्वा करने वाले अज़ाब हैं।(90) और जब इनसे कहा जाता है कि, अल्लाह की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ, तो कह देते हैं, जो हम पर उतारी गई, उस पर हमारा ईमान है। हालाँकि उसके बाद वाली के साथ जो उनकी किताब की तस्दीक़ करने वाली है, कुफ्र करते हैं। अच्छा! इनसे यह तो पूछो कि, अगर तुम्हारा ईमान पहली किताबों पर है तो फिर तुमने पहले अम्बिया को क्यूँ क़त्ल किया? (91) तुम्हारे पास तो मूसा (عليه السلام) यह दलीलें लेकर आए, लेकिन तुमने फिर भी बछड़ा पूजा, तुम हो ही ज़ालिम।'' (92)

यहूदियों के हसद और तकब्बुर की सज़ा (आयत 90-92) : मतलब यह है कि इन यहूदियों ने जो हुज़ूर (ﷺ) की तस्दीक़ के बदले में तक्ज़ीब की और आप (ﷺ) पर ईमान लाने के बदले कुफ्र किया और आप (ﷺ) की नुसरत व इमदाद की बजाए मुख़ालिफ़त व दुश्मनी की और उससे अपने आपको जिस ग़ज़बे-इलाही का सज़ावार बनाया, यह बदतरीन चीज़ है, जो बेहतरीन चीज़ के बदले इन्होंने ली और इसकी वजह

सिवा हसद व बुग़्ज़, तकब्बुर व इनाद के और कुछ नहीं। चूँकि हुज़ूर (ﷺ) उनमें से न थे, बल्कि आप (ﷺ) अरब में से थे, इसलिए यह मुँह चिढ़ाकर बैठ गए, हालाँकि अल्लाह तआला पर कोई हाकिम नहीं। वह रिसालत के हक़दार को ख़ूब जानता है, वह अपना फ़ज़्लो-करम अपने जिस बन्दे को चाहे, अ़ता फ़र्माता है। पस एक तो तौरात के अहकाम की पाबन्दी न करने की वजह से उन पर ग़ज़ब था और अब दूसरा हुज़ूर (ﷺ) के साथ कुफ़्र करने से नाज़िल हुआ। यूँ समझ लीजिए कि, पहला ग़ज़ब हज़रत ईसा (अ.) की पैग़म्बरी न मानने का और दूसरा ग़ज़ब हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की पैग़म्बरी न मानने का। (इब्ने अबी हातिम : 1/278) या पहला ग़ज़ब वह जो बछड़े के पूजने की बाबत था, दूसरा ग़ज़ब हुज़ूर (ﷺ) की मुख़ालिफ़त की बिना पर।

चूँकि यह हसद व बुग़्ज़ की वजह से हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) की नबुव्वत से इंकारी हुए थे और इस हसद व बुग़्ज़ का असली सबब उनका तकब्बुर था, इसलिए उन्हें ज़लील (बदतरीन) अ़ज़ाबों में मुब्तला किया, ताकि गुनाह का बदला पूरा हो जाए। जैसे फ़र्मान है (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) (40/मो'मिन : 60) "मेरी इबादत से जो भी तकब्बुर करेगा, वह ज़लील होकर जहन्नम में दाख़िल होगा।" रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "मुतकब्बिर लोगों का हश्र क़यामत के दिन इंसानी सूरत में चींटियों की तरह होगा। जिन्हें तमाम चीज़ें रौंदती हुई चलेंगी और जहन्नम के बूस नामी क़ैदख़ाने में डाल दिये जायेंगे, जहाँ की आग दूसरी तमाम क़िस्म की आग से तेज़ होगी और जहन्नमियों का ख़ून-पीप वग़ैरह उन्हें पिलाया जाएगा।" (तिर्मिज़ी, किताबुज़्ज़ुहद, बाब मा जाअ फ़ी-शिद्दतिल वईद लिल्ल मुतकब्बिरीन : 2492; वहुव हसन। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन क़रार दिया है। देखिए (सहीह तर्ग़ीब : 3583))

ख़्वाहिश के बन्दे, नफ़्स के गुलाम : या'नी जब इनसे क़ुरआने-करीम पर और आख़िरी नबी (ﷺ) पर ईमान लाने को कहा जाता है तो कह देते हैं कि, हमें तौरात व इंजील पर ईमान रखना काफ़ी है। अल्लाह तआला फ़र्माते हैं कि, यह इसमें भी झूठे हैं। क़ुरआन तो उन किताबों की तस्दीक़ करने वाला है और ख़ुद उनकी किताबों में भी हुज़ूर (ﷺ) की तस्दीक़ मौजूद है। जैसे फ़र्माया (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ) (2/बक़रह : 146) या'नी "अहले किताब आप (ﷺ) को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह कोई अपनी औलाद को पहचानता हो।" पस आप (ﷺ) के इंकार से तौरात और इंजील पर भी उनका ईमान न रहा। इस हुज्जत को क़ायम करके अब दूसरी तरह हुज्जत क़ायम की जाती है कि अच्छा! तौरात और इंजील पर तो तुम्हारा ईमान है, फिर अगले अम्बिया जो इनकी तस्दीक़ और ता'बेदारी करते हुए नई शरीअ़त और नई किताब के आए बग़ैर तुमने उन्हें क्यूँ क़त्ल किया? मा'लूम हुआ कि तुम्हारा ईमान न तो उस किताब पर है, न इस किताब पर। तुम महज़ ख़्वाहिश के बन्दे, नफ़्स के गुलाम, अपनी राय-क़यास के मातहत हो। फिर फ़र्माया कि, अच्छा! (हज़रत) मूसा (عليه السلام) से तुमने बड़े मौ'जिज़ात देखे, तूफ़ान, टिड्डियाँ, जूएँ, मेंढक, ख़ून वग़ैरह उनकी बद्दुआ से बतौरे मु'जिज़े के ज़ाहिर हुए थे, लकड़ी का साँप बन जाना, हाथ का रोशन चाँद बन जाना, दरिया को चीर देना और पानी को पत्थर की तरह बना देना, बादलों का साया करना,

मन्न व सलवा उतारना, पत्थर से नहरें जारी करना वग़ैरह तमाम बड़े-बड़े मौ'जिज़ात जो उनकी नबुव्वत की और अल्लाह तआला की तौहीद की रोशन दलीलें थीं। सब कुछ अपनी आँखों से देखा, लेकिन इधर हज़रत मूसा (ﷺ) तूर पहाड़ पर गए, उधर तुमने बछड़े को मा'बूद बना लिया, अब बताओ कि ख़ुद तौरात पर और ख़ुद (हज़रत) मूसा (ﷺ) पर भी तुम्हारा ईमान कहाँ रहा? क्या यह बदकारियाँ तुम्हें ज़ालिम कहलवाने वाली नहीं? मिम् बा'दिही से मुराद मूसा (ﷺ) के तूर पहाड़ पर जाने के बाद है। जैसे और जगह है (وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى) (7/आ'राफ़ : 148) अल्ख़ या'नी "हज़रत मूसा (ﷺ) के तूर पर जाने के बाद आपकी क़ौम ने बछड़े को मा'बूद बना लिया और अपनी जानों पर उस गौशाला परस्ती से सरीह ज़ुल्म किया, जिसका एहसास बाद में ख़ुद उन्हें भी हुआ।" जैसे फ़र्माया (وَ لَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ) अल्ख़ (7/आ'राफ़ : 149) या'नी "जब उन्हें होश आया, नादिम (शर्मिन्दा) हुए और अपनी गुमराही को महसूस करने लगे। उस वक़्त कहा कि, ऐ अल्लाह! अगर तू हम पर रहम न करेगा और हमारी ख़ता न बख़्शेगा, तो हम इंतिहाई नुक़्सान उठाने वाले हो जायेंगे।"

यहूद का सबसे बड़ा कुफ़्र : अल्लाह तबारक व तआला बनी इस्राईल की ख़ताएँ, मुख़ालिफ़तें, सरकशी और हक़ से रूगर्दानी बयान फ़र्मा रहा है कि, तूर पहाड़ जब सरों पर देखा तो इक़रार किया लेकिन जब वह हट गया तो फिर मुंकिर हो गए। इसकी तफ़्सीर पहले बयान हो चुकी है। बछड़े की मुहब्बत उनके दिलों में रच गई, जैसाकि हदीस में है कि, "किसी चीज़ की मुहब्बत इंसान को अंधा-बहरा बना देती है।" (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िल हवा : 5130; व सनद ज़ईफ़ अबूबक्र बिन अबी मरयम रावी ज़ईफ़ है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है । देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 1868) हज़रत मूसा (ﷺ) ने उस बछड़े के टुकड़े-टुकड़े करके जलाकर उसकी राख को हवा में उड़ाकर दरिया में डाल दिया था जिसके पानी को बनी इस्राईल ने पी लिया और उसका असर उन पर ज़ाहिर हुआ। गो बछड़ा नेस्तो-नाबूद कर दिया गया लेकिन उनके दिलों का ता'ल्लुक़ अब भी उस मा'बूदे-बातिल से लगा रहा। इस आयत का मतलब यह है कि तुम ईमान का दा'वा किस तरह करते हो? अपने ईमान पर नज़र नहीं डालते! बार-बार की वा'दाख़िलाफ़ी कई मर्तबा के कुफ़्र, क्या सब भूल गए? हज़रत मूसा (ﷺ) के साथ तुमने कुफ़्र किया, उनके बाद के पैग़म्बरों के साथ तुमने सरकशी की, यहाँ तक कि अफ़ज़लुल-अम्बिया, ख़ातमुन्-नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की नबुव्वत को भी न माना, जो सबसे बड़ा कुफ़्र है।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا
قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا
يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ
عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَن
يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ
النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا
هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

तर्जुमा : ''जब हमने तुमसे वा'दा लिया और तुम पर तूर को खड़ा कर दिया (और कह दिया) कि हमारी दी हुई चीज़ को मज़बूती से थामो और सुनो। तो उन्होंने कहा, हमने सुना और नाफ़र्मानी की, और उनके दिलों में उनके कुफ़्र की वजह से बछड़े की मुहब्बत (गोया) पिला दी गई। इनसे कह दो कि, तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है, अगर तुम ईमानदार हो। (93) कह दो कि, अगर आख़िरत का घर सिर्फ़ तुम्हारे ही लिए है और किसी के लिए नहीं! तो आओ! अपनी सच्चाई के सबूत में मौत तलब करो। (94) लेकिन अपनी करतूतों को देखते हुए कभी भी मौत नहीं माँगेंगे। अल्लाह तआला ज़ालिमों को ख़ूब जानता है।(95) बल्कि ऐ नबी! तू इन्हें सबसे ज़्यादा दुनिया की ज़िन्दगी का हरीस़ पायेगा, यह हिर्से-ज़िन्दगी (ज़िन्दगी की लालच) में मुश्रिकों से भी ज़्यादा हैं, इनमें से तो हर शख़्स एक-एक हज़ार साल की उम्र चाहता है, गोया उम्र दिया जाना भी उन्हें अज़ाबों से नहीं छुड़ा सकता, अल्लाह तआला इनके कामों को बख़ूबी देख रहा है।'' (96)

यहूद को मुबाहिला की दा'वत (आयत 93-96) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि, इन यहूदियों को नबी (ﷺ) की जुबानी पैग़ाम दिया गया कि, ''अगर तुम सच्चे हो तो आओ! हम-तुम मिलकर अल्लाह तआला से दुआ करें कि, वह हममें से झूठे को हलाक कर दे'' लेकिन साथ ही पेशीनगोई भी कर दी कि यह लोग हर्गिज़ इस पर आमादा नहीं होने के। चुनाँचे यही हुआ कि यह लोग मुक़ाबला पर न आए, इसलिए कि वह दिल से हुज़ूर (ﷺ) को और आसमानी किताब क़ुरआन-करीम को सच्चा जानते थे। अगर यह लोग इस ऐ'लान के तहत मुक़ाबला में निकलते तो सबके-सब हलाक हो जाते, रूए-ज़मीन पर एक यहूदी भी बाक़ी न रहता। एक मरफ़ूअ हदीस में भी आया है कि, ''अगर यहूदी मुक़ाबला पर उतर आते और झूठे के लिए मौत तलब करते तो सबके-सब मर जाते और अपनी जगह

जहन्नम में देख लेते।'' इसी तरह जो नसरानी आप (ﷺ) के पास आए थे, वह भी अगर मुबाहिला के लिए तैयार होते तो वह लौटकर अपने अहलो-अयाल और मालो-दौलत का नामो-निशान भी न पाते। (अहमद : 1/248; वहुव सहीह। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 3296)

सूरह जुम्आ में भी इसी तरह की दा'वत उन्हें दी गई है। आयत (قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا) (62/जुम्आ:6) आखिर तक पढ़िए, इनका दा'वा था कि (نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ) (5/माइदा : 13) ''हम तो अल्लाह की औलाद और उसके प्यारे हैं, यह कहा करते थे।'' (لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى) (2/बक़रह : 111) ''जन्नत में सिर्फ़ यहूदी और नसारा ही जायेंगे।'' इसलिए इन्हें कहा गया कि आओ! इसका फ़ैसला इस तरह कर लें कि दोनों फ़रीक़ मैदान में निकलकर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तआला! हममें से झूठे को हलाक कर डाले, लेकिन चूँकि इस जमाअत को अपने झूठ का इल्म था, यह इसके लिए तैयार न हुए और इनका किज़्ब सब पर खुल गया। इसी तरह जब नजरान के नसरानी हुज़ूर (ﷺ) के पास आए, बहस मुबाहिसा हो चुका तो उनसे भी यही कहा गया कि (تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ) अल्ख़ (3/आले इमरान : 61) ''आओ हम-तुम, दोनों अपनी-अपनी औलादों और बीवियों को लेकर निकलें और अल्लाह तआला से दुआ करें कि, वह झूठों पर अपनी ला'नत नाज़िल फ़र्माए'' लेकिन वह आपस में कहने लगे कि हर्गिज़ इस नबी (ﷺ) से मुबाहिला न करो, वरना फ़ौरन बर्बाद हो जाओगे। चुनाँचे मुबाहिला से इंकार कर दिया और झुककर सुलह कर ली और दबकर जिज़्या देना मंज़ूर किया। आप (ﷺ) ने हज़रत अबू उबेदह बिन जर्राह (رضي الله عنه) को उनके साथ अमीन बनाकर भेज दिया।

इसी तरह मुश्रिकीने-अरब से भी कहा गया (قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا) (19/मरयम : 75) या'नी ''हममें से जो गुमराह हो, अल्लाह तआला उसकी गुमराही बढ़ा दे।'' इसकी पूरी तफ़सील इस आयत के तहत बयान होगी, इंशाअल्लाह! मुंदर्जा बाला आयत की तफ़सीर में एक मरजूह क़ौल यह भी है कि तुम ख़ुद अपनी जानों के लिए मौत तलब करो, क्योंकि बक़ौल तुम्हारे आख़िरत की भलाईयाँ सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही हैं। उन्होंने इसका इंकार किया, लेकिन यह क़ौल कुछ दिल को नहीं लगता, इसलिए कि बहुत से अच्छे और नेक आदमी भी ज़िन्दगी चाहते हैं, बल्कि हदीस में है ''कि तुममें से बेहतर वह है जिसकी लम्बी उम्र हुई हो और आ'माल अच्छे हों।'' (तिर्मिज़ी, किताबुज़्ज़ुहद, बाब मा जाअ फ़ी तूलिल उम्र लिल मो'मिन : 2329, 2330; व सनद हसन। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। (सहीह तर्ग़ीब : 3364) इसके अलावा यही क़ौल यहूदी भी कह सकते थे तो बात फ़ैसलाकुन न होती। ठीक तफ़सीर वही है जो पहले बयान हुई कि दोनों फ़रीक़ मिलकर झूठे की हलाकत और उसकी मौत की दुआ करें। इस ऐ'लान के सुनते ही यहूदी तो ठण्डे पड़ गए और तमाम लोगों पर उनका झूठ खुल गया और वह पेशीनगोई भी सच्ची साबित हुई कि यह लोग हर्गिज़ मौत की तलब नहीं करेंगे।

इस मुबाहला का नाम इस्तिलाह में तमन्ना रखा गया, क्योंकि हर फ़रीक़ बातिल-परस्त की मौत की आरज़ू करता है। फिर फ़र्माया कि यह तो मुश्रिकीन से भी ज़्यादा तवील (लम्बी) उम्र के ख़्वाहाँ हैं क्योंकि उन कुफ़्फ़ार के लिए दुनिया जन्नत है और उनकी तमन्ना और कोशिश है कि यहाँ ज़्यादा रहें। हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं, मुनाफ़िक़ को दुनिया की ज़िन्दगी की लालच काफ़िर से भी ज़्यादा होती है। यहूदी तो एक-एक हज़ार साल की उम्रें चाहते हैं, हालाँकि यह लम्बी उम्र भी इन्हें अज़ाबों से नजात नहीं दे सकती। चूँकि कुफ़्फ़ार को तो आख़िरत पर यक़ीन ही नहीं होता और इन्हें था, फिर इनकी स्याह-कारियाँ भी इनके आ'माल से बेख़बर नहीं, तमाम बन्दों के तमाम अच्छे-बुरे आ'माल को वह बख़ूबी जानता है और वैसा ही बदला देगा।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ
وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾

तर्जुमा : "(ऐ नबी!) तुम कह दो कि जो जिब्राईल (अ.) का दुश्मन हो, जिसने तेरे दिल पर पैग़ामे-बारी तआ़ला उतारा है, जो पैग़ाम उनके पास की किताब को सच्चा बताने वाला और ईमान वालों को हिदायत व ख़ुशख़बरी देने वाला है। (97) (तो अल्लाह तआ़ला भी उसका दुश्मन है) जो शख़्स अल्लाह का और उसके फ़रिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन हो, ऐसे काफ़िरों का दुश्मन ख़ुद अल्लाह है।" (98)

यहूदियों की ह़ज़रत ज़िब्राईल (عليه السلام) से दुश्मनी (आयत 97-98) : जा'फ़र त़बरी (रह.) फ़र्माते हैं, इस पर तमाम मुफ़स्सिरीन का इत्तिफ़ाक़ है कि, जब यहूदियों ने ह़ज़रत जिब्राईल (عليه السلام) को अपना दुश्मन और ह़ज़रत मीकाईल (عليه السلام) को अपना दोस्त बताया था, उस वक़्त उनके जवाब में यह आयत नाज़िल हुई। (त़बरी : 2/377) लेकिन कुछ तो कहते हैं कि अम्रे-नबुव्वत के बारे में जो बातचीत उनकी हुज़ूर (ﷺ) से हुई थी, उसमें उन्होंने यह कहा था। कुछ कहते हैं, ह़ज़रत उ़मर (رضي الله عنه) से उनका जो मुनाज़िरा हुज़ूर (ﷺ) की नबुव्वत के बारे में हुआ था, उसमें उन्होंने यह कहा था।

यहूदियों के नबी (ﷺ) से सवालात : इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, यहूदियों की एक जमाअ़त रसूले-मक़्बूल (ﷺ) के पास आई और कहा कि हम आप (ﷺ) से चंद सवाल करते हैं, जिनके सह़ीह़ जवाब नबी के सिवा कोई नहीं जानता। अगर आप सच्चे नबी हैं तो इनके जवाबात दीजिए। आपने फ़र्माया, "बेहतर है जो चाहो, पूछो। मगर अ़हद (वा'दा) करो कि अगर मैं ठीक-ठीक जवाब दूँ, तो तुम मेरी नबुव्वत का इक़रार करोगे और मेरी फ़र्मांबरदारी में लग जाओगे।" उन्होंने आप (ﷺ) से वा'दा किया और अ़हद दिया। उसके बाद आप (ﷺ) ने ह़ज़रत या'क़ूब (عليه السلام) की त़रह़ अल्लाह की शहादत के साथ उनसे पुख़्ता वा'दा लेकर उन्हें सवाल करने की इजाज़त दी। उन्होंने कहा, पहले तो यह बताइये कि तौरात नाज़िल होने से पहले ह़ज़रत इस्राईल (عليه السلام) ने अपने नफ़्स पर किस चीज़ को ह़राम किया था? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "सुनो! जब (ह़ज़रत) या'क़ूब (عليه السلام) अ़र्कुन् निसाअ की बीमारी में सख़्त बीमार हुए तो नज़्र मानी कि अगर अल्लाह मुझे इस मर्ज़ से शिफ़ा देगा तो मैं अपनी सबसे ज़्यादा मरग़ूब चीज़ खाने की और सबसे ज़्यादा मह़बूब चीज़ पीने की छोड़ दूँगा। जब तंदरुस्त हो गए तो ऊँट का गोश्त खाना और ऊँटनी का दूध पीना जो आप (عليه السلام) के पसंद ख़ातिर था, छोड़ दिया। तुम्हें अल्लाह की क़सम! जिसने (ह़ज़रत) मूसा (عليه السلام) पर तौरात उतारी, बताओ यह सच है।" उन सबने क़सम खाकर कहा कि, हाँ! हुज़ूर (ﷺ)! सच है, बजा इर्शाद हुआ।

यहूदियों ने कहा कि, अब हमारा सवाल यह है कि औरत और मर्द के पानी की क्या क्या कैफ़ियत है? और क्यूँ कभी लड़का पैदा होता है और कभी लड़की? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "सुनो! मर्द का पानी गाढ़ा और सफ़ेद होता है और औरत का पानी पतला और ज़र्दी माइल होता है। इनमें से जो भी ग़ालिब आ जाए, उसी के मुताबिक़ पैदाईश होती है और शक्ल भी उसके मुताबिक़ होती है, जब मर्द का पानी औरत के पानी पर ग़ालिब आ जाए तो हुक्मे-रब्बानी से औलाद लड़का होती है और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर ग़ालिब आ जाए, तो हुक्मे-रब्बानी से औलाद लड़की होती है। तुम्हेंअल्लाह की क़सम! जिसके सिवा कोई मा'बूदे बरहक़ नहीं, सच बताओ, मेरा जवाब सहीह है?" सबने क़सम खाकर क़बूल किया कि, बेशक आपने बजा इर्शाद फ़र्माया। आपने इन दो बातों पर अल्लाह को गवाह किया।

उन्होंने कहा, अच्छा! अब यह फ़र्माईये कि तौरात में जिस नबी! उम्मी की ख़बर है, उस नबी की ख़ास निशानी क्या है और उसके पास कौनसा फ़रिश्ता वही लेकर आता है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "उसकी ख़ास निशानी यह है कि उसकी आँखें जब सोई हुई हों, उस वक़्त में उसका दिल जागता रहता है, तुम्हें उस रब की क़सम! जिसने (हज़रत) मूसा (عليه السلام) पर तौरात नाज़िल की, बताओ! मैंने ठीक जवाब दिया?" सबने क़सम खाकर कहा कि आपने बिलकुल सही जवाब दिया। अब हमारे इस सवाल की दूसरी शिक़्क़ का जवाब भी इनायत फ़र्मा दीजिए, इस पर बहस का ख़ात्मा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरा वली जिब्राईल (عليه السلام) है, वही मेरे पास वही लाता है और वही तमाम अम्बिया-ए-किराम के पास अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त का पैग़ाम लाता रहा। सच कहो और क़सम खाकर कहो कि मेरा यह जवाब भी सही है?" उन्हों ने क़सम खाकर कहा कि जवाब तो दुरुस्त है लेकिन चूँकि जिब्राईल (عليه السلام) हमारा दुश्मन है, वह सख़्ती व ख़ूँ-रेज़ी वग़ैरह लेकर आता रहता है, इसलिए हम उसकी नहीं मानेंगे, न आपकी मानेंगे। हाँ! अगर आप (ﷺ) के पास (हज़रत) मीकाईल (عليه السلام) वही लेकर आते जो रहमत, बारिश, पैदावार वग़ैरह लेकर आते हैं जो हमारे दोस्त हैं तो हम आप (ﷺ) की ता'बेदारी और तस्दीक़ करते। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (मुस्नद तयालिसी : 2731; व सनदुहू हसन अहमद : 1/273, 278; देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 7/1516)

कुछ रिवायतों में है कि उन्होंने यह भी सवाल किया था कि, 'रअ़द' क्या चीज़ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "वह एक फ़रिश्ता है जो बादलों पर मुक़र्रर है, जो अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक़ उन्हें इधर-उधर ले जाता है।" उन्होंने कहा, यह गरज की आवाज़ क्या है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "यह उसी फ़रिश्ते की आवाज़ है।" मुलाहिज़ा हो, मुस्नद अहमद वग़ैरह। (अहमद : 1/274; तिर्मिज़ी, किताबुत्तफ़्सीरुल् क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिर्रअ़द : 3117; वहुव हसन। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 1872)

अब्दुल्लाह बिन सलाम (رضي الله عنه) का इस्लाम लाना : सहीह बुख़ारी की एक रिवायत में है कि, जब हुज़ूर (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए, उस वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (رضي الله عنه) अपने बाग़ में थे और यहूदियत पर क़ायम थे। उन्होंने जब यह ख़बर सुनी तो हुज़ूर (ﷺ) के पास हाज़िर हुए और कहा कि, हुज़ूर अकरम

(ﷺ)! तीन बातें पूछता हूँ जिनका जवाब नबियों के सिवा किसी को मा'लूम नहीं , यह फ़र्माईए कि, क़यामत की पहली शर्त क्या है? और जन्नतियों का पहला खाना क्या है? और कौनसी चीज़ बच्चा को कभी माँ की तरफ़ खींचती है और कभी बाप की तरफ़? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''इन तीनों सवालों के जवाब अभी-अभी जिब्राईल (अ.) ने मुझे बताए हैं, सुनो! हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (رضي الله عنه) ने कहा, वह तो हमारा दुश्मन है। आप (ﷺ) ने यह आयत तिलावत फ़र्माई, फिर फ़र्माया, ''पहली निशानी क़यामत की एक आग है जो लोगों के पीछे लगेगी और उन्हें मश्रिक़ से मग़्रिब की तरफ़ इकट्ठा कर देगी। जन्नतियो की पहली ख़ूराक मछली की कलेजी की बतौर ज़ियाफ़त होगी। जब मर्द का पानी औरत के पानी पर सब्क़त कर जाता है तो लड़का पैदा होता है और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर सब्क़त कर जाता है तो लड़की पैदा होती है।'' यह जवाब सुनते ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (رضي الله عنه) मुसलमान हो गए और पुकार उठे, अश्हदु अन ला इलाह इल्लल्लाहु व अन्नक रसुलुल्लाहि । फिर कहने लगे, हुज़ूर अकरम (ﷺ)! यहूदी बड़े बेवक़ूफ़ लोग हैं, अगर उन्हें पहले से मेरा इस्लाम लाना मा'लूम हो जाएगा तो वह मुझे बुरा कहने लगेंगे। आप (ﷺ) पहले उन्हें ज़रा क़ाइल कर लीजिए।

आपके पास जब यहूदी आए तो आप (ﷺ) ने उनसे पूछा कि अब्दुल्लाह बिन सलाम तुममें कैसे शख़्स हैं? कहा, बड़े बुज़ुर्ग और बाख़बर आदमी हैं, बड़े बुज़ुर्गों की औलाद में से हैं, वह तो हमारे सरदार हैं और सरदारों की औलाद में से हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अच्छा! अगर वह मुसलमान हो जाएँ, फिर तो तुम्हें इस्लाम के क़बूल करने में कोई ताम्मुल न होगा?'' वह कहने लगे, अऊज़ुबिल्लाहि, अऊज़ुबिल्लाहि! वह मुसलमान ही क्यूँ होने लगे? हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) जो अब तक छुपे हुए थे, बाहर आ गए और ज़ोर से कलिमा पढ़ने लगे। फिर यह यहूदी शोर मचाने लगे कि यह ख़ुद भी बुरा है और इसके बाप दादा भी बुरे थे। यह बड़ा नीचे दर्जे का आदमी है और ख़ानदानी कमीना है। हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, हुज़ूरे-अकरम (ﷺ)! इसी चीज़ का मुझे डर था। (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब ख़ल्के आदम व ज़ुर्रियतिही : 3329)

सहीह बुख़ारी में है, इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं, जिब्र, मीक, इसराफ़ के मा'नी अब्द या'नी बन्दे के हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब मन कान अदुव्वल् लि जिब्रईल क़ब्ल हदीस : 4480) और ईल के मा'नी अल्लाह के हैं तो जिब्रईल वग़ैरह के मा'नी अब्दुल्लाह हुए। कुछ लोगों ने इसके ख़िलाफ़ मा'नी भी किए हैं। वह कहते हैं, ईल के मा'नी अब्द के हैं और इनसे पहले के अल्फ़ाज़ अल्लाह के नाम हैं, जैसे अरबी में अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अब्दुल मालिक, अब्दुल क़ुद्दूस, अब्दुस्सलाम, अब्दुल काफ़ी, अब्दुल जलील वग़ैरह। लफ़्ज़ अब्द हर जगह बाक़ी रहा और अल्लाह के नाम बदलते रहे, इसी तरह ईल हर जगह बाक़ी रहा और अल्लाह के अस्मा हुस्ना बदलते रहते हैं। ग़ैर-अरबी ज़ुबान में मुज़ाफ़-इलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में। इसी क़ायदा के मुताबिक़ इन नामों में भी है। जैसे जिब्राईल, मीकाईल, इस्राफ़ील, इज़्राईल वग़ैरह।

पत्थर के पास नमाज़ पढ़ने पर उमर (رضي الله عنه) की नाराज़गी : अब मुफ़स्सिरीन की दूसरी जमाअत की दलील सुनिए जो लिखते हैं कि यह बातचीत हज़रत उमर (رضي الله عنه) से हुई थी। शअबी (रह.) कहते हैं, हज़रत उमर (رضي الله عنه) रौहा में आए, देखा कि लोग दौड़-भागकर पत्थरों के एक तौदे के पास जाकर नमाज़ अदा कर रहे हैं। पूछा कि, यह क्या बात है? जवाब मिला कि इस जगह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ अदा की है। आप बहुत नाराज़ हुए कि हुज़ूर (ﷺ) को जहाँ कहीं नमाज़ का वक़्त आता था, पढ़ लिया करते थे, फिर चले जाया करते थे। अब इन मक़ामात को मुतबर्रक समझकर ख़्वाह-मख़्वाह वहाँ जाकर नमाज़ अदा करना किसने बताया? फिर आप और बातों में लग गए।

हज़रत उमर (رضي الله عنه) का यहूदियों से मुकालिमा : हज़रत उमर (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, कि मैं यहूदियों के मज्मअे में कभी-कभी चला जाया करता और यह देखता रहता था कि किस तरह क़ुरआन तौरात की और तौरात क़ुरआन की तस्दीक़ कर रही है। यहूदी भी मुझसे महब्बत ज़ाहिर करने लगे और अकसर बातचीत हुआ करती थी। एक दिन मैं उनसे बातें कर ही रहा था कि, रास्ते से हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) निकले, उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे नबी वह जा रहे हैं। मैंने कहा, ख़ैर मैं जाता हूँ लेकिन यह तो बताओ, तुम्हें अल्लाह वाहिद की क़सम! रब के हक़ याद करो और रब की ने'मतों पर नज़र रखकर अल्लाह की किताब तुममें मौजूद होने का ख़्याल रखकर उसी रब की क़सम खाकर कहो कि, क्या तुम हुज़ूर (ﷺ) को रसूल नहीं मानते, अब सब ख़ामोश हो गए, उनके बड़े आ'लिम ने जो उन सबमें इल्म में भी कामिल था और सबका सरदार भी था, उनसे कहा कि उसने इतनी सख़्त क़सम दी है, तुम साफ़ और सच्चा जवाब क्यूँ नहीं देते? उन्होंने कहा, हज़रत! आप ही हमारे बड़े हैं, ज़रा आप ही जवाब दीजिए, उस बड़े पादरी ने कहा, सुनिए जनाब! आपने ज़बरदस्त क़सम दी है, सच तो यह है कि हम दिल से जानते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।

मैंने कहा, अफ़सोस! जब जानते हो तो मानते क्यूँ नहीं हो? कहा सिर्फ़ इस वजह से कि इनके पास वह्यी आसमानी लेकर आने वाले जिब्राईल (عليه السلام) हैं, वह निहायत सख़्त, तंगी, शिद्दत, अज़ाब और तक्लीफ़ के फ़रिश्ते हैं। हम उनके और वह हमारे दुश्मन हैं। अगर वह्यी लेकर (हज़रत) मीकाईल (عليه السلام) आते जो रहमत व राफ़्त (नर्मी), तख़्फ़ीफ़ व राहत वाले फ़रिश्ते हैं तो हमें मानने में भी ताम्मुल (झिझक) न होता। मैंने कहा, अच्छा! बताओ तो इन दोनों को अल्लाह के नज़दीक क्या कुछ क़द्र व मंज़िलत है? उन्होंने कहा, एक तो जनाब बारी तआला के दायें बाज़ू है और दूसरा दूसरी तरफ़। मैंने कहा, अल्लाह तआला की क़सम! जिसके सिवा और कोई मा'बूद नहीं जो इनमें से किसी का दुश्मन हो, उसका दुश्मन अल्लाह भी है और दूसरा फ़रिश्ता भी, जिब्राईल (عليه السلام) के दुश्मन से मीकाईल (عليه السلام) दोस्ती नहीं रख सकते और मीकाईल (عليه السلام) का दुश्मन जिब्राईल (अ.) का दोस्त नहीं हो सकता, न उनमें से किसी का दुश्मन अल्लाह का दोस्त हो सकता है, न इन दोनों में से कोई अल्लाह तआला की इजाज़त के बग़ैर ज़मीन पर आ सकता है, न कोई काम कर सकता है, वल्लाह! मुझे न तुमसे लालच है, न डर है। सुनो! जो शख़्स अल्लाह तआला का दुश्मन हो, उसके फ़रिश्तों, उसके रसूलों और जिब्राईल (अ.) और मीकाईल (عليه السلام) का दुश्मन हो तो ऐसे काफ़िर का अल्लाह भी दुश्मन है। इतना कहकर मैं चला आया।

हुज़ूर (ﷺ) के पास पहुँचा तो आपने मुझे देखते ही फ़र्माया, "ऐ इब्ने ख़त्ताब! मुझ पर वही नाज़िल हुई है।" मैंने कहा, हुज़ूर! सुनाईए। आप (ﷺ) ने यही आयत पढ़कर सुनाई। मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! आप पर मेरे माँ-बाप क़ुर्बान! यही बातें अभी-अभी यहूदियों से मेरी हो रही थीं। मैं तो चाहता ही था बल्कि इसीलिए हाज़िरे-ख़िदमत हुआ था कि आपको ख़बर दूँ, मगर मेरे आने से पहले लतीफ़ व ख़बीर सुनने देखने वाले अल्लाह ने आप (ﷺ) को ख़बर पहुँचा दी। (इब्ने अबी हातिम, पेज 290; इसकी सनद मुन्क़तअ होने की वजह से ज़ईफ़ है।) मगर यह रिवायत मुन्क़तअ है, सनद मुत्तसिल नहीं। शअबी (रह.) ने हज़रत उमर (رضي الله عنه) का ज़माना नहीं पाया।

फ़रिश्तों में भी रसूल हैं : आयत का मतलब यह है कि जिब्राईल (عليه السلام) अल्लाह के अमीन फ़रिश्ते हैं। अल्लाह के हुक्म से नबी करीम (ﷺ) के दिल में अल्लाह की वही पहुँचाने पर मुक़र्रर हैं, वह फ़रिश्तों में से अल्लाह के रसूल हैं। किसी एक रसूल से अदावत रखने वाला सब रसूलों से अदावत रखने वाला है। जैसे एक रसूल पर ईमान लाना सब रसूलों पर ईमान लाने का नाम है और एक रसूल के साथ इंकार, तमाम अम्बिया के साथ कुफ़्र करने के बराबर है। ख़ुद अल्लाह तआला कुछ रसूलों के मानने वालों को काफ़िर बताता है, फ़र्माता है (اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ) (4/निसाअ : 150) "जो लोग अल्लाह तआला के साथ और उसके रसूलों के साथ कुफ़्र करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों के दरम्यान फ़र्क़ करना चाहते हैं और कहते हैं कि, हम कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते।" दूसरी आयत के आख़िर तक। पस इन आयात में सराहतन उन लोगों को काफ़िर कहा, जो किसी रसूल को न मानें। इसी तरह जिब्राईल (عليه السلام) का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है क्योंकि वह अपनी मर्ज़ी से नहीं आते। क़ुरआन फ़र्माता है (وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ) 19/मरयम : 64) और फ़र्माता है (وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ) (26/शुअरा : 192) यानी "हम अल्लाह के हुक्म के सिवा नहीं उतरते। यह नाज़िल किया हुआ रब्बुल आ'लमीन का है जिसे लेकर रूहुल अमीन आते हैं और तेरे दिल में डालते हैं, ताकि तू लोगों को होशियर कर दे।"

सहीह बुख़ारी की हदीसे क़ुदसी में है, मेरे दोस्तों से दुश्मनी करने वाला मुझसे लड़ाई का ऐ'लान करने वाला है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब अत्तवाज़ोअ : 6502) क़ुरआन-करीम की यह भी एक सिफ़त है कि वह अपने से पहले के तमाम रब्बानी कलाम की तस्दीक़ करता है और ईमानदारों के दिलों को हिदायत और उनके लिए जन्नत की ख़ुशख़बरी देता है। जैसे फ़र्माया (هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ) (41/फ़ुस्सिलत : 44) फ़र्माया (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ) (17/इस्रा : 82) या'नी "यह क़ुरआन ईमान वालों के लिए हिदायत व शिफ़ा है।" रसूलों में इंसानी रसूल और मलकी (फ़रिश्तों से) रसूल सब शामिल हैं। जैसे फ़र्माया (اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ) (22/हज्ज : 75) "अल्लाह तआला फ़रिश्तों में से इंसानों में से अपने रसूल छांट लेता है।" जिब्राईल (عليه السلام) और मीकाईल (عليه السلام) भी फ़रिश्तों में हैं लेकिन इनका ख़ुसूसी तौर पर नाम लिया ताकि मसला बिलकुल साफ़ हो जाए और यहूदी जान लें कि उनमें से एक का दुश्मन दूसरे का दुश्मन है बल्कि अल्लाह भी उनका दुश्मन है।

हज़रत मीकाईल (ﷺ) भी कभी-कभी अम्बिया (ﷺ) के पास आते रहे हैं। जैसे कि नबी (ﷺ) के साथ शुरू-शुरू में थे लेकिन इस काम पर मुक़र्रर हज़रत जिब्राईल (ﷺ) हैं। जैसे हज़रत मीकाईल (ﷺ) रूईदगी और बारिश वग़ैरह पर और हज़रत इस्राफ़ील (ﷺ) सूर फूँकने पर। एक सहीह हदीस में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को जब जागते, तब यह दुआ पढ़ते

اللهم رب جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل فاطر السموت والارض علم الغيب و الشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم

"ऐ अल्लाह! ऐ जिब्राईल, मीकाईल, इस्राफ़ील के रब! ऐ ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले, ऐ छुपे-खुले के जानने वाले। अपने बन्दो के इख़्तिलाफ़ का फ़ैसला तू ही करता है, ऐ अल्लाह! इख़्तिलाफ़ी उमूर (मा'मलात) में अपने हुक्म से हक़ की तरफ़ मेरी रहबरी कर, तू जिसे चाहे सीधी राह दिखाता है। (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल् मुसाफ़िरीन, बाब अद् दुआउ फ़ी सलातिल्लैल व क़ियामा : 770) लफ़्ज़े जिब्राईल वग़ैरह की तहक़ीक़ और उसके मआनी पहले बयान हो चुके हैं।

हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन उमर (रह.) फ़र्माते हैं, फ़रिश्तों में हज़रत जिब्राईल (ﷺ) का नाम ख़ादिमुल्लाह है। अबू सुलेमान दारानी (रह.) यह सुनकर बहुत ही ख़ुश हुए और फ़र्माने लगे, यह एक रिवायत मेरी रिवायात के एक दफ़्तर से मुझे ज़्यादा महबूब है। जिब्राईल (ﷺ) और मीकाईल (ﷺ) के अल्फ़ाज़ में बहुत सी लुग़ात और क़िराअतें हैं, जिनकी तफ़्सील लुग़त की कुतुब में मौजूद है, हम उन्हें यहाँ बयान करके किताब का हुजुम बढ़ाना नहीं चाहते। क्योंकि किसी मा'नी की समझ या किसी हुक्म का मफ़ाद उन पर मौक़ूफ़ नहीं। अल्लाह तआला मददकरे, हमारा भरोसा और तवक्कल उसी की पाक ज़ात पर है।

आयत के ख़ात्मे में यह नहीं फ़र्माया कि, अल्लाह भी उन लोगों का दुश्मन है बल्कि अल्लाह काफ़िरों का दुश्मन है, इसमें ऐसे लोगों का हुक्म भी मा'लूम हो गया। इसे अरबी में मुज़्मर (छुपा) की जगह मज़्हर (खुला) कहते हैं और कलामे-अरब में अकसर इसकी मिसालें शेअरों में भी पायी जाती हैं, गोया यूँ कहा जाता है कि जिसने अल्लाह के दोस्त से दुश्मनी की, उसने अल्लाह से दुश्मनी की और जो अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह भी उसका दुश्मन और जिसका दुश्मन ख़ुद अल्लाह हो जाए, उसके कुफ़्र व बर्बादी में क्या शुब्हा रह गया? सहीह बुख़ारी की हदीस पहले गुज़र चुकी है कि अल्लाह तआला फ़र्माता है, मेरे दोस्तों से दुश्मनी रखने वाले को मैं ऐ'लाने-जंग करता हूँ। (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब तवाज़ोअ : 6502) एक हदीस में है कि मैं अपने दोस्तों का बदला ले लिया करता हूँ। (शरह सुन्नह लिल बग़वी : 1249; ब लफ़्ज़ आख़िर व सनदुहू ज़ईफ़ ज़िद्दा कंज़ुल उम्माल : 1160; इसकी सनद में हसन बिन यहया ख़श्नी और सदक़ा दक़ीक़ी पर मुहद्दिसीन का कलाम है। देखिए (अल्मीज़ान : 1/524; रक़म : 1958, 2/312; रक़म : 3879) एक और हदीस में है जिसका दुश्मन मैं हो जाऊँ, वह बर्बाद होकर ही रहता है।" (इब्नेमाजा, किताबुर्रहन, बाब अज्रुल इज्रा : 2447; व सनदुहू हसन;)

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾ اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا
عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ
عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ
وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ
سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ
اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ
اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۭ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۭ
وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
يَنْفَعُهُمْ ۭ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۭ وَلَبِئْسَ مَا
شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ
اللّٰهِ خَيْرٌ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

तर्जुमा : ''यक़ीनन हमने तेरी तरफ़ रोशन दलीलें उतारी हैं, जिनका इंकार सिवाए बदकारों के कोई नहीं करता। (99) यह लोग जब कभी कोई वा'दा करते हैं तो उनकी एक न एक जमाअत उसे तोड़ देती है, बल्कि इनमेंसे अकसर ईमान से ख़ाली हैं। (100) जब कभी इनके पास अल्लाह का कोई रसूल इनकी किताब की तस्दीक़ करने वाला आया, इन अहले किताब के एक फ़िर्क़े ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया जानते ही न थे, (101) और उस चीज़के पीछे लग गए जिसे शयातीन सुलेमान (عليه السلام) की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान (عليه السلام) ने तो यह कुफ्र न किया था बल्कि यह कुफ्र शैतानों का था, वह लोगों को जादू सिखाया करते थे, और बाबिल में हारूत और मारूत दो फ़रिश्तों पर जो

उतारा गया था, वह दोनों भी किसी शख़्स को उस वक़्त तक नहीं सिखाते थे जब तक यह न कह दें कि हम तो एक आज़माईश हैं, तू कुफ़्र न कर। फिर लोग उनसे वह सीखते जिससे मर्द व औरत में जुदाई डाल दें, और दरअसल वह बग़ैर अल्लाह तआला की मर्ज़ी के किसी को कोई नुक़्सान नहीं पहुँचा सकते, यह लोग वह सीखते हैं, जो उन्हें नुक़्सान पहुँचाए और नफ़ा न पहुँचा सके और बिलयक़ीन जानते हैं कि उसके लेने वाले का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, और वह बदतरीन चीज़ है, जिसके बदले वह अपने आपको फ़रोख़्त कर रहे हैं, काश! कि यह जानते होते। (102) और अगर यह लोग ईमानदार मुत्तक़ी बन जाते तो अल्लाह तआला की तरफ़ से बेहतरीन सवाब उन्हें मिलता, अगर यह जानते होते।'' (103)

(आयत 99-103) : या'नी ऐ मुहम्मद (ﷺ)! हमने ऐसी निशानियाँ जो आप (ﷺ) की नबुव्वत की सरीह दलील बन सकें, नाज़िल फ़र्मा दी हैं। यहूदियों की मख़्सूस मा'लूमात का ज़ख़ीरा, इनकी किताब की पोशीदा बातें, इनकी तहरीफ़ व तब्दील (घटाना बढ़ाना और बदल देना) अहकाम वग़ैरह सब हमने अपनी मुअजिज़-नुमा किताब क़ुरआन-करीम में फ़र्मा दिए हैं, जिन्हे सुनकर हर ज़िन्दा ज़मीर आप (ﷺ) की नबुव्वत की तस्दीक़ की तरफ़ मजबूर हो जाता है, हाँ! यह और बात है कि यहूदियों को उनका हसद रोक दे, वरना हर शख़्स जान सकता है कि एक उम्मी शख़्स से ऐसा पाकीज़ा ख़ूबियों वाला और हिक्मतों वाला कलाम बन नहीं सकता। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि इब्ने सौर या क़त्वीनी ने हुज़ूर (ﷺ) से कहा था कि, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं लाए जिसे हम पहचान लें, न आपके पास कोई रोशन दलाइल हैं। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। चूँकि यहूदियों ने इस बात से इंकार कर दिया था कि हमसे पैग़म्बर आख़िरुज़्-ज़माँ की बाबत कोई वा'दा लिया गया हो। उस पर अल्लाह तआला फ़र्माता है, यह तो इनकी आदत ही है कि वा'दा किया और तोड़ दिया बल्कि इनकी अकसरियत तो ईमान से बिलकुल ख़ाली है। 'नबज़' के मा'नी फेंक देना है चूँकि इन लोगों ने किताबुल्लाह को अहदे-बारी तआला को इस तरह छोड़ रखा था या फेंक दिया था, इसलिए इनकी मज़म्मत में यही लफ़्ज़ लाया गया।

दूसरी जगह साफ़ बयान है कि इनकी किताबों में हुज़ूर (ﷺ) का ज़िक्र मौजूद था। फ़र्माया (يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ) (7/आ'राफ़ : 157) या'नी ''यह लोग तौरात व इंजील में हुज़ूर (ﷺ) का ज़िक्र मौजूद पाते हैं।'' यहाँ भी फ़र्माया है कि जब इनकी किताब की तस्दीक़ करने वाला हमारा पैग़म्बर इनके पास आया तो इनके एक फ़रीक़ ने अल्लाह की किताब से बेपरवाही करके इस तरह इसे छोड़ दिया, गोया कोई इल्म ही नहीं बल्कि जादू के पीछे पड़ गए और ख़ुद हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) पर जादू किया, जिसकी ख़बर आप (ﷺ) को जनाबे बारी तआला ने दी और उसका असर ज़ाइल हुआ और आप (ﷺ) को शिफ़ा मिली। तौरात से तो हुज़ूर (ﷺ) का मुक़ाबला नहीं कर सकते थे इसलिए कि वह तो उसकी तस्दीक़ करने वाली थी, तो उसे छोड़कर दूसरी किताबें ले लीं, उनके पीछे लग गए और अल्लाह की किताब को इस तरह छोड़ दिया कि गोया कभी जानते ही न थे। नफ़्सानी ख़्वाहिशात तो सामने रख लीं और किताबुल्लाह को पीठ पीछे डाल दिया। यह भी कहा गया है कि राग बाजे खेल, तमाशे और अल्लाह के ज़िक्र से रोकने वाली हर चीज़ (मा तत्लुशशयातीन) में दाख़िल है।

यहूद का सुलेमान (ﷺ) को जादूगर कहना झूठ है : हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं कि, हज़रत सुलेमान (ﷺ) के पास एक अंगूठी थी, जब आप पाख़ाने के लिए जाते तो अपनी बीवी हज़रत जुरादा को वह दे जाते। जब हज़रत सुलेमान (ﷺ) की आज़माइश का वक़्त आया तो उस वक़्त एक शैतान जिन्न आपकी सूरत में आपकी बीवी के पास आया और अंगूठी तलब की। जो उन्होंने दे दी। उसने पहन ली और तख़्ते सुलेमानी पर बैठ गया। तमाम जिन्नात वग़ैरह हाज़िरे-ख़िदमत हो गए, वह हुकूमत करने लगा। इधर जब हज़रत सुलेमान (ﷺ) वापिस आए और अंगूठी तलब की तो जवाब मिला, तू झूठा है, अंगूठी तो हज़रत सुलेमान (ﷺ) ले गए। आपने समझ लिया कि यह अल्लाह की तरफ़ से आज़माईश है। उन दिनों शयातीन ने जादू, नजूम, कहानत, शेअर अश्आर और ग़ैब की झूठी सच्ची ख़बरों की किताबें लिख-लिखकर हज़रत सुलेमान (ﷺ) की कुर्सी-तले दफ़न करनी शुरू कर दीं। आपकी आज़माईश का यह ज़माना ख़त्म हो गया। आप फिर से तख़्तो-ताज के मालिक हुए। उम्रे तबई को पहुँचकर जब रहलत फ़र्माई तो शयातीन ने इंसानों से कहना शुरू किया कि हज़रत सुलेमान (ﷺ) का ख़ज़ाना और वह किताबें जिनके ज़रिये से वह हवाओं और जिन्नात पर हुक्मरानी करते थे, उनकी कुर्सी-तले दफ़न हैं। चूँकि जिन्नात उस कुर्सी के पास नहीं जा सकते थे, इसलिए इंसानों ने उसे खोदा तो वह किताबें बरामद हुईं, बस उनका चर्चा हो गया और हर शख़्स की ज़ुबान पर चढ़ गया कि हज़रत सुलेमान (ﷺ) की हुकूमत का राज़ यही था बल्कि लोग हज़रत सुलेमान (ﷺ) की नबुव्वत से इंकारी हो गये और आपको जादूगर कहने लगे। आँहज़रत (ﷺ) ने इस राज को खोला और फ़र्माने बारी नाज़िल हुआ कि जादूगरी का यह कुफ़्र तो शयातीन का फैलाया हुआ है, हज़रत सुलेमान (ﷺ) इससे बरीउज़्ज़िमा (अलग-थलग) हैं।

हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के पास एक शख़्स आया। आपने पूछा कहाँ से आए हो? उसने कहा, इराक़ से। फ़र्माया, इराक़ किस शहर से? उसने कहा, कूफ़ा से। पूछा, वहाँ क्या ख़बरें हैं? उसने कहा, वहाँ बातें हो रही हैं कि हज़रत अली (ﷺ) इंतिक़ाल नहीं कर गए बल्कि ज़िन्दा रू-पोश हैं और अन्क़रीब आयेंगे। आप काँप उठे और फ़र्माने लगे, अगर ऐसा होता तो हम उनकी मीरास तक़्सीम न करते और न उनकी औरतें अपना दूसरा निकाह करतीं, सुनो! शयातीन आसमानी बातें चुरा लाया करते थे और उनमें अपनी बातें मिलाकर लोगों में फैलाया करते थे। हज़रत सुलेमान (ﷺ) ने यह तमाम किताबें जमा करके अपनी कुर्सी-तले दफ़न कर दीं। आपके इंतिक़ाल के बाद जिन्नात ने वह फिर निकाल लीं। वही किताबें इराक़ियों में फैली हुई हैं और उन ही किताबों की बातें वह बयान करते और फैलाते रहते हैं। इसी का ज़िक्र इस आयत (वत्तबऊ) में है। (अख़रजहुल हाकिम फ़ी किताबित्तफ़्सीर : 2/265; व सनदुहू हसन। और हाकिम ने इस पर सुकूत फ़र्माया। लेकिन अल्लामा ज़हबी (रह.) ने अत्तल्ख़ीस में इसे सहीह क़रार दिया है।)

उस ज़माने में यह भी मशहूर हो गया था कि शयातीन इल्मे-ग़ैब जानते हैं। हज़रत सुलेमान (ﷺ) ने उन किताबों को संदूक़ में भरकर दफ़न कर देने के बाद यह हुक्म जारी कर दिया कि जो यह कहेगा, उसकी गर्दन मारी जाएगी। कुछ रिवायात में है कि जिन्नात ने उन किताबों को हज़रत सुलेमान (ﷺ) के इंतिक़ाल के बाद आपकी कुर्सी-तले दफ़न कर दिया था और उनके शुरू के पेज पर लिख दिया था कि यह इल्मी ख़ज़ाना आसिफ़

बिन बर्ख़िया का जमा किया हुआ है, जो हज़रत सुलेमान (عليه السلام) के वज़ीरे-आ'ज़म, मुशीरे-ख़ास और दिली-दोस्त थे। यहूदियों में मशहूर था कि, हज़रत सुलेमान (عليه السلام) नबी न थे, बल्कि जादूगर थे। इस बिना पर यह आयतें नाज़िल हुईं और अल्लाह तआला के सच्चे नबी ने एक सच्चे नबी की बरा'त का ऐ'लान किया और यहूदियों के इस अक़ीदे को बातिल क़रार दिया। हज़रत सुलेमान (عليه السلام) का नाम अम्बिया के ज़ुमरे में सुनकर बहुत बिदकते थे, इसलिए तफ़्सील के साथ इस वाक़िया का बयान कर दिया। एक वजह यह भी हुई कि हज़रत सुलेमान (عليه السلام) ने तमाम मूज़ी (तक्लीफ़देह) जानवरों से अहद लिया था, जब उन्हें वह अहद याद कराया जाता था तो वह सताते न थे, फिर लोगों ने अपनी तरफ़ से इबारतें बनाकर जादू की क़िस्म के मंतर वग़ैरह बनाकर उन सबको आपकी तरफ़ मंसूब कर दिया। यह याद रहे कि ''अला'' यहाँ पर 'फ़ी' के मा'नी में है या तत्लू मुतज़म्मन है तुक्ज़्ज़िबू का और यही औला और अहसन है, वल्लाहु आ'लम।

हसन बसरी (रह.) का क़ौल है कि जादू हज़रत सुलेमान (عليه السلام) से पहले भी था और यह बिलकुल सच है। हज़रत सुलेमान (عليه السلام) हज़रत मूसा (عليه السلام) के बाद आए हैं और हज़रत मूसा (عليه السلام) के ज़माने में जादूगरों का होना क़ुरआन से साबित है और हज़रत सुलेमान (عليه السلام) का हज़रत मूसा (عليه السلام) के बाद होना भी क़ुरआन से ज़ाहिर है। दाऊद और जालूत के क़िस्से में है (मिम् बअ़दि मूसा) बल्कि हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) से भी पहले हज़रत सालेह (عليه السلام) को उनकी क़ौम ने कहा था (इन्नमा अन्त मिनल् मुसह्हरीन) (26/शुअ़रा : 153) या'नी ''तू जादू किए गए लोगों में से है।'' फिर फ़र्माता है (वमा उंजिल) अल्ख़। कुछ तो कहते हैं, यहाँ पर 'मा' नाफ़िया है या'नी इंकार के मा'नी में है और इसका अ़त्फ़ (मा कफ़र सुलैमान) पर है। यहूदियों का दूसरा ए'तिक़ाद कि जादू फ़रिश्तों पर नाज़िल हुआ है। इस आयत में इसकी तर्दीद है।

हारूत मारूत लफ़्ज़ शयातीन का बदल है, तस्निया पर भी जमा का इत्लाक़ होता है जैसे (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ) (4/निसाअ : 11) में (क़ुर्तुबी : 2/50) या इसलिए जमा किया गया कि उनके मानने वालों को भी शामिल किया गया है और उनका नाम उनकी ज़्यादा सरकशी की वजह से वाज़ेह कर दिया गया है। क़ुर्तुबी (रह.) तो कहते हैं कि इस आयत का यही ठीक मतलब है, इसके सिवा किसी और मुफ़्ती की तरफ़ इल्तिफ़ात भी न करना चाहिए। इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, जादू अल्लाह का नाज़िल किया हुआ नहीं। (तबरी : 2/419) रबीअ़ बिन अनस (रह.) फ़र्माते हैं, उन पर कोई जादू नहीं उतरा। (तबरी : 2/419) इस बिना पर आयत का तर्जुमा इस तरह होगा कि उन यहूदियों ने उस चीज़ की ता'बेदारी की जो हज़रत सुलेमान (عليه السلام) के ज़माने में शैतान पढ़ा करते थे। हज़रत सुलेमान (عليه السلام) ने कुफ़्र नहीं किया, न अल्लाह तआला ने जादू को उन दो फ़रिश्तों पर उतारा है (जैसे ऐ यहूदियों! तुम्हारा ख़्याल जिब्राईल व मीकाईल की तरफ़ है) बल्कि यह कुफ़्र शैतानों का है जो बाबिल में लोगों को जादू सिखाया करते थे, और उनके सरदार आदमी थे, जिनका नाम हारूत-मारूत था। हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ी (रज़ि.) इसे इस तरह पढ़ते थे, वमा उंज़िल अ़लल् मलिकैनि दाऊद व सुलैमान, या'नी दाऊद, सुलेमान दोनों बादशाहों पर भी जादू नहीं उतारा गया। यह कि वह इससे रोकते थे, क्योंकि यह कुफ़्र है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने इसका ज़बरदस्त रद्द किया है, वह फ़र्माते हैं, मा मा'नी में अल्लज़ी के है और हारूत-मारूत दो फ़रिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन की तरफ़ उतारा है और अपने बन्दों की आज़माईश और

इम्तिहान के लिए उन्हें जादू की ता'लीम की इजाज़त दी है। लिहाज़ा हारूत-मारूत उस फ़र्माने-बारी को पूरा कर रहे हैं।

एक ग़रीब क़ौल यह भी है कि यह जिन्नों के दो क़बीले हैं। मलकैनि या'नी बादशाहों की क़िराअत पर इंज़ाल ख़ल्क़ के मा'नी में होगा। जैसे फ़र्माया (وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ) (39/जुमर : 6) और फ़र्माया (وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ) (57/हदीद : 25) और कहा (وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا) (40/ग़ाफ़िर : 13) या'नी "हमने तुम्हारे लिए आठ क़िस्म के चौपाए पैदा किए।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तिब्ब, बाब मा अंज़लल्लाहु दाअन..... : 5678; इब्ने माजा : 3438) "लोहा बनाया"। आसमान से रोज़ियाँ उतारीं। हदीस में (मा अंजलल्लाहु दाअन) या'नी "अल्लाह तआला ने जितनी बीमारियाँ पैदा की हैं, उन सबके इलाज भी पैदा किए हैं।" मसल मशहूर है कि भलाई बुराई का नाज़िल करने वाला अल्लाह है। यहाँ सब जगह इंज़ाल ख़ल्क़ या'नी पैदाईश के मा'नी में है, ईजाअ या'नी लाने और उतारने के मा'नी में नहीं। इसी तरह इस आयत में भी। अकसर सलफ़ का मज़हब यह है कि यह दोनों फ़रिश्ते थे। एक मरफ़ूअ हदीस में भी यह मज़्मून तफ़्सील के साथ है, जो अभी बयान होगी, इंशाअल्लाह तआला! कोई यह ऐ'तिराज़ न करे कि फ़रिश्ते तो मा'सूम हैं, वह गुनाह करते ही नहीं, चे जाये कि लोगों को जादू सिखाएँ जो कुफ़्र है, इसलिए कि यह दोनों भी आम फ़रिश्तों में से ख़ास हो जाएँगे जैसे कि इब्लीस की बाबत आप (وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ) (2/बक़रह : 34) की तफ़्सीर में पढ़ चुके हैं। हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत इब्ने उमर (رضی اللہ عنہم) हज़रत कअब अहबार, हज़रत सुदी और कलबी (रह.) यही फ़र्माते हैं। अब इस हदीस को सुनिए।

"रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि जब आदम (علیہ السلام) को अल्लाह तआला ने ज़मीन पर उतारा और उनकी औलाद फैली और ज़मीन में अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी होने लगी तो फ़रिश्तों ने कहा कि देखो! यह किस क़द्र बद लोग हैं, कैसे नाफ़र्मान सरकश हैं, हम अगर इनकी जगह होते तो हर्गिज़ अल्लाह की नाफ़र्मानी न करते।" "अल्लाह तआला ने फ़र्माया, अच्छा! तुम अपने दो फ़रिश्तों को पसंद कर लो, मैं उनमें इंसानी ख़्वाहिशात को पैदा करता हूँ और उन्हें मैं भेजता हूँ, फिर देखता हूँ कि वह क्या करते हैं। चुनाँचे उन्होंने हारूत-मारूत को पेश किया, अल्लाह तआला ने उनमें इंसानी तबीयत पैदा की और उनसे कह दिया कि देखो! बनी आदम को तो मैं अपने अम्बिया की मा'रिफ़त अपने हुक्म अह काम पहुँचाता हूँ लेकिन तुमसे बिला वास्ता ख़ुद कह रहा हूँ कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना, ज़िना न करना, शराब न पीना। अब यह दोनों ज़मीन पर उतरे और ज़ोहरा को उनकी आज़माईश के लिए हसीन व जमील औरत की सूरत में उनके पास भेजा, जिसे देखकर यह दीवाने हो गए और उससे ज़िना करना चाहा। उसने कहा, अगर तुम शिर्ककरो तो मैं मंज़ूर करती हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि यह तो हमसे न हो सकेगा, वह चली गई, फिर आई और कहने लगी, अच्छा! इस बच्चे को क़त्ल कर डालो तो मैं तुम्हारी ख़्वाहिश पूरी कर देती हूँ। उन्होंने उसे भी न माना और फिर आई और कहा, यह शराब पी लो। उन्होंने उसे हल्का गुनाह समझकर उसे मंज़ूर कर लिया। अब नशे में मस्त होकर ज़िनाकारी भी की और उस बच्चे को भी क़त्ल कर डाला। जब होशो-हवास दुरुस्त हुए तो उस औरत ने कहा, जिन-जिन कामों का तुम पहले इंकार करते थे, वह तमाम काम तुमने कर डाले। यह नादिम हुए, फिर उन्हें इख़्तियार दिया गया कि या तो अज़ाबे-

दुनिया को इख़्तियार करो या अज़ाबे-आख़िरत को। उन्होंने दुनियावी अज़ाब को पसंद किया।'' सहीह इब्ने हिब्बान, मुस्नद अहमद, इब्ने मर्दवे, इब्ने जरीर, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में यह हदीस मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से मरवी है। (अहमद : 2/134; मुस्नदे बज़्ज़ार : 2938; इब्ने हिब्बान : 6186; वहुव मा'लूल, वल्लाहु आ'लम! मुस्नद अहमद की यह रिवायत ग़रीब है, इसमें एक रावी मूसा बिन जुबैर अंसारी सुलमी हज़्ज़ाअ को इब्ने अबी हातिम ने मस्तूरुल हाल लिखा है।

इब्ने मर्दवे की रिवायत में यह भी है कि एक रात को दौराने सफ़र हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने हज़रत नाफ़ेअ (रह.) से पूछा कि क्या ज़ोहरा सितारा निकला? उसने कहा, नहीं। दो-तीन मर्तबा के सवाल के बाद कहा, अब ज़ोहरा तुलूअ हुआ, तो फ़र्माने लगे, इसे न ख़ुशी हो, न भलाई मिले। हज़रत नाफ़ेअ (रह.) ने कहा, हज़रत एक सितारा जो हुक्मे-इलाही से तुलूअ व गुरूब होता है, आप उसे बुरा कहते हैं? फ़र्माया, सुन! मैं वही कहता हूँ, जो मैंने रसूलुल्ललाह (ﷺ) से सुना है, फिर उसके बाद मुंदर्जा बाला हदीस (ब-इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज) सुनाई, लेकिन यह भी ग़रीब है। (मा'लूल; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे मरफ़ूअन बातिल क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 912) हज़रत कअब (रह.) वाली रिवायत मरफ़ूअ से ज़्यादा सहीह मौक़ूफ़ है और मुम्किन है कि वह इस्राईली रिवायत हो, वल्लाहु आ'लम! सहाबा और ताबेईन से भी इस क़िस्म की रिवायात बहुत कुछ मन्क़ूल हैं। कुछ में है कि ज़ोहरा एक औरत थी, उसने उन फ़रिश्तों से यह शर्त की थी कि तुम मुझे वह दुआ सिखा दो जिसे पढ़कर तुम आसमान पर चढ़ जाते हो। उन्होंने सिखा दी, यह पढ़कर चढ़ गई और वहाँ तारे की शक्ल में बना दी गई। (हाकिम : 2/265, 266; वहुव ज़ईफ़ लम यसिह्हु अन अली (रज़ि.) तब्री : 2/478; वल इजाब फ़ी बयानिल अस्बाब, लि इब्ने हजर : 1/322) कुछ मरफ़ूअ रिवायात में भी यही है लेकिन वह मुंकर और ग़ैर-सहीह हैं। एक और रिवायत में है कि इस वाक़िया से पहले तो फ़रिश्ते सिर्फ़ ईमान वालों की बख़्शिश की दुआ माँगते थे लेकिन उसके बाद तमाम अहले ज़मीन के लिए दुआ शुरू कर दी। कुछ रिवायात में है कि, जब इन दोनों फ़रिश्तों से यह नाफ़र्मानियाँ सरज़द हुई, तब और फ़रिश्तों ने इक़रार कर लिया कि बनी-आदम जो अल्लाह तआला से दूर हैं और बिन देखे ईमान लाते हैं, उनसे ख़ताओं का सरज़द हो जाना कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं। इन दोनों फ़रिश्तों से कहा गया कि, अब या तो दुनिया का अज़ाब पसंद कर लो या आख़िरत के अज़ाबों के लिए तैयार हो जाओ। दोनों आपस में मश्विरा करके दुनिया के अज़ाब को पसंद किया, क्योंकि यह फ़ना हो जाने वाला है और आख़िरत के अज़ाब दाइमी हैं, चुनाँचे उन्हें बाबिल में अज़ाब हो रहा है।

एक रिवायत में है कि उन्हें अल्लाह तआला ने जो अहकाम दिये थे, उनमें क़त्ल और माले-हराम से मुमानिअत भी थी और यह हुक्म भी था कि फ़ैसला इंसाफ़ के साथ करें। यह भी वारिद हुआ है कि यह तीन फ़रिश्ते थे लेकिन एक ने आज़माइश से इंकार कर दिया और वापिस चला गया, फिर दो की आज़माइश हुई। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, यह वाक़िया हज़रत सुलेमान (अलै.) के ज़माने का है। यहाँ बाबिल से मुराद बाबिल दुनियावन्द है। उस औरत का नाम अरबी में ज़ोहरा था और निब्ती ज़ुबान में उसका नाम बैदख़्त था और फ़ारसी में नाहीद था। यह औरत अपने शौहर के ख़िलाफ़ एक मुक़द्दमा लाई थी, जब उन्होंने उससे बुराई का इरादा किया तो उसने कहा, पहले मुझे मेरे शौहर के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दो तो फिर मैं तैयार हूँ। उन्होंने ऐसा ही किया, फिर उसने

कहा, मुझे यह भी बता दो कि तुम क्या पढ़कर आसमान पर चढ़ जाते हो और क्या पढ़कर उतरते हो? उन्होंने यह भी बता दिया। चुनाँचे वह उसे पढ़कर आसमान पर चढ़ गई लेकिन उतरने का वज़ीफ़ा भूल गई और वहीं सितारे की सूरत में मस्ख़ कर दी गई। अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) जब कभी सितारे को देखते तो ला'नत भेजा करते थे। अब उन फ़रिश्तों ने जब चढ़ना चाहा तो न पढ़ सके, समझ गए कि अब हम हलाक हुए।

मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, पहले-पहल चंद दिनों तक तो यह फ़रिश्ते साबित-क़दम रहे, सुबह से शाम तक अद्ल के साथ फ़ैसले करते रहते, शाम को आसमान पर चढ़ जाते, फिर ज़ोहरा को देखकर अपने नफ़्स पर क़ाबू न रख सके। ज़ोहरा सितारे को एक ख़ूबसूरत औरत की शक्ल में भेजा गया था। अल्ग़र्ज़ हारूत व मारूत का यह क़िस्सा ताबेईन में से भी अकसर लोगों ने बयान किया है। जैसे मुजाहिद, सुदी, हसन बसरी, क़तादा, अबुल आलिया, ज़ुहरी, रबीअ बिन अनस, मुक़ातिल बिन हय्यान वग़ैरह (रह.) और मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन मुफ़स्सिरीन ने भी अपनी-अपनी तफ़ासीर में इसे नक़्ल किया है लेकिन इसका ज़्यादातर दारोमदार बनी इस्राईल की किताबों पर है। कोई सहीह मरफ़ूअ मुत्तसिल हदीस इस बाब में आँहज़रत (ﷺ) से साबित नहीं और न क़ुरआने-करीम में इस क़द्र बस्त व तफ़्सील है, पस हमारा ईमान है कि जिस क़द्र क़ुरआन में है, सहीह और दुरुस्त है और हक़ीक़ते-हाल का इल्म अल्लाह तआला को ही है (क़ुरआन-करीम के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ मुस्नद अहमद, इब्ने हिब्बान, बैहक़ी वग़ैरह की मरफ़ूअ हदीस, हज़रत अली, हज़रत इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) वग़ैरह की मौक़ूफ़ रिवायात ताबेईन वग़ैरह की तफ़ासीर वग़ैरह मिल मिलाकर इस वाक़िया की बहुत कुछ तक़्वियत हो जाती है, न उसमें कोई महाल अक़्ली है, न उसमें किसी उसूले इस्लामी का ख़िलाफ़ है। फिर ज़ाहिर से हटाकर बेजा तकल्लुफ़ात उठाने की कोई ज़रूरत बाक़ी नहीं रह जाती, वल्लाहु आ'लम! (फ़त्हुल बयान)

इब्ने जरीर में एक ग़रीब असर और एक अजीब वाक़िया है, इसे भी सुनिए! हज़रत आइशा (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं कि, दूमतुल-जन्दल की एक औरत हुज़ूर (ﷺ) के इंतिक़ाल के थोड़े ही अर्से बाद आपकी तलाश में आई और आप (ﷺ) के इंतिक़ाल की ख़बर पाकर बेचैन होकर रोने-पीटने लगी। मैंने उससे पूछा कि, आख़िर क्या बात है? तो उसने कहा कि मुझ में और मेरे शौहर में हमेशा नाचाक़ी रहा करती थी। एक मर्तबा वह मुझे छोड़कर कहीं चला गया। एक बुढ़िया से मैंने यह ज़िक्र किया, उसने कहा, जो मैं कहूँ वह कर, वह ख़ुद-ब-ख़ुद तेरे पास आ जाएगा, मैं तैयार हो गई। वह रात के वक़्त दो कुत्ते लेकर मेरे पास आई, एक पर वह ख़ुद सवार हुई, दूसरे पर मैं बैठ गई, थोड़ी ही देर में हम दोनों बाबिल गईं। मैंने देखा कि दो शख़्स उधर लटके हुए हैं और लोहे में जकड़े हुए हैं। उस औरत ने मुझसे कहा, इनके पास जा और इनसे कह कि मैं जादू सीखने आई हूँ। मैंने उनसे कहा, सुन! हम तो आज़माइश में हैं तू जादू न सीख, उसका सीखना कुफ़्र है।

मैंने कहा, मैं तो सीखूँगी। उन्होंने कहा, अच्छा! फिर जा और उस तन्नूर में पेशाब करके आ, मैं गई, इरादा किया, लेकिन कुछ दहशत सी तारी हुई, मैं वापिस आ गई और कहा, मैं फ़ारिग़ हो आई। उन्होंने पूछा, क्या देखा? मैंने कहा, कुछ न हीं। उन्होंने कहा, तू ग़लत कहती है, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, तेरा ईमान साबित है, अब भी लौट जा और कुफ़्र न कर। मैंने कहा, मुझे तो जादू सीखना है। उन्होंने फिर कहा, जा और उस तन्नूर में पेशाब कर आ। मैं फिर गई लेकिन अब की मर्तबा भी दिल न चला, वापिस आई। फिर इसी तरह सवाल-जवाब

हुए। मैं तीसरी बार फिर तन्नूर के पास गई और दिल कड़ा करके पेशाब करने को बैठ गई। मैंने देखा कि, एक घुड़सवार मुँह पर नक़ाब डाले निकला और आसमान पर चढ़ गया। मैं वापिस चली आई, उनसे ज़िक्र किया, उन्होंने कहा, हाँ! अबकी मर्तबा तू सच कहती है, वह तेरा ईमान था, जो तुम से निकल गया, अब चली जा। मैं आई और उस बुढ़िया से कहा कि उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। उसने कहा, बस तुझे सब कुछ आ गया, अब तू जो कहेगी, हो जाएगा। मैंने आज़माइश के लिए एक दाना गेहूँ का लिया, उसे ज़मीन पर डालकर कहा, उग जा, वह फ़ौरन उग गया। मैंने कहा, तुझमें बाली पैदा हो जाए, चुनाँचे हो गई। मैंने कहा, सूख जा, वह बाली सूख गई। मैंने कहा, अलग-अलग दाना हो जा। वह भी हो गया। फिर मैंने कहा, 'सूख जा' तो सूख गया। फिर मैंने कहा, आटा बन जा तो आटा बन गया। मैंने कहा, रोटी पक जा, तो रोटी पक गई। यह देखते ही मेरा दिल नादिम होने लगा और मुझे अपने बेईमान हो जाने का सदमा होने लगा। ऐ उम्मुल-मो'मिनीन! क़सम अल्लाह की, न मैंने उस जादू से कोई काम लिया, न किसी पर किया। मैं यूँ ही रोती-पीटती हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई कि हुज़ूर (ﷺ) से कहूँ, लेकिन अफ़सोस! बदक़िस्मती से आप (ﷺ) को भी मैंने न पाया, अब मैं क्या करूँ? इतना कहकर फिर उसने बीन व बका (रोना-धोना) शुरू की और इस क़द्र रोई कि हर एक को उस पर तरस आने लगा। सहाबा-किराम (رضي الله عنهم) भी हैरान थे कि उसे क्या फ़त्वा दे। आख़िर कुछ सहाबा ने कहा, अब सिवा इसके और क्या हो सकता है कि तुम इस काम को न करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो और अपने माँ-बाप की ख़िदमत-गुज़ारी करती रहो। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी सनद को हसन क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलातुज़्ज़ईफ़ : 2/315) और यही राजेह है।)

इसकी इस्नाद बिलकुल सहीह हैं। यहाँ यह भी ख़्याल रखना चाहिए कि सहाबा-किराम (رضي الله عنهم) फ़त्वा देने में बहुत एहतियात करते थे कि छोटी सी बात बताने में भी ताम्मुल (झिझक) होता था। आज हम बड़ी से बड़ी बात भी अटकल और राय व क़यास से गढ़-गढ़ाकर बता देते हैं, बिलकुल नहीं रुकते।

कुछ लोग कहते हैं कि ऐ'न चीज़ जादू के ज़ोर से पलट जाती है और कुछ कहते हैं, नहीं! सिर्फ़ देखने वाले को ऐसा ख़्याल पड़ता है, असल चीज़ जैसी होती है वैसी ही रहती है। जैसे कुरआन में है (سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ) (7/आ'राफ़ : 116) या'नी ''उन्होंने लोगों की आँखों पर जादू कर दिया'' और फ़र्माया (يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ) (20/ताहा : 66) ''हज़रत मूसा (عليه السلام) की तरफ़ ख़्याल डाला जाता था कि गोया वह साँप वग़ैरह उनके जादू के ज़ोर से चल फिर रहे हैं।'' इस वाक़िया से यह भी मा'लूम होता है कि आयत में लफ़्ज़ बाबिल से मुराद बाबिले इराक़ है, बाबिले-दुनियावन्द नहीं। इब्ने अबी-हातिम की एक रिवायत में है कि, हज़रत अली (رضي الله عنه) बाबिल की सरज़मीन पर जा रहे थे, असर की नमाज़ का वक़्त आ गया लेकिन आपने वहाँ नमाज़ अदा न की बल्कि उस ज़मीन की सरहद से निकल जाने के बाद नमाज़ पढ़ी और फ़र्माया, मेरे हबीब (ﷺ) ने मुझे क़ब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने से रोक दिया है और बाबिल की ज़मीन में नमाज़ पढ़ने से मुमानिअत फ़र्माई है। यह ज़मीन मल्ऊन है। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब फ़िल मवाज़िइल्लती ला तजूज़ु फ़ीहस्सलाति : 490, 491; व सनदुहू ज़ईफ़; अबू सालेह ग़िफ़ारी की सय्यदना अली (رضي الله عنه) से रिवायत मुर्सल होती है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। ज़ईफ़ अबू दाऊद : 93) अबू दाऊद में भी यह हदीस मरवी है और

अबू दाऊद (रह.) ने इस पर कोई कलाम नहीं की और जिस ह़दीस को इमाम अबूदाऊद (रह.) अपनी किताब में लाएँ और उसकी सनद पर ख़ामोश रहें तो वह ह़दीस उनके नज़दीक ह़सन होती है। इससे मा'लूम हुआ कि बाबिल की सरज़मीन पर नमाज़ मकरूह है, जैसे कि समूदियों की सरज़मीन की बाबत हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है कि, उन लोगों की मंज़िलों मे न जाओ, अगर इत्तिफ़ाक़न जाना पड़े तो ख़ौफ़े-रब्बानी से रोते हुए जाओ। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुस्सलात, बाबुस्सलात फ़ी मवाज़िउइ ख़सफ़ वल अ़ज़ाब : 433; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2980) हैयत-दाँ लोगों का क़ौल है कि बाबिल की दूरी बह़रे गुरबा ओक़ियानूस से सत्तर दर्जा लम्बी और वस्ते ज़मीन से जुनूब की जानिब बख़त्ते इस्तिवा तैंतीस दर्जा है, वल्लाहु अ़'लम! चूँकि हारूत व मारूत को अल्लाह तआ़ला ने ख़ैर व शर्र, कुफ़्र व ईमान का इल्म दे रखा है, इसलिए हर एक कुफ़्र की त़रफ़ झुकने वाले को नसीह़त करते हैं और हर त़रह़ से रोकते हैं, जब नहीं मानता तो वह कलिमात उससे कह देते हैं, उसका नूरे ईमान जाता रहता है, ईमान से हाथ धो बैठता है और जादू आ जाता है, शैत़ान उसका रफ़ीक़ बन जाता है। ईमान के निकल जाने के बाद ग़ज़बे-इलाही उसके रौंगटे में घुस जाता है। इब्ने जरीर (रह़.) फ़र्माते हैं, सिवाए काफ़िर के और कोई जादू सीखने की जुर्अत (हिम्मत) नहीं करता। फ़ित्ना के मा'नी यहाँ पर बला, आज़माइश और इम्तिह़ान के हैं। ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) का क़ौल क़ुरआने-ह़कीम में मज़्कूर है (اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ) (7/आ'राफ़ : 155) इस आयत से यह भी मा'लूम हो गया कि जादू सीखना कुफ़्र है। ह़दीस में भी है ''जो शख़्स किसी काहिन या जादूगर के पास जाए और उसकी बात सच समझे, उसने (ह़ज़रत) मुह़म्मद (ﷺ) पर उतरी हुई वह़ी के साथ कुफ़्र किया।'' (कश्फ़ुल अस्तार : 2/443; व सनदुहू ज़ईफ़) (बज़्ज़ार)। यह ह़दीस स़ह़ीह़ है और इसकी ताईद में और अह़ादीस भी हैं।

फिर फ़र्माया कि, लोग हारूत व मारूत से जादू सीखते हैं, जिसके ज़रिये से बुरे काम करते हैं। औरत मर्द की मुह़ब्बत और मुवाफ़िक़त को बुग़्ज़ और मुख़ालिफ़त से बदल देते हैं। स़ह़ीह़ मुस्लिम में ह़दीस है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं ''शैत़ान अपना अ़र्श पानी पर रखता है फिर अपने लश्करों को लोगों के बहकाने के लिए भेज देता है और सबसे ज़्यादा मर्तबा वाला उसके नज़दीक वह है जो फ़ित्ने में सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, यह जब वापिस आते हैं तो अपने बदतरीन कामों का ज़िक्र करते हैं, कोई कहता है कि मैंने फ़लाँ को इस त़रह़ बेराह कर दिया, कोई कहता है कि, मैंने फ़लाँ को इस त़रह़ बेराह कर दिया। कोई कहता है, मैंने फ़लाँ शख़्स से यह गुनाह कराया। शैत़ान उनसे कहता है, कुछ नहीं किया, यह तो मा'मूली काम है, यहाँ तक कि एक आकर कहता है कि मैंने फ़लाँ शख़्स के और उसकी बीवी के दरम्यान झगड़ा डाल दिया, यहाँ तक कि जुदाई हो गई। शैत़ान उसे गले लगा लेता है और कहता है, हाँ! तूने बड़ा काम किया, उसे अपने पास बिठा लेता है और उसका मर्तबा बढ़ा देता है। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताब स़िफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन, बाब तहरीशुश्शैत़ान : 2813) पस जादूगर भी अपने जादू से यह काम करता है जिससे मियाँ बीवी में जुदाई हो जाए। मस्लन उसकी शक्ल सूरत उसे बुरी मा'लूम होने लगे या उसके आ़दात व अत्वार से जो ग़ैर-शरई न हों, यह नफ़रत करने लगे, या दिल में अ़दावत आ जाए वग़ैरह-वग़ैरह। आहिस्ता-आहिस्ता यह बातें बढ़ती जाएँ और मियाँ-बीवी के बीच अ़लैह़िदगी हो जाए। 'मरउन' कहते हैं, आदमी को, इसका मुज़क्कर, मुअन्नस और तस्निया तो है, जमा नहीं बनता। फिर फ़र्माया, यह किसी को भी बग़ैर अल्लाह की मर्ज़ी के ईज़ा नहीं पहुँचा सकते, या'नी उनके अपने बस की बात नहीं, अल्लाह तआ़ला की क़ज़ा व क़द्र और उसके इरादे के मातह़त यह नुक़सान भी पहुँचता है, अगर अल्लाह न चाहे तो उसका जादू मह़ज़

बेअसर और बेफ़ायदा हो जाता है। यह मतलब भी हो सकता है कि यह जादू उसी शख़्स को नुक़्सान देता है जो उसे हासिल करे और उसमें दाख़िल हो। फिर इर्शाद होता है वह ऐसा इल्म सीखते हैं जो उनके लिए सरासर नुक़्सानदेह है जिसमें कोई नफ़ा नहीं और यह यहूदी जानते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ताबे'दारी छोड़कर जादू के पीछे लगने वालों का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, न उनकी कोई क़द्र व वक़्अत अल्लाह के पास है, न वह दीनदार समझे जाते हैं। फिर फ़र्माया, अगर यह इस काम की बुराई महसूस करते और ईमान व तक़्वा इख़्तियार करते तो यक़ीनन इनके लिए बहुत ही बेहतर था मगर यह बेइल्म लोग हैं। और फ़र्माया कि, अहले इल्म ने कहा, तुम पर अफ़सोस है, अल्लाह तआला का दिया हुआ सवाब ईमानदारों और नेक आ'माल वालों के लिए बहुत ही बेहतर है लेकिन उसे सब्र करने वाले ही पा सकते हैं। बुज़ुर्गाने दीन ने इस आयत से यह भी इस्तिदलाल किया है कि जादूगर काफ़िर है क्योंकि आयत में (व लौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ) फ़र्माया है। हज़रत इमाम अहमद (रह.) और सलफ़ की एक जमाअत भी जादू सीखने वाले को काफ़िर कहती है, कुछ काफ़िर तो नहीं कहते, लेकिन फ़र्माते हैं कि जादूगर की हद यह है कि उसे क़त्ल कर दिया जाए।

बजाला बिन उबेद (रह.) कहते हैं, हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने अपने एक फ़र्मान में लिखा था कि हर एक जादूगर मर्द औरत को क़त्ल कर दो। चुनाँचे हमने तीन जादूगरों की गर्दन मारी। (अहमद : 1/190, 191; वहुव सहीह। इसकी असल सहीह बुख़ारी, किताबुज़् ज़िम्मा, बाब अल् जिज़्यतु वल मुवादअतु मअ अहलिज़ ज़िम्मति वल हर्ब : 3156; में मौजूद है लेकिन इसमें सहर और क़त्ल का ज़िक्र नहीं है।) सहीह बुख़ारी में है कि उम्मुल मो'मिनीन हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) पर उनकी एक लौण्डी ने जादू किया जिस पर उसे क़त्ल किया गया। (अल मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुल उक़ूल, बाब मा जाअ फ़िल ग़ीलति वस् सिहर : 2/871; ह : 1689; वहुव सहीह बिश्शवाहिद।) हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) फ़र्माते हैं, तीन सहाबा (رضي الله عنهم) से जादूगर के क़त्ल का फ़त्वा साबित है। तिर्मिज़ी में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "जादूगरी की हद तलवार से क़त्ल कर देना है।" (तिर्मिज़ी, किताबुल हुदूद, बाब मा जाअ फ़ी हदिस्साहिर : 1460; व सनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में इस्माईल बिन मुस्लिम रावी ज़ईफ़ है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 1446) इस हदीस के एक रावी इस्माईल बिन मुस्लिम ज़ईफ़ हैं। सहीह बात यही मा'लूम होती है कि ग़ालिबन यह हदीस मौक़ूफ़ है लेकिन तबरानी में एक दूसरी सनद से भी यही हदीस मरफ़ूअ है, वल्लाहु आ'लम!

वलीद बिन उक़्बा के पास एक जादूगर था जो अपने करतब दिखाया करता था, बज़ाहिर एक शख़्स का सर काट लेता, फिर आवाज़ देता तो सर जुड़ जाता और वह मौजूद हो जाता, मुहाजिरीन सहाबा (رضي الله عنهم) में से एक बुज़ुर्ग सहाबी ने यह देखा और दूसरे दिन तलवार बाँधे हुए आए। जब साहिर ने अपना खेल शुरू किया, आपने अपनी तलवार से ख़ुद उसकी गर्दन उड़ा दी और फ़र्माया, ले अब अगर सच्चा है तो ख़ुद ज़िन्दा होकर दिखा। फिर कुरआन-हकीम की यह आयत पढ़कर लोगों को सुनाई (أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ) (21/अम्बिया : 3) "क्या तुम देखते भालते जादू के पास जाते हो?" चूँकि उस बुज़ुर्ग सहाबी ने वलीद की इजाज़त उसके क़त्ल में नहीं ली थी इसलिए उसने नाराज़ होकर उन्हें गिरफ़्तार करके फिर छोड़ दिया। (सुनन दारे-कुत्नी : 3/114; ह : 3180; व सनदुहू सहीह; नीज़ देखिए (सिलसिलतुज़् ज़ईफ़ : 3/642; व-क़ालल अल्बानी : "हाज़ा इस्नादुन

सहीह'') इमाम शाफ़ई (रह.) ने हज़रत उमर (رضي الله عنه) के फ़र्मान और हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) के वाक़िया के बारे में यह कहा है कि यह हुक्म उस वक़्त है जब जादू शिर्किया अल्फ़ाज़ से हो।

जादू का वजूद : मुअतज़िला जादू के वजूद के मुंकिर हैं, वह कहते हैं जादू कोई चीज़ नहीं, बल्कि कुछ लोग तो कुछ दफ़ा इतना बढ़ जाते हैं कि कहते हैं, जो जादू का वजूद मानता हो वह काफ़िर है लेकिन अहले-सुन्नत जादू के वजूद के क़ाइल हैं। यह मानते हैं कि जादूगर अपने जादू के ज़ोर से हवा पर उड़ सकते हैं और इंसान को बज़ाहिर गधा और गधे को बज़ाहिर इंसान बना डालते हैं, मगर कलिमात और मंतर वग़ैरह के वक़्त उन चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह तआला है, आसमान को और तारों के तासीर पैदा करने वाला अहले सुन्नत नहीं मानते। फ़ल्सफ़े और नुजूम वाले और बेदीन लोग तो तारों को और आसमान को ही असर पैदा करने वाला जानते हैं। अहले-सुन्नत की एक दलील तो आयत (वमाहुम बिज़ॉरीन) है और दूसरी दलील ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) पर जादू किया जाना और आप (ﷺ) पर उसका असर होना है। तीसरे उस औरत का वाक़िया जिसे हज़रत आइशा (رضي الله عنها) ने बयान फ़र्माया है जिसका ज़िक्र हो चुका है और भी बीसयों ऐसे ही वाक़ियात वग़ैरह हैं।

क्या जादू सीखना जाइज़ है? इमाम राज़ी (रह.) ने अपनी तफ़्सीर में लिखा है कि जादू का हासिल करना बुरा नहीं। मुहक़्क़िक़ीन का यही क़ौल है, इसलिए कि वह भी एक इल्म है और अल्लाह तआला फ़र्माता है (قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ) (39/जुमर : 9) या'नी इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं होते'' और इसलिए भी कि यह मा'लूम होगा तो उससे मु'जिज़े और जादू में पूरी तरह फ़र्क़ वाज़ेह हो जाएगा, और मु'जिज़े का इल्म वाजिब है और वह मौक़ूफ़ है जादू के सीखने पर जिससे फ़र्क़ मा'लूम हो, पस जादू का सीखना भी वाजिब हुआ। राज़ी (रह.) का यह क़ौल बिलकुल ग़लत है। अगर अक़्लन वह इसे बुरा न बताएँ तो मुअतज़िला मौजूद हैं, जो अक़्लन भी इसकी बुराई के क़ाइल हैं और अगर शरअन बुरा न बताते हों तो क़ुरआन की यह आयत शरई बुराई बताने के लिए काफ़ी है। सहीह हदीस में है जो शख़्स किसी जादूगर या काहिन के पास जाए वह काफ़िर हुआ। (बज़्ज़ार : 4067; व सनदुहू ज़ईफ़) सुनन में यही है, यह भी ठीक नहीं आख़िर उन मुहक़्क़िक़ीन के ऐसे क़ौल कहाँ हैं? अइम्म-ए-इस्लाम में से किसने यह कहा है फिर (هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ) की आयत को पेश करना भी सिवाए जुर्अत के और कुछ नहीं , क्योंकि आयत में इल्म से मुराद दीनी इल्म है। आयत में शरई इल्म वाले उलमा की फ़ज़ीलत बयान हुई है। फिर उनका यह क़ौल कि इसी मु'जिज़े का इल्म हासिल होता है यह तो बिलकुल वाही, महज़ ग़लत और फ़ासिद है, इसलिए कि हमारे रसूल (ﷺ) का सबसे बड़ा मु'जिज़े क़ुरआन-हकीम है जो बातिल से सरासर महफ़ूज़ है लेकिन इस मु'जिज़े के मानने के लिए जादू का इल्म जानने पर मौक़ूफ़ नहीं, वह लोग जिन्हें जादू से दूर का भी ता'ल्लुक़ नहीं, वह भी इसे मु'जिज़े मान गए। सहाबा (رضي الله عنهم) ताबेईन, अइम्मतुल-मुस्लिमीन बल्कि आम मुसलमान भी इसे मु'जिज़े मानते हैं हालाँकि इन तमाम में से कभी एक भी जादू जानना तो क्या जादू के पास तक नहीं फटका, न सीखा, न सिखाया, न किया, न कराया बल्कि इन सब कामों को कुफ़्र कहते रहे। फिर यह दा'वा करना कि मु'जिज़े का जानना वाजिब है और जादू और मु'जिज़े का फ़र्क़ जादू के जानने पर मौक़ूफ़ है, लिहाज़ा जादू का सीखना वाजिब यह किस क़द्र मुहमल (बेवज़न) दा'वा है।

जादू की क़िस्में : अब जादू की क़िस्में सुनिए, जिन्हें अबू अब्दुल्लाह राज़ी ने बयान किया है।

एक जादू तो सितारा परस्त फ़िर्क़ा का है वह सात सितारों की निस्बत अक़ीदा रखते हैं कि भलाई-बुराई उन्हीं की सबब होती है, इसलिए उनकी तरफ़ ख़िताब करके मुक़र्ररा अल्फ़ाज़ पढ़ा करते हैं और उन ही की परसतिश करते हैं। इसी क़ौम में हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) आए और उन्हें हिदायत की। राज़ी ने इस फ़न में एक ख़ास किताब तस्नीफ़ की है जिसका नाम ''अस्सिर्रुल् मक्तूमु फ़ी मुख़ातबतिश्शम्सि वन् नुजूम'' रखा है। मुलाहिज़ा हो इब्ने-ख़ल्कान वग़ैरह। कुछ तो कहते हैं कि फिर उससे तौबा कर ली है और कुछ कहते हैं कि सिर्फ़ मा'लूम कराने के लिए और अपने उस इल्म को ज़ाहिर करने के लिए यह किताब लिखी थी न कि उनका ऐ'तिक़ाद भी यही हो जो कि सरासर कुफ़्र है। उस किताब में उन लोगों के तौर-तरीक़े लिखे हैं।

दूसरा जादू क़वियुन्नफ़्स और कुव्वते-वाहिमा वाले ताक़तवर लोगों का है, वहम और ख़्याल का ज़िन्दगी में बड़ा असर होता है। देखिए! अगर तंग पुल ज़मीन पर रख दिया जाए तो उस पर इंसान बआसानी चला जाएगा लेकिन यही तंग पुल अगर किसी दरिया पर हो तो नहीं गुज़र सकेगा, इसलिए कि उस वक़्त ख़्याल होता है कि अब गिरा और अब गिरा, तो वाहिमा की कमज़ोरी के सबब जितनी जगह पर ज़मीन में चल फिर सकता था, उतनी जगह पर ऐसे डर के वक़्त नहीं चल सकता। हकीमों और तबीबों ने भी मरऊफ़ (जिस शख़्स को नक्सीर की बीमारी हो) को सुर्ख़ चीज़ों के देखने से रोक दिया है और मिर्गी वालों को ज़्यादा रोशनी वाली और तेज़ हरकत करने वाली चीज़ों के देखने से मना किया है जिससे ज़ाहिर है कि कुव्वते-वाहिमा का एक ख़ास असर तबीयत पर पड़ता है। अक़्लमन्द लोगों का इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि नज़र लगती है। सहीह हदीस में भी आया है कि 'नज़र का लगना हक़ है, अगर कोई चीज़ तक़्दीर पर सब्क़त करने वाली होती तो नज़र होती।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलाम, बाब अत्तिब वल मर्ज़ वर् रुक़्या : 2188; तिर्मिज़ी : 2092) अब अगर नफ़्स क़वी है तो ज़ाहिरी सहारों और ज़ाहिरी कामों की कोई ज़रूरत नहीं और अगर इतना क़वी नहीं तो फिर उन आलात की भी ज़रूरत पड़ती है जिस क़द्र नफ़्स की कुव्वत बढ़ती जाएगी वह रूहानियत में तरक़्क़ी करता जाएगा और तासीर में बढ़ता जाएगा और जिस क़द्र यह कुव्वत कम होती जाएगी, इसी क़द्र यह कम होता चला जाएगा। यह कैफ़ियत ग़िज़ा की कमी लोगों के मेल-जोल के तर्क वग़ैरह से भी हो जाती है, कभी तो उसे हासिल करके इंसान नेकी के काम शरीअत के मुताबिक़ उससे लेता है, इस हाल को शरीअत की इस्तिलाह में करामत कहते हैं, जादू नहीं कहते और कभी इस हाल से बातिल में और ख़िलाफ़े-शरअ कामों में मदद लेता है और दीन से दूर हो जाता है। ऐसे लोगों के यह ख़िलाफ़े-शरअ कामों से किसी को धोखा खाकर उन्हें वली न समझ लेना चाहिए क्योंकि शरीअत के ख़िलाफ़ चलने वाला वलीअल्लाह नहीं हो सकता। आप देखते नहीं कि, सहीह अहादीस में दज्जाल के बारे में क्या कुछ आया है? वह कैसे कैसे ख़िलाफ़े-आदत काम करके दिखाएगा लेकिन उनकी वजह से वह अल्लाह का वली नहीं बल्कि वह मलऊन व मरदूद है।

तीसरी क़िस्म ख़्यालात का बदल देना, आँखों पर अंधेरा डाल देना और शो'बदाबाज़ी करना है जिससे हक़ीक़त के ख़िलाफ़ कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है, तुमने देखा होगा कि शो'बदाबाज़ पहले एक काम शुरू करता है जब लोग दिलचस्पी के साथ उसकी तरफ़ नज़रें जमा देते हैं और उसकी बातों की तरफ़ मुतवज्जह होकर हमातन (पूरे तौर पर) उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं, तो वह फुर्ती से एक दूसरा काम कर डालता है जो लोगों की

निगाहों से पोशीदा रहता है और उसे देखकर वह हैरान रह जाते हैं। कुछ मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि फ़िरऔन के जादूगरों का जादू भी इसी क़िस्म का था, इसीलिए कुरआन में है (سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ) (7/आ'राफ़ : 116) ''लोगों की आँखों पर जादू कर दिया और उनके दिलो में डर बैठा दिया।'' और जगह है (يُخَيَّلُ اِلَيْهِ) (20/ताहा : 66) ''हज़रत मूसा (عليه السلام) के ख़्याल में वह सब लकड़ियाँ और रस्सियाँ साँप बनकर दौड़ती हुई नज़र आने लगीं, हालाँकि दरहक़ीक़त ऐसा न था।'' वल्लाहु आ'लम!

कुछ चीज़ों की तर्कीब देकर कोई अजीब काम उससे लेना, मस्लन घोड़े के शक्ल बना दी, उस पर एक सवार बनाकर बिठा दिया, उसके हाथ में नाक़ूस है, जहाँ एक साअत गुज़री और उस नाक़ूस में से आवाज़ निकली, हालाँकि कोई उसे नहीं छेड़ता। इसी तरह इंसानी सूरत इस कारीगरी से बनाई कि गोया असली इंसान हंस रहा है या रो रहा है। फ़िरऔन के जादूगरों का जादू भी इसी क़िस्म में से था कि वह बनाए हुए साँप वग़ैरह ज़ेबक़ के सबब ज़िन्दा हरकत करने वाले दिखाई देते थे। घड़ी और घण्टे और छोटी-छोटी चीज़ें जिनसे बड़ी बड़ी वज़नी चीज़ें खिंची आती हैं। सब इसी क़िस्म में दाख़िल हैं। हक़ीक़त में इसे जादू ही न कहना चाहिए, क्योंकि यह तो एक तर्कीब और कारीगरी है जिसके अस्बाब बिलकुल ज़ाहिर हैं जो उन्हें जानता हो वह इन फ़ुनून से यह काम ले सकता है। इसी तरह का वह हीला भी है कि जो बैतुल-मक़्दिस के नसरानी करते थे कि पुर-असरार तरीक़े से गिरजे की क़िंदीलें जला दीं और उसे गिरजे की करामत मशहूर कर दी और लोगों को अपने दीन की तरफ़ झुका लिया। कुछ करामिया सूफ़ियों का भी ख़्याल है कि अगर तर्ग़ीब व तर्हीब की हदीसें गढ़ ली जाएँ और लोगों को इबादत की तरफ़ माइल किया जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह बड़ी ग़लती है। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''जो शख़्स मुझ पर जान बूझकर झूठ बोले वह अपनी जगह जहन्नम में मुक़र्रर कर ले।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब इस्मुम मन कज़िब अलन् नबी (ﷺ) : 110; सहीह मुस्लिम : 4) और फ़र्माया, मेरी हदीसें बयान करते रहो लेकिन मुझ पर झूठ न बाँधो, मुझ पर झूठ बोलने वाला क़त्अन जहन्नमी है।'' (अहमद : 3/39, 56; सहीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब इस्मुम मन कज़िब अलन् नबी (ﷺ) : 116; सहीह मुस्लिम : 3004; तिर्मिज़ी : 2660)

एक नसरानी पादरी ने एक मर्तबा देखा कि एक परिन्द का छोटा सा बच्चा जिसे उड़ने और चलने-फिरने की ताक़त नहीं, एक घौंसले में बैठा है, जब वह अपनी ज़ईफ़ और पस्त आवाज़ निकालता है तो परिन्दे उसे सुनकर रहम खाकर ज़ेतून का फल उसके घौंसले में ला लाकर रख जाते हैं। उस पादरी ने इसी सूरत का एक परिन्दा किसी चीज़ का बनाया और नीचे से उसे खोखला रखा और एक सूराख़ उसकी चोंच की तरफ़ रखा, जिससे हवा उसके अंदर घुसती थी, फिर जब निकलती थी तो इसी तरह की आवाज़ उससे पैदा होती थी, उसे लाकर अपने गिरजे में हवा के रुख़ रख दिया। छत में एक छोटा सा सूराख़ कर दिया ताकि हवा उससे जाए। अब जब हवा चलती और उसकी आवाज़ निकलती तो इस क़िस्म के परिन्दे जमा हो जाते और ज़ेतून के फल ला लाकर रख जाते। उसने लोगों में शुहरत देनी शुरू की कि इस गिरजे में यह करामत है, यहाँ एक बुज़ुर्ग का मज़ार है और यह करामत उन ही की है। लोगों ने भी जब अपनी आँखों से यह अनहोनी अजीब बात देखी तो मुअतक़िद हो गए और उस क़ब्र पर नज़्रो- नियाज़ चढ़ाने लगे और यह करामत दूर-दराज़ तक मशहूर हो गई, हालाँकि न कोई करामत

थी, न मु'जिज़ा, सिर्फ़ एक पोशीदा फ़न था जिसे उस मल्ऊन शख़्स ने पेट भरने के लिए पोशीदा तरीक़े से रखा था और वह ला'नती फ़िर्क़ा उस पर रीझा हुआ था।

कुछ दवाओं के मख़्फ़ी ख़्वास मा'लूम करके उन्हें काम में लाना है, और यह ज़ाहिर है कि दवाओं में अजीब अजीब ख़ासियतें हैं। मक़्नातीस ही को देखो, लोहा किस तरह उसकी तरफ़ चला आता है। अकसर सूफ़ी और फ़क़ीर और दरवेश इन ही हीला-साज़ियों को करामत के तौर पर लोगों को दिखाते हैं और उन्हें मुरीद बनाते फिरते हैं।

दिल पर एक ख़ास क़िस्म का असर डालकर उससे जो चाहे मनवा लेना है। मस्लन उससे कह दिया कि मुझे इस्मे-आ'ज़म याद है या जिन्नात मेरे क़ब्ज़े में हैं। अब अगर सामने वाला कमज़ोर दिल, कच्चे कानों और बूदे अक़ीदे वाला है तो वह उसे सच समझ लेगा, उसको एक क़िस्म का डर और ख़ौफ़, हैबत और रो'ब उसके दिल पर बैठ जाएगा जो हवास को ज़ईफ़ बना देगा। अब उस वक़्त वह जो चाहेगा, करेगा और उसका कमज़ोर दिल उसे अजीब-अजीब बातें दिखाता रहेगा, इसी को तुम्बला (आम जुबान में इसे मा'मूल) कहते हैं और यह अकसर कम-अक़्ल लोगों पर हो जाया करता है और इल्मे फ़रासत से कामिल अक़्ल वाला और कमअक़्ल वाला इंसान मा'लूम हो सकता है और इस हरकत का करने वाला अपना यह फ़े'ल क़याफ़े से कम-अक़्ल शख़्स को पहचान कर ही सकता है।

आठवीं क़िस्म चुग़ली करना, झूठ सच मिलाकर किसी के दिल में अपना घर कर लेना और ख़ुफ़िया चालों से उसे अपना गरवीदा कर लेना। यह चुग़लख़ोरी अगर लोगों को भड़काने, बिदकाने और उनके बीच अदावत व दुश्मनी डालने के लिए हो तो शरअन हराम है। जब इस्लाह के तौर पर और आपस में एक-दूसरे मुसलमान को मिलाने के लिए कोई ऐसी ज़ाहिरी बात कह दी जाए जिससे यह दोनों आपस में सुलह कर लें या कोई आने वाली मुसीबत मुसलमान पर से टल जाए या कुफ़्फ़ार की कुव्वत ज़ाइल हो जाए, उनमें बद-दिली फैल जाए और मुख़ालिफ़त व फूट पड़े तो यह जाइज़ है। हदीस मेंहै कि वह शख़्स झूठा नहीं जो भलाई के लिए इधर-उधर ले जाता है। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सुलह, बाब लैसल काज़िबुल् लज़ी युस्लिहु बैनन्नास : 2692; सहीह मुस्लिम : 2605; अबूदाऊद : 4920; तिर्मिज़ी : 1938) और जैसे हदीस में है कि लड़ाई मकर का नाम है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब अल हर्ब ख़दअतुन : 3030; सहीह मुस्लिम : 1739) और जैसे हज़रत नईम बिन मसऊद (رضي الله عنه) ने जंगे अहज़ाब के मौक़े पर अरब के काफ़िरों और यहूद के काफ़िरों के दरम्यान कुछ इधर-उधर की ऊपरी बातें कहकर जुदाई डलवा दी थी और उन्हें मुसलमानों के मुक़ाबले में शिकस्त हुई, यह काम बड़े आली दिमाग़, ज़ीरक (होशियार) और मा'मला फ़हम शख़्स का है।

यह याद रहे कि इमाम राज़ी (रह.) ने जादू की जो यह आठ क़िस्में की हैं, यह सिर्फ़ ब-ए'तिबार लफ़्ज़ के हैं, क्योंकि अरबी जुबान में सहर या'नी जादू हर उस चीज़ को कहते हैं, जो बहुत लतीफ़ और बारीक हो और ज़ाहिर में इंसान की निगाहों से उसके अस्बाब पोशीदा रह जाएँ, इसीलिए एक हदीस में है कि कुछ बयान भी जादू होता है। (सहीह बुख़ारी, किताबुन् निकाह, बाब अल ख़ुत्बह् : 5145) और इसीलिए सुबह के अव्वल वक़्त को सुहूर कहते हैं कि वह मख़्फ़ी होता है और उस रग को भी सहर कहते हैं, जो ग़िज़ा की नाली है। अबू जहल ने

बद्र के दिन यही कहा था कि उसकी सह्र या'नी रगे तआम ख़ौफ़ के मारे फूल गई। हज़रत आइशा (ﷺ) फ़र्माती हैं, मेरे सह्र व नह्र के बीच रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हुए। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब मर्ज़न् नबी व वफ़ातुहू : 4449) तो नह्र से मुराद सीना और सह्र से मुराद रगे ग़िज़ा। क़ुरआन में भी है (سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ) (7/आ'राफ़ : 116) या'नी "लोगों की निगाहों से अपना काम मख़्फ़ी करके अंजाम दिया।"

अबू अब्दुल्लाह क़ुर्तुबी (रह.) कहते हैं, हम कहते हैं कि जादू है और मानते हैं कि जब अल्लाह को मंज़ूर होता है वह जादू के वक़्त जो चाहता है कर देता है, गो मुअतज़िला और अबू इस्हाक़ अस्फ़राइनी शाफ़ई (रह.) इसके क़ाइल नहीं और जादू कभी हाथ की चालाकी से भी होता है और कभी डोरों-धागों से भी, कभी अल्लाह का नाम पढ़कर दम करने से कि उसमें भी एक ख़ास असर होता है, कभी शयातीन का नाम लेकर शैतानी कामों से भी लोग करते हैं, कभी दवाओं वग़ैरह से भी। हुज़ूर (ﷺ) के इस फ़र्मान के कि, "कुछ बयान जादू है" दो मतलब हो सकते हैं, एक तो यह कि बतौर ता'रीफ़ के आप (ﷺ) ने फ़र्माया हो और मुम्किन है कि बतौरे मज़म्मत के यह इर्शाद हुआ हो कि वह अपनी ग़लत बात इस तरह बयान करता है कि सच मा'लूम होती है। जैसे एक और हदीस में है कि, "कभी मेरे पास तुम मुक़द्दमा लेकर आते हो और एक शख़्स अपनी चर्ब ज़ुबानी से अपने ग़लत दा'वे को सहीह साबित कर देता है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल मज़ालिम, बाब इस्मुम मन ख़ासम फ़ी बातिलिन वहुव यअ्लमुहू : 2458, 2680; सहीह मुस्लिम : 1713)

वज़ीर अबुल मुज़फ़्फ़र यह्या बिन मुहम्मद बिन हबीरा (रह.) ने अपनी किताब "अल् अशराफ़ अला मज़ाहिबिल अशराफ़" में सह्र (जादू) के बाब में कहा है कि, इज्माअ है कि जादू की हक़ीक़त है लेकिन अबू हनीफ़ा (रह.) इसके क़ाइल नहीं। जादू के सीखने वाले और इसे इस्तेमाल में लाने वाले को इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, और इमाम अहमद (रह.) काफ़िर बताते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के कुछ शागिर्दों का क़ौल है कि अगर जादू को बचाव के लिए सीखे तो काफ़िर नहीं होता, हाँ! जो इसका ए'तिक़ाद रखे और उसे नफ़ा देने वाला समझे वह काफ़िर है, और इसी तरह जो यह ख़्याल करता है कि शयातीन यह काम करते हैं और इतनी क़ुदरत रखते हैं, वह भी काफ़िर है। इमाम शाफ़ई (रह.) फ़र्माते हैं जादूगर से दरयाफ़्त किया जाए अगर वह बाबिल वालों का सा अक़ीदा रखता हो और सात सितारों को तासीर पैदा करने वाला जानता हो तो काफ़िर है, अगर यह न हो और जादू को जाइज़ जानता हो तो भी काफ़िर है। इमाम मालिक और इमाम अहमद (रह.) का क़ौल यह भी है कि जादूगर जब जादू करे और जादू को इस्तेमाल में लाए उसे वहीं क़त्ल कर दिया जाए। इमाम शाफ़ई और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) फ़र्माते हैं जब तक बार-बार न करे या किसी मुअय्यन (ख़ास) शख़्स के बारे में ख़ुद इक़रार न करे, तब तक क़त्ल न किया जाए। तीनों इमाम फ़र्माते हैं कि इसका क़त्ल बवजह हद के है, मगर इमाम शाफ़ई (रह.) का बयान है कि बवजह क़िसास के है। इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा (रह.), और एक मशहूर क़ौल में इमाम अहमद (रह.) का फ़र्मान है कि जादूगर से तौबा भी न कराई जाए क्योंकि उसकी तौबा से उस पर से हद नहीं हटेगी, और इमाम शाफ़ई (रह.) का क़ौल है कि उसकी तौबा मक़्बूल होगी। एक रिवायत में इमाम अहमद का भी यही क़ौल है। अहले-किताब का जादूगर भी इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक क़त्ल कर दिया जाएगा लेकिन इमाम मालिक, शाफ़ई, अहमद बिन

हंबल (रह.) का मज़हब इसके बरख़िलाफ़ है। लबीद बिन आसम यहूदी ने हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर जादू किया था और आपने उसके क़त्ल करने को नहीं फ़र्माया। (सहीह बुख़ारी, किताबुत तिब्ब, बाब अस्सहर : 5763; सहीह मुस्लिम : 2189) अगर कोई मुसलमान औरत जादूगरनी हो उसके बारे में इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) फ़र्माते हैं कि उसे क़ैद कर दिया जाए और अहमद बिन हंबल (रह.) कहते हैं कि उसे भी मर्द की तरह क़त्ल कर दिया जाए, वल्लाहु आ'लम!

हज़रत ज़ुहरी (रह.) का क़ौल है कि मुसलमान जादूगर क़त्ल कर दिया जाए और मुश्रिक क़त्ल न किया जाए। इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं, अगर ज़िम्मी के जादू से कोई मर जाए तो ज़िम्मी को भी मार डालना चाहिए, यह भी आप (ﷺ) से मरवी है कि पहले तो उसे कहा जाए कि तौबा कर, अगर वह तौबा कर ले और इस्लाम क़बूल करे तो ख़ैर, वरना क़त्ल कर दिया जाए, और यह भी आपसे मरवी है कि अगरचे इस्लाम क़बूल कर ले ताहम क़त्ल कर दिया जाए, उस जादूगर को जिसके जादू मे शिर्किया अल्फ़ाज़ हों, अइम्मा अरबआ (चारो इमाम) वग़ैरह काफ़िर कहते हैं क्योंकि क़ुरआन में है (फ़ला तक्फ़ुर)

इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं, जब उस पर ग़ल्बा पा लिया जाए फिर वह तौबा करे तो तौबा क़बूल नहीं, जैसे ज़िन्दीक़, हाँ! इससे पहले अगर तौबा कर ले तो क़बूल होगी। अगर उसके जादू से कोई मर गया फिर तो बहर सूरत मारा जायेगा। इमाम शाफ़ई (रह.) फ़र्माते हैं, अगर वह कहे कि मार डालने के लिए मैंने उस पर जादू नहीं किया तो क़त्ले ख़ता की दियत (जुर्माना) ले ली जाए।

जादूगर से उसके जादू को उतरवाने की हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) ने इजाज़त दी है। जैसे सहीह बुख़ारी में है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तिब्ब, बाब हल युस्तख़्रजुस् सिहर तअलीक़न) आमिर शअबी (रह.) भी इसमें कोई हर्ज नहीं बताते। लेकिन हसन बसरी (रह.) इसे मकरूह बताते हैं। हज़रत आइशा (رضي الله عنها) ने हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ किया था कि आप क्यूँ जादू खुलवाते नहीं? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मुझे तो अल्लाह तआला ने शिफ़ा दे दी और मैं लोगों पर बुराई खुलवाने से डरता हूँ।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तिब्ब, बाबुस् सिहर : 5766; सहीह मुस्लिम : 2189) हज़रत वहब (रह.) फ़र्माते हैं, बेरी के सात पत्ते लेकर सलवटे पर मालीदा बनाकर पानी मिला लिया जाए, फिर आयतल-कुर्सी पढ़कर उस पर दम कर दिया जाए और जिस पर जादू किया गया है, उसे तीन घूंट पिला दिया जाए और बाक़ी पानी से ग़ुस्ल करा दिया जाए, इंशाअल्लाह! जादू का असर जाता रहेगा। यह अमल ख़ुसूसियत से उस शख़्स के लिए बहुत ही अच्छा है जो अपनी बीवी से रोक दिया गया हो। जादू को दूर करने और उसके असर को ज़ाइल करने के लिए सबसे आ'ला चीज़ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) (113/फ़लक़ : 1) और (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) (114/नास) की सूरतें हैं। हदीस में है कि इन जैसा कोई ता'वीज़ (इस्तिआज़ा) नहीं। (नसाई, किताबुल इस्तिआज़ा, बाब मा जाअ फ़ी सूरतिल मऊज़तैन : 5440; वहुव हसन; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह नसाई : 5076) इसी तरह आयतल-कुर्सी भी शैतान को दूर करने में आ'ला दर्जा की चीज़ है। (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब फ़ज़्लु सूरतिल् बक़रह : 5010)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۰۴﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۰۵﴾

तर्जुमा : ''ऐ ईमानवालों! तुम राइना न कहा करो, बल्कि उन्ज़ुरना कहा करो, या'नी हमारी तरफ़ देखते और सुनते रहा करो और काफ़िरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है।(104) न तो अहले-किताब के काफ़िर चाहते हैं, न मुश्रिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाज़िल हो (उनके इस हसद से क्या हुआ) अल्लाह तआला जिसे चाहे अपनी रहमत, ख़ुसूसियत से अता फ़र्माए। अल्लाह तआला बड़े फ़ज़्ल वाला है।'' (105)

ग़ैर-मुस्लिमों की मुशाबिहत इख़्तियार करना कैसा है? (आयत 104-105) : इस आयत में अल्लाह तआला अपने मो'मिन बन्दों को काफ़िरों की बोलचाल और उनके कामों की मुशाबिहत से रोक रहा है। यहूदी कुछ अल्फ़ाज़ ज़ुबान दबाकर बोलते थे और मतलब बुरा लेते थे, जब उन्हें यह कहना होता कि हमारी सुनिए तो कहते थे, राइना और मुराद इससे रऊनत और सरकशी लेते थे, जैसे और जगह बयान है (مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا) अल्ख़ (4/निसाअ : 46) या'नी ''यहूदियों में ऐसे लोग भी हैं, जो बातों को असलियत से हटा देते हैं और कहते हैं, हम सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, अपनी ज़ुबानों को तोड़ मरोड़कर दीन में ता'नाज़नी के लिए (राइना) कहते हैं, अगर यह कहते कि हमने सुना और माना, हमारी बात सुनिए और हमारी तरफ़ तवज्जह कीजिए तो यह इनके लिए बेहतर और मुनासिब होता लेकिन इनके कुफ़्र की वजह से अल्लाह ने इन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया है। इनमें ईमान बहुत ही कम है।''

अहादीस में यह भी आया है कि जब यह लोग सलाम करते हैं, तो अस्सामु अलयकुम कहते हैं और साम के मा'नी मौत के हैं तो तुम इनके जवाब में व अलयकुम कहा करो। हमारी दुआ इनके हक़ में क़बूल होगी और इनकी बददुआ हमारे हक़ में क़बूल न होगी। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इस्ति'ज़ान, बाब कैफ़र् रद्द अला अहलिज़िम्मति बिस्सलाम : 6257; सहीह मुस्लिम : 2164, 2166) अल्ग़र्ज़ क़ौल व फ़े'ल में इनसे मुशाबिहत करनी मना है। मुस्नद अहमद की हदीस में है, ''मैं क़यामत के क़रीब तलवार के साथ भेजा गया हूँ, मेरी रोज़ी हक़ तआला ने मेरे नेज़े तले रखी है, ज़िल्लत और पस्ती उसके लिए है जो मेरे अहकाम का ख़िलाफ़ करे और जो शख़्स किसी (ग़ैर-मुस्लिम) क़ौम से मुशाबिहत करे वह उन्हीं में से है।'' (अहमद : 2/50; व

सनद हसन; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीहुल जामे'अ : 2831) अबूदाऊद में भी यह मुशाबिहत वाला हिस्सा मरवी है। (अबूदाऊद, किताबुल लिबास, बाब फ़ी लुब्सिश्शुहरति : 4031; वहुव हसन, मुश्किलुल आसार लित्तहावी : 1/88; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन सहीह क़रार दिया है। देखिए (अल इरवाअ : 1269) इस आयत और हदीस से साबित हुआ कि कुफ़्फ़ार के क़ौल व फ़े'ल, लिबास, ईद और इबादत में उनकी मुशाबिहत करना जो हमारे लिए मशरूअ और मुक़र्रर नहीं, सख़्त मना है और इस पर शरीअत में अज़ाब की धमकी और सख़्त डर और हुर्मत की इत्तिला दी गई है।

हज़रत इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि जब तुम कुरआन-करीम में (या अय्युहल्लज़ी-न आमनू) सुनो तो कान लगा दो और दिल से मुतवज्जह हो जाया करो, क्योंकि या तो किसी बुराई से मुमानिअत होगी या किसी नेकी का हुक्म होगा। हज़रत ख़ेसमा (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, तौरात में बनी इस्राईल को ख़िताब करते हुए अल्लाह तआला ने या अय्युहल् मसाकीन फ़र्माया है लेकिन उम्मते मुहम्मदिया (ﷺ) को (या अय्युहल्लज़ीन आमनू) के मुअज़्ज़ज़ ख़िताब से सरफ़राज़ फ़र्माया है। राइना के मा'नी हमारी तरफ़ कान लगाने के हैं, जैसे आतिना (तब्री : 2/461) मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, इसके मा'नी मुख़ालिफ़त के हैं। (इब्ने अबी हातिम : 1/318) या'नी ख़िलाफ़ न कहा करो, इनसे यह भी मरवी है कि मतलब यह है कि आप हमारी सुनिए और हम आपकी। अंसार ने भी यही लफ़्ज़ हुज़ूर-अकरम (ﷺ) के सामने कहना शुरू कर दिया था, जिससे कुरआन करीम ने उन्हें रोक दिया। (इब्ने अबी हातिम : 1/318) हसन (रह.) फ़र्माते हैं, राइन कहते हैं मज़ाक़ की बात को, या'नी तुम हुज़ूर (ﷺ) की बातों और इस्लाम से मज़ाक़ न किया करो। अबू सख़र (रह.) कहते हैं, जब हुज़ूर (ﷺ) जाने लगते तो जिन्हें कोई बात कहनी होती तो वह कहते, अपना कान इधर कीजिए। अल्लाह तआला ने इस बेअदबी के कलिमा से रोक दिया और अपने नबी की इज़्ज़त करने की ता'लीम फ़र्माई। सुदी (रह.) कहते हैं, रफ़ाआ बिन ज़ैद यहूदी हुज़ूर (ﷺ) से बातें करते हुए यह लफ़्ज़ कहा करता था। मुसलमानों ने भी यह ख़्याल करके कि यह लफ़्ज़ अदब के हैं, यही लफ़्ज़ बोलने शुरू कर दिए, जिस पर उन्हें रोक दिया गया, जैसे सूरह निसाअ में भी है। मक़्सद यह है कि इस कलिमा को अल्लाह तआला ने बुरा जाना और इसके इस्तेमाल से मुसलमानों को रोक दिया। जैसे हदीस में आया है कि अंगूर को करम और गुलाम को अब्द न कहो, (सहीह मुस्लिम, किताबुल अल्फ़ाज़ि मिनल् अदब, बाब कराहयतु तस्मियतिल इनबि करमन : 2248, 2249; सहीह बुख़ारी : 2552) वग़ैरह। अब अल्लाह तआला उन बद बातिन लोगों के हसद व बुग़्ज़ को बयान करता है कि, ऐ मुसलमानों! तुम्हें जो इस कामिल नबी (ﷺ) के ज़रिये कामिल शरीअत मिली है, उससे यह तो जल-भुन रहे हैं, इनसे कह दो कि यह तो अल्लाह का फ़ज़्ल है, जिसे चाहे इनायत करे, वह बड़े ही फ़ज़्लो-करम वाला है।

مَا نَنسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾

तर्जुमा : ''जिस आयत को हम मंसूख़ कर दें या भुला दें, उससे बेहतर या उस जैसी और लाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है। (106) क्या तुझे इल्म नहीं कि ज़मीन व आसमान की मिल्कियत अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं।'' (107)

नासिख़ और मंसूख़ की बहस (आयत 106-107) : हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, नस्ख़ के मा'नी बदल के हैं। (तब्री : 2/473) मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, मिटाने के मा'नी हैं। (इब्ने अबी हातिम : 1/32) जो कभी लिखने में बाक़ी रहती है और हुक्म बदल जाता है। इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) के शागिर्द और अबुल आलिया और मुहम्मद बिन कअब कुर्ज़ी (रह.) से भी इसी तरह मरवी है। (इब्ने अबी हातिम : 1/322) ज़हहाक (रह.) फ़र्माते हैं, भुला देने के मा'नी हैं। अता (रह.) फ़र्माते हैं, छोड़ देने के मा'नी हैं। सुदी (रह.) कहते हैं, उठा लेने के मा'नी हैं। जैसे आयत (اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ) या'नी ज़ानी मर्द और औरत को संगसार कर दिया करो, और जैसे हदीस (لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغٰى لَهُمَا ثَالِثًا) या'नी इब्ने आदम को अगर दो जंगल सोने के मिल जाएँ तो फिर भी वह तीसरे की जुस्तजू में रहेगा। (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब मा यत्तक़ी मिन फ़ित्नतिल माल : 6436; सहीह मुस्लिम : 1048) इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कि अहकाम में तब्दीली हम कर दिया करते हैं, हलाल को हराम, हराम को हलाल, जाइज़ को नाजाइज़, नाजाइज़ को जाइज़ वग़ैरह। हुक्म करना, रोकना और रुख़्सत जाइज़ और मम्नूअ कामों में नस्ख़ होता है हाँ! जो ख़बरें दी गई हैं, वाक़ियात बयान किए गए हैं, उनमें रद्दोबदल और नासिख़ मंसूख़ नहीं होता।

नस्ख़ के लफ़्ज़ी मा'नी नक़ल करने के हैं, जैसे किताब के एक नुस्ख़े से दूसरा नक़्ल कर लेना। इसी तरह यहाँ भी चूँकि एक हुक्म के बदले दूसरा हुक्म होता है इसलिए इसे नस्ख़ कहते हैं। ख़्वाह हुक्म का बदल जाना हो, ख़्वाह अल्फ़ाज़ का। उलमा-ए-उसूल की इबारतें इस मसला में गो मुख़्तलिफ़ हैं मगर मा'नी के लिहाज़ से सब क़रीब-क़रीब एक ही हैं। नस्ख़ के मा'नी किसी शरई हुक्म का बाद वाली दलील की वजह से

हट जाना है, कभी हल्की चीज़ के बदले भारी होती है कभी भारी के बदले हल्की और कभी कोई बदल ही नहीं होता। रहे नस्ख़ के अहकाम, उसकी क़िस्में उसकी शराइत वग़ैरह के लिए उस फ़न की किताबों को देखना चाहिए। यहाँ तफ़्सीर के अहकाम के बयान करने की जगह नहीं। तबरानी में एक रिवायत है कि दो आदमियों ने नबी (ﷺ) से एक सूरत याद की थी, उसे वह पढ़ते रहे, एक मर्तबा रात की नमाज़ में हर चंदा से पढ़ना चाहा लेकिन कुव्वते-हाफ़ज़ा ने साथ न दिया, घबराकर ख़िदमते-नबवी (ﷺ) में हाज़िर हुए और हुज़ूर (ﷺ) से उसका ज़िक्र किया।'' आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''यह मंसूख़ हो गई और भुला दी गई, दिलों में से निकाल ली गई, तुम ग़म न करो बेफ़िक्र हो जाओ।'' (मज्मउज़्ज़वाइद : 6/315 इसकी सनद मे सुलेमान बिन अरक़म मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : 2/196; रक़म : 3427) लिहाज़ा यह रिवायत बातिल है।)

ज़ुहरी नून ख़फ़ीफ़ा पेश के साथ पढ़ते थे, इसके एक रावी सुलेमान बिन अरक़म ज़ईफ़ हैं। अबूबक्र अंबारी ने भी दूसरी सनद से इसे मरफ़ूअ रिवायत किया है। जैसे क़ुर्तुबी (रह.) का बयान है नुन्सिहा को नन्सउहा भी पढ़ा गया है, नन्सउहा के मा'नी मुअख़्ख़र करने पीछे हटा देने के हैं। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) इसकी तफ़्सीर में फ़र्माते हैं, या'नी हम इसे छोड़ देते हैं, मंसूख़ नहीं करते। इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) के शागिर्द कहते हैं, या'नी हम इसके अल्फ़ाज़ को बाक़ी रखते हैं और हुक्म को बदल देते हैं। (तब्री : 2/473) अब्द बिन उमैर, मुजाहिद और अता (रह.) से मरवी है, हम इसे मुअख़्ख़र करते हैं और पीछे हटा देते हैं। अतिया ऊफ़ी, सुदी और रबीअ (रह.) कहते हैं, या'नी मंसूख़ नहीं करते। (तब्री : 2/477) ज़ह्हाक (रह.) फ़र्माते हैं या'नी नासिख़ को मंसूख़ के पीछे रखते हैं। अबुल आलिया (रह.) कहते हैं, अपने पास इसे रोक लेते हैं। हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने ख़ुत्बा में नुन्सिउहा पढ़ा और इसके मा'नी मुअख़्ख़र होने के बयान किए। नुन्सहा जब पढ़ें तो यह मतलब होगा कि हम इसे भुला दें। अल्लाह तआला जिस हुक्म को उठा लेना चाहता था, वह नबी (ﷺ) को भुला देता था, इस तरह वह आयत उठ जाती थी। सअद बिन अबी वक़्क़ास (رضي الله عنه) नुन्सिहा पढ़ते थे, तो उनसे क़ासिम बिन रबीआ ने कहा कि सईद बिन मुसय्यिब (रह.) तो नन्सउहा पढ़ते हैं तो उन्होंने फ़र्माया, सईद पर या सईद के ख़ानदान पर तो क़ुरआन नहीं उतरा। अल्लाह तआला फ़र्माता है (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى) (87/आ'ला : 6) हम तुझे पढ़ाएँगे जिसे तू न भूलेगा। और फ़र्माता है (وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ) (18/कहफ़ : 24) ''जब भूल जा, अपने रब को याद कर।'' हज़रत उमर (رضي الله عنه) का फ़र्मान है कि अली (رضي الله عنه) सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाले और उबय (رضي الله عنه) सबसे ज़्यादा क़ारी क़ुरआन हैं और हम उबय (رضي الله عنه) का क़ौल छोड़ देते हैं इसलिए कि उबय (रज़ि.) कहते हैं, मैंने तो जो रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, उसे नहीं छोड़ूँगा, और अल्लाह तआला फ़र्माता है (مَا نَنْسَخْ) (2/बक़रह : 106) या'नी ''हम जो मंसूख़ कर दें या भूला दें, उससे बेहतर लाते हैं या उस जैसा या उससे बेहतर होता है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब सूरतिल बक़रह, बाब क़ौलुहू (मा नन्सख़ मिन आयाति....) : 4481; अहमद : 5/113) (बुख़ारी व मुस्नद अहमद) या'नी बन्दों की सहूलत और उनके आराम के लिहाज़ से या उस जैसा होता है लेकिन मस्लिहते इलाही इस पिछली चीज़ में होती है।

अल्लाह तआला हाकिमे मुत्लक़ और मुख़्तारे कुल है, मख़्लूक़ में हेर-फेर करने वाला, पैदाईश और हुक्म का इख़्तियार रखने वाला एक अल्लाह तआला ही है, जिस तरह जिसे चाहता है, बनाता है। जिसे चाहे नेकबख़्ती दे, जिसे चाहे, बदबख़्ती दे, जिसे चाहे तंदरुस्ती दे, जिसे चाहे, बीमारी दे, तौफ़ीक़ दे, जिसे चाहे बेनसीब कर दे, बन्दों में जो हुक्म चाहे, जारी करे, जिसे चाहे, हलाल करे, जिसे चाहे हराम कर दे, जिसे चाहे रुख़्सत दे, जिसे चाहे रोक दे, वह हाकिमे मुत्लक़ है, जो चाहे अहकाम जारी करे, कोई उसके हुक्मों को रद्द नहीं कर सकता, जो चाहे करे, कोई उससे बाज़ पुर्स नहीं कर सकता, वह बन्दों को आज़माता है और देखता है कि वह नबियों और रसूलों के कैसे ताबे'दार हैं, किसी चीज़ का किसी मस्लिहत की वजह से हुक्म दिया, फिर मस्लिहत की वजह से ही उस हुक्म को हटा दिया, अब आज़माइश हो जाती है, नेक लोग तो उस वक़्त भी इताअत के लिए कमर बस्ता थे और अब भी हैं, लेकिन बद बातिन लोग बातें बनाते हैं और नाक भौं चढ़ाते हैं। हालाँकि तमाम मख़्लूक़ को अपने ख़ालिक़ की तमाम बातें माननी चाहिए और हर हाल में रसूल (ﷺ) की पैरवी करनी चाहिए और जो वह कहे, उसे दिल से सच्चा मानना चाहिए जो हुक्म दे, बजा लाना चाहिए, जिससे रोके, रुक जाना चाहिए।

इस मक़ाम में भी यहूदियों का ज़बरदस्त रद्द है और उनके कुफ़्र का बयान है कि वह नस्ख़ के क़ाइल न थे। कुछ तो कहते थे, इसमें महाले अक़्ली लाज़िम आता है और कुछ महाले नक़्ली भी मानते थे। इस आयत में गो ख़िताब फ़ख़्रे-आलम (ﷺ) को है मगर दरअसल यह कलाम यहूदियों को सुनाना है जो इंजील को और क़ुरआन को इस वजह से नहीं मानते थे कि उनमें कुछ अहकाम तौरात के मंसूख़ हो गए थे और इसी वजह से वह उन नबियों की नबुव्वत के भी सिर्फ़ इनाद व तकब्बुर की बिना पर मुंकिर हो गए थे। वरना अक़्लन नस्ख़ महाल नहीं, इसलिए कि जिस तरह वह अपने कामों में बा-इख़्तियार है उसी तरह हुक्मों में भी बा इख़्तियार है, जो चाहे और जब चाहे पैदा करे, जिसे चाहे और जिस तरह चाहे और जिस वक़्त चाहे रखे, इसी तरह जो चाहे और जिस वक़्त चाहे, हुक्म दे, उस हाकिमों के हाकिम का हाक़िम कौन? इसी तरह नक़्लन भी यह साबितशुदा अम्र है जो कि पहली किताबों और पहली शरीअतों में मौजूद है।

हज़रत आदम (عليه السلام) की बेटियाँ बेटे आपस में भाई बहन होते थे लेकिन निकाह जाइज़ था, फिर इसे हराम कर दिया। नूह (عليه السلام) जब कश्ती से उतरते हैं तो उस वक़्त तमाम हैवानात का खाना हलाल था लेकिन फिर कुछ की हिल्लत मंसूख़ हो गई। दो बहिनों का निकाह इस्राईल (عليه السلام) और उनकी औलाद पर हलाल था लेकिन फिर तौरात में उसके बाद हराम हो गया। इब्राहीम (عليه السلام) को बेटे की क़ुर्बानी का हुक्म दिया, फिर क़ुर्बानी करने से पहले ही मंसूख़ कर दिया। बनी इस्राईल को हुक्म दिया जाता है कि बछड़ा पूजने में जो शामिल थे सब अपनी जानों को क़त्ल कर डालें लेकिन अभी बहुत से बाक़ी हैं, जो मंसूख़ हो जाता है। इसी तरह के और बहुत से वाक़ियात मौजूद हैं और ख़ुद यहूदी भी इनका इक़रार करते हैं लेकिन फिर भी क़ुरआन और नबी आख़िरुज़्ज़माँ (ﷺ) को यह कहकर नहीं मानते हैं कि इससे अल्लाह के कलाम में नस्ख़ लाज़िम आता है और वह महाल है।

कुछ लोग जो इसके जवाब में लफ़्ज़ी बहसों में पड़ जाते हैं वह याद रखें कि इससे दलालत नहीं बदलती और मक़्सूद वही है। आँहज़रत (ﷺ) की बशारत यह लोग अपनी किताबों में पाते थे, आप (ﷺ) की ताबे'दारी का हुक्म भी देखते थे, यह भी मा'लूम था कि आपकी शरीअ़त के मुताबिक़ जो अ़मल न हो, वह मक़्बूल नहीं, यह और बात है कि कोई कहे, वह अगली शरीअ़तें सिर्फ़ आप (ﷺ) के आने तक ही थीं इसलिए यह शरीअ़त उनकी नासिख़ नहीं या कहे कि नासिख़ है। बहर सूरत रसूले-मक़्बूल (ﷺ) की ताबे'दारी के बग़ैर कोई चारा नहीं, इसलिए कि आप आख़िरी किताब को अल्लाह के पास से अभी अभी लेकर आए हैं। पस इस आयत में अल्लाह ने नस्ख़ के जवाज़ का बयान फ़र्माकर उस मल्ऊन गिरोह यहूद का रद्द किया।

सूरह आले इमरान में भी बनी इस्राईल को ख़िताब किया गया है, नस्ख़ के वाक़ेअ़ होने का ज़िक्र मौजूद है। फ़र्मान है (कुल्लुत्तआम) या'नी कुल खाने बनी इस्राईल पर हलाल थे मगर जिस चीज़ को हज़रत इस्राईल (عليه السلام) ने अपने ऊपर हराम कर लिया था। इसकी मज़ीद तफ़्सीर वहीं आएगी, इंशाअल्लाह तआ़ला! तमाम मुसलमानों का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि अहकामे बारी तआ़ला में नस्ख़ का होना जाइज़ है, बल्कि वाक़ेअ़ भी है और इसी पर परवरदिगार की हिक्मते बालिग़ा है अबू मुस्लिम अस्बहानी मुफ़स्सिर ने लिखा है कि कुरआन में नस्ख़ वाक़ेअ़ नहीं होता लेकिन उसका यह क़ौल ज़ईफ़ और मरदूद और महज़ ग़लत और झूठ है। जहाँ जहाँ नस्ख़ क़ुरआन में मौजूद है, उसके जवाब में गो अबू मुस्लिम ने बहुत मेहनत की लेकिन महज़ बेसूद है। जिस औरत का शौहर मर जाए पहले उसकी इद्दत एक साल थी, फिर चार महीने दस दिन कर दी गई और दोनों आयात क़ुरआने-पाक में मौजूद हैं, क़िब्ला पहले बैतुल-मक़्दिस था, फिर कअ़बतुल्लाह हुआ। दूसरी आयत साफ़ और पहला हुक्म भी ज़िम्नन मज़्कूर है, पहले मुसलमानों को हुक्म था कि एक-एक मुसलमान दस-दस काफ़िरों से लड़े और उनके मुक़ाबले से न हटे, लेकिन फिर यह हुक्म मंसूख़ होकर दो-दो के मुक़ाबले में सब्र करने का हुक्म हुआ और दोनों आयात कलामुल्लाह में मौजूद हैं। पहले हुक्म था कि नबी से सरगोशी करने से पहले कुछ सदक़ा दे दिया करो लेकिन फिर यह हुक्म मंसूख़ हुआ और दोनों आयात क़ुरआने-करीम में मौजूद हैं, वग़ैरह वग़ैरह, वल्लाहु आ'लम!

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

तर्जुमा : "क्या तुम अपने रसूल से वही पूछना चाहते हो जो इससे पहले मूसा (عليه السلام) से पूछा गया था, (सुनो!) ईमान को कुफ़्र से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है।" (108)

बेफ़ायदा सवालात की मुमानिअ़त (आयत 108) : इस आयते करीमा में अल्लाह तआ़ला ईमानवालों को रोकता है कि किसी वाक़िया के होने से पहले मेरे नबी (ﷺ) से फ़िज़ूल सवाल न किया करो, यह ज़्यादा

सवालों के पूछने की आदत बहुत बुरी है। जैसे इर्शाद है (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ) (5/माइदा : 101) ''ऐ ईमानवालों ! उन चीज़ों का सवाल न किया करो जो अगर ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हें बुरा लगेगा और अगर तुम क़ुरआन के नाज़िल होने के ज़माने में ऐसी पूछगछ जारी रखोगे तो यह चीज़ें ज़ाहिर कर दी जायेंगी। किसी चीज़ के वाक़ेअ होने से पहले उसकी निस्बत सवाल करने की वजह से वह ह़राम न हो जाए। स़ह़ीह़ ह़दीस में है कि मुसलमानों में सबसे बड़ा मुज्रिम वह है जो उस चीज़ के बारे में सवाल करे, जो ह़राम न थी, फिर उसके सवाल की वजह से ह़राम हो गई। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ए'तिस़ाम बिल किताब वस्सुन्नति, बाब मा यक्रहू मिन कस्रतिस्सवाल : 7289; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2358) एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) से सवाल हुआ कि एक शख़्स अपनी बीवी के साथ ग़ैर मर्द को पाए तो क्या करे? अगर लोगों को ख़बर करे तो यह भी बड़े बेशर्मी की बात है और अगर चुप हो जाए तो बड़ी बेग़ैरती की बात है। हुज़ूर (ﷺ) को यह सवाल बहुत बुरा मा'लूम हुआ। आख़िर उसी शख़्स पर ऐसा वाक़िया पेश आया और लिआन का हुक्म नाज़िल हुआ। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब सूरतिन् नूर : 4745, 5259) बुख़ारी व मुस्लिम की एक ह़दीस में है कि ''नबी (ﷺ) फ़िज़ूल बकवास से और माल को ज़ाया करने से और ज़्यादा पूछगछ से मना फ़र्माया करते थे।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल् इस्तिक़राज़, बाब मा युन्हा अन इज़ाअतिल् माल : 2408, 1477; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1715) स़ह़ीह़ मुस्लिम में है कि ''मैं जब तक कुछ न कहूँ तुम भी न पूछो, तुमसे पहले लोगों को इसी बदख़स्लत ने हलाक कर दिया कि वह बकसरत सवाल किया करते थे और अपने नबियों से इख़्तिलाफ़ करते थे। जब मैं तुम्हें कोई हुक्म दूँ तो अपनी त़ाक़त के मुत़ाबिक़ बजा लाओ और अगर मना करूँ तो रुक जाया करो।'' यह आप (ﷺ) ने उस वक़्त फ़र्माया था जब लोगों को ख़बर दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर ह़ज्ज फ़र्ज़ किया है, तो किसी ने कहा, हुज़ूर (ﷺ) हर साल? आप (ﷺ) ख़ामोश हो गये। उसने फिर पूछा, आपने कोई जवाब न दिया। उसने तीसरी बार फिर यही सवाल किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''हर साल नही!'' लेकिन अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फ़र्ज़ हो जाता और फिर तुम कभी भी इस हुक्म को बजा न ला सकते।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ए'तिस़ाम, बाब अल् इक़्तिदा बि सुननि रसूलिल्लाहि (ﷺ) : 7388; बिदूनि क़िस़्स़ह् व मुस्लिम : 1337) फिर आप (ﷺ) ने मुंदर्जा बाला आयत तिलावत फ़र्माई।

ह़ज़रत अनस (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, जब हमें आप (ﷺ) से सवाल करने से रोक दिया गया तो हम हुज़ूर (ﷺ) से पूछने में हैबत खाते थे, चाहते थे कि कोई बादिया नशीन नावाक़िफ़ शख़्स आ जाए, वह पूछे तो हम भी सुन लें। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब सुआलु मिन अरकानिल इस्लाम : 12; तिर्मिज़ी : 619; नसाई : 2620) ह़ज़रत बराअ बिन आज़िब (रह़.) फ़र्माते हैं, मैं कोई सवाल हुज़ूर (ﷺ) से करना चाहता था, तो सालभर गुज़र जाता था कि मारे हैबत के पूछने की जुर्अत नहीं होती थी, हम तो ख़्वाहिश रखते थे कि कोई आराबी (देहाती) आए और हुज़ूर (ﷺ) से सवाल कर बैठे फिर हम भी सुन लें। (इसकी सनद शर्ते मुस्लिम के मुत़ाबिक़ है) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, अस्ह़ाबे-मुह़म्मद (ﷺ) से बेहतर कोई जमाअत नहीं, उन्होंने हुज़ूर (ﷺ) से सिर्फ़ बारह मसाइल ही पूछे, जो सब सवाल मअ जवाब के क़ुरआन में मज़्कूर हैं।

जैसे शराब वग़ैरह का सवाल, हुर्मत वाले महीनों की बाबत सवाल, यतीमों की बाबत सवाल वग़ैरह वग़ैरह। (मज्मउज़्ज़वाइद : 1/159; इसकी सनद में अ़ता बिन साइब मुख़्तलत् रावी है। (अत्तक़रीब : 2/22; रक़म : 190) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।)

यहाँ पर 'अम' या तो बल के मा'नी में है या अपने अस़ली मा'नी में है, या'नी सवाल के बारे में जो यहाँ पर इंकारी है। यह हुक्म मो'मिन काफ़िर सबको है, क्योंकि हुज़ूर (ﷺ) की रिसालत सबकी त़रफ़ थी। क़ुरआन में और जगह है (يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ) (4/निसाअ : 153) ''अहले-किताब तुझसे सवाल करते हैं कि तू उन पर कोई आसमानी किताब उतारे, उन्होंने ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) से इससे भी बड़ा सवाल किया था कि अल्लाह को हम अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, जिस ज़ुल्म की वजह से उन्हें एक तुंद आवाज़ से हलाक कर दिया।'' राफ़ेअ़ बिन हुरैमला और वहब बिन ज़ैद ने कहा था कि, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! कोई आसमानी किताब हम पर नाज़िल कीजिए जिसे हम पढ़ें और हमारे शहरों में दरिया जारी कर दें तो हम आप (ﷺ) को मान लें, इस पर यह आयत उतरी।

अबुल आ़लिया कहते हैं कि एक शख़्स ने हुज़ूर (ﷺ) से कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! काश! हमारे गुनाहों का कफ़्फ़ारा भी इसी त़रह हो जाता जिस त़रह बनी इस्राईल के गुनाहों का था। आप (ﷺ) ने सुनते ही तीन बार जनाब बारी तआ़ला में अ़र्ज़ की कि, ''नहीं ऐ अल्लाह! नहीं! हम यह नहीं चाहते। फिर फ़र्माया, सुनो! बनी इस्राईल में से जहाँ कोई गुनाह करता, उसके दरवाज़े पर क़ुदरतन लिखा हुआ पाया जाता और साथ ही उसका कफ़्फ़ारा भी लिखा हुआ होता था, अब या तो दुनियावी रुस्वाई को मंज़ूर करके कफ़्फ़ारा अदा कर दे और अपने पोशीदा गुनाहों को ज़ाहिर करे या कफ़्फ़ारा न दे और आख़िरत की रुस्वाई को मंज़ूर करे'' लेकिन तुमसे अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया (وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا) (4/निसाअ : 110) या'नी ''जिससे कोई बुरा काम हो जाए या वह अपनी जान पर ज़ुल्म कर बैठे, फिर इस्तिग़फ़ार करे तो वह अल्लाह तआ़ला को बहुत बड़ा बख़्शिश और मेहरबानी करने वाला पाएगा।'' इसी त़रह एक नमाज़ दूसरी नमाज़ तक गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाती है, फिर जुम्आ दूसरे जुम्ओ तक का कफ़्फ़ारा हो जाता है। सुनो! जो शख़्स बुराई का इरादा करे लेकिन बुराई न करे, तो बुराई लिखी नहीं जाती और अगर कर गुज़रे तो एक ही बुराई लिखी जाती है और अगर भलाई का इरादा करे, गो न करे लेकिन भलाई लिख ली जाती है और अगर कर ले तो दस भलाईयाँ लिखी जाती हैं। अब बताओ तुम अच्छे रहे या बनी इस्राईल? नहीं! तुम बनी इस्राईल से बहुत ही अच्छे हो, बावजूद इतने करम और रह़म के फिर भी कोई हलाक हो तो समझो कि यह ख़ुद हलाक होने वाला ही था।'' इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (यह रिवायत मुर्सल (ज़ईफ़) है।)

क़ुरैश ने हुज़ूर (ﷺ) से कहा, अगर स़फ़ा पहाड़ सोने का हो जाए तो हम ईमान लाते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा! लेकिन माइदा (आसमानी दस्तरख़्वान) मांगने वालों का जो अंजाम हुआ वही तुम्हारा भी होगा।'' इस पर वह इंकारी हो गये और अपने सवाल को छोड़ दिया।'' (त़ब्री : 1783; मीम : 1784; यह ह़दीस मुजाहिद (रह़.) के इर्साल की वजह से ज़ईफ़ है।) मुराद यह है कि तकब्बुर, इनाद, सरकशी के साथ नबियों से सवाल करना निहायत मज़्मूम ह़रकत है। जो कुफ़्र को ईमान के बदले मौल ले और आसानी को

सख़्ती से बदले वह सीधी राह से हटकर जिहालत व ज़लालत में गिर जाता है, इसी त़रह ग़ैर ज़रूरी सवाल करने वाला भी। जैसे और जगह है (اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا) (14/इब्राहीम : 28) ''क्या तू उन्हें नहीं देखता जो अल्लाह की ने'मत को कुफ़्र से बदलते हैं और अपनी क़ौम को हलाकत में डालते हैं, वह जहन्नम में दाख़िल होंगे और वह बड़ी बुरी क़रारगाह (रहने की जगह) है।''

......

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ
عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ
بِاَمْرِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۭ وَمَا
تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾

तर्जुमा : ''उन अहले किताब के अकसर लोग बावजूद ह़क़ खुल जाने के मह़ज़ (सिर्फ़) ह़सद व बुग़्ज़ की बिना' पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं, तुम भी मा'फ़ करो और छोड़ो, यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला अपना हुक्म लाए, यक़ीनन अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है। (109) तुम नमाज़ें क़ायम रखो, ज़कात देते रहा करो और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे, सब कुछ अल्लाह के पास पा लोगे, अल्लाह तआ़ला तुम्हारें आ'माल को ख़ूब देख रहा है।'' (110)

क़ौमी अ़स्बियत बदबख़्ती की वजह है (आयत 109-110) : इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि हुय्य बिन अख़्त़ब और अबू यासिर बिन अख़्त़ब यह दोनों यहूदी सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ह़ासिद थे, लोगों को इस्लाम से रोकते थे और अ़रब से जलते थे, इनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई। कअ़ब बिन अशरफ़ का भी यही काम था। ज़ुहरी (रह़.) कहते हैं, इसके बारे में यह आयत नाज़िल हुई है। यह भी यहूदी था और अपने शेअ़रों में हुज़ूर (ﷺ) की हिजू (बुराई-गाली गलूच) किया करता था। (इब्ने अबी ह़ातिम : 1/331) गो उनकी किताब में हुज़ूर (ﷺ) की तस्दीक़ मौजूद थी और यह बख़ूबी हुज़ूर (ﷺ) की सिफ़तें जानते थे और आप (ﷺ) को अच्छी त़रह पहचानते थे, फिर यह भी देख रहे थे कि क़ुरआन उनकी किताब की तस्दीक़ कर

रहा है। एक उम्मी और अनपढ़ वह किताब पढ़ता है, जो सरासर मु'जिज़ा है लेकिन सिर्फ़ हसद की बिना पर कि अरब में आप (ﷺ) क्यूँ मब्ऊस हुए, कुफ्र व इंकार पर आमादा हो गए बल्कि और लोगों को भी बहकाना शुरू कर दिया। पस अल्लाह तआला ने मो'मिनों को हुक्म दिया कि तुम दरगुज़र करते रहो और अल्लाह के हुक्म और उसके फ़ैसले का इंतिज़ार करो। जैसे और जगह फ़र्माया, तुम्हें मुश्रिकों और अहले-किताब से बहुत कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी। बिल-आख़िर हुक्म नाज़िल फ़र्मा दिया कि इन मुश्रिकों से अब दबकर न रहो, इनसे लड़ाई करने की तुम्हें इजाज़त है।

हज़रत उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) कहते हैं कि, हुज़ूर (ﷺ) और आप के अस्हाब (رضي الله عنهم) मुश्रिकीन और अहले-किताब से दरगुज़र करते थे और उनकी ईज़ा और तक्लीफ़ सहते थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़सीर, बाब वलतस्मउन्न मिनल्लज़ीन .... 4566; सहीह मुस्लिम : 1798) और इस आयत पर अमलपैरा थे, यहाँ तक कि दूसरी आयात उतरीं और यह हुक्म हट गया। अब इनसे बदला लेने और अपना बचाव करने का हुक्म मिला, और पहली ही लड़ाई जो बद्र के मैदान में हुई, उसमें कुफ़्फ़ार को शिकस्ते फ़ाश हुई और उनके बड़े-बड़े सरदारों की लाशें मैदान में ढेर हो गईं। (इब्ने अबी हातिम : 1/333) फिर मो'मिनों को रग़बत दिलाई जाती है कि तुम नमाज़ और ज़कात वग़ैरह की हिफ़ाज़त करो, यह तुम्हें आख़िरत के अज़ाबों से बचाने के अलावा दुनिया में भी ग़ल्बा और नुसरत देगी।

फिर फ़र्माया कि, अल्लाह तुम्हारे हर नेक व बदअमल का बदला दोनों जहाँ में देगा, उससे कोई छोटा, बड़ा, ज़ाहिर, पोशीदा, अच्छा बुरा अमल पोशीदा नहीं। यह इसलिए फ़र्माया कि, लोग इताअत की तरफ़ तवज्जह करें और नाफ़र्मानी से बचें। (मुब्सिर के बदले बसीर कहा, जैसे मुब्दिउ के बदले बदीअ और मु'लिम के बदले अलीम। इब्ने अबी हातिम में हदीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस आयत में समिउम् बसीरुन पढ़ते थे और फ़र्माते थे, अल्लाह तआला हर चीज़ को देखता है। (इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन लहीआ मुख़्तलत रावी है। (अत्तक़रीब : 1/444; रक़म : 574) लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।)

وَقَالُوا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا
بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾ بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ
رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَیْءٍ ۪
وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَیْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ
لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

तर्जुमा : ''यह कहते हैं कि जन्नत में यहूद व नसारा के सिवा और कोई न जाएगा, यह सिर्फ़ इनकी उमंगें हैं, इनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो। (111) सुनो! जो भी अपने आपको ख़ुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक उसे उसका रब पूरा बदला देगा, उस पर न तो कोई डर होगा, न ग़म और न उदासी। (112) यहूदी कहते हैं कि नसरानी हक़ पर नहीं और नसरानी कहते हैं कि यहूदी हक़ पर नहीं हालाँकि यह पढ़े-लिखे लोग हैं, इसी तरह इन ही जैसी बात बेइल्म भी कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह इनके इस इख़्तिलाफ़ का फ़ैसला इनमें कर देगा।'' (113)

आ'माल की क़बूलियत के लिए इत्तिबाए सुन्नत शर्त है (आयत 111-113) : यहाँ पर यहूदी और नसरानियों के गुरूर का बयान हो रहा है कि वह अपने सिवा किसी को कुछ भी नहीं समझते और साफ़ कहते हैं कि हमारे सिवा जन्नत में कोई नहीं जाएगा। सूरह माइदा में इनका एक क़ौल यह भी बयान हुआ है कि हम अल्लाह तआला की औलाद और उसके महबूब हैं। जिसके जवाब में क़ुरआन ने कहा कि फिर तुम पर क़यामत के दिन अज़ाब क्यूँ होगा? इसी तरह पहले गुज़रा कि इनका दा'वा यह भी था कि हम चंद दिन जहन्नम में रहेंगे, जिसके जवाब में इर्शादे बारी तआला हुआ कि यह दा'वा भी महज़ बेदलील है। इसी तरह यहाँ इनके एक दा'वे की तर्दीद की और कहा कि लाओ! दलील पेश करो, इन्हें आजिज़ साबित करके फिर फ़र्माया कि, हाँ! जो कोई भी अल्लाह तआला का फ़र्मांबरदार हो जाए और ख़ुलूस व तौहीद के साथ नेक अमल करे, उसे पूरा-पूरा अज्रो सवाब मिलेगा। जैसे और जगह फ़र्माया कि, यह अगर झगड़ें तो इनसे कह दो कि मैंने और मेरे मानने वालों ने अपने चेहरे रब की तरफ़ मुतवज्जह कर दिए हैं। अल्ग़र्ज़ इख़्लास और सुन्नत के मुताबिक़ हर अमल की क़बूलियत के लिए शर्त है तो (अस्लम वज्हहू) से मुराद ख़ुलूस (इब्ने अबी हातिम : 1/3371) और (वहुव मुहसिनुन) से मुराद इत्तिबाए सुन्नत है, निरा ख़ुलूस भी अमल को मक़्बूल नहीं करा सकता, जब तक कि सुन्नत की ताबे'दारी न हो। हदीसे मुबारका में है जो शख़्स ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म न हो वह मरदूद है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल अक़्ज़िया, बाब नक़्ज़ुल अहकामिल बातिला : 1718; सहीह बुख़ारी : 2697; अबूदाऊद : 4606; इब्ने माजा : 140)

पस रुहबानियत का अ़मल गो ख़ुलूस पर मब्नी हो लेकिन ताहम इत्तिबाअ़े-सुन्नत न होने की वजह से वह मरदूद है। ऐसे ही आ'माल की निस्बत क़ुरआन-हकीम का इर्शाद है (وَقَدِمۡنَآ اِلٰی مَا عَمِلُوۡا مِنۡ عَمَلٍ فَجَعَلۡنٰهُ هَبَآءً مَّنۡثُوۡرًا) (25/फ़ुरक़ान : 23) या'नी ''उन्होंने जो आ'माल किए थे, हमने सब रद्द कर दिए।'' और जगह है ''काफ़िरों के आ'माल रेत के चमकीले तौदों की तरह हैं, जिन्हें प्यासा पानी समझता है लेकिन जब उसके पास जाता है तो कुछ नहीं पाता।'' और जगह है, क़यामत के दिन बहुत से चेहरों पर ज़िल्लत बरसती होगी, जो अ़मल करने वाले तक्लीफ़ें उठाने वाले होंगे और भड़कती हुई आग में दाख़िल होंगे और गर्म खोलता हुआ पानी उन्हें पिलाया जाएगा। अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने इस आयत की तफ़्सीर में यहूद व नसारा के उ़लमा और आ़बिद मुराद लिए हैं। यह भी याद रहे कि कोई अ़मल गो (भले) बज़ाहिर सुन्नत के मुताबिक़ हो लेकिन अ़मल में इख़्लास न हो, मक़्सूद रब की ख़ुशनुदी न हो तो वह अ़मल भी मरदूद है। रियाकार और मुनाफ़िक़ लोगों के आ'माल का यही हाल है, जैसे अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि, ''मुनाफ़िक़ रब को धोखा देते हैं और वह उन्हें धोखा देता है और नमाज़ को खड़े होते हैं तो सुस्ती से खड़े होते हैं सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए अ़मल करते हैं और अल्लाह का ज़िक्र बहुत ही कम करते हैं।'' और फ़र्माया (فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ) (107/माऊ़न : 4) ''उन नमाज़ियों के लिए बर्बादी है जो अपनी नमाज़ से ग़ाफ़िल हैं जो रियाकारी करते हैं और छोटी-छोटी चीज़े भी रोकते-फिरते हैं।'' और जगह इर्शाद है (فَمَنۡ كَانَ يَرۡجُوۡا) (18/कहफ़ : 110) ''जो शख़्स अपने रब की मुलाक़ात का आरज़ूमंद हो, उसे नेक अ़मल करना चाहिए और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करना चाहिए।'' फिर फ़र्माया, उन्हें उनका रब अज्र देगा और डर ख़ौफ़ से बचाएगा, आख़िरत में उन्हें डर नहीं और दुनिया के छोड़ने का मलाल नहीं। फिर यहूद व नसारा की आपस की बुग़्ज़ अ़दावत का ज़िक्र फ़र्माया।

नजरान के नसरानियों का वफ़्द जब नबी करीम (ﷺ) के पास आया तो आपके पास यहूदियों के उ़लमा भी आए। उस वक़्त उन लोगों ने उन्हें और उन्होंने उनको गुमराह बताया, हालाँकि दोनों अहले-किताब हैं, तौरात में इंजील की तस्दीक़ और इंजील में तौरात की तस्दीक़ मौजूद है। फिर उनका यह क़ौल किस क़द्र लग्व है। (तबरी : 1813; इसकी सनद में मुहम्मद बिन अबी मुहम्मद मज्हूल रावी है। (अज़्ज़ुअफ़ा वल मत्रूकीन : 3/96; रक़म : 3179) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) अगले यहूद व नसारा दीने हक़ पर क़ायम थे लेकिन फिर बिदअ़तों और फ़ित्ना परवाज़ियों की वजह से दीन उनसे छिन गया, अब न यहूद हिदायत पर थे, न नसरानी। फिर फ़र्माया कि, न जानने वालों ने भी इसी तरह कहा। इसमें भी इशारा इन्हीं की तरफ़ है और कुछ ने कहा, इससे मुराद यहूद व नसारा से पहले के लोग हैं। कुछ कहते हैं, अरब लोग मुराद हैं। इमाम इब्ने जरीर (रह.) इससे आ़म मुराद लेते हैं, जो सबको शामिल है और यही ठीक भी है, वल्लाहु आ'लम! फिर फ़र्माया, उनके इख़्तिलाफ़ का फ़ैसला क़यामत को ख़ुद अल्लाह तआला करेगा जिस दिन कोई ज़ुल्म व ज़ोर नहीं होगा। और जगह भी यह मज़्मून आया है। सूरह हज्ज में इर्शाद है (اِنَّ اللّٰهَ يَفۡصِلُ بَيۡنَهُمۡ) (22/हज्ज : 17) (पूरी आयत) या'नी मो'मिनों और यहूदियों और साबियों और नसरानियों और मजूसियों और मुश्रिकों में क़यामत के दिन अल्लाह तआला फ़ैसला करेगा, अल्लाह तआला हर चीज़ पर गवाह और मौजूद है। और जगह इर्शाद है (قُلۡ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَا رَبُّنَا) (34/निसाअ : 26) ''कह दे कि हमारा रब हमें जमा करेगा, फिर हक़ के साथ फ़ैसले करेगा वह बाख़बर फ़ैसले करने वाला है।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ

مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾

तर्जुमा : "उस शख़्स से बढ़कर ज़ालिम कौन है, जो अल्लाह तआ़ला की मसाजिद में अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र किए जाने को रोके और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे लोगों को ख़ौफ़ खाते हुए ही उसमें जाना चाहिए। उनके लिए दुनिया में भी रुस्वाई है और आख़िरत में भी बड़े-बड़े अ़ज़ाब हैं।" (114)

मसाजिद को आबाद न करने वाले सबसे बड़े ज़ालिम हैं (आयत 114) : इस आयत की तफ़्सीर में दो क़ौल हैं, एक तो यह कि इससे मुराद नसारा हैं, दूसरा यह कि इससे मुराद मुश्रिकीन हैं। नसरानी भी बैतुल मक़्दिस में पलीदी डाल देते थे और लोगों को उसमें नमाज़ अदा करने से रोकते थे। बुख़्ते नस्सर ने जब बैतुल मक़्दिस की बर्बादी के लिए चढ़ाई की थी तो नसरानियों ने उसका साथ दिया और मदद की थी। बुख़्ते नस्सर बाबिल का रहने वाला मजूसी था और यहूदियों के शह देने पर नसरानियों ने भी उसका साथ दिया था, और इसलिए भी कि बनी इस्राईल ने हज़रत यहया बिन ज़करिया (عليه السلام) को क़त्ल कर डाला था और मुश्रिकीन ने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) को हुदेबिया वाले साल कअ़बतुल्लाह से रोका था। यहाँ तक कि ज़ी तुवा में आप (ﷺ) को क़ुर्बानी का फ़रीज़ा अदा करना पड़ा और मुश्रिकीन से सुलह करके आप (ﷺ) वहीं से वापिस आ गए, हालाँकि यह अमन की जगह थी। बाप और भाई के क़ातिल को भी यहाँ कोई नहीं छेड़ता था और उसके उजाड़ने की कोशिश उनकी यही थी कि ज़िक्रुल्लाह और हज्ज व उमरह करने वाली मुस्लिम जमाअ़त को उन्होंने रोक दिया। (तब्री : 2/521) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) का यही क़ौल है। इब्ने जरीर (रह.) ने पहले क़ौल को पसंद किया है और कहा है कि, मुश्रिकीन कअ़बतुल्लाह को बर्बाद करने की सई (कोशिश) नहीं करते थे। यह सई नसारा की थी कि वह बैतुल् मक़्दिस की वीरानी के दर पे हो गए थे, लेकिन हक़ीक़त में दूसरा क़ौल ज़्यादा सहीह है। इब्ने ज़ैद (रह.) और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) का क़ौल भी यही है। याद रहे कि जब नसरानियों ने यहूदियों को बैतुल-मक़्दिस से रोका था, उस वक़्त यहूदी भी तो महज़ बेदीन हो चुके थे, उन पर तो हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा बिन मरयम (عليهما السلام) की ज़ुबानी ला'नतें नाज़िल हो चुकी थीं वह नाफ़र्मान और हद से मुतजाविज़ हो चुके थे और नसरानी हज़रत मसीह (عليه السلام) के दीन पर थे। इससे मा'लूम होता है कि इस आयत से मुराद मुश्रिकीने मक्का हैं और एक वजह यह भी है कि ऊपर यहूद व नसारा की

मज़म्मत बयान हुई थी और यहाँ मुश्रिकीने अरब की इस बदख़स्लत का बयान हो रहा है कि उन्होंने हुज़ूर (ﷺ) को और आपके सहाबा (رضی اللہ عنہم) को मस्जिदे-हराम से रोका मक्का से निकाला फिर हज्ज व उम्रह से भी रोक दिया।

इब्ने जरीर (रह.) का यह कहना मक्का वाले बैतुल्लाह की वीरानी में कोशाँ न थे, उसका जवाब यह है कि, रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाबा (رضی اللہ عنہم) को वहाँ से रोकने और निकाल देने और बैतुल्लाह में बुत रख देने से बढ़कर उसकी वीरानी क्या हो सकती है? ख़ुद कुरआन में मौजूद है (وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (8/अन्फ़ाल : 34) या'नी "यह लोग मस्जिदे-हराम से रोकते हैं" मुश्रिकों से अल्लाह तआला की मस्जिद आबाद नहीं हो सकतीं, जो अपने कुफ़्र के ख़ुद गवाह हैं, जिनके आ'माल ग़ारत हैं और जो हमेशा के लिए जहन्नमी हैं। मसाजिद की आबादी उन लोगों से होती है जो अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले और नमाज़ व ज़कात के पाबन्द और सिर्फ़ अल्लाह तआला ही से डरने वाले हैं और यही लोग राहे-रास्त वाले हैं। और जगह फ़र्माया (هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (48/फ़तह : 25) "उन लोगों ने कुफ़्र भी किया और तुम्हें मस्जिदे-हराम से रोका और कुर्बानियों को ज़िब्ह होने की जगह तक न पहुँचने दिया।" अगर हमें उन मो'मिन मर्दों औरतों का ख़याल न होता जो अपनी ज़ईफ़ी और कम कुव्वती के बाइस मक्का से नहीं निकल सके, जिन्हें तुम जानते भी नहीं तो हम तुम्हें उनसे लड़कर उनके ग़ारत कर देने का हुक्म दे देते लेकिन यह बेगुनाह मुसलमान न पीस दिए जाएँ, इसलिए हमने सरेदस्त (फ़ौरी तौर पर) यह हुक्म नहीं दिया। लेकिन अगर यह कुफ़्फ़ार अपनी शरारतों से बाज़ न आए तो वह वक़्त दूर नहीं जब उन पर हमारे दर्दनाक अज़ाब बरस पड़ें। पस जब वह मुसलमान हस्तियाँ जिनसे मसाजिद की आबादी हक़ीक़ी मा'नी में है, वह ही रोक दिए गए तो मसाजिद के उजाड़ने में कौनसी कमी रह गई? मसाजिद की आबादी सिर्फ़ ज़ाहिरी ज़ेबो-ज़ीनत, रंग व रोग़न से नहीं होती बल्कि उसमें ज़िक्रुल्लाह होना, उसमें शरीअत का क़ायम रहना, उन्हें शिर्कव ज़ाहिरी मेल-कुचेल से पाक रखना, यह उनकी हक़ीक़ी आबादी है।

फिर फ़र्माया कि उन्हें लायक़ नहीं कि बेख़ौफ़ होकर इस मस्जिद में आएँ, मतलब यह है कि ऐ मुसलमानों! उन्हें बेख़ौफ़ी और बेबाकी के साथ बैतुल्लाह में न आने दो, जब हम तुम्हें ग़ालिब कर दें तो उस वक़्त यही करना। चुनाँचे मक्का फ़तह हो गया, आप (ﷺ) ने अगले साल 9 हिज्री में ए'लान करा दिया कि, "इस साल के बाद हज्ज में कोई मुश्रिक न आने पाए और बैतुल्लाह का तवाफ़ कोई नंगा होकर न करे। जिन लोगों के दरम्यान सुलह की कोई मुद्दत मुक़र्रर हुई है वह क़ायम है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलात, बाब मा युस्तरु मिनल औरत : 369; सहीह मुस्लिम : 1347; मुख़्तसरन नसाई : 2961) यह हुक्म दरअसल तस्दीक़ और अमल है। इस आयत पर (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا) (9/तौबा : 28) या'नी "मुश्रिक लोग नजिस हैं, इस साल के बाद उन्हें मस्जिदे हराम में न आने दो।" और यह मा'नी भी बयान किए गए हैं कि चाहिए तो यह था कि यह मुश्रिक काँपते हुए और ख़ौफ़ज़दा मस्जिद में आएँ लेकिन इसके बरअक्स उल्टा यह मुसलमानों को रोक रहे हैं। यह मतलब भी हो सकता है कि

इस आयत में अल्लाह तआला ईमानवालों को बशारत देता है कि अन्क़रीब मैं तुम्हें ग़लबा दूँगा और यह मुश्रिक इस मस्जिद की तरफ़ रुख़ करने से भी कपकपाने लगेंगे, चुनाँचे यही हुआ और हुज़ूर (ﷺ) ने वसिय्यत की कि जज़ीर-ए-अरब में दो दीन बाक़ी न रहने पाएँ। (अहमद : 6/275; मौ'ता इमाम मालिक, किताबुल जामेअ, बाब मा जाअ फ़ी इज्लाइल् यहूद मिनल् मदीनति : 17, 18; मुर्सलन; सहीहैन में हज़रत आइशा (رضي الله عنها) से मौसूलन मरवी है; सहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब मा युक्रहू मिन इत्तिख़ाज़िल् मसाजिद अलल् क़ुबूरि : 1230; सहीह मुस्लिम : 529) और यहूद व नसारा को वहाँ से निकाल दिया जाए। (सहीह मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब इख़्राजुल यहूद वन् नसारा मिन जज़ीरतिल् अरब : 1767) अल्हम्दु लिल्लाह! कि इस उम्मत के बुज़ुर्गों ने इस वसिय्यते रसूले-अकरम (ﷺ) पर अमल भी कर दिखाया। इससे मसाजिद की फ़ज़ीलत और बुज़ुर्गी भी साबित हुई, बिलख़ुसूस उस जगह की और उस मस्जिद की जहाँ सबसे बड़े और कुल जिन्न व इंस के रसूल हज़रत मुहम्मद (ﷺ) भेजे गए थे। उन गुनहगारों पर दुनिया की रुस्वाई भी आई और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को रोका, जिला-वतन किया, उसी तरह उसका पूरा बदला उन्हें मिला, यह भी रोके गए और जिला वतन किए गए और अभी आख़िरत का अज़ाब बाक़ी हैं, क्योंकि उन्होंने बैतुल्लाह की हुर्मत तोड़ी, वहाँ बुत रख दिए, ग़ैरुल्लाह से दुआएँ और मुनाजात शुरू कर दीं, नंगे होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया वग़ैरह। और अगर इससे मुराद नसरानी लिए जाएँ तो भी ज़ाहिर है कि वह भी बैतुल-मक़्दिस की मस्जिद में डरते हुए जाते हैं। उन्होंने भी बैतुल-मक़्दिस की बेहुर्मती की थी, बिलख़ुसूस उस सख़रह (पत्थर) की जिसकी तरफ़ यहूद नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरह जब यहूदियों ने बेहुर्मती की और नसरानियों से भी बढ़ गए तो उन पर ज़िल्लत भी उस वजह से ज़्यादा नाज़िल हुई। दुनिया की रुस्वाई से मुराद इमाम महदी (रह.) के ज़माने की रुस्वाई भी है और जिज़्या की अदायगी भी है। हदीस में एक दुआ वारिद हुई है

(اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ) "ऐ अल्लाह! तू हमारे तमाम कामों का अंजाम अच्छा कर और दुनिया की रुस्वाई और आख़िरत के अज़ाब से नजात दे।" (अहमद : 4/181; व सनदुहू ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी सनद को ज़ईफ़ क़रार दिया है। (सिलसिलतुज़् ज़ईफ़ : 2908) यह रिवायत अय्यूब बिन मैसरह की वजह से ज़ईफ़ है।) यह हदीस हसन है। मुस्नद अहमद में मौजूद है। सिहाहे सित्ता में नहीं, इसके रावी बुस्र बिन अबी अरतात (رضي الله عنه) सहाबी हैं, इनसे एक तो यह हदीस मरवी है और दूसरी वह हदीस मरवी है जिसमें है कि ग़ज़्वे और जंग के मौक़े पर वहीं हाथ न काटे जाएँ। (अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब अस्सारिक़ु युस्रिक़ु फ़िल्ग़ज़्व अ युक़्तउ .... 4408; तिर्मिज़ी : 1450; नसाई : 4982; वसनद सहीह; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। (सहीह तिर्मिज़ी : 1174)

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾

तर्जुमा : ''और मश्रिक़ और मग़्रिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी चेहरा करो, उधर ही अल्लाह तआला का चेहरा है, अल्लाह तआला कुशादगी और वुस्अत वाला और बड़े इल्म वाला है।'' (115)

कअबतुल्लाह को क़िब्ला बनाया जाना (आयत 115) : इस आयत में नबी (ﷺ) और आपके उन सहाबा (رضی اللہ عنہم) को तसल्ली दी जा रही है जो मक्का से निकाले गए और अपनी मस्जिद से रोके गए थे। हुज़ूर (ﷺ) मक्का-मुकर्रमा में बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ते थे तो कअबतुल्लाह भी सामने ही होता था, जब मदीना तशरीफ़ लाए तो सौलह या सत्रह माह तक तो उधर ही चेहरा करके नमाज़ पढ़ते रहे, मगर फिर अल्लाह तआला ने कअबतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह होने का हुक्म दिया। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलात, बाब तवज्जुहू नहवल क़िब्लति हैसु कान : 399; सहीह मुस्लिम : 525) अबू उबैद क़ासिम बिन सलाम (रह.) ने अपनी किताब नासिख़ व मंसूख़ में हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत नक़्ल की है कि क़ुरआन में सबसे पहला मंसूख़ का हुक्म यही क़िब्ला का है (लिल्लाहिल मश्रिक़) वाली आयत नाज़िल हुई। हुज़ूर (ﷺ) बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ें पढ़ते, फिर आयत (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ) अल्ख़ (2/बक़रह : 149) नाज़िल हुई और आप (ﷺ) ने बैतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह होकर नमाज़ अदा करना शुरू की। (हाकिम : 2/267, 268)

मदीना में जब हुज़ूर (ﷺ) बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ते रहे तो यह यहूदी बहुत ख़ुश हो गए लेकिन जब यह हुक्म चंद माह के बाद मंसूख़ हो गया और आप (ﷺ) को अपनी चाहत और दुआ और इंतिज़ार के मुताबिक़ कअबतुल्लाह की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया तो उन यहूदियों ने ता'ने देने शुरू कर दिए कि अब इस क़िब्ला से क्यूँ हट गए तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी कि मश्रिक़ व मग़्रिब का मालिक अल्लाह तआला ही है, अल्ख़। फिर यह ए'तिराज़ किया? जिधर उसका हुक्म हो फिर जाना चाहिए। (तब्री : 2/527) इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से यह भी मरवी है कि मश्रिक़ व मग़्रिब में तुम जहाँ कहीं भी हो, चेहरा कअबा की तरफ़ करो। (इब्ने अबी हातिम) कुछ बुज़ुर्गों का बयान है कि यह आयत कअबा की तरफ़ मुतवज्जह होने के हुक्म से पहले उतरी है और मतलब यह है कि मश्रिक़ व मग़्रिब जिधर चाहो, चेहरा फेर लो, सब सिम्तें (दिशाएँ) अल्लाह ही की हैं और सब तरफ़ अल्लाह .... । उससे कोई जगह ख़ाली नहीं। जैसे फ़र्माया (وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا) (58/मुजादला : 7) ''थोड़े बहुत जो भी हों, अल्लाह उनके साथ है।''

फिर यह हुक्म मंसूख़ होकर कअबतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह होना फ़र्ज़ हुआ। इस क़ौल में जो यह लफ़्ज़ है कि अल्लाह से कोई जगह ख़ाली नहीं, अगर उससे मुराद अल्लाह तआला का इल्म हो तो सहीह है, कोई अल्लाह के इल्म से ख़ाली नहीं, और अगर ज़ाते बारी मुराद हो तो ठीक नहीं। अल्लाह तआला की पाक ज़ात इससे बहुत बुलंद व बाला है कि वह अपनी मख़्लूक़ मे से किसी चीज़ में हाज़िर हो। नीज़ मतलब आयत

का यह भी बयान किया गया है कि यह आयत सफ़र और रहरवी और ख़ौफ़ के वक़्त के लिए है कि उन वक़्तों में नफ़िल नमाज़ को जिस तरफ़ चेहरा हो, अदा किया करो। (तब्री : 2/530)

सवारी पर और तारीकी में नमाज़ पढ़ने की तफ़्सील : हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि उनकी ऊँटनी का चेहरा जिस तरफ़ होता था, नमाज़ पढ़ लेते थे और फ़र्माते थे कि हुज़ूर (ﷺ) का तरीक़ा यही था और इस आयत का मतलब भी यही है। आयत का जिक्र किए बग़ैर यह हदीस मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने अबी हातिम, इब्ने मर्दवे वग़ैरह में मरवी है और असल इसकी सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम में भी मौजूद है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तकसीर, बाबुस्सलात अलद् दव्वाब : 1095; सहीह मुस्लिम : 700) सहीह बुख़ारी में है कि इब्ने उमर (ﷺ) से जब नमाज़े ख़ौफ़ के बारे में पूछा जाता तो नमाज़े-ख़ौफ़ को बयान करते और कहते कि जब इससे भी ज़्यादा ख़ौफ़ हो तो पैदल और सवार खड़े-खड़े पढ़ लिया करो, चेहरा ख़्वाह क़िब्ला की जानिब हो ख़्वाह न हो। हज़रत नाफ़ेअ (रह.) का बयान है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) मेरे ख़्याल से इसे मरफ़ूअ बयान करते थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब फ़ी क़ौलिही (फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रूक्बानन) : 4535; सहीह मुस्लिम : 839) इमाम शाफ़ई (रह.) का मशहूर फ़र्मान और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का क़ौल है कि सफ़र ख़्वाह अमन वाला हो, ख़्वाह ख़ौफ़ डर और लड़ाई का हो, सवारी पर नफ़िल अदा कर लेना जाइज़ हैं। इमाम मालिक (रह.) और आपकी जमाअत इसके ख़िलाफ़ है। इमाम अबू यूसुफ़ और अबू सईद अस्तख़्री (रह.) बग़ैर सफ़र के भी इसे जाइज़ कहते हैं। हज़रत अनस (ﷺ) से भी यह रिवायत है। इमाम अबू जा'फ़र (रह.) भी इसे पसंद फ़र्माते हैं, यहाँ तक कि वह तो पैदल चलने वाले को भी रुख़सत देते हैं।

कुछ और मुफ़स्सिरीन के नज़दीक यह आयत उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई है जिन्हें क़िब्ला मा'लूम न हो सका और उन्होंने अंदाज़े से मुख़्तलिफ़ दिशाओं की तरफ़ नमाज़ पढ़ी। जिस पर यह आयत नाज़िल हुई और उनकी उस नमाज़ को अदाशुदा बताया गया। हज़रत रबीआ (ﷺ) फ़र्माते हैं कि हम नबी (ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे, एक जगह पड़ाव किया, रात अंधेरी थी, लोगों ने पत्थर ले लेकर बतौर निशान के क़िब्ला रुख़ रखकर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। सुबह उठकर रोशनी में देखा तो नमाज़ क़िब्ला की तरफ़ अदा नहीं हुई थी। हमने हुज़ूर (ﷺ) से ज़िक्र किया, उस पर यह आयत नाज़िल हुई। यह हदीस तिर्मिज़ी में है। (तिर्मिज़ी, किताबुस्सलात, बाब मा जाअ फ़िर्रजुलि युसल्ली लिग़ैरिल क़िब्लति फ़िल ग़ैम : 345; इब्ने माजा : 1020; व सनदुहू ज़ईफ़; आसिम बिन उबेदुल्लाह रावी ज़ईफ़ है।) इमाम साहिब (रह.) ने इसे हसन कहा है, इसके दो रावी ज़ईफ़ हैं। एक और रिवायत में है कि उस वक़्त घटा टोप अंधेरा छाया हुआ था और हमने नमाज़पढ़कर अपने-अपने सामने ख़त खींच दिए थे ताकि सुबह की रोशनी में मा'लूम हो जाए कि नमाज़ क़िब्ला की तरफ़ अदा हुई है या नहीं। सुबह मा'लूम हुआ कि क़िब्ला की सिम्त मुतअय्यन करने में हमने ग़लती की लेकिन हुज़ूर (ﷺ) ने हमें वह नमाज़ लौटाने का हुक्म नहीं दिया और यह आयत नाज़िल हुई। इस रिवायत के भी दो रावी ज़ईफ़ हैं। यह रिवायत दारे-कुत्नी वग़ैरह में मौजूद है। (दारे-कुत्नी : 1/271; हाकिम : 1/256 व सनदुहू ज़ईफ़) एक रिवायत में है कि उनके साथ हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) न थे। यह सनद भी ज़ईफ़ है। ऐसी नमाज़ के लौटाने के बारे में उलमा के दो क़ौल हैं , ठीक क़ौल यही है कि दोहरायी न जाए और इसी क़ौल की ताईद करने वाली यह अहादीस हैं, जो ऊपर बयान हुई।

ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का बयान : कुछ मुफ़स्सिरीन (रह.) कहते हैं कि इसके नाज़िल होने का सबब नज्जाशी है। जब नबी (ﷺ) ने उनकी मौत की ख़बर दी और फ़र्माया, "उनके जनाज़े की ग़ायबाना नमाज़ पढ़ो" तो कुछ ने कहा कि वह तो मुसलमान न थे, नसरानी थे। उस पर आयत नाज़िल हुई कि (وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ) (3/आले इमरान : 199) या'नी "कुछ अहले-किताब अल्लाह तआला पर, उस चीज़ पर जो ऐ मुसलमानों! तुम्हारी तरफ़ नाज़िल हुई और उस चीज़ पर जो उन पर नाज़िल की गई, ईमान लाते हैं और अल्लाह तआला से डरते रहते हैं।" उन्होंने कहा,.या रसूलल्लाह (ﷺ)! वह क़िब्ला की तरफ़ तो नमाज़ न पढ़ते थे। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, लेकिन यह रिवायत ग़रीब है। (तब्री : 1846; अन क़तादा मुर्सलन व हुव ज़ईफ़) वल्लाहु आ'लम! इसके मा'नी में यह भी कहा गया है कि वह बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ इसलिए नमाज़ पढ़ते रहे कि उन्हें इसके मंसूख़ हो जाने का इल्म नहीं हुआ था। कुर्तुबी (रह.) फ़र्माते हैं कि उनके जनाज़े की नमाज़ हुज़ूर (ﷺ) ने पढ़ी और यह दलील है कि जनाज़े की नमाज़ ग़ायबाना अदा करनी चाहिए।

और इसके न मानने वाले इसको मख़्सूस जानते हैं और इसकी तीन तावीलें करते हैं। एक तो यह कि आप (ﷺ) ने उसके जनाज़े को देख लिया, ज़मीन आपके लिए लपेट ली गई थी। दूसरी यह कि चूँकि वहाँ उनके पास उनके जनाज़ा की नमाज़ पढ़ने वाला और कोई न था, इसलिए आप (ﷺ) ने यहाँ ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ा अदा की। इब्ने अरबी इसी जवाब को पसंद करते हैं। कुर्तुबी (रह.) कहते हैं कि यह नामुम्किन है कि एक बादशाह मुसलमान हो और उसकी क़ौम का कोई शख़्स उसके पास मुसलमान न हो। इब्ने अरबी इसके जवाब में कहते हैं कि शायद उनके नज़दीक जनाज़े की नमाज़ की शरीअत न हो। यह जवाब बहुत अच्छा है। तीसरी यह कि आपने ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ा अदा की ताकि लोगों को रग़बत हो और उस जैसे दूसरे बादशाह दीने इस्लाम की तरफ़ माइल हों।

(लेकिन यह तीनों तावीलें ज़ाहिर के ख़िलाफ़ होने के अलावा सिर्फ़ एहतिमालात (सम्भावनाओं) की बिना पर हैं और इन्हें मान लेने के बाद भी मसला यही है कि जनाज़ा ग़ायबाना पढ़ना चाहिए, क्योंकि गो हुज़ूर (ﷺ) ने उस जनाज़े का मुशाहिदा कर लिया हो लेकिन फिर भी सहाबा (رضی اللہ عنہم) की नमाज़ तो ग़ायबाना ही रही। अगर हम दूसरा जवाब मान लें तो भी जनाज़ा ग़ायबाना ही हुआ, जो लोग सिरे से नमाज़े-जनाज़ा ग़ायबाना के क़ाइल ही नहीं वह तो इस सूरत में भी क़ाइल हैं, और यह बात तो दिल को लगती ही नहीं कि उनके नज़दीक नमाज़े-जनाज़ा मशरूअ न हो, शरीअत भी इस्लाम थी न कि और। तीसरा जवाब भी कुछ ऐसा ही है और बर तक़्दीर तस्लीम अब भी वह वजह बाक़ी है कि जनाज़ा ग़ायबाना अदा किया करें ताकि दूसरे लोगों की रग़बते-इस्लाम का सबब हो, वल्लाहु आ'लम! मुतर्जिम)

इब्ने मर्दवे में हदीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "अहले मदीना, अहले शाम, अहले इराक़ का क़िब्ला मश्रिक़ व मग़्रिब के दरम्यान है।" (तिर्मिज़ी, किताबुस्सलात, बाब मा जाअ अन्न मा बैनल मश्रिक़ि वल् मग़्रिब क़िब्लतुन : 346; इब्ने माजा : 1011; नसाई : 2245; तअलीक़न; वहुव सहीह; मज़ीद देखिए (इरवाअ : 1/325) यह रिवायत तिर्मिज़ी में दूसरे अल्फ़ाज़ से मरवी है और इसके एक रावी अबू मअशर के हाफ़िज़ा पर कुछ अहले-इल्म ने कलाम किया है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे एक और सनद से भी नक़्ल किया है और इसे हसन सहीह कहा है। (तिर्मिज़ी, किताबुस्सलात, बाब मा जाअ अन्न मा बैनल

मश्रिक़ि वल् मग़्रिबि क़िब्लतुन : 344; वहुव सहीह; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे बशवाहिद सहीह क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 292) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه), हज़रत अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه), हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से भी यही मरवी है। हज़रत उमर (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, जब तू मग़्रिब को अपनी दाएँ जानिब और मश्रिक़ को बाएँ जानिब कर ले तो तेरे सामने की सिम्त क़िब्ला हो जाएगा। हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से भी ऊपर की तरह हदीस मरवी है कि मश्रिक़ व मग़्रिब के दरम्यान क़िब्ला है। (अयज़न) मुलाहिज़ा हो, दारे-क़ुत्नी, बैहक़ी वग़ैरह। इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं, यह मतलब भी इस आयत का हो सकता है कि तुम मुझसे दुआएँ मांगने में अपना चेहरा जिस तरफ़ भी करो, उसी तरफ़ पाओगे और मैं तुम्हारी दुआओं को क़बूल फ़र्माऊँगा। हज़रत मुजाहिद (रह.) से मरवी है कि जब यह आयत (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (40/मो'मिन : 60) "मुझसे दुआ करो, मैं क़बूल करूँगा।" उतरी तो लोगों ने कहा, किस तरफ़ दुआ करें? इसके जवाब में यह आयत (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا) नाज़िल हुई। फिर फ़र्माता है कि "अल्लाह तआला तमाम वुस्अतों पर ग़ालिब और गुंजाइश वाला और इल्म वाला है।" जिसकी किफ़ायत सख़ावत और फ़ज़्लो करम ने तमाम मख़्लूक़ का एहाता कर रखा है, वह सब चीज़ों को जानता भी है, कोई छोटी से छोटी चीज़ भी उसके इल्म से बाहर नहीं, बल्कि वह तमाम चीज़ों का आलिम है।"

...

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿١١٦﴾
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

तर्जुमा : "यह कहते हैं अल्लाह की औलाद है (नहीं बल्कि) वह पाक है, ज़मीन व आसमान की तमाम मख़्लूक़ात उसकी मिल्कियत में है, और हर एक उसका फ़र्मांबरदार है। (116) वह ज़मीन व आसमान का इब्तिदाअन पैदा करने वाला है, वह जिस काम को करना चाहे कह देता कि हो जा, बस वह वहीं हो जाता है।" (117)

अल्लाह तआला ही मुक़्तदिरे आ'ला है (आयत 116, 117) : यह और इसके साथ की आयत नसरानियों के रद्द में है और इसी तरह इन जैसे यहूद व मुश्रिकीन के रद्द में भी है, जो कहते थे कि अल्लाह तआला की औलाद है। उनसे कहा जाता है कि ज़मीन व आसमान वग़ैरह तमाम चीज़ों का तो अल्लाह तआला मालिक है, उनका पैदा करने वाला, उन्हें रोज़ियाँ देने वाला, उनके अंदाज़े मुक़र्रर करने वाला, उन्हें क़ब्ज़ा में रखने वाला, उनमें रद्दोबदल करने वाला अल्लाह तआला ही है, फिर भला उस मख़्लूक़ में से कोई उसकी औलाद कैसे हो सकती है। न उज़ेर (عليه السلام) और न ईसा (عليه السلام) अल्लाह के बेटे बन सकते हैं। जैसे कि यहूद व नसारा का ख़्याल था। न फ़रिश्ते उसकी बेटियाँ बन सकते हैं। जैसे मुश्रिकीने-अरब का ख़्याल था, इसलिए कि दो बराबर के मुनासिबत रखने वाले हमजिन्स से औलाद होती है और अल्लाह तआला का न कोई नज़ीर, न उसकी अज़्मत व किब्रियाई में उसका कोई शरीक। न उसकी जिंस का कोई और, वह तो

आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है, उसकी औलाद कैसे होगी? उसकी कोई बीवी भी नहीं, वह हर चीज़ का ख़ालिक़ और हर चीज़ का आलिम है।

तुम रह़मान की औलाद बताते हो, यह कितनी बेहूदा लग़्व बात तुम कहते हो, यह इतनी बुरी बात ज़ुबान से निकालते हो कि उससे आसमानों का फट जाना और ज़मीन का शक़्क़ हो जाना और पहाड़ों का रेज़ा-रेज़ा हो जाना मुम्किन है। तुम्हारा दा'वा है कि अल्लाह तआला साहिबे-औलाद है। अल्लाह तआला की औलाद तो कोई हो ही नहीं सकती, उसके सिवा जो भी है, उसकी मिल्कियत है, ज़मीन व आसमान की कुल हस्तियाँ उसकी गुलामी में हाज़िर होने वाली हैं, जिन्हें एक-एक करके उसने घेर रखा है और शुमार कर रखा है, उनमें से हर एक उसके पास क़यामत के दिन तंहा-तंहा पेश होने वाला है, पस गुलाम औलाद नहीं बन सकता, मिल्कियत और वलदियत दो मुख़्तलिफ़ और मुतज़ाद हैसियतें हैं और सूरह इख़्लास में इसकी नफ़ी फ़र्माई, इर्शाद قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ○ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ○ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ○ (112/इख़्लास : 1-4) "कह दो कि अल्लाह एक ही है, अल्लाह बेनियाज़ है, न उसकी कोई औलाद है, न माँ बाप, उसका हमजिंस कोई नहीं" इन आयात और इन जैसी और आयात में उस ख़ालिक़े-कायनात ने अपनी तस्बीह व तक़्दीस बयान की। अपना बेनज़ीर, बेमिस्ल और ला शरीक होना साबित किया और उन मुश्रिकीन के इस गंदे अक़ीदे का बुत्लान किया और बताया कि वह तो सबका ख़ालिक़ व रब है फिर उसकी औलाद और बेटे-बेटियाँ कहाँ से होंगी?

सूरह बक़रह की इस आयत की तफ़्सीर में सह़ीह़ बुख़ारी की एक ह़दीसे क़ुदसी में है कि "अल्लाह तआला फ़र्माता है कि मुझे इब्ने-आदम झुठलाता है, उसे यह लायक़ न था, मुझे वह गालियाँ देता है, उसे यह नहीं चाहिए था। उसका झुठलाना तो यह है कि वह ख़्याल कर बैठता है कि मैं उसे मार डालने के बाद दोबारा ज़िन्दा करने पर क़ादिर नहीं हूँ और उसका गालियाँ देना यह है कि वह मेरी औलाद बताता है, ह़ालाँकि मैं पाक हूँ, और बुलंद व बाला हूँ, उससे कि मेरी औलाद और बीवी हो।" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब (व कालुत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू) :4482, 4974) यही ह़दीस दूसरी सनदों से और किताबों में भी बइख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ मरवी है। बुख़ारी व मुस्लिम में है, हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, "बुरी बातें सुनकर सब्र करने में अल्लाह तआला से ज़्यादा कोई कामिल नहीं, लोग उसकी औलादें बताएँ और वह उन्हें रिज़्क़ व आफ़ियत देता रहे।" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल् अदब, बाबुस्सब्र फ़िल इज़ा : 6099; सह़ीह़ मुस्लिम : 2804) फिर फ़र्माया, हर चीज़ उसकी इताअत गुज़ार है, उसकी गुलामी की इक़रारी है, उसके लिए इख़्लास करने वाली है, उसकी सरकार में क़यामत के रोज़ दस्त-बस्ता खड़ी होने वाली और दुनिया में इबादत गुज़ार है। जिसको कहे यूँ हो, उस तरह़ बन, वह उसी तरह़ हो जाती है और बन जाती है। इसी तरह़ हर एक उसके सामने पस्त व मुतीअ है, कुफ़्फ़ार भी गो न चाहें लेकिन उनके साये अल्लाह के सामने झुकते रहते हैं।" क़ुरआन ने और जगह फ़र्माया (وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ) (13/रअद : 15) "आसमान व ज़मीन की कुल चीज़ें ख़ुशी व नाख़ुशी अल्लाह तआला को सज्दा करती हैं" उनके सीने सुबह़-शाम झुकते रहते हैं।

एक ह़दीस में मरवी है कि जहाँ कहीं क़ुरआन में क़ुनूत का लफ़्ज़ है वहाँ मुराद इताअत है। (अह़मद : 3/75; ह : 11711; व सनदुहू ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 4105) लेकिन इसका मरफ़ूअ होना सह़ीह़ नहीं, मुम्किन है सह़ाबी का या और किसी

का कलाम हो, इस सनद से और आयात की तफ़्सीर भी मरफ़ूअन मरवी है लेकिन याद रखना चाहिए कि यह ज़ईफ़ है। कोई शख़्स इससे धोखे में न पड़े, वल्लाहु आ'लम!

फिर फ़र्माया, वह आसमान व ज़मीन को बग़ैर किसी साबिक़ा नक़्शे के पहली ही बार की पैदाईश में पैदा करने वाला है। लुग़त में बिदअत के मा'नी तो पैदा करने, नया बनाने के हैं। हृदीस में है, हर नई बात बिदअत है और बिदअत गुमराही है। (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्नह, बाब फ़ी लुज़ूमिस्सुन्नति : 4607; व सनदुहू सहीह तिर्मिज़ी : 2676; इब्ने माजा : 42; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीहुल जामेअ : 1353) यह तो हुई शरई बिदअत, कभी बिदअत का इत्लाक़ सिर्फ़ लुग़तन होता है, शरअन मुराद नहीं होती। जैसे हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने लोगों को नमाज़े तरावीह पर जमा करके फिर उसे इसी तरह जारी देखकर फ़र्माया था, अच्छी बिदअत है। (सहीह बुख़ारी, किताब सलातुत तरावीह, बाब फ़ज़्लु मन क़ाम रमज़ान : 2010) बदीअ, मुब्दिउ से फेरा गया है जैसे मुलिम से अलीम और मुस्मिअ से समीअ मा'नी मुब्दिउ के इंशाअ और नो पैद करने वाले के हैं। बग़ैर मिसाल के और बग़ैर नमूने के और बग़ैर पहली पैदाईश के पैदा करने वाले। बिदअती को इसलिए बिदअती कहा जाता है कि वह भी दीने इलाही में वह काम या वह तरीक़ा ईजाद करता है जो उससे पहले शरीअत में न हो, उसी तरह किसी नई बात के पैदा करने वाले को अरबी जुबान में मुब्तदिअ कहते हैं। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं, मतलब यह हुआ कि अल्लाह तआला औलाद से पाक है, वह आसमान ज़मीन की तमाम चीज़ों का मालिक है, हर चीज़ उसकी वहदानियत की दलील है, हर चीज़ उसकी इताअत गुज़ारी की इक़रारी है, सबका पैदा करनेवाला, बनाने वाला, मौजूद करने वाला बग़ैर असल और मिसाल के उन्हें वजूद में लाने वाला एक वही रब्बुल आ'लमीन है, उसकी गवाही हर चीज़ देती है, ख़ुद मसीह (عليه السلام) भी उसके गवाह और बयान करने वाले हैं। जिस रब ने उन तमाम चीज़ों को बग़ैर नमूने के और बग़ैर माद्दे और असल के पैदा किया, उसने हज़रत ईसा (عليه السلام) को भी बग़ैर बाप के पैदा कर दिया। फिर कोई वजह नहीं कि तुम उन्हें ख़्वाह मख़्वाह अल्लाह का बेटा मान लो। फिर फ़र्माया कि, उस अल्लाह की कुदरत व सल्तनत सतवतो व शौकत ऐसी है कि जिस चीज़ को जिस तरह की बनाना और पैदा करना चाहे, उसे कह देता है कि इस तरह और ऐसी हो जा, वह उसी वक़्त हो जाती है, जैसे फ़र्माया (إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ) (36/यासीन : 82) दूसरी जगह फ़र्माया (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ) (16/नहल : 40) और इर्शाद होता है (وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ) (54/क़मर : 50) शायर कहता है,

إِذَا مَا أَرَادَ اللّٰهُ أَمْرًا فَإِنَّمَا   يَقُوْلُ لَهُ كُنْ قَوْلَةً فَيَكُوْنُ

मतलब सबका यह है कि इधर अल्लाह का इरादा किसी चीज़ का हो और उसने कहा, हो जा, वहीं वह हो गया। उसके इरादा से मुराद जुदा नहीं पस मुंदर्जा बाला आयत में ईसाईयों को निहायत लतीफ़ पैराये से यह भी समझा दिया गया कि हज़रत ईसा (عليه السلام) भी उसी कुन के कहने से पैदा हुए हैं। दूसरी जगह साफ़-साफ़ फ़र्मा दिया (إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ) (3/आले इमरान : 59) या'नी हज़रत ईसा (عليه السلام) की मिसाल अल्लाह के नज़दीक हज़रत आदम (عليه السلام) जैसी है, जिन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर फ़र्माया, हो जा, वह हो गए।''

....

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ۭ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۭ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۭ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿118﴾

तर्जुमा : "इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि ख़ुद अल्लाह हमसे बातें क्यूँ नहीं करता, हमारे पास कोई निशानी क्यूँ नहीं आती, इसी तरह ऐसी ही बात उनके अगलों ने भी कही थी, उनके और उनके दिल यक्साँ हो गए, हमने तो यक़ीन वालों के लिए निशानियाँ बयान कर दीं।" (118)

(आयत 118) : राफ़ेअ बिन हुरैमला ने हुज़ूर (ﷺ) से कहा था कि अगर आप (ﷺ) सच्चे हैं तो अल्लाह तआला ख़ुद हमसे क्यूँ नहीं कहता? हम ख़ुद भी तो उससे उसका कलाम सुनें, इस पर यह आयत उतरी। (इब्ने अबी हातिम : 1/352) मुजाहिद (रह.) कहते हैं, यह बात नसरानियों ने कही थी। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं, यही ठीक भी मा'लूम होता है, इसलिए कि आयत इन्हीं के बयान के दौरान में है, लेकिन यह क़ौल सोचने के क़ाबिल है। क़ुर्तुबी (रह.) फ़र्माते हैं कि उन्होंने कहा था कि आप (ﷺ) की नबुव्वत की ख़बर ख़ुद जनाब बारी तआला हमें क्यूँ नहीं देता? और यही बात ठीक है, वल्लाहु अ'लम! मुफ़स्सिरीन कहते हैं, यह क़ौल कुफ़्फ़ारे-अरब का था और फिर यह जो फ़र्माया कि इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा था, इससे मुराद यहूद व नसारा हैं। (इब्ने अबी हातिम : 1/353) क़ुरआने-करीम में और जगह है (وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ) (6/अन्आम : 124) "उनके पास जब कभी कोई निशानी आती है तो कहते हैं, हम उस वक़्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि वह न दिए जाएँ, जो अल्लाह तआला के रसूलों को दिया जाता है।" और जगह फ़र्माया (وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ) (17/इस्रा : 90) या'नी "उन्होंने कहा कि हम आप (ﷺ) पर हर्गिज़ ईमान नहीं लायेंगे जब तक कि आप हमारे लिए हमारी इन ज़मीनों में चश्मे जारी न कर दें। और जगह फ़र्माया (وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا) (25/फ़ुरक़ान : 21) या'नी "हमारी मुलाक़ात के मुंकिर कहते हैं, हम पर फ़रिश्ते क्यूँ नहीं उतारे जाते अल्लाह तआला हमारे सामने क्यूँ नहीं आता?" अल्ख़ और जगह फ़र्माया (بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ) (74/मुदस्सिर : 52) "इनमें से हर शख़्स चाहता है कि वह ख़ुद कोई किताब दिया जाए।" वग़ैरह वग़ैरह।

यह आयात साफ़ बताती हैं कि मुश्रिकीने अरब ने हुज़ूर (ﷺ) से सिर्फ़ तकब्बुर व इनाद की बिना पर ऐसी-ऐसी चीज़ें तलब कीं, उसी तरह यह भी मुतालबा भी उन ही मुश्रिकीन का था और उनसे पहले अहले-किताब ने भी ऐसे ही फ़िज़ूल सवालात किए थे। इर्शाद होता है (يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ) अल्ख़ (4/निसाअ : 153) "अहले किताब तुमसे चाहते हैं कि तुम उन पर कोई आसमानी किताब उतारो और जबकि हज़रत मूसा (عليه السلام) से उन्होंने उससे भी बड़ा सवाल किया था, उनसे तो कहा था कि हमें अल्लाह को आमने सामने दिखा।" और जगह फ़र्मान है कि जब तुमने कहा, ऐ मूसा! हम तुझ पर हर्गिज़ ईमान न लायेंगे, जब तक अपने रब को सामने न देख लें। फिर फ़र्माया कि, इनके और उनके दिल यक्साँ और मुशाबेह हो गए या'नी इन

मुश्रिकीन के दिल कुफ़्फ़ार जैसे हो गए और जगह फ़र्माया, लोगों ने भी अपने अम्बिया को जादूगर और दीवाना कहा था, उन्होंने भी उनकी मुवाफ़िक़त की, फिर फ़र्माया, हमने यक़ीन वालों के लिए अपनी आयात बयान कर दीं जिनसे रसूल की तस्दीक़ अयाँ है, किसी और चीज़ की तलब की हाजत बाक़ी नहीं रही, यही निशानियाँ ईमान लाने के लिए काफ़ी हैं। हाँ! जिनके दिलों पर मुहर लगी हुई हो, उन्हें किसी आयत से कोई फ़ायदा न होगा। जैसे फ़र्माया (اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ) अल्ख़ (10/यूनुस : 96) "जिन पर तेरे रब की बात साबित हो चुकी है, वह ईमान न लायेंगे, गो उनके पास तमाम आयात आ जाएँ, जब तक कि वह दर्दनाक अज़ाब न देख लें।"

....

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾

तर्जुमा : "हमने तुझे हक़ के साथ ख़ुशख़बरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, जहन्नमियों के बारे में तुझसे नहीं पूछा जाएगा।" (119)

आपका काम नसीहत करना है (आयत :119) : हदीस में है ख़ुशख़बरी जन्नत की और डरावा जहन्नम से। (ला तुस्अलु) की दूसरी क़िराअत (मा तुस्अलु) भी है और इब्ने मस्ऊद (رضی) की क़िरात में (लन् तुस्अल) भी है, या'नी तुझसे कुफ़्फ़ार की बाबत सवाल नहीं किया जाएगा। जैसे फ़र्माया (فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ) (13/रअ़द : 40) या'नी "तुझ पर सिर्फ़ पहुँचा देना है, हिसाब तो हमारे ज़िम्मे है।" और फ़र्माया (فَذَكِّرْ ۟ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ○ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ○) (88/ग़ाशिया : 21, 22) "तू नसीहत करता रह, तू सिर्फ़ नसीहत करने वाला है, इन पर दारोग़ा नहीं।" और जगह है (نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ) (50/ क़ाफ़ : 45) "हम इनकी बातें बख़ूबी जानते हैं, तुम इन पर जबर करने वाले नहीं हो, तुम क़ुरआन की नसीहतें उन्हें सुना दो, जो क़यामत से डरते हों।" इसी मज़्मून की और भी बहुत सी आयात हैं। एक क़िराअत इसकी (वला तस्अल) भी है, या'नी इन जहन्नमियों के बारे में ऐ नबी (ﷺ)! मुझसे कुछ न पूछो।

तफ़्सीर अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि "रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, काश! कि मैं अपने माँ-बाप का हाल जान लेता, काश! कि मैं अपने माँ-बाप का हाल जान लेता, काश! कि मैं अपने माँ-बाप का हाल जान लेता" इस पर यह फ़र्मान नाज़िल हुआ। फिर आख़िरी दम तक आप (ﷺ) ने अपने वालिदेन का ज़िक्र न फ़र्माया। अख़्रजहू अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ फ़ित्तफ़्सीर : 126; तब्री : 1877, 1878; यह रिवायत मुर्सल (ज़ईफ़) है और इसकी सनद में मूसा बिन उ़बेदह रब्ज़ी ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/213; रक़म : 8895) इब्ने जरीर (रह.) ने भी इसे बरिवायत मूसा बिन उ़बेदह (रह.) वारिद किया है लेकिन इस रावी पर कलाम है। क़ुर्तुबी (रह.) कहते हैं कि मतलब यह है कि जहन्नमियों का हाल इतना बद और बुरा है कि तुम कुछ न पूछो।

रसूले अकरम (ﷺ) के वालिदेन का तज़्किरा : क़ुर्तुबी (रह.) ने तज़्किरा में एक रिवायत नक़्ल की है कि हुज़ूर (ﷺ) के वालिदेन ज़िन्दा किए गए और ईमान ले आए। (सूरह तौबा : 114; में हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) ने फ़र्माया कि इसकी सनद में मजाहील है। लिहाज़ा यह रिवायत बातिल है।) और सहीह मुस्लिम में जो हदीस है जिसमें ''आप (ﷺ) ने किसी के सवाल पर फ़र्माया कि, मेरा बाप और तेरा बाप आग में हैं'' इसका जवाब भी वहाँ है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान अन्न मम् मात अलल कुफ़्रि ...: 203) लेकिन याद रहे कि आप (ﷺ) के माँ-बाप के ज़िन्दा होने की रिवायत कुतुबे-सिहाहे-सित्ता वग़ैरह में नहीं और इसकी इस्नाद ज़ईफ़ हैं, वल्लाहु आ'लम!

इब्ने जरीर (रह.) की एक मुर्सल हदीस में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक दिन पूछा कि, मेरे माँ-बाप कहाँ हैं? इस पर यह आयत नाज़िल हुई। इब्ने जरीर (रह.) ने इसकी तर्दीद की है और फ़र्माया है कि, यह महाल है कि हुज़ूर (ﷺ) अपने माँ-बाप के बारे में शक करें। पहली ही क़िरात ठीक है लेकिन हमें इमाम हम्माम पर ता'ज्जुब आता है कि उन्होंने इसे महाल कैसे कह दिया?

मुम्किन है यह वाक़िया उस वक़्त का हो जब आप (ﷺ) अपने माँ बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करते थे और अंजाम मा'लूम न था, फिर जब उन दोनों की हालत मा'लूम हो गई तो आप (ﷺ) उससे हट गए और बेज़ारी ज़ाहिर फ़र्माई और साफ़ बता दिया कि वह दोनों जहन्नमी हैं। जैसे कि सहीह हदीस से साबित हो चुका है। इसकी और भी बहुत सी मिसालें हैं।

मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (رضی الله عنه) से हज़रत अता बिन यसार (रह.) ने पूछा कि, रसूलुल्लाह (ﷺ) की सिफ़त व सना तौरात में क्या है? तो आपने फ़र्माया, ''हाँ! अल्लाह की क़सम! जो सिफ़तें आप (ﷺ) की क़ुरआन में हैं, वही तौरात में भी हैं, तौरात में है कि ऐ नबी! हमने तुझे गवाह और ख़ुशख़बरियाँ देने वाला और डराने वाला और अनपढ़ों का बचाव बनाकर भेजा है, तू मेरा बन्दा और मेरा रसूल (ﷺ) है, मैंने तेरा नाम मुतवक्किल रखा है, तू न बदज़ुबान है, न सख़्त कलाम, न बदख़ुल्क़, न बाज़ारों में शोरगुल करने वाला है, न बुराई के बदले बुराई करने वाला है। बल्कि मा'फ़ करने वाला और दरगुज़र करने वाला है। अल्लाह तआला उन्हें दुनिया से न उठाएगा जब तक कि टेढ़े दीन को इनकी वजह से बिलकुल ठीक और दुरुस्त न करे और लोग ला इलाह इल्लल्लाहु का इक़रार न कर लें और इनकी अंधी आँखें खुल न जाएँ और इनके बहरे कान सुनने न लग जाएँ और इनके ज़ंग-आलूद दिल साफ़ न हो जाएँ। बुख़ारी की किताबुल बुयूअ में भी यह हदीस है और किताबुत्तफ़्सीर में भी। (सहीह बुख़ारी, किताबुल् बुयूअ, बाब कराहियतुस्सख़्ब फ़िस्सूक़ : 2125; किताबुत्तफ़्सीर, बाब (इन्ना अर्सल्नाका शाहिदव व मुबश्शिरव व नज़ीरा : 4838) इब्ने मर्दवे में इस रिवायत के बाद है। अता कहते हैं कि मैंने फिर जाकर हज़रत कअब (रह.) से यही सवाल किया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ
الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ
مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ
يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

तर्जुमा : ''तुझसे यहूद व नसारा हर्गिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक कि तू उनके मज़हब का ताबेअ़ न बन जाए, तू कह दे कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है और अगर तूने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर उनकी ख़्वाहिश की पैरवी की तो अल्लाह तआ़ला के पास न तो तेरा कोई वली होगा और न मददगार। (120) जिन्हें हमने किताब दी है और वह उसे पढ़ने के ह़क़ के साथ पढ़ते हैं, वह इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ कुफ़्र करे, वह नुक़्सान उठाने वाला है।''(121)

(आयत 120-121) : आयत बाला का मतलब यह है कि लोग तुझसे हर्गिज़ राज़ी नहीं होंगे, लिहाज़ा तू भी उन्हें छोड़ और रब की रज़ा पर चल। उन्हें दा'वते रिसालत पहुँचा दे, दीने ह़क़ वही है जो अल्लाह ने तुझे दिया है, तू इस पर क़ायम रह। ह़दीस में है मेरी उम्मत की एक जमाअ़त ह़क़ पर जमकर दूसरों के मुक़ाबले में रहेगी और ग़ल्बा के साथ रहेगी, यहाँ तक कि क़यामत आए। (स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1922; मज़ीद देखिए स़ह़ीहुल जामेउ़स्स़ग़ीर : 7289) फिर अपने नबी को ख़िताब करके ख़बरदार किया कि हर्गिज़ उनकी रज़ामन्दी और उनसे सुलह़जूई के लिए अपने दीन में सुस्त न होना, उनकी त़रफ़ न झुकना, न उनका कहा मानना, फ़ुक़हा किराम ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि कुफ़्र एक ही मज़हब है, ख़्वाह यहूद हों, नस़रानी हों, या कोई और हों, इसलिए कि मिल्लत का लफ़्ज़ यहाँ मुफ़रद ही रखा। जैसे और जगह है (لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ) (109/काफ़िरून : 6) ''तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन।'' इस इस्तिदलाल पर इस मसला की बिना डाली है कि मुसलमान और कुफ़्फ़ार आपस में वारिस नहीं हो सकते और काफ़िर आपस में एक-दूसरों के वारिस हो सकते हैं। गो वह दोनों एक ही क़िस्म के काफ़िर हों या दो अलग-अलग कुफ़्रों के काफ़िर हों। इमाम शाफ़ई (रह़.) और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) का यही मज़हब है और इमाम अह़मद (रह़.) से भी एक रिवायत में यही क़ौल है। और दूसरी रिवायत में इमाम अह़मद और इमाम मालिक (रह़.) का क़ौल मरवी है कि दो मुख़्तलिफ़ मज़हब वाले आपस में एक दूसरे के वारिस न हो। एक स़ह़ीह़ ह़दीस में भी यही मज़्मून है। (इब्ने माजा, किताबुल फ़राइज़, बाब मीरास अहलुल इस्लाम मिन अहलिश्शिर्क : 2731; वहुव स़ह़ीह़ व स़ह़ह़हू इब्नुल जारूद : 967) शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे ह़सन क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 6/170) वल्लाहु आ'लम!

तिलावत का हक़ क्या है? फिर फ़र्माया कि जिन्हें हमने किताब दी है वह हक़्क़े तिलावत अदा करते हुए पढ़ते हैं। क़तादा (रह.) कहते हैं, इससे मुराद यहूद व नसारा हैं। और रिवायत में है कि इससे मुराद अस्हाबे रसूल हैं। हज़रत उमर (ﷺ) फ़र्माते हैं, हक़्क़े-तिलावत यह है कि जन्नत के ज़िक्र के वक़्त सवाले-जन्नत हो और जहन्नम के ज़िक्र के वक़्त उससे पनाह मांगी जाए। (कुर्तुबी : 2/95) इब्ने मसऊद (ﷺ) फ़र्माते हैं, हलाल व हराम को जानना, कलिमात को उनकी जगह रखना, हेर-फेर न करना वग़ैरह यही तिलावत का हक़ अदा करना है। (तब्री : 2/567) हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं, वाज़ेह आयात पर अमल करना, मुतशाबेह आयात पर ईमान लाना, मुश्किलात को उलमा के सामने पेश करना तिलावते हक़्क़ के साथ पढ़ना है। इब्ने अब्बास (ﷺ) से इसका मतलब हक़्क़े-इत्तिबाअ बजा लाना मरवी है। पस तिलावत बमा'नी इत्तिबाअ है। जैसे (وَالْقَمَرِ إِذَا تَلٰـهَا) (91/शम्स : 2) में है। एक मरफ़ूअ हदीस में भी इसके यही मा'नी मरवी हैं लेकिन इसके कुछ रावी मज्हूल हैं गो मा'नी ठीक हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) फ़र्माते हैं, क़ुरआन की इत्तिबाअ करने वाला जन्नत के बाग़ीचों में उतरने वाला है। हज़रत उमर (ﷺ) की तफ़्सीर के मुताबिक़ यह भी मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) जब कोई रहमत के ज़िक्र की आयत पढ़ते तो ठहर जाते और अल्लाह तआला से रहमत तलब करते और जब कभी किसी अज़ाब की आयत तिलावत करते तो रुककर अल्लाह तआला से पनाह तलब फ़र्माते। (इब्ने माजा : 1351; नहवुल मा'नी वहुव सहीह; शैख़ अल्बानी (रह.) ने सहीहुल जामेअ : 4782 में इसे सहीह क़रार दिया है। हदीस की असल सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल् मुसाफ़िरीन, बाब इस्तिहबाब तत्वीलुल क़िराअत फ़ी सलातिल लैल : 1814 में मौजूद है।) फिर फ़र्माया, इस पर ईमान यही लोग रखते हैं, या'नी जो अहले किताब अपनी किताब को सोच समझकर तिलावत करते हैं, वह क़ुरआन पर ईमान लाने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे और जगह है (وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ) (5/माइदा : 66) और फ़र्माया (قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ) (5/माइदा : 68) "अगर यह तौरात व इंजील पर और अल्लाह की उनकी तरफ़ नाज़िलकर्दा चीज़ पर क़ायम रहते तो उनके ऊपर से और पैरों तले से उन्हें खाना मिलता।" अल्ख़ फ़र्माया, "ऐ अहले-किताब! जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब की तरफ़ से उतरा, उसको क़ायम न कर लो, तब तक तुम किसी चीज़ पर नहीं हो" उनका क़ायम करना लाज़िम है कि उसमें जो है, उसे सच्चा जानो और उसमें हुज़ूर (ﷺ) का ज़िक्र, आपकी सिफ़त, आपकी ताबे'दारी का हुक्म, आप (ﷺ) की हमरकाबी की रग़बत सब कुछ मौजूद है।

और जगह फ़र्माया, जो लोग नबी उम्मी (ﷺ) की ताबे'दारी करते हैं, जिस रसूल का ज़िक्र और तस्दीक़ अपनी किताब तौरात व इंजील में भी वह लिखा देखते हैं। और जगह है (اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ) (17/इस्रा : 107) या'नी "तुम ईमान लाओ या न लाओ, जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया है, उन पर जब अल्लाह की आयात पढ़ी जाती है तो वह चेहरे के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा रब पाक हमारे रब का वा'दा बिलकुल सच्चा और सहीह है।" और जगह है जिन्हें हमने इससे पहले किताब दी है वह भी इस पर ईमान लाते हैं और उन पर यह पढ़ी जाती है तो अपने ईमान का इक़रार करके कहते हैं कि हम

तो पहले ही से मानने वालों में हैं। उन्हें उनके सब्र का दोहरा अज्र दिया जाएगा, यह लोग बुराई को भलाई से दूर कर देते हैं और हमारे दिए हुए में से देते रहते हैं। और जगह इर्शाद है (وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ) (3/आले इमरान : 20) या'नी "पढ़े-लिखे और अनपढ़ लोगों से कह दो कि क्या तुम इस्लाम क़बूल करते हो? अगर मान लें तो राह पर हैं और अगर न मानें तो तुझ पर तो सिर्फ़ तब्लीग़ है, अल्लाह तआला अपने बन्दों को ख़ूब देख रहा है।" इसीलिए यहाँ फ़र्माया, उसके साथ कुफ़्र करने वाले ख़सारे वाले हैं। जैसे फ़र्माया (وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ) (11/हूद : 7) "जो भी उसके साथ कुफ़्र करे, उसके वा'दे की जगह आग है।" सहीह हदीस में है, "उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, इस उम्मत में से जो भी मुझे सुने, ख़्वाह यहूदी हो ख़्वाह नसरानी हो, फिर मुझ पर ईमान न लाए तो वह जहन्नम में जाएगा।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब वुजूबुल ईमान बिरिसालति नबिय्यिना ...: 153)

....

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝١٢٢ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝١٢٣

तर्जुमा : "ऐ औलादे या'क़ूब! मैंने जो ने'मतें तुम पर इन्आम की हैं, उन्हें याद करो और मैंने तो तुम्हें तमाम जहान पर फ़ज़ीलत दे रखी है। (122) उस दिन से डरो, जिस दिन कोई नफ़्स किसी नफ़्स को कुछ फ़ायदा न पहुँचा सकेगा, न किसी शख़्स से कोई फ़िदया क़बूल किया जाएगा, न उसे कोई शफ़ाअत नफ़ा देगी, न उनकी मदद की जाएगी।" (123)

ख़बरदार (आयत 122-123) : पहले भी तक़रीबन इस मौज़ूअ की आयत गुज़र चुकी है और इसकी मुफ़स्सल तफ़्सीर भी बयान हो चुकी है, यहाँ सिर्फ़ ताकीद के तौर पर ज़िक्र की गई और उन्हें नबी उम्मी (ﷺ) की ताबे'दारी की रग़बत दिलाई गई, जिनकी सिफ़तें वह अपनी किताबों में पाते थे, जिनका नाम और काम भी उसमें लिखा हुआ था बल्कि आप (ﷺ) की उम्मत का ज़िक्र भी उसमें मौजूद है। पस उन्हें उसके छुपाने और अल्लाह की दूसरी ने'मतों को पोशीदा करने से डराया जा रहा है और दीनी और दुनियावी ने'मतों का ज़िक्र करने को कहा जा रहा है और अरब में जो नस्ली तौर पर भी उनके चचाज़ाद भाई हैं, अल्लाह की जो ने'मत आई, उनमें से ख़ातमुन् नबिय्यीन (ﷺ) को अल्लाह ने मब्ऊस फ़र्माया, उनसे हसद करके नबी की मुख़ालिफ़त और तक्ज़ीब पर आमादा न होने की हिदायत हो रही है।

....

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۭ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۭ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۭ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾

तर्जुमा : ''जब इब्राहीम (अ.) को उनके रब ने कई कई बातों से आज़माया और उन्होंने सबको पूरा कर दिया, तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाऊँगा, अर्ज़ करने लगे, मेरी औलाद को? फ़र्माया, वा'दा ज़ालिमों से नहीं।'' (124)

हज़रत इब्राहीम (अ.) की आज़माइश और उनका इन्आम (आयत 124) : इस आयत में ख़लीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम (अ.) की बुज़ुर्गी का बयान हो रहा है जो तौहीद में दुनिया के इमाम हैं, जिन्होंने तकालीफ़ पर सब्र करके अहकामे-इलाही की बजाआवरी में साबित क़दमी और जवाँ मर्दी दिखाई। फ़र्माते हैं, ऐ नबी (ﷺ)! तुम इन मुश्रिकीन और अहलेकिताब को जो मिल्लते-इब्राहीमी के दा'वेदार हैं, ज़रा इब्राहीम (अ.) की फ़र्मांबरदारी और इताअत-गुज़ारी के वाक़ियात तो सुनाओ ताकि इन्हें मा'लूम हो जाए कि दीने हनीफ़ पर, इब्राहीम के दीन पर कौन क़ायम है? वह तो आप और आपके अस्हाब हैं। और जगह क़ुरआन-करीम का इर्शाद है (وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰٓى) (53/नज्म : 37) ''इब्राहीम (अ.) वह हैं जिन्होंने पूरी तरह वफ़ादारी दिखाई।'' और जगह फ़र्माया, (اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا) (16/नह्ल : 120) ''इब्राहीम (अ.) लोगों के पेशवा अल्लाह तआला के फ़र्मांबरदार मुख़्लिस और ने'मत के शुक्रगुज़ार थे। जिन्हें अल्लाह तआला ने पसंद फ़र्माकर राहे रास्त पर लगा दिया था, जिन्हें हमने दुनिया में भी भलाई दी थी और आख़िरत में भी सालेह और नेककार बनाया। फिर हमने तेरी तरफ़ ऐ नबी! वह्य की कि तू भी इब्राहीम हनीफ़ की मिल्लत की पैरवी कर, जो मुश्रिकीन में से न थे। और जगह इर्शाद है कि इब्राहीम (अ.) न तो यहूदी थे, न नसरानी, और न मुश्रिक थे। बल्कि ख़ालिस मुसलमान थे, उनसे क़ुर्बत और नज़दीकी वाला वह शख़्स है जो उनकी ता'लीम का ताबे'अ हुआ और यह नबी इब्तिला और ईमान वाले, इन ईमानवालों का दोस्त अल्लाह तआला ख़ुद है। इब्तिला के मा'नी इम्तिहान और आज़माईश के हैं।

कलिमात से क्या मुराद थे? कलिमात से मुराद शरीअत का हुक्म और मुमानिअत वग़ैरह है, कलिमात से मुराद कलिमात तक़्दीरया यह भी होती है, जैसे हज़रत मरयम (अ.) की बाबत इर्शाद है (صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا) (66/तहरीम : 12) या'नी उन्होंने अपने रब के कलिमात की तस्दीक़ की और उसके लिखे हुए की भी, और कलिमात से मुराद कलिमाते-शरइया भी होते हैं (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا) (6/अन्आम : 115) या'नी ''अल्लाह तआला के शरई कलिमात सच्चाई और अद्ल के साथ पूरे हुए'' यह कलिमात या तो सच्ची ख़बरें हैं, या तलबे-अद्ल है। ग़र्ज़ इन कलिमात को पूरा करने की जज़ा में उन्हें इमामत का दर्जा मिला। उन कलिमात की निस्बत बहुत से क़ौल हैं, मस्लन अहकामे-हज्ज, मूँछों को कम करना, कुल्ली करना, नाक साफ़ करना, मिस्वाक करना, सर के बाल मुँडवाना या रखना तो माँग निकालना, नाख़ुन काटना, ज़ेरे नाफ़ के

बाल लेना, ख़त्ना कराना, बग़ल के बाल लेना, पेशाब पाख़ाना के बाद इस्तिंजा करना, जुम्आ के दिन ग़ुस्ल करना, तवाफ़ करना, सफ़ा और मरवा के दरम्यान सई करना, रमी जिमार करना, तवाफ़े इफ़ाज़ा करना।

हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, इससे मुराद पूरा इस्लाम है। जिसके तीस हिस्से हैं, दस का बयान सूरह बरा'त में है, अत्ताइबून से मो'मिनीन तक, या'नी तौबा करना, इबादत करना, हम्द करना, अल्लाह की राह में फिरना, रुकूअ करना, सज्दा करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, अल्लाह तआला की हदों की हिफ़ाज़त करना, ईमान लाना, दस का बयान सूरह मो'मिनून के शुरू और सूरह मआरिज में (क़द् अफ़्लह) से (युहाफ़िज़ून) तक है। या'नी नमाज़ को ख़ुशूअ-ख़ुज़ूअ से अदा करना, लग़्व और फ़िज़ूल बातों और कामों से चेहरा फेर लेना, ज़कात देते रहना, शर्मगाह की हिफ़ाज़त करना, अमानतदारी करना, वा'दा पूरा करना, नमाज़ पर हमेशगी और हिफ़ाज़त करना, क़यामत को सच्चा जानना, अज़ाबों से डरते रहना, सच्ची शहादत पर क़ायम रहना, बाक़ी और दस का बयान सूरह अहज़ाब में (इन्नल् मुस्लिमीन) से (अज़ीमन) तक है। या'नी इस्लाम लाना, ईमान रखना, क़ुरआन पढ़ना, सच बोलना, आजिज़ी करना, ख़ैरात देना, रोज़ा रखना, बदकारी से बचना, अल्लाह तआला का हर वक़्त बकसरत ज़िक्र करना, इन तीस अहकाम का जो आमिल हो, वह पूरे इस्लाम का पाबंद है, और अल्लाह के अज़ाबों से बरी है।

कलिमाते-इब्राहीमी में अपनी क़ौम से अलग होना, बादशाहे वक़्त से निडर होकर उसे भी तब्लीग़ करना, फिर अल्लाह की राह में जो मुसीबत आए, उस पर सब्र करना, यहाँ तक कि अपने लख़्ते-जिगर को अल्लाह तआला की राह मे क़ुर्बान करना और वह भी अपने ही हाथ से। यह कुल अहकाम ख़लीलुर्रहमान (عليه السلام) बजा लाए। सूरज, चाँद, सितारों से भी आपकी आज़माइश हुई, इमामत के साथ, बैतुल्लाह बनाने का हुक्म के साथ, अहकामे-हज्ज के साथ, मक़ामे-इब्राहीम के साथ, बैतुल्लाह के रहने वालों की रोज़ियों के साथ, हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को आपके दीन पर भेजने के साथ भी आज़माइश हुई। "अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि, "ऐ ख़लील (عليه السلام)! मैं तुम्हें आज़माता हूँ, देखता हूँ तुम क्या हो?" तो आपने फ़र्माया, " मुझे लोगों का इमाम बना दे, कअबा को लोगों के सवाब और इज्तिमाअ का मर्कज़ बना दे, यहाँ के लोगों को अमन दे, हमें मुसलमान फ़र्मांबरदार बना ले, हमारी औलाद में अपनी इताअतगुज़ार एक जमाअत रख, यहाँ के लोगों को फलों की रोज़ियाँ दे, यह तमाम बातें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पूरी कर दीं और यह सब ने'मतें आपको अता हुईं, सिर्फ़ एक आरज़ू पूरी न हुई, कहा था कि मेरी औलाद को भी इमामत मिले तो जवाब मिला, ज़ालिमों को मेरा अहद नहीं पहुँचता।" कलिमात से मुराद आयात भी हैं।

मौ'ता वग़ैरह में है कि सबसे पहले ख़त्ना कराने वाले सबसे पहले मेहमान नवाज़ी करने वाले, सबसे पहले नाख़ुन कटवाने वाले, सबसे पहले मूँछें हल्की करने वाले, सबसे पहले सफ़ेद बाल देखने वाले हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ही हैं। सफ़ेद बाल देखकर पूछा कि ऐ अल्लाह! यह क्या है? जवाब मिला, वक़ार व इज़्ज़त है। कहने लगे, फिर तो ऐ अल्लाह! इसे और ज़्यादा कर। (मौ'ता : 2/922; ह : 1775; अन सईद बिन मुसय्यिब व सनदुहू हसन; नीज़ देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 725) सबसे पहले मिम्बर पर ख़ुत्बा देने वाले, सबसे पहले क़ासिद भेजने वाले, सबसे पहले तलवार चलाने वाले, सबसे पहले मिस्वाक करने वाले, सबसे

पहले पानी के साथ इस्तिंजा करने वाले, सबसे पहले पायजामा पहनने वाले हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) हैं। एक ग़ैर साबित हदीस में है कि, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया "अगर मैं मिम्बर बनाऊँ तो मेरे बाप इब्राहीम ने भी बनाया था और अगर लकड़ी हाथ में रखूँ तो यह भी मेरे बाप इब्राहीम (عليه السلام) की सुन्नत है।" (बज़्ज़ार : 633; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दन मुंकर; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे मुंकर क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलातुज़्ज़ईफ़ : 1680) मुख़्तलिफ़ सहाबा व ताबे'ईन वग़ैरह से कलिमात की तफ़्सीर में जो कुछ उन्होंने कहा था, हमने नक़्ल कर दिया और ठीक भी यही है कि यह सब बातें उन कलिमात में थीं, किसी ख़ास तख़सीस की कोई क़वी वजह हमें नहीं मिली, वल्लाहु आ'लम! सहीह मुस्लिम में हज़रत आइशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है, "दस बातें फ़ित्रत की और असल दीन की हैं, मूँछें कम करना, दाढ़ी बढ़ाना, मिस्वाक करना, नाक में पानी देना, नाख़ुन काटना, पोरियाँ धोनी, बग़ल के बाल लेना, ज़ेरे नाफ़ के बाल लेना, इस्तिंजा करना।" रावी कहता है, मैं दसवीं बात भूल गया। शायद कुल्ली करना थी। (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब ख़िसालुल फ़ित्रत : 261; अबूदाऊद : 53; तिर्मिज़ी : 2758; नसाई : 5043) बुख़ारी व मुस्लिम में है, हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं "पाँच बातें फ़ित्रत की हैं, ख़त्ना करना, मूए (बाल) ज़िहार लेना, मूँछें कम कराना, नाख़ुन लेना। (सहीह बुख़ारी, किताबुल्लिबास, बाब क़स्सुश्शवारिब : 5889; सहीह मुस्लिम : 257) बग़ल के बाल लेना। एक हदीस में है कि हज़रत इब्राहीम (अ.) को वफ़ा करने वाला इसलिए फ़र्माया है कि वह हर सुबह के वक़्त पढ़ते थे (तब्री : 1940; व सनदुहू ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलातुज़्ज़ईफ़ : 4026) (فَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ حِيۡنَ تُمۡسُوۡنَ وَحِيۡنَ تُصۡبِحُوۡنَ ○ وَلَهُ الۡحَمۡدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَعَشِيًّا وَّحِيۡنَ تُظۡهِرُوۡنَ ○ يُخۡرِجُ الۡحَىَّ مِنَ الۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ الۡمَيِّتَ مِنَ الۡحَىِّ وَيُحۡىِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخۡرَجُوۡنَ○) (30/रूम : 17-19) एक रिवायत में है कि हर दिन चार रकअतें पढ़ते थे।" (तब्री : 1941; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सख़्त ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 9/29) लेकिन यह दोनों अहादीस ज़ईफ़ हैं और इनमें कई कई रावी ज़ईफ़ हैं और ज़ुअफ़ की बहुत सी वजूहात हैं, बल्कि इनकी रिवायत ज़ुअफ़ का ज़िक्र किए बग़ैर बयान करनी जाइज़ नहीं, मतन भी ज़ुअफ़ पर दलालत करता है।

हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) अपनी इमामत की ख़ुशख़बरी सुनकर अपनी औलाद के लिए भी यही दुआ करते हैं जो क़बूल तो की जाती है लेकिन साथ ही ख़बर दी जाती है कि आपकी औलाद में ज़ालिम भी होंगे, जिन्हें अल्लाह तआला का अहद न पहुँचेगा, वह इमाम न बनाए जाएँगे, न उनकी इक़्तिदा और पैरवी की जायेगी। सूरह अन्कबूत की आयत इस मतलब को और वाज़ेह कर देती है कि ख़लीलुल्लाह की यह दुआ भी क़बूल हुई, वहाँ है (وَجَعَلۡنَا فِىۡ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالۡكِتٰبَ) (29/अन्कबूत : 27) या'नी "हमने उनकी औलाद में नबुव्वत और किताब रख दी।" हज़रत इब्राहीम (अ.) के बाद जितने अम्बिया और रसूल आए वह सब आप ही की औलाद में से थे और जितनी किताबें नाज़िल हुईं, सब आप ही की औलादों मे हुईं, सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलयहिम अज्मईन। यहाँ यह भी ख़बर दी गई है कि इब्राहीम (عليه السلام) की औलाद में ज़ुल्म करने वाले भी होंगे। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, मतलब यह है कि मैं ज़ालिम को इमाम नहीं

बनाऊँगा। ज़ालिम से मुराद कुछ ने मुश्रिक भी लिए हैं। अहद से मुराद अम्र है। इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, ज़ालिम को किसी चीज़ का वाली और बड़ा न बनाना चाहिए, गो वह औलादे-इब्राहीम में से हो। हज़रत ख़लील (علیہ السلام) की दुआ उनकी नेक औलाद के हक़ में क़बूल हुई है। यह भी मा'नी किए गए हैं कि ज़ालिम का कोई अहद नहीं कि उसकी इताअत की जाए। उसका अहद तोड़ दिया जाए, पूरा न किया जाए। और यह भी मतलब है कि क़यामत के दिन अल्लाह का वा'दा उससे कुछ नहीं, दुनिया में तो ख़ैर खा पी रहा है और ऐशो-इशरत कर रहा है। अहद से मुराद दीन भी है, या'नी तेरी तमाम औलाद दीनदार नहीं। जैसे और जगह है (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِيْنٌ) (37/साफ़्फ़ात : 113) या'नी "औलाद में भले भी हैं और बुरे भी।" और इताअत के मा'नी भी किए गए हैं, या'नी इताअत सिर्फ़ मा'रूफ़ और भलाई में है। और अहद के मा'नी नबुव्वत के भी आए हैं। इब्ने ख़ुवेज़ मिन्दाद मालिकी (रह.) फ़र्माते हैं, ज़ालिम शख़्स न तो ख़लीफ़ा बन सकता है, न हाकिम, न मुफ़्ती, न गवाह और न रावी।

....

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ

तर्जुमा : "हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब की और अमनो अमान की जगह बनाई। तुम मक़ामे-इब्राहीम को क़िब्ला मुक़र्रर कर लो।" (125)

बैतुल्लाह अमनो-अमान की जगह (आयत 125) : (मसाबत) से मुराद बार-बार आना, हज्ज करके गो चले जाएँ लेकिन सबके दिल में लगन लगी रहती है, हर-हर जगह से लोग भागे-दौड़े इसकी तरफ़ जोक़-दर-जोक़ चले आ रहे हैं, यही जमा होने की जगह है, यही अमन का मक़ाम है, जिसमें हथियार नहीं उठाया जाता। जाहिलियत के ज़माने में भी उसके आसपास तो लूटमार होती रहती लेकिन यहाँ अमनो-अमान रहता। किसी को कोई गाली भी न देता, यह जगह हमेशा मुतबर्रक और शरीफ़ रही, नेक रूहें इसकी तरफ़ मुश्ताक़ रहती हैं, गो हर साल ज़ियारत करें लेकिन ताहम ख़्याल इधर ही रहता है। हज़रत इब्राहीम (علیہ السلام) की दुआ का असर है, आपने दुआ मांगी थी (فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ) (14/इब्राहीम : 37) "तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ़ झुका दे" यहाँ बाप और भाई के क़ातिल को भी कोई देखता तो ख़ामोश हो जाता। सूरह माइदा में है (قِيَامًا لِّلنَّاسِ) (5/माइदा : 97) या'नी "यह लोगों के क़याम का सबब है।" हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, अगर लोग हज्ज करना छोड़ दें तो आसमान ज़मीन पर गिरा दिया जाए। उस घर के शर्फ़ को देखकर फिर उसके बानी अव्वल हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (علیہ السلام) के शर्फ़ का ख़्याल फ़र्माते हुए, अल्लाह तआला फ़र्माता है (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ) (22/हज्ज : 26) "हमने बैतुल्लाह की जगह इब्राहीम को दी (और कह दिया) कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना। और जगह है (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ) (3/आले-इमरान : 96)

''अल्लाह का पहला घर मक्का है जो बरकत व हिदायत वाला, मक़ामे-इब्राहीम वाला, अमनो-अमान वाला, निशानियों वाला है।''

मक़ामे-इब्राहीम (عليه السلام) का तज़्किरा : मक़ामे-इब्राहीम से मुराद कुल हरम है, और ख़ास मक़ामे-इब्राहीम भी है, और पूरा हज्ज भी है, मस्लन अरफ़ात, मशअरुल हराम मिना, रमी जिमार, सफ़ा मरवा का तवाफ़। मक़ामे- इब्राहीम दरअसल वह पत्थर है जिसे हज़रत इस्माईल (عليه السلام) की बीवी साहिबा ने हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के नहाने के लिए उनके पैर के नीचे रखा था। (तब्री : 3/35) लेकिन हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) कहते हैं, यह ग़लत है, दरअसल यह वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) कअबा बना रहे थे। हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) की लम्बी हदीस है कि जब नबी (ﷺ) ने तवाफ़ कर लिया तो हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने मक़ामे इब्राहीम की तरफ़ इशारा करके कहा, क्या यही हमारे बाप इब्राहीम (अ.) का मक़ाम है? आपने फ़र्माया, ''हाँ!'' कहा फिर हम इसे क़िब्ला क्यूँ न बना लें ? इस पर यह आयत नाज़िल हुई। एक और रिवायत में है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) के सवाल पर थोड़ी देर ही गुज़री थी कि यह हुक्म नाज़िल हुआ। एक और हदीस में है कि फ़तह-मक्का के दिन मक़ामे-इब्राहीम के पत्थर की तरफ़ इशारा करके हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने पूछा, यही है जिसे क़िब्ला बनाने का हुक्म हुआ है? आपने फ़र्माया, ''हाँ! यही है।'' (इब्ने अबी हातिम : 1/371; सुनन कुब्रा लिन् नसाई : 10998; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है।)

हज़रत उमर (رضي الله عنه) की फ़ज़ीलत : सहीह बुख़ारी में हज़रत उमर (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, मैंने अपने रब से तीन बातों में मुवाफ़िक़त की, जो अल्लाह तआला को मंज़ूर था वही मेरी ज़ुबान से निकला। मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! काश हम मक़ामे-इब्राहीम को क़िब्ला बना लेते तो हुक्म (وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) (2/बक़रह : 125) नाज़िल हुआ। मैंने कहा, या रसूलल्लाह! काश! आप (ﷺ) उम्महातुल मो'मिनीन को पर्दे का हुक्म दें, उस पर पर्दे की आयत उतरी। जब मुझे मा'लूम हुआ कि आज हुज़ूर (ﷺ) अपनी बीवियों से ख़फ़ा हैं तो मैंने जाकर उनसे कहा कि अगर तुम बाज़ न आओगी तो अल्लाह तआला तुमसे अच्छी बीवियाँ तुम्हारे बदले अपने नबी को देगा। इस पर भी फ़र्माने बारी नाज़िल हुआ कि (असा रब्बुहू) (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (वत्तख़िज़ू मिम् मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला) : 4483, 4790; तिर्मिज़ी : 2959) इस हदीस की बहुत सी इस्नाद हैं और बहुत सी किताबों में मरवी है। एक रिवायत में बद्र के क़ैदियों के बारे में भी हज़रत उमर (رضي الله عنه) की मुवाफ़िक़त मरवी है। आपने फ़र्माया था कि, ''उनसे फ़िदया न लिया जाए बल्कि उन्हें क़त्ल कर दिया जाए।'' अल्लाह तआला को भी यही मंज़ूर था। (सहीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले सहाबा, बाब मिन फ़ज़ाइले उमर (رضي الله عنه) : 2399) अब्दुल्लाह बिन उबय इब्ने सलूल मुनाफ़िक़ जब मर गया और हुज़ूर (ﷺ) उसके जनाज़े की नमाज़ अदा करने के लिए तैयार हुए तो मैंने कहा था कि क्या आप इस मुनाफ़िक़ काफ़िर का जनाज़ा पढ़ेंगे? आपने मुझे डांट दिया, इस पर यह आयत (وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم) (9/तौबा : 84) नाज़िल हुई और आपको ऐसों के जनाज़े की नमाज़ पढ़ाने से रोक दिया गया।

इब्ने जुरेज की रिवायत में है कि आँहज़रत (ﷺ) ने पहले तवाफ़ में तीन मर्तबा रमल किया, या'नी डर की चाल चले और चार चक्कर चलकर किए। फिर मक़ामे-इब्राहीम के पीछे आकर दो रकअत नमाज़ अदा की और यह आयत तिलावत फ़र्माई (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) की हदीस में है कि मक़ामे-इब्राहीम को आप (ﷺ) ने अपने और बैतुल्लाह के बीच कर लिया था। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब हज्जतुन् नबी (ﷺ) : 1218) इन अहादीस से मालूम होता है कि मक़ामे इब्राहीम से मुराद वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) कअबा की इमारत बना रहे थे। हज़रत इस्माईल (عليه السلام) आपको पत्थर देते जाते थे और आप कअबा की बिना करते जाते थे और उस पत्थर को सिरकाते जाते थे, जहाँ दीवार ऊँची करनी होती थी, वहाँ ले जाते थे, इसी तरह कअबा की दीवारें पूरी कीं। इसका पूरा बयान हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के वाक़िया में आएगा, इंशाअल्लाह तआला! इस पत्थर पर आपके दोनों क़दमों के निशान ज़ाहिर थे, जो अरब की जाहिलियत के ज़माने के लोगों ने भी देखे थे। अबू तालिब ने अपने मशहूर क़सीदे में कहा है,

وَمَوْطِیءُ اِبْرَاہِیْمَ فِی الصَّخْرِ رَطْبَةً   عَلٰی قَدَمَیْهِ حَافِیًا غَیْرَ نَاعِلِ

या'नी इस पत्थर में हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के दोनों पैरों के निशान ताज़ा बताज़ा हैं जिनमें जूते नहीं। बल्कि मुसलमानों ने भी इसे देखा था। हज़रत अनस (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, मक़ामे-इब्राहीम में हज़रत ख़लीलुल्लाह के पैरों की उँगलियाँ और आपके तलवे का निशान देखे थे, फिर लोगों के छूने से वह निशान मिट गए। हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं, हुक्म उसकी जानिब नमाज़ अदा करने का है, तबर्रुक के तौर पर छूने और हाथ लगाने का नहीं, इस उम्मत ने भी अगली उम्मतों की तरह बिला हुक्मे-इलाही कुछ काम अपने ज़िम्मे लाज़िम कर लिए जो नुक़्सानदेह हैं। वह निशान लोगों के हाथ लगाने से मिट गए। यह मक़ामे-इब्राहीम पहले दीवारे कअबा से मुत्तसिल था, कअबा के दरवाज़े की तरफ़ हज्रे-अस्वद की जानिब दरवाज़े से जाने वाले के दाएँ जानिब मुस्तक़िल जगह पर था जो आज भी लोगों को मा'लूम है। ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) ने या तो इसे यहाँ रखवा दिया था या बैतुल्लाह बनाते हुए आख़िरी हिस्सा यही बनाया होगा और इसी जगह वह पत्थर रखा है।

अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में उसे पीछे हटा दिया। इसके सबूत में बहुत सी रिवायात हैं। फिर एक मर्तबा पानी के बहाव में यह पत्थर यहाँ से भी हट गया था। ख़लीफ़ा सानी ने इसे फिर अपनी जगह रखवा दिया। हज़रत सुफ़ियान (रह.) फ़र्माते हैं, मुझे नहीं मा'लूम कि जब यह असली जगह से हटाया गया, उससे पहले दीवारे कअबा से कितनी दूर था। एक रिवायत में है कि ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) ने उसे उसकी जगह से हटाकर वहाँ रखा था, जहाँ अब है। लेकिन यह रिवायत मुर्सल है, ठीक बात यही है कि हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने इसे पीछे रखा, वल्लाहु आ'लम!

وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ
ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ
ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ
أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ
ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا
مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ
أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

तर्जुमा : "हमने इब्राहीम (عليه السلام) और इस्माईल (عليه السلام) से वा'दा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, ए'तिकाफ़ करने वालों और रुकूअ सज्दा करने वालों के लिए पाक-साफ़ रखो। (125) जब इब्राहीम (عليه السلام) ने कहा, ऐ परवरदिगार! तू इस जगह को अमन वाला शहर बना और यहाँ के बाशिन्दों को जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों, फलों की रोज़ियाँ दे, अल्लाह तआला ने फ़र्माया, काफ़िरों को भी थोड़ा फ़ायदा दूँगा, फिर उन्हें आग के अज़ाब की तरफ़ बेबस कर दूँगा, और यह पहुँचने की जगह बुरी है। (126) इब्राहीम (عليه السلام) और इस्माईल (عليه السلام) कअबा की बुनियादें और दीवारें उठाए जाते थे और कहते जा रहे थे कि, हमारे परवरदिगार! तुम हमसे क़बूल फ़र्मा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। (127) ऐ हमारे रब! हमें अपना फ़र्मांबरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमाअत अपनी इताअत गुज़ार रख और हमें अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा क़बूल फ़र्मा, तू तौबा क़बूल फ़र्माने वाला और रहमो-करम करने वाला है।" (128)

अहकामे-बैतुल्लाह (आयत 125-128) : यहाँ अहद से वह हुक्म मुराद है जिसमें कहा गया है कि पाक रखना, गंदी और नजिस और बुरी चीज़ों से। (इब्ने अबी हातिम : 1/373) अहद का ता'दिया 'इला' से हो तो मा'नी हमने वही की और पहले से कह दिया है, पाक रखने का मतलब यह है कि ऐसे बुतों से बचाना, ग़ैरुल्लाह की इबादत वहाँ न होने देना, लग्व कामों, फ़िज़ूल बकवास, झूठी बातों, शिर्क व कुफ़्र, हंसी-मज़ाक़

से इसे महफ़ूज़ रखना भी शामिल है। ताइफ़ के एक मा'नी तो तवाफ़ करने वालों के हैं, दूसरे मा'नी बाहर से आने वालों के हैं। इस तक़्दीर पर (आकिफ़ीन) के मा'नी मक्का के बाशिन्दे होंगे। एक मर्तबा लोगों ने कहा कि, अमीरे-वक़्त से कहना चाहिए कि लोगों को बैतुल्लाह में सोने से मना करें क्योंकि मुम्किन है किसी वक़्त जुंबी (नापाक) हो जाएँ, मुम्किन है कभी आपस में फ़िज़ूल बातें करें, तो हमने सुना कि उन्हें न रोकना चाहिए। इब्ने उमर (رضي الله عنه) उन्हें भी आकिफ़ीन कहते थे। एक सहीह हदीस में है कि मस्जिदे-नबवी में हज़रत फ़ारूक़े-आ'ज़म (رضي الله عنه) के साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) सोया करते थे वह जवान और कुँवारे थे। (रुक्कइस्सुजूद) से मुराद नमाज़ी हैं। (इब्ने अबी हातिम : 1/376) यह पाक रखने का हुक्म इस वास्ते दिया गया कि उस वक़्त भी बुतपरस्ती राइज थी, दूसरे इसलिए कि यह बुज़ुर्ग अपनी निय्यतों में यह बात रखें। दूसरी जगह इर्शाद है कि (व इज़ बव्वाना) अल्ख़ (22/हज्ज : 26) इस आयत में यही हुक्म है कि "मेरे साथ शरीक न करना और मेरे घर को पाक-साफ़ रखना।" फ़ुक़्हा का इसमें इख़्तिलाफ़ है कि बैतुल्लाह की नमाज़ अफ़ज़ल है या तवाफ़। इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं, बाहर वालों के लिए तवाफ़ अफ़ज़ल है और जुम्हूर का क़ौल है कि हर एक के लिए नमाज़ अफ़ज़ल है, इसकी तफ़्सील की जगह तफ़्सीर नहीं।

मक़्सद इससे मुश्रिकीन को तम्बीह और तर्दीद है कि बैतुल्लाह तो ख़ास अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है, इसमें औरों की इबादत करनी और ख़ालिस अल्लाह के पुजारियों को उससे रोकना किस क़द्र सरीह नाइंसाफ़ी है। इसलिए और जगह क़ुरआन में फ़र्माया कि, "ऐसे ज़ालिमों को हम दर्दनाक अज़ाब चखाएँगे।" मुश्रिकीन की इस खुली तर्दीद के साथ ही यहूद व नसारा की भी इसमें तर्दीद हो गई कि जब वह इब्राहीम व इस्माईल (عليهما السلام) की अफ़ज़लियत बुज़ुर्गी और नबुव्वत के क़ाइल हैं, जब वह जानते और मानते हैं कि यह शरीफ़ घर उन्हीं के मुतबर्रक हाथों का बनाया हुआ है, जब वह इसके भी क़ाइल हैं कि यह महज़ नमाज़ व तवाफ़ व दुआ और इबादते रब के लिए बनाया गया है, हज्ज व उमरा और ऐ'तिकाफ़ वग़ैरह के लिए मख़्सूस किया गया है तो फिर बावजूद उन नबियों की ताबे'दारी के दा'वा के क्यूँ हज्ज व उमरे से रुके हुए हैं, क्यूँ बैतुल्लाह में हाज़िरी नहीं देते। बल्कि ख़ुद मूसा (عليه السلام) ने इस बैतुल्लाह का हज्ज किया, जैसाकि हदीस में साफ़ मौजूद है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अल् इस्रा बिरसूलिल्लाहि (ﷺ) : 1660 इस आयते करीमा से यह भी साबित हुआ कि और मसाजिद को भी पाक-साफ़ रखना चाहिए। और जगह क़ुरआन में है (فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ) (24/नूर : 36) "अल्लाह तआला ने मसाजिद को बुलंद करने की इजाज़त दी है, उनमें उनका नाम ज़िक्र किया जाए, उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह उसके नेक बन्दे करते हैं।"

हदीस में भी है कि मस्जिदें जिस काम के लिए हैं, उसी के लिए हैं।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अन्नह्य अन नशदिज़्ज़ाल्लति फ़िल मस्जिदि ... : 569) और अहादीस में बहुत ही ताकीद के साथ मसाजिद की पाकीज़गी का हुक्म आया है (इमाम इब्ने कसीर (रह.) ने इस बारे में एक ख़ास रिसाला तस्नीफ़ फ़र्माया है) कुछ लोग तो कहते हैं, सबसे पहले कअबतुल्लाह फ़रिश्तों ने बनाया था, लेकिन यह सनद

ग़रीब है। कुछ कहते हैं, आदम (ﷺ) ने सबसे पहले बनाया था, हिरा, तूरे सीना, तूरे ज़ीता, जबले लेब्नान और जूदी इन पाँच पहाड़ों से बनाया था लेकिन यह भी सनद ग़रीब है। (साबित नहीं है। देखिए (ज़ईफ़ तर्ग़ीब वत् तर्हीब : 695) कुछ कहते हैं, शीस (ﷺ) ने सबसे पहले बनाया था, लेकिन यह भी अहले किताब की बात है। हदीसे मुबारका में है, "हज़रत इब्राहीम (ﷺ) ने मक्का को हरम बनाया, मैं मदीना को हरम कहता हूँ, इसका शिकार न खेला जाए, यहाँ के दरख़्त न काटे जाएँ, यहाँ हथियार न उठाए जाएँ।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब फ़ज़्लुल मदीनति : 1363) सहीह मुस्लिम की एक हदीस में है कि लोग ताज़ा फल लेकर ख़िदमते-नबवी में हाज़िर हुआ करते थे, हुज़ूर (ﷺ) उसे लेकर दुआ करते कि, 'ऐ अल्लाह! हमारे फलों में, हमारे शहर में, हमारी नाप तौल में बरकत दे, ऐ अल्लाह! इब्राहीम (अ.) तेरे बन्दे, तेरे ख़लील और तेरे रसूल थे, मैं भी तेरा बन्दा और तेरा रसूल हूँ, उन्होंने तुझसे मक्का के लिए दुआ की थी, मैं भी तुझसे मदीना के लिए दुआ करता हूँ जैसे उन्होंने मक्का के लिए की थी बल्कि ऐसी ही एक और भी फिर आप (ﷺ) किसी छोटे बच्चे को बुलाकर वह फल उसे अता कर दिया करते थे।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब फ़ज़्लुल मदीनति : 1373; तिर्मिज़ी : 2454; इब्ने माजा : 3329)

मक्का मुकर्रमा की हुर्मत : अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक मर्तबा अबू तलहा (رضی اللہ عنہ) से कहा कि, जाओ अपने बच्चों में से कोई बच्चा मेरी ख़िदमत के लिए ले आओ, अबू तलहा (رضی اللہ عنہ) मुझे ले चले, मैं अब सफ़र व हज़र में हाज़िरे-ख़िदमत रहने लगा, एक मर्तबा आप बाहर से आ रहे थे, जब उहुद पहाड़ नज़र आया तो आपने फ़र्माया, "यह पहाड़ हमसे और हम इससे मुहब्बत करते हैं" जब मदीना नज़र आया तो फ़र्माने लगे, ऐ अल्लाह! मैं इसके दो किनारों के दरम्यान की जगह को हरम मुक़र्रर करता हूँ, जैसे कि इब्राहीम (ﷺ) ने मक्का को हरम बनाया, ऐ अल्लाह! इनके मुद्द और साअ में और नाप में बरकत दे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब मन ग़ज़ा बि सबिय्यीन लिल् ख़िदमति : 2893; सहीह मुस्लिम : 1365) दूसरी रिवायत में है, "या अल्लाह! जितनी बरकत तूने मक्का में दी है उससे दो गुनी बरकत मदीना में दे।" (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल मदीना : 1885; सहीह मुस्लिम : 1369) और रिवायत में है मदीना में क़त्ल न किया जाए और चारे के सिवा यहाँ के दरख़्तों के पत्ते भी न झाड़े जाएँ। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब तर्ग़ीब फ़ी सकनिल मदीना : 1374) इसी मज़्मून की दूसरी भी बहुत सी अहादीस हैं जिनसे साबित होता है कि मदीना में भी मिस्ले मक्का के हरम है।

यहाँ इन अहादीस के वारिद करने से हमारी ग़र्ज़ मक्का-मुकर्रमा की हुर्मत और यहाँ का अमन बयान करना है। कुछ तो कहते हैं कि यह शुरू से हरम और अमन है, कुछ कहते हैं, ख़लीलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने से, लेकिन पहला क़ौल ज़्यादा ज़ाहिर है। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का वाले दिन फ़र्माया, "जबसे अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन पैदा किए तब से इस शहर को हुर्मत व इज़्ज़त वाला बनाया है, अब यह क़यामत तक हुर्मत व इज़्ज़त वाला ही रहेगा। इसमें जंगो क़िताल किसी को हलाल नहीं, मेरे लिए भी सिर्फ़ आज के दिन ही ज़रा सी देर के लिए हलाल हुआ था, अब वह हराम ही हराम

है, सुनो! इसके काँटे न काटे जाएँ, इसका शिकार न भगाया जाए, इसमें किसी की गिरी पड़ी चीज़ न उठाई जाए, हाँ! जो उसके मालिक तक पहुँचाना चाहे उसके लिए उठाना जाइज़ है, इसकी घास न काटी जाए'' दूसरी रिवायत में है कि यह ह़दीस आपने ख़ुत्बा के दौरान बयान फ़र्माई थी, और ह़ज़रत अब्बास (ﷺ) के सवाल पर आप (ﷺ) ने अज़्ख़र नामी घास के काटने की इजाज़त दी थी। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब अल्अज़्ख़र वल ह़शीश फ़िल् क़ब्रि : 1349; सह़ीह़ मुस्लिम : 1353)

ह़ज़रत इब्ने शुरैह अदवी (ﷺ) ने अम्र बिन सईद से उस वक़्त कहा जबकि वह मक्का की त़रफ़ लश्कर भेज रहा था कि, ऐ अमीर! सुन लीजिए, फ़तह़े मक्का वाले दिन सुबह़ ही सुबह़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने ख़ुत्बे में फ़र्माया था, जिसे मेरे कानों ने सुना, दिल ने याद रखा और मैंने आँखों से हुज़ूर (ﷺ) को उस वक़्त देखा, आपने ह़म्दो सना के बाद फ़र्माया कि, ''मक्का को अल्लाह तआला ने ह़रम किया है, लोगों ने नहीं किया, किसी ईमानदार को इसमें ख़ून बहाना या इसका दरख़्त काटना ह़लाल नहीं, अगर कोई मेरी इस लड़ाई को दलील बनाए तो कह देना कि मेरे लिए सिर्फ़ आज ही के दिन की इस साअ़त (घड़ी) यहाँ जिहाद ह़लाल था, फिर इस शहर की हुर्मत आ गई है, जैसे कल थी, ख़बरदार! हर ह़ाज़िर ग़ायब को यह पहुँचा दे।'' लेकिन अम्र ने यह ह़दीस सुनकर साफ़ जवाब दिया कि मैं तुझसे ज़्यादा इस ह़दीस को जानता हूँ, ह़रम नाफ़र्मान को और ख़ूनी को और बर्बादी करने वाले को नहीं बचाता। (सह़ीह़ बुख़ार, किताबुल इल्म, बाब लि युबल्लिगश्शाहिदल ग़ाइब : 104; सह़ीह़ मुस्लिम : 1354)

कोई इन दोनों अह़ादीस में तआरुज़ न समझे, तत्बीक़ यूँ है कि मक्का रोज़े अव्वल से हुर्मत वाला था लेकिन इस हुर्मत की तब्लीग़ ह़ज़रत ख़लीलुल्लाह (ﷺ) ने की, जिस त़रह़ आँह़ज़रत (ﷺ) नबी तो उस वक़्त से थे जबकि ह़ज़रत आदम (ﷺ) का ख़मीर गूँद रखा था बल्कि आप उस वक़्त भी ख़ातमुन् नबिय्यीन (ﷺ) लिखे हुए थे। (अह़मद : 4/127; व सनदुहू ह़सन) लेकिन ताहम ह़ज़रत इब्राहीम (ﷺ) ने आप (ﷺ) की नबुव्वत की दुआ की कि (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ) अल्ख़ (2/बक़रह : 129) ''इन ही में से एक रसूल इनमें भेज'' जिसे अल्लाह तआला ने क़बूल किया और तक़्दीर की लिखी हुई वह बात ज़ाहिर व वाज़ेह़ हुई। एक ह़दीस में है कि लोगों ने आपसे कहा कि आप अपनी इब्तिदा-ए-नबुव्वत का तो कुछ ज़िक्र कीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मेरे बाप इब्राहीम (ﷺ) की दुआ और ईसा बिन मरयम (ﷺ) की बशारत और मेरी माँ का ख़्वाब, वह देखती हैं कि उनमें से गोया एक नूर निकला जिसने शाम के मह़ल्लात को रोशन कर दिया और वह नज़र आने लगे।'' (अह़मद : 4/127, 128; व सनदुहू ह़सन; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने भी इसे ह़सन क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सह़ीह़ : 4/62)

इस बात का बयान कि आया मक्का अफ़ज़ल है जैसाकि जुम्हूर का क़ौल है, या मदीना अफ़ज़ल है मक्का से जैसे कि इमाम मालिक (रह़.) और इनके ताबेईन का मज़हब है, इसे दोनों त़रफ़ के दलाइल के साथ अन्क़रीब हम बयान करेंगे, इंशाअल्लाह तआ़ला। ह़ज़रत इब्राहीम (ﷺ) दुआ करते हैं कि बारी तआला इस जगह को अमन वाला शहर बना, या'नी यहाँ के रहने वालों को निडर और बेख़ौफ़ रख। अल्लाह तआला इसे

क़बूल फ़र्माता है जैसे कि फ़र्माया (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا) (3/आले इमरान : 97) ''इसमें जो आया वह अमन वाला हो गया'' और जगह इर्शाद है (اَوَ لَمْ يَرَوْا) अल्ख़ (29/अन्कबूत : 67) ''क्या वह नहीं देखते कि हमने हरम को अमन वाला बनाया, लोग इसके पास से उचक लिए जाते हैं और यहाँ वह पुर-अमन रहते हैं।'' इसी क़िस्म की और आयात भी हैं और इस मज़्मून की बहुत सी अहादीस भी ऊपर गुज़र चुकी हैं कि मक्का मुकर्रमा में क़िताल हराम है। हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़र्माते थे किसी को हलाल नहीं कि मक्का में हथियार उठाए। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब अन्नह्य अन हम्लिस्सलाह बिमक्कह् : 1356) आप (ﷺ) की यह दुआ हुर्मते-कअबतुल्लाह की बिना से पहले थी इसलिए कहा कि, ''ऐ अल्लाह! इस जगह को अमन वाला शहर बना।'' सूरह इब्राहीम मे यही दुआ इन लफ़्ज़ों में है (رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا) (14/इब्राहीम : 35) शायद यह दुआ दोबारा की थी, जब बैतुल्लाह तैयार हो गया और शहर बस गया और हज़रत इस्हाक़ (عليه السلام) जो हज़रत इस्माईल (عليه السلام) से तेरह साल छोटे थे, पैदा हो चुके थे, इसीलिए इस दुआ के आख़िर में उनकी पैदाइश का शुक्रिया अदा किया।

काफ़िरों के लिए सिर्फ़ दुनियावी फ़ायदा : (वमन् कफ़र) से आख़िर तक अल्लाह तआला का कलाम है, कुछ ने इसे भी दुआ मे दाख़िल किया है, तो इस तक़्दीर पर मतलब यह होगा कि कुफ़्फ़ार को भी थोड़ा सा फ़ायदा दे, फिर उन्हें अज़ाब की तरफ़ बेबस कर, इसमें भी हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की ख़ुल्लत (दोस्ती) ज़ाहिर होती है कि वह अपनी औलाद के भी मुख़ालिफ़ हैं, और इसे कलामुल्लाह मानने पर यह मतलब होगा कि चूँकि इमामत का सवाल जब अपनी औलाद के लिए किया और ज़ालिमों की महरूमी का ए'लान सुन चुके और मा'लूम हो गया कि आपके पीछे आने वालों में भी अल्लाह के नाफ़र्मान होंगे तो अब मारे डर के अदब के साथ बाद में आने वालों की रोज़ी की तलब भी सिर्फ़ ईमानदार औलाद के लिए की, मगर इर्शादे बारी हुआ कि दुनियावी फ़ायदा तो कुफ़्फ़ार को भी मैं देता हूँ। जैसे और जगह है (كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ) अल्ख़ (17/इस्रा : 20) या'नी ''हम उन्हें और इनको फ़ायदा देंगे, तेरे रब की अता रुकी हुई महदूद नहीं।'' और जगह है जो लोग अल्लाह तआला पर झूठ बाँधते हैं वह फ़लाह नहीं पाते दुनिया का कुछ फ़ायदा गो उठा लें लेकिन हमारी तरफ़ आकर अपने कुफ़्र के बदले सख़्त अज़ाब चखेंगे। और जगह है, काफ़िरों का कुफ़्र तुझे ग़मगीन न करे, हमारी तरफ़ यह लौटेंगे और उनके आ'माल पर हम उन्हें तम्बीह करेंगे, अल्लाह तआला सीनों की छुपी बातों को बख़ूबी जानता है, हम उन्हें थोड़ा-सा फ़ायदा पहुँचाकर सख़्त अज़ाब की तरफ़ बेक़रार करेंगे। और जगह है (وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ) अल्ख़ (43/ज़ुख़रुफ़ : 33) ''अगर यह ख़तरा न होता कि लोग एक ही उम्मत हो जाएँ तो हम काफ़िरों की छतें और सीढ़ियाँ चाँदी की बना देते और उनके घरों के दरवाज़े और तख़्त जिन पर तकिये लगाए बैठे रहे और सोना भी देते, लेकिन यह सब दुनियावी फ़ायदे हैं, आख़िरत का भला घर तो सिर्फ़ परहेज़गारों के लिए है।''

यही इस आयत में भी है कि उनका अंजाम बुरा है, यहाँ ऐश कर लें, फिर वहाँ सख़्त पकड़ होगी। जैसे और जगह है (فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ) अल्ख़ (22/हज्ज : 48) ''बहुत सी ज़ालिम बस्तियों को हमने मुहलत दी,

फिर पकड़ लिया, अंजाम को तो हमारे ही पास लौटना है।'' बुख़ारी व मुस्लिम की ह़दीस में है कि ''गंदी बातों को सुनकर स़ब्र करने में अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, लोग उसकी औलाद बताते हैं लेकिन ताहम वह उन्हें रिज़्क़ व आ़फ़ियत दे रहा है।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब अस्स़ब्र फ़िल इज़ा : 6099; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2804) और ह़दीस में है, ''अल्लाह तआ़ला ज़ालिम को ढील देता है फिर उन्हें अचानक पकड़ लेता है।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़सीर सूरह हूद, बाब क़ौलुहू तआ़ला (व कज़ालिक अख़ज़ रब्बुक....) : 4686; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2583) फिर हुज़ूर (ﷺ) ने यह आयत तिलावत फ़र्माई (وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ) अल्ख़ (11/हूद : 102) इस जुम्ला को ह़ज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की दुआ़ में शामिल करना शाज़ क़िराअत की बिना पर है जो सात क़ुर्राअ की क़िराअत के ख़िलाफ़ है और तर्कीब सियाक़ व सबाक़ बज़ाहिर इसका इंकार करती है, वल्लाहु आ'लम! इसलिए कि (क़ाल) की ज़मीर का मरजअ अल्लाह तआ़ला की त़रफ़ है और इस शाज़ क़िराअत की बिना पर इसके फ़ाइल और क़ाइल भी ह़ज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ही होते हैं जो नज़्मे कलाम से बज़ाहिर मुख़ालिफ़ है, वल्लाहु आ'लम!

क़वाइद जमा है क़ाइदतुन की, तर्जुमा इसका पाया और नीव है। अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है, ऐ नबी (ﷺ)! अपनी उम्मत को बिनाअे इब्राहीमी की ख़बर दो, एक क़िराअत में व इस्माईल के बाद व यक़ूलानि भी है इसी की दलालत में आगे लफ़्ज़ मुस्लिमैन भी है। (क़ुर्तुबी : 2/126) दोनों नबी नेक काम में मशग़ूल हैं और क़बूल न होने का खटका है तो अल्लाह तआ़ला से क़बूलियत की दुआ़ करते हैं। ह़ज़रत वुहैब (रह़.) जब इस आयत की तिलावत करते हैं तो बहुत रोते और फ़र्माते, आह! ख़लीलुर्रह़मान जैसे अल्लाह के मक़्बूल पैग़म्बरे-इलाही का काम अल्लाह के हुक्म से करते हैं, उसका घर उसके फ़र्मान से बनाते हैं और फिर ख़त़रा है कि कहीं यह क़बूलियत से गिर न जाए। सच है मुख़्लिस़ मो'मिनों का यही ह़ाल है (يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ) (23/मो'मिनून : 60) ''वह नेक काम करते हैं, स़दक़े ख़ैरात करते हैं लेकिन फिर भी अल्लाह के ख़ौफ़ से काँपते रहते हैं।'' (कि ऐसा न हो क़बूल न हों) ह़ज़रत आ़इशा (رضي الله عنها) के स़वाल पर इस आयत का यही मत़लब ज़ुबाने रिसालत मआब (ﷺ) से बयान हुआ है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिल् मो'मिनीन : 3175; इब्ने माजा : 4198; वहुव ह़सन।) कुछ मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि बुनियादें ह़ज़रत इब्राहीम (عليه السلام) उठाते थे और दुआ़ ह़ज़रत इस्माईल (عليه السلام) करते थे लेकिन स़ह़ीह़ यही है कि दोनों हर एक काम में शरीक थे। स़ह़ीह़ बुख़ारी की एक रिवायत और कुछ और आसार भी इस वाक़िया के बारे में ज़िक्र किए जाने के क़ाबिल हैं। इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि कमरबन्द बाँधना औ़रतों ने ह़ज़रत इस्माईल (عليه السلام) की वालिदा मुह़तरमा से सीखा है। उन्होंने उसे बाँधा था कि ह़ज़रत सारा (رضي الله عنها) को उनका नक़्शे-क़दम न मिले। उन्हें और उनके जिगर के टुकड़े अपने इकलौते फ़रज़न्द ह़ज़रत इस्माईल (عليه السلام) को लेकर ह़ज़रत इब्राहीम (عليه السلام) निकले जबकि यह प्यारा बच्चा दूध पीता था।

अब जहाँ पर बैतुल्लाह बना हुआ है यहाँ एक टीला था और सुनसान बयाबान पड़ा हुआ था, कोई रहने सहने वाला वहाँ न था, यहाँ लाकर माँ बेटे को बिठाकर उनके पास थोड़ी सी खजूरें और एक मशकीज़ा

पानी रखकर आप चले गए। जब ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) वापिस जाने के लिए पलटे तो हज़रत हाजरा (عليها السلام) आवाज़ें देने लगीं कि ऐ ख़लीलुल्लाह! हमें इस दहशत व वहशत वाले बयाबान में अकेला व तंहा छोड़कर जहाँ हमारा कोई मूनिस व हमदम नहीं, आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? लेकिन हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ने कोई जवाब न दिया बल्कि उस तरफ़ तवज्जह तक न की, पलटकर भी न देखा।

हज़रत हाजरा (عليها السلام) के बार-बार कहने पर भी जब आप (अ.) ने इल्तिफ़ात (तवज्जा) न फ़र्माया, तो आप फ़र्माने लगीं, अल्लाह के ख़लील! आप हमें किसे सौंप कर जा रहे हैं? आपने कहा, अल्लाह तआला को। कहा ऐ ख़लीलुल्लाह! क्या अल्लाह तआला का आपको यही हुक्म है? आपने फ़र्माया, हाँ! मुझे अल्लाह का यही हुक्म है। यह सुनकर माई साहिबा को तस्कीन हो गई और फ़र्माने लगीं, फिर तशरीफ़ ले जाईए, वह अल्लाह हमें हर्गिज़ ज़ाया न करेगा, उसी का भरोसा और उसी का सहारा है। हज़रत हाजरा लौट गईं और अपने कलेजे की ठण्डक, अपनी आँखों के नूर, इब्ने नबिय्युल्लाह को गोद में लेकर उस सुनसान बयाबान में उस बेचारगी के आलम में लाचार, मजबूर होकर बैठ गईं। हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) जब सनिय्या के पास पहुँचे और यह मा'लूम कर लिया कि अब हज़रत हाजरा (عليها السلام) पीछे नहीं हैं और यहाँ तक उनकी निगाह काम भी नहीं कर सकती तो बैतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह होकर हाथ उठाकर दुआ की और कहा (رَبَّنَآ إِنِّيٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ) अल्ख़ (14/इब्राहीम : 37) ''या अल्लाह! मैंने अपने बाल बच्चे को एक ग़ैर-आबाद जंगल में तेरे बरगुज़ीदा घर के पास छोड़ा है ताकि वह नमाज़ क़ायम करें। तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ़ झुका दे और इन्हें फलों की रोज़ियाँ दे, शायद वह शुक्रगु ज़ारी करें'' आप तो यह दुआ करके अल्लाह तआला का हुक्म मानकर, अपने बीवी बच्चे को अल्लाह तआला के सुपुर्द करके चल दिए।

इधर माइ साहिबा सब्र व शुक्र के साथ बच्चे से दिल बहलाने लगीं, वह थोड़ी सी खजूरें और ज़रा सा पानी ख़त्म हो गया, अब न खाने को कुछ है और न पीने को पानी का एक क़तरा, ख़ुद भी भूखी प्यासी हैं और बच्चा भी भूख प्यास से बेताब है, यहाँ तक कि उस मासूम नबी ज़ादे का फूल सा चेहरा कुम्लाने लगा और वह तड़पने और बिलकने लगा। ममता भरी माँ कभी अपनी तंहाई और बेकसी का ख़्याल करती है, कभी अपने नन्हे से इकलौते बच्चे का यह हाल देखती है और सहमी जाती है। मा'लूम है कि किसी इंसान का गुज़र इस भयानक जंगल में नहीं, मीलों तक आबादी का नामो-निशान नहीं, खाना तो कहाँ? पानी का एक क़तरा भी मयस्सर नहीं आ सकता।

सफ़ा व मरवा की सई की इब्तिदा : आख़िर उस नन्ही सी जान का यह अब्तर हाल देखा न जाता तो उठकर चली जाती हैं और सफ़ा पहाड़ जो पास ही था, उस पर चढ़ जाती हैं और मैदान की तरफ़ नज़रें दौड़ाती हैं कि कोई आता जाता नज़र आ जाए, लेकिन निगाहें मायूसी के साथ चारों तरफ़ से वापिस आती हैं, तो उतर कर वादी में पहुँचकर दामन उठाकर दौड़ती हुई मरवा पहाड़ की तरफ़ जाती हैं, उस पर चढ़कर निगाहें चारों तरफ़ डालती हैं और किसी को भी न देखकर फिर वहाँ से उतर आती हैं और इसी तरह इन दोनों पहाड़ियों का

दरम्यानी थोड़ा सा हिस्सा दौड़कर बाक़ी हिस्सा जल्दी जल्दी तै करके फिर सफ़ा पर चढ़ती हैं, इसी तरह सात मर्तबा करती हैं, हर चक्कर के बाद आकर बच्चे को देख जाती हैं कि उसकी हालत लम्हा-लम्हा बिगड़ती जा रही है। (रसूलुल्लाह स. फ़र्माते हैं, ''सफ़ा व मरवा की सई जो हाजी करते हैं उसकी इब्तिदा यही है।'') सातवीं मर्तबा जो माइ साहिबा मरवा पर आती हैं तो कुछ आवाज़ कानों में पड़ती है तो आप ख़ामोश होकर एहतियात से उसकी तरफ़ मुतवज्जह होती हैं कि यह आवाज़ कैसी? आवाज़ फिर आती है और अबकी मर्तबा साफ़ सुनाई देती है तो आप आवाज़ की तरफ़ लपककर आती हैं और (अब जहाँ ज़मज़म है) वहाँ हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) को पाती हैं।

ज़मज़म का कुआँ : हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) पूछते हैं कि तुम कौन हो? आप जवाब देती हैं कि मैं हाजरा हूँ, मैं हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के लड़के की माँ हूँ। जिब्राईल (عليه السلام) ने पूछा (इब्राहीम) तुम्हें इस सुनसान बयाबान में किसे सौंप गए हैं? आप फ़र्माती हैं, अल्लाह को। फ़र्माया, फिर तो वह काफ़ी है। हज़रत हाजरा (عليها السلام) ने फ़र्माया, ऐ ग़ैबी शख़्स! आवाज़ तो मैंने सुन ली, क्या कुछ मेरा काम भी निकलेगा? हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) ने अपनी ऐड़ी ज़मीन पर रगड़ी, वहीं ज़मीन में से एक चश्मा पानी का उबलने लगा। हज़रत हाजरा (عليها السلام) ने हाथों से उस पानी को मश्क में भरना शुरू किया, मश्क भर करके फिर इस ख़्याल से कि पानी इधर उधर बहकर निकल न जाए, आसपास बाड़ बाँधनी शुरू कर दी। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, अल्लाह तआला उम्मे इस्माईल (عليها السلام) पर रहम करे, अगर वह इस तरह पानी को न रोकतीं तो ज़मज़म कुएँ की शक्ल में न होता बल्कि वह एक जारी नहर की सूरत में होता। अब हज़रत हाजरा (عليها السلام) ने पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया और दूध पिलाने लगीं। फ़रिश्ते ने कहा कि तुम बेफ़िक्र रहो, अल्लाह तुम्हें ज़ाया न करेगा, जहाँ तुम बैठी हो, यहाँ अल्लाह का एक घर इस बच्चे और इसके वालिद के हाथों बनेगा। हज़रत हाजरा (عليها السلام) ने अब यहीं रिहाइश इख़्तियार कर लीं, ज़मज़म का पानी पीतीं और बच्चे से दिल बहलातीं, बारिश के मौसम में पानी के सैलाब चारों तरफ़ से आते लेकिन यह जगह ज़रा ऊँची थी, इधर-उधर से पानी गुज़र जाता और यहाँ अमन रहता। कुछ मुद्दत के बाद जुरहुम का क़बीला कुदाअ के रास्ते की तरफ़ से इत्तिफ़ाक़न गुज़रा और मक्का-मुकर्रमा के नीचे के हिस्से में पड़ाव किया, उनकी नज़रें एक आबी परिन्दे पर पड़ीं, आपस में कहने लगे, यह परिन्दा तो पानी का है, और यहाँ पानी कभी न था, हमारी आमद व रफ़्त यहाँ से कई मर्तबा हुई, यह तो ख़ुश्क जंगल और चटयल मैदान है, यहाँ पानी कहाँ? चुनाँचे उन्होंने अपने आदमी को हक़ीक़त मा'लूम करने के लिए भेजे, उन्होंने वापिस आकर ख़बर दी कि वहाँ तो बेहतरीन और बहुत सा पानी है, अब वह सब आए और हज़रत उम्मे इस्माईल (عليها السلام) से अर्ज़ करने लगे कि माइ साहिबा! अगर आप इजाज़त दें तो हम भी यहाँ ठहर जाएँ, पानी की जगह है। आपने फ़र्माया, हाँ! शौक़ से रहो लेकिन पानी पर क़ब्ज़ा मेरा ही रहेगा। हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''हज़रत हाजरा (رض) तो चाहती ही थीं कि कोई हमजिंस मिल जाए'' चुनाँचे उस क़ाफ़िला ने यहीं पड़ाव कर लिया।

हज़रत इस्माईल (अलै.) का पहला निकाह : हज़रत इस्माईल (अलै.) भी बड़े हो गए, उन सबको आपसे बड़ी ही मुहब्बत हो गई। यहाँ तक कि जब आप बालिग़ हुए तो उन ही में निकाह भी किया, और उन्हीं से अ़रबी ज़ुबान भी सीखी। हज़रत हाजरा (रज़ि.) का इंतिक़ाल यहीं हुआ। जब हज़रत इब्राहीम (अलै.) को अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से इजाज़त मिली, तो आप अपने लख़्ते जिगर की मुलाक़ात के लिए तशरीफ़ लाए। कुछ रिवायात में है कि आपका यह आना जाना बुर्राक़ पर होता था। मुल्के शाम से आते थे और फिर वापिस चले जाते थे। यहाँ तो हज़रत इस्माईल (अलै.) घर पर न मिले, अपनी बहू से पूछा कि वह कहाँ हैं ? तो जवाब मिला कि खाने पीने की तलाश में या'नी शिकार को गए हुए हैं। आपने पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? कहा बुरा हाल है? बड़ी तंगी और सख़्ती है, फ़र्माया, अच्छा! जब तुम्हारा शौहर आए, उन्हें सलाम कहना और कह देना कि अपने दरवाज़े की चोखट बदल डालें।

हज़रत ज़बीहुल्लाह (अलै.) वापिस आए तो गोया आपको कुछ अ़जीब सा मा'लूम हुआ। पूछा, क्या कोई साहब तशरीफ़ लाए थे? बीवी ने कहा, हाँ! ऐसी ऐसी शक्ल व शबाहत के एक उम्ररसीदा बुज़ुर्ग आए थे, आपकी निस्बत पूछा, मैं ने कहा वह शिकार की तलाश में बाहर गए हैं, फिर पूछा कि गुज़रान कैसी चलती है? मैंने कहा, बड़ी सख़्ती और तंगी से गुज़र औक़ात होती है। पूछा कुछ मुझसे कहने को भी फ़र्मा गए हैं? बीवी ने कहा, हाँ! कह गए हैं कि जब वह आएँ तो मेरा सलाम कहना और कह देना कि अपने दरवाज़े की चौखट बदल डालें। आप फ़र्माने लगे, बीवी सुनो! यह मेरे वालिद साहब थे और जो फ़र्मा गए हैं, उसका मतलब यह है कि मैं तुमको अलग कर दूँ (चूँकि तुमने नाशुक्री की) जाओ! मैंने तलाक़ दी। उन्हें तलाक़ देकर आपने उसी क़बीले में अपना दूसरा निकाह कर लिया।

एक मुद्दत के बाद फिर हज़रत इब्राहीम (अलै.) ब इजाज़ते इलाही यहाँ आए, इस मर्तबा भी इत्तिफ़ाक़न हज़रत इस्माईल (अलै.) से मुलाक़ात न हुई, बहू से पूछा, तो जवाब मिला कि हमारे लिए रोज़ी की तलाश में शिकार पर गए हैं। आप आईए, तशरीफ़ रखिए, जो कुछ हाज़िर है वह तनावुल फ़र्माईए। आपने फ़र्माया, यह तो बताओ, गुज़र बसर कैसी होती है? क्या हाल है? जवाब मिला कि अल्हम्दु लिल्लाह! हम ख़ैरियत से हैं और बफ़ज़्ले अल्लाह कुशादगी और राहत है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने कहा, तुम्हारी ख़ूराक क्या है? कहा गोश्त। पूछा, तुम पीते क्या हो? जवाब मिला, पानी। आपने दुआ की कि परवरदिगार! इन्हें गोश्त और पानी में बरकत दे। रसूलुल्लाह (सल्ल.) फ़र्माते हैं, ''अगर अनाज उनके पास होता और यह कहतीं तो हज़रत ख़लील (अलै.) उनके लिए अनाज की बरकत की दुआ भी करते'' अब इस दुआ की बरकत से अहले मक्का गोश्त और पानी पर गुज़ारा कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते। आपने फ़र्माया, अच्छा! मैं जा रहा हूँ, तुम अपने मियाँ को मेरा सलाम कहना और कह देना कि वह अपनी चौखट को साबित और आबाद रखें। उसके बाद हज़रत इस्माईल (अलै.) आए, सारा वाक़िया मा'लूम हुआ। आपने फ़र्माया, यह मेरे वालिद मुकर्रम थे, मुझे हुक्म दे गए हैं कि मैं तुम्हें अलग न करूँ (तुम शुक्रगुज़ार हो)।

बैतुल्लाह की ता'मीर : फिर एक मुद्दत के बाद ह़ज़रत इब्राहीम (ؑ) को इजाज़त मिली और आप तशरीफ़ लाए तो ह़ज़रत इस्माईल (ؑ) को ज़मज़म के पास एक टीले पर तीर सीधा करते हुए पाया। ह़ज़रत इस्माईल (ؑ) वालिद को देखते ही खड़े हुए और बा अदब मिले। जब बाप बेटा मिलकर फ़ारिग़ हुए तो ह़ज़रत इब्राहीम (ؑ) ने फ़र्माया, ऐ इस्माईल (ؑ)! मुझे अल्लाह का एक हुक्म हुआ है, आपने फ़र्माया, अब्बाजान! जो हुक्म हुआ हो, उसकी ता'मील कीजिए। कहा, बेटा तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। अ़र्ज़ करने लगे, मैं ह़ाज़िर हूँ। कहा, इस जगह अल्लाह का एक घर बनाना है, कहने लगे बहुत बेहतर। अब बाप बेटे ने बैतुल्लाह की नींव रखी और दीवारें ऊँची करनी शुरू कीं। ह़ज़रत इस्माईल (ؑ) पत्थर ला लाकर देते जाते थे और ह़ज़रत इब्राहीम (ؑ) चुनते जाते थे, जब दीवारें क़द्रे ऊँची हो गईं तो ह़ज़रत ज़बीहुल्लाह (ؑ) यह पत्थर या'नी मक़ामे-इब्राहीम का पत्थर लाए, उस ऊँचे पत्थर पर खड़े होकर ह़ज़रत इब्राहीम (ؑ) कअ़बा के पत्थर रखते जाते थे और दोनों बाप बेटे यह दुआ मांगते जाते थे कि बारी तआ़ला! तू हमारी इस नाचीज़ ख़िदमत को क़बूल फ़र्मा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताब अह़ादीसुल् अम्बिया, बाब यज़िफ़्फ़ूनन् नस्लान फ़िल मशिय्यि : 3364) यह रिवायत और कुतुबे-ह़दीस में भी है, कहीं मुख़्तस़र और कहीं मुफ़स्सलन। एक स़ह़ीह़ ह़दीस में यह भी है कि ह़ज़रत ज़बीहुल्लाह (ؑ) के बदले जो दुंबा ज़िब्ह़ हुआ था उसके सींग भी कअ़बतुल्लाह में थे। (मुस्नद अह़मद : 4/68; ह़ : 16637; वल् लफ़्ज़ लहू; सुनन अबी दाऊद : 2030; वहुव ह़दीस ह़सन व हाज़ा मिन क़ौलि सुफ़ियान बिन उ़येयना (रह़.) वलम अजिदहू फ़िस्स़ह़ीह़ैन, वल्लाहु अ़'लम! शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे स़ह़ीह़ क़रार दिया है। (स़ह़ीह़ अबू दाऊद : 1786)

ऊपर की लम्बी रिवायत, ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से भी मरवी है, इसमें यह भी है ह़ज़रत इब्राहीम (ؑ) जब बैतुल्लाह के क़रीब पहुँचे तो आपने अपने सर पर एक बादल सा मुलाह़िज़ा फ़र्माया, जिसमें से आवाज़ आई कि ऐ इब्राहीम! जहाँ-जहाँ तक इस बादल का साया है, वहाँ तक कि ज़मीन बैतुल्लाह में ले लो, कमी ज़्यादती न हो। इस रिवायत में यह भी है कि बैतुल्लाह बनाकर वहाँ ह़ज़रत हाजरा और ह़ज़रत इस्माईल (ؑ) को छोड़कर आप तशरीफ़ ले गए। लेकिन पहली ही रिवायत ठीक है और इसी त़रह़ तत़्बीक़ भी हो सकती है कि बिना पहले रख दी थी लेकिन बनाया बाद में, और बनाने में बेटा और बाप दोनों शामिल थे, जैसे कि क़ुरआन-करीम के अल्फ़ाज़ भी हैं।

एक और रिवायत में है कि लोगों ने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से बिनाअे बैतुल्लाह की इब्तिदाई कैफ़ियत पूछी तो आपने फ़र्माया कि, अल्लाह तआ़ला ने ह़ज़रत इब्राहीम (ؑ) को हुक्म दिया कि मेरा घर.बनाओ। ह़ज़रत इब्राहीम (ؑ) घबराए कि मुझे कहाँ बनाना चाहिए किस त़रह़ और कितना बड़ा बनाना चाहिए (वग़ैरह) इस पर सकीना नाज़िल हुआ और हुक्म हुआ कि जहाँ यह ठहरे, वहाँ तुम मेरा घर बनाओ आपने बनाना शुरू किया, जब ह़ज्रे अस्वद की जगह पहुँचे तो ह़ज़रत इस्माईल (ؑ) से कहा, बेटा! कोई अच्छा सा पत्थर ढूँढ़ लाओ, आप पत्थर ढूँढ़ लाए तो देखा कि अब्बाजान और पत्थर वहाँ लगा चुके हैं। पूछा यह

कौन लाया? आपने फ़र्माया, अल्लाह के हुक्म से यह पत्थर हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) आसमान से ले आए। (हाकिम : 2/292, 293; व इब्ने जरीर फ़ी तफ़्सीरिही व सनद हसन।) हज़रत कअ़ब अहबार (रह.) फ़र्माते हैं कि अब जहाँ बैतुल्लाह है, वहाँ ज़मीन की पैदाईश से पहले पानी पर बुलबुलों के साथ झाग सी थी, यहीं से ज़मीन फैलाई गई। हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, कअ़बतुल्लाह बनाने के लिए हज़रत ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) आरमीनिया से तशरीफ़ लाए थे। हज़रत सुदी (रह.) फ़र्माते हैं, हज्रे अस्वद हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) हिन्द से लाए थे, उस वक़्त वह सफ़ेद चमकदार याक़ूत था जो हज़रत आदम (عليه السلام) अपने साथ जन्नत से लाए थे, लोगों के ख़ताकार हाथों से इसका रंग स्याह हो गया। इस रिवायत में यह भी है कि बुनियादें पहले से मौजूद थीं, उन ही पर हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ने ता'मीर शुरू की। मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि हज़रत आदम (عليه السلام) हिन्द में उतरे थे उस वक़्त उनका क़द लम्बा था, ज़मीन पर आने के बाद फ़रिश्तों की तस्बीह नमाज़ व दुआ वग़ैरह सुनते थे, जब क़द घट गया और वह प्यारी आवाज़ें आनी बंद हो गईं तो घबराने लगे, हुक्म हुआ कि मक्का की तरफ़ जाओ। आदम (عليه السلام) चले, जहाँ-जहाँ आदम (عليه السلام) का क़दम पड़ा वहाँ आबादी हुई, अल्लाह तआ़ला ने जन्नत से एक याक़ूत उतारा और बैतुल्लाह की जगह रखा और उसे अपना घर क़रार दिया। हज़रत आदम (عليه السلام) यहाँ तवाफ़ करने लगे और मानूस हुए, घबराहट जाती रही। हज़रत नूह (عليه السلام) के तूफ़ान के ज़माने में यह फिर उठ गया और हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के ज़माने में फिर अल्लाह तआ़ला ने बनवाया। हज़रत आदम (عليه السلام) ने यह घर हिरा, तूर, ज़ीता, तूरे सीना और जूदी इन पाँच पहाड़ों से बनाया था। लेकिन इन तमाम रिवायात में तज़ाद है, वल्लाहु आ'लम! कुछ रिवायात में है कि ज़मीन की पैदाईश से दो हज़ार साल पहले बैतुल्लाह बनाया गया था, हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के साथ बैतुल्लाह के निशान बनाने के लिए हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) चले थे तो उस वक़्त यहाँ जंगली दरख़्तों के सिवा कुछ न था, दूर अ़मालीक़ की आबादी थी, यहाँ आप अपने बेटे इस्माईल (عليه السلام) और अपनी बीवी हाजरा (رضي الله عنها) को एक छप्पर तले बिठा गए। एक और रिवायत में है कि बैतुल्लाह के चार अरकान हैं और सातवीं ज़मीन तक वह नीचे होते हैं। और रिवायत में है कि ज़ुल्क़रनैन जब यहाँ पहुँचे और हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) को बैतुल्लाह बनाते हुए देखा तो पूछा, यह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, हम अल्लाह के हुक्म से उसका घर बना रहे हैं। पूछा, क्या दलील है? कहा, यह भेड़िए गवाही देंगे। पाँच भेड़ियों ने कहा, हम गवाही देते हैं कि यह दोनों अल्लाह के मामूर हैं। ज़ुल्क़रनैन ख़ुश हो गए और कहने लगे, मैंने मान लिया। अरज़क़ी की तारीख़ मक्का में है कि ज़ुल्क़रनैन ने ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) और इस्माईल (عليه السلام) के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, वल्लाहु आ'लम! सहीह बुख़ारी में है कि क़वाइद बुनियान और असास को कहते हैं यह क़ाइदतुन की जमा है। क़ुरआन में और जगह (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ) (24/नूर : 60) इसका मुफ़रद भी क़ाइद है।

हज़रत आइशा (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, ''क्या तुम नहीं देखतीं कि तुम्हारी क़ौम ने जब बैतुल्लाह बनाया तो क़वाइदे-इब्राहीम (عليه السلام) से घटा दिया'' मैंने कहा, आप (ﷺ) इसे बढ़ाकर अस्ली बिना पर कर दें। फ़र्माया कि ''अगर तेरी क़ौम का इस्लाम ताज़ा और उनका ज़माना कुफ़्र

क़रीब का न होता तो मैं ऐसा कर लेता।'' हज़रत इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) को जब यह हदीस पहुँची तो फ़र्माने लगे, शायद यही वजह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज्रे-अस्वद के पास के दो सतूनों को छूते न थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, 4484; सहीह मुस्लिम : 1333) सहीह मुस्लिम में है हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''ऐ आइशा! अगर तेरी क़ौम का जाहिलियत का ज़माना नया न होता तो मैं कअ़बा के ख़ज़ाने को अल्लाह तआला की राह में ख़ैरात कर डालता और दरवाज़े को ज़मीन दोज़ कर देता।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब नक़्ज़ुल कअ़बति ..... : 1333) और हतीम को बैतुल्लाह में दाख़िल कर देता।'' सहीह बुख़ारी की हदीस में यह भी है कि उसका दूसरा दरवाज़ा भी बना देता, एक आने के लिए और दूसरा जाने के लिए। चुनाँचे इब्ने ज़ुबैर (رضی اللہ عنہ) ने अपने ज़माना ख़िलाफ़त में ऐसा ही किया। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब मन तरक बा'ज़ल इख़्तियारि मख़ाफ़तन : 126; सहीह मुस्लिम : 1333) और एक रिवायत में है कि इसे मैं दोबारा बिनाओ इब्राहीमी पर बनाता। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब फ़ज़्लु मक्कता व बुनियानुहा : 1585; सहीह मुस्लिम : 1333) और रिवायत में है कि एक दरवाज़ा मश्रिक़ रुख़ और छः हाथ हतीम को इसमें दाख़िल कर लेता जिसे क़ुरैश ने बाहर कर दिया है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब नक़्ज़ुल कअ़बति : 1333)

क़ुरैशे-मक्का और बैतुल्लाह की ता'मीर में कमी : नबी (ﷺ) की नबुव्वत से पाँच साल पहले क़ुरैश ने नए सिरे से कअ़बा बनाया था, उसका मुफ़स्सल ज़िक्र मुलाहिज़ा हो। इस बिना में ख़ुद हुज़ूर (ﷺ) भी शरीक थे, पैंतीस साल आपकी उम्र थी और आप (ﷺ) भी पत्थर उठाते थे। इब्ने इस्हाक़ (रह.) फ़र्माते हैं कि जब रसूले- मक़्बूल (ﷺ) की उम्र मुबारक पैंतीस साल की हुई उस वक़्त क़ुरैश ने कअ़बा को नए सिरे से बनाने का इरादा किया, एक तो इसलिए कि उसकी दीवारें बहुत छोटी थीं, छत न थी, दूसरे इसलिए भी कि बैतुल्लाह का ख़ज़ाना चोरी हो गया था, जो बैतुल्लाह के बीच में एक गहरे गढ़े में रखा हुआ था। यह माल ''दवीक'' नामी आदमी से बरआमद हुआ था जो ख़ुज़ाआ के क़बीले बनी मलीह बिन अम्र का मौला था, मुम्किन है चोरों ने यहाँ ला रखा हो लेकिन उसके हाथ उस चोरी की वजह से काटे गए। एक और क़ुदरती सहूलत भी उनके लिए हो गई थी कि रोम के ताजिरों की एक कश्ती जिसमें बहुत आ'ला दर्जा की लकड़िया थीं, वह तूफ़ान की वजह से जिद्दा के किनारे आ लगी थी। यह लकड़ियाँ छत में काम आ सकती थीं, इसलिए क़ुरैशियों ने उन्हें ख़रीद लिया और मक्का के एक बढ़ई को जो क़िब्ती क़बीले में से था, छत का काम सौंपा।

यह सब तैयारियाँ तो हो रही थीं लेकिन बैतुल्लाह को गिराने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, इसके क़ुदरती अस्बाब भी मुहय्या हो गए, बैतुल्लाह के ख़ज़ाने में एक बहुत बड़ा अज्दहा था जब कभी लोग उसके क़रीब भी जाते तो वह मुँह फाड़कर उनकी तरफ़ लपकता था। यह साँप हर रोज़ उस कुएँ से निकलकर बैतुल्लाह की दीवारों पर आ बैठता था। एक रोज़ वह बैठा हुआ था कि अल्लाह तआला ने एक बहुत बड़ा परिन्दा भेजा, वह उसे पकड़कर ले उड़ा। क़ुरैशियों ने समझ लिया कि हमारा इरादा रब की मर्ज़ी के मुताबिक़ है, लकड़ियाँ भी हमें मिल गईं, बढ़ई हमारे पास मौजूद है, साँप को भी अल्लाह तआला ने दूर कर दिया।

अब उन्होंने मुस्तक़िल इरादा कर लिया कि कअबतुल्लाह को गिराकर नए सिरे से बनाएँ। सबसे पहले इब्ने वहब खड़ा हुआ और एक पत्थर कअबतुल्लाह का उतारा जो उसके हाथ से उड़कर फिर वहीं जाकर नसब हो गया। उसने तमाम क़ुरैश को ख़िताब करके कहा, सुनो! बैतुल्लाह के बनाने में हर शख़्स अपना तय्यब और पाक माल ही ख़र्च करे, उसमें ज़िनाकारी का रुपया, सूदी व्यापार का रुपया, ज़ुल्म से हासिल किया हुआ माल न लगाना। कुछ लोग कहते हैं, यह मश्वरा वलीद बिन मुग़ीरह ने दिया था। (इब्ने हिशाम : 1/204) अब बैतुल्लाह के हिस्से बांट लिए गए, दरवाज़ा का हिस्सा बनू अब्दे मुनाफ़ और बनू ज़ोहरा बनायें, हज्रे-अस्वद और रुक्ने-यमानी का हिस्सा बनू मख़ज़ूम बनायें, क़ुरैश के और क़बाइल भी उनका साथ दें। कअबा का पिछला हिस्सा बनू जमह और बनू सहम बनाएँ, हतीम के पास का हिस्सा बनू अब्दुद्दार बिन क़ुसय और बनू असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा और बनू अदी बिन कअब बनाएँ। यह मामला तै पा जाने के बाद बैतुल्लाह की पहली इमारत गिराने का मसला पेश आया। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसे गिराना शुरू करे।

आख़िर वलीद बिन मुग़ीरह ने कहा, लो! मैं शुरू करता हूँ। कुदाल लेकर ऊपर चढ़ गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह! तुझे ख़ूब इल्म है कि हमारा इरादा बुरा नहीं, हम तेरे घर को उजाड़ना नहीं चाहते बल्कि इसके आबाद करने की फ़िक्र में हैं। यह कहकर कुछ हिस्सा दोनों रुक्न के किनारों का गिराया। क़ुरैशियों ने कहा, बस अब छोड़ दो और रात-भर इंतिज़ार करो, अगर इस शख़्स पर कोई वबाल आ जाए तो यह पत्थर उसी जगह पर लगा देना और ख़ामोश हो जाना और अगर कोई अज़ाब न आए तो समझ लेना कि इसका गिराना रब को नापसंद नहीं, फिर कल सब मिलकर अपने अपने काम में शुरू हो जाना। चुनाँचे सुबह हुई और हर तरह ख़ैरियत रही, अब सारे आ गए और बैतुल्लाह की अगली इमारत को गिरा दिया। यहाँ तक कि असली नींव या'नी बिनाअे इब्राहीमी तक पहुँच गए, यहाँ सब्ज़ रंग के पत्थर थे और एक दूसरे में गोया पेवस्त थे। एक शख़्स ने दो पत्थरों को अलग करना चाहा, उसमें कुदाल डालकर ज़ोर लगाया तो पत्थर के हिलने के साथ ही तमाम ज़मीन हिलने लगी तो उन्होंने समझ लिया कि इन्हें जुदा करके और पत्थर उनकी जगह लगाना अल्लाह को मंज़ूर नहीं इसलिए हमारे बस की बात नहीं। इस इरादे से बाज़ रहे और उन पत्थरों को उसी तरह रहने दिया। (इब्ने हिशाम : 1/207)

हज्रे-अस्वद नसब करने का क़िस्सा : फिर हर क़बीले ने अपने अपने हिस्से के मुताबिक़ अलग-अलग पत्थर जमा किए और इमारत बननी शुरू हुई, यहाँ तक कि हज्रे-अस्वद रखने की जगह तक पहुँचे। अब हर क़बीला चाहता था कि यह शर्फ़ उसे मिले, आपस में लड़ने-झगड़ने लगे, यहाँ तक कि बा-क़ायदा जंग की नौबत आ गई, क़बीले आपस में खिच गए और लड़ाई की तैयारियों में मशग़ूल हो गए। बनू अब्दुद्दार और बनू अदी ने एक बर्तन मे ख़ून भरकर उसमें हाथ डुबोकर हलफ़ उठाया कि सब कट मरेंगे लेकिन हज्रेअस्वद किसी को नहीं रखने देंगे। इसी तरह चार पाँच दिन गुज़र गए। फिर क़ुरैश मस्जिद में जमा हुए कि आपस में मश्वरा और इंसाफ़ करें, तो अबू उमय्या बिन मुग़ीरह ने जो क़ुरैश में सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा और अक़्लमन्द थे, कहा, सुनो! लोगों तुम अपना मुंसिफ़ किसी को बना लो वह जो फ़ैसला करे, सब मंज़ूर कर लो। लेकिन फिर मुंसिफ़

बनाने में इख़्तिलाफ़ होगा, इसलिए ऐसा करो कि अब जो सबसे पहले यहाँ मस्जिद में आए, वही हमारा मुंसिफ़। इस राय पर सबने इत्तिफ़ाक़ कर लिया। अब मुंतज़िर हैं कि देखें, सबसे पहले कौन आता है?

पस सबसे पहले हज़रत मुहम्मद (ﷺ) आए। आपके देखते ही यह लोग ख़ुश हो गए और कहने लगे, हमें आपका फ़ैसला मंज़ूर है, हम आपके हुक्म पर रज़ामन्द हैं , यह तो अमीन हैं, यह तो मुहम्मद (ﷺ) हैं। फिर सब आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और सारा वाक़िया आपको कह सुनाया। आपने फ़र्माया, ''जाओ! कोई मोटी और बड़ी सी चादर लाओ'' वह ले आए। आपने हज्रे-अस्वद उठाकर अपने दस्ते-मुबारक से उसमें रखा। फिर फ़र्माया, हर क़बीले का सरदार आए और इस कपड़े का कोना पकड़ ले और इस तरह हर एक हज्रे अस्वद के उठाने का हिस्सेदार बने, इस पर सब लोग बहुत ही ख़ुश हुए और तमाम सरदारों ने उसे थामकर ऊँचा किया। जब उसके रखने की जगह तक पहुँचे तो अल्लाह तआला के नबी (ﷺ) ने उसे लेकर अपने हाथ से उसकी जगह रख दिया और वह नज़ाअ, इख़्तिलाफ़ बल्कि जिदाल व क़िताल दूर हो गया। और इस तरह अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) के हाथों अपने घर में उस मुबारक पत्थर को नसब कराया। (हुज़ूर (ﷺ) पर वह्यी नाज़िल होने से पहले क़ुरैश आप स. को 'अमीन' कहा करते थे)। अब फिर ऊपर का हिस्सा बना और कअबतुल्लाह की इमारत तमाम हुई। इब्ने इस्हाक़ (रह.) फ़र्माते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) के ज़माने में कअबा अठारह हाथ का था, क़ुबाती का पर्दा चढ़ाया जाता था, फिर चादर का पर्दा चढ़ने लगा। रेशमी पर्दा सबसे पहले हज्जाज बिन यूसुफ़ ने चढ़ाया। (इब्ने हिशाम : 1/211)

कअबा की यही इमारत रही यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) की ख़िलाफ़त के इब्तिदाई ज़माना में साठ साल के बाद यहाँ आग लगी और कअबा जल गया। यह यज़ीद बिन मुआविया की विलायत का आख़िरी ज़माना था और उसने इब्ने ज़ुबैर (رضي الله عنه) का मक्का में मुहासिरा कर रखा था। उन दिनों में ख़लीफ़-ए-मक्का हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) ने अपनी ख़ाला हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) से जो हदीस सुनी थी, उसी के मुताबिक़ हुज़ूर (ﷺ) की तमन्ना पर बैतुल्लाह को गिराकर इब्राहीमी क़वाइद पर बनाया, हतीम अंदर शामिल कर दिया, मश्रिक़ व मग़्रिब दो दरवाज़े रखे, एक अंदर आने का और दूसरा बाहर जाने का और दरवाज़ों को ज़मीन के बराबर रखा। आपकी इमारत के ज़माना तक कअबतुल्लाह यूँ ही रहा, यहाँ तक कि ज़ालिम हज्जाज के हाथों आप शहीद हुए, अब हज्जाज ने अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से कअबा को फिर तोड़कर पहले की तरह बना लिया।

सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है, यज़ीद बिन मुआविया के ज़माने में जबकि शामियों ने मक्का-मुकर्रमा पर चढ़ाई की और जो होना था वह हुआ, उस वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने बैतुल्लाह को यूँ ही छोड़ दिया, मौसमे हज्ज के मौक़े पर लोग जमा हुए, उन्होंने यह सब कुछ देखा, उसके बाद आपने लोगों से मश्विरा किया कि क्या कअबा को गिराकर नए सिरे से बनाऊँ या जो टूटा है उसकी इस्लाह कर लूँ? तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, मेरी राय है कि आप जो टूटा है उसकी मरम्मत कर दें, बाक़ी सब पुराना ही रहने दें। आपने फ़र्माया, अगर तुममें से किसी का घर जल जाए तो क्या वह ख़ुश न होगा कि इसे नए सिरे से

बनाए, फिर तुम अपने रब अ़ज़्ज़ व जल्ल के घर की निस्बत इतनी कमज़ोर राय क्यूँ रखते हो। अच्छा मैं तीन दिन तक अपने रब से इस्तिख़ारा करूँगा, फिर जो समझ में आएगा वह करूँगा। तीन दिन के बाद आपकी राय यही हुई कि बाक़ी माँदा दीवारें भी तोड़ दी जाएँ और अज़्सरे नौ कअ़बा की ता'मीर की जाए। चुनाँचे यह हुक्म दे दिया। लेकिन कअ़बे को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, डर था कि जो पहले तोड़ने के लिए चढ़ेगा, उस पर अ़ज़ाब नाज़िल होगा, लेकिन एक बा हिम्मत शख़्स चढ़ गया और उसने एक पत्थर तोड़ा, जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ ईज़ा नहीं पहुँची तो फिर सबने गिराना शुरू कर दिया और ज़मीन तक बराबर यक्साँ साफ़ कर दिया। उस वक़्त चारों तरफ़ सतून खड़े कर दिए थे और एक कपड़ा तान दिया था। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब नक़्ज़ुल कअ़बति : 1333)

अब बैतुल्लाह की ता'मीर शुरू हुई, हज़रत अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, मैंने हज़रत आइशा (رضي الله عنها) से सुना, वह कहती थीं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है, "अगर लोगों का कुफ़्र का ज़माना क़रीब न होता और मेरे पास ख़र्च भी होता, जिससे मैं बना सकूँ तो हतीम में से पाँच हाथ बैतुल्लाह में ले लेता और कअ़बा के दो दरवाज़े बनाता, एक आने का और एक जाने का।" हज़रत अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने यह रिवायत बयान करके फ़र्माया, अब लोगों के कुफ़्र का ज़माना क़रीब का नहीं रहा, इनसे डर जाता रहा और ख़ज़ाना भी मा'मूर है, मेरे पास काफ़ी रुपया है फिर कोई वजह नहीं कि मैं हुज़ूर (ﷺ) की तमन्ना पूरी न करूँ। चुनाँचे पाँच हाथ हतीम में से अंदर ले लिया और अब जो खुदाई की, इब्राहीमी बुनियाद नज़र आने लगी, जो लोगो ने अपनी आँखों देख ली और उसी पर दीवार खड़ी की। बैतुल्लाह का तूल (लम्बाई) छोटा हो गया, इसलिए तूल में दस हाथ और बढ़ाया गया और दो दरवाज़े बनाए गए, एक अंदर आने का, दूसरा बाहर जाने का, इब्ने ज़ुबेर (رضي الله عنه) की शहादत के बाद हज्जाज ने अ़ब्दुल मलिक को लिखा और उनसे मश्वरा लिया कि अब क्या किया जाए। यह भी लिख भेजा कि मक्कामुकर्रमा के आ़दिलों ने देखा है, ठीक हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की नींव पर कअ़बा तैयार हुआ है। लेकिन अ़ब्दुल मलिक ने जवाब दिया कि तूल को तो बाक़ी रहने दो, हतीम को बाहर कर दो और दूसरा दरवाज़ा बन्द कर दो। हज्जाज ने उस हुक्म के मुताबिक़ कअ़बा को गिराकर फिर अ़ब्दुल मलिक के कहने के मुताबिक़ बना दिया, लेकिन सुन्नत तरीक़ा यही था कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (رضي الله عنه) की बिना को बाक़ी रखा जाता। इसलिए कि हुज़ूर (ﷺ) की चाहत यही थी लेकिन उस वक़्त आप (ﷺ) को यह डर था कि लोग बदगुमानी न करें, अभी नए नए इस्लाम में दाख़िल हुए हैं।

लेकिन यह हदीस अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान को नहीं पहुँची थी, इसलिए उसने इसे तुड़वा दिया। जब उसे हदीस पहुँची तो रंज करते थे और कहते थे, काश! कि हम उसे यूँ ही रहने देते और न तुड़वाते। चुनाँचे सहीह मुस्लिम की एक और हदीस में है कि हारिस बिन अ़ब्दुल्लाह जब एक वफ़्द में अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान के पास पहुँचे तो अ़ब्दुल मलिक ने कहा, मेरा ख़याल है कि अबू ख़बीब या'नी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (رضي الله عنه) ने (अपनी ख़ाला) हज़रत आइशा (رضي الله عنها) से यह हदीस न सुनी होगी। हारिस ने कहा, ज़रूर सुनी थी, ख़ुद मैंने भी माइ साहिबा (رضي الله عنها) से सुना है। पूछा, तुमने क्या सुना है? कहा, मैंने सुना है, आप फ़र्माती थीं कि "रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक मर्तबा मुझसे फ़र्माया कि, "ऐ आइशा! तेरी क़ौम ने

बैतुल्लाह को तंग कर दिया, अगर तेरी क़ौम का ज़मान-ए-शिर्क क़रीब का न होता तो मैं नए सिरे से इनकी कमी को पूरा कर देता लेकिन आओ, मैं तुझे अस़ली नींव बता दूँ। शायद किसी वक़्त तेरी क़ौम फिर इसे इसकी अस़लियत पर बनाना चाहे तो आप (ﷺ) ने ह़ज़रत स़िद्दीक़ा (رضي الله عنها) को ह़तीम में क़रीबन सात हाथ अंदर दाख़िल करने को फ़र्माया और फ़र्माया कि मैं इसके दो दरवाज़े कर देता, एक अंदर आने का और एक जाने का और दोनों दरवाज़े ज़मीन के बराबर रखता। एक मश्रिक़ रुख़ और दूसरा मग़रिब रुख़। जानती भी हो कि तुम्हारे क़ौम ने दरवाज़े को इतना ऊँचा क्यूँ रखा है? आपने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) मुझे ख़बर नहीं। फ़र्माया, मह़ज़ अपनी ऊँचाई और बड़ाई के लिए कि जिसे चाहें अंदर जाने दें और जिसे चाहें, दाख़िल न होने दें। जब कोई शख़्स़ अंदर जाना चाहता तो उसे ऊपर से धक्का दे देते, वह गिर पड़ता और जिसे दाख़िल करना चाहते, उसका हाथ थामकर अंदर ले लेते।'' अ़ब्दुल मलिक अपनी लकड़ी टिकाए सोचते रहे, फिर कहने लगे, काश! कि मैं इसे यूँ ही छोड़ देता।'' (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ह़ज्ज, बाब नक़्ज़ुल कअ़बति : 1333) स़ह़ीह़ मुस्लिम की एक और ह़दीस में है कि अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक मर्तबा त़वाफ़ करते हुए ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) को कोसकर कहा कि वह ह़ज़रत आइशा (رضي الله عنها) पर इस ह़दीस का बोहतान बाँधता था तो ह़ज़रत ह़ारिस (رضي الله عنه) ने रोका और शहादत दी कि वह सच्चे थे। मैंने भी ह़ज़रत आइशा स़िद्दीक़ा (رضي الله عنها) से यह सुना है। अब अ़ब्दुल मलिक अफ़सोस करने लगे और कहने लगे, अगर मुझे पहले मा'लूम होता तो मैं हर्गिज़ उसे न तोड़ता। (अयज़न) क़ाज़ी अ़याज़ और इमाम नववी (रह़.) ने लिखा है कि ख़लीफ़ा हारून रशीद ने ह़ज़रत इमाम मालिक (रह़.) से पूछा था कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं फिर कअ़बा को ह़ज़रत इब्ने ज़ुबैर (رضي الله عنه) के बनाए हुए के मुत़ाबिक़ बना दूँ। इमाम मालिक (रह़.) ने फ़र्माया, आप ऐसा न कीजिए, ऐसा न हो कि कअ़बा भी बादशाहों का एक खिलौना बन जाए जो आए अपनी त़बीयत के मुत़ाबिक़ तोड़-फोड़ करता रहे। चुनाँचे ख़लीफ़ा अपने इरादे से बाज़ रहे। यही बात ठीक भी मा'लूम होती है कि कअ़बा को बार-बार छेड़ना ठीक नहीं।

बुख़ारी व मुस्लिम की एक ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''कअ़बा को दो छोटी पिण्डलियों वाला एक ह़ब्शी फिर ख़राब करेगा।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ह़ज्ज, बाब हदमुल कअ़बति : 1596) हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं गोया मैं उसे देख रहा हूँ वह स्याह फ़ाम एक एक पत्थर अलग-अलग कर देगा।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ह़ज्ज, बाब हदमुल कअ़बति : 1595) इसका ग़िलाफ़ ले जाएगा और इसका ख़ज़ाना भी, वह टेढ़े हाथ पैर वाला और गंजा होगा, मैं देख रहा हूँ कि गोया वह कुदाल बजा रहा है और बराबर टुकड़े कर रहा है।'' (अह़मद : 2/220; व सनदुहू ज़ईफ़ इब्ने इस्ह़ाक़ व इब्ने अल्लि नजीअ मुदलिसान व अ़नअ़न) ग़ालिबन यह नाशुदनी (अनहोनी) वाक़िया (जिसके देखने से अल्लाह हमें मह़फ़ूज़ रखे) याजूज-माजूज के निकल चुकने के बाद होगा।

स़ह़ीह़ बुख़ारी की एक ह़दीस में है, ''रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, तुम याजूज-माजूज के निकलने के बाद भी (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ह़ज्ज, बाब क़ौलुल्लाहि तआ़ला (جعل الله الكعبة البيت) : 1593) बैतुल्लाह का ह़ज्ज व उ़मरह करोगे।''

हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) की दुआएँ : हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) और हज़रत इस्माईल (عليه السلام) अपनी दुआ में कहते हैं कि, हमें मुसलमान बना ले, या'नी मुख़्लिस बना ले, मुवह्हिद (तौहीद परस्त) बना, शिर्कसे बचा, रियाकारी से महफ़ूज़ रख, ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ अता फ़र्मा। हज़रत सलाम बिन अबी मुतीअ (रह.) फ़र्माते हैं , मुसलमान तो थे ही लेकिन इस्लाम की साबित-क़दमी तलब करते हैं। जिसके जवाब में इर्शादे बारी हुआ (قَدْ فَعَلْتُ) मैंने तुम्हारी यह दुआ क़बूल फ़र्माई, फिर अपनी औलाद के लिए भी यही दुआ करते हैं, जो क़बूल हो जाती है। बनी इस्राईल भी आपकी औलाद में हैं और अरब भी। क़ुरआन में है (وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ) (7/आ'राफ़ : 159) या'नी "मूसा (عليه السلام) की क़ौम में एक जमाअत हक़ व अद्ल पर थी। लेकिन रवानी इबारत से मा'लूम होता है कि अरब के लिए यह दुआ है। गो आम तौर पर दूसरों को भी शामिल हो, इसलिए कि इसके बाद दूसरी दुआ में है कि इनमें एक रसूल भेज और उस रसूल से मुराद हज़रत मुहम्मद (ﷺ) हैं। चुनाँचे यह दुआ भी पूरी हुई। जैसे फ़र्माया (هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ) (62/जुम्आ : 2) लेकिन इससे आपकी रिसालत ख़ास नहीं हुई बल्कि आप (ﷺ) की रिसालत आम है, अरब अजम के लिए। जैसे फ़र्माया (قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا) (7/आ'राफ़ : 158) "कह दो कि ऐ लोगों! मैं तुम सबकी तरफ़ अल्लाह का रसूल हूँ।"

इन दोनों नबियों की यह दुआ जैसी है, ऐसी ही हर मुत्तक़ी की दुआ होनी चाहिए। जैसे क़ुरआनी ता'लीम है कि मुसलमान यह दुआ करें (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا) (25/फ़ुरक़ान : 74) "ऐ हमारे रब! हमें हमारी बीवियों औलदों से हमारी आँखों की ठण्डक अता फ़र्मा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना।" यह भी अल्लाह तआला की मुहब्बत की दलील है कि इंसान यह चाहे कि मेरी औलाद मेरे बाद भी अल्लाह की आबिद रहे। और जगह इस दुआ के अल्फ़ाज़ यह हैं (وَاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ) (14/इब्राहीम : 35) "ऐ अल्लाह! मुझे और मेरी औलाद को बुतपरस्ती से बचा। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "इंसान के मरते ही उसके आ'माल ख़त्म हो जाते हैं मगर तीन काम जारी सदक़ा, इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए, और नेक औलाद जो दुआ करती रहे।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल वसिय्यत, बाब मा यल्हक़ुल् इंसानु मिनस्सवाब : 1631) फिर आप दुआ करते हैं कि हमें मनासिक दिखा या'नी अह्कामे-हज्ज व ज़िब्ह वग़ैरह सिखा। कअबा की इमारत पूरी हो जाने के बाद हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) आपको लेकर सफ़ा पर आते हैं और फिर मरवा पर जाते हैं और फ़र्माते हैं, यह शआइरुल्लाह हैं, फिर मिना की तरफ़ ले चले, उक़्बा पर शैतान दरख़्त के पास खड़ा हुआ मिला, तो फ़र्माया, तक्बीर कहकर इसे कंकर मारें, इब्लीस यहाँ से भागकर जमरा वुस्ता के पास जा खड़ा हुआ, यहाँ भी उसे कंकरियाँ मारीं तो यह ख़बीस नाउम्मीद होकर चला गया, उसका इरादा था कि हज्ज के अह्काम में कुछ दख़ल दे लेकिन मौक़ा न मिला और मायूस हो गया, यहाँ से आपको मशअरुल-हराम में लाए, फिर अरफ़ात में पहुँचाया, फिर तीन मर्तबा पूछा, कहो समझ लिया। आपने फ़र्माया, हाँ! (इब्ने अबी हातिम : 1/390) दूसरी रिवायत में तीन जगह शैतान को कंकरियाँ मारनी मरवी हैं और हर शैतान को सात-सात कंकरियाँ मारी हैं।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

तर्जुमा : ''ऐ हमारे रब! इनमें इन ही में से रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयात पढ़े, इन्हें किताबो हिक्मत सिखाए और इन्हें पाक करे, यक़ीनन तू ग़ल्बा वाला और हिक्मत वाला है।'' (129)

दुआए इब्राहीमी का ज़हूर (आयत 129) : अहले-हरम के लिए यह और दुआ है कि आपकी औलाद में से ही रसूल उनमें आए, चुनाँचे यह भी पूरी हुई। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''मैं अल्लाह के नज़दीक ख़ातमुन्नबिय्यीन उस वक़्त से हूँ जबकि आदम (عليه السلام) अभी मिट्टी की सूरत में थे, मैं तुम्हें इब्तिदाई अम्र बताऊँ। मैं अपने बाप (हज़रत) इब्राहीम (عليه السلام) की दुआ और (हज़रत) ईसा (عليه السلام) की बशारत हूँ और अपनी माँ का ख़्वाब हूँ। अम्बिया की वालिदा को ऐसे ही ख़्वाब आते हैं। (मुस्नद अहमद : 4/127, 128; व सनदुहू हसन) अबू उमामा (رضي الله عنه) ने एक मर्तबा सवाल किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! अपने नबुव्वत के इब्तिदाई हालात तो हमें बताईए। आपने फ़र्माया, मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की दुआ और मेरी ख़ुशख़बरी जो हज़रत ईसा (عليه السلام) ने दी और मेरी माँ ने देखा कि गोया उनमें से एक नूर निकला जिसने शाम के महल चमका दिए। (सनदुहू ज़ईफ़ व हुव हसन बिश्शवाहिद साबिक़; देखिए (साबिक़ा सफ़्हा, हाशिया : 7) मतलब यह है कि दुनिया में शोहरत का ज़रिया यह चीज़ें हुईं। आप (ﷺ) की वालिदा साहिबा का ख़्वाब भी अरब में पहले ही से मशहूर हो गया था और वह कहते थे कि बत्ने आमिना से कोई बड़ा शख़्स पैदा होगा। बनी इस्राईल के अम्बिया के ख़ातिम हज़रत रूहुल्लाह ने तो बनी इस्राईल में ख़ुत्बा पढ़ते हुए आपका नाम भी बता दिया और फ़र्माया, लोगों! मैं तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का रसूल हूँ, मुझसे पहली किताब तौरात की तस्दीक़ मैं करता हूँ और मेरे बाद आने वाले नबी की मैं तुम्हें बशारत देता हूँ जिनका नाम अहमद है (ﷺ) उसी की तरफ़ इस हदीस में इशारा है, ख़्वाब में नूर से शाम के महल्लात का चमक उठना इशारा है उस अम्र की तरफ़ कि दीन वहाँ जम जाएगा।

बल्कि रिवायतों से साबित है कि आख़िर ज़माना में शाम इस्लाम और अहले इस्लाम का मर्कज़ बन जाएगा। शाम के मशहूर शहर दमिश्क़ ही में हज़रत ईसा (عليه السلام) शरक़ी सफ़ेद मीनारा पर नाज़िल होंगे। बुख़ारी व मुस्लिम में है ''मेरी उम्मत की एक जमाअत हक़ पर क़ायम रहेगी, उनके मुख़ालिफ़ीन उन्हें नुक़्सान न पहुँचा सकेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह तआला का हुक्म आ जाए।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब क़ौलुहू (ﷺ) (ला तज़ालु ताइफ़तम् मिन उम्मती) 1920) सहीह बुख़ारी में इतना इज़ाफ़ा और है कि वह शाम में होंगे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुहू तआला (जअह....) : 7460) अबुल आलिया से मरवी है कि इस दुआ के जवाब में कहा गया कि यह भी मक़्बूल है और यह पैग़म्बर आख़िर ज़माने में मब्ऊस होंगे। किताब से मुराद क़ुरआन और हिक्मत से मुराद सुन्नत व हदीस है। हसन और क़तादा और मुक़ातिल बिन हय्यान और अबू मालिक (रह.) वग़ैरह का भी यही फ़र्मान है। और हिक्मत से मुराद दीन की समझ बूझ भी है। पाक करना या'नी इताअत व इख़्लास सिखाना, भलाईयाँ करना, बुराईयों से बचाना,, इताअते-इलाही करके अल्लाह तआला की रज़ा हासिल करना, अल्लाह अज़ीज़ है जिसे कोई चीज़ आजिज़ नहीं कर सकती, जो हर चीज़ पर ग़ालिब है, वह हकीम है, या'नी उसका कोई क़ौल व फ़े'ल हिक्मत से ख़ाली नहीं, वह हर चीज़ को अपने महल पर ही हिक्मत व अद्ल व इल्म के साथ रखता है।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ
وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾ وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ
فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

तर्जुमा : ''दीने इब्राहीमी से वही बेरग़बती करेगा जो महज़ बेवक़ूफ़ हो, हमने तो उसे दुनिया में भी बरगुज़ीदा किया था और आख़िरत में भी वह नेककारों से है (130) जब कभी उन्हें उनके रब ने कहा, मान ले, उन्होंने कहा, मैंने रब्बुल-आलमीन की मान ली।(131) इसी की वसिय्यत इब्राहीम और या'क़ूब ने अपनी औलाद को की, कि हमारे बच्चों! अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद कर लिया है, ख़बरदार! तुम मुसलमान ही मरना।'' (132)

दीने इब्राहीमी के दा'वेदार मुश्रिकीन का ज़िक्र (आयत 130-132) इन आयात में भी मुश्रिकीन का रद्द है कि वह अपने आपको दीने-इब्राहीमी का पैरोकार बताते थे हालाँकि वह मुकम्मल तौर पर मुश्रिक थे और जबकि हज़रत ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) तो मुवह्हिदों के इमाम थे, तौहीद को शिर्क से मुम्ताज़ करने वाले थे, उम्रभर में एक आँख झपकने के बराबर भी रब के साथ किसी को शरीक नहीं किया, बल्कि हर मुश्रिक से और हर क़िस्म के शिर्क से और उन सबसे बेज़ार थे। उसी पर क़ौम से अलग हुए, वतन छोड़ा, बल्कि बाप तक की मुख़ालिफ़त की परवाह न की, और साफ़ कह दिया कि (اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ) अल्ख़ (6/अन्आम : 78) ''मैं बेज़ार हूँ उस चीज़ से जिसे तुम शरीक करते हो, मैंने तो यक्सू होकर अपनी तमामतर तवज्जह उस पाक ज़ात की तरफ़ कर दी है जिसने ज़मीनो-आसमान को पैदा किया है, मैं शिर्क करने वालों मे से नहीं।'' और जगह है कि इब्राहीम (عليه السلام) ने अपने बाप से और अपनी क़ौम से साफ़ कह दिया कि मैं तुम्हारे मा'बूदों से बरी हूँ, मैं तो अपने ख़ालिक़ ही का गरवीदा हूँ, वही मुझे राहे-रास्त दिखाएगा। और जगह है (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ) अल्ख़ (9/तौबा : 144) ''इब्राहीम (عليه السلام) अपने वालिद के लिए भी सिर्फ़ एक वा'दा की बिना पर इस्तिग़्फ़ार करते थे लेकिन जब उन्हें मा'लूम हुआ कि वह अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेज़ार हो गए।''

इब्राहीम (عليه السلام) बड़े ही रुजूअ करने वाले और बुर्दबार थे। और जगह है, इब्राहीम (عليه السلام) मुख़्लिस और मुतीअ उम्मत थे, मुश्रिक हर्गिज़ न थे, रब की ने'मतों के शुक्रगुज़ार थे, अल्लाह के पसंदीदा थे और राहे रास्त पर लगे हुए थे, दुनिया के अच्छे लोगोंमें से थे और आख़िरत में भी सालेह लोगों में होंगे। उन आयात की तरह यहाँ भी फ़र्माया कि अपनी जानों पर ज़ुल्म करने वाले बेतदबीर और गुमराह लोग ही मिल्लते-इब्राहीमी को तर्क करते हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) को अल्लाह ने हिदायत के लिए चुन लिया था और बचपन से ही तौफ़ीक़े हक़ दे रखी थी। ख़लील जैसा मुअज़्ज़ज़ ख़िताब उन ही को दिया था, आख़िरत में भी सईद बख़्त लोगों में होंगे, उनके मस्लक व मिल्लत को छोड़कर ज़लालत व गुमराही में पड़ने वाले से ज़्यादा बेवक़ूफ़ और

ज़ालिम और कौन होगा? इस आयत में यहूदियों का भी रद्द है। जैसे और जगह है (مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا) अल्ख़ (3/आले इमरान : 67) ''इब्राहीम (عليه السلام) न तो यहूदी थे, न नसरानी, न मुश्रिक बल्कि मुवह्हिद मुसलमान और मुख़्लिस थे, उनके क़रीब वही हैं जो उनकी मानें और यह नबी और ईमानदार हैं, अल्लाह भी मो'मिनों का वली है। जब कभी अल्लाह फ़र्माता है कि यह मान लो वह जवाब देते कि ऐ रब्बुल आलमीन! मैंने मान लिया, इसी मिल्लते वह्दानियत की वसिय्यत इब्राहीम व या'क़ूब (عليه السلام) ने अपनी औलाद को की। (हा) की मरजअ या तो मिल्लत है या कलिमा।

मिल्लत से मुराद इस्लाम और कलिमा से मुराद (اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ) है, देखिए उनके दिल में इस्लाम की किस क़द्र मुहब्बत व इज़्ज़त थी कि ख़ुद भी उस पर उम्रभर आमिल रहे, अपनी औलाद को भी इसकी वसिय्यत की। जैसे और जगह है (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ) (43/ज़ुख़रुफ़ : 28) ''हमने इसे इनकी औलाद में भी बाक़ी रखा।'' कुछ सलफ़ ने (व या'क़ूब) भी पढ़ा तो (बनीहि) पर अत़्फ़ होगा और मत़लब यह होगा कि ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) ने अपनी औलाद को और औलाद की औलाद में से हज़रत या'क़ूब (عليه السلام) को जो उस वक़्त मौजूद थे, दीने इस्लाम की इस्तिक़ामत की वसिय्यत की। क़ुशैरी (रह.) कहते हैं, हज़रत या'क़ूब (عليه السلام) हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के इंतिक़ाल के बाद पैदा हुए थे लेकिन यह सिर्फ़ दा'वा है जिस पर कोई सह़ीह़ दलील नहीं। वल्लाहु आ'लम! बल्कि बज़ाहिर यह मा'लूम होता है कि हज़रत या'क़ूब (عليه السلام) इस्ह़ाक़ (عليه السلام) के यहाँ हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की ज़िन्दगी में पैदा हुए थे क्योंकि क़ुरआन की आयत में है (فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ) (11/हूद : 71) या'नी ''हमने उन्हें इस्ह़ाक़ (عليه السلام) की और इस्ह़ाक़ (عليه السلام) के पीछे या'क़ूब (عليه السلام) की ख़ुशख़बरी दी।'' और इसका नसब ख़फ़्ज़ का हटाकर भी पढ़ा गया है। पस अगर हज़रत या'क़ूब (عليه السلام) हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की ह़यात में मौजूद न हों तो फिर उनका नाम लेने में कोई ज़बरदस्त फ़ायदा बाक़ी नहीं रहता। सूरह अन्कबूत में भी है कि, हमने इब्राहीम (عليه السلام) को इस्ह़ाक़, हज़रत या'क़ूब (عليه السلام) अ़ता फ़र्माए और उसकी औलाद में हमने नबुव्वत व किताब दी। और आयत में है, हमने उसे इस्ह़ाक़ (عليه السلام) दिया और या'क़ूब (عليه السلام) ज़ाइद अ़ता फ़र्माया। इनसे मा'लूम होता है कि हज़रत या'क़ूब (عليه السلام) हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की ज़िन्दगी में ही थे। अगली किताबों में भी है कि वह बैतुल-मक़्दिस में आयेंगे।

हज़रत अबू ज़र (رضي الله عنه) एक मर्तबा पूछते हैं या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसी मस्जिद पहले ता'मीर की गई? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मस्जिदे-ह़राम''। पूछा फिर? फ़र्माया, ''मस्जिद बैतुल-मक़्दिस'' मैंने कहा, दोनों के बनाने में कितने वक़्त का फ़र्क़ था? फ़र्माया ''चालीस साल'' अल्ख़। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताब अह़ादीसुल अम्बिया, बाब रक़म : 10, 3366; सह़ीह़ मुस्लिम : 520; नसाई : 691; इब्ने माजा : 753) इब्ने ह़िब्बान (रह़.) ने कहा है कि हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) और हज़रत सुलेमान (عليه السلام) के दरम्यान के फ़ासले का यह बयान है ह़ालाँकि यह क़ौल बिलकुल मुख़ालिफ़ है, इन दोनों अम्बिया के दरम्यान तो हज़ारों साल की मुद्दत थी, बल्कि मत़लब ह़दीस का कुछ और ही है और शाहे ज़माँ हज़रत सुलेमानुर्रह़मान तो उस मस्जिद के मुजद्दिद (दोबारा बनाने वाले) थे, मूजिद न थे, उन्होंने उसकी मरम्मत कराई थी, इसी त़रह़ हज़रत या'क़ूब (عليه السلام) ने भी वसिय्यत की थी जिसका ज़िक्र भी आ रहा है। वसिय्यत इस अम्र की हुई है कि ज़िन्दगी में मुसलमान रहो ताकि मौत भी इसी पर आए।

उमूमन इंसान ज़िन्दगी में जिस चीज़ पर रहता है, उसी पर मौत भी आती है और जिस पर मरता है उसी पर उठेगा भी। अल्लाह का कानून इसी तरह है कि भलाई के क़सद करने वाले को भलाई की तौफ़ीक़ भी दी जाती है, भलाई उस पर आसान भी कर दी जाती है और उसे साबित क़दम भी रखा जाता है। कोई शक नहीं कि ह़दीस में यह भी आया है कि, "इंसान जन्नतियों के काम करते करते जन्नत से एक हाथ दूर रह जाता है कि उसकी तक़्दीर उस पर ग़ालिब आ जाती है और जहन्नमियो के काम करके जहन्नमी बन जाता है।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल् क़द्र, बाब रक़म : 1; ह़ : 6594; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2643) और कभी इसके ख़िलाफ़ भी होता है" लेकिन इससे मतलब यह है कि यह काम अच्छे या बुरे ज़ाहिरी तौर पर होते हैं ह़क़ीक़ी तौर पर नहीं, चुनाँचे कुछ रिवायात में यह लफ़्ज़ भी है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब ला युक़ालु फ़ुलानु शहीद : 2989; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 112) कुरआन कहता है सख़ावत, तक़्वा और ला इलाह इल्लल्लाहु की तस्दीक़ करने वाले के लिए हम आसानी का रास्ता आसान कर देते हैं और बुख़्ल व बेपरवाही और भली बात को झुठलाने वालों के लिए हम सख़्ती की राह आसान कर देते हैं।

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۳﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۴﴾

तर्जुमा : "क्या (ह़ज़रत) या'क़ूब (عليه السلام) के इंतिक़ाल के वक़्त तुम मौजूद थे, जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो सबने जवाब दिया कि आपके मा'बूद की और आपके बाप दादों इब्राहीम और इस्माईल और इस्ह़ाक़ के मा'बूद की, जो मा'बूद एक ही है, और हम उसी के फ़र्मांबरदार रहेंगे। (133) यह जमाअ़त गुज़र चुकी जो उन्होंने किया वह उनके लिए है और जो तुम करोगे, तुम्हारे लिए है। उनके आ़'माल के बारे में तुम न पूछे जाओगे।" (134)

तौह़ीदे उलूहियत का सबूत (आयत 133-134) : मुश्रिकीने अ़रब पर जो ह़ज़रत इस्माईल (عليه السلام) की औलाद थे और कुफ़्फ़ारे बनी इस्राईल पर जो ह़ज़रत या'क़ूब (عليه السلام) की औलाद थे, दलील लाते हुए अल्लाह तआ़ला बयान फ़र्माता है कि ह़ज़रत या'क़ूब (عليه السلام) ने तो अपनी औलाद को अपने आख़िरी वक़्त भी अल्लाह तआ़ला वह्‌दहू ला शरीक लहू की इबादत की वसिय्यत की थी। उनसे पहले तो पूछा कि, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? सबने जवाब दिया कि आपके और आपके बुज़ुर्गों के मा'बूदे बरह़क़ की। ह़ज़रत या'क़ूब (عليه السلام) ह़ज़रत इस्ह़ाक़ (عليه السلام) के लड़के और ह़ज़रत इस्ह़ाक़ (عليه السلام) ह़ज़रत इब्राहीम (عليه السلام) का

नाम बाप दादों के ज़िक्र में बतौर तग़लीब के आ गया है क्यों कि आप हज़रत या'क़ूब (ﷺ) के चचा हैं और यह भी वाज़ेह रहे कि अरब में चचा को भी बाप कह देते हैं। (क़ुर्तुबी : 2/138)

इस आयत से इस्तिदलाल करके दादा को भी बाप के हुक्म में रखकर दादा की मौजूदगी में बहन भाई को वरसा से महरूम किया है। हज़रत सिद्दीक़े अकबर (رضي الله عنه) का फ़ैसला यही है जैसे कि सहीह बुख़ारी में मौजूद है। (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला : 3443; सहीह मुस्लिम : 2365) उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (رضي الله عنها) का मज़हब भी यही है। हसन बसरी, ताउस और अता (रह.) भी यही कहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और बहुत से सलफ़ व ख़लफ़ का मज़हब भी यही है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और एक मशहूर रिवायत में इमाम अहमद (रह.) से मन्क़ूल है कि दो भाईयों-बहनों को भी वारिस कहते हैं। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنهم) और सलफ़ व ख़लफ़ की एक जमाअत का मज़हब यही है। क़ाज़ी अबू यूसुफ़ और मुहम्मद बिन हसन (रह.) भी यही कहते हैं और यह दोनों इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के शागिर्दे रशीद हैं। इस मसला की सफ़ाई का यह मक़ाम नहीं और न तफ़्सीर का यह मौज़ूअ है।

इन सब बच्चों ने इक़रार किया कि हम एक ही मा'बूद की इबादत करेंगे या'नी उस अल्लाह की उलूहियत में किसी को शरीक न करेंगे, और हम उसकी इताअत गुज़ारी, फ़र्मांबरदारी और ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में मशग़ूल रहा करेंगे। जैसे और जगह है (وَ لَهٗٓ اَسۡلَمَ) अल्ख़ (3/आले-इमरान : 83) ज़मीन व आसमान की हर चीज़ ख़ुशी और नाख़ुशी से उसकी मुतीअ है, उसी की तरफ़ तुम सब लौटाए जाओगे। तमाम अम्बिया (عليهم السلام) का दीन यही इस्लाम रहा है, अगरचे अहकाम में जुदाई रही है। जैसे फ़र्माया (وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِىۡۤ اِلَيۡهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ) (21/अम्बिया : 25) या'नी तुझसे पहले जितने रसूल हमने भेजे सबकी तरफ़ वही की कि मेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं तुम सब मेरी ही इबादत करते रहो। और आयात भी इस मज़्मून की बहुत सी हैं और अहादीस में भी यह मज़्मून बकसरत वारिद है। आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''हम अल्लाती भाई हैं, हमारा दीन एक ही है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़िक्र वदुआ, बाब फ़ज़्लुल इज्तिमाअ अला तिलावतिल् क़ुरआन : 2699) फिर फ़र्माता है, यह उम्मत है जो गुज़र चुकी, तुम्हें उनकी तरफ़ की निस्बत नफ़ा न देगी, हाँ! अगर अमल हो तो और बात है। उन्होंने जो कुछ किया, वह उनके साथ है और तुम जो कुछ करोगे वह तुम्हारे साथ। तुम उनके कामों के बारे में नहीं पूछे जाओगे। हदीसे मुबारका में है जिसका अमल देर लगाए उसका नसब जल्दी न करेगा। (इब्ने अबी हातिम : 1/397)

अब्दुल्लाह बिन सूरिया आ'वर ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि हिदायत पर हम हैं, तुम हमारी मानो तो तुम्हें भी हिदायत मिलेगी। नसरानियों ने भी यही कहा था, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। कि हम तो इब्राहीम हनीफ़ (عليه السلام) के मुत्तबेअ हैं जो इस्तिक़ामत वाले, इख़लास वाले, हज्ज वाले, बैतुल्लाह की तरफ़ चेहरा करने वाले, इस्तिताअत के वक़्त हज्ज को फ़र्ज़ जानने वाले, अल्लाह की फ़र्मांबरदारी करने वाले, तमाम रसूलों पर ईमान लाने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देने वाले, माँ बेटी ख़ाला फूफी को हराम जानने वाले और तमाम हरामकारियों से बचने वाले थे, यह सब मा'नी हनीफ़ के मुख़्तलिफ़ हज़रात ने बयान किए हैं। (इब्ने अबी हातिम : 1/397)

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ۭ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ۭ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ؀ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ
رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ڮ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ؀

तर्जुमा : ''यह कहते हैं, यहूद या नसारा बन जाओ तो राह पाओगे। तुम कहो बल्कि राह पर मिल्लते-इब्राहीमी वाले हैं, और (हज़रत) इब्राहीम (عليه السلام) मुश्रिक न थे। (135) (ऐ मुसलमानों!) तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस चीज़ पर भी जो हमारी तरफ़ उतारी गई और जो चीज़ इब्राहीम, इस्माईल, इस्हाक़, या'क़ूब (عليه السلام) और उनकी औलाद पर उतारी गई और जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा और ईसा (عليه السلام) और दूसरे अम्बिया (عليه السلام) दिए गए, हम उनमे से किसी के दरम्यान जुदाई नहीं डालते, हम अल्लाह के फ़र्मांबरदार हैं।''(136)

(आयत 135-136) : अल्लाह तआला अपने ईमानदार बन्दों को इर्शाद फ़र्माता है कि जो कुछ हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर उतरा उस पर तफ़सीलवार ईमान लाएँ और जो आप (ﷺ) से पहले अम्बिया (عليه السلام) पर उतरा उसमें भी इज्मालन ईमान लाएँ, उन अगले अम्बिया-ए-किराम (عليه السلام) में से कुछ के नाम भी ले लिए और बाक़ी नबियों का मुज्मल ज़िक्र किया, साथ ही फ़र्माया कि यह किसी नबी के दरम्यान तफ़रीक़ न करें कि एक को मानें और दूसरे से इंकार कर जाएँ, जो आदत औरों की थी कि वह अम्बिया में तफ़रीक़ करते थे, किसी को मानते थे, किसी से इंकारी थे। यहूदी हज़रत ईसा (عليه السلام) को, नसरानी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को हिजाज़ी, अरब मूसा, ईसा और मुहम्मद (ﷺ) तीनों को नहीं मानते थे। इन सबको फ़त्वा मिला कि (اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا) (4/निसाअ : 151) ''यह लोग यक़ीनन काफ़िर हैं।'' हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, अहले किताब तौरात को इबरानी में पढ़ते थे और अरबी में तफ़्सीर करके अहले इस्लाम को सुनाते थे'' नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''अहले-किताब की सच्चाई या तक्ज़ीब न करो, कह दिया करो कि अल्लाह पर और उसकी नाज़िल की हुई किताबों पर हमारा ईमान है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि.....) : 4485) नबी (ﷺ) सुबह की दो सुन्नतों में पहली रकअत में यह आयत (اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا) पूरी आयत और दूसरी रकअत में आले-इमरान आयत (اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ) (3/आले इमरान : 52) पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब इस्तिहबाबु रकअतय सुन्नतिल फ़ज्र : 727)

अस्बात की तशरीह : अस्बात हज़रत या'क़ूब (عليه السلام) के बेटों को कहते हैं, जो बारह थे, जिनमें से हर एक की नस्ल में बहुत से इंसान हुए। बनी इस्माईल को क़बाइल कहते थे और बनी इस्राईल को अस्बात कहते थे। (इब्ने अबी हातिम : 1/399) ज़मख़्शरी (रह.) ने कश्शाफ़ में लिखा है कि यह हज़रत या'क़ूब (عليه السلام) के पोते थे जो उनके बारह लड़कों की औलाद थी। बुख़ारी में है कि मुराद क़बाइल से बनी इस्राईल हैं। उनमे भी नबी हुए थे जिन पर वही नाज़िल हुई थी। जैसे हज़रत मूसा (عليه السلام) ने फ़र्माया (اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَاۤءَ) (5:20)अल्ख़ "अल्लाह तआला की ने'मत को याद करो कि उसने तुममें अम्बिया और बादशाह बनाए।" और जगह है (وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا) (7/आ'राफ़ : 160) "हमने उनके बारह गिरोह कर दिए।" सिब्त कहते हैं तताबोअ को यह भी एक के पीछे एक थे। कुछ कहते हैं यह माख़ूज़ है सबत से सब्त कहते हैं। दरख़्त को, या'नी यह मिस्ल दरख़्त के हैं जिसकी शाख़ें फैली हुई हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि कुल अम्बिया (अ.) बनी इस्राईल में से ही हुए हैं, सिवाए दस के, नूह, हूद, सालेह, शुऐब, इब्राहीम, इस्हाक़, या'क़ूब, इस्माईल, मुहम्मद (ﷺ)। सिब्त कहते हैं उस जमाअत और क़बीले को जिनका मूरिसे आ'ला ऊपर जाकर एक हो। (क़ुर्तुबी : 3/141) इब्ने अबी हातिम में है हमें तौरात व इंजील पर ईमान रखना ज़रूरी है लेकिन अमल के लिए सिर्फ़ क़ुरआन व हदीस ही है। इब्ने अबी हातिम में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "तौरात, ज़बूर व इंजील पर ईमान रखो लेकिन (अमल के लिए) क़ुरआन काफ़ी है।" (इसकी सनद में उबेदुल्लाह बिन अबी हमीद मुंकरुल हदीस है। (अल्मीज़ान : 3/5, रक़म : 5354) लिहाज़ा यह रिवायत मरदूद है।)

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ
فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ
صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾

तर्जुमा : "अगर वह तुम जैसा ईमान लाएँ तो राह पाएँ, और अगर चेहरा फेर लें तो ख़िलाफ़ में हैं, अल्लाह तआला उनसे अन्क़रीब किफ़ायत करेगा, वह ख़ूब सुनने जानने वाला है। (137) रंग दिया अल्लाह तआला ने अपने रंग में और अल्लाह से अच्छा रंग किसका होगा हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं।" (138)

नजात पाने की शर्त (आयत 137-138) : या'नी ऐ ईमानदार सहाबियो! अगर यह कुफ़्फ़ार भी तुम जैसा ईमान लाएँ या'नी तमाम किताबों और रसूलों को मान लें तो हक़ व रुश्द हिदायत व नजात पायेंगे, और अगर बावजूद क़ियामे-हुज्जत के फिर भी बाज़ रहें तो यक़ीनन हक़ के ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह तआला तुझे उन पर ग़ालिब करके तुझे किफ़ायत करेगा, वह सुनने जानने वाला है। नाफ़ेअ बिन अबी नईम कहते हैं कि किसी ख़लीफ़ा के पास हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) की तिलावत वाला क़ुरआन भेजा गया, ज़ियाद ने यह सुनकर कहा कि

लोगों में मशहूर है कि जब हज़रत उस्मान (رضی اللہ عنہ) को लोगों ने शहीद किया, उस वक़्त यह कलामुल्लाह उनकी गोद मे था और आपका ख़ून ठीक इन अल्फ़ाज़ पर पड़ा था (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) क्या यह सहीह है? हज़रत नाफ़ेअ (बिन अबी नईम रह.) ने कहा, बिलकुल ठीक है। मैंने ख़ुद इस आयत पर ज़ुन्नूरेन का ख़ून देखा था। (इब्ने अबी हातिम : 1/402; व सनदुहू सहीह; शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसकी सनद को सहीह क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ मवारिदुज़्ज़म्आन : 3/166) रंग से मुराद दीन है। (इब्ने अबी हातिम : 1/402; व सनदुहू ज़ईफ़) और इसका ज़बर बतौर इग़राअ के है, जैसे फ़ित्रतुल्लाह में, मतलब यह है कि अल्लाह के दीन को लाज़िम पकड़ लो, उस पर चिमट जाओ। कुछ कहते हैं, यह बदल है (मिल्लते-इब्राहीम) से जो उससे पहले मौजूद है। सीबवे कहते हैं, यह मस्दरे मुअक्कद है (आमन्ना बिल्लाहि) की वजह से मंसूब है, जैसे (वा'दल्लाहि) एक मरफ़ूअ हदीस में है कि बनी इस्राईल ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)!क्या हमारे रब रंग भी करता है? आपने फ़र्माया, ''अल्लाह तआला से डरो। आवाज़ आई, इनसे कह दो कि तमाम रंग में ही तो पैदा करता हूँ।'' यही मतलब इस आयत का भी है लेकिन इस रिवायत का मौक़ूफ़ होना ही सहीह है और यह भी उस वक़्त जबकि उसकी इस्नाद सहीह हो।

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ
لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ
شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

तर्जुमा : ''कह दो क्या तुम हमसे अल्लाह तआला के बारे में झगड़ते हो जो हमारा और तुम्हारा रब है, हमारे लिए हमारे अमल हैं, और तुम्हारे लिए तुम्हारे आ'माल, हम तो उसी के लिए ख़ुलूस करने वाले हैं। (139) क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम और इस्माईल और इस्हाक़ और या'क़ूब और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? कह दो क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह तआला? अल्लाह के पास की शहादत छुपाने वाले से ज़्यादा ज़ालिम और कौन है, अल्लाह तआला तुम्हारे कामों से ग़ाफ़िल नहीं। (140) यह उम्मत है जो गुज़र चुकी, जो उन्होंने किया उनके लिए है और जो तुमने किया तुम्हारे लिए, तुम उनके आ'माल के बारे में सवाल न किए जाओगे।'' (141)

हक़ीक़ी दीन, दीने-इस्लाम है (आयत 139-141) : मुश्रिकों के झगड़े को दूर करने का हुक्म रब्बुल आलमीन अपने नबी (ﷺ) को दे रहा है कि तुम उनको कहो कि हमसे अल्लाह की तौहीद, इख़्लास़, इत़ाअत वग़ैरह के बारे में क्यूँ झगड़ते हो? वह सिर्फ़ हमारा ही नहीं बल्कि तुम्हारा रब भी तो है, हम पर और तुम पर क़ाबिज़ व मुतस़र्रिफ़ (हुक्म चलाने वाला) भी वही अकेला है, हमारे अ़मल हमारे साथ हैं और तुम्हारे अ़मल तुम्हें काम आएँगे, हम तुमसे और तुम्हारे शिर्क से बेज़ार हैं। और जगह है (وَ اِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ) अल्ख़ (10/यूनुस : 41) या'नी ''अगर यह तुझे झुठलाएँ तो, तू कह दे कि मेरे लिए मेरा अ़मल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अ़मल है। तुम मेरे (नेक) काम से और मैं तुम्हारे आ'माल से बेज़ार हूँ।'' और जगह इर्शाद है (فَاِنْ حَآجُّوْكَ) (3/आले इमरान : 20) ''यह तुझसे झगड़ें तो, तू कह दे, ''मैंने और मेरे मानने वालों ने अपने चेहरे अल्लाह की त़रफ़ कर लिए'' अल्ख़''।

हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ने भी अपनी क़ौम से यही फ़र्माया था (قَالَ اَتُحَآجُّوْنِّيْ فِي اللّٰهِ) (6/अन्आम : 80) अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो? और जगह है (اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖٓ) (2/बक़रह : 258) ''तूने उसे भी देखा जो इब्राहीम (عليه السلام) से उसके रब के बारे में झगड़ने लगा, पस यहाँ उन झगड़ालू लोगों से कहा गया कि हमारे आ'माल हमारे लिए और तुम्हारे आ'माल तुम्हारे लिए, हम तुमसे बेज़ार, तुम हमसे बेज़ार, हम इबादत और तवज्जह में इख़्लास़ और यक्सूई करने वाले लोग हैं। फिर उन लोगों के दा'वे के तर्दीद हो रही है कि हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) न तो यहूदी थे, न नस़रानी। तुम ऐ यहूदियों! और ऐ नस़रानियों! क्यूँ यह बातें बना रहे हो, क्या तुम्हारा इल्म अल्लाह से बढ़ गया, अल्लाह ने तो साफ़ फ़र्मा दिया

(مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۭ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ)

(3/आले इमरान : 67) ''इब्राहीम (عليه السلام) न तो यहूदी थे, न नस़रानी, न मुश्रिक बल्कि ख़ालिस़ मुसलमान थे।'' उनका अल्लाह की शहादत को छुपाकर बड़ा ज़ुल्म करना यह था कि अल्लाह की किताब जो उनके पास आई, उसमें उन्होंने पढ़ा कि हक़ीक़ी दीन इस्लाम है, मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह तआला के सच्चे रसूल हैं। इब्राहीम, इस्माईल, इस्हाक़ और या'क़ूब (عليهم السلام) वग़ैरह यहूदियत और नस़रानियत से अलग थे, लेकिन फिर न माना और इतना ही नहीं बल्कि इस बात को छुपा भी दिया। फिर फ़र्माया, तुम्हारे आ'माल अल्लाह पर पोशीदा नहीं, उसका मुहीत़ इल्म सब चीज़ों को घेरे हुए है, वह हर भलाई और बुराई का पूरा-पूरा बदल देगा। यह तम्बीह करने के बाद फिर फ़र्माया कि यह पाकबाज़ जमाअत तो अल्लाह के पास पहुँच चुकी तुम जब तक उनके नक़्शे-क़दम पर न चलो, सिर्फ़ उनकी औलाद में से होना तुम्हें अल्लाह के यहाँ कोई इ़ज़्ज़त और नफ़ा नहीं दे सकता है, उनके नेक आ'माल में तुम्हारा कोई हिस़्सा नहीं और तुम्हारी बदआ'मालियों का उन पर कोई बोझ नहीं। ''जो करे वही भरे'' तुमने जब एक नबी की तक्ज़ीब की तो गोया तमाम अम्बिया (عليهم السلام) को झुठलाया, बिल-ख़ुसूस़ ऐ वह लोगों! जो नबी आख़िरुज़्ज़माँ (ﷺ) के मुबारक ज़माने में हो तुम तो बड़े ही वबाल में आ गए, तुमने उस नबी (ﷺ) को झुठलाया जो सय्यदुल अम्बिया हैं, जो ख़त्मुल मुर्सलीन हैं, जो रब्बुल-आ'लमीन के रसूल हैं। जिनकी रिसालत तमाम इंसानों और जिन्नों की त़रफ़ है, जिनकी रिसालत के मानने का हर एक शख़्स़ मुकल्लफ़ है। अल्लाह तआला के बेशुमार दुरूदो-सलाम आप (ﷺ) पर नाज़िल हों और आप (ﷺ) के अलावा तमाम अम्बिया-ए-किराम (عليهم السلام) पर भी।

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ
اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا
جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى
عَقِبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ
اِيْمَانَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾

तर्जुमा : ''अन्क़रीब नादान लोग कहेंगे कि जिस क़िब्ला पर यह थे, उससे उन्हें किस चीज़ ने हटाया? तू कह दे (ऐ नबी!) कि मश्रिक़ व मग़्रिब का मालिक अल्लाह तआला ही है, वह जिसे चाहे सीधी राह की हिदायत कर दे। (142) हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल (ﷺ) तुम पर गवाह हो जाएँ, जिस क़िब्ला पर तुम पहले से थे उसे हमने सिर्फ़ इसलिए मुक़र्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबे'दार कौन है और कौन है जो अपनी ऐड़ियों पर जाता है, गोया काम मुश्किल है मगर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है (उन पर कोई मुश्किल नहीं) अल्लाह तआला तुम्हारे ईमान ज़ाया न करेगा, अल्लाह तआला लोगो के साथ शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है।'' (143)

क़िब्ला की तब्दीली का हुक्म (आयत 142-143) कहा जाता है कि यह 'बेवक़ूफ़' लोगों से अरब के मुश्रिकीन मुराद हैं। एक क़ौल है कि उलम-ए-यहूद मुराद हैं और यह भी कहा गया है कि मुनाफ़िक़ीन मुराद हैं। सहीह बुख़ारी में हज़रत बराअ (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि ''रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सौलह या सतरह माह तक बैतुल मक़्दिस की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ी, लेकिन ख़ुद आप (ﷺ) की ख़्वाहिश यह थी कि आपका क़िब्ला ख़ाना कअबा हो।'' चुनाँचे हुक्म मिलने के बाद आपने उस तरफ़ चेहरा करके पहली नमाज़ असर की पढ़ी। जिन लोगों ने आपके साथ नमाज़ पढ़ी थी उनमेंसे एक शख़्स एक मस्जिद के पास से गुज़रा वहाँ लोग रुकूअ में थे। उसने कहा, ''अल्लाह की क़सम! मैंने मक्का की तरफ़ रुख़ करके नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी है।'' यह सुनकर वह लोग उसी हालत मेंकअबा की तरफ़ घूम गए और ऐसे लोग जो तब्दीली क़िब्ला से क़ब्ल (पहले) इंतिक़ाल कर गए और बहुत से थे जो शहीद हुए। लोगों को मा'लूम न था, उनकी नमाज़ों के बारे में क्या कहें? यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने यह आयत (قدسی) नाज़िल फ़र्मायी, या'नी

''अल्लाह तआला तुम लोगों के ईमान ज़ाया न करेगा'' सहीह मुस्लिम में यह रिवायत दूसरी तरह से है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब : 17; ह : 4486; सहीह मुस्लिम : 525) एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ा करते थे और अकसर आसमान की जानिब नज़रें उठाकर हुक्म का इंतिज़ार किया करते थे। यहाँ तक कि यह आयत नाज़िल हुई (क़द नरा तक़ल्लुब) अल्ख़ और कअ़बा अल्लाह का क़िब्ला मुक़र्रर हुआ। उस मौक़े पर मुसलमानों में से कुछ लोगों ने कहा, काश! हमको उन लोगों का हाल मा'लूम होता जो सिम्ते क़िब्ला बदलने से पहले वफ़ात पा गए। उस पर अल्लाह तआला ने यह आयते-करीमा (وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ) नाज़िल फ़र्माई। (इब्ने इस्हाक़ बिसनदिही; इसकी सनद में इस्माईल बिन अबी ख़ालिद की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।)

अहले किताब में से कुछ बे वक़ूफ़ों ने इस तब्दीली क़िब्ला पर ऐ'तिराज़ किया तो अल्लाह तआला ने आयत (سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ) नाज़िल फ़र्माई। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना की तरफ़ हिज्रत की थी तो बैतुल-मक़्दिस को क़िब्ला बनाने का हुक्म हुआ था। इससे यहूदी बहुत ख़ुश थे, मगर आप क़िब्ला इब्राहीमी को पसंद करते थे। चुनाँचे जब क़िब्ला की तब्दीली का हुक्म हुआ तो यहूदियों ने हसद की बिना पर ऐ'तिराज़ात किए जिस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़र्माई कि, ''मश्रिक़ और मग़्रिब सबका मालिक अल्लाह तआला ही है।'' अल्ख़ (तब्री : 3/138) इस बारे में दीगर काफ़ी अहादीस भी मरवी हैं। ख़ुलास-ए-कलाम यह है कि आप मक्का में दो रुक्नों के बीच सख़रह बैतुल-मक़्दिस के सामने रखकर नमाज़ पढ़ते थे। जब आप (ﷺ) ने मदीना की तरफ़ हिज्रत की तो उन दोनों को जमा करना नामुम्किन हो गया। इसलिए अल्लाह तआला ने आपको बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ नमाज़ में चेहरा करने का हुक्म दिया। इस बारे में इख़्तिलाफ़ है कि आपको इस बात का हुक्म कुरआन के ज़रिये से दिया गया या किसी दूसरे ज़रिये से? कुछ कहते हैं कि यह आपका इज्तिहादी अम्र था और मदीना आने के कई माह बाद तक आप इसी पर आमिल रहे, अगरचे आप अल्लाह तआला से तब्दीली क़िब्ला के ख़्वाहिशमन्द थे। बिलआख़िर दुआ क़बूल की गई। बैतुल्लाह की तरफ़ पहली नमाज़ असर पढ़ी। कुछ रिवायात में है कि वह ज़ुहर की नमाज़ थी।

हज़रत अबू सईद इब्ने मुअल्ला (رضي الله عنه) ने कहा कि मैंने और मेरे साथी ने पहली नमाज़ जो कअ़बा की तरफ़ चेहरा करके पढ़ी वह ज़ुहर की नमाज़ थी। कुछ मुफ़स्सिरीन वग़ैरह का बयान है कि नबी (ﷺ) पर जब क़िब्ला बदलने की आयत नाज़िल हुई तो उस वक़्त आप (ﷺ) मस्जिदे-नबवी में ज़ुहर की नमाज़ पढ़ रहे थे और दो रकअ़त अदा कर चुके थे, फिर बाक़ी दो रकअ़तें आपने बैतुल्लाह की तरफ़ पढ़ीं। इसी वजह से उस मस्जिद का नाम ही मस्जिदे-क़िब्लतैन या'नी दो क़िब्ले वाली मस्जिद है। हज़रत नुवेला बिन्ते मुस्लिम (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं कि हम ज़ुहर की नमाज़ में थे, जब हमें यह ख़बर मिली और हम नमाज़ ही में घूम गए। मर्द औरतों की जगह आ गए और औरतें मर्दों की जगह जा पहुँची। हाँ! अहले कुबा को दूसरे दिन सुबह की नमाज़ के वक़्त यह चीज़ पहुँची। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से मरवी है कि लोग मस्जिदे

क़ुबा में सुबह की नमाज़ अदा कर रहे थे, कि अचानक किसी आने वाले ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर रात को हुक्मे-क़ुरआनी नाज़िल हुआ और कअ़बा की तरफ़ मुतवज्जह होने का हुक्म हो गया, चुनाँचे हम लोग भी शाम की तरफ़ से चेहरा हटाकर कअ़बा की तरफ़ मुतवज्जह हो गए। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलात, बाब मा जाअ फ़िल् क़िब्लति..... : 403; सहीह मुस्लिम : 526; तिर्मिज़ी : 341; नसाई : 743) इस हदीस से यह भी मा'लूम हुआ कि नासिख़ के हुक्म का लाज़िम होना उस वक़्त होता है जब उसका इल्म हो जाए। गो वह हुक्म पहले ही नाज़िल हो चुका हो, क्योंकि उन हज़रात को अ़सर मग़रिब और इशा के लौटाने का हुक्म नहीं, वल्लाहु आ'लम!

अब बातिल परस्त कमज़ोर अक़ीदे वाले बातें बनाने लगे कि इसकी क्या वजह है, कभी इसे क़िब्ला कहता है कभी उसे। उन्हें जवाब मिला कि हुक्म और तसर्रुफ़ और अम्र अल्लाह तआला ही का है, जिधर चेहरा करो उसी तरफ़ उसका चेहरा है। भलाई सब कुछ उसी में नहीं आ गई बल्कि असलियत तो ईमान की मज़बूती है जो हर हुक्म के मानने पर मजबूर कर देती है और उसमें गोया मो'मिनों को अदब सिखाया गया है कि उनका काम सिर्फ़ हुक्म की बजाआवरी है। जिधर उन्हें मुतवज्जह होने का हुक्म दिया जाए यह मुतवज्जह हो जाते हैं, इताअत के मा'नी उसकी हुक्मबरदारी के हैं। अगर वह एक दिन में सौ मर्तबा हर तरफ़ घुमाए तो हम बख़ुशी घूम जाएँगे, हम उसके गुलाम हैं, उसके मातह़त हैं, उसके फ़र्मांबरदार और उसके ख़ादिम हैं। जिधर वह हुक्म देगा चेहरा फेर लेंगे। उम्मते-मुहम्मदिया पर यह भी अल्लाह तआला का करम है कि उन्हें ख़लीलुर्रहमान (عليه السلام) के क़िब्ले की तरफ़ चेहरा करने का हुक्म हुआ जो उसी अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के नाम पर बनाया गया है और जिसे तमामतर फ़ज़ीलतें हासिल हैं। मुस्नद अहमद की एक मरफ़ूअ हदीस में है कि ''यहूदियों को हमसे इस बात पर बड़ा हसद है कि अल्लाह ने हमें जुम्आ के दिन की तौफ़ीक़ दी और यह उससे भटक गए और इस पर कि हमारा क़िब्ला यह है और वह इससे गुमराह हो गए और बड़ा हसद उनको हमारी आमीन कहने पर भी है जो हम इमाम के पीछे कहते हैं।'' (अहमद : 1/135, 136; व सनदुहू ज़ईफ़ व हुव हसन बिश्शवाहिद; देखिए मेरी किताब अल्क़ौलुल मतीन फ़िज्जहरि बित्ताम्मीन, पेज : 46, 47; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह लिग़ैरिही क़रार दिया है। देखिए (सहीहुत्तर्ग़ीब : 515)

उम्मते वसत़ का मतलब : फिर फ़र्माया है कि ''इस पसंदीदा क़िब्ला की तरफ़ तुम्हें मुतवज्जह करना इसलिए है कि तुम ख़ुद भी पसंदीदा उम्मत हो और तुम दूसरी उम्मतों पर क़यामत के दिन गवाह बने रहोगे क्योंकि वह सब तुम्हारी फ़ज़ीलत मानते हैं।'' वसते के मा'नी यहाँ पर बेहतर और उ़म्दह के हैं, जैसे कहा जाता है कि क़ुरैश नसब के ए'तिबार से वसत़ अरब हैं। और कहा गया है कि हुज़ूर (ﷺ) अपनी क़ौम में वसत़ थे या'नी अशरफ़ नसब वाले और सलाते-वुस्ता या'नी अफ़ज़लतर नमाज़ जो अ़सर है। जैसे सहीह अहादीस से साबित है। और चूँकि तमाम उम्मतों में यह उम्मत बेहतर, अफ़ज़ल और आ'ला है, इसलिए इन्हें शरीअत भी कामिल रास्ता भी बिलकुल दुरुस्त मिला और दीन भी बहुत वाज़ेह दिया गया। जैसे फ़र्मान है (हुवज्तबाकुम) अलख़ ''उस अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया और तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं की। तुम्हारे बाप

इब्राहीम (अ.) के दीन पर तुम हो, उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, इससे पहले भी और इसमें भी ताकि रसूल(ﷺ) तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर।''

मुस्नद अहमद में है, ''रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं नूह (عليه السلام) को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने मेरा पैग़ाम मेरे बन्दों तक पहुँचा दिया था, वह कहेंगे कि हाँ अल्लाह! पहुँचा दिया था। उसके बाद उनकी उम्मत को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या नूह (عليه السلام) ने मेरी बातें पहुँचाई थीं? वह साफ़ इंकार करेंगे और कहेंगे, हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। नूह (عليه السلام) से कहा जाएगा कि तुम्हारी उम्मत इंकार करती है, तुम गवाह पेश करो। वह कहेंगे कि, हाँ! मुहम्मद (ﷺ) और आपकी उम्मत मेरा गवाह है।'' यही मतलब इस आयत (وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ) का है। वसत के मा'नी अदल के हैं। ''अब तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम गवाही दोगे और मैं तुम पर गवाही दूँगा।'' (बुख़ारी, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा) (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब 13; ह : 4487; व उंजुर : 3339; तिर्मिज़ी : 2961; इब्ने माजा : 4284) मुस्नद अहमद की एक और रिवायत में है, क़यामत के दिन नबी आयेंगे और उनके साथ उनकी उम्मत के सिर्फ़ दो ही शख़्स होंगे और उससे ज़्यादा भी। उसकी उम्मत को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि, क्या इस नबी (अ.) ने तुम्हें तब्लीग़ की थी? वह इंकार करेंगे। नबी (عليه السلام) से पूछा जाएगा, तुमने तब्लीग़ की, वह कहेंगे, हाँ! कहा जाएगा, तुम्हारा गवाह कौन है? वह कहेंगे कि मुहम्मद (ﷺ) और आपकी उम्मत। पस मुहम्मद (ﷺ) और आपकी उम्मत बुलाई जाएगी। उनसे यही सवाल होगा कि क्या इस पैग़म्बर ने तब्लीग़ की? यह कहेंगे, हाँ! इनसे कहा जाएगा कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ? यह जवाब देंगे कि हमारे पास हमारे नबी आए और आपने ख़बर दी कि अम्बिया (عليهم السلام) ने तेरा पैग़ाम अपनी अपनी उम्मतों को पहुँचाया। यही मतलब है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इस फ़र्मान (व कज़ालिक) का। (सहीह अहमदः 3/58; इब्ने माजा, किताबुज़्ज़ुहद, बाब सिफ़ते उम्मते मुहम्मद (ﷺ) 4284; सहीह बुख़ारी : 3339; बि-लफ़्ज़िही आख़िर) मुस्नद अहमद की एक और हदीस में वसतन बमा'नी अदलन आया है।(अहमद : 3/9; तिर्मिज़ी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब वमिन सूरतिल बक़रह : 2961; व सहीह बुख़ारी : 7349) इब्ने मर्दवे और इब्ने अबी हातिम में है कि, ''रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं और मेरी उम्मत क़यामत के दिन एक ऊँचे टीले पर होंगे, तमाम मख़्लूक़ में नुमायाँ होंगे और सबको देख रहे होंगे। उस रोज़ तमाम दुनिया तमन्ना करेगी कि काश वह भी हममें से होते। जिस जिस नबी की क़ौम ने उसे झुठलाया है हम दरबारे रब्बुल आ'लमीन में शहादत देंगे कि उन तमाम अम्बिया (عليهم السلام) ने हक़्क़े-रिसालत अदा किया था।'' (इसकी सनद ज़ईफ़ है।)

मुस्तदरक हाकिम में एक हदीस है कि बनी मस्लमा के क़बीले के एक शख़्स के जनाज़े में हम हुज़ूर (ﷺ) के साथ थे। लोग कहने लगे, हुज़ूर (ﷺ)! यह बड़ा नेक आदमी, बड़ा मुत्तक़ी पारसा और सच्चा मुसलमान था, और भी बहुत सी ता'रीफ़ें कीं।'' आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम यह किस तरह कह रहे हो? उस शख़्स ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! पोशीदगी का इल्म तो अल्लाह ही को है। लेकिन ज़ाहिर में तो इसकी ऐसी ही

हालत थी। आपने फ़र्माया, इसके लिए वाजिब हो गई।'' ''फिर बनू हारिसा के एक शख़्स जनाज़े में थे। लोग कहने लगे, हज़रत! यह बुरा आदमी था, बड़ा बद-जुबान और कज ख़ल्क़ था। आपने उसकी बुराईयाँ सुनकर पूछा, तुम कैसे यह कह रहे हो? उस शख़्स ने भी यही कहा। आपने फ़र्माया, इसके लिए वाजिब हो गई।'' मुहम्मद बिन कअ़ब (रह़.) इस हदीस को सुनकर फ़र्माने लगे, अल्लाह के रसूल (ﷺ) सच्चे हैं। देखो! कुरआन भी कह रहा है (व कज़ालिक) अल्ख़ (हाकिम : 2/268; बिदूनि क़ौ मुहम्मद बिन कअ़ब, अ़ल्लामा ज़हबी (रह़.) तल्ख़ीस़ में फ़र्माते हैं कि ''मुस्अब क़वी नहीं है।'' इस रिवायत की सनद मुस्अब बिन साबित (ज़ईफ़) की वजह से ज़ईफ़ है।) मुस्नद अहमद में है। अबुल अस्वद (रह़.) फ़र्माते हैं, मैं मदीना में आया यहाँ बीमारी थी, लोग बकसरत मर रहे थे। मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) के पास बैठा हुआ था तो एक जनाज़ा निकला और लोगों ने मरहूम की नेकियाँ बयान करनी शुरू कीं। आपने फ़र्माया, इसके लिए वाजिब हो गई। इतने में दूसरा जनाज़ा निकला लोगों ने उसकी बुराईयाँ बयान कीं। आपने फ़र्माया, इसके लिए वाजिब हो गई। मैंने कहा, अमीरुल मो'मिनीन! क्या वाजिब हो गई? आपने फ़र्माया, मैंने वही कहा, जो जनाब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''जिस मुसलमान की भलाई की शहादत चार आदमी दें, अल्लाह उसे जन्नत में दाख़िल करता है।'' हमने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! अगर तीन दें? आपने फ़र्माया, ''तीन भी।'' हमने कहा, अगर दो हों? आपने फ़र्माया, ''दो भी।'' फिर हमने एक की बाबत सवाल न किया। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल् जनाइज़, बाब सनाउन् नास अ़लल् मय्यित : 1368; तिर्मिज़ी : 1059; नसाई : 1936; अह़मद : 1/21-45) इब्ने मर्दवे की एक हदीस में है, क़रीब है कि तुम अपने भलों और बुरों को पहचान लिया करो। लोगों ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! किस तरह? आपने फ़र्माया, ''अच्छी ता'रीफ़ और बुरी शहादत से।'' तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। (इब्ने माजा, किताबुज़्ज़हद, बाब अस्सनाउल हसन : 4221; व सनदुहू हसन स़ह़ह़हू इब्ने हिब्बान : (2059) वल हाकिम (1/120, 4/436) वज़्ज़हबी)

फिर फ़र्माता है कि पहला क़िब्ला सिर्फ़ इम्तिहान के तौर पर था या'नी पहले बैतुल मक़्दिस को क़िब्ला मुक़र्रर करके फिर कअ़बतुल्लाह की तरफ़ फेरना सिर्फ़ इसलिए था ताकि मा'लूम हो जाए कि सच्चा ताबे'दार कौन है? और जहाँ आप तवज्जह करें वहीं अपनी तवज्जह करने वाला कौन है? और कौन है जो एक दम करवट लेता है और मुर्तद हो जाता है। यह काम फ़िल हक़ीक़त बहुत अहम काम था लेकिन जिनके दिलों में ईमान व यक़ीन है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के सच्चे पैरोकार हैं, जो जानते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) जो फ़र्माएँ, सच है, जिनका अ़क़ीदा है कि अल्लाह जो चाहता है करता है, अपने बन्दों को जिस तरह चाहे हुक्म दे, जो चाहे मिटाए जो चाहे बाक़ी रखे, उसका हर काम हर हुक्म हिक्मत से पुर है, और उन पर उस हुक्म की बजाआवरी कुछ भी मुश्किल नहीं।

क़िब्ला की तब्दीली इम्तिहान के लिए थी, हाँ! बीमार दिल वाले तो जहाँ नया हुक्म आया और उन्हें फ़ौरन नया दर्द उठा। कुरआन-हकीम में और जगह है (وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ) (9/तौबा : 124) या'नी ''जब कभी कोई सूरत नाज़िल होती है तो इनमें से कुछ पूछते हैं इससे किसका ईमान बढ़ा?'' हक़ीक़त यह है कि

ईमानदारों के ईमान बढ़ते हैं और इनकी दिली ख़ुशी भी और बीमार दिल वाले अपनी पलीदी में और बढ़ जाते हैं। और जगह फ़र्मान है (قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۚ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى) (41/फ़ुस्सिलत : 44) या'नी ''ईमानवालों के लिए यह हिदायत और शिफ़ा है और बेईमान लोगों के लिए कानों में बोझ और आँखों पर अंधापन है।'' और जगह फ़र्मान है (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا) (17/इस्रा : 82) या'नी ''हमारा उतारा हुआ क़ुरआन मो'मिनों के लिए सरासर शिफ़ा और रहमत है और ज़ालिमों का नुक़्सान ही बढ़ता रहता है।'' इस वाक़िया में भी तमाम बुज़ुर्ग सहाबा साबित-क़दम रहे। पहले पहल सब्क़त करने वाले मुहाजिर और अंसार दोनों क़िब्लों की तरफ़ नमाज़ पढ़ने वाले हैं। चुनाँचे ऊपर हदीस बयान हो चुकी कि किस तरह वह नमाज़ पढ़ते हुए यह ख़बर सुनकर घूम गए। सहीह मुस्लिम में रिवायत है कि रुकूअ की हालत में थे, उसी में कअबा की तरफ़ फिर गए। (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब तहवीलुल् क़िब्लति...: 527) जिससे उनकी कमाले इताअत और आ'ला दर्जा की फ़र्मांबरदारी साबित हुई।

अल्लाह तआला अपने बन्दों पर बहुत शफ़ीक़ व मेहरबान है : फिर इर्शाद होता है कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया न करेगा, या'नी तुम्हारी बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ पढ़ी हुई नमाज़ें रद्द नहीं होंगी। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं बल्कि उनकी आ'ला ईमानदारी साबित हुई। उन्हें दो क़िब्लों की तरफ़ नमाज़ पढ़ने का सवाब अता होगा। यह मतलब भी बयान किया गया है कि अल्लाह तआला मुहम्मद (ﷺ) को और उनके साथ तुम्हारे घूम जाने को ज़ाया न करेगा। फिर इर्शाद होता है कि अल्लाह रऊफ़ुर्रहीम है। (सहीह बुख़ारी, किताबलु अदब, बाब रहमतुल वलद व तक़्बीलुहू व मुआनक़तुहू : 5999; सहीह मुस्लिम : 2754)

सहीह हदीस में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक क़ैदी औरत को देखा, जिससे उसका बच्चा छूट गया था वह अपने बच्चे को पागलों की तरह तलाश कर रही थी और जब वह नहीं मिलता तो क़ैदियों में से जिस बच्चा को देखती उसी को गले लगा लेती, यहाँ तक कि उसका अपना बच्चा मिल गया। ख़ुशी-ख़ुशी से लपककर उसे गोद में उठा लिया, सीने से लगाकर प्यार किया और उसके मुँह में दूध दिया। यह देखकर हुज़ूर (ﷺ) ने सहाबा (ﷺ) से फ़र्माया, बताओ तो क्या यह अपना बस चलते हुए इस बच्चे को आग में डाल देगी? लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हर्गिज़ नहीं! आपने फ़र्माया, ''अल्लाह की क़सम! जिस क़द्र यह माँ अपने बच्चे पर मेहरबान है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह तआला अपने बन्दों पर रऊफ़ुर्रहीम है।''

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾

तर्जुमा : ''हमने तेरे चेहरे का आसमान की तरफ़ फिरना देखा, अब हम तुझे इस क़िब्ले की जानिब मुतवज्जह करेंगे जिससे तू ख़ुश हो जाए, तू अपना चेहरा मस्जिदे-हराम की तरफ़ फेर ले और तुम जहाँ कहीं हो, अपना चेहरा उसी तरफ़ फेरा करो। अहले-किताब को उसके अल्लाह की तरफ़ से और हक़ होने का क़त्ई इल्म है। और अल्लाह तआला उन आ'माल से ग़ाफ़िल नहीं, जो यह करते हैं।''(144)

क़िब्ला इब्राहीमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की चाहत थी (आयत 144) : हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का बयान है कि क़ुरआन में पहला नस्ख़े हुक्म क़िब्ला का है। हुज़ूर (ﷺ) ने मदीना की तरफ़ हिज्रत की। यहाँ के अक्सर बाशिन्दे यहूद थे। अल्लाह तआला ने आपको बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया। यहूद इससे बहुत ख़ुश हुए। आप कई माह तक उसी तरफ़ नमाज़ पढ़ते रहे लेकिन ख़ुद आपकी चाहत क़िब्ला इब्राहीमी थी। आप अल्लाह से दुआएँ मांगा करते थे और निगाहें आसमान की तरफ़ उठाया करते थे। बिल आख़िर आयत (قَدْ نَرٰى) अल्ख़ नाज़िल हुई। इस पर यहूद कहने लगे कि इस क़िब्ला से यह क्यूँ हट गए? जिसके जवाब में कहा गया कि मश्रिक़ व मग़्रिब का मालिक अल्लाह तआला ही है। और फ़र्माया, जिधर तुम्हारा चेहरा हो, उधर ही अल्लाह का चेहरा है और फ़र्माया कि पहला क़िब्ला बतौर इम्तिहान के था। (इब्ने अबी हातिम : 1/103) और रिवायत में है कि हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ के बाद अपना सर आसमान की तरफ़ उठाए हुए थे, उस पर यह आयत उतरी और हुक्म हुआ कि मस्जिदे-हराम की तरफ़ का'बा की तरफ़ मीज़ाब की तरफ़ चेहरा करो। जिब्राईल (عليه السلام) ने इमामत कराई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) ने मस्जिदे हराम में मीज़ाब के सामने बैठे हुए इस आयते-मुबारका की तिलावत की और फ़र्माया, मीज़ाब का'बा के रुख़ करने का हुक्म है। (हाकिम : 2/269) इमाम शाफ़ई (रह.) का भी एक क़ौल यह है कि ऐ'न का'बा की तरफ़ तवज्जह मक़्सूद है और दूसरा क़ौल आपका यह है कि सिम्त का'बा की होना काफ़ी है। और यही मज़हब अकसर अइम्म-ए-किराम का है। हज़रत अली (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, मुराद उसकी तरफ़ है। अबुल आलिया, मुजाहिद, इक्रिमा, सईद बिन जुबैर, क़तादा, रबीअ बिन अनस (रह.) वग़ैरह का भी यही क़ौल है। (इब्ने अबी हातिम : 1/107-109) एक हदीस में यह भी है कि मश्रिक़ और मग़्रिब के दरम्यान क़िब्ला है। (तिर्मिज़ी, किताबुस् सलात, बाब मा जाअ अन बैनिल मश्रिक़ि वल मग़्रिबि क़िब्ला : 344; व हुव सहीह; इब्ने माजा : 1011; नसाई : 2245; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे बिश्शवाहिद सहीह क़रार दिया है। देखिए (इरवाउ : 292)

इब्ने जुरैज में हदीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि बैतुल्लाह क़िब्ला है मस्जिदे-हराम वालों का और मस्जिद क़िब्ला है अहले-हरम का और हरम क़िब्ला है तमाम ज़मीन वालों का, ख़्वाह मश्रिक़ में हों या मग़रिब में। मेरी तमाम उम्मत का क़िब्ला यही है। (क़ुर्तुबी : 2/159; बैहक़ी : 2/9, 10; वक़ाल तफ़र्रद बिही उमर बिन हफ़्स अल् मक्की वहुव ज़ईफ़ ला युहतज्जु बिही) अबू नुएम में ब-रिवायत बराअ (رضی اللہ عنہ) मरवी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने सौलह-सतरह महीने तक तो बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ नमाज़ पढ़ी लेकिन आपको पसंद यह अम्र था कि बैतुल्लाह की तरफ़ पढ़ें, चुनाँचे अल्लाह के हुक्म से आपने बैतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह होकर अ़सर की नमाज़ अदा की। फिर नमाज़ियों में से एक शख़्स मस्जिद वालों के पास गया, वह रुकूअ में थे, उसने कहा, मैं हल्फ़िया गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मक्का शरीफ़ की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ अदा की। यह सुनकर वह जिस हालत में थे, उसी हालत में बैतुल्लाह की तरफ़ फिर गए। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब : 12; ह : 4486) अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में भी यह रिवायत क़द्रे इज़ाफ़े के साथ मरवी है। (अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ फ़ित्तफ़्सीर : 112; सहीह़ बुख़ारी : 399) नसाई में अबू सईद बिन मुअ़ल्ला से मरवी है कि हम सुबह़ के वक़्त मस्जिदे-नबवी में हुज़ूर (ﷺ) के ज़माने में जाया करते थे और वहाँ कुछ नवाफ़िल पढ़ा करते थे। एक दिन हम गए तो देखा कि नबी (ﷺ) मिम्बर पर बैठे हुए हैं। मैंने कहा, आज कोई नई बात ज़रूर हुई है। मैं भी बैठ गया तो हुज़ूर (ﷺ) ने यह आयत (قَدْ نَرٰى) अल्ख़ तिलावत फ़र्माई। मैंने अपने साथी से कहा, आओ! नबी (ﷺ) फ़ारिग़ हों उससे पहले ही हम इस नये हुक्म में ता'मील करें और अव्वल फ़र्मांबरदार बन जाएँ। चुनाँचे हम एक तरफ़ हो गए और सबसे पहले बैतुल्लाह की तरफ़ नमाज़ पढ़ी। फिर हुज़ूर (ﷺ) भी मिम्बर से उतर आए और उस क़िब्ला की तरफ़ पहली नमाज़े जुहर अदा की गयी। (सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11004; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 2/12; इसकी सनद में मरवान बिन उ़स्मान ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/92; रक़म : 8433) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।)

इब्ने मर्दवे में बरिवायत इब्ने उ़मर (رضی اللہ عنہ) मरवी है कि पहली नमाज़ जो हुज़ूर (ﷺ) ने का'बा की तरफ़ अदा की वह जुहर की नमाज़ है और यही नमाज़ सलाते-वुस्ता है। लेकिन मशहूर यह है कि पहली नमाज़ का'बा की तरफ़ अ़सर की अदा हुई, इसी वजह से अहले-क़ुबा को दूसरे दिन सुबह़ के वक़्त इत्तिलाअ़ पहुँची। इब्ने मर्दवे में बरिवायत नुवेला बिन्ते मस्लमा (رضی اللہ عنہا) मौजूद है कि हम मस्जिदे बनू हारिसा में जुहर या अ़सर की नमाज़ बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ चेहरा किए हुए अदा कर रहे थे और कुछ रकअ़त पढ़ चुके थे कि किसी ने आकर क़िब्ला के बदल जाने की ख़बर दी। चुनाँचे हम नमाज़ ही में बैतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह हो गए और बाक़ी नमाज़ उसी तरफ़ अदा की। उस घूमने में मर्द औरतों की जगह और औरतें मर्दों की जगह आ गईं। आपके पास जब यह ख़बर पहुँची तो ख़ुश होकर फ़र्माया, यह हैं ईमान बिल ग़ैब रखने वाले। (तबरानी : 24/530; यह रिवायत मरफ़ूअ़ है। इसका रावी इस्हाक़ बिन इदरीस अल्इसवारी अल बसरी कज़्ज़ाब है, देखिए तारीख़ इब्ने मुईन रिवायतुद् दौरी : 4677) इब्ने मर्दवे में बरिवायत अ़म्मरा बिन ओस (रज़ि.) मरवी है कि रुकूअ़ की हालत में हमें ख़बर मिली और हम सब मर्द औरत बच्चे उसी हालत में इस क़िब्ला की तरफ़ घूम गए। (मुस्नद अबू या'ला : 1509; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 2/13; इसकी सनद क़ैस बिन रबीअ़ की वजह से ज़ईफ़ है।)

मुसाफ़िर, ला इल्म और मुजाहिद का क़िब्ला रुख़ होना : फिर इर्शाद होता है, "तुम जहाँ भी हो, मश्रिक़ व मग़्रिब, शिमाल व जुनूब में नमाज़ के वक़्त चेहरा का'बा की त़रफ़ करो।" हाँ! अल्बत्ता सफ़र में सवारी पर नफ़िल पढ़ने वाला जिधर सवारी जा रही हो उधर ही नफ़िल अदा करे, उसके दिल की तवज्जह का'बा की त़रफ़ होना काफ़ी है। इसी त़रह़ मैदाने जंग में नमाज़ पढ़ने वाला जिस त़रह़ और जिस त़रफ़ हो सके, नमाज़ अदा कर ले और इसी त़रह़ वह शख़्स जिसे क़िब्ला की सिम्त का क़त़ई इल्म नहीं, और वह अंदाज़ा से जिस त़रफ़ ज़्यादा दिल झुके, नमाज़ अदा कर ले। फिर गो उसकी नमाज़ फ़िल्वाक़ेअ क़िब्ला की त़रफ़ न भी हुई हो तो भी वह अल्लाह के यहाँ मुआफ़ है।

नमाज़ की ह़ालत में नज़र कहाँ रखें? मालिकिया ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि नमाज़ी ह़ालते नमाज़ में अपने सामने अपनी नज़रें रखे न कि सज्दे की जगह, जैसे शाफ़ई, अह़मद और अबू ह़नीफ़ा (रह़.) का मज़हब है, इसलिए कि आयत के अल्फ़ाज़ यह हैं कि चेहरा मस्जिदे-ह़राम की त़रफ़ करो और अगर सज्दे की जगह नज़र जमाना चाहेगा तो क़द्रे झुकना पड़ेगा और यह तकल्लुफ़ कमाले ख़ुशूअ के ख़िलाफ़ होगा। कुछ मालिकिया का यह क़ौल भी है कि क़याम की ह़ालत में अपने सीने की त़रफ़ नज़र रखे।

क़ाज़ी शुरैह़ कहते हैं कि क़याम के वक़्त सज्दे की जगह नज़र रखे, जैसे कि जुम्हूर-उ़लमा का क़ौल है, इसलिए कि यह पूरा-पूरा ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ है और एक ह़दीस भी इस मज़मून की आई है। और रुकूअ की ह़ालत में अपने क़दमों की जगह पर नज़र रखे और सज्दे के वक़्त नाक की जगह और अत्तह़िय्यात के वक़्त अपनी गोद की त़रफ़। फिर इर्शाद होता है कि यहूदी जो चाहें बातें बनाएँ लेकिन उनके दिल जानते हैं कि क़िब्ला की तब्दीली अल्लाह की जानिब से है और बरह़क़ है क्योंकि यह ख़ुद उनकी किताबों में भी मौजूद है। लेकिन यह लोग कुफ़्र व इ़नाद और तकब्बुर व ह़सद की वजह से इसे छुपाते हैं। मगर अल्लाह भी उनकी इन करतूतों से बेख़बर नहीं।

ह़क़ छोड़कर बात़िल की पैरवी करना ज़ुल्म है : यहूदियों के कुफ़्र व इ़नाद और मुख़ालिफ़त और सरकशी का बयान हो रहा है कि बावजूद यह कि शाने-रसूल (ﷺ) का उन्हें इल्म है लेकिन फिर भी यह ह़ालत है कि हर क़िस्म की दलीलें पेश हो चुकने के बाद भी ह़क़ की पैरवी नहीं करते। जैसे और जगह है إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (10/यूनुस : 96, 97) या'नी "जिन लोगों पर तेरे रब की बात साबित हो चुकी है, वह ईमान न लायेंगे गो उनके पास तमाम आयात आ जाएँ यहाँ तक कि दर्दनाक अ़ज़ाब न देख लें।" फिर अपने नबी की इस्तिक़ामत बयान फ़र्माता है कि जिस त़रह़ वह नाह़क़ पर अड़े हुए हैं और वहाँ से हटना नहीं चाहते तो वह भी समझ लें कि हमारे नबी ऐसे नहीं कि इनकी बातों में आ जाएँ और उनकी राह लग जाएँ, वह हमारे ताबे' फ़र्मान और हमारी मर्ज़ी के आमिल हैं, वह उनकी बात़िल ख़्वाहिश की ताबे'दारी हर्गिज़ नहीं करेंगे, न उनसे यह हो सकता है कि हमारा हुक्म आ जाने के बाद उनके क़िब्ले की त़रफ़ तवज्जह करें। फिर अपने नबी (ﷺ) को ख़िताब करके दरअस़ल उ़लमा को धमकाया गया कि ह़क़ के वाज़ेह़ हो जाने के बाद किसी के पीछे लग जाना और अपनी या दूसरो की ख़्वाहिश परस्ती करना यह स़रीह़ ज़ुल्म है।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ
قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ
كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾
الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

तर्जुमा : ''तू अगरचे अहले किताब को तमाम दलीलें दे दे लेकिन वह तेरे क़िब्ला की पैरवी नहीं करेंगे और न तू उनके क़िब्ले का मानने वाला है, और न यह आपस में एक दूसरे के क़िब्ले को मानने वाले हैं और अगर तू बावजूद यह कि तेरे पास इल्म आ चुका फिर भी उनकी ख़्वाहिशों के पीछे लग जाए, तो बिल यक़ीन तू भी ज़ालिमों में से है। (145) जिन्हें हमने किताब दी है वह तो उसे ऐसा पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने, उनकी एक जमाअ़त हक़ को पहचानकर फिर छुपाती है। (146) तेरे रब की तरफ़ से यह सरासर हक़ है, ख़बरदार! तू शक वालो में से न होना।'' (147)

हक़ और यहूदी उ़लमा का किरदार (आयत 145-147) : इर्शाद होता है कि उ़लम-ए-अहले-किताब रसूलुल्लाह (ﷺ) की लाई हुई बातों की हक़्क़ानियत को इस तरह जानते हैं जिस तरह बाप अपने बेटों को पहचाने। यह एक मिसाल थी जो कामिल यक़ीन के वक़्त अरब बोला करते थे। एक हदीस में है एक शख़्स के साथ एक छोटा बच्चा था, आपने उससे पूछा, यह तेरा लड़का है? उसने कहा, हाँ! हुज़ूर (ﷺ)! आप भी गवाह रहिए। आपने फ़र्माया, न यह तुझ पर पोशीदा रहे न तू इस पर। (अबूदाऊद, किताबुत्तर्जुल, बाब फ़िल ख़िज़ाबः4208; नसाईः4836; मुस्नद हुमैदी बि तहक़ीक़ीः868; व सनदुहू सहीह)

कुर्तुबी (रह.) कहते हैं, एक मर्तबा हज़रत उ़मर फ़ारूक़ (رضی اللہ عنہ) ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (رضی اللہ عنہ) से जो यहूदियों के ज़बरदस्त आलिम थे, पूछा क्या तू हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को ऐसा ही जानता है जिस तरह अपनी औलाद को पहचानता है? जवाब दिया, हाँ! बल्कि उससे भी ज़्यादा इसलिए कि आसमानों का अमीन फ़रिश्ता ज़मीन के अमीन शख़्स पर नाज़िल हुआ और उसने आपकी सहीह ता'रीफ़ बता दी, या'नी हज़रत जिब्राईल (علیہ السلام), हज़रत ईसा (علیہ السلام) के पास आए और फिर परवरदिगारे-आ़लम ने आपकी सिफ़्तें बयान कीं, जो सबकी सब आप में मौजूद हैं, फिर हमें आपके नबी बरहक़ होने में क्या शक रहा? हम आपको बेक निगाह क्यूँ न पहचान लें? बल्कि हमें अपनी औलाद के बारे में शक है और आपकी नबुव्वत में कुछ शक नहीं। (कुर्तुबी : 2/163) ग़र्ज़ यह है कि जिस तरह लोगों के एक बड़े मज्मअ़ में एक शख़्स अपने लड़के को पहचान लेता है उसी तरह हुज़ूर (ﷺ) के औसाफ़ (ख़ूबियाँ) जो अहले-किताब की आसमानी किताबों में हैं, वह आप में इस तरह नुमायाँ हैं कि एक नज़र में हर शख़्स आपको जान जाता है। फिर फ़र्माया कि बावजूद उस इल्मे हक़ के फिर भी यह लोग इसे छुपाते हैं। फिर अपने नबी और मुसलमानों को साबित क़दमी का हुक्म दिया कि, ख़बरदार! तुम हर्गिज़ हक़ के हक़ होने में शक न करना।

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ
جَمِيْعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ
حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا
وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٠﴾

तर्जुमा : ''हर शख़्स एक न एक तरफ़ मुतवज्जह हो रहा है, तुम नेकियों की तरफ़ दौड़ो। जहाँ कहीं भी तुम रहोगे, अल्लाह तुम्हें ले आएगा। अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है। (148) तू जहाँ से निकले, अपना चेहरा मस्जिदे-हराम की तरफ़ कर लिया कर, यही हक़ है और तेरे रब का हुक्म है, जो कुछ तुम कर रहे हो, उससे अल्लाह तआला बेख़बर नहीं। (149) और जिस जगह से तू निकले अपना चेहरा मस्जिदे-हराम की तरफ़ फेर ले, और जहाँ कहीं तुम होओ अपने चेहरे उसी तरफ़ किया करो ताकि लोगों की कोई हुज्जत तुम पर बाक़ी न रह जाए सिवाए उन लोगों के जिन्होंने उनमें से ज़ुल्म किया है, तुम उनसे न डरो और मुझसे डरते रहो और ताकि मैं अपनी ने'मत तुम पर पूरी करूँ और इसलिए भी कि तुम राहे-रास्त पाओ।'' (150)

हिदायत वाला क़िब्ला (आयत 148-150) : हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, मतलब यह है कि हर मज़हब वालों का एक क़िब्ला है लेकिन सच्चा क़िब्ला वह है जिस पर मुसलमान हैं। (तब्री : 3/193) अबुल आलिया (रह.) का क़ौल है कि यहूद का क़िब्ला है, नसरानियों का भी क़िब्ला है और तुम्हारा भी क़िब्ला है लेकिन हिदायत वाला क़िब्ला वही है जिस पर ऐ मुसलमानों! तुम हो। (इब्ने अबी हातिम : 1/121) मुजाहिद (रह.) से यह भी मरवी है कि हर एक वह क़ौम जो का'बा को क़िब्ला मानती है वह भलाईयों में सब्क़त करे। मुवल्लीहा की दूसरी क़िराअत मुवल्लाहा है, जैसे और जगह है (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً) (5/माइदा : 48) या'नी हर शख़्स को अपने-अपने क़िब्ला की पड़ी हुई है। हर शख़्स अपनी-अपनी राह लगा हुआ है। फ़र्माया कि गो तुम्हारे जिस्म और बदन मुख़्तलिफ़ हो जाएँ। गो तुम इधर-उधर बिखर जाओ लेकिन अल्लाह तुम्हें अपनी क़ुदरते-कामिला से इसी ज़मीन से जमा कर लेगा।

यहूदियों के बेजा ऐ'तिराज़ात की परवाह न कर : यह तीसरी मर्तबा हुक्म हो रहा है कि रूए-ज़मीन के मुसलमानों को नमाज़ के वक़्त मस्जिदे-हराम की तरफ़ चेहरा करना चाहिए। तीन मर्तबा ताकीद इसलिए की गई कि यह तब्दीली का हुक्म पहली ही बार वाक़ेअ हुआ था। फ़ख़्रुद्दीन राज़ी ने इसकी यह वजह बयान की है कि पहला हुक्म तो उनके लिए है जो का'बा को देख रहे हैं। दूसरा हुक्म उनके लिए है जो मक्का में है लेकिन कअ़बा उनकेसामने नहीं। तीसरी बार उन्हें हुक्म दिया जो मक्का के बाहर रूए-ज़मीन पर हैं। कुर्तुबी (रह.) ने एक तौजीह यह भी बयान की है कि पहला हुक्म मक्का वालों के लिए है, दूसरा शहर वालों के लिए, तीसरा मुसाफ़िरों के लिए। कुछ कहते हैं तीनों अहकामात का ता'ल्लुक़ अगली-पिछली इबारत से है। पहले हुक्म में तो आँहुज़ूर (ﷺ) की तलब का और फिर उसकी क़बूलियत का ज़िक्र है और दूसरे हुक्म में इस बात का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) की यह चाहत भी हमारी चाहत के मुताबिक़ थी और हक़्क़े अम्र यही था और तीसरे हुक्म में यहूदियों की हुज्जत का जवाब है कि उनकी किताबों में पहले से मौजूद था कि आपका क़िब्ला का'बा होगा तो इस हुक्म से वह पेशगोई भी पूरी हुई, साथ ही मुश्रिकीन की हुज्जत भी ख़त्म हुई कि वह का'बा को मुतबर्रक व मुशर्रफ़ मानते थे और अब हुज़ूर (ﷺ) की तवज्जह भी इसी की तरफ़ हो गई। राज़ी वग़ैरह ने इस हुक्म को बार-बार लाने की हिक्मतों को तफ़्सील से बयान किया है, वल्लाहु आ'लम! फिर फ़र्माता है कि अहले-किताब को कोई हुज्जत तुम पर बाक़ी न रहे, वह जानते थे कि इस उम्मत की सिफ़त का'बा की तरफ़ नमाज़ पढ़ना है। जब वह यह सिफ़त न पायेंगे तो उन्हें शक की गुंजाईश हो सकती है लेकिन जब उन्होंने इस क़िब्ला की तरफ़ फिरते हुए आपको देख लिया तो अब उन्हें किसी तरह का शक न रहना चाहिए। और यह बात भी है कि जब वह तुम्हें अपने क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ पढ़ते हुए देखेंगे तो उनके हाथ एक बहाना लग जाएगा लेकिन जब तुम इब्राहीमी क़िब्ले की तरफ़ मुतवज्जह हो जाओगे तो वह ख़ाली हाथ रह जायेंगे। हज़रत अबुल आ़लिया (रह.) फ़र्माते हैं, यहूद की यह हुज्जत थी कि आज यह हमारे क़िब्ले की तरफ़ पलटे हैं, कल हमारा मज़हब भी मान लेंगे लेकिन जब आपने अल्लाह के हुक्म से असली क़िब्ला इख़्तियार कर लिया तो उनकी इस हवस पर पानी पड़ गया।

फिर फ़र्माया, मगर जो इनमें ज़ालिम और हुज्जत बाज़ मुश्रिकीन ए'तिराज़न कहते थे कि यह शख़्स मिल्लते इब्राहीमी पर होने का दा'वा करता है लेकिन इब्राहीमी क़िब्ला की तरफ़ नमाज़ नहीं पढ़ता तो गोया उन्हें जवाब मिल गया कि यह नबी हमारे अहकाम का मुत्तबेअ है। पहले हमने अपने कमाले-हिक्मत से अपने बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ चेहरा करने का हुक्म दिया जिसे यह बजा लाए फिर इब्राहीमी क़िब्ले की तरफ़ फिर जाने को कहा, जिसे जान व दिल से बजा लाए। पस आप हर हाल में हमारे अहकाम के मातहत हैं (सल्लल्लाहु अ़लैहि व अस्हाबिही व अत्बाइही व सल्लिम) फिर फ़र्माया, इन ज़ालिमों के शुबा डालने से तुम शक में न पड़ो। इन बाग़ियों की सरकशी से तुम ख़ौफ़ न करो, इनके बेजा ए'तिराज़ात की मुत्लक़ परवाह न करो, हाँ! मेरी ज़ात से ख़ौफ़ किया करो, सिर्फ़ मुझ ही से डरते रहा करो। क़िब्ला बदलने में जहाँ यह मस्लिहत थी कि लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाएँ वहाँ यह भी बात थी कि मैं चाहता था कि अपनी ने'मत तुम पर पूरी कर दूँ, और क़िब्ला की तरह तुम्हारी हर शरीअ़त कामिल कर दूँ, और तुम्हारे दीन को हर तरह मुकम्मल कर दूँ। और इसमें यह एक राज़ भी था कि जिस क़िब्ला से अगली उम्मतें बहक गई, तुम उससे न हटो। हमने इस क़िब्ले की ख़ुसूसियत के साथ तुम्हें अ़ता फ़र्माकर तुम्हारा शर्फ़ और तुम्हारी फ़ज़ीलत व बुज़ुर्गी तमाम उम्मतों पर साबित कर दी।

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ
وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

तर्जुमा :"जिस तरह हमने तुममें तुम ही में से रसूल भेजा जो हमारी आयात तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिक्मत और वह चीज़ें सिखाता है जिनसे तुम बेइल्म थे। (151) पस तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा, मेरी शुक्रगुज़ारी करो और नाशुक्री से बचो।" (152)

इंसानियत पर बेश बहा ने'मत का ज़िक्र (आयत 151, 152) : यहाँ अल्लाह तआला अपनी बहुत बड़ी ने'मत का ज़िक्र फ़र्मा रहा है कि उसने हममें हमारी जिंस का एक नबी मब्ऊस फ़र्माया, जो अल्लाह तआला की रोशन और नूरानी किताब की आयतें हमारे सामने तिलावत फ़र्माता है और रज़ील आदतों और नफ़्स की शरारतों और जाहिलियत के कामों से हमें रोकता है और ज़ुल्मते कुफ़्र से निकालकर नूरे ईमान की तरफ़ रहबरी करता है और किताब व हिक्मत या'नी कुरआन व हदीस हमें सिखाता है और वह वह राज़ हम पर खोलता है जो आज तक हम पर नहीं खुले थे। पस आपकी वजह से वहलोग जिन पर सदियों से जिहालत छायी हुई थी, जिन्हें सदियों से तारीकी ने घेर रखा था, जिन पर मुद्दतों से भलाई का पर तो भी नहीं पड़ा था, वह दुनिया की ज़बरदस्त हस्तियों के उस्ताद बन गए। वह इल्म में गहरे, तकल्लुफ़ मे थोड़े, दिलों के पाक और ज़ुबान के सच्चे बन गए। दुनिया की हालत का यह इंक़िलाब बजाए ख़ुद हुज़ूर (ﷺ) की रिसालत की तस्दीक़ का एक शाहिदे अद्ल है। और जगह इर्शाद है (لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ) (3/आले इमरान : 164) या'नी ऐसे ऊलुल अज़्म पैग़म्बर की बिअसत मो'मिनों पर अल्लाह का एक ज़बरदस्त एहसान है। इस ने'मत की क़द्र न करने वालों को कुरआन कहता है (اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا) (14/इब्राहीम : 28) क्या तू उन्हें नहीं देखता जिन्होंने अल्लाह की इस ने'मत के बदले कुफ़्र किया और अपनी क़ौम को हलाकत के गढ़े मेंडाला। यहाँ अल्लाह तआला की ने'मत से मुराद हज़रत मुहम्मद(ﷺ) हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब क़त्लु अबी जहल : 3977) इसीलिए इस आयत में भी अपनी ने'मत का ज़िक्र फ़र्माकर लोगों को अपनी याद और अपने शुक्र का हुक्म दिया कि जिस तरह मैंने यह एहसान तुम पर किया, तुम भी मेरे ज़िक्र और मेरे शुक्र से ग़फ़लत न करो। मूसा (अ.) रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह! तेरा शुक्र किस तरह

अदा करूँ। इर्शाद होता है, मुझे याद रख, भूल नहीं। याद रखना शुक्र है और भूलना कुफ़्र है। ह़सन बस़री (रह़.) वग़ैरह का क़ौल है कि जो शख़्स़ अल्लाह को याद करे, अल्लाह भी उसे याद करता है और जो उसका शुक्र करे उसको वह ज़्यादा देता है और नाशुक्रे को अ़ज़ाब करता है। बुज़ुर्ग सलफ़ से मरवी है कि अल्लाह से पूरा डरना यह है कि उसकी इताअ़त की जाए, नाफ़र्मानी न की जाए, उसका ज़िक्र किया जाए, ग़फ़्लत न बरती जाए। उसका शुक्र किया जाए, नाशुक्री न की जाए। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से सवाल होता है कि क्या ज़ानी, शराबी, चोर और क़ातिले नफ़्स को भी अल्लाह याद करता है? फ़र्माया, हाँ! बुराई से ह़सन बस़री (रह़.) फ़र्माते हैं, मुझे याद करो, या'नी मेरे ज़रूरी अह़काम बजा लाओ, मैं तुम्हें याद करूँगा या'नी अपनी ने'मतें अ़ता फ़र्माऊँगा। सईद बिन जुबैर (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, मैं तुम्हें बख़्श दूँगा और अपनी रह़मतें तुम पर नाज़िल करूँगा।

ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि अल्लाह को याद करना बहुत बड़ी चीज़ है। एक ह़दीसे क़ुदसी में है कि "जो मुझे अपने दिल में याद करता है मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ जो मुझे किसी जमाअ़त में याद करता है मैं भी उससे बेहतर जमाअ़त में याद करता हूँ। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तौह़ीद, बाब 15; ह़ : 7405; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2675) मुस्नद अह़मद में है कि वह जमाअ़त फ़रिश्तों की है जो शख़्स़ मेरी त़रफ़ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं उसकी त़रफ़ एक हाथ बढ़ता हूँ और अगर तू ऐ बनी आदम! मेरी त़रफ़ एक हाथ बढ़ेगा तो मैं तेरी त़रफ़ दो हाथ बढ़ूँगा, अगर तू मेरी त़रफ़ चलता हुआ आएगा, तो मैं तेरी त़रफ़ दौड़ता हुआ आऊँगा।" स़ह़ीह़ बुख़ारी में भी यह ह़दीस है।(अह़मद : 3/138; स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तौह़ीद, बाब ज़िक्रुन्नबी ...... : 7536; मुख़्तस़र)

ह़ज़रत क़तादा (रह़.) फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआ़ला की रह़मत उससे भी ज़्यादा क़रीब है। फिर फ़र्माया मेरा शुक्र करो, नाशुक्री न करो। और जगह है (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) (14/इब्राहीम : 7) या'नी "तेरे रब की त़रफ़ से यह ऐ'लान है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें बरकत दूँगा और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो, मेरा अ़ज़ाब सख़्त है।" मुस्नद अह़मद में है कि इमरान बिन ह़ुसैन (रह़.) एक मर्तबा निहायत क़ीमती ह़ुल्ला पहने हुए आए और फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला जब किसी पर इन्आ़म करता है तो उसका असर उस पर देखना चाहता है।" (अह़मद : 4/438; व सनद स़ह़ीह़)

......

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَا
تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

तर्जुमा : " ऐ ईमानवालों! सब्र और नमाज़ के साथ मदद चाहो, अल्लाह तआला सब्र वालों का साथ देता है। (153) और अल्लाह की राह के शहीदों को मुर्दा न कहो, वह ज़िन्दा हैं लेकिन तुम नहीं समझते।" (154)

बेहतरीन वसीला, सब्र और नमाज़ है (आयत : 153, 154) : शुक्र के बाद सब्र का बयान हो रहा है और साथ ही नमाज़ का ज़िक्र करके उन बड़े-बड़े नेक कामोंको नजात का ज़रिया बनाने का हुक्म हो रहा है, ज़ाहिर बात है कि इंसान अगर भलाई करता होगा तो यह मौक़ा शुक्र है, अगर बुराई करता होगा तो यह मौक़ा सब्र है। हदीस में है, "मो'मिन की क्या ही अच्छी हालत है कि हर काम में उसके लिए सरासर भलाई ही भलाई है। उसे राहत मिलती है शुक्र करता है तो अज्र पाता है।" (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़हद, बाब अल्मो'मिन अम्रुहू कुल्लुहू ख़ैर : 2999) रंज पहुँचता है सब्र करता है तो अज्र पाता है।" आयत में इसका भी बयान होगा कि मुसीबतों पर तहम्मुल करे और उन्हें टालने का ज़रिया सब्र व सलात है। जैसे इससे पहले गुज़र चुका है कि وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ (2/बक़रह : 45) "सब्र और सलात के साथ इस्तिआनत चाहे, यह है तो अहम काम लेकिन रब का डर रखने वालों पर बहुत आसान है।" हदीस में है "जब कोई काम हुज़ूर (ﷺ) को ग़म में डाल देता तो आप नमाज़ शुरू कर देते" (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब वक़्तु क़यामिन नबी (ﷺ) मिनल्लैल : 1319; व सनदुहू ज़ईफ़ व हदीसु अहमद : 4/333) युम्नी अन्हू) सब्र की दो क़िस्में हैं, हराम और गुनाह के कामों के तर्क करने पर, इताअत और नेकी के कामों के करने पर। यह सब्र पहले सब्र से बड़ा है। तीसरी क़िस्म सब्र की मुसीबत दर्द और दुख पर, यह भी वाजिब है जैसे ऐ'बों से इस्तिग़फ़ार करना वाजिब है। हज़रत अब्दुर्रहमान (रह.) फ़र्माते हैं, अल्लाह तआला की फ़र्मांबरदारी में इस्तिलाल (मजबूती) से लगे रहना चाहिए, गो नफ़्स पर शाक़ गुज़रे, तबीअत के ख़िलाफ़ पड़े, जी न चाहे, एक सब्र तो यह है। दूसरा सब्र अल्लाह तआला की नापसंदीदा के कामों से रुक जाना है गो तब्ई मैलान उस तरह हो, ख़्वाहिशे नफ़्स उकसा रही हो। इमाम ज़ैनुल आ'बेदीन (रह.) फ़र्माते हैं, क़यामत के दिन एक मुनादी निदा करेगा कि सब्र करने वाले कहाँ हैं? वह बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएँ। कुछ लोग उठ खड़े होंगे और जन्नत की तरफ़ बढ़ेंगे। फ़रिश्ते उन्हें देखकर पूछेंगे कि, कहाँ जा रहे हो? यह कहेंगे, जन्नत में। वह कहेंगे, अभी तो हिसाब भी नहीं हुआ। कहेंगे, हाँ! हिसाब से भी पहले। पूछेंगे, आख़िर आप लोग कौन हैं? जवाब देंगे, हम साबिर लोग हैं, अल्लाह की फ़र्मांबरदारी में लगे रहे और उसकी नाफ़र्मानी से

बचते रहे, मरते दम तक इस पर और उस पर स़ब्र किया और जमे रहे। फ़रिश्ते कहेंगे, फिर तो ठीक है, बेशक तुम्हारा यही बदला है और इसी लायक़ तुम हो, जाओ जन्नत में मज़े करो, अच्छे काम वालों का अच्छा ही अंजाम है। यही क़ुरआन फ़र्माता है يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39/ज़ुमर : 10) स़ाबिरों को उनका पूरा-पूरा बदला बेह़िसाब दिया जाएगा। ह़ज़रत सईद बिन जुबैर (ﷺ) फ़र्माते हैं स़ब्र के मा'नी यह है कि अल्लाह की ने'मतों का इक़रार करे, और मुसीबतों का बदला अल्लाह के यहाँ मिलने का यक़ीन रखे, उन पर सवाब त़लब करे। हर घबराहट परेशानी और कठिन मौक़े पर इस्तिक़्लाल और नेकी की उम्मीद पर वह ख़ुश नज़र आए।

शुहदा की ज़िन्दगी : फिर फ़र्माया कि, शहीदों को मुर्दा न कहो, बल्कि वह ऐसी ज़िन्दगी में हैं, जिसे तुम नहीं समझ सकते। उन्हें ह़याते बरज़ख़ी ह़ासिल है और वहाँ वह रोज़ियाँ पा रहे हैं। स़ह़ीह़ मुस्लिम में है कि शहीदों की रूहें सब्ज़ रंग के परिन्दों के दिलों में हैं और जन्नत में जिस जगह चाहें चरती-चुगती फिरती हैं, फिर उन क़िंदीलों में आकर बैठ जाती हैं जो अ़र्श के नीचे लटक रही हैं। उनके रब ने एक मर्तबा उन्हें देखा और उनसे पूछा, कि अब तुम क्या चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, ऐ अल्लाह! हमें तो तूने वह दे रखा है जो किसी को नहीं दिया, फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? उनसे फिर यही सवाल होगा। जब उन्होंने देखा कि अब हमें नहीं छोड़ा जाता तो कहा, ऐ अल्लाह! हम चाहते हैं कि तू हमें दोबारा दुनिया में भेज, हम तेरी राह में फिर जंग करें, फिर शहीद होकर तेरे पास आएँ और शहादत का दुगुना अज्र पाएँ। रब जल्ल जलालुहू ने फ़र्माया, यह नहीं हो सकता, यह तो मैं लिख चुका हूँ कि कोई भी मरने के बाद दुनिया की त़रफ़ पलटकर नहीं जाएगा। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब बयानु अरवाहुश्शुहदा फ़िल जन्नति : 1887) मुस्नद अह़मद की एक और ह़दीस में है कि, ''मो'मिन की रूह़ एक परिन्दा है जो जन्नती दरख़्तों पर रहती है और क़यामत के दिन वह अपने जिस्म की त़रफ़ लौट आएगी।'' (अह़मद : 3/455; इब्ने माजा, किताबुज़्ज़ुहद, बाब ज़िक्रुल क़ब्र वल बला : 4271; वहुव स़ह़ीह़ बिशशवाहिद इन्द अह़मद (6/424, 425) वग़ैरह) इससे मा'लूम होता है कि हर मो'मिन की रूह़ वहाँ ज़िन्दा है लेकिन शहीदों की रूह़ को एक त़रह़ की शराफ़त, करामत, इ़ज़्ज़त और अ़ज़्मत ह़ासिल है।

.....

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ
إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾

तर्जुमा : "हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आज़माइश कर ही लिया करेंगे, दुश्मन के डर से भूख-प्यास से माल-जान और फलों की कमी से। सब्र करने वालों को ख़ुशख़बरी दे दे। (155) उन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो ख़ुद अल्लाह तआला की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ़ लौटने वाले हैं। (156) उन पर उनके रब की नवाज़िशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ़्ता हैं।" (157)

अल्लाह तआला अपने बन्दों को आज़माता है (आयत 155-157) : अल्लाह तआला फ़र्माता है कि वह अपने बन्दों की आज़माइश ज़रूर करलेता है, कभी तरक़्क़ी और भलाई से और कभी तनज़्ज़ुली और बुराई से। जैसे फ़र्माता है وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ (47/मुहम्मद : 31) "हम आज़माकर मुजाहिदों और सब्र करने वालों को मा'लूम कर लेंगे।" और जगह है فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ (16/नहल : 112) मतलब यह है कि थोड़ा सा डर कुछ भूख कुछ माल की कमी, कुछ जानों की" या'नी अपनों और ग़ैरों की ख़्वेश व अक़ारिब की मौत, कभी फलों और पैदावार के नुक़्सान वग़ैरह से अल्लाह तआला अपने बन्दों को आज़माता है और सब्र करने वालों को नेक अज्र और अच्छा बदला इनायत फ़र्माता है और बेसब्रे जल्दी बाज़ और नाउम्मीदी करने वालों पर उसके अज़ाब उतर आते हैं। कुछ सलफ़ से मंक़ूल है कि यहाँ डर से मुराद अल्लाह तआला का डर है। भूख से मुराद रोज़ों की भूख है। माल की कमी से मुराद ज़कात की अदायगी है। जान की कमी से मुराद बीमारियाँ हैं, फलों से मुराद औलाद है। लेकिन यह तफ़्सीर ज़रा ग़ौर-तलब है, वल्लाहु आ'लम!

साबिर कौन लोग हैं? अब बयान हो रहा है कि जिन सब्र करने वालों की अल्लाह के यहाँ क़द्र है, वह कौन लोग हैं? पस फ़र्माता है, यह वह लोग हैं जो तंगी और मुसीबत के वक़्त (इन्ना लिल्लाहि) अल्ख़ पढ़ लिया करते हैं और इस बात से अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते हैं कि हम अल्लाह की मिल्कियत हैं और जो हमें नुक़्सान पहुँचा है वह अल्लाह की तरफ़ से है और इनमें जिस तरह वह चाहे, तसर्रुफ़ करता रहता है। और फिर अल्लाह के यहाँ इसका बदला है, जहाँ बिल-आख़िर उन्हें जाना है। उनके इस क़ौल की वजह से अल्लाह की नवाज़िशें और अल्ताफ़ (मेहरबानियाँ) उन पर नाज़िल होती हैं, अज़ाब से नजात मिलती है और हिदायत भी नसीब होती है। अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं दो बराबर की चीज़ें सल्वात और रहमत और एक दरम्यान की चीज़ है, या'नी हिदायत, उन सब्र करने वालों को मिलती है।

मुसीबतज़दा की दुआ रद्द नहीं होती : मुस्नद अहमद में है हज़रत उम्मे-सलमा (ﷺ) फ़र्माती हैं, मेरे शौहर हज़रत अबू सलमा एक रोज़ मेरे पास हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत से होकर आए और ख़ुशी-ख़ुशी फ़र्माने लगे, आज तो मैंने एक ऐसी हदीस सुनी है कि मैं बहुत ही ख़ुश हुआ हूँ। वह हदीस यह है कि जिस किसी मुसलमान को कोई तक्लीफ़ पहुँचे और वह कहे (اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها) या'नी ऐ अल्लाह! मुझे इस मुसीबत में अज्र दे और मुझे इससे बेहतर बदला अ़ता फ़र्मा तो अल्लाह तआ़ला उसे अज्र और बदला ज़रूर ही देता है। हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) फ़र्माती हैं, मैंने इस दुआ को याद कर लिया।

जब हज़रत अबू सलमा का इंतिक़ाल हुआ तो मैंने (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजेऊन) पढ़कर फिर यह दुआ भी पढ़ ली लेकिन मुझे ख़्याल आया कि भला अबू सलमा (ﷺ) से बेहतर शख़्स मुझे कौन मिल सकता है? जब मेरी इद्दत गुज़र चुकी तो मैं एक दिन एक खाल को दबाग़त दे रही थी कि आँहज़रत (ﷺ) तशरीफ़ लाए और अंदर आने की इजाज़त तलब की। मैंने अपने हाथ धोए, खाल रख दी और हुज़ूर (ﷺ) से अंदर तशरीफ़ लाने की दरख़्वास्त की। और आपको एक गद्दी पर बिठाया। आपने मुझसे अपना निकाह करने की ख़्वाहिश ज़ाहिर की। मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! यह तो मेरी ख़ुश-क़िस्मती की बात है लेकिन अव्वल तो मैं बड़ी ग़ैरत वाली औरत हूँ। ऐसा न हो कि आपकी तबीअत के ख़िलाफ़ कोई बात मुझसे सरज़द हो जाए और अल्लाह के यहाँ अ़ज़ाब हो। दूसरे यह कि मैं उम्र रसीदा हूँ। तीसरे बाल बच्चों वाली हूँ। आपने फ़र्माया, "सुनो! ऐसी बेजा ग़ैरत अल्लाह तआ़ला तुम्हारी दूर कर देगा और उम्र के लिहाज़ से मैं भी छोटी उम्र का नहीं और तुम्हारे बाल बच्चे मेरे ही बाल बच्चे हैं।" मैंने यह सुनकर कहा, फिर हु ज़ूर! मुझे कोई उ़ज्र नहीं। चुनाँचे मेरा निकाह अल्लाह तआ़ला के नबी (ﷺ) से हो गया और मुझे अल्लाह तआ़ला ने उस दुआ की बरकत से मेरे मियाँ से बहुत ही बेहतर या'नी अपना रसूल अ़ता फ़र्माया। (अहमद : 4/27; व सनदुहू ज़ईफ़ व हदीस अबी दाऊद (3119) व मुस्लिम (918) युस्नी अ़न्हू) फ़ल्हम्दु लिल्लाह! सहीह मुस्लिम में भी यह हदीस बइख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ मरवी है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल जनाइज़, बाब मा युक़ालु अ़निल मुसीबत : 918)

मुस्नद अहमद में हज़रत अ़ली (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "जिस किसी मुसलमान को कोई रंज व मुसीबत पहुँचे, उस पर गो ज़्यादा वक़्त गुज़र जाए, फिर उसे याद आए और वह इन्ना लिल्लाहि पढ़े तो मुसीबत के सब्र के वक़्त जो अज्र मिला था वही अब भी मिलेगा।" (अहमद : 1/201; ह : 1736; इब्ने माजा : 1600 व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दन) इब्ने माजा मेंहै, हज़रत अबू सिनान (ﷺ) फ़र्माते हैं, मैंने अपने एक बच्चे को दफ़न किया। अभी उसकी क़ब्र में से निकला था कि अबू तलहा ख़ौलानी (ﷺ) ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सुनो! मैं तुम्हें एक ख़ुशख़बरी सुनाऊँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है कि "अल्लाह मलकुल मौत से पूछता है कि तूने मेरे बन्दे की आखों की ठण्डक और उसके कलेजे का टुकड़ा छीन लिया तो उसका रद्दे अ़मल क्या था? मलकुल मौत कहते हैं, ऐ अल्लाह! उसने तेरी ता'रीफ़ की और इन्नालिल्लाहि पढ़ा। अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि उसके लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो।" (अहमद : 4/415; तिर्मिज़ी, किताबुल जनाइज़, बाब फ़ज़्लुल मुसीबत इज़ा इहतसिब : 1021; व सनदुहू ज़ईफ़)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

तर्जुमा : "सफ़ा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं, बैतुल्लाह का हज्ज व उमरह करने वाले पर इनका तवाफ़ कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं और अपनी ख़ुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह क़द्रदान है और उन्हें ख़ूब जानने वाला है।" (158)

सफ़ा और मरवा की सई और उसका तरीक़ा (आयत 158) : हज़रत आइशा (ﷺ) से हज़रत उर्वा (ﷺ) दरयाफ़्त करते हैं कि इस आयत से तो ऐसा मा'लूम होता है कि तवाफ़ न करने में भी कोई हर्ज नहीं। आपने फ़र्माया, भतीजे! तुम सहीह नहीं समझे। अगर यह बयान मद्देनज़र होता तो (أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) होता। सुनो! आयते मुबारका का शाने नुज़ूल यह है कि मुशल्लल (एक जगह का नाम है) के पास मनात बुत था, इस्लाम से पहले अंसार उसे पूजते थे और जो उसके नाम लब्बेक पुकार लेता वह सफ़ा-मरवा के तवाफ़ में हर्ज समझता था। अब इस्लाम कुबूल करने के बाद अज़्इस्लाम उन लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से सफ़ा और मरवा के तवाफ़ के हर्ज के बारे में सवाल किया तो यह आयत उतरी कि इसमें कोई हर्ज नहीं। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने सफ़ा और मरवा का तवाफ़ किया, इसलिए मस्नून हो गया और किसी को हिम्मत न हुई कि इसे तर्क कर दे। (बुख़ारी व मुस्लिम) (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब वजूबुस्सफ़ा वल मरवति ...: 1643; सहीह मुस्लिम : 1277) अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान (रह.) ने जब यह रिवायत सुनी तो वह कहने लगे कि बेशक यह इल्मी बात है, मैं ने तो इससे पहले यह सुनी ही न थी। कुछ अहले इल्म फ़र्माया करते थे कि अंसार (ﷺ) ने कहा था कि हमें बैतुल्लाह का तवाफ़ का हुक्म है, सफ़ा और मरवा के तवाफ़ का नहीं। इस पर यह आयत उतरी। मुम्किन है इसके शाने नुज़ूल यह दोनों हों। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब बयानु अनिस्सई बैनस्सफ़ा वल मरवत रुक्न : 1277) हज़रत अनस (ﷺ) फ़र्माते हैं कि हम सफ़ा और मरवा के तवाफ़ को जाहिलियत का काम जानते थे, और इस्लाम की हालत में इससे बचते थे, यहाँ तक कि यह आयत नाज़िल हुई। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब क़ौलुहू तआला (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ) : 4496; मुस्लिम : 1278)

इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि उन दोनों पहाड़ियों के दरम्यान बहुत से बुत थे और शयातीन रात भर उसके दरम्यान घूमते रहते थे। इस्लाम के बाद लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से यहाँ के तवाफ़ की बाबत मसला पूछा, जिस पर यह आयत उतरी। (हाकिम : 2/271) उसाफ़ बुत सफ़ा पर था और नायला मरवा पर मुश्रिक लोग उन्हें छूते और चूमते थे। इस्लाम के बाद लोग उससे अलग हो गए लेकिन यह आयत उतरी जिससे यहाँ का तवाफ़ साबित हुआ। सीरत मुहम्मद बिन इस्हाक़ में है कि उसाफ़ और नायला दो मर्द-औरत थे। इन

बदकारों ने का'बा में ज़िना किया, अल्लाह ने इन्हें पत्थर बना दिया। क़ुरैश ने इन्हें का'बा के बाहर रख दिया ताकि इब्रत हो लेकिन कुछ ज़माने के बाद इनकी इबादत शुरू हो गयी और सफ़ा व मरवा पर लाकर नसब कर दिए गए और इनका तवाफ़ शुरू हो गया।

सहीह मुस्लिम की एक लम्बी हदीस में है कि रसूले करीम (ﷺ) जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कर चुके तो रुक्न को छोड़कर बाबुस्सफ़ा से निकले और यह आयत तिलावत फ़र्मा रहे थे। फिर फ़र्माया, ''मैं भी शुरू करूँगा, उससे जिससे अल्लाह तआला ने शुरू किया।'' एक रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तुम शुरू करो उससे जिससे अल्लाह ने शुरू किया।'' या'नी सफ़ा से चलकर मरवा जाओ। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब हज्जतुन् नबी : 1218) हज़रत हबीबा बिन्ते तुजज़ात (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आप सफ़ा-मरवा का तवाफ़ कर रहे थे। लोग आपके आगे-आगे थे और आप उनके पीछे थे। आप क़द्रे दौड़ लगा रहे थे और इसकी वजह से आपका तहबन्द आपके टख़्नों के दरम्यान इधर-उधर हो रहा था और ज़बाने-मुबारक से फ़र्माते जाते थे ''लोगों! दौड़कर चलो, अल्लाह तआला ने तुम पर सई लिख दी है।'' (मुस्नद अहमद) (अहमद : 6/2, 421; बैहक़ी : 5/97; व सनदुहू हसन; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे बिश्शवाहिद सहीह क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 1072) इसी की हम मा'नी एक और रिवायत भी है। (अहमद : 6/437; व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा : 2765; वहुव हसन) यह हदीस दलील है उन लोगों की जो सफ़ा और मरवा की सई को हज्ज का रुक्न जानते हैं। जैसे हज़रत इमाम शाफ़ई (रह.) और इनके मुवाफ़िक़ीन का मज़हब है। इमाम अहमद (रह.) से भी एक रिवायत इसी तरह की है। इमाम मालिक (रह.) का मशहूर मज़हब भी यही है। कुछ इसे वाजिब तो कहते हैं लेकिन हज्ज का रुक्न नहीं कहते, अगर अमदन (जाने) या सहवन (आनजाने) कोई शख़्स इसे छोड़ दे तो एक जानवर ज़िब्ह करना पड़ेगा। इमाम अहमद (रह.) से एक रिवायत इसी तरह मरवी है और एक और जमाअत भी यही कहती है। और एक क़ौल में यह मुस्तहब है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.), सौरी, शअबी, इब्ने सीरीन (रह.) यही कहते हैं। हज़रत अनस, इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنهم) से भी यही मरवी है। इमाम मालिक (रह.) से अतीबा में भी रिवायत है। इनकी दलील है (फ़मन) लेकिन पहला क़ौल ही ज़्यादा राजेह है क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ुद सफ़ा-मरवा का तवाफ़ किया और फ़र्माया, अहकामे-हज्ज मुझसे सीख लो। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब इस्तिहबाबु रमी हज्रतुल उक़्बा : 1297) पस आपने अपने उस हज्ज में जो कुछ किया है वह वाजिब हो गया, उसका करना ज़रूरी है। अगर कोई काम किसी ख़ास दलील से वजूब से हट जाए तो और बात है, वल्लाहु आ'लम!

इसके अलावा हदीस में आया है कि, ''अल्लाह तआला ने तुम पर सई लिख दी'' या'नी फ़र्ज़ कर दी। ग़र्ज यहाँ बयान हो रहा है कि सफ़ा और मरवा का तवाफ़ भी अल्लाह तआला के शरई अहकाम में से है जो हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) को बजाआवरी हज्ज के लिए सिखाया था। यह पहले बयान हो चुका है कि इसका असल सबब हज़रत हाजिरा (عليها السلام) का यहाँ सात फेरे करना है। जबकि हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) उन्हें उनके

छोटे बच्चे समेत यहाँ छोड़कर चले गए थे और उनके पास खाना पीना ख़त्म हो चुका था और बच्चे की जान पर आ बनी थी। तब माई साहिबा निहायत बेक़रारी, बेबसी, डर, ख़ौफ़ और इज़्तिराब के साथ उन पाक पहाड़ियों के बीच अपना दामन फैलाए अल्लाह से भीख मांगती फिर रही थीं। यहाँ तक कि आपका ग़म वहम, रंज व कर्ब, तक्लीफ़ व दुख दूर हुआ।

सई के दौरान : यहाँ तवाफ़ करने वाले हाजी को भी चाहिए कि निहायत ज़िल्लत व मस्कनत ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ से यहाँ तवाफ़ करे और अपनी फ़क़ीरी, हाजत और ज़िल्लत अल्लाह के सामने पेश करे और अपने दिल की सलाहियत और अपने हाल की हिदायत और अपने गुनाहों की बख़्शिश तलब करे और नक़ाइस और ऐ'बों से पाकीज़गी और नाफ़र्मानियों से नफ़रत चाहे और साबित क़दमी, नेकी, फ़लाह और बहबूदी की दुआ मांगे और अल्लाह तआला से अर्ज़ करे कि गुनाहों और बुराईयों की तंगी की राह से हटाकर कमाल व ग़ुफ़रान और नेकी की तौफ़ीक़ बख़्शे। जैसे कि हज़रत हाजिरा की तकालीफ़ को अल्लाह तआला ने दूर कर दिया। फिर इर्शाद होता है कि जो शख़्स अपनी ख़ुशी से नेकी में ज़्यादती करे या'नी बजाए सात चक्करों के आठ या नौ चक्कर लगाए या नफ़्ली हज्ज व उमरे में भी सफ़ा मरवा का तवाफ़ करे और कुछ ने इसे आम रखा है या'नी हर नेकी में ज़्यादती करे, वल्लाहु आ'लम!

फिर फ़र्माया अल्लाह तआला क़द्रदान और इल्म वाला है, या'नी थोड़े से काम पर बड़ा सवाब देता है और जज़ा की सहीह मिक़्दार को जानता है। न तो वह किसी के सवाब को कम करे, न किसी पर ज़र्रा बराबर ज़ुल्म करे। हाँ! नेकियों का सवाब बढ़ाकर अता करता है और अपने पास से अज्रे-अज़ीम इनायत फ़र्माता है। फ़ल्हम्दु लिल्लाह

......

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَٰتِ وَالْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ
فِى الْكِتَٰبِ ۙ أُولَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا
وَبَيَّنُوا فَأُولَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾
خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

तर्जुमा : '' जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायात को छुपाते हैं बावजूद यह कि हम उसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, उन लोगों पर अल्लाह की और तमाम ला'नत करनेवालों की ला'नत है। (159) मगर वह लोग जो तौबा कर लें और इस्लाह करें और बयान कर दें (तो) मैं उनकी तौबा क़बूल कर लिया करता हूँ और मैं तो तौबा क़बूल करने वाला और रहमो करम करने वाला हूँ। (160) जो कुफ़्फ़ार अपने कुफ़्र में ही मर जाएँ उन पर अल्ल्लाह की फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की ला'नत है। (161) जिसमें यह हमेशा रहेंगे, और उनसे अज़ाब हल्का न किया जायेगा और न उन्हें ढील दी जाएगी।'' (162)

हक़ बात को छुपाने वाले मल्ऊन हैं (आयत 159-162) : इन आयात में उन लोगों के लिए ज़बरदस्त धमकी है जो अल्लाह तआला की बातें और शरई मसाइल छुपा लिया करते हैं। अहले-किताब ने नबी (ﷺ) की पहचान को छुपा लिया था जिस पर इर्शाद हुआ कि हक़ के छुपाने वाले मल्ऊन लोग हैं। (अबू दाऊद, किताबुल इल्म, बाब फ़ी फ़ज़्लिल् इल्म : 3641; व सनदुहू ज़ईफ़ तिर्मिज़ी : 2882; इब्ने माजा : 223) जिस तरह उस आलिम के लिए जो लोगों में रब की बातें फैलाए हर चीज़ इस्तिग़फ़ार करती है यहाँ तक कि पानी की मछलियाँ और हवा के परिन्द भी, इसी तरह उन लोगों पर जो हक़ बात को जानते हुए गूँगे और बहरे बन जाते हैं, हर चीज़ ला'नत भेजती है। सहीह हदीस में है, ''हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स से किसी शरई अम्र की निस्बत सवाल किया जाए और वह उसे छुपा ले, उसे क़यामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी।'' (अबू दाऊद, किताबुल इल्म, बाब कराहयतु मनइल् इल्म : 3685; व सनदुहू हसन तिर्मिज़ी : 2649; इब्ने माजा : 261) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं अगर यह आयत न होती तो मैं एक हदीस भी बयान न करता। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब हिफ़्ज़ुल इल्म : 118; सहीह मुस्लिम : 2492)

हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) फ़र्माते हैं हम हुज़ूर (ﷺ) के साथ एक जनाज़े में थे। आपने फ़र्माया कि ''क़ब्र में काफ़िर की पेशानी पर उस ज़ोर से हथोड़ा मारा जाता है कि तमाम जानदार उसका धमाका सुनते हैं, सिवाए जिन्न और इंस के फिर वह सब उस पर ला'नत भेजते हैं।'' यही मा'नी हैं कि उन पर अल्लाह की और तमाम ला'नत करने वालों की ला'नत है, या'नी तमाम जानदारों की। हज़रत अता (रह.) फ़र्माते हैं, लाइनून से मुराद तमाम जानवर और तमाम जिन्न व इंस हैं। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं जब ख़ुश्कसाली होती है, बारिश नहीं होती तो चोपाये जानवर कहते हैं, यह बनी-आदम के गुनहगारों की शूमी (मन्हूसियत) से है। अल्लाह तआला बनी आदम के गुनहगारों पर ला'नत नाज़िल करे। (इब्ने अबी हातिम : 1/175) कुछ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद फ़रिश्ते और मो'मिन लोग हैं। हदीस में है ''आलिम के लिए हर चीज़ इस्तिग़फ़ार करती है, यहाँ तक कि समन्दर की मछलियाँ भी।''(अबूदाऊद, किताबुल इल्म, बाब फ़ज़्लुल इल्म : 3641; व सनदुहू ज़ईफ़ तिर्मिज़ी : 2882; इब्ने माजा, फ़िल मुक़द्दमा : 223) इस आयत में है कि इल्म छुपाने वाले को अल्लाह ला'नत करता है और फ़रिश्ते और तमाम लोग और तमाम ला'नत करने वाले या'नी हर ज़ुबान वाला और हर बेज़ुबान, चाहे ज़ुबान से कहे, चाहे क़राइन से और क़यामत के दिन भी सब चीज़ें उन पर ला'नत करें गी, वल्लाहु आ'लम! फिर उनमें से उन लोगों को ख़ास कर लिया जो अपने इस फ़े'ल से बाज़ आ जाएँ और अपने आ'माल की पूरी इस्लाह कर लें और जो छुपाया था उसे ज़ाहिर

कर दें तो उन लोगों की तौबा वह रब्बे तव्वाब क़बूल कर लेता है। इससे मा'लूम होता है कि जो शख़्स कुफ़्र व बिद्अत की तरफ़ लोगों को बुलाने वाला हो वह भी जब सच्चे दिल से रुजूअ करे तो उसकी तौबा भी क़बूल होती है।

कुछ रिवायतों से पता चलता है कि अगली उम्मतों में ऐसे ज़बरदस्त बदकारों की तौबा क़बूल न थी लेकिन नबियुत्तौबा और नबियुर्रहमा हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की उम्मत के साथ यह मेहरबानी मख़्सूस है। इसके बाद उन लोगों का बयान हो रहा है जो कुफ़्र करें, तौबा नसीब न हो और कुफ़्र की हालत में मर जाएँ कि उन पर अल्लाह तआला की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की ला'नत है। यह ला'नत उन पर चिपक जाती है और क़यामत तक साथ रहेगी और दोज़ख़ की आग में ले जाएगी और अज़ाब में भी हमेशा यही रहेगा, न तो अज़ाब में कभी कमी हो, न कभी मौक़ूफ़ हो, बल्कि हमेशा दवाम के साथ, सख़्त से सख़्त अज़ाब होते रहेंगे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन अज़ाबिल्लाहि। हज़रत अबुल आलिया और हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं क़यामत के दिन काफ़िर को रोक लिया जाएगा फिर उस पर अल्लाह तआला ला'नत करेगा फिर फ़रिश्ते, फिर सब लोग।

काफ़िरों पर ला'नत भेजने के मसले में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضی اللہ عنہ) और आपके बाद के अइम्म-ए-किराम सबके सब क़ुनूत वग़ैरह में कुफ़्फ़ार पर ला'नत भेजते थे। लेकिन किसी मुअय्यन (ख़ास) काफ़िर पर ला'नत भेजने के बारे में उलम-ए-किराम का एक गिरोह कहता है कि यह जाइज़ नहीं, इसलिए कि उसके ख़ात्मे का किसी को इल्म नहीं। और आयत की यह क़ैद कि मरते दम तक वह काफ़िर रहे, मुअय्यन काफ़िर दलील है किसी मुअय्यन काफ़िर पर ला'नत न भेजने की। और दूसरी जमाअत इसकी भी क़ाइल है, जैसे फ़क़ीह अबूबक्र बिन अरबी मालिकी लेकिन इनकी दलील एक ज़ईफ़ हदीस है। कुछ ने इस हदीस से भी दलील ली है कि हुज़ूर (ﷺ) के पास एक शख़्स बार-बार नशा की हालत में लाया गया और उस पर बार-बार हद लगाई गई तो एक शख़्स ने कहा कि इस पर अल्लाह की ला'नत हो, बार-बार शराब पीता है। यह सुनकर ''हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया इस पर ला'नत न भेजो। यह अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त रखता है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब मा युक्रहू मन लअन शारिबल ख़म्र : 6780) इससे साबित हुआ कि जो शख़्स अल्लाह रसूल से दोस्ती न रखे, उस पर ला'नत भेजनी जाइज़ है, वल्लाहु आ'लम!

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾

तर्जुमा : ''तुम सबका मा'बूद एक अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई मा'बूदे बरहक़ नहीं, वह बहुत बड़ा बख़्शिश करने वाला और बड़ा मेहरबान है।'' (163)

मा'बूदे बरहक़ (आयत 163) : या'नी उलूहियत में वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और न उस जैसा कोई है और वाहिद और अहद है और फ़र्द और समद है, उसके सिवा इबादत के लायक़ कोई नहीं, वह रहमान और रहीम है। सूरह फ़ातिहा के शुरू में इन दोनो नामों की पूरी तफ़्सीर गुज़र चुकी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''इस्मे आ'ज़म इन दो आयतों में है।'' एक यह आयत और दूसरी आयत الٓمّٓ ۚ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (3/आले इमरान : 1-2; अबूदाऊद, किताबुस्सलात, (अब्वाबुल वित्र) बाब अद्दुआ :

1496; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 3478; इब्ने माजा : 3855) इसके बाद उसकी तौहीद की दलील बयान हो रही है, इसे भी तवज्जह से सुनिए, फ़र्माता है।

....

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۠ وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

तर्जुमा : "आसमान और ज़मीन की पैदाइश, रात दिन का हेर फेर कश्तियों का लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ों को लिए हुए समन्दरो में चलना, आसमान से पानी उतारकर, मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा कर देना, इसमें हर क़िस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख़ बदलना ताबेअ फ़र्मान बादलों को आसमान व ज़मीन के दरम्यान इधर-उधर फेरना अक़्लमन्दों के लिए क़ुदरते-इलाही की निशानियाँ हैं।" (164)

अलामाते-क़ुदरत से साहिबे-अक़्ल सबक़ हासिल करते हैं (आयत 164) : मतलब यह है कि उस रब की रुबूबियत और उसकी तौहीद पर एक दलील तो यह आसमान है जिसकी बुलंदी लताफ़त कुशादगी जिसके ठहरे हुए और चलने-फिरने वाले और रोशन सितारे तुम देख रहे हो। फिर ज़मीन की पैदाइश जो कसीफ़ चीज़ है जो तुम्हारे क़दमों तले बिछी हुई है जिसमें बुलंद-बुलंद चोटियों के सर बफ़लक पहाड़ हैं, जिसमें मौजें मारने वाले बे पायाँ समुंदर हैं, जिसमें अन्वाअ व अक़्साम के ख़ुश रंग बेल बूटे हैं, जिसमें तरह-तरह की पैदावार होती है, जिस पर तुम रहते सहते हो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ आरामदेह मकान बनाकर बस्ते हो और जिससे सैंकड़ों तरह का नफ़ा उठाते हो, फिर रात-दिन का आना-जाना, रात गई दिन आया, दिन गया रात आ गई, न वह इस पर सब्क़त करे न यह उस पर। हर एक अपने सहीह अंदाज़े से आए और जाए कभी दिन बड़े, कभी रातें, कभी दिन का कुछ हिस्सा रात में जाए, कभी रात का कुछ हिस्सा दिन में आ जाए। फिर कश्तियों को देखो जो ख़ुद तुम्हें और तुम्हारे माल व अस्बाब और तिजारती चीज़ों को लेकर समंदर में इधर से उधर आती जाती रहती हैं, जिनके ज़रिये मुख़्तलिफ़ मुमालिक से राब्ता और लेन-देन कर सकते हो, यहाँ की चीज़ों को वहाँ और वहाँ की चीज़ों को यहाँ पहुँचा सकती है।

"फिर अल्लाह तआ़ला का अपनी रहमते कामिला से बारिश बरसाना और उससे मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा कर देना, उससे अनाज और खेतियाँ पैदा करना, हर तरफ़ रेल पेल कर देना, ज़मीन में मुख़्तलिफ़ क़िस्म के छोटे-बड़े कारआमद जानवरों को पैदा करना, इन सबकी हिफ़ाज़त करना, उनके लिए रोज़ी पहुँचाना, उनके लिए सोने बैठने चरने चुगने की जगह तैयार करना, हवाओं को पुरवा पछवा चलाना, कभी ठण्डी, कभी गर्म, कभी कम, कभी ज़्यादा, बादलों को आसमान और ज़मीन के दरम्यान मुसख़्ख़र करना, उन्हें एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ ले जाना, ज़रूरत की जगह बरसाना वग़ैरह यह सब अल्लाह की क़ुदरत की निशानियाँ हैं जिनसे अ़क़्लमन्द अपने अल्लाह के वजूद को और उसकी वहदानियत को पा लेते हैं।" जैसे और जगह फ़र्माया है कि "आसमान व ज़मीन की पैदाइश और रात दिन के हेर-फेर में अ़क़्लमन्दों के लिए निशानियाँ हैं। जो उठते बैठते लेटते या'नी हर वक़्त अल्लाह तआ़ला का ही नाम लेते हैं और ज़मीनों-आसमान की पैदाइश में ग़ौरो-फ़िक्र से काम लेते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे रब! तूने इन्हें बेकार नहीं बनाया, तेरी ज़ात पाक है, तू हमें जहन्नम के अ़ज़ाब से बचा।"

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं कि क़ुरैश रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आए और कहने लगे, आप अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिए कि वह सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दे। हम उससे घोड़े और हथियार वग़ैरह ख़रीदें और तेरा साथ दें और ईमान भी लाएँ। आपने फ़र्माया, "यह पुख़्ता वा'दा करते हो?" उन्होंने कहा, हाँ! पुख़्ता वा'दा है। आपने अल्लाह तआ़ला से दुआ़ की। हज़रत जिब्राईल (ﷺ) आए और फ़र्माया, तुम्हारी दुआ़ तो क़बूल है लेकिन अगर यह लोग फिर भी ईमान न लाए तो इन पर अल्लाह का वह अ़ज़ाब आएगा जो आज से पहले किसी पर न आया हो। आप काँप उठे और अ़र्ज़ करने लगे कि, नहीं! ऐ अल्लाह! तू इन्हें यूँ ही रहने दे, मैं इन्हें तेरी तरफ़ बुलाता रहूँगा। क्या अ़जब कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इनमें से कोई न कोई तेरी तरफ़ झुक जाए।" इस पर यह आयत उतरी कि अगर इन्हें क़ुदरत की निशानियाँ देखनी है तो क्या यह निशानियाँ कुछ कम हैं? एक और शाने-नुज़ूल भी मरवी है कि जब आयत (व इलाहुकुम) अल्ख़ उतरी तो मुश्रिकीन कहने लगे कि एक अल्लाह तमाम जहान का बंदोबस्त कैसे करेगा। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि वह अल्लाह इतनी बड़ी क़ुदरत वाला है। कुछ रिवायतों में है कि अल्लाह का एक होना सुनकर उन्होंने दलील तलब की जिस पर यह आयत नाज़िल हुई और क़ुदरत की निशानियाँ इन पर ज़ाहिर की गईं।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۭ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۭ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ
جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ۝١٦٥ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا
وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ۝١٦٦ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا

كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ
عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

तर्जुमा : "कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराकर उनसे ऐसी महब्बत रखते हैं जैसी अल्लाह से, ईमान वाले अल्लाह की महब्बत में। बहुत सख़्त होते हैं, काश! कि मुश्रिक लोग जानते कि अल्लाह के अज़ाबों को देखकर (जान लेंगे) कि तमाम ताक़त अल्लाह ही को है और अल्लाह तआला के सख़्त अज़ाब हैं। (165) (तो हर्गिज़ शिर्क न करते) जिस वक़्त पेशवा लोग अपने ता'बेदारों से बेज़ार हो जाएँगे और अज़ाबों को (अपनी आँखों से) देख लेंगे और कुल रिश्ते नाते टूट जायेंगे।(166) और ता'बेदार लोग कहने लगेंगे, काश! हम फिर दुनिया की तरफ़ दोबारा जाएँ तो हम भी उनसे ऐसे ही बेज़ार हो जाएँ जैसे यह हम से। इसी तरह अल्लाह तआला उन्हें उनके आ'माल दिखाएगा, उन पर हसरत व अफ़सोस है, यह हर्गिज़ जहन्नम से न निकलेंगे।" (167)

अल्लाह तआला जैसी मुहब्बत दूसरों से? (आयत 165-167) : इस आयत में मुश्रिकीन का दुनिया और आख़िरत का हाल बयान हो रहा है। अल्लाह का शरीक मुक़र्रर करते हैं, उस जैसा औरों को ठहराते हैं और फिर उनकी मुहब्बत अपने दिल में ऐसी जमाते हैं जैसे अल्लाह की होनी चाहिए। हालाँकि वह मा'बूदे बरहक़ सिर्फ़ एक ही है, वह शरीक और साथी से पाक है। बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है, फ़र्माते हैं, मैंने पूछा या रसूलल्लाह! सबसे बड़ा गुनाह क्या है? "आपने फ़र्माया, अल्लाह के साथ शिर्ककरना हालाँकि पैदा उसी अकेले ने किया है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (فلا تجعلوا لله اندادا) : 7520; सहीह मुस्लिम : 257) फिर फ़र्माया, "ईमानदार अल्लाह तआला से मुहब्बत में बहुत सख़्त होते हैं। उनके दिल अज़्मते-इलाही और तौहीदे रब्बानी से मा'मूर होते हैं, वह अल्लाह के सिवा दूसरे से ऐसी मुहब्बत करें न दूसरों से ऐसी मुहब्बत करें न किसी और की तरफ़ इल्तिजा करें, न दूसरों की तरफ़ झुकें, न उसकी पाक ज़ात के साथ किसी को शरीक करें। फिर उन मुश्रिकीन को जो अपनी जानों पर शिर्क करके ज़ुल्म करते हैं, अज़ाबों की ख़बर पहुँचाता है कि अगर यह लोग अज़ाबों को देख लेते तो यक़ीन हो जाता कि क़ुदरतों वाला सिर्फ़ अल्लाह तआला ही है। तमाम चीज़ें उसी के मातहत और ज़ेरे-फ़र्मान हैं और उसके अज़ाब भी बड़े भारी हैं। जैसे और जगह है कि उस दिन न तो उसके अज़ाब जैसा कोई अज़ाब कर सकता है, न उसकी पकड़ जैसी किसी की पकड़ हो सकती है। दूसरा मतलब यह भी है कि अगर इन्हें उस मंज़र का इल्म होता तो यह अपनी गुमराही और शिर्क व कुफ़्र पर हर्गिज़ न अड़ते।'

उस दिन जिन जिनको इन लोगों ने अपना पेशवा बना रखा था, वह सब इनसे अलग हो जायेंगे, फ़रिश्ते कहेंगे कि, ऐ अल्लाह ! हम इनसे बेज़ार हैं, यह हमारी इबादत नहीं करते थे। ऐ अल्लाह! तू पाक ज़ात है, तू ही हमारा वली है, यह लोग तो जिन्नात की इबादत करते थे उन ही पर ईमान रखते थे। इसी तरह जिन्नात भी इनसे बेज़ारी का ऐ'लान करेंगे

और साफ़-साफ़ इनके दुश्मन हो जायेंगे और इबादत से इंकार कर देंगे। और जगह कुरआन-करीम में है कि जिन जिनकी यह लोग इबादत करते थे वह सबके सब क़यामत के दिन سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (19/मरयम : 82) इनकी इबादत से इंकार करेंगे और इनके दुश्मन बन बैठेंगे। हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) का फ़र्मान है قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا (29/अन्कबूत : 25) "तुमने अल्लाह के सिवा बुतों की मुहब्बत दिल में बिठाकर उनकी पूजा शुरू कर दी है। क़यामत के दिन वह तुम्हारी इबादत का इंकार करेंगे और आपस में एक दूसरे पर ला'नत भेजेंगे और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा और तुम्हारा मददगार कोई न होगा।" इसी तरह और जगह है وَ لَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ अलख़ (34/सबा : 31) या'नी "यह ज़ालिम रब के सामने खड़े हुए होंगे और अपने पेशवाओं से कह रहे होंगे कि अगर तुम न होते तो हम ईमानदार बन जाते। वह जवाब देंगे कि क्या हमने तुम्हें अल्लाह की परसतिश करने से रोका। हक़ीक़त यह है कि तुम ख़ुद मुजिम थे। वह कहेंगे तुम्हारी दिन रात की मक्कारियाँ, तुम्हारे कुफ़्रिया अहकाम, तुम्हारी शिर्क की ता'लीम ने हमें फांस लिया। अब सबको अंदरूनी नदामत होगी और उनकी गर्दनों में उनके बुरे आ'माल के तौक़ होंगे।" और जगह है कि उस दिन शैतान भी कहेगा اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ (14/इब्राहीम : 22) या'नी "अल्लाह का वा'दा तो सच्चा था और मैंने तुम्हें जो सब्ज़ बाग़ दिखा रखे थे वह महज़ धोखा था। तुम पर मेरा कोई ज़ोर तो था नहीं मगर मैंने तुम्हें सिर्फ़ कहा, तुमने मंज़ूर कर लिया। अब मुझे मलामत करने से क्या फ़ायदा? अपनी जानों को ला'नत मलामत करो, न मैं तुम्हारी फ़रियादरसी करूँ, न तुम मेरी। मैं तुम्हारे अगले शिर्क से इंकारी हूँ, जान लो कि ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है।" फिर फ़र्माया कि, वह अज़ाब देख लेंगे और तमाम अस्बाब मुंक़ताअ (ख़त्म) हो जाएँगे, न कोई भागने की जगह रहेगी न छुटकारे की कोई सूरत नज़र आएगी, दोस्तियाँ कट जायेंगी और रिश्ते टूट जाएँगे। बिला दलील बातें मानने वाले और बेवजह ऐ'तिक़ाद रखने वाले और पूजा-पाठ और इताअत करने वाले जब अपने पेशवाओं को इस तरह बरीउज़्ज़िमा (अलग) होते हुए देखेंगे तो निहायत हसरत से कहेंगे कि अगर अब हमें दुनिया में एक बार लौट जाने का मौक़ा मिल जाए तो हम भी इनसे ऐसे ही बेज़ार हो जायें जैसे यह हमसे हुए, न इनकी तरफ़ इल्तिफ़ात करें, न इनकी बातें मानें, न इन्हें अल्लाह का शरीक ठहराएँ, बल्कि अल्लाह वाहिद की ख़ालिस इबादत करें। हालाँकि दरहक़ीक़त अगर बिल फ़र्ज़ यह लौटाए भी जाएँ तो वही करेंगे जो इससे पहले करते थे। जैसे फ़र्माया لَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ (6/अन्आम : 28) इसीलिए यहाँ फ़र्माया, इन्हें अल्लाह इनके करतूत इसी तरह दिखाएगा, इन पर हसरत व अफ़सोस है या'नी आ'माले नेक जो थे वह ज़ाया हो गए। जैसे और जगह है (وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا) (25/फ़ुरक़ान : 23) और जगह है اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ (14/इब्राहीम : 18) और जगह है اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ (24/नूर : 39) या'नी "इनके आ'माल बर्बाद हैं, इनके आ'माल की मिसाल राख की तरह है जिसे तुंद हवाएँ उड़ा दें, इनके आ'माल रेत की तरह हैं जो दूर से पानी दिखाई देता है मगर पास जाओ तो रेत का तोदा होता है। फिर फ़र्माता है कि "यह लोग आग से निकलने वाले नहीं।"

◈◈◈

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا
لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾

तर्जुमा : "लोगो! ज़मीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हीं से खाओ-पियो और शैतानी राह न चलो, वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। (168) वह तुम्हें सिर्फ़ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह तआला पर उन बातों के कहने का हुक्म करता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं।" (169)

रिज़्क़े-हलाल की तल्क़ीन (आयत 168, 169) : ऊपर चूँकि तौहीद का बयान हुआ था इसलिए यहाँ यह बयान हो रहा है कि तमाम मख़्लूक़ का रोज़ी रसाँ भी वही है। फ़र्माता है कि मेरा यह एहसान भी न भुलाओ कि मैंने तुम पर पाकीज़ा चीज़ें हलाल कीं जो तुम्हें लज़ीज़ और मरग़ूब हैं, जो न जिस्म को ज़रर (नुक़सान) पहुँचाएँ, न सेहत को, न अक़्ल व होश को ज़रर दें। मैं तुम्हें रोकता हूँ कि शैतान की राह न चलो, जिस तरह और लोगों ने उसकी चाल चलकर कुछ हलाल चीज़ें अपने ऊपर हराम कर लीं। सहीह मुस्लिम में है कि, "रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि परवरदिगारे आलम फ़र्माता है, मैंने जो माल अपने बन्दों को दिया है उसे उनके लिए हलाल कर दिया है। मैंने अपने बन्दों को मुवह्हिद (तौहीद परस्त) पैदा किया, मगर शैतान ने इस दीने हनीफ़ से उन्हें हटा दिया और मेरी हलालकर्दा चीज़ों को उन पर हराम कर दिया।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्नत, बाब सिफ़ातुल लती युअरफु बिहा फ़िदुनिया..... : 2865)

हुज़ूर (ﷺ) के सामने जिस वक़्त इस आयत की तिलावत हुई तो हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (رضی اللہ عنہ) ने खड़े होकर कहा, हुज़ूर (ﷺ)! मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला मेरी दुआओं को क़बूल फ़र्माया करे। "आपने फ़र्माया, ऐ सअद! पाक चीज़ें और हलाल लुक़्मा खाते रहो, अल्लाह तआला तुम्हारी दुआएँ क़बूल करता रहेगा। क़सम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मुहम्मद (ﷺ) की जान है, हराम लुक़्मा जो इंसान अपने पेट में डालता है, उसकी नहूसत की वजह से चालीस दिन की उसकी इबादत क़बूल नहीं होगी। जो गोश्त-पोस्त हराम से पला, वह जहन्नमी है।" (तबरानी फ़िल औसत : 6491; व इब्ने मर्दवे; इसकी सनद हसन बिन अब्दुर्रहमान एहतियाती की वजह से सख़्त ज़ईफ़ व मरदूद है।) फिर फ़र्माया कि "शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है।" जैसे और जगह है कि "शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन समझो।" उसकी और उसके गिरोह की तो यह ऐ'न चाहत है कि लोगों को अज़ाब में झोंकें।" एक और जगह है اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ

اَوْلِيَآءَ (18/कहफ़ : 50) "क्या तुम शैतान और उसकी औलाद को अपना दोस्त जानते हो हालाँकि हक़ीक़तन वह तुम्हारा दुश्मन है। ज़ालिमों के लिए बुरा बदला है।"

ख़ुतुवातिश्शैतान से क्या मुराद है? (ख़ुतुवातिश्शैतान) (24/नूर : 21) से मुराद अल्लाह तआला की हर मा'सियत (नाफ़र्मानी) है। (इब्ने अबी हातिम : 1/221) जिसमें शैतान का बहकावा शामिल होता है। शअबी (रह.) फ़र्माते हैं एक शख़्स ने नज़्र मानी कि वह अपने लड़के को ज़िब्ह करेगा। हज़रत मसरूक़ (रह.) के इल्म में जब यह वाक़िया पहुँचा तो आपने फ़त्वा दिया कि वह शख़्स मेंढ़ा ज़िब्ह कर दे। यह नज़्र लड़के का ज़िब्ह करना ख़ुतुवातिश्शैतान से है। हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) एक दिन बकरी के खुर को नमक लगाकर खा रहे थे। एक शख़्स जो आपके पास बैठा हुआ था वह हटकर दूर जा बैठा। आपने फ़र्माया, खाओ! उसने कहा, नहीं! मैं नहीं खाऊँगा। आपने पूछा, क्या रोज़े से हो? कहा, नहीं! मैं तो इसे अपने ऊपर हराम कर चुका हूँ। आपने फ़र्माया, यह शैतान की राह चलना है, अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दो और खा लो।

अबू राफ़ेअ (रह.) कहते हैं, एक दिन मैं अपनी बीवी पर नाराज़ हुआ तो वह कहने लगी कि मैं एक दिन यहूदिया हूँ, एक दिन नसरानिया हूँ और मेरे तमाम गुलाम आज़ाद हैं अगर तू अपनी बीवी को तलाक़ न दे। अब मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) के पास मसला पूछने आया कि इस सूरत में क्या किया जाए? तो आपने फ़र्माया, यह शैतान के क़दमों की पैरवी है। फिर मैं ज़ेनब बिन्ते उम्मे सलमा (ﷺ) के पास गया और उस वक़्त मदीना भर में उनसे ज़्यादा फ़क़ीहा (समझदार) औरत कोई न थी, मैंने उनसे भी यह मसला पूछा। यहाँ से भी यही जवाब मिला। आसिम और इब्ने उमर (ﷺ) ने भी यही फ़त्वा दिया। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का फ़त्वा है कि जो क़सम गुस्से की हालत में खाई जाए और जो नज़्र ऐसी हालत में मानी जाए वह शैतानी क़दम की ता'बेदारी है। इसका कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे के बराबर दे दे। फिर फ़र्माया कि शैतान तुम्हें बुरे कामों और उससे भी बढ़कर ज़िनाकारी और उससे बढ़कर अल्लाह पर उन बातों के जोड़ लेने को कहता है जिनका तुम्हें इल्म न हो। उन बातों को अल्लाह से मुता'ल्लिक़ करना जिनका उसे इल्म भी नहीं होता पस हर काफ़िर और बिदअती इसमें दाख़िल है, जो बुराई का हुक्म करे और बदी की तरफ़ रग़बत दिलाए।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ
كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ
الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٧١﴾

तर्जुमा : "और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह तआला की उतारी हुई किताब की ता'बेदारी करो तो जवाब देते हैं कि हम तो उस तरीक़े की पैरवी करेंगे जिन पर हमने अपने बाप दादों को पाया, गो उनके बाप दादे बेअक़्ल और गुमकर्दा राह हों।(170) और कुफ़्फ़ार की मिसाल उन जानवरों की तरह है, जो अपने चरवाहे की सिर्फ़ पुकार और आवाज़ ही को सुनते हैं (समझते नहीं) बहरे गूँगे और अंधे हैं, इन्हें अक़्ल नहीं।" (171)

गुमराही और जिहालत क्या है? (आयत 170-171) : या'नी इन काफ़िरों और मुश्रिकों से जब कहा जाता हे कि किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) की पैरवी करो और अपनी ज़लालत व जिहालत को छोड़ दो, तो वह कहते हैं कि हम तो अपने बड़ों की राह लगे हुए हैं। जिन चीज़ों की वह पूजा पाठ करते थे, हम भी कर रहे हैं और करते रहेंगे जिसके जवाब में कुरआन कहता है कि वह तो फ़हम व हिदायत से ग़ाफ़िल थे। यह आयत यहूदियों के बारे में उतरी है। फिर इनकी मिसाल दी कि जिस तरह चरने चुगने वाले जानवर अपने चरवाहे की कोई बात सहीह तौर पर नहीं समझ सकते, सिर्फ़ आवाज़ कानों में पड़ती है और कलाम की भलाई बुराई से बेख़बर रहते हैं। इसी तरह यह लोग हैं। यह मतलब भी हो सकता है कि जिन जिनको यह अल्लाह के सिवा पूजते हैं और उनसे अपनी हाजतें और मुरादें मांगते हैं, वह न सुनते हैं, न जानते हैं, न देखते हैं, न उनमें ज़िन्दगी है, न उन्हें कुछ एहसास है। काफ़िरों की यह जमाअत हक़ की बातों के सुनने से बहरी है। हक़ कहने से बेज़ुबान है, हक़ की राह चलने से अंधी है, अक़्लो-फ़हम से दूर है। जैसे और जगह है صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ (6/अन्आम : 39) या'नी हमारी बातों को झुठलाने वाले बहरे, गूँगे और अंधे हैं। जिसे अल्लाह चाहे गुमराह करे और जिसे वह चाहे सीधी राह लगा दे।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

ईमान वालों जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ-पीयों और अल्लाह तआला का शुक्र करो अगर तुम ख़ास उसी की इबादत करते हो (172) तुम पर सिर्फ़ मुरदार और (बहा हुवा) ख़ून और सूअर का गोश्त और हर वो चीज़ जो अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम पर मशहूर की जाए हराम है फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला और ज़्यादती करने वाला न हो उस पर (उनके खाने में) कोई गुनाह नहीं अल्लाह तआला बख़्शिश करने वाला मेहरबान है। (173)

रिज़्क़े-हलाल व हराम में फ़र्क़ (आयत 172-173) : इस आयत में अल्लाह तआला अपने बन्दों को हुक्म देता है कि तुम पाक-साफ़ और हलाल तय्यब चीज़ें खाया करो और मेरी शुक्रगुज़ारी करो, हलाल का लुक़्मा दुआ और इबादत की क़बूलियत का सबब है और हराम का लुक़्मा अदमे क़बूलियत का सबब। मुस्नद अहमद में हदीस है "रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, लोगो! अल्लाह तआला पाक है, वह पाक चीज़ को क़बूल करता है। उसने रसूलों और ईमानवालों को हुक्म दिया है कि वह पाक चीज़ें खायें और नेक आ'माल करें।" फ़र्मान है يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبٰتِ (23/मो'मिनून : 51) और फ़र्माया يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ (2/बक़रह : 172) फिर आपने फ़र्माया, एक शख़्स लम्बा सफ़र करता है, वह परागंदा बालों वाला और ग़ुबार आलूद होता है, अपने हाथ आसमान की तरफ़ उठाकर दुआ करता है और गिड़-गिड़ाकर अल्लाह तआला को पुकारता है लेकिन उसका खाना-पीना लिबास और ग़िज़ा सब हराम की हैं, इसलिए उसकी ऐसे वक़्त की ऐसी दुआ भी क़बूल नहीं होती। (अहमद : 2/328; सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात, बाब क़बूलुस्सदक़ति मिनल कस्बित्तय्यिब : 2346) हलाल चीज़ों का ज़िक्र करने के बाद फिर हराम चीज़ों का बयान हो रहा है कि तुम पर मुरदार जानवर जो अपनी मौत आप मर गया हो जिसे शरई तौर पर ज़िब्ह न किया गया हो, हराम है, ख़्वाह किसी ने उसका गला घोंट दिया हो या लकड़ी और लठ लगने से मर गया हो या कहीं से गिरकर मर गया हो या दूसरे जानवरों ने अपने सींग से उसे हलाक किया हो, या दरिन्दों ने उसे मार डाला हो। यह सब मैततुन में दाख़िल हैं और हराम हैं लेकिन इसमें से पानी के जानवर मख़्सूस हैं वह अगरचे ख़ुद-ब-ख़ुद मर जाएँ ताहम (फिर भी) हलाल हैं।" क़ुरआन कहता है (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ) (5/माइदा : 96) इसका पूरा बयान इस आयत की तफ़्सीर में आएगा, इंशाअल्लाह तआला! अम्बर नामी जानवर (मछली) का मरा हुआ मिलना और सहाबा (رضی اللہ عنہم) का उसको खाना फिर हुज़ूर (ﷺ) को उसकी ख़बर होना और आपका उसे जाइज़ क़रार देना यह सब हदीस में है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वा सैफ़ुल बह्र : 4362; सहीह मुस्लिम : 1935) एक हदीस में हे कि "समुन्दर का पानी पाक है और उसका मुर्दा हलाल है।" (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब अल्वुज़ू बिमाइल बह्र : 83; व सनदुहू सहीह तिर्मिज़ी : 69; नसाई : 336; शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् सहीह : 480)) एक और हदीस में है कि, "रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं दो मुर्दे और दो ख़ून हम पर हलाल हैं। मछली और टिड्डी, कलेजी और तिल्ली।" (इब्ने माजा, किताबुल अत्इमा, बाब अल्कबिदु वत्तिहाल : 3314, 3218; व सनदुहू ज़ईफ़, व रवल बैहक़ी : 1/254; बिसनदिन सहीह अन इब्ने उमर क़ाल : उहिल्लत लना मैतान व दमान : अल्जरांद वल हीतान वल कबद वत् तिहाल वक़ाल : हाज़ा इस्नादुन सहीह; शैख़ अल्बानी (रह.) से मौक़ूफ़न जो कि बहुक्म मरफ़ूअ है, सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 1118) सूरह माइदा में इसका बयान तफ़्सील से आएगा, इंशाअल्लाह!

मसला : मुरदार जानवर का दूध और उसके अण्डे जो उसमे हों, नजिस हैं। इमाम शाफ़ई (रह.) का मज़हब यही है इसलिए कि वह भी मय्यित का एक जुज़ (हिस्सा) है। इमाम मालिक (रह.) से एक रिवायत में है कि है तो वह पाक लेकिन मय्यित के मिलने की वजह से नजिस हो जाती है। इसी तरह मुरदार की खीस (खीरी) भी। मशहूर मज़हब में इन बुज़ुर्गों के नज़दीक नापाक है गो इसमें इख़्तिलाफ़ भी है। सहाबा (رضی اللہ عنہم) का मजूसियों का पनीर खाना गो उन पर बतौर ऐ'तिराज़ के वारिद हो सकता है मगर इसका जवाब क़ुर्तुबी ने यह दिया है कि दूध बहुत ही कम होता है और कोई बहने वाली ऐसी थोड़ी सी चीज़ जब ज़्यादा में पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं।

नबी (ﷺ) से घी पनीर और गोरख़र के बारे में सवाल हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "ह़लाल वह है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में ह़लाल बताया और ह़राम वह है जिसे अल्लाह तआला ने अपनी किताब में ह़राम किया और जिसका बयान नहीं वह सब मुआफ़ हैं।" (तिर्मिज़ी, किताबुल्लिबास, बाब मा जाअ फ़ी लुब्सिल फ़ुराअ : 1726; इब्ने माजा, बाब अकलुल जबन वस्समन : 3367; मुस्तदरक : 2/375; व हुव ह़दीसुन ह़सन) फिर फ़र्माया "तुम पर सूअर का गोश्त भी ह़राम है, ख़्वाह उसे ज़िब्ह़ किया हो ख़्वाह वह ख़ुद मर गया हो। सूअर की चर्बी का भी यही हुक्म है।" इसलिए कि अकसर गोश्त ही होता है और चर्बी गोश्त के साथ ही होती है। पस जब गोश्त ह़राम हुआ तो चर्बी भी ह़राम हुई। दूसरे इसलिए भी कि गोश्त में ही चर्बी होती है और क़यास का तक़ाज़ा भी यही है। "फिर फ़र्माया कि वह चीज़ जो अल्लाह तआला के सिवा किसी और के नाम पर मशहूर की जाए वह भी ह़राम है।" जाहिलियत के ज़माने में काफ़िर लोग अपने मा'बूदाने बातिला के नाम पर जानवर ज़िब्ह़ किया करते थे जिन्हें अल्लाह तआला ने ह़राम क़रार दिया।

एक मर्तबा एक औरत ने गुड़िया के निकाह़ पर एक जानवर ज़िब्ह़ किया तो ह़सन बसरी (रह़.) ने फ़त्वा दिया कि उसे न खाना चाहिए इसलिए कि वह एक तस्वीर के लिए ज़िब्ह़ किया गया है। ह़ज़रत आइशा (رضی اللہ عنہا) से सवाल किया गया कि अज्मी लोग जो अपने त्यौहार और ईद के मौक़े पर जानवर ज़िब्ह़ करते हैं और मुसलमानों को भी उसमें से हदिया भेजते हैं, उनका गोश्त खाना चाहिए या नहीं! तो फ़र्माया, उस दिन की अज़्मत के लिए जो जानवर ज़िब्ह़ किया जाए उसे न खाओ, हाँ! उनके दरख़्तों के फल खाओ।" (क़ुर्तुबी : 2/224)

फिर अल्लाह तआला ने ज़रूरत और ह़ाजत के वक़्त जबकि कुछ और खाने को न मिले, उन ह़राम चीज़ों का खा लेना मुबाह़ किया है। इर्शाद फ़र्माया जो शख़्स बेबस हो जाए और वह बाग़ी सरकश और ह़द से बढ़ जाने वाला न हो तो उस पर उन चीज़ों के खाने में गुनाह नहीं अल्लाह तआला बख़्शिश करने वाला मेहरबान है। बाग़ और आदिन की तफ़्सीर में मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं, डाकू या रहज़न, मुसलमान बादशाह पर चढ़ाई करने वाला, सल्तनते-इस्लाम का मुख़ालिफ़ और अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी में सफ़र करने वाला मुराद है। ऐसे लोगों के लिए इस इज़्तिरार (परेशानी) के वक़्त भी ह़राम चीज़ें ह़राम ही रहती हैं। ग़ैर बाग़िन की तफ़्सीर मुक़ातिल बिन ह़य्यान (रह़.) यह भी करते हैं कि वह इसे ह़लाल समझने वाला न हो। (इब्ने अबी ह़ातिम : 1/236) और इसमें लज़्ज़त और मज़ा का ख़्वाहिशमन्द न हो, उसे भून भानकर लज़ीज़ बनाकर अच्छा पकाकर न खाए बल्कि जैसा तैसा सिर्फ़ जान बचाने के लिए खाए और अगर साथ लेना चाहे, उतना ले ले कि ज़िन्दा रह सके और ह़लाल चीज़ मिलने के बाद बाक़ी न रहे। जब ह़लाल चीज़ मिल गई तो उसे फेंक दे।

ह़ज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, उसे ख़ूब पेट भरकर न खाए। ह़ज़रत मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं कि जो शख़्स उसके खाने के लिए मजबूर कर दिया जाए और बेइख़्तियार कर दिया जाए उसका भी यही हुक्म है।

मसला : एक शख़्स भूख की शिद्दत से बेबस हो गया और उसे एक मुरदार जानवर नज़र आ गया और साथ ही किसी दूसरे की ह़लाल चीज़ भी नज़र आ गई जिसमें न रिश्ता का टूटना है, न ईज़ा देही तो उसे उस दूसरे की चीज़ को खा लेना चाहिए, मुरदार न खाए फिर आया उस चीज़ की क़ीमत या वह चीज़ उसके ज़िम्मे होगी या नहीं। इसमें दो क़ौल हैं, एक यह कि रहेगी, दूसरे यह कि न रहेगी। न रहने वालों के क़ौल की ताईद में यह ह़दीस जो इब्ने माजा में

है। हज़रत उबादह बिन शुरहबील (ﷺ) कहते हैं, हमारे यहाँ एक साल क़हतसाली पड़ी। मैं मदीना गया और एक खेत में से कुछ बालियाँ तोड़कर छीलकर चबाने लगा और थोड़ी सी बालियाँ अपनी चादर में बाँधकर चल पड़ा। खेत वाले ने देख लिया और मुझे पकड़कर मारा पीटा और मेरी चादर छीन ली। मैं आँहज़रत (ﷺ) के पास गया और आपसे वाक़िया अर्ज़ किया तो आपने उस शख़्स को कहा, उस भूखे को न तो तूने खाना खिलाया, न उसके लिए कोई और कोशिश की, न उसे कुछ समझाया सिखाया। यह बेचारा भूखा था, नादान था, जाओ! उसका कपड़ा वापिस करो और एक वसक़ या आधा वसक़ ग़ल्ला उसे दे दो (एक वसक़ चार मन के क़रीब होता है।) (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी इब्निस्सबील याकुलु मिनत्तमर : 2620; व सनदुहू सहीह; नसाई : 5411; इब्ने माजा : 2298; शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 2229) एक और हदीस में है कि दरख़्तों में लगे हुए फलों की निस्बत हुज़ूर (ﷺ) से पूछा गया तो आपने फ़र्माया, ''जो हाजतमंद शख़्स यहीं कुछ खा ले लेकिन साथ लेकर न जाए, उस पर कुछ जुर्म नहीं''अल्ख़। (अबूदाऊद, किताबुल्लुक़तति, बाब ता'रीफ़ बिल्लुक़्त : 1710; वहुव हस्सन तिर्मिज़ी : 1289; नसाई : 4961; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 2413) मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, मतलब आयत का यह है कि इज़्तिरार और बेबसी के वक़्त इतना खा लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, जिससे बेबससी और इज़्तिरार हट जाए। यह भी मरवी है कि तीन लुक़्मों से ज़्यादा न खाए। ग़र्ज़ ऐसे वक़्त में अल्लाह की मेहरबानी और नवाज़िश से यह हराम उसके लिए हलाल है। हज़रत मसरूक़ (रह.) फ़र्माते हैं इज़्तिरार के वक़्त भी जो शख़्स हराम चीज़ न खाए और मर जाए, वह जहन्नमी है। (बैहक़ी : 9/357; व सनदुहू ज़ईफ़; आ'मश मुदल्लस व अन्अन) इससे मा'लूम हुआ कि ऐसे वक़्त में ऐसी चीज़ खानी ज़रूरी है न कि सिर्फ़ रुख़्सत ही है। यही बात ज़्यादा सहीह है जैसे कि बीमार का रोज़ा छोड़ देना वग़ैरह।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰٓئِكَ
مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ
بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِى الْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

तर्जुमा : ''जो लोग अल्लाह तआला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और उसे थोड़ी सी क़ीमत पर बेचते हैं, यक़ीन मानो कि यह अपने पेट में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन उनसे अल्लाह तआला बात भी न करेगा, न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। (174)

यह वह लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अज़ाब को मग़्फ़िरत के बदले मोल ले लिया है, यह लोग अज़ाब की आग को कैसे बर्दाश्त करने वाले हैं। (175) उन अज़ाबों का बाइस यही है कि अल्लाह तआला की उतारी हुई सच्ची किताब को उन्होंने छुपा लिया। इस किताब में इख़्तिलाफ़ करने वाले यक़ीनन दूर के ख़िलाफ़ में हैं।'' (176)

बदतरीन उलमा हक़ छुपाने वाले हैं (आयत 174-176): या'नी जो यहूद नबी (ﷺ) की सिफ़ात की आयतों को जो तौरात में हैं, छुपाते हैं और उसके बदले अपनी आवभगत अरब से कराते हैं और अवाम से तोहफ़े और नक़दी समेटते रहते हैं और इस दुनिया-ए-फ़ानी के बदले में अपनी आख़िरत ख़राब कर रहे हैं, उन्हें डर लगा हुआ है कि अगर हुज़ूर (ﷺ) की नबुव्वत की सच्चाई और आपके दा'वे की तस्दीक़ की आयतें (जो तौरात में हैं) लोगों पर ज़ाहिर हो गईं तो लोग आपके मातहत हो जाएँगे और उन्हें छोड़ देंगे। इस डर से हिदायत व मग़्फ़िरत को छोड़ बैठे और ज़लालत व अज़ाब पर ख़ुश हो गए इसलिए दुनिया और आख़िरत की बर्बादी उन पर नाज़िल हुई। आख़िरत की रुस्वाई तो ज़ाहिर है लेकिन दुनिया में भी लोगों पर उनका मकर खुल गया, वक़्तन-फ़ वक़्तन वह आयतें जिन्हें यह बदतरीन उलमा छुपाते रहे थे, ज़ाहिर हो गईं। इसके अलावा ख़ुद हुज़ूर (ﷺ) के मु'जिज़ात और आपकी पाकीज़ा आदात ने लोगों को आपकी तस्दीक़ पर आमादा कर दिया और उनकी वह जमाअत जिसके हाथ से निकल जाने के डर ने उन्हें कलामुल्लाह छुपाने पर आमादा किया था बिलआख़िर हाथ से जाती रही। उन लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से बे'अत कर ली, ईमान ले आए और आपके साथ मिलकर उन हक़ के छुपाने वालों की जानें लीं और उनसे बाक़ायदा जिहाद किया। क़ुरआन-करीम में उनकी ऐसी पोशीदगियाँ जगह जगह बयान की गईं। यहाँ भी फ़र्माया कि यह माल जो अल्लाह की बातों को छुपाकर तुम कमाते हो, यह दरअसल आग के अंगारे हैं जिन्हें तुम पेट में भर रहे हो।

यतीमों का माल खाने वाले? क़ुरआन-करीम ने उन लोगों के बारे में जो यतीमों का माल ज़ुल्म से खा जाएँ, उनके लिए भी यही फ़र्माया है कि वह भी अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं और क़यामत के दिन भड़कती हुई आग में दाख़िल होंगे। सहीह हदीस में है कि ''रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, जो शख़्स सोने चाँदी के बर्तन मे खाता पीता है, वह अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अश्रिबा, बाब आनियतुल फ़िज़्ज़ति : 5634; सहीह मुस्लिम : 2065) फिर फ़र्माया, अल्लाह तआला इनसे क़यामत के दिन बातचीत भी न करेगा, न इन्हें पाक करेगा बल्कि अलमनाक अज़ाबों में मुब्तला रहेंगे। इसलिए कि उनके इस करतूत की वजह से अल्लाह का ग़ज़ब उन पर नाज़िल हुआ है और अब उन पर से रहमत की नज़र हट गई है और यह सताइश और ता'रीफ़ के क़ाबिल न रहे बल्कि सज़ायाब होंगे और वहाँ तिलमिलाते ही रहेंगे।

तीन क़िस्म के बदनसीब लोग : हदीस में है, ''तीन क़िस्म के लोगों से अल्लाह तआला बातचीत न करेगा, न उनकी तरफ़ देखेगा, न उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब हैं। बूढ़ा ज़ानी, झूठा बादशाह, मुतकब्बिर फ़क़ीर।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान ग़लज़ु इस्बालिल इज़ार..... : 107) फिर

फ़र्माया है कि उन लोगों ने हिदायत के बदले गुमराही ले ली। इन्हें चाहिए था कि तौरात में जो ख़बरें हुज़ूर (ﷺ) की निस्बत थीं उन्हें अनपढ़ों तक पहुँचाते लेकिन पहुँचाने के बजाए उन्हें छुपा लिया और ख़ुद भी आपके साथ कुफ़्र किया और आपकी तक्ज़ीब की। उनके इज़्हार पर जो ने'मतें और मग़्फ़िरतें इन्हें मिलने वाली थीं, उनके बदले ज़हमतें और अज़ाब अपने सर ले लिए।

अज़ाब के मुस्तहिक़ लोग : फिर फ़र्माता है, इन्हें वह दर्दनाक और हैरत-अंगेज़ अज़ाब होंगे कि देखने वाला शश्दर रह जाए और यह भी मा'नी हैं कि इन्हें आग के अज़ाब की बर्दाश्त पर किस चीज़ ने आमादा किया जो यह अल्लाह की नाफ़र्मानियों में मशग़ूल हो गए। फिर इर्शाद होता है कि यह लोग इस अज़ाब के मुस्तहिक़ यूँ हुए कि इन्होंने अल्लाह की बातों को हंसी खेल समझा और जो किताबुल्लाह हक़ को ज़ाहिर करने और बातिल को ख़त्म करने के लिए उतरी थी, इन्होंने उसकी मुख़ालिफ़त की। ज़ाहिर करने की जो बातें थीं छुपाईं, अल्लाह के नबी से दुश्मनी की, आपकी सिफ़तों को ज़ाहिर न किया, हक़ीक़त यह है कि इस किताब के बारे में इख़्तिलाफ़ करने वाले दूर की गुमराही में जा पड़े।

......

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

तर्जुमा : ''सारी भलाई मश्रिक़ व मग़्रिब की तरफ़ चेहरा करने में ही नहीं बल्कि हक़ीक़तन भला शख़्स वह है जो अल्लाह तआला पर, क़यामत के दिन पर, फ़रिश्तों पर, किताबुल्लाह पर और नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो उसकी मुहब्बत में माल ख़र्च करे। क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफ़िरों और सवाल करने वाले को दे, गुलामों को आज़ाद करे, नमाज़ की पाबन्दी और ज़कात की अदायगी करे, जब वा'दा करे तब उसे पूरा करे। तंगदस्ती दुख, दर्द और लड़ाई के वक़्त सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेज़गार हैं।''(177)

भलाई, नेकी क्या है? (आयत 177) : इस आयत मे सहीह अक़ीदा और राहे-मुस्तक़ीम की ता'लीम हो रही है। हज़रत अबू ज़र (رضي الله عنه) ने जब हुज़ूर (ﷺ) से ईमान के बारे में सवाल किया कि ईमान क्या चीज़ है? तो हुज़ूर (ﷺ) ने इस आयत की तिलावत की। उन्होंने फिर सवाल किया, हुज़ूर (ﷺ) ने फिर यही आयत तिलावत फ़र्माई। फिर यही सवाल किया। आपने फ़र्माया, सुनो! नेकी से मुहब्बत और बुराई से अदावत ईमान है।'' (इब्ने अबी हातिम) लेकिन इस रिवायत की सनद मुंक़तअ है। मुजाहिद (रह.) हज़रत अबू ज़र (رضي الله عنه) से यह हदीस रिवायत करते हैं, हालाँकि अबू ज़र से इनकी मुलाक़ात साबित नहीं। एक शख़्स ने हज़रत अबू ज़र (رضي الله عنه) से सवाल किया कि ईमान क्या है? तो आपने यही आयत तिलावत फ़र्माई। उसने कहा, हज़रत! मैं आपसे भलाई के बारे में सवाल नहीं करता, मेरा सवाल ईमान के बारे में है तो आपने फ़र्माया, सुनो! एक शख़्स ने यही सवाल हुज़ूर (ﷺ) से किया। आपने इसी आयत की तिलावत फ़र्माई। वह भी तुम्हारी तरह राज़ी न हुआ तो आपने फ़र्माया, ''मो'मिन जब नेक काम करता है तो उसका जी ख़ुश हो जाता है और उसे सवाब की उम्मीद होती है और जब गुनाह करता है तो उसका दिल ग़मगीन हो जाता है और वह अज़ाब से डरने लगता है।'' (इब्ने मर्दवे) यह रिवायत भी मुंक़तअ है। अब इस आयत की तफ़्सीर सुनिए, मो'मिनों को पहले तो हुक्म हुआ कि वह बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ें फिर उन्हें का'बा की तरफ़ घुमा दिया गया जो अहले-किताब पर और कुछ ईमानवालों पर भी शाक़ गुज़रा, पस अल्लाह तआला ने इसकी हिक्मत बयान फ़र्माई कि इसका अस़ल मक़्सद अल्लाह तआला के फ़र्मान की इताअत है वह जिधर चेहरा करने को कहे, कर लो। अस़ल तक़्वा, अस़ल भलाई और कामिल ईमान यही है कि मालिक के ज़ेरे फ़र्मान रहे। अगर कोई मश्रिक़ की तरफ़ चेहरा करे या मग़्रिब की तरफ़ चेहरा कर ले और अल्लाह का हुक्म न हो तो वह इस तवज्जह से ईमानदार नहीं हो जाएगा बल्कि हक़ीक़त में बाईमान वह है जिसमें वह औसाफ़ (ख़ूबियाँ) हों जो इस आयत में बयान हुए।

कुरआन-करीम ने एक और जगह फ़र्माया है لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا (22/हज्ज : 37) या'नी तुम्हारी क़ुर्बानियों के गोश्त और ख़ून अल्लाह को नहीं पहुँचते बल्कि उस तक तक़्वा पहुँचता है। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) इस आयत की तफ़्सीर में फ़र्माते हैं कि तुम नमाज़ें पढ़ो और दूसरे आ'माल न करो, यह कोई भलाई नहीं। यह हुक्म उस वक़्त था जब मक्का से मदीना की तरफ़ लौटे थे लेकिन फिर उसके बाद और फ़राइज़ और मज़ीद अहकाम भी नाज़िल हुए और उन पर अमल करना ज़रूरी क़रार दिया गया। मश्रिक़ व मग़्रिब को इसलिए ख़ास़ किया गया कि यहूद मग़्रिब की तरफ़ और अंस़ार मश्रिक़ की तरफ़ चेहरा किया करते थे। पस ग़र्ज़ यह है कि यह तो सिर्फ़ ईमान का कलाम है और हक़ीक़ते ईमान का अमल है। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, भलाई यह है कि इताअत का माद्दा दिल में पैदा हो जाए, फ़राइज़ पाबंदी के साथ अदा हों, तमाम भलाईयों का आमिल हो। हक़ तो यह है कि जिसने इस आयत पर अमल किया, उसने कामिल इस्लाम ले लिया और दिल खोलकर भलाई समेट ली। उसका ज़ाते बारी पर ईमान है। यह वह जानता है कि मा'बूदे बरहक़ वही है। फ़रिश्तों के वजूद को और इस बात को कि वह अल्लाह का पैग़ाम अल्लाह के मख़सूस बन्दों पर लाते हैं, यह मानता है। तमाम आसमानी किताबों को बरहक़ जानता है और सबसे आख़िरी किताब क़ुरआन-करीम को जो कि अगली

किताबों की तस्दीक़ करने वाली तमाम भलाईयो को जामेअ़ (जमा करने वाली) और दीनो दुनिया की सआ़दत को शामिल है, वह मानता है। इसी तरह अव्वल से आख़िर तक के तमाम अम्बिया पर भी उसका ईमान है बिलख़ुसूस ख़ातिमुल अम्बिया रसूलुल्लाह (ﷺ) पर भी। माल को बावजूद माल की मुहब्बत के अल्लाह की राह में ख़र्च करता है।

बेहतरीन सदक़ा : सहीह हदीस में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "अफ़ज़ल सदक़ा यह है कि तू अपनी सेहत और माल की मुहब्बत की हालत में अल्लाह के नाम पर दे बावजूद यह कि तुझे माल की कमी का अंदेशा हो और ज़्यादती की रग़बत हो।" (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाब फ़ज़्लुस्सदक़तिश्शहीहिस्सहीह : 1419; सहीह मुस्लिम : 1032) मुस्तदरक हाकिम में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (व आतल माल अ़ला हुब्बिही) पढ़कर फ़र्माया कि, "इसका मतलब यह है कि तुम सेहत में और माल की चाहत की हालत में फ़क़ीरी से डरते हुए और अमीरी की ख़्वाहिश रखते हुए सदक़ा करो।" लेकिन इस रिवायत का मौक़ूफ़ होना ज़्यादा सहीह है। असल में यह फ़र्मान हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) का है। क़ुरआन-करीम में सूरह दहर में फ़र्माया وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ (76/दहर : 8) "मुसलमान बावजूद खाने की चाहत के मिस्कीनों, यतीमों और क़ैदियों को खाना खिलाते हैं, और कहते हैं कि हम तुम्हें अल्लाह की ख़ुशनुदी के लिए खिलाते हैं, न तुमसे इसका बदला चाहते हैं, न शुक्रिया।" और जगह है لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (3/आले इमरान : 92) जब तक तुम अपनी चाहत की चीज़ें अल्लाह के नाम पर न दो, तुम हक़ीक़ी भलाई नहीं पा सकते।" और जगह फ़र्माया وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (59/हश्र : 9) या'नी "बावजूद अपनी हाजत और ज़रूरत के भी वह दूसरों को अपने नफ़्स पर मुक़द्दम करते हैं।" पस यह लोग बड़े पाया के हैं क्योंकि पहली क़िस्म के लोगों ने तो अपनी पसंदीदा चीज़ बावजूद उसकी मुहब्बत के दूसरों को दी लेकिन उन बुज़ुर्गों ने अपनी चाहत की वह चीज़ जिसके वह ख़ुद मुहताज थे, दूसरों को दे दी और अपनी हाजतमंदी का ख़्याल भी न किया।

ज़विल क़ुर्बा का मतलब : ज़विल क़ुर्बा उन्हें कहते हैं जो रिश्तेदार हों, सदक़ा देने के वक़्त यह दूसरों से ज़्यादा मुक़द्दम हैं। हदीस में है मिस्कीन को देना इकहरा सवाब है और क़राबतदार मिस्कीन को देना दोहरा सवाब है। एक सवाब सदक़ा का दूसरा सिलह रहमी का। (तिर्मिज़ी, किताबुज़्ज़कात, बाब मा जाअ फ़िस्सदक़ति अ़ला ज़विल क़ुर्बा : 658; वहुव सहीह; नसाई : 2583; इब्ने माजा : 1844; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीहुत्तर्ग़ीब : 892) तुम्हारी बख़्शिश और ख़ैरातों के ज़्यादा मुस्तहिक़ यह हैं। क़ुरआन-करीम में इनके साथ सुलूक करने का हुक्म कई जगह है।

यतामा : यतीम से मुराद वह छोटे बच्चे हैं जिनके वालिद फ़ौत हो गए हों और कोई उनका कमाने वाला न हो, न ख़ुद उन्हें अपनी रोज़ी हासिल करने की क़ुव्वत और ताक़त हो। हदीस में है बुलूग़त के बाद यतीमी नहीं रहती। (अबूदाऊद, किताबुल वसाया, बाब मा जाअ मता यंक़तिउ़ल यतीम : 2873; व सनद ज़ईफ़)

मसाकीन : मसाकीन वह हैं जिनके पास इतना हो जो उनके खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, रहने-सहने को काफ़ी हो सके, उनके साथ भी हुस्न-सुलूक किया जाए जिससे उनकी हाजत पूरी हो और फ़क़्रो फ़ाक़ा व ज़िल्लत की

ह्रालत से बच सकें। बुख़ारी व मुस्लिम में ह़ज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''मिस्कीन सिर्फ़ वही लोग नहीं जो मांगते-फिरते हों और एक-एक दो-दो खजूरें या एक-एक दो-दो लुक़्मे रोटी के ले जाते हों बल्कि मिस्कीन वह भी हैं जिनके पास इतना न हो कि उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें और न वह अपनी ह्रालत ऐसी बनाएँ जिससे लोगों को इल्म हो जाए और लोग उन्हें कुछ दे दें।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाब : 53; ह़ : 1479; सह़ीह़ मुस्लिम : 1039)

इब्नुस्सबील : इब्नुस्सबील मुसाफ़िर को कहते हैं। यहाँ मुराद वह मुसाफ़िर हैं जिनके पास सफ़र ख़र्च ख़त्म हो चुका हो, उन्हें इतना दिया जाए जिससे यह आसानी से अपने वत़न पहुँच जाएँ। इसी त़रह़ वह शख़्स भी जो इत़ाअ़ते इलाही में सफ़र कर रहा हो, उसे जाने आने का ख़र्च देना। मेहमान भी इसी हुक्म में आते हैं। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) मेहमान को भी इब्नुस्सबील में दाख़िल करते हैं और दूसरे बुज़ुर्ग सल्फ़ भी।

साइलीन : साइलीन वह लोग हैं जो अपनी ह़ाजत ज़ाहिर करके लोगों से कुछ माँगें, उन्हें भी सदक़ा ज़कात देना चाहिए। हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, साइल का ह़क़ है, भले वह घोड़े पर सवार होकर आए। (अबूदाऊद, किताबुज़्ज़कात, बाब हक़्क़ुस्साइल 1665 वहुव ह़दीसुन ह़सन)

रिक़ाब : फ़िर्रिक़ाब से मुराद गुलामों की आज़ादी है, ख़्वाह यह वह गुलाम हों जिन्होंने अपने मालिकों को मुक़र्ररह क़ीमत की अदायगी का लिख दिया हो कि इतना हम तुम्हे दे दें तो हम आज़ाद हैं। लेकिन अब उन बेचारों के पास मालिकों को देने के लिए कुछ भी नहीं, तो उनकी इमदाद करके उन्हें आज़ाद कराना। अर रिक़ाब और इस क़िस्म के दूसरे लोंगो की बाक़ी तफ़्सीर सूरह बरा'त में इन्नमस्सदक़ात की तफ़्सीर में बयान होगी, इंशाअल्लाह! ह़ज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''माल में ज़कात के सिवा अल्लाह तआ़ला का कुछ और ह़क़ भी है'' फिर आपने यह आयत पढ़कर सुनाई। इस ह़दीस का एक रावी अबू ह़म्ज़ा मैमून आ'वर ज़ईफ़ है।

नमाज़ और ज़कात : फिर फ़र्माया, नमाज़ को वक़्त पर पूरे रुकूअ़ सुजूद इत्मिनान और आराम ख़ुशूअ़ व खुज़ूअ़ के साथ अदा करे जिस त़रह़ कि अदायगी का शरीअ़त में हुक्म है और ज़कात भी अदा करे, या यह मा'नी कि अपने नफ़्स को वाही बातों और ज़लील अख़्लाक़ों से पाक करे। जैसे फ़र्माया, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰهَا (91/शम्स : 9) या'नी ''अपने नफ़्स को पाक करने वाला फ़लाह़ पा गया और उसे गंदगी से आलूदा करने वाला तबाह हो गया।'' मूसा (ﷺ) ने फ़िरऔन से भी यही फ़र्माया था कि هَلْ لَّكَ إِلَىٰٓ أَنْ تَزَكَّىٰ (79/नाज़िआ़त : 18) और जगह अल्लाह तआ़ला का फ़र्मान है (وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ) (41/फ़ुस्सिलत : 6-7) या'नी ''उन मुश्रिकों के लिए वैल है जो ज़कात अदा नहीं करते या यह कि जो अपने आपको शिर्क से पाक नहीं करते'' पस यहाँ मुंदर्जा बाला आयत में ज़कात से मुराद ज़काते नफ़्स या'नी अपने आपको गंदगियों और शिर्क व कुफ़्र से पाक करना है, और मुम्किन है माल की ज़कात मुराद हो अगर ऐसा हो तो फिर बाक़ी और अह़काम नफ़्ली सदक़ा से मुता'ल्लिक़ समझे जायेंगे। जैसे ऊपर ह़दीस बयान हुई कि माल में ज़कात के सिवा

और ह़क़ भी हैं। फिर फ़र्माया, वा'दा पूरे करने वाले। जैसे और जगह है يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ अल्ख़ (13/रअ़द : 20) ''यह लोग अल्लाह के अ़हद को पूरा करते हैं और वा'दे नहीं तोड़ते।''

मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ : वा'दे तोड़ना निफ़ाक़ की ख़स्लत है। जैसे ह़दीस में है ''मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ हैं। बात करते हुए झूठ बोलना, वा'दाख़िलाफ़ी करना, अमानत में ख़यानत करना।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब अ़लामातुल मुनाफ़िक़ : 33; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 59) एक और ह़दीस में है झगड़े के वक़्त गालियाँ बकना। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब अ़लामातुल मुनाफ़िक़ : 34; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 58) फिर फ़र्माया, फ़क़्रो फ़ाक़ा में माल की कमी के वक़्त बदन की बीमारी के वक़्त लड़ाई के मौक़े पर दुश्मनाने दीन के सामने मैदाने जंग में जिहाद के वक़्त स़ब्र व सहारा करने वाले और लोहे की लाठी की त़रह़ जम जाने वाले। (स़ाबिरीन) का नस़ब बत़ौर मदह़ के है। इन सख़्तियों और मुसीबतों के वक़्त स़ब्र की ता'लीम और तल्क़ीन हो रही है। अल्लाह तआ़ला हमारी मदद करे। हमारा भरोसा उसी पर है। फिर फ़र्माया, इन औस़ाफ़ वाले लोग ही सच्चे ईमान वाले हैं। इनका ज़ाहिर (खुला) व बात़िन (छुपा) क़ौल व फ़े'ल यक्साँ है और मुत्तक़ी भी यही लोग हैं क्योंकि इत़ाअ़त गुज़ार हैं और नाफ़र्मानियों से दूर हैं।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

तर्जुमा : ''ईमानवालों! तुम पर मक़्तूलों का क़िस़ास़ लेना फ़र्ज़ किया गया है, आज़ाद आज़ाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले, जिस किसी को उसके भाई की त़रफ़ से कुछ माफ़ी दे दी जाए उसे भलाई के पीछे लगना चाहिए, और आसानी के साथ दियत अदा करनी चाहिए, तुम्हारे रब की त़रफ़ से यह तख़्फ़ीफ़ और रह़मत है, उसके बाद भी जो सरकशी करे, उसे दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। (178) अ़क़्लमन्द, क़िस़ास़ में तुम्हारे लिए ज़िन्दगी है इस बाइस तुम (क़त्ले नाह़क़ से) बचे रहोगे।'' (179)

क़िस़ास़ का मसला (आयत 178-179) : या'नी ऐ मुसलमानों! क़िस़ास़ के वक़्त अ़द्ल (इंस़ाफ़) से काम लिया करो, आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत, इसके बारे में ह़द से न बढ़ो, जैसे कि अगले लोग ह़द से बढ़ गए और अल्लाह के हुक्म को बदल दिया। इस आयत का शाने-नुज़ूल यह है कि जाहिलियत के ज़माने में बनू क़ुरैज़ा और बनू नज़ीर की जंग हुई थी, जिसमें बनू नज़ीर ग़ालिब आए थे। अब यह दस्तूर हो गया था कि जब

नज़री किसी क़ुर्ज़ी को क़त्ल करे तो उसके बदले उसे क़त्ल न किया जाता था बल्कि एक सौ वसक़ खजूर बतौर दियत में ली जाती थी और जब बनू क़ुरैज़ा का कोई आदमी बनू नज़ीर को क़त्ल कर देता तो क़िसास में उसको क़त्ल कर दिया जाता और दियत ली जाए तो डबल या'नी दो सौ वसक़ खजूर ली जाती थी। पस अल्लाह तआला ने जाहिलियत की इस रस्म को मिटा दिया और अदल व मसावात का हुक्म दिया। अबू हातिम की रिवायत में इस आयत का शाने-नुज़ूल इस तरह बयान हुआ कि अरब के दो क़बीलों में जिदाल व क़िताल हुआ था, इस्लाम के बाद उसका बदला लेने की ठानी और कहा कि हमारे गुलाम के बदले उनका आज़ाद क़त्ल हो और औरत के बदले मर्द क़त्ल हो तो उनके रद्द में आयत नाज़िल हुई और यह हुक्म भी मंसूख़ है। क़ुरआन फ़र्माता है اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ। पस हर क़ातिल मक़्तूल के बदले मार डाला जाएगा ख़्वाह आज़ाद ने किसी गुलाम को क़त्ल किया हो ख़्वाह उसके बरअक्स हो। ख़्वाह मर्द ने औरत को क़त्ल किया हो, ख़्वाह इसके बरअक्स हो। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि यह लोग मर्द को औरत के बदले क़त्ल नहीं करते थे। जिस पर اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ।(5/माइदा : 45) नाज़िल हुई।

पस आज़ाद लोग सब बराबर हैं, जान के बदले जान ली जायेगी ख़्वाह क़ातिल मर्द हो ख़्वाह औरत हो। इसी तरह मक़्तूल ख़्वाह मर्द हो ख़्वाह औरत हो जबकि एक आज़ाद इंसान ने एक आज़ाद इंसान को मार डाला है तो इसे भी मार डाला जायेगा। इसी तरह यही हुक्म गुलामों और लौण्डियों में भी जारी होगा और जो कोई जान लेने के इरादे से दूसरे को क़त्ल करेगा, वह क़िसास में क़त्ल किया जाएगा और यही हुक्म क़त्ल के अलावा और ज़ख़्मों का और दूसरे आ'ज़ा की बर्बादी का भी है। इमाम मालिक (रह.) भी इस आयत को اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ। से मंसूख़ बतलाते हैं।

मसला : इमाम अबू हनीफ़ा, सौरी, इब्ने अबी लैला और दाऊद (रह.) का मज़हब है कि आज़ाद ने अगर गुलाम को क़त्ल किया है तो इसके बदले वह भी क़त्ल किया जाएगा। हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत इब्राहीम नख़ई, हज़रत क़तादा, और हज़रत हकम (रह.) का भी यही मज़हब है। इमाम बुख़ारी, अली बिन मदीनी, इब्राहीम नख़ई और एक और रिवायत की रू से हज़रत सौरी का भी यही मज़हब है कि अगर कोई आक़ा अपने गुलाम को मार डाले तो उसके बदले उसकी जान ली जाएगी। (अबूदाऊद, किताबुद् दियात, बाब मन क़तल अब्दहू अव मसल बिही : 4515; वहुव हदीस हसन, तिर्मिज़ी : 1414; नसाई : 4740; इब्ने माजा : 2663) इस हदीस के ख़िलाफ़ न तो कोई सहीह हदीस है, न कोई ऐसी तावील हो सकती है जो इसके ख़िलाफ़ हो लेकिन ताहम सिर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का मज़हब यह है कि मुसलमान काफ़िर के बदले क़त्ल कर दिया जाए।

मसला : हज़रत हसन बसरी और हज़रत अता (रह.) का क़ौल है कि मर्द औरत के बदले क़त्ल न किया जाए और दलील में मुंदर्जा बाला आयत को पेश करते हैं लेकिन जुम्हूर उलमा-ए-इस्लाम इसके ख़िलाफ़ हैं क्योंकि सूरह माइदा की आयत आम है जिसमें (अन्नफ़्सु बिन्नफ़्सि) मौजूद है। इसके अलावा हदीस में भी है (**अल मुस्लिमूना व तकाफ़उ दिनाउहुम**) (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िस्सरिय्यति तुरद्दु अला अहलि अस्कर : 2751; वहुव हदीस हसन) या'नी ''मुसलमानों के ख़ून आपस में यक्साँ हैं।'' हज़रत लेस (रह.) का मज़हब है कि शौहर अगर अपनी बीवी को मार डाले तो ख़ासकर इसके बदलेउसकी जान नहीं ली जाएगी।

मसला : चारों अइम्मा और जुम्हूर उम्मत का मज़हब है कि कई लोगों ने मिलकर एक मुसलमान को क़त्ल किया हो तो वह सारे उस एक के बदले क़त्ल कर दिये जाएँगे। हज़रत उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) के दौरे हुकूमत में सात आदमियों ने

मिलकर एक आदमी को क़त्ल कर दिया तो हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) ने उन सातों को एक के बदले में क़त्ल करा दिया और फ़र्माया, अगर सन्आ बस्ती के सब लोग उस क़त्ल में शरीक होते तो मैं सबको क़त्ल करा देता। (मुअत्ता : 2/871; ह : 1688; वहुव सहीह) आपके इस फ़र्मान का ख़िलाफ़ आपके ज़माने में किसी सहाबी (رضی اللہ عنہ) ने नहीं किया। पस इस बात पर गोया इज्माअ हो गया, लेकिन इमाम अहमद (रह.) से मरवी है कि वह फ़र्माते हैं कि एक के बदले सिर्फ़ एक ही क़त्ल किया जाए, ज़्यादा क़त्ल न किए जाएँ। हज़रत मुआज़, हज़रत इब्ने ज़ुबैर (رضی اللہ عنہ), अब्दुल मलिक बिन मरवान, ज़ुहरी, इब्ने सीरीन, हबीब बिन अबी साबित (रह.) से भी यह क़ौल मरवी है। इब्नुल मुंज़िर (रह.) फ़र्माते हैं यही ज़्यादा सहीह है और एक जमाअत को एक मक़्तूल के बदले क़त्ल करने की कोई दलील नहीं और हज़रत इब्ने ज़ुबैर (رضی اللہ عنہ) से यह साबित है कि वह इस मसला को नहीं मानते थे। पस जब सहाबा (رضی اللہ عنہ) में इख़्तिलाफ़ हुआ तो अब मसला ग़ौरतलब हो गया।

फिर फ़र्माता है कि यह और बात है कि किसी क़ातिल को मक़्तूल का कोई वारिस कुछ हिस्सा माफ़ कर दे या'नी क़त्ल के बदले वह दियत क़बूल कर ले या दियत भी अपने हिस्से की छोड़ दे और साफ़ माफ़ कर दे। अगर वह दियत पर राज़ी हो गया है तो क़ातिल पर मुश्किल न डाले बल्कि अच्छाई से वसूल करे और क़ातिल को भी चाहिए कि भलाई के साथ उसे अदा कर दे हील व हुज्जत न करे।

मसला : इमाम मालिक (रह.) का मशहूर मज़हब और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और आपके शागिर्दों का और इमाम शाफ़ई (रह.) और इमाम अहमद (रह.) का एक रिवायत की रू से यह मज़हब है कि मक़्तूल के ओलिया का क़िसास छोड़कर दियत पर राज़ी होना उस वक़्त जाइज़ है जब ख़ुद क़ातिल भी उस पर आमादा हो लेकिन और बुज़ुर्गाने दीन फ़र्माते हैं कि इसमें क़ातिल की रज़ामन्दी शर्त नहीं।

मसला : सलफ़ की एक जमाअत कहती है कि औरतें क़िसास से दरगुज़र करके दियत पर अगर रज़ामंद हों तो उनका ऐ'तिबार नहीं। हसन, क़तादा, ज़ुहरी, इब्ने शुबरमा, लेस और औज़ाई (रह.) का यही मज़हब है लेकिन बाक़ी उलमा-ए-दीन इनके मुख़ालिफ़ हैं, वह फ़र्माते हैं कि अगर किसी औरत ने भी दियत पर रज़ामंदी ज़ाहिर की तो क़िसास जाता रहेगा।

फिर फ़र्माता है कि जान-बूझकर क़त्ल करने में दियत लेना यह अल्लाह की तरफ़ से तख़फ़ीफ़ और मेहरबानी है। अगली उम्मतों को यह इख़्तियार न था। हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं बनी इस्राईल पर क़िसास फ़र्ज़ था, उन्हें क़िसास से दरगुज़र करने और दियत लेने की इजाज़त न थी लेकिन इस उम्मत पर यह मेहरबानी हुई कि दियत लेनी भी जाइज़ की गई तो यहाँ तीन चीज़ें हुईं, क़िसास, दियत, और माफ़ी। अगली उम्मतों में सिर्फ़ क़िसास और माफ़ी ही थी, दियत न थी। कुछ लोग कहते हैं कि अहले तौरात के यहाँ सिर्फ़ क़िसास और माफ़ी थी और अहले इंजील के यहाँ सिर्फ़ माफ़ी ही थी। फिर फ़र्माया, जो शख़्स दियत या'नी जुर्माना लेने के बाद या दियत क़बूल कर लेने के बाद भी ज़्यादती पर तुल जाए उसके लिए सख़्त दर्दनाक अज़ाब है। मसलन दियत भी ले ली और फिर क़त्ल के दर पे हुआ वग़ैरह।

रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "जिस शख़्स का कोई मक़्तूल या मजरूह हो तो उसे तीन बातों में से एक का इख़्तियार है या क़िसास या'नी बदला ले या दरगुज़र करे और माफ़ कर दे, या दियत या'नी जुर्माना ले ले और अगर कुछ अदा करना चाहे तो उसे रोक दो, उनमें से किसी एक चीज़ पर रज़ामन्दी के बाद भी जो ज़्यादती करे वह हमेशा के लिए

जहन्नमी हो जाएगा। "(अहमद) (अबूदाऊद, किताबुद् दियात, बाब अल इमाम यामुरु बिल अफ़ुव्व फ़िद् दम : 4496; व सनदुहू ज़ईफ़, इब्ने माजा, किताबुद् दियात, बाब मन क़तल लहू क़तील फ़हुव .....: 2623; शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे ज़ ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 7/279) दूसरी हदीस में है कि "जिसने दियत ले ली फिर क़ातिल को क़त्ल किया तो अब मैं उससे दियत भी न लूँगा बल्कि उसे क़त्ल ही कराऊँगा।" (अबूदाऊद, किताबुद् दियात, बाब मन क़तल बअ़द अख़ज़द् दियत : 4507; व सनद ज़ईफ़)

फिर इर्शाद होता है कि अक़्लमन्दों क़िसास़ में नस्ले इंसानी की बक़ा है, उसमें हिक्मते अज़ीमा है गो बज़ाहिर तो यह मा'लूम होता है कि एक के बदले एक क़त्ल हुआ तो दो मरे लेकिन दरअस़ल अगर सोचो तो पता चलेगा कि यह सबबे ज़िन्दगी है। क़ातिल को ख़ुद ख़्याल होगा कि मैं उसे क़त्ल न करूँ वरना ख़ु द भी क़त्ल कर दिया जाऊँगा तो वह इस बद काम से रुक जायेगा तो दो आदमी क़त्ल व ख़ून से बच गए। अगली किताबों में भी यह बात तो बयान फ़र्माई थी कि अल्क़त्लु अन्फ़ा लिल्क़त्लि, क़त्ल क़त्ल को रोक देता है। लेकिन क़ुरआन में बहुत ही फ़स़ाहत व बलाग़त के साथ इस मज़्मून को बयान किया गया। फिर फ़र्माया, यह तुम्हारे बचाव का सबब है कि एक तो अल्लाह की नाफ़र्मानी से महफ़ूज़ रहोगे, दूसरे न कोई किसी को क़त्ल करेगा न वह क़त्ल किया जाएगा। ज़मीन पर अमनो अमान, सुकून व सलामती रहेगी, तक़्वा तमाम नेकियों के करने और तमाम बुराईयों के छोड़ने का हुक्म का नाम है।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ
إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

तर्जुमा : "जब तुममें से किसी पर मौत हाज़िर होने का वक़्त आ लगा और मरने वाला माल छोड़ जाने वाला हो तो उस पर फ़र्ज़ है कि वस़िय्यत कर जाए, माँ-बाप और नाते वालों के लिए भले तरीक़े पर और यह हक़ है परहेज़गारों पर। (180) फिर जो कोई वस़िय्यत को सुनने के बाद बदल डाले तो उसका गुनाह बदलने वालों पर होगा, बेशक अल्लाह ख़ूब सुनने वाला और जानने वाला है। (181) हाँ! अगर सुनने वाले को यह एह सास हो कि वस़िय्यत करने वाले ने किसी ख़ास़ शख़्स़ की तरफ़दारी या किसी की हक़तल्फ़ी की है, तो फिर वारिसों के बीच इस़्लाह़ करा दे, तो उस पर गुनाह नहीं, अल्लाह यक़ीनन बख़्शने वाला मेहरबान हैं।" (182)

वसिय्यत का मतलब और तफ़्सील (आयत 180-182): इस आयत में माँ बाप और क़राबतदारों के लिए वसिय्यत करने का हुक्म हो रहा है। सहीह क़ौल के मुताबिक़ मीरास के हुक्म से पहले यह वाजिब था। लेकिन मीरास के अहकाम ने इस वसिय्यत के हुक्म को मंसूख़ (ख़त्म) कर दिया। हर वारिस अपना मुक़र्ररा हिस्सा बग़ैर वसिय्यत के ले लेगा। सुनन वग़ैरह में हज़रत अम्र बिन ख़ारिजा (رضي الله عنه) से रिवायत है। कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़ुत्बा में यह फ़र्माते हुए सुना कि "अल्लाह तआला ने हर हक़दार को उसका हक़ पहुँचा दिया है। अब किसी वारिस के लिए कोई वसिय्यत नहीं।" (तिर्मिज़ी, किताबुल वसाया, बाब मा जाअ ला वसिय्यत लि वारिसिन : 2121; वहुव हसन; नसई : 3671; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे हसन क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 6/88) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) सूरह बक़रह की तिलावत करते हैं, जब इस आयत पर पहुँचते हैं तो फ़र्माते हैं, यह आयत मंसूख़ है (मुस्नद अहमद) (हाकिम : 2/273; ह : 3083, 2/281; ह : 3110; व सुनन अबी दाऊद : 2869; व सनद हसन) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से यह भी मरवी है कि पहले माँ बाप के साथ और कोई रिश्तेदार वारिस न था, बाक़ी अक़रबा के लिए सिर्फ़ वसिय्यत होती थी। फिर मीरास की आयात नाज़िल हुईं और एक तिहाई माल में वसिय्यत का इख़्तियार बाक़ी रहा। इस आयत के हुक्म को मंसूख़ करने वाली आयत (लिर्रिजालि नसीबुन) अल्ख़ है। हज़रत इब्ने उमर, हज़रत अबू मूसा (رضي الله عنه), सईद बिन मुसय्यिब, हसन, मुजाहिद, अता, सईद बिन जुबैर, मुहम्मद बिन सीरीन, इक्रिमा, ज़ैद बिन असलम, रबीअ बिन अनस, क़तादा, सुदी, मुक़ातिल बिन हय्यान, ताउस, इब्राहीम नख़ई, शुरैह, ज़ह्हाक और ज़ुहरी (रह़.) यह सब हज़रात भी इस आयत को मंसूख़ बताते हैं लेकिन बावजूद इसके ता'ज्जुब है कि इमाम राज़ी (रह़.) ने अपनी तफ़्सीर कबीर में अबू मुस्लिम अस्फ़हानी से यह कैसे नक़्ल कर दिया कि यह आयत मंसूख़ नहीं बल्कि आयते मीरास इसकी तफ़्सीर है।

और मतलब आयत का यह है कि तुम पर वह वसिय्यत फ़र्ज़ की गई जिसका बयान आयत يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (4/निसाअ : 11) में है और यही क़ौल अकसर मुफ़स्सिरीन और मुअतबर फ़ुक़हा का है। कुछ कहते हैं कि वसिय्यत का हुक्म वारिसों के हक़ में मंसूख़ है लेकिन जिनका वरसा मुक़र्रर नहीं उनके हक़ में साबित है। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه), हसन, मसरूक़, ताउस, ज़ह्हाक, मुस्लिम बिन यसार, और अलाअ बिन ज़ियाद (रह़.) का मज़हब भी यही है। मैं कहता हूँ, सईद बिन जुबैर, रबीअ बिन अनस, क़तादा और मुक़ातिल बिन हय्यान (रह़.) भी यही कहते हैं लेकिन इन हज़रात के इस क़ौल की बिना पर बाद के फ़ुक़हा की इस्लाह में यह आयत मंसूख़ नहीं ठहरती, इसलिए कि मीरास की आयत से वह लोग तो इस हुक्म से मख़्सूस हो गए जिनका हिस्सा शरीअत ने ख़ुद मुक़र्रर कर दिया है और जो इससे पहले इस आयत के हुक्म की रू से वसिय्यत में दाख़िल थे क्योंकि क़राबतदार आम हैं, ख़्वाह उनका वरसा मुक़र्रर हो या न हो तो अब वसिय्यत उनके लिए रही जो वारिस नहीं और जो वारिस हैं उनके हक़ में न रही। यह क़ौल और कुछ दीगर हज़रात का यह क़ौल कि वसिय्यत का हुक्म इब्तिदा-ए-इस्लाम में था और वह भी ग़ैर-ज़रूरी, दोनों का मतलब क़रीबन एक हो गया।

लेकिन जो लोग वसिय्यत के इस हुक्म को वाजिब कहते हैं और रवानी इबारत और सियाक़े कलाम से भी बज़ाहिर यही मा'लूम होता है उनके नज़दीक तो यह आयत मंसूख़ ही ठहरेगी। जैसे कि अकसर मुफ़स्सिरीन और मुअतबर फ़ुक़हा-ए-किराम का क़ौल है पस वालिदेन और विरासत पाने वाले क़राबतदारों के लिए वसिय्यत करना बिल इज्माअ मंसूख़ है बल्कि मम्नूअ है। हदीस में आ चुका है कि अल्लाह तआला ने हर हक़दार को उसका हक़ दे दिया है, अब वारिस के लिए कोई वसिय्यत नहीं। आयते-मीरास का हुक्म मुस्तक़िल है और अल्लाह तआला की तरफ़ से वह वाजिब और फ़र्ज़ है, ज़विल फ़ुरूज़ और अस्बात का हिस्सा मुक़र्रर है और इससे इस आयत का हुक्म कुल्लियतन उठ गया, बाक़ी रह गए वह क़राबतदार जिनका वरसा मुक़र्रर नहीं, उनके लिए तिहाई माल में वसिय्यत करना मुस्तहब है कुछ तो इसका हुक्म इस आयत से भी निकलता है और दूसरा यह कि हदीस में साफ़ आ चुका है।

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं,''किसी मुसलमान मर्द को लायक़ नहीं कि उसके पास कोई चीज़ हो और वह वसिय्यत करनी चाहता हो तो दो रातें भी बग़ैर वसिय्यत लिखे गुज़ार दे।''रावी हदीस हज़रत उमर (ﷺ) के साहबज़ादे फ़र्माते हैं, इस फ़र्मान के सुनने के बाद मैंने तो एक रात भी बिला वसिय्यत नहीं गुज़ारी। (सहीह बुख़ारी, किताबुल वसाया, बाबुल वसाया : 2738; सहीह मुस्लिम : 1627) क़राबतदारों और रिश्तेदारों से सुलूक करने के बारे में बहुत सी आयात और अहादीस आई हैं। एक हदीस में है, ''अल्लाह तआला फ़र्माता है ऐ इब्ने आदम! तू जो माल मेरी राह में ख़र्च करेगा मैं उसकी वजह से तुझे पाक व साफ़ करूँगा और तेरे इंतिक़ाल के बाद भी अपने नेक बन्दों की दुआओं का सबब बनाऊँगा।'' (अब्द बिन हुमैद फ़ी मुस्नदिही : 769; इब्ने माजा : 2710; व सुनन दारे क़ुत्नी : 4/148; इसकी सनद मुबारक बिन हस्सान की वजह से ज़ईफ़ है।)

(ख़ैरा) से मुराद यहाँ माल है, अकसर जलीलुल क़द्र मुफ़स्सिरीन की यही तफ़्सीर है। कुछ मुफ़स्सिरीन का तो यह क़ौल है कि माल ख़्वाह थोड़ा हो ख़्वाह ज़्यादा, वसिय्यत मशरूअ है। जैसे मीरास थोड़े माल में भी है और ज़्यादा में भी। कुछ कहते हैं वसिय्यत का हुक्म उस वक़्त है जब ज़्यादा माल हो। हज़रत अली (ﷺ) से ज़िक्र होता है, एक क़ुरैशी मर गया है और तीन चार सौ दीनार उसके वरसा में थे, उसने वसिय्यत कुछ न की थी। आपने फ़र्माया, यह रक़म वसिय्यत के क़ाबिल ही नहीं, अल्लाह तआला ने (इन तरक ख़ैरन) फ़र्माया है। एक और रिवायत में है कि हज़रत अली (ﷺ) एक बीमार की बीमारपुर्सी को गए। उससे किसी ने कहा, वसिय्यत करो तो आपने फ़र्माया, वसिय्यत ख़ैर में होती है और तू तो कम माल छोड़ रहा है, उसे अपनी औलाद के लिए ही छोड़ जा। हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) फ़र्माते हैं, साठ दीनार जिसने नहीं छोड़े उसने ख़ैर नहीं छोड़ी यानी उसके ज़िम्मे वसिय्यत करना नहीं। ताउस अस्सी दीनार बताते हैं, क़तादा एक हज़ार बताते हैं।

मअरूफ़ से मुराद नर्मी और एहसान है। हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं वसिय्यत करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है, वसिय्यत जाइज़ करे नाजाइज़ नहीं और वारिसों को नुक़सान न पहुँचाए, इसराफ़ और फ़िज़ूल

ख़र्ची भी न करे। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हज़रत सअ़द (ﷺ) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं मालदार हूँ और मेरी वारिस सिर्फ़ मेरी एक लड़की ही है तो आप इजाज़त दीजिए कि मैं अपने दो तिहाई माल की वसिय्यत कर दूँ। आपने फ़र्माया, नहीं! कहा, आधे की इजाज़त दे दीजिए। फ़र्माया, नहीं! कहा, एक तिहाई की इजाज़त दीजिए। फ़र्माया, ''ख़ैर तिहाई माल की वसिय्यत करो गो यह भी बहुत है। तुम अपने पीछे अपने वारिसों को मालदार छोड़कर जाओ, यह बेहतर है इससे कि तुम उन्हें फ़क़ीर और तंगदस्त छोड़कर जाओ कि दूसरों के सामने हाथ फैलाएँ।

सह़ीह़ बुख़ारी में है, इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं, काश! कि लोग तिहाई से हटकर चौथाई पर आ जाएँ इसलिए कि रसूल-अकरम (ﷺ) ने तिहाई की रुख़सत देते हुए यह भी फ़र्माया है कि तिहाई बहुत है। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल वसाया, बाब अय्यंतरुक वरसतहू अग़्नियाअ : 2743) मुस्नद अह़मद में है कि ह़ंज़ला बिन जुज़ैम बिन ह़ंज़िया के दादा ह़ंज़िया ने एक यतीम बच्चे के लिए जो उनके यहाँ पलते थे, सौ ऊँटों की वसिय्यत की। उनकी औलाद पर यह बहुत गिराँ गुज़रा। मा'मला हुज़ूर (ﷺ) तक पहुँचा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''नहीं! नहीं! नहीं! सदक़ा में पाँच दो, सात दो, दस दो, पन्द्रह दो, बीस दो, पच्चीस दो, तीस दो, पैंतीस दो, अगर इस पर भी न मानो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दो।'' अल्ख़ (अह़मद : 5/67, 68; व सनद ह़सन) फिर फ़र्माता है जो शख़्स वसिय्यत को बदल दे उसमें कमी बेशी कर दे या वसिय्यत को छुपा ले उसका गुनाह बदलने वाले के ज़िम्मे है, मय्यित का अज्र अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे साबित होगा, अल्लाह तआ़ला वसिय्यत करने वाले की वसिय्यत की असलियत को भी जानता है और बदलने वाले की तब्दीली को भी, न उससे कोई आवाज़ पोशीदा है न कोई राज़। जनफ़ के मा'नी ख़ता और ग़लती के हैं। मसलन किसी वारिस को किसी तरह़ ज़्यादा दिलवा देना, मस्लन कह दिया कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के हाथ इतने इतने में बेच दी जाए वग़ैरह। अब ख़्वाह बतौर ग़लती और ख़ता के हो या मुह़ब्बत व शफ़क़त के ज़्यादा होने की वजह बग़ैर किसी इरादे के ऐसी ह़रकत सरज़द हो गई हो या गुनाह के तौर पर हो तो वसी को उसके रद्दोबदल में कोई गुनाह नहीं। वसिय्यत को शरई-अह़काम के मुताबिक़ करके जारी कर दे ताकि मय्यित भी अ़ज़ाबे-इलाही से बच जाए और ह़क़दारों को ह़क़ भी मिल जाए ताकि शरई वसिय्यत पूरी हो जाए ऐसी ह़ालत में बदलने वाले पर कोई गुनाह या ह़र्ज नहीं, वल्लाहु अ़'लम! इब्ने अबी ह़ातिम में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''ज़िन्दगी में ज़ुल्म करके सदक़ा देने वाले का सदक़ा इसी तरह़ लौटा दिया जाएगा जिस तरह़ मौत के वक़्त ख़ताकारी करने वाले का सदक़ा लौटा दिया जाता है।'' यह ह़दीस इब्ने मर्दवे से भी मरवी है।

इब्ने अबी ह़ातिम फ़र्माते हैं, वलीद बिन यज़ीद जो इस ह़दीस का रावी है, उसने इसमें ग़लती की है। दरअसल यह कलाम ह़ज़रत उ़र्वा का है, वलीद बिन मुस्लिम ने इसे औज़ाई से रिवायत किया है और उ़र्वा से आगे सनद नहीं ले गए। इब्ने मर्दवे भी एक मरफ़ूअ़ ह़दीस में बरिवायत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि वसिय्यत की कमी-बेशी कबीरा गुनाह है। (नसाई फ़िल कुब्रा : 6/320; ह़ : 11092; बि सनदिन सह़ीह़िन अ़न इब्ने अ़ब्बास मौक़ूफ़न वल बैहक़ी (6/271) वग़ैरह मरफ़ूअन व सनदुहू ज़ईफ़ मिन अज्ले उ़मर बिन

मुग़ीरह) लेकिन इस ह़दीस के मरफ़ूअ़ होने में भी कलाम है। इस बारे में सबसे स़ह़ीह़ ह़दीस वह है जो मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ में बरिवायत ह़ज़रत अबू हुरैरह (ؓ) मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "आदमी सत्तर साल नेक लोगों जैसे अ़ा'माल करता रहता है और वसिय्यत में ज़ुल्म करता है और बुराई के अ़मल पर ख़ात्मा होने की वजह से जहन्नमी बन जाता है और कुछ लोग सत्तर बरस तक बदआ'मालियाँ करते रहते हैं लेकिन वसिय्यत में अ़दलो इंसाफ़ करते हैं और आख़िरी अ़मल उनका भला होता है और वह जन्नती बन जाते हैं।" फिर ह़ज़रत अबू हुरैरह (ؓ) ने फ़र्माया, अगर चाहो तो क़ुरआन की इस आयत को पढ़ लो تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا (2/बक़रह : 229) या'नी "यह अल्लाह तआ़ला की (मुक़र्ररकर्दा) ह़ुदूद हैं, इनसे आगे न बढ़ो।" (सुनन अबी दाऊद : 2867; वग़ैरह व सनदुहू ह़सन शहर बिन ह़ौशिब ह़स्सनल ह़दीस)

◈◈◈

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۳﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۴﴾

तर्जुमा : "ईमानवालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस त़रह़ तुमसे अगले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम बच जाओ। (183) गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुममें से जो शख़्स़ बीमार हो या सफ़र में हो तो वह और दिनों में इसकी गिनती को पूरा कर ले। त़ाक़त रखने वाले फ़िदया में एक मिस्कीन को खाना दें, और जो शख़्स़ नेकी में सब्क़त करे वह उसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे ह़क़ में अफ़ज़ल काम रोज़े रखना ही है, अगर तुम इल्म वाले हो।" (184)

फ़र्ज़ियते रोज़ा और उसके मक़ास़िद (आयत 183-184) : अल्लाह तआ़ला इस उम्मत के ईमानदारों को मुख़ात़ब करके उन्हें हुक्म दे रहा है कि रोजे रखो। रोज़ा के मा'नी अल्लाह तआ़ला के फ़र्मान की बजाआवरी की ख़ालिस़ निय्यत के साथ खाने-पीने और जिमाअ़ से रुक जाने के हैं। इससे फ़ायदा यह है कि नफ़्से इंसान पाक-स़ाफ़ और त़य्यिब व त़ाहिर हो जाता है। रद्दी अख़्लात़ और वाही अख़्लाक़ से इंसान बच जाता है। इस हुक्म के साथ ही फ़र्माता है कि इस हुक्म के साथ तुम तंहा नहीं बल्कि तुमसे अगलों को भी रोज़ों का हुक्म था। इस बयान से यह भी मक़्स़द है कि यह उम्मत इस फ़रीज़े की बजाआवरी में अगली उम्मतों से पीछे न रह जाए। जैसे और जगह है لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً (5/माइदा : 48) या'नी हर एक के लिए एक

तरीक़ा और रास्ता है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत कर देता, लेकिन वह तुम्हें आज़मा रहा है। तुम्हें चाहिए कि नेकियों में सब्क़त करते रहो। यही यहाँ भी फ़र्माया कि तुम पर भी रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ हैं जिस तरह तुमसे अगलों पर थे। रोज़े से बदन की पाकीज़गी है और शैतानी कामों से बचना भी है। बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "ऐ जवानों! तुममें से जिसमें निकाह की ताक़त हो वह निकाह कर ले और जिसे ताक़त न हो वह रोज़े रखे। इसलिए कि यह जोश को सर्द कर देगा।" (सहीह बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब मल लम यस्ततिउल बाअत फ़ल्यसुम : 5066; सहीह मुस्लिम : 1400) फिर रोज़ों की मिक़्दार बयान हो रही है कि यह चंद ही दिन हैं ताकि कोई उक्ता न जाए और अदायगी से क़ासिर न हो बल्कि ज़ोक़ शौक़ से अल्लाह के इस फ़रीज़े को बजा लाए। पहले तो हर माह में तीन रोज़ों का हुक्म हुआ फिर अगला हुक्म मंसूख़ हुआ। इसका मुफ़स्सल बयान आ रहा है, इंशाअल्लाह!

हज़रत मुआज़, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का फ़र्मान है कि हज़रत नूह (عليه السلام) के ज़माने से हर महीना में तीन रोज़ों का हुक्म था फिर हुज़ूर (ﷺ) की उम्मत के लिए इसको बदल दिया और उन पर इस मुबारक महीना रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए। हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं कि अगली उम्मतों पर भी पूरे एक महीना के रोज़े फ़र्ज़ थे। एक मरफ़ूअ हदीस में है कि रमज़ान के रोज़े तुमसे अगली उम्मतों पर फ़र्ज़ थे। हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि अगली उमतों को यह हुक्म था कि जब वह इशा की नमाज़ अदा कर लें और सो जाएँ तो उन पर खाना पीना औरतों से मुबाशिरत करना हराम हो जाता था। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं अगले लोगों से मुराद अहले किताब हैं। फिर बयान हो रहा है कि तुममें से जो शख़्स माहे रमज़ान में बीमार हो या सफ़र में हो तो वह इस हालत में रोज़े छोड़ दे, मशक़्क़त न उठाए और इसके बाद दूसरे दिनों में जबकि वह उज़्र हट जाएँ क़ज़ा कर लें। हाँ! इब्तिदा-ए-इस्लाम में जो शख़्स तंदुरुस्त हो और मुसाफ़िर भी न हो उसे भी इख़्तियार था ख़्वाह रोज़े रखे, ख़्वाह न रखे और फ़िदया में एक मिस्कीन को खाना खिला दे अगर एक से ज़्यादा को खिलाए तो अफ़ज़ल था, गो (हाँ) रोज़ा रखना फ़िदया देने से ज़्यादा बेहतर था। इब्ने मस्ऊद (رضي الله عنه), इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) मुजाहिद, ताउस और मुक़ातिल (रह.) वग़ैरह भी यही फ़र्माते हैं।

नमाज़ की तब्दीली की तीन हालतें : मुस्नद अहमद में है हज़रत मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि नमाज़ और रोज़े की तीन हालतें बदली गईं।

पहली तब्दीली यह हुई कि सौलह सतरह महीना तक मदीना में आकर हुज़ूर (ﷺ) ने बैतुल-मक़्दिस की तरफ़ नमाज़ अदा की। फिर (क़द नरा) अल्ख़ वाली आयत उतरी और मक्का की तरफ़ आपने चेहरा फेरा।

दूसरी तब्दीली यह हुई कि नमाज़ के लिए एक आदमी दूसरे को बुलाता था और जमा हो जाते थे लेकिन उससे आख़िर आजिज़ हो गए फिर एक अंसारी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दुर्रब (رضي الله عنه), हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने ख़्वाब में देखा लेकिन वह ख़्वाब गोया बेदारी की सी हालत में था कि एक शख़्स सब्ज़ रंग का हुल्ला (जोड़ा) पहने हुए है और क़िब्ला की तरफ़ मुतवज्जह होकर कह रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अश्हदु अन् ला इलाह इल्लल्लाह दो

मर्तबा, ग़र्ज़ यूँ ही अज़ान पूरी की फिर थोड़ी देर के बाद उसने तक्बीर कही जिसमें क़दक़ामतिस्सलात भी दो मर्तबा कहा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, बिलाल को यह सिखाओ, वह अज़ान कहेंगे। चुनाँचे सबसे पहले हज़रत बिलाल (رضي الله عنه) ने अज़ान कही। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने भी आकर अपना यही ख़्वाब बयान किया था लेकिन उनसे पहले हज़रत ज़ैद (رضي الله عنه) आ चुके थे।

तीसरी तब्दीली यह हुई कि पहले यह दस्तूर था कि हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ पढ़ा रहे हैं, कोई आया कुछ रकअतें हो चुकी हैं तो वह किसी से पूछता कि कितनी रकअतें हो चुकी हैं? वह जवाब देता कि इतनी रकअतें पढ़ ली हैं, वह इतनी रकअतें अदा करता फिर हुज़ूर (ﷺ) के साथ मिल जाता। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) एक मर्तबा आए और कहने लगे कि मैं तो हुज़ूर (ﷺ) को जिस हाल में पाऊँगा उसी में मिल जाऊँगा और जो नमाज़ रह गई है उसे हुज़ूर (ﷺ) के सलाम फेरने के बाद अदा कर लूँगा। चुनाँचे इन्होंने यही किया और आँहज़रत (ﷺ) के सलाम फेरने के बाद अपनी रही हुई रकअतें अदा करने के लिए खड़े हुए। आँहज़रत (ﷺ) ने उन्हें देखकर फ़र्माया, "मुआज़ ने तुम्हारे लिए यह अच्छा तरीक़ा निकाला है, तुम भी अब यूँ ही किया करो।" यह तीन तब्दीलियाँ तो नमाज़ की हुईं, रोज़ों की तब्दीलियाँ सुनिए।

रोज़ों की तब्दीली : पहली तब्दीली, नबी (ﷺ) जब मदीना में आए तो हर महीना में तीन रोज़े रखते थे और आ'शूरा का रोज़ा रखा करते थे, फिर अल्लाह तआला ने (कुतिब अलयकुमुस्सियाम) नाज़िल फ़र्माकर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिये।

दूसरी तब्दीली, इब्तिदाअन यह हुक्म था कि जो चाहे रोज़ा रखे, जो चाहे रोज़ा न रखे, और फ़िदया दे दे। फिर यह आयत उतरी فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ तुममें से जो शख़्स रमज़ान के महीने में क़याम की हालत में हो, वह रोज़ा रखा करे, पस जो शख़्स मुक़ीम हो, मुसाफ़िर न हो, तंदुरुस्त हो, बीमार न हो, उस पर रोज़ा रखना ज़रूरी हो गया। हाँ! बीमार और मुसाफ़िर के लिए रुख़्सत मिली और ऐसा बूढ़ा मा'ज़ूर जो रोज़े की ताक़त न रखता हो उसे भी रुख़्सत दी गई।

तीसरी तब्दीली, तीसरी हालत यह कि इब्तिदा में खाना पीना औरतों के पास आना, सोने से पहले पहले जाइज़ था। सो गया तो गो रात ही को जागे लेकिन खाना पीना और जिमाअ (हमबिस्तरी) उसके लिए मना था।

फिर अबू क़ैस सुरमा नामी एक अंसारी सहाबी (رضي الله عنه) दिन भर काम काज करके रात को थके हारे घर आए। इशा की नमाज़ अदा की और नींद आ गई, दूसरे दिन कुछ खाये पीये बग़ैर रोज़ा रखा लेकिन हालत बहुत नाज़ुक हो गई। हुज़ूर (ﷺ) ने पूछा कि, "यह क्या बात है?" तो उन्हों ने सारा वाक़िया सुना दिया। इधर यह वाक़िया तो उनके साथ हुआ, उधर हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने सो जाने के बाद अपनी बीवी से जिमाअ कर लिया और हुज़ूर (ﷺ) के पास आकर हसरत व अफ़सोस के साथ अपने इस क़ुसूर का इक़रार किया। जिस पर यह आयत أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ (2/बक़रह : 187) ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ तक नाज़िल हुई और मग़रिब के बाद से लेकर सुबह सादिक़ के तुलूअ होने तक रमज़ान की रातों मे खाने पीने

और अपनी बीवी से जिमाअ़ करने की रुख़्सत दी गई। बुख़ारी व मुस्लिम में ह़ज़रत आइशा सिद्दीक़ा (ﷺ) से मरवी है कि पहले आशूरा का रोज़ा रखा जाता था, जब रमज़ान की फ़र्ज़ियत नाज़िल हुई तो अब ज़रूरी न रहा, जो चाहता रख लेता, जो न चाहता न रखता। यह ह़ज़रत इब्ने उ़मर और ह़ज़रत इब्ने मसऊ़द (ﷺ) से भी मरवी है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ.....) : 4501ए 4503; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1125)

इंतिहाई बूढ़ा, हामिला दूध पिलाने वाली के रोज़ों का हुक्म : وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ का मत़लब ह़ज़रत मुआज़ (ﷺ) यह बयान फ़र्माते हैं कि इब्तिदा-ए-इस्लाम में जो चाहता रोज़ा रखता जो चाहता न रखता और हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला देता। ह़ज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) से भी स़ह़ीह़ बुख़ारी में एक रिवायत आई कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद जो शख़्स चाहता, इफ़्त़ार करता और फ़िदया दे देता यहाँ तक कि उसके बाद की आयत شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ उतरी और यह आयत وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ मंसूख़ हो गई। ह़ज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) भी इसको मंसूख़ कहते हैं। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ...) : 4507; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1145) ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं, यह मंसूख़ नहीं मुराद इससे बूढ़ा मर्द और बूढ़ी औरत जिसे रोज़े की त़ाक़त न हो। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब क़ौलुहू तआ़ला (**अय्यामम मअ़दूदात**) : 4505) इब्ने अबी लैला कहते हैं कि अ़त़ा (रह़.) के पास मैं रमज़ान में गया, देखा कि वह खाना खा रहे हैं। मुझे देखकर फ़र्माने लगे कि ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का क़ौल है कि इस आयत ने पहली आयत को मंसूख़ कर दिया अब यह हुक्म सिर्फ़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बूढ़े बड़े के लिए हैं।

ह़ासिल कलाम यह है कि जो शख़्स मुक़ीम हो और तंदुरुस्त हो उसके लिए यह हुक्म नहीं बल्कि उसे रोज़ा ही रखना होगा। हाँ! ऐसे बूढ़े, बड़े मोअ़म्मर (उम्र दराज़) और कमज़ोर आदमी जिन्हें रोज़े की त़ाक़त ही न हो, वह रोज़ा न रखें और न उन पर क़ज़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर वह मालदार हों तो क्या उन्हें कफ़्फ़ारा भी देना पड़ेगा या नहीं? इसमें इख़्तिलाफ़ है। इमाम शाफ़ई (रह़.) का एक क़ौल तो यह है कि चूँकि उसमें रोज़े की त़ाक़त नहीं लिहाज़ा यह भी मिस्ल बच्चे के है और उस पर कफ़्फ़ारा भी नहीं क्योंकि अल्लाह तआ़ला किसी को उसकी त़ाक़त से ज़्यादा तक्लीफ़ नहीं देता। दूसरा क़ौल ह़ज़रत इमाम शाफ़ई (रह़.) का यह है कि उसके ज़िम्मे कफ़्फ़ारा है और अकसर उ़लमा-ए-किराम का भी यही फ़ैसला है। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) वग़ैरह की तफ़्सीरों से भी यही साबित होता है। इमाम बुख़ारी (रह़.) का पसंदीदा मसला भी यही है, वह फ़र्माते हैं कि बहुत बड़ी उ़म्र वाला बूढ़ा जिसे रोज़े की त़ाक़त न हो तो वह फ़िदया दे दे, जैसे ह़ज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने अपनी बड़ी उ़म्र में, बुढ़ापे के आख़िरी वक़्तों में साल दो साल तक रोज़े न रखे और हर रोज़े के बदले रोटी गोश्त तैयार करके तीस मिस्कीनों को बुलाकर खिला दिया। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब क़ौलुहू तआ़ला (**अय्यामम मअ़दूदात**) : 4505; ता'लीक़न; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने भी इसे स़ह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 4/21)

इसी तरह हमल वाली और दूध पिलाने वाली औरत जब उसे अपनी जान का या अपने बच्चे की जान का डर हो उनके बारे में उलमा में सख़्त इख़्तिलाफ़ है। कुछ तो कहते हैं वह रोज़ा न रखें, फ़िदया दे दें और जब डर हट जाए तो क़ज़ा भी कर लें। कुछ कहते हैं, सिर्फ़ फ़िदया काफ़ी है क़ज़ा न करें। कुछ कहते हैं क़ज़ा कर लें फ़िदया नहीं और कुछ का क़ौल है कि न रोज़ा रखें, न फ़िदया दें, न क़ज़ा करें। इमाम इब्ने कसीर (रह.) ने इस मसला को अपनी किताबुस्सियाम में तफ़्सील के साथ वाज़ेह किया है, फ़ल्हम्दु लिल्लाह! (बज़ाहिर यही बात दलाइल से ज़्यादा क़रीब नज़र आती है कि यह दोनों ऐसी हालत में रोज़ा न रखें और बाद में क़ज़ा कर लें, फ़िदया न दें। मुतर्जिम)

◈◈◈

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۭ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

तर्जुमा : ''माहे-रमज़ान वह है जिसमें कुरआन उतारा गया। जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत की और हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानी है। तुममें से जो शख़्स इस महीना में मुक़ीम हो उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ! जो बीमार हो या मुसाफ़िर हो, उसे दूसरे दिनों में यह गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह तआला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख़्ती का नहीं। वह चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह तआला की दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाईयाँ बयान करो और उसका शुक्र करो।'' (185)

रमज़ानुल मुबारक में कुरआन-करीम का नुज़ूल (आयत 185) : माहे-रमज़ान की फ़ज़ीलत व बुज़ुर्गी का बयान हो रहा है कि इसी माहे मुबारक में कुरआन करीम उतरा। मुस्नद अहमद की हदीस में है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''इब्राहीमी सहीफ़ा रमज़ान की पहली रात उतरा ओर तौरात छठी तारीख़, इंजील तेरहवीं तारीख और कुरआन चौबीस्वीं तारीख को नाज़िल हुआ।'' (अहमद : 4/107; व सनदुहू ज़ईफ़; क़तादा मुदल्लस व अन्अन) एक और रिवायत में है कि ज़बूर बारहवीं को और इंजील अठारहवीं को। साबिक़ा तमाम सहाइफ़ और तौरात, इंजील और ज़बूर वग़ैरह जिस जिस पैग़म्बर पर नाज़िल हुईं एक साथ एक ही मर्तबा उतरीं,

लेकिन क़ुरआने करीम बैतुल इ़ज़्ज़त से आसमाने दुनिया तक तो एक साथ एक मर्तबा नाज़िल हुआ और फिर धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन पर नाज़िल होता रहा, यही मत़लब है (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (97/क़द्र : 1) और (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ) (44/दुख़ान : 3) और (أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) का मत़लब यह है कि क़ुरआन-करीम एक साथ आसमाने अव्वल पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में लैलतुल क़द्र को नाज़िल हुआ और इसी (लैलतुल क़द्र) को लैलतुल मुबारका भी कहा है। इब्ने अ़ब्बास(رضي الله عنه) वग़ैरह से यही मरवी है। आपसे जब यह सवाल हुआ कि क़ुरआन करीम तो मुख़्तलिफ़ महीनों में, बरसों में जाकर मुकम्मल हुआ तो फिर रमज़ान में और वह भी लैलतुल क़द्र में उतरने के क्या मा'नी? तो आपने यही मत़लब बयान किया, इब्ने मर्दवे वग़ैरह। आपसे यह भी मरवी है कि आधे रमज़ान में क़ुरआन करीम आसमाने दुनिया की त़रफ़ उतरा, बैतुल इ़ज़्ज़त में रखा गया, फिर ह़स्बे ज़रूरत वाक़ियात और सवालात पर थोड़ा थोड़ा उतरता रहा और बीस साल में इसका नुज़ूल मुकम्मल हुआ। इसमें बहुत सी आयात कुफ़्फ़ार के जवाब में भी उतरीं। कुफ़्फ़ार का एक ऐ'तिराज़ यह भी था कि यह क़ुरआन करीम एक साथ सारे का सारा क्यूँ नहीं उतरा, जिसके जवाब में फ़र्माया गया (لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا) ((25/फ़ुरक़ान : 32) यह इसलिए कि तेरे दिल को बरक़रार और मज़बूत रखें वग़ैरह।

फिर क़ुरआन करीम की ता'रीफ़ में बयान हो रहा है कि यह लोगों के दिलों की हिदायत है और इसमें वाज़ेह़ और रोशन दलीलें हैं। तदब्बुर और ग़ौरो-फ़िक्र करने वाला इससे स़ह़ीह़ रास्ते पर पहुँच सकता है। यह ह़क़ व बात़िल, ह़राम व ह़लाल में फ़र्क़ ज़ाहिर करने वाला है। हिदायत व गुमराही और रुश्दो बुराई में जुदाई करने वाला है। कुछ सलफ़ से मन्क़ूल है कि स़िर्फ़ रमज़ान कहना मकरूह है, शहरे रमज़ान या'नी रमज़ान का महीना कहना चाहिए। ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है, रमज़ान न कहो, यह अल्लाह तआ़ला का नाम है, शहरे रमज़ान या'नी रमज़ान का महीना कहा करो। ह़ज़रत मुजाहिद और मुह़म्मद बिन कअ़ब (रह़.) से भी यही मरवी है। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) और ह़ज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) का मज़हब इसके ख़िलाफ़ है। रमज़ान न कहने के बारे में एक मरफ़ूअ़ ह़दीस भी है लेकिन सनदन वह स़ह़ीह़ नहीं है। इमाम बुख़ारी (रह़.) ने भी इसके रद्द में बाब बाँधकर बहुत सी ह़दीसें बयान फ़र्माई हैं। एक में है जो शख़्स़ रमज़ान के रोज़े ईमान और नेक निय्यती के साथ रखे उसके सब अगले गुनाह बख़्श दिए जाते हैं वग़ैरह। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब स़ौमु रमज़ान इह़तिसाबन मिनल ईमान : 38; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 760)

बीमार और मुसाफ़िर के लिए रोज़ा की रुख़्स़त : ग़र्ज़ इस आयत से साबित हुआ कि जब रमज़ान का चाँद नज़र आ जाए तो कोई शख़्स़ अपने घर में हो, सफ़र में न हो और तंदुरुस्त भी हो, उसे रोज़े रखना ज़रूरी और लाज़मी हैं। पहले इस क़िस्म के लोगों को भी जो रुख़्स़त थी वह ख़त्म हो गई। इसका बयान फ़र्माकर फिर बीमार और मुसाफ़िर की रुख़्स़त का बयान किया कि यह लोग रोज़ा उन दिनों में न रखें, बाद में क़ज़ा कर लें या'नी जिसके बदन में कोई तक्लीफ़ हो जिसकी वजह से रोज़े में मशक़्क़त पड़े या तक्लीफ़ बढ़ जाए या सफ़र में हो तो इफ़्त़ार कर ले और जितने रोज़े रह जाएँ बाद में क़ज़ा कर ले। फिर इर्शाद होता है कि इन ह़ालतों में

रुख़्सत अ़ता फ़र्माकर तुम्हें मशक़्क़त से बचा लेना यह सरासर हमारी रहमत का ज़ुहूर है और अहकामे इस्लाम में आसानी है। अब यहाँ चंद मसाइल भी सुनिए।

(1) सलफ़ की एक जमाअ़त का ख़्याल है कि जो शख़्स अपने घर में मुक़ीम हो और रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाए, फिर रमज़ान में सफ़र करना पड़े तो उसे रोज़ा तर्क करना जाइज़ नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को रोज़ा रखने का साफ़ हुक्म क़ुरआन में मौजूद है। हाँ! उन लोगों का बहालते सफ़र रोज़ा छोड़ना जाइज़ है जो सफ़र में हों और रमज़ान का महीना आ जाए। लेकिन यह क़ौल ग़रीब है। अबू मुहम्मद बिन हज़्म (रह.) ने अपनी किताब (अल मोहल्ला) में सहाबा और ताबेईन की एक जमाअ़त का यही मज़हब नक़्ल किया है लेकिन इसमें कलाम है, वल्लाहु अ़'लम! नबी (ﷺ) रमज़ानुल मुबारक में फ़तहे मक्का के ग़ज़्वा के लिए निकले, रोज़े से थे, कदीद में पहुँचकर रोज़ा इफ़्तार किया और लोगों को भी हुक्म दिया कि रोज़ा तोड़ दें। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब मन इफ़्तर फ़िस्सफ़रि लियरअहुन्नास : 1948; सहीह मुस्लिम : 1113)

(2) सहाबा और ताबे'ईन की एक और जमाअ़त ने कहा है कि सफ़र में रोज़ा तोड़ देना वाजिब है क्योंकि क़ुरआन करीम में है فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ लेकिन सहीह क़ौल जो जुम्हूर का मज़हब है, यह है कि आदमी को इख़्तियार है ख़्वाह रखे ख़्वाह न रखे, इसलिए कि माहे रमज़ान में लोग जनाब रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकलते थे, कुछ रोजे से होते थे, कुछ रोज़े से नहीं होते थे। पस वह एक दूसरे पर कोई क़द ग़न नहीं लगाते थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब लम यइब अस्हाबुन्नबी बा'ज़ुहुम बा'ज़न फ़िस्सौमि वल इफ़्तार : 1947; सहीह मुस्लिम : 1116) अगर इफ़्तार वाजिब होता तो रोज़ा रखने वालों पर इंकार किया जाता, बल्कि ख़ुद नबी (ﷺ) से बहालते सफ़र रोज़ा रखना साबित है। बुख़ारी व मुस्लिम में है हज़रत अबूदर्दा (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, रमज़ानुल मुबारक में सख़्त गर्मी के मौसम में हम नबी (ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे। गर्मी की शिद्दत की वजह से सर पर हाथ रखे रखे फिर रहे थे। हममें से कोई भी रोज़े से न था सिवाए रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा (رضي الله عنه) के। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब रक़्म : 35; ह : 1945; सहीह मुस्लिम : 1122)

मसला : उ़लमा की एक जमाअ़त का ख़्याल है (जिसमें हज़रत इमाम शाफ़ई (रह.) भी हैं) कि सफ़र में रोज़ा रखना, न रखने से अफ़ज़ल है क्योंकि हु ज़ूर (ﷺ) से बहालते सफ़र रोज़ा रखना साबित है। एक दूसरी जमाअ़त का ख़याल है कि रोज़ा न रखना अफ़ज़ल है क्योंकि इसमें रुख़्सत पर अ़मल है। और एक हदीस में है कि हुज़ूर (ﷺ) से सफ़र के रोज़े की बाबत सवाल हुआ तो आपने फ़र्माया, ''जो रोज़ा तोड़ दे, उसने अच्छा किया और जो न तोड़े उस पर कोई गुनाह नहीं।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब तख़्यीर फ़िस्सौमि वल फ़ित्र फ़िस्सफ़रि : 1121) एक और हदीस में है, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''अल्लाह की रुख़्सतों को जो उसने तुम्हें दी हैं तुम ले लो।''(सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब जवाज़ुस्सौम वल फ़ित्र फ़ी शहरि रमज़ान : 1115) तीसरी जमाअ़त का क़ौल है कि रखना, न रखना दोनों बराबर हैं। उनकी दलील हज़रत आइशा (رضي الله عنها) वाली हदीस है कि हज़रत हम्ज़ा बिन अ़म्र असलमी (رضي الله عنه) ने कहा, या

रसूलुल्लाह (ﷺ)! रोज़े अकसर रखा करता हूँ तो क्या इजाज़त है कि सफ़र में भी रोज़े रख लिया करूँ, फ़र्माया अगर चाहो रखो और चाहो न रखो। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब अस्सौम फ़िस्सफ़रि वल इफ़्तार : 1943; मुस्लिम : 1121)

कुछ लोगों का क़ौल है कि अगर रोज़ा भारी पड़ता हो तो इफ़्तार करना अफ़ज़ल है। हज़रत जाबिर (رضی الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को देखा कि उस पर साया किया गया है। पूछा यह क्या बात है? लोगों ने कहा, हुज़ूर! यह रोज़े से है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं" (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब क़ौलुन् नबी (ﷺ) (लिमन.......)2946; सहीह मुस्लिम : 2612) यह ख़्याल रहे कि जो शख़्स सुन्नत से चेहरा फेरे और रोज़ा छोड़ना सफ़र की हालत में भी मकरूह जाने तो उस पर इफ़्तार ज़रूरी है और रोज़ा रखना हराम है। मुस्नद अहमद वग़ैरह में हज़रत इब्ने उमर और हज़रत जाबिर (رضی الله عنه) वग़ैरह से मरवी है कि जो शख़्स अल्लाह तआला की रुख़सत को क़बूल न करे उस पर अरफ़ात के पहाड़ों के बराबर गुनाह होगा।" (अहमद : /71; व सनद ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे मुंकर क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़् ज़ईफ़ : 1949)

रोज़ा और चंद मुतफ़र्रिक मसाइल : चौथा मसला क्या क़ज़ा रोज़ों के लिए मुतवातिर रोज़े रखने ज़रूरी हैं या जुदा-जुदा भी रख लिए जाएँ तो कोई हर्ज तो नहीं? एक मज़हब कुछ लोगों का यह है कि क़ज़ा को मिस्ल अदा के पूरा करना चाहिए, जुदा-जुदा नहीं बल्कि लगातार रोज़े रखने चाहिए। जबकि कुछ और लोगों का मज़हब यह है कि क़ज़ा रोज़े लगातार रखने ज़रूरी नहीं जिस तरह चाहे रख सकता है, चाहे मुतवातिर रखे या वक़्फ़ा देकर। जुम्हूर सलफ़ व ख़ल्फ़ का भी यही क़ौल है और दीगर दलाइल से भी इसका सबूत मिलता है। रमज़ान में मुतवातिर रोज़े रखना इसलिए है कि वह महीना ही अदायगी का है और रमज़ान के निकल जाने के बाद तो सिर्फ़ वह गिनती पूरी करनी है ख़्वाह कोई दिन हो, इसीलिए क़ज़ा का हुक्म के बाद अल्लाह की आसानी की ने'मत का बयान हुआ है। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "बेहतरीन दीन वही है जो आसानी वाला हो।"

मुस्नद ही की एक और हदीस में है, अबू उर्वा (رضی الله عنه) कहते हैं हम एक मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) का इंतिज़ार कर रहे थे कि आप तशरीफ़ लाए। आपके सर से पानी के क़तरे टपक रहे थे। मा'लूम होता था कि वुज़ू या गुस्ल करके तशरीफ़ ला रहे हैं। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुएतो लोगों ने आपसे सवालात करने शुरू कर दिए कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या फ़लाँ काम में कोई हर्ज है? फ़लाँ काम में कोई हर्ज है? आख़िर में हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह का दीन आसानियों वाला है" तीन मर्तबा यही फ़र्माया। (अहमद : 5/69; व सनद ज़ईफ़) मुस्नद ही की एक और हदीस में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "लोगों! आसानी करो सख़्ती न करो, तस्कीन दो नफ़रत न दिलाओ।" (अहमद : 3/131; सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब क़ौलुन नबी (ﷺ) (يسروا ولا تعسروا) : 6125; सहीह मुस्लिम : 1734) बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में भी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत मुआज़ और हज़रत अबू मूसा (رضی الله عنهما) को जब यमन की तरफ़ भेजा तो फ़र्माया,

"तुम दोनों ख़ुशख़बरियाँ देना, नफ़रत न दिलाना, आसानियाँ करना, सख़्तियाँ न करना, आपस में इत्तिफ़ाक़ से रहना, इख़्तिलाफ़ न करना।" (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब बअ़स अबी मूसा व मुआज़..... : 4344; 4345; सहीह़ मुस्लिम : 1733) सुनन और मसानीद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "मैं एक तरफ़ा और आसानी वाले दीन के साथ भेजा गया हूँ।" (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब अद् दीनु युस्रुन, तह़्त रक़म : 19; ता'लीक़न; तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब मनाक़िब मुआज़ बिन जबल : 3793; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे ह़सन क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सह़ीह़ : 2924) व सनद ह़सन)

मेह़जन बिन अदरा (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। आप उसे ग़ौर से देखते रहे फिर फ़र्माया, "क्या तुम इसे सच्चाई के साथ नमाज़ पढ़ते हुए देख रहे हो।" लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तमाम अहले मदीना से ज़्यादा नमाज़ पढ़ने वाला है। आपने फ़र्माया "इसे न सुनाओ, कहीं यह इसकी हलाकत का सबब न बन जाए। सुनो! अल्लाह तआ़ला का इरादा इस उम्मत के साथ आसानी का है, सख़्ती का नहीं।" (अह़मद : 5/32,33; व सनद ज़ईफ़) पस आयत का मतलब यह हुआ कि मरीज़ और मुसाफ़िर वग़ैरह को यह रुख़्सत देना और उन्हें मा'ज़ूर जानना इसलिए है कि अल्लाह तआ़ला का इरादा आसानी का है, सख़्ती का नहीं और क़ज़ा का हुक्म गिनती के पूरा करने के लिए है और उस रह़मत, ने'मत, हिदायत और इबादत पर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआ़ला की बड़ाई और ज़िक्र करना चाहिए। जैसे ह़ज्ज के मौक़े पर फ़र्माया فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ (2/बक़रह : 200) या'नी जब अह़ कामे ह़ज्ज अदा कर चुको तो अल्लाह का ज़िक्र करो।" एक जगह जुम्आ की नमाज़ की अदायगी के बाद फ़र्माया कि जब नमाज़ पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ, रिज़्क़ तलाश करो और अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करो ताकि तुम्हें फ़लाह़ मिले। और जगह फ़र्माया, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ अल्ख़ (50/क़ाफ़ : 39) या'नी "सूरज के निकलने से पहले, सूरज के ग़ुरूब से पहले, रात को और सज्दों के बाद अल्लाह तआ़ला की तस्बीह़ बयान किया करो। इसीलिए मस्नून तरीक़ा यह है कि हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद अल्लाह तआ़ला की ह़म्दो-तस्बीह़ और तक्बीर पढ़नी चाहिए।

ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) का नमाज़ से फ़ारिग़ होना सिर्फ़ अल्लाहु अकबर की आवाज़ों से जानते थे। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अज़् ज़िक्र बअ़दस्सलात : 842; सहीह़ मुस्लिम : 583) यह आयत दलील है इस अम्र की कि ईदुल फ़ित्र में भी तक्बीरें पढ़नी चाहिए। दाऊद बिन अ़ली अस्बहानी ज़ाहिरी (रह़.) का मज़हब है कि इस आयत की रू से ईद में तक्बीरों का कहना वाजिब है क्योंकि इस अम्र में सेग़ा अम्र का है (वलि तुकब्बिरुल्लाह) जबकि अह़नाफ़ का मज़हब इसके ख़िलाफ़ है। वह कहते हैं कि ईद में तक्बीरें पढ़ना मस्नून नहीं। बाक़ी बुज़ुर्गाने दीन इसे मुस्तह़ब बताते हैं, गो कुछ तफ़्सीलात में क़द्रे इख़्तिलाफ़ है। फ़िर फ़र्माया, ताकि तुम शुक्र करो या'नी अल्लाह तआ़ला के अह़काम बजा लाकर उसके फ़राइज़ को अदा करके उसके ह़रामकर्दा कामों से बचकर, उसकी ह़दों की ह़िफ़ाज़त करके तुम शुक्रगुज़ार बन्दे बन जाओ।

(यहाँ तक तफ़्सीर इब्ने कसीर के पहले जुज़ का तर्जुमा है।)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

तर्जुमा : "जब मेरे बन्दे मेरे बारे में तुझसे सवाल करें तू कह दे कि मैं बहुत ही क़रीब हूँ। हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वह मुझे पुकारे, मैं क़बूल करता हूँ पस लोगों को भी चाहिए कि वह मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बाइस है।" (186)

आदाबे दुआ और क़बूलियत की शुरूत (आयत 186) : एक अ'राबी ने पूछा था कि या रसूलल्लाह! क्या हमारा रब क़रीब है? अगर क़रीब हो तो हम उससे सरगोशियाँ कर लें, या दूर है? अगर दूर हो तो हम ऊँची-ऊँची आवाज़ों से उसे पुकारें। नबी (ﷺ) ख़ामोश रहे, उस पर यह आयत उतरी (इब्ने अबी ह़ातिम) एक रिवायत में है कि स़ह़ाबा (رضی الله عنهم) के इस सवाल पर कि हमारा रब कहाँ है? यह आयत उतरी (इब्ने जरीर) ह़ज़रत अ़त़ा फ़र्माते हैं कि जब आयत اُدْعُوْنِیْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (40/मो'मिन : 60) नाज़िल हुई या'नी मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएँ क़बूल करता रहूँगा, तो लोगों ने पूछा कि दुआ किस वक़्त करनी चाहिए, इस पर यह आयत उतरी (इब्ने जुरैज)। ह़ज़रत अबू मूसा अशअ़री (رضی الله عنه) का बयान है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक ग़ज़्वा में थे। हर ऊँचाई पर चढ़ते वक़्त, हर वादी में उतरते वक़्त बुलंद आवाज़ों से तक्बीर कहते जाते थे। नबी (ﷺ) हमारे पास आकर फ़र्माने लगे, "लोगों! अपनी जानों पर रह़म करो, तुम किसी कम सुनने वाले या दूर वाले को नहीं पुकार रहे, जिसे तुम पुकारते हो वह तो तुमसे तुम्हारी सवारियों की गर्दन से भी ज़्यादा क़रीब है। ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस! सुन जन्नत का ख़ज़ाना ला ह़ौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह है" (मुस्नद अह़मद) (अह़मद : 4/402; स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुद्दा'वात, बाब इज़ा अ़ला उ़क़्बतन : 6384; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2704) ह़ज़रत अनस (رضی الله عنه) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है मेरा बन्दा मेरे साथ जैसा अ़क़ीदा रखता है मैं भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता हूँ। जब वह मुझसे दुआ मांगता है मैं उसके क़रीब ही होता हूँ।" (अह़मद : 3/210; व सनदुहू स़ह़ीह़) ह़ज़रत अबू हुरैरा (رضی الله عنه) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि मेरा बन्दा जब मुझे याद करता है और उसके होंठ मेरे ज़िक्र में हिलते हैं तो मैं उसके साथ होता हूँ।" (रवाहुल इमाम अह़मद) (अह़मद : 2/540; इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाब फ़ज़्लुज़्ज़िक्र : 3790; वहुव ह़दीसुन स़ह़ीह़) इस मज़्मून की आयत क़ुरआन करीम में भी है, फ़र्मान है اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ (16/नह़्ल : 128) जो तक़्वा और एह़सान व ख़ुलूस वाले लोग हों, उनके साथ अल्लाह तआ़ला होता है। ह़ज़रत मूसा बिन हारून (علیهما السلام) से फ़र्माया जाता है اِنَّنِیْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَ اَرٰی (20/त़ाहा : 46) मैं तुम दोनों के साथ हूँ सुनता हूँ और देख रहा हूँ।

मक़सूद यह है कि बारी तआला दुआ करने वालों की दुआ को बेकार नहीं करता, न ऐसा होता है कि वह इस दुआ से ग़ाफ़िल रहे, न सुने। इसमें दुआ करने की दा'वत दी है ओर इसके ज़ाया न होने का वा'दा किया है। हज़रत सलमान फ़ारसी (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "बन्दा जब अल्लाह तआला के सामने हाथ फैलाकर दुआ मांगता है तो वह अरहमुर्राहिमीन उसके हाथों को ख़ाली फेरते हुए शर्माता है।" (अहमद : 5/438; अबूदाऊद, किताबुस्सलात, (अल्वित्र) बाब अद्दुआउ : 1488; तिर्मिज़ी : 3556; इब्ने माजा : 3865; यह रिवायत अपनी तमाम सनदों के साथ ज़ईफ़ है।) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) का इर्शाद है कि "जो बन्दा अल्लाह तआला से कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें न गुनाह हो, न रिश्ते नाते टूटते हों, तो उसे अल्लाह तआला तीन बातों में से एक ज़रूर अता करता है या तो उसकी दुआ उस वक़्त क़बूल फ़र्माकर उसकी मुँह मांगी मुराद पूरी करता है या उसे ज़ख़ीरा करके रख छोड़ता है और आख़िरत में अता फ़र्माता है। या उसकी वजह से कोई आने वाली बला और मुसीबत को टाल देता है।" लोगों ने यह सुनकर कहा कि , हुज़ूर (ﷺ)! फिर तो हम कसरत से दुआ मांगा करेंगे। आपने फ़र्माया, "फिर अल्लाह के यहाँ कौनसी कमी है? (अहमद : 3/18; ह : 11133 ; व सनदुहू हसन)

उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया है कि "रूए ज़मीन का जो मुसलमान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से दुआ मांगे उसे अल्लाह तआला क़बूल फ़र्माता है या तो उसे उसकी मुँह मांगी मुराद मिलती है या वैसी ही बुराई टल जाती है जब तक कि गुनाह की और रिश्तेदारी के कटने की दुआ न हो।" (अहमद : 5/329; तिर्मिज़ी, किताबुद् दा'वात, बाब फ़ी इंतिज़ारिल फ़र्ज : 3573; वहुव हदीसुन हसन) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब तक कोई शख़्स दुआ में जल्दी न करे, उसकी दुआ ज़रूर क़बूल होती है। जल्दी करना यह है कि कहने लगे, मैंने तो हर चंद दुआ माँगी लेकिन अल्लाह क़बूल नहीं करता" (मुअत्ता मालिक) (सहीह बुख़ारी, किताबुद्दा'वात, बाब युस्तजाबु लिल् अबदि मालम युअज्जिल : 6340) बुख़ारी की रिवायत में यह भी है कि इसे सवाब में जन्नत अता फ़र्माता है। सहीह मुस्लिम में यह भी है कि क़बूल न होने का ख़्याल करके व ह नाउम्मीदी के साथ दुआ मांगना तर्क कर दे, यह जल्दी करना है। (सहीह मुस्लिम, किताबुज़् ज़िक्र वद्दुआ, बाब बयान अन्नहू यस्तजाबु लिद्दाई मालम युअज्जिल : 6340) अबू जा'फ़र तब्री (रह.) की तफ़्सीर में यह क़ौल हज़रत आइशा (رضي الله عنها) का बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "दिल मिस्ल बरतनों के हैं , कुछ कुछ से ज़्यादा निगरानी करने वाले होते हैं । ऐ लोगों! तुम जब अल्लाह तआला से दुआ मांगा करो तो क़बूलियत का यक़ीन रखा करो। सुनो! ग़फ़्लत करने वाले दिल की दुआ अल्लाह तआला एक मर्तबा भी क़बूल नहीं फ़र्माता।" (अहमद : 2/177; इसकी सनद अबू हिलाल रासिबी के ज़ुअफ़ और क़तादा की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।)

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) ने एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) से इस आयत के बारे में सवाल किया तो आपने दुआ की, ऐ अल्लाह! आइशा के इस सवाल का क्या जवाब है? जिब्राईल (عليه السلام) आए और फ़र्माया,

अल्लाह तआला आपको सलाम कहता है और फ़र्माता है, मुराद इससे वह शख़्स है जो नेक आ'माल करने वाला हो और सच्ची निय्यत और नेक दिली के साथ मुझे पुकारे तो मैं लब्बैक कहकर उसकी हाजत ज़रूर पूरी कर देता हूँ (इब्ने मर्दवे)। यह हदीस इस्नाद की रू से ग़रीब है। एक और हदीस में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने इस आयत की तिलावत की, फिर फ़र्माया, "ऐ अल्लाह! तूने दुआ का हु क्म दिया है और इजाबत (क़बूल करने) का वा'दा फ़र्माया है। मैं हाज़िर हूँ, इलाही मैं हाज़िर हूँ, ऐ ला शरीक अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ, हम्दो ने'मत और बादशाही तेरे ही लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं, मेरी गवाही है कि तू निराला, यक्ता, बेमिस्ल और एक ही है, तू पाक है, अहलो-अयाल से दूर है, न तेरा हमसर कोई, न तेरी बराबरी करने वाला कोई, न तुझ जैसा कोई, मेरी गवाही है कि तेरा वा'दा सच्चा, तेरी मुलाक़ात हक़, जन्नत व दोज़ख़, क़यामत और दोबारा जीना यह सब बरहक़ अम्र है।" (इब्ने मर्दवे)

हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि "अल्लाह तबारक व तआला का इर्शाद है, ऐ इब्ने आदम! एक चीज़ तो तेरी है, एक मेरी है और एक मेरे और तेरे दरम्यान तक़सीम है। ख़ालिस मेरा हक़ तो यह है कि एक मेरी ही इबादत कर और मेरे साथ किसी को शरीक न कर, मेरे लिए मख़सूस यह है कि तेरे हर-हर अमल को पूरा-पूरा बदला मैं तुझे ज़रूर दूँगा, किसी नेकी को ज़ाया न करूँगा, दरम्यान की चीज़ यह है कि तू दुआ कर और में क़बूल करूँ, एक काम (दुआ करना) तेरा और एक काम (क़बूल करना) मेरा।" (बज़्ज़ार : 1/18; इसकी सनद सालेह बिन बशीर के ज़ुअफ़ और हसन बसरी (रह.) की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) दुआ की इस आयत को रोज़ों के अहकाम की आयतों के बीच लाने की हिक्मत यह है कि रोज़े ख़त्म होने के बाद लोगों को दुअ की तर्ग़ीब हो बल्कि हर रोज़ इफ़्तार के वक़्त वह बकसरत दुआएँ किया करें। हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है कि "रोज़ेदार इफ़्तार के वक़्त जो दुआ करता है, अल्लाह तआला उसे क़बूल फ़र्माता है।"

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) इफ़्तार के वक़्त अपने घरवालों को और अपने बच्चों को बुला लेते और दुआएँ किया करते थे। (अबू दाऊद तयालिसी : 2262; इसकी सनद मुलैकी की वजह से ज़ईफ़ है।) इब्ने माजा में भी यह रिवायत है और इसमें सहाबा (رضي الله عنه) की यह दुआ मन्कूल है (اللهم انی اسألك برحمتك التی وسعت كل شئی ان تغفرلی یعن) (इब्ने माजा, किताबुस्सियाम, बाब फ़िस्साइम ला तुरद्दु दा'वतहू : 1753; वहुव हदीसुन हसन) या'नी ऐ अल्लाह! मैं तेरी उस रहमत को तुझे याद दिलाकर जिसने तमाम चीज़ों को घेर रखा है, तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मेरे गुनाह माफ़ कर दे। और हदीस में है, तीन क़िस्म के लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। आदिल बादशाह, रोज़ेदार शख़्स और मज़्लूम, उसे क़यामत के दिन अल्लाह तआला बुलंद करेगा। मज़्लूम की बद्दुआ के लिए आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं और अल्लाह तआला फ़र्माता है, मुझे मेरी इज़्ज़त की क़सम! मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा अगरचे देर से करूँ (अहमद : 2/445; तिर्मिज़ी, किताबुद्दा'वात, बाब सबक़ल मुफ़रिदून : 3598; इब्ने माजा : 1752; व सनदुहू हसन)

......

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

तर्जुमा : ''रोज़ों की रातों में तुमको अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो, अल्लाह को मा'लूम था कि तुम छुपकर अपने ज़मीर से ख़यानत करते थे। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ़ तवज्जह फ़र्माई और तुमको माफ़ किया और अब इजाज़त दे दी कि रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जा सकते हो और उसे हासिल करो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए किताब में लिख दिया है और खाओ और पियो, यहाँ तक कि तुमको फ़ज्र की सफ़ेद धारी काली धारी से अलग नज़र आ जाए फिर रात तक रोज़ा पूरा करो और जब मस्जिदों में एतिकाफ़ के लिए बैठो तो अपनी औरतों के पास मत जाओ, यह हदें अल्लाह ने बाँध दी हैं उनके नज़दीक न फटको, इसी तरह अल्लाह बयान फ़र्माता है अपनी आयतें लोगों के लिए ताकि बचकर चल सकें।'' (187)

रमज़ानुल मुबारक में खाने-पीने और जिमाअ के मसले का बयान (आयत 187) : इब्तिदा-ए-इस्लाम में यह हुक्म था कि इफ़्तार के बाद खाना-पीना, जिमाअ करना, इशा की नमाज़ तक जाइज़ था और अगर कोई इससे भी पहले सो गया तो उस पर नींद आते ही हराम हो गया। इसमें सहाबा (ﷺ) को क़द्रे मशक़्क़त हुई जिस पर रुख़्सत की यह आयतें नाज़िल हुई और आसानी के अहकाम मिल गए।

(रफ़स) से मुराद यहाँ जिमाअ है। इब्ने अब्बास (ﷺ), अता, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, ताउस, सालिम बिन अब्दुल्लाह, अम्र बिन दीनार, हसन, क़तादा, जुहरी, ज़ह्हाक, इब्राहीमनख़्ई, सुदी, अता ख़ुरासानी, मुक़ातिल बिन हय्यान (रह.) भी यही फ़र्माते हैं।

लिबास से मुराद सकून है। रबीअ़ बिन अनस (रह.) लिहाफ़ के मा'नी बयान करते हैं। मक़्सद यह है कि मियाँ बीवी के आपस के ता'ल्लुक़ात इस क़िस्म के हैं कि उन्हें उन रातों में भी इजाज़त दी जाती है। पहले ह़दीस गुज़र चुकी है कि इस आयत का शाने-नुज़ूल क्या है जिसमें बयान हो चुका है कि जब यह हुक्म था कि इफ़्तार से पहले अगर कोई सो जाए तो अब रात को जागकर खाना-पीना और जिमाअ़ नहीं कर सकता था, बल्कि यह रात और दूसरा दिन गुज़ारकर बाद अज़ मग़्रिब खाना-पीना ह़लाल होता था।

ह़ज़रत अबू क़ैस सिरमा बिन अबी अनस अंसारी (ﷺ) दिन भर खेती-बाड़ी का काम करके शाम को घर आए। बीवी से कहा, कुछ खाने को है? जवाब मिला, कुछ नहीं! मैं जाती हूँ और कहीं से लाती हूँ, तो वह गईं और यहाँ उनकी आँख लग गई। जब आकर देखा तो बड़ा अफ़सोस किया कि अब यह रात और फिर दूसरा दिन भूखे पेट कैसे गुज़रेगा। चुनाँचे जब आधा दिन हुआ तो ह़ज़रत अबू क़ैस (ﷺ) भूख के मारे बेहोश हो गए। हुज़ूर (ﷺ) के पास इसका ज़िक्र हुआ तो उस वक़्त यह आयत उतरी और मुसलमान बहुत ख़ुश हुए। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ....) : 1915; अबूदाऊद : 2314; तिर्मिज़ी : 2968; नसाई : 2170) एक रिवायत में यह भी है कि सह़ाबा (ﷺ) रमज़ानभर औरतों के पास नहीं जाते थे, लेकिन कुछ लोगों से कुछ क़सूर ऐसे भी हो जाया करते थे जिस पर यह आयते-मुबारका नाज़िल हुई। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ....) : 4508) एक और रिवायत में है कि यह क़सूर कई ह़ज़रात से हो गया था, जिनमें ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) भी थे। जिन्होंने इ़शा की नमाज़ के बाद अपनी बीवी से मुबाशिरत कर ली थी, फिर दरबारे-नबवी में शिकायतें हुईं और यह रह़मत की आयत नाज़िल हुई। एक रिवायत में है कि ह़ज़रत उ़मर (ﷺ) ने जब आकर यह वाक़िया सुनाया तो आपने फ़र्माया, ''उ़मर! तुमसे तो ऐसी उम्मीद न थी'' उसी वक़्त यह आयत उतरी। एक रिवायत में है कि ह़ज़रत अबू क़ैस (ﷺ) ने इ़शा की नमाज़ के बाद नींद से बेदार होकर खा पी लिया था और सुबह़ ह़ाज़िर होकर ख़िदमते मुह़म्मदी (ﷺ) में अपना यह क़सूर बयान किया था। एक और रिवायत में यह भी है कि ह़ज़रत उ़मर (ﷺ) ने जब मुबाशिरत का इरादा किया तो बीवी साह़िबा ने फ़र्माया, मुझे नींद आ गई थी लेकिन उन्होने उसे बहाना समझा। उस रात आप देर तक मज्लिसे नबी में बैठे रहे थे और बहुत रात गए घर पहुँचे थे। और एक रिवायत में है कि ह़ज़रत कअ़ब बिन मालिक (ﷺ) से भी ऐसा ही क़सूर हो गया था। (अह़मद : 3/460; इसकी सनद ह़सन है। नीज़ देखिए (अल्मौसूअ़तुल ह़दीसिया : 25/86)

(मा कतबल्लाह) से मुराद औलाद है। (इब्ने अबी ह़ातिम : 1/377) कुछ ने कहा है, जिमाअ़ मुराद है। कुछ कहते हैं, लैलतुल क़द्र मुराद है। क़तादा (रह़.) कहते हैं कि मुराद यह रुख़्सत है। तत्बीक़ इन सब क़ौलों में इस त़रह़ हो सकती है कि उ़मूम के त़ौर पर सब ही मुराद हैं। जिमाअ़ (हमबिस्तरी) की रुख़्सत के बाद खाने-पीने की इजाज़त मिल रही है कि सुबह़ सादिक़ तक उसकी इजाज़त है।

सेहरी व इफ़्तारी के मुतअ़ल्लिक़ा मसाइल : सह़ीह़ बुख़ारी में है कि ह़ज़रत सहल बिन सअ़द (ﷺ) फ़र्माते हैं पहले (मिनल फ़ज्रि) का लफ़्ज़ नहीं उतरा था तो चंद लोगों ने अपने पैर में सफ़ेद और स्याह धागे बाँध लिए और जब तक उनकी सफ़ेदी और स्याही में तमीज़ न होती, खाते पीते रहे। उसके बाद यह लफ़्ज़ उतरा और मा'लूम हो

गया कि इससे मुराद रात दिन है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब (وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا....) : 4511; सहीह मुस्लिम : 1091)

मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) फ़र्माते कि मैंने भी दो धागे (स्याह और सफ़ेद) अपने तकिये के नीचे रख लिए और जब तक उनके रंग में तमीज़ न हुई तब तक खाता पीता रहा। सुबह को नबी(ﷺ) से ज़िक्र किया तो आपने फ़र्माया, "तेरा तकिया बड़ा लम्बा चौड़ा निकला, इससे मुराद तो सुबह की सफ़ेदी का रात की स्याही से ज़ाहिर होना है।" यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में भी है। (अहमद : 3/377; सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ....) : 4509; सहीह मुस्लिम : 1090) मतलब हुज़ूर (ﷺ) के इस क़ौल का यह है कि आयत में तो धागो से मुराद दिन की सफ़ेदी और रात की तारीकी है, तू अगर तेरे तकिये के नीचे यह दोनों (तारीकी और सफ़ेदी) आ जाती हों तो गोया उसकी लम्बाई मश्रिक़ व मग़्रिब तक है। सहीह बुख़ारी में यह तफ़्सीर भी रिवायतन मौजूद है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब (وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا....) : 4510) कुछ रिवायतों में यह लफ़्ज़ भी है कि फिर तू तो बड़ी लम्बी चौड़ी गर्दन वाला है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब (وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا....) : 4510) कुछ लोगों ने इसके मा'नी बयान किये हैं कि कुंद ज़हन है, लेकिन यह मा'नी ग़लत हैं बल्कि मतलब दोनों जुम्लों का एक ही है क्योंकि जब तकिया इतना बड़ा है तो गर्दन भी उतनी बड़ी होगी, वल्लाहु आ'लम! बुख़ारी में हज़रत अदी (ﷺ) का इसी तरह का सवाल और आपका इसी तरह का जवाब तफ़्सीलन मौजूद है।

आयत के इन अल्फ़ाज़ से सेहरी खाने का मुस्तहब होना भी साबित होता है इसलिए कि अल्लाह की रुख़्सतों पर अमल करना उसे पसंद है। हुज़ूर (ﷺ) का फ़र्मान है कि "सेहरी खाया करो इसमें बरकत है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब बरकतस्सुहूर मिन ग़ैरि ईजाब : 1923; सहीह मुस्लिम : 1095) (1) "हमारे और अहले-किताब के रोज़ों में सेहरी खाने ही का फ़र्क़ है।" (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब फ़ज़्लस्सुहूर व ताकीद इस्तिहबाबुहू : 1096) (2) "सेहरी का खाना बरकत है, इसे न छोड़ो, अगर कुछ न मिले तो पानी का घूँट ही सही। अल्लाह तआला और उसके फ़रिश्ते सेहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं।" (अहमद : 3/44; व सनदुहू ज़ईफ़) इसी तरह और भी बहुत सी हदीसें हैं। (3) सेहरी को देर करके खाना चाहिए ऐसे वक़्त कि फ़ारिग़ होने के कुछ ही देर बाद सुबह सादिक़ हो जाए। हज़रत अनस (ﷺ) फ़र्माते हैं कि हम सेहरी खाते ही नमाज़ के लिए खड़े हो जाया करते थे, अज़ान और सेहरी के दरम्यान इतना ही फ़र्क़ होता था कि पचास आयतें पढ़ ली जाएँ। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब क़द्रुकुम बैनस्सुहूर व सलातिल फ़ज्र : 1921; सहीह मुस्लिम : 1097) रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "जब तक मेरी उम्मत इफ़्तार में जल्दी करे और सेहरी में देर करे तब तक भलाई में रहेगी।" (अहमद : 5/147; व सनदुहू ज़ईफ़) यह भी हदीस से साबित है कि हुज़ूर(ﷺ) ने इसका नाम ग़िज़ाए मुबारक रखा है। (अबूदाऊद, किताबुस्सियाम, बाब मन सम्मस्सुहूर अलग़दा : 2344; व सनदुहू हसन; नसाई : 2165)

मुस्नद वग़ैरह की ह़दीस में है ह़ज़रत ह़ुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि हमने ह़ुज़ूर (ﷺ) के साथ सेह़री खाई, ऐसे वक़्त में कि गोया सूरज तुलूअ होने वाला ही था। (अह़मद : 5/396; नसाई किताबुस्सियाम, बाब ताख़ीरुस्सुह़ूर : 2154; इब्ने माजा : 1695; वहुव ह़दीसुन ह़सन) लेकिन इसमे एक रावी आसिम बिन अबू नजूद मुंफ़रिद हैं और मुराद इससे दिन की नज़दीकी है जैसे फ़र्माने बारी तआला है (فاذا بلغن اجلهن) या'नी जब वह औरतें अपने वक़्त को पहुँच जाएँ, मुराद यह है कि जब इद्दत का ज़माना ख़त्म हो जाने के क़रीब आ जाए। यही मुराद इस ह़दीस में भी है कि उन्होंने सेह़री खाई और सुबह़ सादिक़ हो जाने का यक़ीन न था बल्कि ऐसा वक़्त था कि कोई कहता था कि सुबह़ हो गई, कोई कहता था नहीं हुई। अक्सर अस्ह़ाबे रसूलुल्लाह का देर से सेह़री खाना और आख़िरी वक़्त तक खाते रहना साबित है। जैसे ह़ज़रत अबूबक्र, ह़ज़रत उमर, ह़ज़रत अली, ह़ज़रत इब्ने मसऊद, ह़ज़रत ह़ुज़ेफ़ह, ह़ज़रत अबू हुरैरह, ह़ज़रत इब्ने उमर, ह़ज़रत इब्ने अब्बास, ह़ज़रत ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) और ताबेईन (रह़.) की भी एक बहुत बड़ी जमाअत से सुबह़ सादिक़ तुलूअ होने के बिलकुल क़रीब ही सेह़री खाना मरवी है। जैसे मुह़म्मद बिन अली बिन ह़ुसैन, अबू मजाज़, इब्राहीम नख़ई, अबुज़्ज़ुह़ा, अबू वाइल (रह़.) वग़ैरह शागिर्दाने इब्ने मसऊद और अता और ह़सन और ह़ाकिम बिन उयेयना और मुजाहिद और उर्वा बिन ज़ुबैर और अबुल शअशाअ जाबिर बिन ज़ैद (रह़.) और यही मज़हब है। आ'मश और जाबिर बिन राशिद का, अल्लाह तआला इन सब पर अपनी रह़मतें नाज़िल फ़र्माए। हमने इन सबकी इस्नाद अपनी मुस्तक़िल किताब "किताबुस्सियाम" में बयान कर दी हैं, वल्लाहु आ'लम!

इब्ने जरीर (रह़.) ने अपनी तफ़्सीर में कुछ लोगों से यह भी नक़्ल किया है कि सूरज के तुलूअ होने तक खाना पीना जाइज़ है। जैसे ग़ुरूब होते ही इफ़्तार करना, लेकिन यह क़ौल कोई अहले इल्म क़बूल नहीं कर सकता क्योंकि नस्से क़ुरआन के ख़िलाफ़ है। क़ुरआन में ख़ैत का लफ़्ज़ मौजूद है। बुख़ारी व मुस्लिम की ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "ह़ज़रत बिलाल (رضي الله عنه) की अज़ान सुनकर तुम सेह़री से रुक न जाया करो, वह रात बाक़ी होते हुए अज़ान दिया करते हैं, तुम खाते पीते रहो, जब तक ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (رضي الله عنه) की अज़ान न सुन लो। वह अज़ान नहीं कहते जब तक फ़ज्र तुलूअ न हो जाए।" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अल्अज़ानु क़ब्लल फ़ज्र : 622, 1919; सह़ीह़ मुस्लिम : 2536) मुस्नद अह़मद में ह़दीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि "वह फ़ज्र नहीं जो आसमानों के किनारे में लम्बी फैलती है, बल्कि वह सुर्ख़ी वाली और किनारे-किनारे ज़ाहिर होने वाली होती है।" (अह़मद : 4/23; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे ह़सन क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सह़ीह़ : 2031) व लहू शाहिद इन्दत्तह़ावी फ़ी मआनियिल आसार : 2/54; व सनदुहू ह़सन) तिर्मिज़ी में भी यह रिवायत है उसमें है कि उस पहली फ़ज्र को जो तुलूअ होकर ऊपर को चढ़ती है, देखकर खाने-पीने से न रुको बल्कि खाते पीते रहो, यहाँ तक कि सुर्ख़ धारी पेश हो जाए। (अबूदाऊद, किताबुस्सियाम, बाब वक़्तुस्सेह़र : 2348; तिर्मिज़ी : 705; व सनदुहू ह़सन) एक और ह़दीस में सुबहे काज़िब और अज़ाने बिलाल (رضي الله عنه) को एक साथ भी बयान फ़र्माया है। (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब बयान अन्नद् दुख़ूल फ़िस्सौमि.... : 1094) एक और रिवायत में सुबह़ काज़िब को सुबह़ सफ़ेदी, सुबह़ के सतून की मानिन्द बताया गया है। (अयज़न) दूसरी रिवायत में इस पहली अज़ान की जिसके

मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल (رضي الله عنه) थे, यह वजह बयान की है कि वह सोने वालों को जगाने और नमाज़े (तहज्जुद) पढ़ने वालों को लौटाने के लिए होती है। फ़ज्र इस तरह नहीं है जब तक इस तरह न हो (या'नी आसमान में ऊँची चढ़ने वाली नहीं बल्कि किनारों में धारी की तरह ज़ाहिर होने वाली)। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अल्अज़ानु क़ब्लल फ़ज्र : 621; सहीह मुस्लिम : 1093)

एक मुर्सल हदीस में है कि "फ़ज्र दो हैं। एक तो भेड़िए के दुम की तरह है, उससे रोज़ेदार पर कोई चीज़ हराम नहीं होती, हाँ वह फ़ज्र जो किनारों में ज़ाहिर हो वह नमाज़े सुबह का वक़्त है औ रोज़ेदार के खाने पीने को मौक़ूफ़ करने का।" (तबरी फ़ित्तफ़्सीर : 303; वहुव हसन बिश्शाहिदुल्लज़ी फ़िल मुस्तदरक : 1/191; व सनदुहू हसन) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, जो सफ़ेदी आसमान के नीचे से ऊपर को चढ़ती है उसे नमाज़ की हिल्लत और रोज़े की हुर्मत से कोई सरोकार नहीं, लेकिन वह फ़ज्र जो पहाड़ों की चोटियों पर चमकने लगती है वह खाना पीना हराम करती है। हज़रत अता (रह.) से मरवी है कि आसमान में लम्बी लम्बी चढ़ने वाली रोशनी न तो रोज़ा खोलने वाले पर खाना पीना हराम करती है, न उससे नमाज़ का वक़्त होना मा'लूम हो सकता है, न हज्ज फ़ौत होता है, लेकिन जो सुबह पहाड़ों की चोटियों पर फैल जाती है, यह वह सुबह है कि रोज़ेदार के लिए सब चीज़ें हराम कर देती है और नमाज़ी के लिए नमाज़ हलाल कर देती है और हज्ज फ़ौत हो जाता है। इन दोनों रिवायतों की सनद सहीह है और बहुत से सलफ़ से यह मंक़ूल है। अल्लाह तआला उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़र्माए।

हालते जनाबत में रोज़ा रखना : चूँकि जिमाअ और खाने पीने का आख़िरी वक़्त अल्लाह तआला ने रोज़ा रखने वाले के लिए सुबह सादिक़ मुक़र्रर किया है, इससे इस मसला पर इस्तिदलाल हो सकता है कि सुबह के वक़्त जो शख़्स जुंबी उठा वह गुस्ल कर ले औ अपना रोज़ा पूरा कर ले उस पर कोई हर्ज नहीं। चारों अइम्मा और सलफ़ व ख़ल्फ़ के और जुम्हूर उलमा-ए-किराम (रह.) का यही मज़हब है। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आइशा और हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात के वक़्त जिमाअ करते, सुबह के वक़्त जुंबी उठते, फिर गुस्ल करके रोज़े से रहते। आपका यह जुंबी होना एहतिलाम के सबब न होता था। हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) वाली रिवायत में है फिर आप न इफ़्तार करते थे, न क़ज़ा करते थे।" (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब अस्साइम यस्बहु जुनुबन : 1925, 1926; सहीह मुस्लिम : 1109)

सहीह मुस्लिम में हज़रत आइशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि एक शख़्स ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं सुबह नमाज़ के वक़्त आ जाने तक जुंबी होता हूँ तो क्या फिर मैं रोज़ा रख लूँ? आपने फ़र्माया, "यही बात मेरे साथ भी होती है और मैं रोज़ा रखता हूँ।" उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम तो आप जैसे नहीं, अल्लाह तआला ने आपके तो सब अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिये हैं। आपने फ़र्माया, "वल्लाह! मुझे तो उम्मीद है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह तआला से डरने वाला और तुम सबसे ज़्यादा तक़्वा की बातों को जानने वाला हूँ।" (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब सेहतु सौम मन तलअ अलैहिल फ़ज्रु व हुव जुनुबुन : 2593) मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि "जब सुबह की अज़ान हो जाए और तुममें से कोई जुंबी हो तो वह उस दिन रोज़ा न रखे।" इसकी इस्नाद बहुत उम्दह है। और यह हदीस शर्ते शैख़ेन पर है। जैसे कि ज़ाहिर है। यह हदीस बुख़ारी व

मुस्लिम में भी हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है। वह फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत करते हैं, वह नबी (ﷺ) से। (अहमद : 2/314; सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब अस्साइम यस्बहु जुनुबन : 1925, 1926; सहीह मुस्लिम : 1159) सुनन नसाई में यह हदीस बरिवायत अबू हुरैरह (ﷺ) है, वह उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से और फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत करते हैं और मरफ़ूअ बयान नहीं करते, इसीलिए कुछ उलमा का तो क़ौल है कि इस हदीस में यह इल्लत है कि वह मरफ़ूअ नहीं और कुछ दीगर उलमा के अलावा हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ), सालिम, अता, हिशाम बिन उर्वा, और हसन बसरी (रह.) का यही मज़हब है।

कुछ लोग कहते हैं कि अगर जुंबी होकर सो गया हो और सुबह सादिक़ होने पर आँख खुली तो उसके रोज़े में कोई नुक़्सान नहीं। हज़रत आइशा और हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) वाली हदीस का यही मतलब है। और अगर उसने अमदन ग़ुस्ल नहीं किया और इसी हालत में सुबह हो गई तो उसका रोज़ा नहीं होगा। हज़रत उर्वा, ताऊस और हसन (रह.) यही कहते हैं। कुछ कहते हैं अगर फ़र्ज़ रोज़ा हो तो पूरा तो कर ले लेकिन क़ज़ा लाज़िम है और नफ़्ली रोज़ा हो तो कोई हर्ज नहीं। इब्राहीम नख़ई (रह.) भी यही कहते हैं। ख़्वाजा हसन बसरी (रह.) से भी एक रिवायत यही है। कुछ कहते हैं, हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) वाली हदीस हज़रत आइशा (ﷺ) वाली हदीस से मंसूख़ है, लेकिन हक़ीक़त में तारीख़ का पता नहीं जिससे नस्ख़ साबित हो सके। इब्ने हज़म (रह.) फ़र्माते हैं इसकी नासिख़ यह आयते क़ुरआनी है लेकिन यह भी दूर की बात है। इसलिए कि इस आयत का बाद में होना तारीख़ से साबित नहीं बल्कि इस हैसियत से तो बज़ाहिर यह हदीस इस आयत के बाद की है। कुछ लोग कहते हैं, हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) वाली हदीस में ला नफ़ी कमाल का है, या'नी उस शख़्स का रोज़ा कामिल नहीं क्योंकि हज़रत आइशा और हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) वाली हदीस से जवाज़ साफ़ तौर पर साबित हो रहा है। यही मसलक ठीक भी है और दूसरे तमाम क़ौलों से यह क़ौल उम्दह है और यूँ कहने से दोनों रिवायतों में तत्बीक़ की सूरत भी निकल आती है, वल्लाहु आ'लम!

रोज़ा इफ़्तार करने का वक़्त और विसाल से मुमानिअत : फिर फ़र्माता है कि रोज़े को रात तक पूरा करो। इससे साबित हुआ कि सूरज के डूबते ही रोज़ा इफ़्तार कर लेना चाहिए। बुख़ारी व मुस्लिम में अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब इधर से रात आ जाए और उधर से दिन चला जाए तो रोज़ेदार इफ़्तार कर ले।" (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब मता यहिल्लु फ़तरुस्साइम : 1954; सहीह मुस्लिम : 1100) बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत सहल बिन सअद साअदी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब तक लोग इफ़्तार करने में जल्दी करेंगे, ख़ैर से रहेंगे।" (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब तअजीलुल इफ़्तार : 1957; सहीह मुस्लिम : 1098) मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का इर्शाद है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे वह बन्दे हैं जो रोज़ा इफ़्तार करने में जल्दी करने वाले हैं।" इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इस हदीस को हसन ग़रीब कहते हैं। (अहमद : 2/237, 238; तिर्मिज़ी, किताबुस्सौम, बाब मा जाअ फ़ी ता'जीलिल इफ़्तार : 700; इस रिवायत की सनद क़ुर्रह बिन अब्दुर्रहमान के ज़ुअफ़ और इमाम ज़ुहरी की तदलीस की वजह से ज़ईफ़

है।) मुस्नद की एक और ह़दीस में है कि बशीर बिन ख़सासिया (ﷺ) की बीवी ह़ज़रत लैला (ﷺ) फ़र्माती हैं कि मैंने दो रोज़ों को बग़ैर इफ़्तार किये मिलाना चाहा तो मेरे शौहर ने मुझे मना कर दिया और कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना किया है और फ़र्माया है कि "यह काम नसरानियों के हैं, तुम तो रोज़े इस त़रह रखो जिस त़रह अल्लाह तआला का इर्शाद है कि रात को रोज़ा इफ़्तार कर लिया करो।" (अह़मद : 5/225; व सनद स़ह़ीह़, मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 3/158) और भी बहुत से ह़दीसों में रोज़े से रोज़े को मिलाने की मुमानिअ़त आई है।

मुस्नद अह़मद की एक ह़दीस में है कि ह़ुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "रोज़े से रोज़ा न मिलाओ" तो लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ख़ुद आप तो मिलाते हैं। आपने फ़र्माया, "मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मैं रात गुज़ारता हूँ, मेरा रब मुझे खिला पिला देता है।" लेकिन लोग फिर भी उससे बाज़ न रहे, तो आपने दो दिन दो रातों का बराबर रोज़ा रखा फिर चाँद नज़र आ गया तो आपने फ़र्माया, "अगर चाँद नज़र न आता तो मैं तो यूँह ही रोज़ों को मिलाए जाता।" गोया आप (ﷺ) अपनी आ़जिज़ी ज़ाहिर करना चाहते थे। बुख़ारी व मुस्लिम में भी यह ह़दीस है। (अह़मद : 2/281 ; स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब तंकील लिमन अक्सरल विस़ाल : 1965; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1103) और इसी त़रह रोज़े को बग़ैर इफ़्तार किए और रात को कुछ खाए बग़ैर दूसरे रोज़े से मिला लेने की मुमानिअ़त में बुख़ारी व मुस्लिम में ह़ज़रत अनस, ह़ज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) और ह़ज़रत आ़इशा (ﷺ) से भी मरफ़ूअ़ ह़दीसें मरवी हैं। (देखिए; स़ह़ीह़ बुख़ारी : 1961, 1964; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1102, 1105) पस साबित हुआ कि उम्मत को मना है और आप (ﷺ) की ज़ात इससे मख़्सूस थी। आपको इसकी त़ाक़त थी और अल्लाह तआला की त़रफ़ से उस पर आपकी मदद की जाती थी। यह भी ख़्याल रहे कि यह जो आपने फ़र्माया कि मेरा रब मुझे खिला पिला देता है। इससे मुराद ह़क़ीक़तन खाना पीना नहीं क्योंकि फिर तो रोज़े से रोज़े का विस़ाल न हुआ बल्कि यह स़िर्फ़ रूह़ानी त़ौर पर मदद है जैसे कि एक अ़रब शायर का शेअ़र है।

لها احاديث من ذكراك تشغلها   عن الشراب وتلهيها عن الزاد

या'नी इसे तेरे ज़िक्र और तेरी बातों में वह दिलचस्पी है कि खाने-पीने से यक क़लम बेपरवाह हो जाती है। हाँ! अगर कोई शख़्स दूसरी सेह़री तक रुक रहना चाहे तो यह जाइज़ है। ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) वाली ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया "विस़ाल न करो, जो करना ही चाहे तो सेह़री तक कर ले।" लोगों ने कहा, आप तो विस़ाल करते हैं। आपने फ़र्माया, "मैं तुम जैसा नहीं मुझे तो रात ही को खिलाने वाला खिला देता है और पिलाने वाला पिला देता है।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाबुल विस़ाल इलस्सेह़र : 1967; अबूदाऊद : 2321)

एक और रिवायत में है कि एक सह़ाबिया नबी (ﷺ) के पास आईं आप सेह़री खा रहे थे। फ़र्माया "आओ तुम भी खा लो।" उसने कहा, मैं तो रोज़े से हूँ, आपने फ़माया, "तुम रोज़ा किस त़रह रखती हो?" उन्होंने बयान किया तो आपने फ़र्माया कि "आले मुह़म्मद की त़रह सेह़री के वक़्त से दूसरी सेह़री के वक़्त तक का मिला हुआ रोज़ा क्यूँ नहीं रखतीं?" (इब्ने जरीर) मुस्नद अह़मद की ह़दीस में है कि नबी (ﷺ) एक सेह़री से दूसरी

सेहरी तक का रोज़ा रखते थे। (अह्मद : 1/141; ह : 1195; इसकी सनद में अ़ब्दुल आ'ला बिन आ़मिर सा'लबी के ज़ुअफ़ की वजह से ज़ईफ़ है।) इब्ने जरीर में ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (رضي الله عنه) वग़ैरह सलफ़ सालेहीन से मरवी है कि वह कई कई दिन तक पे-दर-पे बग़ैर कुछ खाए पीये रोज़ा रखते थे। कुछ लोग कहते हैं कि इबादत के तौर पर न था बल्कि नफ़्स को मारने के लिए रियाज़त के तौर पर था, वल्लाहु आ'लम!

और यह भी मुम्किन है कि उन्होंने समझा हो कि हुज़ूर (ﷺ) का उससे रोकना सिर्फ़ शफ़क़त और मेहरबानी के तौर पर था, न कि नाजाइज़ बताने के तौर पर जैसे कि ह़ज़रत आइशा (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं, आपने लोगों पर रह़्म खाकर इससे मना फ़र्माया था। पस इब्ने ज़ुबेर (رضي الله عنه) और उनके साह़बज़ादे आ़मिर (रह़.) और उनकी राह चलने वाले अपने नफ़्स में कुव्वत पाते थे और रोज़े पर रोज़ा रखे जाते थे। यह भी मरवी है कि जब वह इफ़्तार करते तो पहले घी और कड़वा गूँद खाते ताकि पहले-पहल ग़िज़ा पहुँचने से आंतें जल न जाएँ। मरवी है कि ह़ज़रत इब्ने ज़ुबेर (رضي الله عنه) सात-सात दिन तक बराबर रोज़े से रहते। इस बीच में दिन को या रात को कुछ न खाते और फिर सातवें दिन ख़ूब तंदुरुस्त चुस्त व चालाक और सबसे ज़्यादा क़वी पाये जाते। अबुल आ़लिया (रह़.) फ़र्माते हैं, अल्लाह तआ़ला ने दिन का रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया रही रात तो जो चाहे खा ले जो न चाहे न खाए।

ए'तिकाफ़ के चंद मसाइल : फिर फ़र्मान होता है कि ए'तिकाफ़ की ह़ालत में औरतों से मुबाशिरत न करो। इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) का क़ौल है कि जो शख़्स मस्जिद में ए'तिकाफ़ बैठा हो ख़्वाह रमज़ान में हो ख़्वाह दूसरे महीनों में, उस पर दिन के वक़्त और रात के वक़्त अपनी बीवी से जिमाअ़ करना ह़राम है जब तक कि ए'तिकाफ़ पूरा न हो जाए। ह़ज़रत ज़ह्ह़ाक (रह़.) फ़र्माते हैं, पहले लोग ए'तिकाफ़ की ह़ालत में भी जिमाअ़ कर लिया करते थे जिस पर यह आयत उतरी और मस्जिद मे ए'तिकाफ़ किए हुए पर यह काम ह़राम किया गया। मुजाहिद और क़तादा (रह़.) भी यही कहते हैं। (त़ब्री : 3/541) पस उ़लमा-ए-किराम का मुत्तफ़क़ा फ़त्वा है कि ए'तिकाफ़ वाला अगर किसी ज़रूरी ह़ाजत के लिए घर में जाए मस्लन पेशाब पाख़ाना या खाना खाने के लिए तो उस काम से फ़ारिग़ होते ही मस्जिद में चला आए, वहाँ ठहरना जाइज़ नहीं, न अपनी बीवी से बोस व किनार वग़ैरह जाइज़ है। न किसी और काम में सिवाए ए'तिकाफ़ के मशग़ूल होना उसके लिए जाइज़ है, बल्कि बीमार की बीमारपुर्सी के लिए भी जाना जाइज़ नहीं, हाँ! यह और बात है कि चलते-चलते पूछ ले। ए'तिकाफ़ के और भी बहुत से अह़काम हैं, कुछ में इख़्तिलाफ़ भी है इन सबको हमने अपनी मुस्तक़िल किताब (किताबुस्सियाम) के आख़िर में बयान किया है, वलिल्लाहिल् ह़म्दु वल मिन्नतु

चूँकि क़ुरआन में रोज़ों के बयान के बाद ए'तिकाफ़ का ज़िक्र है, इसीलिए अकसर मुसन्निफ़ीन ने भी अपनी-अपनी किताबों में रोज़े के बाद ही ए'तिकाफ़ के अह़काम बयान किये हैं। इसमें इस बात की त़रफ़ भी इशारा है कि ए'तिकाफ़ रोज़े की ह़ालत में करना चाहिए या रमज़ान के आख़िर में। आँह़ज़रत (ﷺ) भी रमज़ान शरीफ़ के आख़िरी दिनों में ए'तिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि आप फ़ौत हो गए। आपके बाद उम्महातुल मो'मिनीन (رضي الله عنهن) आपकी बीवियाँ ए'तिकाफ़ किया करती थीं। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ए'तिकाफ़, बाब अल्ए'तिकाफ़ु फ़िल अ़शरिल अवाख़िर : 2026; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1172) स़ह़ीह़ैन में है कि (आप स. की

बीवी) हज़रत सफ़िया (رضي الله عنها) बिन्ते हुय्य नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आपके ए'तिकाफ़ की हालत में हाज़िर होती थीं और कोई ज़रूरी बात पूछने की होती वह पूछकर चली जातीं। एक मर्तबा रात को जब जाने लगीं तो चूँकि मकान मस्जिदे नबवी से फ़ासले पर था, इसलिए हुज़ूर (ﷺ) उनको घर तक छोड़ने के लिए साथ चल पड़े। रास्ते मेंदो अंसारी सहाबी मिल गए और आपके साथ आपकी बीवी साहिबा को देखकर शर्म के मारे जल्दी-जल्दी क़दम बढ़ाकर जाने लगे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "ठहर जाओ! सुनो! यह मेरी बीवी सफ़िया (رضي الله عنها) हैं।" वह कहने लगे, सुब्हानल्लाह! (क्या हमें कोई और भी ख़्याल हो सकता है) आपने फ़र्माया, "शैतान इंसान की रग-रग में ख़ून की तरह फिरता रहता है। मुझे ख़्याल हुआ कि कहीं वह तुम्हारे दिल में कोई बदगुमानी पैदा न कर दे।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल ए'तिकाफ़, बाब ज़ियारतुल मरअति ज़ौजहा फ़ी ए'तिकाफ़िही : 2034; सहीह मुस्लिम : 2174)

हज़रत इमाम शाफ़ई (रह.) फ़र्माते हैं कि नबी (ﷺ) अपने इस वाक़िया से अपनी उम्मत को गोया सबक़ सिखा रहे हैं कि वह तोहमत की जगहों से बचते रहें वरना नामुम्किन है कि वह पाकबाज़ सहाबा हुज़ूर (ﷺ) की निस्बत कोई बुरा ख़्याल भी दिल में लाएँ और यह भी नामुम्किन है कि आप उनकी निस्बत यह ख़्याल फ़र्माएँ, वल्लाहु आ'लम! आयत में मुराद मुबाशिरत से जिमाअ और इसके अस्बाब हैं, जैसे बोस व किनार वग़ैरह वरना किसी चीज़ का लेना देना वग़ैरह यह सब बातें जाइज़ हैं। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ए'तिकाफ़ की हालत में मेरी तरफ़ सर झुका दिया करते थे। मैं आपके सर में कंघी कर दिया करती थी हालाँकि मैं हैज़ से होती थी। आप ए'तिकाफ़ के दिनों में ज़रूरी हाजत के अलावा घर में तशरीफ़ नहीं लाते थे। हज़रत आइशा (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं ए'तिकाफ़ की हालत में, मैं तो चलते-चलते ही घर के बीमार की बीमारपुर्सी कर लिया करती हूँ। (सहीह बुख़ारी, किताबुल ए'तिकाफ़, बाब ला यदख़ुलुल बैत इल्ला लि हाजतिन : 2029; सहीह मुस्लिम : 297; अबूदाऊद : 2468; इब्ने माजा : 1776)

अल्लाह तआला फ़र्माते हैं कि यह हमारी बयानकर्दा बातें और फ़र्ज़ किए हुए अहकाम और मुक़र्रर की हुई हदें हैं। रोज़े और रोज़ों के अहकाम और इसके मसाइल, इसमें जो काम जाइज़ और जो नाजाइज़ हैं, यह सब हमारी हद बंदियाँ हैं, ख़बरदार! इनके क़रीब भी न आना, न इनसे तजावुज़ करना, न इनके आगे बढ़ना। कुछ कहते हैं यह हद ए'तिकाफ़ की हालत में मुबाशिरत से अलग रहना है। कुछ कहते हैं, इन आयतों के चारों हुक्म मुराद हैं। फिर फ़र्माया, जिस तरह रोज़े और इसके अहकाम और इसके मसाइल और इसकी तफ़्सील हमने बयान कर दी इसी तरह और अहकाम भी हम अपने बन्दे और रसूल (ﷺ) की मा'रिफ़त सबके सब तमाम जहान वालों के लिए बयान किया करते हैं ताकि वह यह मा'लूम कर सकें कि हिदायत क्या है और इताअत किसे कहते हैं? और इसी बिना पर वह मुत्तक़ी बन जाएँ। जैसे और जगह है (هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ) (57/हदीद : 9) या'नी "वह अल्लाह जो अपने बन्दे पर रोशन आयतें नाज़िल फ़र्माता है ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाए, अल्लाह तआला तुम पर रहमत नाज़िल करने वाला है।"………

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

तर्जुमा : ''एक दूसरे का माल नाह़क़ न खाया करो न ह़ाकिमों को रिश्वत पहुँचाकर किसी का कुछ माल ज़ुल्मो सितम से अपना कर लिया करो ह़ालाँकि तुम जानते हो।'' (188)

माल पर नाजाइज़ क़ब्ज़ा और रिश्वतख़ोरी ह़राम है (आयत : 188) : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं यह आयत उस शख़्स के बारे में है जो शख़्स किसी दूसरे के माल पर नाह़क़ क़ब्ज़ा करे और जो अस़ल ह़क़दार है उसके पास कोई शहादत या दलील न हो कि यह माल मेरा है और नाह़क़ क़ब्ज़ा करने वाला उसका इंकार कर दे कि यह माल उस (अस़ल मालिक) का है और ह़ाकिम के पास जाकर बरी हो जाए, ह़ालाँकि वह (नाह़क़ क़ब्ज़ा करने वाला) जानता हो कि इस पर उस (अस़ल मालिक का) ह़क़ है और यह उसका माल मार रहा है और ह़राम खा रहा है और अपने आपको गुनहगारों में शामिल कर रहा है। (त़ब्री : 3/550) ह़ज़रत मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, इक्रिमा, ह़सन, क़तादा, सुदी, मुक़ातिल बिन ह़य्यान, अ़ब्दुर्रह़मान बिन ज़ैद बिन असलम (रह़.) भी यही फ़र्माते हैं कि बावजूद इस इल्म के कि तू ज़ालिम है, झगड़ा न कर। (इब्ने अबी ह़ातिम : 1/393) बुख़ारी व मुस्लिम में ह़ज़रत उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہا) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मैं इंसान हूँ, मेरे पास लोग झगड़ा लेकर आते हैं, शायद एक (शख़्स) दूसरे से ज़्यादा चर्ब ज़ुबान हो, मैं उसकी चिकनी-चुपड़ी तक़रीर सुनकर उसके ह़क़ में फ़ैसला कर दूँ (ह़ालाँकि दरह़क़ीक़त मेरा फ़ैसला वाक़िया के ख़िलाफ़ हो) तो समझ लो कि जिसके ह़क़ में इस त़रह़ के फ़ैसले से किसी मुसलमान के ह़क़ को मैं दिलवा दूँ वह आग का एक टुकड़ा है, ख़्वाह उठा ले या न उठाए।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल मज़ालिम, बाब इस्मुन मन ख़ास़म फ़ी बात़िलिन व हुव यअ़लमु : 2458; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1713) मैं कहता हूँ यह आयत और यह ह़दीस इस अम्र पर दलील है कि ह़ाकिम का हुक्म किसी मा'मला की ह़क़ीक़त की शरई ह़ैसियत को बदल नहीं सकता। फ़िल वाक़ेअ़ जो ह़राम हो वह क़ाज़ी के फ़ैसले से ह़लाल और ह़लाल ह़राम नहीं हो सकता। क़ाज़ी का फ़ैसला सिर्फ़ ज़ाहिरी होता है, बात़िन में नाफ़िज़ नहीं होता। अगरवह फ़िल वाक़ेअ़ भी नफ़्सुल अम्र के मुत़ाबिक़ हो तो ख़ैर, वरना ह़ाकिम को तो अज्र मिलेगा, लेकिन इस फ़ैसला की बिना पर ह़क़ को नाह़क़ और नाह़क़ को ह़क़ बना लेने वाला रब का मुज्रिम ठहरेगा और उस पर वबाल बाक़ी रहेगा, जिस पर आयत मुंदर्जा बाला गवाह है कि तुम अपने दा'वे के बात़िल होने का इल्म रखते हुए लोगों के माल मार खाने के लिए झूठे मुक़द्दमात बनाकर, झूठे गवाह गुज़ार कर, नाजाइज़ त़रीक़ों से हुक्काम को धोखा देकर अपने दा'वों को साबित न किया करो।

हज़रत क़तादा (رحمه الله) फ़र्माते हैं, लोगो! समझ लो कि क़ाज़ी का फ़ैसला तेरे लिए हराम को हलाल नहीं कर सकता और न बातिल को हक़ कर सकता है। क़ाज़ी तो अपनी अक़्ल समझ से गवाहों की गवाही के मुताबिक़, ज़ाहिरी हालात को देखते हुए फ़ैसला सादिर कर देता है और वह भी आख़िर इंसान ही है मुम्किन है ख़ता करे और मुम्किन है ख़ता से बच जाए तो जान लो कि अगर फ़ैसला क़ाज़ी का वाक़िया के ख़िलाफ़ हो तो तुम सिर्फ़ क़ाज़ी का फ़ैसला समझकर उसे ज़ाइज़ माल न समझ लो, यह झगड़ा बाक़ी ही है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन अल्लाह तआला दोनों को जमा करे और बातिल वालों पर हक़ वालों को ग़लबा देकर उनका हक़ उनसे दिलवाए और दुनिया में जो फ़ैसला हुआ था उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर फ़र्माकर उसकी नेकियों में से उसे बदल दिलवाए। (तब्री : 3/550)

◈◈◈

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۸۹﴾

तर्जुमा : "लोग तुमसे चाँद के बारे में सवाल करते हैं, तुम कहो कि यह लोगों के वा'दे के वक़्तों में हज के मौसम के लिए है (एहराम की हालत में) और घरों के पीछे से तुम्हारा आना कुछ नेकी नहीं, बल्कि नेकी वाला वह है जो मुत्तक़ी हो। घरों में तो दरवाज़ों में से आया करो और अल्लाह तआला से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।" (189)

चाँद, वक़्त और माह व साल के तै करने के लिए है (आयत 189) : हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से लोगों ने चाँद के बारे में सवाल किया जिस पर यह आयत नाज़िल हुई कि इससे क़र्ज़ वग़ैरह के वा'दों की म्याद मा'लूम हो जाती है, औरतों की इद्दत का वक़्त मा'लूम हो जाता है। (तब्री : 3/554) मुसलमानों के रोज़े के इफ़्तार का ता'ल्लुक़ भी इसी से है। मुस्नद अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह तआला ने चाँद को लोगों के वक़्त मा'लूम करने के लिए बनाया है, उसे देखकर रोज़े रखो, इसे देखकर ईद मनाओ। अगर अब्र व बाराँ की वजह से चाँद न देख सको तो तीस दिन पूरे गिन लिया करो।" (मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 4/156; ह :

7306; सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा : 1906; व सनदुहू हसन; बैहक़ी : 4/205) इस रिवायत को इमाम हाकिम (रह.) ने सहीह कहा है। (मुस्तदरक हाकिम : 1/423; ह : 1539) यह हदीस और सनदों से भी मरवी है। हज़रत अली (رضي الله عنه) से एक मोक़ूफ़ रिवायत में भी यह मज़्मून आया है। आगे चलकर इर्शाद होता है कि भलाई घरों के पीछे से आने में नहीं बल्कि भलाई तक़्वा में है। घरों में दरवाज़ों से आओ। सहीह बुख़ारी में है कि जाहिलियत के ज़माने में यह दस्तूर था कि एहराम में होते तो घरों में पुश्त की जानिब से आते, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا....) : 4512; सहीह मुस्लिम : 3026) अबूदाऊद तयालिसी में भी यह रिवायत है। (मुस्नद तयालिसी : 717; व सनदुहू सहीह) अंसार का आम दस्तूर था कि सफ़र से जब वापिस आते तो घर के दरवाज़े से घर में दाख़िल नहीं होते थे। दरअसल यह भी जाहिलियत के ज़माने के कुरेशियों ने अपने लिए एक इम्तियाज़ क़ायम कर लिया था कि अपना नाम उन्होंने हुम्स रखा था। एहराम की हालत में यह तो बराहे-रास्त अपने घरों में आ सकते थे लेकिन बाक़ी के सब लोग इस तरह नहीं जाते थे। आँहज़रत (ﷺ) एक बाग़ में थे, वहाँ से आप उसके दरवाज़े में से निकले। आपके एक अंसारी सहाबी हज़रत क़तबा बिन आमिर (رضي الله عنه) भी आपके साथ ही उसी दरवाज़े से निकले। इस पर लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तो एक तिजारत पेशा शख़्स हैं, यह आपके साथ आपकी तरह दरवाज़े से क्यूँ निकले? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने तो हुज़ूर (ﷺ) को जिस तरह करते देखा, किया। माना कि आप हुम्स में से हैं लेकिन मैं भी आपके दीन पर ही हूँ। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (इब्ने अबी हातिम)

हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) वग़ैरह से भी यह रिवायत मरवी है। हज़रत हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं कि जाहिलियत के ज़माने में बहुत सी क़ौमों का यह रवाज था कि जब वह सफ़र के इरादे से निकलते, फिर सफ़र अधूरा छोड़कर अगर किसी वजह से वापिस चले आते तो घर के दरवाज़े से घर में न आते बल्कि पीछे की तरफ़ से चढ़कर आते, जिससे इस आयत में रोका गया। (इब्ने अबी हातिम : 1/401) मुहम्मद बिन कअब (रह.) फ़र्माते हैं, ए'तिकाफ़ की हालत में भी यही दस्तूर था जिसे इस्लाम ने मिटाया। अता (रह.) फ़र्माते हैं, अहले-मदीना का ईदों में भी यही दस्तूर था जो इस्लाम ने उठा दिया। फिर फ़र्माया, अल्लाह के हुक्मों को बजा लाना, इसके मना किए हुए कामों से रुक जाना,उसका डर दिल में रखना, यह चीज़ें हैं जो दरअसल उस दिन काम आने वाली हैं, जिस दिन हर शख़्स अल्लाह के सामने पेश होगा और पूरी-पूरी जज़ा सज़ा पाएगा।

◈◈◈

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ
اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى
يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۭ كَذٰلِكَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾ فَاِنِ انْتَهَوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۭ فَاِنِ
انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

तर्जुमा : ''लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं और ज़्यादती न करो, अल्लाह तआला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं फ़र्माता। (190) उन्हें मारो जहाँ भी पाओ और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला (सुनो!) फ़ित्ना क़त्ल से ज़्यादा सख़्त है। मस्जिदे-हराम के पास इनसे लड़ाई न करो, जब तक कि यह ख़ुद तुमसे वहाँ न लड़ें। अगर यह तुमसे लड़ें तो तुम भी इन्हें मारो, काफ़िरों का बदला यही है। (191) अगर यह बाज़ आ जाएँ तो अल्लाह तआला बख़्शने वाला मेहरबान है। (192) इनसे लड़ो जब तक कि फ़ित्ना न मिट जाए और अल्लाह तआला का दीन ग़ालिब न आ जाए, अगर यह रुक जाएँ (तो तुम भी रुक जाओ) ज़्यादती तो सिर्फ़ ज़ालिमों पर ही है।'' (193)

जिहाद का हुक्म और मुतअल्लिक़ा मसाइल (आयत 190-193) :हज़रत अबुल आलिया (रह.) फ़र्माते हैं कि मदीना मुनव्वरह में जिहाद का पहला हुक्म यही नाज़िल हुआ है। हुज़ूर (ﷺ) इस आयत के हुक्म की रू से सिर्फ़ उन लोगों से ही लड़ते थे जो आपसे लड़ें और जो आपसे न लड़ें ख़ुद आप उनसे लड़ाई नहीं करते थे, यहाँ तक सूरह बरा'त नाज़िल हुई।(तब्री : 3/561) बल्कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम (रह.) तो यहाँ तक फ़र्माते हैं कि यह आयत मंसूख़ है, और नासिख़ आयत (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ) (9/तौबा : 5) है, या'नी जहाँ कहीं मुश्रिकीन को पाओ उन्हें क़त्ल करो। लेकिन इसमें इख़्तिलाफ़ है, इसलिए कि यह तो सिर्फ़ मुसलमानों को रग़बत दिलाना और उन्हें आमादा करना है कि अपने इन दुश्मनों से क्यूँ जिहाद नहीं करते, जो तुम्हारे दीन के खुले दुश्मन हैं। जैसे वह तुमसे लड़ते हैं तुम भी इनसे लड़ो।

जैसे और जगह फ़र्माया (وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً) (9/तौबा : 36) या'नी मिल-जुलकर मुश्रिकों से जिहाद करो जिस त़रह़ वह तुमसे तमाम के तमाम मिलकर लड़ाई करते हैं, चुनाँचे इस आयत में भी फ़र्माया, इन्हें क़त्ल करो। (त़ब्री : 3/562) जहाँ पाओ और उन्हें वहाँ से निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है। मत़लब यह है कि जिस त़रह़ उनका इरादा तुम्हारे क़त्ल का और तुम्हें जिला-वत़न करने का है तुम्हारा भी उसके बदले में यही इरादा होना चाहिए।

जिहाद में मुसला (लाश की बेहुर्मती करने) की मुमानिअ़त : फिर फ़र्माया, तजावुज़ करने वालों को अल्लाह तआ़ला पसंद नहीं करता, या'नी अल्लाह तआ़ला की नाफ़र्मानी न करो, नाक-कान वग़ैरह न काटो, ख़यानत और चोरी न करो, औरतों और बच्चों को क़त्ल न करो, उन बूढ़े कमज़ोर और नातवाँ लोगों को भी न मारो, जो न लड़ने के क़ाबिल हैं न लड़ाई में दख़ल देते हैं, दरवेशों और तारिकुदुनिया को भी क़त्ल न करो, बल्कि बिला मस्लिहते जंगी न दरख़्त काटो, न हैवानों को ज़ाया करो। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) ह़ज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह़.), ह़ज़रत मुक़ातिल बिन ह़य्यान (रह़.) वग़ैरह ने इस आयत की तफ़्सीर में यही फ़र्माया है स़ह़ीह़ मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (ﷺ) मुजाहिदीन को फ़र्मान दिया करते थे कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, ख़यानत न करो, बदअ़हदी से बचो, नाक कान वग़ैरह जिस्म के ह़िस्सों को न काटो, बच्चों और ज़ाहिद लोगों को जो इबादत ख़ानों में पड़े रहते हैं, क़त्ल न करो। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब ता'मीरुल इमामुल उम्रा अ़लल बुऊ़स : 1731; बिदून (वला अस्ह़ाब ....स़वामिअ़) मुस्नद अह़मद की एक रिवायत में है कि आप (ﷺ) फ़र्माया करते थे अल्लाह का नाम लेकर निकलो, अल्लाह की राह में जिहाद करो, कुफ़्फ़ार से लड़ो, ज़ुल्म व ज़्यादती न करो, धोखाबाज़ी न करो, दुश्मन के बदन के ह़िस्सों को न काटो, दरवेशों को क़त्ल न करो। (अह़मद : 1/300; व सनदुहू ज़ईफ़ वल ह़दीस साबिक़ युग्नी अ़न्हु) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि एक मर्तबा एक ग़ज़्वा में एक औरत क़त्ल की हुई पाई गयी। हुज़ूर (ﷺ) ने उसे बहुत बुरा माना और औरतों और बच्चों के क़त्ल से मना फ़र्मा दिया। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब क़त्लस्सिब्यान फ़िल ह़र्ब : 3014; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1744; अबूदाऊद : 2668; तिर्मिज़ी : 1569)

मुस्नद अह़मद में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह मिसालें दीं। एक तो ज़ाहिर कर दी बाक़ी छोड़ दीं। फ़र्माया, कुछ लोग कमज़ोर और मिस्कीन थे, उन पर ज़ोरावर मालदार दुश्मन चढ़ आया। अल्लाह तआ़ला ने उन ज़ईफ़ों की मदद की और उन ज़ोरावर पर उन्हें ग़ालिब कर दिया। अब लोगों ने उन पर ज़ुल्मो-ज़्यादती शुरू कर दी जिसके सबब अल्लाह तआ़ला उन पर क़यामत तक के लिए नाराज़ हो गया। (अह़मद : 5/407; व सनदुहू ज़ईफ़; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 5/232, 233) यह ह़दीस सनदन स़ह़ीह़ है। मत़लब यह है कि जब यह कमज़ोर क़ौम ग़ालिब आ गई तो उन्होंने ज़ुल्मो-ज़्यादती शुरू कर दी। फ़र्माने-बारी

तआला का कोई लिहाज़ न किया। इस बाइस परवरदिगारे-आलम उन पर नाराज़ हो गया। इस बारे में अहादीस और आसार बकसरत हैं जिनसे साफ़ ज़ाहिर होता है कि ज़ुल्मो ज़्यादती अल्लाह को नापसंद है और ऐसे लोगों से अल्लाह नाख़ुश रहता है। चूँकि जिहाद के अहकाम में बज़ाहिर क़त्ल व ख़ून होता है, इसलिए यह भी फ़र्मा दिया कि अगर क़त्ल व ख़ून है तो इधर अल्लाह के साथ कुफ़्र व शिर्क है और उस मालिक की राह से उसकी मख़्लूक़ को रोकना है और यह फ़ित्ना क़त्ल से बहुत ज़्यादा सख़्त है। अबू मालिक (रह.) फ़र्माते हैं तुम्हारी यह ख़ताकारियाँ और बदकारियाँ क़त्ल से भी ज़्यादा नुक़्सानदेह हैं।

हरम में क़िताल की मुमानिअत : फिर फ़र्मान होता है कि बैतुल्लाह में इनसे लड़ाई न करो, जैसे बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "यह शहर हुर्मत वाला है, आसमान व ज़मीन की पैदाइश के ज़ाने से लेकर क़यामत तक बाहुर्मत ही है, सिर्फ़ थोड़े से वक़्त के लिए अल्लाह तआला ने मेरे लिए इसे हलाल कर दिया था, लेकिन वह आज इस वक़्त भी हुर्मत वाला है और क़यामत तक इसका यह एहतिराम और बुज़ुर्गी बाक़ी रहेगी। इसके दरख़्त न काटे जाएँ, इसके काँटे न उखेड़े जाएँ, अगर कोई शख़्स इसमें लड़ाई को जाइज़ कहे और मेरी जंग को दलील में लाए तो तुम कह देना कि अल्लाह तआला ने सिर्फ़ अपने रसूल (ﷺ) के लिए इजाज़त दी थी लेकिन तुम्हें इसकी कोई इजाज़त नहीं।" (सहीह बुख़ारी, किताब जज़ाउस्सैदि, बाब ला युअज़दु शजरुल हरम : 1832, 1834; सहीह मुस्लिम : 1353, 1354) मुराद आपके उस फ़र्मान से फ़तहे मक्का का दिन है जिस दिन आपने मक्का वालों से जिहाद किया था और मक्का को फ़तह किया था, चंद मुश्रिकीन मारे भी गए थे। गो कुछ उलमा-ए-किराम यह भी फ़र्माते हैं कि मक्का सुलह से फ़तह हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने साफ़ इर्शाद फ़र्मा दिया कि जो शख़्स अपना दरवाज़ा बंद कर ले, वह अमन में है और जो मस्जिद में चला जाए, अमन में है और जो अबू सुफ़ियान के घर में चला जाए, वह भी अमन में है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब फ़तहे मक्का : 1780; मुख़्तसर बिग़ैरि ज़िक्रुल मस्जिद; अबूदाऊद : 3022; व फ़ीहि ज़िक्रुल मस्जिद व सनदुहू ज़ईफ़) फिर फ़र्माया कि हाँ! अगर वह तुमसे यहाँ लड़ाई शुरू कर दें तो तुम्हें इजाज़त है कि तुम भी उनसे यहीं लड़ो ताकि ज़ुल्म दूर हो सके, चुनाँचे आँहज़रत (ﷺ) ने हुदेबिया वाले दिन अपने अस्हाब (رضی اللہ عنہم) से लड़ाई की बे'अत ली जबकि क़ुरेशियों ने और उनके साथियों ने मिल-मिलाकर यौरिश की थी और आपने दरख़्त के नीचे अपने अस्हाब (رضی اللہ عنہم) से बे'त ली। फिर अल्लाह तआला ने उस लड़ाई को दूर कर दिया। चुनाँचे इस ने'मत का बयान इस आयत وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ (48/फ़तह : 24) में है।

फिर इर्शाद होता है कि अगर यह कुफ़्फ़ार हरम में लड़ाई बंद कर दें और इससे बाज़ आ जाएँ और इस्लाम की तरफ़ झुकें तो अल्लाह तआला इनके गुनाहों को माफ़ कर देगा। गो कि इन्होंने मुसलमानों को हरम

में क़त्ल किया हो लेकिन फिर भी वह बारी तआला ऐसे बड़े गुनाह को भी माफ़ कर देगा। फिर हुक्म होता है कि इन मुश्रिकीन से जिहाद जारी रखो ताकि यह शिर्क का फ़ित्ना मिट जाए और अल्लाह तआला का दीन दूसरे तमाम दीनों पर ग़ालिब और बुलंद हो जाए। जैसे बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया कि एक शख़्स अपनी बहादुरी जताने के लिए लड़ता है एक शख़्स क़ौमी हमिय्यत की बिना पर लड़ता है, एक शख़्स रियाकारी और दिखावे के तौर पर लड़ता है, तो बताईये कि इनमें कौन शख़्स अल्लाह तआला की राह मेंजिहाद करने वाला है? आपने फ़र्माया, अल्लाह तआला की राह में जिहाद करने वाला वही है जो इसलिए लड़े कि अल्लाह तआला की बात बुलंद हो, उसके दीन का बोलबाला हो। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुहू तआला (**व लक़द सबक़त कलमतुना**) : 7458; सहीह मुस्लिम : 7458; अबूदाऊद : 2517; तिर्मिज़ी : 1646; नसाई : 3138; इब्ने माजा : 2783) बुख़ारी व मुस्लिम की एक और हदीस में है ''मुझे हुक्म किया गया है कि मैं लोगों से जिहाद करता रहूँ यहाँ तक कि वह ला इलाहा इल्लल्लाहु कहें जब वह इसे कह लें तो मुझसे अपने ख़ून और माल बचा लेंगे मगर इस्लामी अहकाम में और इनका बातिनी हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब (फइन....) : 25; सहीह मुस्लिम : 22) फिर फ़र्माया ''अगर यह कुफ़्फ़ार शिर्क व कुफ़्र से और तुम्हें क़त्ल करने से बाज़ आ जाएँ तो तुम भी इनसे रुक जाओ। इसके बाद जो क़िताल करेगा, वह ज़ालिम होगा और ज़ालिमों को ज़ुल्म का बदला देना ज़रूरी है।'' या'नी मुजाहिद (रह.) के इस क़ौल के मा'नी यह हुए कि जो लड़ें उनसे ही लड़ा जाए या मतलब यह है कि अगर वह इन हरकात से रुक जाएँ तो वह ज़ुल्म या'नी शिर्क से हट गए, फिर कोई वजह नहीं कि उनसे जंगो-जिदाल हो।

यहाँ लफ़्ज़ उदवान जो कि ज़्यादती के मा'नी में है, वह ज़्यादती के मुक़ाबले में ज़्यादती के बदले के लिए है हक़ीक़तन वह ज़्यादती नहीं। जैसे फ़र्माया فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ (2/बक़रह : 194) या'नी ''तुम पर जो ज़्यादती करे तुम भी उस पर उस जैसी ज़्यादती करो।'' और जगह है وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (42/शूरा : 40) या'नी ''बुराई का बदला उस जैसी बुराई है।'' और जगह फ़र्मान है وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ (16/नहल : 126) या'नी ''अगर तुम सज़ा और अज़ाब दो तो उतना ही दो जितना तुम पर किया गया है।'' पस इन तीनों जगहो में ज़्यादती बुराई और सज़ा को बदला के तौर पर कहा गया है, वरना फ़िल वाक़ेअ वह ज़्यादती बुराई और सज़ा व अज़ाब नहीं। इक्रिमा और क़तादा (रह.) का बयान है असल ज़ालिम वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाहु का इंकारी हो।'' (तब्री : 3/873)

सहीह बुख़ारी में है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) के पास दो शख़्स आए जबकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضی اللہ عنہ) पर लोगों ने चढ़ाई कर रखी थी और आकर कहा कि लोग तो मर कट रहे हैं। आप हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) के साहबज़ादे हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबी हैं, क्यूँ इस लड़ाई में शामिल नहीं होते? आपने फ़र्माया, सुनो! अल्लाह तआला ने मुसलमान भाई का ख़ून हराम कर दिया है। उन्होंने कहा कि, क्या यह फ़र्मान जनाब बारी का नहीं कि उनसे लड़ो यहाँ तक कि फ़ित्ना बाक़ी न रहे? आपने फ़र्माया कि, हम तो लड़ते रहे यहाँ तक कि फ़ित्ना दब गया। और अल्लाह तआला का पसंदीदा दीन ग़ालिब आ गया लेकिन अब तुम चाहते हो कि तुम लड़ो ताकि फ़ित्ना पैदा हो और दूसरे मज़ाहिब उभर आएँ। एक और रिवायत में है कि किसी ने आपसे कहा कि, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! आपने अल्लाह की राह का जिहाद क्यूँ छोड़ रखा है और क्या इख़्तियार कर रखा है कि हज्ज पर हज्ज कर रहे हो, हर दूसरे साल हज्ज को जाया करते हो हालाँकि जिहाद के फ़ज़ाइल आपसे मख़्फ़ी नहीं।

आपने फ़र्माया, भतीजे सुनो! इस्लाम की बिना पाँच चीज़ें हैं, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाना, पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, ज़कात देना, बैतुल्लाह का हज्ज करना। उसने कहा, क्या क़ुरआन का यह हुक्म आपने नहीं सुना कि ईमानवालों की दो जमाअतें अगर आपस में झगड़ें तो तुम उनमें सुलह करा दो अगर फिर भी एक गिरोह दूसरे पर बग़ावत करे तो बाग़ी गिरोह से लड़ो यहाँ तक कि वह फिर से अल्लाह का फ़र्माँबरदार बन जाए। और जगह इर्शाद है उनसे लड़ो, उस वक़ त तक कि फ़ित्ना मिट जाए। आपने फ़र्माया, हमने हुज़ूर (ﷺ) के ज़माना में इसकी ता'मील कर ली जबकि इस्लाम कमज़ोर था, और मुसलमान थोड़े थे। जो इस्लाम क़बूल करता था उस पर फ़ित्ना आ पड़ता था या तो क़त्ल कर दिया जाता या सख़्त अज़ाबों में फंस जाता, यहाँ तक कि यह पाक दीन फैल गया और इसके हल्क़ा बगोश बकसरत हो गये और फ़ित्ना ख़त्म हो गया। उसने कहा, अच्छा तो फिर फ़र्माइये कि हज़रत अली और हज़रत उस्मान (رضی اللہ عنہ) के बारे में आपका क्या ख़्याल है? फ़र्माया, उस्मान (رضی اللہ عنہ) को अल्लाह तआला ने माफ़ कर दिया गो तुम उस माफ़ी से बुरा मानो और अली (رضی اللہ عنہ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के चचाज़ाद भाई और आपके दामाद भी थे और यह देखो, उनका मकान यह रहा जो तुम्हारी आँखों के सामने है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़सीर, बाब क़ौलुहू (وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ....) : 4513, 4514, 4515)

....

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۭ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

तर्जुमा : ''हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं और हुर्मतें अदले-बदले की जो तुम पर ज़्यादती करे तुम भी उस पर उसी के बराबर ज़्यादती करो जो तुम पर की है और अल्लाह तआला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह तआला परहेज़गारों के साथ है। (194) अल्लाह तआला की राह में ख़र्च किया करो और अपने हाथों हलाकत में न पड़ो और सुलूक व एहसान करो, अल्लाह तआला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है।'' (195)

हुर्मत वाले महीने में लड़ाई और बे'अते रिज़्वान (आयत 194, 195) : ज़ुल्क़ा'दा 6 हिज्री में रसूले करीम (ﷺ) उमरे के लिए अपने सहाबा किराम (رضي الله عنهم) समेत मक्का की तरफ़ चल पड़े लेकिन मुश्रिकीन ने आपको हुदेबिया वाले मैदान में रोक लिया। बिल आख़िर इस बात पर सुलह हुई कि आइन्दा साल आप उमरा करें और इस साल वापिस तशरीफ़ ले जाएँ। चूँकि ज़ुल्क़ा'दा का महीना भी हुर्मत वाला महीना है इसलिए यह आयत नाज़िल हुई। मुस्नद अहमद में हदीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हुर्मत वाले महीनों में जंग नहीं करते थे, हाँ! अगर कोई आप पर चढ़ाई करे तो और बात है बल्कि जंग करते हुए अगर हुर्मत वाले महीने आ जाते तो आप लड़ाई मौक़ूफ़ कर देते। (अहमद : 3/345; व सनदुहू सहीह अला शर्ते मुस्लिम मज्मउज़्ज़वाइद : 6/66) हुदेबिया के मैदान में भी जब हुज़ूर (ﷺ) को यह ख़बर पहुँची कि हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) को मुश्रिकों ने क़त्ल कर दिया जो कि हुज़ूर (ﷺ) का पैग़ाम लेकर मक्का में गए थे तो आपने अपने चौदह सौ अस्हाब (رضي الله عنهم) से एक दरख़्त के नीचे मुश्रिकों से जिहाद करने की बे'अत ली।

फिर जब मा'लूम हुआ कि यह ख़बर ग़लत है तो आपने अपना इरादा मुल्तवी कर दिया और सुलह की तरफ़ माइल हो गए, फिर जो वाक़िया हुआ वह हुआ। इसी तरह आप जबकि हवाज़िन की लड़ाई से हुनेन वाले दिन फ़ारिग़ हुए और मुश्रिकीन ताइफ़ में जाकर क़िला बंद हो गए तो आपने उसका मुहासिरा कर लिया। चालीस दिन तक यह मुहासिरा रहा बिलआख़िर कुछ सहाबा की शहादत के बाद यह मुहासिरा उठाकर आप मक्का की तरफ़ लौट गए और जिअराना से आपने उमरा का एहराम बाँधा। यहीं हुनैन की ग़नीमतें तक़्सीम कीं

और यह उमरा आपका ज़िल्क़ा'दा में हुआ। यह 8 हिज्री का वाक़िया है। अल्लाह तआला आप पर दरूदो सलाम भेजे। (फ़त्हुल बारी : 3/701) फिर फ़र्माता है जो तुम पर ज़्यादती करे तुम भी उस पर उतनी ही ज़्यादती कर लो, या'नी मुश्रिकीन में भी अद्ल का ख़्याल रखो। यहाँ भी ज़्यादती के बदले को ज़्यादती से ता'बीर करना वैसा ही है जैसे एक मक़ाम पर अज़ाब व सज़ा के बदला को भी सज़ा के लफ़्ज़ से ता'बीर किया गया है और बुराई के बदले को भी बुराई के लफ़्ज़ से बयान किया गया।

इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, यह आयत मक्का में उतरी जहाँ मुसलमानो में कोई शानो शौकत न थी न जिहाद का हुक्म था। फिर यह आयत मदीना में जिहाद के हुक्म से मंसूख़ हो गई लेकिन इब्ने जरीर (रह.) ने इस बात की तर्दीद की है और फ़र्माते हैं कि यह आयत मदनी है। उमर-ए-क़ज़ा के बाद नाज़िल हुई है। मुजाहिद (रह.) का क़ौल भी यही है। फिर फ़र्माता है अल्लाह तआला की इताअत और परहेज़गारी इख़्तियार करो और उसे जान लो कि ऐसे ही लोगों के साथ दीन व दुनिया में अल्लाह तआला की ताईद व मदद रहती है।

जिहाद और अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च करना : हज़रत हुज़ेफ़ह (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि यह आयत अल्लाह तआला की राह में ख़र्च करने के बारे में नाज़िल हुई है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब क़ौलुहू (وَ اَنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ....) : 4516) और बुज़ुर्गों ने भी इस आयत की तफ़्सीर में यही बयान फ़र्माया है। हज़रत अबू इमरान (रह.) फ़र्माते हैं कि मुहाजिरीन में से एक शख़्स ने कुस्तुन्तुनिया की जंग में कुफ़्फ़ार के लश्कर पर दिलेराना हमला किया और उनकी सफ़ों को चीरता हुआ उनमें घुस गया तो कुछ लोग कहने लगे कि देखो, यह अपने हाथों अपनी जान को हलाकत में डाल रहा है। हज़रत अबू अय्यूब (رضي الله عنه) ने यह सुनकर फ़र्माया, इस आयत का सहीह मतलब हम ख़ूब जानते हैं। सुनो! यह आयत हमारे ही बारे में नाज़िल हुई है। हमने हुज़ूर (ﷺ) की सुहबत उठाई, आपके साथ जंग व जिहाद में शरीक रहे, आपकी मदद पर तुले रहे, यहाँ तक कि इस्लाम ज़ाहिर हो गया और मुसलमान ग़ालिब आ गए तो हम अंसारियों ने एक मर्तबा जमा होकर आपस में मश्विरा किया कि अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) की सुहबत के साथ हमें मुशर्रफ़ किया। हम आपकी ख़िदमत में लगे रहे, आपकी हमरकाबी में जिहाद करते रहे, अब बिहम्दिल्लाह! इस्लाम फैल गया, मुसलमानो का ग़ल्बा हो गया, लड़ाई ख़त्म हो गई, उन दिनो में न हमने अपनी औलाद की ख़बरगिरी की, न माल की देखभाल की, न खेतियो और बाग़ों का कुछ ख़्याल किया, पस अब हमें चाहिए कि अपने ख़ान्गी (घरेलू) मा'मलात की तरफ़ तवज्जह करें। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। पस जिहाद को छोड़कर बाल बच्चों और व्यापार व तिजारत में मशग़ूल हो जाना यह अपने हाथों ख़ुद को हलाक करना है। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी क़ौलिही (وَ لَا تُلۡقُوۡا بِاَیۡدِیۡکُمۡ....) : 2512; व सनदुहू सहीह तिर्मिज़ी : 2972)

एक और रिवायत में है कि कुस्तुन्तुनिया की लड़ाई के वक़्त मिस्रियों के सरदार हज़रत उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) थे और शामियों के सरदार यज़ीद बिन फुज़ाला बिन उबेद (رضي الله عنه) थे। (तिर्मिज़ी, किताबुत

तफ़सीर, बाब वमिन सूरतिल बक़रह : 2972; व सनदुहू सहीह) हज़रत बरा' बिन आज़िब (ﷺ) से एक शख़्स ने पूछा कि अगर मैं अकेला तंहा दुश्मन की सफ़ में घुस जाऊँ और मुझे घेरे में ले लें और क़त्ल कर दिया जाऊँ तो क्या इस आयत के मुताबिक़ मैं अपनी जान को आप ही हलाक करने वाला बनूँगा? आपने जवाब दिया, नहीं! अल्लाह तआला अपने नबी से फ़र्माता है فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ (4/निसाअ : 84) "ऐ नबी (ﷺ)! अल्लाह की राह में लड़ता रह, तू अपनी जान का ही मालिक है उसी को तक्लीफ़ दे।" यह आयत तो अल्लाह की राह में ख़र्च करने से रुक जाने वालों के बारे में नाज़िल हुई है। (इब्ने मर्दवे वग़ैरह) तिर्मिज़ी की एक और रिवायत में इतनी ज़्यादती भी है कि आदमी का गुनाहों पर गुनाह किए चले जाना और तौबा न करना, यह अपने हाथों अपने आपको हलाक करना है। इब्ने अबी हातिम में है कि मुसलमानों ने दमिश्क़ का मुहासिरा किया और अज़्दशनुअ क़बीला का एक आदमी जुर्अत करके दुश्मनो में घुस गया। उनकी सफ़ें चीरता फाड़ता अंदर चला गया। लोगों ने उसे बुरा जाना और हज़रत अम्र बिन आस (ﷺ) के पास यह शिकायत की । चुनाँचे हज़रत अम्र (ﷺ) ने उन्हें बुला लिया और फ़र्माया, कुरआन में है अपनी जानों को हलाकत में न डालो।

हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं, लड़ाई में इस तरह की बहादुरी करना, यह अपनी जानों को बर्बादी में डालना नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में माल ख़र्च न करना हलाकत में पड़ना है। हज़रत जहहाक बिन अबू हबीरा (रह.) फ़र्माते हैं कि अंसार अपने माल अल्लाह की राह में खुले दिल से ख़र्च करते रहते थे लेकिन एक साल क़हतसाली के मौक़े पर उन्हों ने वह ख़र्च रोक लिया जिस पर यह आयत नाज़िल हुई। हज़रत इमाम हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं इससे मुराद बुख़्ल करना है। हज़रत नो'मान बिन बशीर फ़र्माते हैं कि गुनहगार का रहमते बारी से नाउम्मीद हो जाना यह हलाक होना है। और कुछ मुफ़स्सिरीन भी फ़र्माते हैं कि गुनाह हो जाए फिर बख़्शिश से नाउम्मीद होकर गुनाहों में मशग़ूल हो जाना, यह अपने हाथों हलाक होना है तहलुकत से मुराद अल्लाह का अज़ाब भी बयान किया गया है। कुर्तुबी (रह .) वग़ैरह से रिवायत है कि लोग हुज़ूर (ﷺ) के साथ जिहाद में जाते थे और अपने साथ कुछ ख़र्च नहीं ले जाते थे। अब या तो वह भूखों मरें या उनका बोझ दूसरों पर पड़े तो उनसे इस आयत में फ़र्माया जाता है कि अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसे उसकी राह के कामों में लगाओ और अपने हाथों हलाकत में न पड़ो कि भूख-प्यास से या पैदल चल चलकर मरजाओ। इसके साथ ही उन लोगों को जिनके पास कुछ है। हुक्म हो रहा है कि तुम एहसान करो ताकि अल्लाह तुम्हें दोस्त रखे। नेकी के हर काम में ख़र्च किया करो, बिल ख़ुसूस जिहाद के मौक़े पर अल्लाह की राह में ख़र्च करने से न रुको, यह दरअसल ख़ुद तुम्हारी हलाकत है। पस एहसान आ'ला दर्जा की इताअत है जिसका यहाँ हुक्म हो रहा है और साथ ही बयान हो रहा है कि एहसान करने वाले अल्लाह के दोस्त हैं।

....

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا
رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ
رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ ٜ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى
الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ
اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

तर्जुमा : ''हज्ज और उमरा को अल्लाह तआला के लिए पूरा करो, अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो क़ुर्बानी मयस्सर हो उसे कर डालो, और अपने सर न मुँडवाओ जब तक कि क़ुर्बानी क़ुर्बानगाह तक न पहुँच जाए, हाँ! तुममें से जो बीमार हो या उसके सर में कोई तक्लीफ़ हो तो उस पर फ़िदया है, ख़्वाह रोज़े रख ले, ख़्वाह सदक़ा कर ले, ख़्वाह क़ुर्बानी करे, हाँ! अमन की हालत में जो शख़्स उमरा से लेकर हज्ज तक तमत्तोअ करे तो उसको जो क़ुर्बानी मयस्सर हो उसे कर डाले, जिसे ताक़त ही न हो, वह तीन रोज़े तो हज्ज के दिनों में रख ले और सात वापसी में। यह पूरे दस हो गए। यह हुक्म उनके लिए है जो मस्जिदे हराम के रहने वाले न हों। लोगों! अल्लाह तआला से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह तआला सख़्त अज़ाबों वाला है।'' (196)

हज्ज और उमरा का तज़्किरा (आयत 196) : ऊपर चूँकि रोज़ों का ज़िक्र हुआ था, फिर जिहाद का बयान हुआ, अब हज्ज का ज़िक्र हो रहा है और हुक्म होता है कि हज्ज और उमरा को पूरा करो। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मा'लूम होता है कि हज्ज और उमरा को शुरू करने के बाद पूरा करना चाहिए। तमाम उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज्ज व उमरा को शुरू करने के बाद उनका पूरा करना लाज़िम है गो उमरा के वाजिब और मुस्तहब होने में उलमा के दो क़ौल हैं जिन्हें हमने पूरी तफ़्सील के साथ किताबुल अहकाम में बयान कर दिया है, फ़लिल्लाहिल् हम्दु वल मिन्नत। हज़रत अली (ﷺ) फ़र्माते हैं कि पूरा करना यह है कि तुम अपने घर से एहराम बाँधो। हज़रत सुफ़ियान सौरी (रह.) फ़र्माते हैं कि उनका पूरा करना यह है कि तुम अपने घर से एहराम बाँधों, तुम्हारा यह

सफ़र सिर्फ़ हज्ज व उ़मरा की ग़र्ज़ से हो। मीक़ात पहुँचकर लब्बैक पुकारना शुरू कर दो। तुम्हारा इरादा तिजारत या किसी और ग़र्ज़ दुनियावी का न हो कि निकले तो अपने काम को और मक्का के क़रीब पहुँचकर ख़्याल आ गया कि आओ! हज्ज व उ़मरा भी कर लें ताकि इस तरह हज्ज व उ़मरा भी हो जाए, लेकिन यह पूरा करना नहीं। पूरा करना यह है कि सिर्फ़ इसी इरादे से घर से निकलो। हज़रत मक्हूल (रह.) फ़र्माते हैं कि इनका पूरा करना यह है कि इन्हें मीक़ात से शुरू करे।

हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं इनका पूरा करना यह है कि इन दोनों को अलग-अलग अदा करे और उ़मरा को हज्ज के महीनों में न करे, इसलिए कि कुरआन शरीफ़ में है (**अहज्जु अश्हुरुम मअ़लूमात**) हज्ज के महीने मुक़र्रर हैं। (इब्ने अबी हातिम : 1/437) क़ासिम बिन मुहम्मद (रह.) फ़र्माते हैं कि हज्ज के महीनों में उ़मरा करना पूरा होना नहीं। उनसे पूछा गया कि मुहर्रम में उ़मरा करना कैसा है? कहा, लोग इसे तो पूरा कहते थे। लेकिन इस क़ौल में शुबा है इसलिए कि यह साबितशुदा अम्र है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चार उ़मरे किए और चारों ज़ुल्क़ा'दा में किए, एक 6 हिज्री में ज़ुल्क़ा'दा के महीने में, दूसरा ज़ुल्क़ा'दा सन 7 हिज्री में उ़म्रतुल क़ज़ाअ, तीसरा ज़ुल्क़ा'दा सन 8 हिज्री में उ़म्रतुल जिअ़राना, चौथा ज़ुल्क़ा'दा 10 हिज्री में हज्ज के साथ। (सहीह बुख़ारी, किताबुल उ़मरा, बाब कम इतमरन् नबी (ﷺ) : 1778; सहीह मुस्लिम : 1253; अबूदाऊद : 993; तिर्मिज़ी : 816; इब्ने माजा : 3003) इन चारों उ़मरों के सिवा हिज्रत के बाद आपका और कोई उ़मरा नहीं हुआ, हाँ! आपने उम्मे हानी (رضي الله عنها) से फ़र्माया था कि रमज़ान में उ़मरा करना मेरे साथ हज्ज करने के बराबर है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल उ़मरति, बाब उ़मरति फ़ी रमज़ान : 1782; सहीह मुस्लिम : 1256; अ़न इब्ने अ़ब्बास; इस रिवायत में उम्मे हानी की बजाए उम्मे सिनान का ज़िक्र है।) यह आपने इसलिए फ़र्माया था कि उम्मे हानी (رضي الله عنها) ने आपके साथ हज्ज के लिए जाने का इरादा कर लिया था लेकिन सवारी की वजह से साथ न जा सकीं। जैसे कि बुख़ारी में यह पूरा वाक़िया मौजूद है। हज़रत सईद बिन जुबेर (رضي الله عنه) तो साफ़ फ़र्माते हैं कि, यह उम्मे हानी (رضي الله عنها) के लिए ही मख़सूस हुक्म है, वल्लाहु आ'लम!

हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि हज्ज और उ़मरा का एहराम बाँधने के बाद बग़ैर पूरा किए छोड़ना जाइज़ नहीं। हज्ज उस वक़्त पूरा होता है जबकि कुर्बानी वाले दिन जम्रा उ़क़्बा को कंकर मारे और बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और सफ़ा मरवा के दरम्यान दौड़े, अब हज्ज अदा हो गया। इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, हज्ज अ़रफ़ात का नाम है और उ़मरा तवाफ़ है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) की क़िरा'त यह है (**व अतिम्मुल हज्जवल...**) उ़मरा बैतुल्लाह तक जाते ही पूरा हो गया। (तब्री : 4/7) हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) से जब यह ज़िक्र हुआ तो आपने फ़र्माया, इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) की क़िरा'त भी यही थी। हज़रत अ़ल्क़मा (रह.) भी यही फ़र्माते हैं। इब्राहीम (रह.) से मरवी है (**व अक़ीमुल...**) शअ़बी (रह.) की क़िरा'त में वल् उ़म्रतु है, वह फ़र्माते हैं, उ़मरा वाजिब नहीं, गो उसके ख़िलाफ़ भी उनसे मरवी है। बहुत सी अहादीस में कई सनदों के साथ हज़रत अनस और सहाबा (رضي الله عنهم) की एक जमाअ़त से रिवायत है कि

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्ज व उमरा दोनों को जमा' किया और सहीह हदीस में है कि आपने अपने अस्हाब (رضي الله عنهم) से फ़र्माया, जिसके साथ कुर्बानी का जानवर है वह हज्ज व उमरा का एक साथ एहराम बाँधे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब कैफ़ तुहिल्लुल हाइज़ वन् नुफ़्सा :1556; सहीह मुस्लिम : 1211) एक और हदीस में है उमरा हज्ज में क़यामत तक के लिए दाख़िल हो गया। (अहमद : 4/175; सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब हज्जतुन् नबी (ﷺ) : 1218; अन जाबिर) अबू मुहम्मद बिन अबी हातिम ने अपनी किताब में एक रिवायत नक़्ल की है कि एक शख़्स रसूले अकरम (ﷺ) के पास आया और ज़ा'फ़रान की ख़ुश्बू से महक रहा था। उसने पूछा, या रसूलल्लाह! मेरे एहराम के बारे में क्या हुक्म है। इस पर यह आयत उतरी। हुज़ूर (ﷺ) ने पूछा, "वह साइल कहाँ हैं?" उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मौजूद हूँ। फ़र्माया "अपने ज़ा'फ़रानी कपड़े उतार दे और ख़ूब अच्छी तरह ग़ुस्ल कर ले और जो अपने हज्ज में करता है वही उमरा में भी कर।" यह हदीस ग़रीब है और यह सियाक़ अजीब है। कुछ रिवायतों में ग़ुस्ल का और इस आयत के नाज़िल होने का ज़िक्र नहीं। एक रिवायत में इनका नाम यअला बिन उमय्या (رضي الله عنه) आया है। दूसरी रिवायत में सफ़्वान बिन उमय्या (रज़ि.) है, वल्लाहु आ'लम!

अगर साहिबे उज़्र हज्ज या उमरा पूरा न कर सके? फिर फ़र्माया, अगर तुम घेर लिए जाओ तो जो कुर्बानी मयस्सर हो, कर डालो। मुफ़स्सिरीन ने ज़िक्र किया है कि यह आयत 6 हिज्री में हुदेबिया के मैदान में उतरी, जबकि मुश्रिकीन ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मक्का जाने से रोका था और इसी बारे में पूरी सूरह फ़तह उतरी और आपके सहाबा (رضي الله عنهم) को रुख़सत मिली कि वह अपनी कुर्बानियों को वहीं ज़िब्ह कर डालें। चुनाँचे सत्तर ऊँट ज़िब्ह किए गए , सर मुँडवाए गए और एहराम खोल दिए गए। पहली मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) के फ़र्मान को सुनकर लोग ज़रा झिझके और उन्हें इंतिज़ार था कि शायद कोई नासिख़ हुक्म उतरे, यहाँ तक कि ख़ुद आप (ﷺ) बाहर आए और अपना सर मुँडवाया। फिर सब लोग आमादा हो गए, कुछ ने सर मुँडवा लिया कुछ ने बाल कतरवा लिए। जिस पर आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह तआला सर मुँडवाने वालों पर रहम करे।" लोगों ने कहा, हुज़ूर! बाल कतरवाने वालों के लिए भी दुआ कीजिए। आपने फिर सर मुँडवाने वालों ही के लिए दुआ की। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब अल्हल्क़ वत्तक़्सीर इन्दल हलाल : 1727; सहीह मुस्लिम : 1301) तीसरी मर्तबा कतरवाने वालों के लिए भी दुआ कर दी। सात-सात शख़्स एक ऊँट में शरीक थे। कुल ता'दाद सहाबा (رضي الله عنهم) की चौदह सौ थी। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वा हुदेबिया : 4151) हुदेबिया के मैदान मे ठहरे हुए थे जो हदे-हरम से बाहर था। गो ये भी मरवी है कि हदे-हरम के किनारे पर थे, वल्लाहु आ'लम!

उलमा का इसमें इख़्तिलाफ़ है कि यह हुक्म सिर्फ़ उन लोगों के लिए ही है जिन्हें दुश्मन घेर ले या किसी बीमारी वग़ैरह से भी कोई मजबूर हो जाए तो उसके लिए भी रुख़सत है कि वह उसी जगह एहराम खोल डाले और सर मुँडवा ले और कुर्बानी कर दे। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) तो सिर्फ़ पहली क़िस्म के लोगों के

लिए ही बताते हैं। इब्ने उमर (ﷺ), ताउस, जुहरी, और ज़ेद बिन असलम (रह.) भी यही फ़र्माते हैं लेकिन मुस्नद अहमद की एक मरफ़ूअ़ हदीस में है कि जिस शख़्स का हाथ पैर टूट जाए या बीमार हो जाए या लंगड़ा लूला हो जाए तो वह हलाल होगा, वह अगले साल हज्ज कर ले। इस हदीस का रावी कहता है कि मैंने इसे इब्ने अ़ब्बास और अबू हुरेरह (ﷺ) से ज़िक्र किया, उन्होंने भी फ़र्माया, सच है। सुनन अरबआ में भी यह हदीस है। (अहमद : 3/450; अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब अल्एहसार : 1862, 1863; तिर्मिज़ीः 940; नसाई : 6863; इब्ने माजा : 3077; वहुव हदीसुन सहीह; शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीहुल जामेअ : 6521) हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ), इब्ने जुबेर (ﷺ), अल्क़मा, सईद बिन मुसय्यिब, उर्वा बिन जुबेर, मुजाहिद, नख़ई, अता', मुक़ातिल बिन हय्यान (रह.) से भी मरवी है कि बीमार हो जाना और लंगड़ा लूला हो जाना भी ऐसा ही उज़्र है। सुफ़ियान सौरी (रह.) हर मुसीबत व ईज़ा को ऐसा ही उज़्र बताते हैं। बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में है कि हज़रत जुबेर बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब की साहबज़ादी जुबाआ (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरयाफ़्त करती हैं कि हुज़ूर (ﷺ) मेरा इरादा हज्ज का है लेकिन मैं बीमार रहती हूँ। आपने फ़र्माया, ''हज्ज को चली जाओ और शर्त कर लो कि मेरे एहराम से फ़ारिग़ होने के वही जगह होगी जहाँ मैं मर्ज़ से रोक दी जाऊँ।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुन् निकाह, बाब अल्इक्फ़ाउ फ़िद्दीन : 5089; सहीह मुस्लिम : 1207) इस हदीस की बिना पर कुछ उलम-ए-किराम का फ़त्वा है कि हज्ज में शर्त करना जाइज़ है। इमाम शाफ़ई (रह.) भी फ़र्माते हैं कि अगर यह हदीस सहीह हो तो मेरा क़ौल भी यही है। इमाम बैहक़ी (रह.) फ़र्माते हैं, यह हदीस बिलकुल सहीह है। पस इमाम साहब (रह.) का मज़हब भी यही हुआ, फ़ल्हम्दु लिल्लाह!

फिर इर्शाद होता है कि जो कुर्बानी मयस्सर हो उसे कुर्बान कर दे। हज़रत अ़ली (ﷺ) फ़र्माते हैं, या'नी एक बकरी ज़िब्ह कर दे। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुल हज्ज, बाब फ़मस्तैसर मिनल् हदयि : 1/385; ह : 886; व सनदुहू ज़ईफ़।) इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं, ऊँट, गाय, बकरी, भेड़ या इनके नर हों , इन आठों क़िस्मों में जिसे चाहे ज़िब्ह करे। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुल हज्ज, बाब फ़मस्तैसर मिनल् हदयि : 1/385; ह : 886; व सनदुहू ज़ईफ़।) इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से सिर्फ़ बकरी भी मरवी है। और भी बहुत से मुफ़स्सिरीन ने यही फ़र्माया है और चारों इमामों का भी यही मज़हब है। हज़रत आइशा (ﷺ) और हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) वग़ैरह फ़र्माते हैं कि इससे मुराद सिर्फ़ ऊँट और गाय ही है। ग़ालिबन इनकी दलील हुदेबिया का वाक़िया होगा। इसमें किसी सहाबी से बकरी का ज़िब्ह करना मन्क़ूल नहीं, गाय और ऊँट ही उन बुज़ुर्गों ने कुर्बान किए हैं। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि हमें अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि हम सात-सात आदमी गाय और ऊँट में शरीक हो जाएँ। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब जवाज़ुल इश्तिराक फ़िल हदयि : 1318) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से यह भी मन्क़ूल है कि जिस जानवर के ज़िब्ह करने की वुस्अ़त हो उसे ज़िब्ह कर डाले। अगर मालदार है तो ऊँट इससे कम हैसियत वाला है तो गाय वरना फिर बकरी। (तब्री : 4/30) हज़रत उर्वा (रह.) फ़र्माते हैं महंगे सस्ते दामों पर मौक़ूफ़ है। जुम्हूर

के इस क़ौल की कि बकरी काफ़ी है यह दलील है कि कुरआन ने आसानी होने का ज़िक्र फ़र्माया है या'नी कम से कम वह चीज़ें जिस पर कुर्बानी का इत्लाक़ हो सके। और कुर्बानी के जानवर ऊँट, गाय, बकरियाँ और भेड़ें हैं। जैसे तर्जुमाने कुरआन रसूलुल्लाह (ﷺ) के चचाज़ाद भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) का फ़र्मान है।

बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक मर्तबा बकरी की कुर्बानी की। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब जवाज़ुल इश्तिराक फ़िल हदयि : 1701; सहीह मुस्लिम : 1231) फिर फ़र्माया, ''जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर न पहुँच ले, तुम अपने सरों को न मुँडवाओ।'' उसका अत्फ़ (व अतिम्मुल हज्ज) अलख़ पर है न कि (फ़इन उहसिरतुम) पर। इब्ने जरीर (रह.) से यहाँ सह्व हो गया है, वजह यह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुदेबिया वाले साल जबकि मुश्रिकीन हाइल हो गए और आपको हरम में न जाने दिया तो हरम से बाहर ही सबने सर भी मुँडवाए और कुर्बानियाँ भी कर दीं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मुहस्सर, बाब इज़ा उहसिरुल मु'तमिर : 1807; सहीह मुस्लिम : 1231) लेकिन अमन की हालत में जबकि हरम में पहुँच सकते हों तो जाइज़ नहीं जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह न पहुँच जाए और हाजी हज्ज और उमरा के तमाम अहकाम से फ़ारिग़ न हो ले। अगर वह हज्ज व उमरा का एक साथ एहराम बाँधे हुए हो तो या उनमें से एक का करने वाला हो या उसने सिर्फ़ हज्ज का एहराम बाँधा हो, ख़्वाह तमत्तोअ की निय्यत की हो। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि उम्मुल मो'मिनीन हज़रत हफ़्सा (رضی اللہ عنہا) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! सबने तो एहराम खोल डाले लेकिन आप तो एहराम से ही हैं। आपने फ़र्माया, ''हाँ! मैंने अपना सर मुँडवा लिया है और अपने कुर्बानी के जानवर के गले में अलामत डाल दी है। जब तक यह ज़िब्ह न हो जाए, मैं एहराम नहीं उतार सकता।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब तमत्तोअ वल क़िरान : 1566; सहीह मुस्लिम : 1229) फिर हुक्म होता है कि बीमार और सर की तक्लीफ़ वाला शख़्स फ़िदया दे दे।

अगर उज़्र की वजह से हालते-एहराम में सर मुँडवाए तो क्या फ़िदया दे? सहीह बुख़ारी में है अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रह.) कहते हैं कि मैं कूफ़ा की मस्जिद में हज़रत कअब बिन अज्रा (رضی اللہ عنہ) के पास बैठा हुआ था। मैंने उनसे इस आयत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि, मुझे लोग उठाकर हुज़ूर (ﷺ) के पास ले गए, जूएँ मेरे चेहरे पर चल रही थीं। आपने मुझे देखकर फ़र्माया, ''मैं नहीं ख़्याल करता था कि तुम्हारी हालत यहाँ तक पहुँच गई होगी। क्या तुम्हें इतनी ताक़त नहीं कि एक बकरी ही ज़िब्ह कर डालो।'' मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! मैं तो मुफ़्लिस आदमी हूँ। आपने फ़र्माया, ''अच्छा जाओ अपना सर मुँडवा दो और तीन रोज़े रख लेना। या छः मिस्कीनों को आधा-आधा साअ (तक़रीबन सवा सेर सवा छटांक) अनाज दे देना।'' पस यह आयत मेरे बारे में उतरी है और हुक्म के ए'तिबार से हर एक ऐसे मा'ज़ूर शख़्स को शामिल है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब क़ौलुहू तआला (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا......) : 4517; सहीह मुस्लिम : 1201; तिर्मिज़ी : 2973)) एक और रिवायत में है कि हँडिया

तले आग सुलगा रहा था जो हुज़ूर (ﷺ) ने मेरी यह हालत देखकर मुझे यह मसला बताया। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मर्ज़ा, बाब मा रुख़्ख़िसा लिल मरीज़ ..: 5665; सहीह मुस्लिम : 1201) एक और रिवायत में है कि यह वाक़िया हुदेबिया का है और मेरे सर पर बड़े-बड़े बाल थे जिनमें बकसरत जूएँ हो गई थीं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वा हुदेबिया : 4191) इब्ने मर्दवे की रिवायत में है कि फिर मैंने सर मुँडवा लिया और एक बकरी ज़िब्ह कर दी। एक और हदीस में है नुसुक या'नी कुर्बानी एक बकरी है, और रोज़े अगर रखे तो तीन हैं, और सदक़ा अगर दे तो एक फ़रक़ (पैमाना) छः मिस्कीनों के दरम्यान तक़्सीम कर देना है। हज़रत अली (رضي الله عنه), मुहम्मद बिन कअब, अल्क़मा, इब्राहीम, मुजाहिद, अता, सुदी और रबीअ बिन अनस (रह.) का भी यही फ़त्वा है। इब्ने अबी हातिम में हदीस है कि रसूले-अकरम (ﷺ) ने हज़रत का'ब बिन अज्रह (رضي الله عنه) को तीनों मसले बताकर फ़र्मा दिया था कि इसमें से जिस पर तुम चाहो अमल कर लो काफ़ी है। (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब फ़िल फ़िदयति : 1861; नसाई : 2854; वहुव सहीह) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, जहाँ दो तीन तरीक़े लफ़्ज़ 'अव' के साथ बयान हुए हों, वहाँ इख़्तियार होता है जिसे चाहे कर ले। हज़रत मुजाहिद, इक्रिमा, अता, ताउस, हसन, हुमैद, आ'रज, इब्राहीम नख़ई, और जह्हाक (रह.) से भी यही मरवी है। चारों इमामों और अकसर उलमा का भी यही मज़हब है कि अगर चाहे रोज़े रख ले, अगर चाहे सदक़ा कर दे अगर चाहे कुर्बानी कर ले। रोज़े तीन हैं, सदक़ा एक फ़र्क़ या'नी तीन साअ (या'नी आठ सेर से आधी छटांक कम) है। छः मिस्कीनों पर तक़्सीम करे और कुर्बानी एक बकरी की है। इन तीनों सूरतों में से जो चाहे कर ले। परवरदिगार रहमानो-रहीम को चूँकि यहाँ रुख़्सत देना थी, इसलिए सबसे पहले रोज़े बयान फ़र्माए, जो सबसे आसान सूरत है, फिर सदक़ा का ज़िक्र किया, फिर कुर्बानी का और हुज़ूर (ﷺ) को चूँकि अफ़्ज़लियत पर अमल कराना था, इसलिए पहले बकरी की कुर्बानी का ज़िक्र किया, फिर छः मिस्कीनों को खिलाने का, फिर तीन रोज़े रखने का। सुब्हानल्लाह! दोनों मक़ाम के ऐ'तिबार से दोनों तर्कीबें किस क़द्र दुरुस्त और बरमहल हैं, फ़ल्हम्दु लिल्लाह!

सईद बिन जुबेर (रह.) से इस आयत का मतलब पूछा जाता है तो फ़र्माते हैं, कि ग़ल्ला का हुक्म लगाया जाएगा, अगर उसके पास है तो एक बकरी ख़रीद ले वरना बकरी की क़ीमत दिरहमों से लगाई जाए और उसका ग़ल्ला ख़रीदा जाए और सदक़ा कर दिया जाए, वरना हर आधे साअ के बदले एक रोज़ा रखे। हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं जब मुहरिम के सर में तक्लीफ़ हो तो बाल मुँडवा दे और इन तीन में से एक फ़िदया अदा कर दे। रोज़े दस हैं। सदक़ा दस मिस्कीनों पर तक़्सीम करना पड़ेगा, हर हर मिस्कीन को एक मकूक खजूर और एक मकूक गैहूँ और कुर्बानी में बकरी। हसन और इक्रिमा (रह.) भी दस मिस्कीनों का खाना बताते हैं लेकिन यह क़ौल ठीक नहीं, इसलिए कि मरफ़ूअ हदीस में आ चुका है कि रोज़े तीन हैं और खाना छः मिस्कीनों का है और इन तीनों सूरतों में इख़्तियार है कि बकरी की कुर्बानी करे, ख़्वाह तीन रोज़े रख ले, ख़्वाह छः फ़क़ीरों को खाना खिला दे। हाँ! यह तर्तीब एहराम की हालत में शिकार करने वाले पर है, जैसे कि कुरआन

करीम के अल्फ़ाज़ हैं और फ़ुक़्हा का इज्माअ़ है लेकिन यहाँ तर्तीब ज़रूरी नहीं, इख़्तियार है। ताउस फ़र्माते हैं यह क़ुर्बानी और यह सदक़ा मक्का ही में करे, हाँ! रोज़े जहाँ चाहे रख ले। एक और रिवायत में है अबू अस्मा जो इब्ने जा'फ़र के मौला हैं, फ़र्माते हैं कि हज़रत उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान (رضی اللہ عنہ) हज्ज को निकले। आपके साथ हज़रत अ़ली और हज़रत हुसैन (رضی اللہ عنہ) भी थे। मैं इब्ने जा'फ़र के साथ था। हमने देखा कि एक शख़्स सोया हुआ है और उसकी ऊँटनी उसके सिराहने बंधी हुई है। मैंने उसे जगाया, देखा तो वह हज़रत हुसैन (رضی اللہ عنہ) थे। इब्ने जा'फ़र उन्हें देखकर चले, यहाँ तक कि हम सुक़िया में पहुँचे, वहाँ बीस दिन तक हम उनकी तीमारदारी में रहे। एक मर्तबा हज़रत अ़ली (رضی اللہ عنہ) ने पूछा, क्या हाल है? जनाब हुसैन (رضی اللہ عنہ) ने अपने सर की तरफ़ इशारा किया। आपने हुक्म दिया कि सर मुँडवा लो फिर ऊँट मंगवाकर ज़िब्ह कर दिया। तो अगर उस ऊँट का क़ुर्बान करना एहराम से हलाल होने के लिए था तो ख़ैर और अगर यह फ़िदया के लिए था तो ज़ाहिर है कि मक्का के बाहर यह क़ुर्बानी हुई।

हज्जे तमत्तोअ़ के अहकाम : फिर इर्शाद होता है कि हज्जे तमत्तोअ़ करने वाला शख़्स भी क़ुर्बानी करे, ख़्वाह हज्ज व उ़मरे का एक साथ एहराम बाँधा हो या पहले उ़मरा का एहराम बाधा हो और उससे फ़ारिग़ होकर हज्ज का एहराम बाँध लिया हो। असल तमत्तोअ़ यही है और फ़ुक़्हा के कलाम में मशहूर भी यही है और आ़म तमत्तोअ़ इन दोनों क़िस्मों को शामिल है जैसे कि इस पर सहीह अहादीस दलालत करती हैं। कुछ रावी तो कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने ख़ुद तमत्तोअ़ किया था। कुछ कहते हैं, आप क़ारिन थे, और यह बात तमाम रावी कहते हैं कि क़ुर्बा नी के जानवर आपके साथ थे। पस इस आयत में यह हुक्म है कि तमत्तोअ़ करने वाला जिस क़ुर्बानी पर क़ादिर हो वह कर डाले जिसका अदना दर्जा एक बकरी को क़ुर्बान करना है, गो गाय की क़ुर्बानी भी कर सकता है। चुनाँचे हुज़ूर (ﷺ) ने अपनी बीवियों की तरफ़ से गाय की क़ुर्बानी की थी जो सबकी सब तमत्तोअ़ वाली थीं। (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब फ़ी हदयिल बक़र : 1751; इब्ने माजा : 3133; व सनदुहू ज़ईफ़) इससे साबित हुआ कि तमत्तोअ़ भी मशरूअ़ है।

इमरान बिन हुसैन (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि तमत्तोअ़ की आयत भी क़ुरआन में नाज़िल हो चुकी है और हमने ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) के साथ तमत्तोअ़ किया फिर न तो क़ुरआन में इसकी मुमानिअ़त नाज़िल हुई और न हुज़ूर (ﷺ) ने इससे रोका, लेकिन लोगों ने अपनी राय से इसे मम्नूअ़ क़रार दिया। इमाम बुख़ारी (रह.) फ़र्माते हैं इससे मुराद ग़ालिबन हज़रत उ़मर (رضی اللہ عنہ) हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ......) : 4518; सहीह मुस्लिम : 1226) हज़रत इमामुल मुहद्दिसीन की यह बात बिलकुल सहीह है। हज़रत उ़मर (رضی اللہ عنہ) से मन्क़ूल है कि वह लोगों को उससे रोकते थे और फ़र्माते थे कि अगर हम किताबुल्लाह को लें तो इसमें भी हज्ज व उ़मरा के पूरा करने का हुक्म मौजूद है (وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ) (2/बक़रह : 196) लेकिन याद रहे कि यह मुमानिअ़त हज़रत उ़मर (رضی اللہ عنہ) की बतौर हराम कहने के न

थी बल्कि इसलिए थी कि लोग बकसरत बैतुल्लाह का क़सद हज्ज व उमरा के इरादे से करें, जैसे कि आप (रज़ि .) से सराहतन मरवी है।

फिर फ़र्माता है जो शख़्स क़ुर्बानी न पाए, वह तीन रोज़े हज्ज में रख ले और सात रोज़े उस वक़्त रख ले जब हज्ज से लौटे, यह पूरे दस रोज़े हो जायेंगे। या'नी क़ुर्बानी की ताक़त जिसे न हो, वह रोज़े रख ले, तीन तो अय्यामे हज्ज (हज्ज के दिनों) में और बाक़ी सात बाद में। उलमा का फ़र्मान है कि अव्वल यह है कि यह रोज़े अरफ़ा से पहले पहले ज़िल् हिज्ज के दिनों में रख ले। हज़रत अता (रह.) का क़ौल यही है, या एहराम बाँधते ही रख ले, हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) वग़ैरह का क़ौल यही है क्योंकि फ़िल हज्ज का लफ़्ज़ है। हज़रत ताउस, मुजाहिद (रह.) वग़ैरह यह भी फ़र्माते हैं कि अव्वल शव्वाल में भी यह रोज़े जाइज़ हैं। हज़रत शअबी (रह.) वग़ैरह फ़र्माते हैं कि इन रोज़ों को अगर अरफ़ा के दिन का रोज़ा शामिल करके ख़त्म करे तो भी इख़्तियार है। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से यह भी मन्क़ूल है कि अगर अरफ़ा से पहले दोनों में दो रोज़े रख ले और तीसरा अरफ़ा के दिन हो तो भी जाइज़ है। हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) भी फ़र्माते हैं एक रोज़ा यौमुत्तर्विया से पहले, एक यौमुत्तर्विया का, एक अरफ़ा का। हज़रत अली (رضي الله عنه) का फ़र्मान भी यही है। (तब्री : 4/94-97) अगर किसी शख़्स से यह तीनों रोज़े या एक दो छूट गए हों और अय्यामे तशरीक़ या'नी बक़रह ईद के बाद के तीन दिन आ जाएँ तो हज़रत आइशा (رضي الله عنها) और इब्ने उमर (رضي الله عنه) का फ़र्मान है कि वह इन दिनों में भी यह रोज़ा रख सकता है। (बुख़ारी) इमाम शाफ़ई (रह.) का भी पहला क़ौल यही है। हज़रत अली (رضي الله عنه), हज़रत इक्रिमा, हसन बसरी, और उर्वा बिन ज़ुबेर (रह.) से भी यही मरवी है। (अयज़न : 4/98, 99) और इसकी दलील यह है कि फ़िल्हज्ज आम है और इन दिनों को भी शामिल है। इमाम शाफ़ई (रह.) का पहला क़ौल भी यही है कि इन दिनों में यह रोज़े नाजाइज़ हैं क्योंकि सहीह मुस्लिम में हदीस है कि अय्यामे तशरीक़ खाने पीने और अल्लाह का ज़िक्र करने के दिन हैं। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब तहरीमु सौमे अय्यामे तशरीक़..: 1141; अबूदाऊद : 2813) फिर सात रोज़े लौटते वक़्त, इससे मुराद तो यह है कि जब लौटकर अपनी क़यामगाह पर पहुँच जाओ, पस लौटते वक़्त रास्ता में भी यह सात रोज़े रख सकता है। मुजाहिद और अता (रह.) यही कहते हैं। या मुराद वतन में पहुँच जाना है। इब्ने उमर (رضي الله عنه) भी यही फ़र्माते हैं। और भी बहुत से ताबेईन का यही मज़हब है बल्कि इब्ने जरीर (रह.) तो इस पर इज्माअ बताते हैं।

सहीह बुख़ारी की एक लम्बी हदीस में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने हज्जतुल वदाअ में उमरा का हज्ज के साथ तमत्तोअ किया और क़ुर्बानी की। ज़ुल हुलेफ़ा से आपने क़ुर्बानी साथ ले ली थी। उमरा की फिर हज्ज की तहलील की। लोगों ने भी आपके साथ तमत्तोअ किया, कुछ लोगों ने तो क़ुर्बानी साथ ही रख ली थी, कुछ के साथ क़ुर्बानी के जानवर न थे। मक्का मुकर्रमा पहुँचकर आपने फ़र्माया कि, ''जिसके साथ क़ुर्बानी है, वह हज्ज ख़त्म होने तक एहराम में रहे और जिसके साथ क़ुर्बानी नहीं , वह बैतुल्लाह का तवाफ़ करके सफ़ा मरवा की सई करके एहराम खोल डाले, सर के बाल मुँडवा ले या कतरवा ले, फिर हज्ज का एहराम बाँधे। अगर क़ुर्बानी

की ताक़त न हो तो तीन रोज़े तो हज्ज में रख ले और सात रोज़े जब अपने वतन पहुँचे, तब रख ले'' अल्ख़ (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब मन साक़ल बदन मअहू : 1691; सहीह मुस्लिम : 1227) इससे साबित होता है कि यह सात रोज़े वतन में जाने के बाद हैं।

फिर फ़र्माया ''यह पूरे दस हैं।'' यह फ़र्मान ताकीद के लिए है, जैसे अरबों मे कहा जाता है, मैंने अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना, हाथ से लिखा। और कुरआन में भी है وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ (6/अन्आम : 38) न कोई परिन्द जो अपने दोनों परों से उड़ता हो। और जगह है وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ (29/अन्कबूत : 48) तू अपने दाएँ हाथ से लिखता नहीं। और जगह है, हमने मूसा (अ.) को तीस रातों का वा'दा दिया और मज़ीद दस के साथ पूरा किया और उसके रब का वक़्त मुक़र्ररह चालीस रातों को पूरा हुआ। पस जैसे इन सब जगहों में सिर्फ़ ताकीद है, ऐसे ही यह जुम्ला भी ताकीद के लिए है। और यह भी कहा गया है कि यह हुक्म है, तमाम व कमाल करने का। कामिलतुन का मतलब यह भी बयान किया गया है कि यह कुर्बानी के बदले काफ़ी हैं।

हज्जे तमत्तोअ किनके लिए है? : उसके बाद फ़र्माता है, यह हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले मस्जिदे-हराम के रहने वाले न हों। इस पर तो इज्माअ है कि हरम वाले तमत्तोअ नहीं कर सकते। इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) यही फ़र्माते हैं, बल्कि आपसे मरवी है कि आपने फ़र्माया, ऐ मक्का वालो! तुम तमत्तोअ नहीं कर सकते, तमत्तोअ बाहर वालों के लिए है तुमको ज़रा सी दूर जाना पड़ता है, थोड़ा सा फ़ासला तै किया फिर उमरा का एहराम बाँध लिया, ताउस की तफ़्सीर भी यही है। (तब्री : 4/111) लेकिन अता (रह.) फ़र्माते हैं कि मीक़ात या'नी जो लोग एहराम बाँधने के मक़ामात से नज़दीक हों वह भी इसी हुक्म में हैं कि उनके लिए भी तमत्तोअ करना जाइज़ नहीं। मक्हूल (रह.) भी यही फ़र्माते हैं। तो अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ा और रजीअ के रहने वालों के लिए भी यही हुक्म है।

ज़ुहरी (रह.) फ़र्माते हैं, मक्का से एक दिन की राह के फ़ासले पर हो या उसके क़रीब वह तो तमत्तोअ कर सकता है और लोग नहीं कर सकते। अता (रह.) दो दिन भी फ़र्माते हैं। इमाम शाफ़ई (रह.) का मज़हब यह है कि अहले हरम और जो इतने फ़ासले पर हों कि वहाँ मक्की लोगों के लिए नमाज़े क़सर करना जाइज़ न हो, उन सबके लिए यही हुक्म है। इसलिए कि सब हाज़िर कहे जाएँगे। इनके अलावा तमाम मुसाफ़िर, उन सबके लिए हज्ज में तमत्तोअ करना जाइज़ है, वल्लाहु आ'लम! फिर फ़र्माया, अल्लाह तआला से डरो जो उसके अहकाम हैं बजा लाओ जिन कामों से उसने मना किया है रुक जाओ और यक़ीन रखो कि अपने नाफ़र्मानों को वह सख़्त सज़ा देता है।

......

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

तर्जुमा : "हज्ज के महीने मुक़र्रर हैं। जो शख़्स उनमें हज्ज मुक़र्रर करे वह अपनी बीवी से मेल-मिलाप करने गुनाह करने और लड़ाई-झगड़े करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे, उससे अल्लाह तआला बाख़बर है और अपने साथ सफ़रे ख़र्च ले लिया करो। सबसे बेहतर तौशा अल्लाह तआला का डर है और ऐ अक़्लमन्दों! मुझसे डरते रहा करो।" (197)

हज्ज का एहराम और सफ़रे ख़र्च की तल्क़ीन (आयत 197) : अरबीदान हज़रात कहते हैं कि इस जुम्ला का मतलब यह है कि हज्ज, हज्ज है उन महीनों का जो मा'लूम और मुक़र्रर हैं। पस हज्ज के महीनों में एहराम बाँधना, दूसरे महीनों के एहराम से ज़्यादा कामिल है, गो और माह का एहराम भी सहीह है। इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद, इस्हाक़, इब्राहीम नख़ई, सौरी, लैस (रह.) फ़र्माते हैं कि सालभर में जिस महीने में चाहे हज्ज का एहराम बाँध सकता है। इन बुज़ुर्गों की दलील يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ अल्ख़ (2/बक़रह : 189) है। दूसरी दलील यह है कि हज्ज और उमरा दोनों को 'नुसुक' कहा गया है और उमरा का एहराम हर महीने में बाँध सकता है तो हज्ज का एहराम भी जब बाँधेगा सहीह होगा।

जबकि इमाम शाफ़ई (रह.) फ़र्माते हैं कि हज्ज का एहराम हज्ज के महीनों में ही बाँधना सहीह होगा। बल्कि अगर दूसरे महीने में हज्ज का एहराम बाँधे तो ग़ैर-सहीह है। लेकिन इससे उमरा भी हो सकता है या नहीं? इसमें इमाम साहब (रह.) के दो क़ौल हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه), हज़रत जाबिर (رضي الله عنه), अता, और मुजाहिद (रह.) का भी यही मज़हब है कि हज्ज का एहराम हज्ज के महीनों के सिवा बाँधना ग़ैर सहीह है और इस पर दलील اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ है। (तब्री : 4/115) जबकि अरबीदान (अरबी के जानकार) हज़रात की एक जमाअत कहती है कि आयत के इन अल्फ़ाज़ से मतलब यह है कि हज्ज का वक़्त ख़ास मुक़र्रर कर्दा महीने हैं तो साबित हुआ कि इन महीनों से पहले जो हज्ज का एहराम बाँधेगा वह सहीह न होगा। जिस तरह नमाज़ के वक़्त से पहले कोई नमाज़ पढ़ ले। इमाम शाफ़ई (रह.) फ़र्माते हैं कि हमें मुस्लिम बिन ख़ालिद ने ख़बर दी, उन्होंने इब्ने जुरैज से सुना, उन्हें उमर बिन अता ने कहा, उनसे इक्रिमा (रह.) ने ज़िक्र किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) का फ़र्मान है कि किसी शख़्स को लायक़ नहीं कि हज्ज के महीनों के सिवा भी हज्ज का एहराम बाँधे क्योंकि अल्लाह तआला फ़र्माता है (اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ) इस रिवायत की और भी बहुत सी सनदें हैं। एक सनद में है कि सुन्नत यही है। सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा में भी यह रिवायत मन्क़ूल है। उसूल की किताबों में यह मसला तयशुदा है कि सहाबी का यह फ़र्मान कि सुन्नत यूँ है, हुक्म में मरफ़ूअ हदीस के होता है।

पस यह हुक्मे रसूल हो गया और सहाबी भी यहाँ वह सहाबी हैं जो मुफ़स्सिरे कुरआन और तर्जुमानुल कुरआन हैं। इसके अलावा इब्ने मर्दवे की एक मरफ़ूअ हदीस में है, हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं कि ''हज्ज का एहराम बाँधना किसी को सिवाए हज्ज के महीनों के लायक़ नहीं।'' इसकी इस्नाद भी अच्छी है लेकिन शाफ़ई और बैहक़ी (रह.) ने रिवायत की है कि इस हदीस के रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से पूछा गया कि क्या हज्ज के महीनों से पहले हज्ज का एहराम बाँध लिया जाए तो आपने फ़र्माया, नहीं! किताबुल उम्म : 2/132; बैहक़ी : 4/343; व सनदुहू ज़ईफ़; इब्ने जुरेज अन्अन) यह मौक़ूफ़ हदीस ही ज़्यादा साबित और ज़्यादा सहीह है और सहाबी के इस फ़त्वे की तक़्वियत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) के इस क़ौल से भी होती है कि सुन्नत यूँ है, वल्लाहु आ'लम! (اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ) से मुराद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि) फ़र्माते हैं, शव्वाल, जुल्क़ा'दा और दस दिन जुल हज्ज के हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब क़ौलुहू तआला (اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ....) ता'लीक़न क़ब्ल हदीस : 1560; व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा : 2596) यह रिवायत इब्ने जरीर और मुस्तदरक हाकिम में भी है और इमाम हाकिम (रह.) इसे सहीह बतलाते हैं। (हाकिम : 2/276; व सनद सहीह) हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से भी यही मरवी है। हज़रत अता, हज़रत मुजाहिद, हज़रत इब्राहीम नख़ई, हज़रत शअबी, हज़रत हसन, हज़रत इब्ने सीरीन, हज़रत मक्हूल, हज़रत क़तादा, हज़रत जह्हाक बिन मज़ाहिम, हज़रत रबीअ बिन अनस, हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान (रह.) भी यही कहते हैं। (इब्ने अबी हातिम : 2/486-488) और इमाम शाफ़ई, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हंबल, अबू यूसुफ़ और अबू सौर (रह.) का भी यही मज़हब है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इस क़ौल को पसंद फ़र्माते हैं।

अश्हुरुन का लफ़्ज़ जमा है तो इसका इत्लाक़ दो पूरे महीनों और तीसरे के कुछ हिस्से पर भी हो सकता है जैसे अरबी में कहा जाता है, मैंने इस साल या आज के दिन इसे देखा है। पस हक़ीक़त में सारा साल और पूरा दिन तो देखता नहीं रहता, बल्कि देखने का वक़्त थोड़ा सा ही होता है मगर तग़्लीबन ऐसा बोल दिया करते हैं। इसी तरह यहाँ भी तग़्लीबन तीसरे महीने का ज़िक्र है। कुरआन में भी है (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ) (2/बक़रह : 203) हालाँकि वह जल्दी डेढ़ दिन की होती है मगर गिनती मेंदो दिन कहे गए। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई (रह.) का पहला क़ौल यह भी है कि शव्वाल, जुल क़ा'दा और जुल हज्ज का पूरा महीना है। इब्ने उमर (رضي الله عنه) इब्ने शिहाब, अता (रह.) जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه), ताउस, मुजाहिद, उर्वा, रबीअ और क़तादा (रह.) से भी यही मरवी है। एक मरफ़ूअ हदीस में भी यह आया है लेकिन वह मौज़ूअ है क्योंकि उसका रावी हुसेन बिन मख़ारिक़ है जिस पर अहादीस को वज़अ करने की तोहमत है बल्कि इसका मरफ़ूअ होना साबित नहीं, वल्लाहु आ'लम!

इमाम मालिक (रह.) के इस क़ौल को मान लेने के बाद यह साबित होता है कि जुल हज्ज के महीने में उमरा करना सहीह न होगा। यह मतलब नहीं कि दस जुल हज्ज के बाद भी हज्ज हो सकता है। चुनाँचे हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हज्ज के महीनों में उमरा दुरुस्त नहीं। इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इन क़ौलों का यही मतलब बयान करते हैं कि हज्ज का ज़माना तो मिना के दिन गुज़रते ही जाता रहा। मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) का बयान है कि मेरे इल्म में तो कोई अहले इल्म ऐसा नहीं जो हज्ज के महीनों के अलावा उमरा करने को इन महीनों के

अंदर उ़मरा करने से अफ़ज़ल मानने में शक करता हो। क़ासिम बिन मुहम्मद (रह़.) से इब्ने औ़न ने ह़ज्ज के महीनों में उ़मरा करने का मसला पूछा तो आपने जवाब दिया कि इसे लोग पूरा उ़मरा नहीं जानते। ह़ज़रत उ़मर और ह़ज़रत उ़स्मान (رضي الله عنه) भी ह़ज्ज के महीनों के अलावा उ़मरा करना पसंद फ़र्माते थे बल्कि इन महीनों में उ़मरा करने को मना करते थे, वल्लाहु अ़'लम! (इससे पहली आयत की तफ़्सीर में गुज़र चुका है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुल्क़ा'दा में चार उ़मरे अदा फ़र्माए हैं और ज़ुल्क़ा'दा भी ह़ज्ज का महीना है। पस ह़ज्ज के महीनों में उ़मरा अदा करते हैं और ज़ुल्क़ा'दा भी ह़ज्ज का महीना है पस ह़ज्ज के महीनों में उ़मरा करना जाइज़ है, वल्लाहु अ़'लम! मुतर्जिम) फिर इर्शाद होता है कि जो शख़्स इन महीनों में ह़ज्ज मुक़र्रर कर ले या'नी ह़ज्ज का एह़राम बाँध ले तो उसे पूरा करना लाज़िम है।

फ़र्ज़ से मुराद यहाँ वाजिब व लाज़िम कर लेना है। (त़बरी : 4/121) इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं ह़ज्ज और उ़मरा का एह़राम बाँधने वाला मुराद है। अ़त़ा (रह़.) फ़र्माते हैं, फ़र्ज़ से मुराद एह़राम है। इब्राहीम और जह़्ह़ाक (रह़.) का भी यही क़ौल है। (अयज़न : 4/123) इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, एह़राम बाँध लेने और लब्बेक पुकारने के बाद कहीं ठहरा रहना ठीक नहीं। और बुज़ुर्गों का भी यही क़ौल है। कुछ बुज़ुर्गों ने यह भी कहा है कि फ़र्ज़ से मुराद लब्बेक पुकारना है।

ह़ालते-एह़राम में जिमाअ़ करने की मुमानिअ़त : रफ़स से मुराद जिमाअ़ है, जैसे और जगह क़ुरआन में है (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ) (2/बक़रह : 187) या'नी रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से जिमाअ़ करना तुम्हारे लिए ह़लाल किया गया है। एह़राम की ह़ालत में जिमाअ़ और उसके तमाम काम भी ह़राम हैं, जैसे मुबाशिरत करना, बोसा देना, इन बातों का औ़रतों की मौजूदगी में ज़िक्र करना गो कि कुछ ने मर्दों के मज्मओं में भी ऐसी बातें करने को रफ़स में दाख़िल किया है लेकिन ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से इसके ख़िलाफ़ मरवी है। उन्होंने एक मर्तबा कोई ऐसा ही शेअ़र पढ़ा और दरयाफ़्त करने पर फ़र्माया कि, औ़रतों के सामने इस क़िस्म की बातें करनी रफ़स है। रफ़स का अदना दर्जा यह है कि जिमाअ़ वग़ैरह का ज़िक्र किया जाए। फ़ह़श बातें करना, दबी ज़ुबान से ऐसे ज़िक्र करना, इशारों किनायों में जिमाअ़ का ज़िक्र करना, अपनी बीवी से कहना कि एह़राम खुल जाए तो जिमाअ़ करेंगे, छेड़छाड़, मसास करना वग़ैरह यह सब रफ़स में दाख़िल हैं और एह़राम की ह़ालत में यह सब बातें ह़राम हैं।

मुख़्तलिफ़ मुफ़स्सिरों के मुख़्तलिफ़ क़ौल का मज्मूआ यह है कि फ़ुसूक़ के मा'नी इ़स्यान व नाफ़र्मानी, शिकार, गाली-गलूच वग़ैरह बदज़ुबानी है। जैसे ह़दीस में है मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ है और उसका क़त्ल करना कुफ़्र है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब ख़ौफ़ुल मो'मिन मिन अय्यह़बित़ अ़मलुहू ... : 48; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 64) अल्लाह के सिवा दूसरों के तक़र्रुब के लिए जानवरों को ज़िब्ह़ करना भी फ़िस्क़ है। जैसे क़ुरआन करीम में है (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) (6/अन्आ़म : 145) बद अल्क़ाब से याद करना भी फ़िस्क़ है। क़ुरआन फ़र्माता है (لَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ) (49/हुजुरात : 11) मुख़्तसर यह है कि अल्लाह तआ़ला की हर नाफ़र्मानी फ़िस्क़ में दाख़िल है गो यह फ़िस्क़ हर वक़्त ह़राम है लेकिन ह़ुर्मत वाले महीनों में इसकी ह़ुर्मत और बढ़

जाती है। अल्लाह तआला फ़र्माता है (فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ) (9/तौबा : 36) इन हुर्मत वाले महीनों में अपनी जान पर ज़ुल्म न करो। इसी तरह हरम में भी इसकी हुर्मत बढ़ जाती है। इर्शाद है (وَ مَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ) (22/हज्ज : 25) या'नी ''हरम में जो इल्हाद और बेदीनी का इरादा करे उसे हम अलमनाक अज़ाब चखायेंगे।'' इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं यहाँ मुराद फ़िस्क़ से वह काम हैं जो एहराम की हालत में मना है। जैसे शिकार खेलना, बाल मुँडवाना या कतरवाना, नाख़ुन लेना वग़ैरह। हज़रत इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से भी यही मरवी है लेकिन बेहतरीन तफ़सीर वही है जो हमने बयान की या'नी हर गुनाह से रोका गया है, वल्लाहु आ'लम! ('रफ़स' के बारे में मुफ़स्सिरीन के क़ौल के लिए देखें, तब्री : 4/126-128)

बुख़ारी व मुस्लिम में है जो शख़्स बैतुल्लाह का हज्ज करे, न रफ़स करे, न फ़िस्क़, वह गुनाहों से ऐसा निकल जाता है जैसे अपने पैदा होने के दिन था। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब फ़ज़्लुल हज्जिल मबरूर : 1521; सहीह मुस्लिम : 1350) फिर इर्शाद होता है कि हज्ज में झगड़ा नहीं या'नी हज्ज के वक़्त और हज्ज के अरकान में झगड़ा न करो। इसका पूरा बयान अल्लाह तआला ने फ़र्मा दिया है। हज्ज के महीने मुक़र्रर हो चुके हैं, इनमें कमी ज़्यादती न करो। मौसमे हज्ज को आगे पीछे न करो, जैसाकि मुश्रिकीन का वतीरा था जिसकी मज़म्मत क़ुरआन-करीम में और जगह फ़र्मा दी गई है। इसी तरह क़ुरैश मशअरे-हराम के पास मुज़दलिफ़ा में ठहर जाते थे और बाक़ी अरब अरफ़ात में ठहरते थे, फिर आपस में झगड़ते थे और एक दूसरे से कहते थे कि हम सहीह राह पर और तरीक़े इब्राहीमी पर हैं। जिससे यहाँ मुमानिअत की जा रही है कि अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) के हाथों वक़्ते हज्ज, अरकाने-हज्ज और ठहरने वग़ैरह की जगहें बयान कर दी हैं, अब न कोई एक दूसरे पर फ़ख़्र करे, न हज्ज के दिन आगे पीछे करे, बस यह झगड़े अब ख़त्म कर दो, वल्लाहु आ'लम!

यह मतलब भी बयान किया गया है कि हज्ज के सफ़र में आपस में न झगड़ो, न एक दूसरे को गुस्सा दिलाओ, न किसी को गालियाँ दो। बहुत से मुफ़स्सिरीन का यह क़ौल भी है और बहुत से मुफ़स्सिरीन का पहला क़ौल भी है। हज़रत इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं कि किसी का अपने ग़ुलाम को डांट-डपट करना यह इसमें दाख़िल नहीं, हाँ! मारे नहीं लेकिन मैं कहता हूँ कि ग़ुलाम को मार भी ले तो कोई डर ख़ौफ़ नहीं। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़रे-हज्ज में थे और उर्ज में ठहरे हुए थे। हज़रत आइशा (رضی اللہ عنہا) पास में बैठी हुई थीं और हज़रत अस्मा (رضی اللہ عنہا) अपने वालिद हज़रत सिद्दीक़े अकबर (رضی اللہ عنہ) के पास बैठी हुई थीं। हज़रत अबूबक्र (رضی اللہ عنہ) और आँहज़रत (ﷺ) के ऊँटों का सामान हज़रत अबूबक्र (رضی اللہ عنہ) के ख़ादिम के पास था। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (رضی اللہ عنہ) उसका इंतिज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर में वह आ गया। उससे पूछा कि, ऊँट कहाँ है उसने कहा, हज़रत कल रात गुम हो गया। आप नाराज़ हुए और फ़र्माने लगे, एक ऊँट को भी तू संभाल न सका। यह कहकर आपने उसे मारा। नबी (ﷺ) मुस्कुरा रहे थे और फ़र्माते जा रहे थे, ''देखो! एहराम की हालत में यह क्या कर रहे हैं?'' यह हदीस अबूदाऊद और इब्ने माजा में भी है। (अहमद : 6/344; अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब अल् मुहरिमु युअद्दिबु ग़ुलामहू : 1818; इब्ने माजा : 2933; व सनद ज़ईफ़, इब्ने इस्हाक़ अन्अन।) कुछ सलफ़ से यह भी मरवी है कि हज्ज के तमाम होने में यह भी है लेकिन यह

ख़्याल रहे कि आँहज़रत (ﷺ) का हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) के इस काम पर यह फ़र्माना, इसमे निहायत लताफ़त (नर्मी) के साथ एक क़िस्म का इंकार है। पस मसला यह हुआ कि इसे छोड़ देना ही बेहतर है, वल्लाहु आ'लम!

मुस्नद अब्द बिन हुमैद में है कि जो शख़्स अपना हज्ज पूरा करे और मुसलमान उसकी ज़ुबान और उसके हाथ से ईज़ा न पायें उसके तमाम अगले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। (मुस्नद अब्द बिन हुमैद : 1150; व सनदुहू ज़ईफ़; मूसा बिन उबेदह ज़ईफ़ रावी हैं।) फिर फ़र्माया, तुम जो भलाई करो उसका इल्म अल्लाह तआला को है। चूँकि ऊपर हर बुराई से रोका था कि न कोई बुरा काम करो, न बुरी बात कहो तो यहाँ नेकी की रग़बत दिलाई जा रही है कि हर नेकी का पूरा-पूरा बदला क़यामत के दिन पाओगे।

फिर इर्शाद होता है कि तौशा और सफ़रे ख़र्च ले लिया करो। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, लोग बिला ख़र्च सफ़रे-हज्ज को निकल खड़े होते थे फिर लोगों से मांगते फिरते, जिस पर यह हुक्म हुआ। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब क़ौलुहू तआला (وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى....) : 1523) हज़रत इक्रिमा, हज़रत उयेयना (रह.) भी यही फ़र्माते हैं। बुख़ारी नसाई वग़ैरह में यह रिवायतें मरवी हैं। एक रिवायत में यह भी है कि यमनी लोग ऐसा करते थे और अपने आपको मुतवक्किल कहते थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ ...) : 1523; अबूदाऊद : 1730) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से यह भी रिवायत है कि जब एहराम बाँधते तो जो कुछ तोशा भुना होता सब फेंक देते और नये सिरे से नया सामान करते। इस पर यह हुक्म हुआ कि ऐसा न करो, आटा सत्तू वग़ैरह तोशे में ले लो। (तब्री : 4/156) दीगर बहुत से मुअतबर मुफ़स्सिरीन ने भी इसी तरह कहा है बल्कि इब्ने उमर (رضي الله عنه) तो यह भी फ़र्माते हैं कि इंसान की इज़्ज़त इसी में है कि वह उमदा सामाने सफ़र साथ रखे। आप अपने साथियों से दिल खोलकर ख़र्च करने की शर्त कर लिया करते थे। चूँकि दुनियावी तोशा का हुक्म दिया तो साथ ही फ़र्माता है कि आख़िरत के तोशे की भी तैयारी कर लो, या'नी अपनी क़ब्र में अपने साथ ख़ौफ़े-इलाही लेकर जाओ। जैसे और जगह लिबास का ज़िक्र करके इर्शाद फ़र्माया (وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ) (7/आ'राफ़ : 26) परहेज़गारी का लिबास बेहतर है, या'नी ख़ुशूअ, ख़ुज़ूअ, ताअत व तक़्वा के बातिनी लिबास से भी ख़ाली न रहो बल्कि यह लिबास ज़ाहिरी लिबास से कहीं ज़्यादा बेहतर और नफ़ा देने वाला है। एक हदीस में भी है कि दुनिया में अगर ख़र्च करोगे तो आख़िरत में पाओगे। यहाँ का तोशा वहाँ फ़ायदा देगा। (तबरानी फ़िल कबीर : 2271; व सनदुहू ज़ईफ़; मरवान बिन मुआविया और इस्माईल बिन अबी ख़ालिद दोनों मुदल्लस हैं) इस हुक्म को सुनकर एक मिस्कीन सहाबी (रज़ि) ने हुज़ूर (ﷺ) से कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आपने फ़र्माया, ''इतना तो होना चाहिए जिससे किसी से सवाल न करना पड़े और बेहतरीन ख़ज़ाना ख़ौफ़े-इलाही है।'' (इब्ने अबी हातिम) फिर इर्शाद होता है कि अक़्लमन्दों! मुझसे डरते रहा करो, या'नी मेरे अज़ाबों से मेरी पकड़-धकड़ से, मेरी गिरफ़्त से मेरी सज़ाओं से डरो, दबकर मेरे अहकाम की ता'मील करो, मेरे इर्शाद का ख़िलाफ़ न करो ताकि नजात पा सको, यह ही अक़्ली इम्तियाज़ है।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿۱۹۸﴾

तर्जुमा : ''तुम पर अपने रब का फ़ज़्ल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अ़रफ़ात से लोटो तो मशअ़रुल हराम के पास ज़िक्रुल्लाह करो। उसका ज़िक्र इस त़रह करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी हालाँकि तुम उससे पहले राह भूले हुए थे।'' (198)

क्या हज्ज करने वाला तिजारत भी कर सकता है? (आयत 198) : स़ह़ीह़ बुख़ारी में इस आयत की तफ़्सीर में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि ज़माना जाहिलियत में उ़काज़, मजिन्ना, और जुल मजाज़ नाम के बाज़ार थे। इस्लाम के बाद स़ह़ाबा किराम (ﷺ) ह़ज्ज के दिनों में तिजारत को गुनाह समझकर डरे, जिस पर उन्हें इजाज़त दी गई कि अय्यामे ह़ज्ज में तिजारत कोई गुनाह नहीं। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا...) : 4519) एक रिवायत में यह भी है कि यह मसला आँह़ज़रत (ﷺ) से पूछा गया, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई कि ह़ज्ज के दिनों में एह़राम से पहले या एह़राम के बाद ह़ाजी को ख़रीदो-फ़रोख़्त ह़लाल है। इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) की क़िरा'त में मिर् रब्बिकुम के बाद फ़ी मवासिमिल ह़ज्ज का लफ़्ज़ भी आया है। इब्ने जुबेर (ﷺ) से भी यह मरवी है और कुछ दूसरे मुफ़स्सिरीन ने भी इसकी तफ़्सीर इसी त़रह की है। ह़ज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से पूछा जाता है कि एक शख़्स ह़ज्ज को निकलता है और साथ ही तिजारत भी करता जाता है तो इसके बारे मे क्या हुक्म है तो आपने यही आयत पढ़कर सुनाई। (इब्ने जरीर) (त़ब्री : 4/165) मुस्नद अह़मद की रिवायत में है कि अबू उमामा तैमी (रह़.) ने ह़ज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से कहा कि हम ह़ज्ज में जानवर किराया पर देते हैं, क्या हमारा भी ह़ज्ज हो जाता है? आपने फ़र्माया, क्या तुम बैतुल्लाह का त़वाफ़ नहीं करते? क्या तुम अ़रफ़ात में नहीं ठहरते? क्या तुम शैत़ान को कंकरियाँ नहीं मारते? क्या तुम सर नहीं मुँडवाते? उसने कहा, यह सब काम तो हम करते हैं, तो आपने फ़र्माया, सुनो! एक शख़्स ने यही सवाल नबी (ﷺ) से किया था और उसके जवाब में ह़ज़रत जिब्राईल (ﷺ) आयत (लैस अ़लयकुम जुनाहुन) अल्ख़ लेकर उतरे और हुज़ूर (ﷺ) ने उस शख़्स को बुलाकर फ़र्माया कि तुम ह़ाजी हो, तुम्हारा ह़ज्ज अदा हो गया। (अह़मद : 2/155; अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाबुलल किरा : 1733; व सनदुहू स़ह़ीह़) मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ और तफ़्सीर अ़ब्द बिन हुमैद वग़ैरह में भी यह रिवायत है। कुछ रिवायतों में अल्फ़ाज़ की कुछ कमी-ज़्यादती भी है। एक रिवायत में यह भी है कि क्या तुम एह़राम नहीं बाँधते? अमीरुल मो'मिनीन ह़ज़रत उ़मर फ़ारूक़ (ﷺ) से सवाल होता है कि क्या आप ह़ज़रात ह़ज्ज के दिनों में तिजारत भी करते थे। आपने फ़र्माया और तिजारत का मौसम ही कौनसा था? (त़ब्री : 4/168)

मैदाने अ़रफ़ात और मुज़दलिफ़ा में दुख़ूल : अ़रफ़ात को मुंसरिफ़ पढ़ा गया है ह़ालाँकि ग़ैर-मुंसरिफ़ होने के दो सबब इसमें मौजूद हैं या'नी इस्मे अ़लम और तानीस इसलिए कि दरअस़ल यह जमा है, जैसे मुस्लिमात और मो'मिनात। एक ख़ास़ जगह का नाम मुक़र्रर कर दिया गया है इसलिए अस़लियत की रिआ़यत की गई और

मुंसरिफ़ पढ़ा गया। (तब्री : 4/171) अरफ़ा वह जगह है जहाँ का ठहरना हज्ज का बेहतरीन काम है। मुस्नद अहमद वग़ैरह में हदीस है कि हज्ज अरफ़ात है, तीन मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) ने यही फ़र्माया, "जो सूरज निकलने से पहले अरफ़ात में पहुँच गया, उसने हज्ज को पा लिया।" मिना के तीन दिनों में जल्दी या देर करने वाले पर कोई गुनाह नहीं।" (अहमद : 4/309; अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब मल् लम युदरिक अरफ़त : 1949; व सनदुहू सहीह; तिर्मिज़ी : 889; नसाई : 3047; इब्ने माजा : 3015) ठहरने का वक़्त अरफ़ा के दिन सूरज ढलने के बाद से लेकर ईद की सुबह सादिक़ के तुलूअ होने तक है। नबी (ﷺ) हज्जतुल वदाअ में ज़ुहर की नमाज़ के बाद से सूरज गुरूब होने तक यहाँ ठहरे रहे थे और फ़र्माया था कि "मुझसे हज्ज के अरकान सीख लो।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब इस्तिहबाब रमियल् जम्रतुल उक़्बा....: 1297) इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ई (रह.) का यही मज़हब है कि दस तारीख़ की सुबह सादिक़ तुलूअ होने से पहले जो शख़्स अरफ़ात में पहुँच गया, उसने हज्ज पा लिया। इमाम अहमद (रह.) फ़र्माते हैं कि ठहरने का वक़्त अरफ़ा के दिन के शुरू से है। इनकी दलील वह हदीस है जिसमें है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मुज़दलिफ़ा में नमाज़ के लिए निकले तो एक शख़्स हाज़िरे-ख़िदमत हुआ और उसने पूछा कि, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं तै की पहाड़ियों से आ रहा हूँ, अपनी सवारी को मैंने थका दिया और अपने नफ़्स पर बड़ी मशक़्क़त उठाई। वल्लाह! हर-हर पहाड़ पर ठहरता-ठहरता आया हूँ, क्या मेरा हज्ज हो गया? आपने फ़र्माया, "जो शख़्स हमारे यहाँ की इस नमाज़ में पहुँच जाए और हमारे साथ चलते वक़्त तक ठहरा रहे और इससे पहले वह अरफ़ात में ठहर चुका हो, ख़्वाह रात को ख़्वाह दिन को, पस उसका हज्ज पूरा हो गया और वह फ़रीज़ा से फ़ारिग़ हो गया" (मुस्नद अहमद व सुनन) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे सहीह कहते हैं। (अहमद : 4/15; अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब मल् लम युदरिक अरफ़त : 1950; व सनदुहू सहीह; तिर्मिज़ी : 891; नसाई : 3046; इब्ने माजा : 3016; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 1066)

अमीरुल मो'मिनीन हज़रत अली (رضي الله عنه) से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के पास अल्लाह तआला ने हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) को भेजा और उन्होंने आपको हज्ज कराया। जब अरफ़ात में पहुँचे तो पूछा कि अरफ़्त क्या तुमने पहचान लिया। हज़रत ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) ने जवाब दिया अरफ़्तु मैंने जान लिया। क्योंकि इससे पहले यहाँ आ चुके थे। इसलिए उस जगह का नाम ही अरफ़ा हो गया। (मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 5/96) हज़रत अता (رضي الله عنه), हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) और हज़रत अबू मिज्लज़ (रह.) से भी यही मरवी है। (इब्ने अबी हातिम : 2/519; तब्री : 4/183, 184) वल्लाहु आ'लम! अरफ़ात का नाम मश्अरुल हराम, मश्अरुल अक़्सा और 'उलाल' भी है और इस पहाड़ को भी अरफ़ात कहते हैं, जिसके दरम्यान जबलुर्रहमा है। अबू तालिब के एक मशहूर क़सीदे में भी एक शेअर इन मा'नों का है। अहले जाहिलियत भी अरफ़ात में ठहरते थे और जब धूप पहाड़ की चोटियों पर ऐसी बाक़ी रह जाती थी। जैसे आदमी के सर पर अमामा होता तो वह वहाँ से चल पड़ते। लेकिन हुज़ूर (ﷺ) यहाँ से उस वक़्त चले जब सूरज बिलकुल गुरूब हो गया, फिर मुज़दलिफ़ा में पहुँचकर यहाँ क़याम किया और सुबह सवेरे बिलकुल अव्वल वक़्त, रात के अंधेरे और सुबह की चाँदनी के मिले-जुले वक़्त में आपने यहीं नमाज़े फ़ज्र अदा की और जब रोशनी वाज़ेह हो गई तो फ़ज्र की नमाज़ के गोया आख़िरी वक़्त में आपने यहाँ से कूच किया।

हज़रत मिस्वर बिन मख़्रमा (ﷺ) फ़र्माते हैं कि नबी (ﷺ) ने हमें अरफ़ात में ख़ुत्बा सुनाया और हस्बे आदत हम्दो-सना के बाद अम्मा बा'द कहकर फ़र्माया कि, "हज्जे-अकबर आज ही का दिन है, देखो! मुश्रिक व बुतपरस्ती वाले तो यहाँ से जब धूप पहाड़ों की चोटियों पर इस तरह होती थी जिस तरह लोगों के सरों पर अमामा होता है तो लौट जाते थे, सूरज गुरूब होने से पेशतर ही लेकिन हम सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ से वापिस चलेंगे और मश्अरुल हराम से वह सूरज निकलने के बाद चलते थे जबकि इतनी धूप चढ़ जाती थी कि वह पहाड़ों की चोटियों पर इस तरह नुमायाँ हो जाए जिस तरह लोगों के सरों पर अमामे होते हैं लेकिन हम वहाँ से सूरज निकलने से पहले चल देंगे, हमारा तरीक़ा मुश्रिकीन के तरीक़े के ख़िलाफ़ है" (इब्ने मर्दवे व मुस्तदरक हाकिम)। इमाम हाकिम (रह.) ने इसे शर्ते शैख़ेन पर और बिलकुल सहीह बताया है। इससे भी साबित होता है कि हज़रत मिस्वर (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है। उन लोगों का क़ौल ठीक नहीं जो कहते हैं कि हज़रत मिस्वर (ﷺ) ने हुज़ूर (ﷺ) को देखा है लेकिन आपसे कुछ सुना नहीं।

हज़रत मा'रूर बिन सुवेद (ﷺ) का बयान है कि मैंने हज़रत उमर (ﷺ) को अरफ़ात से लौटते हुए देखा गोया अब तक भी वह मंज़र मेरे सामने है। आपके सर के अगले हिस्से पर बाल न थे, अपने ऊँट पर थे और फ़र्मा रहे थे हमने लौटने को साफ़ पाया। सहीह मुस्लिम की हज़रत जाबिर (ﷺ) की रिवायत कर्दा एक लम्बी हदीस जिसमें हज्जतुल वदाअ का पूरा बयान है। उसमें यह भी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सूरज गुरूब होने तक अरफ़ात में ठहरे। जब सूरज गुरूब हो गया और क़द्रे ज़र्दी ज़ाहिर हो गई तो आपने अपनी सवारी पर अपने पीछे हज़रत उसामा (ﷺ) को सवार किया और ऊँटनी की नकेल खींच ली यहाँ तक कि उसका सर पालान के क़रीब पहुँच गया और दायें हाथ से लोगों को इशारा से फ़र्माते जाते थे कि लोगों! आहिस्ता-आहिस्ता, इत्मिनान, सकून, नर्मी और दिल जम्ई के साथ चलो। जब कोई पहाड़ी आती तो नकेल क़द्रे ढीली कर दिया करते ताकि जानवर ब आसानी ऊपर चढ़ जाए। मुज़दलिफ़ा में आकर आपने मग़्रिब और इशा की नमाज़ (इकट्ठी) अदा की, अज़ान एक ही कहलवाई और दोनो नमाज़ों की तक्बीर अलग-अलग कहलवाईं। मग़्रिब के फ़र्ज़ों और इशा के फ़र्ज़ों के दरम्यान सुन्नत नवाफ़िल कुछ नहीं पढ़े, फिर लेट गए। सुबह सादिक़ के तुलूअ होने के बाद नमाज़े-फ़ज्र अदा की जिसमें अज़ान और इक़ामत हुई फिर क़स्वा नामी ऊँटनी पर सवार होकर मश्अरुल-हराम में आए। क़िब्ला की तरफ़ मुतवज्जह होकर दुआ में मशग़ूल हो गए और अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह की तौहीद बयान करने लगे यहाँ तक कि ख़ूब रोशनी हो गई। तुलूअे आफ़ताब से (सूरज निकलने से पहले ही) आप यहाँ से रवाना हो गये। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब हज्जतुन् नबी (ﷺ) : 1218) हज़रत उसामा (ﷺ) से सवाल होता है कि हुज़ूर (ﷺ) जब यहाँ से चले तो किस चाल चलते थे? फ़र्माया, दरम्याना धीमी चाल सवारी चला रहे थे। हाँ! जब रास्ते में कुशादगी देखते तो ज़रा तेज़ कर लेते। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब अस्सेर इज़ा दफ़अ मिन अरफ़तिन : 1666; सहीह मुस्लिम : 1286)

फिर फ़र्माया, अरफ़ात से लौटते हुए मश्अरुल हराम में अल्लाह का ज़िक्र करो या'नी यहाँ दोनों नमाज़ें जमा कर लें। अम्र बिन मैमून, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मश्अरुल हराम के बारे में पूछा, तो आप ख़ामोश रहे। जब क़ाफ़िला मुज़दलिफ़ा में जाकर उतरता है तो फ़र्माते हैं, साइल कहाँ है? यह है मश्अरुल हराम। आपसे यह भी मरवी है कि मुज़दलिफ़ा का तमाम इलाक़ा, पहाड़ और उसके अत्राफ़ व अक्नाफ़ मश्अरुल हराम

है। (तब्री : 4/176) आपने लोगों को देखा कि वह क़ज़ह पर भीड़भाड़ कर रहे हैं तो फ़र्माया, यह लोग यहाँ क्यूँ भीड़भाड़ कर रहे हैं? यहाँ की यह सब जगह मश्अरुल हराम है। और भी बहुत से मुफ़स्सिरीन ने यही फ़र्माया है कि दोनों पहाड़ों के दरम्यान की कुल जगह मश्अरुल हराम है। (इब्ने अबी हातिम : 2/521) हज़रत अ़ता (रह) से सवाल होता है कि मुज़दलिफ़ा कहाँ है? आप फ़र्माते हैं जब अ़रफ़ात से चले और मैदाने अ़रफ़ात के दोनों किनारे छोड़ दिए फिर मुज़दलिफ़ा शुरू हो गया, वादी-ए-मुहस्सर तक जहाँ चाहो ठहरो लेकिन मैं तो क़ज़ह से इधर ही ठहरना पसंद करता हूँ ताकि रास्ते से यक्सूई हो जाए। मशाइर कहते हैं, ज़ाहिरी निशानों को, मुज़दलिफ़ा को मश्अरुल हराम इसलिए कहते हैं कि वह हरम में दाख़िल है।

सल्फ़ सालेहीन की एक जमाअ़त का और कुछ अस्हाबे शाफ़ई मस्लन क़िफ़ाल और इब्ने ख़ुज़ेमा का ख़्याल है कि यहाँ का ठहरना हज्ज का रुक्न है। बग़ैर यहाँ ठहरे हज्ज सहीह नहीं होता क्योंकि एक हदीस हज़रत उ़र्वा बिन मुज़र्रिस (रज़ि) से इस मा'नी की मरवी है। कुछ कहते हैं, यह ठहरना वाजिब है। हज़रत इमाम शाफ़ई (रह) का एक क़ौल यह भी है अगर कोई यहाँ न ठहरा तो क़ुर्बानी देनी पड़ेगी। इमाम साहब का दूसरा क़ौल यह है कि मुस्तहब है अगर न भी ठहरा तो कुछ हर्ज नहीं। पस यह तीन क़ौल हुए। हम यहाँ इस बहस को ज़्यादा लम्बा करना मुनासिब नहीं समझते, वल्लाहु अ़'लम! (क़ुरआन-करीम के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ पहले क़ौल की ज़्यादा ताईद करते हैं, वल्लाहु अ़'लम! मुतर्जिम) एक मुर्सल हदीस में है कि अ़रफ़ात का सारा मैदान ठहरने की जगह है। अ़रफ़ात से भी उठो और मुज़दलिफ़ा की कुल हद भी ठहरने की जगह है हाँ! वादी मुहस्सर नहीं। (इसकी सनद मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ है।) मुस्नद अहमद की इस हदीस में इसके बाद है कि मक्का की तमाम गलियाँ क़ुर्बानी की जगह हैं और अय्यामे-तशरीक़ सबके सब क़ुर्बानी के दिन हैं। (अहमद : 4/82; यह रिवायत मुंक़त्अ़ होने की वजह से ज़ईफ़ है।) लेकिन यह हदीस भी मुंक़तअ़ है इसलिए कि सुलेमान बिन मूसा अश्दक़ ने जुबेर बिन मुत्इम (रज़ि) को नहीं पाया लेकिन इसकी और सनदें भी हैं, वल्लाहु अ़'लम!

फिर इर्शाद बारी होता है कि अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी है कि अहकामे-हज्ज वज़ाहत के साथ बयान फ़र्मा दिए और ख़लीलुल्लाह (अलैहि०) की इस सुन्नत को वाज़ेह कर दिया हालाँकि इससे पहले तुम इससे बेख़बर थे या'नी इस हिदायत से पहले इस क़ुरआन से पहले, इस रसूल (ﷺ) से पहले, फ़िल वाक़ेअ़ इन तीनों बातों से पहले दुनिया गुमराही में थी, फ़लिल्लाहिल हम्द!

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۹﴾

तर्जुमा : "फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं और अल्लाह तआ़ला से बख़्शिश तलब करते रहो, अल्लाह तआ़ला बख़्शने वाला मेहरबान है।" (199)

अ़रफ़ात ही से वापिस लौटो (आयत : 199) सुम्म यहाँ पर ख़बर का ख़बर पर अ़त्फ़ डालने के लिए है ताकि तर्तीब हो जाए गोया कि अ़रफ़ात में ठहरने वाले को हुक्म मिला कि वह यहाँ से मुज़दलिफ़ा जाए ताकि मश्अरुल-हराम के पास अल्लाह का ज़िक्र कर सके और यह भी फ़र्मा दिया कि वह तमाम लोगों के साथ अ़रफ़ात में ठहरे जैसे कि आ़म लोग यहाँ ठहरते थे। अल्बत्ता क़ुरेशियों ने फ़ख़्र व तकब्बुर और निशाने

इम्तियाज़ के तौर पर यह तरीक़ा अपना लिया था कि वह हद्दे हरम से बाहर नहीं जाते थे और हरम की आख़िरी हद पर ठहर जाते थे और कहते थे कि हम अल्लाह वाले हैं, उसी के शहर में रईस हैं और उसके घर में मुजावर हैं। सहीह बुख़ारी में है कि क़ुरैश और उनके हम ख़्याल लोग मुज़दलिफ़ा में ही रुक जाया करते थे और अपना नाम हुम्स रखते थे। बाक़ी तमाम अरब अरफ़ात में जाकर ठहरते थे और वहीं से वापिस लौटते थे। इसीलिए इस्लाम ने हुक्म दिया कि जहाँ से आम लोग लौटते हैं, तुम वहीं से लौटा करो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ....) : 4520; सहीह मुस्लिम : 1219) हज़रत इब्ने अब्बास (رضی الله عنه), हज़रत अता, हज़रत मुजाहिद, हज़रत क़तादा और हज़रत सुदी (रह.) वग़ैरह भी यही फ़र्माते हैं। (तब्री : 4/186-187) इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इसी तफ़्सीर को पसंद करते हैं और इस पर इज्माअ बताते हैं। मुस्नद अहमद में है हज़रत जुबेर बिन मुत्इम (رضی الله عنه) फ़र्माते हैं कि मेरा ऊँट अरफ़ात में गुम हो गया, मैं उसे ढूँढ़ने के लिए निकला तो मैंने नबी (ﷺ) को वहाँ ठहरे हुए देखा। मैं कहने लगा, क्या बात है कि यह हुम्स हैं और फिर यहाँ हरम के बाहर आकर ठहरे हैं। (अहमद : 4/80; सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब अल्वक़ूफ़ बिअ रफ़ति : 1664; सहीह मुस्लिम : 1220) इब्ने अब्बास (رضی الله عنه) फ़र्माते हैं, इफ़ाज़ा से मुराद यहाँ मुज़दलिफ़ा से रमी जिमार के लिए मिना को जाना है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ) : 4521) (वल्लाहु आ'लम!) और अन्नास से मुराद हज़रत इब्राहीम (علیہ السلام) हैं। कुछ कहते हैं मुराद इमाम है। इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं अगर इसके ख़िलाफ़ इज्माअ की हुज्जत न होती तो यही क़ौल राजेह रहता।

इस्तिग़फ़ार और दुआए सय्यदुल इस्तिग़फ़ार : फिर इस्तिग़फ़ार का इर्शाद होता है कि जो उमूमन इबादात के बाद फ़र्माया जाता है। हुज़ूर (ﷺ) फ़र्ज़ नमाज़ से फ़ारिग़ होकर तीन मर्तबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब इस्तिहबाबुज़् ज़िक्र बअदस्सलात : 519) आप लोगों को सुब्हानल्लाह, अल्हम्दु लिल्लाह, अल्लाहु अकबर तैंतीस-तैंतीस मर्तबा पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अज़्ज़िक्रु बअदस्सलात : 843; सहीह मुस्लिम : 595) यह भी मरवी है कि अरफ़ा के दिन शाम के वक़्त आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार किया (इब्ने जरीर)। आपका यह इर्शाद भी मरवी है कि तमाम इस्तिग़फ़ारों का सरदार यह इस्तिग़फ़ार है। (اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذبك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء بذنبى فاغفرلى فانه لا يغفر الذنوب الا انت) हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''जो शख़्स इसे रात के वक़्त पढ़ ले अगर उस रात मर जाएगा तो क़तअन जन्नती होगा और जो शख़्स इसे दिन के वक़्त पढ़ेगा और उसी दिन मरेगा तो वह भी जन्नती है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुद्दा'वात, बाब अफ़ज़लुल इस्तिग़फ़ार : 6306; तिर्मिज़ी : 3393) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (رضی الله عنه) ने एक मर्तबा कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे कोई दुआ सिखाइए कि मैं नमाज़ में उसे पढ़ा करूँ। आपने फ़र्माया, यह पढ़ो (اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم) (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अद्दुआ क़ब्लस्सलाम : 834; सहीह मुस्लिम : 2705; तिर्मिज़ी : 353; इब्ने माजा : 3835) इस्तिग़फ़ार के बारे में और भी बहुत सी हदीसें हैं।

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾
أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

तर्जुमा : ''फिर जब तुम अरकाने-हज्ज अदा कर चुको तो अल्लाह तआला का ज़िक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप-दादों का ज़िक्र किया करते थे बल्कि उससे भी ज़्यादा। पस कुछ लोग वह भी हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भलाई दे। ऐसे लोगों का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। (200) और कुछ लोग वह भी हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में नेकी दे और आख़िरत में भी भलाई अ़ता फ़र्मा और हमें अ़ज़ाबे जहन्नम से नजात दे। (201) यह वह लोग हैं जिनके लिए उनके आ'माल का हिस्सा है और अल्लाह तआला जल्द हिसाब लेने वाला है।'' (202)

अरकाने हज्ज की तक्मील के बाद अल्लाह तआला का ज़िक्र कसरत से करने का हुक्म (आयत 200-202) : यहाँ अल्लाह तआला हुक्म करता है कि और साथ ही ज़िक्र का तरीक़ा बता दिया कि इस तरह ज़िक्रुल्लाह करो जिस तरह बच्चा अपने माँ बाप को याद करता रहता है। दूसरे मा'नी यह है कि अहले जाहिलियत हज्ज के मौक़े पर थे, कोई कहता था मेरा बाप बड़ा मेहमान-नवाज़ था, कोई कहता था वह लोगों के काम-काज कर दिया करता था, सख़ावत व शुजाअ़त में यक्ता था, वग़ैरह वग़ैरह। तो अल्लाह तआला फ़र्माता है यह फ़िज़ूल बातें छोड़ दो और अल्लाह तआला की बुज़ुर्गियाँ, बड़ाईयाँ, अ़ज़्मतें और इ़ज़्ज़तें बयान किया करो। अकसर मुफ़स्सिरीन ने यही बयान किया है। ग़र्ज़ यह है कि अल्लाह तआला का ज़िक्र कसरत से करो इसीलिए अव अशद्द पर ज़बर तमीज़ की बिना पर लाई गई है। या'नी इस तरह अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बड़ों पर फ़ख़्र किया करते थे। अव से यहाँ ख़बर की मिस्लियत की तह़क़ीक़ है जैसे अव अशद्दु क़स्वतिन और अव अशद्दु ख़श्यतिन और अव यज़ीदून अव अदना इन तमाम मक़ामात में लफ़्ज़ अव हर्गिज़ हर्गिज़ शक के लिए नहीं है, बल्कि मुख़्बर अन्हू की तह़क़ीक़ के लिए है, या'नी वह ज़िक्र उतना ही हो बल्कि इससे भी ज़्यादा।

अल्लाह तआला का ज़िक्र और दीनो-दुनिया की तमाम भलाईयों की हामिल दुआ : फिर इर्शाद होता है कि ज़िक्रुल्लाह बकसरत करके दुआएँ मांगो क्योंकि यह मौक़ा क़बूलियत का है। साथ ही उन लोगों की बुराई बयान हो रही है जो अल्लाह से सवाल करते हुए सिर्फ़ दुनिया तलबी करते हैं और आख़िरत

की तरफ़ नज़रें नहीं उठाते। फ़र्माया, उनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का बयान है कि कुछ आ'राबी यहाँ आकर सिर्फ़ यही दुआएँ मांगते थे कि ऐ अल्लाह! इस साल बारिशें अच्छी बरसा, गल्ले अच्छे पैदा हों, औलाद ज़्यादा से ज़्यादा हों, वग़ैरह लेकिन मो'मिनों की दुआएँ दोनों जहान की भलाईयों की होती थीं इसलिए उनकी ता'रीफ़ें की गई। इस दुआ में तमाम भलाईयाँ दीनो-दुनिया की जमा कर दी हैं और तमाम बुराईयों से बचाव है, इसलिए कि दुनिया की भलाई में आफ़ियत, राहत, आसानी, तंदुरुस्ती, घर-बार, बीवी-बच्चे, रोज़ी-इल्म, अमल, अच्छी सवारियाँ, नौकर-चाकर, लौण्डी-गुलाम, इज़्ज़त व आबरू वग़ैरह तमाम चीज़ें आ गईं और आख़िरत की भलाई में हिसाब का आसान होना, घबराहट से नजात पाना, नामा-ए-आ'माल का दायें हाथ में मिलना, सुर्ख़रू होना, और इज़्ज़त के साथ जन्नत में दाख़िल होना, सब इसमें आएगा, फिर इसके बाद जहन्नम के अज़ाब से नजात चाहना है। इससे यह मतलब है कि ऐसे अस्बाब अल्लाह तआला मुहय्या कर दे। मस्लन हरामकारियों से इज्तिनाब, गुनाह और बदियों का तर्क वग़ैरह। क़ासिम (रह.) फ़र्माते हैं जिसे शुक्रगुज़ार दिल और ज़िक्र करने वाली ज़बान और सब्र करने वाला जिस्म मिल गया, उसे दुनिया और आख़िरत की भलाई मिल गई और अज़ाब से नजात पा गया। (इब्ने अबी हातिम : 2/542) बुख़ारी में है कि आँहज़रत (ﷺ) इस दुआ को बकसरत पढ़ा करते थे। इस हदीस में रब्बना से पहले अल्लाहुम्म भी है। (सहीह बुख़ार, किताबुत् तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا) : 4522) हज़रत क़तादा (रह.) ने हज़रत अनस (رضي الله عنه) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़्यादातर किस दुआ को पढ़ते थे तो आपने जवाब में यही दुआ बताई। (अहमद : 3/101; सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़िक्र वद्दुआ, बाब फ़ज़्लुद्दुआ बिअल्लाहुम्म आतिना फ़िद्दुनिया हसनत...: 2690; अबूदाऊद : 1519) हज़रत अनस (رضي الله عنه) ख़ुद भी जब कभी दुआ मांगते तो इस दुआ को न छोड़ते, चुनाँचे हज़रत साबित (رضي الله عنه) ने एक मर्तबा कहा कि हज़रत! आपके यह भाई चाहते हैं कि आप इनके लिए दुआ करें। आपने यही (اللهم آتنا في الدنيا) अल्ख़ पढ़ी, फिर कुछ देर बैठने और बातचीत करने के बाद जब वह जाने लगे तो फिर दुआ की दरख़्वास्त की। आपने फ़र्माया, क्या तुम टुकड़े कराना चाहते हो, इस दुआ में तो तमाम भलाईयाँ आ गईं। (इब्ने अबी हातिम)

आँहज़रत (ﷺ) एक मुसलमान बीमार की एयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। देखा कि वह बिलुकुल दुबला पतला हो रहा है, सिर्फ़ हड्डियों का ढाँचा रह गया है। आपने पूछा, क्या तुम कोई दुआ भी अल्लाह तआला से मांगा करते थे। उसने कहा, हाँ! मेरी यह दुआ थी कि ऐ अल्लाह! जो अज़ाब तू मुझे आख़िरत में करना चाहता है, वह दुनिया में ही कर डाल। आपने फ़र्माया, ''सुब्हानल्लाह! किसी में उनके बर्दाश्त की ताक़त भी है तूने यह दुआ (रब्बना आतिना) (आख़िरत तक) क्यूँ न पढ़ी?'' चुनाँचे बीमार ने अब से उसी दुआ को पढ़ना शुरू किया और अल्लाह तआला ने उसे शिफ़ा दे दी। (अहमद : 3/107; सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़िक्र वद्दुआ, बाब कराहयतुद्दुआ बिता'जीलिल उक़ूबति फ़िद्दुनिया : 2688; तिर्मिज़ी : 3487) रुक्ने बनी जम्ह और रुक्ने अस्वद के बीच हुज़ूर (ﷺ) इस दुआ को पढ़ा करते थे। (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब अद्दुआउ फ़ित्तवाफ़ : 1892 व सनदुहूहू हसन इब्ने माजा : 2957; व सनदुहू ज़ईफ़) लेकिन इसकी सनदुहू मे ज़ुअफ़ है, वल्लाहु आ'लम!

आप फर्माते हैं "जब कभी रुक्न के पास से गुज़रता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ फ़रिश्ता है और वह आमीन कह रहा है। तुम जब कभी यहाँ से गुज़रो तो रब्बना आतिना अल्ख़ पढ़ा करो।" (इब्ने मर्दवे, इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन हुर्मुज़ अल मक्की ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 2/503; रक़म : 4602) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से एक शख़्स ने पूछा कि मैंने एक क़ाफ़िला के साथ मुलाज़िमत कर ली है, इस उज्रत पर कि वह मुझे साथ सवारी पर सवार कर लें और हज्ज के मौक़े पर वह मुझे रुख़्सत दे दें कि हज्ज अदा कर लूँ और इसके अलावा दूसरे औक़ात में उनकी ख़िदमत में लगा रहूँ, तो फ़र्माईये कि इस तरह मेरा हज्ज हो जाएगा। आपने फ़र्माया, हाँ! बल्कि तू तो उन लोगों में से है जिनके बारे में फ़र्मान है (أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ) अल्ख़ (हाकिम : 2/277; व सनदुहू ज़ईफ़ आ'मश मुदल्लस व अन्अन)

......

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٢٠٣

तर्जुमा : "अल्लाह तआला की याद उन गिनती की चंद दिनों में करते रहा करो। दो दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं और जो पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। परहेज़गारों के लिए यह है और अल्लाह तआला से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ़ जमा किए जाओगे।" (203)

अय्यामे-तशरीक़ अल्लाह का ज़िक्र और खाने पीने के दिन हैं (आयत 203) :(अय्यामम् मा'दूदात) से मुराद अय्यामे-तशरीक़ और अय्यामे मा'लूमात से मुराद ज़ुल हज्ज के दस दिन हैं। (क़ुर्तुबी : 3/3) ज़िक्रुल्लाह से मुराद यह है कि अय्यामे तशरीक़ में फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहें। (इब्ने अबी हातिम : 2/545) आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं, "अरफ़ा का दिन क़ुर्बानी का दिन और अय्यामे-तशरीक़ हमारे या'नी अहले इस्लाम की ईद के दिन हैं और यह दिन खाने-पीने के हैं।" (अबूदाऊद, किताबुस्सियाम, बाब सियाम अय्यामे तशरीक़ : 2419; व सनदुहू हसन, तिर्मिज़ी : 773; नसाई : 3007; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 4/130) और हदीस में है अय्यामे तशरीक़ खाने-पीने और ज़िक्रुल्लाह करने के हैं। (अहमद : 5/75; सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब तहरीमे सौमे अय्यामे-तशरीक़ : 1141) पहले यह हदीस भी बयान हो चुकी है कि अरफ़ात कुल ठहरने की जगह है और अय्यामे-तशरीक़ सब क़ुर्बानी के दिन हैं।" (यह रिवायत मुंक़तअ होने की वजह से ज़ईफ़ है।) और यह हदीस भी पहले गुज़र चुकी है कि मिना के दिन तीन हैं, दो दिन की जल्दी करने वाले पर कोई गुनाह नहीं। इब्ने जरीर की एक हदीस में है कि अय्यामे-तशरीक़ खाने और ज़िक्रुल्लाह करने के दिन हैं। (इब्ने जरीर, इसकी सनद ज़ईफ़ है।) हुज़ूर (ﷺ) ने अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा (رضی اللہ عنہ) को भेजा कि वह

मिना में घूमकर मुनादी कर दें कि इन दिनों में कोई रोज़ा न रखे, यह दिन खाने पीने और अल्लाह का ज़िक्र करने के हैं। एक और मुर्सल रिवायत में इतनी ज़्यादती है कि मगर जिस पर कुर्बानी के बदले रोज़े हों, उसके लिए यह ज़ाइद नेकी है। एक और रिवायत में है कि मुनादी करने वाले बशीर बिन सह़ीम (رضي الله عنه) थे। (यह ह़दीस मुर्सल है।) एक ह़दीस में है कि आपने इन दिनों के रोज़ों की मुमानिअ़त फ़र्माई है। एक रिवायत में है कि ह़ज़रत अ़ली (رضي الله عنه) ने हुज़ूर (ﷺ) के सफ़ेद ख़च्चर पर सवार होकर शुअ़बे अंसार में खड़े होकर यह हुक्म सुनाया था कि लोगों! यह दिन रोज़ों के नहीं, बल्कि खाने पीने और ज़िक्रुल्लाह करने के हैं। (त़ब्री : 4/213)

ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, अय्यामे मा'दूदात अय्यामे तशरीक़ हैं और यह चार दिन हैं। दसवीं ज़ुल् ह़िज्ज और तीन दिन उसके बाद के या'नी दस से तेरह तक। (त़ब्री : 4/213) इब्ने उ़मर, इब्ने ज़ुबेर, अबू मूसा (رضي الله عنه), अ़त़ा, मुजाहिद, इक्रिमा, सईद बिन ज़ुबेर, अबू मालिक, इब्राहीम नख़्ई, यह़्या बिन अबी कसीर, ह़सन, क़तादा, सुदी, ज़ुहरी, रबीअ़ बिन अनस, ज़ह़्ह़ाक़, मुक़ातिल बिन ह़य्यान, अ़त़ा ख़ुरासानी, इमाम मालिक (रह़.) वग़ैरह भी यही फ़र्माते हैं। (इब्ने अबी ह़ातिम : 2/547) ह़ज़रत अ़ली (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, यह तीन दिन हैं, दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं। इनमें जब चाहो कुर्बानी करो लेकिन अफ़ज़ल पहला दिन है। मगर मशहूर क़ौल पहला ही है और आयते-करीमा के अल्फ़ाज़ की ज़ाहिरी दलालत इसी पर है, क्योंकि दो दिन की जल्दी और देर मा'फ़ है तो साबित हुआ कि ईद के बाद तीन दिन होने चाहिए और इन दिनों में अल्लाह का ज़िक्र करना, कुर्बानियों के ज़िब्ह़ के वक़्त है और यह भी पहले बयान हो चुका है कि राजेह़ मज़हब इसमें ह़ज़रत इमाम शाफ़ई (रह़.) का है कि कुर्बानी का वक़्त ईद के दिन से अय्यामे-तशरीक़ के ख़त्म होने तक है और इससे मुराद नमाज़ों के बाद मुक़र्ररह ज़िक्र भी है और वैसे आ़म त़ौर पर भी ज़िक्रुल्लाह मुराद है और इसके मुक़र्ररह वक़्त में उ़लमा-ए-किराम का इख़्तिलाफ़ है लेकिन ज़्यादा मशहूर क़ौल जिस पर अ़मल दरामद भी है, यह है कि अ़रफ़ा की सुबह़ से अय्यामे-तशरीक़ के आख़िर दिन की अ़स्र की नमाज़ तक। इस बारे में एक मरफ़ूअ़ ह़दीस भी दारे-क़ुत्नी में है लेकिन उसका मरफ़ूअ़ होना स़ह़ीह़ नहीं, वल्लाहु आ'लम!

ह़ज़रत उ़मर (رضي الله عنه) अपने ख़ेमे में तक्बीर कहते और आपकी तक्बीर पर बाज़ार वाले लोग तक्बीर कहते, यहाँ तक कि मिना का मैदान गूँज उठता। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ईदैन, बाब तक्बीर अय्यामे मिना.... ता'लीक़न क़ब्ल ह़दीस) इसी त़रह़ यह मत़लब भी है कि शैत़ानों को कंकरियाँ मारते वक़्त तक्बीर और ज़िक्रुल्लाह किया जाए जो अय्यामे-तशरीक़ के हर दिन होगा। अबू दाऊद वग़ैरह में ह़दीस है कि बैतुल्लाह का तवाफ़ स़फ़ा मरवा की सई, शैत़ानों को कंकरियाँ मारना, यह सब अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र को क़ायम करने के लिए है। (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब फ़िर्रमल : 1888; व सनदुहू ह़सन, तिर्मिज़ी : 902) चूँकि अल्लाह तआ़ला ने ह़ज्ज की पहली और दूसरी वापसी का ज़िक्र किया और उसके बाद लोग उन पाक मक़ामात को छोड़कर अपने शहरों और मक़ामात को लौट जाएँगे, इसलिए इर्शाद फ़र्माया कि, अल्लाह से डरते रहा करो और यक़ीन रखो कि तुम्हें उसके सामने जमा होना है। उसी ने तुम्हें ज़मीन में फैलाया, फिर वही समेट लेगा फिर उसी की त़रफ़ ह़श्र होगा, पस जहाँ कहीं भी हो, उससे डरते रहा करो।

....

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ۝٢٠٤ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝٢٠٥ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۭ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝٢٠٦ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاۗءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝٢٠٧

तर्जुमा : ''कुछ लोगों की दुनियावी ग़र्ज़ की बातें आपको ख़ुश कर देती हैं और वह अपने दिल की बातों पर रब को गवाह करता जाता है। हालाँकि दरअस़ल वह ज़बरदस्त झगड़ालू है। (204) और जब वह लौटकर जाता है तो ज़मीन में फ़साद फैला ने और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है। (205) अल्लाह तआला फ़साद को नापसंद रखता है। और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डर तो तकब्बुर और ता'स्सुब उसे गुनाह पर और आमादा कर देता है। ऐसे को जहन्नम ही काफ़ी है और यक़ीनन वह बदतरीन जगह है। (206) और कुछ लोग वह भी हैं कि अल्लाह तआला की रज़ामन्दी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं। और अल्लाह तआला अपने बन्दों पर बड़ी शफ़क़त करने वाला है।'' (207)

मुनाफ़िक़ों का तरीक़ेकार और उनकी निशानियाँ (आयत 204-207) : सुदी (रह.) कहते हैं कि यह आयत अख़्नस बिन शुरेक़ सक़फ़ी के बारे में नाज़िल हुई है। यह मुनाफ़िक़ शख़्स था ज़ाहिर में मुसलमान था लेकिन बातिन में मुख़ालिफ़ था। (तब्री : 4/229) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) कहते हैं कि मुनाफ़िक़ों के बारे में नाज़िल हुई है जिन्होंने हज़रत ख़ुबेब (رضي الله عنه) और उनके साथियों की बुराईयाँ बयान की थीं जो रजीअ में शहीद किए गए थे तो उन शुहदा की ता'रीफ़ में मय्यंशरा अल्ख़ वाली आयत उतरी और मुनाफ़िक़ीन की मज़म्मत के बारे में मय्युं'जिबुक वाली आयत नाज़िल हुई। कुछ कहते हैं कि यह आयत आम है। तमाम मुनाफ़िक़ों के बारे में पहली और दूसरी आयत है और तमाम मो'मिनों की ता'रीफ़ के बारे में तीसरी आयत है। (तब्री : 4/230) क़तादा (रह.) वग़ैरह का क़ौल यही है और यही सहीह है। हज़रत नौफ़ बक्काली (रह.) जो तौरात व इंजील के भी आलिम थे, फ़र्माते हैं कि मैं इस उम्मत के कुछ लोगों की बुराईयाँ अल्लाह तआला की नाज़िलकर्दा किताब में पाता हूँ। मरक़ूम है कि कुछ लोग दीन के हीले से दुनिया कमाते हैं, उनकी ज़ुबानें तो शहद से ज़्यादा मीठी हैं

लेकिन दिल एलवे (मिस्बर) से ज़्यादा कड़वे हैं, लोगों के लिए बकरियों की खालें पहनते हैं लेकिन दिल उनके भेड़ियों जैसे हैं। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि क्या वह मुझ पर जुर्अत (हिम्मत) करते हैं और मेरे साथ धोखेबाज़ियाँ करते हैं। मुझे अपनी ज़ात की क़सम! कि मैं उन पर वह फ़ित्ना भेजूँगा कि बुर्दबार लोग भी हैरान रह जायेंगे।

कुर्ज़ी (रह.) लिखते हैं मैंने ग़ौर से देखा तो मा'लूम हुआ कि यह मुनाफ़िक़ों का वस्फ़ कुरआन में भी मौजूद है। पढ़िए आयत (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ) अल्ख़ (त़बरी : 4/232) ह़ज़रत सईद (ﷺ) ने भी जब यह बात और किताबों के हवाले से बयान की तो ह़ज़रत मुहम्मद बिन कअ़ब (रह़.) ने यही फ़र्माया था कि यह कुरआन में भी है और इसी आयत की तिलावत की थी। सईद कहने लगे, मैं जानता हूँ कि यह आयत किसके बारे में नाज़िल हुई है। आपने फ़र्माया, सुनिए! आयत शाने नुज़ूल के ए'तिबार से गो किसी के बारे में हो लेकिन हुक्म के ए'तिबार से आम होती है। इब्ने मुहेसीन (रह़.) की क़िरा'त मे (यश्हदुल्लाह) है मा'नी यह होंगे कि गो वह अपनी ज़बान से कुछ कहे, लेकिन उसके दिल का हाल अल्लाह तआला को ख़ूब मा'लूम है। जैसे और जगह है (إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ) अल्ख़ (63/मुनाफ़िकून : 1) या'नी मुनाफ़िक़ तेरे पास आकर तेरी नबुव्वत की गवाही देते हैं, रब जानता है कि तू उसका रसूल है लेकिन रब की गवाही है कि यह मुनाफ़िक़ यक़ीनन झूठे हैं। लेकिन जुम्हूर की क़िरा'त (युश्हिदुल्लाह) है तो मा'नी यह हुए कि लोगों के सामने तो यह अपनी ख़बासत को छुपाते हैं लेकिन अल्लाह के सामने उनके दिल का कुफ़्र व निफ़ाक़ ज़ाहिर है। जैसे और जगह है (يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ) अल्ख़ (4/निसाअ : 108) या'नी लोगों से छुपाते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते। इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने यह मा'नी बयान किए हैं कि लोगों के सामने इस्लाम ज़ाहिर करते हैं और उनके सामने क़समें खाकर बावर कराते हैं कि जो उनकी ज़ुबान पर है वह ही उनके दिल में है। सह़ीह़ मआनी आयत के यही हैं, अ़ब्दुर्रह़मान बिन ज़ैद और मुजाहिद (रह़.) से भी यही मरवी है। (त़बरी : 4/233) इब्ने जरीर (रह़.) भी इसी को पसंद फ़र्माते हैं।

अलदु के मा'नी लुग़त में हैं, सख़्त टेढ़ा। जैसे और जगह है (وَ تُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا) (19/मरयम : 97) यही ह़ालत मुनाफ़िक़ की है कि वह अपनी हुज्जत में झूठ बोलता है और ह़क़ से हट जाता है, सीधी बात छोड़ देता है, और इफ़्तिरा और बोहतानबाज़ी करता और गालियाँ बकता है। सह़ीह़ ह़दीस में है कि मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वा'दा करे, बेवफ़ाई करे, जब झगड़ा करे गालियाँ बके। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब अ़लामातुल मुनाफ़िक़ : 33; सह़ीह़ मुस्लिम : 59) एक और ह़दीस में है सबसे ज़्यादा बुरा शख़्स अल्लाह तआला के नज़दीक वह है जो सख़्त झगड़ालू हो। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल मज़ालिम, बाब क़ौलुहू तआला (وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ....) 2457 सह़ीह़ मुस्लिम : 2668) इसकी कई एक सनदुहूं हैं फिर इर्शाद होता है कि जिस तरह यह बुरे अक़्वाल वाला है उसी तरह अफ़आल भी उसके बदतरीन हैं। क़ौल तो यह है लेकिन फ़े'ल उसके सरासर ख़िलाफ़ है, अ़क़ीदा बिलकुल फ़ासिद है।

सई से मुराद यहाँ क़सद है जैसे और जगह है (ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى) अल्ख़ (79/नाज़िआत : 22) और फ़र्मान है (فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ) (62/जुम्आ : 9) या'नी जुम्आ की नमाज़ का क़सद व इरादा करो। यहाँ

सई के मा'नी दौड़ने के नहीं क्योंकि नमाज़ के लिए दौड़कर जाना मम्नूअ है। ह़दीस में है जब तुम नमाज़ के लिए आओ तो दौड़ते हुए न आओ बल्कि सकून व वक़ार के साथ आओ। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब ला युस्आ इलस्सलाति ...... : 636; सह़ीह़ मुस्लिम : 602; अबूदाऊद : 572; तिर्मिज़ी : 327; नसाई : 862; इब्ने माजा : 775)

ग़र्ज़ यह है कि इन मुनाफ़िक़ों का क़सद ज़मीन में फ़साद फैलाना, खेती-बाड़ी, ज़मीन की पैदावार और ह़ैवानों की नस्ल को बर्बाद करना ही होता है। यह भी मा'नी मुजाहिद (रह़ .) से मरवी हैं कि इन लोगों के निफ़ाक़ और इनकी बदकिरदारियों की वजह से अल्लाह तआला बारिश को रोक लेता है जिससे खेतों को और जानवरों को नुक़्सान पहुँचता है। अल्लाह तआला ऐसे लोगों को जो फ़सादी हों नापसंद करता है। इन बदकिरदारियों को जब वा'ज़ व तज़्किरे के ज़रिये समझाया जाए तो यह और भड़क उठते हैं और मुख़ालिफ़त के जोश में गुनाहों पर और आमादा हो जाते हैं। जैसे और जगह है (وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ) अल्ख़ (22/ह़ज्ज : 72) या'नी ''अल्लाह तआला के कलाम की जब उनके सामने तिलावत की जाती है तो उन काफ़िरों के चेहरे चिढ़ जाते हैं और पढ़ने वालों पर झपटते हैं। सुनो! उससे बढ़कर सुनो! काफ़िरों के लिए हमारा फ़र्मान जहन्नम का है जो बदतरीन जगह है।'' यहाँ भी यही फ़र्माया कि उनके लिए जहन्नम ही काफ़ी है, या'नी सज़ा में और वह बदतरीन ओढ़ना बिछौना है।

मो'मिन की शान : मुनाफ़िक़ों की मज़्मूम ख़स्लतें बयान फ़र्माकर अब मो'मिनों की ता'रीफ़ें हो रही हैं। यह आयत ह़ज़रत सुहैब बिन सिनान रूमी (رضي الله عنه) के ह़क़ में नाज़िल हुई। यह मक्का में मुसलमान हुए थे। जब मदीना की त़रफ़ हिज्रत करना चाही तो काफ़िरों ने उनसे कहा कि हम तुम्हें माल लेकर नहीं जाने देंगे, अगर तुम माल छोड़कर जाना चाहते हो तो तुम्हें इख़्तियार है। आपने सब माल छोड़ दिया और कुफ़्फ़ार ने उस पर क़ब्ज़ा कर लिया और आपने हिज्रत की, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई। ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) और स़ह़ाबा (رضي الله عنهم) की एक बड़ी जमाअ़त आपके इस्तिक़्बाल के लिए ह़िरा तक आई और मुबारक बादियाँ दीं कि आपने बड़ा अच्छा व्यापार किया, बड़े नफ़े की तिजारत की। आप यह सुनकर फ़र्माने लगे, अल्लाह तआला आपकी तिजारतों को भी नुक़्सान वाली न करे। आख़िर बताओ तो सही कि यह मुबारकबादियाँ क्या हैं? उन बुज़ुर्गों ने फ़र्माया, आपके बारे में ह़ुज़ूर (ﷺ) पर यह आयत नाज़िल हुई है। जब ह़ुज़ूर (ﷺ) के पास पहुँचे तो आपने भी यही ख़ुशख़बरी सुनाई।

क़ुरैश ने उनसे कहा था कि जब आप मक्का में आए तो तुम्हारे पास माल न था, यह सब माल यहीं कमाया, अब इस माल को लेकर हम जाने न देंगे। चुनाँचे आपने माल को छोड़ा और दीन लेकर ख़िदमते-रसूल (ﷺ) में ह़ाज़िर हो गए। एक रिवायत में यह भी है कि जब आप हिज्रत के इरादे से निकले और कुफ़्फ़ारे मक्का को यह इ़ल्म हुआ तो सबने उनको घेर लिया। आपने अपने तरकश से तीर निकाल लिए और फ़र्माया, ऐ मक्का वालों! तुम ख़ूब जानते हो कि मैं कैसा तीर अंदाज़ हूँ, मेर एक निशाना भी ख़त़ा नहीं जाता, जब तक यह तीर ख़त्म न होंगे मैं तुमको छेदता रहूँगा। उसके बाद तलवार से लड़ूँगा और उसमें भी तुममें से किसी से कम नहीं हूँ। जब तलवार के भी टुकड़े हो जाएँगे फिर तुम मेरे पास आ सकते हो, फिर जो चाहो कर लो, अगर

यह तुम्हें मंज़ूर है तो बिस्मिल्लाह वरना सुनो! मैं तुम्हें अपना तमाम माल दे देता हूँ, यह सब ले लो और मुझे जाने दो। चुनाँचे वह माल लेने पर रज़ामंद हो गए और इस तरह आपने हिज्रत की। आँहज़रत (ﷺ) के पास पहुँचने से पहले ही वहाँ वह्नी के ज़रिया यह आयत नाज़िल हो चुकी थी। आपको देखकर हुज़ूर (ﷺ) ने मुबारकबाद दी। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने फ़िक़्हुस्सीरत पेज : 166 में इस वाक़िया के बारे में मुस्तदरक हाकिम 3/398; ह : 5700 (वहुव सहीह) की रिवायत को सहीह क़रार दिया है।

अकसर मुफ़स्सिरीन का यह क़ौल भी है कि यह आयत आम है। हर मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह की शान में है और जगह है (إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) अल्ख़ (9/तौबा : 111) या'नी ''अल्लाह तआला मो'मिनों की जानें और माल ख़रीद लिए हैं और उनके बदले जन्नत दे दी है। यह अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, मारते भी हैं और शहीद भी होते हैं। अल्लाह तआला का यह सच्चा वा'दा तौरात व इंजील और कुरआन में मौजूद है, अल्लाह तआला से ज़्यादा सच्चे अहद वाला और कौन होगा। तुम ऐ ईमानवालो! इस ख़रीदो-फ़रोख़्त और अदले-बदले से ख़ुश हो जाओ, यही बड़ी कामयाबी है।'' हज़रत हिशाम बिन आमिर (رضی اللہ عنہ) ने जब कुफ़्फ़ार की दोनों सफ़ों में घुसकर उन पर अकेले और तंहा बेपनाह हमला कर दिया तो कुछ लोगों ने उसे ख़िलाफ़े शरअ समझा लेकिन हज़रत उमर और हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) वग़ैरह ने उनकी तर्दीद की और इसी आयत (मय्यंशरी) की तिलावत करके सुना दी।

....

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۪ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَـكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

तर्जुमा : ''ईमानवालों! इस्लाम में पूरे-पूरे दाख़िल हो जाओ, और शैतान के क़दमों की ताबे'दारी न करो, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। (208) अगर तुम बावजूद तुम्हारे पास दलीलें आ जाने के भी फिसल जाओ तो जान लो कि अल्लाह तआला ग़ल्बा वाला और हिक्मत वाला है।'' (209)

अल्लाह तआला के अहकाम को मानना ही इस्लाम है (आयत 208-209) : अल्लाह तआला अपने ऊपर ईमान लाने वालों और अपने नबी की तस्दीक़ करने वालों से इर्शाद फ़र्माता है कि वह तमाम अहकाम बजा लाएँ, तमाम मम्नूआत (नाजाइज़ और हराम कामों) से बच जाएँ, कामिल शरीअत पर अमल करें। सिल्म से मुराद इस्लाम है। इताअत और सुलहजूई भी मुराद है। काफ़्फ़तन के मा'नी सबके सब पूरे-पूरे। इक्रिमा (रह.) का क़ौल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम, असद बिन उबेद, सक़्लिया (رضی اللہ عنہ) वग़ैरह जो यहूद से मुसलमान हुए थे, उन्होंने हुज़ूर (ﷺ) से गुज़ारिश की कि हमें हफ़्ता के दिन की इज़्ज़त और रातों के वक़्त तौरात पर अमल करने की इजाज़त दी जाए। जिस पर यह आयत उतरी कि इस्लामी अहकाम पर अमल करते रहो लेकिन उसमें हज़रत अब्दुल्लाह का नाम कुछ ठीक नहीं मा'लूम होता है, वह आ'ला दर्जा के

आलिम थे और पूरे मुसलमान थे। इन्हें कामिल तौर पर मा'लूम था कि हफ़्ता के दिन की इज़्ज़त मंसूख़ हो चुकी है। इसके बजाए इस्लामी ईद जुम्आ के दिन की मुक़र्रर हो चुकी है। फिर नामुम्किन है कि वह ऐसी ख़्वाहिश में औरों का साथ दें।

कुछ मुफ़स्सिरीन ने काफ़्फ़तन को हाल कहा है, या'नी तुम सबके सब इस्लाम में दाख़िल हो जाओ लेकिन पहली बात ज़्यादा सहीह है। या'नी अपनी ताक़तभर इस्लाम के तमाम अह्काम को मानो। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का बयान है कि कुछ अहले-किताब बावजूद ईमान लाने के तौरात के कुछ अह्काम पर जमे हुए थे। उनसे कहा जाता है कि दीने-मुहम्मदी में पूरी तरह इस्लाम में आ जाओ, उसका कोई अमल न छोड़ो, तौरात पर सिर्फ़ ईमान रखना काफ़ी है। फिर फ़र्मान है कि अल्लाह की इताअत करते रहो, शैतान की न मानो, वह तो बुराईयों और बदकारियों को और रब पर बोहतान बाँधने को कहता है। उसकी और उसके गिरोह की तो ख़्वाहिश यह है कि तुम जहन्नमी बन जाओ, वह तुम्हारा खुल्लम-खुला दुश्मन है। अगर तुम दलाइल मा'लूम करने के बाद भी हक़ से हट जाओ तो जान रखो कि रब भी बदला लेने में ग़ालिब है, न उससे कोई भागकर बच सके, न उस पर कोई ग़ालिब आ सके। वह अपने अह्काम के जारी करने में हिक्मतों वाला है। वह ग़ालिब है अपनी पकड़ में, वह हकीम है अपने अम्र में। (इब्ने अबी हातिम : 2/591) वह कुफ़्फ़ार पर ग़लबा रखता है और उज़्र व हुज्जत को काट देने में हिक्मत रखता है।

....

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١٠﴾

तर्जुमा : "क्या लोगों को उस बात का इंतिज़ार है कि इनके पास ख़ुद अल्लाह तआला अब्र के सायबानों में आ जाए और फ़रिश्ते भी और काम इंतिहा तक पहुँचा दिया जाए? अल्लाह ही की तरफ़ तमाम काम लौटाए जाते हैं।" (210)

शाफ़अे मेहशर का तज़्किरा (आयत 210) : इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला कुफ़्फ़ार को धमका रहा है कि क्या इन्हें क़यामत ही का इंतिज़ार है जिस दिन हक़ के साथ फ़ैसले हो जायेंगे और हर शख़्स अपने किए को भुगत लेगा, जैसे और जगह इर्शाद है (كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ) अल्ख़ (89/फ़ज्र : 21) या'नी जब ज़मीन के रेज़े-रेज़े उड़ जायेंगे और तेरा रब ख़ुद आ जाएगा और फ़रिश्ते भी सफ़्बस्ता आ जायेंगे और जहन्नम भी लाकर खड़ी कर दी जाएगी, उस दिन यह लोग इब्रत व नसीहत हासिल करेंगे लेकिन इससे क्या फ़ायदा? और जगह है (هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ) अल्ख़ (6/अन्आम : 158) या'नी "क्या इन्हें इस बात का इंतिज़ार है कि इनके पास फ़रिश्ते आ जाएँ या ख़ुद अल्लाह तआला आ जाए या उसकी कुछ निशानियाँ आ जाएँ। अगर यह हो गया तो फिर न ईमान नफ़ा दे न नेक आ'माल का वक़्त रहे।" इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने यहाँ पर एक

लम्बी हदीस लिखी है जिसमें सूर वग़ैरह का मुफ़स्सल बयान है जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) हैं। मुस्नद वग़ैरह में यह हदीस है, इसमें है कि जब लोग घबरा उठेंगे तो अम्बिया (अ.) से शफ़ाअत तलब करेंगे। हज़रत आदम (ﷺ) से लेकर एक एक पैग़म्बर के पास जाएँगे और वहाँ से साफ़ जवाब पायेंगे। यहाँ तक कि हमारे नबी अकरम (ﷺ) के पास पहुचेंगे, आप जवाब देंगे, मैं तैयार हूँ, मैं ही इसका अहल हूँ। फिर आप जायेंगे और अर्श तले सज्दे में गिर पड़ेंगे और अल्लाह तआला से सिफ़ारिश करेंगे कि वह बन्दों का फ़ैसला करने के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लाह तआला आपकी शफ़ाअत क़बूल फ़र्माएगा और बादलों के सायबान में आएगा। आसमाने दुनिया टूट जाएगा और उसके तमाम फ़रिश्ते आ जाएँगे। फिर दूसरा भी फट जाएगा और उसके तमाम फ़रिश्ते भी आ जायेंगे। इसी तरह सातों आसमान टूट जाएँगे और उनके फ़रिश्ते भी आ जाएँगे। फिर अल्लाह तआला का अर्श उतरेगा और बुजुर्गतर फ़रिश्ते नाज़िल होंगे और ख़ुद वह जब्बार अल्लाह तआला तशरीफ़ लाएगा।

फ़रिश्ते सबके सब तस्बीह ख़्वानी में मशग़ूल होंगे, उनकी तस्बीह उस वक़्त यह होगी

سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزۃ والجبروت سبحان الحی الذی لا یموت،
سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس،
سبحان ربنا الاعلیٰ سبحان ذی السلطان والعظمۃ، سبحانہ سبحانہ ابدا ابدا

(इब्ने जरीर : 4042; व सनदुहू ज़ईफ़) हाफ़िज़ अबूबक्र इब्ने मर्दवे भी इस आयत की तफ़्सीर में बहुत सी अहादीस लाए हैं, जिनमें ग़राबत है, वल्लाहु आ'लम!

इनमें से एक यह है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह तआला अगले पिछले तमाम को उस दिन जमा करेगा जिसका वक़्त मुक़र्रर है। वह सबके सब खड़े होंगे। आँखें पथराई हुई और ऊपर को लगी होंगी। हर एक को फ़ैसला का इंतिज़ार होगा। अल्लाह तआला अब्र के सायबान में अर्श से कुर्सी पर नुज़ूल फ़र्माएगा।'' (अल्हाकिम : 2/376, 377; व सनदुहू हसन; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह तर्ग़ीब वत्तर्हीब : 3591)

इब्ने अबी हातिम में है अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) फ़र्माते हैं कि जिस वक़्त अल्लाह तआला नुज़ूल फ़र्माएगा तो मख़्लूक़ और उसके दरम्यान सत्तर हज़ार पर्दे होंगे। नूर की चकाचौंध के और पानी के और पानी से वह आवाज़ें आ रही होंगी जिससे दिल हिल जाएँ। ज़ुहैर बिन मुहम्मद (रह.) फ़र्माते हैं कि वह बादल का सायबान याक़ूत का जड़ा हुआ और जोहर व जबरजुद वाला होगा। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, यह बादल मा'मूली बादल नहीं बल्कि यह वह बादल है जो बनी इस्राईल के सरों पर वादी तीह में था।

अबुल आलिया (रह.) फ़र्माते हैं फ़रिश्ते भी बादल के साये में आयेंगे और अल्लाह तआला आएगा जिसमें चाहे चुनाँचे कुछ क़िराअतों में यूँ भी है (هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّآ أَنْ يَّأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ)

(وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا) जैसे और जगह है وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (25/फ़ुरक़ान : 25) या'नी उस दिन आसमान बादल समेत फट जाएगा और फ़रिश्ते उतर आयेंगे।

....

سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾

तर्जुमा : ''बनी इस्राईल से पूछो तो कि हमने उन्हें किस क़द्र रोशन निशानियाँ अ़ता फ़र्माईं। जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की ने'मतों को अपने पास पहुँच जाने के बाद बदल डाले (वह जान ले) कि अल्लाह तआ़ला भी सख़्त अ़ज़ाबों वाला है। (211) काफ़िरों के लिए दुनिया की ज़िन्दगी ख़ूब ज़ीनतदार की गई। वह ईमानवालों से हंसी मज़ाक़ करते हैं हालाँकि परहेज़गार लोग क़यामत के दिन उनसे आ'ला होंगे। अल्लाह तआ़ला जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है।'' (212)

बनी इस्राईल की एहसान फ़रामोशियाँ (आयत 211, 212) : अल्लाह तआ़ला बयान फ़र्माता है कि देखो! बनी इस्राईल को मैंने बहुत से मो'जिज़ात दिखला दिए। हज़रत मूसा (عليه السلام) के हाथों की लकड़ी, उनके हाथ की रोशनी, उनके लिए दरिया को चीर देना, उन पर सख़्त गर्मियों में अब्र का साया करना, मन्न व सलवा उतारना वग़ैरह-वग़ैरह, जिनसे मेरा ख़ुद मुख़्तार फ़ाइले कुल होना साफ़ ज़ाहिर था और मेरे नबी हज़रत मूसा (عليه السلام) की नबुव्वत की खुली तस्दीक़ थी लेकिन ताहम उन लोगों ने मेरी उन ने'मतों का कुफ़्र किया और बजाए ईमान लाने के कुफ़्र पर अड़े रहे और मेरी ने'मतों पर बजाए शुक्र के नाशुक्री की, फिर भला मेरे सख़्त अ़ज़ाबों से यह कैसे बच पायेंगे? यही ख़बर कुफ़्फ़ारे कुरैश के बारे में भी बयान फ़र्माई है। इर्शाद है (اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا) अल्ख़ (14/इब्राहीम : 28) ''क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की ने'मत को कुफ़्र से बदल दिया और अपनी क़ौम को हलाकत के घर या'नी जहन्नम जैसी बदतरीन क़रारगाह में पहुँचा दिया।''

फिर बयान होता है कि यह कुफ़्फ़ार सिर्फ़ दुनियावी ज़िन्दगी पर दीवाने बने हुए हैं। माल जमा करना और अल्लाह की राह में ख़र्च करने से बुख़्ल करना यही इनका रंग ढंग हो गया है। बल्कि जो ईमानवाले इस दुनिया-ए-फ़ानी से सैरे चश्म हैं और परवरदिगार की रज़ामन्दी में अपने माल लुटाते रहते हैं, यह उनका मज़ाक़

उड़ाते हैं हालाँकि हक़ीक़ी नसीब वाले यही लोग हैं। क़यामत के दिन इनके मर्तबे देखकर इन काफ़िरों की आँखें खुल जाएँगी। उस वक़्त अपनी बदतरी और उनकी बरतरी देखकर मा'मला की ऊँच-नीच समझ में आ जाएगी। रोज़ी देना जिसे अल्लाह जितनी चाहे दे दे। जिसे चाहे बेहिसाब दे बल्कि जिसे चाहे यहाँ भी दे और फिर वहाँ भी दे। हदीस शरीफ़ में है,ऐ इब्ने आदम! तू मेरी राह में ख़र्च कर, मैं तुझे देता ही चला जाऊँगा। (सहीह बुख़ारी, किताबुन् नफ़क़ात, बाब फ़ज़्लुन् नफ़क़ति अलल अहल : 5352; सहीह मुस्लिम : 993) आप (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (رضی اللہ عنہ) से फ़र्माया, ''अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते जाओ और अर्श वाले से तंगी का डर न करो।'' (तबरानी : 1020; व सनदुहू ज़ईफ़ वलिल हदीस शवाहिद ज़ईफ़ फ़िस्सहीहति लिल अल्बानी : 2661) कुरआन में है (وَ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ) (34/सबा : 39) ''और तुम जो कुछ ख़र्च करोगे, रब उसका बदला देगा।''

सहीह हदीस में है हर सुबह दो फ़रिश्ते उतरते हैं। एक दुआ करता है, ऐ अल्लाह! अपनी राह में ख़र्च करने वाले को बरकत इनायत फ़र्मा, दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह! कंजूस के माल को बर्बाद कर। (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (...فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی) : 1442; सहीह मुस्लिम : 1010) और हदीस में है, इंसान कहता रहता है, मेरा माल, मेरा माल, हालाँकि तेरा माल वह है जिसे तूने खा लिया, वह तो फ़ना हो चुका और जिसे तू पहन लिया वह बोसीदा हो गया। हाँ! जो तूने सदक़ा में दिया, उसे तूने बाक़ी रख लिया। उसके सिवा जो कुछ है उसे तो तू दूसरों के लिए छोड़कर यहाँ से चल देगा। (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़ुहद, बाब अद्दुनिया सिज्नुल मो'मिन : 2958) मुस्नद अहमद की हदीस में है, दुनिया उसका घर है जिसका घर न हो। दुनिया उसका माल है जिसका माल न हो। दुनिया के लिए जमा वह करता है जिसे अक़्ल न हो। (अहमद : 6/71; व सनदुहू ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 1933)

.....

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ
اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۱۳﴾

तर्जुमा : ''दरअसल लोग एक ही गिरोह थे, अल्लाह तआला ने नबियों को ख़ुशख़बरियाँ देने और डराने वाला बनाकर भेजा और उनके साथ सच्ची किताबें नाज़िल फ़र्माईं ताकि लोगों के हर इख़्तिलाफ़ी अम्र का फ़ैसला हो जाए और सिर्फ़ उन ही लोगों ने जो उसे दिए गए थे अपने पास दलाइल आ चुकने के बाद आपस के बुग़्ज़ व इनाद से उसमें इख़्तिलाफ़ किया पस अल्लाह पाक ने ईमानवालों को इस इख़्तिलाफ़ में भी हक़ की तरफ़ अपने इरादा से रहबरी की। और अल्लाह तआला जिसको चाहे सीधी राह की तरफ़ रहबरी करता है।'' (213)

उम्मते-मुहम्मदिया की साबिक़ा उम्मतों पर फ़ज़ीलत (आयत 213) : हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का बयान है कि हज़रत नूह (عليه السلام) और हज़रत आदम (عليه السلام) के दरम्यान दस ज़माने थे। उन ज़मानों के लोग हक़ और शरीअत के पाबन्द थे फिर इख़्तिलाफ़ पड़ गया तो अल्लाह तआला ने अम्बिया (عليهم السلام) को मब्ऊस फ़र्माया। बल्कि आपकी क़िरा'त भी यूँ है कि (وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا) अल्ख़ (हाकिम : 2/546; व सनदुहू ज़ईफ़, क़तादा अन्अन) हज़रत उबय बिन कअब (رضي الله عنه) की क़िरा'त भी यही है। (तब्री : 4/78) क़तादा (रह.) ने इसकी तफ़्सीर इस तरह की है कि जब उनमें इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया तो अल्लाह तआला ने अपना पहला पैग़म्बर भेजा या'नी हज़रत नूह (عليه السلام)। हज़रत मुजाहिद (रह.) भी यही कहते हैं। (अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 1/82) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से एक दूसरी रिवायत मरवी है कि पहले सबके सब काफ़िर थे। लेकिन अव्वल क़ौल मा'नी और सनद के ए'तिबार से ज़्यादा सहीह है। पस उन पैग़म्बरों ने ईमानवालों को ख़ुशियाँ सुनाईं और ईमान न लाने वालों को डराया उनके साथ अल्लाह की किताब भी थी ताकि लोगों के हर इख़्तिलाफ़ का फ़ैसला क़ानूने इलाही से हो सके, लेकिन इन दलाइल के बाद भी सिर्फ़ आपस के हसद व बुग़्ज़, ता'स्सुब व ज़िद और नफ़्सानियत की बिना पर फिर इत्तिफ़ाक़ न कर सके लेकिन ईमानवाले संभल गए और इस इख़्तिलाफ़ के चक्कर से निकल सीधी राह लग गए।

रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''हम दुनिया में आने के ए'तिबार से तो सबसे पीछे हैं लेकिन क़यामत के दिन जन्नत में जाने के ए'तिबार से सबसे आगे (पहले) होंगे। अहले-किताब को किताबुल्लाह हमसे पहले दी गई, हमें उनके बाद दी गई लेकिन उन्होंने इख़्तिलाफ़ किया और अल्लाह ने हमारी रहबरी की। जुम्आ के बारे में भी उनमें इख़्तिलाफ़ रहा लेकिन हमें यह हिदायत नसीब हुई। तमाम के तमाम अहले-किताब इस लिहाज़ से भी हमारे पीछे हैं। जुम्आ हमारा है, हफ़्ता यहूदियों का और इतवार नसरानियों का।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जुम्आ, बाब फ़र्ज़ुल जुम्अति : 876; सहीह मुस्लिम : 855) ज़ेद बिन असलम (रह.) फ़र्माते हैं जुम्आ के अलावा क़िब्ला के बारे में भी यही हुआ। नसारा ने मश्रिक़ को क़िब्ला बनाया, यहूद ने बैतुल-मक़्दिस को लेकिन उम्मते-मुहम्मदिया ने का'बा को क़िब्ला मुक़र्रर किया। इस तरह नमाज़ में भी, उनमें से कुछ की नमाज़ में रूकूअ है और सज्दा नहीं, कुछ के यहाँ सज्दा है और रूकूअ नहीं, कुछ नमाज़ में बोलते चलते रहते हैं, कुछ चलते-फिरते रहते हैं लेकिन उम्मते-मुहम्मदिया की नमाज़ सुकून व वक़ार वाली है, न यह बोलें न चलें फिरें। रोज़ों में भी इसी तरह इख़्तिलाफ़ हुआ और इसमें भी उम्मते मुहम्मदिया को हिदायत नसीब हुई। इनमें से कोई तो दिन के कुछ हिस्से का रोज़ा रखता है, कोई गिरोह कुछ क़िस्म के खाने छोड़ देता है लेकिन हमारा रोज़ा हर तरह कामिल है और इसमें भी राहे हक़ हमें समझाई गई है।

इसी तरह़ ह़ज़रत इब्राहीम (ﷺ) के बारे में यहूद ने कहा कि वह यहूदी थे। नस़ारा ने उन्हें नस़रानी कहा लेकिन दरअस़ल वह मुसलमान थे, पस इस बारे में भी हमारी रहबरी की गई और ख़लीलुल्लाह (ﷺ) की निस्बत स़ह़ीह़ ख़्याल तक हम पहुँचा दिए गए। ह़ज़रत ईसा (ﷺ) को भी यहूदियों ने झुठलाया और उनकी वालिदा माजिदा की निस्बत बदकलामी की, नस़रानियों ने उन्हें अल्लाह और अल्लाह का बेटा कहा, लेकिन मुसलमान इस इफ़रात़-तफ़रीत़ से बचा लिये गए और उन्हें रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह और नबी बरह़क़ माना। (त़बरी : 4/284)

रबीअ़ बिन अनस (रह़.) फ़र्माते हैं मत़लब आयत का यह है कि जिस त़रह़ इब्तिदा में सब लोग रब्बे वाह़िद की इबादत वाले, नेकियों के आ़मिल, बुराईयों से मुज्तनिब थे, दरम्यान में इख़्तिलाफ़ रूनुमा हो गया था, पस इस आख़िरी उम्मत को अव्वल की त़रह़ इख़्तिलाफ़ से हटाकर स़ह़ीह़ राह पर लगा दिया। यह उम्मत और उम्मतों पर गवाह होगी, यहाँ तक कि उम्मते नूह़ (ﷺ) पर भी इनकी शहादत होगी, क़ौमे हूद, क़ौमे स़ालेह़, क़ौमे शुऐ़ब और आले फ़िरऔन का ह़िसाब-किताब भी इन ही की गवाहियों पर होगा। यह कहेंगे कि उन पैग़म्बरों ने तब्लीग़ की और उन उम्मतों ने झुठलाया। ह़ज़रत उबय बिन का'ब (ﷺ) की क़िरा'त में (वल्लाहु यहदी) अल्ख़ से पहले यह लफ़्ज़ भी हैं (وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة) अबुल आ़लिया (रह़.) फ़र्माते हैं, इस आयत में गोया हुक्म है कि शुब्हा से, गुमराही से और फ़ित्नों से बचना चाहिए। यह हिदायत रब के इल्म और उसकी रहबरी से हुई, वह जिसे चाहे राहे-इस्तिक़ामत समझा देता है।

स़ह़ीह़ मुस्लिम में है कि आँह़ज़रत (ﷺ) रात को जब तहज्जुद के लिए उठते तो यह दुआ पढ़ते

اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اہدنی لما اختلف فيه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقيم

(स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताब स़लातुल मुसाफ़िरीन, बाब अद्दुआउ फ़ी स़लातिल लैल : 770; अबूदाऊद : 767; तिर्मिज़ी : 3420; नसाई : 1626; इब्ने माजा : 1357) या'नी " ऐ अल्लाह! ऐ जिब्राईल, मीकाईल और इस्राफ़ील (ﷺ) के रब! ऐ आसमानों और ज़मीनों के पैदा करने वाले अल्लाह! ऐ छुपे और खुले के जानने वाले अल्लाह! तू ही अपने बन्दों के आपस के इख़्तिलाफ़ात का फ़ैसला करता है, मेरी दुआ है कि जिस जिस चीज़ में यह इख़्तिलाफ़ करें, तू मुझे उसमें ह़क़ बात समझा। तू जिसे चाहे राहे-रास्त दिखा देता है। हुज़ूर (ﷺ) से एक दुआ यह भी मन्क़ूल है (اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاوارزقنا اجتنابه ولا تجعله متلبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما.) ऐ अल्लाह! हमें पूरे त़ौर पर ह़क़ को ह़क़ दिखा और उसकी ताबे'दारी नस़ीब फ़र्मा और बात़िल को बात़िल दिखा और उससे बचा। ऐसा न हो कि ह़क़ व बात़िल हम पर ख़लत़-मलत़ हो जाए और हम बहक जाएँ। ऐ अल्लाह! हमें नेककार परहेज़गार और लोगों का इमाम बना।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۭ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۗءُ وَالضَّرَّاۗءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ۭ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ﴿٢١٤﴾

तर्जुमा : ''क्या तुम यह गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे? ह़ालाँकि अब तक तुम पर वह ह़ालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। उन्हें बीमारियाँ और मुसीबतें पहुँचीं और वह यहाँ तक झिंझोड़े गए कि रसूल और उसके साथ के ईमानदार कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन रखो कि अल्लाह की मदद क़रीब है।'' (214)

तंगी के बाद आसानी (आयत 214) : मतलब यह है कि आज़माइश और इम्तिह़ान से पहले जन्नत की आरज़ूएँ ठीक नहीं। साबिक़ा तमाम उम्मतों का भी इम्तिह़ान लिया गया, उन्हें भी बीमारियाँ और मुसीबतें पहुँचीं। बासा'उ के मा'नी फ़क़ीरी (इब्ने अबी ह़ातिम : 2/216) और जर्राउ के मा'नी सख़्त बीमारी के भी किये गए हैं। ज़ुल्ज़िलू उन पर दुश्मनों का डर इस क़द्र त़ारी हुआ कि बेचारे काँपने लगे। इन तमाम सख़्त इम्तिह़ानों में वह कामयाब हुए और जन्नत के वारिस बने। स़ह़ीह़ ह़दीस में है एक मर्तबा ह़ज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (ﷺ) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप हमारी इमदाद की दुआ नहीं करते? आपने फ़र्माया, ''बस अभी से घबरा गए। सुनो! तुमसे अगले मुवह़्ह़िदों (तौह़ीद परस्तों) को पकड़कर उनके सरों पर आरे रख दिए जाते थे और चीरकर ठीक दो टुकड़े कर दिये जाते थे लेकिन ताहम वह तौह़ीद व सुन्नत से न हटते थे। लोहे की कंघियों से उनके गोश्त-पोस्त नोचे जाते थे लेकिन ताहम दीने-इलाही को नहीं छोड़ते थे। क़सम अल्लाह की मेरे इस दीन को तो मेरा रब इस क़द्र पूरा करेगा कि बिला ख़ौफ़ व ख़त़र स़न्आ से ह़ज़रे मौत तक का सफ़र एक एक सवार करने लगेगा, उसे सिवाए अल्लाह के किसी का ख़ौफ़ न होगा। अल्बत्ता दिल में यह ख़्याल होना और बात है कि कहीं मेरी बकरियों पर भेड़िया न आ पड़े लेकिन अफ़सोस तुम जल्दी करते हो।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब अलामाते नबुव्वत फ़िल इस्लाम : 3612)

कुरआन में ठीक यही मज़्मून दूसरी जगह इन अल्फ़ाज़ में बयान हुआ है (الٓمّٓ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا) अल्ख़ (29/अन्कबूत : 2) क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वह मह़ज़ ईमान के इक़रार से ही छोड़ दिए जाएँगे और उनकी आज़माइश न होगी, हमने तो अगलों को भी आज़माइश की। सच्चों और झूठों को यक़ीनन हम अलग-अलग करके रहेंगे। चुनाँचे इसी त़रह़ स़ह़ाबा-किराम (ﷺ) की पूरी आज़माइश यौमुल-अह़ज़ाब को या'नी जंगे ख़ंदक़ में हुई। जैसे ख़ुद कुरआन ने इसका नक़्शा खींचा है। फ़र्मान है (اِذْ جَاۗءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ) अल्ख़ (33/अह़ज़ाब : 10) या'नी जबकि काफ़िरों ने तुम्हें ऊपर नीचे से घेर लिया। जबकि आखें पथरा गईं, दिल ह़ल्क़ूम तक आ गए और अल्लाह तआला के साथ गुमान होने लगे। उस जगह मो'मिनों की

पूरी आज़माइश हो गई और वह ख़ूब झिंझोड़ दिये गये जबकि मुनाफ़िक़ और कमज़ोर यक़ीन वाले लोग कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल के वा'दे तो गुरूर ही के थे।

हिरक़्ल ने जब अबू सुफ़ियान से उनके कुफ़्र की हालत में पूछा था कि तुम्हारी कोई लड़ाई भी इस दा'वेदारे नबुव्वत से हुई है। अबू सुफ़ियान ने कहा, हाँ! पूछा फिर क्या रंग रहा। कहा कभी हम ग़ालिब रहे, कभी वह ग़ालिब रहे तो हिरक़्ल ने कहा, अम्बिया की इसी तरह आज़माइश होती रहती है लेकिन अंजामकार खुला ग़ल्बा उन ही का होता है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (**कुल हल...**) : 2804; सहीह मुस्लिम : 1773) मसल के मा'नी तरीक़ा के है। जैसे और जगह है (وَّ مَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ) (43/ज़ुख़रुफ़ : 8) अगले मो'मिनों ने नबियों के साथ ऐसे वक़्त में अल्लाह तआला की मदद तलब की और सख़्ती और तंगी से नजात चाही, जिन्हें जवाब मिला कि अल्लाह तआला की मदद बहुत ही नज़दीक है।

जैसे और जगह है (فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) (94/अलम नश्रह :5) यक़ीनन सख़्ती के साथ आसानी है, बुराई के साथ भलाई है। एक हदीस में है कि बन्दा जब नाउम्मीद होने लगता है तो अल्लाह तआला ता'ज्जुब करता है कि मेरी फ़रियादरसी तो आ पहुँचने को है और यह नाउम्मीद होता चला जा रहा है, पस अल्लाह तआला उनकी जल्दबाज़ी और अपनी रहमत के क़रीब होने पर हंस देता है।'' (बेअसल है। नीज़ देखिए (सिलसिल-तुस्सहीह : 6/734; ह : 2810)

.....

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۭ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۭ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾ كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَھُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَھُوْا شَـيْـــًٔـا وَّھُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى
اَنْ تُحِبُّوْا شَـيْـــًٔـا وَّھُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾

तर्जुमा : ''तुझसे पूछते हैं कि वह क्या कुछ ख़र्च करे? तू कह दे जो माल तुम ख़र्च करो वह माँ बाप के लिए है और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफ़िरों के लिए है, तुम जो कुछ भलाई करोगे, अल्लाह तआला को इसका इल्म है। (215) तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया है गो वह तुम्हें दुश्वार मा'लूम हो। मुम्किन है कि तुम किसी चीज़ को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो और यह भी मुम्किन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छी समझो हालाँकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो। हक़ीक़ी इल्म अल्लाह ही को है, तुम महज़ बेख़बर हो।'' (216)

ख़ैरात के हक़दार (आयत 215, 216) : मुक़ातिल (रह़.) फ़र्माते हैं, यह आयत नफ़्ली ख़ैरात के बारे में है। (इब्ने अबी ह़ातिम : 2/619) सुदी (रह़.) कहते हैं, इसे आयते ज़कात ने मंसूख़ कर दिया लेकिन यह क़ौल ज़रा ग़ौरत़लब है। मत़लब आयत का यह है कि ऐ नबी! लोग तुमसे सवाल करते हैं कि वह किस त़रह़ ख़र्च करें? तुम उन्हें कह दो कि उन लोगों से सलूक करें जिनका बयान हुआ। ह़दीस में है, अपनी माँ से सलूक करो और अपने बाप से और अपनी बहन से और अपने भाई से, फिर दर्जा बदर्जा क़रीबी लोगों से। (ह़ाकिम : 3/611; व सनदुहू ज़ईफ़) यह ह़दीस बयान फ़र्माकर ह़ज़रत मैमून बिन मेहरान (رحمه الله) ने इस आयत की तिलावत की और फ़र्माया, यह हैं जिनके साथ माली सलूक किया जाए और उन पर माल ख़र्च किया जाए, न कि त़बलों, बाजों, तस्वीरों और दीवारों पर कपड़ा चस्पा करने में। (इब्ने अबी ह़ातिम : 2/620) फिर इर्शाद होता है तुम जो भी नेक काम करो, उसका इल्म अल्लाह तआला को है और वह उस पर बेहतरीन बदला इनायत करेगा, वह ज़र्रा बराबर ज़ुल्म नहीं करता।

जिहाद की फ़र्ज़ियत का हुक्म : दुश्मनाने-इस्लाम से दीने-इस्लाम के बचाव के लिए जिहाद की फ़र्ज़ियत का इस आयत में हुक्म हो रहा है। ज़ुहरी (रह़.) फ़र्माते हैं, जिहाद हर शख़्स पर फ़र्ज़ है, ख़्वाह लड़ाई में निकले, ख़्वाह बैठा रहे। बैठे रहने वालों पर यह लाज़िम है कि जब उनसे मदद त़लब की जाए वह मदद करें। जब उनसे फ़रियाद की जाए, यह फ़रियादरसी करें, जब उन्हें मैदान में बुलाया जाए, यह निकल खड़े हों। स़ह़ीह़ ह़दीस में है जो शख़्स मर जाए और उसने न तो जिहाद किया हो, न अपने दिल में जिहाद का इरादा किया वह जाहिलियत की मौत पर मरेगा। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब ज़म्मुम मम् मात वलम यग़्ज़ु : 1910; बिलफ़्ज़ि (मात अ़ला शुअबति मिन निफ़ाक़); अबूदाऊद : 2502; नसाई : 3099) और ह़दीस में है फ़तह़े मक्का के बाद हिज्रत नहीं रही, हाँ! जिहाद और निय्यत मौजूद है और जब तुमसे जिहाद के लिए निकलने को कहा जाए तो निकल खड़े हो जाया करो। यह हुक्म आपने मक्का के फ़तह़ होने के दिन फ़र्माया था। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब फ़ज़्लुल जिहाद वस्सियर : 2783; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1864, 1353; अबूदाऊद : 2480; तिर्मिज़ी : 1590; नसाई : 4174)

फिर फ़र्माता है हुक्मे-जिहाद गो तुम पर भारी पड़ेगा और उसमें तुम्हे मशक़्क़त और तक्लीफ़ नज़र आएगी क्योंकि मुम्किन है क़त्ल भी किए जाओ मुम्किन है ज़ख़्मी हो जाओ, फिर सफ़र की तक्लीफ़, दुश्मनों की योरिश वग़ैरह लेकिन समझो तो मुम्किन है कि तुम बुरा जानो और तुम्हारे लिए अच्छा हो, क्योंकि इसी से तुम्हारा ग़ल्बा है और दुश्मन की पामाली है, उनके माल, उनके मुल्क बल्कि उनके बाल-बच्चे तक तुम्हारे क़दमों में गिर पड़ेंगे और यह भी हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को अपने लिए अच्छा जानो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो, उ़मूमन ऐसा होता है कि इंसान एक चीज़ को चाहता है लेकिन फ़िल वाक़ेअ न उसमें मस्लिह़त होती है, न ख़ैरो-बरकत, इसी त़रह़ गो तुम जिहाद न करने में अच्छाई समझो लेकिन दरअस़ल वह तुम्हारे लिए ज़बरदस्त बुराई है क्योंकि इससे दुश्मन तुम पर ग़ालिब आ जाएगा और दुनिया में क़दम टिकाने को भी तुम्हें जगह न मिलेगी। तमाम कामों के अंजाम का इल्म मह़ज़ परवरदिगारे आ़लम को ही है। वह जानता है कि कौनसा काम तुम्हारे लिए अंजाम के लिह़ाज़ से अच्छा है और कौनसा बुरा है। वह उसी काम के लिए हुक्म देता है जिसमें तुम्हारे लिए दोनों जहान की बेहतरी हो, तुम उसके अह़काम को दिलो जान से क़बूल कर लिया करो, इसी में तुम्हारी भलाई और उ़म्दगी है।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ
اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ
اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ
اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

तर्जुमा : ''लोग तुझ से हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की बाबत सवाल करते हैं। तू कह इनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है। लेकिन अल्लाह की राह से रोकना उसके साथ कुफ़्र करना, और मस्जिदे-ह़राम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना, यह अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है। यह फ़ित्ना क़त्ल से भी बड़ा गुनाह है। यह लोग तुमसे लड़ाई-भिड़ाई करते ही रहेंगे, यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद कर दें, और तुममें से जो लोग अपने दीन से पलट जाएँ और इसी कुफ़्र की हालत में मर जाएँ, तो उनके दुनिया और आख़िरत के सब आ'माल ग़ारत हो जाएँगे। यह लोग जहन्नमी होंगे और हमेशा हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे। (217) ईमान लाने वाले हिज्रत करने वाले, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले ही अल्लाह की रह़मत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह तआला बहुत बख़्शने वाला बहुत मेहरबानी करने वाला है।'' (218)

हुर्मत वाले महीने और अम्र बिन ह़ज़रमी का क़त्ल (आयत 217, 218) : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक जमाअत को भेजा और उनका अमीर ह़ज़रत अबू उबेदह बिन जर्राह (رضي الله عنه) को बनाया। जब वह जाने लगे तो

हुज़ूर (ﷺ) की जुदाई के सदमा से रो दिए। आप (ﷺ) ने उन्हें तो रोक लिया और उनके बदले हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जहश (رضي الله عنه) को सरदारे लश्कर मुक़र्रर किया और उन्हें एक ख़त लिखवाकर दिया और फ़र्माया कि जब तक बत़ने नख़्ला न पहुँचो, इस ख़त को न पढ़ना और वहाँ पहुँचकर जब इस मज़्मून को पढ़ लो तो अपने साथियों में से किसी को अपने साथ ले चलने पर मजबूर न करना। चुनाचे हज़रत अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) इस मुख़्तसर सी जमाअ़त को लेकर चले। जब उस मुक़ाम पर पहुँचे तो फ़र्माने नबी (ﷺ) पढ़ा और इन्ना लिल्लाहि अल्ख़ पढ़कर कहा कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) के फ़र्मान को पढ़ा और मैं फ़र्मांबरदारी के लिए तैयार हूँ, फिर अपने साथियों को पढ़कर सुनाया और वाक़िया बयान किया। दो शख़्स तो वापिस लौट गए लेकिन बक़िया तमाम साथ चलने के लिए आमादा हो गए। आगे चलकर इब्नुल हज़रमी काफ़िर उन्होंने पाया। चूँकि यह इल्म न था कि जमादिल आख़िर का यह आख़िरी दिन है, या रजब का पहला दिन तो उन्होंने उस लश्कर पर हमला कर दिया। उस हमले में इब्नुल हज़रमी मारा गया और सहाबा (رضي الله عنهم) की यह जमाअ़त वहाँ से वापिस लौटी।

अब मुश्रिकीने-मक्का ने मुसलमानों पर ए'तिराज़ शुरू किया कि, देखो! इन्होंने हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की और क़त्ल भी किया। इस बारे में यह आयत उतरी। (इब्ने अबी हातिम : 2/628; ह : 2022; व सनदुहू सहीह; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी सनद को सहीह क़रार दिया है। देखिए (फ़िक़्हुस्सीरत, पेज : 227) एक और रिवायत में है कि उस जमाअ़त में हज़रत अ़म्मार बिन यासिर, हज़रत अबू हुज़ेफ़ा बिन उ़त्बा बिन रबीआ़, हज़रत सा'द बिन अबी वक़्क़ास, हज़रत उ़त्बा बिन ग़ज़्वान सुलमी और हज़रत सुहेल बिन बैज़ाअ और हज़रत आ़मिर बिन फ़हीरा और हज़रत वाक़िद बिन अ़ब्दुल्लाह यरबूई थे। बत़ने नख़्ला पहुँचकर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जहश (رضي الله عنه) ने साफ़ फ़र्मा दिया था कि जो शख़्स शहादत का आरज़ूमन्द हो वही आगे बढ़े, यहाँ से वापिस जाने वाले हज़रत सा'द बिन अबी वक़्क़ास और उ़त्बा (رضي الله عنهما) थे। उनके साथ न जाने की वजह यह हुई थी कि उनका ऊँट गुम हो गया था, जिसके ढूँढ़ने में वह रह गए। मुश्रिकीन में हकम बिन कीसान, उ़स्मान बिन अ़ब्दुल्लाह वग़ैरह थे। हज़रत वाक़िद के हाथों अ़म्र क़त्ल हुआ और यह जमाअ़त माले ग़नीमत लेकर वापिस आई। मुश्रिकीने-मक्का ने क़ैदियों का फ़िदया अदा करना चाहा और उन्होंने ए'तिराज़न कहा कि देखो! हज़रत का दा'वा तो यह है कि वह रब के इताअ़त गुज़ार हैं लेकिन हुर्मत वाले महीनों की कोई हुर्मत नहीं करते और माहे रजब में जिदाल व क़िताल करते हैं। मुसलमान कहते थे कि हमने रजब मे क़त्ल नहीं किया बल्कि जमादिल आख़िर में लड़ाई हुई है। हक़ीक़त यह है कि वह रजब की पहली रात और जमादिल आख़िर की आख़िरी शब थी। रजब शुरू होते ही मुसलमानों की तलवारें म्यान में जा चुकी थीं। मुश्रिकीन के इस ए'तिराज़ का जवाब इस आयत में दिया जा रहा है कि यह सच है कि इन महीनों में जंग हराम है लेकिन ऐ मुश्रिको! तुम्हारी बदआ'मालियाँ तो बुराई में इससे भी बढ़कर हैं। तुम अल्ल्लाह का इंकार करते हो, तुम मेरे नबी और उनके साथियों को मेरी मस्जिद से रोकते हो। तुमने उन्हें वहाँ से निकाल दिया, पस अपनी इन स्याहकारियों पर नज़र डालो कि यह किस क़द्र बदतरीन काम हैं। इन्ही हुर्मत वाले महीनों में ही मुश्रिकीन ने

मुसलमानों को बैतुल्लाह शरीफ़ से रोका था और आप (ﷺ) मजबूरन वापिस हुए थे। अगले साल अल्लाह तआला ने हुर्मत वाले महीनों मे ही मक्का को अपने नबी (ﷺ) के हाथ पर फ़तह कराया और मुसलमानों का पूरा तसल्लुत क़ायम वहाँ हो गया। अब ए'तिराज़ करने लगे जिस पर उन्हे उनमें लाजवाब किया गया। अ़म्र बिन हज़रमी जो क़त्ल किया गया, यह ताइफ़ से मक्का आ रहा था। गो रजब का चाँद चढ़ चुका था लेकिन सहाबा को मा'लूम न था। वह इस रात को जमादिल आख़िर की आख़िरी रात समझते थे। एक और रिवायत में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जहश (رضي الله عنه) के साथ आठ आदमी थे। सात तो वही जिनके नाम ऊपर बयान हुए, आठवें हज़रत रुबाब असदी (رضي الله عنه) थे। उन्हें बद्र ऊला से वापसी के वक़्त हुज़ूर (ﷺ) ने भेजा था। यह सब मुहाजिर सहाबा थे, उनमें एक भी अंसारी सहाबी न थे। दो दिन के सफ़र के बाद हुज़ूर (ﷺ) के इस नामा मुबारक को पढ़ा था जिसमें तहरीर था कि मेरे इस हुक्म नामा को पढ़कर मक्का और ताइफ़ के दरम्यान नख़्ला में जाओ वहाँ ठहरो और क़ुरेश के क़ाफ़िले का इंतिज़ार करो और उनकी ख़बरें मा'लूम करके मुझे पहुँचाओ। जब यह बुज़ुर्ग यहाँ से चले तो सारे के सारे ही चले थे। दो सहाबी जो ऊँट को ढूँढ़ने के लिए रह गए थे, वह भी यहाँ से साथ ही थे, लेकिन फ़र्ग़ के ऊपर मा'दिन में पहुँचकर नजरान में उन्हें ऊँटों की तलाश में रुक जाना पड़ा। क़ुरेशियों के उस क़ाफ़िले में ज़ेतून वग़ैरह तिजारती माल था। मुश्रिकीन के अ़लावा उन लोगों के जिनके नाम ऊपर बयान हुए हैं , नौफ़िल बिन अ़ब्दुल्लाह वग़ैरह भी थे। मुसलमान पहले तो उन्हें देखकर घबराए लेकिन फिर मश्वरा करके मुसलमानों ने यह सोचकर कि अगर इन्हें छोड़ दिया तो इस रात के बाद हुर्मत का महीना आ जाएगा तो हम फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, उन्होंने शुजाअ़त व मर्दानगी के साथ हमला किया।

हज़रत वाक़िद बिन अ़ब्दुल्लाह तैमी (رضي الله عنه) ने अ़म्र बिन हज़रमी को ऐसा ताक कर तीर लगाया कि उसका तो फ़ैसला हो गया। उस्मान बिन हकम को क़ैद कर लिया और माल वग़ैरह लेकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे। रास्ते ही में सरदारे लश्कर ने कह दिया था कि इस माल में से पाँचवाँ हिस्सा तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) का है। चुनाँचे यह हिस्सा तो अलग करके रख दिया गया और बाक़ी माल सहाबा में बांट दिया गया जबकि उस वक़्त तक यह हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था कि माले-ग़नीमत में से पाँचवाँ हिस्सा निकालना चाहिए। जब यह लश्कर नबी की ख़िदमत में पहुँचा तो आपने वाक़िया सुनकर नाराज़गी ज़ाहिर फ़र्माई और फ़र्माया कि, "मैंने तुम्हें हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई करने को कब कहा था?" न तो क़ाफ़िला का कुछ माल आपने लिया, न क़ैदियों को क़ब्ज़ा में किया। हुज़ूर (ﷺ) के इस क़ौल व फ़े'ल से यह मुसलमान सख़्त नादिम (शर्मिन्दा) हुए और अपनी गुनहगारी का उन्हें यक़ीन हो गया।

फिर क़ुरेशियों ने ता'ना देना शुरू किया कि मुहम्मद (ﷺ) और आपके अस्हाब (رضي الله عنهم) हुर्मत वाले महीनों में भी जिदाल व क़िताल से बाज़ नहीं रहते। दूसरी जानिब यहूदियों ने एक बदफ़ाल निकाली। चूँकि अ़म्र क़त्ल किया गया था तो उन्होंने कहा (अ़म्मरतिल हर्ब) लड़ाई पर रौनक़ और ख़ूब ज़ोर शोर से लम्बी मुद्दत तक होगी। उसके बाप का नाम हज़रमी था, उससे उन्होंने फ़ालली कि (हज़रतिल हर्बु) वक़्ते लड़ाई आ पहुँचा।

क़ातिल का नाम वाक़िद (رضي الله عنه) था जिससे उन्होंने कहा (वक़दतिल हर्ब) लड़ाई की, आग भड़क उठी। लेकिन क़ुदरत ने इसे बरअक्स (उल्टा) कर दिया और नतीजा तमामतर मुश्रिकीन के ख़िलाफ़ रहा और उनके इस ए'तिराज़ के जवाब में यह आयत नाज़िल हुई कि अगर बिलफ़र्ज़ जंग हुर्मत वाले महीने में हुई भी तो उससे बदतरीन तुम्हारी स्याहकारियाँ मौजूद हैं। तुम्हारा यह फ़ित्ना कि तुम अल्लाह के दीन से मुसलमानों को मुर्तद करने की अपनी तमामतर इम्कानी कोशिशें कर रहे हो, यह इस क़त्ल से भी बढ़कर है और तुम तो अपने इन कामों से रुकते हो, न तौबा करते हो, न उस पर नादिम होते हो।

इन आयात के नाज़िल होने के बाद मुसलमान इस रंज व अफ़सोस से आज़ाद हुए और हुज़ूर (ﷺ) ने क़ाफ़िला और क़ैदियों को अपने क़ब्ज़े में ले लिया। क़ुरैशियों ने फिर आप (ﷺ) के पास क़ासिद भेजा कि इन दोनों क़ैदियों का फ़िदया ले लीजिए मगर आपने फ़र्माया कि, ''मेरे दोनों सहाबी सा'द बिन अबी वक़्क़ास और उत्बा बिन ग़ज़्वान (رضي الله عنه) जब आ जाएँ तब आओ, मुझे डर है कि तुम उन्हें ईज़ा न पहुँचाओ।'' चुनाँचे जब वह आ गए तो आपने फ़िदया ले लिया और दोनों क़ैदियों को रिहा कर दिया। हकम बिन कीसान (رضي الله عنه) तो मुसलमान हो गए और हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में ही रह गए, आख़िर बीरे मऊना की लड़ाई में शहीद हुए। हाँ! उस्मान बिन अब्दुल्लाह जो कि वापिस गया और वहीं कुफ़्र में ही मरा। इन ग़ाज़ियों को यह आयत सुनकर बड़ी ख़ुशी हासिल हुई और हुज़ूर (ﷺ) की नाराज़गी की वजह से हुर्मत वाले महीनों की बेअदबी की वजह से दूसरे सहाबा (رضي الله عنهم) की चश्मक की बिना पर कुफ़्फ़ार के ता'ना के बाइस जो रंज व ग़म उनके दिलों पर था सब दूर हो गया लेकिन अब यह फ़िक्र पड़ी कि हमें आख़िरत का अज्र भी मिलेगा या नहीं, हम ग़ाज़ियों में शुमार किए जाएँगे या नहीं। जब हुज़ूर (ﷺ) से यह सवालात किए गए तो उसके जवाब में यह आयत (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) अल्ख़ नाज़िल हुई। (इब्ने हिशाम : 2/252; देखिए (फ़िक़्ह सीरत, पेज : 226)) और इनकी बड़ी-बड़ी उम्मीदें बंध गईं (رضي الله عنهم)। इस्लाम और कुफ़्र के मुक़ाबले में सबसे पहले यही इब्नुल हज़रमी मारा गया। कुफ़्फ़ार का वफ़्द हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और सवाल किया कि क्या हुर्मत वाले महीनों में क़त्ल करना जाइज़ है। इस पर आयत (यस्अलूनक) अल्ख़ नाज़िल हुई। यही माले ग़नीमत था जो सबसे पहले मुसलमानों के हाथ लगा और सबसे पहले पाँचवाँ हिस्सा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश (رضي الله عنه) ने ही निकाला जो इस्लाम में बाक़ी रहा और हुक्मे-इलाही भी इसी तरह नाज़िल हुआ और यही दो क़ैदी थे जो सबसे पहले मुसलमानों के हाथों असीर (क़ैदी) हुए। इस वाक़िया को एक नज़्म मे भी अदा किया गया है, कुछ तो कहते हैं कि यह अश्आर हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) के हैं लेकिन यह भी कहा गया है कि यह अश्आर ख़ुद अब्दुल्लाह बिन जहश (رضي الله عنه) के हैं, जो इस मुख़्तसर से लश्कर के सरदार थे, अल्लाह उनसे ख़ुश हो।

......

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَاِثْمُهُمَآ
اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ڛ قُلِ الْعَفْوَ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ؀ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۭ قُلْ
اِصْلَاحٌ لَّھُمْ خَيْرٌ ۭ وَاِنْ تُخَالِطُوْھُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ؀

तर्जुमा : ''लोग तुझसे शराब और जूए का मसला पूछते हैं। तू कह कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है, लोगों को इससे दुनियावी फ़ायदा भी होता है लेकिन उनका गुनाह उनके नफ़े से बहुत ज़्यादा है। और तुझसे यह भी दरयाफ़्त करते हैं कि क्या कुछ ख़र्च करें? तू कह! हाजत से ज़ाइद चीज़। अल्लाह तआला इस तरह अपने अहकाम साफ़-साफ़ तुम्हारे लिए बयान फ़र्मा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको। (219) उमूरे दीनी और दुनियावी को, और तुझसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं, तू कह कि उनकी ख़ैरख़्वाही बेहतर है, तुम अगर उनके माल अपने माल में मिला भी लो तो वह तुम्हारे भाई हैं। बदनिय्यत और नेक निय्यत हर एक को अल्लाह ख़ूब जानता है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मशक़्क़त में डाल देता। यक़ीनन अल्लाह तआला ग़ल्बा वाला और हिक्मत वाला है।''(220)

शराब और जूए की हुर्मत (आयत 219,220) : जब शराब की हुर्मत की आयत नाज़िल हुई तो हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) ने कहा, ऐ अल्लाह! तू इसका वाज़ेह बयान फ़र्मा, इस पर सूरह बक़रह की यह आयत (يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) अल्ख़ नाज़िल हुई। हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) को बुलवाया गया और उन्हें यह आयत पढ़कर सुनाई गई लेकिन हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) ने फिर भी यही दुआ की कि ऐ अल्लाह! इसे हमारे लिए और ज़्यादा साफ़ बयान फ़र्मा। इस पर सूरह निसाअ की यह आयत (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى) अल्ख़ (4/निसाअ : 43) नाज़िल हुई और हर नमाज़ के वक़्त पुकारा जाने लगा कि नशे वाले लोग नमाज़ के क़रीब भी न आएँ, हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) को बुलवाया गया और उनके सामने इस आयत की भी तिलावत की गई। आपने फिर भी दुआ की कि ऐ अल्लाह! हमारे लिए इसका बयान और वाज़ेह कर उस पर सूरह माइदा की आयत (انما الخمر) अल्ख़ उतरी। जब फ़ारूक़े आ'ज़म (रज़ि.) को बुलाकर यह आयत भी सुनाई गई और जब उनके कान में आयत के आख़िरी अल्फ़ाज़ (فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ) पड़े तो आप बोल उठे (इन्तहयना इन्तहयना) हम रुक गए, हम बाज़ आए। (अहमद : 1/53; अबूदाऊद, किताबुल अश्रिबा, बाब तहरीमुल ख़म्र : 3670; व सनदुहू ज़ईफ़; अबू इस्हाक़ मुदल्लस रावी है और सिमाअ की सराहत नहीं।

तिर्मिज़ी : 3049; नसाई : 5542) इब्ने अबी ह़ातिम और इब्ने मर्दवे में भी यह रिवायत है लेकिन इसका रावी अबू मैसरा है जिनका नाम अ़म्र बिन शुरहबील हम्दानी कूफ़ी है। अबू ज़रआ (रह़.) फ़र्माते हैं कि इनका सिमाअ़ ह़ज़रत उ़मर (رضي الله عنه) से साबित नहीं, वल्लाहु आ'लम! इमाम अ़ली बिन मदीनी (रह़.) फ़र्माते हैं, इसकी इस्नाद स़ालेह़ और स़ह़ीह़ है। इमाम तिर्मिज़ी भी इसे स़ह़ीह़ कहते हैं। इब्ने अबी ह़ातिम में ह़ज़रत उ़मर (رضي الله عنه) के (इन्तहयना इन्तहयना) के क़ौल के बाद यह भी है कि शराब माल को बर्बाद करने वाली और अ़क़्ल को ख़ब्त करने वाली चीज़ है। यह रिवायत और इसी के साथ मुस्नद की ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) वाली और सूरह माइदा की आयत (انما الخمر) अल्ख़ की तफ़्सीर में मुफ़स्सल बयान होंगी, इंशाअल्लाह तआ़ला।

अमीरुल मो'मिनीन ह़ज़रत उ़मर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, ख़म्र हर वह चीज़ है जो अ़क़्ल को ढाँप लेती है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब क़ौलुहू (انما الخمر) : 4619) इसका पूरा बयान भी सूरह माइदा में ही आएगा, इंशाअल्लाह तआ़ला।

मैसर कहते हैं, जूए बाज़ी को, गुनाह उनका वबाले आख़िरत है और फ़ायदा सिर्फ़ दुनियावी है कि बदन को कुछ नफ़ा पहुँचे या ग़िज़ा हज़म हो या फ़ोज़्ले बरआमद हों या कुछ ज़हन तेज़ हो जाएँ या एक त़रह़ का सुरूर ह़ासिल हो, जैसे कि ह़स्सान बिन साबित (رضي الله عنه) का जाहिलियत के ज़माने के अश्आर हैं कि शराब पीकर हम बादशाह और दिलेर बन जाते हैं। और इसी त़रह़ इसकी ख़रीदो-फ़रोख़्त और कशीद में भी तिजारती नफ़ा मुम्किन है। इसी त़रह़ जूएबाज़ी में मुम्किन है जीत हो जाए लेकिन उनके फ़वाइद के मुक़ाबले में इनके नुक़्सानात ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे अ़क़्ल का मारा जाना, होशो हवास का बेकार होना ज़रूरी है, साथ ही दीन का बर्बाद होना भी है।

यह आयत गो शराब की ह़ुर्मत का पेश ख़ेमा थी, गो इसमें स़ाफ़-स़ाफ़ ह़ुर्मत बयान न हुई थी, इसलिए ह़ज़रत उ़मर (رضي الله عنه) की चाहत थी कि खुले लफ़्ज़ों में शराब की ह़ुर्मत नाज़िल हो, चुनाँचे आख़िरकार सूरह माइदा की आयत में स़ाफ़ फ़र्मा दिया गया कि शराब और जुआ और पासे और तीर से फ़ाल लेना सब ह़राम और शैत़ानी काम हैं, ऐ मुसलमानों! अगर नजात के त़ालिब हो तो इनसे बाज़ आ जाओ। शैत़ान की तमन्ना है कि शराब और जूए के सबब तुम्हारे आपस में अ़दावत बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से रोक दे। क्या अब तुम शैत़ानी कामों से रुक जाने वाले बन जाओगे? इंशाअल्लाह! इसका पूरा बयान सूरह माइदा मे आएगा। मुफ़स्सिरीन ताबेई फ़र्माते हैं कि शराब के बारे में पहले यही आयत नाज़िल हुई, फिर सूरह निसाअ की आयत नाज़िल हुई, फिर सूरह माइदा की आयत उतरी और शराब मुकम्मल त़ौर पर ह़राम हो गई। (त़ब्री : 3/331)

बचे हुए माल से अल्लाह की राह में ख़र्च करना : (कुलिल अ़फ़्व) की एक क़िरा'त (कुलिल अफ़्वु) भी है और दोनों क़िरा'तें ठीक हैं, मा'नी क़रीब-क़रीब और एक हो सकते हैं और बंद भी बैठ सकते हैं। ह़ज़रत मुआ़ज़ बिन जबल और ह़ज़रत सा'लबा (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आए और पूछा कि हुज़ूर (ﷺ)! हमारे ग़ुलाम भी हैं, बाल-बच्चे भी हैं और हम मालदार भी हैं। क्या कुछ अल्लाह की राह में दें? जिसके जवाब में (कुलिल अ़फ़्व) कहा गया, या'नी जो अपने बाल बच्चों के ख़र्च के बाद बचे। बहुत से स़ह़ाबा (رضي الله عنه) से

इसकी यही तफ़्सीर मरवी है। हज़रत ताउस (रह.) कहते हैं, हर चीज़ में से थोड़ा-थोड़ा अल्लाह की राह में भी देते रहा करें। रबीअ (रह.) कहते हैं, अफ़ज़ल और बेहतर माल अल्लाह की राह में दो। सब क़ौल का ख़ुलासा यह है कि ज़रूरत से ज़ाइद चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च करो। हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं कि ऐसा न करो कि सब दे डालो और फिर ख़ुद सवाल करने लगो। चुनाँचे सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा, हुज़ूर (ﷺ)! मेरे पास एक दीनार है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अपने काम में लाओ।" उसने कहा, मेरे पास एक और है। आपने फ़र्माया, अपनी बीवी पर ख़र्च करो।" उसने कहा, हज़रत! एक और है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने बच्चों की ज़रूरियात में लगाओ। उसने कहा, एक और भी है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अब तू "ख़ुद देखभाल सकता है।" (अबूदाऊद, किताबुज़्ज़कात, बाब फ़ी सिलतिर्रहम : 1691; वहुव हसन; मुस्लिम : 995; नहवुल मा'नी)

मुस्लिम शरीफ़ की एक और हदीस में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक शख़्स से फ़र्माया "अपने नफ़्स से शुरू कर, पहले इसी पर सदक़ा कर, फिर बचे तो अपने बाल बच्चों पर, फिर बचे तो अपने रिश्तेदारों पर, फिर भी बचे तो और दूसरे हाजतमंदों पर।" (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात, बाबुल इब्तिदा फ़िन् नफ़क़ति बिन्नफ़्सि : 997; नसाई : 4656) इसी किताब में एक और हदीस है कि सबसे अफ़ज़ल ख़ैरात वह है जो इंसान अपने ख़र्च के मुताबिक़ रखकर बाक़ी बची हुई चीज़ को अल्लाह की राह में दे दे, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफ़ज़ल है, पहले उन्हें दे जिनका ख़र्च तेरे ज़िम्मे है। (सहीह बुख़ारी, किताबुन्नफ़्क़ात, बाब वजूबुन् नफ़क़ति अलल अहल... : 5355; मिन हदीस अबी हुरैरह; सहीह मुस्लिम : 1034; अन हकीम बिन हेज़ाम (رضي الله عنه) ; नसाई : 2544) एक और हदीस में है कि ऐ इब्ने आदम! जो तेरे पास अपनी ज़रूरत से ज़ाइद हो, उसे अल्लाह की राह में दे डालना ही तेरे लिए बेहतर है और उसका रोक रखना तेरे लिए बुरा है। हाँ! अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ ख़र्च करने में तुझ पर कोई मलामत नहीं।" (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात, बाब बयान .... : 1036; तिर्मिज़ी : 2344) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का क़ौल यह भी मरवी है कि यह हुक्म ज़कात के हुक्म से मंसूख़ हो गया। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते है, ज़कात की आयत गोया इस आयत की तफ़्सीर और इसका वाज़ेह बयान है, ठीक क़ौल यही है।

फिर इर्शाद होता है कि जिस तरह यह अहकाम वाज़ेह करके, खोल खोलकर हमने बयान फ़र्माए। इसी तरह हम बाक़ी अहकाम भी वज़ाहत और तशरीह के साथ बयान फ़र्मायेंगे। वा'दे वईद भी साफ़ तौर पर खोल दिए जायेंगे ताकि तुम दुनिया-ए-फ़ानी की तरफ़ से बेरग़बत होकर आख़िरत की तरफ़ मुतवज्जह हो जाओ, जो हमेशा बाक़ी रहने वाली है। हज़रत हसन (रह.) ने इस आयत की तिलावत करके फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! जो ग़ौरो तदब्बुर करेगा जान लेगा कि दुनिया बला का घर है और इसका अंजाम फ़ना है और आख़िरत जज़ा और बक़ा का घर है। हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं ग़ौरो-फ़िक्र करने से साफ़ मा'लूम हो सकता है कि दुनिया पर आख़िरत को किस क़द्र फ़ज़ीलत है। पस अक़्लमंद को चाहिए कि आख़िरत की भलाई के जमा करने की कोशिश में लग जाए।

यतीम के माल को देखभाल करने का हुक्म : फिर यतीम के बारे में अहकाम नाज़िल होते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, पहले यह हुक्म हुआ था कि (وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ) (6/अन्आम : 152) या'नी ''यतीम के माल के क़रीब भी न जाओ, मगर उस तरीक़ा से जो बेहतरीन तरीक़ा हो'' और फ़र्माया गया था (اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا) (4/निसाअ : 10) या'नी ''जो लोग ज़ुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं, वह अपने पेट में आग भर रहे हैं और भड़कती हुई जहन्नम में अनक़रीब दाख़िल होंगे'' तो इस हुक्म को सुनकर उन लोगों ने जो यतीमों के वाली थे, यतीमों का खाना उनका पानी अपने घर के खाने और घर के पानी से बिलकुल अलग कर दिया। अब अगर उसका पका हुआ खाना बच रहा तो उसे या तो वही दूसरे वक़्त खाए या ख़राब हो जाए, तो यूँ एक तरफ़ तो यतीमों का नुक़्सान होने लगा, दूसरी तरफ़ वालियाने यतीम भी तंग आ गए कि कब तक एक ही घर में इस तरह रख-रखाव किया करें तो उन लोगों ने आकर हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ की। जिस पर यह आयत (قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ) अल्ख़ नाज़िल हुई और नेक निय्यती और दयानतदारी के साथ उनके माल को अपने माल में मिला लेने की रुख़्सत दी गई। (अबूदाऊद, किताबुल वसाया, बाब मुख़ालितल यतीम फ़ित्तआमि : 2871; व सनदुहू ज़ईफ़; अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद अफ़्रीक़ी रावी ज़ईफ़ है। नसाई : 3699, 3700) और सलफ़ की एक बहुत बड़ी जमाअत ने इसका शाने-नुज़ूल यही बयान फ़र्माया है।

हज़रत सिद्दीक़ा (رضی اللہ عنہا) फ़र्माती हैं, यतीम के ज़रा-ज़रा से माल की इस तरह देखभाल सख़्त मुश्किल काम है कि इसका खाना अलग हो, इसका पीना अलग हो। (इस्लाहुल् लहुम ख़ैरुन) से तो यही अलैहिदगी मुराद है लेकिन फिर (व इन तुख़ालितूहुम) फ़र्माकर खाना-पीना मिला-जुला रखने की इजाज़त दी गई इसलिए कि वह भी दीनी भाई हैं , हाँ! निय्यत नेक होनी चाहिए। क़सद और इरादा अगर यतीम का नुक़्सान रसानी का है तो वह भी अल्लाह तबारक व तआला से पोशीदा नहीं और अगर मक़्सूद यतीम की भलाई और उसके माल की निगहबानी है तो उसे भी वह अल्लामुल-ग़ुयूब बख़ूबी जानता है। फिर फ़र्माया कि अल्लाह तुम्हें तक्लीफ़ व मशक़्क़त में मुब्तला रखना नहीं चाहता। जो तंगी और मुश्किल तुम पर यतीम का खाना पीना बिलकुल जुदा रखने में था वह अल्लाह तआला ने दूर फ़र्मा दिया और तुम पर तख़्फ़ीफ़ कर दी और एक हँडिया रखना और मिला-जुला काम करना तुम्हारे लिए मुबाह क़रार दिया, बल्कि यतीम का सरपरस्त अगर फ़क़ीर मिस्कीन मुहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक़ अपने ख़र्च में ला सकता है और अगर किसी मालदार ने बवक़्ते ज़रूरत उसकी कोई चीज़ अपने मस्रफ़ (ख़र्च) में इस्तेमाल की तो बाद मे अदा कर दे। यह मसाईल इंशाअल्लाह! वज़ाहत के साथ सूरह निसाअ की तफ़्सीर में बयान होंगे।

....

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ
اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ
وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

तर्जुमा : ''शिर्क करने वाली औरतों से यहाँ तक कि वह ईमान न लाएँ तुम निकाह़ न करो। ईमानदार लौण्डी भी शिर्क करने वाली आज़ाद औरत से बहुत बेहतर है गो तुम्हें मुश्रिका ही अच्छी लगती हो और न शिर्क करने वाले मर्दों के निकाह़ में दो जब तक वह ईमान न लायें। ईमानदार ग़ुलाम आज़ाद मुश्रिक से बेहतर है गो मुश्रिक तुम्हें अच्छा लगे। यह लोग तुम्हें जहन्नम की त़रफ़ बुलाते हैं और अल्लाह तआला तुम्हें जन्नत की त़रफ़ और अपनी बख़्शिश की त़रफ़ अपने हुक्म से बुलाता है। वह अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फ़र्मा रहा है ताकि वह नस़ीहत ह़ासिल करें।'' (221)

मुश्रिक मर्द या मुश्रिका औरत से निकाह़ न करो? (आयत 221) : बुतपरस्त मुश्रिका औरतों से निकाह़ की ह़ुर्मत बयान हो रही है। गो आयत का उ़मूम तो हर एक मुश्रिका औरत से निकाह़ करने की मुमानिअ़त पर ही दलालत करता है लेकिन दूसरी जगह फ़र्मान है (وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ) अल्ख़ (5/माइदा : 5) या'नी तुमसे पहले जो किताबुल्लाह दिए गए हैं, उनकी पाकदामन औरतों से भी जो ज़िनाकारी से बचने वाली हों, उनके मुहर अदा करके उनसे निकाह़ करना तुम्हारे लिए ह़लाल है। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का क़ौल भी यही है कि उन मुश्रिका औरतों में से अहले किताब की औरतें मख़्सूस़ हैं। (त़बरी : 4/350) मुजाहिद, इक्रिमा, सईद बिन जुबेर, मक्हूल, ह़सन, ज़ह़्ह़ाक़, क़तादा, ज़ेद बिन असलम, और रबीअ़ बिन अनस (रह़.) का भी यही फ़र्मान है। (इब्ने अबी ह़ातिम : 2/669) कुछ कहते हैं कि आयत स़िर्फ़ बुतपरस्त मुश्रिका औरतों ही के लिए नाज़िल हुई है। इस त़रह़ कह लो या इस त़रह़, मत़लब दोनों का एक ही है, वल्लाहु अ़'लम! तफ़्सीर इब्ने जरीर में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कई क़िस्म की औरतों से निकाह़ करने को नाजाइज़ किया सिवा ईमानदार हिज्रत करके आने वाली औरतों के और ख़ुसूसन उन औरतों से जो किसी दूसरे मज़हब की पाबंद हों, निकाह़ करना ह़राम क़रार दे दिया गया। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिल अह़ज़ाब : 3215; व सनदुहू ह़सन) क़ुरआने-करीम में और जगह है (وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ) (5/माइदा : 5) या'नी काफ़िरों के आ'माल बर्बाद हैं।

एक रिवायत में है कि हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह (ﷺ) ने यहूदिया औरत से निकाह कर लिया था और हज़रत हुज़ेफ़ा बिन यमान (ﷺ) ने एक नसरानिया औरत से निकाह कर लिया था, जिस पर हज़रत उमर (ﷺ) सख़्त नाराज़ हुए यहाँ तक कि क़रीब था कि उन्हें कोड़े लगाएँ। उन दोनों बुज़ुर्गों ने कहा, ऐ अमीरुल मो'मिनीन! आप नाराज़ न हों, हम इन्हें तलाक़ दे देते हैं, आपने फ़र्माया, अगर तलाक़ देनी हलाल है तो फिर निकाह भी हलाल होना चाहिए, मैं इन्हें तुमसे छीन लूँगा और ज़िल्लत के साथ इन्हें अलग कर दूँगा, लेकिन यह हदीस निहायत ग़रीब है और हज़रत उमर (ﷺ) से बिलकुल ही ग़रीब है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने अहले-किताब की औरतों से निकाह के हलाल होने पर इज्माअ नक़्ल किया है और हज़रत उमर (ﷺ) के इस असर के बारे में तहरीर किया है कि यह सिर्फ़ सियासी मस्लिहत की बिना पर था ताकि मुसलमान औरतों से लोग बेरग़बती न करें या कोई और हिक्मते-अमली इस फ़र्मान में थी। चुनाँचे एक रिवायत में यह भी है कि जब हज़रत हुज़ेफ़ा (ﷺ) को यह फ़र्मान मिला तो उन्होंने जवाब में लिखा कि क्या आप इसे हराम कहते हैं? ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन ने जवाब दिया कि हराम तो नहीं कहता मगर मुझे डर है कि कहीं तुम मो'मिना औरतों से निकाह न करो, इस रिवायत की इस्नाद भी सहीह है। (इब्ने जरीर : 2/222; व सनदुहू सहीह)

एक और रिवायत में है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुसलमान मर्द नसरानी औरत से निकाह कर सकता है लेकिन नसरानी मर्द का मुसलमान औरत से निकाह नहीं हो सकता। (तब्री : 4/366; इस रिवायत की सनद यज़ीद बिन अबी ज़ियाद की वजह से ज़ईफ़ है।) इस रिवायत की सनद पहली रिवायत से ज़्यादा सहीह है। इब्ने जरीर में तो एक मरफ़ूअ हदीस भी बइस्नाद मरवी है कि हम अहले-किताब की औरतों से निकाह कर लें लेकिन अहले-किताब मर्द मुसलमान औरतों से निकाह नहीं कर सकते। लेकिन इसकी सनद में कुछ कमज़ोरी है मगर उम्मत का इज्माअ इसी पर है। इब्ने अबी हातिम की रिवायत में है कि हज़रत फ़ारूक़ (ﷺ) ने अहले किताब के निकाह को नापसंद किया और इस आयत की तिलावत फ़र्मा दी। इमाम बुख़ारी (रह.) हज़रत उमर (ﷺ) का यह क़ौल भी नक़्ल करते हैं कि मैं किसी शिर्क को उस शिर्क से बढ़कर नहींपाता कि वह औरत कहती है कि ईसा (ﷺ) उसके अल्लाह हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तलाक़, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَٰتِ...) : 5285) हज़रत इमाम अहमद (रह.) से इस आयत का मतलब पूछा जाता है तो आप फ़र्माते हैं, मुराद इससे अरब की वह मुश्रिका औरतें है जो बुतपरस्त थीं।

फिर इर्शाद होता है कि ईमान वाली लौण्डी शिर्क करने वाली आज़ाद औरत से अच्छी है। यह फ़र्मान हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (ﷺ) के बारे में नाज़िल हुआ है। उनकी एक स्याह रंग लौण्डी थी। एक मर्तबा गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया था। फिर घबराए हुए आँहज़रत (ﷺ) के पास आए और वाक़िया अर्ज़ किया। आपने पूछा, "उसका क्या हाल है?" कहा, हुज़ूर (ﷺ)! वह रोज़े रखती है, नमाज़ पढ़ती है, अच्छी तरह वुज़ू करती है, अल्लाह की वहदानियत और आपकी रिसालत की गवाही देती है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "ऐ अबू अब्दुल्लाह! फिर तो वह ईमानदार है।" कहने लगे, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़सम उस अल्लाह की

जिसने आपको हक़ के साथ मब्ऊस किया है, मैं उसे आज़ाद कर दूँगा और इतना ही नहीं, बल्कि फिर उससे निकाह भी कर लूँगा। चुनाँचे यही किया, जिस पर कुछ मुसलमानों ने उन्हें ता'ना दिया। वह चाहते थे कि मुश्रिकों में उनका निकाह करा दें और उन्हें अपनी लड़कियाँ भी दें ताकि शराफ़ते नसब क़ायम रहे। इस पर यह फ़र्मान नाज़िल हुआ कि मुश्रिक आज़ाद औरत से तो मुसलमान लौण्डी हज़ार हा दर्जा बेहतर है और इसी तरह मुश्रिक आज़ाद मर्द से मुस्लिम गुलाम मर्द भी बढ़ चढ़कर है।

निकाह के लिए मालो-दौलत की बजाए दीनदारी देखो : मुस्नद अब्द बिन हुमेद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, औरतों के महज़ हुस्न पर फ़रेफ़्ता होकर उनसे निकाह न कर लिया करो, मुम्किन है कि उनका हुस्न उन्हें मग़रूर कर दे। औरतों के मालदार होने की वजह से उनसे निकाह न कर लिया करो, मुम्किन है कि माल उन्हें सरकश कर दे, निकाह करो तो दीनदारी देखा करो। बदसूरत स्याह फ़ाम लौण्डी भी अगर वह दीनदार हो तो बहुत अफ़ज़ल है।'' (इब्ने माजा, किताबुन् निकाह, बाब तज़्वीज ज़ातुद्दीन : 1859; व सनदुहू ज़ईफ़; अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद अल अफ़्रीक़ी रावी ज़ईफ़ है।) लेकिन इस हदीस के रावियों में अफ़्रीक़ी ज़ईफ़ है। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''चार बातें देखकर औरतों से निकाह किया जाता है। एक तो माल, दूसरे हसब-नसब, तीसरे जमाल व ख़ूबसूरती, चौथे दीन, तुम दीनदारी को तर्जीह दो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुन निकाह, बाबुल इक्फ़ाअ फ़िद्दीन : 5090; सहीह मुस्लिम : 1466) मुस्लिम शरीफ में है दुनिया कुल की कुल एक मताअ (साजोसामान) है और मताअ़े दुनिया में सबसे अफ़ज़ल चीज़ नेकबख़्त औरत है। (सहीह मुस्लिम, किताबुर्रिज़ाअ, बाब ख़ैरु मताइद्दुनिया अल् मरअतुस्सालिहा : 1469; नसाई : 3234) फिर फ़र्मान है कि मुश्रिक मर्दों के निकाह में मुसलमान औरतें भी न दो। जैसे और जगह है (لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) (60/मुम्तहिना : 10) न काफ़िर औरतें मुसलमान मर्दों के लिए हलाल, न मुसलमान मर्द काफ़िर औरतों के लिए हलाल। फिर फ़र्मान है कि मो'मिन मर्द गो हब्शी गुलाम हो, मगर फिर भी वह रईस और सरदार आज़ाद काफ़िर से बेहतर है। उन लोगों का मेल-जोल, उनकी सुहबत, मुहब्बते-दुनिया, हिफ़ाज़ते-दुनिया और दुनिया-तलबी और दुनिया को आख़िरत पर तर्जीह देना सिखाती है। जिसका अंजाम जहन्नम है और अल्लाह तआला के फ़र्मान की पाबन्दी उसके हुक्मों की ता'मील जन्नत की रहबरी करती है, गुनाहों की मग़्फ़िरत का बाइस बनती है। अल्लाह तआला ने लोगों के वा'ज़ व नसीहत और पंद व इब्रत के लिए अपनी आयतें वाज़ेह तौर पर बयान फ़र्मा दीं।

....

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا
تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى
شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾

तर्जुमा : ''तुमसे हैज़ के बारे में सवाल होता है, कह दो कि वह गंदगी है, हालते-हैज़ में औरतों से अलग रहो और जब तक वह पाक न हो जाएँ उनके क़रीब न जाओ, हाँ! जब वह पाक हो जाएँ, तो उनके पास जाओ, जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तआला तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद फ़र्माता है। (222) तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए आगे भेजो और अल्लाह तआला से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो। ईमानवालों को ख़ुशख़बरी सुना दे।'' (223)

हैज़ और जिमाअ के बारे में मसाइल की तफ़सील (आयत 222, 223) : हज़रत अनस (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि यहूदी लोग हायज़ा औरतों को न अपने साथ खिलाते थे, न अपने साथ रखते थे। सहाबा (رضي الله عنهم) ने इस बारे में हुज़ूर (ﷺ) से सवाल किया, जिसके जवाब में यह आयत उतरी और हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''सिवाए जिमाअ के और सब कुछ हलाल है।'' यहूदी यह सुनकर कहने लगे कि इन्हें तो हमारे मुख़ालिफ़त से ही ग़र्ज़ है। हज़रत उसेद बिन हुज़ेर और हज़रत अब्बाद बिन बिश्र (رضي الله عنهما) ने यहूदियों का यह कलाम नक़्ल करके कहा कि हुज़ूर (ﷺ)! फिर हमें जिमाअ की भी इजाज़त दी जाए। यह सुनकर आपका चेहरा मुतग़य्यर हो गया, यहाँ तक कि और सहाबा (رضي الله عنهم) ने ख़्याल किया कि आप उन पर नाराज़ हो गए। जब यह बुज़ुर्ग जाने लगे तो आँहज़रत (ﷺ) के पास कोई बुज़ुर्ग तौहफ़तन दूध लेकर आए, आपने उनके पीछे आदमी भेजकर उन्हें बुलाया और वह दूध उन्हें पिलाया। अब मा'लूम हुआ कि वह ग़ुस्सा जाता रहा। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हैज़, बाब जवाज़ ग़ुस्लुल हाइज़ रअसे ज़ौजिहा : 302) पस इस फ़र्मान का कि हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहो, यह मतलब हुआ कि जिमाअ न करो, इसलिए कि और सब हलाल है। अकसर उलमा का मज़हब है कि सिवाए जिमाअ के मुबाशिरत जाइज़ है।

हदीसो में है कि हुज़ूर (ﷺ) भी ऐसी हालत में अज़्वाजे-मुत्तह्हरात से मिलते-जुलते लेकिन वह तहमद बाँधे हुए होती थीं। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फ़िर्रजुल युसीबु मिन्हा मा दूनल जिमाअ : 272; व सनदुहू हसन) हज़रत अम्मारा (रह.) की फूफी साहिबा हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) से सवाल करती हैं कि अगर औरत हैज़ की हालत में हो और घर में मियाँ-बीवी का एक ही बिस्तर हो तो वह क्या करे? या'नी ऐसी हालत में

उसके साथ उसका शौहर सो सकता है या नहीं? आपने फ़र्माया, सुनो! एक मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) घर में तशरीफ़ लाए, आते ही अपनी नमाज़ की जगह तशरीफ़ ले गए और नमाज़ में मशग़ूल हो गए, देर ज़्यादा लग गई और उस दौरान मुझे नींद आ गई। आप (ﷺ) को सर्दी लगने लगी तो आपने मुझसे फ़र्माया, यहाँ आओ। मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! मैं तो हैज़ से हूँ। आपने मुझे घुटनों के ऊपर से कपड़ा हटाने का हुक्म दिया और फिर मेरी रान पर रुख़्सार और सीना रखकर लेट गए, मैं भी आप पर झुक गई तो सर्दी कुछ कम हुई और उस गर्मी में आपको नींद आ गई। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फ़िर्जुल युसीबु मिन्हा दूनल जिमाअ : 270; व सनदुहू ज़ईफ़; अब्दुर्रहमान बिन जियाद अफ़्रीक़ी ज़ईफ़ है।

हज़रत मसरूक़ (रह.) एक मर्तबा हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) के पास आए और कहा कि (**अस्सलामु अलन्नबी व अहलिही**) हज़रत आइशा (رضي الله عنها) ने जवाब देकर मरहबा मरहबा कहा और अंदर आने की इजाज़त दी। आपने कहा, माई साहिबा! मैं एक मसला पूछता हूँ लेकिन शर्म मा'लूम होती है। आपने फ़र्माया, सुन! मैं तेरी माँ हूँ तू क़ायम मक़ाम मेरे बेटे के है, जो पूछना हो पूछ, कहा फ़र्माइए, आदमी को अपनी हाइज़ा बीवी से किया हलाल है? फ़र्माया, सिवाए शर्मगाह के और सब जाइज़ है। (तब्री : 4/378) (इब्ने जरीर) और सनदों से भी मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ के साथ हज़रत उम्मुल मो'मिनीन (رضي الله عنها) का क़ौल मरवी है। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه), मुजाहिद, हसन और इक्रिमा (रह.) का फ़त्वा भी यही है। मक़्सद यह है कि हाइज़ा औरत के साथ लेटना, बैठना, उसके साथ खाना-पीना वग़ैरह उमूर बिल इत्तिफ़ाक़ जाइज़ हैं।

हज़रत आइशा (رضي الله عنها) से मंक़ूल है कि मैं नबी (ﷺ) का सर धोया करती। आप मेरी गोद में टेक लगाकर लेटकर क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत फ़र्माते, हालाँकि मैं हैज़ से होती थी। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हैज़, बाब क़िराअतुर्रजुल फ़ी हुज्रे इम्रातिही : 297; सहीह मुस्लिम : 301) मैं हड्डी चूसती थी और आप भी उसी हड्डी को वहीं मुँह लगाकर चूसते थे। मैं पानी पीती थी फिर प्याला आपको देती, आप भी वहीं मुँह लगाकर प्याले से वही पानी पीते और मैं उस वक़्त हाइज़ा होती थी। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हैज़, बाब जवाज़ गुस्लुल हाइज़ रअसे ज़ोजिहा : 301; अबूदाऊद : 260; नसाई : 274; इब्ने माजा : 634) अबूदाऊद में रिवायत है कि मेरे हैज़ के शुरू दिनों में आँहज़रत (ﷺ) मेरे साथ एक ही लिहाफ़ में सोते थे। अगर आपका कपड़ा कहीं से ख़राब हो जाता तो आप इतनी ही जगह को धो डालते अगर जिस्म मुबारक पर कुछ लग जाता तो उसे भी धो डालते और फिर उन ही कपड़ों में नमाज़ पढ़ते। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फ़िर्जुल युसीबु मिन्हा दूनल जिमाअ : 269; व सनदुहू हसन; नसाई : 285) हाँ! अबूदाऊद की एक रिवायत में यह भी है कि हज़रत सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं, मैं जब हैज़ से होती तो बिस्तर से उतर जाती और बोरिये पर आ जाती। नबी (ﷺ) मेरे क़रीब भी न आते जब तक कि मैं पाक न हो जाऊँ। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फ़िर्जुल युसीबु मिन्हा दूनल जिमाअ : 271; व सनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में अबू मिन्हाल रावी मज्हुलुल हाल है) तो यह रिवायत महमूल है कि आप परहेज़ और एहतियात करते थे न यह कि यह महमूल हो हुर्मत और मुमानिअत पर।

कुछ हज़रात यह भी फ़र्माते हैं कि तहबन्द होते हुए फ़ायदा उठाए। हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस हिलालिया (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं कि, नबी (ﷺ) जब अपनी किसी अहलिया से उसके हैज़ की हालत में मिलना चाहते थे तो

उन्हे हुक्म दे देते थे कि तहबन्द बाँध लें। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हैज़, बाब मुबाशिरतुल हाइज़ : 302, 303; सहीह मुस्लिम : 294) इसी तरह बुख़ारी व मुस्लिम में भी यह हदीस हज़रत आइशा (رضی اللہ عنہا) से मरवी है। हुज़ूर (ﷺ) से एक शख़्स सवाल करता है कि मेरी बीवी से मुझे उसके हैज़ की हालत में क्या कुछ हलाल है? आपने फ़र्माया, तहबन्द के ऊपर का कुल। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फ़िल मज़ी : 212; व सनदुहू हसन) एक और रिवायत में है कि उससे भी बचना बेहतर है। (अबूदाऊद : 213; व सनदुहू ज़ईफ़; सनद मुंक़तअ है। अब्दुर्रहमान बिन आइज़ ने सय्यदना मुआज़ (رضی اللہ عنہ) को नहीं पाया) हज़रत आइशा (رضی اللہ عنہا), इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ), हज़रत सईद बिन मुसय्यिब और हज़रत शुरेह (रह.) का मज़हब भी यही है। इमाम शाफ़ई (रह. के इस बारे में दो क़ौल हैं जिनमें एक यह भी है। अकसर इराक़ियों वग़ैरह का भी यही मज़हब है। यह हज़रात फ़र्माते हैं कि यह तो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि जिमाअ हराम है, इसलिए इसके आसपास से भी बचना ही चाहिए, ताकि हुर्मत में वाक़ेअ होने का ख़तरा न रहे।

हालते हैज़ में जिमाअ की हुर्मत और इस काम के करने वाले का गुनहगार होना तो यक़ीनी अम्र है जिसे तौबा इस्तिग़फ़ार करना लाज़मी है। लेकिन उसे कफ़्फ़ारा भी देना पड़ेगा या नहीं? उसमें उलमा-ए-किराम के दो क़ौल हैं, एक तो यह कि कफ़्फ़ारा भी है। चुनाँचे मुस्नद अहमद और सुनन में हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपनी हाइज़ा बीवी से जिमाअ करे, एक दीनार या आधा दीनार सदक़ा दे। तिर्मिज़ी में है कि ख़ून अगर सुर्ख़ हो तो एक दीनार और ज़र्द हो तो आधा दीनार। (अहमद : 1/363; अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फ़ी इत्यानिल हाइज़ : 264; वहुव सहीह; तिर्मिज़ी : 290; इब्ने माजा : 650) मुस्नद अहमद में है कि अगर ख़ून पीछे हट गया हो और अभी उस औरत ने ग़ुस्ल न किया हो और इस हालत में उसका शौहर उससे मिले तो आधा दीनार वरना पूरा दीनार। (अहमद : 1/367; व सनदुहू ज़ईफ़) दूसरा क़ौल यह है कि कफ़्फ़ारा कुछ भी नहीं, सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से इस्तिग़फ़ार करे। इमाम शाफ़ई (रह.) का भी आख़िरी और ज़्यादा सहीह यही मज़हब है और जुम्हूर उलमा भी इसके क़ाइल हैं। जो हदीसें ऊपर बयान हुई हैं उनकी निस्बत यह हज़रात फ़र्माते हैं कि उनका मरफ़ूअ होना सहीह नहीं, बल्कि सहीह यही है कि मौक़ूफ़ हैं। गो यह हदीस रिवायतन मरफ़ूअ है और मौक़ूफ़न दोनों तरह मरवी है लेकिन अकसर अइम्म-ए-हदीस की तहक़ीक़ है कि सहीह बात यही है कि यह मौक़ूफ़ है। यह फ़र्मान है कि जब तक औरतें पाक न हो जाएँ उनके क़रीब न जाओ। यह तफ़्सीर है इस फ़र्मान की कि औरतों से उनकी हैज़ की हालत में जुदा रहो। इससे मा'लूम होता है कि जिस वक़्त हैज़ ख़त्म हो जाए, फिर नज़दीकी हलाल है।

हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह अहमद बिन मुहम्मद बिन हंबल (रह.) फ़र्माते हैं, तोहर या'नी पाकी दलालत करती है कि अब उससे नज़दीकी जाइज़ है। हज़रत मैमूना और हज़रत आइशा (رضی اللہ عنہا) का यह फ़र्माना कि हममें से जब कोई हैज़ से हो जाती तो तहबंद बाध लेती और नबी (ﷺ) के साथ आपकी चादर में सोती, इस बात को साबित करता है कि जिस नज़दीकी से मना किया गया है वह जिमाअ करना है। वैसे सोना, बैठना वग़ैरह सब जाइज़ है। इसके बाद यह फ़र्मान कि उनके पाक हो जाने के बाद उनके पास आओ, इसमें इर्शाद है कि उनके ग़ुस्ल कर लेने के बाद उनसे जिमाअ करो। इमाम इब्ने हज़म (रह.) फ़र्माते हैं कि हर हैज़ की पाकीज़गी के बाद जिमाअ करना वाजिब है। इनकी दलील लफ़्ज़ (फ़ातूहुन्न) है जिसमें हुक्म है लेकिन यह दलील कोई पुख़्ता

नहीं। यह अम्र तो सिर्फ़ हुर्मत को हटा देने का ए'लान है और इसके सिवा इसकी कोई दलील इनके पास नहीं। उलमा उसूल में से कुछ तो कहते हैं कि अम्र या'नी हुक्म मुत्लक़न वजूब के लिए होता है। इन लोगों के लिए इमाम इब्ने हज़्म का जवाब बहुत गिराँ है। कुछ कहते हैं यह अम्र सिर्फ़ इबाहत के लिए है और चूँकि इससे पहले मुमानिअत वारिद हो चुकी है, यह क़रीना है जो अम्र को वजूब से हटा देता है। लेकिन यह ग़ौरतलब बात है, दलील से जो बात साबित है वह यह है कि ऐसे मौक़े पर या'नी पहले मना हो, फिर हुक्म हो तो पहला हुक्म अपनी असली हालत पर रहता है या'नी जो बात मना से पहले जैसी थी वैसी ही अब हो जाएगी, या'नी अगर मना से पहले वह काम वाजिब था तो अब भी वाजिब ही रहेगा। जैसे कुरआन करीम में है (فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ) (9/तौबा : 5) या'नी जब हुर्मत वाले महीने गुज़र जाएँ तो मुश्रिकों से जिहाद करो। और अगर वह काम मुमानिअत से पहले मुबाह था तो अब भी वह मुबाह रहेगा। जैसे (وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا) (5/माइदा : 2) जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार खेलो। और जगह है (فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ) (62/जुम्आ : 10) या'नी जब नमाज़ पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ।

उन उलमा-ए-किराम का यह फ़ैसला इन मुख़्तलिफ़ अक़्वाल को जमा भी कर देता है जो अम्र के वजूब वग़ैरह के बारे में है। ग़ज़ाली (रह.) वग़ैरह ने भी इसे बयान किया है और कुछ अइम्मा मुताख़्ख़िरीन ने भी इसे पसंद फ़र्माया है और यही सही भी है। यह मसला भी याद रहे कि तमाम उलमा-उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि जब हैज़ का ख़ून आना रुक जाए, मुद्दते हैज़ गुज़र जाए फिर भी उसके शौहर को अपनी बीवी से जिमाअ करना हलाल नहीं, जब तक कि वह ग़ुस्ल न करे। हाँ! अगर मा'ज़ूर हो और ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम करना उसे जाइज़ हो तो तयम्मुम कर ले। उसके बाद उसके पास उसका शौहर आ सकता है। अल्बत्ता इमाम अबू हनीफ़ा (रह) इन तमाम उलमा के मुख़ालिफ़ हैं। वह फ़र्माते हैं कि जब हैज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक की आख़िरी म्याद या'नी दस दिन तक रहकर बंद हो गया हो तो उसके शौहर को उससे सुहबत करना हलाल है गो उसने ग़ुस्ल न किया हो, वल्लाहु आ'लम!

हज़रत इब्ने अब्बास(رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि एक मर्तबा तो लफ़्ज़ है (यत्हुर्न) का इससे मुराद हैज़ का ख़ून बंद होता है और (ततहहर्न) से मुराद ग़ुस्ल करना है। हज़रत मुजाहिद, हज़रत इक्रिमा, हज़रत हसन, हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान, हज़रत लैस बिन सा'द (रह.) वग़ैरह भी यही फ़र्माते हैं। (इब्ने अबी हातिम : 2/628) फिर इर्शाद होता है उस जगह से आओ, जहाँ का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, मुराद इससे आगे की जगह है। (इब्ने अबी हातिम : 2/684) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) हज़रत मुजाहिद (رضي الله عنه) वग़ैरह बहुत से मुफ़स्सिरीन ने इसके यही मा'नी बयान किए हैं कि मुराद इससे बच्चों के पैदा होने की जगह है। इसके अलावा और जगह या'नी पाख़ाना की जगह जाना हराम है, ऐसा करने वाले हद से तजावुज़ करने वाले हैं। सहाबा और ताबेईन से यह भी मरवी है कि मतलब यह है कि जिस जगह से हालते हैज़ में तुम रोके गए थे अब वह जगह तुम्हारे लिए हलाल है। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि पाख़ाना की जगह में वती करना हराम है, इसका मुफ़स्सल बयान भी आ रहा है, इंशाअल्लाह! यह मा'नी भी किए गए हैं कि पाकीज़गी की हालत में आओ जबकि हैज़ से वह निकल आईं। इसीलिए उसके बाद के जुम्ले में है कि गुनाहों से तौबा करने वालों को, इस हालत में जिमाअ से बाज़ रहने वालों को अल्लाह तआला पसंद फ़र्माता है और गंदगियों और नापाकियों से बचने वालों, हैज़ की हालत में अपनी

बीवियों से न मिलने वालों, इसी तरह दूसरी जगह से महफ़ूज़ रहने वालों को भी परवरदिगार अपना महबूब बना लेता है। फिर फ़र्माया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं या'नी औलाद होने की जगह। तुम अपनी खेती में जैसे भी चाहो आओ, या'नी जगह वही एक हो, तरीक़ा ख़्वाह कोई हो, सामने करके या उसके ख़िलाफ़।

सहीह बुख़ारी में है कि यहूद कहते थे कि जब औरत से मुजामिअत सामने रुख़ से करके न की जाए और हमल ठहर जाए तो बच्चा भेंगा पैदा होता है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ..) : 4528; सहीह मुस्लिम : 1435) इनकी तर्दीद में यह जुम्ला नाज़िल हुआ कि आयत के नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इख़्तियार दिया कि ख़्वाह सामने से आए ख़्वाह पीछे की तरफ़ से लेकिन जगह एक ही रहेगी।(इब्ने अबी हातिम : 2/693; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 7/62) या'नी यह शवाहिद के साथ सहीह है।) एक और हदीस में है कि आपसे एक शख़्स ने पूछा कि हम अपनी औरतों के साथ कैसे आएँ और क्या छोड़ें? आपने फ़र्माया, वह तेरी खेती है जिस तरह चाह, आ, हाँ! उसके मुँह पर न मार, ज़्यादा बुरा न कह, उससे रूठकर अलग न हो जा, एक ही घर में रह, अल्ख़ (मुस्नद अहमद : 1/368; इसकी सनद में रुश्दीन बिन सा'द ज़ईफ़ रावी है जबकि इसका शाहिद अबूदाऊद : 2164 में मौजूद है लिहाज़ा यह रिवायत बशवाहिद हसन है। देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 4/237) तहावी की किताब मुश्किलुल हदीस में है कि एक शख़्स ने अपनी बीवी से उसे उल्टा-उल्टाकर मुबाशिरत की थी। लोगों ने उसे बुरा भला कहा, इसलिए यह आयत नाज़िल हुई।

इब्ने जरीर में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन साबित, हज़रत हफ़्सा बिन्ते अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (ؓ) के पास आए और कहा, मैं एक मसला पूछना चाहता हूँ लेकिन शर्म आती है। फ़र्माया, भतीजे! तुम न शर्माओ, और जो पूछना हो, पूछ लो। कहा, फ़र्माइए, औरतों के पीछे की तरफ़ से जिमाअ करना जाइज़ है? फ़र्माया, सुनो! मुझसे हज़रत उम्मे सलमा (ؓ) ने फ़र्माया है कि अंसार औरतों को उल्टा उल्टाया करते थे और यहूद कहते थे कि इस तरह से बच्चा भेंगा पैदा होता है। जब मुहाजिर मदीना शरीफ़ आए और यहाँ की औरतों से उनका निकाह हुआ और उन्होंने भी यही करना चाहा तो एक औरत ने अपने शौहर की यह बात न मानी और कहा, जब तक मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में यह वाक़िया बयान न कर लूँ, तेरी बात न मानूँगी। चुनाँचे वह दरबारे नबुव्वत में हाज़िर हुई। उम्मे सलमा (ؓ) ने बिठाया और कहा, अभी आँहज़रत (ﷺ) आ जाएँगे। जब आँहज़रत (ﷺ) आए तो अंसारिया औरत तो शर्मिन्दगी की वजह से न पूछ सकी और वापिस चली गई लेकिन माई साहिबा ने आपसे पूछा। आपने फ़र्माया, अंसारिया औरत को बुला लो। फिर यह आयत पढ़कर सुनाई और फ़र्माया, जगह एक ही हो। (अहमद : 6/305; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल बक़रह : 26-2979; वहुव सहीह)

मुस्नद अहमद में है कि एक मर्तबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ؓ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि हुज़ूर (ﷺ) मैं तो हलाक हो गया। आपने पूछा, क्या बात है। कहा मैंने रात को अपनी सवारी उल्टी कर दी। आपने कुछ जवाब न दिया। उसी वक़्त यह आयत नाज़िल हुई और आपने फ़र्माया, सामने से आया, पीछे से तुझे इख़्तियार है लेकिन हैज़ की हालत में न आ और पाख़ाना की जगह न आ। (अहमद : 1/297; तिर्मिज़ी, किताब

तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल बक़रह : 2980; व सनदुहू हसन) अंसारी वाला वाक़िया क़द्रे तफ़्सील के साथ भी मरवी है और इसमें यह भी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) को अल्लाह बख़्शे, उन्हें कुछ वहम सा हो गया, बात यह है कि अंसारियों की जमाअत पहले बुतपरस्त थी और यहूदी अहले किताब थे। बुतपरस्त लोग उनकी फ़ज़ीलत और इल्मियत के क़ाइल थे और अकसर काम में उनकी बात माना करते थे। यहूदी एक ही तरीक़े पर अपनी बीवियों से मिलते थे। यही आदत उन अंसारी की भी थी। उसके बरख़िलाफ़ मक्का वाले किसी ख़ास तरीक़े के पाबंद न थे, वह जिस तरह जी चाहता मिलते। इस्लाम के बाद मक्का वाले मुहाजिर बनकर मदीना में अंसार के यहाँ आकर जब आबाद हुए तो एक मक्की मुहाजिर मर्द ने एक मदनी अंसारिया औरत से निकाह किया और अपने मन भाते तरीक़े बरतने चाहे, औरत ने इंकार कर दिया और साफ़ कह दिया कि इसी एक मुक़र्रर तरीक़े के अलावा मैं इजाज़त नहीं देती। बात बढ़ते बढ़ते हुज़ूर (ﷺ) तक पहुँची और यह फ़र्मान नाज़िल हुआ। पस सामने से पीछे की तरफ़ से जिस तरह चाहे इख़्तियार है, हाँ! जगह एक ही हो। (अबूदाऊद, किताबुन निकाह , बाब फ़ी जामिउन् निकाह : 2164; व सनदुहू ज़ईफ़ इब्ने इस्हाक़ मुदल्लस अन्अन)

हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से कुरआन करीम सीखा, अव्वल से आख़िर तक उन्हें सुनाया, एक एक आयत की तफ़्सीर और मतलब पूछा, इस आयत पर पहुँचकर जब मैंने इसका मतलब पूछा तो उन्होंने यही बयान किया (जो ऊपर गुज़रा)। इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) का वहम यह था कि कुछ रिवायतों में है कि आप कुरआन पढ़ते हुए किसी से बोलते चालते न थे लेकिन एक दिन तिलावत करते हुए जब इस आयत तक पहुँचे तो अपने शागिर्द हज़रत नाफ़ेअ (रह.) से फ़र्माया, जानते हो, यह आयत किस बारे में नाज़िल हुई? उन्होंने कहा, नहीं! फ़र्माया, यह औरतों की दूसरी जगह की वती के बारे में उतरी है, एक रिवायत में है कि आपने फ़र्माया, एक शख़्स ने अपनी बीवी से पीछे से किया था जिस पर इस आयत में रुख़्सत नाज़िल हुई। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ....) : 4526, 4527)

लेकिन एक तो इसमें मुहद्दिसीन ने कुछ इल्लत भी बयान की है, दूसरा इसके मा'नी यह भी हो सकते हैं कि पीछे की तरफ़ से आगे की जगह में किया। और ऊपर की जो अहादीस हैं, वह भी सनदन सहीह नहीं बल्कि इन हीं हज़रत नाफ़ेअ (रह.) से मरवी है कि इनसे कहा गया कि क्या आप यह कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) ने वती दुबुर को जाइज़ किया है तो फ़र्माया, लोग झूठ कहते हैं। फिर वही अंसारिया औरत और मुहाजिर मर्द वाला वाक़िया बयान किया और फ़र्माया कि हज़रत अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) तो इस आयत का यही मतलब इर्शाद फ़र्माते थे। इस रिवायत की इस्नाद भी बिलकुल सहीह है और इसके ख़िलाफ़ की सनद सहीह नहीं। मा'नी मतलब भी और हो सकता है और ख़ुद हज़रत इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से इसके खिलाफ़ भी मरवी है। वह रिवायतें अन्क़रीब बयान होंगी, इंशाअल्लाह! जिनमें है कि हज़रत इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि न यह मुबाह है, न हलाल बल्कि हराम है।

गो ये क़ौल या'नी जवाज़ का कुछ फ़ुक़्हा-ए-मदीना वग़ैरह की तरफ़ भी मंसूब है और कुछ लोगों ने तो इसे इमाम मालिक (रह.) की तरफ़ भी मंसूब किया है लेकिन अकसर लोग इसका इंकार करते हैं और फ़र्माते हैं कि इमाम साहब (रह.) का क़ौल हर्गिज़ यह नहीं। सहीह रिवायत बकसरत इस फ़े'ल की हुर्मत पर वारिद हैं। एक रिवायत में है कि लोगों! शर्म व हया करो! अल्लाह तआला हक़ बात फ़र्माने से शर्म नहीं करता। औरतों के

पाख़ाना की जगह में वती न करो। (अल्ह सन बिन अरफ़ा व सनदुहू ज़ईफ़) दूसरी रिवायत में है कि आपने लोगों को इस हरकत से मना फ़र्माया। (अहमद : 5/215; इब्ने माजा, किताबुन् निकाह, बाब अन्नही अन इत्यानिन निसाअ फ़ी अदबारिहिन्न : 1924; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 2005) या'नी यह शवाहिद के साथ सहीह है।) और रिवायत में है कि जो शख़्स किसी औरत या मर्द के साथ यह काम करे अल्लाह तआला उसे रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। (तिर्मिज़ी, किताबुर्रिज़ाअ, बाब मा जाअ फ़ी कराहियति इत्यानिन निसाअ फ़ी अदबारिहिन्न : 1165; वहुव हसन) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से एक शख़्स यह मसला पूछता है तो आप फ़र्माते हैं कि क्या तू कुफ़्र करने की बाबत सवाल करता है? (अब्द बिन हुमैद व सनदुहू सहीह) एक शख़्स ने आपसे आकर कहा कि मैंने (अन्ना शि'तुम) का यह मतलब समझा और मैंने उस पर अमल किया तो आप बहुत नाराज़ हुए, उसे बुरा भला कहा और फ़र्माया कि मतलब यह है कि ख़्वाह खड़े होकर, ख़्वाह बैठकर, ख़्वाह चित्त, ख़्वाह पट, लेकिन जगह वही एक हो। एक और मरफ़ूअ हदीस में है कि जो शख़्स अपनी बीवी से पाख़ाना की जगह में वती करे वह छोटा लूती है। (अहमद : 2/210; व सनदुहू सहीह) हज़रत अबूदर्दा (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि यह कुफ़्फ़ार का काम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (ﷺ) का भी यही फ़र्मान मन्क़ूल है और यही ज़्यादा सहीह है, वल्लाहु आ'लम!

रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं , "सात क़िस्म के लोग हैं जिनकी तरफ़ अल्लाह तआला क़यामत के दिन नज़रे-रहमत से नहीं देखेगा और न ही उन्हें पाक करेगा और उनसे फ़र्माएगा कि जहन्नमियों के साथ जहन्नम में चले जाओ, एक तो अग़लामबाज़ी करने वाला, ख़्वाह वह ऊपर करने वाला (फ़ाइल) हो, ख़्वाह नीचे कराने वाला (मफ़ऊल) हो, और अपने हाथ से हाजत रवाई (मुश्तज़नी) करने वाला, और चौपाये जानवर से यह काम करने वाला, और औरत की दुबुर में वती करने वाला और औरत और उसकी बेटी से निकाह करने वाला और अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना करने वाला और हमसाया को तंग करने वाला यहाँ तक कि वह उस पर ला'नत करे।" (जा'फ़र फ़रयाबी व सनदुहू ज़ईफ़) लेकिन इसकी सनदुहू में इब्ने लहीआ और इनके उस्ताद दोनों ज़ईफ़ हैं। मुस्नद की एक और हदीस में है कि जो शख़्स अपनी बीवी से दूसरे रास्ते में वती करे उसको अल्लाह तआला नज़रे रहमत से नहीं देखता। (अहमद : 2/272; इब्ने माजा, किताबुन निकाह, बाब अन्नही अन इत्यानिन निसाअ फ़ी अदबारिहिन्न : 1923; अबूदाऊद : 2162; वहुव हसन)

मुस्नद अहमद और सुनन में मरवी है कि जो शख़्स हाइज़ा औरत से जिमाअ करे या ग़ैर जगह (दुबुर में) करे या काहिन के पास जाए और उसे सच्चा समझे उसने उस चीज़ के साथ कुफ़्र किया जो मुहम्मद (ﷺ) के ऊपर उतरी है। (अहमद : 2/408, 476; अबूदाऊद, किताबुत् तिब्ब, बाब फ़िल कोहान : 3904; तिर्मिज़ी : 135; इब्ने माजा : 639; वहुव हदीस हसन) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं कि इमाम बुख़ारी इस हदीस को ज़ईफ़ बतलाते हैं। तिर्मिज़ी में रिवायत है कि अबू सलमा (ﷺ) भी दुबुर की वती को हराम बताते थे। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़र्माते हैं लोगों का अपनी बीवी से यह काम करना कुफ़्र है। (नसाई) एक मरफ़ूअ हदीस भी इस मा'नी की मरवी है लेकिन ज़्यादा सहीह इसका मौक़ूफ़ होना ही है। रिवायत में है कि यह जगह हराम है। हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) भी यही फ़र्माते हैं। हज़रत अली (ﷺ) से जब यह बात पूछी गई तो आपने फ़र्माया, बड़ा कमीना है वह शख़्स, देखो क़ुरआन में है कि लूतियों से कहा गया तुम वह बदकारी करते हो जिसकी तरफ़ किसी

ने तुमसे पहले तवज्जह तक नहीं की। पस स़ह़ीह़ अह़ादीस से और स़ह़ाबा किराम (रजि.) से बहुत सी और सनदों से इस काम की हुर्मत मरवी है। यह भी याद रहे कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) भी इसे ह़राम ही कहते हैं। चुनाँचे दारमी में है कि आपसे एक मर्तबा यह सवाल हुआ तो आपने फ़र्माया, क्या मुसलमान भी ऐसा कर सकता है? (दारमी : 1147; व सनदुहू ह़सन स़ह़ीह़) इसकी इस्नाद स़ह़ीह़ है और हुक्म भी हुर्मत का स़ाफ़ है पस ग़ैर स़ह़ीह़ और मुख़्तलिफ़ मा'नी वाली रिवायतों में पड़कर इतने बड़े जलीलुल क़द्र स़ह़ाबी की त़रफ़ एक ऐसा गंदा मसला मंसूब करना ठीक नहीं, गो रिवायतें इस क़िस्म की भी मिलती हैं। रहे इमाम मालिक (रह़.) तो उनकी त़रफ़ भी इस मसला की निस्बत स़ह़ीह़ नहीं, बल्कि मा'मर बिन ईसा फ़र्माते हैं कि इमाम स़ाह़ब इसे ह़राम जानते थे। इस्राईल बिन रूह़ ने इमाम मालिक से एक मर्तबा यही सवाल किया तो आपने फ़र्माया, तुम बेसमझ हो, बुवाई खेत में ही होती है। ख़बरदार! शर्मगाह के सिवा और जगह से बचो। साइल ने कहा, ह़ज़रत लोग तो कहते हैं कि आप इस काम को जाइज़ कहते हैं। आपने फ़र्माया, झूठे हैं, मुझ पर तोहमत बाँधते हैं। इमाम मालिक (रह़.) से इसकी हुर्मत साबित है।

इमाम अबू ह़नीफ़ा, शाफ़ई, अह़मद (रह़.) और इनके शागिर्द और साथी, ह़ज़रत सईद बिन मुसय्यिब, ह़ज़रत अबू सलमा, ह़ज़रत इक्रिमा, ह़ज़रत त़ाउस, ह़ज़रत अ़त़ा, ह़ज़रत सईद बिन जुबेर, ह़ज़रत उ़र्वा बिन ज़ुबेर, ह़ज़रत मुजाहिद, ह़ज़रत ह़सन वग़ैरह सलफ़ स़ालेह़ीन (रह़.) सबके सब इसे ह़राम कहते हैं और इस बारे में सख़्त तशद्दुद करते हैं बल्कि कुछ तो इसे कुफ़्र कहते हैं। जुम्हूर उ़लमा-ए-किराम का भी इसकी हुर्मत पर इज्माअ़ है, गो कुछ लोगों ने फ़ुक़्ह-ए-मदीना बल्कि इमाम मालिक (रह़.) से भी इसकी ह़िल्लत नक़्ल की है लेकिन यह स़ह़ीह़ नहीं। अ़ब्दुर्रह़मान बिन क़ासिम (रह़.) का क़ौल है कि किसी दीनदार शख़्स को मैंने इसकी हुर्मत में शक करने वाला नहीं पाया, फिर (निसाउकुम ह़रसुल् लकुम) पढ़कर फ़र्माया, ख़ुद यह लफ़्ज़ ह़र्स ही इसकी हुर्मत ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है क्यों कि वह दूसरी जगह खेती की नहीं, खेती में जाने के त़रीक़े का इख़्तियार है न कि जगह बदलने का। गो इमाम मालिक (रह़.) से इसके मुबाह़ होने की भी रिवायतें मन्क़ूल हैं लेकिन इनकी इस्नादों में सख़्त ज़ुअ़फ़ है, वल्लाहु आ'लम!

ठीक इसी त़रह इमाम शाफ़ई (रह़.) से भी एक रिवायत लोगों ने गढ़ ली है। ह़ालाँकि उन्होंने अपनी छः किताबों में खुले लफ़्ज़ों में इसे ह़राम लिखा।

फिर फ़र्माता है अपने लिए कुछ आगे भी भेजो, या'नी मम्नूआ़त से बचो, नेकियाँ करो ताकि सवाब आगे जाए। अल्लाह से डरो, उससे मिलना है वह ह़िसाब-किताब लेगा, ईमानदार हर ह़ाल में ख़ुशियाँ मनाएँगे।

इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं यह भी मत़लब है कि जबकि जिमाअ़ का इरादा करे, यह दुआ पढ़े (بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان مارزقنا) या'नी "ऐ अल्लाह! तू हमें और हमारी औलाद को शैत़ान से बचा ले।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाब ... अ़ला कुल्लि ह़ाल व इन्दल वक़ाअ़ : 141; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1434) नबी (ﷺ) फ़र्माते हैं अगर इस जिमाअ़ से नुत़्फ़ा क़रार पकड़ लेगा तो उस बच्चे को शैत़ान हर्गिज़ कोई ज़रर न पहुँचा सकेगा।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا
كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

तर्जुमा : "और अल्लाह तआला को अपनी क़समों का निशाना न बनाओ कि भलाई और परहेज़गारी और लोगों के बीच की इस्लाह को छोड़ बैठो, और अल्लाह तआला सुनने वाला जानने वाला है। (224) अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी इन क़समों पर न पकड़ेगा जो पुख़्ता न हों। हाँ! उसकी पकड़ उस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का फ़े'ल हो। अल्लाह तआला बख़्शने वाला और बुर्दबार है।" (225)

क़सम और मुतअल्लिक़ा मसाइल (आयत 224, 225) : अल्लाह तआला फ़र्माता है कि नेकी और सिलह-रहमी के छोड़ने के लिए अल्लाह की क़समों को निशाना न बनाओ। जैसे और जगह है (وَ لَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ) अल्ख़ (24/नूर : 22) या'नी वह लोग जो कुशादा हाल और फ़ारिगुल बाल हैं, वह क़राबतदारों मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिज्रत करने वालों को कुछ न देने पर क़समें न खा बैठें, उन्हें चाहिए कि मा'फ़ करने और दरगुज़र करने की आदत डालें। क्या तुम्हारी अपनी ख़्वाहिश नहीं कि अल्लाह तुम्हें बख़्शे। ऐसी क़सम अगर कोई खा बैठे तो उसे चाहिए कि उसे तोड़ दे और कफ़्फ़ारा अदा कर दे। सहीह बुख़ारी में है कि हम पीछे आने वाले हैं लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे बढ़ने वाले हैं। फ़र्माते हैं कि तुममें से कोई ऐसी क़सम खा ले और कफ़्फ़ारा न अदा करे और उस पर अड़े रहे वह बड़ा गुनहगार है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान वन्नुज़ूर, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ....) 6624, 6625; सहीह मुस्लिम : 1655) यह हदीस और भी बहुत सी सनदों से बहुत सी किताबों में मरवी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) भी इस आयत की तफ़्सीर में यही फ़र्माते हैं। हज़रत मसरूक़ (रह.) वग़ैरह और बहुत से मुफ़स्सिरीन से भी यही मरवी है। इन जुम्हूर के इस क़ौल की ताईद इस हदीस से भी होती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "अल्लाह की क़सम! इंशाअल्लाह मैं अगर कोई क़सम खा बैठूँगा और उसके तोड़ने में मुझे भलाई नज़र आएगी तो मैं क़त्अन उसे तोड़ दूँगा और उस क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करूँगा।" (सहीह बुख़ारी, किताब फ़र्ज़ुल ख़ुम्स, बाब वमिन दलील अला अनिल ख़म्स लित्तवाइबिल मुस्लिमीन : 3133; सहीह मुस्लिम : 1649; अबूदाऊद : 2376; नसाई : 3811; इब्ने माजा : 2107) हुज़ूर (ﷺ) ने एक मर्तबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरह (رضی اللہ عنہ) से फ़र्माया, "ऐ अब्दुर्रहमान! सरदारी इमारत और इमामत की तलब न कर। अगर बग़ैर मांगे तू दिया जाएगा तो अल्लाह की जानिब से तेरी मदद की जाएगी और अगर

तूने आप मांग कर ली है तो तुझे उसकी तरफ़ सौंप दिया जाएगा, तू अगर कोई क़सम खा ले और उसके ख़िलाफ़ में भलाई देखे तो अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे और नेक काम को कर ले।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल कफ़्फ़ारातुल ऐमान, बाब अल्कफ़्फ़ारतु क़ब्लल हृसन व बा'दुहू : 6722; सहीह मुस्लिम : 6722; तिर्मिज़ी : 1529; अबूदाऊद : 3277; नसाई : 3713)

सहीह मुस्लिम में हदीस है कि जो शख़्स कोई क़सम खा ले फिर उसके सिवा ख़ूबी नज़र आए तो उसे चाहिए कि उस ख़ूबी वाले काम को कर ले और अपनी उस क़सम को तोड़ दे, और उसका कफ़्फ़ारा दे दे। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ऐमान, बाब नदबु मिन हलफ़ि यमीना : 1651; तिर्मिज़ी : 1530) मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि उसका छोड़ देना ही उसका कफ़्फ़ारा है। (अहमद : 2/185; मुस्नद तयालिसी : 3274; अबूदाऊद : 3274; वहुव हसन) अबूदाऊद में है नज़र और क़सम उस चीज़ में नहीं जो इंसान की मिल्कियत में न हो और न अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी में ही है और न रिश्तों नातों को तोड़ती हैं। जो शख़्स कोई क़सम खा ले और नेकी उसके करने में न हो तो वह क़सम को छोड़ दे और नेकी का काम कर ले। उस क़सम को छोड़ देना ही उसका कफ़्फ़ारा है। इमाम अबूदाऊद (रह.) फ़र्माते हैं कि तमाम सहीह अहादीस में यह लफ़्ज़ हैं कि अपनी ऐसी क़सम का कफ़्फ़ारा दे। (अबूदाऊद, किताबुल ऐमान वन्नुज़ूर, बाबुल यमीन फ़ी क़तीअतिर्रहम : 3274; नसाई : 3823; मुख़्तसर वहुव हसन) एक ज़ईफ़ हदीस में है कि अपनी ऐसी क़सम का पूरा करना यही है कि उसे तोड़ दे और उससे रुजूअ कर ले। (इब्ने जरीर व सनदुहू ज़ईफ़) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) सईद बिन मुसय्यब, मसरूक़ और शअबी (रह.) भी इसके क़ाइल हैं कि ऐसे शख़्स के ज़िम्मे कफ़्फ़ारा नहीं। फिर फ़र्माता है जो क़समें तुम्हारे मुँह से बग़ैर क़सद और इरादे के आदतन निकल जाएँ उन पर पकड़ नहीं।

बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि जो शख़्स लात व उज़्ज़ा की क़सम खा बैठे, वह ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ ले। (सहीह बुख़ारी, किताबुल ऐमान वन् नुज़ूर, बाब ला युहलफु बिल्लाति वल उज़्ज़ा : 6650; सहीह मुस्लिम : 1647; अबूदाऊद : 3247; तिर्मिज़ी : 1545) यह इर्शाद हुज़ूर का उन लोगों को हुआ था जो अभी-अभी इस्लाम लाए थे और जाहिलियत के ज़माने की क़समें उनकी ज़ुबानों पर चढ़ी हुई थीं तो उनसे फ़र्माया कि अगर आदतन कभी ऐसे शिर्किया अल्फ़ाज़ निकल जाएँ तो फ़ौरन कलिमा तौहीद पढ़ लिया करो ताकि बदला हो जाए। फिर फ़र्माता है, हाँ! जो क़समें पुख़्तगी के साथ दिल के इरादे के साथ क़सदन खाई जाएँ उन पर पकड़ है। दूसरी आयत के लफ़्ज़ (بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) (5/माइदा : 89) हैं। अबूदाऊद में बरिवायत हज़रत आइशा (رضي الله عنها) एक मरफ़ूअ हदीस मरवी है जो और रिवायतों में मौक़ूफ़ वारिद हुई है कि यह लग्व क़समें वह हैं जो इंसान अपने घरबार में बाल-बच्चों में कह दिया करता है कि हाँ! अल्लाह की क़सम और नहीं अल्लाह की क़सम! (अबूदाऊद, किताबुल ऐमान वन् नुज़ूर, बाब लग़्विल यमीन : 3254; अन आइशत मरफ़ूअन ; सहीह बुख़ारी : 6663; अन आइशत मौक़ूफ़न वहुवस्सवाब; देखिए (सहीह अबी दाऊद

: 2789) ग़र्ज़ बतौर तकिया कलाम के यह लफ़्ज़ निकल जाते हैं, दिल में उसकी पुख़्तगी का ख़्याल भी नहीं होता। हज़रत आइशा (رضي الله عنها) से यह भी मरवी है कि यह दो-दो क़समें हैं जो हंसी-हंसी में इंसान के मुँह से निकल जाती हैं उन पर कफ़्फ़ारा नहीं, हाँ! जो इरादे के साथ क़सम हो, फिर उसका ख़िलाफ़ करे तो कफ़्फ़ारा अदा करना पड़ेगा। आपके अलावा और भी कुछ सहाबा और ताबेईन ने यही तफ़्सीर बयान की है। यह भी मरवी है कि एक आदमी अपनी तहक़ीक़ पर भरोसा करके किसी मा'मला की निस्बत क़सम खा बैठे और हक़ीक़त में वह मा'मला यूँ न हो तो यह क़समें लग़्व हैं। यह मा'नी भी दीगर बहुत से हज़रात से मरवी हैं।

एक हसन हदीस में है जो मुर्सल है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) तीरअंदाजों की एक जमाअत के पास जाकर खड़े हो गए, वह तीरअंदाज़ी कर रहे थे और एक शख़्स कभी कहता था, अल्लाह की क़सम! इसका तीर निशाना पर लगेगा, कभी कहता था, अल्लाह की क़सम! यह ख़ता करेगा। आपके सहाबी ने कहा, देखिए हुज़ूर (ﷺ)! अगर इसकी क़सम के ख़िलाफ़ हो। आपने फ़र्माया, "यह क़समें लग़्व हैं, इन पर कफ़्फ़ारा नहीं, और न कोई सज़ा या अज़ाब है।" (तब्री : 4461; यह रिवायत मुर्सल है।) कुछ बुज़ुर्गों ने फ़र्माया है, यह वह क़समें हैं जो इंसान खा लेता है फिर ख़्याल नहीं रहता या कोई शख़्स अपने लिए किसी काम के न करने पर कोई बद्दुआ का कलिमा अपनी ज़ुबान से निकाल देता है वह भी लग़्व में दाख़िल है या ग़ुस्से में ग़ज़ब की हालत में बेसाख़्ता ज़ुबान से क़सम निकल जाए या हलाल को हराम या हराम को हलाल कर ले तो उसे चाहिए कि उन क़समों की परवाह न करे और अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ न करे। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब (रह.) से मरवी है कि अंसार के दो शख़्स जो आपस में भाई-भाई थे। उनके दरम्यान कुछ मीरास का माल था तो एक ने दूसरे से कहा, अब इस माल की तक़्सीम कर दो। दूसरे ने कहा, अगर अब तूने तक़्सीम करने की कही तो मेरा तमाम माल का'बा का ख़ज़ाना है। हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने यह वाक़िया सुनकर फ़र्माया कि का'बा ऐसे माल से ग़नी है, अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे और अपने भाई से बोल, चाल, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी रिश्ते नातों के काटने में है और जिस चीज़ की मिल्कियत न हो, उसमें न क़सम है, न नज़्र (मन्नत)। (अबूदाऊद, किताबुल ऐमान वन् नुज़ूर, बाबुल यमीन फ़ी क़तीअतिर्रहम : 3272; इसकी सनद हसन है।) फिर फ़र्माता है, तुम्हारे दिल जो करें, उस पर गिरफ़्त है या'नी अपने झूठ का इल्म हो और फिर क़सम खाए। जैसे और जगह है (وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ) (5/माइदा : 89) या'नी जो तुम मज़बूत और ताकीद वाली क़सम खा लो। अल्लाह तआला अपने बन्दों को बख़्शने वाला है और उन पर हिल्म व करम करने वाला है।

....

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

तर्जुमा : ''जो लोग अपनी बीवियों से क़समें खाएँ उनके लिए चार महीने की मुद्दत है, पस अगर वह लौट आए तो अल्लाह तआला भी बख़्शने वाला, मेहरबान है। (226) और अगर तलाक़ का ही क़सद कर लें तो अल्लाह तआला सुनने वाला जानने वाला है।'' (227)

ईला की मुद्दत और उसकी तफ़्सील (आयत 226, 227) : ईला कहते हैं क़सम को। अगर कोई शख़्स अपनी बीवी से मुजामिअत न करने की एक मुद्दत तक के लिए क़सम खा ले तो दो सूरतें हैं, या तो वह मुद्दत चार महीने से कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर कम हो तो वह मुद्दत पूरी करे और इस दरम्यान में औरत भी सब्र करे। उससे मुतालबा और सवाल नहीं कर सकती। फिर मियाँ बीवी आपस में मिलें जुलें, जैसे कि सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम की हदीस में है कि नबी (ﷺ) ने एक माह के लिए क़सम खा ली थी और उनत्तीस दिन पूरे अलग रहे और फ़र्माया, महीना उनत्तीस दिन का भी होता है। (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तलाक़, बाब फ़िल ईलाअ : 1475; सहीह बुख़ारी, अन उम्मे सलमा (رضي الله عنها) : 1910) और अगर चार महीने से ज़ाइद की मुद्दत के लिए क़सम खाई हो तो चार माह के बाद औरत को हक़ हासिल है कि वह तक़ाज़ा और मुतालबा करे कि या तो शौहर मेल मिलाप कर ले या तलाक़ दे दे, और हाकिम उस शौहर को इन दोनों बातों में से एक के करने पर मजबूर करेगा ताकि औरत को ज़रर न पहुँचे। यही बयान यहाँ हो रहा है कि जो लोग अपनी बीवियों से ईला करें या'नी उनसे मुजामिअत न करने की क़सम खाएँ। इससे मा'लूम होता है कि यह ईला ख़ास है बीवियों के लिए, लौण्डियों के लिए नहीं। यही मज़हब जुम्हूर उलमा-ए-किराम का है। यह लोग चार महीने तक तो आज़ाद हैं, उसके बाद उन्हें मजबूर किया जाएगा कि या तो वह अपनी बीवियों से मेल-मिलाप कर लें या तलाक़ दे दें। यह नहीं कि अब भी वह इसी तरह छोड़े रहे। फिर अगर वह लौट आए यह किनाया है, जिमाअकरने से तो अल्लाह तआला भी बख़्श देगा और जो तक़्सीर (कमी) औरत के हक़ में उनसे हुई है, उसे अपनी मेहरबानी से मा'फ़ फ़र्मा देगा। (तब्री : 4/466) इसमें दलील है उन उलमा की जो कहते हैं कि इस सूरत में शौहर के ज़िम्मे कोई कफ़्फ़ारा नहीं। इमाम शाफ़ई (रह.) का भी पहला क़ौल यही है। इसकी ताईद इस हदीस से भी होती है जो इससे पहली आयत की तफ़्सीर में गुज़र चुकी है कि क़सम खाने वाला अगर अपनी क़सम के तोड़ डालने में नेकी देखता हो तो तोड़ डाले यही इसका कफ़्फ़ारा है। और उलमा-ए-किराम की एक दूसरी जमाअत का यह मज़हब है कि इस क़सम का कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा। इसकी हदीसें भी ऊपर गुज़र चुकी हैं और जुम्हूर का मज़हब भी यही है, वल्लाहु आ'लम!

फिर फ़र्मान है कि अगर चार माह गुज़र जाने के बाद वह तलाक़ देने का क़सद करे, इससे साबित होता है कि चार महीने गुज़रते ही तलाक़ वाक़ेअ नहीं होगी। जुम्हूर मुताख़िरीन का यही मज़हब है गो एक दूसरी जमाअत यह भी कहती हैं कि अगर जिमाअ किए बग़ैर चार महीने गुज़र गए तो तलाक़ वाक़ेअ हो जाएगी। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत इब्ने अब्बास, इब्ने उमर, ज़ेद बिन साबित (رضي الله عنهم) और कुछ ताबेईन से भी यही मरवी है। (लेकिन यह याद रहे कि राजेह क़ौल और क़ुरआन करीम के अल्फ़ाज़ सहीह हदीस से साबितशुदा क़ौल

यही है कि तलाक़ वाक़ेअ न होगी, मुतर्जिम) फिर कुछ तो कहते हैं यह तलाक़ रजई होगी। कुछ कहते हैं बाइन होगी। जो लोग तलाक़ वाक़ेअ होने के क़ाइल हैं वह फ़र्माते हैं कि इसके बाद उसे इद्दत भी गुज़ारनी पड़ेगी। हाँ! इब्ने अब्बास (रज़ि.) और अबुल शअ़शाअ़ फ़र्माते हैं कि अगर इन महीनों में उस औरत को तीन हैज़ आ गए हैं तो उस पर इद्दत भी नहीं। इमाम शाफ़ई (रह.) का भी क़ौल यही है लेकिन जुम्हूर मुताख़िरीन उलमा का फ़र्मान यही है कि उस मुद्दत के गुज़रते ही तलाक़ वाक़ेअ न होगी। बल्कि अब ईलाअ करने वाले को तंग किया जाएगा या तो वह अपनी क़सम को तोड़े या फिर तलाक़ दे दे। मुअत्ता इमाम मालिक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से यह मरवी है (मुअत्ता इमाम मालिक (रह.) किताबुत्तलाक़, बाबुल ईला 18 और इसकी सनद सही है) सही बुख़ारी में भी यह रिवायत मौजूद है (सही बुख़ारी किताबुत्तलाक़ बाबो कौलिल्लाहि तआला लिल्लज़ीन यूलुन..) इमाम शाफ़ई (रह.) अपनी सनद से हज़रत सुलेमान बिन यसार (रह.) से रिवायत करते हैं कि मैंने दस से ज़्यादा सहाबा से सुना, वह कहते थे कि चार माह के बाद ईलाअ करने वाले को खड़ा किया जाएगा। पस कम से कम यह तेरह सहाबी हो गए। हज़रत अली (रज़ि.) से भी यही मन्क़ूल है। इमाम शाफ़ई (रह.) फ़र्माते हैं, हमारा मज़हब भी यही है। और हज़रत उमर, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.), हज़रत आइशा (रज़ि.), हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) और दस से ऊपर ऊपर दूसरे सहाबा किराम (रज़ि.) से भी यही मरवी है। दारे कुत्नी में है, हज़रत अबू सालेह फ़र्माते हैं, मैंने बारह सहाबा से यह मसला पूछा तो सबने यही जवाब दिया, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.), उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.), हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) भी यही फ़र्माते हैं, और ताबेईन में से हज़रत सईद बिन मुसय्यिब, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत मुजाहिद, हज़रत ताउस, हज़रत मुहम्मद बिन का'ब, हज़रत क़ासिम (रह.) का भी यही क़ौल है। और हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़ई, हज़रत इमाम अहमद (रह.) और उनके साथियों का भी यही मज़हब है। इमाम इब्ने जरीर भी इसी क़ौल को पसंद करते हैं। लैस, इस्हाक़, इब्ने राहवे, अबू उबेद, अबू सौर, दाऊद (रह.) वग़ैरह भी यही फ़र्माते हैं। यह सब हज़रात फ़र्माते हैं कि अगर चार माह के बाद वह रुजूअ न करे तो उसे तलाक़ देने पर मजबूर किया जाएगा। अगर तलाक़ न दे तो हाकिम ख़ुद उसकी तरफ़ से तलाक़ दे देगा और यह तलाक़ रजई होगी, इद्दत के अंदर रुज्अत (लौटाने) का हक़ शौहर को हासिल है। हाँ! सिर्फ़ इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं कि इसे रज्अत जाइज़ नहीं यहाँ तक कि इद्दत में जिमाअ करे लेकिन यह क़ौल निहायत ही ग़रीब है।

यहाँ जो चार महीने की ताख़ीर की इजाज़त दी है उसकी मुनासिबत में मुअत्ता इमाम मालिक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन दीनार (रह.) की रिवायत से हज़रत उमर (रज़ि.) का एक वाक़िया उमूमन फुक़्हा-ए-किराम ज़िक्र किया करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) उमूमन रातों को मदीना की गलियों में गश्त लगाते रहते, एक रात को निकले तो आपने सुना कि एक औरत अपने सफ़र में गए हुए शौहर की याद में कुछ अश्आर पढ़ रही है जिनका तर्जुमा यह है "अफ़सोस! इन काली-काली और लम्बी रातों में मेरा शौहर नहीं जिससे मैं हँसूँ बोलूँ। क़सम अल्लाह की! अगर अल्लाह का डर न होवा तो इस वक़्त इस पलंग के पाये हरकत में होते।" आप अपनी साहबज़ादी उम्मुल मो'मिनीन हज़रत हफ़्सा (रजि.) के पास आए और फ़र्माया, बताओ ज़्यादा से ज़्यादा औरत अपने शौहर की जुदाई पर कितनी मुद्दत सब्र कर सकती है? फ़र्माया, छः महीने या चार महीने। आपने फ़र्माया, अब मैं हुक्म जारी कर दूँगा कि मुसलमान मुजाहिद सफ़र में इससे ज़्यादा न ठहरे। कुछ में कुछ ज़्यादती भी है और इसकी बहुत सी सनदें हैं और यह वाक़िया मशहूर है।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ۭ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۭ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

तर्जुमा : ''तलाक़ वाली औरतें अपने तईं तीन हैज़ तक रोके रखें, उन्हें हलाल नहीं कि अल्लाह ने उनके रहम में जो पैदा किया हो, उसे छुपाएँ अगर उन्हें अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो। उनके शौहर उस मुद्दत में उन्हें लौटा लेने के पूरे हक़दार हैं अगर उनका इरादा इस्लाह का हो। औरतों के भी इसी मिस्ल हक़ है जैसे उन पर हैं, अच्छाई के साथ, हाँ! मर्दों के उन पर बड़े दर्जे हैं और अल्लाह तआला ग़ालिब है, हिक्मत वाला।'' (228)

तलाक़ और इद्दत के मसाइल (आयत : 228) : उन औरतों को जो शौहरों से मिल चुकी हों और बालिग़ा हों, हुक्म हो रहा है कि तलाक़ के बाद तीन हैज़ तक रुकी रहें, फिर अगर चाहें तो अपना दूसरा निकाह कर सकती हैं। हाँ! चारों इमाम ने इसमें से लौण्डी को मख़्सूस कर दिया है, वह दो हैज़ ईद्दत गुज़ारे। क्योंकि लौण्डी इन मा'मलात में आज़ाद औरत से आधे पर है लेकिन हैज़ की मुद्दत आधे पर तक़्सीम नहीं हो सकती इसलिए वह दो हैज़ गुज़ारे। एक हदीस में भी है कि लौण्डी के लिए तलाक़ें भी दो हैं और उसकी इद्दत भी दो हैज़ हैं। (इब्ने जरीर) लेकिन इसके रावी मुज़ाहिर ज़ईफ़ है। यह हदीस तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, और इब्ने माजा में भी है। (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब फ़ी सुन्नति तलाक़िल अबदि : 2189; और उसकी सनद ज़ईफ़ है; तिर्मिज़ी : 1182; इब्ने माजा : 2080) इमाम हाफ़िज़ दारे कुत्नी (रह.) फ़र्माते हैं कि सहीह बात यह है कि हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद (रह) का अपना क़ौल है। लेकिन हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से यह रिवायत मरफ़ूअ मरवी है। (इब्ने माजा : 2079; और उसकी सनद ज़ईफ़ है।) गो इसकी निस्बत भी इमाम दारे कुत्नी (रह.) यही फ़र्माते हैं कि यह हज़रत अब्दुल्लाह का अपना क़ौल ही है। इसी तरह ख़ुद ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) से भी मरवी है। (इब्ने माजा, किताबुत्तलाक़, बाब फ़ी तलाक़िल अमति व इद्दतिहा : 2079; इसकी सनद में अतिया ऊफ़ी मजरूह (अत्तक़रीब : 2/24; रक़म : 216) और उमर बिन शबीब लीन है। (अल्मीज़ान : 3/204; रक़म : 6136) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) बल्कि सहाबा (رضي الله عنهم) में इस मसला में इख़्तिलाफ़ ही न था। हाँ! कुछ सलफ़ से यह भी मरवी है कि इद्दत के बारे में आज़ाद और लौण्डी बराबर है क्योंकि आयत अपनी उमूमियत के लिहाज़ से दोनों को शामिल है और इसलिए भी कि यह फ़ित्री

अम्र है। लौण्डी और आज़ाद औरत इसमें यक्साँ हैं, मुहम्मद बिन सीरीन (रह़.) और कुछ अहले ज़ाहिर का यही क़ौल है लेकिन यह ज़ईफ़ है। इब्ने अबी ह़ातिम की एक ग़रीब सनद वाली रिवायत में है कि ह़ज़रत अस्मा (رضي الله عنها) बिन्ते यज़ीद बिन सकन अंसारिया के बारे में यह आयत नाज़िल हुई है। इससे पहले त़लाक़ की इ़द्दत न थी सबसे पहले इ़द्दत का हुक्म इन ही की त़लाक़ के बाद नाज़िल हुआ। (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब इ़द्दतुल मुत़ल्लक़ा : 2281; इसकी सनद ह़सन है।)

क़ुरूअ की वज़ाह़त : क़ुरूअ के मा'नी में सलफ़ ख़ल्फ़ का बराबर इख़्तिलाफ़ रहा है। एक क़ौल तो यह है कि इससे मुराद त़ोहर या'नी पाकी है। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) का यही फ़र्मान है। चुनाँचे उन्होंने अपने भाई ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान की बेटी ह़फ़्सा को जबकि वह तीन त़ोहर गुज़ार चुकीं और तीसरा ह़ैज़ शुरू हुआ तो हुक्म दिया कि वह मकान बदल लें। ह़ज़रत उ़र्वा (रह़.) ने जब यह रिवायत बयान की तो ह़ज़रत अ़म्र (رضي الله عنها) ने जो स़िद्दीक़ा (رضي الله عنها) की दूसरी भतीजी हैं, इस वाक़िया की तस्दीक़ की और फ़र्माया कि, लोगों ने ह़ज़रत स़िद्दीक़ा (رضي الله عنها) पर ए'तिराज़ भी किया तो आपने फ़र्माया, क़ुरूअ से मुराद त़ोहर है। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुत् त़लाक़, बाब मा जाअ फ़िल अक़्राअ.... : 54; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; अज़्ज़ुहरी अ़न्अन) बल्कि मुअत्ता में अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रह़मान (रह़.) का तो यह क़ौल भी मरवी है कि मैंने समझदार उ़लमा फ़ुक़्हा को क़ुरूअ की तफ़्सीर त़ोहर से ही करते सुना है। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुत् त़लाक़, बाब मा जाअ फ़िल अक़्राअ : 55; और इसकी सनद स़ह़ीह़ है) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنهما) भी यही फ़र्माते हैं कि जब तीसरा ह़ैज़ शुरू हुआ तो यह अपने शौहर से बरी हो गईं और शोहर उससे अलग हुआ। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुत् त़लाक़, बाब मा जाअ फ़िल अक़्राअ.... : 58; और इसकी सनद स़ह़ीह़ है) इमाम मालिक (रह़.) फ़र्माते हैं हमारे नज़दीक भी मुतह़क़्क़क़ अम्र यही है। इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنهما), ज़ेद बिन साबित (رضي الله عنه), सालिम, क़ासिम, उ़र्वा, सुलेमान बिन यसार, अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रह़मान, अबान बिन उ़स्मान, अ़त़ा बिन अबी रिबाह़, क़तादा, ज़ुहरी (रह़.) और बाक़ी सातों फ़ुक़्हा का भी यही क़ौल है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई (रह़.) का भी यही मज़हब है। दाऊद और अबू सौर (रह़.) भी यही फ़र्माते हैं। इमाम अह़मद (रह़.) से भी एक रिवायत इसी त़रह़ की मरवी है। इसकी दलील उन बुज़ुर्गों ने क़ुरआन की इस आयत से भी निकाली है कि (फ़त़ल्लिक़ूहुन्न लि इ़द्दतिहिन्न) या'नी उन्हें इ़द्दत में त़लाक़ दो, या'नी त़ोहर में पाकीज़गी की ह़ालत में। चूँकि जिस त़ोहर में त़लाक दी जाती है वह भी गिनती में आता है।

इससे मा'लूम हुआ कि मुंदर्जा बाला आयत में भी क़ुरूअ से मुराद ह़ैज़ के सिवा या'नी पाकी की ह़ालत है। इसीलिए यह ह़ज़रात फ़र्माते हैं कि जहाँ तीसरा ह़ैज़ शुरू हुआ औरत अपने शौहर की इ़द्दत से बाहर हो गई, और उसकी कम से कम मुद्दत जिसमें अगर औरत कहे कि उसे तीसरा ह़ैज़ शुरू हो गया है तो उसे सच्चा समझा जाए वह बत्तीस दिन और दो लह़ज़ा में हैं। अ़रब शायरों के शेअ़र में भी यह लफ़्ज़ त़ोहर के मा'नी में मुस्त'मिल हुआ है। दूसरा क़ौल यह है कि इससे मुराद तीन ह़ैज़ हैं और जब तक तीसरे ह़ैज़ से पाक न हो ले तब तक वह इ़द्दत में ही है। कुछ ने ग़ुस्ल कर लेने तक कहा है और इसकी कम से कम मुद्दत तैंतीस दिन और

एक लहज़ा है। इसकी दलील में एक तो हज़रत उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) का यह फ़ैसला है कि उनके पास एक मुतल्लक़ा औरत आई और कहा कि मेरे शौहर ने मुझे एक या दो तलाक़ें दी थीं फिर वह मेरे पास उस वक़्त आया जबकि मैं अपने कपड़े उतारकर दरवाज़ा बंद किए हुए थी (या'नी तीसरे हैज़ से नहाने की तैयारी में थी) तो फ़र्माईए, क्या हुक्म है या'नी रुजूअ हो जाएगा या नहीं? आपने फ़र्माया, मेरा ख़्याल तो यही है कि रुजूअ हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) ने इसकी ताईद की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अबू दर्दा, हज़रत उबादा बिन सामित, हज़रत अनस बिल मालिक, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत मुआज़, हज़रत उबय बिन का'ब, हज़रत अबू मूसा अशअरी, हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी यही मरवी है। सईद बिन मुसय्यिब, अल्क़मा, अस्वद, इब्राहीम, मुजाहिद, ताउस, सईद बिन जुबेर, इक्रमा, मुहम्मद बिन सीरीन, हसन, क़तादा, शअबी, रबीअ, मुक़ातिल बिन हय्यान, सुदी, मक्हूल, ज़हहाक, अता ख़ुरासानी (रह.) भी यही फ़र्माते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके अस्हाब का भी यही मज़हब है।

इमाम अहमद (रह.) से सहीह रिवायत में यही मरवी है। आप फ़र्माते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के बड़े-बड़े सहाबा किराम (رضي الله عنه) से यही मरवी है, सौरी, ओज़ाई, इब्ने अबी लेला, इब्ने शुर्मा, हसन बिन सालेह, अबू उबेद और इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) का क़ौल भी यही है। एक हदीस में भी है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (رضي الله عنها) से फ़र्माया था, "नमाज़ को अपने अक़्राअ के दिनों में छोड़ दो। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फ़िल मरअति तस्तहाज़....: 280; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; नसाई : 358; इब्ने माजा : 620; मुंज़िर बिन मुग़ीरह मज्हूलुल हाल रावी है।) पस मा'लूम हुआ कि क़ुरूअ से मुराद हैज़ है लेकिन इस हदीस का एक रावी मुंज़िर मज्हूल है, जो मशहूर नहीं। हाँ! इब्ने हय्यान (रह.) इसे सिक़ह बताते हैं। इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं लुग़त में क़ुरूअ कहते हैं हर उस चीज़ के आने और जाने के वक़्त को जिसके आने जाने का वक़्त मुक़र्रर हो। इससे मा'लूम होता है कि इस लफ़्ज़ के दोनों मा'नी हैं। हैज़ के भी और तोहर के भी, और कुछ उसूली हज़रात का यही मसलक है, वल्लाहु आ'लम! अस्मई भी फ़र्माते हैं कि क़रअ कहते हैं वक़्त को। अबू अम्र बिन अलाअ कहते हैं अरब में हैज़ को और तोहर दोनों को क़रअ कहते हैं। अबू उमर बिन अब्दुल बर का क़ौल है कि ज़ुबाने अरब के माहिर और फ़ुक़्हा का इसमें इख़्तिलाफ़ ही नहीं कि तोहर और हैज़ दोनों मा'नी क़रअ के हैं। हाँ! इस आयत के मा'नी मुक़र्रर करने में एक जमाअत इस तरफ़ गई और दूसरी इस तरफ़ (मुतर्जिम की तहक़ीक़ में भी क़रअ से मुराद यहाँ हैज़ लेना ही बेहतर है)। फिर फ़र्माया, इनके रहम में जो हो उसका छुपाना हलाल नहीं, या'नी हमल हो तो और हैज़ आए तो। फिर फ़र्माता है अगर उन्हें अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान हो। इसमें उन्हें धमकाया जा रहा है कि ख़िलाफ़े-हक़ न कहें और इससे मा'लूम होता है कि इस ख़बर में इनकी बात का ए'तिबार किया जाएगा क्योंकि इस पर कोई बेरूनी शहादत क़ायम नहीं की जा सकती। इसलिए इन्हें होशियार कर दिया गया कि इद्दत से जल्द निकल जाने के लिए हैज़ न आया हो और कह न दें कि उन्हें हैज़ आ गया या इद्दत को बढ़ाने के लिए (हैज़) आया हो और उसे छुपा न लें, इसी तरह हमल की

भी ख़बर कर दें। फिर फ़र्माया कि इद्दत के अंदर उस शौहर को जिसने तलाक़ दी है, लौटा लेने का पूरा हक़ हासिल है जबकि तलाक़े रज्ई हो या'नी एक तलाक़ के बाद भी और दो तलाक़ों के बाद भी। बाक़ी रही तलाक़े बाइन या'नी तीन तलाक़ें जब हो जाएँ तो याद रहे कि जब यह आयत उतरी है तब तक तलाक़ बाइन थी ही नहीं बल्कि उस वक़्त तक तो चाहे सो तलाक़ें हो जाएँ, सब रज्ई ही थीं। तलाक़ बाइन तो फिर इस्लाम के अहकाम में आई कि तीन अगर हो जाएँ तो अब रज्अत का हक़ नहीं रहेगा। जब यह बात ख़्याल में रहेगी तो उलमा-ए-उसूल के इस क़ायदे का ज़ुअफ़ भी मा'लूम हो जाएगा, ज़मीर के लौट आने से पहले की आम लफ़्ज़ की ख़ुसूसियत हो जाती है या नहीं! इसलिए कि इस आयत के वक़्त दूसरी शक्ल नहीं थी। तलाक़ की एक ही सूरत थी, वल्लाहु आ'लम!

मियाँ-बीवी के एक दूसरे पर हुक़ूक़ : फिर फ़र्माता है कि जैसे उन औरतों पर मर्दों के हुक़ूक़ हैं, वैसे ही उन औरतों के मर्दों पर भी हुक़ूक़ हैं, हर एक को दूसरे का पास व लिहाज़ उम्दगी से रखना चाहिए। सहीह मुस्लिम में हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल वदाअ के अपने ख़ुत्बे मे फ़र्माया, ''लोगों! औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहो। तुमने अल्लाह की अमानत से उन्हें लिया है और अल्लाह के कलि मे से उनकी शर्मगाहों को अपने लिए हलाल किया है। औरतों पर तुम्हारा यह हक़ है कि वह तुम्हारे फ़र्श पर किसी ऐसे को न आने दे जिससे तुम नाराज़ हो। अगर वह ऐसा करें तो उन्हें मारो लेकिन ऐसी मार न हो कि ज़ाहिर हो। उनका तुम पर यह हक़ है कि उन्हें अपनी बिसात के मुताबिक़ खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, ओढ़ाओ।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब हज्जतुन नबी (ﷺ) : 1218) एक शख़्स ने हुज़ूर (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि हमारी औरतों के हम पर क्या हक़ हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ, उसके चेहरे पर न मारो, उसे गालियाँ न दो, उससे रूठकर और कहीं न भेज दो, हाँ! घर में ही रखो।'' (अबूदाऊद, किताबुन निकाह, बाब फ़ी हक़्क़िल मर्अति अला ज़ोजिहा : 2142; इब्ने माजा : 1850; इसकी सनद सहीह है।) इसी आयत को पढ़कर हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़र्माया करते थे कि मैं पसंद करता हूँ कि अपनी बीवी को ख़ुश करने के लिए मैं भी अपनी ज़ीनत करूँ जिस तरह वह मुझे ख़ुश करने के लिए अपना बनाव सिंगार करती है। (तबरी : 4/532; इब्ने अबी हातिम : 2/750) फिर फ़र्माया कि मर्दों को उन पर फ़ज़ीलत है, जिस्मानी हैसियत से भी, अख़्लाक़ी हैसियत से भी, मर्तबा की हैसियत से भी, हुक्मरानी की हैसियत से भी, ख़र्च अख़राजात की हैसियत से भी, देखभाल और निगरानी की हैसियत से भी। ग़र्ज़ दुनिया और आख़िरत की फ़ज़ीलत के हर ए'तिबार से। जैसे और जगह है (اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ...) अल्ख़ 4/निसाअ : 34) या'नी मर्द औरतों के सरदार हैं। अल्लाह तआला ने एक को एक पर फ़ज़ीलत दे रखी है और इसलिए भी कि यह माल ख़र्च करते हैं। फिर फ़र्माया, अल्लाह तआला अपने नाफ़र्मानों से बदला लेने पर ग़ालिब है और अपने अहकाम में हिक्मत वाला है।

....

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ اَنۡ
تَاۡخُذُوۡا مِمَّاۤ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ شَيۡـًٔا اِلَّاۤ اَنۡ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا يُقِيۡمَا
حُدُوۡدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيۡمَا افۡتَدَتۡ بِهٖ ؕ تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ فَلَا تَعۡتَدُوۡهَا ۚ
وَمَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۲۲۹﴾ فَاِنۡ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنۡ
بَعۡدُ حَتّٰى تَنۡكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهٗ ؕ فَاِنۡ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۤ اَنۡ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنۡ ظَنَّاۤ
اَنۡ يُّقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۳۰﴾

तर्जुमा : ''यह तलाक़ें दो मर्तबा हैं फिर या तो अच्छाई से रोकना है या उम्दगी के साथ छोड़ देना है, और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने उन्हें जो दे दिया हो उसमें से कुछ भी लो हाँ! यह और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें क़ायम न रख सकने का डर हो, पस अगर तुम्हें डर हो कि यह दोनों अल्लाह की हदें क़ायम न रख सकेंगे तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे डाले, उसमें दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। यह हैं हदें अल्लाह की, ख़बरदार! इनसे आगे न बढ़ना और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज़ कर जाएँ, वह ज़ालिम हैं। (229) फिर अगर उसको तलाक़ दे दो तो अब उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वह औरत उसके सिवा दूसरे से निकाह न कर ले। फिर अगर वह भी तलाक़ दे दे तो उन दोनों को मेल-जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं बशर्तेकि यह जान लें कि अल्लाह की हदों को क़ायम रख सकेंगे। यह हैं अल्लाह तआला की हदें, जिन्हें वह जानने वालों के लिए बयान फ़र्मा रहा है।'' (230)

तलाक़ के मुतअल्लिक़ कुछ मसाइल (आयत 229, 230) : इस्लाम से पहले यह दस्तूर था कि शौहर जितनी चाहे तलाक़ें देता चला जाए और इद्दत में रुजूअ करता जाए। इससे औरतों की जान शिकन्जे में थी कि तलाक़ दी और इद्दत गुज़रने के क़रीब आई, रुजूअ कर लिया, फिर तलाक़ दे दी, इसी तरह औरतों को तंग करते रहते थे, पस इस्लाम ने हदबंदी कर दी कि इस तरह की तलाकें सिर्फ़ दो ही दे सकते हैं, तीसरी तलाक़ के बाद लौटाने का कोई हक़ नहीं रहेगा।

सुनन अबू दाऊद में बाब है कि तीन तलाक़ों के बाद मुराजिअत मंसूख़ है, फिर यह रिवायत लाए हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) यही फ़र्माते हैं। (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब नस्ख़ुल मुराजिअत बा'दत् तत्लीक़ातुस्सलास : 2195; नसाई : 3584; इसकी सनद हसन है।) इब्ने अबी हातिम में है कि एक शख़्स ने

अपनी बीवी से कहा कि न तो मैं तुझे बसाऊँगा, न छोड़ूँगा। उसने कहा, यह किस तरह? कहा तलाक़ दे दूँगा और जब इद्दत ख़त्म होने का वक़्त आएगा तो रुजूअ कर लूँगा, फिर तलाक़ दे दूँगा, फिर इद्दत ख़त्म होने से पहले रुजूअ कर लूँगा, यूँ ही करता चला जाऊँगा। वह औरत हुज़ूर (ﷺ) के पास आई और अपना यह दुखड़ा सुनाकर रोने लगी। इस पर यह आयते मुबारका नाज़िल हुई। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे मुर्सल सहीह क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 2/162) या'नी यह रिवायत ज़ईफ़ है।)

एक और रिवायत में है कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद अब लोगों ने नए सिरे से तलाक़ों का ख़्याल रखना शुरू किया और वह संभल गए। (तिर्मिज़ी, किताबुत् तलाक़, बाब रक़म : 16; ह : 1192; और वह हसन है।) और तीसरी तलाक़ के बाद उसे शौहर को लौटा लेने का कोई हक़ हासिल न रहा और फ़र्मा दिया गया कि दो तलाक़ों तक तो तुम्हें इख़्तियार है कि इस्लाह की निय्यत से अपनी बीवी को लौटा लो अगर वह इद्दत के अन्दर है और ये भी इख़्तियार है कि न लौटाओ और इद्दत गुज़र जाने दो ताकि दूसरे से निकाह करने के क़ाबिल हो जाए, और अगर तीसरी तलाक़ देना चाहते हो तो भी एहसान व सलूक के साथ तलाक़ दो, न उसका कोई हक़ मारो, न उस पर कोई ज़ुल्म करो, न उसे ज़रर पहुँचाओ।

ख़ुला' के मसाइल : एक शख़्स ने हुज़ूर (ﷺ) से सवाल किया कि दो तलाकें तो इस आयत में बयान हो चुकी हैं, तीसरी का ज़िक्र कहाँ है? आपने फ़र्माया, (اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ) में। जब तीसरी तलाक़ का इरादा करो तो औरत को तंग करना, उस पर सख़्ती करना ताकि वह अपना हक़ छोड़कर तलाक़ पर आमदगी ज़ाहिर करे, यह मर्दों पर हराम है। जैसे और जगह है (وَ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ) (4/निसाअ : 19) या'नी ''औरतों को तंग न करो ताकि उन्हें दिए हुए में से कुछ ले लो, हाँ! यह और बात है कि औरत अपनी ख़ुशी से कुछ देकर तलाक़ तलब करे।'' जैसे फ़र्माया (فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓئًا مَّرِيْٓئًا) (4/निसाअ : 4) या'नी ''अगर औरतें अपनी राज़ी-ख़ुशी से कुछ छोड़ दें तो बेशक वह तुम्हारे लिए हलाल तय्यब है।'' और जब मियाँ-बीवी में नाइत्तिफ़ाक़ी बढ़ जाए औरत उससे ख़ुश न हो और शौहर के हुक़ूक़ पूरे न करती हो तो ऐसी सूरत में वह कुछ ले देकर अपने शौहर से तलाक़ हासिल कर ले, तो शौहर के देने और औरत के लेने में कोई गुनाह नहीं। यह भी याद रहे कि अगर औरत बिला वजह अपने शौहर से ख़ुला' तलब करती है तो वह सख़्त गुनाहगार है। चुनाँचे तिर्मिज़ी वग़ैरह में हदीस है कि जो औरत अपने शौहर से बिला वजह तलाक़ तलब करे तो उस पर जन्नत की ख़ुश्बू हराम है।'' (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब फ़िल ख़ुला' : 2226; तिर्मिज़ी, किताबुत्तलाक़, बाब मा जाअ फ़िल मुख़्तलिआत : 1187; इब्ने माजा, किताबुत्तलाक़, बाब कराहियतुल ख़ुला' लिल मर्अति : 2055; और यह सहीह है।) और रिवायत में है कि हालाँकि जन्नत की ख़ुश्बू चालीस साल की दूरी से आती है। (इब्ने माजा, किताबुत्तलाक़, बाब कराहयतुल ख़ुला' लिल मर्अति : 2055; इसकी सनद सहीह है।) और रिवायत में है कि ऐसी औरतें मुनाफ़िक़ा हैं।'' (तिर्मिज़ी, किताबुत्तलाक़, बाब मा जाअ फ़िल मुख़्तलिआत : 1186; और वह सहीह है।) अइम्म-ए-सलफ़ व ख़ल्फ़ की एक बड़ी जमाअत का फ़र्मान है कि ख़ुला' सिर्फ़ उसी सूरत में है कि नाफ़र्मानी और सरकशी औरत की तरफ़ से हो, उस वक़्त मर्द फ़िदया लेकर उस औरत को अलग कर सकता है। जैसे कि

कुरआन की इस आयत में है, इसके सिवा किसी सूरत में यह जाइज़ नहीं बल्कि हज़रत इमाम मालिक (रह.) तो फ़र्माते हैं कि अगर औरत को तक्लीफ़ पहुँचाकर उसके हक़ में कमी करके अगर उसे मजबूर किया गया और उससे कुछ माल वापिस लिया गया तो उसका लौटा देना वाजिब है। इमाम शाफ़ई (रह.) फ़र्माते हैं कि जब हालते इख़्तिलाफ़ में जाइज़ है तो हालते इत्तिफ़ाक़ में बतौर औला जाइज़ ठहरेगा। बक्र बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, सिरे से ख़ुला' मंसूख़ है क्योंकि कुरआन में है (...وَّ اٰتَيۡتُمۡ اِحۡدٰهُنَّ قِنۡطَارًا فَلَا تَاۡخُذُوۡا مِنۡهُ شَيۡـًٔا) (4/निसाअ : 20) या'नी अगर तुमने अपनी बीवियों को एक ख़ज़ाना भी दे रखा हो तो भी उसमें से कुछ भी न लो। लेकिन यह क़ौल ज़ईफ़ और मरदूद है।

अब आयत का शाने-नुज़ूल सुनिए। मुअत्ता इमाम मालिक में है कि हबीबा (رضی اللہ عنہا) बिन्ते सहल अंसारिया हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शिमास (رضی اللہ عنہ) की बीवी थीं। आँहज़रत (ﷺ) एक दिन सुबह की नमाज़ के लिए अंधेरे में निकले तो देखा कि दरवाज़े पर हज़रत हबीबा (رضی اللہ عنہا) खड़ी हैं। आपने पूछा, कौन है?'' कहा, मैं हबीबा बिन्ते सहल हूँ। फ़र्माया, ''क्या बात है?'' कहा, हुज़ूर (ﷺ)! मैं साबित बिन क़ैस के घर में नहीं रह सकती, या वह नहीं या मैं नहीं। आप सुनकर ख़ामोश हो गए। जब हज़रत साबित (رضی اللہ عنہ) आए, आपने फ़र्माया, ''तुम्हारी बीवी साहिबा कुछ कह रही हैं।'' हज़रत हबीबा (رضی اللہ عنہا) ने कहा, हुज़ूर! मेरे शौहर ने मुझे जो दिया है वह सब मेरे पास है और मैं इसे वापिस करने पर आमादा हूँ। आप (ﷺ) ने हज़रत साबित (رضی اللہ عنہ) को फ़र्माया, ''सब ले लो'' चुनाँचे उन्होंने ले लिया और हज़रत हबीबा (رضی اللہ عنہا) आज़ाद हो गईं। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुत्तलाक़, बाब मा जाअ फ़िल् ख़ुला' : 31; अबूदाऊद : 2227; और इसकी सनद सहीह है; नसाई : 3492) एक रिवायत में है कि हज़रत साबित (رضی اللہ عنہ) ने उन्हें मारा था और उस मार से कोई हड्डी टूट गई थी। हुज़ूर (ﷺ) ने जब उन्हें यह फ़र्माया, उस वक़्त उन्होंने दरयाफ़्त किया कि क्या मैं यह माल ले सकता हूँ। आपने फ़र्माया, हाँ! कहा मैंने इसे दो बाग़ दिए हैं। यह वापिस दिलवा दीजिए। चुनाँचे वह मुहर के दोनों बाग़ वापिस किए गए और जुदाई हो गई। (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब फ़िल ख़ुला' व कैफ़त्तलाक़ फ़ीही : 5273) एक और रिवायत में है कि हबीबा (رضی اللہ عنہا) ने यह भी फ़र्माया था कि मैं इसके अख़्लाक़ और दीनदारी में ऐ'बगिरी नहीं करती लेकिन इस्लाम में कुफ़्र को नापसंद करती हूँ। चुनाँचे माल लेकर हज़रत साबित (رضی اللہ عنہ) ने तलाक़ दे दी। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तलाक़, बाबुल ख़ुला' व कैफ़त्तलाक़ फ़ीही : 5277) कुछ रिवायात में यह भी है कि मुझे अब ग़ैज़ व ग़ज़ब की बर्दाश्त की ताक़त नहीं रही। (इब्ने माजा, किताबुत्तलाक़, बाब अल्मुख़्तलिअतु ता'ख़ुज़ु मा आ'ताहा : 2056; और वह सहीह है।) एक रिवायत में यह भी है कि आपने फ़र्माया, ''जो दिया है ले लो ज़्यादा न लेना।'' (इब्ने माजा, किताबुत्तलाक़, बाब अल्मुख़्तलिअतु ता'ख़ुज़ु मा आ'ताहा : 2056; और वह सहीह है।) एक रिवायत में है कि हज़रत हबीबा (رضی اللہ عنہا) ने फ़र्माया था वह सूरत में भी कुछ अच्छा नहीं। (तब्री : 4811) और एक रिवायत में है कि यह अब्दुल्लाह बिन उबय की बहन थीं और यह सबसे पहला ख़ुला' था जो इस्लाम में हुआ। एक वजह यह भी बयान की थी कि हज़रत मैंने एक मर्तबा ख़ेमे के पर्दा को जो उठाया तो देखा कि मेरे शौहर चंद आदमियों के साथ आ रहे हैं, उन तमाम में यह स्याह फ़ाम छोटे क़द वाले और बदसूरत थे। हुज़ूर (ﷺ) के इस फ़र्मान पर कि इसका बाग़ वापिस करो, हबीबा (رضی اللہ عنہا) ने कहा था, आप फ़र्माएँ तो मैं कुछ और भी देने को तैयार हूँ। और रिवायत में है कि हबीबा

(رضي الله عنها) ने यह भी कहा था कि हुज़ूर! अगर अल्लाह का डर न होता तो मैं इसके चेहरे पर थूक देती। (इब्ने माजा, किताबुत्तलाक़, बाब अल्मुख़्तलिअ़तु ता'ख़ुज़ु मा आ'ताहा : 2057; और वह ज़ईफ़ है; ह़ज्जाज बिन अरताअ रावी ज़ईफ़ व मुदल्लस है।) जुम्हूर का मज़हब तो यह है कि ख़ुला' में औरत से अपने दिए हुए से ज़्यादा ले तो भी जाइज़ है, क्योंकि कुरआन में है (فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ) फ़र्माया है। ह़ज़रत उ़मर (رضي الله عنه) के पास एक औरत अपने शौहर से बिगड़ी हुई आई। आपने फ़र्माया, इसे गंदगी वाले घर में क़ैद करो। फिर क़ैदख़ाना से उसे बुलवाया और कहा कि क्या ह़ाल है। उसने कहा, आराम की रातें मुझ पर मेरी ज़िन्दगी मे यही गुज़री हैं। आपने उसके शौहर से फ़र्माया, इससे ख़ुला' कर ले अगरचे गो शुवारा के बदले ही हो। एक रिवायत में है, इसे तीन दिन वहाँ क़ैद रखा था। एक और रिवायत में है कि आपने फ़र्माया, अगर यह अपनी चुटिया की धज्जी भी दे तो ले ले और इसे अलग कर दे। ह़ज़रत उ़स्मान (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, इसके सिवा सब कुछ लेकर भी ख़ुला' हो सकता है। रुबीअ़ बिन्ते मुअ़व्वज़ बिन अ़फ़रा (رضي الله عنها) फ़र्माती हैं, मेरे शौहर अगर मौजूद होते तो भी मेरे साथ सलूक करने मे कमी करते और कहीं चले जाते तो बिलकुल महरूम कर देते। एक मर्तबा झगड़े के मौक़े पर मैंने कह दिया कि मेरी मिल्कियत में जो कुछ है, ले लो और मुझे ख़ुला' दे दो। उसने कहा, हाँ! और यह मा'मला फ़ैसल हो गया। मगर मेरे चचा मुआज़ बिन अ़फ़रा इस क़िस्से को लेकर ह़ज़रत उ़स्मान (رضي الله عنه) के पास गए। ह़ज़रत उ़स्मान ने भी इसे बरक़रार रखा और फ़र्माया, कि चोटी की धज्जी छोड़कर और सब कुछ ले लो। कुछ रिवायतों में है यह भी और इससे छोटी चीज़ भी ग़र्ज सब कुछ ले लो। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत् तलाक़, बाबुल ख़ुला' व कैफ़त्तलाक़, क़ब्ल ह़दीस : 5273) पस मतलब इन वाक़ियात का यह है कि यह दलील है उस पर कि औरत के पास जो कुछ है सब कुछ देकर वह ख़ुला' करा सकती है और शौहर अपनी दी हुई चीज़ से ज़्यादा लेकर भी ख़ुला' कर सकता है। इब्ने उ़मर (رضي الله عنه), इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) मुजाहिद, इक्रमा, इब्राहीम नख़्ई, क़बीसा बिन ज़ुवेब, ह़सन बिन स़ालेह़ (रह़.) और उ़स्मान (رضي الله عنه) भी यही फ़र्माते हैं। इमाम मालिक (रह़.), लेस, इमाम शाफ़ई (रह़.) और अबू सौर (रह़.) का मज़हब भी यही है। इब्ने जरीर भी इसी को पसंद फ़र्माते हैं और अस्ह़ाबे अबू ह़नीफ़ा का क़ौल है कि अगर क़सूर और ज़रर रिसानी औरत की तरफ़ से हो तो शौहर को जाइज़ है कि जो उसने दिया है वापिस ले ले लेकिन इससे ज़्यादा लेना जाइज़ नहीं गो ज़्यादा ले ले तो भी क़ज़ा के वक़्त जाइज़ होगा। अगर शौहर की अपनी जानिब से ज़्यादती हो तो उसे कुछ भी लेना जाइज़ नहीं गो ले ले तो क़ज़ा के वक़्त जाइज़ होगा। इमाम अह़मद, शअ़ब, ज़ुहरी, ताउस, ह़सन, शअ़बी, ह़म्माद बिन अबू सुलेमान, और रबीअ़ बिन अनस (रह़.) का भी यही मज़हब है। उ़मर और ह़ाकिम कहते हैं, ह़ज़रत अ़ली (رضي الله عنه) का भी यही फ़ैसला है, ओज़ाई का फ़र्मान है कि क़ाज़ियों का फ़ैसला है कि वह दिए हुए से ज़्यादा को जाइज़ नहीं जानते, इस मज़हब की दलील वह ह़दीस भी है जो ऊपर बयान हो चुकी जिसमें है कि अपना बाग़ ले लो और इससे ज़्यादा न लो। मुस्नद अ़ब्द बिन ह़ुमैद में भी एक मरफ़ूअ़ ह़दीस है कि नबी (ﷺ) ने ख़ुला' लेने वाली औरत से अपने दिए हुए से ज़्यादा लेना मकरूह रखा है। (अ़ब्द बिन ह़ुमैद; और सनद ज़ईफ़ है) और इस सूरत में जो कुछ फ़िदया वह देगा का लफ़्ज़ जो कुरआन में है, इसके मा'नी यह होंगे कि दिए हुए में से जो कुछ दे, क्योंकि इससे पहले यह फ़र्मान मौजूद है कि तुमने जो उन्हें दिया है, उसमें से कुछ न लो, आख़िर

तक। रबीअ की क़िरा'त में बिहि के बाद मिन्हू का लफ़्ज़ भी है। फिर फ़र्माया कि यह हुदूदे इलाही हैं इनसे तजावुज़ न करो वरना गुनहगार हो जाओगे।

ख़ुला' तलाक़ है या फ़स्ख़े निकाह : ख़ुला' को कुछ हज़रात तलाक़ में शुमार नहीं करते। वह फ़र्माते हैं कि अगर एक शख़्स ने अपनी बीवी को दो तलाक़ें दे दी हैं, फिर उस औरत ने ख़ुला' कर लिया है तो अगर शौहर चाहे तो उससे फिर भी निकाह कर सकता है और इस पर दलील यही आयत वारिद करते हैं। यह क़ौल हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) का है। हज़रत इक्रमा (रह.) भी फ़र्माते हैं कि यह तलाक़ नहीं। देखो! अव्वल आख़िर तलाक़ का ज़िक्र है, पहले दो तलाक़ों का फिर आख़िर में तीसरी तलाक़ का और दरम्यान में ख़ुला' का ज़िक्र है।

पस मा'लूम हुआ कि ख़ुला' तलाक़ नहीं, बल्कि फ़स्ख़े-निकाह है। अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उस्मान और हज़रत उमर (رضي الله عنه), ताउस, इक्रिमा, अहमद बिन हंबल, इस्हाक़ बिन राहवे, अबू सौर, दाऊद, ज़ाहिरी (रह.) का भी यही मज़हब है। इमाम शाफ़ई (रह.) का भी क़दीम क़ौल यही है और आयत के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ भी यही हैं। कुछ दीगर बुज़ुर्ग फ़र्माते हैं कि ख़ुला' तलाक़े बाइन है और अगर एक से ज़्यादा की निय्यत होगी तो वह भी मुअतबर है। एक रिवायत में है कि उम्मे-बक्र असलमिया ने अपने शौहर अब्दुल्लाह बिन ख़ालिद से ख़ुला' लिया और हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) ने उसे एक तलाक़ होने का फ़त्वा दिया और साथ ही फ़र्माया कि, अगर कुछ सामान लिया हो तो जो कुछ सामान लिया हो, वह है लेकिन यह असर ज़ईफ़ है, वल्लाहु आ'लम!

हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) सईद बिन मुसय्यिब, हसन, अता, शुरेह, शअबी, इब्राहीम नख़ई, जाबिर बिन ज़ेद, मालिक, अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके साथी, सौरी, ओज़ाई और अबू उस्मान (रह.) का यही क़ौल है कि ख़ुला' तलाक़ है। इमाम शाफ़ई का भी जदीद क़ौल यही है। हाँ! हनफ़िया कहते हैं कि अगर दो तलाक़ों की निय्यत ख़ुला' देने वाले की है तो दो ही हो जाएगी अगर कुछ लफ़्ज़ न कहे और मुत्लक़ ख़ुला' हो तो एक तलाक़े बाइन होगी, अगर तीन की निय्यत है तो तीन हो जायें गी। इमाम शाफ़ई (रह.) का एक और क़ौल भी है कि अगर तलाक़ का लफ़्ज़ नहीं और कोई दलील व शहादत भी नहीं तो वह बिलकुल कोई चीज़ नहीं।

ख़ुला' की इद्दत का बयान : मसला इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़ई, अहमद, इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) का मसलक है कि ख़ुला' की इद्दत तलाक़ की इद्दत है। उमर, अली, इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) और सईद बिन मुसय्यिब, सुलेमान बिन यसार, उर्वा, सालिम, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इब्ने शिहाब, हसन, शअबी, इब्राहीम नख़ई, अबू अयाज़, ख़लास बिन अम्र, क़तादा, सुफ़ियान सौरी, ओज़ाई, लेस बिन सा'द और अबू उबेदह (रह.) का भी यही फ़र्मान है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं अकसर अहले-इल्म इसी तरफ़ गए हैं, वह कहते हैं कि ख़ुला' चूँकि तलाक़ है पस इद्दत इसकी मिस्ल इद्दत त लाक़ के है। दूसरा क़ौल यह है कि सिर्फ़ एक हेज़ इसकी इद्दत है। हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) का यही फ़ैसला है। इब्ने उमर (رضي الله عنه) गो तीन हेज़ का फ़त्वा देते थे, लेकिन साथ

ही फ़र्मा दिया करते थे कि हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) हमसे बेहतर हैं और हमसे बड़े आलिम हैं और इब्ने उमर (रज़ि.) से एक हेज़ की इद्दत भी मरवी है। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه), इक्रिमा, अबान बिन उस्मान, (रह.) और तमाम वह लोग जिनके नाम ऊपर आए हैं, जो ख़ुला' को फ़स्ख़ कहते हैं, ज़रूरी है कि इन सबका क़ौल भी यही हो। अबूदाऊद, तिर्मिज़ी की हदीस में भी यही है कि साबित बिन क़ेस की बीवी को आपने इस सूरत में एक हेज़ इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया था। तिर्मिज़ी में है कि रबीअ बिन्ते मुअव्वज़ को भी ख़ुला' के बाद एक ही हेज़ गुज़ारने का हुज़ूर (ﷺ) का फ़र्मान सादिर हुआ था। (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब फ़िल ख़ुला' : 2229; और सनद हसन है; तिर्मिज़ी : 1185) हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) ने ख़ुला' वाली औरत से फ़र्माया था कि तुझ पर इद्दत ही नहीं। हाँ! अगर क़रीब के ज़माने में ही शौहर से मिली हो तो एक हेज़ आ जाने तक उसके पास ठहरी रहो। मरयम मुग़ालिबा के बारे में हुज़ूर (ﷺ) का जो फ़ैसला था, उसकी मुताबिअत हज़रत अमीरुल मो'मिनीन ने की। (नसाई, किताबुत्तलाक़, बाब इद्दतुल मुख़्तलिअति : 3528; इब्ने माजा : 2058; और सनदुहू हसन है।)

क्या ख़ुला' वाली औरत से रुजूअ हो सकता है? मसला जुम्हूर उलमा-ए-किराम और चारों इमामों के नज़दीक ख़ुला' वाली औरत से रुजूअ करने का हक़ शोहर को हासिल नहीं, इसलिए कि औरत ने माल देकर अपने आपको आज़ाद करा लिया है। अब्दुल्लाह बिन उबय औफ़ा, माहान हनफ़ी, सईद और जुहरी का क़ौल है कि अगर वह वापिस लिया हुआ वापिस कर दे तो रुजूअ का हक़ हासिल है, बग़ैर औरत की रज़ामन्दी के भी रुजूअ कर सकता है। सुफ़ियान सौरी (रह.) फ़र्माते हैं, अगर ख़ुला' में तलाक़ का लफ़्ज़ नहीं तो वह सिर्फ़ जुदाई है और रुजूअ करने का हक़ नहीं और अगर तलाक़ का नाम लिया है तो बेशक वह रज्अत का पूरा-पूरा हक़दार है। दाऊद ज़ाहिरी भी यही फ़र्माते हैं। हाँ! इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अगर दोनों रज़ामंद हो तो नया निकाह इद्दत के अंदर-अंदर कर सकते हैं। इब्ने अब्दुल बर्र एक फ़िर्क़ा का यह क़ौल भी रिवायत करते हैं कि इद्दत के अंदर जिस तरह कोई दूसरा कोई उससे निकाह नहीं कर सकता, उसी तरह ख़ुला' देने वाला शौहर भी नहीं कर सकता, लेकिन यह क़ौल शाज़ और मरदूद है।

उस औरत पर इद्दत के अंदर-अंदर दूसरी तलाक़ भी वाक़ेअ हो सकती है या नहीं। इसमें उलमा के तीन क़ौल हैं, एक यह कि नहीं क्योंकि वह औरत अपने नफ़्स की मालिका है और उस शौहर से अलग हो गई है। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه), इक्रिमा, जाबिर बिन ज़ेद, हसन बसरी, शाफ़ई, अहमद, इस्हाक़, अबू सौर (रह.) का यही क़ौल है।

दूसरा क़ौल इमाम मालिक (रह.) का है कि अगर ख़ुला' के साथ ही बग़ैर ख़ामोश रहे तलाक़ दे दे तो वाक़ेअ हो जाएगी वरना नहीं। इसकी ताईद इस क़ौल से है जो हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) से मरवी है। तीसरा क़ौल यह है कि इद्दत में तलाक़ वाक़ेअ हो जाएगी। अबू हनीफ़ा इनके अस्हाब सौरी, ओज़ाई, सईद बिन मुसय्यिब, शुरेह, ताउस, इब्राहीम, जुहरी, हाकिम, हकम और हम्माद (रह.) का यही क़ौल है। इब्ने मसऊद और अबू दर्दा (رضي الله عنه) से भी यह मरवी तो है लेकिन साबित नहीं। फिर फ़र्माता है कि यह अल्लाह की हदें हैं, आख़िर तक

सह़ीह़ ह़दीस में है अल्लाह की ह़दों से आगे न बढ़ो, फ़राइज़ को ज़ाया न करो, मह़ारिम की बेहुर्मती न करो, जिन चीज़ों का ज़िक्र शरीअ़त में नहीं, तुम भी उनसे ख़ामोश रहो क्योंकि अल्लाह की ज़ात भूल चूक से पाक है। (अल्ह़ाकिम फ़िल मुस्तदरक : 4/115; और सनद ज़ईफ़ है) इस आयत से इस्तिदलाल है उन लोगों का जो कहते हैं कि तीनों त़लाक़ें एक मर्तबा ही देना ह़राम हैं। मालिकिया और उनके मुवाफ़िक़ीन का यही मज़हब है। इनके नज़दीक सुन्नत त़रीक़ा यही है कि त़लाक़ एक एक दी जाए क्यों कि (अत़्त़लाक़ु मर्रतानि) कहा, फिर फ़र्माया कि, यह ह़दें हैं अल्ल्लाह की इनसे तजावुज़ न करो। इसकी तक़्वियत इस ह़दीस से भी हुई है जो सुनन नसाई में है कि ह़ज़रत रसूले-अकरम (ﷺ) को एक मर्तबा यह मा'लूम हुआ कि किसी शख़्स ने अपनी बीवी को तीन त़लाक़ें एक साथ दी हैं। आप (ﷺ) सख़्त ग़ज़बनाक होकर खड़े हो गए और फ़र्माने लगे, क्या मेरी मौजूदगी में किताबुल्लाह के साथ खेल किया जाने लगा, यहाँ तक कि एक शख़्स ने खड़े होकर कहा, अगर ह़ुज़ूर (ﷺ) इजाज़त दें तो मैं उस शख़्स को क़त्ल कर दूँ। (नसाई, किताबत्त़लाक़, बाब सलासुल मज्मूअ़तु वमा फ़ीहि मिन तग़्लीज़ : 3430; और सनदुहू सह़ीह़ है।) लेकिन इस रिवायत की सनद में इंक़िताअ़ है।

त़लाक़े बत्तह और निकाह़े ह़लाला का स़ह़ीह़ मफ़्हूम : फिर इर्शाद होता है कि जब कोई शख़्स अपनी बीवी को दो त़लाक़ें दे चुकने के बाद तीसरी भी दे दे तो वह उस पर ह़राम हो जाएगी यहाँ तक कि दूसरे से बाक़ायदा निकाह़ हो, हमबिस्तरी हो, फिर वह मर जाए या त़लाक़ दे दे। पस अगर बग़ैर निकाह़ के मस्लन लौण्डी बनाकर गो वत़ी भी कर ले तो भी अगले शौहर के लिए ह़लाल नहीं हो सकती। इसी त़रह़ गो निकाह़ बाक़ायदा हो लेकिन उस दूसरे शौहर ने मुजामिअ़त न की हो तो भी पहले शौहर के लिए ह़लाल नहीं। अकसर फ़ुक़्हा में मशहूर है कि ह़ज़रत सईद बिन मुसय्यिब (रह़.) मुजर्रद (सिर्फ़) अ़क़्द को ह़लाला कहते हैं गो मेल न हुआ हो लेकिन यह बात उनसे साबित नहीं। एक ह़दीस में है कि नबी (ﷺ) से सवाल किया गया कि एक शख़्स एक औरत से निकाह़ करता है और दुख़ूल (हमबिस्तरी) से पहले ही त़लाक़े बत्तह दे देता है, वह दूसरा निकाह़ करती है वह भी इसी त़रह़ दुख़ूल से पहले ही त़लाक़ दे देता है तो क्या अगले शौहर को अब उससे निकाह़ करना ह़लाल है। आपने फ़र्माया, नहीं! जब तक कि यह उससे और वह इससे लुत़्फ़ अंदोज़ न हो लें। (अह़मद : 2/85; नसाई, किताबुत्त़लाक़, बाब अह़लालु मुत़ल्लक़ति सलासा ...: 3443; इब्ने माजा : 1933; और वह स़ह़ीह़ है)। इस रिवायत के रावी ह़ज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से ख़ुद इमाम सईद बिन मुसय्यिब (रह़.) हैं। पस कैसे मुम्किन है कि वह रिवायत भी करें और फिर मुख़ालिफ़त भी करें और फिर वह भी बिला दलील के। एक रिवायत में यह भी है कि औरत रुख़्सत होकर जाती है, एक मकान में मियाँ-बीवी जाते ही पर्दा डाल दिया जाता है लेकिन सुह़बत नहीं होती जब भी यही हुक्म है। (अह़मद : 2/85; नसाई, किताबुत्त़लाक़, बाब अह़लालु मुत़ल्लक़ति सलासा ...: 3443; इब्ने माजा : 1933; और वह स़ह़ीह़ है) ख़ुद आपके ज़माने में ऐसा वाक़िया हुआ। आपसे पूछा गया, मगर आपने पहले शौहर की इजाज़त न दी। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्त़लाक़, बाब मन जव्वज़त्त़लाक़ सुलास : 560, 6084; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1433)एक रिवायत में है कि ह़ज़रत रफ़ाआ़ क़ुर्ज़ी कीबीवी स़ाह़िबा तमीमा बिन्ते वहब को जब उन्होंने आख़िरी तीसरी त़लाक़ दे दी तो

उनका निकाह़ ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान बिन ज़ुबेर (رضي الله عنه) से हुआ लेकिन यह शिकायत लेकर दरबारे रिसालत मआब में आईं और कहा कि वह औ़रत के मत़लब का नहीं मुझे इजाज़त हो तो मैं अपने अगले शौहर के घर चली जाऊँ। आपने फ़र्माया, यह नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारी किसी और शौहर से मुजामिअ़त न हो। (यह रिवायत जिसमें रफ़ाआ़ की बीवी तमीमा की स़राह़त है। इसे इमाम मालिक ने मुअत्ता, किताबुन निकाह़, बाब निकाह़ुल मुह़ल्लिल वमा अशबहहू : 17; में ज़िक्र फ़र्माया है। और वह स़ह़ीह़ है। याद रहे इस रिवायत में दरबारे रिसालत मआब (ﷺ) में ह़ाज़िर होने वाले ह़ज़रत रफ़ाआ़ ख़ुद हैं न कि उनकी बीवी जैसाकि स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1433 में मौजूद है। इन अह़ादीस की बहुत सी सनद हैं और मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से मरवी हैं।

फ़स्ल : यह याद रहे कि मक़्सूद दूसरे शौहर से यह है कि ख़ुद उसे रग़्बत हो और हमेशा बीवी बनाकर रखने का ख़्वाहिशमंद हो क्योंकि निकाह़ से मक़्सूद यही है। यह नहीं कि अगले शौहर के लिए मह़ज़ ह़लाल हो जाए और बस बल्कि इमाम मालिक (रह़.) फ़र्माते हैं कि यह शर्त़ भी है कि यह मुजामिअ़त भी मुबाह़ और जाइज़ त़रीक़ पर हो, मस्लन औ़रत रोज़े से न हो, एह़राम की ह़ालत में न हो, ए'तिकाफ़ की ह़ालत में न हो, ह़ैज़ या निफ़ास की ह़ालत में न हो। इसी त़रह़ शौहर भी रोज़े से न हो, मुह़रिम या मुअ़तकिफ़ न हो। अगर त़रफ़ैन में से किसी की यह ह़ालत हो और फिर गो वत़ी भी हो जाए फिर भी पहले शौहर पर ह़लाल न होगी। इसी त़रह़ अगर दूसरा शौहर ज़िम्मी हो तो भी अगले मुस्लिम शौहर के लिए ह़लाल न होगी क्योंकि इमाम स़ाह़ब के नज़दीक कुफ़्फ़ार के आपस के निकाह़ बात़िल हैं। इमाम ह़सन बस़री (रह़.) तो यह भी शर्त़ लगाते हैं कि इंज़ाल भी हो क्योंकि ह़ुज़ूर (ﷺ) के अल्फ़ाज़ से बज़ाहिर यही मा'लूम होता है कि जब तक कि वह तेरा और तू उसका मज़ा न चखे और अगर यही ह़दीस उनके पेशेनज़र हो तो चाहिए कि औ़रत की त़रफ़ से भी यह शर्त़ मुअ़तबर हो लेकिन ह़दीस के लफ़्ज़ (उ़सयलत) से मनी मुराद नहीं। यह याद रहे, क्योंकि मुस्नद अह़मद और नसाई में ह़दीस है कि उ़सयला से मुराद जिमाअ़ है। (अह़मद : 6/62; और सनद ज़ईफ़ है।) ह़लाला की शरई ह़ैसियत अगर दूसरे शौहर का इरादा उस निकाह़ से यह है कि यह औ़रत पहले शौहर के लिए ह़लाल हो जाए तो ऐसे लोगों की मज़म्मत बल्कि मल्ऊ़न होने की तस़रीह़ ह़दीसों में आ चुकी है। मुस्नद अह़मद में गोदने वाली, गुदवाने वाली, बाल मिलाने वाली, मिलवाने वाली औ़रतें मल्ऊ़न हैं। ह़लाला करने वाले और जिसके लिए ह़लाला किया जा रहा है उन पर भी अल्लाह की फटकार है। सूदख़ोर और सूद खिलाने वाले भी ला'नती हैं। (अह़मद : 1/448; तिर्मिज़ी, किताबुन निकाह़, बाब मा जाअ फ़िल मुह़ल्लिल वल मुह़ल्लिल लहू : 1119; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; नसाई : 3445; तिर्मिज़ी की सनद में मुजालिद रावी ज़ईफ़ जबकि नसाई की सनद में सुफ़ियान सौरी मुदल्लस हैं।) इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) फ़र्माते हैं स़ह़ाबा का अ़मल इसी पर है, उ़मर, उ़स्मान और इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) का यही मज़हब है, ताबेई़न फ़ुक़्हा भी यही कहते हैं। अ़ली, इब्ने मसऊ़द और इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) का भी यही फ़र्मान है। और रिवायत में है कि ब्याज की गवाही देने वालों और इसके लिखने वाले पर भी ला'नत है। ज़कात के न देने वालों और लेने में ज़्यादती करने वालों पर भी ला'नत है, हिज्रत के बाद लौटकर आ'राबी बनने वाले पर भी फटकार है। नोह़ा करना भी मम्नूअ़ है। (नसाई, किताबुज़ ज़ीनत, बाबुल मु'तशिमात... : 5105; और इसकी सनद ज़ईफ़ जिद्दा है।) एक ह़दीस में है कि मैं तुम्हें बताऊँ कि उधार लिया हुआ साँड

कौनसा है? लोगों ने कहा, हाँ! फ़र्माया, जो हलाल करे या'नी तलाक़ वाली औरत से निकाह इसलिए करे कि वह अगले शौहर के लिए हलाल हो जाए उस पर अल्लाह की ला'नत है और जो अपने लिए ऐसा कराए वह भी मल्ऊन है। (इब्ने माजा, किताबुन निकाह, बाबुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू : 1936; और वह हसन है) एक रिवायत में है कि ऐसे निकाह की बाबत हुज़ूर (ﷺ) से पूछा गया तो आपने फ़र्माया, यह निकाह ही नहीं जिसमें मक़्सूद और हो और ज़ाहिर और हो, जिसमें अल्लाह की किताब के साथ मज़ाक़ और हंसी हो। निकाह सिर्फ़ वही है जो रग़बत के साथ हो। मुस्तदरक हाकिम में है कि एक शख़्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) से सवाल किया कि एक शख़्स ने अपनी बीवी को तीसरी तलाक़ दे दी उसके बाद उसके भाई ने बग़ैर अपने भाई के कहे अज़्ख़ुद इस इरादे से निकाह कर लिया कि यह मेरे भाई के लिए हलाल हो जाए तो आया यह निकाह सहीह हो गया। आपने कहा, हर्गिज़ नहीं! हम तो इसे नबी (ﷺ) के ज़माने में ज़िना शुमार करते थे, निकाह वही है जिसमें रग़बत हो। (अल्हाकिम : 2/199; और इसकी सनद सहीह है) इस हदीस के इस पिछले जुम्ले मौक़ूफ़ है लेकिन फिर भी हुक्म में मरफ़ूअ के कर दिया, बल्कि एक और रिवायत में है कि अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ (رضی اللہ عنہ) ने फ़र्माया, अगर कोई ऐसा करेगा या करायेगा तो मैं दोनों को ज़िना की हद लगाऊँगा या'नी रजम करूँगा। (तब्री : 4/598) ख़लीफ़ा वक़्त हज़रत उस्मान ग़नी (رضی اللہ عنہ) ने ऐसे निकाह मे तफ़रीक़ कर दी, इसी तरह हज़रत अली (رضی اللہ عنہ) और हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) वग़ैरह बहुत से सहाबा किराम (رضی اللہ عنہ) से भी यही मरवी है। फिर फ़र्मान है कि अगर दूसरा शौहर निकाह और वती के बाद तलाक़ दे दे तो पहले शौहर पर फिर उसी औरत से निकाह कर लेने में कोई गुनाह नहीं, जबकि यह अच्छी तरह गुज़र औक़ात कर लें और यह भी जान लें कि वह दूसरा निकाह सिर्फ़ धोखा और मकर व फ़रेब का न था बल्कि हक़ीक़त थी। यह हैं अहकामे शरई जिन्हें इल्म वालों के लिए अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। अइम्मा का इसमें भी इख़्तिलाफ़ है कि एक शख़्स ने अपनी बीवी को दो या एक तलाक़ दे दी फिर छोड़े रहा, यहाँ तक कि वह इद्दत से निकल गई फिर उसने दूसरे से घर बसा लिया, उससे हमबिस्तरी भी हुई, फिर उसने भी तलाक़ दे दी और इसकी इद्दत ख़त्म हो चुकी फिर अगले शौहर ने उससे निकाह कर लिया तो क्या इसे तीन में से जो तलाक़ें या'नी एक या दो जो बाक़ी है सिर्फ़ इन ही का इख़्तियार रहेगा या पहले की तीन तलाक़ें गिनती से साक़ित हो जाएँगी और इससे अज़्सरे नो तीनों तलाक़ों का हक़ हासिल हो जाएगा। पहला मज़हब तो है, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद (रह.) का और सहाबा (رضی اللہ عنہ) की एक जमाअत का और दूसरा मज़हब है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके साथियों का। और उनकी दलील यह है कि जब इस तरह तीसरी तलाक़ ही गिनती में नहीं आई तो पहली दूसरी क्या आएगी, वल्लाहु आ'लम!

......

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

तर्जुमा : ''जब तुम औरतों को तलाक़ दो और वह अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आए तो अब उन्हे अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो और उन्हें तक्लीफ़ पहुँचाने की ग़र्ज़ से ज़ुल्मो ज़्यादती के लिए न रोको। जो शख़्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर ज़ुल्म किया। तुम अल्लाह के अह्काम को हंसी खेल न बनाओ और अल्लाह का एह्सान जो तुम पर है याद करो और जो कुछ किताबो-हिक्मत उसने नाज़िल फ़र्माई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी और अल्लाह तआला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह तआला हर चीज़ को जानता है।'' (231)

तलाक़ के बाद औरतों को हुस्ने सलूक से रुख़्सत करो (आयत 231) : मर्दों को हुक्म हो रहा है कि जब वह अपनी बीवियों को तलाक़ दें जिन तलाक़ों में लौटा लेने का हक़ उन्हें हासिल है और इद्दत ख़त्म होने के क़रीब पहुँच जाए तो या तो उम्दगी के साथ लौटा ले या'नी रज्अत पर गवाह मुक़र्रर करे और अच्छाई से बसाने की निय्यत रखे या उसे उम्दगी से छोड़ दे और इद्दत ख़त्म होने के बाद अपने यहाँ से बग़ैर इख़्तिलाफ़ झगड़े दुश्मनी और बदज़ुबानी के निकाल दे। जाहिलियत के इस दस्तूर को इस्लाम ने मिटा दिया जो उनमें था कि तलाक़ दे दी, मुद्दत ख़त्म होने के क़रीब रुजूअ कर लिया फिर तलाक़ दे दी फिर रुजूअ कर लिया, यूँ ही उस दुखिया औरत की उम्र बर्बाद कर देते थे कि न वह सुहागन ही रहे, न बेवा तो इससे अल्लाह ने रोका और फ़र्माया कि, ऐसा करने वाला ज़ालिम है। फिर फ़र्माया, अल्लाह की आयतों को हंसी न बनाओ। एक मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) अशअरी क़बीला पर नाराज़ हुए तो हज़रत अबू मूसा अशअरी (رضي الله عنه) ने हाज़िरे-ख़िदमत होकर (उन इस्तिलाहाते तलाक़ के बारे में) सबब दरयाफ़्त किया। आपने फ़र्माया, क्यूँ यह लोग कह दिया करते हैं कि मैंने तलाक़ दी, मैंने रुजूअ किया, याद रखो! मुसलमानों की यह तलाक़ें नहीं, औरतों की इद्दत के मुताबिक़ तलाक़ें दो। (तब्री : 5/14) इस हुक्म का यह भी मतलब कहा गया कि यह वह शख़्स है जो

बिला वजह तलाक़ दे और औरत को ज़रर पहुँचाने के लिए और उसकी इद्दत लम्बी करने के लिए रुजूअ ही करता चला जाए। (तबरी : 5/18) यह भी कहा गया है कि यह वह शख़्स है जो तलाक़ दे या आज़ाद करे या निकाह करे, फिर कह दे कि मैंने तो हंसी-हंसी में यह किया, ऐसी सूरतों में यह तीनों काम फ़िल हक़ीक़त वाक़ेअ हो जायेंगे। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे मुर्सल सहीहुल इस्नाद क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 6/227) या'नी यह ज़ईफ़ है।) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं कि एक शख़्स ने अपनी बीवी को तलाक़ दी फिर कह दिया कि मैंने तो मज़ाक़ किया था। इस पर यह आयत उतरी और हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, यह तलाक़ हो गई (इब्ने मर्दवे) हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं लोग तलाक़ देते और आज़ाद कर देते निकाह कर लेते और फिर कह देते कि हमने बतौर दिललगी के यह किया था। इस पर यह आयत उतरी और हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो तलाक़ दे या गुलाम आज़ाद करे या निकाह करे या करा दे ख़्वाह पुख़्तगी के साथ ख़्वाह हंसी-मज़ाक़ में वह सब हो गया। (इब्ने अबी हातिम) यह हदीस मुर्सल और मौक़ूफ़ कई सनदों से मरवी है, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में हदीस है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं कि पक्के इरादों से हों या दिललगी से तीनों ही साबित हो जायेगी, निकाह, तलाक़ और रज्अत। (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब फ़ित्तलाक़ अलल हज़्ल : 2194; और इसकी सनद हसन है; तिर्मिज़ी : 1184; इब्ने माजा : 2039) तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन ग़रीब कहते हैं, अल्लाह की ने'मत याद करो कि उसने रसूल भेजे, हिदायत और दलीलें नाज़िल फ़र्माईं, किताबो-सुन्नत सिखाई, हुक्म भी किए, मना भी किये वग़ैरह वग़ैरह। जो काम करो और जो न करो हर एक में अल्लाह से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह तआला हर पोशीदगी और हर ज़ाहिरदारी को बख़ूबी जानता है।

....

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٢٣٢

तर्जुमा : "और जब तुम अपनी औरतों को तलाक़ दी और वह अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें उनके शौहर से निकाह करने से न रोकों जबकि वह आपस में दस्तूर के मुताबिक़ रज़ामंद हों। यह नसीहत उन्हें की जाती है जिन्हें तुममें से अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर यक़ीन व ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सुथराई और पाकीज़गी है। अल्लाह तआला जानता है और तुम नहीं जानते।" (232)

औरत वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं कर सकती (आयत 232) : इस आयत में औरतों के वली वारिसों की मुमानिअत हो रही है कि जब किसी औरत को तलाक़ हो जाए और इद्दत भी गुज़र जाए फिर मियाँ-बीवी रज़ामन्दी से निकाह करना चाहें तो वह उन्हें न रोकें। इस आयत में दलील है इस अम्र की भी कि औरत ख़ुद अपना निकाह नहीं कर सकती और निकाह बग़ैर वली के नहीं हो सकता। चुनाँचे इब्ने जरीर और तिर्मिज़ी ने इस आयत की तफ़्सीर में यह हदीस वारिद की है कि औरत औरत का निकाह नहीं कर सकती और न औरत अपना निकाह कर सकती है। वह औरतें ज़िनाकार हैं जो अपना निकाह आप कर लें। (इब्ने माजा, किताबुन निकाह, बाब ला निकाह इल्ला बेवली : 1882; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) दूसरी हदीस में है निकाह बग़ैर राह याफ़्ता वली के और दो आदिल गवाहों के नहीं। (अल्औसत लित्तबरानी नह्वल मा'नी : 525; और इसकी सनद ज़ईफ़ है और इसको हसन कहा है, इब्ने हजर ने फ़त्हुल बारी में: 9/191; ह : 5135 है) गो इस मसला में भी इख़्तिलाफ़ है लेकिन इसके बयान की जगह तफ़्सीर नहीं हम इसका बयान किताबुल अहकाम में कर चुके हैं। फ़ल्हम्दु लिल्लाह! यह आयत हज़रत माक़िल बिन यसार (رضی اللہ عنہ) और उनकी हमशीरा के बारे में नाज़िल हुई है। सहीह बुख़ारी में इस आयत की तफ़्सीर के बयान में है कि हज़रत माक़िल (रज़ि.) फ़र्माते हैं मेरी बहन का मांगा मेरे पास आता था। मैंने निकाह कर दिया। उसने कुछ दिनों के बाद तलाक़ दे दी फिर इद्दत गुज़रने के बाद निकाह की दरख़्वास्त की, मैंने इंकार कर दिया। इस पर यह आयत उतरी, जिसे सुनकर हज़रत माक़िल (رضی اللہ عنہ) ने बावजूद यह कि क़सम खा रखी थी कि मैं तेरे निकाह में न दूँगा, निकाह पर आमादा हो गए और कहने लगे, मैंने अल्लाह का फ़र्मान सुना और मैंने मान लिया और अपने बहनोई को बुलाकर दोबारा निकाह करा दिया। (सहीह बुख़ारी, किताबुन निकाह, बाब मन क़ाल ला निकाह इल्ला .. : 5130; अबूदाऊद : 2087; तिर्मिज़ी : 2981) और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा किया। उनका नाम जुमल बिन्ते यसार था। उनके शौहर का नाम अबुल बदाह था। कुछ ने उनका नाम फ़ातिमा बिन्ते यसार बताया है।

सुदी (रह.) फ़र्माते हैं कि यह आयत हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) और उनके चचा की बेटी के बारे में नाज़िल हुई है। लेकिन पहली बात ही ज़्यादा सहीह है। फिर फ़र्माया, यह नसीहत व वा'ज़ उनके लिए है जिन्हें शरीअत पर ईमान हो, अल्लाह का डर हो, क़यामत का डर हो, उन्हें चाहिए कि अपनी विलायत में जो औरतें हों उन्हे ऐसी हालत में निकाह से न रोकें, शरीअत का इत्तिबाअ करके ऐसी औरतों को उनके शौहरों के निकाह में दे देना और अपनी हमिय्यत व ग़ैरत को जो ख़िलाफ़े शरअ हो, शरीअत के मातहत कर देना ही तुम्हारे लिए बेहतरी और पाकीज़गी का बाइस है। इन मस्लिहतों का इल्म जनाब बारी तआला को ही है। तुम्हें नहीं मा'लूम कि किस काम के करने में भलाई है और किसके छोड़ने में। यह इल्म हक़ीक़त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही को है।

....

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ
وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ
تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۳۳﴾

तर्जुमा : ''मायें अपनी औलादों को दो साल कामिल दूध पिलाएँ जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिलकुल पूरी करने का हो। जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मे उनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक़े दस्तूर हो। हर शख़्स उतनी ही तक्लीफ़ दिया जाता है जितनी उसकी ताक़त हो। माँ को उसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई ज़रर न पहुँचाया जाए। वारिस पर भी उसी जैसी ज़िम्मेदारी है पस अगर दोनों (या'नी माँ बाप) अपनी रज़ामन्दी और बाहमी मश्वरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिला लेने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि तुम दस्तूर के मुताबिक़ जो उनको देना हो वह उनके हवाले कर दो, अल्लाह तआला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह तआला तुम्हारे आ'माल को देखभाल रहा है।'' (233)

बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत का बयान (आयत 233) : यहाँ अल्लाह तआला बच्चों वाली औरतों को इर्शाद फ़र्माता है कि दूध पिलाने की पूरी मुद्दत दो साल है। दो साल के बाद दूध पिलाने का कोई ए'तिबार नहीं, उसके बाद दूध पिलाना साबित नहीं होता और न हुर्मत होती है। अकसर अइम्म-ए-किराम का यही मज़हब है।

रज़ाअत के अहकाम : तिर्मिज़ी में बाब है कि रज़ाअत जो हुर्मत साबित करती है वह वही है जो दो साल पहले की है। (तिर्मिज़ी, किताबुर रज़ाअ, बाब मा जाअ अनिर् रज़ाअत ला तुहर्रिमु इल्ला .... : 1152; और वह सहीह है) फिर हदीस लाए हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''वही रज़ाअत हराम करती है जो आँतों को पुर कर दे और दूध छूटने से पहले हो।'' यह हदीस हसन सहीह है, और अकसर अहले इल्म सहाबा (رضی اللہ عنہم) वग़ैरह का इसी पर अमल है कि दो साल से पहले की रज़ाअत तो मुअतबर है उसके बाद की रज़ाअत मुअतबर नहीं। इस हदीस के रावी शर्ते सहीहैन पर हैं। हदीस में (फ़िस्सदय) का जो लफ़्ज़ है उसके मा'नी भी महल्ले रज़ाअत के या'नी दो साल से पहले के हैं। यही लफ़्ज़ हुज़ूर (ﷺ) ने उस वक़्त भी फ़र्माए थे जब आपके साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम का इंतिक़ाल हुआ था कि वह दूध

पिलाने की मुद्दत में इंतिक़ाल कर गए हैं और उन्हें दूध पिलाने वाली जन्नत में मुक़र्रर है। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब मा क़ील फ़ी औलादिल मुस्लिमीन : 1382; सहीह़ मुस्लिम : 2316) हज़रत इब्राहीम (ؓ) की उम्र उस वक़्त एक साल और दस महीने की थी। दारे-क़ुत्नी में एक ह़दीस दो साल की मुद्दत के बाद की रज़ाअ़त के मुअ़तबर न होने की है। (दारे क़ुत्नी : 4/174; मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुर रज़ाअ़, बाब रज़ाअ़तुस सग़ीर : ह़ : 4; बैहक़ी : 7/462; यह रिवायत इब्ने अ़ब्बास (ؓ) तक मौक़ूफ़न सहीह़ है।) इब्ने अ़ब्बास (ؓ) भी फ़र्माते हैं कि उसके बाद कोई चीज़ नहीं। अबू दाऊद, तयालिसी की रिवायत में है कि दूध छूट जाने के बाद रज़ाअ़त नहीं और बुलूग़त के बाद यतीमी का हुक्म नहीं। (तबरानी फ़िल कबीर : 4/14; ह़ : 3502; और इसकी सनद हसन है।) ख़ुद क़ुरआन करीम में और जगह है (وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ) अल्ख़ (31/लुक़्मान : 14) दूध छुड़ाने की मुद्दत दो साल में है। और जगह है (وَحَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا) (46/अह़क़ाफ़ : 15) या'नी ह़मल और दूध दोनों की मुद्दत तीस माह हैं। और यह क़ौल कि दो साल के बाद दूध पिलाने और पीने से रज़ाअ़त की हुर्मत साबित नहीं होती, इन तमाम हज़रात का क़ौल है। हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत इब्ने उ़मर, हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) हज़रत सईद बिन मुसय्यिब (रह़.) हज़रत अ़ता (रह़.) और जुम्हूर का यही मज़हब है। इमाम मुह़म्मद, इमाम मालिक (रह़.) का भी यही मज़हब है। गो एक रिवायत में इमाम मालिक से दो साल दो माह भी मरवी है और एक रिवायत में दो साल तीन माह भी मरवी है। इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) ढाई साल की मुद्दत बताते हैं। ज़ोफ़र कहते हैं जब तक दूध नहीं छुटा तो तीन साल की मुद्दत है। ओज़ाई से भी यह रिवायत है। इमाम ओज़ाई से एक रिवायत यह भी है कि अगर किसी बच्चे का दो साल से पहले दूध छुड़ा लिया जाए फिर उसके बाद किसी औरत का दूध पीये तो भी हुर्मत साबित न होगी, इसलिए कि अब क़ायम मक़ाम ख़ूराक के हो गया। इमाम ओज़ाई (रह़.) से एक रिवायत यह भी है कि हज़रत उ़मर और हज़रत अ़ली (ؓ) से मरवी है कि दूध छुड़ा लेने के बाद रज़ाअ़त नहीं। इस क़ौल के दोनों मतलब हो सकते हैं। या'नी या तो यह कि दो साल के बाद या यह कि जब भी उससे पहले दूध छूट गया। इसके बाद जैसे इमाम मालिक (रह़.) का फ़र्मान है, वल्लाहु आ'लम!

हाँ! सहीह़ बुख़ारी, सहीह़ मुस्लिम में हज़रत आइशा (ؓ) से मरवी है कि वह इसके बाद की बल्कि बड़े आदमी की रज़ाअ़त को हुर्मत में मोअस्सिर जानती हैं। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुर्रिज़ाअ़, बाब रज़ाअ़तुल कबीर : 1453) अ़ता और लेस (रह़.) का भी यही क़ौल है। हज़रत आइशा (ؓ) जिस शख़्स का आना जाना कहीं ज़रूरी जानती वहा हुक्म देतीं कि वह औरतें उसे अपना दूध पिलाए और इस ह़दीस से दलील पकड़ती थीं कि हज़रत सालिम (ؓ) को जो हज़रत अबू हुज़ेफ़ा (ؓ) के मौला थे, आँह़ज़रत (ﷺ) ने हुक्म दिया था कि वह उनकी बीवी साह़िबा का दूध पी लें, ह़ालाँकि वह बड़ी उम्र के थे, उसकी वजह से फिर वह बराबर आते जाते रहते थे लेकिन हुज़ूर (ﷺ) की दूसरी अज़्वाजे-मुत्तह्हरात इसका इंकार करती थीं और कहती थीं कि यह वाक़िया ख़ास उन ही के लिए था, हर शख़्स के लिए यह हुक्म नहीं। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुर्रिज़ाअ़, बाब रज़ाअ़तुल कबीर : 1453; अबूदाऊद : 2061; नसाई : 3321; इब्ने माजा : 1943) या'नी मज़हब जुम्हूर का है या'नी चारों इमामों, सातों फ़क़ीहों, कुल के कुल बड़े सहाबा किराम और तमाम उम्महातुल मो'मिनीन का सिवाए हज़रत आइशा (ؓ) के और इनकी दलील वह ह़दीस है जो बुख़ारी व मुस्लिम में है कि आपने फ़र्माया, देख लिया करो कि तुम्हारे भाई कौन हैं, रज़ाअ़त उस वक़्त है जब दूध भूख मिटा सकता हो। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुन निकाह़, बाब मन क़ाल ला रज़ाअ़ बअ़द ह़ौलेन : 5102; सहीह़ मुस्लिम :

1455; अबूदाऊद : 2058; नसाई : 3314) बाक़ी रज़ाअत का पूरा पूरा मसला (وَ أُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ) (4/निसाअ : 23) की तफ़्सीर में आएगा, इंशाअल्लाह!

उज्रते रज़ाअत का बयान : फिर फ़र्मान है कि बच्चों की माँ का नान नफ़्क़ा बच्चों के वालिद पर है, अपने अपने शहरों की आदत और दस्तूर के मुताबिक़ अदा करें, न तो ज़्यादती हो, न कमी, बलिक हस्बे ताक़त व वुस्अत दरम्यानी ख़र्च दे दिया करें। जैसे फ़र्माया (لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ) (65/तलाक़ : 7) या'नी कुशादगी वाले अपनी कुशादगी के मुताबिक़ और तंगी वाले अपनी ताक़त के मुताबिक़ दें, अल्लाह तआला ताक़त से ज़्यादा तक्लीफ़ नहीं देता, अन्क़रीब अल्लाह तआला सख़्ती के बाद आसानी कर देगा। ज़ह्हाक़ (रह.) फ़र्माते हैं कि जब किसी शख़्स ने अपनी बीवी को तलाक़ दी और उसके साथ बच्चा भी है तो उसके दूध पिलाने के ज़माने तक का ख़र्च उस मर्द पर वाजिब है। फिर इर्शादे बारी है कि औरत अपने बच्चे को दूध पिलाने से इंकार करके उसके वालिद को तंगी में न डाले बल्कि बच्चे को दूध पिलाती रहे। इसलिए कि यही उसकी गुज़रान का सबब है, दूध से जब बच्चा बेनियाज़ हो जाए तो बेशक बच्चा को दे दे लेकिन फिर भी नुक़्सान रसानी का इरादा न हो। इसी तरह शौहर उससे जबरन बच्चे को अलग न करे जिससे वह ग़रीब दुख में पड़े। वारिस को भी यही चाहिए कि बच्चे की वालिदा को ख़र्च से तंग न करे, उसके हुक़ूक़ की निगहदाश्त करे और उसे ज़रर न पहुँचाए। हनफ़िया और हंबलिया में से जो लोग इसके क़ाइल हैं कि रिश्तेदारों में से कुछ का नफ़्क़ा कुछ पर वाजिब है, उन्होंने इसी आयत से इस्तिदलाल किया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) और जुम्हूर सलफ़ सालेहीन से यही मरवी है।

हज़रत समुरह (رضي الله عنه) वाली मरफ़ूअ हदीस से भी यही वाज़ेह होता है जिसमें है कि जो शख़्स अपने किसी महरम रिश्तेदार का मालिक हो जाए तो वह आज़ाद हो जाएगा। (अबूदाऊद, किताबुल इत्क़, बाब फ़ीमन मलिक ज़ा रहम महरम : 3949; और इसकी सनद हसन है; तिर्मिज़ी : 1365; इब्ने माजा : 2524) यह भी याद रहे कि दो साल के बाद दूध पिलाना उमूमन बच्चा को नुक़्सान देता है या तो जिस्मानी या दिमाग़ी। हज़रत अल्क़मा (रह.) ने एक औरत को दो साल से बड़े बच्चे को दूध पिलाते हुए देखकर मना' फ़र्माया। फिर फ़र्माता है अगर यह रज़ामंदी और मश्वरा से दो साल के अंदर-अंदर जब कभी भी दूध छुड़ाना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, हाँ! एक की चाहत के बग़ैर दूसरे की रज़ामंदी, नाकाफ़ी होगी। यह बच्चे की बचाव की और उसकी निगरानी की तर्कीब है। ख़्याल रहे कि अल्लाह तआला अपने बन्दों पर किस क़द्र रहीम व करीम है कि छोटे बच्चों के वालदेन को उन कामों से रोक दिया जिसमे बच्चों की बर्बादी का डर था और वह हुक्म दिया जिससे एक तरफ़ बच्चे का बचाव है, दूसरी जानिब माँ बाप की भी इस्लाह है। सूरह तलाक़ में फ़र्माया (فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ) (65/तलाक़ : 6) अगर औरतें बच्चे को दूध पिलाया करें तो तुम उनकी उज्रत भी अदा कर दिया करो और आपस में उम्दगी के साथ मा'मला रखो। यह और बात है कि तंगी के वक़्त किसी और से दूध पिलवा दो। चुनाँचे यहाँ भी फ़र्माया अगर वालिदा और वालिद मुत्तफ़िक़ होकर किसी उज़्र के बिना पर किसी और से दूध शुरू करायें और पहले की उज्रत कामिल तौर पर वालिद वालिदा को दे दे तो भी दोनों पर कोई गुनाह नहीं, अब दूसरी किसी दाया से उज्रत चुकाकर दूध पिलवा दें। लोगों! अल्लाह तआला से हर अम्र में डरते रहा करो और जान रखो कि तुम्हारे क़ौल और फ़े'ल को वह बख़ूबी जानता है।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٢٣٤

तर्जुमा : "तुममें से जो लोग फ़ौत हो जाएँ और बीवियाँ छोड़ जाएँ वह औरतें अपने तईं चार महीने और दस (दिन) इद्दत में रखें जब मुद्दत ख़त्म करे फिर जो अच्छाई अपने लिए वह करें उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, अल्लाह तुम्हारे हर अमल से ख़बरदार है।" (234)

जिसका शौहर मर जाए उसकी इद्दत का बयान (आयत 234) : इस आयत में हुक्म हो रहा है कि औरतें अपने शौहरों के इंतिक़ाल के बाद चार महीने दस दिन इद्दत गुज़ारें ख़्वाह उनसे मुजामिअत हुई हो या न हुई हो। इस बात पर इज्माअ है। दलील इसकी एक तो इस आयत का उमूम दूसरे यह हदीस जो मुस्नद अहमद और सुनन में है, जिसे तिर्मिज़ी (रह.) सहीह कहते हैं कि हज़रत इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) से सवाल होता है कि एक शख़्स ने एक औरत से निकाह किया, उससे मुजामिअत नहीं की थी, न मुहर मुक़र्रर हुआ था कि उसका इंतिक़ाल हो गया, फ़र्माइए इसकी निस्बत क्या फ़त्वा है। जब कई मर्तबा वह आए गए तो आपने फ़र्माया, मैं अपनी राय से फ़त्वा देता हूँ अगर ठीक हो तो अल्लाह की तरफ़ से जानो और अगर ख़ता हो तो मेरी और शैतान की तरफ़ से समझो, अल्लाह और रसूल इससे बरी हैं। मेरा फ़त्वा यह है कि इस औरत को पूरा मुहर मिलेगा जो उसके ख़ानदान का दस्तूर हो उसमें कोई कमी बेशी न हो और उस औरत को पूरी इद्दत गुज़ारनी चाहिए और उसे वरसा भी मिलेगा। यह सुनकर हज़रत माक़िल बिन यसार अश्जअ (رضی اللہ عنہ) खड़े हो गए और फ़र्माने लगे, बुरूअ बिन्ते वाशिक़ (رضی اللہ عنہا) के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यही फ़ैसला किया था। हज़रत इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) यह सुनकर बहुत ही ख़ुश हुए। कुछ रिवायात में है कि अश्जअ से बहुत से लोगों ने यह रिवायत बयान की। (अबूदाऊद, किताबे निकाह, बाब फ़ीमन तज़व्वज वलम युसम्म लहा सदाक़न हत्ता मात : 2114, 2115; और वह सहीह है; तिर्मिज़ी : 1145; नसाई : 3356; इब्ने माजा : 8191) हाँ! जो औरत अपने शौहर की वफ़ात के वक़्त हमल से हो, उसके लिए यह इद्दत नहीं। उसकी इद्दत वज़ए हमल है गो इंतिक़ाल के एक साअत बाद ही हो जाए। क़ुरआन में है (وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (65/तलाक़ : 4) हमलवालियों की इद्दत वज़ए हमल है। हाँ! हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि वज़ए हमल और चार महीने दस दिन में जो देर की इद्दत हो वह हामिला की इद्दत है। यह क़ौल तो बहुत अच्छा है और दोनों आयतों में इससे तत्बीक़ भी उम्दा तौर पर हो जाती है लेकिन इसके ख़िलाफ़ बुख़ारी व मुस्लिम की एक साफ़ और सरीह हदीस मौजूद है जिसमें है कि हज़रत सबीआ असलमिया (رضی اللہ عنہا) के शौहर का जब इंतिक़ाल हुआ उस वक़्त आप हमल से थीं और चंद रातें ही गुज़रने पाई थीं तो बच्चा पैदा हुआ, जब नहा धो चुकीं तो अच्छा लिबास वग़ैरह पहन लिया। हज़रत अबुस्सनाबिल इब्ने बअकक ने यह देखकर फ़र्माया कि क्या तुम निकाह करना चाहती हो, अल्लाह की क़सम! जब तक चार महीने दस दिन न गुज़र जाएँ तुम निकाह नहीं कर सकतीं। हज़रत सबीआ (رضی اللہ عنہا) यह सुनकर ख़ामोश हो गईं और शाम को ख़िदमते-नबवी (ﷺ) में हाज़िर हुईं और मसला पूछा तो आप (ﷺ)

ने फ़र्माया, जब बच्चा हो गया, उसी वक़्त तुम इद्दत से निकल गईं। अब अगर तुम निकाह करना चाहो तो बेशक निकाह कर सकती हो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब रक़म : 10; ह : 3991; सहीह मुस्लिम : 1484) यह भी मरवी है कि जब हज़रत अब्दुल्लाह को इस हदीस का इल्म हुआ तो आपने भी अपने क़ौल से रुजूअ कर लिया। इसकी ताईद इससे भी होती है कि हज़रत अब्दुल्लाह के साथ और शागिर्द भी इस हदीस के मुताबिक़ फ़त्वा दिया करते थे।

उम्मे वलद मुतवफ़्फ़ा अन्हा की इद्दत : इसी तरह लौण्डी की इद्दत भी उतनी नहीं, उसकी इद्दत उससे आधी है या'नी दो महीने और पाँच रातें। जुम्हूर का मज़हब यही है जिस तरह लौण्डी की हद बनिस्बत आजाद औरत के आधी है उसी तरह इद्दत भी। मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) और कुछ उलमा-ए-ज़ाहिरिया लौण्डी की और आज़ाद औरत की इद्दत में बराबरी के क़ाइल हैं। इनकी दलील एक तो आयत का उमूम है और दूसरे यह कि इद्दत एक जिबिल्ली अम्र है जिसमें तमाम औरतें यक्साँ हैं। सईद बिन मुसय्यिब, अबुल आलिया (रह.) वग़ैरह फ़र्माते हैं, इस इद्दत में हिक्मत यह है कि अगर औरत को हमल होगा तो उस मुद्दत में बिलकुल ज़ाहिर हो जाएगा। इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) की सहीहैन वाली मरफ़ूअ हदीस में है कि इंसान की पैदाइश का यह हाल है कि चालीस दिन तक तो रहमे मादर में नुत्फ़ा की शक्ल में होता है फिर ख़ून बस्ता की शक्ल चालीस दिन तक रहती है फिर चालीस दिन तक गोश्त का लौथड़ा रहता है फिर अल्लाह तआला फ़रिश्ते को भेजता है और उसमें रूह फूँकता है। (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब ज़िक्रुल मलाइकति सलवातुल्लाहि अलयहिमः 3208; सहीह मुस्लिम : 2643; नसाई : 3549; इब्ने माजा : 2028) तो यह एक सौ बीस दिन हुए जिसके चार महीने हुए। दस दिन एहतियातन और रख दिए क्योंकि कुछ महीने उनत्तीस दिन के भी होते हैं और जब रूह फूँक दी गई तो अब बच्चा की हरकत महसूस होने लगती है और हमल बिलकुल ज़ाहिर हो जाता है इसलिए इतनी इद्दत मुक़र्रर की गई, वल्लाहु आ'लम!

सईद बिन मुसय्यिब (रह.) फ़र्माते हैं, दस दिन इसलिए है कि रूह इन ही दिनों मे फूँकी जाती है, रबीअ बिन अनस (रह.) भी यही फ़र्माते हैं। इमाम अहमद (रह.) से एक रिवायत में यह भी मरवी हदीस है, हज़रत अम्र बिन आस (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, लोगों! सुन्नते-नबवी (ﷺ) को हम पर ख़लत-मलत न करो, औलाद वाली लौण्डी की इद्दत जबकि उसका सरदार फ़ौत हो जाए, चार महीने और दस दिन है। (अहमद : 4/203; व अबूदाऊद : 2308; व इब्ने माजा : 2083; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) यह हदीस एक और तरीक़ से भी अबूदाऊद में मरवी है। (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब फ़ी इद्दति उम्मुल वलद : 2308; इब्ने माजा : 2083; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; क़बीसा ने सय्यदना अम्र बिन आस (رضي الله عنه) से कुछ नहीं सुना) इमाम अहमद (रह.) इस हदीस को मुंकर बताते हैं और कहते हैं कि इसके एक रावी क़बीसा ने अपने उस्ताद उमर से यह रिवायत नहीं सुनी। सईद बिन मुसय्यिब, मुजाहिद, सईद बिन जुबेर, हसन, इब्ने सीरीन, अयाज़, जुहरी और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) का यही क़ौल है। यज़ीद बिन अब्दुल मलिक, मरवान जो अमीरुल मो'मिनीन थे यही हुक्म देते थे। ओज़ाई, इस्हाक़ बिन राहवे और अहमद बिन हंबल (रह.) भी एक रिवायत में यही फ़र्माते हैं लेकिन ताउस और क़तादा (रह.) इसकी इद्दत भी आधी बताते हैं या'नी दो माह पाँच रातें। अबू हनीफ़ा (रह.) उनके साथ हसन बिन सालेह बिन हुय्यि फ़र्माते हैं तीन हैज़ इद्दत गुज़ार दे। हज़रत अली, इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) अता (रह.) और इब्राहीम नख़ई (रह.) का क़ौल भी यही है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद (रह.) की मशहूर रिवायत में यह है कि इसकी इद्दत एक हैज़ ही है। इब्ने उमर (रज़ि.) शअबी, मक्हूल, लेस, अबू उबेद, अबू सौर (रह.) और जुम्हूर का मज़हब यही है। लेस (रह.) फ़र्माते हैं कि

अगर हेज़ की हालत में इसका सरदार फ़ौत हुआ है तो इसी हेज़ का ख़त्म हो जाना इसकी इद्दत का ख़त्म हो जाना है। इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं अगर हेज़ न आता हो तो तीन महीने इद्दत गुज़ारे। इमाम शाफ़ई (रह.) और जुम्हूर फ़र्माते हैं, एक महीना और तीन दिन मुझे ज़्यादा पसंद हैं, वल्लाहु आ'लम! (मुतर्जिम के नज़दीक क़वी क़ौल पहला है या'नी मिस्ल आज़ाद औरत के पूरी इद्दत गुज़ारे, वल्लाहु आ'लम! इसके बाद जो इर्शाद फ़र्माया, इससे मा'लूम होता है कि सोग वाजिब है। बुख़ारी व मुस्लिम में हदीस है कि जो औरत अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखती हो उसे तीन दिन से ज़्यादा किसी मय्यित पर सोगवारी करना हराम है, हाँ! शौहर पर चार महीने दस दिन सोगवार रहे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तलाक़, बाब तुहद्दुल मुतवफ़्फ़ा मुतवफ़्फ़ी अन्हा अरबअ़त अश्हुरिव्व अ़शरा : 5336, 5337; सहीह मुस्लिम : 1486; अबूदाऊद : 2299; तिर्मिज़ी : 1195; नसाई : 3563) एक औरत ने हुज़ूर (ﷺ) से पूछा कि मेरी बेटी का शौहर मर गया है और उसकी आँखें दुख रही हैं। क्या मैं उसके सुर्मा लगा दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! दो तीन मर्तबा उसने अपना सवाल दोहराया, आप (ﷺ) ने यही जवाब दिया। आख़िर फ़र्माया, यह तो चार महीने और दस दिन हैं जाहिलियत में तुम साल साल भर बैठी रहा करती थीं। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तलाक़, बाब तुहद्दुल मुतवफ़्फ़ा अन्हा अरबअ़त अश्हुरिव्वअ़शरा : 5336; सहीह मुस्लिम : 1488; अबूदाऊद : 2299; तिर्मिज़ी : 2297) हज़रत ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा (رضی الله عنها) फ़र्माती हैं कि पहले जब कभी किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उसे किसी झोंपड़े में डाल देते थे। वह बदतरीन कपड़े पहनती ख़ुश्बू वग़ैरह से अलग रहती और सालभर तक ऐसी ही सड़ी भुसी रहती थी, सालभर के बाद निकलती और ऊँट की मींगनी लेकर फेंकती और किसी जानवर मस्लन गधा या बकरी या परिन्दे के जिस्म के साथ अपने जिस्म को रगड़ती, बसाऔक़ात वह मर ही जाता। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तलाक़, बाब तुहद्दुल मुतवफ़्फ़ा अन्हा अरबअ़त अश्हुरिव्वअ़शरा : 5336, 5337; सहीह मुस्लिम : 1488) यह थी ज़माना जाहिलियत की रस्म। पस यह आयत उसके बाद की आयत के लिए नासिख़ है जिसमें है कि ऐसी औरतें साल भर तक रुकी रहें। इब्ने अ़ब्बास (رضی الله عنه) वग़ैरह यही फ़र्माते हैं लेकिन इसमें नज़र है और तफ़्सील इसकी अ़न्क़रीब आएगी, इंशाअल्लाह! मतलब यह है कि इस ज़माना में बेवा औरत को ज़ीनत और ख़ुश्बू और बहुत भड़कीले कपड़े और ज़ेवर वग़ैरह पहनना मना है और यह सोगवारी वाजिब है। एक क़ौल यह भी है कि तलाक़े रज्ई की इद्दत में यह वाजिब नहीं। और जब तलाक़ बाइन हो तो वजूब और अ़दम के दोनों क़ौल हैं। फ़ौतशुदा शौहरों की ज़िन्दा बीवियों पर तो सब पर यह सोगवारी वाजिब है ख़्वाह वह बालिग़ा हों ख़्वाह वह औरतें जो हेज़ वग़ैरह से उतर चुकी हों, ख़्वाह आज़ाद औरतें हों, ख़्वाह लौण्डियाँ हों, ख़्वाह मुसलमान औरतें हों, ख़्वाह काफ़िर हों। क्योंकि आयत में आ़म हुक्म है। हाँ! सौरी और अबू हनीफ़ा (रह.) काफ़िरा औरत की सोगवारी के क़ाइल नहीं। अशहब और इब्ने नाफ़ेअ़ का क़ौल भी यही है। इनकी दलील वह हदीस है जिसमें है कि जो औरत अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखती हो, अल्ख़। पस मा'लूम हुआ कि यह हुक्म तअ़ब्बुदी है। इमाम अबू हनीफ़ा और सौरी (रह.) कमसिन बालिग़ा औरत के लिए भी यही फ़र्माते हैं क्योंकि वह ग़ैर-मुकल्लफ़ा है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके अस्हाब मुसलमान लौण्डी को इसमे मिलाते हैं लेकिन इन मसाइल के तस्फ़िया का यह मौक़ा नहीं, वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ु बिस्सवाब। फिर फ़र्माया, जब इनकी इद्दत गुज़र चुके तो इनके ओलिया पर कोई गुनाह नहीं कि वह औरतें अपना बनाव सिंगार करें या निकाह करें, यह सब उनके लिए हलाल व तय्यब है। हसन, जुहरी और सुदी (रह.) से भी इसी तरह मरवी है।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

तर्जुमा : ''तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन किनायतन उन औरतों से निकाह की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो, अल्लाह तआला को इल्म है कि तुम ज़रूर उनसे ज़िक्र करोगे लेकिन तुम उनसे पोशीदा वा'दे न कर ले, हाँ! यह और बात है कि तुम भली बात बोला करो और अक़्दे-निकाह जब तक कि इद्दत ख़त्म न हो जाए, पुख़्ता न कर लिया करो। जान रखो कि अल्लाह तआला को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है तुम उससे ख़ोफ़ खाते रहा करो और यह भी जान रखो कि अल्लाह तआला बख़्शिश और हिल्म वाला है।'' (235)

पैग़ामे-निकाह का मस्नून तरीक़ा (आयत 235) : मतलब यह है कि सराहत के बग़ैर निकाह की चाहत का इज़्हार किसी अच्छे तरीक़ पर इद्दत के अंदर करने में गुनाह नहीं। मस्लन यूँ कहना कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। (सहीह बुख़ारी, किताबुन निकाह, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ..): 5124) मैं ऐसी औरत को पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरा जोड़ा भी मिला दे, इंशाअल्लाह मैं तेरे सिवा दूसरी औरत से निकाह का इरादा नहीं करूँगा, मैं किसी नेक दीनदार औरत से निकाह करना चाहता हूँ। इसी तरह उस औरत से जिसे तलाक़े बाइन मिल चुकी हो, इद्दत के अंदर ऐसे मुब्हम अल्फ़ाज़ कहना भी जाइज़ हैं। जैसे कि नबी (ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (رضی اللہ عنہا) से फ़र्माया था (जबकि उसके शौहर अबू अम्र बिन हफ़्स (رضی اللہ عنہ) ने उन्हें आख़िरी तीसरी तलाक़ दे दी थी) कि जब तुम इद्दत ख़त्म करो तो मुझे ख़बर कर देना, इद्दत का ज़माना हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (رضی اللہ عنہ) के यहाँ गुज़ारो। जब हज़रत फ़ातिमा (رضی اللہ عنہا) ने इद्दत ख़त्म होने के बाद हुज़ूर (ﷺ) को ख़बर दी तो आपने हज़रत उसामा बिन ज़ैद (رضی اللہ عنہ) से जिनका मंगेतर था, निकाह करा दिया। (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तलाक़, बाब अल्मुतल्लक़तुल बाइन ला नफ़्क़त लहा ; 1480) हाँ! रज्ई तलाक़ की इद्दत के ज़माने में बजुज़ उसके शौहर के किसी को भी यह हक़ नहीं कि वह इशारतन या किनायतन भी अपनी रग़बत ज़ाहिर करे, वल्लाहु आ'लम!

यह फ़र्मान कि तुम अपने नफ़्स में छुपाओ या'नी मंगनी की ख़्वाहिश। और जगह है तेरा रब उनके सीनों की पोशीदगियों को और ज़ाहिर को जानता है। और जगह है मैं तुम्हारे छुपे खुले का जानने वाला हूँ। पस अल्लाह तआला बख़ूबी जानता है कि तुम अपने दिलों में ज़रूर ज़िक्र करोगे। इस वास्ते उसने तंगी हटा दी

लेकिन उन औरतों से पोशीदा वा'दे न करो, या'नी ज़िनाकारी से बचो। इनसे यूँ न कहो कि मैं तुम पर आशिक़ हूँ, तुम भी वा'दा करो कि मेरे सिवा किसी और से निकाह न करोगी वग़ैरह (तब्री : 5/107) इद्दत में ऐसे अल्फ़ाज़ का कहना हलाल नहीं, न यह जाइज़ है कि पोशीदा तौर पर से इद्दत में कर ले और इद्दत गुज़र जाने के बाद उस निकाह का इज़्हार करे। पस यह सब क़ौल इस आयत के उमूम में आ सकते हैं इसीलिए फ़र्मान हुआ कि मगर यह कि तुम उनसे अच्छी बात करो, मस्लन वली से कह देना कि जल्दी न करना, इद्दत गुज़र जाने की मुझे ख़बर करना वग़ैरह। जब तक इद्दत ख़त्म न हो जाए तब तक निकाह मुंअक़िद न किया करो।" (इब्ने अबी हातिम : 2/831)

उलमा का इज्माअ है कि इद्दत के अंदर निकाह सहीह नहीं , अगर किसी ने कर लिया और दुख़ूल भी हो गया तो भी उनमें जुदाई करा दी जाएगी। अब आया यह औरत उस पर हमेशा के लिए हराम भी हो जाएगी या फिर इद्दत गुज़र जाने के बाद वह निकाह कर सकता है, इसमें इख़्तिलाफ़ है। जुम्हूर तो कहते हैं कि कर सकता है लेकिन इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं कि वह हमेशा के लिए हराम हो गई। इनकी दलील यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि जिस औरत का निकाह इद्दत के अंदर हो जाए अगर उसका शौहर उससे नहीं मिला तो उन दोनों में जुदाई करा दी जाएगी और जब उसको पहले शौहर की इद्दत गुज़र जाए तो यह शख़्स मिन्जुम्ला और लोगों की तरह निकाह का पैग़ाम दे सकता है और अगर दोनों में मिलाप भी हो गया है जब भी जुदाई करा दी जाएगी और पहले शौहर की इद्दत गुज़ारकर फिर उस दूसरे शौहर की इद्दत गुज़ारेगी और फिर यह शख़्स उससे हर्गिज़ निकाह नहीं कर सकता। (मुअत्ता : 2/536; ह : 1162) इस फ़ैसले का माख़ज़ यह मा'लूम होता है कि जब उस शख़्स ने जल्दी करके अल्लाह तआला के मुक़र्ररकर्दा वक़्त का लिहाज़ न किया तो उसे उसके ख़िलाफ़ सज़ा दी गई कि वह औरत उस पर हमेशा के लिए हराम कर दी गई जैसे कि क़ातिल अपने मक़्तूल के वरसा से महरूम कर दिया जाता है। इमाम शाफ़ई (रह.) ने इमाम मालिक (रह.) से भी यह असर रिवायत किया है।

इमाम बैहक़ी (रह.) फ़र्माते हैं कि पहला क़ौल तो इमाम साहब (रह.) का यही था लेकिन जदीद क़ौल आपका यह है कि इसे भी निकाह करना हलाल है क्योंकि हज़रत अली (رضي الله عنه) का यही फ़त्वा है। हज़रत उमर (رضي الله عنه) वाला यह असर सनदन मुन्क़तअ है बल्कि हज़रत मसरूक़ (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने इससे रुजूअ कर लिया है और फ़र्माया है कि मुहर अदा कर दे और इद्दत के बाद यह दोनों आपस में अगर चाहें तो निकाह कर सकते हैं। (देखिए (इरवाअ : 2126))

फिर फ़र्माया जान लो कि अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों की पोशीदा बातों को जानता है। उसका लिहाज़ और डर रखो, अपने दिल में औरतों के बारे में फ़र्माने बारी के ख़िलाफ़ ख़्याल भी न आने दो, हमेशा दिल को साफ़ रखो, बुरे ख़्याल से उसे पाक रखो, डर ख़ौफ़ के हुक्म के साथ ही अपनी रहमत की तमअ और लालच भी दिलाई और फ़र्माया कि रब्बे आलम ख़ताओं का बख़्शने वाला और हिल्म और करम वाला है।

....

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۲۳۶﴾

तर्जुमा : ''अगर तुम औरतों को बग़ैर हाथ लगाए और बग़ैर महर मुक़र्रर किए तलाक़ दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ! उन्हें कुछ न कुछ फ़ायदा दे दिया करो, आसानी वाला अपने अंदाज़ से और तंगी वाला अपनी ताक़त के मुताबिक़ दस्तूर के मुताबिक़ अच्छा फ़ायदा दे। भलाई करने वालों पर यह लाज़िम है।'' (236)

दुख़ूल से पहले तलाक़ और मुहर के मसाइल (आयत 236) : अक़्दे निकाह के बाद दुख़ूल से पहले भी तलाक़ देना मुबाह हो रहा है। मुफ़स्सिरीन ने फ़र्माया है कि यहाँ मुराद (मस) से निकाह है। दुख़ूल से पहले तलाक़ दे देना जबकि मुहर का अभी तक़र्रुर नहीं हुआ और तलाक़ दे देना भी जाइज़ है गो उसमें औरत की बेहद दिलशिकनी है इसलिए हुक्म हुआ कि अपने मक़्दूर भर इस सूरत में मर्द को औरत के साथ सलूक करना चाहिए। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं इसका आ'ला हिस्सा ख़ादिम है और उससे कम चाँदी है और उससे कम कपड़ा है। (देखिए (इरवाअ : 6/361) इसकी सनद मुंक़तअ होने की वजह से ज़ईफ़ है) या'नी अगर मालदार है तो गुलाम वग़ैरह दे और अगर मुफ़्लिस है तो कम से कम तीन कपड़े दे। शअबी (रह.) फ़र्माते हैं, दरम्याना दर्जा इस फ़ायदा पहुँचाने का यह है कि कुर्ता दुपट्टा लिहाफ़ और चादर दे दे। शुरैह (रह.) फ़र्माते हैं, पाँच सौ दिरहम दे। इब्ने सीरीन (रह.) फ़र्माते हैं गुलाम दे, या ख़ूराक दे या कपड़े वग़ैरह दे। हसन बिन अली (रह.) ने दस हज़ार दिए थे लेकिन फिर भी वह बीवी साहिबा फ़र्माती थीं कि इस महबूब मक़बूल की जुदाई के मुक़ाबले में यह हक़ीर चीज़ कुछ भी नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का क़ौल है कि अगर दोनों इस फ़ायदा की मिक़्दार में तनाज़ा' करें तो उसके ख़ानदान के मुहर से आधी रक़म दिलवा दी जाए।

इमाम शाफ़ई (रह.) का फ़र्मान है कि किसी ख़ास चीज़ पर शौहर को मजबूर नहीं किया जा सकता बल्कि कम से कम जिस चीज़ को मुतआ या'नी फ़ायदा और अस्बाब कहा जा सकता है वह काफ़ी होगा। मेरे नज़दीक उतना कपड़ा मुतआ है जितने में नमाज़ पढ़ लेनी जाइज़ हो जाए। गो पहला क़ौल हज़रतुल इमाम का यह था कि मुझे इसका कोई सहीह अंदाज़ा मा'लूम नहीं लेकिन मेरे नज़दीक बेहतर यह है कि कम से कम तीस दिरहम होने चाहिएँ जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है। इस बारे में भी बहुत से क़ौल हैं कि हर तलाक़ वाली औरत को कुछ न कुछ अस्बाब देना चाहिए या सिर्फ़ उसी औरत को जिससे मेलमिलाप न हुआ हो। कुछ तो सबके लिए कहते हैं क्योंकि क़ुरआन-करीम में है (وَ لِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ) अल्ख़ (2/बक़रह : 241)। पस इस आयत के उमूम से सबके लिए साबित करते हैं।

इसी तरह इनकी दलील यह आयत भी है (فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ) (33/अहज़ाब : 28) या'नी ऐ नबी! अपनी बीवियों से कहो कि अगर तुम्हारी चाहत दुनिया की ज़िन्दगी और उसकी ज़ीनत की है तो आओ, मैं तुम्हें कुछ अस्बाब भी दूँ और तुम्हें अच्छाई के साथ छोड़ दूँ, आख़िर तक। पस यह तमाम अज़्वाज वह थीं जिनका मुहर भी मुक़र्रर था और जो हुज़ूर अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में भी आ चुकी थीं। सईद बिन जुबेर, अबुल आलिया, हसन बसरी (रह.) का क़ौल यही है। इमाम शाफ़ई (रह.) का भी एक क़ौल यही है और कुछ तो कहते हैं कि इनका नया और सहीह क़ौल यही है, वल्लाहु आ'लम! कुछ कहते हैं अस्बाब का देना उस तलाक़ वाली को ज़रूरी है जिससे ख़ल्वत न हुई हो गो मुहर मुक़र्रर हो चुका हो क्योंकि क़ुरआन करीम में है (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ) (33/अहज़ाब : 49) या'नी ''ऐ ईमानवालों! तुम जब ईमान वाली औरत से निकाह कर लो फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले ही तलाक़ दे दो तो उन पर तुम्हारी तरफ़ से कोई इद्दत नहीं जो इद्दत वह गुज़ारें, तुम उन्हें कुछ माल व अस्बाब दे दो और अच्छे किरदार से छोड़ दो।'' सईद बिन मुसय्यिब (रह.) का क़ौल है कि सूरह अहज़ाब की यह आयत सूरह बक़रह की आयत से मंसूख़ हो चुकी है।

सहल बिन सईद और अबू उसेद (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अमीमा बिन्ते शुरहबील (رضي الله عنها) से निकाह किया। जब वह रुख़्सत होकर आईं और आपने हाथ बढ़ाया तो गोया उसने बुरा माना। आपने अबू उसेद (رضي الله عنه) से फ़र्माया, ''इसे दो रंगीन कपड़े देकर रुख़्सत कर दो।''

तीसरा क़ौल यह है कि सिर्फ़ इसी सूरत में बतौर फ़ायदा के अस्बाब व मताअ का देना ज़रूरी है जबकि औरत की रुख़्सती न हुई हो और महर भी मुक़र्रर न हुआ हो और अगर दुख़ूल हो गया हो तो मुहरे मिस्ल या'नी ख़ानदान के दस्तूर के मुताबिक़ देना पड़ेगा अगर मुक़र्रर न हुआ हो, और अगर मुक़र्रर हो चुका हो और रुख़्सत से पहले तलाक़ दे दे तो आधा महर देना पड़ेगा और अगर रुख़्सती भी हो चुकी है तो पूरा मुहर देना पड़ेगा और यही मुत्आ का बदला होगा। हाँ! उस मुसीबतज़दा औरत के लिए मुत्आ है जिससे मिलाप हुआ न मुहर मुक़र्रर हुआ और तलाक़ मिल गई। इब्ने उमर (رضي الله عنه) और मुजाहिद (रह.) का यही क़ौल है।

गो कुछ उलमा इसी को मुस्तहब बताते हैं कि हर तलाक़ वाली औरत को कुछ न कुछ दे देना चाहिए। उनके सिवा जो मुहर मुक़र्रर किए हुए न हों और न शौहर बीवी का मेल हुआ हो। यही मतलब सूरह अहज़ाब की इस आयते तख़्यीर का है जो उससे पहले इसी आयत की तफ़्सीर में बयान हो चुकी है और इसीलिए यहाँ इस ख़ास सूरत के लिए फ़र्माया गया कि अमीर अपनी वुस्अत के मुताबिक़ दें और ग़रीब अपनी ताक़त के मुताबिक़, आख़िर तक। हज़रत शअबी (रह.) से सवाल होता है कि यह अस्बाब न देने वाला क्या गिरफ़्तार किया जाएगा? तो आपने फ़र्माया, अपनी ताक़त के बराबर दे दे। अल्लाह तआला की क़सम! इस बारे में किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया, अगर यह वाजिब होता तो क़ाज़ी लोग ज़रूर ऐसे शख़्स को क़ैद कर लेते।

....

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٧﴾

तर्जुमा : "और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक़ दे दो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो और तुमने उनका महर भी मुक़र्रर कर दिया हो तो मुक़र्ररा महर का आधा महर दे दो। यह और बात है कि वह ख़ुद माफ़ कर दें या वह शख़्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। तुम्हारा माफ़ कर देना तक़्वा से बहुत नज़दीक है। आपस की फ़ज़ीलत और बुज़ुर्गी को फ़रामोश न करो, यक़ीनन अल्लाह तआला तुम्हारे आ'माल देख रहा है।" (237)

महर की मज़ीद तफ़्सील (आयत 237) : आयत में साफ़ दलालत है इस अम्र पर कि पहली आयत में जिन औरतों के लिए मुत्आ मुक़र्रर किया गया था। वह सिर्फ़ वही औरतें हैं जिनका ज़िक्र उस आयत में किया गया था क्योंकि इस आयत में यह बयान हुआ है कि दुख़ूल से पहले जबकि तलाक़ दे दी गई और महर मुक़र्रर हो चुका था तो आधा महर देना पड़ेगा। अगर यहाँ भी इसके सिवा कोई और मुत्आ वाजिब होता तो वह ज़रूर ज़िक्र किया जाता क्यों कि दोनों की सूरतें यके बाद दीगरे बयान हो रही हैं, वल्लाहु आ'लम! इस सूरत में जो यहाँ बयान हो रही है, आधे महर पर उलमा का इज्माअ है लेकिन तीन के नज़दीक पूरा महर उस वक़्त वाजिब होता है जबकि ख़ल्वत हो गई या'नी मियाँ-बीवी तंहाई की हालत में किसी मकान में जमा हो गए हों गो हमबिस्तरी न हुई हो। इमाम शाफ़ई (रह.) का भी पहला क़ौल यही है और ख़ुल्फ़ाएराशिदीन का फ़ैसला भी यही है। लेकिन इमाम शाफ़ई (रह.) की रिवायत से जो हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि इस सूरत में भी सिर्फ़ आधा महर मुक़र्रर ही देना पड़ेगा। (शाफ़ई, और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) इमाम शाफ़ई (रह.) फ़र्माते हैं कि मैं भी यही कहता हूँ और ज़ाहिर है अल्फ़ाज़ किताबुल्लाह के भी यही कहते हैं। इमाम बैहक़ी (रह.) फ़र्माते हैं कि इस रिवायत के एक रावी लेस बिन अबी सुलेम अगरचे सनदन पकड़े जाने के क़ाबिल नहीं लेकिन इब्ने अबी तलहा से इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) की यह रिवायत मरवी है जिससे मा'लूम होता है कि आपका फ़र्मान यही है। (इब्ने अबी तलहा की इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत मुंक़तअ होने की वजह से ज़ईफ़ होती है।)

फिर फ़र्माता है कि अगर औरतें ख़ुद ऐसी हालत में अपना आधा महर भी शौहर को माफ़ कर दे तो यह और बात है। इस सूरत में शौहर को सब माफ़ हो जाएगा। इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि सय्यिबा औरत अगर अपना हक़ छोड़ दे तो उसे इख़्तियार है। (इब्ने अबी हातिम : 2/839) बहुत से मुफ़स्सिरीन ताबेईन का यही क़ौल है। मुहम्मद बिन का'ब क़ुर्ज़ी कहते हैं कि इससे मुराद औरतों का माफ़ करना नहीं बल्कि मर्दों का माफ़ करना है। या'नी मुराद अपना आधा हिस्सा छोड़ दे और पूरा महर दे दे। लेकिन यह क़ौल शाज़ है क्योंकि कोई और क़ौल इसकी ताईद नहीं करता। फिर फ़र्माता है कि या वह माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। एक हदीस में है इससे मुराद शौहर

है। हज़रत अली (رضي الله عنه) से सवाल हुआ कि इससे मुराद क्या औरत के ओलिया हैं? फ़र्माया, नहीं! बल्कि इससे मुराद शौहर है। (इब्ने अबी हातिम : 2/842; इसकी सनद में इब्ने लहीआ मुख़्तलत रावी है। (अत्तक़रीब : 1/444; रक़म : 574) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) और भी बहुत से मुफ़स्सिरीन से यही मरवी है कि इमाम शाफ़ई (रह.) का जदीद क़ौल भी यही है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) वग़ैरह का भी यही मज़हब है इसलिए कि हक़ीक़तन निकाह को बाक़ी रखना तोड़ देना वग़ैरह यह सब शौहर के ही इख़्तियार में है और जिस तरह वली को इसकी तरफ़ से जिसका वली है उसके माल का दे देना जाइज़ नहीं। इसी तरह उसके म हर के मा'फ़ कर देने का भी इख़्तियार नहीं। दूसरा क़ौल इस बारे में यह है कि इससे मुराद औरत के बाप भाई और वह लोग हैं जिनकी इजाज़त के बग़ैर औरत निकाह नहीं कर सकती। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) अल्क़मा (रह.), हसन, अता, ताउस, ज़ुहरी, रबीआ, ज़ैद बिन असलम, इब्राहीम नख़ई, इकरमा और मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) से भी यही मरवी है। इन दोनों बुज़ुर्गों का भी एक क़ौल यही है। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई (रह.) का क़ौले क़दीम भी यही है। इनकी दलील यह है कि वली ने ही इस हक़ का हक़दार उसे किया था तो उसमें तसर्रुफ़ करने का भी उसे इख़्तियार है। गो दूसरे माल में तसर्रुफ़ का इख़्तियार न हो।

हज़रत इकरमा (रह.) फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआला ने माफ़ कर देने की रुख़्सत औरत को दी और अगर वह बख़ीली और तंगदिली करे तो उसका वली भी माफ़ कर सकता है गो वह औरत समझदार हो। हज़रत शुरेह (रह.) भी यही फ़र्माते हैं लेकिन जब शअबी (रह.) ने इंकार किया तो आपने इससे रुजूअ कर लिया और फ़र्माने लगे कि, इससे मुराद शौहर ही है बल्कि वह इस बात पर मुबाहिला को तैयार रहते थे। फिर फ़र्माता है कि तुम्हारा माफ़ कर देना ही तक़्वा के ज़्यादा क़रीब है। इससे मुराद मर्द औरतें दोनों ही हैं, या'नी दोनों में से अच्छा वही है जो अपना हक़ छोड़ दे, या'नी औरत या तो अपना आधा हिस्सा भी अपने शौहर को माफ़ कर दे या शौहर ही उसे बजाए आधे के पूरा महर दे दे। आपस की फ़ज़ीलत या'नी एहसान को न भूलो, इसे बेकार न छोड़ो, बल्कि इसे काम में लाओ।

इब्ने मर्दवे की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों पर एक काट खाने वाला ज़माना आएगा। मो'मिन भी अपने हाथों की चीज़ को दांतों से पकड़ लेगा और फ़ज़ीलत व बुज़ुर्गी को भूल जाएगा हालाँकि अल्लाह तआला का फ़र्मान है अपने आपस के फ़ज़्ल को न भूलो। बुरे हैं वह लोग जो एक मुसलमान की बेकसी और तंगदस्ती के वक़्त उससे सस्ते दामों में उसकी चीज़ ख़रीदते हैं। (इब्ने मर्दवे, इसकी सनद में उबैदुल्लाह बिन वलीद वसाफ़ी की वजह से सख़्त ज़ईफ़ है।) हालाँकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बे'अ से मना फ़र्मा दिया है। अगर तेरे पास भलाई हो तो अपने भाई को भी वह भलाई पहुँचा उसकी हलाकत में हिस्सा न ले, एक मुसलमान दूसरे का भाई है, न उसे रंज व ग़म पहुँचाए न उसे भलाईयों से महरूम रखे। हज़रत औन हदीसें बयान करते हुए इतना रोते कि आंसू दाढ़ी से टपकते रहे और फ़र्माया कि मैं मालदारों की सुहबत में बैठा और देखा कि हर वक़्त दिल गमज़दा रहता है क्योंकि जिधर नज़र उठती हर एक को अपने से अच्छे कपड़ों में अच्छी ख़ुश्बू में और अच्छी सवारियों में देखता, हाँ! मिस्कीनों की महफ़िल में मैंने बड़ी राहत पाई। अल्लाह तआला भी यही फ़र्माता है कि एक दूसरे की फ़ज़ीलत फ़रामोश न करो, किसी के पास जब कभी कोई साइल आए और उसके पास कुछ न हो तो वह उसके लिए दुआए ख़ैर ही कर दे। अल्लाह तआला तुम्हारे आ'माल से ख़बरदार है, उस पर तुम्हारा काम और तुम्हारा हाल बिलकुल रोशन है और अन्क़रीब वह हर एक आमिल को उसके अमल का बदला देगा।

....

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝٢٣٨ فَاِنْ خِفْتُمْ
فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝٢٣٩

तर्जुमा : ''नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो बिलख़ुसूस दरम्यानी वाली नमाज़ की और अल्लाह तआला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। (238) अगर तुम्हें डर हो तो पैदल ही सही या सवार सही। हाँ! जब अमन हो जाए तो अल्लाह तआला का ज़िक्र करो कि उसने तुम्हें वह ता'लीम दी जो तुम नहीं जानते थे।'' (239)

नमाज़ों की हिफ़ाज़त और सलाते-वुस्ता की मुकम्मल तफ़्सील (आयत 238-239) : अल्लाह तआला का हुक्म हो रहा है कि नमाज़ों के वक़्त की हिफ़ाज़त करो, इसकी हुदूद की निगरानी रखो और अव्वल वक़्त में अदा करते रहो। रसूलुल्लाह (ﷺ) से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) सवाल करते हैं कि कौनसा अमल अफ़ज़ल है? आपने फ़र्माया, ''नमाज़ को वक़्त पर पढ़ना।'' पूछा, फिर कौनसा? फ़र्माया, ''अल्लाह तआला की राह में जिहाद करना'' पूछा, फिर कौनसा? फ़र्माया, ''माँ बाप से भलाई करना।'' हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं अगर मैं कुछ और भी पूछता तो आप (ﷺ) और भी जवाब देते। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब अल्बिर्रु वस्सिलह् : 5970; सहीह मुस्लिम : 86) हज़रत उम्मे फ़रवा (رضي الله عنها) जो बे'अत करने वाली औरतों मे से हैं। फ़र्माती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मैंने सुना, आप आ'माल का ज़िक्र फ़र्मा रहे थे, उसी में आपने फ़र्माया, ''सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह तआला के नज़दीक नमाज़ को अव्वल वक़्त में अदा करने की जल्दी करना है।'' (अहमद : 6/375; किताबुस्सलात, बाब अल्मुहाफ़िज़तु अलस्सल्वात : 426; तिर्मिज़ी : 170; और वह सहीह है।) इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस के एक रावी उमरी को ग़ैर क़वी बताते हैं, फिर सलाते वुस्ता की मज़ीद ताकीद हो रही है। सलफ़ ख़ल्फ़ का इसमें इख़्तिलाफ़ है कि सलाते वुस्ता किस नमाज़ का नाम है। हज़रत अली (رضي الله عنه), हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) वग़ैरह का क़ौल है कि इससे मुराद सुबह की नमाज़ है। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताब सलातुल जमाअत, बाबुस्सलातुल वुस्ता : 28 बलाग़न सनदुहू ज़ईफ़ुन; और वह सहीह है, अन इब्ने अब्बास (इब्ने अबी शैबा : 2/1506; और इसकी सनद सहीह है) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) एक मर्तबा नमाज़े सुबह पढ़ते हैं जिसमें हाथ उठाकर कुनूत भी पढ़ते हैं। फिर फ़र्माते हैं, यही वह नमाज़े वुस्ता है जिसमें कुनूत का हुक्म हुआ है। एक दूसरी रिवायत में है कि यह वाक़िया बसरा की मस्जिद का है और कुनूत आपने रुकूअ से पहले पढ़ी थी। अबुल आलिया (रह.) फ़र्माते हैं, बसरा में मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़ैस (رضي الله عنه) के पीछे सुबह की नमाज़ अदा की फिर मैंने एक सहाबी से पूछा कि सलाते-वुस्ता कौन्सी है फ़र्माया, यही सुबह की नमाज़ है और रिवायत में है कि बहुत से अस्हाब इस मज्मअ में थे और सबने यही जवाब दिया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) भी यही

फ़र्माते हैं और भी बहुत से सहाबा और ताबेईन का यही मसलक है। इमाम शाफ़ई (रह.) भी यही फ़र्माते हैं, इसलिए कि उनके नज़दीक सुबह की नमाज़ में ही क़ुनूत है। कुछ कहते हैं इससे मुराद नमाज़े मग़्रिब है इसलिए कि इससे पहले भी और बाद भी चार रकअत वाली नमाज़ें हैं और सफ़र में दोनों क़सर की जाती हैं। लेकिन मग़्रिब पूरी ही रहती है, यह वजह भी हो सकती है कि इसके ब'ाद दो नमाज़ें रात की या'नी इशा और फ़ज्र वह हैं जिनमें ऊँची आवाज़ से क़िरा'त पढ़ी जाती है और दो नमाज़ें इससे पहली दिन की वह हैं जिनमें आहिस्ता क़िरा'त पढ़ी जाती है, या'नी ज़ुहर, अ़स्र। कुछ कहते हैं, यह ज़ुहर की नमाज़ है। एक मर्तबा चंद लोग हज़रत ज़ेद बिन साबित (رضی اللہ عنہ) की मज्लिस में बैठे हुए थे। वहाँ यही मसला छिड़ा, लोगों ने एक आदमी भेजकर हज़रत उसामा (رضی اللہ عنہ) से पूछवाया। आपने फ़र्माया, यह ज़ुहर की नमाज़ है जिसे हुज़ूर (ﷺ) अव्वल वक़्त में पढ़ा करते थे (तयालिसी) ज़ेद बिन साबित (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं इससे ज़्यादा भारी नमाज़ सहाबा पर और कोई न थी, इसलीए यह आयत नाज़िल हुई और इससे पहले भी दो नमाज़ें हैं और इसके ब'ाद भी दो हैं। (अहमद : 2/183; व अबूदाऊद : 411; और इसकी सनद सहीह है।)

आप ही से यह भी मरवी है कि क़ुरैशियों की एक जमाअ़त के भेजे हुए दो शख़्सों ने आपसे यही सवाल किया जिसके जवाब में आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "वह अ़स्र है।" फिर दो और शख़्सों ने पूछा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "वह ज़ुहर है।" फिर उन दोनों शख़्सो ने हज़रत उसामा (رضی اللہ عنہ) से पूछा, आपने फ़र्माया, ज़ुहर है। आप उसे आफ़ताब ढलते ही पढ़ा करते थे बमुश्किल एक दो सफ़ के लोग आते थे, कोई नींद में होता कोई कारोबार में मशग़ूल होता, जिस पर यह आयत उतरी और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "यह लोग इस हरकत से बाज़ आएँ या मैं इनके घरों को जला दूँगा।" (अहमद : 6/206; और इसकी सनद ज़ईफ़ुल इंक़िताअ़ है) लेकिन इसके रावी ज़बरक़ान ने सहाबी से मुलाक़ात नहीं की। लेकिन हज़रत ज़ेद (رضی اللہ عنہ) से और रिवायात से भी यह साबित है कि इससे मुराद ज़ुहर की नमाज़ ही बताते थे और एक मरफ़ूअ़ हदीस में भी यह है। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताब सलातुल जमाअ़त, बाब अस्सलातुल वुस्ता : 27; अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब वक़्तुल अ़स्र : 411; और वह सहीह है।) हज़रत उ़मर, हज़रत अबू सईद, हज़रत आइशा (رضی اللہ عنہ) वग़ैरह से भी यही मरवी है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से भी एक रिवायत इसी की है।

कुछ कहते हैं इससे मुराद अ़स्र की नमाज़ है। अकसर उ़लमा सहाबा किराम का यही क़ौल है और जुम्हूर ताबेईन का भी यही क़ौल है और अकसर अहले असर का बल्कि जुम्हूर लोगों का भी हाफ़िज़ अबू मुहम्मद अ़ब्दुल मो'मिन दुम्याती ने इस बारे में एक मुस्तक़िल रिसाला तस्नीफ़ फ़र्माया है जिसका नाम कश्फ़ुल ग़िताअ फ़ी तबय्यिनिस्सलातिल वुस्ता है। इसमें इनका फ़ैसल ा भी यही है कि सलाते वुस्ता अ़स्र की नमाज़ है। हज़रत उ़मर, अ़ली, इब्ने मसऊ़द, अबू अय्यूब, अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र, समुरह बिन जुन्दुब, अबू हुरैरह, अबू सईद, हफ़्सा, उम्मे सलमा, इब्ने उ़मर, इब्ने अ़ब्बास, आइशा (رضی اللہ عنہ) का फ़र्मान भी यही है और इन हज़रात से यही मरवी है और बहुत से ताबेईन से भी यही मन्क़ूल है। इमाम अहमद और इमाम शाफ़ई (रह.) का भी यही मज़हब है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का भी सहीह मज़हब यही है। इमाम अबू यूसुफ़, मुहम्मद

(रह़.) से भी यही मरवी है। इब्ने ह़बीब (रह़.) भी यही फ़र्माते हैं, इस क़ौल की दलील सुनिए, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जंगे अह़ज़ाब में फ़र्माया, ''अल्लाह तआ़ला उन मुश्रिकों के दिलों को और घरों को आग से भर दे कि उन्होंने स़लाते वुस्ता या'नी नमाज़े अ़स़र से रोक दिया।'' (स़ह़ीह़ बुख़ार, किताबुद्दा'वात, बाब अदुआउ अ़लल मुश्रिकीन : 6396; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 627)

ह़ज़रत अ़ली (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि हम इससे मुराद सुबह़ की या अ़स़र की नमाज़ लेते थे यहाँ तक कि जंगे-अह़ज़ाब में मैंने हुज़ूर (ﷺ) से ये सुना इसमें क़ब्रों को भी आग से भरना वारिद हुआ है। मुस्नद अह़मद में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने इस आयत की तिलावत की और फ़र्माया, ''यह अ़स़र की नमाज़ है।'' (अह़मद : 5/8; स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अद् दलीलु लिमन क़ालस्स़लातुल वुस्ता हिय स़लातुल अ़स़र : 628; तिर्मिज़ी : 182; मुख़्तस़रन) इस ह़दीस के बहुत से तुरूक़ (सनदें) हैं और बहुत सी कुतुब में मरवी है। ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से एक मर्तबा इस बारे में सवाल हुआ तो आप (رضي الله عنه) ने फ़र्माया, हमने भी एक मर्तबा इसमें इख़्तिलाफ़ किया तो अबू हाशिम बिन उ़त्बा (رضي الله عنه) मज्लिस में से उठकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के मकान पर गए। इजाज़त मांगकर अंदर दाख़िल हुए और आपसे मा'लूम करके बाहर आकर हमें फ़र्माया कि, यह नमाज़े अ़स़र है। (इब्ने जरीर) अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन मरवान (रह़.) की मज्लिस में भी एक मर्तबा यही मसला पेश आया। आप (रह़.) ने फ़र्माया, जाओ! फ़लाँ स़ह़ाबी से पूछ आओ तो एक शख़्स़ ने कहा कि मुझसे सुनिए! मुझे ह़ज़रत अबूबक्र और ह़ज़रत उ़मर (رضي الله عنه) ने मेरे बचपने में यही मसला पूछने के लिए रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास भेजा था। आपने मेरी छंगलियाँ या'नी सबसे छोटी उँगली पकड़कर फ़र्माया, ''देख यह तो है फ़ज्र की नमाज़।'' फिर उसके पास वाली उँगली थामकर फ़र्माया, ''यह हुई ज़ुहर की नमाज़'' फिर अंगूठा पकड़कर फ़र्माया, '' यह है मग़रिब की नमाज़'' फिर शहादत की उँगली पकड़कर फ़र्माया, ''यह हुई इशा की नमाज़, फिर मुझसे कहा, अब तुम्हारी कौनसी उँगली बाक़ी रही? मैंने कहा, बीच की। फ़र्माया, ''और नमाज़ कौनसी बाक़ी रही?'' कहा, अ़स़र; फ़र्माया ''बस यही स़लाते वुस्ता है।'' (इब्ने जरीर) लेकिन यह रिवायत बहुत ही ग़रीब है। ग़र्ज़ स़लाते-वुस्ता से नमाज़े अ़स़र मुराद होना बहुत सी ह़दीसों में वारिद है जिनमें से कोई ह़सन है कोई स़ह़ीह़ है कोई ज़ईफ़ और तिर्मिज़ी, मुस्लिम,देखिए (स़ह़ीह़ मुस्लिम : 628; तिर्मिज़ी : 181) वग़ैरह में यह मौजूद हैं।

फिर इस नमाज़ के बारे में हुज़ूर (ﷺ) की ताकीद और सख़्ती के साथ मुह़ाफ़िज़त भी साबित है। चुनाँचे एक ह़दीस में है जिस से अ़स़र की नमाज़ फ़ौत हो जाए गोया उसका घराना तबाह हो गया और माल व अस्बाब बर्बाद हो गया। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस्स़लात, बाब इस्म मन फ़ातत्हुस्स़लात : 552; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 626) एक ह़दीस में है अब्र वाले दिन नमाज़ अव्वल वक़्त पढ़ो। सुनो! जिस शख़्स़ ने अ़स़र की नमाज़ छोड़ दी उसके आ'माल ग़ारत हो जाते हैं। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस्स़लात, बाब मन तरकल अ़स़र : 553; में ह़ज़रत बुरैदा (رضي الله عنه) से मौक़ूफ़न वारिद है।) एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) ने अ़स़र की नमाज़ क़बीला ग़िफ़ार की एक वादी में जिसका नाम ह़मीस़ था, अदा की। फिर फ़र्माया, ''यही नमाज़ तुमसे

अगले लोगों पर भी पेश की गई थी लेकिन उन्होंने ज़ाया कर दिया। सुनो! इसे पढ़ने वाले को दोहरा अज्र मिलता है उसके बाद कोई नमाज़ नहीं जब तक कि तुम तारे न देख लो।" (अह्मद : 6/397; सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुसलातिल मुसाफ़िरीन, बाब अल्औक़ातुल्लती नही अनिस्सलाति फ़ीहा : 830) ह़ज़रत आइशा (رضي الله عنها) अपने आज़ादकर्दा गुलाम अबू यूनुस (रह़.) से फ़र्माती हैं कि मेरे लिए एक कुरआन शरीफ़ लिखो और जब इस आयत (ह़ाफ़िज़ू) तक पहुँचो तो मुझे ख़बर करना। चुनाचे जब आपको ख़बर की गई तो आपने वस्सलातुल वुस्ता के बाद व सलातुल अस्रि लिखवाया। और फ़र्माया, मैंने ख़ुद इसे यूँ ही रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना। (अह्मद : 6/83; सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अद्दलीलु लिमन क़ालस्सलातुल वुस्ता हिय सलातुल अस्रि : 629; अबूदाऊद : 410; तिर्मिज़ी : 2982) एक रिवायत में वहिय सलातुल अस्रि का लफ़्ज़ भी है (इब्ने जरीर) हुज़ूर (ﷺ) की बीवी ह़ज़रत ह़फ़्सा (رضي الله عنها) ने अम्र बिन राफ़ेअ को जो आपके कुरआन के कातिब थे, इसी तरह़ यह आयत लिखवाई थी। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताब सलातुल जमाअत, बाब अस्सलातुल वुस्ता : 26; और वह सह़ीह़ है।) इस ह़दीस के भी बहुत से तरीक़े हैं और कई एक कुतुब में मरवी है कि उम्मुल मो'मिनीन ने फ़र्माया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से यही अल्फ़ाज़ सुने हैं। ह़ज़रत नाफ़ेअ (रह़.) फ़र्माते हैं मैंने यह कुरआन शरीफ़ अपनी आँखों से देखा, यही इबारत वाव के साथ थी। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) और उबेदह बिन असीर की क़िरा'त भी यूँ ही है।

इन रिवायात को मद्देनज़र रखकर कुछ ह़ज़रात कहते हैं कि चूँकि वाव अत्फ़ के लिए होता है और अत्फ़ मा'तूफ़ में मुग़ायिरत होती है। पस साबित हुआ कि सलातुल वुस्ता और है और सलाते असर और, लेकिन इसका जवाब यह है कि अगर इसे बतौर ह़दीस के माना जाए तो ह़ज़रत अली (رضي الله عنه) वाली ह़दीस बहुत ज़्यादा सह़ीह़ है और इसमें सराहतन मौजूद है। रही 'वाव' सो मुम्किन है कि ज़ाइद हो आतिफ़ा न हो। जैसे (وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ) (6/अन्आम : 55) और (وَ كَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ) (6/अन्आम : 75) में या यह वाव अत्फ़ सिफ़त के लिए हो ज़ात के लिए न हो, जैसे (وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ) (33/अह़ज़ाब : 40) में और जैसे (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۙ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۙ وَ الَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۙ وَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۙ) (87/आ'ला : 1-4) में, इसकी मिसालें और भी बहुत सी हैं। शायरों के शेअरों में भी यह बात पायी जाती है। सीबवे जो नह़वियों के इमाम हैं, फ़र्माते हैं कि (मर्रतु बिअख़ीक व साहिबिक) कहना दुरुस्त है ह़ालाँकि साह़बे और अख़ से मुराद एक ही शख़्स है, वल्लाहु आ'लम!

और अगर इस क़िरा'त के इन कुरआनी अल्फ़ाज़ को बतौर कुरआनी अल्फ़ाज़ के माना जाए तो ज़ाहिर है कि इस ख़बरे वाह़िद से क़िरा'ते कुरआनी साबित नहीं होती जब तक कि तवातुर साबित न हो, इसीलिए ह़ज़रत उस्मान (رضي الله عنه) ने अपने कुरआन में इस क़िरा'त को नहीं लिया और न सातों कुर्रा की क़िरा'त में यह अल्फ़ाज़ हैं बल्कि यह न किसी और ऐसे मुअतबर क़ारी की यह क़िरा'त पायी गई है। इसके अलावा एक ह़दीस और है जिससे इस क़िरा'त का मंसूख़ होना साबित हो रहा है। सह़ीह़ मुस्लिम में है कि यह आयत उतरी

(حَافِظُوْا) तो हम एक मुद्दत तक इसी तरह हुज़ूर (ﷺ) के सामने इस आयत को पढ़ते रहे फिर यह तिलावत मंसूख़ हो गई और आयत यूँ रही (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى) (2/बक़रह : 238) एक शख़्स ने रावी हदीस हज़रत शक़ीक़ (रह.) से कहा कि फिर क्या यह नमाज़ अ़सर की नमाज़ ही है। फ़र्माया, मैं तो सुना चुका हूँ कि किस तरह आयत उतरी और किस तरह मंसूख़ हुई। (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अद्दलीलु लिमन क़ालस्सलातुल वुस्ता हिय सलातुल अ़सरि : 630) पस इस बिना पर यह क़िरा'त हज़रत आइशा और हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) की रिवायत वाली या तो लफ़्ज़न मंसूख़ की जाएगी और अगर वाव को मुग़ायिरत के लिए माना जाए तो लफ़्ज़ और मा'नी दोनों के ए'तिबार से मंसूख़ की जाएगी। कुछ कहते हैं, इससे मुराद मग़्रिब की नमाज़ है। इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से भी यह मरवी है लेकिन इसकी सनद में कलाम है।

कुछ और हज़रात का क़ौल भी यही है इसकी एक वजह तो यह बयान की जाती है कि और फ़र्ज़ नमाज़ें या चार रकआत वाली हैं या दो रकआत वाली और इसकी तीन रकअत हैं। पस यह दरम्याना नमाज़ ठहरी और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि फ़र्ज़ नमाज़ों की यह वित्र है और इसलिए भी कि इसकी फ़ज़ीलत में भी बहुत कुछ अहादीस वारिद हुई है। कुछ लोग इससे मुराद इशाअ की नमाज़ भी बताते हैं। कुछ कहते हैं, पाँच वक़्तों में से एक वक़्त की नमाज़ है लेकिन हम मुअय्यन नहीं कर सकते। क्योंकि यह इसी तरह मुब्हम है जिस तरह लैलतुल क़द्र पूरे साल में या पूरे महीने में या पिछले दस दिनों में मुब्हम है। कुछ हज़रात फ़र्माते हैं, पाँचों नमाज़ों का मज्मूआ मुराद है और कुछ कहते हैं, यह इशाअ और सुबह है और कुछ का क़ौल है यह जमाअत की नमाज़ है। कुछ कहते हैं जुम्आ की नमाज़ है, कोई कहता है नमाज़े ईद मुराद है, कोई कहता है सलाते ज़ुहा मुराद है। कुछ कहते हैं सलाते ख़ौफ़ मुराद है। कुछ कहते हैं, हम तवक़्क़ुफ़ करते हैं और किसी क़ौल के क़ाइल नहीं बनते इसलिए कि दलीलें मुख़्तलिफ़ हैं, वजहे तर्जीह मा'लूम नहीं, किसी क़ौल पर इज्माअ नहीं हुआ बल्कि सहाबा के ज़माने से लेकर आज तक झगड़ा जारी है जिस तरह हज़रत सईद बिन मुसय्यिब (रह.) फ़र्माते हैं कि सहाबा किराम इस बारे में इस तरह मुख़्तलिफ़ थे। फिर उँगलियों में उँगलियाँ डालकर दिखाईं लेकिन यह याद रहे कि यह पिछले क़ौल सबके सब ज़ईफ़ हैं, झगड़ा सिर्फ़ सुबह और अ़सर की नमाज़ में है और सहीह अहादीस से अ़सर की नमाज़ का सलाते-वुस्ता होना साबित है पस लाज़िम हो गया कि हम सब क़ौल को छोड़कर यही अ़क़ीदा रखें कि सलाते वुस्ता से मुराद नमाज़े अ़सर है। इमाम अबू मुहम्मद अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू हातिम राज़ी (रह.) ने अपनी किताब फ़ज़ाइले शाफ़ई (रह.) में रिवायत की है कि हज़रत इमाम साहब (रह.) फ़र्माया करते थे कि (कुल्लु मा क़ुल्तु फ़कान.....) या'नी मेरे जिस किसी क़ौल के ख़िलाफ़ कोई सहीह हदीस मरवी हो तो हदीस ही औला है, ख़बरदार! मेरी तक़्लीद न करना। इमाम शाफ़ई (रह.) के इस फ़र्मान को इमाम रबीअ, इमाम ज़ा'फ़रानी और इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) भी रिवायत करते हैं और मूसा अबुल वलीद बिन जारूद इमाम शाफ़ई (रह.) से नक़्ल करते हैं कि आपने फ़र्माया (اذا صح الحديث و قلت قولا فانا راجع عن قولي و قائل بذالك) या'नी मेरी जो बात हदीस के ख़िलाफ़ हो, मैं अपनी उस बात से रुजूअ करता हूँ और साफ़ कहता हूँ कि मेरा मज़हब वही है जो हदीस में हो।

यह इमाम साहब (रह.) की अमानतदारी और सरदारी है और आप जैसे अइम्म-ए-किराम में से भी हर एक ने यही फ़र्माया है कि उनके क़ौलों को दीन न समझा जाए, रहिमहुमुल्लाहि व रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन। इसीलिए क़ाज़ी मावर्दी (रह.) फ़र्माते हैं कि इमाम साहब (रह.) का सलाते वुस्ता के बारे में यही मज़हब समझना चाहिए कि वह नमाज़े अस्र है गो इमाम साहब (रह.) का अपना क़ौल यह है कि वह अस्र नहीं है मगर आपके इस फ़र्मान के मुताबिक़ हदीस के ख़िलाफ़ इस क़ौल को पाकर हमने छोड़ दिया। शाफ़ई मज़हब के भी और बहुत से मुहद्दिसीन ने यही फ़र्माया है। फ़ल्हम्दु लिल्लाह! कुछ फ़ुक़्हाए शाफ़ई तो कहते हैं कि इमाम साहब का सिर्फ़ एक ही क़ौल है कि वह सुबह की नमाज़ है लेकिन यह सब बातें तै करने के लिए तफ़्सीर मुनासिब नहीं। अलग से इसका बयान मैंने कर दिया है, फ़ल्हम्दु लिल्लाह!

फिर फ़र्माया अल्लाह तआला के सामने ख़ुशूअ-ख़ुज़ूअ, ज़िल्लत और मिस्कीनी के साथ खड़े हुआ करो, जिसको यह लाज़िम है कि इंसानी बातचीत न हो। इसीलिए हज़रत इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) के सलाम का जवाब हुज़ूर (ﷺ) ने नमाज़ में न दिया और बादे फ़राग़त फ़र्माया, "नमाज़ मशग़ूलियत की चीज़ है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल अमल फ़िस्सलात, बाब मा यन्हा मिनल कलामि फ़िस्सलाति : 1199; सहीह मुस्लिम : 538) और हज़रत मुआविया बिन हकम (رضي الله عنه) से जबकि उन्होंने नमाज़ पढ़ते हुए बात की तो फ़र्माया, "कि नमाज़ में इंसानी बातचीत न करनी चाहिए यह तो सिर्फ़ तस्बीह और तक्बीर और ज़िक्रुल्लाह है।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब तहरीमुल कलाम फ़िस्सलाति : 537) मुस्नद अहमद वग़ैरह में है कि इस आयत के नाज़िल होने से पहले लोग ज़रूरी बातचीत भी नमाज़ में कर लिया करते थे। जब यह आयत उतरी तो चुप रहने का हुक्म दे दिया गया। (अहमद : 4/368; सहीह बुख़ारी, किताबुल अमल फ़िस्सलाति, बाब मा यन्हा मिनल कलामि फ़िस्सलाति : 1200; सहीह मुस्लिम : 539) लेकिन इस हदीस में एक इश्काल यह है कि उलमा-ए-किराम की एक जमाअत के नज़दीक नमाज़ में बातचीत करने की हुर्मत हब्शा की हिज्रत के बाद और मदीना शरीफ़ की हिज्रत से पहले ही मक्का शरीफ़ में नाज़िल हो चुकी थी।

चुनाँचे मुस्लिम शरीफ़ में है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि हब्शा की हिज्रत से पहले हम नबी (ﷺ) को सलाम करते थे आप (ﷺ) नमाज़ में होते फिर भी जवाब देते। जब हब्शा से हम वापिस आए तो हुज़ूर (ﷺ) को मैंने आपकी नमाज़ की हालत में ही सलाम किया, आपने जवाब न दिया। अब मेरे रंज व ग़म का कुछ न पूछिए। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) ने मुझे फ़र्माया, अब्दुल्लाह! और कोई बात नहीं, मैं नमाज़ में था। इस वजह से मैंने जवाब न दिया। अल्लाह जो चाहे, नया हुक्म उतारे, उसने यह नया हुक्म नाज़िल फ़र्माया है कि नमाज़ में न बोला करो, पस यह वाक़िया हिज्रते मदीना से पहले का है। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब रद्दुस्सलाम फ़िस्सलाति : 924; और इसकी सनद हसन है; नसाई : 1222)

और यह आयत मदीना में नाज़िल हुई है। अब कुछ तो कहते हैं कि ज़ेद बिन अरक़म (رضي الله عنه) के क़ौल का मतलब जिस कलाम से है और इसकी हुर्मत पर इस आयत से इस्तिदलाल भी ख़ुद इनका फ़हम है, वल्लाहु

आ'लम! कुछ कहते हैं मुम्किन है दो दफ़ा हलाल हो और दो दफ़ा मुमानिअत हुई हो लेकिन पहला वाक़िया ज़्यादा ज़ाहिर है।

हज़रत इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) वाली रिवायत जो मुस्नद अबू यअला में है उसमें है कि हुज़ूर (ﷺ) के जवाब न देने से मुझे यह डर हुआ कि शायद मेरे बारे में कोई वह्यी नाज़िल हुई है। आपने नमाज़ से फ़ारिग़ होकर फ़र्माया (وعليك السلام) नमाज़ में जब तुम हो तो ख़ामोश रहा करो। (इसकी सनद में इस्हाक़ बिन यहया बिन तलहा ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 1/204; रक़म : 802) और इब्नुल मुसय्यिब और इब्ने मसऊद (رضی اللہ عنہ) के दरम्यान इंक़िताअ है) चूँकि नमाज़ों की पूरी हिफ़ाज़त करने का फ़र्मान सादिर हो चुका था इसलिए अब इस हालत को बयान फ़र्माया जाता है जिसमें तमाम अदब व आदाब की पूरी रिआयत उमूमन नहीं रह सकती, या'नी मैदाने जंग में जबकि दुश्मन सर पर हो तो फ़र्माया कि जिस तरह मुम्किन हो सवार पैदल क़िब्ले की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ अदा कर लिया करो।

इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) इस आयत का यही मतलब बयान करते हैं बल्कि नाफ़ेअ फ़र्माते हैं, मैं तो जानता हूँ यह मरफ़ूअ हदीस है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब क़ौलुहू (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا...) : 4535) मुस्लिम शरीफ़ में है सख़्त ख़ौफ़ के वक़्त इशारे से ही नमाज़ पढ़ लिया करो गो सवार पर सवार होकर। (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब सलातुल ख़ौफ़ : 839) अब्दुल्लाह बिन उनेस (رضی اللہ عنہ) को जब हुज़ूर (ﷺ) ने ख़ालिद बिन सुफ़ियान के क़त्ल के लिए भेजा था तो आपने इसी तरह नमाज़े असर इशारे से अदा की थी, आख़िर तक (अबूदाऊद, किताबुत ततव्वअ बाब सलातुत तालिब : 1249; और वह हसन है।) पस इसमें जनाब बारी ने अपने बन्दों पर बहुत आसानी कर दी और बोझ को हल्का कर दिया।

सलाते-ख़ौफ़ (डर) का बयान : सलाते-ख़ौफ़ एक रकअत पढ़नी भी आई है। हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी (ﷺ) की ज़ुबानी हज़र की हालत में चार रकअत फ़र्ज़ की हैं और सफ़र की हालत में दो और ख़ौफ की हालत में एक। (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब सलातुल मुसाफ़िरीन व क़सरुहा : 687) इमाम अहमद (रह.) फ़र्माते हैं यह उस वक़्त की बात है जब बहुत ज़्यादा ख़ौफ़ हो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) और बहुत से दूसरे बुज़ुर्ग सलाते ख़ौफ़ एक रकअत बताते हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) ने सहीह बुख़ारी में बाब बाँधा है कि फ़ुतूहाते क़िला के मौक़े पर और दुश्मन की मुठभेड़ के मौक़े पर नमाज़ अदा करना। (सहीह बुख़ारी, क़ब्ल हदीस रक़म : 945) ओज़ाई (रह.) फ़र्माते हैं अगर फ़तह क़रीब हो और नमाज़ पढ़ने पर क़ुदरत न हो तो हर शख़्स अपने तौर पर इशारे से नमाज़ पढ़ ले। अगर इतना वक़्त भी न मिले तो ताख़ीर करें, यहाँ तक कि लड़ाई ख़त्म हो जाए और चेन नसीब हो तो दो रकअतें अदा कर लें, वरना एक रकअत काफ़ी है लेकिन सिर्फ़ तक्बीर कह लेना काफ़ी नहीं बल्कि ताख़ीर कर दें यहाँ तक कि अमन मिले।

मक्हूल (रह़.) भी यही कहते हैं। ह़ज़रत अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, तुस्तर क़िला की लड़ाई में मैं भी फ़ौज में था, सुबह़ सादिक़ के वक़्त घमसान की लड़ाई हो रही थी, हमें वक़्त ही न मिला कि हम नमाज़ अदा करते । ख़ूब दिन चढ़े उस दिन हमने सुबह़ की नमाज़ पढ़ी। अगर उस नमाज़ के बदले में मुझे दुनिया और जो कुछ उसमें है, मिल जाए ताहम मैं ख़ुश नहीं हूँ। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताब स़लातुल ख़ौफ़, बाब अस्स़लात इन्दल मुनाहिज़तिलहुसून .... ता'लीक़न क़ब्ल ह़दीस : 945) इसके बाद ह़ज़रत इमामुल मुह़द्दिसीन (रह़.) ने इस ह़दीस से इस्तिदलाल किया है जिसमें है कि जंगे-ख़ंदक़ में सूरज ग़ुरूब हो जाने तक आँह़ज़रत (ﷺ) अ़स्र की नमाज़ पढ़ सके। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताब स़लातुल ख़ौफ़, बाब अस्स़लात इन्दल मुनाहिज़त .... ता'लीक़न क़ब्ल ह़दीस : 945) फिर दूसरी ह़दीस में है कि आप (ﷺ) ने जब अपने स़ह़ाबा (رضی اللہ عنہم) को बनी क़ुरैज़ा की त़रफ़ भेजा तो उनसे फ़र्मा दिया था कि तुममें से कोई भी बनू क़ुरैज़ा से पहले नमाज़े अ़स्र न पढ़े। अब जबकि नमाज़े अ़स्र का वक़्त आ गया तो कुछ ने तो वहीं पढ़ ली और कहा कि मत़लब हुज़ूर (ﷺ) का यह था कि हम बहुत जल्द जाएँ ताकि अ़स्र की नमाज़ का वक़्त हमें वहाँ पहुँचकर हो और कुछ लोगों ने न पढ़ी यहाँ तक सूरज ग़ुरूब हो गया और क़ुरैज़ा पहुँचकर ही नमाज़ पढ़ी। हुज़ूर (ﷺ) को जब इसका इ़ल्म हुआ तो आपने स़ह़ाबा के उन दोनों गिरोहों में से किसी को भी कुछ नहीं कहा। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताब स़लातुल ख़ौफ़, बाब अस्स़लात इन्द मुनाहिज़तिलहुसून .... : 946) पस इससे ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) यह मसला साबित करते हैं गो जुम्हूर इसके मुख़ालिफ़ हैं। वह कहते हैं कि सूरह निसाअ में जो नमाज़े ख़ौफ़ का हुक्म है और जिस नमाज़ की मशरूइयत और त़रीक़ा अह़ादीस में वारिद हुआ है वह जंगे ख़ंदक़ के बाद का है जैसे कि अबू सईद वग़ैरह की रिवायत में स़राह़तन बयान है।

लेकिन इमाम बुख़ारी, इमाम मक्हूल और इमाम ओज़ाई (रह़.) का जवाब यह है कि इसकी मशरूइयत बाद में होना इस जवाज़ के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता है कि यह भी जाइज़ हो और वह भी त़रीक़ा हो क्योंकि ऐसी ह़ालत शाज़ व नादिर कभी कभी ही होती है और ख़ुद स़ह़ाबा किराम (رضی اللہ عنہم) ने ह़ज़रत फ़ारूक़े आ'ज़म (رضی اللہ عنہ) के ज़माने में फ़तह़े तुस्तर में इस पर अ़मल किया और किसी ने इंकार नहीं किया, वल्लाहु आ'लम!

फिर फ़र्मान है कि अमन की ह़ालत में हुक्म की बजाआवरी का पूरा ख़याल रखो जिस त़रह़ मैंने तुम्हें ईमान की राह दिखाई और जहल के बाद इ़ल्म दिया तो तुम्हें भी चाहिए कि उसके शुक्रिया में ज़िक्रुल्लाह इत्मिनान से किया करो जैसे कि नमाज़े ख़ौफ़ का बयान करके फ़र्माया, जब इत्मिनान हो जाए तो नमाज़ों को अच्छी त़रह़ क़ायम करो, नमाज़ मो'मिनों पर वक़्ते मुक़र्ररह पर फ़र्ज़ है। स़लाते-ख़ौफ़ का पूरा बयान सूरह निसाअ की आयत (كُنتَ فِيهِمْ) की तफ़्सीर में आएगा, इंशाअल्लाह!

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ
مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۴۰﴾ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۴۱﴾ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۲۴۲﴾

तर्जुमा : ''जो लोग तुममें से फ़ौत हो जाएँ और बीवियाँ छोड़ जाएँ, वह वसिय्यत कर जाएँ कि उनकी बीवियाँ सालभर तक फ़ायदा उठाएँ उन्हें कोई न निकाले पस अगर वह ख़ुद निकल जाएँ तो तुम पर उसमें कोई गुनाह नहीं, जो वह अपने लिए अच्छाई से करें और अल्लाह तआला ग़ालिब और हकीम है। (240) तलाक़ वालियों को अच्छी तरह फ़ायदा देना परहेज़गारों पर लाज़िम है। (241) अल्लाह तआला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर ज़ाहिर फ़र्मा रहा है ताकि तुम समझो।'' (242)

बेवा औरतों के मुतअल्लिक़ा मसाइल (आयत 240-242) : अकसर मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि यह आयत इससे पहले की आयत या'नी चार महीने दस दिन की इद्दत वाली आयत से मंसूख़ हो चुकी है। सहीह़ बुख़ारी में है कि हज़रत इब्ने ज़ुबेर (ﷺ) ने हज़रत उस्मान (ﷺ) से कहा कि जब यह आयत मंसूख़ हो चुकी है तो फिर आप उसे क़ुरआन करीम में क्यूँ लिखवा रहे हैं? आपने फ़र्माया, भतीजे! जिस तरह अगले क़ुरआन में यह मौजूद है यहाँ भी मौजूद रहेगी, हम कोई हेर-फेर नहीं कर सकते। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह बक़रह, बाब (وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ....) : 4535, 4531) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़र्माते हैं पहले तो यही हुक्म था कि सालभर तक नान व नफ़क़ा इस बेवा औरत को मय्यित के माल से दिया जाए और उसी के मकान में यह रहे। फिर मीरास की आयत ने इसे मंसूख़ कर दिया और शौहर की औलाद होने की सूरत में माले मतरूका का आठवाँ ह़िस्सा और औलाद न होने की सूरत में चौथाई माल वरसा का मुक़र्रर किया और इद्दत चार माह दस दिन मुक़र्रर हुई। (इब्ने अबी हातिम : 2/871) अकसर सहाबा और ताबेईन से मरवी है कि यह आयत मंसूख़ है। सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं सूरह अहज़ाब की आयत (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ) आख़िर तक (33/अहज़ाब : 49) ने इसे मंसूख़ कर दिया। हज़रत मुजाहिद (रह़.) फ़र्माते हैं, सात महीने बीस दिन जो असली इद्दत चार महीने दस दिन के सिवा हैं। इस आयत में इस मुद्दत का हुक्म हो रहा है तो वाजिब है लेकिन यह ज़्यादती की मुद्दत का औरत को इख़्तियार है ख़्वाह वहीं बैठकर यह ज़माना गुज़ारे ख़्वाह न गुज़ारे और चली जाए। मीरास की आयत ने रहने सहने के मकान को भी मंसूख़ कर दिया। वह जहाँ चाहे इद्दत गुज़ारे, मकान का ख़र्च शौहर के ज़िम्मे नहीं। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब (وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ....) : 4531)

पस इन अक़्वाल से मा'लूम होता है कि इस आयत ने सालभर की इद्दत को वाजिब नहीं किया फिर मंसूख़ होने के क्या मा'नी? यह तो शौहर की वसिय्यत है और इसे भी अगर औरत पूरा करना चाहे तो करे वरना इस पर जबर नहीं। वसिय्यत से मुराद यह है कि अल्लाह तआला तुम्हें वसिय्यत करता है जैसे (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ) (4/निसाअ : 11) इसका नसब फ़ल्तूसू लहुन्न को महज़ूफ़ मानकर है वसिय्या की क़िरा'त यही है या'नी कुतिब अलयकुम वसिय्यतन। पस अगर औरतें सालभर तक अपने फ़ौतशुदा शौहरों के मकानों में रहें तो उन्हे न निकाला जाए और अगर वह इद्दत गुज़ारना चाहें तो उन पर कोई जबर नहीं। इमाम इब्ने तैमिया (रह.) भी इस क़ौल को इख़्तियार करते हैं। और भी बहुत से लोग इसी क़ौल को इख़्तियार करते हैं जबकि बाक़ी जमाअत इसे मंसूख़ बताती है। पस अगर इनका इरादा असली इद्दत के बाद ज़माना के मंसूख़ होने का है तो ख़ैर वरना इस बारे मे अइम्मा का इख़्तिलाफ़ है। वह कहते हैं, शौहर के घर में इद्दत गुज़ारनी ज़रूरी है और इसकी दलील मुअत्ता इमाम मालिक की यह हदीस है कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضی اللہ عنہ) की हमशीरा फ़रीआ बिन्ते मालिक (رضی اللہ عنہا) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और कहा, हमारे गुलाम भाग गए थे जिन्हें ढूँढ़ने के लिए मेरे शौहर गए। क़दूम में उन गुलामो से मुलाक़ात हुई लेकिन उन्होंने आपको क़त्ल कर दिया। उनका कोई मकान नहीं, जिसमें मैं इद्दत गुज़ारूँ और न कुछ खाने-पीने को है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने मायके चली आऊँ और यहीं इद्दत पूरी करूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इजाज़त है। मैं लौटी, अभी तो मैं हुज्रे में ही थी कि हुज़ूर (ﷺ) ने मुझे बुलवाया या ख़ुद बुलाया और फ़र्माया, तुमने क्या कहा, मैंने फिर क़िस्सा बयान किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने घर में ही ठहरी रहो यहाँ तक कि इद्दत गुज़र जाए। चुनाँचे मैंने वहीं इद्दत का ज़माना पूरा किया, या'नी चार महीने दस दिन। हज़रत उस्मान (رضی اللہ عنہ) ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में मुझे बुलवाया और मुझसे यही मसला पूछा। मैंने अपना यह वाक़िया हुज़ूर अकरम (ﷺ) के फ़ैसले समेत सुनाया। हज़रत उस्मान (رضی اللہ عنہ) ने भी उसी की पैरवी की और यही फ़ैसला दिया। (मुअत्ता इमाम मालिक, किताबुत्तलाक़, बाब मक़ामल मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजहा : 87; अबूदाऊद : 2300; तिर्मिज़ी : 1204; नसाई : 3558; इब्ने माजा : 2031; और वह सहीह है।) इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी (रह.) हसन सहीह कहते हैं। मुतल्लक़ा औरत को मताअ देने के बारे में लोग कहते थे कि अगर हम चाहें दें, चाहें न दें। इस पर यह आयत उतरी। (तब्री : 5/264) इसी आयत से कुछ लोगों ने हर तलाक़ वाली को कुछ न कुछ देना वाजिब क़रार दिया है और कुछ दूसरे बुज़ुर्गों ने इसे उन औरतों के साथ मख़्सूस माना है जिनका बयान पहले गुज़र चुका या'नी जिन औरतों से सुहबत न हुई हो और महर भी न मुक़र्रर हुआ हो और तलाक़ दे दी जाए। लेकिन पहली जमाअत का जवाब यह है कि आम में से एक ख़ास सूरत का ज़िक्र करना इसी सूरत के साथ इस हुक्म को मख़्सूस नहीं करता जैसे कि मशहूर और मंसूर मज़हब है, वल्लाहु आ'लम! फिर फ़र्माया कि अल्लाह तआला इसी तरह अपनी हलाल व हराम और फ़राइज़ व हुदूद और अम्र व नही के बारे में वाज़ेह और मुफ़स्सर (तफ़सील के साथ) बयान करता है ताकि किसी क़िस्म का इज्माल और इब्हाम बाक़ी न रहे कि ज़रूरत के वक़्त तज़ब्जुब में न पड़ जाओ बल्कि इस क़द्र साफ़ बयान होता है कि हर शख़्स समझ सके।

.....

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ
لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝٢٤٣ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٢٤٤ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ
اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٢٤٥

तर्जुमा : "क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की ता'दाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे। अल्लाह तआला लोगों पर बड़े फ़ज़्ल वाला है लेकिन अकसर लोग नाशुक्रे हैं। (243) अल्लाह की राह में जिहाद करते रहा करो और जान लो कि अल्लाह तआला सुनता जानता है। (244) ऐसा भी कोई है जो अल्लाह तआला को अच्छा क़र्ज़ दे और अल्लाह तआला बहुत बढ़ा चढ़ाकर अता फ़र्माए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ़ लौटाए जाओगे।" (245)

ज़िन्दगी और मौत अल्लाह तआला के हाथ में है (आयत 243-245) : वबा वाली जगह में न जाओ और वहाँ से न निकलो। इब्ने अब्बास (رضی الله عنه) फ़र्माते हैं, यह लोग चार हज़ार थे। एक और रिवायत में है कि आठ हज़ार थे, कुछ नौ हज़ार कहते हैं, कुछ चालीस हज़ार बताते हैं, कुछ तीस हज़ार से कुछ ऊपर बताते हैं। यह लोग ज़ावरदान या ज़रूरदान नामी बस्ती के थे जो वासित की तरफ़ है। कुछ कहते हैं, इसी बस्ती का नाम अज़्रआत था। यह लोग ताऊन के मारे अपने शहर को छोड़ के भागे थे। एक बस्ती में जब पहुँचे वहीं अल्लाह के हुक्म से सब मर गए। इत्तिफ़ाक़ से एक नबी का वहाँ से गुज़र हुआ। उनकी दुआ से अल्लाह तआला ने उन्हें फिर ज़िन्दा कर दिया। कुछ कहते हैं, एक चटयल साफ़ हवादार खुले पुरफ़िज़ा मैदान में ठहरे थे और दो फ़रिश्तों की चीख़ से हलाक किए गए थे जब एक लम्बी मुद्दत गुज़र चुकी तो उनकी हड्डियों का भी चूरा-चूरा हो गया, उस जगह बस्ती बस गई, तब हज़क़ील नामी एक नबी वहाँ से निकले। उन्होंने दुआ की और अल्लाह तआला ने क़बूल फ़र्माई और हुक्म दिया कि तुम कहो कि ऐ बोसीदा हड्डियों! अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम सब जमा हो जाओ चुनाँचे हर हर जिस्म की हड्डियों का ढाँचा खड़ा हो गया फिर अल्लाह तआला का हुक्म हो गया कि आवाज़ लगाओ कि ऐ हड्डियों! अल्लाह तआला फ़र्माता है कि तुम गोश्त-पोस्त, रगें-पुट्ठे भी जोड़ लो। चुनाँचे अल्लाह के उस नबी के देखते हुए यह भी हो गया। फिर आवाज़ लगाई कि ऐ रूहों, अल्लाह तआला का तुम्हें हुक्म हो रहा है कि हर-हर रूह अपने क़दीम जिस्म में आ जाए। चुनाँचे यह सब जिस तरह एक साथ मरे थे उसी तरह एक साथ जी उठे और बेसाख़्ता उनकी ज़ुबान से निकला (سبحانك لا

لا اله الا انت) ऐ अल्लाह! तू पाक है, तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं। यह दलील है क़यामत के दिन उसी जिस्म के साथ दोबारा जी उठने की। फिर फ़र्माता है कि अल्लाह तआला का लोगों पर भारी फ़ज़्लो-करम है कि वह ज़बरदस्त ठोस निशानियाँ अपनी क़ुदरते क़ाहिरा की दिखा रहा है लेकिन बावजूद इसके भी लोग नाक़द्रे और नाशुक्रे हैं। (तब्री : 5/266) इससे मा'लूम हुआ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई और जाए पनाह नहीं। यह लोग वबा से भागे थे और ज़िन्दगी के ह़रीस़ थे तो उसके ख़िलाफ़ अ़ज़ाब आया और फ़ौरन हलाक हो गए।

मुस्नद अह़मद की ह़दीस में है कि जब ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) शाम की त़रफ़ चले और सुर्ग़ में पहुँचे तो ह़ज़रत अबू उ़बेदह बिन जर्राह़ (رضي الله عنه) वग़ैरह सरदाराने-लश्कर मिले और ख़बर दी कि शाम में आजकल वबा है। चुनाँचे इसमें इख़्तिलाफ़ हुआ कि अब वहाँ जाएँ कि न जाएँ। बिलआख़िर ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान बिन ओ़फ़ (رضي الله عنه) जब आए और फ़र्माया कि, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि, जब वबा किसी जगह आए और तुम वहाँ हो तो वहाँ से उसके डर से मत भागो और जब तुम किसी जगह वहाँ की ख़बर सुन लो तो वहाँ उस ह़ालत में जाओ भी मत।'' ह़ज़रत फ़ारूक़ (رضي الله عنه) ने यह सुनकर अल्लाह तआ़ला की ह़म्दो सना की, फिर वहाँ से वापिस चले गए। (अह़मद : 1/194; स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तिब्ब, बाब मा युज़क्करु फ़ित्ताऊ़न : 5729; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2219) एक और रिवायत में है कि यह अल्लाह का अ़ज़ाब है जो अगली उम्मतों पर डाला गया था, आख़िर तक (अह़मद : 1/193; और वह ह़सन स़ह़ीह़ बिश्शवाहिद है।)

फिर फ़र्माया, जिस त़रह़ उन लोगों का भागना उन्हें मौत से न बचा सका। उसी त़रह़ जिहाद से मुँह मोड़ना भी बेकार है। अजल और रिज़्क़ दोनों क़िस्मत में मुक़र्रर हो चुके हैं , रिज़्क़ न बढ़े, न घटे, मौत न पहले आए न पीछे हटे। और जगह इर्शाद है कि जो लोग अल्लाह की राह से रुककर बैठ गए हैं और अपने साथियों से भी कहते हैं कि यह जिहादी शुहदा भी अगर हमारी त़रह़ रहते तो मारे न जाते, उनसे कहो कि ज़रा अपनी जानों से भी तो मौत को हटा दो अगर तुम सच्चे हो। और जगह है कि यह लोग कहते हैं, ऐ अल्लाह! हम पर लड़ाई क्यूँ लिख दी, क्यों न हमें एक वक़्त तक फ़ुर्सत दी जिसके जवाब में फ़र्माया कि मज़बूत़ ख़म्बा भी मौत के सामने बेकार है।

उस मौक़े पर इस्लामी लश्करों के ज्यूट सरदार और बहादुरों के पेशवा अल्लाह तआला की तलवार और इस्लाम के पुश्त पनाह अबू सुलेमान ख़ालिद बिन वलीद (رضي الله عنه) का वह फ़र्मान नक़्ल करना बिलकुल मुनासिबे वक़्त होगा जो आपने ऐन इंतिक़ाल के वक़्त फ़र्माया था कि कहाँ हैं , मौत से डरने वाले, लड़ाई से जी चुराने वाले मर्द, वह देखें कि मेरा जोड़ जोड़ अल्लाह की राह मे ज़ख़्मी हो चुका है, सारे जिस्म में कोई जगह ऐसी नहीं, जहाँ तीर तलवार नेज़ा बरछा न लगा हो लेकिन देखो कि आज मैं अपने बिस्तर पर फ़ौत होरहा हूँ, मैदाने जंग में न रहा।

फिर परवरदिगारे आ'लम अपने बन्दों को अपनी राह में ख़र्च करने की तर्ग़ीब दे रहा है जो जगह ब जगह दी जाती है। ह़दीसे नुज़ूल में भी है, कौन है जो ऐसे अल्लाह को क़र्ज़ दे जो न मुफ़्लिस है, न ज़ालिम। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताब स़लातुल मुसाफ़िरीन, बाब अत्तर्ग़ीब फ़िद्दुआइ ....: 7585) इस आयत को सुनकर

हज़रत अबुद दहदाह अंसारी (رضي الله عنه) ने कहा था या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या अल्लाह तआला हमसे क़र्ज़ तलब फ़र्माता है, आपने फ़र्माया, हाँ! कहा अपना हाथ दीजिए। फिर हाथ में हाथ लेकर कहा, हुज़ूर (ﷺ)! मैंने अपना बाग़ जिसमें छः सौ खजूर के दरख़्त हैं, अल्लाह तआला को क़र्ज़ दिया और वहाँ से सीधे अपने बाग़ आए और बाहर खड़े होकर अपनी बीवी साहिबा को आवाज़ दी कि बच्चों को लेकर बाहर आ जाओ, मैंने यह बाग़ अल्लाह की राह में दे दिया है। (शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए(सिलसिलतुस्सहीह : 6/1132; तख़रीज मुश्किलतुल फ़क्र : पेज 76) और हक़ भी यही है कि यह रिवायत हमीद बिन अता अल आ'रिज के ज़ुअफ़ की वजह से ज़ईफ़ है।) (इब्ने अबी हातिम) क़र्ज़े हसन से मुराद अल्लाह तआला की राह में ख़र्च करना है और बाल बच्चों पर ख़र्च करना भी है और तस्बीह व तक़्दीस भी है। फिर फ़र्माया कि अल्लाह इसे दो गुना चार गुना करके दे गा, जैसे और जगह है (مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ) आख़िर तक (2/बक़रह : 261) या'नी अल्लाह की राह में ख़र्च करने की मिसाल उस दाना जैसी है जिसकी सात बालियाँ निकलीं और हर बाली में सात दाने हो और अल्लाह जिसे चाहे उससे भी ज़्यादा देता है, आख़िर तक। इस आयत की तफ़्सीर भी अन्क़रीब आएगी, इंशाअल्लाह तआला। हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से अबू उस्मान नहदी पूछते हैं, मैंने सुना है कि आप फ़र्माते हैं एक एक नेकी का बदला एक-एक लाख नेकियों का मिलता है। आपने फ़र्माया, इसमें ता'ज्जुब क्या करते हो। मैंने नबी (ﷺ) से सुना है कि ''एक नेकी का बदला दो लाख के बराबर मिलता है।'' (मुस्नद अहमद : 2/296; और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) लेकिन यह हदीस ग़रीब है।

इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत अबू उस्मान नहदी फ़र्माते हैं कि मुझसे ज़्यादा हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) की ख़िदमत में कोई नहीं रहता था आप हज्ज को गए फिर पीछे से मैं भी गया बसरा पहुँचकर मैंने सुना कि वह लोग हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) की रिवायत से मुंदर्जा बाला हदीस बयान करते हैं। मैंने उनसे कहा, अल्लाह की क़सम! तुम सबसे ज़्यादा मैं अबू हुरैरह (رضي الله عنه) का सुहबत याफ़्ता हूँ। मैंने तो कभी भी आपसे यह हदीस नहीं सुनी। फिर मेरे जी में आई कि चलो, चलकर ख़ुद हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से पूछ लूँ। चुनाँचे मैं वहाँ से चला आया, यहाँ आया तो मा'लूम हुआ कि वह हज्ज को गए हैं, सिर्फ़ इस एक हदीस की ख़ातिर मक्का चल खड़ा हुआ। वहाँ आपसे मुलाक़ात हुई। मैंने कहा, हजरत! यह बसरे वाले आपसे कैसी रिवायत करते हैं। आपने फ़र्माया, वाह! इसमें ता'ज्जुब की कौनसी बात है। फिर यही आयत पढ़ी और फ़र्माया कि साथ ही यह क़ौले बारी भी पढ़ो (فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ) (9/तौबा : 38) या'नी सारी दुनिया का अस्बाब आख़िरत के मुक़ाबले में हक़ीर चीज़ है, अल्लाह की क़सम! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि एक नेकी के बदले अल्लाह तआला दो लाख नेकियाँ अता फ़र्माता है। (इब्ने अबी हातिम; और इसकी सनद बहुत ज़्यादा कमज़ोर है।) इसी मज़्मून की तिर्मिज़ी की यह हदीस भी है कि जो शख़्स बाज़ार में जाए (لا اله الا الله واحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير) पढ़े तो अल्लाह तआला उसके लिए एक लाख नेकियाँ लिखता है और एक लाख गुनाह माफ़ कर देता है। (तिर्मिज़ी, किताबुद्दा'वात, बाब मा यक़ूल इज़ा दख़लुस्सूक़ : 3428; इब्ने माजा : 2233; और वह ज़ईफ़ है। इसकी सनद में अज़्हर बिन सिनान रावी ज़ईफ़ है।) आख़िर तक। इब्ने अबी हातिम में है

(مَثَلُ الَّذِيْنَ) आख़िर तक की आयत जब उतरी तो हुज़ूर (ﷺ) ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत को और ज़्यादती अ़ता फ़र्मा, पस (مَنْ ذَا الَّذِيْ) आख़िर तक, की आयत उतरी और आपने फिर भी यही दुआ की तो (اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (39/जुमर : 10) (इब्ने अबी हातिम, और इसकी सनद बहुत ज़्यादा कमज़ोर है।) हज़रत का'ब अह्बार से एक शख़्स ने कहा, मैंने एक शख़्स से सुना कि जो शख़्स सूरह (क़ुल हुवल्लाहु अहद) (112/इख़्लास : 1) को एक दफ़ा पढ़े, उसके लिए मोती और याक़ूत के दस लाख महल जन्नत में बनते हैं। क्या मैं इसे सच मान लूँ? आपने फ़र्माया, इसमें ता'ज्जुब की कौनसी बात है? बल्कि बीस लाख महल जन्नत में बनते हैं बल्कि बीस लाख और भी तीस लाख और भी और इस क़द्र कि उनकी गिनती अल्लाह तआ़ला के अलावा किसी को मा'लूम ही नहीं। फिर आपने इस आयत की तिलावत की और फ़र्माया, जब अल्लाह तआ़ला अज़्आफ़न कसीरा) फ़र्माता है तो फिर उसे मख़्लूक़ गिनती की ताक़त कैसे रखेगी? फिर फ़र्माया, रिज़्क़ की कमी बेशी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से है अल्लाह तआ़ला की राह में ख़र्च करते हुए बख़ीली न करो, वह जिसे दे उसमे भी हिक्मत है और जिसे न दे, उसमें भी मस्लिहत है, तुम सब क़यामत के दिन उसकी तरफ़ लौटाए जाओगे।

....

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ۭ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآىِٕنَا ۭ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٤٦﴾

तर्जुमा : ''क्या तूने हज़रत मूसा (عليه السلام) के बाद वाली बनी इस्राईल की जमाअ़त को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैग़म्बर से कहा, किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैग़म्बर ने कहा, मुम्किन है कि जिहाद फ़र्ज़ हो जाने के बाद तुम जिहाद न करो। उन्होंने कहा, भला! हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यूँ न करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज़ हुआ तो सिवाए थोड़े से लोगों के सब फिर गए, अल्लाह तआ़ला ज़ालिमों को ख़ूब जानता है।'' (246)

एहसान फ़रामोश क़ौम पर अल्लाह तआला का एक और एहसान (आयत 246) : जिस नबी का यहाँ ज़िक्र है उनका नाम हज़रत क़तादा (रह.) ने युशअ बिन नून बिन इफ़्राहीम बिन यूसुफ़ बिन या'क़ूब (ﷺ) बताया है लेकिन यह क़ौल कुछ ठीक नहीं मा'लूम होता है इसलिए कि यह वाक़िया हज़रत मूसा (ﷺ) के बहुत बाद का हज़रत दाऊद (अ.) के दौर का है जैसाकि सराहतन मन्क़ूल है और हज़रत दाऊद और हज़रत मूसा (ﷺ) के दरम्यान एक हज़ार साल से ज़्यादा का फ़ासला है, वल्लाहु आ'लम!

सुदी का क़ौल है कि यह पैग़म्बर हज़रत शम्ऊन (ﷺ) हैं। (तब्री : 5/293) मुजाहिद कहते हैं यह शमवील बिन यायाली बिन अल्क़मा बिन सफ़िया बिन अल्क़मा बिन अबू हाशिफ़ बिन क़ारून बिन यस्हर बिन फ़ाहिस बिन लावी बिन या'क़ूब बिन इस्हाक़ बिन इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (ﷺ) हैं। क़िस्सा यह है कि हज़रत मूसा (ﷺ) के बाद कुछ ज़माना तक तो बनी इस्राईल राहे हक़ पर रहे फिर शिर्क व बिदअत में पड़ गए मगर ताहम उनमें पे दर पे अम्बिया मब्ऊस होते रहे यहाँ तक कि बनी इस्राईल की बेबाकियाँ हद से गुज़र गईं। अब अल्लाह तआला ने उनके दुश्मनों को उन पर ग़ालिब कर दिया। ख़ूब मार खाई, उजड़े और लुटे। पहले तो तौरात की मौजूदगी और ताबूते सकीना की मौजूदगी जो हज़रत मूसा (ﷺ) से मौरूसी चली आ रही थी, उनके लिए बाइसे ग़लबा होती थी मगर उनकी सरकशी और बदतरीन गुनाहों की वजह से अल्लाह तआला की यह ने'मत भी उनके हाथों से छिन गई और नबुव्वत भी उनके घराने में ख़त्म हुई।

लावी जिनकी औलाद में पैग़म्बरी की नस्ल चली आ रही थी वह सारे के सारे लड़ाईयों में मर खप गए, उनमें सिर्फ़ एक हामिला औरत रह गई थी, उनके शौहर भी क़त्ल हो चुके थे। अब बनी इस्राईल की नज़रें सिर्फ़ उस औरत पर थीं, उनकी ख़्वाहिश थी कि अल्लाह इसे लड़का दे और लड़का नबी बने। ख़ुद उन बीवी साहिबा की दिन रात यही दुआ थी जो अल्लाह ने क़बूल फ़र्माई और उन्हें लड़का दिया जिनका नाम शमवील या शमऊन रखा। उसके लफ़्ज़ी मा'नी हैं कि अल्लाह ने मेरी दुआ क़बूल कर ली। नबुव्वत की उम्र को पहुँचकर उन्हें भी नबुव्वत मिली। जब आपने नबुव्वत का ए'लान किया तो क़ौम ने दरख़्वास्त की कि किसी को आप हमारा बादशाह मुक़र्रर कर दीजिए ताकि हम उसकी मातहती में जिहाद करें। बादशाह तो ज़ाहिरी हो ही गया था लेकिन पैग़म्बर ने अपना खटका बयान किया कि कहीं तुम जिहाद से जी न चुराओ। क़ौम ने जवाब दिया कि हज़रत! हमारे मुल्क हमसे छीन लिए गए हैं, हमारे बाल बच्चे गिरफ़्तार किए गए और फिर भी क्या हम ऐसे बशर्म हैं कि मरने मारने से डरें? अब जिहाद फ़र्ज़ कर दिया गया और हुक्म हुआ कि इस बादशाह के साथ उठो, बस यह सुनते ही सुन हो गए और सिवाए चंद लोगों के बाक़ी सबने चेहरा फेर लिया, उनसे यह कोई नई बात न थी जिसका अल्लाह को इल्म न हो।

....

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ
الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ
اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۴۷﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ
سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۴۸﴾

तर्जुमा : "उन्हें उनके नबी ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है, तो कहने लगे भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है। इससे तो बहुत ज़्यादा हक़दार बादशाहत के हम हैं। इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फ़र्माया, सुनो! अल्लाह तआला ने इसी को तुम पर बरगुज़ीदा किया है और इसे इल्मी और जिस्मानी बुज़ुर्गी भी अता फ़र्माई है। बात यह है कि अल्लाह तआला जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह तआला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। (247) उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि इनकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वह संदूक़ आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ़ से दिलजूई है और आले मूसा और आले हारून का बक़िया तर्का है। फ़रिश्ते उसे उठाकर लायेंगे। यक़ीनन यह तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमानवाले हो।" (248)

हीलेसाज़ (बहानेबाज़) क़ौम (आयत : 247, 248) : मतलब यह है कि जब बादशाह बना देने की ख़्वाहिश उन्होंने अपने पैग़म्बर से की तो पैग़म्बर ने बहुक्मे-इलाही हज़रत तालूत (عليه السلام) को पेश किया जो शाही ख़ानदान से न थे, बल्कि एक लश्करी थे। शाही ख़ानदान यहूद की औलाद थी और यह उनमें से न थे, तो क़ौम ने ए'तिराज़ किया कि हक़दार बादशाहत के तो इससे बहुत ज़्यादा हम हैं। फिर दूसरी बात यह कि इसके पास माल भी नहीं, मुफ़्लिस शख़्स है। कुछ कहते हैं, यह साक़ी पानी पिलाने वाले थे, किसी ने कहा, यह दबाग़ रंगाई करने वाले थे। पस पहली सरकशी तो ए'तिराज़ की सूरत में अह्कामे नबवी के सामने उनसे यह हुई। पैग़म्बर ने उन्हें जवाब दिया कि यह तअय्युन मेरी राय से नहीं जिसमें मैं दोबारा ग़ोर कर सकूँ यह तो हुक्मे इलाही है जिसकी बजाआवरी ज़रूरी है, फिर ज़ाहिर भी वह तुममें बड़े आलिम और क़वी ताक़तवर शकील व जमील शुजाअ व बहादुर और लड़ाई के फ़ुनून से पूरे वाक़िफ़्कार हैं।

यहाँ से यह भी साबित हुआ कि बादशाह शकील क़वी ताक़तवर बड़े दिल व दिमाग़ वाला होना चाहिए फिर फ़र्माया कि असली और हक़ीक़ी हाकिम अल्लाह तआला ही है, मुल्क का मालिक, फ़िल वाक़ेअ वही है जिसे चाहे मुल्क दे, वह हिक्मत वाला राफ़्त व रहमत वाला है। उससे किसकी मजाल कि सवाल करे। जो चाहे कर दे, सबसे सवाल करने वाला, कोई न कोई है लेकिन परवरदिगार उससे मुस्तस्ना है। वह वसीअ फ़ज़्ल वाला अपनी ने'मतों से जिसे चाहे मख़्सूस करे, वह इल्म वाला है, ख़ूब जानता है कि कौन किस चीज़ का मुस्तहिक़ है और कौन मुस्तहिक़ नहीं।

ताबूते सकीना और उसकी तफ़्सील : नबी (शमवील या शम्ऊन) (عليه السلام) फ़र्मा रहे हैं कि तालूत की बादशाहत की पहली बरकत की अलामत यह है कि खोया हुआ ताबूत सकीना तुम्हें फिर मिल जाएगा जिसमें वक़ार व इज़्ज़त दिल जम्ई और जलालत, राफ़्त व रहमत है जिसमें अल्लाह की निशानियाँ हैं जिन्हें तुम बख़ूबी जानते हो। कुछ का क़ौल है कि सकीना एक सोने का तश्त था जिसमें अम्बिया (عليهم السلام) के दिल धोये जाते थे जो हज़रत मूसा (عليه السلام) को मिला था और जिसमें आपने तौरात की तख़्तियाँ रखी थीं। किसी ने कहा, उसका मुँह भी था जैसे इंसान का मुँह होता है और रूह भी था, हवा भी थी, दो सर थे और दुम भी थी। वहब कहते हैं मुर्दा बिल्ली का सर था। जब वह ताबूत में बोलता तो उन्हें नुसरत का यक़ीन हो जाता और लड़ाई में फ़तह हो जाती। यह क़ौल भी है कि यह एक रूह थी अल्लाह की तरफ़ से जब कभी बनी इस्राईल में कोई इख़्तिलाफ होता या किसी बात की ख़बर न होती तो वह कह दिया करती थी। हज़रत मूसा और हज़रत हारून (عليهما السلام) के वरसे के बाक़ी हिस्से से मुराद लकड़ी और तौरात की तख़्तियाँ और ऊन और कुछ उनके कपड़े और जूते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि फ़रिश्ते आसमान व ज़मीन के दरम्यान इस ताबूत को उठाए हुए सब लोगों के सामने लाए और हज़रत तालूत बादशाह के सामने ला रखा। उस ताबूत को उनके यहाँ देखकर उन्हें नबी की नबुव्वत और तालूत की बादशाहत का यक़ीन हो गया। यह भी कहा गया है कि यह गाय के ऊपर लाया गया। कुछ कहते हैं कि कुफ़्फ़ार ने जब यहूदियो पर ग़लबा पाये तो ताबूत सकीना को उनसे छीन लिया और अरीहा में ले गए और अपने बड़े बुत के नीचे रख दिया। जब अल्लाह को उसे वापिस बनी इस्राईल तक पहुँचाना था तब वह कुफ़्फ़ार सुबह को जब बुत ख़ाने में गए तो देखा कि बुत नीचे है और ताबूत ऊपर है। उन्होंने फिर बुत को ऊपर कर दिया लेकिन दूसरी सुबह देखा कि फिर वही मा'मला है। उन्होंने फिर बुत को ऊपर कर दिया। सुबह को जब गए तो देखा कि बुत एक तरफ़ टूटा हुआ पड़ा है तो यक़ीन हो गया कि यह क़ुदरत के करिश्मे हैं। चुनाँचे उन्होंने ताबूत को यहाँ से उठाकर किसी और छोटी सी बस्ती में जाकर रख दिया। वहाँ एक वबाई बीमारी फैली, आख़िर बनी इस्राईल की एक औरत ने जो वहाँ क़ैद थी, उन्हें कहा, इसे वापिस बनी इस्राईल को पहुँचा दो तो तुम्हें इससे नजात मिलेगी, उन लोगों ने दो गायों पर ताबूत को लादकर बनी इस्राईल के शहर की तरफ़ भेज दिया। शहर के क़रीब पहुँचकर गायें तो रस्सियाँ तुड़वाकर भाग गईं और ताबूत वहीं रहा, जिसे बनी इस्राईल ले आए। कुछ तो कहते हैं दो नौजवान उसे पहुँचा गए, वल्लाहु आ'लम! (लेकिन अल्फ़ाज़े क़ुरआन में यह मौजूद है कि इसे फ़रिश्ते उठा लायेंगे, मुतर्जिम) यह भी कहा गया है कि यह फ़लस्तीन की बस्तियों में से एक बस्ती में था जिसका नाम अज़्दवा था। फिर फ़र्माता है मेरी नबुव्वत की दलील और तालूत की बादशाहत की दलील यह भी है कि ताबूत फ़रिश्ते पहुँचा जाएँगे अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान हो।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ
فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ
فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا
طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ
كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

तर्जुमा : ''जब हज़रत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो! अल्लाह तआला तुम्हें एक नहर से आज़माने वाला है जिसने उसमें पी लिया वह मेरा नहीं और जो उसे न चखे वह मेरा है, हाँ! यह और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भरे लेकिन सिवाए चंद के बाक़ी सबने वह पानी पी लिया। (हज़रत) तालूत ईमानदारों समेत जब नहर से गुज़र गए तो वह लोग कहने लगे, आज तो हममें ताक़त नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ें। अल्लाह की मुलाक़ात पर यक़ीन रखने वालों ने कहा, बसाऔक़ात छोटी और थोड़ी सी जमाअतें बड़ी और बहुत सी जमाअतों पर अल्लाह के हुक्म से ग़ल्बा पा लेती हैं। अल्लाह तआला सब्र करने वालों के साथ है।'' (249)

हज़रत तालूत के लश्कर का इम्तिहान (आयत 249) : अब वाक़िया बयान हो रहा है कि जब उन लोगों ने तालूत की बादशाहत तस्लीम कर ली और वह उन्हें लेकर जिहाद को चले। हज़रत सुदी (रह.) के क़ौल के मुताबिक़ उनकी ता'दाद अस्सी हज़ार थी। (तब्री : 5/339) रास्ते में तालूत ने कहा, अल्लाह तआला तुम्हें एक नहर के साथ आज़माने वाला है। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के क़ौल के

मुताबिक़ यह नहर उर्दुन और फ़लस्तीन के बीच थी। (तब्री : 5/340) उसका नाम नहरे शरीआ था। तालूत ने उन्हें होशियार कर दिया कि उस नहर का पानी कोई न पिये, अगर पी लेगा तो मेरे साथ न चले। एक आध घूँट अगर किसी ने पी लिया तो कुछ हर्ज नहीं। लेकिन जब वहाँ पहुँचे प्यास की शिद्दत थी, नहर पर झुक पड़े और ख़ूब पेट भरकर पानी पी लिया मगर कुछ लोग ऐसे पुख़्ता ईमान वाले भी थे कि जिन्होंने न पिया, मगर एक चुल्लू भर बक़ौल हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) के एक चुल्लू पीने वालों की तो प्यास भी बुझ गई और वह जिहाद में शामिल रहे लेकिन ख़ूब पेट भरकर पीने वालों की न तो प्यास बुझी, न वह क़ाबिले जिहाद रहे। सुदी (रह.) फ़र्माते हैं, अस्सी हज़ार में से छिहत्तर हज़ार ने पानी पी लिया सिर्फ़ चार हज़ार आदमी हक़ीक़ी फ़र्मांबरदार निकले।

हज़रत बराअ बिन आज़िब (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि अस्हाबे मुहम्मद अकसर फ़र्माया करते थे कि बद्र की लड़ाई वाले दिन हमारी ता'दाद इतनी ही थी जितनी ता'दाद हज़रत तालूत बादशाह के उस फ़र्मांबरदार लश्कर की थी जो आपके साथ नहर से पार हुआ था। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब इद्दतु अस्हाबे बद्र : 3957) या'नी तीन सौ तेरह। यहाँ से पार होते ही नाफ़र्मानों के छक्के छूट गए और निहायत बुज़दिलानापन से उन्होंने जिहाद से इंकार कर दिया और दुश्मनों की ज़्यादती ने उनके होसले तोड़ दिए, साफ़ जवाब दे बैठे कि आज तो हम जालूत के लश्कर से लड़ने की ताक़त अपने में नहीं पाते। गो सरफ़रोश मुजाहिद उलमा-ए-किराम ने उन्हें हर तरह हिम्मत बंधाई, वा'ज़ किए, फ़र्माया कि क़िल्लत व कसरत पर फ़तह मौक़ूफ़ नहीं, सब्र और नेक निय्यती पर ज़रूर अल्लाह की मदद होती है। कई बार ऐसा हुआ कि मुट्ठीभर लोगों ने बड़ी बड़ी जमाअतों को नीचा दिखाया है, तुम सब्र करो, तबीअत में इस्तिक़्लाल और अ़ज़्म रखो, अल्लाह के वा'दों पर नज़रें रखो, उस सब्र के बदले अल्लाह तआला तुम्हारा साथ देगा लेकिन ताहम उनके सर व दिल न गर्माए और उनकी बुज़दिली दूर न हुई।

◈ ◈ ✣ ◈ ◈

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَٰفِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ
وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم
بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَٰلَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ آيَٰتُ اللَّهِ
نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

तर्जुमा : ''जब उनका जालूत और उसके लश्कर से मुक़ाबला हुआ तो उन्होंने दुआ की कि, ऐ परवरदिगार! हमें सब्र दे, साबितक़दमी दे और क़ौमे-कुफ़्फ़ार पर हमारी मदद फ़र्मा।(250) चुनाँचे अल्लाह तआला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को हरा दिया और हज़रत दाऊद (عليه السلام) के हाथों जालूत क़त्ल हुआ और अल्लाह तआला ने दाऊद (عليه السلام) को मम्लिकत व हिक्मत और जितना कुछ चाहा, इल्म भी अता फ़र्माया। अगर अल्लाह तआला कुछ लोगों को कुछ से दूर न करता तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता लेकिन अल्लाह तआला दुनिया वालों पर बड़े फ़ज़्लो-करम करने वाला है। (251) यह हैं अल्लाह की आयतें जिन्हें हम हक़्क़ानियत के साथ बख़ैर तुझ पर पढ़ते हैं। बिलयक़ीन तू रसूलों में से है।'' (252)

हज़रत दाऊद (عليه السلام) के हाथों जालूत की मौत (आयत 250-252) : या'नी जिस वक़्त मुसलमानों की इस मुख़्तसर जमाअत ने कुफ़्फ़ार की टिड्डीदल लश्कर देखे तो जनाब बारी मे गिड़-गिड़ाकर दुआएँ करनी शुरू कर दीं, ऐ अल्लाह! हमें सब्र व सिबात का पहाड़ बना दे और लड़ाई के वक़्त हमारे क़दम जमा दे, चेहरा फेरने और भागने से हमें बचा ले और उन दुश्मनों पर हमें ग़ालिब कर। चुनाँचे उनकी यह आजिज़ाना और मुख़्लिसाना दुआएँ क़बूल होती हैं। अल्लाह की मदद नाज़िल होती है और यह मुट्ठीभर जमाअत उस टिड्डीदल लश्कर का तहस नहस कर देती है। और हज़रत दाऊद (عليه السلام) के हाथों मुख़ालिफ़ीन का सरदार जालूत मारा जाता है। इस्राईली रिवायतों में यह भी मरवी है कि हज़रत तालूत ने उनसे वा'दा किया था कि अगर तुम जालूत को क़त्ल करोगे तो मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूँगा और अपना माल भी आधो आध तुम्हें दे दूँगा और हुकूमत में भी बराबर का शरीक कर लूँगा। चुनाँचे हज़रत दाऊद (عليه السلام) ने पत्थर को फ़लाख़न में रखकर जालूत पर चलाया और उसी से वह मारा गया। हज़रत तालूत ने अपना वा'दा पूरा किया बिलआख़िर सल्तनत के मुस्तक़िल सुलतान आप ही हो गए और परवरदिगारे आलम की तरफ़ से नबुव्वत जैसी ज़बरदस्त ने'मत

अ़ता हुई और हज़रत शमवील (عليه السلام) के बाद यह पैग़म्बर भी बने और बादशाह भी। हिक्मत से मुराद नबुव्वत है और बहुत से मख़्सूस इल्म भी जो अल्लाह ने अपने नबी को सिखाए।

फिर इर्शादे बारी तआ़ला है कि अगर अल्लाह तआ़ला यूँ पस्त लोगों की पस्ती न बदलता जिस तरह बनी इस्राईल को तालूत जैसे मुदब्बिर बादशाह और दाऊद (عليه السلام) जैसे दिलेर सिपहसालार अ़ता फ़र्मा कर बदली तो लोग हलाक हो जाते। जैसे और जगह है (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) या'नी यूँ अगर एक दूसरे का दफ़इया न होता तो इबादत ख़ाने और वह मस्जिदें जिनमें अल्लाह का नाम बकसरत ज़िक्र किया जाता है तोड़ दी जातीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "एक नेकबख़्त ईमानदार की वजह से उसके आसपास के सौ सौ घरानें से अल्लाह तआ़ला बलाओं को दूर कर देता है।" फिर रावी हदीस हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) ने इसी आयत की तिलावत की। (इब्ने जरीर और इसकी सनद बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है।) इब्ने जरीर की एक और ग़रीब हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला एक सच्चे मुसलमान की सलाहियत की वजह से उसकी औलाद की औलाद को उसके घर वालों के और आसपास के घर वालों को सँवार देता है और उसकी मौजूदगी तक वह सब अल्लाह तआ़ला की हिफ़ाज़त में रहते हैं। (इब्ने जरीर; और इसकी सनद बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है।) इब्ने मर्दवे की एक हदीस में है कि क़यामत तक हर ज़माना में सात शख़्स तुममें ज़रूर ऐसे रहेंगे जिनकी वजह से तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम पर बारिश बरसाई जाए और तुम्हें रोज़ी दी जाएगी। इब्ने मर्दवे की दूसरी हदीस में है मेरी उम्मत में तीस अब्दाल होंगे जिनकी वजह से तुम रोज़ियाँ दिए जाओगे, तुम पर बारिशें बरसाई जायेंगी और तुम्हारी मदद की जाएगी। इस हदीस के रावी हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि मेरा ख़्याल है हज़रत हसन (रह.) भी उन्हीं अब्दाल में से थे। (इसकी सनद मज्हूल रावियों की वजह से ज़ईफ़ है और शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे ज़ईफ़ : 2/341 में ज़ईफ़ क़रार दिया है। इसी तरह इब्नुल क़य्यिम (रह.) ने अल्मनारुल मुनीफ़, पेज : 136; (अत्तब्अ़तुल मिस्रिया) में अब्दाल, अक़्ताब अग़्वास, नुक़्बा, नज्बाअ और औताद के तज़्किरे वाली अहादीस को रसूलुल्लाह (ﷺ) पर किज़्ब व इफ़्तिरा क़रार दिया है।) फिर फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला की यह ने'मत और उसका एहसान है कि वह एक को दूसरे से दूर करता है, वही सच्चा हाकिम है और उसके तमाम काम हिक्मत से पुर होते हैं, वह अपनी दलीलें अपने बन्दों पर वाज़ेह फ़र्मा रहा है, वह तमाम मख़्लूक़ पर फ़ज़्लो-करम करता है। यह वाक़ियात और तमाम हक़ की बातें ऐ नबी! हमारी सच्ची वह्य से तुम्हें मा'लूम हुईं, तुम मेरे सच्चे रसूल हो, मेरी इन बातों की और खुद आपकी नबुव्वत की सच्चाई का इल्म उन लोगों को भी है जिनके हाथों में किताब है यहाँ अल्लाह तआ़ला ने जोरदार और पुर ताकीद अल्फ़ाज़ में क़सम खाकर अपने नबी (ﷺ) की नबुव्वत की तस्दीक़ की।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ۗ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢٥٣﴾

तर्जुमा : ''यह रसूल हैं जिनमें से हमने कुछ को कुछ पर फ़ज़ीलत दे रखी है, उनमें से कुछ वह हैं जिनसे अल्लाह तआला ने बातचीत की है और कुछ के दर्जे बुलंद किए, और हमने ईसा बिन मरयम (अ़) को मु'जिज़ात अ़ता फ़र्माए और रूहुल क़ुदुस से इनकी ताईद की, अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हर्गिज़ आपस में लड़ाई-भिड़ाई न करते लेकिन उन लोगों ने इख़्तिलाफ़ किया, उनमें से कुछ तो मो'मिन हुए और कुछ काफ़िर, और अगर अल्लाह चाहता तो यह आपस में न लड़ते लेकिन अल्लाह जो चाहता है, करता है।'' (253)

अम्बिया के दरजात और मुहम्मद (ﷺ) की तमाम अम्बिया पर फ़ज़ीलत (आयत 253) : यहाँ बयान हो रहा है कि रसूलों में भी मरातिब हैं। जैसे और जगह फ़र्माया (وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا) (17/इस्रा : 55) हमने कुछ नबियों को कुछ पर फ़ज़ीलत दी और हज़रत दाऊद (ﷺ) को हमने ज़बूर दी, यहाँ भी इसी का बयान करके फ़र्माता है। इनमें से कुछ को शर्फ़े हमकलामी भी नसीब हुआ। जैसे हज़रत मूसा (ﷺ) और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) और हज़रत आदम (ﷺ)। सहीह इब्ने हिब्बान में हदीस है जिसमें मे'राज के बयान के साथ यह भी वारिद हुआ है कि अल्लाह के नबियों को नबी (ﷺ) ने अलग-अलग आसमान में पाया, जो दलील है उनके मर्तबों के कमो बेश होने की। हाँ! एक हदीस में है कि एक मुसलमान और यहूदी की कुछ बातचीत हो गई तो यहूदी ने कहा, क़सम है उस अल्लाह की जिसने मूसा (ﷺ) को तमाम जहान वालों पर फ़ज़ीलत दी। मुसलमान से ज़ब्त न हो सका, उसने उठाकर एक थप्पड़ मारा और कहा, ख़बीस! क्या हमारे नबी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) से भी वह अफ़ज़ल हैं? यहूदी ने दरबारे नबवी (ﷺ) में आकर इसकी शिकायत की। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मुझे नबियों पर फ़ज़ीलत न दो, क़यामत के दिन सब बेहोश होंगे। सबसे पहले मैं होश में आऊँगा तो मैं देखूँगा कि हज़रत मूसा (ﷺ) अल्लाह के अर्श का पाया थामे हुए होंगे। मुझे नहीं मा'लूम कि वह मुझसे पहले ही होश में आ गए? या सिरे से बेहोश ही नहीं हुए थे और तूर की बेहोशी के बदले यहाँ की बेहोशी से बचा लिए गए, पस मुझे नबियों पर फ़ज़ीलत न दो।''

(सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (وإن يونس لمن المرسلين) : 3414; सहीह मुस्लिम : 2373) एक और रिवायत में है कि, ''पैग़म्बरों के दरम्यान फ़ज़ीलत न दो।'' पस यह हदीस बज़ाहिर क़ुरआन करीम की इस आयत के ख़िलाफ़ मा'लूम होती है लेकिन दरअसल कोई तआरुज़ नहीं, मुम्किन है कि हुज़ूर (ﷺ) का यह फ़र्मान इससे पहले हो कि आपको फ़ज़ीलत का इल्म हुआ हो लेकिन यह क़ौल ज़रा ग़ौरतलब है। दूसरा जवाब यह है कि आप (ﷺ) ने महज़ तवाज़ोअ और फ़रोतनी के तौर पर फ़र्माया है न कि हक़ीक़त के तौर पर, तीसरा जवाब ये है कि ऐसे झगड़े और इख़्तिलाफ़ के वक़्त एक को एक पर फ़ज़ीलत देना दूसरे की शान घटाना है। इसलिए आप (ﷺ) ने मना' फ़र्मा दिया, चौथा जवाब यह है कि तुम फ़ज़ीलत न दो, या'नी सिर्फ़ अपनी राय अपने ख़्याल और अपने ज़हनी ता'स्सुब से अपने नबी को दूसरे नबी पर फ़ज़ीलत न दो। पाँचवाँ जवाब यह है कि फ़ज़ीलत व तक्रीम का फ़ैसला तुम्हारे बस का नहीं बल्कि यह अल्लाह की तरफ़ से है वह जिसे जो फ़ज़ीलत दे तुम मान लो, तुम्हारा काम तस्लीम करना और ईमान लाना है। फिर फ़र्माता है कि हमने हज़रत ईसा (عليه السلام) को वाज़ेह दलीलें और ऐसी हुज्जतें अता फ़र्माई थीं जिनसे बनी इस्राईल पर साफ़ वाज़ेह हो गया कि आप (ﷺ) की रिसालत बिलकुल सच्ची है और साथ ही आपकी यह हैसियत भी वाज़ेह हो गई कि मिस्ल और बन्दों के आप भी अल्लाह तआला के आजिज़ बन्दे और बेकस ग़ुलाम हैं और रूहुल क़ुदुस या'नी हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) से हमने इनकी ताईद की। फिर फ़र्माया कि बाद वालों के इख़्तिलाफ़ भी हमारे क़ज़ा व क़द्र का नमूना हैं, हमारी शान यह है कि जो चाहें करें, हमारे किसी इरादे से मुराद जुदा नहीं।

....

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا
خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ
لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ
عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ
عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ
ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

तर्जुमा : "ऐ ईमानवालों ! जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से ख़र्च करते रहो, इससे पहले कि वह दिन आए जिसमें न तिजारत है और न दोस्ती, न शफ़ाअत, काफ़िर ही ज़ालिम हैं। (254) अल्लाह तआला ही मा'बूदे बरहक़ है जिसके सिवा कोई मा'बूद नहीं, जो ज़िन्दा और सबका थामने वाला, जिसे न ऊँघ आए, न नींद, उसी की मिल्कियत में आसमान व ज़मीन की तमाम चीज़ें हैं, कौन है जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके सामने शफ़ाअत (सिफ़ारिश) कर सके? वह जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, वह उसकी मंशा के बग़ैर किसी चीज़ के इल्म का एहाता नहीं कर सकते, उसकी कुर्सी की वुस्अत ने आसमान व ज़मीन को घेर रखा है, वह अल्लाह तआला उनकी हिफ़ाज़त से न थके, न उक ताए, वह तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है।" (255)

शफ़ाअत के मुश्रिकाना तसव्वुर का रद्द (आयत 254, 255) : अल्लाह तआला अपने बन्दों को हुक्म करता है कि वह भलाई की राह में अपना माल ख़र्च करें ताकि अल्लाह के पास उनका सवाब जमा रहे और फ़र्माता है कि अपनी ज़िन्दगी ही में ख़ैरात व सदक़ात कर लो, क़यामत के दिन न तो ख़रीदो फ़रोख़्त है, न ज़मीन भर कर सोना देने से जान छूट सकती है, न किसी का नसब दोस्ती और मुहब्बत कुछ काम आ सकती है। जैसे और जगह है (فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ) (23/मो'मिनून : 101) या'नी जब सूर फूँका जाएगा, उस दिन न तो नसब रहेगा, न कोई किसी का हाल पूछने वाला होगा और उस दिन सिफ़ारिशियों की सिफ़ारिश भी कुछ नफ़ा न देगी। फिर फ़र्माया, काफ़िर ही ज़ालिम हैं, या'नी पूरे और पक्के ज़ालिम वह हैं जो कुफ़्र की हालत में ही अल्लाह से मिलें। अता बिन दीनार (रह.) कहते हैं शुक्र है अल्लाह ने काफ़िरों को ज़ालिम फ़र्माया लेकिन ज़ालिमों को काफ़िर नहीं फ़र्माया। (इब्ने अबी हातिम : 3/966)

आयतल कुर्सी की फ़ज़ीलत : यह आयत आयतल कुर्सी है जो बड़ी अ़ज़्मत वाली आयत है। हज़रत उबय बिन कअब (رضی اللہ عنہ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) पूछते हैं कि किताबुल्लाह में सबसे ज़्यादा अ़ज़्मत वाली आयत कौनसी है? आप जवाब देते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ही को इसका सबसे ज़्यादा इल्म है। आप फिर यही सवाल करते हैं, बार-बार के सवाल पर जवाब देते हैं कि आयतल कुर्सी। हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, "अबुल मुंज़िर! अल्लाह तुझे तेरा इल्म मुबारक करे, उस अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, उसकी ज़ुबान होगी और होंठ होंगे और यह बादशाहे हक़ीक़ी का तक़द्दुस बयान करेगी और अ़र्श के पाया से लगी हुई होगी।" (अहमद : 5/141; सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब फ़ज़्ल सूरतुल कहफ़ व आयतल कुर्सी : 810; अबूदाऊद : 1460; हदीस का आख़िरी हिस्सा (والذ نفسی بیده إن لہ لسانًا) सुफ़ियान सौरी के अ़न (तदलीस) की वजह से ज़ईफ़ है।) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में भी यह हदीस है लेकिन यह पिछला क़स्मिया जुम्ला इसमें नहीं है। हज़रत उबय बिन कअब (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि मेरे यहाँ खजूर की एक बोरी थी, मैंने देखा कि उसमें से खजूरें रोज़ बरोज़ घट रही हैं, एक रात मैं जागता रहा और उसकी निगहबानी

करता रहा। मैंने देखा कि एक जानवर मिस्ल जवान लड़के के आया, मैनें उसे सलाम किया, उसने मेरे सलाम का जवाब दिया, मैंने कहा, तू इंसान है या जिन्न? उसने कहा, मैं जिन्न हूँ। मैंने कहा, ज़रा अपना हाथ तो दे। उसने हाथ बढ़ा दिया। मैंने अपने हाथ में लिया तो कुत्ते जैसा हाथ था और उस पर कुत्ते जैसे ही बाल भी थे। मैंने कहा, क्या जिन्नो की पैदाइश ऐसी है? उसने कहा, तमाम जिन्नात में सबसे ज़्यादा कुव्वत वाला मैं ही हूँ। मैंने कहा, भला तू मेरी चीज़ चुराने पर कैसे दिलेर हो गया? उसने कहा मुझे मा'लूम है कि तू सदक़ा को पसंद करता है, हमने कहा, फिर हम क्यूँ महरूम रहें? मैंने कहा, तुम्हारे शर्र से बचाने वाली कौनसी चीज़ है? उसने कहा, आयतल कुर्सी। सुबह को जब मैं दरबारे मुहम्मद (ﷺ) में हाज़िर हुआ तो मैंने रात का सारा वाक़िया बयान किया। आपने फ़र्माया, ख़बीस ने यह बात तो बिलकुल सच कही। (हाकिम : 1/562; अमलुल यौम वल लैला लिन्नसाई : 960, 962; और वह हदीस हसन है; और सहीह इब्ने हिब्बान अल्एहसान : 781; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 3245) (अबू यअला) एक बार मुहाजिरीन के पास आप (ﷺ) गए तो एक शख़्स ने कहा, हुज़ूर(ﷺ)! कुरआन की आयत कौनसी बहुत बड़ी है? आप (ﷺ) ने यही आयतल कुर्सी पढ़कर सुनाई। (तबरानी) आप (ﷺ) ने एक मर्तबा सहाबा (رضی اللہ عنہم) में से एक से पूछा, क्या तुमने निकाह कर लिया? उसने कहा, हज़रत! मेरे पास माल नहीं, इसलिए निकाह नहीं किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (कुल हुवल्लाहु) (112/इख़्लास : 1) याद नहीं? उसने कहा, वह तो याद है। ''फ़र्माया चौथाई कुरआन तो यह हो गया।'' क्या (कुल या अय्युहल काफ़िरून) (109/काफ़िरून : 1) याद नहीं कहा हाँ! वह भी याद है। फ़र्माया ''चौथाई कुरआन यह हुआ'' फिर पूछा, क्या (इज़ा जुल्ज़िलत) (99/ज़िल्ज़ाल : 1) भी याद है। कहा हाँ! फ़र्माया ''चौथाई कुरआन यह हुआ।'' क्या (इज़ा जा'अ नस्रुल्लाहि) (110/नस्र : 1) भी याद है, कहा, हाँ! फ़र्माया ''चौथाई'' यह क्या आयतल कुर्सी याद है? कहा, हाँ! फ़र्माया, ''चौथाई कुरआन यह हुआ'' (अहमद : 3/221; तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी इज़ा ज़ुल्ज़िलति : 2895; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; सलमा बिन विरदान रावी ज़ईफ़ है।) हज़रत अबू ज़र (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं, मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप (ﷺ) उस वक़्त मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा थे, मैं आकर बैठ गया, आप (ﷺ) ने पूछा, क्या तुमने नमाज़ पढ़ ली। मैंने कहा कि नहीं! फ़र्माया, उठो! नमाज़ अदा कर लो, मैंने नमाज़ पढ़ी फिर आकर बैठा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अबू ज़र! शैतान इंसानों और जिन्नातों से पनाह मांग'' मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! क्या इंसानी शैतान भी होते हैं, फ़र्माया, ''हाँ!'' मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! नमाज़ की निस्बत क्या इर्शाद है? फ़र्माया ''वह सरासर ख़ैर है'' जो चाहे कम हिस्सा ले जो चाहे ज़्यादा, मैंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! रोज़ा? फ़र्माया, ''किफ़ायत करने वाला फ़र्ज़ है और अल्लाह तआला के नज़दीक ज़्यादती है।'' मैंने कहा, सदक़ा; फ़र्माया, ''बहुत ज़्यादा और बढ़ चढ़कर बदला दिलवाने वाला।'' मैंने कहा, सबसे अफ़ज़ल सदक़ा कौनसा है? फ़र्माया, ''कम माल वाले का हिम्मत करना या पोशीदगी से मुहताज की एहतियाज पूरी करना'' मैंने सवाल किया, सबसे पहले नबी कौन हैं? फ़र्माया, ''हज़रत आदम (علیہ السلام)'' मैंने कहा, वह नबी थे? फ़र्माया, नबी ''और अल्लाह से हमकलाम होने वाले'' मैंने पूछा, रसूलो की ता'दाद क्या है? फ़र्माया, सौ और कुछ ऊपर दस बहुत बड़ी

जमाअत।'' एक रिवायत में तीन सौ पन्द्रह का लफ़्ज़ है। मैंने पूछा, हुज़ूर (ﷺ) आप पर सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गी वाली आयत कौनसी उतरी है? फ़र्माया ''आयतल कुर्सी'' (अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल ह़य्युल क़य्यूम) (अह़मद : 5/178; नसाई : 5509; मुख़्तसरन। व सनदुहू ज़ईफ़ अबू उ़मर दमिश्क़ी और उ़बेद बिन ख़शख़ाश रावी ज़ईफ़ है।) ह़ज़रत अबू अय्यूब अंसारी (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि मेरे ख़ज़ाना में से जिन्नात चुराकर ले जाया करते थे। मैंने आँह़ज़रत (ﷺ) से शिकायत की, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब तू उसे देखे तो कहना (बिस्मिल्लाहि अजीबी रसूलुल्लाह) जब वह आया, मैंने यही कहा और पकड़ लिया, उसने कहा, मैं अब नहीं आऊँगा, फिर उसे छोड़ दिया, मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तेरे क़ैदी ने क्या किया?'' मैंने कहा, मैंने उसे पकड़ लिया था लेकिन उसने वा'दा किया कि अब फिर नहीं आऊँगा , आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वह फिर भी आएगा। मैंने इसे इसी त़रह़ दो तीन बार पकड़ा और इक़रार ले लेकर छोड़ दिया, मैंने हुज़ूर (ﷺ) से ज़िक्र किया और आप (ﷺ) ने हर दफ़ा यही फ़र्माया कि वह फिर भी आएगा। आख़िरी मर्तबा मैंने कहा, अब मैं तुझे न छोड़ूँगा। उसने कहा, छोड़ दे, मैं तुझे एक ऐसी चीज़ बताऊँगा कि कोई जिन्न और शैत़ान तेरे पास ही न आ सके। मैंने कहा, अच्छा बता, तो कहा वह आयतल कुर्सी है। मैंने आकर हुज़ूर (ﷺ) से ज़िक्र किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''उसने सच कहा, गो वह झूठा है।'' (मुस्नद अह़मद : 5/423; तिर्मिज़ी किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब रक़म : 3; ह़दीस अबी अय्यूब फ़िल ग़ौल : 2880; वहुव ह़सन।) स़ह़ीह़ बुख़ारी में किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन और किताबुल वकालत और स़िफ़ते इब्लीस के बयान में भी यह ह़दीस ह़जरत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है उसमें है कि ज़काते रमज़ान के माल पर मैं पहरा दे रहा था तभी यह शैत़ान आया और समेट समेटकर अपनी चादर में जमा करने लगा। तीसरी मर्तबा उसने बतलाया कि अगर तू रात को बिस्तर पर जाकर इस आयत को पढ़ लेगा तो अल्लाह की त़रफ़ से मुझ पर मुह़ाफ़िज़ मुक़र्रर होगा और सुबह़ तक शैत़ान तेरे क़रीब भी न आ सकेगा । (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल वकालत, बाब इज़ा वुक्किल रजुलन फ़तरकल वकील...: 2311, 3275, 5010) दूसरी रिवायत में है कि यह खजूरें थीं और मुट्ठीभर वह ले गया था और आपने फ़र्माया था कि अगर उसे पकड़ना चाहे तो जब वह दरवाज़ा खोले कहना (सुब्ह़ान मन सख़्ख़रक मुह़म्मदन) शैत़ान ने उ़ज़्र यह बतलाया था कि एक फ़क़ीर जिनके बाल बच्चों के लिए मैं यह ले जा रहा था (इब्ने मर्दवे) पस यह वाक़िया तीन स़ह़ाबा का हुआ। ह़ज़रत उबय बिन कअ़ब (رضي الله عنه) का ह़ज़रत अबू अय्यूब अंसारी (رضي الله عنه) का और ह़ज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) का।

आयतल कुर्सी की बरकात : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि एक इंसान की और जिन्न की मुलाक़ात हुई, जिन्न ने कहा, मुझसे कुश्ती करेगा? अगर मुझे गिरा दे तो मैं तुझे एक ऐसी आयत सिखाऊँगा कि जब तू अपने घर में जाए और उसे पढ़ ले तो शैत़ान उसमें न आ सके। कुश्ती हुई और उस आदमी ने उस जिन्न को गिरा दिया, उस शख़्स़ ने जिन्न से कहा, तू तो नह़ीफ़ और डरपोक है और तेरे हाथ मिस्ल कुत्ते के हैं। क्या जिन्नात ऐसे ही होते हैं, या सिर्फ़ तू ही ऐसा है? कहा, मैं तो उन सब में क़वी हूँ, फिर दोबारा कुश्ती हुई और दूसरी मर्तबा भी उसने गिरा दिया तो जिन्न ने कहा, जो आयत मैंने सिखाने के लिए कहा था वह आयतल कुर्सी है जो शख़्स़ अपने घर में जाते हुए इसे पढ़ ले तो शैत़ान उस घर से गधे की त़रह़ चीखता

हुआ भाग खड़ा होता है। जिस शख़्स से कुश्ती हुई थी वह शख़्स हज़रत उ़मर (ﷺ) थे। (अल्मुअ़जमुल कबीर लित्तबरानी : 9/182, 184; ह : 8824, 8826; व सनदुहू ज़ईफ़ व उन्ज़ुर मज्मउज़्ज़वाइद : 9/71) (किताबुल ग़रीब) रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "सूर-ए-बक़रह में एक आयत है जो क़ुरआन करीम की तमाम आयतों की सरदार है जिस घर में वह पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है। वह आयत आयतल कुर्सी है। (हाकिम : 1/560, 561; व सनदुहूहू ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलातुज़्ज़ईफ़ : 1348) (मुस्तदरक हाकिम) तिर्मिज़ी में है कि हर चीज़ की कोहान और बुलंदी है और क़ुरआन हकीम की बुलंदी सूरह बक़रह है और इसमें भी आयतल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है। (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन, बाब मा जाअ फ़ी सूरतिल बक़रह व आयतल कुर्सी : 2878; व सनदुहू ज़ईफ़; हकीम बिन जुबेर ज़ईफ़ रावी है।) हज़रत उ़मर (ﷺ) के सवाल पर कि सारे क़ुरआन में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग आयत कौनसी है? हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे ख़ूब मा'लूम है, मैंने रसूल (ﷺ) से सुना है कि "वह आयत आयतल कुर्सी है" (इब्ने मर्दवे) हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं कि "इन दोनों आयतों में अल्लाह तआ़ला का इस्मे आ'ज़म है एक तो आयतल कुर्सी दूसरी आयत (الٓمّٓ ۝ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝) (मुस्नद अहमद : 6/461; अबूदाऊद, किताबस् सलात, (किताबुल वित्र) बाब अद्दुआउ : 1496; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 3478; इब्ने माजा : 3855) और हदीस में है कि वह इस्मे आ'ज़म जिस नाम की बरकत से जो दुआ़ अल्लाह तआ़ला से मांगी जाए वह क़बूल फ़र्माए। इन तीनों सूरतों में है। सूरह बक़रह, सूरह आले इमरान और सूरह ताहा। (इब्ने मर्दवे) (इब्ने माजा, किताबुद्दुआ बाब इस्मिल्लाहि अ़ज़ीम : 3856; वहुव हसन।) हिशाम बिन अ़म्मार ख़तीब दमिश्क़ फ़र्माते हैं। सूरह बक़रह की आयत आयतल कुर्सी है और आले इमरान की पहली ही आयत और ताहा की आयत (وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ) (20/ताहा : 111) है। और हदीस में है कि जो शख़्स हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ले, उसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोकेगी, सिवाए मौत के। (अ़मलुल यौम वल् लैला लिन्नसाई : 100; व सनदुहू हसन)(इब्ने मर्दवे) इस हदीस को इमाम नसाई ने भी अपनी किताब 'अ़मलुल यौम वल्लैलति' में वारिद किया है और इब्ने हिब्बान ने भी इसे अपनी सहीह में वारिद किया है। (इब्नेहिब्बान फ़िस्सलाति कमा क़ालल हाफ़िज़ फ़ी इत्तिहाफ़ुल महरा : 6/259; ब-रक़म : 6480) इस हदीस की सनद शर्ते बुख़ारी पर है लेकिन अबुल फ़ुर्ज इब्ने जोज़ी इसे मौज़ूअ कहते हैं, वल्लाहु आ'लम! तफ़्सीर इब्ने मर्दवे में भी यह हदीस है लेकिन इसकी इस्नाद भी ज़ईफ़ है। इब्ने मर्दवे की एक और हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला ने हज़रत मूसा बिन इमरान (ﷺ) की तरफ़ वही की कि हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो जो शख़्स यह करेगा मैं उसे शुक्रगुज़ार दिल और ज़िक्र करने वाली ज़ुबान दूँगा और उसे नबियों का सवाब और सिद्दीक़ों का अ़मल दूँगा। इस पर हमेशगी सिर्फ़ नबियों से होती है या सिद्दीक़ों से या उस बंदे से जिसका दिल मैंने ईमान के लिए आज़मा लिया हो या उसे अपनी राह में शहीद करना चाहता हूँ लेकिन यह हदीस बहुत मुंकर है। (इसकी सनद नक़्क़ाश की वजह से ज़ईफ़ है।) तिर्मिज़ी की हदीस में है कि जो शख़्स सूरह मो'मिन की आयात (हामीम) से (इलेहिल मसीर) (40/मो'मिन : 1, 3) तक और आयतल कुर्सी को सुबह के वक़्त पढ़ लेगा वह शाम तक अल्लाह की हिफ़ाज़त में रहेगा और शाम को पढ़ने वाले की सुबह तक हिफ़ाज़त होगी

लेकिन यह ह़दीस भी ग़रीब है। (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन : 2879; व सनदुहू ज़ईफ़; अ़ब्दुर्रह़मान बिन मुलैकी रावी ज़ईफ़ है।) इस आयत की फ़ज़ीलत में और भी बहुत सी ह़दीसें हैं लेकिन एक तो इसलिए कि इनकी सनदें ज़ईफ़ हैं, दूसरे इसलिए भी कि हमें इख़्तिसार मद्देनज़र है, हमने उन्हें वारिद नहीं किया, इस मुबारक आयत में दस मुस्तक़िल जुम्ले हैं, पहले जुम्ले में अल्लाह तआ़ला की वह़दानियत का बयान है कि कुल मख़्लूक़ का वही एक अल्लाह है, दूसरे जुम्ला में है कि वह ख़ुद ज़िन्दा है जिस पर कभी मौत नहीं आएगी, दूसरों को क़ायम रखने वाला है। क़य्यूम की दूसरी क़िरा'त क़ियाम भी है पस तमाम मौजूदात उसकी मुह़ताज हैं और वह सबसे बेनियाज़ है, कोई भी बग़ैर उसकी इजाज़त के किसी चीज़ का संभालनें वाला नहीं, जैसे और जगह है (وَ مِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ) (30/रूम : 25) या'नी उसकी निशानियों में से एक यह है कि आसमान व ज़मीन उसी के हुक्म से क़ायम हैं। फिर फ़र्माया, न तो उस पर कोई नुक़्सान आए, न कभी वह अपनी मख़्लूक़ से ग़ाफ़िल और बेख़बर हो बल्कि हर शख़्स के आ'माल पर वह ह़ाज़िर हर शख़्स के अह़वाल पर वह नाज़िर, दिल के हर ख़तरे से वह वाक़िफ़, मख़्लूक़ का कोई ज़र्रा भी उसकी ह़िफ़ाज़त और इल्म से भी बाहर नहीं। यही पूरी क़य्यूमियत है, ऊँघ और ग़फ़्लत से नींद और बेख़बरी से उसकी ज़ात पाक है। स़ह़ीह़ ह़दीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक मर्तबा खड़े होकर स़ह़ाबा (رضی اللہ عنہم) को चार बातें बतलाईं, फ़र्माया, "अल्लाह तबारक व तआ़ला सोता नहीं, न नींद उसकी ज़ात के लायक़ है, वह तराज़ू का ह़ाफ़िज़ है, जिसके लिए चाहे, झुका दे, जिसके लिए चाहे, न झुकाए, दिन के आ'माल रात से पहले और रात के आमाल दिन से पहले, उसकी त़रफ़ उठाए जाते हैं। उसके सामने नूर या आग के पर्दे हैं, अगर वह हट जाए तो उसके चेहरे की तजल्लियाँ उन तमाम चीज़ों को जला दें जिन तक उसकी निगाह पहुँचती है।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी क़ौलिही (عليه السلام) (इन्नल्लाह ला यनाम) : 179; इब्ने माजा : 195) अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने ह़ज़रत इक्रिमा (रह़.) से रिवायत की है कि ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) ने फ़रिश्तों से पूछा कि क्या अल्लाह तआ़ला सोता भी है तो अल्लाह तआ़ला ने फ़रिश्तों की त़रफ़ वह़ी भेजी कि ह़ज़रत मूसा को तीन रातों तक बेदार रखें। उन्होंने यही किया, तीन रातों तक सोने न दिया, उसके बाद दो बोतलें उनके हाथों में दे दी गईं और कह दिया गया कि इन्हें थामे रहो, ख़बरदार! यह गिरने और टूटने न पायें। आपने उन्हें थाम लिया लेकिन जागा था, नींद का ग़ल्बा हुआ, ऊँघ आने लगी, आँख बंद हो जाती लेकिन फिर होशियार हो जाते मगर कब तक? आख़िर एक मर्तबा ऐसा झकोला आया कि बोतलें टूट गईं। गोया उससे बतलाया गया कि जब एक ऊँघने और सोने वाला दो बोतलों को नहीं संभाल सकता तो अल्लाह तआ़ला अगर ऊँघे या सोये तो ज़मीन व आसमान की ह़िफ़ाज़त किस त़रह़ हो सके। (तफ़्सीर अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 321; वसनदुहू ह़सन इला इक्रमहू ला किन्नहू मिनल इस्राईलियात) लेकिन यह बनी इस्राईल की बात है और कुछ दिल को लगती भी नहीं, इसलिए कि यह नामुम्किन है कि ह़ज़रत मूसा (अ़.) जैसे जलीलुल क़द्र आ़रिफ़ बिल्लाह अल्लाह की उस स़िफ़त से नावाक़िफ़ हों और उन्हें उसमें तरद्दुद हो कि अल्लाह जागता ही रहता है या सो भी जाता है और इससे बहुत ज़्यादा ग़राबत वाली वह ह़दीस है जो इब्ने जरीर में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस वाक़िया को मिम्बर पर बयान फ़र्माया। यह ह़दीस बहुत ही ग़रीब है और बज़ाहिर मा'लूम होता है कि इसका फ़र्माने पैग़म्बर होना साबित नहीं बल्कि बनी इस्राईल की बात है। इब्ने अ़ब्बास से यूँ मरवी है कि बनी इस्राईल ने

हज़रत मूसा (ﷺ) से यह सवाल किया था और फिर आपको बोतलें पकड़वाई गईं और नींद की वजह से न संभाल सके और हुज़ूर (ﷺ) पर यह आयत नाज़िल हुई। (इब्ने जरीर और इसकी सनद ज़ईफ़ है।) आसमान व ज़मीन की तमाम चीज़ें उसकी गुलामी में और उसकी मातहती में और उसकी सल्तनत में हैं। जैसे फ़र्माया (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ) (19/मरयम :93) या'नी ज़मीन व आसमान की कुल चीज़ें रहमान की गुलामी में हाज़िर होने वाली हैं उन सबको अल्लाह ने एक एक करके गिन रखा है और घेर रखा है, सारी मख़्लूक़ तंहा तंहा उसके पास हाज़िर होगी, कोई नहीं जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके सामने सिफ़ारिश कर सके, जैसे इर्शाद है (وَ كَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ..) (53/नज्म : 26)।

शफ़ाअत अल्लाह तआला की इजाज़त से होगी : या'नी आसमानों में बहुत से फ़रिश्ते हैं लेकिन उनकी शफ़ाअत भी कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती, हाँ! यह और बात है कि अल्लाह तआला की मंशा और मर्ज़ी से हो और जगह है (وَ لَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى...) (21/अम्बिया : 28) ''किसी की वह शफ़ाअत नहीं करते मगर उसकी जिससे अल्लाह ख़ुश हो'' पस यहाँ भी अल्लाह तआला की अज़्मत उसका जलाल और उसकी किब्रियाई बयान हो रही है कि बग़ैर उसकी इजाज़त और रज़ामंदी के किसी की जुर्अत नहीं कि उसके सामने किसी की सिफ़ारिश में ज़ुबान खोले। हदीसे मुबारका में भी है कि मैं अल्लाह तआला के अर्श के नीचे जाऊँगा और सज्दे में गिर पड़ूँगा। अल्लाह तआला मुझे सज्दे में ही छोड़ देगा, जब तक चाहेगा फिर कहा जाएगा कि, अपना सर उठाओ, कहो! सुना जाएगा, शफ़ाअत करो, मंज़ूर की जाएगी। आप (ﷺ) फ़र्माते हैं कि ''फिर मेरे लिए हद मुक़र्रर कर दी जाएगी और मैं उन्हें जन्नत में ले जाऊँगा। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (وجوه يومئذ ناظرة) : 7440; सहीह मुस्लिम : 193) वह अल्लाह तआला तमाम गुज़िश्ता मौजूदा और आइन्दा का आलिम है, उसका इल्म तमाम मख़्लूक़ का एहाता किए हुए है'' जैसे और जगह फ़रिश्तों का क़ौल है (وَ مَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ....) (19/मरियम : 64) ''हम तेरे रब के हुक्म के बग़ैर उतर नहीं सकते, हमारे आगे पीछे और सामने की सब चीज़ें उसी की मिल्कियत हैं और तेरा रब भूल-चूक से पाक है।

कुर्सी के बारे में मुफ़स्सिरीन का मौक़िफ़ : कुर्सी से मुराद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से इल्म मन्क़ूल है। दूसरे बुज़ुर्गों से दोनों पैर रखने की जगह मन्क़ूल है।

अल्लाह तआला की सिफ़ात पर बग़ैर तावील और केफ़ियत जाने ईमान रखना ज़रूरी है : एक मरफ़ूअ हदीस में भी यही मरवी है और यह भी है कि उसका अंदाज़ बजुज़ ज़ाते बारी तआला के और किसी को मा'लूम नहीं, ख़ुद इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी मरफ़ूअन यही मरवी है लेकिन रफ़अ साबित नहीं। (यह रिवायत मरफ़ूअन और मौक़ूफ़न दोनों तरह से ज़ईफ़ है, सुफ़ियान सौरी मुदल्लस हैं।) हज़रत अबू मालिक (रह.) फ़र्माते हैं कि कुर्सी अर्श के नीचे है। सुदी (रह.) कहते हैं कि आसमान व ज़मीन कुर्सी के जौफ़ में है और कुर्सी अर्श के सामने। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं सातों ज़मीनें और सातों आसमान अगर फैला दिए जाएँ और सबको मिलाकर बसीत कर दिया जाए ताहम कुर्सी के मुक़ाबले में ऐसे होंगे, जैसे एक हल्क़ा किसी चटयल मैदान में। इब्ने जरीर की एक मरफ़ूअ हदीस में है कि सातों आसमान कुर्सी में ऐसे ही हैं, जैसे

सात दिरहम ढ़ाल में। और ह़दीस में है कि कुर्सी अ़र्श के मुक़ाबले में ऐसी है जैसे एक लौहे का ह़ल्क़ा चटयल मैदान में। (मौज़ूअ़ रिवायत है। अ़ब्दुर्रह़मान बिन ज़ेद बिन असलम अपने बाप से मौज़ूअ़ रिवायतें बयान करता है और इसकी सनद मुंक़तअ़ है।) अबू ज़र ग़िफ़ारी (رضی اللہ عنہ) ने एक मर्तबा कुर्सी के बारे में सवाल किया तो हुज़ूर (ﷺ) ने क़सम खाकर यही फ़र्माया और फ़र्माया कि "फिर अ़र्श की फ़ज़ीलत कुर्सी पर भी ऐसी ही है।" (यह रिवायत क़ासिम बिन मुह़म्मद सक़फ़ी की वजह से ज़ईफ़ है।) एक औरत ने आकर हुज़ूर (ﷺ) से दरख़्वास्त की कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे जन्नत में ले जाए। आप (ﷺ) ने अल्लाह तआला की अ़ज़्मत बयान करते हुए फ़र्माया कि, "उसकी कुर्सी ने आसमान व ज़मीन को घेर रखा है मगर जिस त़रह़ नया पालान चरचराता है वह कुर्सी अ़ज़्मते परवरदिगार की वजह से चरमरा रही है।" (अस्सुन्नत लि इब्ने अबी आ़सिम : 574; और इसकी इसकी ज़ईफ़ है।) गोया ह़दीस बहुत सी सनदों से बहुत सी किताबों में मरवी है लेकिन किसी सनद में कोई रावी ग़ैर मशहूर है। किसी में इर्साल है कोई मौक़ूफ़ है किसी में बहुत कुछ ग़रीब ज़्यादती है, किसी में ह़ज़फ़ है। और इन सबसे ज़्यादा ग़रीब ह़ज़रत जुबेर (رضی اللہ عنہ) वाली ह़दीस है जो अबूदाऊद में मरवी है। (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्नत, बाब फ़िल जहमिया : 4726; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; इब्ने इस्ह़ाक़ मुदल्लस के सिमाअ़ की तस़रीह़ नहीं नीज़ जुबेर बिन मुह़म्मद मज्हूलुल ह़ाल रावी है।) और वह रिवायात भी हैं जिनमे क़यामत के दिन कुर्सी का फ़ैसलों के लिए रखा जाना मरवी है, ज़ाहिर यह है कि इस आयत में यह ज़िक्र नहीं, वल्लाहु अ़ा'लम! मुसलमानों में हेयत-दाँ मुतकल्लिमीन कहते हैं कि कुर्सी आठवाँ आसमान है जिसे फ़लके सवाबित कहते हैं और जिस पर नवाँ आसमान है और जिसे फ़लके ईसर कहते हैं और अत़्लस भी, लेकिन दूसरे लोगों ने इसकी तर्दीद की है। ह़सन बस़री (रह़.) फ़र्माते हैं कुर्सी ही अ़र्श है लेकिन स़ह़ीह़ बात यह है कि कुर्सी और है और अ़र्श और है जो उससे बहुत बड़ा है जैसे कि आसार व अह़ादीस में वारिद हुआ है, अ़ल्लामा इब्ने जरीर तो इस बारे में ह़ज़रत उ़मर (رضی اللہ عنہ) वाली रिवायत पर ए'तिमाद किए हुए हैं लेकिन मेरे नज़दीक इसकी स़ेह़त में कलाम है, वल्लाहु अ़ा'लम!

आसमानों व ज़मीन का मुह़ाफ़िज़ अल्लाह तआला ही है : फिर फ़र्माया कि अल्लाह पर उनकी ह़िफ़ाज़त बोझल और गिराँ नहीं बल्कि सहल और आसान है, वह सारी मख़्लूक़ के अ़ा'माल पर ख़बरदार, तमाम चीज़ों पर निगहबान, कोई चीज़ उससे पोशीदा और अंजान नहीं, तमाम मख़्लूक़ उसके सामने ह़क़ीर मुतवाज़ेअ़ ज़लील पस्त मुह़ताज और फ़क़ीर। वह ग़नी व ह़मीद, वह जो कुछ चाहे कर गुज़रने वाला, कोई उस पर ह़ाकिम नहीं, बाज़पुर्स करने वाला नहीं, हर चीज़ पर वह ग़ालिब, हर चीज़ का ह़ाफ़िज़ और मालिक वह उ़लू बुलंदी और रिफ़अ़त वाला, वह अ़ज़्मत बड़ाई और किब्रियाई वाला, उसके सिवा कोई इ़बादत के लायक़ नहीं, न उसके सिवा कोई ख़बरगीरी करने वाला और पालने, पोसने वाला है, वह किब्रियाई वाला और फ़ख़्र वाला है, इसीलिए फ़र्माया (وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ) बुलंदी और अ़ज़्मत वाला वही है। यह आयतें और इन जैसी और आयतें और स़ह़ीह़ ह़दीसें जितनी कुछ ज़ात व स़िफ़ाते बारी में वारिद हुई हैं, उन सब पर ईमान लाना बग़ैर केफ़ियत मा'लूम किए और बग़ैर तश्बीह दिए जिन अल्फ़ाज़ में वह वारिद हुई हैं, ज़रूरी है और यही त़रीक़ा हमारे सलफ़ स़ालेह़ीन (रह़.) का था।

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ
بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

तर्जुमा : ''दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सीधी राह टेढ़ी राह से मुमताज़ और रोशन हो चुकी, जो शख़्स अल्लाह तआला के सिवा दूसरे मा'बूदों से इंकार करके अल्लाह तआला पर ईमान लाए, उसने मज़बूत कड़े को थाम लिया, जो कभी न टूटेगा और अल्लाह तआला सुनने वाला जानने वाला है।'' (256)

इस्लाम में दाख़िल करने के लिए किसी पर जबर नहीं करना चाहिए (आयत 256) : यहाँ यह बयान हो रहा है कि किसी को जबरन इस्लाम में दाख़िल न करो। इस्लाम की हक़्क़ानियत वाज़ेह और रोशन हो चुकी, इसके दलाइल व बराहीन बयान हो चुके, फिर किसी पर जबर और ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत? जिसे अल्लाह तआला हिदायत देगा जिसका सीना खुला हुआ दिल रोशन और आँखें बीना होंगी वह तो ख़ुद-ब-ख़ुद इसका वाला व शैदा हो जाएगा। हाँ! अंधे दिल वाले, बहरे कानों वाले, छोटी आँखों वाले, इससे दूर रहेंगे, फिर उन्हें अगर जबरन इस्लाम में दाख़िल कर भी लिया तो क्या फ़ायदा। किसी पर इस्लाम के क़बूल कराने के लिए जबर और ज़बरदस्ती न करो। इस आयत का शाने नुज़ूल यह है कि मदीना की मुश्रिका औरतें जब उन्हें औलाद न होती थीं तो नज़्र मानती थीं, अगर हमारे यहाँ औलाद हुई तो हम उसे यहूद बना देंगे। यहूदियों के सुपुर्द कर देंगे, इसी तरह उनके बहुत से बच्चे यहूदियों के पास थे, जब यह लोग मुसलमान हुए और दीने अल्लाह के अंसार बने तो इधर यहूदियों से जंग हुई और आख़िर उनकी अंदरूनी साज़िशों और फ़रेब-कारियों से नजात पाने के लिए रसूल (ﷺ) ने यह हुक्म जारी फ़र्माया कि, ''इन बनी नज़ीर के यहूदियों को जिलावतन कर दिया जाए'' उस वक़्त अंसारियों ने अपने बच्चे जो उनके पास थे उनसे तलब किए ताकि उन्हें अपने असर से मुसलमान बना लें, इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि जबरन और ज़बरदस्ती न करो। (तब्री : 5813; किताबुल जिहाद, बाब फ़िल असीर यक्रहू अलल इस्लाम : 2682; और इसकी सहीह है।)

एक रिवायत यह भी हे कि अंसार के क़बीले बनू सालिम बिन औफ़ का एक शख़्स हुसैनी (رضي الله عنه) नामी था जिसके दो लड़के नसरानी थे और ख़ुद मुसलमान था, उसने नबी (ﷺ) की ख़िदमत में एक बार अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं उन लड़कों को जबरन मुसलमान बना लूँ वैसे तो वह ईसाइयत से हटते नहीं, इस पर यह आयत उतरी और मुमानिअत कर दी और रिवायत में इतनी ज़्यादती भी है कि नसरानियों का एक क़ाफ़िला मुल्के शाम से तिजारत के लिए किशमिश लेकर आया थ, जिनके हाथों यह दोनों लड़के नसरानी हो गए थे, जब वह क़ाफ़िला जाने लगा तो यह भी जाने पर तैयार हो गए, उनके बाप ने हुज़ूर (ﷺ) से यह ज़िक्र किया और कहा, अगर आप (ﷺ) इजाज़त दें तो मैं उन्हें इस्लाम लाने के लिए कुछ भी तक्लीफ़ दूँ और जबरन मुसलमान बना लूँ वरना फिर आपको उन्हें वापिस लाने के लिए अपने आदमी भेजने पड़ेंगे। इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

हज़रत अम्र (رضي الله عنه) का गुलाम अस्बक़ नसरानी था। आप उस पर इस्लाम पेश करते, वह इंकार करता, आप कह देते कि ख़ैर तेरी मर्ज़ी, इस्लाम जबर से रोकता है। उलमा की एक बड़ी जमाअत का यह ख़्याल है कि यह आयत उन अहले-किताब के हक़ में है जो फ़स्ख़ व तब्दीले तौरात व इंजील से पहले दीने मसीह इख़्तियार कर चुके हैं जबकि वह जिज़्या पर रज़ामन्द हो जाएँ। कुछ और कहते हैं कि आयते क़िताल ने इसे मंसूख़ कर दिया तमाम इंसानों को इस पाक दीन की दा'वत देना ज़रूरी है अगर कोई इंकार करे और मुसलमानों की मातहती भी इख़्तियार न करे, न जिज़्या देना क़बूल करे तो बेशक मुसलमान उससे जिहाद करेंगे। जैसे और जगह है (सतुदऔना इला क़ौमिन) (48/फ़तह : 16) अन्क़रीब तुम्हें उस क़ौम की तरफ़ बुलाया जाएगा जो बड़ी लड़ाका है या तो तुम उससे लड़ोगे या वह इस्लाम लायेंगे। और जगह है, ऐ नबी! काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों से जिहाद कर और उन पर सख़्ती कर और जगह है ईमानदारों! अपने आसपास के कुफ़्फ़ार से जिहाद करो, तुममें वह सख़्ती पाएँ और यक़ीन रखो कि अल्लाह तआला मुत्तक़ियों के साथ है। सहीह हदीस में है, तेरे रब को उन लोगों पर ता'ज्जुब होता है जो ज़ंजीरों में जकड़े हुए जन्नत की तरफ़ घसीटे जाते हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब अल्असारिय्यु फ़िस्सलासिल : 3010) या'नी वह कुफ़्फ़ार जो मैदाने-जंग से क़ैदी होकर तौक़ व सलासिल पहनाकर यहाँ लाए जाते हैं फिर वह इस्लाम क़बूल कर लेते हैं और उनका ज़ाहिर बातिन अच्छा हो जाता है और वह जन्नत के लायक़ बन जाते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि एक शख़्स से हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान हो जा, उसने कहा, हज़रत! मेरा दिल नहीं मानता, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, गो दिल न चाहता हो। (अहमद : 3/109; और इसकी सनद ज़ईफ़ है; हुमीद तवील मुदल्लस व अनअन) यह हदीस सलासी है या'नी आँहज़रत (ﷺ) तक इसमें सिर्फ़ तीन रावी हैं लेकिन इससे यह न समझना चाहिए कि आप (ﷺ) ने उसे मजबूर किया। मतलब यह है कि तू कलिमा तो पढ़ ले फिर एक दिन वह भी आएगा कि अल्लाह तआला तेरे दिल को खोल दे और तू दिल से भी इस्लाम का दिलदादा हो जाए। हुस्ने निय्यत और इख़्लासे अमल तुझे नसीब हो। जो शख़्स बुत और औसान और मा'बूदाने बातिल और शैतानी कलाम की क़बूलियत को छोड़ दे, अल्लाह तआला की तौहीद का इक़रारी और आमिल बन जाए, वह सीधी और सहीह राह पर है।

तागूत का मफ़्हूम : हज़रत उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं, जिब्त से मुराद जादू है और तागूत से मुराद शैतान है। दिलेरी और नामर्दी दोनों ऊँट के दोनों तरफ़ के बराबर के बोझ हैं जो लोगों में होते हैं एक दिलेर आदमी तो अंजान शख़्स की हिमायत में भी जान देने पर तुल जाता है लेकिन एक बुज़ दिल और डरपोक अपनी सगी माँ की ख़ातिर भी क़दम आगे नहीं बढ़ाता। इंसान का हक़ीक़ी करम उसका दीन है, इंसान का सच्चा नसब ख़ल्क़े हुस्न है गो वह फ़ारसी हो या नब्ती। हज़रत उमर (رضي الله عنه) का तागूत को शैतान के मा'नी में लेना बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि यह हर उस बुराई को शामिल है जो अहले जाहिलियत में थी, बुत की पूजा करनी, उनकी तरफ़ हाजतें ले जाना, उनसे सख़्ती के वक़्त तलबे इम्दाद करनी वग़ैरह।

उर्वतुल वुस्क़ा से मुराद : फिर फ़र्माया उस शख़्स ने मज़बूत कड़ा थाम लिया, या'नी दीन के आ'ला और क़वी सबब को ले लिया जो न टूटे, न फटे, ख़ूब मज़बूत मुस्तहकम क़वी और गड़ा हुआ उर्वा वुस्क़ा से मुराद ईमान,

इस्लाम, तौहीद बारी तआला, क़ुरआन और अल्लाह की राह की मुहब्बत और इसी के लिए दुश्मनी करना है, यह कड़ा कभी न टूटेगा या'नी उसके जन्नत में पहुँचने तक और जगह है (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...) (13/रअद : 11) अल्लाह तआला किसी क़ौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वह ख़ुद अपनी हालत न बदलें। मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि हज़रत क़ैस बिन उबादह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि मैं मस्जिदे नबवी में था तभी एक शख़्स आया, जिसका चेहरा अल्लाह से ख़ाइफ़ था, दो हल्की रकअतें नमाज़ की उसने अदा कीं, लोग उन्हे देखकर कहने लगे, यह जन्नती हैं। जब वह बाहर निकले तो मैं भी उनके पीछे गया, बातें करने लगा, जब वह मुतवज्जह हुए तो मैंने कहा, जब आप तशरीफ़ लाए थे तब लोगों ने आपकी निस्बत यूँ कहा था। कहा सुब्हानल्लाह! किसी को वह न कहना चाहिए जिसका इल्म उसे न हो, हाँ! अल्बत्ता इतनी बात तो है कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) की मौजूदगी में एक ख़्वाब देखा था कि गोया मैं एक लहलहाते हुए सरसब्ज़ गुलशन में हूँ। उसके दरम्यान एक लोहे का सतून है जो ज़मीन से आसमान तक चला गया है उसकी चोटी पर एक कड़ा है, मुझसे कहा गया कि उस पर चढ़ जाओ, मैंने कहा, मैं तो नहीं चढ़ सकता। चुनाँचे एक शख़्स ने मुझे थामा और मैं बाआसानी चढ़ गया और उस कड़े को थाम लिया। उसने कहा, देखो! मज़बूत पकड़े रखना, बस उस हालत में मेरी आँख खुल गई कि वह कड़ा मेरे हाथ में था। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अपना यह ख़्वाब बयान किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, गुलशन बाग़े इस्लाम है और सतून सतूने दीन है और कड़ा उर्वतुल वुस्क़ा है। तू मरते दम तक इस्लाम पर क़ायम रहेगा।" यह शख़्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) हैं। (अहमद : 5/452; सहीह बुख़ारी, किताब मनाक़िबुल अंसार, बाब मनाक़िब अब्दुल्लाह बिन सलाम : 3813; सहीह मुस्लिम : 2484) यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम दोनों में मरवी है। मुस्नद की इसी हदीस में है कि उस वक़्त आप बूढ़े थे और लकड़ी पर टेक लगाए हुए मस्जिदे नबवी में आए थे और एक सतून के पीछे नमाज़ पढ़ी थी और सवाल के जवाब में फ़र्माया था कि जन्नत अल्लाह तआला की चीज़ है जिसे चाहे उसमें ले जाए। ख़्वाब के ज़िक्र में फ़र्माया कि एक शख़्स आया, मुझे ले चला, जब हम एक लम्बे-चौड़े, साफ़-शफ़्फ़ाफ़ मैदान में पहुँचे मैंने वहाँ बाईं तरफ़ जाना चाहा तो उसने कहा, तू ऐसा नहीं, मैं दाईं जानिब चलने लगा तो अचानक एक फिसलना पहाड़ नज़र आया, उसने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ा लिया और मैं उसकी चोटी तक पहुँच गया, वहाँ मैंने एक ऊँचा सतून लोहे का देखा, जिसके सिरे पर एक सोने का कड़ा था, मुझे उसने उस सतून पर चढ़ा दिया, यहाँ तक कि मैंने उस कड़े को थाम लिया, उसने मुझसे पूछा, ख़ूब मज़बूत थाम लिया है? मैंने कहा, हाँ! उसने ज़ोर से सतून पर अपना पैर मारा, वह निकल गया और कड़ा मेरे हाथ में रह गया, जब यह ख़्वाब हुज़ूर (ﷺ) को मैंने सुनाया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "बहुत नेक ख़्वाब है मैदान, मैदाने-महशर है, बाईं तरफ़ का रास्ता जहन्नम का रास्ता है तू उन लोगों में नहीं दाईं जानिब का रास्ता जन्नतियों का रास्ता है फिसलना पहाड़ शुहदा की मंज़िल है कड़ा इस्लाम का कड़ा है, मरते दम तक इसे मज़बूत थाम रखो।" इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) ने फ़र्माया, उम्मीद तो मुझे यही है कि अल्लाह मुझे जन्नत में ले जाएगा।" (अहमद : 5/3; सहीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले सहाबा, बाब मिन फ़ज़ाइले अब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) : 2484)

.....

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۵۷﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ
الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ
اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ
الَّذِيْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵۸﴾

तर्जुमा : ''ईमानवालों का कारसाज़ अल्लाह तआला ख़ुद है, वह उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ़ ले जाता है और काफ़िरों के ओलिया शयातीन हैं वह उन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ़ ले जाते हैं, यह लोग जन्नमी हैं जो हमेशा उसी में पड़े रहेंगे। (257) क्या तूने उसे नहीं देखा? जो सल्तनत पाकर इब्राहीम (عليه السلام) से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था, जब इब्राहीम (عليه السلام) ने कहा कि मेरा रब तो वह है जो जिलाता है और मारता है, वह कहने लगा, मैं जिलाता और मारता हूँ, इब्राहीम (عليه السلام) ने कहा, अल्लाह तआला सूरज को मश्रिक़ की तरफ़ से ले आता है तू इसे मग़्रिब की जानिब से ले आ, अब तो वह काफ़िर हैरान रह गया और अल्लाह तआला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता।'' (258)

हक़ एक है, बातिल (झूठ) की कई क़िस्में हैं (आयत 257, 258) : लफ़्ज़ नूर का वाहिद लाना और ज़ुल्मात को जमा लाना इसलिए है कि हक़ और ईमान और सच्चा रास्ता एक ही है और कुफ़्र की कई क़िस्में हैं। कुफ़्र की बहुत सी शाख़ें हैं जो सब की सब बातिल और नाहक़ हैं। जैसे और जगह है (وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ ....مُسْتَقِيْمًا) (6/अन्आम : 153) मेरी सीधी राह यही है तुम इसी की ताबे'दारी करो और रास्तों पर न चलो वरना राह से भटक जाओगे, यह वसिय्यत तुम्हारे बचाव के लिए कर दी और जगह है (وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ...) (6/अन्आम : 1) और भी इस क़िस्म की बहुत सी आयतें हैं जिनसे साबित होता है कि हक़ एक ही है और बातिल में तफ़र्रुक़ व इंतिशार है। हज़रत अय्यूब बिन ख़ालिद (रह.) फ़र्माते हैं कि ख़्वाहिश परस्तों और फ़ित्नाख़ोरों को खड़े किए जाएँगे जिसकी चाहत सिर्फ़ ईमान ही की हो वह तो रोशन साफ़ और नूरानी होगा और जिसकी ख़्वाहिश कुफ़्र की हो वह स्याह और अंधेरियों वाला होगा, फिर आपने इसी आयत की तिलावत फ़र्माई।

हज़रत इब्राहीम (ﷺ) और नमरूद के दरम्यान मुनाज़िरा : उस बादशाह का नाम नमरूद बिन कन्आन बिन कूस बिन साम बिन नूह था। उसका पाया तख़्त बाबिल था। उसके नसबनामा में कुछ इख़्तिलाफ़ भी है। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं दुनिया की मश्रिक़ व मग़रिब की सल्तनत रखने वाले चार हुए हैं जिनमें से दो मो'मिन हैं और दो काफ़िर। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद (ﷺ) और हज़रत ज़ुल क़रनैन और काफ़िरों में नमरूद और बुख़्ते नस्सर। (तब्री : 5/433) फ़र्मान होता है कि ऐ नबी! तुमने अपने दिल से उसे नहीं देखा जो हज़रत इब्राहीम (ﷺ) से वजूदे बारी तआला में मुबाहिसा करने लगा, यह शख़्स ख़ुद अल्लाह होने का मुद्दई था जैसे कि उसके बाद फ़िरऔन ने भी अपने वालों में दा'वा किया था कि मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा अल्लाह नहीं जानता, चूँकि एक लम्बी मुद्दत और अर्सा बईद से यह बादशाह चला आता था इसलिए दिमाग़ में रऊनत और अनानियत आ गयी थी, सरकशी और तकब्बुर नुख़ुव्वत और गुरूर तबीअत में समा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि चार सौ (400) साल तक हुकूमत करता रहा था। हज़रत इब्राहीम (ﷺ) से जब उस वजूदे बारी पर दलील मांगी तो आपने नेस्त से हस्त और हस्त से नेस्त करने की दलील दी जो एक यक़ीनी और मिस्ले आफ़ताब रोशन दलील थी कि मौजूदात का पहले कुछ न होना फिर होना, फिर मिट जाना खुली दलील है। मूजिद और पैदा करने वाले के मौजूद होने की और वही अल्लाह है। नमरूद ने जवाबन कहा कि यह तो मैं करता हूँ, यह कहकर दो शख़्सों को उसने बुलवाया जो वाजिबुल क़त्ल थे, एक को क़त्ल कर दिया और दूसरी को रिहा कर दिया। (तब्री : 5/433 ता 437) दरअसल यह जवाब और यह दा'वा किस क़द्र लचर और पोच है इसके बयान की भी ज़रूरत नहीं।

हज़रत इब्राहीम (ﷺ) ने सिफ़ाते बारी में से एक सिफ़त पैदा करना और फिर नेस्त कर देना बयान की थी और उसने न तो उन्हें पैदा किया, न उनकी या अपनी मौत व हयात पर उसे कुदरत। लेकिन जुहला को भड़काने के लिए और अपनी इल्मियत जताने के लिए बावजूद अपनी ग़लती और मुबाहिसा के उसूल से तरीक़ा फ़रारी को जानते हुए सिर्फ़ एक बात बना ली। हज़रत इब्राहीम (ﷺ) भी उसको समझ गए और आपने उस कुंद ज़हन के सामने ऐसी दलील पेश कर दी कि सूरतन उसकी मुशाबिहत न कर सके। चुनाँचे फ़र्माया कि जब तू पैदाइश और मौत तक का इख़्तियार रखता है तो मख़्लूक़ पर तेरा तसर्रुफ़ पूरा होना चाहिए। मेरे अल्लाह ने तो यह तसर्रुफ़ किया है कि सूरज को हुक्म दे दिया है कि वह मश्रिक़ की तरफ़ से निकला करे, चुनाँचे वह निकल रहा है, अब तू इसे हुक्म दे कि वह मग़रिब की तरफ़ से निकले। उसका कोई ज़ाहिरी टूटा फूटा जवाब भी उससे न बन सका और बेज़ुबान होकर अपनी आजिज़ी का इक़रारी हो गया और अल्लाह तआला की हुज्जत उस पर पूरी हो गई लेकिन चूँकि हिदायत नसीब न थी, राहयाफ़्ता न हो सका, ऐसे बद वज़अ लोगों को अल्लाह तआला कोई दलील नहीं सुझाता और वह हक़ के मुक़ाबले में बग़लें झाँकते ही नज़र आते हैं, उन पर अल्लाह का ग़ज़ब व गुस्सा और उसकी नाराज़गी होती है और उनके लिए इस जहान में भी सख़्त अज़ाब होते हैं। कुछ मन्तक़ियों ने कहा है कि हज़रत ख़लीलुल्लाह (ﷺ) ने यहाँ एक वाज़ेह दलील के बाद दूसरी इससे भी ज़्यादा वाज़ेह दलील पेश कर दी। लेकिन दरहक़ीक़त यूँ नहीं बल्कि पहली दलील दूसरी का मुक़द्दमा था और उन दोनों से नमरूद के दा'वे का बुत्लान बिलकुल वाज़ेह हो गया। असल दलील पैदाइश व मौत ही है

चूँकि उसका दा'वा उस नासमझ मुश्तख़ाक ने भी किया तो लाज़िम था कि जो बनाने बिगाड़ने पर न सिर्फ़ क़ादिर हो बल्कि बनाव बिगाड़ का भी ख़ालिक़ हो, उसकी मिल्कियत पूरी तरह उसी के क़ब्ज़े में होनी चाहिए और जिस तरह मौत व हयात के अहकाम उसके जारी हो जाते हैं उसी तरह दूसरे अहकाम भी जारी हो जाएँ फिर क्या वजह कि सूरज जो कि एक मख़्लूक़ है उसकी फ़र्मांबरदारी और इताअत गुज़ारी न करे और उसके कहे से बजाए मश्रिक़ के मग़रिब से न निकले पस हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने उस पर इस मुबाहिसा में खुला ग़ल्बा पाया और उसे बिलकुल लाजवाब कर दिया, फ़ल्हम्दु लिल्लाह! हज़रत सुदी (रह.) फ़र्माते हैं कि यह मुनाज़िरा हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के आग से निकल आने के बाद हुआ था उससे पहले आपकी उस ज़ालिम बादशाह से कोई मुलाक़ात नहीं हुई थी।

हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का मु'जिज़ा : ज़ेद बिन असलम (रह.) का क़ौल है कि क़हतसाली थी, लोग नमरूद के पास जाते थे और ग़ल्ला ले आते थे। हज़रत ख़लीलुल्लाह (अलैहिस्सलाम) भी गए, वहाँ यह मुनाज़िरा हो गया, बदबख़्त ने आपको ग़ल्ला न दिया, आप ख़ाली हाथ वापिस आए। घर के क़रीब पहुँचकर आपने दोनों बोरियों में रेत भर ली कि घर वाले समझें, कुछ ले आए, घर आते ही बोरियाँ रखकर सो गए, आपकी बीवी साहिबा हज़रत सारा (अ.) उठी, बोरियों को खोला तो उम्दा अनाज से दोनों पुर थीं, खाना पकाकर तैयार किया, आपकी भी आँख खुली, देखा कि खाना तैयार है, पूछा, अनाज कहाँ से आया? कहा, दो बोरियाँ जो आप भरकर लाए हैं, उन ही में से यह अनाज निकला था, आप समझ गये कि यह अल्लाह तआला की तरफ़ से बरकत और उसकी रहमत है।

नमरूद पर अज़ाबे-इलाही : उस नाहंजार बादशाह के पास अल्लाह तआला ने अपना एक फ़रिश्ता भेजा, उसने आकर उसे तौहीद की दा'वत दी लेकिन उसने क़बूल न की। दोबारा दा'वत दी लेकिन इंकार किया, तीसरी मर्तबा अल्लाह की तरफ़ बुलाया लेकिन फिर भी यह मुंकिर ही रहा, इस बार बार के इंकार के बाद फ़रिश्ते ने उससे कहा, अच्छा! तू अपना लश्कर तैयार कर मैं भी अपना लश्कर ले आता हूँ, नमरूद ने बड़ा भारी लश्कर तैयार किया और ज़बरदस्त फ़ौज को लेकर सूरज निकलने के वक़्त मैदान में आ डटा, इधर अल्लाह तआला ने मच्छरों का एक दरवाज़ा खोल दिया, बड़े बड़े मच्छर इस कसरत से आए कि लोगोंको सूरज भी नज़र न आता था, यह रब्बानी फ़ौज नमरूदियों पर गिरी और थोड़ी देर में उनका ख़ून तो क्या उनका गोश्त पोस्त सब खा पी गई और सारे के सारे वहीं हलाक हो गए, हड्डियों का ढाँचा बाक़ी रह गया, उन ही मच्छरों में से एक नमरूद के नथुने में घुस गया और चार सौ साल तक उसका दिमाग़ चाटता रहा। ऐसे सख़्त अज़ाब मे वह रहा कि उससे मौत हज़ारों दर्जा बेहतर थी, अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता फिरता था, हथोड़ों से कुचलवाता था, यूँ ही रेंग रेंगकर बदनसीब ने हलाकत पाई, अआज़नल्लाह।

.....

اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ
اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ۚ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۚ قَالَ
لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً
لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٥٩﴾

तर्जुमा : "या मानिन्द उस शख़्स के जिसका गुज़र उस बस्ती पर हुआ जो मुँह के बल औंधी पड़ी हुई थी, कहने लगा, इसे इसकी मौत के बाद अल्लाह तआला किस तरह ज़िन्दा करेगा? अल्लाह तअला ने उसे मार दिया, सौ साल के बाद उसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुझ पर गुज़री? कहने लगा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फ़र्माया, बल्कि तू सौ साल तक रहा अब तू अपने खाने पीने को देख कि बिलकुल ख़राब नहीं हुआ और अपने गधे को भी देख! हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं, तू देख कि हड्डियों को हम किस तरह उठाते बिठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं, जब यह सब उस पर ज़ाहिर हो चुका तो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है।" (259)

क़ुदरते-इलाही का अजीब करिश्मा (आयत 259) : ऊपर जो वाक़िया हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के मु बाहि सा का गुज़रा, उस पर इसका अत्फ़ है यह गुज़रने वाले या तो हज़रत उज़ेर (عليه السلام) थे। (इब्ने अबी हातिम : 3/1009; तब्री : 5/439) जैसाकि मशहूर है या अरमिया बिन हल्क़िया थे और यह नाम हज़रत ख़िज़्र (عليه السلام) का है या ख़रख़ील बिन बवार थे या बनी इस्राईल में का एक शख़्स था। यह बस्ती बैतुल मक़्दिस थी और यही क़ौल मशहूर है, बुख़्ते नस्सर ने जब उसे उजाड़ा यहाँ के बाशिन्दों को तहे तेग़ किया, मकानात गिरा दिए और आबाद बस्ती को बिलकुल वीराना कर दिया, उसके बाद यह बुज़ुर्ग यहाँ से गुज़रे, उन्हों ने देखा कि सारी बस्ती तह व बाला हो गई है, न मकान हैं, न मकीन, तो वहाँ ठहरकर सोचने लगे कि भला ऐसा बड़ा पुर रौनक़ शहर जो इस तरह उजड़ा है फिर यह कैसे आबाद होगा? अल्लाह तआला ने ख़ुद उन पर मौत नाज़िल फ़र्माई, यह तो उसी हालत में रहे और वहाँ सत्तर साल के बाद बैतुल-मक़्दिस फिर आबाद हो गया। भागे हुए बनी इस्राईल भी फिर आ पहुँचे और शहर खचाखच भर गया, वही अगली सी

रौनक़ और चहल पहल हो गई। अब सौ साल कामिल के बाद अल्लाह तआला ने उन्हें दोबारा ज़िन्दा किया और सबसे पहले रूह आँखों में आई ताकि अपना जी उठना ख़ुद देख सकें। जब सारे बदन में रूह फूँक दी गई तो अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिये पुछवाया कि कितनी मुद्दत तक मुर्दा रहे? जिसके जवाब में कहा कि अभी तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ।

वजह यह हुई कि सुबह के वक़्त उनकी रूह निकली थी और सौ साल के बाद जब जिए तो शाम का वक़्त था, ख़्याल किया कि यह वही दिन है तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि तुम एक सौ साल कामिल तक मुर्दा रहे। अब हमारी क़ुदरत देखो कि तुम्हारा तौशा भत्ता जो तुम्हारे साथ था बावजूद सौ साल गुज़र जाने के भी वैसा ही है, न सड़ा, न ख़राब हुआ है यह तौशा अंगूर, अंजीर और शीरा था। न तो यह शीरा बिगड़ा था, न अंजीर खट्टे हुए थे, न अंगूर ख़राब हुए थे बल्कि ठीक अपनी असली हालत पर थे। अब फ़र्माया, यह तेरा गधा जिसकी बोसीदा हड्डियाँ तेरे सामने पड़ीं हैं। उन्हें देख तेरे देखते हुए हम उसे ज़िन्दा करते हैं, हम ख़ुद तेरी ज़ात को लोगों के लिए दलील बनाने वाले हैं कि उन्हें क़यामत के दिन अपने दोबारा जी उठने पर यक़ीने कामिल हो जाए चुनाँचे उनके देखते हुए हड्डियाँ उठीं और एक एक करके साथ जुड़ीं। मुस्तदरक हाकिम में है कि नबी (ﷺ) की क़िरा'त (नुन्शिज़ुहा) ज़े के साथ ही है। (हाकिम : 2/234; इमाम हाकिम (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। मगर ज़हबी (रह.) ने इस्माईल बिन क़ैस रावी को ज़ईफ़ क़रार दिया है। रावी के ज़ुअफ़ के लिए देखिए (अल्मीज़ान : 245; रक़म : 927) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) और इसे नुंशिज़ुहा रे के साथ भी पढ़ा गया है, या'नी ज़िन्दा करेंगे। मुजाहिद (रह.) की क़िरा'त यही है। (तब्री : 5/476) सुदी (रह.) वग़ैरह कहते हैं कि यह हड्डियाँ उनके दाएँ-बाएँ फैली पड़ी थीं और बोसीदा होने की वजह से उनकी सफ़ेदी चमक रही थी, हवा से यह सब यक्जा जमा हो गईं। फिर एक एक हड्डी अपनी जगह जुड़ गई और हड्डियों का पूरा ढाँचा क़ायम हो गया जिस पर गोश्त मुत्लक़ न था, फिर अल्लाह तआला ने उसे गोश्त रगें पुट्ठे और खाल पहना दी, फिर फ़रिश्ते को भेजा जिसने उसके नथुने में फूँक मारी, बस अल्लाह तआला के हुक्म से उसी वक़्त ज़िन्दा हो गया और आवाज़ निकालने लगा। (तब्री : 5/468) इन तमाम बातों को हज़रत उज़ेर देखते रहे और क़ुदरत की यह सारी कारीगरी उनकी आँखों के सामने हुई। जब यह सब कुछ देख चुके तो कहने लगे, इस बात का इल्म तो मुझे था ही कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है लेकिन अब मैंने अपनी आँखों से भी देख लिया। तो मैं अपने ज़माने के तमाम लोगों से ज़्यादा इल्म यक़ीन वाला हूँ। कुछ लोगों ने (आ'लमु) को (इ'लम) भी पढ़ा है या'नी अल्लाह तआला मुक़्तदिर ने फ़र्माया कि जान ले कि अल्लाह तआला को हर चीज़ पर क़ुदरत है।

.....

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۗ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۗ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ۗ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ۗ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٢٦٠

तर्जुमा : "और जब इब्राहीम (عليه السلام) ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िन्दा करता है? जनाब बारी तआला ने फ़र्माया, क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिया, ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी, फ़र्माया, चार परिन्दों के टुकड़े कर डालो फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएँगे, जान रखो कि अल्लाह तआला ग़ालिब है, हिक्मतों वाला है।" (260)

परिन्दों का ज़िन्दा होना और हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) का मुशाहिदा (आयत 260) : हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के इस सवाल की बहुत सी वजूहात थीं, एक तो यह कि चूँकि यही दलील आपने नमरूद मरदूद के सामने पेश की थी तो आपने चाहा कि इल्मुल यक़ीन से ऐनुल यक़ीन हासिल हो जाए, जानता तो हूँ ही लेकिन देख भी लूँ। सहीह बुख़ारी में इस आयत के मौक़े की एक हदीस है जिसमें है कि हम शक के हक़दार बनिस्बत हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के ज़्यादा हैं जबकि उन्होंने कहा (रब्बि अरिनी) (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब (وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ) : 4537; सहीह मुस्लिम : 151) तो उससे कोई जाहिल यह न समझे कि हज़रत ख़लीलुल्लाह को अल्लाह की इस सिफ़त में शक था, इस हदीस के बहुत से जवाब हैं जिनमें से एक यह है (शायद यह होगा कि हम ख़लीलुल्ल्लाह (عليه السلام) से कमज़ोर ईमान वाले होने के बावजूद ख़लाइक़े आलम की इस सिफ़त में शक नहीं करते तो ख़लीलुल्लाह को शक क्यूँ होगा? (मुतर्जिम) अब रब्बुल आलमीन ख़ालिक़े कुल फ़र्माता है कि चार परिन्दे ले लो। मुफ़स्सिरीन के इस बारे में कई क़ौल हैं कि कौन कौनसे परिन्द हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ने ले लिए थे लेकिन ज़ाहिर है कि उसका इल्म हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता और उसका न जानना हमें कोई नुक़्सा न नहीं पहुँचाता। कोई कहता है वह कलंग मोर मुर्ग़ और कबूतर थे। कोई कहता है वह मुरग़ाबी और सुतुर्मुर्ग का बच्चा और मुर्ग़ और मोर थे। कोई कहता है कबूतर, मुर्ग़, मोर और कौआ थे। फिर उन्हें काटकर उनके टुकड़े-टुकड़े अलग-अलग कर दिए। पस आपने चार परिन्दे लिए, ज़िब्ह करके उनके टुकड़े किए, फिर उखेड़ दिए और सारे मुख़्तलिफ़ टुकड़े आपस में मिला दिए। फिर चार पहाड़ों पर या सात पहाड़ों पर वह टुकड़े रख दिए और सब परिन्दों के सर अपने हाथ में रखे। फिर बहुक्मे अल्लाह उन्हें बुलाने लगे, जिस जानवर को आवाज़ देते, उसके बिखरे हुए पर इधर उधर से उड़ता हुआ आपके पास आता। आप उसे दूसरे परिन्दे का सर देते तो वह क़बूल न करता,

ख़ुद उसका सर देते तो वह जुड़ जाता। (कुर्तुबी : 3/300) यहाँ तक कि एक एक करके यह चारों परिन्द ज़िन्दा होकर उड़ गए और अल्लाह तआला की क़ुदरत का और मुर्दों के ज़िन्दा होने का यह ईमान अफ़रोज़ नज़ारा ख़लीलुल्लाह ने अपनी आँखों से देख लिया। फिर फ़र्माता है कि जान ले, अल्लाह तआला ग़ालिब है कोई चीज़ उसे आजिज़ नहीं कर सकती। जिस काम को वह चाहे बेरोक हो जाता है, हर चीज़ उसके क़ब्ज़ा में है, वह अपने क़ौल व फ़े'ल में हकीम है। इसी तरह अपने इंतिज़ाम में और शरीअत के मुक़र्रर करने में भी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ؓ) फ़र्माया करते थे कि हज़रत इब्राहीम (ؑ) से जनाब बारी तआला का यह सवाल करना कि क्या तू ईमान नहीं लाया? और हज़रत ख़लील (ؑ) का यह जवाब देना कि हाँ! ईमान तो है लेकिन दिली इत्मिनान चाहता हूँ। यह आयत मुझे तो और तमाम आयात से ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली मा'लूम होती है। मतलब यह है कि एक ईमानदार के दिल में अगर कोई ख़तरा, वस्वसा शैतानी पैदा हो तो उस पर पकड़ नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ؓ) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (ؓ) की मुलाक़ात होती है तो पूछते हैं कि कुरआन में सबसे ज़्यादा उम्मीद पैदा करने वाली आयत कौनसी है? अब्दुल्लाह बिन अम्र (ؓ) फ़र्माते हैं (ला तक़्नतू) (39/ज़ुमर : 53) वाली आयत जिसमें इर्शाद है कि मेरे गुनहगार बन्दो! मेरी रहमत से नाउम्मीद न होना, मैं सब गुनाहों को बख़्श देता हूँ। इब्ने अब्बास (ؓ) ने फ़र्माया, मेरे नज़दीक तो इस उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा ढारस बंधाने वाली आयत हज़रत इब्राहीम (ؑ) का यह क़ौल फिर रब्बुल इज़्ज़त का यह सवाल और आपका जवाब है। (इब्ने अबी हातिम : 3/1032; हाकिम : 4/260, 261; ज़हबी (रह.) तल्ख़ीसुल मुस्तदरक हाकिम : 1/6 में फ़र्माते हैं कि इसमें इंक़िताअ है। लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।)

....

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۭ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

तर्जुमा : ''जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से सात बालियाँ निकलीं और हर बाली में सौ दाने हों और अल्लाह जिसे चाहे बढ़ा चढ़ाकर दे, और अल्लाह तआला कुशादगी वाला और इल्म वाला है।'' (261)

सदक़ात का अज्रो-सवाब (आयत 261) : इस आयत में बयान हो रहा है कि जो शख़्स अल्लाह तआला की रज़ामंदी की तलब में अपने माल को ख़र्च करे उसे बड़ी बरकतें और बहुत बड़े सवाब मिलते हैं और नेकियाँ सात सौ गुना करके दी जाती है, तो फ़र्माया कि जो लोग अल्लाह की राह में या'नी अल्लाह तआला की फ़र्मांबरदारी में जिहाद में घोड़ों को पालने में, हथियार ख़रीदने में, हज्ज करने कराने वग़ैरह में ख़र्च करते हैं। अल्लाह तआला के नाम के दिए हुए की मिसाल किस पाकीज़गी से बयान हो रही है जो आँखों में खप जाए और दिल में घर कर जाए। एक दम यूँ फ़र्मा देता है कि एक के बदले सात सौ मिलेंगे, उससे बहुत ज़्यादा लताफ़त इस कलाम और इस मिसाल में है और फिर इसमें

इशारा है कि आ'माले सालिहा अल्लाह तआला के पास बढ़ते रहते हैं। जिस तरह तुम्हारे बोये हुए बीज खेत में बढ़ते बढ़ाते रहते हैं। मुस्नद अहमद में हदीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "जो शख़्स अपनी बची हुई चीज़ अल्लाह की राह में देता है उसे सात सौ गुना सवाब मिलता है और जो शख़्स अपनी जान पर और अपने अहलो-अयाल पर ख़र्च करे, उसे दस गुना मिलता है और बीमार की एयादत का सवाब भी दस गुना मिलता है, रोज़ा ढाल है जब तक कि उसे ख़राब न करे, जिस शख़्स पर कोई जिस्मानी बला, मुसीबत, दुख, दर्द, बीमारी आए वह उसके गुनाहों को झाड़ देती है।" (अहमद : 1/195; व सनदुहू हसन, नसाई, मुख़्तसरन : 2235) यह हदीस हज़रत अबू उबेदह (رضي الله عنه) ने उस वक़्त बयान फ़र्माई थी जबकि आप सख़्त बीमार थे और लोग एयादत के लिए गए थे, आपकी बीवी साहिबा सिराहने बैठी थीं, उनसे पूछा कि रात कैसे गुजरी? उन्होंने कहा, निहायत सख़्ती से, आपका चेहरा उस वक़्त दीवार की जानिब था, यह सुनते ही लोगों की तरफ़ चेहरा किया और फ़र्माया, मेरी यह रात सख़्ती की नहीं गुज़री, इसलिए कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से यह सुना है। मुस्नद अहमद की और हदीस में है कि एक शख़्स ने नकेल वाली ऊँटनी ख़ैरात की। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, "यह क़यामत के दिन सात सौ नकील वाली ऊँटनियाँ पाएगा।" (अहमद : 4/121; सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब फ़ज़्लुस्सदक़ति फ़ी सबीलिल्लाहि तआला : 1892; नसाई : 4916) मुस्नद की एक और हदीस में है कि अल्लाह तआला ने इब्ने आदम की एक नेकी को दस नेकियों के बराबर कर दिया है और फिर वह बढ़ती रहती हैं, सात सौ तक।

मगर रोज़ा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है कि वह ख़ास मेरे ही लिए है और मैं ही उसका अज्रो सवाब दूंगा। रोज़ेदार को दो ख़ुशियाँ हैं, एक इफ़्तार के वक़्त, दूसरी क़यामत के दिन रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तआला को मुश्क की ख़ुश्बू से ज़्यादा पसंद है। दूसरी हदीस में इतनी ज़्यादती और है कि रोज़ेदार अपने खाने पीने को सिर्फ़ मेरी वजह से छोड़ता है, आख़िर में है कि रोज़ा ढाल है। (अहमद : 1/446; सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब फ़ज़्लुस्सियाम : 1151) रोज़ा ढाल है। मुस्नद की और हदीस में है कि नमाज़, रोज़ा, ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह की राह के ख़र्च पर सात सौ गुना बढ़ जाते हैं। (अहमद : 3/438; मुख़्तसरन; अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी तज़्ईफ़ुज़् ज़िक्र फ़ी सबीलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल : 2498; व सनदुहू ज़ईफ़; ज़िबान बिन फ़ाइद रावी ज़ईफ़ है।) इब्ने अबी हातिम की हदीस में है कि जो शख़्स जिहाद में कुछ माली मदद दे गो ख़ुद न जाए ताहम उसे एक के बदले सात सौ के ख़र्च करने का सवाब मिलता है और ख़ुद भी शरीक हो तो एक दिरहम के बदले सात लाख दिरहम के ख़र्च का सवाब मिलता है। फिर आपने इसी आयत की तिलावत की (وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ) यह हदीस ग़रीब है। (इब्ने अबी हातिम; व सनदुहू ज़ईफ़) और हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) वाली हदीस (مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ) (2/बक़रह : 245) की तफ़्सीर में पहले गुज़र चुकी है जिसमें यह है कि एक के बदले दो करोड़ सवाब मिलता है। (अहमद : 2/296; वसनदुहू ज़ईफ़) इब्ने मर्दवे में है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो नबी (ﷺ) ने यही दुआ की कि ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत को कुछ और ज़्यादती अता फ़र्मा तो (مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ) वाली आयत उतरी। (इब्ने मर्दवे व इब्ने हिब्बान, अल्एहसान : 4629; व सनदुहू ज़ईफ़) आप (ﷺ) ने फिर भी यही दुआ की तो आयत (...اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (39/ज़ुमर : 10) उतरी पस साबित हुआ कि जिस क़द्र इख़्लास अमल में हो, उसी क़द्र सवाब में ज़्यादती होती है। अल्लाह तआला बड़े-वसीअ फ़ज़्लो करम वाला है, वह जानता भी है कि कौन किस क़द्र मुस्तहिक़ है और किसे इस्तिहक़ाक़ नहीं। फ़सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाह!

اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَاۤ اَذًی
لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۲۶۲﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ
وَّمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ یَّتْبَعُهَاۤ اَذًی ؕ وَاللّٰهُ غَنِیٌّ حَلِیْمٌ ﴿۲۶۳﴾ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا
تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰی ۙ كَالَّذِیْ یُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ
صَلْدًا ؕ لَا یَقْدِرُوْنَ عَلٰی شَیْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْكٰفِرِیْنَ ﴿۲۶۴﴾

तर्जुमा : ''जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं फिर उसके बाद न तो एहसान जताते हैं, न ईज़ा देते हैं, उनका अज्र उनके रब के पास है। उन पर न तो कुछ ख़ौफ़ है, न वह उदास होंगे। (262) नर्म बात कहना और माफ़ कर देना उस सदक़ा से बेहतर है जिसके बाद ईज़ारसानी हो, अल्लाह तआला बेनियाज़ और बुर्दबार है। (263) ऐ ईमानवालों! अपनी ख़ैरात को एहसान जताकर और ईज़ा पहुँचाकर बर्बाद न करो, जिस तरह वह शख़्स जो अपना माल लोगों को दिखावे के लिए ख़र्च करे और न अल्लाह पर ईमान रखे, न क़यामत के दिन पर, उसकी मिसाल उस साफ़ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो फिर उस पर ज़ोरदार बारिश बरसे और वह उसे बिलकुल साफ़ और सख़्त छोड़ दे, उन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ हाथ नहीं लगती। अल्लाह तआला काफ़िरों की क़ौम को राह नहीं दिखाता।'' (264)

रियाकारी और एहसान जतलाने से पाक सदक़ा की फ़ज़ीलत (आयत 262-264) : अल्लाह तआला अपने उन बन्दों की मदह व ता'रीफ़ करता है जो ख़ैरात व सदक़ात करते हैं और फिर जिसे देते हैं उस पर एहसान जताने नहीं बैठते, न तो अपनी ज़ुबान से न अपने किसी फ़े'ल से और न उस शख़्स को कोई बुराई पहुँचाते हैं, उनसे फिर जज़ाए ख़ैर का वा'दा फ़र्माता है कि उनका अज्रो सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे है, उन पर क़यामत के दिन कोई होल और ख़ौफ़ व ख़तरा न होगा और न दुनिया और बाल बच्चे छूट जाने का उन्हे कोई रंज व ग़म होगा, इसलिए कि वहाँ पहुँचकर उससे बेहतर चीज़ेंउन्हें मिल चुकी हैं।

कलिमा-ख़ैर कहने की फ़ज़ीलत : फिर फ़र्माता है कि कलिमा ख़ैर ज़ुबान से निकालना किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करना और दरगुज़र करना ख़तावार को माफ़ कर देना उस सदक़ा से बहुत बेहतर है जिसकी तह में ईज़ादेही हो, इब्ने अबी हातिम में है कि रसूले अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (ﷺ) फ़र्माते हैं, ''कोई सदक़ा नेक काम से अफ़ज़ल नहीं। क्या तुमने फ़र्माने बारी तआला (क़ौलुम् मा'रूफ़) नहीं सुना? (यह मुर्सल रिवायत है।) अल्लाह तआला अपनी तमाम मख़्लूक़ से बेनियाज़ है और सारी मख़्लूक़ उसकी मुहताज है, वह हलीम और बुर्दबार है, गुनाहों को देखता है और रहम व करम करता है बल्कि माफ़ कर देता है, तजावुज़ कर लेता है और बख़्श देता है। सहीह मुस्लिम शरीफ़ की हदीस है कि तीन क़िस्म के लोगों से अल्लाह तआला क़यामत के दिन बातचीत न करेगा, न उनकी तरफ़ नज़रे-रहमत से देखेगा, न उन्हें पाक करेगा बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक तो देकर एहसान जताने वाला, दूसरा टख़्नों से नीचे पाजामा और तहबन्द लटकाने वाला, तीसरा अपने सौदे को झूठी क़सम खाकर बेचने वाला। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान ग़लज़ तहरीम इस्बालुल इज़ार : 106; अबूदाऊद : 4087; तिर्मिज़ी : 1211; नसाई : 4463) इब्ने माजा वग़ैरह की हदीस में है कि माँ बाप का नाफ़र्मान ख़ैरात सदक़ा करके एहसान जताने वाला शराबी और तक़्दीर को झुठलाने वाला जन्नत में दाख़िल न होगा। (अहमद : 6/441; इब्ने माजा, किताबुल अश्रिबा, बाब मन शरिबल ख़म्र फ़िद्दुनिया : 3376; वसनदुहू हसन) नसाई में है कि तीन शख़्सों की तरफ़ अल्लाह तआला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं, माँ बाप का नाफ़र्मान, शराब का आदी और देकर एहसान जताने वाला। (नसाई, किताबुज़्ज़कात, बाब अल्मन्नान बिला आ'ता : 2563; वसनदुहू हसन)

नसाई की और हदीस में है कि यह तीनों शख़्स जन्नत में दाख़िल न होंगे। (नसाई फ़िल कबीर : 4921; वसनदुहू ज़ईफ़) इसीलिए इस आयत में भी इर्शाद होता है कि अपने सदक़ात व ख़ैरात को मन्नत व एहसान रखकर और तक्लीफ़ पहुँचाकर बर्बाद न करो। उस एहसान के जताने और तक्लीफ़ पहुँचाने का गुनाह सदक़ा और ख़ैरात का सवाब बाक़ी नहीं रखता। फिर मिसाल दी कि एहसान और तक्लीफ़ देही के सदक़ा के ग़ारत हो जाने की मिसाल उस सदक़ा जैसी है जो रियाकारी के तौर पर लोगों के दिखावे के लिए दिया जाए, अपनी सख़ावत और फ़य्याज़ी और नेकी की शुहरत मद्देनज़र हो, लोगों में ता'रीफ़ व सताइश की चाहत हो सिर्फ़ अल्लाह तआला की रज़ामन्दी की तलब न हो, न उसके सवाब पर नज़र हो, इसीलिए इस जुम्ले के बाद फ़र्माया कि अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान न हो तो उस रियाकाराना सदक़े की और उस एहसान जताने और तक्लीफ़ पहुँचाने के सदक़े की मिसाल ऐसी है जैसे कोई साफ़ चटियल पत्थर की चट्टान हो, जिस पर मिट्टी पड़ी हुई हो, फिर सख़्त शिद्दत की बारिश हो तो जिस तरह उस पत्थर की तमाम मिट्टी धुल जाती है और कुछ भी बाक़ी नहीं रहती। उसी तरह उन दोनों क़िस्म के लोगों के ख़र्च की कैफ़ियत है कि गो लोग समझते हों कि उसके सदक़े की नेकी उसके पास है जिस तरह बज़ाहिर पत्थर पर मिट्टी नज़र आती थी लेकिन जैसे कि बारिश से वह मिट्टी जाती रही, उसी तरह उसके एहसान जताने या तक्लीफ़ पहुँचाने या रियाकारी करने से वह सवाब भी जाता रहा और अल्लाह तआला के पास पहुँचेगा तो कुछ भी जज़ा न पाएगा, अपने आ'माल में से किसी चीज़ पर क़ुदरत न रखेगा, अल्लाह तआला काफ़िर गिरोह की राहे रास्त की तरफ़ रहबरी नहीं करता।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ
فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ
وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ
ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۚۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٦﴾

तर्जुमा : "उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की रज़ामन्दी की तलब में दिल की ख़ुशी और यक़ीन के साथ ख़र्च करते हैं, उस बाग़ जैसी है जो ऊँची और तर ज़मीन पर हो और पूरी बारिश उस पर बरसे और वह अपना फल दुगुना लाए और अगर बारिश उस पर न भी बरसे तो शबनम ही काफ़ी है। अल्लाह तआला तुम्हारे काम को देख रहा है। (265) क्या तुममें से कोई भी यह चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरो का बाग़ हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर क़िस्म के फल मौजूद हों, उस शख़्स का बुढ़ापा आ गया हो, उसके नन्हे-नन्हे से बच्चे हो और अचानक बाग़ में तुंद आँधी आए जिसमें आग भी हो और बाग़ को वह जला डाले, इसी तरह अल्लाह तआला तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम ग़ोरो-फ़िक्र करो।" (266)

रज़ा-ए-इलाही के लिए किए गए सदक़ा की एक ख़ूबसूरत मिसाल (आयत 265, 266) : यह मिसाल मो'मिनों के सदक़ात की दी जिनकी निय्यतें अल्लाह को ख़ुश करने की होती है और जज़ा-ए-ख़ैर मिलने का भी पूरा यक़ीन होता है। जैसे हदीस में है जिस शख़्स ने रमज़ान के रोज़े ईमानदारी के साथ सवाब मिलने के यक़ीन पर रखे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब सौम रमज़ान ईमानंव्व इहतिसाबन...: 38; सहीह मुस्लिम : 760) रब्वा कहते हैं ऊँची ज़मीन को जहाँ नहरें चलती हों। इस लफ़्ज़ को (बिरुब्वतिन)

और (बिरिब्वतिन) भी पढ़ा गया है। वाबिल के मा'नी सख़्त बारिश के हैं। वह दो गुना फल लाती है या'नी बनिस्बत दूसरे बाग़ों की ज़मीन के। यह बाग़ ऐसा है और ऐसी जगह वाक़ेअ़ है कि बिल्फ़र्ज़ बारिश न भी हो फिर भी सिर्फ़ शबनम से ही फलता-फूलता है। यह नामुम्किन है कि मौसम ख़ाली जाए। इसी तरह ईमानदारों के आ'माल कभी बेअज्र नहीं रहते, वह ज़रूर बदला दिलवाते हैं। हाँ! इस जज़ा में फ़र्क़ होता है जो हर ईमानदार के ख़ुलूस और इख़्लास और नेक काम की अहमियत के ए'तिबार से बढ़ता है, अल्लाह तआला पर अपने बन्दों में से किसी बन्दे का कोई अमल मख़्फ़ी और पोशीदा नहीं।

नेकियों को बुराईयों से ज़ाया करने की मिसाल : सहीह बुख़ारी में है कि अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضی اللہ عنہ) ने एक दिन सहाबा (رضی اللہ عنہم) से पूछा जानते हो कि ये आयत किस बारे में नाज़िल हुई, उन्होंने कहा, अल्लाह तआला ज़्यादा जानने वाला है, आपने नाराज़ होकर फ़र्माया, तुम जानते हो या नहीं, उसका साफ़ जवाब दो, हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) ने फ़र्माया, अमीरुल मो'मिनीन! मेरे दिल में एक बात है, आपने फ़र्माया, भतीजे कहो, और अपने नफ़्स को इतना हक़ीर न करो। फ़र्माया, एक अमल की मिसाल दी गई है। पूछा, कौनसा अमल? कहा, एक मालदार शख़्स जो अल्लाह तआला की फ़र्मांबरदारी के काम करता है; फिर शैतान उसे बहकाता है और वह गुनाहों में मशग़ूल हो जाता है और अपने नेक आ'माल को खो देता है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, बाब क़ौलुहू : 4538) पस यह रिवायत इस आयत की पूरी तफ़्सीर है उसमें बयान हो रहा है कि एक शख़्स ने इब्तिदाअन अच्छे अमल किए, फिर उसके बाद उसकी हालत बदल गई और बुराईयों में फंस गया और पहले की नेकियों का ज़ख़ीरा बर्बाद कर दिया और आख़िरी वक़्त जबकि नेकियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यह ख़ाली हाथ रह गया जिस तरह एक शख़्स है जिसने एक बाग़ लगाया, फल उतारता रहा लेकिन जबकि बुढ़ापे के ज़माने को पहुँचा, छोटे बच्चे भी हैं, आप किसी काम काज के क़ाबिल भी नहीं रहा, अब मदारे ज़िन्दगी सिर्फ़ वह बाग़ है कि इत्तिफ़ाक़न (उसके बेटों की नाफ़र्मानी की वजह से) आँधी चली, उसमें आग भी थी और वह हरा भरा लहराता बाग़ दम भर में लाख का ख़ाक हो गया। इसी तरह यह शख़्स है कि पहले तो नेकियाँ कर लीं लेकिन फिर बुराईयों पर उतर आया और ख़ात्मा अच्छा न हुआ तो जब उन नेकियों के बदले का वक़्त आया तो ख़ाली हाथ रह गया। काफ़िर शख़्स भी जब अल्लाह के पास जाता है तो वहाँ तो कुछ करने की ताक़त नहीं जिस तरह उस बुढ़े को और जो किया है वह कुफ़्र की आग वाली आँधी ने बर्बाद कर दिया। अब पीछे से भी कोई उसे फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता जिस तरह उस बुढ़े की कमसिन औलाद उसे कोई काम नहीं दे सकती। मुस्तदरक हाकिम में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक दुआ यह भी थी। (اللهم اجعل اوسع رزقك علی عند كبر سنی و انقضاء عمری) ऐ अल्लाह! अपनी रोज़ी को सबसे ज़्यादा मुझे उस वक़्त इनायत फ़र्मा, जब मेरी उम्र बड़ी हो जाए और ख़त्म होने को आए। अल्लाह तआला ने तुम्हारे सामने यह मिसालें बयान फ़र्मा दीं, तुम भी ग़ोरो फ़िक्र, तदब्बुर व तफ़क्कुर करो, सोचो समझो और इब्रत व नसीहत हासिल करो। जैसे फ़र्माया (وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَ مَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ) (29/अन्कबूत : 43) इन मिसालों को हमने लोगों के लिए बयान फ़र्माया, उन्हें उलमा ही ख़ूब समझ सकते हैं।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۠ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ﴿۲۶۷﴾ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ
وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۸﴾ يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ
وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۲۶۹﴾

तर्जुमा : ''ईमानवालों! अपनी पाकीज़ा कमाई और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों को ख़र्च करो, उनमें से बुरी चीज़ों के ख़र्च करने का क़सद न करना जिसे तुम ख़ुद लेने वाले नहीं हो, हाँ! अगर आँखें बंद कर लो तो, और जान लो कि अल्लाह तआला बेपरवाह और ख़ूबियों वाला है। (267) शैतान तुमको फ़क़ीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है और अल्लाह तआला तुमसे अपनी बख़्शिश और फ़ज़्ल का वा'दा करता है। अल्लाह तआला वुस्अत वाला और इल्म वाला है। (268) वह जिसे चाहे हिक्मत और दानाई देता है जो हिक्मत और समझ दिया जाए वह बहुत सारी भलाई दिया गया, नसीहत सिर्फ़ अक़्लमंद ही हासिल करते हैं।'' (269)

पाकीज़ा और बेहतरीन चीज़ सदक़ा करो (आयत 267-269) : अल्लाह तआला अपने मो'मिन बन्दों को सदक़ा करने का हुक्म देता है कि माले तिजारत जो अल्लाह ने तुमको दिया है सोना चाँदी और फल अनाज वग़ैरह जो उसने तुमको ज़मीन से निकाल कर दिए हैं उसमें से बेहतरीन मरग़ूब तबअ और पसंद ख़ातिर उम्दा उम्दा चीज़ें अल्लाह तआला की राह में दो, रद्दी, वाहियात सड़ी गली पड़ी बेकार फ़िज़ूल और ख़राब चीज़ राहे अल्लाह में न दो। अल्लाह ख़ुद तय्यब है वह ख़बीस को क़बूल नहीं करता। तुम उसके नाम पर या'नी गोया उसे वह ख़राब चीज़ देना चाहते हो जो अगर तुमको दी जाती तो न क़बूल करते फिर अल्लाह कैसे ले लेगा? हाँ! माल जाता देखकर अपने हक़ के बदले कोई गिरी पड़ी चीज़ भी मजबूर होकर ले लो तो और बात है, लेकिन अल्लाह तआला ऐसा मजबूर भी नहीं वह किसी हालत में ऐसी चीज़ को क़बूल नहीं फ़र्माता। यह भी मतलब है कि हलाल चीज़ को छोड़कर हराम चीज़ या हराम माल से ख़ैरात न करो। मुस्नद अहमद में है कि

रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "अल्लाह तआला ने जिस तरह तुम्हारी रोज़ियाँ तुममें बांट दी हैं तुम्हारे अख़्लाक़ भी तुममें बांट दिये हैं। दुनिया तो अल्लाह तआला अपने दोस्तों को भी देता है और दुश्मनों को भी, हाँ! दीन सिर्फ़ दोस्तों ही को अता फ़र्माता है और जिसे दीन मिल जाए वह अल्लाह तआला का महबूब है। अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है कोई बन्दा मुसलमान नहीं होता जब तक कि उसका दिल और उसकी ज़ुबान मुसलमान न हो जाए, कोई बन्दा मो'मिन नहीं होता जब तक कि उसके पड़ौसी उसकी ईज़ाओं से बेख़ौफ़ न हो जाएँ, लोगों के सवाल पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "ईज़ा से मुराद धोखाबाज़ी और ज़ुल्मो सितम है जो शख़्स हराम तरीक़े से माल हासिल करे, उसमें अल्लाह तआला बरकत नहीं देता, न उसके सदक़े ख़ैरात को क़बूल फ़र्माता है और जो छोड़कर जाता है वह सब उसके लिए आग में जाने का तौशा और सबब बनता है। अल्लाह तआला बुराई को बुराई से नहीं मिटाता बल्कि बुराई को अच्छाई से दूर करता है। ख़बासत से ख़बासत नहीं हटती। (अहमद : 1/387; वसनदुहू ज़ईफ़) पस दो क़ौल हुए एक तो रद्दी चीज़ें दूसरे हराम माल आयत में पहला क़ौल मुराद लेना ही ज़्यादा अच्छा मा'लूम होता है।

हज़रत बरा' बिन आज़िब (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि खजूरों के मौसम में अंसार अपनी अपनी वुस्अत के मुताबिक़ खजूरों के ख़ोशे लाकर दो सतूनों के दरम्यान एक रस्सी लटक रही थी उसमें लटका देते, जिसे अस्हाबे सुफ़्फ़ा और मिस्कीन मुहाजिर भूख के वक़्त खा लेते। किसी ने जिसे सदक़ा की रग़बत कम थी, उसमे रद्दी खजूरों का एक ख़ोशा लटका दिया, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई कि अगर तुमको ऐसी ही चीज़ हदिया में दी जाए तो हर्गिज़ न लोगे, हाँ! अगर शर्म व लिहाज़ से न चाहकर भी ले लो तो और बात है, उसके नाज़िल होने के बाद हममें से हर शख़्स बेहतर से बेहतर चीज़ लाता था। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिल बक़रह : 2987; इब्ने माजा : 1822; वसनदुहू हसन) इब्ने अबी हातिम में है कि हल्की क़िस्म की खजूरें और वाही फल लोग ख़ैरात में निकालते हैं जिस पर यह आयत उतरी और हुज़ूर (ﷺ) ने उन चीज़ों से सदक़ा देना मना फ़र्माया। (अबूदाऊद, किताबुज़्ज़कात, बाब मा ला यजूज़ मिनत तम्रति फ़िस्सदक़ति : 1607 मुख़्तसरन व सनदुहू ज़ईफ़; नसाई : 2494; व सनदुहू हसन वहुव युग़्नि अन्हू) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल फ़र्माते हैं मो'मिन की कमाई कभी ख़बीस नहीं होती। मुराद यह है कि बेकार चीज़ सदक़े में न दो। मुस्नद में हदीस है कि हुज़ूर (ﷺ) के सामने गोह का गोश्त लाया गया। आपने न खाया न किसी को खाने से मना किया तो हज़रत आइशा (رضي الله عنها) ने कहा, किसी मिस्कीन को दे दें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "जो तुमको पसंद नहीं और जिसे तुम खाना गवारा नहीं करतीं उसे किसी और को क्यूँ दोगी?" (अहमद : 6/105; व सनदुहू ज़ईफ़; हम्माद बिन अबी सुलेमान व इब्राहीम नख़ई अन्अना।) हज़रत बराअ (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं कि जब तुम्हारा हक़ किसी पर हो और वह तुमको वह चीज़ दे जो बे-क़द्रो-क़ीमत हो तो तुम उसे न लोगे। मगर उस वक़्त जब तुमको अपने हक़ की बर्बादी दिखाई देती हो तो ख़ैर तुम चश्मपोशी करके उसी को ले लोगे। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माते है मतलब यह है कि तुमने किसी को अच्छा माल दिया और अदायगी के वक़्त वह

नाक़िस माल लेकर आया तो तुम हर्गिज़ न लोगे और अगर लोगे भी तो उसकी क़ीमत घटाकर, तो तुम जिस चीज़ को अपने हक़ में लेना पसंद नहीं करते, उसे अल्लाह तआला के हक़ के बदले क्यूँ देते हो? पस बेहतरीन और मरग़ूब माल उसकी राह में ख़र्च करो और यही मा'नी हैं आयत (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ) (3/आले इमरान : 92) के भी।

बवक़्ते सदक़ा शैतान का वस्वसा डालना : फिर फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने तुमको अपनी राह में ख़र्च करने का हुक्म दिया और उम्दा चीज़ देने का। कहीं उससे यह न समझ लेना कि वह मुहताज है। नहीं! नहीं! वह तो महज़ बेनियाज़ है और तुम सब उसके मुहताज हो, यह हुक्म सिर्फ़ इसलिए है कि गुरबा भी दुनिया की ने'मतों से महरूम न रहें। जैसे और जगह कुर्बानी के हुक्म के बाद फ़र्माया (لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ) (22/हज्ज : 37) अल्लाह तआला न उसका ख़ून लेता है न गोश्त वह तो तुम्हारे तक़्वा की आज़माइश करता है, वह कुशादा फ़ज़्ल वाला है, उसके ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं। सदक़ा अपने चहीते हलाल माल से निकालकर अल्लाह तआला के फ़ज़्ल , उसकी बख़्शिश, उसके करम और उसकी सख़ावत पर नज़रें रखो, वह इसका बदला इससे बहुत बढ़ा-चढ़ा कर तुमको अता फ़र्माएगा, वह मुफ़्लिस नहीं, वह ज़ालिम नहीं, वह हमीद है, तमाम क़ौल व फ़े'ल तक़्दीर शरीअत सबमें उसकी ता'रीफ़ें ही की जाती हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, वही तमाम जहानों का पालने वाला है, उसके सिवा कोई किसी की परवरिश नहीं करता। उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं। हदीस में है कि एक कचोका शैतान मारता है और एक तौफ़ीक़ की रहबरी फ़रिश्ता करता है, शैतान तो शरारत पर आमादा करता है और हक़ को झुठलाने पर और फ़रिश्ता नेकी पर और हक़ की तस्दीक़ पर जिसके दिल में यह ख़्याल आए, वह अल्लाह तआला का शुक्र करे और जान ले कि यह अल्लाह तआला की तरफ़ से है और जिसके दिल में वह वस्वसा पैदा हो, वह अऊज़ु पढ़े फिर हुज़ूर (ﷺ) ने आयत (اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ) तिलावत फ़र्माई। (तिर्मिज़ी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब वमिन सूरतिल बक़रह : 2988; वसनदुहू ज़ईफ़; अता बिन साइब मुख़्तलत रावी है।)

यह हदीस अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मौक़ूफ़न भी मरवी है। मतलब आयते-करीमा का यह है कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने से शैतान रोकता है और दिल में वस्वसा डालता है कि इस तरह फ़क़ीर हो जायेंगे, उस नेक काम से रोककर फिर बेहयाईयों और बदकारियों की रग़्बत दिलाता है। गुनाहों पर, नाफ़र्मानियों पर, हराम-कारियों पर, और मुख़ालिफ़ते हक़ पर उकसाता है और अल्लाह तआला तुमको इसके बरख़िलाफ़ हुक्म देता है कि ख़र्च फ़ी सबीलिल्लाह से हाथ न रोको और शैतान की धमकी के ख़िलाफ़ वह फ़र्माता है कि इस सदक़ा के बाइस मैं तुम्हारी ख़ताओं को भी माफ़ कर दूँगा और जो तुमको फ़क़ीरी से डराता है मैं उसके मुक़ाबले में तुमको अपने फ़ज़्ल का यक़ीन दिलाता हूँ। मुझसे बढ़कर रहमो-करम, फ़ज़्ल व लुत्फ़ किसका ज़्यादा वसीअ होगा और अंजामकार का इल्म भी मुझसे ज़्यादा अच्छा किसे हासिल हो सकता है।

हिक्मत का मफ़्हूम : हिक्मत से मुराद यहाँ पर क़ुरआन-करीम और हदीसे-मुबारका की पूरी महारत है जिससे नासिख़ व मंसूख़ मुहकम व मुतशाबेह, मुक़द्दम, मुअख़्ख़र, हलाल, हराम की और मिसालों की मा'रिफ़त हासिल हो जाए। (तब्री : 5/576) पढ़ने को तो इसे हर बुरा-भला पढ़ता है लेकिन इसकी तफ़्सीर और इसकी समझ वह हिक्मत है जिसे अल्लाह चाहता है, अता करता है। (इसकी सनद में जुवेबिर मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : 1/427; रक़्म : 1593) जबकि ज़हहाक बिन मज़ाहिम का इब्ने अब्बास (ﷺ) से लिक़ाअ साबित नहीं) वह असल मतलब को पा ले और बात की तह को पहुँच जाए और ज़ुबान से उसका सहीह मतलब अदा हो, सच्चा इल्म सहीह समझ उसे अता हो, अल्लाह तआला का डर उसके दिल मे हो। चुनाँचे एक मरफ़ूअ हदीस भी है कि हिक्मत का राज़ अल्लाह तआला का डर है। (इब्ने मर्दवे व सनदुहू ज़ईफ़) ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया के इल्म के बड़े माहिर हैं, हर अम्रे दुनियावी को अक़्लमंदी से समझ लेते हैं लेकिन दीन में बिलकुल अँधे हैं और ऐसे लोग भी हैं कि दुनियावी इल्म मे कमज़ोर हैं लेकिन उलूमे शरई में बड़े माहिर हैं पस यह है वह हिक्मत जो अल्लाह ने उसे दी और उसे इससे महरूम रखा। सुदी (रह.) कहते हैं कि यहाँ हिक्मत से मुराद नबुव्वत है। लेकिन सहीह यह है कि वह हिक्मत का लफ़्ज़ इन तमाम चीज़ों को शामिल है और नबुव्वत भी उसका आ'ला और बेहतरीन हिस्सा है और इससे बिलकुल ख़ास चीज़ है जो अम्बिया (अ.) के सिवा और किसी को हासिल नहीं, उनके ताबेअ फ़र्मान लोगों को अल्लाह तआला की तरफ़ से महरूमी नहीं। सच्ची और अच्छी समझ की दौलत से यह भी मालामाल होते हैं। कुछ अहादीस में है कि जिसने क़ुरआन करीम को हिफ़्ज़ कर लिया उसके दोनों बाज़ूओं के दरम्यान नबुव्वत चढ़ेगी मगर वह साहिबे वही नहीं। (अल्हाकिम : 1/552; वसनदुहू हसन व लहू शाहिद मौक़ूफ़ हसन इन्द अबी उबेद फ़ी फ़ज़ाइलिल क़ुरआन : पेज 53) लेकिन दूसरे तरीक़ से कि वह ज़ईफ़ है, मन्क़ूल है कि यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) का अपना क़ौल है। मुस्नद की हदीस में है कि क़ाबिले रश्क सिर्फ़ दो शख़्स हैं जिसे अल्लाह तआला ने माल दिया और अपनी राह में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ भी दी और जिसे अल्लाह तआला ने हिक्मत दी और साथ ही उसी के साथ फ़ैसले करने और उसकी ता'लीम देने की तौफ़ीक़ भी अता फ़र्माई। (अहमद : 1/432; सहीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब अल्इग्तिबातु फ़िल् इल्म वल हिक्मत : 73; सहीह मुस्लिम : 816) वा'ज़ व नसीहत उसी को नफ़ा पहुँचाती है जो अक़्ल से काम ले, समझ रखता हो, बात को याद रखे और मतलब पर नज़रें रखे।

....

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ
اَنْصَارٍ ۝﴿٢٧٠﴾ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝﴿٢٧١﴾

तर्जुमा : ''तुम जितना कुछ ख़र्च करो या'नी ख़ैरात और जो कुछ नज़्र मानो, अल्लाह तआला उसे बख़ूबी जानता है। ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। (270) अगर तुम सदक़े ख़ैरात को ज़ाहिर करो तो वह भी अच्छा है और अगर तुम इसे पोशीदा-पोशीदा मिस्कीनों को दे दो तो यह तुम्हारे हक़ में बेहतर है, अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाहों का भी कफ़्फ़ारा कर देगा, अल्लाह तआला तुम्हारे तमाम आ'माल की ख़बर रखने वाला है।'' (271)

सदक़ा और नज़्र का बयान (आयत 270, 271) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि हर एक ख़र्च और नज़्र को और हर भले अमल को अल्लाह ख़ूब जानता है, वह अपने नेक बन्दों को जो उसका हुक्म बजा लाते हैं, उससे सवाब की उम्मीद रखते हैं, उसके वा'दों को सच्चा जानते हैं, उसके फ़र्मान पर ईमान रखते हैं, बेहतरीन बदला अता फ़र्माएगा और उनके ख़िलाफ़ जो लोग उसकी हुक्म बरदारी से जी चुराते हैं, गुनाह के काम करते हैं, उसकी ख़बरों को झुठलाते हैं, उसके साथ दूसरों की इबादत करते हैं, यह ज़ालिम हैं क़यामत के दिन क़िस्म-क़िस्म के सख़्त बदतरीन और अलमनाक अज़ाब इन्हें होंगे और कोई न होगा जो इन्हें छुड़ाए या इनकी मदद को उठे।

फिर फ़र्माया कि ज़ाहिर करके सदक़ा देना भी अच्छा है और छुपाकर फ़ुक़रा मसाकीन को देना बहुत ही बेहतर है, इसलिए कि यह रियाकारी से कोसों दूर है। हाँ! यह और बात है कि ज़ाहिर करने में कोई दीनी मस्लिहत या दीनी फ़ायदा हो, मस्लन इसलिए कि और लोग भी दे वग़ैरह। हदीसे मुबारका में है कि सदक़ा का ज़ाहिर करने वाला मिस्ल बुलंद आवाज़ से क़ुरआन पढ़ने वाले के है और इसे छुपाने वाला आहिस्ता पढ़ने वाले की तरह है। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब रफ़अस्सौति बिल क़िराअत सलातल्लैल : 1333; वहुव हसन; तिर्मिज़ी : 2919; नसाई : 2562)

पस इस आयत से सदक़ा जो पोशीदा दिया जाए उसकी फ़ज़ीलत साबित होती है। बुख़ारी व मुस्लिम में बरिवायत हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''सात शख़्सों को क़यामत के दिन अल्लाह तआला अपने साया मे जगह देगा जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया न होगा, आदिल बादशाह, वह नौजवान जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत और शरीअत की फ़र्मांबरदारी में गुज़ारे, वह दो शख़्स जो अल्लाह तआला के लिए आपस में मुहब्बत रखें, उसी पर जमा हों और उसी पर जुदा हों, वह शख़्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, निकलने के वक़्त से जाने के वक़्त तक, वह शख़्स जो ख़ल्वत (तन्हाई) में अल्लाह तआला का ज़िक्र करके रो दे, वह शख़्स जिसे कोई मंसब व जमाल वाली औरत बदकारी की तरफ़

बुलाए, मगर वह कह दे कि मैं तो अल्लाह तआला रब्बुल आलमीन से डरता हूँ और वह शख़्स जो अपना सदक़ा इस क़द्र छुपाकर दे कि बाएँ हाथ को दायें हाथ के ख़र्च की ख़बर तक न हो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब मन जलस फ़िल मस्जिद यंतज़िरुस्सलात : 660; सहीह मुस्लिम : 1031)

मुस्नद अहमद की हदीस में है कि जब अल्लाह तआला ने ज़मीन को पैदा किया तो हिलने लगी, अल्लाह तआला ने पहाड़ पैदा करके उन्हें गाड़ दिया जिससे ज़मीन का हिलना मौक़ूफ़ हो गया। फ़रिश्तों को पहाड़ों की ऐसी संगीन पैदाईश पर ता'ज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा कि बारी तआला! क्या तेरी मख़्लूक़ में पहाड़ से ज़्यादा सख़्त भी कोई है? अल्लाह तआला ने फ़र्माया, हाँ! लोहा, फिर उससे सख़्त आग और उससे सख़्त पानी और उससे सख़्त हवा। दरयाफ़्त किया, उससे भी ज़्यादा सख़्त? फ़र्माया, इब्ने आदम जो इस तरह सदक़ा करता है कि बाएँ हाथ को दाएँ हाथ के ख़र्च की ख़बर नहीं होती। (अहमद : 3/124; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब हिक्मतु ख़ल्क़ल जिबाल फ़िल अर्ज़ि..... : 3369; वसनदुहू हसन) आयतल कुर्सी की तफ़्सीर में वह हदीस गुज़र चुकी है जिसमें है कि अफ़ज़ल सदक़ा वह है जो पोशीदगी से किसी हाजतमंद को दे दिया जाए बावजूद माल की क़िल्लत के, फिर भी राहे अल्लाह में ख़र्च किया जाए फिर इसी आयत की तिलावत की। (इब्ने अबी हातिम) (अहमद : 5/178; मुख़्तसरन; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा)

एक और हदीस में है कि पोशीदगी का सदक़ा अल्लाह तआला के ग़ज़ब को बुझा देता है। (तिर्मिज़ी, किताबुज़्ज़कात, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज़्लिस्सदक़ति :664; वसनदुहू ज़ईफ़; अब्दुल्लाह बिन ईसा ज़ईफ़ रावी है।) हज़रत शअबी (रह.) फ़र्माते हैं कि यह आयत हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) के बारे में उतरी है। हज़रत उमर तो अपना आधो-आध माल हुज़ूर (ﷺ) के पास लाए और हज़रत सिद्दीक़ (رضي الله عنه) ने जो कुछ था, लाकर रख दिया। आपने पूछा, अपने घरवालों के लिए क्या छोड़ आए हो? फ़ारूक़ (رضي الله عنه) ने जवाब दिया इतना ही। सिद्दीक़ (رضي الله عنه) गो ज़ाहिर करना नहीं चाहते थे और चुपके से सबका सब हुज़ूर (ﷺ) के हवाले कर चुके थे लेकिन जब उनसे भी पूछा गया तो कहना पड़ा कि अल्लाह तआला का वा'दा और उसके रसूल (ﷺ) का वा'दा काफ़ी है। हज़रत उमर (رضي الله عنه) यह सुनकर रो दिए और फ़र्माने लगे, अल्लाह की क़सम! जिस किसी नेकी के काम की तरफ़ हम लपके हैं, उसमें ऐ सिद्दीक़ (رضي الله عنه)! आपको आगे ही आगे पाते हैं। (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब : 3675; वसनदुहू हसन) आयत के अल्फ़ाज़ आम हैं, सदक़ा ख़्वाह फ़र्ज़ हो ख़्वाह नफ़्ली, ज़कात हो या ख़ैरात, इसकी पोशीदगी इज़्हार से अफ़ज़ल है लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि नफ़्ली सदक़ा पोशीदा देना सत्तर गुना फ़ज़ीलत रखता है लेकिन फ़र्ज़ ज़कात को ए'लानिया अदा करना पच्चीस गुना फ़ज़ीलत रखता है।

फिर फ़र्माया, सदक़ा के बदले अल्लाह तआला तुम्हारी ख़ताओं और बुराईयों को दूर कर देगा, बिलख़ुसूस उस वक़्त जबकि वह छुपाकर दिया जाए, तुमको बहुत सी भलाई मिलेगी, दरजात बढ़ेंगे, गुनाहों का कफ़्फ़ारा होगा (युकफ़्फ़िरु) को (युकफ़्फ़िर) भी पढ़ा गया है। इस सूरत में यह जवाबे शर्त के महल पर अत्फ़ होगा जो (फ़निइम्मा हिय) है जिसे (फ़असद्दक़ व अकून) में (वअकुन) अल्लाह तआला पर तुम्हारी कोई नेकी बदी सख़ावत बख़ीली पोशीदगी और इज़्हारे नेक निय्यती और दुनिया तलबी पोशीदा नहीं, वह पूरा पूरा बदला देगा।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ
فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ
اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۲﴾ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا
يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْــَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۲۷۳﴾
اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۴﴾

तर्जुमा : ''उन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तेरे ज़िम्मे नहीं बल्कि हिदायत अल्लाह देता है जिसे चाहे, तुम जो भली चीज़ अल्लाह की राह में दोगे, उसका फ़ायदा ख़ुद पाओगे, तुमको सिर्फ़ अल्लाह की रज़ामंदी की तलब के लिए ही ख़र्च करना चाहिए, तुम जो कुछ माल ख़र्च करोगे, उसका पूरा पूरा बदला तुमको दिया जाएगा। (272) और तुम्हारा हक़ न मारा जाएगा, सदक़ात के मुस्तहिक़ सिर्फ़ वह ग़ुरबा हैं जो अल्लाह की राह मे रोक दिए गए जो मुल्क में चल-फिर नहीं सकते, नादान लोग उनकी सवाल नहीं करने की वजह से उन्हें मालदार ख़याल करते हैं, तू उनके चेहरे देखकर क़ियाफ़े से उन्हें पहचान लेगा, वह लोगों से चिमटकर सवाल नहीं करते, तुम जो कुछ माल ख़र्च करो तो अल्लाह तआला उसका जानने वाला है। (273) जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे-खुले ख़र्च करते रहते हैं उनके लिए उनके रब के पास अज्र है और न उन्हें डर है और न ग़म।'' (274)

ग़ैर-मुस्लिम रिश्तेदारों से भी सिलह रहमी (आयत 272-274) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि मुसलमान सहाबा (رضی اللہ عنہم) अपने मुश्रिक रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना नापसंद करते थे। फिर हुज़ूर (ﷺ) से सवाल हुआ और यह आयत उतरी और उन्हें रुख़्सत दी। (नसाई फ़ित्तफ़्सीर : 72; वसनदुहू ज़ईफ़ सौरी वल आ'मश मुदल्लिसान व अनअना) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते थे कि सदक़ा सिर्फ़ मुसलमानों को दिया जाए, जब यह आयत उतरी तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हर साइल को दो, गो वह किसी मज़हब का हो। (इब्ने अबी हातिम, व सनदुहू हसन) हज़रत अस्मा (رضی اللہ عنہا) वाली रिवायत

आयत (ला यन्हाकुमुल्लाह) (60/मुम्तहिना : 7) की तफ़्सीर में आयेगी, इंशाअल्लाह! यहाँ फ़र्माया, तुम जो नेकी करोगे अपने लिए ही करोगे। जैसे और जगह है (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ) (45/जासिया : 15) और इस जैसी और आयात भी बहुत हैं। हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं कि ईमानदार का हर ख़र्च अल्लाह तआला ही के लिए होता है गो वह ख़ुद खाए पीए। ख़ुरासानी इसका यह मतलब बयान करते हैं कि जब तुमने मर्ज़ी मौला और रज़ाए रब के लिए दिया तो लेने वाला ख़्वाह कोई भी हो और कैसे ही आ'माल का करने वाला हो। यह मतलब भी बहुत अच्छा है। हासिल यह है कि नेक निय्यती से देने वाले का अज्र तो अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया, अब ख़्वाह वह माल किसी नेक के हाथ लगे, या बद के। मुस्तहिक़ के या ग़ैर-मुस्तहिक़ के, उसे अपने क़सद और अपनी नेक निय्यती का सवाब मिल गया जबकि उसने देखभाल कर ली, फिर ग़लती हुई तो सवाब ज़ाया नहीं जाता, इसीलिए आयत के आख़िर में बदला मिलने की बशारत दी गई।

और बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में आया है कि एक शख़्स ने क़सद किया कि आज रात मैं सदक़ा दूँगा, लेकर निकला और चुपके से एक औरत को देकर चला आया। सुबह लोगो में यह बातें होने लगीं कि आज रात को कोई शख़्स एक बदकार औरत को ख़ैरात दे गया। उसने भी सुना और अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर अपने जी में कहा कि आज रात फिर सदक़ा दूँगा, लेकर चला और एक शख़्स की मुट्ठी मेंरखकर चला आया। सुबह सुनता है कि लोगों में चर्चा हो रहा है कि आज रात एक मालदार को कोई सदक़ा दे गया, उसने फिर अल्लाह की हम्द की और इरादा किया कि आज रात को तीसरा सदक़ा दूँगा, दे आया, दिन को फिर मा'लूम हुआ कि वह चोर था, तो कहने लगा, ऐ अल्लाह! तेरी ता'रीफ़ है, ज़ानिया औरत के दिए जाने पर भी मालदार शख़्स को दिए जाने पर भी और चोर के दिए जाने पर भी, ख़्वाब में देखता है कि फ़रिश्ता आया और कह रहा है कि तेरे तीनों सदक़े क़बूल हो गए, शायद बदकार औरत माल पाकर अपनी हरामकारी से रुक जाए और शायद मालदार को इब्रत हासिल हो और वह भी सदक़े की आदत डाल ले और शायद चोर माल पाकर चोरी से बाज़ रहे। (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाब इज़ा तसद्दक़ अला ग़नी वहुव ला या'लम : 1421; सहीह मुस्लिम : 1022)

सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद सदक़ा का ज़्यादा मुस्तहिक़ है : फिर फ़र्माया, सदक़ा उन मुहाजिरीन का हक़ है जो दुनियावी ता'ल्लुक़ात काटकर हिज्रतें करके वतन छोड़कर कुंबे क़बीले से मुँह मोड़कर अल्लाह की रज़ामंदी के लिए पैग़म्बर की ख़िदमत में आ गए हैं जिनकी मआश का कोई ऐसा ज़रिया नहीं जो उन्हें काफ़ी हो और वह न सफ़र कर सकते हैं कि चल-फिरकर अपनी रोज़ी हासिल करें। ज़र्बुन फ़िल अर्ज़ि के मा'नी मुसाफ़िरत के हैं, जैसे (إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) (5/माइदा : 106) और (यज़्रिबून फ़िल अर्ज़ि) (73/मुज़्ज़म्मिल : 20) में। इनके हाल से जो लोग नावाक़िफ़ हैं वह उनके लिबास और ज़ाहिरी हाल और बातचीत से उन्हें मालदार समझते हैं। एक सहीह हदीस में है कि मिस्कीन वही नहीं जो दरबदर जाते हैं, कहीं से दो एक खजूरें मिल गईं, कहीं से दो एक लुक़्मा मिल गये, कहीं से दो एक वक़्त का खाना मिल गया, बल्कि वह भी मिस्कीन है जिसके पास इतना नहीं जिससे वह बेपरवाह हो जाए और उसने अपनी हालत भी ऐसी नहीं बनाई, जिससे हर शख़्स उसकी ज़रूरत का एहसास करे और कुछ एहसान करे और न वह सवाल के आदी हैं।

(सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا....) : 1476; सहीह मुस्लिम : 1039) तू उन्हें उनकी इस हालत से जान लेगा जो साहिबे बसीरत पर मख़फ़ी नहीं रहती। जैसे और जगह है (سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ...) (48/फ़तह : 29) उनकी निशानियाँ उनके चेहरों पर हैं और फ़र्माया (وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ...) (47/मुहम्मद : 30) उनके लब व लहजे से तुम उन्हें पहचान लोगे। सुनन की एक हदीस में है कि मो'मिन की दानाई से बचो, वह अल्लाह तआला के नूर से देखता है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल हजर : 3127; वहुव ज़ईफ़; अतिया औफ़ी रावी ज़ईफ़ हैं।) सुनो! कुरआन का फ़र्मान है (اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ...) (15/हजर : 75) बिलयक़ीन इसमें अहले बसीरत के लिए निशानियाँ हैं, यह लोग किसी पर बोझल नहीं हैं, किसी से ढिठाई के साथ सवाल नहीं करते, न अपने पास होते हुए किसी से कुछ तलब करते हैं, जिसके पास ज़रूरत के मुताबिक़ हो और फिर भी वह सवाल करे वह चिपककर मांगने वाला कहलाता है।

हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं कि, "एक दो खजूरें और एक दो लुक़्मे लेकर चले जाने वाले ही मिस्कीन नहीं बल्कि हक़ीक़तन मिस्कीन वह हैं जो बावजूद हाजत के ख़ुद्दारी बरतें और सवाल से बचें। देखो! कुरआन कहता है (لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا) (2/बक़रह : 273) यह हदीस बहुत सी किताबों में बहुत सी सनदों से मरवी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا...) : 1476; सहीह मुस्लिम : 1039) क़बीला मुज़ैना के एक शख़्स को उनकी वालिदा फ़र्माती हैं कि तुम भी जाकर रसूलुल्लाह (ﷺ) से कुछ मांग लाओ, जिस तरह और लोग जाकर ले आते हैं। वह फ़र्माते हैं कि मैं जब गया तो हुज़ूर (ﷺ) खड़े हुए ख़ुत्बा फ़र्मा रहे थे कि "जो शख़्स सवाल से बचेगा, अल्लाह भी उसे सवाल से बचा लेगा, जो शख़्स बेपरवाही बरतगा, अल्लाह तआला उसे फ़िल वाक़ेअ बेनियाज़ कर देगा, जो शख़्स पाँच औक़िया के बराबर माल रखते हुए भी सवाल करेगा, वह चिमटने वाला सवाली है।" मैंने अपने दिल में सोचा कि हमारे पास तो एक ऊँटनी है जो पाँच ओक़िया से बहुत बेहतर है, एक ऊँटनी गुलाम के पास है, वह भी पाँच ओक़िया से ज़्यादा क़ीमत की है पस मैं तो यूँ ही सवाल किए बग़ैर ही वापिस चला आया। (अहमद : 4/138; वसनदुहू हसन) और रिवायत में है कि यह वाक़िया हज़रत अबू सईद (رضی اللہ عنہ) का है, उसमें है कि आपने मुझसे फ़र्माया, और यह भी फ़र्माया कि जो लोगों से किनारा करेगा, अल्लाह तआला उसे आप किफ़ायत करेगा और जो एक ओक़िया रखते हुए भी सवाल करेगा वह चिमटकर सवाल करने वाला है, उनकी ऊँटनी का नाम याक़ूता था। (अबूदाऊद, किताबुज़्ज़कात, बाब वमय्युंअता मिन सदक़ति ...... : 1628; वसनदुहू हसन; नसाई, किताबुज़्ज़कात, बाब वमिनल मुल्हिफ़ : 2596; वसनदुहू हसन) एक ओक़िया चालीस दिरहम का होता है, चालीस दिरहम के तक़रीबन नव्वे रुपये होते हैं। एक हदीस में है कि जिसके पास बेपरवाही के लायक़ हो, फिर भी वह सवाल करे, क़यामत के दिन उसके चेहरे पर उसका सवाल ज़ख़्म होगा उसका चेहरा नोचा हुआ होगा। लोगों ने कहा, हज़रत! कितना पास हो तो? फ़र्माया, पचास दिरहम या उसकी क़ीमत का सोना। (अबूदाऊद, किताबुज़्ज़कात, बाब मय्युंअता मिनस्सदक़ति व हद्दल ग़िना : 1626; वसनदुहू ज़ईफ़; हकीम बिन जुबेर ज़ईफ़ रावी है। तिर्मिज़ी : 650; नसाई : 2593; इब्ने माजा : 1840) शाम में एक कुरेशी थे, जिन्हें मा'लूम हआ कि हज़रत अबू ज़र (رضی اللہ عنہ) ज़रूरतमंद हैं तो तीन सौ अशरफ़ियाँ उन्हें भिजवाईं।

आप ख़फ़ा होकर फ़र्माने लगे, उस अल्लाह के बन्दे को कोई मिस्कीन ही नहीं मिला जो मेरे पास यह भेजीं। मैंने तो नबी (ﷺ) से सुना है कि चालीस दिरहम जिसके पास हों और फिर वह सवाल करे तो वह चिमटकर सवाल करने वाला है और अबू ज़र (رضي الله عنه) के घराने वालों के पास तो चालीस दिरहम भी हैं, चालीस बकरियाँ भी हैं और चालीस गुलाम भी हैं। (तबरानी फ़िल कबीर : 1630; वसनदुहू ज़ईफ़ लि इंक़िताअ) एक रिवायत में हुज़ूर (ﷺ) के यह अल्फ़ाज़ भी हैं कि "चालीस दिरहम होते हुए सवाल करने वाला इल्हाफ़ करने वाला और मिस्ल रेत के है। (नसाई, किताबुज़्ज़कात, बाब मिनल मुल्हिफ़ : 2595; वहुव हसन जबकि नसाई में (इल्हाफ़ करने वाला मिस्ल रेत के है) वाले अल्फ़ाज़ नहीं हैं।) फिर फ़र्माया तुम्हारे सदक़ात का अल्लाह तआला को इल्म है और जबकि तुम पूरे मुहताज होगे, अल्लाह तआला उस वक़्त तुम्हें इसका बदला देगा, उस पर कोई चीज़ मख़फ़ी नहीं।"

दिन-रात ख़ुफ़िया ए'लानिया अल्लाह की राह में ख़र्च करना : फिर उन लोगों की ता'रीफ़ें बयान हो रही हैं जो हर वक़्त अल्लाह के फ़र्मान के मुताबिक़ ख़र्च करते रहते हैं, उन्हें अज्र मिलेगा और हर ख़ौफ़ से अमन पायेंगे। बाल-बच्चों के खिलाने पर भी उन्हें सवाब मिलेगा। जैसे बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि फ़तहे मक्का वाले साल जबकि आप हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (رضي الله عنه) की एयादत को गए तो यह फ़र्माया, एक रिवायत में है कि हज्जतुल वदाअ वाले साल फ़र्माया, "तू जो कुछ अल्लाह की ख़ुशी के लिए ख़र्च करेगा, अल्लाह तआला उसके बदले तेरे दरजात बढ़ाएगा यहाँ तक कि तू जो अपनी बीवी को खिलाए पिलाए उसके बदले भी।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल वसाया, बाब अय्युंतरकु वरसतहू अग़्नियाउ ख़ैर : 2742; सहीह मुस्लिम : 1628) मुस्नद में है कि मुसलमान तलबे सवाब की निय्यत से अपने बाल-बच्चों पर भी जो ख़र्च करता है वह सदक़ा है। (अहमद : 4/120; सहीह बुख़ारी, किताबुन् नफ़क़ात, बाब फ़ज़्लुन्नफ़क़ति अलल अहल : 5331; सहीह मुस्लिम : 1002) हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं कि "इस आयत का शाने नुज़ूल मुसलमान मुजाहिदीन का वह ख़र्च है जो वह अपने घोड़ों पर करते हैं।" (इब्ने अबी हातिम; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा) इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से भी मरवी है कि हज़रत जुबेर (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत अली (رضي الله عنه) के पास चार दिरहम थे जिनमें से एक अल्लाह की राह में रात को दिया एक दिन को एक पोशीदा एक ज़ाहिर तो यह आयत उतरी यह रिवायत ज़ईफ़ है। (इसकी सनद में इर्साल है जबकि इसकी सनद में इब्ने मुजाहिद अब्दुल वह्हाब रावी है जिसे इमाम अहमद ने ज़ईफ़ कहा है। इमाम बुख़ारी और वकीअ कहते हैं कि इसका अपने बाप से सुनना साबित नहीं है। (अल्मीज़ान : 2/682) लिहाज़ा यह सनद सख़्त ज़ईफ़ मरदूद है।) दूसरी सनद से भी मरवी है इताअते अल्लाह में जो माल उन लोगों ने ख़र्च किया इसका बदला क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के पास लेंगे। निडर और बेग़म यह लोग हैं।

.....

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

तर्जुमा : ''सूदख़ोर लोग न खड़े होंगे मगर उसी तरह जिस तरह वह खड़ा होता है जिसे शैतान छूकर ख़ब्ती बना दे यह इसलिए कि यह कहा करते थे कि व्यापार भी तो सूद ही की तरह है और अल्लाह ने व्यापार हलाल किया और सूद हराम जो शख़्स अपने पास आई हुई अल्लाह की नसीहत सुन के रुक गया उसके लिए वह है जो गुज़रा और उसका काम अल्लाह की तरफ़ है और जिसने फिर भी किया वह जहन्नमी है, ऐसे लोग हमेशा ही उसमें रहेंगे।'' (275)

सूदख़ोरों का इब्रतनाक अंजाम (आयत 275) : चूँकि पहले उन लोगों का बयान हुआ जो नेककार सदक़ा ख़ैरात करने वाले ज़कातें देने वाले हाजतमंदों और रिश्तेदारों की ख़बरगीरी करने वाले हर हाल में और हर वक़्त दूसरों के काम आने वाले थे तो अब उनका बयान हो रहा है जो दुनिया तो एक तरफ़ और छीन लेने वाले ज़ुल्म करने वाले, नाहक़ अपने और परायों का माल हज़म कर जाने वाले हैं तो फ़र्माया कि यह सूदख़ोर लोग अपनी क़ब्रों से उठेंगे तो दीवानों और पागलों ख़ब्तियों और बेहोशों की तरह उठेंगे, मज्नून और दीवाने होंगे, खड़े ही न हो पाएँगे होंगे। (मिनल मस्स) के बाद (यौमल क़ियामति) का लफ़्ज़ भी एक क़िरा'त में है और उनसे कहा जाएगा कि ले! अब हथियार थाम ले और अपने रब से लड़ने के लिए आमादा हो जा।

शबे मे'राज में हुज़ूर (ﷺ) ने कुछ लोगों को देखा जिनके पेट मिस्ल बड़े-बड़े घड़ों के थे, पूछा कौन लोग हैं? बतलाया गया, सूदख़ोर ब्याज लेने वाले हैं। (बैहक़ी वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा मरदूद) और रिवायत में है कि उनके पेटों में साँप भरे हुए थे और डसते रहते थे जो बाहर से नज़र आते थे। (इब्ने माजा, किताबुत्तिजारत, बाब तग़लीज़ फ़िर्रिबा : 2273; वसनदुहू ज़ईफ़ अबुस्सुल्त मज्हूल और अली बिन ज़ेद ज़ईफ़ रावी है।) और एक लम्बी हदीस में है कि हम जब एक सुर्ख़ रंग नहर पर पहुँचे जिसका पानी मिस्ल ख़ून के सुर्ख़ था तो मैंने देखा कि उसमें कुछ लोग हैं वह बमुश्किल तमाम किनारे पर आते हैं लेकिन किनारे पर एक फ़रिश्ता बहुत से पत्थर लिए बैठा है वह उनका मुँह फाड़कर एक पत्थर मुँह में उतार देता है, वह फिर भागते हैं, फिर यही होता है। पूछा तो मा'लूम हुआ कि यह सूदख़ोरों का गिरोह है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्ता'बीर, बाब ता'बीरुर्रुअया बा'दस्सलातिस्सुबह : 7047) यह वबाल उन पर इस बाइस है कि यह कहते थे कि तिजारत भी मिस्ल सूदख़ोरी के है, यह ए'तिराज़ इनका शरीअत पर और अहकामे-इलाही पर था और इससे वह सूद को मिस्ल व्यापार के हलाल जानते थे, यह

याद रहे कि सूद का क़यास व्यापार पर नहीं इसलिए कि मुश्रिकीन तो सिरे से व्यापार की मशरूइयत के भी क़ाइल न थे और इसलिए भी कि अगर यह क़यास होता तो यूँ कहते कि सूद मिस्ल बे'अ के है। इनका मतलब यह था कि यह दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, फिर क्या वजह कि एक को हलाल कहा जाए और दूसरी को हराम बतलाया जाए, फिर उन्हें जवाब दिया जाता है कि यह हिल्लत व हुर्मत अल्लाह के हुक्म की बिना पर हैं और यह भी मुम्किन है कि यह जुम्ला भी काफ़िरों का क़ौल ही हो तो इसमें लताफ़त के साथ एक जवाब भी हो गया कि बावजूद इस बात के इल्म के कि एक को अल्लाह ने हराम ठहराया है, दूसरे को हलाल बतलाया है, फिर ए'तिराज़ कैसा? अ़ली व हकीम अल्लाह के अहकाम पर तआकुब करने वाले तुम कौन? उससे बाज़पुर्स करने की किसकी हस्ती है, तमाम कामों की असलियत का आलिम तो वही है, वह ख़ूब जानता है कि बन्दों को हक़ीक़ी नफ़ा किस चीज़ में और फ़िल वाक़ेअ नुक़्सान किस चीज़ में है तो वह नफ़ा वाली चीज़ें हलाल करता है और नुक़्सान-रसाँ चीज़ें हराम करता है। कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे पर इतनी मेहरबान न होगी, जितना अल्लाह अपने बन्दों पर है, वह रोकता है तो मस्लिहत से और हुक्म देता है तो मस्लिहत से, अपने रब की नसीहत सुनकर जो बाज़ आ जाए, उसके लिए अगले किये कराये तमाम गुनाह माफ़ हैं। जैसे फ़र्माया (عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ....) (5/माइदा : 95) और जैसे हुज़ूर (ﷺ) ने फ़तहे मक्का (असल नुस्ख़ा में ऐसे ही है लेकिन सहीह यह है कि आपने हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर इर्शाद फ़र्माया था, जैसाकि आगे सूरह बक़रह आयत 278 के तहत इब्नुल अहवस की रिवायत में इसकी सराहत मौजूद है।) वाले दिन फ़र्माया था "जाहिलियत के तमाम सूद मेरे इन दोनों क़दमों तले बर्बाद हैं, सबसे पहला सूद जिसे मैं ख़त्म करता हूँ वह अब्बास (رضي الله عنه) का सूद है।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज बाब हज्जतुन्नबी (ﷺ) : 1218; अबूदाऊद, किताबुल बुयूअ, बाब फ़ी वज़अर्रिबा : 3334, 1905; तिर्मिज़ी : 3087; इब्ने माजा : 3055; इब्ने हिब्बान : 944) पस जाहिलियत में जो सूद ले चुके थे, उनके लौटाने का हुक्म नहीं हुआ। एक रिवायत में है कि उम्मे बहना जो हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (رضي الله عنه) की उम्मे वलद थीं हज़रत आइशा (رضي الله عنها) के पास आईं और कहा कि मैंने एक गुलाम हज़रत ज़ेद के हाथों आठ सौ का इस शर्त पर बेचा कि जब उनके पास अ़ता आए, वह रक़म अदा कर दें, उसके बाद उन्हें नक़दी की ज़रूरत हुई तो वक़्त से पहले ही वह उसे बेचने को तैयार हो गए, मैंने छः सौ का ख़रीद लिया। हज़रत सिद्दीक़ा (رضي الله عنها) ने फ़र्माया, तूने भी और उसने भी बहुत बुरा किया, बिलकुल ख़िलाफ़े-शरअ किया, जा ज़ेद से कह दे कि अगर वह तौबा न करेगा तो उसका जिहाद भी ग़ारत हो, जो उसने आँहज़रत (ﷺ) के साथ किया है। मैंने कहा, अगर दो सौ जो मुझे उससे लेने हैं, छोड़ दूँ और सिर्फ़ छः सौ वसूल कर लूँ ताकि मुझे मेरी पूरी रक़म आठ सौ की मिल जाए। आपने फ़र्माया, फिर कोई हर्ज नहीं। फिर आपने (फ़मन जाअहू मौइज़तुन) वाली आयत पढ़ कर सुनाई। (इब्ने सा'द : 4687; दारे क़ुत्नी : 3/52; ह : 211; और फ़र्माया कि उम्मे मुहिब्ब और आलिया मज्हूल और नाक़ाबिले एहतिजाज हैं। यह रिवायत सहीह सनद से बैहक़ी : 5/3230 में मौजूद है।) यह असर भी मशहूर है और दलील है उन लोगों की जो इ़ईना के मसले को हराम बतलाते हैं, इस बारे में और अहादीस भी हैं जिनकी जगह किताबुल अहकाम है, वल्हम्दु लिल्लाह!

सूद की हुर्मत और उसकी मुख़्तलिफ़ शक्लें : फिर फ़र्माया कि अब जबकि हुर्मत का मसला उसके कानों में पड़ चुका फिर भी सूद ले तो वह सज़ा का हक़दार है, हमेशा के लिए जहन्नमी है, जब यह आयत उतरी तो आप

(ﷺ) ने फ़र्माया, "जो मुख़ाबिरा को अब भी न छोड़े वह अल्लाह के रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाए" (अबूदाऊद, किताबुल बुयूअ, बाब फ़िल मुख़ाबरा : 3406; वसनदुहू ज़ईफ़ुन अबुज़्ज़ुबेर मुदल्लस रावी है; तसरीह बिस्सिमाअ साबित नहीं। शैख़ अल्बानी (रह.) ने अबू ज़ुबेर मुदल्लिस के अदमे सिमाअ की वजह से इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 990) मुख़ाबरा उसे कहते हैं कि एक शख़्स दूसरे की ज़मीन में खेती बोए और यह ठहराए कि उस ज़मीन के उस टुकड़े से जितना निकले, वह मेरा बाक़ी तेरा, और मुज़ाबना उसे कहते हैं कि दरख़्त में जो खजूरें हैं वह मेरी और मैं उसके बदले अपने पास से तुझे इतनी खजूरें तैयार देता हूँ और मुहाक़ला उसे कहते हैं कि खेत में जो अनाज बालियों में है उसे अपने पास से कुछ अनाज देकर ख़रीदना, इन तमाम सूरतों को शरीअत ने हराम क़रार दिया ताकि सूद की जड़ें कट जाएँ, इसलिए कि इन सूरतों में सहीह तौर पर मा'लूम नहीं हो सकता पस कुछ उलमा ने इसकी कुछ इल्लत निकाली, कुछ ने कुछ, एक जमाअत ने अपनी इल्लत पर क़यास करके इन तमाम कारोबार से रोका, जिसमें यह इल्लत पायी जाती थी। दूसरी जमाअत ने दूसरी इल्लत की बिना पर। हक़ीक़त यह है कि मसला ज़रा मुश्किल है, यहाँ तक कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं कि तीन मसले अफ़सोस कि पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आए। दादा की मीरास का, कलाला का और सूद की सूरतों का। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अश्रिबा, बाब मा जाअ फ़ी अनिल ख़म्रिल अक़्ल मिन शराबि : 5588; सहीह मुस्लिम : 3032)

जिस चीज़ में सूद या हराम का शाइबा हो, उससे बचना : या'नी कुछ कारोबार की इन सूरतों का जिनमें सूद का शुब्हा है फिर जो वसाइल उन तक ले जाने वाले हैं जब यह हराम तो वह भी हराम ही ठहरेंगे जैसे कि वह चीज़ वाजिब हो जाती है जिसके बग़ैर कोई वाजिब पूरा न होता हो। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि जिस तरह हलाल ज़ाहिर है उसी तरह हराम भी ज़ाहिर है लेकिन कुछ काम दरम्यानी शुबा वाले हैं उन शुब्हात वाले कामों से बचने वाले ने अपने दीन और अपनी इज़्ज़त को बचा लिया और उन मुतशाबेह चीज़ों में पड़ने वाला हराम में पड़ने वाला है जिस तरह कोई चरवाहा जो किसी की चरागाह के आसपास अपने जानवर चराता हो, मुम्किन है कि कोई जानवर उस चरागाह में भी मुँह मार ले। (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब फ़ज़्ल मन इस्तबर्रअ लिदैनिही ... : 52; सहीह मुस्लिम : 1599; अबूदाऊद : 3329) सुनन में हदीस है कि जो चीज़ तुझे शक में डाले, उसे छोड़ और उसे ले लो जो शक शुब्हा से पाक हो। (तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल क़यामा, बाब हदीस आ'क़लुहा व तवक्कल ...: 2518; वसनदुहू सहीह; नसाई : 5714) और दूसरी हदीस में है गुनाह वह है जो दिल में खटके, तबीयत में तरद्दुद हो और उस पर लोगों का वाक़िफ़ हो जाना बुरा लगता हो। (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्रवस्सिलह, बाब तफ़्सीरुल बिर्रि वल इस्म : 2553; तिर्मिज़ी : 2389) एक और रिवायत में है कि अपने दिल से फ़त्वे पूछ ले अगरचे लोग कुछ भी फ़त्वा देते हों। (अहमद : 4/228; वसनदुहू ज़ईफ़) हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) फ़र्माते हैं सूद की हुर्मत सबसे आख़िर में नाज़िल हुई। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बक़रह, : 4544) हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) ये फ़रमाकर कहते कि, इसकी पूरी तफ़्सीर भी अफ़सोस! कि मुझ तक न पहुँच सकी और हुज़ूर (ﷺ) का इंतिक़ाल हो गया, लोगों! सूद को भी छोड़ दो और हर उस चीज़ को जिसमे सूद का कुछ भी शाइबा हो। (मुस्नद अहमद : 1/36; इब्ने माजा, किताबुत्तिजारत, बाब तग़्लीज़ फ़िर्रिबा : 2276; वसनदुहू ज़ईफ़; क़तादा मुदल्लिस के सिमाअ की तसरीह नहीं। हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) ने अपने एक ख़ुत्बा में फ़र्माया, शायद

मैं तुमको कुछ उन चीज़ों से रोक दूँ जो तुम्हारे लिए नफ़ा वाली हों और मुम्किन है कि मैं तुमको कुछ ऐसे अह्काम भी दूँ जो तुम्हारी मस्लिहत के ख़िलाफ़ हों। सुनो! कुरआन में सबसे आख़िर सूद की हुर्मत की आयत उतरी, हुज़ूर (ﷺ) का इंतिक़ाल हो गया और अफ़सोस कि उसे खोलकर हमारे सामने बयान न फ़र्माया। पस तुम हर उस चीज़ को छोड़ो जो तुमको शक में डालती हो। (इब्ने माजा) (इसकी सनद में हयाज बिन बस्ताम है जिसे इमाम अह्मद और अबूदाऊद ने मतरूक कहा है। (अल्मीज़ान : 4/318; रक़म : 9287)

सूद का गुनाह और अस्बाबे सूदी कारोबार : एक ह़दीस में है कि सूद के तेहत्तर गुनाह हैं जिनमें सबसे हल्का गुनाह यह है कि इंसान अपनी माँ के साथ बदकारी करे, सबसे बड़ा सूद मुसलमान की हत्के इ़ज़्ज़त करना है। (इब्ने माजा, किताबुत्तिजारत, बाब तग़्लीज़ फ़िर्रिबा : 2275; मुख़्तसरन; वहुव ह़सन; ह़ाकिम : 2/37) फ़र्माते हैं, ऐसा ज़माना भी आएगा कि लोग सूद खायेंगे, स़हाबा (رضي الله عنهم) ने पूछा, क्या सबके सब। फ़र्माया, जो न खाएगा उसे भी गुबार तो पहुँचेगा। (अह़मद : 2/494; अबूदाऊद, किताबुल बुयूअ़, बाबफ़ी इज्तिनाबिश्शुब्हात : 3331; नसाई : 4460; इब्ने माजा : 2278; वसनदुहू ज़ईफ़; ह़सन बस़री मुदल्लिस है और इसका अबूहुरैरह (रज़ि.) से सिमाअ़ साबित नहीं है।) पस गुबार से बचने के लिए उन अस्बाब के पास भी न फटकना चाहिए जो इन ह़राम कामों की त़रफ़ पहुँचाने वाले हों। ह़ज़रत आ़इशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि जब सूरह बक़रह की आख़िरी आयत हुर्मते सूद में नाज़िल हुई तो नबी (ﷺ) ने मस्जिद में आकर उसकी तिलावत की और शराब के कारोबार और शराब की तिजारत को ह़राम क़रार दिया। (अह़मद : 6/46; स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुस्स़लात, बाब तह़रीम तिजारतल ख़म्र फ़िल मस्जिद : 459; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1580; अबूदाऊद : 3490, 3491; इब्ने माजा : 2382) कुछ अइम्मा फ़र्माते हैं कि इसी त़रह़ शराब और इसकी हर त़रह़ की ख़रीदो-फ़रोख़्त वग़ैरह वह वसाइल जो उस तक पहुँचाने वाले हों सब हुज़ूर (ﷺ) ने ह़राम किए हैं। स़ह़ीह़ ह़दीस में है कि अल्लाह तआ़ला ने यहूदियों पर ला'नत की इसलिए कि जब उन पर चर्बी ह़राम हुई तो उन्होंने ह़ीलासाज़ी करके चर्बी को पिघलाकर बेचा और उसकी क़ीमत खाई। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताब अह़ादीसुल अम्बिया, बाब माज़िकिर अ़न बनी इस्राईल : 2460; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1582) ग़र्ज़ धोखेबाज़ी और ह़ीलासाज़ी करके ह़राम को ह़लाल बनाने की कोशिश भी ह़राम है और मौजिबे ला'नत है। इसी त़रह़ पहले वह भी बयान हो चुकी है जिसमें है कि जो शख़्स़ दूसरे की तीन त़लाक़ों वाली औरत से इसलिए निकाह़ करे कि अगले शौहर के लिए वह ह़लाल हो जाए, उस पर और उस शौहर पर दोनों पर अल्लाह की फटकार और उसकी ला'नत है। आयत (حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) (2/बक़रह : 230) की तफ़्सीर में देख लीजिए। ह़दीसे मुबारका में है कि सूद खाने वाले पर खिलाने वाले पर और शहादत देने वाले पर, गवाह बनने वाले पर लिखने वाले पर सब पर अल्लाह तआ़ला की ला'नत है। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल मसाक़ात, बाब लुअ़न अकलुर्रिबा व मुअक्किलहू : 1597) तो ज़ाहिर है कि कातिब व शाहिद को क्या ज़रूरत पड़ी जो ख़्वाह मख़्वाह ला'नते अल्लाह अपने ऊपर ले, मुराद यह है कि बज़ाहिर अ़क़्दे शरई की सूरत में लाकर ह़ीला करके उस सूद को लिखते पढ़ते हैं लेकिन फिर भी मल्ऊ़न हैं। ह़ज़रत अ़ल्लामा इब्ने तेमिया (रह़.) ने इन ह़ीलों ह़वालों के रद्द में एक मुस्तक़िल किताब इब्त़ालुत तह़लील लिखी है जो इस मोज़ूअ़ पर बेहतरीन किताब है। अल्लाह तआ़ला उन पर अपनी रह़मतें नाज़िल फ़र्माए और उनसे ख़ुश हो, आमीन!

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝٢٧٦ اِنَّ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٢٧٧

तर्जुमा : "अल्लाह तआला सूद को मिटाता है और सदक़ा को बढ़ाता है। अल्लाह तआला किसी नाशुक्रे और गुनहगार को दोस्त नहीं रखता। (276) जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक़ काम करते हैं, नमाज़ों को क़ायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, उनका अज्र उनके रब के पास है, उन पर न तो कोई डर है न उदासी और ग़म।" (277)

सूद में बेबरकती है (आयत 276, 277) : अल्लाह तआला फ़र्माता है कि वह सूद को बर्बाद करता है, या'नी या तो उसे बिलकुल ग़ारत कर देता है या उसकी ख़ैरो बरकत मिटा देता है। इसके अलावा दुनिया में भी वह तबाही का बाइस बनता है और आख़िरत में अज़ाब का सबब। जैसे और जगह है (قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَ الطَّيِّبُ) (5/माइदा : 100) या'नी नापाक और पाक बराबर नहीं होता गो तुमको नापाक की ज़्यादती ता'जुब में डाले। और जगह है (وَ يَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ) (8/अन्फ़ाल : 37) ख़बासत वाली चीज़ों को तह व बाला करके वह जहन्नम में झोंक देगा और जगह है। (وَ مَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا) (30/रूम : 39) या'नी तुम्म्हारे दिए हुए सूद से जो माल तुम बढ़ाना चाहो वह दरअस़ल बढ़ता नहीं। इसी वास्ते हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) वाली रिवायत में है कि सूद से गो ज़्यादती हो जाए लेकिन अंजामकार कमी ही कमी है। (मुस्नद अहमद : 1/395; इब्ने माजा, किताबुत्तिजारत, बाब अत्तग़लीज़ फ़िर्रिबा : 2279; वसनदुहू सहीह)

ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुमानिअत : मुस्नद की एक रिवायत में है कि अमीरुल मो'मिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ (ﷺ) मस्जिद से निकले तो अनाज फैला हुआ देखा। पूछा, यह ग़ल्ला कहाँ से आ गया? लोगों ने कहा, बिकने के लिए आया है। आपने दुआ की कि ऐ अल्लाह! इसमें बरकत दे, लोगो ने कहा, यह ग़ल्ला गिराँ भाव बेचने के लिए पहले ही से जमा कर लिया था। पूछा किसने जमा किया था? लोगों ने कहा, एक तो फ़र्रूख़ ने जो हज़रत उस्मान (ﷺ) के मौला हैं और दूसरे आपके आज़ादकर्दा गुलाम ने। आपने दोनों को बुलवाया और फ़र्माया, तुमने ऐसा क्यूँ किया? जवाब दिया कि हम अपने मालों से ख़रीदते हैं लिहाज़ा जब चाहें बेचें, हमें इख़्तियार है। आपने फ़र्माया, सुनो! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि जो शख़्स मुसलमानों में महंगा बेचने के ख़्याल से ग़ल्ला को रोक रखे, उसे अल्लाह मुफ़्लिस कर देगा या जुज़ामी (कोढ़) यह सुनकर हज़रत फर्रूख़ (रह.) तो फ़र्माने लगे कि मेरी तौबा है, मैं अल्लाह से फिर आपसे अहद करता हूँ कि

फिर यह काम न करूँगा, लेकिन हज़रत उमर (رضی) के गुलाम ने फिर यही कहा कि हम अपने माल से ख़रीदते हैं और नफ़ा उठाकर बेचते हैं, इसमें हर्ज क्या है। रावी हदीस हज़रत अबू यहया (रह.) फ़र्माते हैं कि मैंने फिर देखा कि उसे जुज़ाम हो गया और जुज़ामी बना फिरता था। (अहमद : 1/21; इब्ने माजा, किताबुत्तिजारत, बाब अल्हकरतु वल जलब : 2155; मुख़्तसरन, वसनदुहू हसन; लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुर्मत इस सियाक़ के अलावा सहीह रिवायात से साबित है। देखिए स हीह मुस्लिम : 1605; अबूदाऊद : 3447) इब्ने माजा में है कि जो शख़्स मुसलमानों का ग़ल्ला गिराँ भाव बेचने के लिए रोक रखे, अल्लाह तआला उसे मुफ़्लिस कर देगा या जुज़ामी। (इब्ने माजा, किताबुत्तिजारत, बाब अल्हकरतु वल जलब : 2155; वसनदुहू हसन) फिर फ़र्माता है कि वह सदक़ा को बढ़ाता है (युरबी) की दूसरी क़िरा'त (युरब्बी) भी है। सहीह बुख़ारी की हदीस में है कि जो शख़्स अपनी पाक कमाई में से एक खजूर भी ख़ैरात करे, उसे अल्लाह तआला अपने दाहिने हाथ में लेता है फिर उसे पालकर बड़ा करता है जिस तरह तुम लोग अपने बछड़ों को पालते हो और उसका सवाब पहाड़ के बराबर बना देता है। (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाब सदक़तु मिन कसबिन तय्यिब : 1410; सहीह मुस्लिम : 1014) और पाक चीज़ के सिवा वह नापाक चीज़ को क़बूल नहीं फ़र्माता। एक और रिवायत में है कि उहुद के पहाड़ के बराबर सवाब एक खजूर का मिलता है। (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात, बाब क़बूलुस्सदक़ति मिनल कसबित्तय्यिब व तरबीतुहा : 1014; तिर्मिज़ी : 661; नसाई : 2526; इब्ने माजा : 1842) और रिवायत में है कि एक लुक़्मा मिस्ल उहु द के होकर मिलता है। (तिर्मिज़ी, किताबुज़् ज़कात, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज़्लिस्सदक़ति : 662; वसनदुहू ज़ईफ़; उबादा बिन मंसूर रावी ज़ईफ़ है। अहमद : 2/268) पस तुम सदक़ा ख़ैरात किया करो। फिर फ़र्माया कि काफ़िरों और नाफ़र्मान ज़ुबान ज़ूर और बद फ़े'ल वालों को अल्लाह तआला पसंद नहीं करता। मतलब यह है कि जो लोग सदक़ा ख़ैरात न करें और अल्लाह तआला की तरफ़ से सदक़ा व ख़ैरात के सबब माल में इज़ाफ़ा के वा'दा की हुई ज़्यादती पर सब्र व शुक्र न करके माले दुनिया जमा करते फिरें और बदतरीन और ख़िलाफ़े शरअ तरीक़ों से कमाईयाँ करें और लोगों के माल बातिल और नाहक़ तरीक़े के साथ खा जाएँ। यह अल्लाह तआला के दुश्मन हैं, इन नाशुक्रों और गुनहगारों से अल्लाह का प्यार नहीं।

फिर उन बन्दों की ता'रीफ़ हो रही है जो अपने रब के अहकाम की बजाआवरी करें, मख़्लूक़ के साथ हुस्न सलूक व एहसान करें, नमाज़ें क़ायम करें, ज़कात देते रहें, यह क़यामत के दिन तमाम दुख दर्द से, अमन में रहेंगे, कोई खटका भी उनके दिल पर न गुज़रेगा बल्कि रब्बुल आलमीन अपने इन्आम व इकराम से उन्हें सरफ़राज़ फ़र्माएगा।

.....

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٢٧٨ فَاِنْ
لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ
لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝٢٧٩ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۚ وَاَنْ
تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٢٨٠ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ
تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝٢٨١

तर्जुमा : ''ईमानवालो! अल्लाह से डरो और जो सूद बाक़ी रह गया है छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमानदार हो। (278) और अगर नहीं करते तो अल्लाह से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हाँ! अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा अस़ल माल तुम्हारा ही है, न तुम ज़ुल्म करो, न तुम पर ज़ुल्म किया जाए। (279) और अगर कोई तंगी वाला हो तो उसे आसानी तक की मुहलत देनी चाहिए और मा'फ़ कर देना तो बहुत ही बेहतर है, अगर तुममें इल्म हो। (280) और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ़ लौटाए जाओगे और हर शख़्स को उसके आ'माल का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर ज़ुल्म नहीं किया जाएगा।'' (281)

अस़ल माल लेने और सूद छोड़ देने का हुक्म (आयत 278-281) : इन आयात में अल्लाह तआला अपने ईमानदार बन्दों को तक़्वा का हुक्म दे रहा है और उन कामों से रोकता है जिनसे उसकी नाराज़ी हो और रज़ामंदी दूर हो जाए तो फ़र्माया कि अल्लाह तआला का लिहाज़ करो, अपने तमाम कामों में अल्लाह तआला से डरते रहो और जो सूद तुम्हारा लोगों पर बाक़ी है, ख़बरदार! अगर मुसलमान हो तो उसे अब न लो, जबकि वह हराम हो गया। यह आयत नाज़िल हुई है, सक़ीफ़ के क़बीले बनी अम्र बिन उमेर और बनू मख़्ज़ूम के बारे में जाहिलियत के ज़माने में उनके सूदी कारोबार थे, इस्लाम के बाद बनू अम्र ने बनू मुग़ीरह से अपना सूद तलब किया और उन्होंने कहा कि अब हम इसे इस्लाम लाने के बाद अदा न करेंगे, आख़िर झगड़ा बढ़ा, हज़रत उताब बिन उसेद (رضی اللہ عنہ) जो मक्का मुकर्रमा के नाइब थे, उन्होंने नबी (ﷺ) को यह लिखा, इस पर यह आयत नाज़िल हुई और हुज़ूर (ﷺ) ने यह लिखवाकर भेज दी और उन्हें क़ाबिले वसूल सूद लेना हराम क़रार दिया, चुनाँचे वह ताइब हुए और अपना सूद बिलकुल छोड़ दिया। (इब्ने अबी हातिम : 3/1140) इस आयत में ज़बरदस्त वईद है उन लोगों पर जो सूद की हुर्मत का इल्म होने के बाद भी इस पर जमे हुए हैं।

सूदख़ोरी अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) से जंग करना है : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, सूदख़ोर से क़यामत के दिन कहा जाएगा कि अपने हथियार ले ले और अल्लाह से लड़ने के लिए आमादा हो जा। आप फ़र्माते हैं कि इमामे वक़्त पर फ़र्ज़ है कि सूदख़ोर लोग अगर सूद न छोड़ें तो उनसे तौबा कराए और अगर न करें तो उनकी गर्दन मार दे। (तब्री : 6/25, 26) हसन और इब्ने सीरीन का फ़र्मान भी यही है, हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि देखो! अल्लाह तआला ने उन्हें हलाकत की धमकी दी, उन्हें ज़लील किए जाने के क़ाबिल ठहराया। ख़बरदार! सूद से और सूदी लेन-देन से बचते रहो, हलाल चीज़ें और हलाल ख़रीदो फ़रोख़्त बहुत कुछ है , फ़ाक़े गुज़रते हों,ताहम अल्लाह की मअसियत से रुको, वह रिवायत भी याद होगी जो पहले गुज़र चुकी कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने एक ऐसे मा'मला की निस्बत जिसमें सूद था, हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (रज़ि.) के बारे में फ़र्माया था कि उनका जिहाद भी बर्बाद हो गया इसलिए कि जिहाद अल्लाह तआला के दुश्मनों से मुक़ाबला करने का नाम है और सूदख़ोरी ख़ुद अल्लाह तआला से मुक़ाबला करना है, लेकिन उसकी इस्नाद कमज़ोर है।

फिर इर्शाद होता है कि अगर तौबा कर लो तो असल माल जो किसी पर क़र्ज़ है बेशक ले लो न तो तोल में ज़्यादा लेकर उस पर तुम ज़ुल्म करो, न कम देकर या न देकर, वह तुम पर ज़ुल्म करे। नबी (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ का ख़ुत्बा फ़र्माया, ''जाहिलियत का तमाम सूद मैं बर्बाद करता हूँ, असल रक़म ले लो, न सूद लेकर किसी पर ज़ुल्म करो, न कम देकर या न देकर वह तुम पर ज़ुल्म करे, न कोई तुम्हारा माल मारकर तुम पर ज़्यादती करे। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का तमाम सूद मैं बर्बाद करता हूँ।'' (अबूदाऊद, किताबुल बुयूअ, बाब फ़ी वज़इर्रिबा : 3334; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 3087; इब्ने माजा : 3055; इसके शवाहिद के लिए देखिए, सहीह मुस्लिम : 1218; अबूदाऊद : 1905; इब्ने हिब्बान : 944)

ग़रीब क़र्ज़दार को मुहलत देना और क़र्ज़ माफ़ करने का सवाब : फिर इर्शाद होता है कि अगर तंगी वाला शख़्स हो और उसके पास तुम्हारे क़र्ज़ की अदायगी के क़ाबिल माल न हो तो उसे मुहलत दो कि कुछ और मुद्दत बाद अदा कर दे। यह न करे कि सूद दर सूद लगाए चले जाओ कि मुद्दत गुज़र गई, अब इतना इतना सूद लेंगे बल्कि बेहतर बात तो यह है कि ऐसे ग़ुरबा को अपना क़र्ज़ माफ़ कर दो। तबरानी की हदीस में है कि जो शख़्स क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साया चाहता हो वह या तो ऐसे तंगी वाले शख़्स को मुहलत दे या माफ़ कर दे। (तबरानी : 899; वसनदुहू ज़ईफ़) मुस्नद अहमद की हदीस में है कि जो शख़्स मुफ़्लिस आदमी पर अपना क़र्ज़ वसूल करने में नर्मी करे और उसे ढील दे, उसको जितने दिन वह क़र्ज़ की रक़म अदा न कर सके, उतने दिनों तक हर दिन उतनी रक़म ख़ैरात करने का सवाब मिलता है और एक रिवायत मे है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हर दिन उससे दो गुनी रक़म के सदक़े करने का सवाब मिलेगा। यह सुनकर हज़रत बुरेदा (रज़ि.) ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! पहले तो आपने हर दिन इसके मिस्ल सवाब मिलने का फ़र्माया था, आज आप दो मिस्ल फ़र्माते हैं। फ़र्माया, हाँ! जब म्याद ख़त्म नहीं हुई तो मिस्ल का सवाब, म्याद गुज़रने के बाद दो मिस्ल का। (अहमद : 5/360; इब्ने माजा, किताबुस्सदक़ात, बाब अंज़ारुल मुअसिर : 2418; वहुव सहीह) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) का क़र्ज़ एक शख़्स के ज़िम्मे था, वह तक़ाज़ा करने को आते लेकिन यह छुपे रहते और न मिलते, एक

दिन आए, घर से एक बच्चा निकला, आपने उससे पूछा, क्या तेरे वालिद घर में मौजूद हैं? उसने कहा, हाँ! घर में मौजूद हैं, खाना खा रहे हैं। अब हज़रत अबू क़तादा (رضی اللہ عنہ) ने ऊँची आवाज़ से उन्हें पुकारा और फ़र्माया, मुझे मा'लूम हो गया कि तुम घर में मौजूद हो, आओ बाहर आओ, जवाब दो वह बेचारे बाहर निकले, आपने कहा, क्यूँ छुप रहे हो। कहा हज़रत बात ऐसी है कि मैं मुफ़्लिस हूँ, इस वक़्त मेरे पास रक़म नहीं, बवजहे शर्मिन्दगी के आपसे नहीं मिलता। आपने कहा, क़सम खाओ, उसने क़सम खा ली। आप रो दिए और फ़र्माने लगे, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है जो शख़्स नादार क़र्ज़दार को ढील दे या अपना क़र्ज़ा माफ़ कर दे, वह क़यामत के दिन अल्लाह तआला के अर्श के साये तले होगा। (सहीह मुस्लिम : 1563) अबू यअला ने एक हदीस रिवायत की है कि हुज़ूर फ़र्माते हैं, क़यामत के दिन एक बन्दा अल्लाह तआला के सामने लाया जाएगा, अल्लाह तआला उससे सवाल करेगा कि बतला, मेरे लिए तूने क्या नेकी की है? वह कहेगा, ऐ अल्लाह! एक ज़र्रे के बराबर भी कोई ऐसी नेकी मुझसे नहीं हुई जो आज मैं उसकी जज़ा तलब कर सकूँ। अल्लाह तआला उससे फिर पूछेगा, वह फिर यही जवाब देगा, फिर पूछेगा, वह फिर यही जवाब देगा कि परवरदिगार! एक छोटी सी बात अल्बत्ता याद पड़ती है कि तूने अपने फ़ज़्ल से कुछ माल भी मुझे दे रखा था, मैं तिजारत पेशा शख़्स था लोग आधा रसद उधार ले जाते थे, मैं अगर देखता कि यह ग़रीब शख़्स है और वा'दा पर क़र्ज़ अदा न कर सका, तो मैं उसे और कुछ मुद्दत की मुहलत दे देता, मालदारों पर सख़्ती न करता, ज़्यादा तंगी वाला किसी को पाता तो माफ़ भी कर देता। अल्लाह तआला फ़र्माएगा, फिर मैं तुझ पर आसानी क्यूँ न करूँ? मैं तो सबसे ज़्यादा आसानी करने वाला हूँ। जा मैंने तुझे बख़्शा, जन्नत में दाख़िल हो जा। (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब मा ज़ुकिरा अन बनी इस्राईल : 3451; सहीह मुस्लिम : 1560; इब्ने माजा : 2420; बअल्फ़ाज़ मुत्क़ारिबा) मुस्तदरक हाकिम में है कि जो शख़्स अल्लाह तआला की राह में जिहाद करने वाले ग़ाज़ी की मदद करे या क़र्ज़दार बेमाल की एआनत करे, या गुलाम जिसने लिखकर दिया हो, कहा इतनी रक़म दे दूँ तो मैं आज़ाद हूँ, उसकी मदद करे। अल्लाह तआला उसे उस दिन साया देगा जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया न होगा। (हाकिम : 2/217; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा; अहमद : 3/487; वसनदुहू ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे सख़्त ज़ईफ़ कहा है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 10/60) मुस्नद अहमद में है कि जो शख़्स यह चाहता हो कि उसकी दुआएँ क़बूल की जाए और उसकी तक्लीफ़ व मुसीबत दूर हो जाए, उसे चाहिए कि तंगी वाले लोगों पर कुशादगी करे। (अहमद : 2/23; ज़ेद उम्मी के ज़ुअफ़ (अल्मीज़ान : 2/102; रक़म : 3003) और सनद के इंक़िताअ की वजह से यह रिवायत ज़ईफ़ है। देखिए (ज़ईफ़ तर्ग़ीब : 538) अब्बाद बिन वलीद (रह.) फ़र्माते हैं कि मैं और मेरे वालिद तलबे इल्म में निकले और हमने कहा कि अंसारियों से अहादीस पढ़ें। सबसे पहले हमारी मुलाक़ात हज़रत अबुल यस्र (رضی اللہ عنہ) से हुई। उनके साथ उनके गुलाम थे जिनके हाथ में एक दफ़्तर था और गुलाम और आक़ा का एक ही लिबास था, मेरे बाप ने कहा, चचा आप तो इस वक़्त गुस्से में नज़र आते हैं, फ़र्माया, हाँ! सुनो फ़लाँ शख़्स पर मेरा कुछ क़र्ज़ था, मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी, मैं क़र्ज़ मांगने गया, सलाम किया और पूछा कि क्या वह मकान पर हैं, घर में से जवाब मिला कि नहीं हैं। इत्तिफ़ाक़न उनका एक छोटा बच्चा बाहर आया, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? उसने कहा कि आपकी आवाज़ सुनकर चारपाई तले जा छुपे हैं। मैंने फिर आवाज़

दी और कहा कि तुम्हारा अंदर होना मुझे मा'लूम हो गया है, अब छुपो नहीं। आओ जवाब दो, वह आए। मैंने कहा, क्यूँ छुप रहे हो? कहा, महज़ इसलिए कि मेरे पास रुपया तो इस वक़्त नहीं, आपसे मिलूँगा या तो कोई झूठा उज़्र हीला बयान करूँगा या ग़लत वा'दा करूँगा, इसलिए सामने होने से झिझकता था। आप रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबी हैं। आपसे झूठ क्या कहूँ। मैंने कहा, सच कहते हो, अल्लाह की क़सम! तुम्हारे पास रुपया नहीं। उसने कहा, हाँ! सच कहता हूँ, अल्लाह की क़सम! कुछ नहीं! तीन मर्तबा मैंने क़सम खिलाई और मैंने अपने दफ़्तर में से उनका नाम हटा दिया और रक़म जमा कर ली और कह दिया कि जाओ! मैंने तुम्हारे नाम से यह रक़म काट दी है अब अगर तुमको मिल जाए तो दे देना वरना माफ़ है, सुनो! मेरी इन दोनों आँखो ने देखा और मेरे इन दोनों कानों ने सुना और मेरे दिल ने इसे ख़ूब याद रखा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "जो शख़्स किसी सख़्ती वाले को ढील दे या माफ़ कर दे तो अल्लाह तआला उसे अपने साया में जगह देगा।" (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़हद, बाब हदीस जाबिर तवील : 3006) मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद में आते हुए ज़मीन की तरफ़ इशारा करके फ़र्माया, जो शख़्स किसी नादार पर आसानी करे या उसे माफ़ कर दे, अल्लाह तआला उसे जहन्नम की गर्मी से बचा लेगा। सुनो! जन्नत के काम मशक़्क़त वाले हैं और ख़्वाहिश के ख़िलाफ़ हैं और जहन्नम के काम आसानी वाले और ख़्वाहिशे नफ़्स के मुताबिक़ हैं, नेकबख़्त वह लोग हैं जो फ़ित्नों से बच जाएँ, जो इंसान ग़ुस्से का घूँट पी ले, उससे ज़्यादा अल्लाह तआला को कोई और घूँट पसंदीदा नहीं, ऐसा करने वाले का दिल अल्लाह तआला ईमान से पुर कर देता है। (अहमद : 1/327; वसनदुहू मौज़ूअ नूह बिन अबी मरयम मजरूह) तबरानी में है कि जो शख़्स किसी मुफ़्लिस शख़्स पर रहम करके अपने क़र्ज़ की वसूली में उस पर सख़्ती न करे, अल्लाह तआला भी उसके गुनाहों पर उसे नहीं पकड़ता, यहाँ तक कि वह तौबा करे। (मुअजम कबीर : 11330; वसनदुहू ज़ईफ़, मुअजम औसत : 2238) उसके बाद अल्लाह तआला अपने बन्दों को नसीहत करता है और उन्हें दुनिया का ज़वाल और माल के फ़ना और आख़िरत का आना और अल्लाह की तरफ़ लौटना और अल्लाह को अपने आ'माल का हिसाब देना और इन तमाम आ'माल पर जज़ा व सज़ा का मिलना याद दिलाता है और अपने अज़ाबों से डराता है। यह भी मरवी है कि क़ुरआन करीम की सबसे आख़िरी आयत यही है। इस आयत के नाज़िल होने के बाद नबी (ﷺ) सिर्फ़ नौ रातों तक ज़िन्दा रहे और रबीउल अव्वल की दूसरी तारीख़ को पीर के दिन आप (ﷺ) का इंतिक़ाल हो गया। (सनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में इब्ने लहीआ मुख़्तलत है। (अत्तक़रीब : 1/144; रक़म : 574) और सईद बिन जुबेर का इब्ने दीनार से सिमाअ साबित नहीं। इस रिवायत का पहला हिस्सा सहीह बुख़ारी : 4544 से साबित है।) अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम अलैहि। इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से एक रिवायत में है कि इसके बाद हुज़ूर (ﷺ) की ज़िन्दगी इकत्तीस दिन की भी मरवी है। इब्ने जुरेज फ़र्माते हैं कि सलफ़ का क़ौल है कि उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) नौ रात ज़िन्दा रहे, हफ़्ता के दिन से इब्तिदा हुई और पीर के दिन इंतिक़ाल हुआ। (तब्री : 6212; यह रिवायत ज़ईफ़ और मुअज़ल है।) अलग़र्ज़ क़ुरआन मजीद में सबसे आख़िर में यही आयत नाज़िल हुई है।

....

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ
الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ
بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا
الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ
كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ
اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا
تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا
فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝٢٨٢

तर्जुमा : ''ईमानवालों! जब तुम आपस में एक दूसरे से म्यादे मुक़र्ररा पर क़र्ज़ का मा'मला करो तो उसे लिख लिया करो और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मा'मला अ़द्ल (इंसाफ़) से लिखे, कातिब को चाहिए कि लिखने से इंकार न करे, जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया है वह भी लिख दे और जिसके ज़िम्मे हक़ हो, वह लिखवाए और अपने अल्लाह से डरे जो उसका रब है और हक़ में से कुछ घटाए नहीं, जिस शख़्स के हक़ है वह अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताक़त न रखता हो तो उसका वली अ़द्ल के साथ लिखवा दे और अपने में से दो मर्द गवाह रख लो, अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औ़रतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे, गवाहों को चाहिए

कि जब वह बुलाए जाएँ तो इंकार न करें, क़र्ज़ को जिसकी मुद्दत मुक़र्रर है ख़्वाह छोटा हो या बड़ा और लिखने में काहिली न करो, अल्लाह के नज़दीक यह बात बहुत इंसाफ़ वाली है और गवाही को भी ज़्यादा दुरुस्त रखने वाली और शक व शुबा से भी ज़्यादा बचाने वाली है, हाँ! यह और बात है कि वह मा'मला नक़द तिजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन-देन कर रहे हो तो तुम पर उसके न लिखने में कोई गुनाह नहीं, ख़रीदो-फ़रोख़्त के वक़्त भी मुक़र्रर कर लिया करो, न तो लिखने वाले को नुक्सान पहुँचाया जाए, न गवाह को और अगर तुम यह करो तो यह तुम्हारी खुली नाफ़र्मानी है, अल्लाह से डरो, अल्लाह! तुमको ता'लीम दे रहा है और अल्लाह तआला हर चीज़ को ख़ूब जानने वाला है।" (282)

हज़रत आदम और हज़रत दाऊद (अ.) का दिलचस्प वाक़िया (आयत 282) : यह क़ुरआन-करीम की तमाम आयात से बड़ी है। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब (रह.) फ़र्माते हैं कि मुझे ये बात पहुँची है कि क़ुरआन की सबसे बड़ी आयत अर्श के साथ यही आयत (अद्दैन) है। (तब्री : 6/41) यह आयत जब नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, सबसे पहले इंकार वाले हज़रत आदम (अ.) हैं। अल्लाह तआला ने जब हज़रत आदम को पैदा किया उनकी पीठ पर हाथ फेरा और क़यामत तक की तमाम उनकी औलाद निकाली। आपने अपनी औलाद को देखा एक शख़्स को ख़ूब तरोताज़ा और नूरानी देखकर पूछा कि ऐ अल्लाह! उनका क्या नाम है? जनाब बारी तआला ने फ़र्माया, ये तुम्हारे लड़के दाऊद हैं, पूछा, ऐ अल्लाह! इनकी उम्र क्या है? फ़र्माया, साठ साल, कहा, ऐ अल्लाह! इनकी उम्र कुछ और बढ़ा, अल्लाह तआला ने फ़र्माया, नहीं! हाँ! अगर तुम अपनी उम्र में से उन्हें कुछ देना चाहो तो दे दूँ, कहा ऐ अल्लाह! मेरी उम्र में से चालीस साल इसे दिए जाएँ। चुनाँचे दे दिए गए। हज़रत आदम (अ.) की असल उम्र एक हज़ार साल की थी, उस लेन देन को लिखा गया और फ़रिश्तों को उस पर गवाह किया गया। हज़रत आदम (अ.) की मौत जब आई तो कहने लगे, ऐ अल्लाह! मेरी उम्र में से तो अभी चालीस साल बाक़ी हैं। अल्लाह तआला ने फ़र्माया, वह तुमने अपने लड़के (हज़रत) दाऊद (अ.) को दे दिए हैं तो हज़रत आदम (अ.) ने इंकार किया, जिस पर वह लिखा हुआ दिखाया गया और फ़रिश्तों की गवाही गुज़री। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत आदम (अ.) की उम्र फिर अल्लाह तआला ने एक हज़ार की पूरी की और हज़रत दाऊद (अ.) की एक सौ साल की। (अहमद : 1/251, 252; वसनदुहू ज़ईफ़; और शवाहिद के लिए मुलाहिज़ा फ़र्माएँ, हदीस अबू हुरैरह (رضي الله عنه); तिर्मिज़ी : 3076; हाकिम : 2/325) लेकिन यह हदीस बहुत ही ग़रीब है इसके रावी अली बिन ज़ैद बिन जिदा'न की अहादीस मुंकर होती हैं, मुस्तदरक हाकिम में भी रिवायत है।

तिजारत और लेन देन के अहकाम : इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने ईमानदार बन्दों को इर्शाद फ़र्माया है कि वह उधार के मा'मलात लिख लिया करें ताकि रक़म और म्याद ख़ूब याद रहे, गवाह को भी ग़लती न हो, उससे एक वक़्ते मुक़र्ररह के लिए उधार देने का जवाज़ भी साबित हुआ। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़र्माया करते थे कि म्याद मुक़र्रर करके क़र्ज़ के लेन-देन की इजाज़त बख़ूबी साबित होती है। सहीह

बुख़ारी शरीफ़ में है कि मदीना वालों का उधार लेन-देन देखकर आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, नाप तौल या वज़न मुक़र्रर कर लिया करो, भाव ताव चुका लिया करो और मुद्दत का भी फ़ैसला कर लिया करो। (सहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाबुस्सलम फ़ी वज़नि मा'लूम : 2240; सहीह मुस्लिम : 1604) क़ुरआन करीम हुक्म देता है कि लिख लिया करो और हदीसे मुबारका में है कि हम अनपढ़ उम्मत हैं, न लिखना जानते न हिसाब। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सोम, बाब क़ौलुन्नबी (ﷺ) ला नकतुबु वला नहसिबु : 1914; सहीह मुस्लिम : 1080) इन दोनों में तत्बीक़ इस तरह है कि दीनी मसाइल और शरई उमूर के लिखने की तो मुत्लक़ ज़रूरत नहीं, ख़ुद अल्लाह तआला की तरफ़ से यह बेहद आसान और बिलकुल सहल कर दिऐ गए हैं। क़ुरआन का हिफ़्ज़ और अहादीस का हिफ़्ज़ क़ुदरतन लोगों पर आसान है लेकिन दुनियावी छोटी-बड़ी, लेन-देन की बातें और वह मा'मलात जो उधार-सुधार हों उनकी बाबत बेशक लिख लेने का हुक्म हुआ और यह भी याद रहे कि यह हुक्म भी वजूबन नहीं। पस न लिखना दीनी उमूर का है और लिख लेना दुनियावी काम काज का है। कुछ लोग इसके वजूब की तरफ़ भी गए। इब्ने जुरैज (रह.) फ़र्माते हैं कि जो उधार दे वह लिख ले और जो बेचे वह गवाह कर ले। अबू सुलेमान मरअशी (रह.) जिन्होंने हज़रत कअब की सुहबत बहुत उठाई थी, उन्होंने एक दिन अपने पास वालों से कहा, उस मज़्लूम को भी जानते हो जो अल्लाह तआला को पुकारता है और उसकी दुआ क़बूल नहीं होती। लोगों ने कहा, यह किस तरह? फ़र्माया, यह वह शख़्स है जो एक मुद्दत तक के लिए उधार देता है और न गवाह रखता है, न लिखत पढ़त करता है, फिर मुद्दत गुज़रने पर तक़ाज़ा करता है और दूसरा शख़्स इंकार कर जाता है। अब यह अल्लाह तआला से दुआ करता है लेकिन परवरदिगार क़बूल नहीं करता है इसलिए कि उसने यह काम उसके फ़र्मान के ख़िलाफ़ किया है और अपने रब का नाफ़र्मान हुआ है। हज़रत अबू सईद, शअबी, रबीअ बिन अनस, इब्ने जुरेज, इब्ने ज़ेद (رحمهم الله) वग़ैरह का क़ौल है कि पहले तो यह वाजिब था, फिर वजूब मंसूख़ हो गया और फ़र्माया गया कि अगर एक को एक पर इत्मिनान हो तो जिसे अमानत दी गई है उसे चाहिए कि अदा कर दे और इसकी दलील यह हदीस है। गो यह वाक़िया अगली उम्मत का है लेकिन ताहम इनकी शरीअत हमारी शरीअत है जब तक कि हमारी शरीअत में इस पर इंकार न हो। इस वाक़िया में जिसे अब हम बयान करते हैं लिखत पढ़त के न होने और गवाह मुक़र्रर न किए जाने पर शारेअ (अ.) ने इंकार नहीं किया।

क़र्ज़ के बारे में एक अजीब वाक़िया : देखिए मुस्नद में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बनी इस्राईल के एक शख़्स ने दूसरे शख़्स से एक हज़ार दीनार उधार मांगे और उसने कहा, गवाह लाओ जवाब दिया कि अल्लाह की गवाही काफ़ी है कहा, ज़मानत लाओ, जवाब दिया कि अल्लाह की ज़मानत काफ़ी है कहा तूने सच कहा, अदायगी म्याद मुक़र्रर हो गई और उसने उसे एक हज़ार दीनार गिन दिए, उसने समुन्दरी सफ़र किया और अपने काम से फ़ारिग़ हुआ, जब म्याद पूरी होने को आई तो यह समुन्दर के क़रीब आया कि कोई जहाज़ कश्ती मिले तो उसमें बैठकर जाऊँ और रक़म अदा कर आऊँ लेकिन कोई जहाज़ न मिला, जब देखा कि वक़्त पर नहीं पहुँच सकता तो उसने एक लकड़ी ली और बीच में से खोखली कर ली और उसमें एक हज़ार दीनार रख दिए और एक पर्चा भी रख दिया, फिर मुँह बन्द कर दिया और अल्लाह तआला से दुआ की। ऐ परवरदिगार! तुझे ख़ूब इल्म है

कि मैंने फ़लाँ शख़्स से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ लिए, उसने मुझसे ज़मानत तलब की। मैंने तुझे ज़ामिन कर दिया और उस पर वह ख़ुश हो गया, गवाह मांगा तो मैंने गवाह भी तुझी को रखा, वह उस पर भी ख़ुश हो गया, अब जबकि वक़्ते मुक़र्ररा ख़त्म होने को आया तो मैंने हर चंद कश्ती तलाश की कि जाऊँ और अपना क़र्ज़ अदा कर आऊँ लेकिन कोई कश्ती नहीं मिली, अब मैं इस रक़म को तुझे सौंपता हूँ और समंदर में डाल देता हूँ और दुआ करता हूँ कि यह रक़म उसे पहुँचा दे। फिर उस लकड़ी को समंदर में डाल दिया और ख़ुद चला गया लेकिन फिर भी कश्ती की तलाश में रहा कि मिल जाए तो जाऊँ यहाँ तो यह हुआ वहाँ जिस शख़्स ने उसे क़र्ज़ दिया जब उसने देखा कि वक़्त पूरा हुआ और आज उसे आ जाना चाहिए तो वह भी दरिया के किनारे आ खड़ा हुआ कि वह आएगा और मेरी रक़म मुझे देगा या किसी के हाथ भिजवाएगा मगर जब शाम होने को आई और कोई कश्ती उस तरफ़ से नहीं आई तो यह वापिस लौटा, किनारे पर एक लकड़ी देखी तो यह समझकर ख़ाली तो जा रहा हूँ, आओ इस लकड़ी को ले चलूँ, फाड़कर सुखा लूँगा, जलाने के काम आएगी, घर पहुँचकर जब उसे चीरता है तो खनाखन बजती हुई अशरफ़ियाँ निकलती हैं, गिनता है तो पूरी एक हज़ार हैं, वहीं पर्चा पर नज़र पड़ती है, उसे भी उठाकर पढ़ लेता है फिर एक दिन वही शख़्स आता है और एक हज़ार दीनार पेश करके कहता है कि यह लीजिए आपकी रक़म, माफ़ कीजिएगा, मैंने हर चंद कोशिश की कि वा'दाख़िलाफ़ी न हो लेकिन कश्ती के न मिलने की वजह से मजबूर हो गया और देर लग गई, आज कश्ती मिली, आपकी रक़म लेकर हाज़िर हुआ, उसने पूछा कि क्या मेरी रक़म आपने भिजवाई भी थी, उसने कहा, मैं तो कह चुका कि मुझे कश्ती न मिली, उसने कहा, अपनी रक़म वापिस लेकर ख़ुश होकर चले जाओ, आपने जो रक़म लकड़ी में डालकर उसे तवक्कल अलल्लाह दरिया में डाल दिया था, उसे अल्लाह तआला ने मुझ तक पहुँचा दिया और मैंने अपनी पूरी रक़म वसूल कर ली। इस हदीस की सनद बिलकुल सहीह है, सहीह बुख़ारी शरीफ़ में सात जगह यह हदीस आई है। (सहीह बुख़ारी, 1498, 2063, 2291, 2404, 2430, 2734, 6261)

पढ़ा-लिखा शख़्स लिखने से इंकार न करे : फिर फ़र्मान है कि लिखने वाला अदल व हक़ के साथ लिखे किताबत में किसी फ़रीक़ पर जुल्म न करे, इधर-उधर कुछ कमी-बेशी न करे, बल्कि लेन-देन वाले दोनों मुत्तफ़िक़ होकर जो लिखवाए वही लिखे। लिखा पढ़ा शख़्स मा'मला को लिखने से इंकार न करे, जब उसे लिखने को कहा जाए लिख दे, जिस तरह अल्लाह तआला का यह एहसान उस पर है कि उसने उसे लिखना सिखाया उसी तरह जो लिखना न जानते हों, उस पर यह एहसान करे और उनके मा'मले को लिख दिया करे, हदीस में है कि यह भी सदक़ा है कि किसी काम करने वाले के हाथ बटा दे, किसी गिरे पड़े का काम कर दे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इत्क़, बाब अय्युर्रिक़ाब अफ़ज़ल : 2518; सहीह मुस्लिम : 83) और हदीस में है कि जो इल्म को जानकर फिर उसे छुपाए, क़यामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। (अबूदाऊद, किताबुल इल्म, बाब कराहियतु मन्अल इल्म : 3658; वसनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 2649; इब्ने माजा : 261) हज़रत मुजाहिद और हज़रत अता (रह.) फ़र्माते हैं कि कातिब पर लिख देना इस आयत की रू से वाजिब है जिसके ज़िम्मे हक़ हो वह लिखवाए और अल्लाह तआला से डरे, न कमी-बेशी करे, न ख़यानत करे, अगर यह शख़्स बेसमझ है, इसराफ़ वग़ैरह की वजह से रोक दिया गया है या कमज़ोर है या बच्चा है या हवास दुरुस्त नहीं या जिहालत और कुंद ज़हनी

की वजह से लिखवाना भी नहीं जानता तो जो उसका वाली और बड़ा हो, वह लिखवाए। फिर फ़र्माया, किताबत के साथ शहादत भी होनी चाहिए ताकि मा'मला ख़ूब मज़बूत और बिलकुल साफ़ हो जाए, दो मर्दों को गवाह कर लिया करो, अगर न मिल सकें तो ख़ैर एक मर्द और दो औरतें सही। यह हुक्म माल के और मक़्सूदे माल के बारे में है।

दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है : दो औरतों को क़ायम मक़ाम एक मर्द के करना बसबब औरत की अक़्ल के नुक़्सान के है जैसे सहीह मुस्लिम में हदीस है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ औरतों! सदक़ा करो और बकसरत इस्तिग़फ़ार करती रहो, मैंने देखा है कि जहन्नम में तुम बहुत ज़्यादा ता'दाद में जाओगी। एक औरत ने पूछा, हुज़ूर! यह क्यूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम ला'नत ज़्यादा भेजा करती हो और अपने शौहर की नाशुक्री करती हो, मैंने नहीं देखा कि बावजूद अक़्ल व दीन की कमी के मर्दों की अक़्ल मारने वाली तुमसे ज़्यादा कोई हो, उसने फिर पूछा कि हुज़ूर! हममें दीन की और अक़्ल की कमी कैसे है? फ़र्माया, अक़्ल की कमी तो इससे ज़ाहिर है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है और दीन की कमी यह है कि अय्यामे हैज़ में न नमाज़ है, न रोज़ा। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान नुक़्सानुल ईमान बि नक़्सित्ताआत : 79; अन इब्ने उमर (رضي الله عنه), ह : 80; अन अबी सईद (رضي الله عنه) ; इमाम मुस्लिम ने अल्लामा इब्ने कसीर (रह.) वाली रिवायत बग़ैर मतन के ज़िक्र फ़र्माई है। और फ़र्माया ब मअनी हदीस इब्ने उमर...)

गवाही के लिए आदिल होना शर्त है : गवाहों की निस्बत फ़र्माया कि यह शर्त है कि वह अदालत वाले हों। इमाम शाफ़ई (रह.) का मज़हब है कि जहाँ कहीं कुरआन शरीफ़ में गवाह का ज़िक्र है वहाँ अदालत की शर्त ज़रूरी है गो वहाँ लफ़्ज़ों में न हो और जिन लोगों ने उनकी गवाही रद्द कर दी है जिनका आदिल होना मा'लूम न हो, उनकी दलील भी यही आयत है। वह कहते हैं कि गवाह आदिल और पसंदीदा होना चाहिए, दो औरतें मुक़र्रर करने की हिक्मत भी बयान कर दी कि अगर एक गवाही को भूल जाए तो दूसरी याद दिला देगी। (फ़तुज़क्किर) की दूसरी क़िरा'त (फ़तुज़क्किरु) भी है जो लोग कहते हैं कि इसकी शहादत उसके साथ मिलकर मिस्ल शहादत मर्द के कर देगी उन्होंने मुकल्लफ़ किया है। सहीह बात पहली ही है, वल्लाहु आ'लम!

गवाहों को चाहिए कि जब वह बुलाए जाएँ, इंकार न करें, या'नी जब उनसे कहा जाए कि आओ इस मा'मले में गवाह रहो तो उन्हें इंकार न करना चाहिए जैसे कातिब की बाबत भी यही फ़र्माया गया है, यहाँ से यह भी फ़ायदा हासिल किया गया है कि गवाह रहना भी फ़र्ज़े किफ़ाया है। यह भी कहा गया है कि जुम्हूर का मज़हब यही है और यह मा'नी भी बयान किए गए हैं कि जब गवाह गवाही देने के लिए तलब किया जाए या'नी जब उससे वाक़िया पूछा जाए तो वह न रुके, चुनाँचे हज़रत अबू मिज्लज़ और मुजाहिद (रह.) वग़ैरह फ़र्माते हैं कि जब गवाह रहने के लिए बुलाए जाओ तो तुमको इख़्तियार है ख़्वाह जाओ ख़्वाह न जाओ लेकिन जब गवाह हो चुके फिर गवाही देने के लिए जब बुलाया जाए तो ज़रूर जाना पड़ेगा। (इब्ने अबी हातिम : 3/181; तबरी : 6/71) सहीह मुस्लिम और सुनन की हदीस मे है कि अच्छे गवाह वह हैं जो बिन पूछे ही गवाही दे दिया करें। (सहीह मुस्लिम, किताबुल अक़्ज़िया, बाब बयान ख़ैरश्शुहूद : 1719; अबू दाऊद : 3569; तिर्मिज़ी : 296) बुख़ारी व

मुस्लिम की दूसरी ह़दीस में जो आया है कि बदतरीन गवाह वह हैं कि जिनसे गवाही त़लब न की जाए और वह गवाही देने बैठ जाएँ। (शैख़ अल्बानी (रह़) फ़र्माते हैं इन अल्फ़ाज़ के साथ यह ह़दीस साबित नहीं और उसे बुख़ारी व मुस्लिम की ह़दीस क़रार देना यह ह़ाफ़िज़ इब्ने कसीर का वहम है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 4867) और वह ह़दीस जिसमें है कि फिर ऐसे लोग आयेंगे जिनकी क़समें गवाहियों पर और गवाहियाँ, क़समों पर पेश-पेश रहेंगी। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुश्शहादात, बाब ला युश्हदु अ़ला शहादति जौरिन इज़ा अश्हद : 2652; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2533) और रिवायत में है कि उनकी गवाही न ली जाएगी ताहम वह गवाही देंगे। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब मा युह़ज़रु मिन ज़हरतिद्दुनिया वत तनाफ़ुसु फ़ीहा : 6428 स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2534) तो याद रहे कि यह मज़म्मत झूठी गवाही देने वालों की है और वह ता'रीफ़ सच्ची गवाही देने वालों की है और यही तत्बीक़ है उन मुख़्तलिफ़ अह़ादीस में ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) वग़ैरह फ़र्माते हैं कि आयत दोनों ह़ालतों को शामिल है या'नी गवाही देने के लिए भी और गवाह रहने के लिए भी इंकार न करना चाहिए।

फिर फ़र्माया, छोटा मा'मला हो या बड़ा लिखने से कसमसाओ नहीं, मुद्दत वग़ैरह लिख लिया करो, हमारा यह हुक्म पूरे अ़दल वाला और गवाही को ख़ूब साबित रखने वाला है क्योंकि अपनी तह़रीर देखकर भूली बिसरी बात भी याद आ जाती है न लिखा हो तो मुम्किन है कि भूल हो जाए जैसाकि अकसर होता है और उसमें शक व शुब्हा के न होने का भी ज़्यादा मौक़ा है क्योंकि इख़्तिलाफ़ के वक़्त तह़रीर देख सकते हैं और बग़ैर शक व शुब्हा फ़ैसला हो सकता है फिर फ़र्माया, जबकि नक़द ख़रीदो-फ़रोख़्त हो रही हो तो चूँकि बाक़ी कुछ नहीं रहता, इसलिए अगर न लिखा जाए तो किसी झगड़े का एह़तिमाल नहीं पस किताबत की शर्त तो हटा अब रही शहादत तो सईद बिन मुसय्यिब (रह़.) तो फ़र्माते हैं कि उधार हो या न हो, हर ह़ाल में अपने ह़क़ पर गवाह कर लिया करो, दीगर बुज़ुर्गों से मरवी है कि (फ़इन आमन) आख़िर, फ़र्माकर इस हुक्म को भी हटा दिया।

लिखने का हुक्म इस्तिह़बाबन है न कि वजूबन : यह भी ज़हन नशीन रहे कि जुम्हूर के नज़दीक यह हुक्म वाजिब नहीं बल्कि इस्तिह़बाब के त़ौर पर अच्छाई के लिए है और उसकी दलील यह ह़दीस है जिससे स़ाफ़ साबित है कि हुज़ूर (ﷺ) ने ख़रीदो-फ़रोख़्त की और कोई गवाह शाहिद न था, चुनाँचे मुस्नद अह़मद में है कि आप (ﷺ) ने एक अ़ा'राबी से एक घोड़ा ख़रीदा और अ़ा'राबी आप (ﷺ) के पीछे पीछे आपके दौलतख़ाना की त़रफ़ रक़म लेने के लिए चला। हुज़ूर (ﷺ) तो ज़रा जल्द निकल गए और वह आहिस्ता-आहिस्ता आ रहा था लोगों को यह तो मा'लूम न था कि यह घोड़ा बिक गया है, उन्होंने क़ीमत लगानी शुरू की, यहाँ तक कि जितने दामों में उसने आप (ﷺ) के हाथ बेचा था उससे ज़्यादा दाम लग गए। अ़ा'राबी की निय्यत पलटी और उसने आपको आवाज़ देकर कहा, ह़ज़रत! या तो ले लीजिए या मैं किसी और के हाथ बेच देता हूँ। हुज़ूर (ﷺ) यह सुनकर रुके और फ़र्माने लगे, तू तो इसे मेरे हाथ बेच चुका है, फिर यह क्या कह रहा है? उसने कहा, नहीं! अल्लाह की क़सम! मैंने तो नहीं बेचा। ह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, ग़लत़ कहता है, मेरे तेरे दरम्यान मा'मला हो चुका है, अब लोग इधर-उधर से बीच में बोलने लगे, उस गंवार ने कहा, अच्छा तो गवाह लाइए कि मैंने आपके

हाथ बेच दिया, मुसलमानों ने हर चंद की बदबख़्त आप (ﷺ) तो अल्लाह के पैग़म्बर हैं, आपकी ज़ुबाने मुबारक से तो हक़ ही निकलता है लेकिन वह यही कहे चला जाए कि लाओ गवाह पेश करो। इतनें में हज़रत ख़ुज़ेमा (रज़ि.) आ गए और आ'राबी के क़ौल को सुनकर फ़र्माने लगे, मैं गवाही देता हूँ कि तूने बेच दिया है और आँहज़रत (ﷺ) के हाथ तू फ़रोख़्त कर चुका है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम कैसे शहादत दे रहे हो? हज़रत ख़ुज़ेमा (رضي الله عنه) ने फ़र्माया कि, आप (ﷺ) की तस्दीक़ और सच्चाई की बिना पर। चुनाचे आपने फ़र्मा दिया कि आज से ख़ुज़ेमा की गवाही दो गवाहों के बराबर है। (अहमद : 5/216; अबूदाऊद, किताबुल क़ज़ाअ बाब इज़ा अ़लिमल हाकिम सि दक़ुन शहादतल वाहिद : 3607; वहुव सहीह; नसाई : 4651; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 1286)) पस इस हदीस से ख़रीदो-फ़रोख़्त पर गवाही ज़रूरी न रही लेकिन एह्तियात इसी में है कि तिजारत पर भी गवाह हों क्योंकि इब्ने मर्दवे और हाकिम में है कि तीन शख़्स हैं जो अल्लाह तआ़ला से दुआ करते हैं लेकिन क़बूल नहीं की जाती, एक तो वह कि जिसके घर बदअख़्लाक़ औरत हो और वह उसे तलाक़ न दे, दूसरा वह शख़्स जो किसी यतीम का माल उसकी बुलूग़त से पहले उसे सौंप दे। तीसरा वह शख़्स जो किसी को माल क़र्ज़ दे और गवाह न रखे। (हाकिम : 2/302; वसनदुहू सहीह; शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 1805) इमाम हाकिम इसे शर्ते बुख़ारी व मुस्लिम पर सहीह बताते हैं। बुख़ारी व मुस्लिम इसलिए इसे नही लाए कि शुअबा के शागिर्द इस रिवायत को हज़रत अबू मूसा अशअ़री (رضي الله عنه) पर मौक़ूफ़ बतलाते हैं।

फिर फ़र्माता है कि कातिब को चाहिए कि लिखवाने के ख़िलाफ़ न लिखे और गवाह को चाहिए कि वाक़िया के ख़िलाफ़ गवाही न दे, न गवाही को छुपाए। हसन, क़तादा (रह.) वग़ैरह का यही क़ौल है। इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) यह मतलब बयान करते हैं कि इन दोनों को ज़रर न पहुँचाया जाए, मस्लन उन्हें बुलाने के लिए गए, वह अपने किसी काम-काज में मशग़ूल थे, तो यह कहने लगे कि तुम पर यह फ़र्ज़ है कि अपना हर्ज करो और चलो! यह हक़ उन्हें नहीं और बहुत से बुज़ुर्गों से भी यह मरवी हैं।

फिर इर्शाद होता है कि मैं जिससे रोकूँ उसका करना जिसके करने को कहूँ उससे रुक जाना, यह बदकारी है जिसका वबाल तुमसे छुटेगा नहीं। फिर फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला से डरो, उसका लिहाज़ रखो, उसकी फ़र्मांबरदारी करो, उसके रोके हुए कामों से रुक जाओ। अल्लाह तआ़ला तुमको समझा रहा है। जैसे और जगह है (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا) (8/अन्फ़ाल : 29) ऐ ईमानवालो! अगर तुम अल्लाह तआ़ला से डरते रहोगे तो वह तुमको दलील दे देगा। और जगह है, ईमानवालो! अल्लाह तआ़ला से डरो, उसके रसूल पर ईमान रखो वह तुमको दोहरी रहमतें देगा और तुमको वह नूर अ़ता फ़र्माएगा, जिसकी रोशनी में तुम चलते रहोगे। फिर फ़र्माया, तमाम कामों के अंजाम और हक़ीक़त से उनकी मस्लिहतों और दूर-अंदेशियों से अल्लाह तआ़ला आगाह है, उससे कोई चीज़ मख़्फ़ी नहीं, उसका इल्म तमाम कायनात को घेरे हुए है और हर चीज़ का उसे हक़ीक़ी इल्म है।

.....

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۳﴾

तर्जुमा : ''और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला न पाओ तो रहन क़ब्ज़ा में रख लिया करो, वहाँ अगर आपस में एक दूसरे से पुरअमन हो तो जिसे अमानत दी गई है वह उसे अदा कर दे और अल्लाह तआला से डरता रहे जो उसका रब है और गवाही को न छुपाओ और जो उसे छुपा ले वह गुनहगार दिल वाला है और जो कुछ तुम करते हो, उसे अल्लाह तआला बख़ूबी जानता है।'' (283)

कोई चीज़ रहन (गिरवी) रखने का मसला (आयत 283) : या'नी बहालते सफ़र अगर उधार-सुधार का लेन-देन हो और कोई लिखने वाला न मिले या मिले मगर क़लम व दवात या काग़ज़ न हो तो रहन रख लिया करो और जिस चीज़ को रहन रखना हो, उसे हक़दार के क़ब्ज़े में दे दो। मक़्बूज़तुन के लफ़्ज़ से इस्तिदलाल किया गया है कि रहन जब तक क़ब्ज़ा में न आ जाए लाज़िम नहीं होता। जैसे कि इमाम शाफ़ई और जुम्हूर का मज़हब है मगर दूसरी जमाअत ने इस्तिदलाल किया है कि रहन का मुरतहन के हाथ में मक़्बूज़ होना ज़रूरी है। इमाम अहमद और एक दूसरी जमाअत से यही मन्कूल है। एक और जमाअत का क़ौल है कि रहन सिर्फ़ सफ़र में ही मशरूअ है, जैसे हज़रत मुजाहिद (रह.) वग़ैरह। लेकिन सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम, मुस्नद शाफ़ई में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जिस वक़्त फ़ौत हुए उस वक़्त आप (ﷺ) की ज़िरह मदीना के एक यहूदी अबुश्शहम के पास तीस वसक़ जौ के बदले गिरवी थी जो आपने अपने घरवालों के खाने के लिए लिये थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब शराअन नबी अलैहिस्सलाम बिन्नसीअति : 2069; अन अनस (رضي الله عنه); सहीह मुस्लिम : 1603; अन आइशत (رضي الله عنها) तिर्मिज़ी : 1215; नसाई : 4296; इब्ने माजा : 2437; मुस्नद शाफ़ई : 619; और मुस्नद शाफ़ई की रिवायत मुर्सल है।) इन मसाइल के बस्त व तफ़्सील की जगह तफ़्सीर नहीं बल्कि अहकाम की बड़ी-बड़ी किताबे हैं वलिल्लाहिल हम्द वल मिन्नतु व बिहिल मुस्तआन! इसके बाद के जुम्ले (फ़इन अमिन) अल्ख़ से हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) फ़र्माते है कि इससे पहले का हुक्म मंसूख़ हो गया। (इब्ने अबी हातिम : 3/1202) शअबी (रह.) फ़र्माते हैं कि जब न देने का डर न हो तो न लिखने और गवाह न रखने में कोई हर्ज नहीं। (इब्ने अबी हातिम : 3/1203) जिसे अमानत दी जाए उसे ख़ौफ़े-इलाही रखना चाहिए। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं अदा न करने की ज़िम्मेदारी हाथ पर है जो उसने लिया जब तक कि अदा न करे। (अबूदाऊद, किताबुल बुयूअ, बाब फ़ी तज़्मीनिल आरियति : 3561;

वसनदुहू ज़ईफ़; क़तादा मुदल्लस के सिमाअ की तसरीह नहीं। तिर्मिज़ी : 1266; इब्ने माजा : 2400) शहादत को न छुपाओ, न उसमे ख़यानत करो, न उसका इज़्हार करने से रुको।

गवाही छुपाने वाला गुनहगार है : इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) वग़ैरह फ़र्माते हैं कि झूठी शहादत देनी या शहादत को छुपाना कबीरा गुनाह है। (तब्री : 6/100) यहाँ भी फ़र्माया, उसका छुपाने वाला ख़ताकार दिल वाला है।

जैसे और जगह है (وَ لَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ) (5/माइदा : 106) या'नी हम अल्लाह की शहादत को नहीं छुपाते अगर हम ऐसा करें तो यक़ीनन हम गुनहगारों में से हैं और जगह फ़र्माया, ईमानवालों! अदलो इंसाफ़ के साथ रब्बानी गवाहियों पर साबित क़दम रहो गो उसकी बुराई ख़ुद तुमको पहुँचे या तुम्हारे माँ बाप को या रिश्तेदारों, कुंबे वालों को अगर वह मालदार हो तो और फ़क़ीर हो तो अल्लाह तआला इन दोनों से औला है ख़्वाहिशों के पीछे पड़कर अद्ल से न हटो अगर तुम ज़ुबान दबाओगे या पहलू तही करोगे तो समझ लो कि अल्लाह तआला भी तुम्हारे आ'माल से ख़बरदार है। इसी तरह यहाँ भी फ़र्माया कि गवाही को न छुपाओ, उसका छुपाने वाला गुनहगार दिल वाला है और अल्लाह तआला तुम्हारे आ'माल को ख़ूब जानता है।

......

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾

तर्जुमा : "आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ही की मिल्कियत है, तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उसका हिसाब तुमसे लेगा फिर जिसे चाहे बख़्शे और जिसे चाहे सज़ा दे और अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है।" (284)

दिली वस्वसे और सहाबा (رضي الله عنهم) की परेशानी का इज़ाला (आयत 284) : या'नी ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह तआला ही है, छोटी-मोटी, छुपी-खुली का वह आलिम है, हर छुपे-खुले का वह हिसाब लेने वाला है। जैसे और जगह है (قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ) अल्ख़ (3/आले इमरान : 29) कह दे कि तुम्हारे सीनों में जो कुछ है उसे ख़्वाह तुम छुपाओ या ज़ाहिर

करो, अल्लाह तआला को उसका बख़ूबी इल्म है, वह आसमान व ज़मीन की हर चीज़ का इल्म रखता है और हर चीज़ पर क़ादिर है। और जगह फ़र्माया, वह पोशीदगी को और ए'लानिया को ख़ूब जानता है और भी इस मा'नी की बहुत आयात हैं। यहाँ उसके साथ ही यह भी फ़र्माया कि वह उस पर हिसाब लेगा, जब यह आयत उतरी तो सहाबा (رضي الله عنهم) पर बड़ी भारी पड़ी कि छोटी बड़ी तमाम चीज़ोंका हिसाब होगा और अपने ईमान की ज़्यादती और यक़ीन की मज़बूती की वजह से वह काँप उठे तो हुज़ूर (ﷺ) के पास आकर घुटनों के बल गिर पड़े और कहने लगे, हज़रत! नमाज़, रोज़ा, जिहाद, सदक़ा वग़ैरह का तो हमें हुक्म हुआ जो हमारी ताक़त में था, हमने हत्तुल-मक़्दूर (ताकत भर) किया लेकिन अब जो आयत उतरी है उसकी बर्दाश्त की ताक़त तो हममें नहीं। आपने फ़र्माया, "फिर क्या तुम यहूद व नसारा की तरह यह कहना चाहते हो कि हमने सुना और नहीं माना तुमको चाहिए कि यूँ कहो, हमने सुना और माना। ऐ अल्लाह! हम तेरी बख़्शिश चाहते हैं, हमारे रब हमें तो तेरी ही तरफ़ लौटना है।" चुनाँचे सहाबा (رضي الله عنهم) ने इसे तस्लीम कर लिया और जुबानों पर यह कलिमात जारी हो गए तो आयत (आमनर्रसूल) उतरी और अल्लाह तआला ने इस तक्लीफ़ को दूर कर दिया और आयत (ला युकल्लिफ़ुल्लाहु) नाज़िल हुई। (मुस्नद अहमद : 2/412; वसनदुहू सहीह; व रवाहु मुस्लिम) सहीह मुस्लिम में भी यह हदीस है उसमें है कि अल्लाह तआला ने यह तक्लीफ़ दूर कर दी और आयत (ला युकल्लिफ़ुल्लाहु) उतारी। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान तजावज़ल्लाहु तआला मिन हदीसिन्नफ़्सि : 125; मुस्नद अबी अवाना : 1/76; इब्ने हिब्बान : 139) और जब मुसलमानों ने कहा कि ऐ अल्लाह! हमारी भूल-चूक और ख़ता पर हमारी पकड़ न कर तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया (नअम) या'नी मैं यही करूँगा, उन्होंने (रब्बना वला तहमिल अलयना) अल्ख़, ऐ अल्लाह! हम पर वह बोझ न डाल जो हमसे अगलों पर डाला। अल्लाह तआला ने फ़र्माया, यह भी क़बूल फिर कहा (रब्बना वला तुहम्मिल्ना) ऐ अल्लाह! हम पर हमारी ताक़त से ज़्यादा बोझ न डाल, इसे भी क़बूल किया गया, फिर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह! हमें माफ़ कर, हमारे गुनाह बख़्श और काफ़िरों पर हमारी मदद कर। अल्लाह तआला ने इसे भी क़बूल फ़र्माया। यह हदीस और भी बहुत से तुरूक़ (सनदों) से मरवी है। एक रिवायत में यह भी है कि हज़रत मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) के पास जाकर वाक़िया बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنهما) ने इस आयत (वइन तुब्दू) अल्ख़ की तिलावत फ़र्माई और बहुत रोये। आपने फ़र्माया, इस आयत के उतरते ही यही हाल सहाबा (رضي الله عنهم) का इसके उतरने के वक़्त हुआ था, वह सख़्त ग़मगीन हो गए और यह भी कहा कि दिलों के मालिक हम दिल के ख़यालात पर भी पकड़े गए तो बड़ी मुश्किल है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया (समिअना व अतअना) कहो, चुनाँचे सहाबा (رضي الله عنهم) ने कहा और फिर बाद वाली आयात उतरीं और अमल पर तो पकड़ रही लेकिन दिल के ख़्यालात और नफ़्स के वस्वसे से पकड़ उठ गई। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इत्क़, बाब अल्ख़ताउ वन् निस्यान फ़िल अताक़त : 2528; सहीह मुस्लिम : 127) दूसरे तरीक़ से यह रिवायत इब्ने मरजाना से भी इसी तरह मरवी है और इसमें यह भी है कि क़ुरआन ने फ़ैसला कर दिया कि तुम अपने नेक व बदआ'माल

पर पकड़े जाओगे, ख़्वाह ज़ुबानी हो ख़्वाह और आ'ज़ाअ के हों लेकिन दिली वस्वसे माफ़ हैं और भी बहुत से सहाबा (ﷺ) और ताबेईन (रह.) से इसका मंसूख़ होना मरवी है। सहीह हदीस में है कि अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत के दिली ख़्यालात से दरगुज़र फ़र्मा लिया, पकड़ उसी पर है जो कहें या करें। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, : 7501; सहीह मुस्लिम : 128; तिर्मिज़ी : 1183; नसाई : 3463; इब्ने माजा : 2044)

नेकी का इरादा करने से सवाब लिखा जाता है जबकि गुनाह में ऐसा नहीं है : बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह तआला फ़र्माता है कि जब मेरा बन्दा बुराई का इरादा करे तो उसे न लिखो जब तक कर न गुज़रे अगर कर गुज़रे तो एक बुराई लिखो और जब नेकी का इरादा करे तो सिर्फ़ इरादे ही से नेकी लिख लो और अगर नेकी कर भी ले तो एक के बदले दस नेकियाँ लिखो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (यूरीदून अय्युंबद्दिलू कलामल्लाह) 7501; सहीह मुस्लिम : 128) और रिवायत मेंहै कि एक नेकी के बदले सात सौ तक लिखी जाती हैं। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब इज़ा हम्मल अब्द बिहसनतिन : 128) और रिवायत में है जब बन्दा बुराई का इरादा करता है तो फ़रिश्ते जनाब बारी में अर्ज़ करते हैं कि ऐ अल्लाह! तेरा यह बन्दा बदी करना चाहता है, अल्लाह तआला फ़र्माता है रुके रहो जब तक कि कर न ले, उसके नामा-ए-आ'माल में न लिखो अगर करे तो एक लिखना और अगर छोड़ दे तो एक नेकी लिख लेना क्योंकि मुझसे डरकर छोड़ता है। हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं ''जो पुख़्ता और पूरा मुसलमान बन जाए उसकी एक एक नेकी का सवाब दस से लेकर सात सौ तक बढ़ता जाता है और बुराई नहीं बढ़ती।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब इज़ाहम्मल अब्द बिहसनतिन : 131; सहीह बुख़ारी : 42; क़ौलुहू (इज़ा अहसन अहदकुम. ..)) और रिवायत में है कि सात सौ से भी कभी-कभी नेकी बढ़ा दी जाती है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब इज़ाहम्मल अब्द बिहसनतिन : 131; सहीह बुख़ारी : 42; क़ौलुहू (इज़ा अहसन अहदकुम. ..)) एक और रिवायत में यह भी है कि बड़ा बर्बाद होने वाला वह है जो बावजूद इस रहमो-करम के भी बर्बाद हो। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब इज़ाहम्मल अब्द बिहसनतिन : 131; सहीह बुख़ारी : 42; क़ौलुहू (इज़ा अहसन अहदकुम. ..)) एक मर्तबा अस्हाब (ﷺ) ने आकर कहा कि हज़रत! कभी-कभी तो हमारे दिल में ऐसे वस्वसे उठते हैं कि ज़ुबान से उनका बयान करना भी हम पर गिराँ गुज़रता है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसा होने लगा? उन्होंने कहा, हाँ! आपने फ़र्माया, ''यह सरीह ईमान है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयानुल वस्वसति फ़िल ईमान : 132)

दिली वस्वसों पर मुहासिबा अज़ाब को लाज़िम नहीं करता : हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से यह भी मरवी है कि यह आयत मंसूख़ नहीं बल्कि मतलब यह है कि क़यामत के दिन जब सारी मख़्लूक़ को अल्लाह तआला जमा करेगा तो फ़र्माएगा कि मैं तुमको तुम्हारे दिलों के भेद बताता हूँ जिस पर मेरे फ़रिश्ते भी आगाह नहीं मो'मिनों को तो ख़बर देकर फिर माफ़ फ़र्मा देगा, हाँ! मुनाफ़िक़ और शक व शुब्हा वाले लोगों को उनकी

तक्ज़ीब की पोशीदगी की ख़बर देकर फिर उनकी पकड़ होगी। जैसे और जगह है (وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ) (2/बक़रह : 225) या'नी अल्लाह तआला तुमको तुम्हारे दिल की कमाई पर पकड़ेगा या'नी दिली शक और दिली निफ़ाक़ पर। हसन बसरी (रह.) भी इसे मंसूख़ नहीं कहते। इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इसी क़ौल को पसंद करते हैं और फ़र्माते हैं कि हिसाब और चीज़ है, अज़ाब और चीज़ है, हिसाब लिए जाने को अज़ाब किया जाना लाज़िम नहीं, हिसाब के बाद मुम्किन है कि माफ़ हो जाए और मुम्किन है पकड़ हो और सज़ा दी जाए। चुनाँचे एक हदीस में है कि हम तवाफ़ कर रहे थे कि एक शख़्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से पूछा कि तुमने हुज़ूर (ﷺ) से सरगोशी के बारे में क्या सुना है? आपने फ़र्माया, अल्लाह तआला ईमान वाले को अपने पास बुला लेगा, यहाँ तक कि अपना बाज़ू उस पर रख देगा, फिर उससे कहेगा बता तूने फ़लाँ-फ़लाँ गुनाह किया? फ़लाँ दिन फ़लाँ गुनाह किया? वह ग़रीब इक़रार करता जाएगा, जब बहुत से गुनाहों का इक़रार कर लेगा तो अल्लाह तआला फ़र्माएगा, सुन! दुनिया मे भी मैंने तेरे इन उयूब की पर्दापोशी की और अब आज के दिन मैं इन तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। अब इसे इसकी नेकियों का सहीफ़ा इसके दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा, हाँ! अल्बत्ता कुफ़्फ़ार व मुनाफ़िक़ को तमाम मज्मअ के सामने रुस्वा किया जाएगा, उनके गुनाह ज़ाहिर किए जायेंगे और पुकार दिया जाएगा कि यह लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बाँधा, इन ज़ालिमों पर अल्लाह की फटकार है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मज़ालिम, : 2441; सहीह मुस्लिम : 2768)

हज़रत ज़ेद (رضي الله عنه) ने एक मर्तबा इस आयत के बारे में हज़रत आइशा (رضي الله عنها) से सवाल किया तो आपने फ़र्माया, जबसे मैंने आँहज़रत (ﷺ) से इस बारे में पूछा है, तबसे लेकर आज तक मुझसे किसी शख़्स ने नहीं पूछा, आज तूने पूछा है, सुन! इससे मुराद बन्दे को दुनियावी तक्लीफ़ें मस्लन बुख़ार वग़ैरह तक्लीफ़ें पहुँचना है यहाँ तक कि मस्लन एक जेब में नक़्दी रखी है और ख़्याल रहा कि उसकी दूसरी जेब में है, हाथ डाला वहाँ न निकली, दिल पर चोट सी पड़ी, दूसरी जेब में हाथ डाला, वहाँ से मिल गई, उस पर भी उसके गुनाह माफ़ होते हैं, यहाँ तक कि मरने के वक़्त वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह ख़ालिस सुर्ख़ सोना हो। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल बक़रह : 2991; वसनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद मे अली बिन ज़ेद बिन जिदआन ज़ईफ़ रावी है। (अत्तक़रीब : 2/37; रक़म : 342)

....

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ
وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا
وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

तर्जुमा : "रसूल मान चुका, उस चीज़ को जो उसकी तरफ़ अल्लाह की जानिब से उतरी और मो'मिन भी मान चुके, यह सब अल्लाह तआला और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए, उसके रसूलों में से किसी में हम जुदाई नहीं करते, उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और माना, हम तेरी बख़्शिश तलब करते हैं, ऐ रब! हमारे और हमें तेरी ही तरफ़ लौटना है। (285) अल्लाह तआला किसी जान को उसकी ताक़त से ज़्यादा तक्लीफ़ नहीं देता जो नेकी करे, वह उसके लिए और जो बुराई करे, वह उस पर है। ऐ हमारे रब! अगर हम भूल गए हों या ख़ता की हो तो हमें न पकड़ना। ऐ अल्लाह! हम पर वह बोझ न डाल, जो उन लोगों पर डाला था जो हमसे पहले थे, ऐ हमारे रब! हम पर वह बोझ न डाल जिसकी हमें ताक़त न हो और हमसे दरगुज़र फ़र्मा और हमें बख़्श दे और हम पर रहम कर, तू ही हमारा मालिक है, हमें काफ़िरों की क़ौम पर ग़लबा अता फ़र्मा।" (286)

सूरह बक़रह की आख़िरी दो आयात की फ़ज़ीलत (आयत 285, 286) : इन दोनों आयात की फ़ज़ीलत की अहादीस सुनिए। सहीह बुख़ारी में है जो शख़्स इन दोनों आयात को रात को पढ़ ले, उसे यह दोनो काफ़ी हैं। (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब फ़ज़्ल सूरतिल बक़रह : 5009; सहीह मुस्लिम : 806; अबूदाऊद : 1397; तिर्मिज़ी : 2881; इब्ने माजा : 1369) मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "मैं सूरह बक़रह के ख़ात्मे की दो आयात अर्श तले के ख़ज़ाना से दिया गया हूँ मुझसे पहले किसी नबी को यह नहीं दी गई।" (अहमद : 5/151; वसनदुहू ज़ईफ़) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है कि जब

हुज़ूर (ﷺ) को मे'राज कराई गई और आप सिदरतुल मुन्तहा तक पहुँचे जो सातवें आसमान पर है जो चीज़ आसमान की तरफ़ चढ़ती है वह यहीं तक ही पहुँचती है और यहाँ से ले ली जाती है और जो चीज़ ऊपर से उतरती है वह भी यहीं तक पहुँचती है फिर यहाँ से ले ली जाती है, उसे सोने की टिड्डियाँ ढके हुए थीं। वहाँ हुज़ूर (ﷺ) को तीन चीज़ें दी गईं, पाँचों वक़्त की नमाज़ें, सूरह बक़रह के ख़ात्मा की दो आयात और तौहीद वालों के तमाम गुनाहों की बख़्शिश। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी ज़िक्र सिदरतुल मुन्तहा : 173; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 315) मुस्नद में है कि हज़रत उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) से रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "सूरह बक़रह की इन दोनों आख़िरी आयात को पढ़ते रहा करो, मै इन्हें अर्श के नीचे के ख़ज़ानों से दिया गया हूँ।" (अहमद : 4/147; वसनदुहू ज़ईफ़) इब्ने मर्दवे में है कि हमें लोगों पर तीन फ़ज़ीलतें दी गई हैं, सूरह बक़रह की यह आख़िरी आयात अर्श तले के ख़ज़ानों से दिया गया हूँ जो न मुझसे पहले किसी को दी गईं न मेरे बाद किसी को दी जायेंगी। (अहमद : 5/383; वसनदुहू सहीह) इब्ने मर्दवे में है कि हज़रत अली (رضي الله عنه) फ़र्माते हैं मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में से कोई शख़्स आयतल कुर्सी और सूरह बक़रह की आख़िर की दो आयात पढ़े बग़ैर सो जाए। यह वह ख़ज़ाना है जो तुम्हारे नबी (ﷺ) अर्श तले के ख़ज़ाने से दिए गए हैं। (यह रिवायत मौक़ूफ़ है और दोनों सनदों के साथ ज़ईफ़ हैं।) और हदीस तिर्मिज़ी में है कि अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन को पैदा करने से दो हज़ार बरस पहले एक किताब लिखी, जिसमें से दो आयात उतारकर सूरह बक़रह ख़त्म की जिस घर में यह तीन रातों तक पढ़ी जाएँ उस घर के क़रीब भी शैतान नहीं जा सकता। (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी आख़िर सूरतिल बक़रह : 2882; वसनदुहू हसन) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे ग़रीब बताते हैं लेकिन हाकिम अपनी मुस्तदरक में इसे सहीह कहते हैं। (देखिए अल्हाकिम : 2/260) इब्ने मर्दवे में है कि जब हुज़ूर (ﷺ) सूरह बक़रह का ख़ात्मा और आयतल कुर्सी पढ़ते तो हंस देते और फ़र्माते कि यह दोनों रहमान के अर्श तले का ख़ज़ाना हैं और जब आयत (مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ) (4/निसाअ : 123) और आयत (وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى) (53/नज्म : 39) पढ़ते तो ज़ुबान से इन्ना लिल्लाह निकल जाता और सुस्त हो जाते। (इन अल्फ़ाज़ से यह रिवायत इंतिहाई ज़ईफ़ है। इसकी सनद मे अबूबक्र बिन अबी मरयम ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/498; रक़म : 1006) इब्ने मर्दवे में है कि मुझे सूरह फ़ातिहा और सूरह बक़रह के आख़िर की दो आयात अर्श के नीचे से दी गईं हैं और मुफ़स्सल की सूरतें और ज़्यादा हैं। (अल्मुअजमुल कबीर लित्तबरानी : 20/225, 226; मुतव्वलन बिहाज़ल् लफ़्ज़ हाकिम : 1/559; वसनदुहू ज़ईफ़) और हदीस में है कि हम हुज़ूर (ﷺ) के पास बैठे हुए थे। हज़रत जिब्राईल (अ.) भी थे कि अचानक एक दहशतनाक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आसमान से आई। हज़रत जिब्राईल (अ.) ने पर को आँखें उठाईं और फ़र्माया कि आसमान का यह वह दरवाज़ा खुला है जो आज तक कभी नहीं खुला था, उससे एक फ़रिश्ता उतरा, उसने आँहज़रत (ﷺ) से कहा, आप ख़ुश हो जाइए, आपको वह दो नूर दिए जाते हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, सूरह फ़ातिहा और सूरह बक़रह की आख़िरी आयात, इनमे से एक-एक हर्फ़ पर आपको नूर दिया जाएगा। (सहीह

मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब फ़ज़्लुल फ़ातिहति व ख़्वातीमे सूरतिल बक़रह : 807) पस यह दस अहादीस इन मुबारक आयात की फ़ज़ीलत में है।

तमाम नाज़िलशुदा आसमानी किताबों पर ईमान रखना : मतलब आयत का यह है कि रसूल या'नी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) उस पर ईमान लाए जो उनकी तरफ़ उनके रब की जानिब से उतरा, इसे सुनकर आपने फ़र्माया, वह ईमान लाने का पूरा मुस्तहिक़ था। (यह रिवायत मुर्सल है, इमाम ज़हबी ने इसे मुंक़तअ क़रार दिया है। देखिए (तल्ख़ीसुल मुस्तदरक : 2/287) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) और दूसरे ईमानदार भी ईमान लाए उन सबने मान लिया कि अल्लाह तआला अकेला है वह वहदानियत वाला है, वह तंहा है, वह बेनियाज़ है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, न उसके सिवा कोई पालनहार है, यह तमाम अम्बिया को मानते हैं, तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, आसमानी किताबें जो अम्बिया किराम (अ.) पर उतरी हैं, सच जानते हैं, वह नबियों में जुदाई नहीं करते कि एक को मानें एक को न मानें बल्कि सबको सच्चा जानते हैं और ईमान रखते हैं कि वह पाकबाज़ तब्क़ा रुश्दो-हिदायत वाला और लोगों की ख़ैर की तरफ़ रहबरी करने वाला है गो कुछ अहकाम हर नबी के ज़माने में अदल-बदल होते रहे, यहाँ तक कि हुज़ूर (ﷺ) की शरीअत सबकी नासिख़ ठहरी, ख़ातिमुल अम्बिया वल मुर्सलीन आप थे। क़यामत तक आपकी शरीअत बाक़ी रहेगी और एक जमाअत उसकी इत्तिबाअ भी करती रहेगी, उन्होंने इक़रार भी किया कि हमने कलामुल्लाह सुना और अहकामे इलाही हमें तस्लीम हैं उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह! हमें मग़्फ़िरत रहमत और लुत्फ़ इनायत फ़र्मा, तेरी ही तरफ़ हमें लौटना है या'नी हिसाब वाले दिन हज़रत जिब्राईल (अ.) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी और आपकी ताबेदार उम्मत की यहाँ सना व सिफ़त बयान हो रही है, आप इस मौक़े पर दुआ कीजिए, क़बूल की जाएगी, मांगिए कि अल्लाह तआला ताक़त से ज़्यादा तक्लीफ़ न दे। (तब्री : 6497; अन हकीम बिन जाबिर यह रिवायत मुर्सल या'नी ज़ईफ़ है।)

फिर फ़र्माया किसी को उसकी ताक़त से ज़्यादा तक्लीफ़ अल्लाह तआला नहीं देता यह उसका लुत्फ़ो करम और एहसान व इन्आम है। सहाबा को जो खटका हुआ था और उन पर जो यह फ़र्मान गिराँ गुज़रा था कि दिल के ख़्यालात पर भी हिसाब लिया जाएगा, वह हर्ज इस आयत से उठ गया, मतलब यह है कि गो हिसाब हो सवाल हो लेकिन जो चीज़ ताक़त से बाहर है उस पर अज़ाब नहीं क्योंकि दिल में किसी ख़्याल का दफ़अतन आ जाना रोके रुक नहीं सकता बल्कि हदीस से यह भी मा'लूम हो चुका कि ऐसे वस्वसों को बुरा जानना दलीले ईमान है बल्कि अपनी-अपनी करनी, अपनी-अपनी भरनी, आ'माले सालिहा करोगे, जज़ा पाओगे आ'माले ख़बीसा करोगे, सज़ा भुगतोगे।

फिर दुआ की ता'लीम की और उसकी क़बूलियत का वा'दा फ़र्माया कि ऐ अल्लाह! भूले चूके जो अहकाम हमसे छूट गए हों या जो बुरे काम हो गये हों या शरई अहकाम में ग़लती करके जो ख़िलाफ़े शरअ

काम हमसे हो गए हों , वह माफ़ फ़र्मा, पहले सहीह मुस्लिम के हवाले से हदीस गुज़र चुकी है कि इस दुआ के जवाब में अल्लाह तआला ने फ़र्माया, मैंने इसे क़बूल फ़र्मा लिया, मैंने यही किया। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान तजावज़ल्लाहु तआला....: 125, 126) और हदीस में आ चुका कि मेरी उम्मत की भूल चूक माफ़ है और जो काम ज़बरदस्ती कराए जाएँ वह भी माफ़ हैं। (इब्ने माजा, किताबुत्तलाक़, बाब तलाक़ुल मुक्रिहू वन्नासी : 2043; अन अबी ज़र (ﷺ)। सनदुहू ज़ईफ़ वहुव सहीह बिश्शवाहिद) ऐ अल्लाह! हम पर मुश्किल और सख़्त आ'माल की मशक़्क़त न डाल जैसे अगले दीन वालों पर सख़्त सख़्त अहकाम थे जो आँहज़रत (ﷺ) को नबी रहमत बनाकर भेजकर दूर किए गए और आपको एक तरफ़ा सहल और आसान दीन दिया गया, यह भी परवरदिगार ने क़बूल फ़र्माया, हदीस में भी है कि मैं यक्सूई वाला और आसान दीन देकर भेजा गया हूँ। (अहमद : 5/266; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा)

ऐ अल्लाह! वह तक्लीफ़ें बलाएँ और मशक़्क़तें हम पर न डाल, जिनकी बर्दाश्त की ताक़त हमें नहीं, हज़रत मक्हूल (रह.) फ़र्माते हैं कि इससे मुराद फ़रेब और ग़ल्बा शहवत है। (इब्ने अबी हातिम : 3/1235) इसके जवाब में भी क़बूलियत का ऐ'लान अल्लाह तआला की तरफ़ से किया गया और हमारी तक़्सीरों को माफ़ फ़र्मा जो तेरी राह मे हुई हैं और हमारे गुनाहों को बख़्श हमारी बुराईयों और बदआ'मालियों की पर्दापोशी कर हम पर रहमो-करम कर ताकि फिर हमसे तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ का कोई काम न हो, इसीलिए बुज़ुर्गों का क़ौल है कि गुनहगार को तीन बातों की ज़रूरत है एक तो अल्लाह की माफ़ी की ताकि अज़ाब से नजात पाए, दूसरे पर्दापोशी की ताकि रुस्वाई से बचे, तीसरे अस्मत की ताकि वह दोबारा गुनाह मे मुब्तला न हो, इस पर भी जनाब बारी तआला ने क़बूलियत का ऐ'लान किया, तू हमारा वाली व नासिर है, तुझी पर हमारा भरोसा है, तुझ ही से मदद तलब करते हैं, तू ही हमारा सहारा है, तेरी मदद के सिवा न तो हम किसी नफ़ा के हासिल करने पर क़ादिर हैं, न किसी बुराई से बच सकते हैं, तू हमारी इन लोगों पर मदद कर जो तेरे दीन के मुंकिर हैं, तेरी वहदानियत को नहीं मानते, तेरे नबी (ﷺ) की रिसालत को तस्लीम नहीं करते, तेरे साथ दूसरों की इबादत करते हैं मुश्रिक हैं। ऐ अल्लाह! तू हमें उन पर ग़ालिब कर दुनिया और दीन में हम ही उन पर कार फ़र्मा हैं। अल्लाह तआला ने उसके जवाब में भी फ़र्माया, हाँ! मैंने यह भी कर दिया, हज़रत मुआज़ (ﷺ) जब इस आयत को ख़त्म करते, आमीन कहते। (तब्री : 6/146; वसनदुहू ज़ईफ़; अबू इस्हाक़ मुदल्लस रावी है और सिमाअ की सराहत नहीं नीज़ सनद में 'रजुल' मज्हूल है।)

......

मुनाजात

हकीम मुहम्मद सिद्दीक ग़ौरी

रब्बे-आज़म, अर्शे-आज़म पर है तेरा इस्तवा,
तू है आली, तू है आला, तू ही है रब्बुलउला।
हम्द, पाकी किबरियाई मेरे सुब्हानो-हमीद,
सिर्फ़ है तेरे लिये जितनी तू चाहे किबरिया।
लामकां, बेख़ानमां, तू है नहीं हर्गिज़ रफ़ीअ
अर्श पर है तू यक़ीनन, है पता मुझको तेरा।
अर्श पर होक भी तू मेरी रगे-जां से क़रीब,
इतना मेरे पास है मैं कह नहीं सकता ज़रा।
अर्श पर है ज़ात तेरी, इल्मो-कुदरत से क़रीब,
तू हमारे पास है ऐ हाज़िरो-नाज़िर ख़ुदा।
अर्श पर है तू यक़ीनन और वह मकतूब भी
तेरी रहमत है फ़ज़ूं तेरे ग़ज़ब से ऐ ख़ुदा।
अरबों ख़रबों रहमतें हों, बरकतें लाखों सलाम,
उन पर उनकी आल पर जो हैं मुहम्मद मुस्तफ़ा।
काबिले-तारीफ़ है तू मेरे रब्बुल आलमीन,
तू है रहमानो-रहीम-मालिके-यौमे-जज़ा।
हम तुझी को पूजते हैं तू ही इक माबूद है,
हम मदद चाहते नहीं हर्गिज़ कभी तेरे सिवा।
तू है ज़ाहिर, तू है बातिन, अव्वलो-आख़िर है तू,
फ़क़्र भी तू देर कर दे, क़र्ज़ भी या रब मेरा।
मैं ज़मीनो-आसमां पर डालता हूं जब नज़र,
कोई भी पाता नहीं हूं मैं ख़ुदा तेरे सिवा।
चाँद-तारे दे रहे हैं अपने सानेअ की ख़बर,
तेरी कुदरत से अयां है बिलयक़ीन होना तेरा।
मैं तुझे कुछ जानता हूं, तेरे कुछ औसाफ़ भी,
तू क़यामत में भी होगा जाना-पहचाना मेरा।
तू मेरा ज़ाकिर रहे मैं भी रहूं ज़ाकिर तेरा,
हो ज़मी पर ज़िक्र तेरा आसमां में हो मेरा।
क़ल्बे-मुज़्तर को सुकूं मिल जाये तेरी याद से,
और तेरे ज़िक्र से हो मुत्मईन ये दिल मेरा।
रोज़ो-शब, सुब्ह मसा, आठों पहर, चौसठ घड़ी,
तू ही तू दिल में हरे कोई न हो तेरे सिवा।
मैं हमेशा याद रक्खूं अपनी मजलिस में तुझे,
तू भी मुझको याद रक्खे अपनी मजलिस में सदा।
बन्द तेरी याद से मेरी ज़ुबां या रब न हो,
मरते दम तक, मरते दम भी ज़िक्र हो लब पर तेरा।
ज़िन्दगी दुश्वार हो तेरी मुहब्बत के बग़ैर,
माही-ए-बेआब हो बे-ज़िक्र ये बन्दा तेरा।
मैं दुआ के वक़्त तुझ से इतना हो जाऊं क़रीब,
गोया तहतुल अर्श में हूं तेरे क़दमों में पड़ा।
हालते सद-यास में भी ऐ ख़ुदा तेरी क़सम,
जी न हारूं और मैं करता रहूं तुझसे दुआ।
बह रही हो मेरी आँखें मेरी गर्दन हो झुकी,
नाक नगड़े, पस्त होकर, तुझसे मैं मांगू दुआ।
तेरे आगे आजिज़ाना, दस्त बस्ता, सर नगूं,
मैं रहूं या रब खड़ा भी तेरे क़दमों में पड़ा।
हर मेरी ऐसी दुआ हो तेरी नेअमत की क़सम,
जैसे कोई तीर हो अपने निशाने पे लगा।
हर मेरी ऐसी दुआ हो जिससे टल जाएं पहाड़,
ग़ार वालों से भी बढ़कर तेरी रहमत से ख़ुदा।
हर मेरी तौबा हो ऐसी जो अगर तक़्सीम हो,
तेरे बन्दों पर तो बख़्शे जाएं लाखों बे-सज़ा।
नेकियों में तू बदल दे और उनको बख़्श दे,
उम्र भर के अगले पिछले सब गुनाहों को ख़ुदा।
हज मेरे मबरूर हो सब कोशिशें मशकूर हों,
दे तिजारत तू भी वह जिसमें न हो घाटा ज़रा।
तेरी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ हो मेरी कुल ज़िन्दगी,
खाना-पीना, चलना फिरना, बैठना उठना मेरा।
जो क़सम खाई या खाऊं तुझ पे करके ऐतमाद,
मअ फ़लाहे दोजहां के साथ पूरी हो ख़ुदा।

मैं न छोडूं, मैं न छोडूं संगे-दर तेरा कभी,आ गया हूं,
आ पड़ा हूं, तेरे दर पर ऐ ख़ुदा।
हर नज़ाई कोई शय हो मैं तेरी तौफ़ीक़ से,
सिर्फ़ चाहूं तुझसे या तेरे नबी से फ़ैसला।
ऊम्र भरे मेरी नज़र इस पर रहे हो जुस्तजू,
तूने या रब क्या कहा? मुस्तफ़ा ने क्या कहा?
आख़िरत में अपनी या रब कितनी ही मख़लूक़ पर,
मुझ को मेरी आल को तू फ़ौक़ियत करना अता।
उम्र मेरी आख़िरी है दिन है मरने के क़रीब,
मैं रहूं गिरयां के तू ख़न्दां मिले मुझसे ख़ुदा।
फ़ज़्ल फ़र्मा मरते दम तक मैं रहूं इस हाल में,
तुझ से हो उम्मीद बेहद डर भी हो मुझको तेरा।
मैं रहूं बेचैन बेहद तुझसे मिलने के लिये,
जान जब निकले तो तड़पे कब वह हो तन से जुदा।
मौत की ताख़ीर भी हो मौत ही मेरे लिये,
हो दमे-आख़िर मुझे इतना तेरा शौक़े-लिक़ा।
बख़्श दे तू, रहम कर, आला रफ़ीक़ों से मिलूं,
हो मुझे उस वक़्त बेहद शौक़ मिलने का तेरा।
क़ौल साबित पर रहूं साबित ख़ुदाया हो नसीब,
ला इलाहा इल्ला अन्तल्लाह पे मरना मेरा।
आख़री हिचकी मुझे दे तेरी रहमत की ख़बर,
आँख जब बन्द हो तो देखूं तेरी जन्नत की फ़िज़ां।
तेरी रहमत की तरफ़ हो मेरा दुनिया से ख़ुरूज,
जांकनी के वक़्त पाऊं मुज़दा हाए जांफ़िज़ा।
क्या मेरा मस्कन ज़मीनों-आसमां तक रो पड़े,
मेरे मरने पर ख़ुदाया अर्श हिल जाए तेरा।
रब्बे राज़ी की तरफ़ चल हो के राज़ी तू निकल,
रूह से मेरी फ़रिश्ते यह कहे वक़्ते क़ज़ा।
तेरी रहमत के फ़रिश्ते मुझको लेने के लिये,
आएं वह, लेकर चढ़ें, मुझको जहां है तू ख़ुदा।
रूह का आसमां में हो फ़रिश्तों पर वरूद,
हो यही उनकी सदाएं मरहबा सद मरहबा।
क़द्दे मुनी, क़द्दे मुनी ले चलो जल्दी चलो,
जब जनाज़ा ले चलें कहता रहे बन्दा तेरा।
तू मुसल्ली हो मलाइक भी तेरे हों बिलख़ुसूस,
मुझ ग़रीबो-बेनवा का जब जनाज़ा हो पड़ा।
हो मेरा मस्कन वहां, तुझ को जहां भी हो पसन्द,
जो ज़मी हो तुझको पियारी वह बने मदफ़न मेरा।
कर चुके जब दफ़्न मुझको आए मुन्कर नकीर,
रब्बे सब्बित रब्बे सब्बित हो लब पर ऐ ख़ुदा।
क़ब्र हो मुश्ताक़ मेरी उसका बेहतर हो सुलूक,
पाऊं मैं आग़ोशे मादर की तरह उसको ख़ुदा।
ज़िन्दगी के इस सफ़र में तू मेरा साहिब रहे,
कुल मेरे पसमान्दगां में तू ख़लीफ़ा हो मेरा।
तू सफ़र में भी हज़र में भी क़ब्र में भी हश्र में,
मेहरबां मुझ पर रहे बेहद निगहबां भी मेरा।
जांकनी हो, क़ब्र हो या हश्र हो या पुल-सिरात,
सहल तेरे फ़ज़्ल से हो मरहला इक इक मेरा।
रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम हसबुना नेअमुल वकील,
हश्र के कुल मरहालों में हो यही कलमा मेरा।
रोज़े महशर हो तेरे रूए मुबारक पर नज़र,
जब तेरी पिण्डली खुले सज्दे में हो बन्दा तेरा।
अर्श का साया मिले सातों तरह से हश्र में, मुझको,
मेरी आल को जो हो क़यामत तक ख़ुदा।
गो पलक झपके न झपके मुझसे तै हो पुल-सिरात,
इस कठिन मंज़िल में मेरी मेरे मौला काम आ।
जल्द इसको पार कर यह सर्द कर देगा मुझे,
जब जहन्नुम पर से गुज़रूं वह कहे तुझको ख़ुदा।
आएगा बन्दा तेरा इक दिन कफ़न पहने हुए,
तेरे आगे, बख़्श देना आफ़ियत करना अता।
रास्ता सीधा दिखा, इन्आम कर हम पर मदाम,
उम्मते-अहमद में मुझको ख़ास दर्जा कर अता।
उम्र भर की कुल ख़ताएं उनकी ग़ाफ़िर बख़्श दे,
तू मेरे माँ-बाप की कर मग़फ़िरत बेइन्तिहा।

या इलाही! हक़ हमारे लिए वाज़िह कर दे और उस की इत्तिबा की तौफ़ीक़ दे, और बातिल को बातिल की हैसियत से समझने की और इस से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़र्मा। या इलाही! हमें हिदायत दे, और हमें तीर की मानिंद सीधा कर और हमें सही रहनुमाई नसीब फ़र्मा और हमें हमारे नफ़ूस के शर से महफ़ूज़ फ़र्मा। ऐ अल्लाह! हम तेरे बंदे हैं अगर तू हमारी पकड़ करे, सज़ा दे तो हम इसके ही लायक़ हैं लेकिन तू दरगुज़र करने वाला, माफ़ करने वाला, माफ़ी को पसंद करने वाला ग़फ़ूरु-र्रहीम है।

ऐ हमारे रब! हमें सीधा रास्ता दिखा, उस पर चला और कामयाबी अता कर, हमारे दिलों को दुनिया के फ़ितनों से महफ़ूज़ फ़र्मा, रास्ता खोटा करने वाले शैतान से बचा और शैतान को हम से मायूस कर दे। रब्बाना ! हम तेरे दरबार में हाज़िर हैं, हम तेरे दर पर पड़े हैं, तेरे आगे गिरिया-ओ-ज़ारी करते हैं, हमारा मलजा-ओ-मावा तू ही है, हम तेरे बंदे हैं तेरे बंदों की औलाद हैं, हम तेरे क़ब्ज़े में हैं , हमारी पेशानी के बाल तेरी मुट्ठी में हैं, हमारे दिल तेरी उंगलीयों के दर्मियान हैं, ऐ मुक़ल्लिबुल कुलूब! हमारे दिलों को तेरे दीन और तेरी फ़र्मांबरदारी पर साबित क़दम फ़र्मा, हमारी दुआओं को क़बूल फ़र्मा, हमें ख़ाली हाथ वापिस न कर हमारी हिफ़ाज़त फ़र्मा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से ऐसी हिफ़ाज़त जिस के बाद कोई नुक़सान ना पहुंच सकें।

हम सब को दुनिया की भलाई अता कर, आख़िरत की भी भलाई अता कर, हम को बचा आग के अज़ाब से। ऐ हमारे रब! हम पनाह चाहते हैं भूक से, ख़ियानत से, फ़िक्र-ओ-ग़म से, क़र्ज़ के बोझ से, लोगों के तक़ाज़े से, आँख, कान, दिल और ज़बान के शर से, बुज़दिली, काहिली और कंजूसी से, ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से जिस में तेरा ख़ौफ़ ना हो, ऐसे नफ़्स से जो कभी सैर ना हो, ऐसी दुआ से जो क़बूल ना हो हम पनाह मांगते हैं दज्जाल के फ़ित्ने से, ज़िंदगी और मौत के फ़ित्ने से, दुश्मन की चालों से, ग़ीबत, बदगुमानी और निफ़ाक़ से, झूठ से, आपस की अदावत से, मोहलिक बीमारी से, अचानक मुसीबत से, ऐ अल्लाह! इन सबसे हमारी कामिल हिफ़ाज़त फ़र्मा।

या इलाही! हमारे दर्मियान दाइमी मुहब्बत और उलफ़त क़ायम कर दे। हम तेरे लिए ज़िंदा रहें तेरे दीन की ख़ातिर जियें और तेरे दीन की ख़ातिर ही हमारी मौत आए। हमारी कोशिशों को क़बूल फ़र्मा। हमारी जद्द-ओ-जहद को कामयाब कर। हमारे कारकुनों को हिम्मत और हौसला अता कर। ईमान की ताक़त से उन की कोशिशों में बरकत अता फ़र्मा। हमारे दिलों को फ़ितनों से महफ़ूज़ रख। हमारे क़ाइदीन की मदद फ़र्मा उन्हें फ़िरासत और हिक्मत से फ़ैसला करने की तौफ़ीक़ अता फ़र्मा। उन को ईमान, इख़लास और अख़लाक़-ए-हसना की नेअमतों से मालामाल कर।

ऐ हमारे रब! हमारे आबा-ओ-अज्दाद, हमारे बुज़ुर्ग-ओ-लवाहिक़ीन, हमारे साथी और रफ़ीक़ जो वफ़ात पा चुके हैं उन की कामिल मग़फ़िरत अता फ़र्मा। जो हमारे महबूसीन क़ैदो-बंद की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं या अल्लाह उन की रिहाई की सबील फ़र्मा और आख़िर में हम तुझ से अपनी मुहब्बत तलब करते हैं, उस की भी मुहब्बत जिस से तू मुहब्बत करता हो और हर उस अमल की मुहब्बत जो तेरी मुहब्बत से क़रीब कर दे।

ऐ अल्लाह! हमारे लिए अपनी मुहब्ब्त को हमारी जान से, हमारे अहल से, हमारे माल से, प्यास के आलम में ठंडे पानी की मुहब्बत से ज़्यादा कर दे।

रब्बाना ला तुज़िग़ कुलूबना बअ़द इज हदैतना व हबलना मिन लदुन्क रहमतन इन्नक अन्तलवह्हाब